MADHU LIMAYE IN PARLIAMENT

A Commemorative Volume

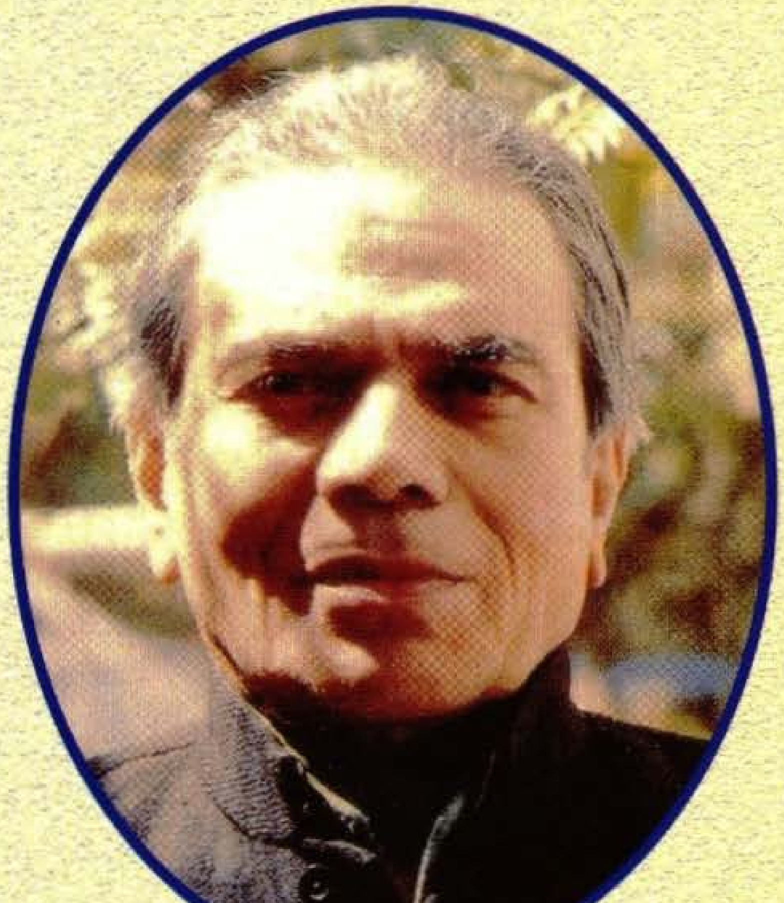

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

Madhu Limaye's multifaceted personality was a saga of struggle. His commitment and dedication for the welfare of the masses placed him among the galaxy of national leaders. A valiant freedom fighter, a committed socialist, an eminent parliamentarian, a true democrat and a prolific writer, Shri Limaye left an indelible imprint on the political landscape of India. Limaye, the visionary leader dreamt of an independent nation with an egalitarian society based on the principles of brotherhood and secularism. To achieve this, he worked ceaselessly during the freedom struggle and later in the post-independence period. As one of the key leaders, Limaye guided the Socialist movement during its initial phases and was instrumental in making socialism in India a way of life. His contribution to liberate Goa from the Portuguese rule will ever remain a glorious chapter in the history of our struggle against imperialism and colonialism.

A parliamentarian *par excellence*, Shri Limaye was elected four times to Lok Sabha from 1964 to 1979. He is known for his deep understanding of various subjects, thorough knowledge of Rules of Procedure and effective use of parliamentary devices. His speeches in Parliament, which cover a wide range of issues like constitutional matters, economic development, labour welfare, international politics, etc. reflect his maturity and intellect and his commitment for the national cause. A voracious reader, Limaye was a prolific writer as well, who authored more than 80 books and a number of articles on political and constitutional issues.

This publication attempts to capture the significant contributions made by Shri Madhu Limaye in strengthening the democratic institutions of the country. It includes his selected speeches in Parliament, articles and memoirs by various dignitaries and contemporaries, which would provide an insight into Limaye's vast reservoir of knowledge and his grasp and expertise in constitutional and parliamentary matters. A comprehensive pictorial profile containing Madhu Limaye's various stages of life is also provided in the publication.

Price : Rs. 1200.00

MADHU LIMAYE IN PARLIAMENT
A COMMEMORATIVE VOLUME

MADHU LIMAYE IN PARLIAMENT
A COMMEMORATIVE VOLUME

सत्यमेव जयते

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI
2008

LARRDIS (E & F)/2008

© Lok Sabha Secretariat, 2008

Price : Rs. 1200.00

Published under Rule 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Twelfth Edition) and printed by Jainco Art India, 13/10, W.E.A., Karol Bagh, New Delhi-110 005.

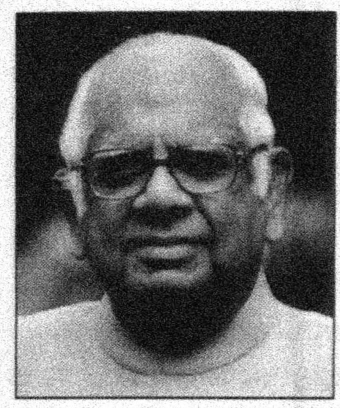

अध्यक्ष, लोक सभा
SPEAKER, LOK SABHA

FOREWORD

Shri Madhu Limaye was a distinguished national leader in his own right and one of the stalwarts of his time, who was never afraid of speaking out his mind. A respected freedom fighter and an outstanding parliamentarian, he was endowed with an incisive intellect. Shri Limaye was also an acknowledged writer who strongly believed in the power of his pen, in both fighting against arbitrariness and strengthening democratic values like equality, liberty and justice. Renowned for his socialist thinking, he devoted his entire life for consolidating the socialist movement in the country. A man of dauntless courage and conviction, he always chose the path that he thought was right.

A true nationalist as he was, Shri Madhu Limaye always strived in his own ways for an early end to the oppressive colonial rule in India. He openly defied the diktats of the British Empire and was sentenced to one-year rigorous imprisonment in 1940 for his anti-war speeches. Shri Limaye actively participated in the underground resistance Campaign during the Quit India Movement for which he was once again put behind the bars for over two years. After India became Independent, Shri Limaye participated in the Goa Liberation Movement; he was arrested in July 1955 and sentenced to imprisonment for 12 years but was released in February1957. He always fought for the causes he believed were just, without caring much for the consequences.

A peerless parliamentarian, Shri Madhu Limaye entered the Lok Sabha in 1964 in a by-election. He was re-elected in 1967 and again entered the popular House in 1973 in a by-election. He was also a member of the Sixth Lok Sabha. As a member of the Lok Sabha, Shri Limaye left his forceful imprint as an articulate and responsible parliamentarian. Through his exemplary parliamentary work, he proved that the best way to make a mark in the House was by scrupulously following the prescribed rules of procedure and by meaningfully making use of the various parliamentary devices available to the members. As one of his junior-most colleagues in the

Fifth Lok Sabha, I had the great and rare opportunities of watching him closely and be a witness to many of his brilliant interventions in the Lok Sabha, with awe and admiration. I shall always cherish his kind guidance and affection which I had the rare privilege to enjoy.

Secularism has been one of the fundamental principles of Indian society. Shri Madhu Limaye was indeed an epitome of secularism and was vociferously opposed to religious fanaticism and obscurantist ideas. He was greatly perturbed by the division of society on the basis of caste and religion and the social and economic backwardness of the country and called for agrarian reforms, keeping in view the predominantly agricultural character of the Indian economy. Shri Limaye was convinced that unless the backward and marginalised sections of the society were provided with opportunity and access to power and decision-making authority, it would be difficult to build an inclusive society that was cohesive and would respect our linguistic, ethnic and religious diversities. He was also opposed to promoting islands of prosperity in an ocean of backwardness as he felt it would lead to social tensions and disharmony.

As a true democrat, Shri Limaye set example of how to discharge the role of the Opposition in strengthening democracy and providing an alternative to the party in power. He fervently worked to forge unity among the Opposition parties so that they were able to provide a viable alternative to the people as also to be in a position to put a check on any arbitrary use of power by the ruling party. He insisted that the government must perform to justify the trust people had reposed in it and never move beyond the democratic principles and the provisions of the Constitution. Naturally, for him, no office, howsoever high it might be, was above democracy and principles like honesty, integrity and commitment to the people's interests and welfare were to be integral to the character of the persons occupying such high offices. He was also averse to the idea of one person simultaneously holding two posts and to the entry into the Rajya Sabha or the State Legislative Council of political leaders who had been rejected by the people at the elections to the Lok Sabha or the State Legislative Assembly.

True to his ideals and convictions, Shri Madhu Limaye never missed an opportunity in Parliament to confront the ruling party whenever he felt there was an attempt to bypass the supreme representative institution. Uncompromising in his fight against corruption, he spared no effort in exposing those who indulged in malfeasance and financial impropriety. Such was his style of presentation and depth of his knowledge that every section of the House heard him in rapt attention. He always came to the House well prepared; even while forcefully putting forth his viewpoints in the

House, he took great care to maintain a proper standard of behaviour that is expected of each and every parliamentarian. As a great democrat and socialist, he practised what he preached and always upheld the dignity of the House by sincerely following the established rules of procedure. If we emulate his example and faithfully abide by the rules and established conventions, our Parliament would be able to perform its assigned responsibilities in a more meaningful way earning the trust and confidence of the people and thus justify its primacy in our constitutional framework.

Shri Madhu Limaye was fully conscious about the evil of defection in creating political instability in the country and was against it, as he was of the view that it devalued the very system of parliamentary democracy. As a member of the Committee on Prevention of Defection constituted in 1968 with Shri Y.B. Chavan as Chairman, Shri Limaye proposed that an elected representative who switched political allegiance should not be given any remunerative post, that the size of the Council of Ministers be restricted and that if any recognized political party was to admit a defector as a member or as an associate member into its legislature party, the recognition of such party might be withdrawn for two years. The principled politician that he was, Shri Limaye resigned his seat in the Lok Sabha in March 1976 protesting against the extension of the normal tenure of the Lok Sabha during the Emergency. Even during those turbulent times, he never gave up his optimistic approach and believed in the ultimate triumph of liberty and democracy.

Shri Madhu Limaye had great respect for the Office of the Speaker of Lok Sabha. He believed that the Speaker had a crucial role to play in upholding the rights and privileges of the House and its members and had to perform his functions with a great sense of responsibility, which required impartiality and fearlessness and as a committed democrat he believed in the finest traditions of parliamentary democracy.

A man with great self-respect and dignity, Shri Madhu Limaye had politely refused to accept the pension offered by the government for his active participation in the freedom struggle. He also did not avail himself of the benefits given to those who took part in the Goa Liberation Struggle. Such was his sense of self-respect and self-esteem that he even did not accept the pension scheme available to former members of Parliament and preferred to live on an earning through his writings. He could never imagine that service to the nation could be a means for getting some monetary benefits. India today badly needs people of his commitment and integrity to help the nation move forward.

This Monograph, which carries reminiscences of Shri Madhu Limaye by his contemporaries and a collection of some of the speeches by Shri Limaye in Parliament seeks to highlight Shri Limaye's multi-faceted personality and acknowledge the sterling contributions he had made in strengthening our parliamentary edifice. I compliment the Secretary-General, Lok Sabha, Shri P.D.T. Achary, and his team of officers, on bringing out this volume, which gives us an insight into how Shri Limaye used to address the various issues of his time. This publication, brought out by the Lok Sabha Secretariat, is a humble tribute to the memory of a legendary parliamentarian and champion of human rights. I am sure, it will be read with great interest, particularly by parliamentarians, political scientists and students of modern Indian parliamentary history.

NEW DELHI
15 April 2008.

SOMNATH CHATTERJEE,
Speaker,
Lok Sabha.

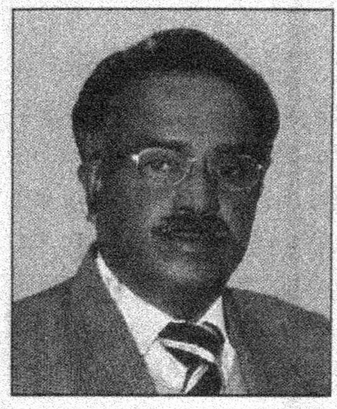

सत्यमेव जयते

महासचिव, लोक सभा
SECRETARY-GENERAL,
LOK SABHA

PREFACE

Shri Madhu Limaye, one of the stalwarts of the Socialist Movement, has left an indelible mark on the Indian political scene. A passionate freedom fighter, a true nationalist, a celebrated author, an erudite scholar and a veteran leader, he waged a relentless battle against the prevailing social and economic ills in the society. A socialist to the core, Shri Limaye's stellar role in uplifting the poor and the downtrodden from poverty and deprivation will always be recalled with reverence. The courage and conviction with which he struggled to build a strong and vibrant nation symbolizes the selfless sacrifice and exemplary contribution made by leaders of his genre.

Born in a humble family on 1 May 1922, Shri Madhu Limaye rose to become one of the acclaimed parliamentarians of modern India. He was deeply influenced by the socialist ideas of Loknayak Jayaprakash Narayan, Dr. Ram Manohar Lohia and Shri S.M. Joshi, the pioneers of the socialist movement, and worked under the Congress Socialist Party to realize his dream of building an egalitarian society.

The call of Mahatma Gandhi to free the motherland from the British subjugation persuaded young Limaye to participate in the freedom movement leaving his studies at a tender age of 17. He was vehement in his opposition to the British Rule for which he was imprisoned during 1940-1941 and later from 1943 to 1945.

Limaye's saga of struggle continued even after independence. He was one of the leading figures who spearheaded the Goa Liberation Movement. The courage of Limaye and other *Satyagrahis* was met with fierce reprisals from the Portuguese authorities. He had to bear the brutalities of the Portuguese police and was imprisoned for about 19 months for his participation in the movement. His struggle ultimately won and Goa became liberated from Portuguese rule in 1961.

A member of Lok Sabha for four terms from the Third to the Sixth Lok Sabhas, Shri Limaye made significant contribution to enrich our parliamentary institutions. His conduct in the House was exemplary. His scintillating performance in the House was a reflection of the hard work he put in. His understanding of various issues, mastery of the Rules of Procedure and his adherence to established norms and conventions earned him respect and admiration from one and all. By using all the available parliamentary devices in the most effective manner, he powerfully articulated the concerns of the masses in the House.

Madhu Limaye was a writer of standing. He has authored about eighty books and numerous articles in English, Hindi and Marathi languages. His works include, *'Contemporary Indian Politics'*, *'Birth of Non-Congressism'*, *'Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru: A Historic Partnership'*, *'President Vs. Prime Minister'*, *'Evolution of a Socialist Policy'*, *'India and the World'*, *'Indian Polity in Transition'*, *'Cabinet Government in India'*, and *'Galaxy of Indian Socialist Leaders'*.

As a true scholar, objectivity and clarity were his forte. One can hardly trace blind admiration or personal vituperation in Shri Limaye's work. His analysis, thoughts and views on the social, political and economic problems of the country hold immense relevance even today.

The present Publication is our humble tribute to Shri Madhu Limaye, who dedicated his life for the country's advancement in every field and for people's welfare and progress. We express our deep gratitude to Shri Somnath Chatterjee, Hon'ble Speaker, Lok Sabha for his encouragement and strong support to bring out this Publication. I am thankful to him for contributing such an illuminating 'Foreword' to this Publication. We also express our profound thanks to the Hon'ble President of India, Smt. Pratibha Devisingh Patil, Hon'ble Vice President of India, Shri M. Hamid Ansari, Hon'ble Prime Minister of India, Dr. Manmohan Singh, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha, Shri K. Rahman Khan, Hon'ble Deputy Speaker, Lok Sabha, Shri Charnjit Singh Atwal, Shri N.D. Tiwari, Governor, Andhra Pradesh, Shri A.R. Kidwai, Governor, Haryana, Shri Rameshwar Thakur, Governor, Karnataka and Dr. Bal Ram Jakhar, Governor, Madhya Pradesh for their messages. Their contributions have indeed added great value to this Publication.

This volume consists of five parts. Part I of the Publication, the Profile of Shri Madhu Limaye gives an account of the evolution of the personality of Shri Limaye through the formative years of his childhood to his participation in the country's freedom struggle and his emergence as an outstanding public figure in the national life. It highlights his role as a Member of Parliament, as a leader of the socialist group and as a strong Opposition leader who had earned admiration and accolades from his supporters and opponents alike.

Part II of the Publication incorporates Articles on Shri Madhu Limaye contributed by dignitaries, his close associates and contemporaries. The contributors include eminent parliamentarians, constitutional functionaries and senior journalists. I am grateful to all of them for having responded to our request and enriched our Publication with their valued contributions. We would, however, like to emphasize that the views expressed in the various articles are solely of the respective authors and the Lok Sabha Secretariat does not assume any responsibility for the opinions expressed by the authors or the facts cited by them.

Part III of the Publication comprises select speeches of Shri Madhu Limaye delivered on the floor of the House in the Third, Fourth, Fifth and Sixth Lok Sabhas, of which he was a member. Every effort has been made to include speeches covering a cross-section of issues of national importance. The speeches in this Section will help in providing a glimpse of his views on various subjects particularly those reflecting his deep concern for the deprived and the weaker sections of our society. The speeches manifest his intellectual acumen, oratorical skill and indepth study and knowledge of varied subjects.

Part IV contains tributes paid to Shri Madhu Limaye in the Lok Sabha as well as by eminent persons in public life.

The Monograph contains photographs of Shri Madhu Limaye showing different facets of his life—as a family man, as a parliamentarian, as a visionary and as a social and political worker. We are thankful to his son, Shri Aniruddha Limaye, for sharing a first hand account of Limaye's life and philosophy and also for providing us with some rare photographs for inclusion in the volume.

This Publication is the result of the hard work put in by the officers and staff of the Lok Sabha Secretariat. I thank Shri M. Rajagopalan Nair, Secretary; Shri N.K. Sapra, Additional Secretary and his team of officials for this. Thanks are also due to the Parliament Museum and Archives for providing good quality photographs and to the Printing Branch of the Secretariat.

I am sure the Monograph will be welcomed by parliamentarians, academics, researchers and the media.

P. D. T. ACHARY
Secretary-General
Lok Sabha

New Delhi
May 2008

राष्ट्रपति
भारत गणतंत्र
PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA

सत्यमेव जयते

MESSAGE

I am happy to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on Late Shri Madhu Limaye.

Shri Madhu Limaye was a renowned thinker and a socialist leader, who participated in our struggle for freedom since his youth. He also took active part in the struggle for the liberation of the State of Goa. An intellectual, a thinker and a prolific writer, his many ideas were thought provoking.

On this occasion, I pay my tributes to late Shri Madhu Limaye and wish the publication of the Monograph all success.

Pratibha Patil

New Delhi
3 March 2008

(PRATIBHA DEVISINGH PATIL)

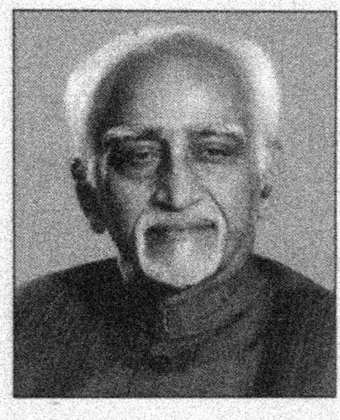

उप-राष्ट्रपति, भारत
VICE-PRESIDENT
OF INDIA

MESSAGE

I am happy to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on late Shri Madhu Limaye, an eminent parliamentarian and a socialist leader.

The life of Shri Madhu Limaye was a saga of struggle for the country and its people. He was one of the prominent personalities during the country's struggle for independence and during the post-independence period. He contributed immensely for the welfare of the people and the development of the country through initiation of important policy initiatives and immensely contributed to Parliamentary debates. Shri Madhu Limaye has left a distinct mark in the polity and society with his simplicity, democratic temperament and high standards that he set in public life. His services for the welfare of the poor and the downtrodden would always be remembered.

I pay my respectful tributes to this illustrious personality and wish the Monograph all success.

(M. HAMID ANSARI)

New Delhi
29 February 2008

सत्यमेव जयते

प्रधान मंत्री
PRIME MINISTER

MESSAGE

I am glad to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on late Shri Madhu Limaye, one of the outstanding leaders of our public life.

Late Shri Madhu Limaye will be long remembered for his sharp intellect, critical analysis of politics, society and economy and above all for his integrity and value-based life. His election to the Lok Sabha consecutively for four terms (1962-1979) testified to his popularity among his constituents and the respect he commanded. The way he championed issues affecting the common people and the way he marshaled facts to fortify his arguments brought out his stature as a Parliamentarian of great repute. He was one of those freedom fighters who refused to accept pension due to him. Such rare qualities defined his personality and outlook and underlined his selfless service to the nation.

(MANMOHAN SINGH)

New Delhi
28 February 2008

उप सभापति, राज्य सभा
DY. CHAIRMAN,
RAJYA SABHA

MESSAGE

I am happy to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on late Shri Madhu Limaye, former Member of Lok Sabha from Bihar.

He was a true patriot, socialist leader and renowned thinker and always remained loyal to the cause of the poor and the exploited. He was a dynamic leader and joined the freedom struggle at a very young age. He also contributed a lot in the liberation struggle in Goa. Shri Limaye was a distinguished Parliamentarian and was elected to Lok Sabha four times from Monghyr and Banka Constituencies in Bihar.

He was a great socialist, essayist and wrote extensively on Constitutional issues in his later days. His practical approach and articulate ways were so compelling that many noted leaders of today term him as their mentor. His contribution and service to the nation is commendable and a source of inspiration for the followers.

Shri Madhu Limaye will always be remembered for his sterling qualities and diverse contributions towards enriching our polity and society.

(K. RAHMAN KHAN)

New Delhi
15 February 2008

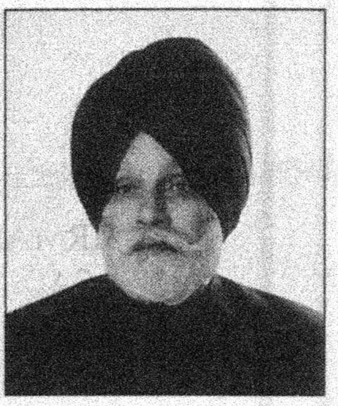

उपाध्यक्ष, लोक सभा
DEPUTY SPEAKER,
LOK SABHA

सत्यमेव जयते

MESSAGE

I am glad to know that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on Shri Madhu Limaye on the occasion of his Birth Anniversary on 1 May 2008.

Shri Madhu Limaye, a man of simplicity, vision, foresight, skill and action was born in Maharashtra in 1922. He was one of the stalwarts of the National Freedom Struggle and a frontrunner of the Socialist Movement in the country. In the post-independence period, he relentlessly fought for liberation of Goa from the Portuguese stranglehold. His indepth knowledge of Rules of Procedure, Constitutional and Parliamentary subjects and concern for the downtrodden and the have-nots backed by well-researched notes were fully reflected in his speeches in the House. As an author, his scholarly publications covering varied range of subjects of political and national importance bear the testimony to his incisive intellect.

I pay my sincere tributes to this great son of India for his commitment to his ideals and contribution to our parliamentary traditions and conventions. I am sure this Monograph will provide a valuable insight into Shri Limaye's multi-splendoured personality and ideas and inspire the youth of their role and responsibility towards the society.

New Delhi
10 April 2008

(CHARNJIT SINGH ATWAL)

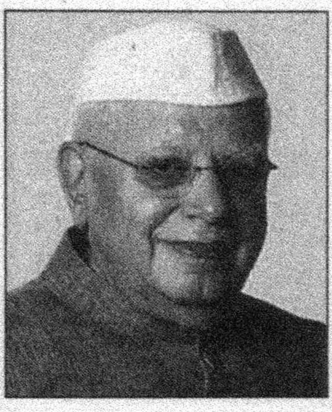

सत्यमेव जयते

राज्यपाल, आंध्र प्रदेश
GOVERNOR,
ANDHRA PRADESH

MESSAGE

I am very happy to learn that Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on late Shri Madhu Limaye.

Shri Madhu Limaye, one of the India's leading intellectuals of his times, was elected Member of the Lok Sabha four times and has been an outstanding Parliamentarian. He was a People's Leader and has been a fighter for civil liberties all his life.

He was deeply influenced by the personality and ideals of Late Dr. Ram Manohar Lohia. The struggle against foreign rule landed him in prison many times. His leadership qualities and fellow feeling are worthy of emulation by the younger generation.

Hyderabad
3 April 2008

(NARAYAN DATT TIWARI)

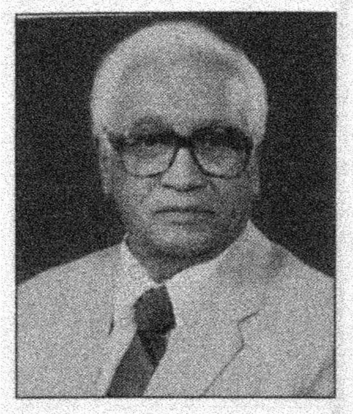

राज्यपाल, हरियाणा
GOVERNOR, HARYANA

MESSAGE

It is a matter of great pleasure to learn that the Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on late Madhu Limaye, an eminent Parliamentarian, who served as a Member of Lok Sabha for four consecutive terms.

Shri Madhu Limaye, a popular socialist leader and activist of the country had endeared himself to Indian masses due to his unmatched qualities of head and heart. His dominating personality has been a perennial source of inspiration for our youth working in social and political fields.

I am confident that the Monograph on late Madhu Limaye will exhort our people especially the parliamentarians and young leaders to serve their country with the same spirit, zeal and dedication with which our able parliamentarian and popular leader late Madhu Limaye served the nation.

I extend my best wishes for the successful publication of the Monograph.

(A.R. KIDWAI)

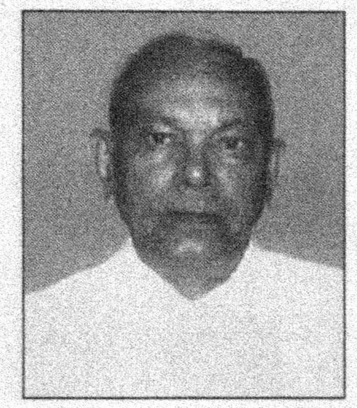

राज्यपाल, कर्नाटक
GOVERNOR, KARNATAKA

MESSAGE

I am glad to know that Lok Sabha Secretariat is bringing out a Monograph on late Shri Madhu Limaye on the occasion of his birth anniversary during May 2008.

Shri Madhu Limaye was a staunch socialist and a follower of Dr. Ram Manohar Lohia. His active role in the Janata coalition regime during the 1970s is well known. He had an uncompromising stance on India's secular credentials. His writings in retirement through the 1980s on Constitutional issues reflected his wide understanding of the problems that the country was faced with and his own way of resolving them. He was responsible for personally grooming many of the names that dominate Bihar politics today. His speeches both within Parliament and without are remembered even today for their well informed and practical approach to the various national issues. I commend the efforts of Lok Sabha Secretariat to commemorate the lives and thoughts of great leaders of yester years.

I convey my best wishes for the success of the endeavour and hope that the Monograph will be well received by all.

(RAMESHWAR THAKUR)

Bangalore
26 March 2008

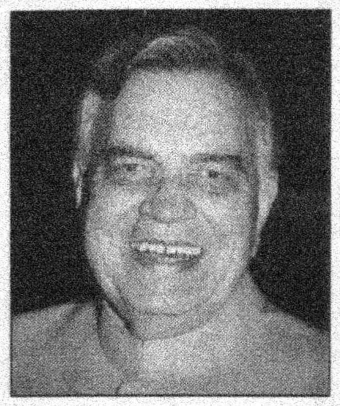

राज्यपाल, मध्य प्रदेश
GOVERNOR,
MADHYA PRADESH

सत्यमेव जयते

MESSAGE

I have known Shri Madhu Limaye as a true nationalist, eminent political thinker and a philosopher. He was much influenced by Mahatma Gandhiji and Vinobaji. One outstanding quality of his personality was complete synthesis in thoughts, expression and actions. Politics was not a profession to him. It was a means to objectively analyse the Government's socio-economic and international policies in the light of commitment, made during the Freedom Movement, in which he was actively involved to the extent of several time imprisonment. He had such endearing pesonal qualities as made him endearing to any one who came in his contact. Political differences never made him vindictive. He was a true Socialist. He was an apostle of moral values. Shri Limaye was most upright and ethical in his personal and public dealings.

I am sure the Monograph will inspire the future generations to follow his footprints and bring about needed changes in the present political and social environment in the country.

(BAL RAM JAKHAR)

Bhopal
4 March 2008

CONTENTS

PAGE NOS.

FOREWORD .... (i)

PREFACE .... (v)

MESSAGES .... (ix)

ABBREVIATIONS .... (xxv)

PART I

PROFILE 1

PART II

ARTICLES

Madhu Limaye—A True Nationalist
(Sharad Pawar) 13

A Tribute to Madhu Limaye
(I.K. Gujral) 18

श्री मधु लिमये: एक श्रद्धांजलि
(नीतिश कुमार) 20

Madhu Limaye—A True Savant
(Vasundhara Raje) 21

Madhu Limaye: An Indefatigable Defender of Democratic Socialism
(Digvijay Singh) 23

वैराग्य और समर्पण के समन्वित रूप : मधु जी
(मोहन सिंह) 27

A Tribute to Madhu Limaye
(George Fernandes) 36

स्व. मधु लिमये: एक समाजवादी चिंतक
(देवेन्द्र प्रसाद यादव) 38

Shri Madhu Limaye—A Warrior for Justice
(Dr. Sarojini Mahishi) 40

PAGE NOS.

Madhu Limaye As I Know Him
(Rabi Ray) 43
श्री मधु लिमये: जैसा मैंने उन्हें जाना
(डा. गौरीशंकर राजहंस) 44
Shri Madhu Limaye: A Quintessential Socialist
(Surendra Mohan) 46
Madhu Limaye: An Outstanding Personality
(Jyoti Basu) 49
Madhu Fought Alone
(Kuldip Nayar) 51
Limaye: A Political Colossus
(Nitish Chakravarty) 54
Madhu Limaye: The Archetypal Parliamentarian
(Arabinda Ghose) 64
मधु लिमये: एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व
(कुरबान अली) 67
Shri Madhu Limaye: A Perpetual Crusader
(Amarendra Dhaneswar) 72
Madhu Limaye—His personality, political career and contribution
(Aniruddha Limaye) 89

PART III

उनके संसद में चुनिंदा भाषण
HIS SELECT SPEECHES IN PARLIAMENT

संसदीय मामले
PARLIAMENTARY MATTERS

संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का संहिताकरण 109
संसद बनाम न्यायपालिका 121
सदन में भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार 125
सदन की विधायी शक्तियां 128
संसदीय प्रक्रिया एवं सदन का संचालन 133
सदन के अधिकारों का हनन 139

PAGE NOS.

राजनीतिक विषय
POLITICAL AFFAIRS

भाषा का मुद्दा 151
लोकतंत्र एवं दलगत राजनीति 155
केरल में संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग 159
सरकार के कार्य-कलापों का लेखा-जोखा 164
लोकतंत्र में लोकमत का महत्व 171
पूर्वोत्तर भारत की समस्याएं और समाधान 173
लोकतंत्र में दल-बदल की समस्या 178
दल-बदल और अवसरवादिता 183
पश्चिम बंगाल: राज्यपाल की भूमिका 187
प्रेस: लोकतंत्र का आधार स्तंभ 189
प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात 193
मणिपुर में लोकतंत्र की स्थापना 197
उत्तर प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता का संकट 200
सिक्किम में लोकतांत्रिक व्यवस्था 204
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात 214
समस्तीपुर बम कांड और केन्द्रीय मंत्री का निधन 221
अलोकतांत्रिक गतिविधियों का विरोध 230
नागरिक स्वतंत्रता का हनन 235
जम्मू-कश्मीर की स्थिति 239

संवैधानिक और न्यायिक मामले
CONSTITUTIONAL AND JUDICIAL MATTERS

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की समीक्षा 249
लोकतंत्र बनाम पूर्व राजाओं के विशेषाधिकार 255
राज्यपाल के कर्त्तव्य और अधिकार 260
मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली 272
मताधिकार की आयु 18 वर्ष 280
कार्यवाहक राष्ट्रपति का त्यागपत्र 282
नागरिकों के संवैधानिक अधिकार 284
मौलिक अधिकारों का औचित्य 287
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया 295

PAGE NOS.

नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन 305

संविधान में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता 313

दंड प्रक्रिया संहिता की सार्थकता 318

न्यायालय की स्वतंत्रता 321

आर्थिक और वित्तीय मामले
ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES

रेल उद्योग का आधुनिकीकरण 327

योजना का आधार: देश का सर्वांगीण विकास 331

सरकार की प्राथमिकताएं 334

सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ावा 339

आयात-निर्यात कानून का नियमन 342

बैंकों का राष्ट्रीयकरण 345

औद्योगिक विकास का आकलन 362

विदेशी मुद्रा की चोरी पर अंकुश 367

विदेशी मुद्रा की चोरी पर नियंत्रण 374

विदेशी मुद्रा का अपव्यय 379

विदेशी मुद्रा का पलायन 382

विदेशी सहायता की राष्ट्रीय विकास में भूमिका 385

पंचवर्षीय योजनाओं की सार्थकता 389

आर्थिक नियोजन की नीति 395

सरकार की आर्थिक नीतियों का आकलन 404

कम्पनियों पर नियंत्रण की आवश्यकता 412

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण 416

काले धन पर अंकुश 422

लाइसेंस राज 427

इस्पात उद्योग पर सरकारी नियंत्रण 432

रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर प्रश्नचिन्ह 440

आयात लाइसेंस केस 448

लोकान्मुख टैक्सटाइल नीति की आवश्यकता 462

पोलियेस्टर फाइबर का आयात 476

सिंथैटिक टैक्सटाइल तस्करों पर अंकुश की आवश्यकता 480

PAGE NOS.

खाद्य और कृषि
FOOD AND AGRICULTURE

अकाल का प्रकोप 487
राष्ट्रीय खाद्य नीति 492
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता 500
देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति 507

श्रमिक कल्याण
LABOUR WELFARE

मिल मजदूरों की समस्याएं 513
तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट 518
कोयला खान उद्योग की समस्याएं 527
रेल-कर्मियों की समस्याएं एवं उनका समाधान 529
सरकारी कर्मचारियों को न्याय 536

सामाजिक मामले
SOCIAL ISSUES

सामाजिक समानता की आवश्यकता 543
भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की आवश्यकता 548
सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार 550
विश्व नागरिकता का महत्व 558
गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे 561
विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता 564
सामाजिक और आर्थिक अपराधों पर अंकुश की आवश्यकता 567
बिहार की सामाजिक स्थिति 575
मातृ-प्रधान समाज की स्थापना 579
ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव 585
फिल्मों में प्रीसेंसरशिप: लोकतंत्र विरोधी 588
पिछड़े क्षेत्रों का विकास 590
सामाजिक सुधार और कानून 593
हिन्दू-विवाह नियम: नया दृष्टिकोण 601

PAGE NOS.

विदेशी मामले और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL POLITICS

दक्षिण एशिया: गुट-निरपेक्ष नीति का आकलन 607
भारत और चीन: कूटनीतिक संबंध 610
भारत की विदेश नीति 614
चैकोस्लोवाकिया की संप्रभुता 616
भारत-पाकिस्तान संबंध 620
अन्तर्राष्ट्रीय नीति के पुनर्वालोकन की आवश्यकता 622
आत्म-निर्भरता हेतु ठोस नीति की आवश्यकता 625
अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का आकलन 628

श्री मधु लिमये द्वारा दी गई श्रद्धांजलियां
HOMAGES PAID BY SHRI MADHU LIMAYE

डा. राम मनोहर लोहिया 637
डा. जयपाल सिंह 640

PART IV

TRIBUTES PAID TO SHRI MADHU LIMAYE 643

ADDRESSES AT THE UNVEILING OF THE PORTRAIT OF SHRI MADHU LIMAYE 649

HIS WORKS 655

INDEX 661

ABBREVIATIONS

ADM	Additional District Magistrate
AG	Attorney General
AICC	All India Congress Committee
AIR	All India Radio
AIRF	All India Railwaymen's Federation
BEST	Brihan Mumbai Electric Supply & Transport
BLD	Bharatiya Lok Dal
BSF	Border Security Force
CBI	Central Bureau of Investigation
CPI (M)	Communist Party of India (Marxist)
CPI	Communist Party of India
CRP	Central Reserve Police
DGS&D	Directorate General of Supplies & Disposals
DIR	Defence of India Rules
DM	District Magistrate
DMS	Delhi Milk Scheme
DMT	Di Methyl Tryptamine
FCI	Food Corporation of India
FIR	First Information Report
TISCO	Tata Iron and Steel Company
HMV	Heavy Motor Vehicle
IAS	Indian Administrative Services
ICS	Indian Civil Services
IPC	Indian Penal Code
IISCO	Indian Iron and Steel Company
LIC	Life Insurance Corporation
MISA	Maintenance of Internal Security Act

MLA	Member of Legislative Assembly
MLC	Member of Legislative Council
MP	Member of Parliament
MSTC	Metal Scrap Trade Corporation
NAM	Non-Aligned Movement
NEFA	North Eastern Frontier Agency
PAC	Public Accounts Committee
PSP	Praja Socialist Party
PTI	Press Trust of India
RBI	Reserve Bank of India
RPF	Reserve Police Force
RSS	Rashtriya Swayamsevak Sangh
SDOs	Sub-Divisional Officers
SP	Socialist Party
SSP	Samyukta Socialist Party
STC	State Trading Corporation
UGC	University Grants Commission
UNI	United News of India

Part I
PROFILE

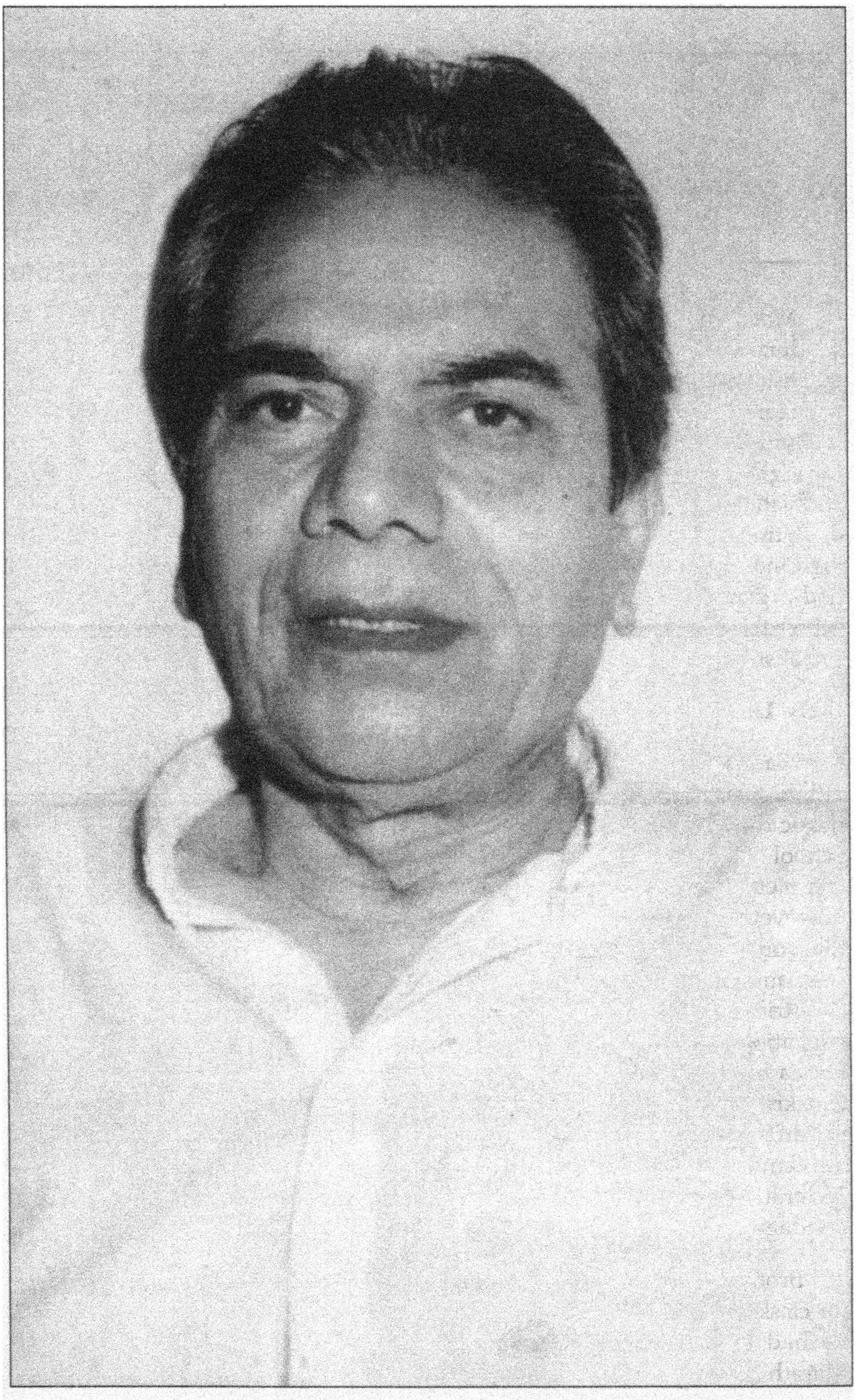

Shri Madhu Limaye (1 May 1922—8 January 1995)

MADHU LIMAYE—A PROFILE

Madhu Limaye was one of the most distinguished personalities of modern India who played a pivotal role in the freedom movement. A passionate freedom fighter, committed socialist, and a distinguished parliamentarian, Limaye dedicated his life for the cause of the countrymen. A dynamic leader of the socialist movement, he stood by his ideology throughout his life. His concern for the problems of the masses and his dedication and commitment for the cause of the nation earned him a place of distinction among the galaxy of leaders. The virtues of simplicity, austerity, high moral rectitude and the Gandhian philosophy of peace and non-violence had a great impact on Limaye which he followed in precept and practice. As a strong votary of Socialism, Limaye was instrumental in guiding the socialist movement in India during different phases.

Early Life

Madhu Limaye was born on 1 May 1922 at Poona* in Maharashtra. His father, Ramchandra was a teacher of English literature who used to teach music too. Limaye had had his Middle School education from Robert Money School, Bombay and Saraswati Mandir, Poona. A brilliant student, Limaye completed his Fifth, Sixth and Seventh standards in just one year. He was, however, denied permission to appear for the Matriculation examination at the young age of 13. The interruption in formal schooling provided him with an opportunity to read books on history, freedom movements in various countries and biographies of great personalities. After having his school education, Madhu Limaye enrolled for graduation at the Fergusson College, Poona in 1937 and opted World History, Indian Administration, English and Sanskrit as the subjects. It was during this period that Limaye was attracted towards the socialist ideas. He, thus, started participating in the student movements and became an active member of the All India Students Federation. Since then Limaye's journey to free the humanity from the bondage of colonialism, deprivation and injustice began.

Brought up in a tradition of learning and music, he had a great liking for classical music, theatre and drama. Apart from reading novels and drama, he had also developed interest in reading classics, biographies, etc. in Marathi, Hindi and English.

---

*Now known as Pune.

Strict adherence to ritualism and religious orthodoxy practised by his maternal grandfather, with whom he stayed in his formative years developed a sense of revolt in the mind of young Limaye against bigotry and the caste system. He took the pledge to fight against such practices to usher in an era of social equality.

Madhu Limaye married Champa Gupte on 15 May 1952. She proved a great source of inspiration and support to him, both in his personal and public life. Champa Limaye was a strong woman with an abiding faith in the principles and ideals of socialism and stood by Limaye all through in his struggles and travails. They, in fact, complemented each other in all their endeavours.

Into Freedom Struggle

Madhu Limaye's foray into the freedom struggle began at the young age of 17, with his becoming the Secretary of the Congress Socialist Party (CSP).

In 1939, when the Second World War broke out, Limaye expected that the war would decide the future of India also. He thought that this was an opportunity to free the country from the colonial rule. He thus left his studies and became a full time worker of the CSP. Khandesh* became the centre of his political activities. In October 1940, Limaye was imprisoned for his anti-war speeches. After his release, in September 1941, Limaye devoted all his time for the impending struggle.

The young and energetic Congress Socialist undertook the task of organising the Rashtriya Seva Dal and the youth camps. In August 1942, veteran Congress leaders, including Gandhiji, were arrested following their call for nationwide campaign against the British to 'Quit India'. The movement created a charged atmosphere throughout the country. Bombay** was then the centre of hectic political activities. Limaye was one of the key players in the underground resistance movement. In September 1943, he was arrested under the Defence of India Rules and was detained without trial in the Jails of Worli, Yervada and Visapur till July 1945. During his detention, the British Government tried its best to extract the secrets of the underground activities from him but Limaye remained tight-lipped despite severe atrocities by the police.

In 1946, following the Cabinet Mission's proposal to resolve the deadlock between the British and the Indian leaders, the Congress agreed to participate

* Khandesh was a region comprising the north-western portion of Maharashtra in the pre-Independence era.

** Now known as Mumbai.

in the Constituent Assembly. The Socialists, however, differed with the Congress and did not participate in the Constituent Assembly. Instead, they pursued the path of revolutionary action and continued their struggle for freedom in their own way.

The Socialists' difference of opinion with the Congress and their endeavour to give a distinct identity to their ideology saw them reorganizing the Congress Socialist Party by dispensing with the prefix 'Congress', and giving a new nomenclature, Socialist Party. Limaye was in the forefront of the reorganization process. The Socialist Party made great strides among the landless labourers and farmers in the rural areas and the students and industrial workers in the urban areas. Limaye was incharge of the Khandesh region and successfully mobilized the trade union workers and brought the peasants and the youth into the socialist fold.

Goa Liberation Movement

The Goa Liberation Movement which was launched by Dr. Ram Manohar Lohia in 1946 got a new momentum after India's independence. A staunch critic of colonialism, Limaye appealed to the people to join the fight and intensify the movement against the Portuguese rule. Having an abiding faith in non-violence, Limaye led a *mass satyagraha* in 1955, in which freedom fighters from all parts of the country participated. Limaye then led a group of *satyagrahis* and entered Goa. At *Pedne,* the Portuguese police attacked the *satyagrahis* violently, resulting in some deaths and injuries on a large scale. Limaye was beaten up brutally. He was kept in police custody for five months. During his trial he defended his action for participating in the movement with courage and conviction.

In December 1955, the Portuguese Military Tribunal sentenced Limaye to imprisonment. But, he neither offered any defence nor appealed against the heavy sentence. His conviction in peaceful disobedience is amply evident in his writing where he has stated, "...I was right in following the Gandhian Principles in the manner of civil disobedience. It was in Goa that I have realized how profoundly Gandhi has transformed my life, how deeply he has shaped my personality and will."

After his release from the Portuguese custody in 1957, he continued to mobilize the masses and sought support from different sections and urged the Government of India to take firm steps towards the liberation of Goa. The *mass satyagraha* generated a climate for the Government of India to take military action and liberate Goa from the Portuguese rule. Goa was ultimately liberated in December 1961 to become an integral part of the Indian Union.

His struggle did not stop there. He protested against the 'Permit System' imposed by the Government of India and offered *Satyagraha* by entering Goa without obtaining a permit. The Government of India had to concede to the demand and abolished the permit system.

As Leader of the Socialist Movement

As one of the most dynamic leaders of the Socialist Movement, Limaye strove ceaselessly to translate the socialist ideals into our national ethos. His contribution in shaping the destiny of modern India is indeed tremendous. Limaye served the Socialist Party in various capacities. He was elected as the Joint Secretary of the Party at its Patna Conference in 1949. He was the Secretary, Foreign Affairs Committee, Socialist Party; Secretary, Socialist Party (All India); Secretary, Asian Socialist Conference; Chairman, Socialist Party; Chairman, Samyukta Socialist Party (SSP) Parliamentary Board; Leader of SSP Parliamentary Group, etc. He was also the General Secretary of Janata Party and later General Secretary of Lok Dal.

Limaye was one of the visionary leaders who drafted the Constitution of the Socialist Party. He strove to bring about changes in the organization to increase its efficiency and popularity. He was of the view that the Party needs to overcome its weaknesses through constructive activities and direct action.

The whole edifice of the Socialist Party, after the Socialists left the Congress, had been raised on the assumption that it had to grow fast and provide an alternative to the Congress. The First General Elections provided an opportunity to all the political parties in India to test their strength at the polls. The electoral defeat of the party, however, had a traumatic effect on the socialist movement.

In April 1958, Limaye was elected the Chairman of the Socialist Party at its National Conference held at Sherghati (Gaya). During his Chairmanship, great efforts were made in strengthening the organization by adopting specific policies and concrete action plans. His leadership helped the party to overcome internal differences and emerge as a united force. Limaye's contributions at this critical juncture of the socialist movement were very significant.

His Ideas on Socialism and Secularism

An apostle of Socialism, he truly emulated the noble principles of simple living and high thinking. He was deeply involved in the International Socialist Movement but did not believe in any blind imitation of Western models and felt the need for a distinctive Indian approach. His belief in

socialism was not dogmatic or doctrinaire, but was a way of life. To him, unless the hierarchical social order was destroyed, social justice would be a distant dream for a large section of the society. Limaye played a vital role at the Banaras* Conference in 1959, where the Socialist Party adopted a resolution on providing special opportunities for the backward sections of the society.

His thoughts on economic development stressed on bringing about radical changes in the policy regime which favoured the bourgeoisie class heavily. He stressed that the New Economic Policy of the country should take adequate care of the teeming millions and that the fruits of development should be shared equitably by the haves and the have nots. On the role of science and technology in economic development, Limaye was of the view that while scientific approach is crucial for development, the government should strike a balance between the man and the machine. According to him, under a socialist regime hardships should be equally shared, comforts equitably distributed and rewards be proportionate to the work put in. He always emphasized the need for austerity and the work ethic. To him, economic planning must begin with a clear definition of its social objectives and a concrete, time-bound and phased programme for their implementation. Economic planning should take into consideration India's peculiar conditions like its huge population and limited resources.

Limaye laid great emphasis on agrarian reforms and rural development. He felt that necessary measures should be taken to achieve self-sufficiency in food. He had also advocated for intensive cotton cultivation and programmes for oil seeds development and extraction.

He was neither against the English language nor the public school education *per se*. But, he was against the system of public school education as it was primarily focusing on English as a medium of learning. He thought that the language divide between the English and non-English speaking students would encourage class division. He held the view that this was against the spirit of egalitarianism without which a socialist order could not be conceived. He was against the hierarchical strata of the caste system and had strong belief in a social order which promoted inter-caste marriages.

Madhu Limaye's entire ideological edifice was built on secular nationalism. He had an uncompromising stance on India's secular credentials. With a strong belief in the spirit of tolerance, which forms the essence of India's composite culture, he firmly stood for the preservation of secular foundations of our Constitution.

---

*Now known as Varanasi.

His Democratic Values

With a firm belief in democracy and democratic values, Limaye strongly disapproved the unconstitutional methods adopted by the government to curtail the civil liberties of the citizens.

In the late sixties, constitutional controversies occupied the centrestage of national debate. Limaye fought relentlessly to protect the parliamentary sovereignty. Through his writings, speeches and actions he sought to protect our democratic heritage in more ways than one. Being firmly committed to the healthy democratic ethos and conventions, he always stood by his principles and never compromised his values during turbulent political situations. His protest from jail against the extension of the term of fifth Lok Sabha bears testimony to this.

On India's Foreign Policy and International Relations

Limaye was a firm believer in the principles of Non-alignment. To him, the concept of Non-alignment was deep-rooted within the framework of Indian freedom struggle, the basis of which has been anti-colonialism, freedom for all people, disarmament, protection of economic interests of the developing countries and world peace.

He wanted to inject a new content and dimension to the non-aligned movement to make it more people-oriented. He felt that the movement must articulate economic and social aspirations of the down-trodden people. He held the view that India must take a firm stand in the so-called North-South confrontation, since that was an extension of the struggle of the colonial peoples against political and economic imperialism.

The policy of non-alignment must work against the imperialistic hegemony of any of the blocs. At the same time, he felt, it should not act as a deterrent to bilateral relations between India and other countries. He asserted that the independence of India's foreign policy should be ensured at all costs and that it should aim at safeguarding our political, economic and strategic interests in the long run. He was of the opinion that along with political independence, countries must also be freed from economic exploitation. Non-alignment should also create an enabling atmosphere where the industrially developed nations contribute for the economic growth of the erstwhile colonies. Then alone the policy of non-alignment would become meaningful.

On the nuclear issue, he always emphasized that unless all nuclear powers agree to total disarmament, including destruction of the accumulated nuclear arsenals, India should make no compromises in the matter of its

own nuclear development. In this respect, he believed that India must develop its own nuclear technology as early as possible to become self-reliant.

In the event of an impending threat to India's security due to the crisis in Bangladesh in 1971, Limaye lent his unstinted support to the then government of India. In fact, he persuaded Jayaprakash Narayan to take the lead in mobilizing world opinion in favour of the liberation of Bangladesh, which was primarily the responsibility of the Government of India. But a true nationalist like Limaye did not sit idle in the moment of national crisis. He also toured various countries to garner international support for the liberation of Bangladesh.

A Distinguished Parliamentarian

Limaye is remembered as an outstanding parliamentarian who enriched debates and other proceedings in the House in his inimitable style. As a Parliamentarian, he is known for strict adherence to the rules of procedure and maintaining utmost discipline and decorum in the House. His mastery of the rules of procedure, and the uncanny knack of using the parliamentary tools put the ruling party on defensive on the floor of the House on many occasions.

His speeches in Parliament not only reflected erudition, maturity and understanding but also demonstrated his concern and commitment for the cause of the masses. He believed that even though the numerical strength mattered a lot in the House, members could make an impact if they did their homework well and possessed the necessary skills and command over the subjects they dealt with. It is a well-known fact that whenever Limaye rose to speak, members cutting across the party line listened to him with rapt attention.

Even though he belonged to a party which never had a large presence in Parliament, his thorough understanding of peoples' problems and his clinical analysis of contemporary political issues enabled him to play an outstanding role in India's public life. Within a short span, Limaye proved his mettle as a seasoned and skilled parliamentarian with all facts and figures at his fingertips and mastery over the intricacies of parliamentary practice and procedures.

When Limaye was a member of the House, the Lok Sabha witnessed scholarly though heated exchanges in Parliament many times. According to Limaye, Parliament was not a substitute for mass and popular movements but an additional instrument of public service and a platform for airing public grievances. It should be used as an instrument for reflecting the hopes and aspirations of the common man. He used to raise important issues before the House by effectively deploying his vast knowledge and superb skills.

As an Author

Like his performance on the floor of Lok Sabha, his writings are also logical and incisive, fearless and forthright, backed by facts and historical perspectives. Though he remained aloof from active politics since 1982, he continued to voice his concern on issues pertaining to the social, political and economic development of the nation through his numerous writings.

His scholarly attributes are well reflected in his works, which cover a varied range of subjects of constitutional and parliamentary relevance and of national importance. The national and international issues that had been raised by Madhu Limaye in his writings are bound to provide enough food for thought. Madhu Limaye would ever be remembered by the countrymen for his brilliant ideas, which have great relevance for generations to come. Some of his works include, *Indian Polity in Transition, India and the World, Birth of Non-Congressism, Communist Party: Facts and Fiction* and *Evolution of Socialist Party.* His writings are reflective of his deep understanding of the numerous issues confronting the Indian society during different phases of the History. His works also give an insight into the prevailing socio-economic and political situation and the views of the socialist leaders of his time.

For his commendable contribution in the freedom movement, Limaye was conferred the *Sanman* and was offered pension by the Government of India. But, he did not accept that *Sanman* and the pension and similar benefits offered to him in recognition of his contribution to the Goa Liberation Movement. He had not even accepted the pension scheme provided to the members of Parliament. As a committed socialist, Limaye had demonstrated the spirit of selfless sacrifice which will be remembered for all times to come.

During his illustrious public life spanning over four decades, Limaye visited a number of countries across the globe. He was also the Secretary of the Asian Socialist Bureau, having its headquarter at Rangoon. As an observer delegate, he attended a meeting of the Council of the Socialist International in Paris, in 1953. He also accompanied Dr. Lohia on several foreign tours. He attended the 50th Anniversary celebrations of the Russian Revolution at Moscow in 1967.

His visits to various countries provided him immense exposure on the dynamics of international relations. His knowledge on international issues, interaction with eminent thinkers like Harold Laski and other famous personalities helped him to form a sound base of Indian foreign policy which is of immense relevance even today.

His Last Journey

Madhu Limaye breathed his last on 8 January 1995 in New Delhi at the age of 72, after a period of illness. He was suffering from acute bronchial asthma. Madhu Limaye will be remembered by generations to come for his relentless struggle to protect civil liberties and championing the cause of social justice. As an astute parliamentarian, he belonged to that exclusive genre of members who always used to come to the House after doing painstaking research and homework.

A man of utmost integrity, Madhu Limaye always acted with conviction. He has set an example of highest moral and ethical norms in public life which would inspire generations to come. In his passing away the country has lost a true patriot, renowned thinker, socialist leader and a distinguished parliamentarian.

MADHU LIMAYE IN DIFFERENT MOODS

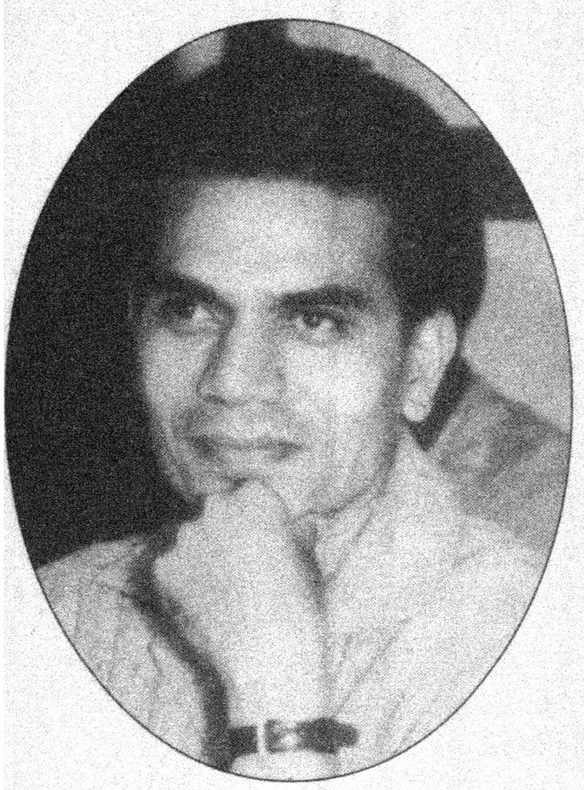

A Young Visionary

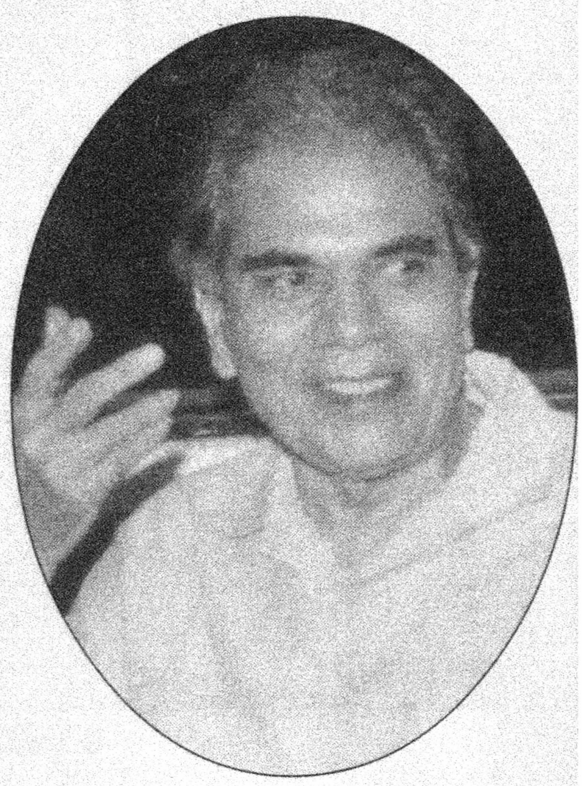

In a lighter moment

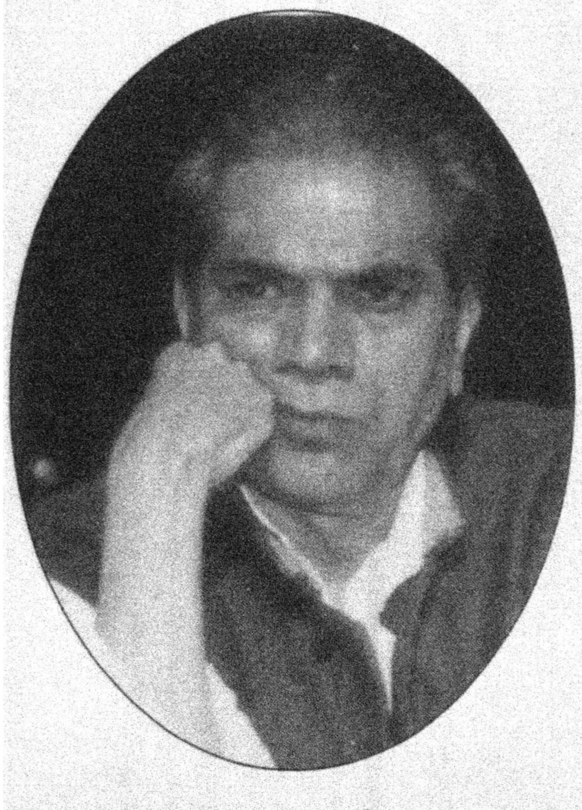

A deep thinker

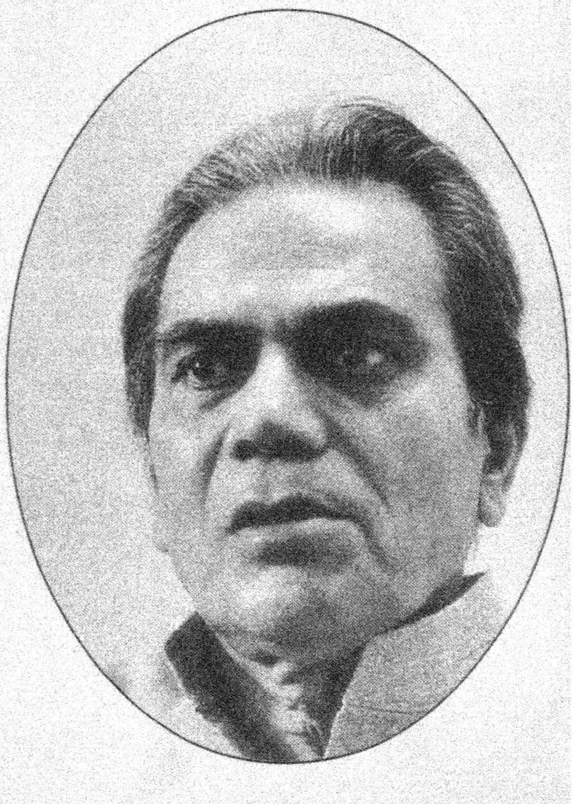

In a mood of rumination

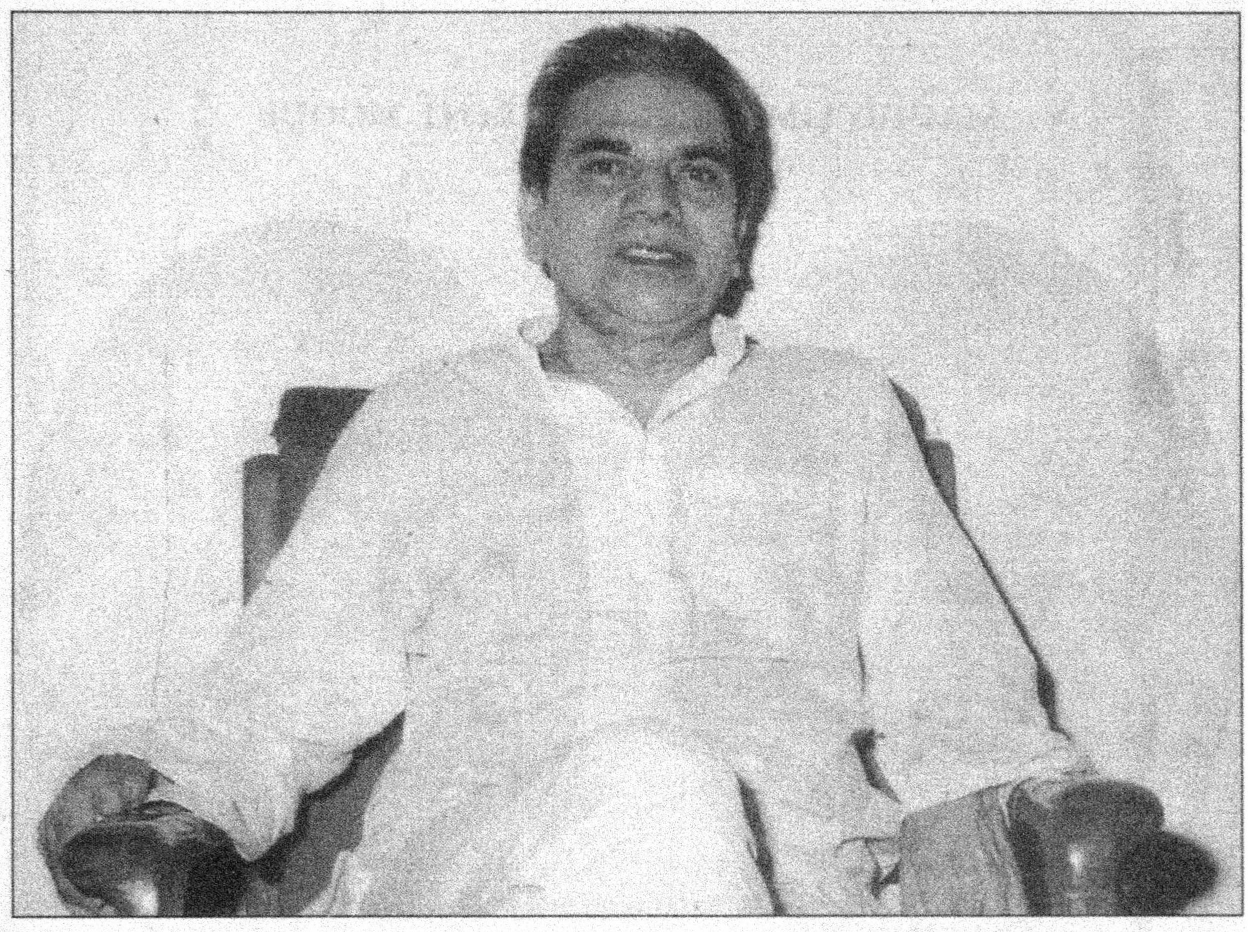

In a relaxed mood

Worried over the nation's future

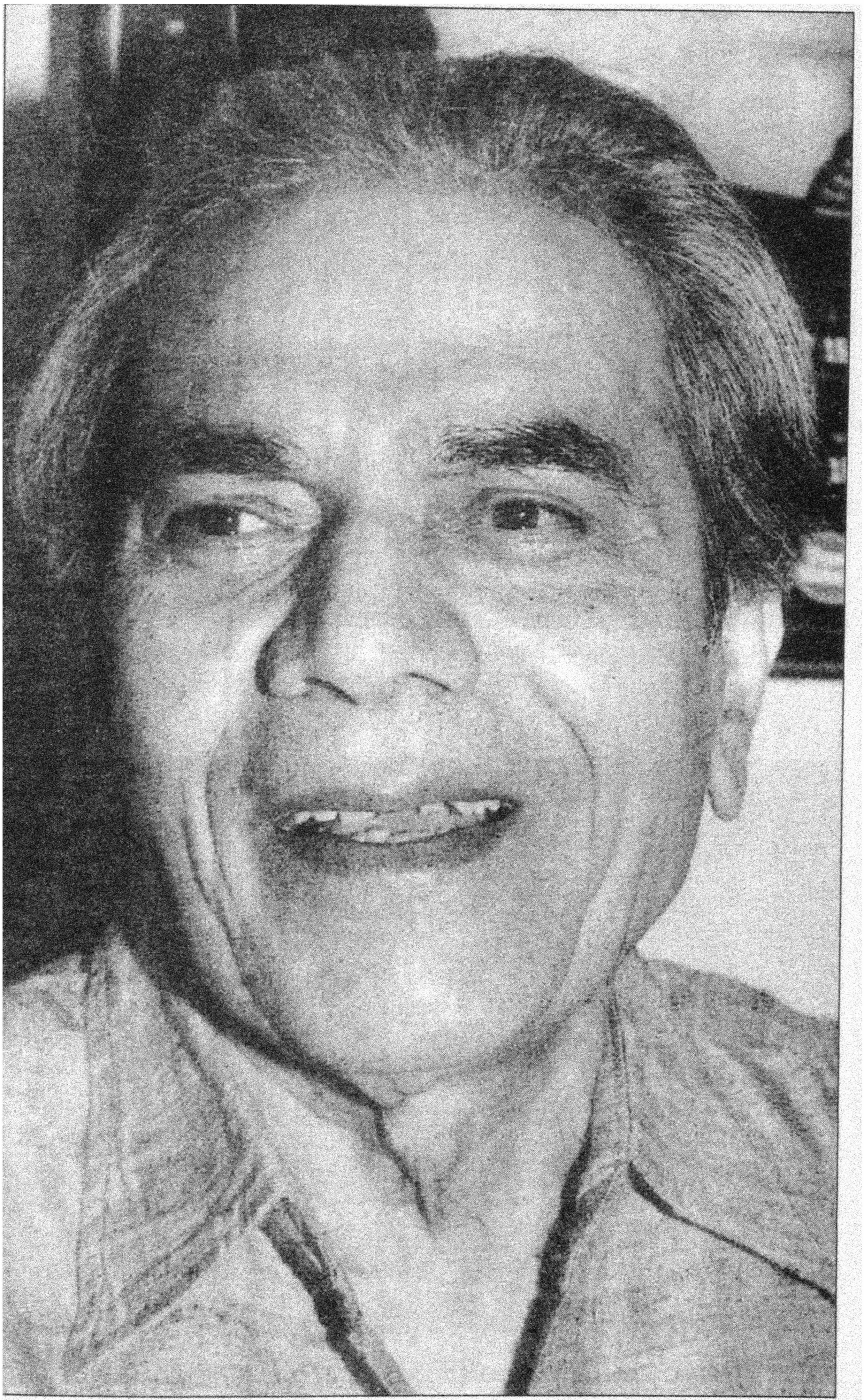

An innocent smile

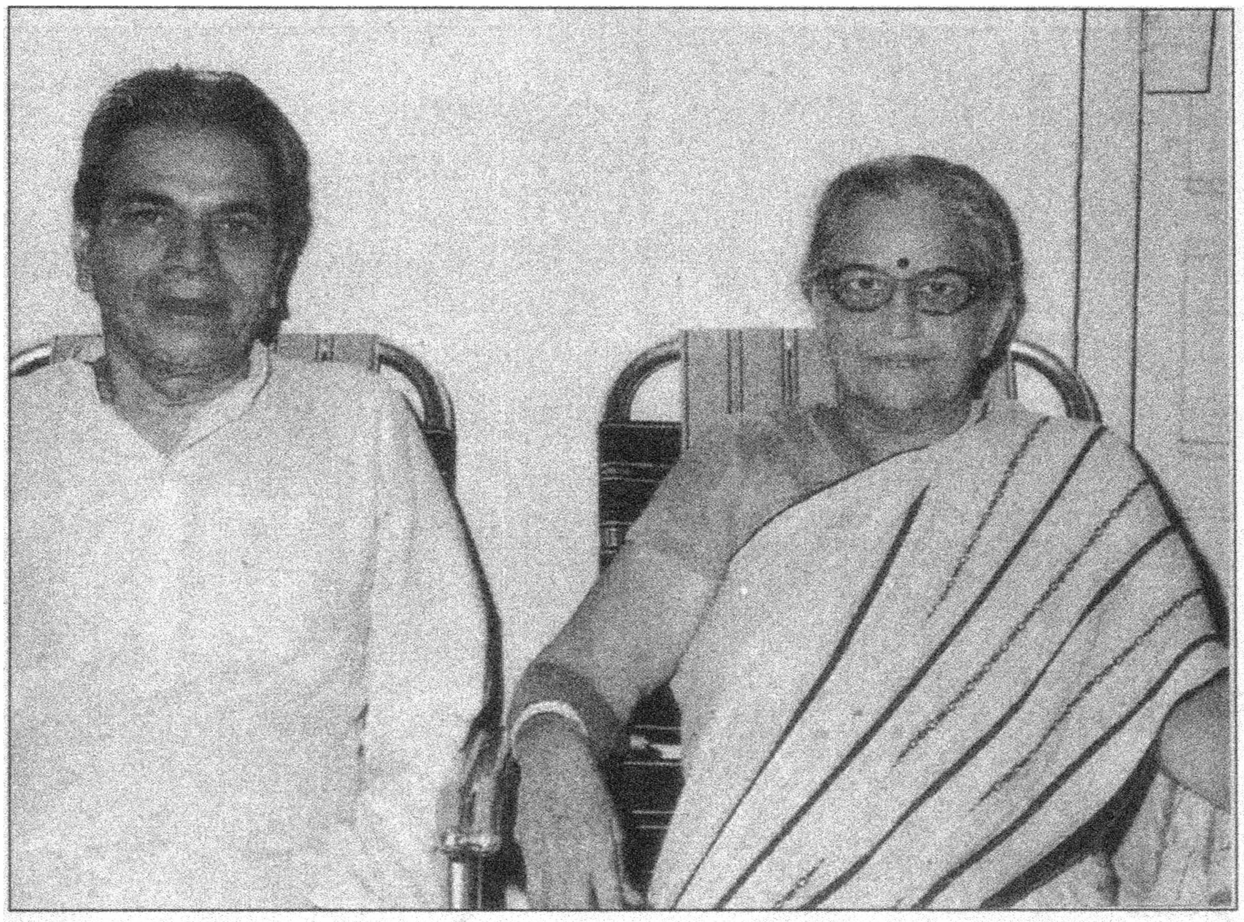

An Ideal Couple : Madhu Limaye with wife Champa Limaye

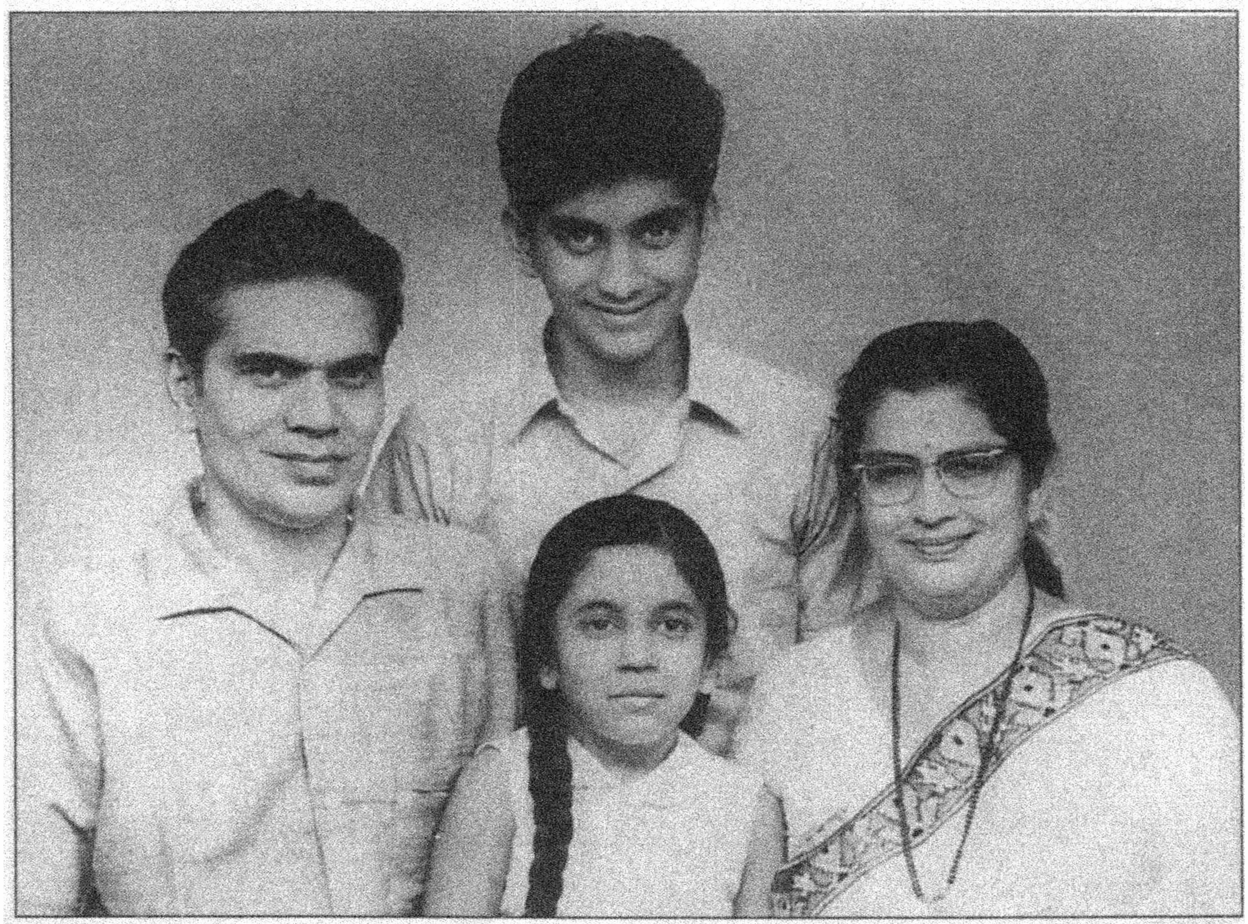

Young Madhu Limaye with wife Champa,
son Aniruddha and niece Hema Limaye

A Blissful Moment : Shri Madhu Limaye with son Aniruddha

Shri Madhu Limaye with Shri Krishnapal Singh, former Governor, Gujarat

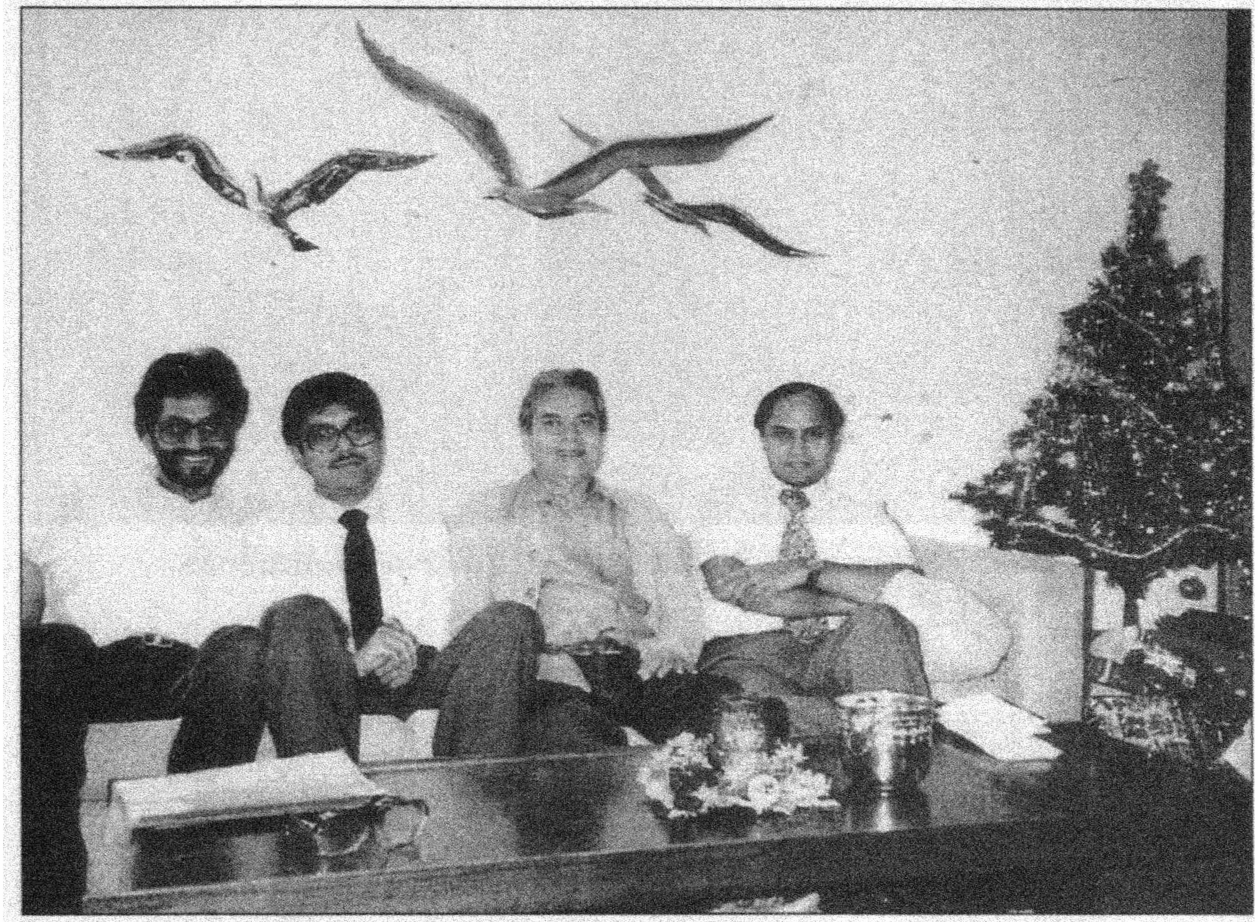

Shri Madhu Limaye and son Aniruddha with family friends
during their visit to the United States of America

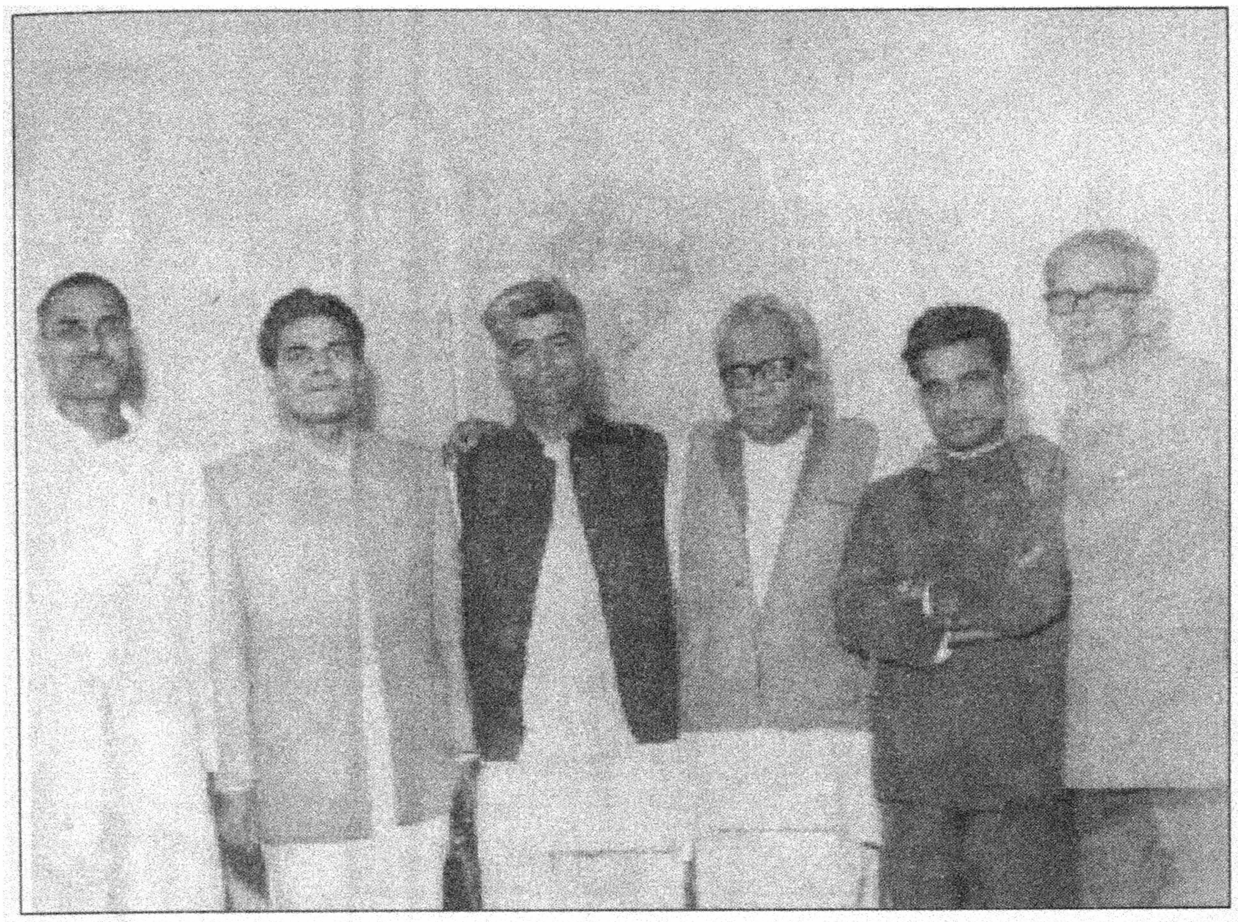

Shri Madhu Limaye with Dr. Ram Manohar Lohia,
Shri S.M. Joshi and other socialist leaders

Shri Madhu Limaye with Shri Chandra Shekhar and Shri Surendra Mohan

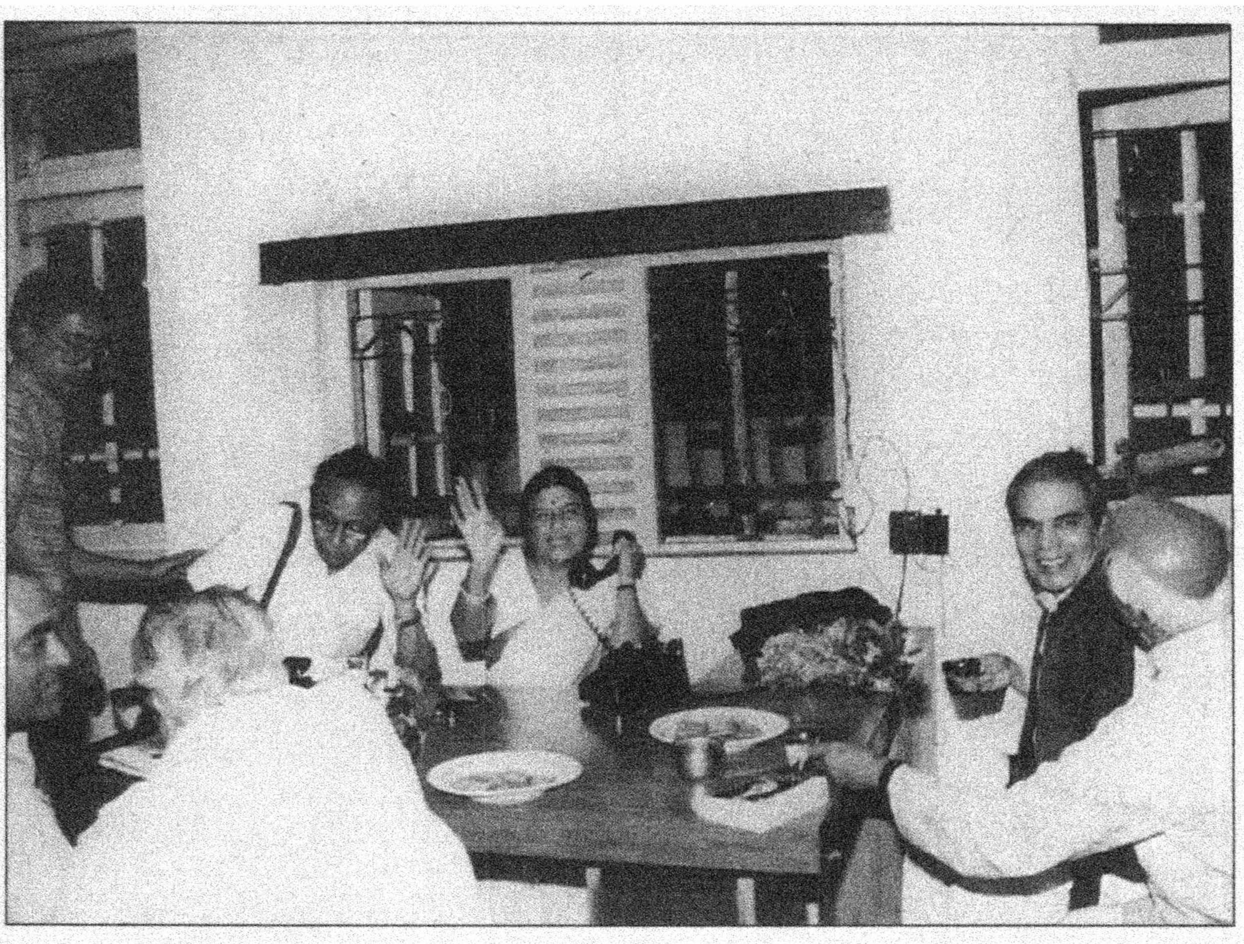

Madhuji with Prof. Madhu Dandavate, Smt. Mrinal Gore
and other socialist leaders

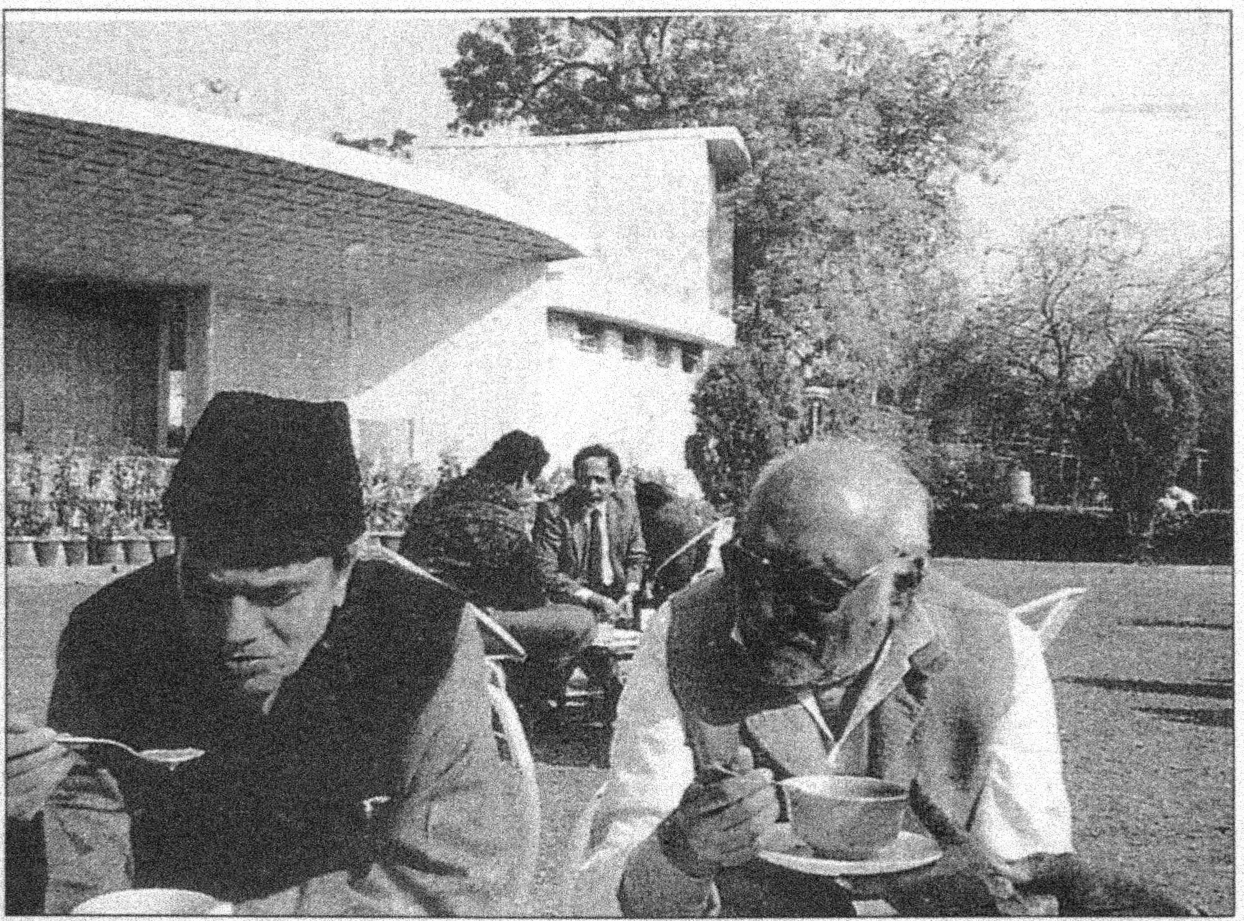

Madhu Limaye with fellow socialist Shri Ladli Mohan Nigam,
member, Rajya Sabha

Part II
ARTICLES

MADHU LIMAYE—A TRUE NATIONALIST

*Sharad Pawar**

The Indian freedom struggle was led by many great leaders who laid the foundation of the Indian Nation and graced the post-Independence era shaping its political, social and economic destiny and Madhu Limaye belonged to this glittering fold. Shri Limaye was one of the stalwarts of our time who enriched India's political and social thinking. He distinguished himself as a great socialist leader and who wanted to instill socialist ideals as a part of our national ethos. For his participation in freedom struggle, he suffered imprisonment and great physical hardship, which only went to make him more resolute. He was deeply involved in the Quit India Movement and went to prison for the first time when he was just 18 years old. He was passionately involved in promoting Indian nationalism and nurturing the evolution of the newly founded statehood. Shri Limaye played a prominent role in the Goa Liberation Movement and has given a vivid description of his experience in this regard in his writings. His decision to participate was taken on the 1st of May, which happens to be his birthday along with other great socialist leaders, Dr. Ram Manohar Lohia, Nana Saheb Gore, Anthony D'souza, Sudha Joshi and others. Although he was suffering from asthma and running high temperature, when his turn came to lead the batch of *satyagrahis,* he did not for a moment rethink on his decision. He and his band of *satyagrahis* were assaulted by the Portuguese Police who subjected them to physical torture and kept them in prison in sub-human conditions but this did not break Shri Madhu Limaye's resolve and he stood up to all the physical and mental tortures in the most determined and dignified manner. During his so called 'trial' he defended his action for participating in the Goa Liberation Movement with all courage and conviction. The Portuguese Tribunal sentenced him for 12 years imprisonment but Limaye did not appeal for mercy. In one of his writings, Shri Madhu Limaye has observed that while some of the people looked up to Jawaharlal Nehru for rescuing them, he felt, "I would rather die here than approach Prime Minister Nehru for Intervention". His conviction in peaceful disobedience as propounded by Gandhiji is clear from his writing where he has mentioned, "...I was right in following the Gandhian Principles in the manner of civil disobedience. It was in Goa that I have realized how profoundly Gandhi has transformed my life, how deeply he has shaped my personality and will."

* He is the Union Minister of Agriculture, Consumer Affairs, Food and Public Distribution.

Limaye's socialist thinking was deeply influenced by Mahatma Gandhiji's ideals and beliefs which are amply reflected in his writings and in many decisions he has taken in his social and political life. He also believed in Sardar Vallabhbhai Patel's views of 'ordered and structured State' as an instrument for social and economic transformation of the society. He was anguished to see that the achievements of India's Iron Man who was the key driving force in politically integrating the Indian State from many fragmented political pieces of kingdoms and principalities into a single entity, not given his due place of respect and status in the country.

Shri Madhu Limaye who was deeply involved in the socialist movement of our country and was very popular and respected leader, who impressed his mentors and senior socialist leaders like Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Deva, Ram Manohar Lohia and others. His intellectual depth, organizing capabilities and deep commitment to the socialist cause and his ability to apply the socialist ideas in the practical political life won him many admirers and friends. Impressed by such great qualities of leadership, he was entrusted with various officers in the Socialist Party like, Secretary, Foreign Affairs Committee; All India Party Secretary; Secretary, Asian Socialist Conference; Chairman, SSP Parliamentary Board. He was also General Secretary, Janata Party.

Madhu Limaye, throughout his nearly five decades of public life, devoted himself to build up the socialist alternative to the Congress Party. When the socialist movement split and a section led by Shri Ashok Mehta decided to cooperate with Congress, he was very disappointed and was critical of their decision. He also did not believe in the party-less democracy propounded by Jayaprakash Narayan. During the 1955 crisis, Madhu Limaye boldly supported Dr. Ram Manohar Lohia much to the dismay of many other socialist leaders from Maharashtra like, Shri Gore and Shri S.M. Joshi. However, Limaye's self belief and faith of conviction enabled him to withstand his critics.

Although socialists are considered left of centre, Limaye was never a great admirer of the Communist belief and ideology. The experimentation of the Communist ideology in the erstwhile Soviet Union and China made socialists like Shri Limaye skeptical of their application and relevance in the Indian socio-political context. Limaye always believed in putting ideologies into practice. His socialist beliefs were reflected in his own personal life which was very austere and Gandhian. He believed that socialist ideals are second to none and that it was not merely a political belief, but a way of life. He very strongly advocated the commitment of India's socialists to democracy and peaceful restructuring of society to usher a more equitable social order.

Shri Limaye was a prolific writer. He wrote a number of books and articles during his life time which reflected his deep understanding of the numerous issues confronting not only the socialist movement but also our society at various levels and in different times. His publications include: *Communist Party: Facts and Fiction; Politics After Freedom; Problems of India's Foreign Policy; Prime Movers : Role of the Individual in History; Contemporary Indian Politics* and several works in Hindi and Marathi. His views and writings always reflected the mainstream view of the Party and an insight into the thinking, hopes and aspirations of the socialist leaders of his times.

Indian nationalism based on secular principles which guided our freedom movement formed the cornerstone of Madhu Limaye's ideological belief. However, Limaye was frank in his view that socialism only is not adequate to solve all the problems faced by the contemporary world. For him socialist philosophy was the best way to ensure social and economic justice to our people. His socialist ideals made him a strong advocate of equality of opportunity, dignity of labour and against all caste and class prejudices. He accorded pre-eminence to rational approach and cultivation of scientific temper. Gandhian principles of non-violence, *Satyagraha* and non-cooperation are fully in sync with Limaye's concept of socialism.

Limaye always believed in practising politics based on values and ethics. Limaye was elected to the Parliament four times and distinguished himself as a very outstanding Parliamentarian and also revealed his expertise on constitutional matters. He has written extensively on various constitutional issues like 'Reserve Powers of the President', 'The Role of Governors under our Constitution', 'Issues of Provincial Autonomy' and many social-political issues. Through his writings, he has also expressed his disappointment on the decline of Parliamentary institutions, political parties and the state of Opposition. In the Parliament he was heard by all sections of the House with great attention and respect. Many of his speeches and interventions in the Parliament are simply masterpieces. His understanding of the Parliamentary procedure, enabled him to use it very effectively to convey his point of view. He took uncompromising position in upholding democracy and was very critical of emergency regime. In fact he resigned his seat in protest when he felt that the extension of the term of the 5th Lok Sabha was unethical. His insistence on value based and principled politics will always remain a source of inspiration to all aspiring Parliamentarians.

Madhu Limaye also had a great understanding of international affairs which he felt perhaps was not given so much attention when the Janata Party came to power. In fact, he has pointed out in his writings that the Janata Party's Manifesto did not make a reference to the policy of Non-alignment and there was practically no discussion on foreign policy in

the meetings of the National Executive of the Party and the Parliamentary Board.

He has observed in his writings that when the Janata Party led Government assumed power in Delhi there were anxieties in various capitals of the World concerning what policy and programmes the new Government would follow. This was all put to rest when Madhu Limaye himself took the lead to allay all apprehensions like, by leading delegations to the Soviet Union. He wanted India to strengthen relations with East European countries, the Arab world and all the neighbours and other nations of the world. In his writings, he has asserted that the main outlines of our foreign policy: "...were fixed during the course of our struggle for freedom itself..."

He saw the formation of military blocs as a threat to world peace:

> "When the Cold War began in the post-war years, India took the correct theoretical stand that we should not align with either of the military blocs..."

Supporting the new role and direction of the non-aligned movement, Shri Limaye said:

> "...We must inject new content in the non-aligned movement. It must become increasingly people-oriented. The movement must articulate economic and social aspirations of the down trodden people..."

He further elaborated that:

> "It is not enough that every nation in the world is allowed to enjoy the benefits of political independence. These countries must also be freed from economic exploitation no matter from what quarter this exploitation emanates. There must be an equitable basis for economic exchanges and commercial transactions. Just as there is a rural-urban conflict symbolized by falling prices of agricultural products and rising prices of manufactured articles inside our own country, with the resultant income transfers from the rural poor to the urban rich, similarly the unfavourable terms of trade, the brain drain and the like result in the transfer of income from the poorer to the rich countries on a world scale."

On India's nuclear programme he said that:

> "I am not in favour of manufacturing nuclear weapons. But I do not approve pre-empting the options of the future generations; nor am I prepared to compromise on the question of national security..."

> "Unless all nuclear powers agree to total disarmament, including destruction of the accumulated nuclear arsenals, we should not accept any conditions in the matter of nuclear development. We must rapidly develop our own nuclear technology as early as possible. Self-reliance should be our motto in this respect."

He quit active politics in early eighties but continued to write till he died in 1995. He wrote extensively on many subjects and issues which covered politics, foreign policy, history and also on historical personalities, socio-economic and religious issues, constitutional questions, etc. He always had in-depth approach to all issues and subjects he dealt with.

A TRIBUTE TO MADHU LIMAYE

*I.K. Gujral**

I was recently reading the memoir of an erudite C.P.I. ideologue, late Mohit Sen's narration of his meeting with late Madhu Limaye. It says a lot about the person and the thinker that Madhu was.

I Quote:

> "It was in his last years that I got to know Madhu Limaye at a more personal level. He lived simply but elegantly in a Pandara Road flat in New Delhi stricken with asthma. He allowed himself to talk and discuss with others for a limited number of hours, preferably in the evening. When I went to meet him at the appointed time I could always hear the strains of Hindustani classical music that he had been listening to. He read a lot being especially knowledgeable about the Constitution and parliamentary procedures."... *Unquote.*

Madhu Limaye was an extraordinary person. He had participated valiantly in two freedom struggles of the country and later to liberate Goa. I had the privilege of enjoying his friendship as a fellow member in the Parliament and also in various other activities. He was a remarkable intellectual who devoted so much of his time-after-saying good-bye to the Parliamentary life, to write some historic books on Parliamentary procedures. He devoted his time and energies to reading and research. I would often see him in the Parliament Library taking exhaustive notes. By then he had turned himself into a highly respected intellect. Later as Secretary of the Janata Party, he and Champa Behan came to Moscow and stayed with us that facilitated our seeing more of them and learn how much companionship of each other they enjoyed. Madhu was keen to objectively study the Soviet Union and its social ethos. His reaction to the Soviet Union and its social order did not impress him though he was supportive of the Indo-Soviet friendship. The Soviet leadership treated him with respect and accorded him the honour of private meetings with Brezhnev and Kosygin. This was not usually done for the private persons who were not associated with their Communist Parties at Home. Madhu's queries were wholesome but never malicious even when it was known that the Soviet Union and the

* He is the former Prime Minister of India.

C.P.S.U. were not thought of or approved by the Lohiaite socialists in India. In the quick political changes that followed the return of Indira Gandhi to power, Madhu was not active in Parliament because of his depleting health. His agile mind was always open to new ideas and views of those who were from the different socio-political hues. If he were to live longer, a more mature Madhu Limaye would have left highly useful impact on the hard granite of our Parliamentary democratic life when it was changing its gears to the multi party coalitions in Centre and the States. He was apt to act as a polar star who first learnt and then tried to guide the destinies of our institutions. He has indeed left a deep mark on our Parliamentary annals.

I recall him with admiration and respect!

श्री मधु लिमये : एक श्रद्धांजलि

*—नीतिश कुमार**

समाजवादी चिन्तन के प्रखर पुरोधा, आदर्श देशभक्त, समर्पित लोकसेवक तथा यशस्वी एवं सुदक्ष सांसद मधु लिमये ने छात्र जीवन में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को अपनी सक्रियता से एक नई दिशा दी थी। अनेक भाषाओं के गम्भीर जानकार श्री लिमये समाज के दलित-दोहित एवं पीड़ित-प्रताड़ित लोक जीवन के अनेकमुखी कल्याणार्थ अपने जीवन की अंतिम सांस तक कर्मरत रहे। एक प्रखर सांसद के रूप में इनकी तेजस्विता अपूर्व थी। न केवल स्वदेश में, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रमिक आंदोलन को गतिशीलता प्रदान करने वाले श्रमिक नेताओं में इनका स्थान अन्यतम था। किसानों, श्रमिकों एवं देश की नई पीढ़ी की समस्याओं के प्रति वे विशेष रूप से संवेदनशील थे। डा. राम मनोहर लोहिया के अनन्य सहयोगी श्री लिमये ने देश के ग्रामीण जीवन को विकास के पथ पर अग्रसर करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। साम्प्रदायिक सद्भाव एवं सामाजिक न्याय के पथ को प्रशस्त करने में श्री लिमये की भूमिका अविस्मरणीय रहेगी। अपने अंगीकृत सिद्धान्तों के प्रति अडिग आस्था भाव रखने के बावजूद श्री लिमये नूतन विचारों को अंगीसात करने में कभी पीछे नहीं रहे। सघन राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद श्री लिमये का अध्ययनानुराग अक्षुण्ण रहा। गांधी वाङ्मय और मार्क्सवादी सिद्धांत का श्री लिमये को तलस्पर्शी ज्ञान था जो इनके यत्र-तत्र प्रकाशित एवं पुस्तकाकार संकलित आलेखों से स्पष्ट है। श्री मधु लिमये एक ओजस्वी वक्ता थे। अपने तथ्यपरक तार्किक उद्‌गारों से श्रोताओं की विराट भीड़ को सम्मोहित कर लेना इनकी विलक्षण वाग्मिता का विरल वैशिष्ट्य था। अपने सुचिन्तित विचारों के कारण संसद में श्री मधु लिमये के उद्‌गार अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सुने जाते थे।

अत्यंत उदार हृदय के अधिपति श्री लिमये का मैत्री परिवेश अतिशय समृद्ध था। प्रत्येक दल के नेतागण इनके प्रति श्रद्धा एवं स्नेह का भाव रखते थे। श्री लिमये एक सर्वप्रिय लोकपुरुष के रूप में सर्वमान्य थे। लोकनायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन में श्री लिमये की सहभागिता स्वाधीन भारत के इतिहास का एक उज्ज्वल अध्याय है। बिहार के प्रति श्री लिमये का एक विशिष्ट रागात्मक लगाव था। बिहार की समस्याओं के समाधान की दिशा में वे सतत, सजग और सचेष्ट रहते थे। उनका निधन वैसे तो पूरे राष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति थी, बिहार भी उन्हें खोकर कम मर्माहत नहीं हुआ। आज भी श्री लिमये के विचार अत्यंत प्रासंगिक हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं श्री मधु लिमये जी की स्मृति को बार-बार नमन करता हूं।

---

*वे मुख्य मंत्री, बिहार हैं।

MADHU LIMAYE—A TRUE SAVANT[1]

—*Vasundhara Raje**

During the course of our freedom struggle, the socialist movement threw up many brilliant leaders like Acharya Narendra Deva, Ram Manohar Lohia, Ashok Mehta, Jayaprakash Narayan, H.V. Kamath, S.M. Joshi and Madhu Limaye.

Madhu Limaye was drawn into the national independence movement at an early stage. Socialist ideas held great fascination for him. He was among those socialist thinkers who had developed a sophisticated understanding of ethos and values of Indian society. His contribution to the understanding of the need for Dalit empowerment, adherence to secularism, and espousal of the cause of women's equality including wide ranging social reform is undeniable.

He was deeply influenced by the personality and ideas of Ram Manohar Lohia. Limaye has been a fighter for civil liberties all his life. He himself argued his cases in the Supreme Court and was invariably successful. A socialist to the core, Madhu Limaye was particularly active in the political arena during the 1970s. He was particulalry active in the Janata coalition that gained power in the Centre during Sixth General Election. He also joined in the liberation struggle of Goa. He was a true patriot, a renowned thinker, a great socialist leader, a dedicated worker and a distinguished parliamentarian.

A renowned social ideologue, Madhu Limaye had at one time observed:

"The process of cleansing public life and strengthening democracy is a difficult and painful process.... It has to be accompanied by democratization of parties. There is no easy way out, no instant solution awaiting implementation through a suitable statute."

Madhu Limaye was also a prolific writer and essayist. He is the author of many works on history, politics and current affairs in English, Hindi and Marathi. He was a great voice of genuine Indian secularists. He had written plethora of articles and books on variety of issues of Indian polity. His articles

[1]A wise and scholarly person.

*She is the Chief Minister of Rajasthan.

and books on various aspects of political life are insightful study of the crucial phases of contemporaneous Indian political history. His essays were on the subjects of great topical interest and dwelt basically on some of the most burning questions of the day and some themes of India's freedom struggle. They are all a seasoned political commentary on the dynamics of Indian democracy. Even after his retirement from active political life, through the 1980s, he continued to write on various issues plaguing the Indian parliamentary democracy and Constitution. He was especially critical about the constitutional issues and almost took upon him the task of defending the Constitution.

Presiding over the 2nd Madhu Limaye Memorial Lecture the noted historian Dr. Y.D. Phadke had spoken extensively on the sheer amount of political writing that Limaye had done. *"He has written on what might be called Applied Politics more than anyone else has,"* Dr. Phadke had observed.

U.R. Ananthmurthy had also remarked that Limaye was probably *"more uncompromising in his beliefs and practices than Dr. Ram Manohar Lohia, the doyen of socialists. There are hardly any politicians of his calibre and honesty today."*

Madhu Limaye was second to none in terms of his honesty, integrity and spartan living.

We should honour a leader who so consistently championed the cause of the indigent and the deprived. The nation remembers Madhu Limaye as a person who so passionately promoted the cause of communal harmony, probity in public life and growth with equitable justice to all.

MADHU LIMAYE: AN INDEFATIGABLE DEFENDER OF DEMOCRATIC SOCIALISM

*—Digvijay Singh**

Bihar has always been a land of glorious heritage and opportunities since the days of ancient civilization. In the early part of Twentieth century, we have seen how Mohandas Karamchand Gandhi, a man from Gujarat, had chosen Bihar to launch the *Satyagraha* movement at Champaran in 1917 and became the 'Father of the Nation'. In the post-independence-era, Jayaprakash Narayan launched a mass movement against corruption.

In the post-independence era, during the last six decades of our parliamentary democracy, late Madhu Limaye and his fellow co-traveller George Fernandes, are the two most outstanding socialist leaders, born and brought up outside Bihar, but who served Bihar very well as people's representatives and won a great deal of love and affection of the people of Bihar. In fact, most of the leaders of today's Bihar are, in one way or another, influenced by Madhu Limaye's ideas and teachings. It is indeed a happy co-incidence that I have had the privilege to interact with both of them; rather I have had a long political association with them.

When I heard the name of Madhu Limaye, for the first time, in my childhood days, it could not strike my mind what Limaye stands for. It is very unusual name in Bihar. Later on, I was told that Limaye happens to be family name common in Western Maharashtra.

Madhu Limaye perhaps with the exception of Vinoba Bhave, was the leader who worked and was associated with Bihar for considerable time and this left indelible impression on me also.

Being born and brought up in an affluent and politically conscious family, I had the opportunity to interact with Madhu Limaye since my childhood days and in particular since 1964 when he chose to contest by-election from Munger parliamentary constituency, the region I was born and brought up.

Munger by-election was taking place at a very crucial juncture of the Indian polity. The political situation then was very fluid. India's debacle at 1962 war and death of Pandit Jawaharlal Nehru weakened the ruling Party.

* He is a member, Rajya Sabha.

During 50's and 60's in both Bihar and Uttar Pradesh, socialism had emerged as a force to be reckoned with. Acharya Narendra Deva, Ram Manohar Lohia and Jayaprakash Narayan were the leading socialist leaders who had a huge influence and large number of followers. Dr. Lohia propounded the theory of anti-Congressism. Vinoba Bhave and Jayaprakash Narayan launched *Bhoo-dan* movement undertaking the tour of Bihar including Munger and surrounding areas. Madhu Limaye who had already won a great deal of respect and admiration for his active role in the liberation of Goa, became a cult figure all over India. Samyukt Socialist Party made him nominee for Munger by-election in 1964. Munger Parliamentary seat became vacant due to sudden death of Banarasi Prasad Sinha of Congress who won this seat in first, second and third Lok Sabha elections. In such a given scenario, the entire country was watching the result of the by-election. He won defeating the Congress nominee.

I vividly recall some glimpses of by-election of 1964. Madhu Limaye used to campaign with his wife Champa Limaye and with a handful of dedicated workers undertook tour of rural areas by two Jeeps displaying his unassuming nature and simplicity. He was very fluent in Hindi and had the art of making good rapport with masses. There was no television, no electronic media. His followers used to campaign in rickshaws, bullocks carts, *tongas* and trucks. His party symbol was *Banyan* tree, which became very popular among children of my age group and we used to shout the slogan, *'jeetega bhai jeetega, gachh chhap jeetega'.*

I have seen Madhu Limaye from very close quarters during my childhood days in 1960s. I had ample opportunities to interact with him during my student days especially during the days of JP movement and the Janata Government (1977-1979). When I became a Member of Parliament in 1990, although by that time he withdrew himself from active politics due to frailty, he was always available for me for personal guidance and direction.

What a pleasant destiny is? Madhu Limaye won Banka Parliamentary constituency in 1973 and 1977 and after a gap of about two decades, I was elected to represent the same Banka constituency twice. Banka, getting the status of district in 1992 is one of the most backward constituencies and Madhu Limaye nurtured the constituency and people very well between 1973 and 1979 and later on I got the onerous task to resume his unfinished initiatives. The people still, remember the services rendered by Limaye and hold him in very high esteem.

Madhu Limaye possessed numerous qualities but what was most appealing to me was his simplicity and high thinking. His performance both inside and outside the House was immaculate. His oratorical skill was superb

and flawless. His spoken Hindi and written English were impeccable. He was an effective communicator and could be able to describe his ideas and feelings clearly to people at large. At the same time, he was a great listener and could feel the pulse of the people.

Madhu Limaye was an ardent supporter and protagonist of democratic socialism. As a disciple of N.G. Gore and Dr. Ram Manohar Lohia, he earned a lot of name and fame all over India. Socialism and anti-Congressism were two cardinal principles, which he imbibed from Lohia for which he stood up and fought throughout his life.

Limaye was indeed a multifaceted personality. He was not merely a social activist and a parliamentarian *par excellence;* he was a gifted scholar, and a prolific writer too. He was always in the habit of penning his thoughts and ideas on diverse issues. Limaye had authored more than 50 books, besides several articles/write ups, which are testimony to his intellectual pursuit. Some of his important books include, *Gandhi's Legacy and New Human Civilization; Decline of a Political System; Janata Party Experiment: An Insider Account; Birth of Non-Congressism; Opposition Politics; Socialist and Communist Interactions; Prime Mover: Role of the Individual in History; and Parliament, Judiciary and Parties.* All his works are voluminous, thought provoking and an eye-opener for readers. He had mastery over analyzing diverse events and issues and putting them in right perspectives. His works deal with the real issues confronting the people, and not even a single work is fictitious.

Basically, a product of socialist movement, he was a man of action who struggled throughout his life for the rights of the common man and of the downtrodden. He was not only an ideologue of democratic socialism but very sensitive tc people at large. He worked immensely during famine of Bihar in 1966-67. Madhu Limaye always opted to serve the people and the organisation. He never desired any Ministerial post. In 1977, he was offered Ministerial post, but he preferred to serve the Janata Party. At the same time, he was a man of principles. Once he raised the issue of dual membership against one of the erstwhile constituents during Janata regime, he stood by that principle although which ultimately proved catastrophic for Janata Party.

Madhu Limaye's parliamentary career spanning nearly 15 years was indeed eventful one. His legislative career began in 1964 and came to end in 1979 with a small interruption of two years. In this period, he had a rare distinction to win two parliamentary by-elections within a decade from two different constituencies in 1964 and 1973, and also two general elections. These victories had their significance as they set new trend of realignment of Indian political parties at the Centre and States. His first by-election victory

was a precursor to formation of Non-Congress Governments in several States in 1967 election. The second 1973 by-election proved a catalyst leading ultimately to the change in the Government at the Centre in 1977. In both the cases, Madhu Limaye was one of the architects of the unity among opposition parties and brought them at one platform against Congress.

It is indeed laudable and apt that a Commemorative Volume is being brought out on Madhu Limaye, an eminent Parliamentarian, nationalist to the core and veteran socialist leader, who championed the cause of common people and downtrodden. It is indeed, a befitting tribute to the leader of Limaye's stature. His lofty ideals and respect for parliamentary practices and procedures and democratic institutions are worthy of emulation by all particularly the younger generations of Parliamentarians.

वैराग्य और समर्पण के समन्वित रूप : मधु जी

*—मोहन सिंह**

मैं मधु जी को 1964 में पहली बार मिला, उस समय मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। वे लोक सभा के सदस्य चुन लिए गए थे। बिहार के मुंगेर लोक सभा क्षेत्र से निर्वाचन के बाद ही समाजवादी आंदोलन की दो शाखाओं समाजवादी पार्टी और प्रजा समाजवादी पार्टी (प्रसोपा) की एकता के प्रयास चल रहे थे। समाजवादी पार्टी की ओर से डाक्टर राम मनोहर लोहिया की पहल पर राजनारायण, मधु लिमये आदि इसमें सक्रिय थे। प्रजा समाजवादी खेमे की ओर से एस.एम. जोशी, एन.जी. गोरे, प्रेम भसीन आदि पहल कर रहे थे। प्रजा समाजवादी दल में अशोक मेहता, चन्द्रशेखर, नारायण दत्त तिवारी आदि ने कांग्रेस पार्टी में जाने का मन बना लिया। अशोक जी को योजना आयोग का उपाध्यक्ष मनोनीत किया जाने वाला था। पार्टी की एकता प्रस्तावों में संभावित पार्टी की नीति, सिद्धान्त का आधार क्या हो? इसकी समिति के संयोजक मधु जी थे। डाक्टर राम मनोहर लोहिया प्रजा समाजवादी पार्टी में बिखराव को देखते हुए शीघ्र बिना शर्त एकता के पक्षधर थे लेकिन उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी कि वाराणसी में आयोजित होने वाले स्थापना सम्मेलन में वे तभी जाएंगे जब सम्मेलन प्रस्ताव पास कर उन्हें वहां जाने का प्रस्ताव करे। कुछ लोग इसे व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाला सुझाव कहकर इस वक्तव्य की आलोचना कर रहे थे। इससे एकता के लिए जो उत्साह पैदा होना चाहिए उसमें निराशा का प्रवेश हो गया। मधु जी बिहार से रेलगाड़ी से दिल्ली जा रहे थे। मेरे जैसे दर्जनों नई उम्र के कार्यकर्ताओं ने उन्हें इलाहाबाद रेलवे प्लेटफार्म पर घेर कर उनका विचार जानना चाहा। हम लोगों से अधिक निराश वे स्वयं थे। उन्होंने कहा प्रसोपा के अधिकांश नेता कांग्रेस में चले गए। एकता के बाद डाक्टर साहब के अलावा कोई नेता नहीं है। उन्हें ऐसा वक्तव्य देने की आवश्यकता नहीं थी। नई पार्टी गठन के बाद जिस वातावरण और उत्साह की अपेक्षा थी उसमें कमी आ जाएगी और प्रसोपा खेमे में काफी निराशा होगी। कांग्रेस की तो रणनीति है समाजवादी आंदोलन में बिखराव पैदा करो। हम लोग अपने आचरण से उस बिखराव को गति दे रहे हैं। गाड़ी थोड़ी देर रुकने के बाद चली गई। मधु जी के आकर्षक व्यक्तित्व की मेरे ऊपर छाप पड़ी। मैंने उनसे पत्राचार का सिलसिला शुरू किया और 1967 के बाद हमारी समीपता बढ़ गई जो 8 जनवरी 1995 अर्थात् उनके जीवन के अन्तिम सांस तक बनी रही।

वे उच्च कोटि के विद्वान, अपने विचारों के लिए पूर्ण समर्पित, सच्चे राष्ट्रभक्त और समाज के अन्तिम आदमी के दु:ख दर्द को अपना दु:ख मानते थे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। 1 मई, 1922 को महाराष्ट्र के पुणे नगर में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता इस नगर के एक स्कूल में अध्यापक थे। उनके पिता अंग्रेजी और संगीत के श्रेष्ठ अध्यापकों में

*वे सांसद (लोक सभा) हैं।

थे, ऐसा मधु जी कहते थे। इसलिए उनकी भाषा और साहित्यिक संगीत में रुचि पिता के प्रभाव के कारण पैदा हुई। वे प्रारंभिक समय में ही नगर के प्रसिद्ध पुस्तकालय 'नागर वाचन मंदिर' के सदस्य बन गए। गूढ़ अध्ययन करना बाल्यकाल से ही उनका स्वभाव बन गया। परिवार चित्तपावन ब्राह्मण कुल था, इसलिए पारिवारिक पृष्ठभूमि धार्मिक थी, फिर भी धर्म के तत्वों को जान लेना उसमें निहित ज्ञान और तर्क को अर्जित कर लेना किन्तु पाखण्ड और अंधविश्वास को त्याग देना, ऐसा स्वभाव बचपन से ही बन गया। परिवार के लोग उन्हें बम्बई नगर में पढ़ाई करने को प्रोत्साहित करते थे लेकिन पुणे नगरी को वे संस्कृति, कला, राजनीति, परिवर्तन के सामाजिक आंदोलनों का केन्द्र मानते थे। इसलिए पुणे के फर्ग्यूसन कालेज से ही डिग्री लेने की उनकी इच्छा थी। वे इस कालेज के विद्यार्थी की हैसियत से समाजवादी नेता एस.एम. जोशी से 1937 में मिले और उनके संपर्क में आ गए। उनकी सलाह पर एन.जी. गोरे के घर में, जो बाद के दौर में समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता सिद्ध हुए, स्टडी सर्किल चलता था। इस अध्ययन गोष्ठी में नई पीढ़ी के लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के मूल्यों तथा समाजवाद के गूढ़ सिद्धांतों की जानकारी दी जाती थी। मधु जी उस स्टडी सर्किल के सदस्य बने और नगर के सभी सक्रिय समाजवादी नेताओं के संपर्क में आ गए। उन्होंने 1939 में इण्टर की परीक्षा पास की थी। तत्पश्चात् समाजवादी आंदोलन व स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी जिन्दगी समर्पित कर दी। वे 1939 में ही जे.पी. और लोहिया के निकट संपर्क में आ गए। महाराष्ट्र के खानदेश को उन्होंने अपना कार्यक्षेत्र बनाया क्योंकि वहां साम्यवादियों का प्रभाव क्षेत्र अधिक था। समाजवादियों को कठिन संग्राम करना था। एक तरफ अंग्रेजी हुकूमत से, दूसरी तरफ आन्तरिक प्रतिद्वन्द्वी साम्यवादियों से। भारत को अंग्रेजी सरकार ने द्वितीय महायुद्ध का हिस्सा घोषित कर दिया था। समाजवादी अंग्रेजी सरकार के इस कृत्य की निन्दा करने लगे। बहुत कम उम्र में युद्ध विरोधी अभियान में मधु जी धुलिया में गिरफ्तार कर लिए गए उन्होंने पुलिस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया। मजिस्ट्रेट ने अपने निर्णय में कहा "अभियुक्त समाजवादी, युद्ध विरोधी तथा साम्राज्यवाद विरोधी है, इसकी उम्र छोटी है लेकिन अपराध बड़ा है। अत: उसे कम उम्र में पहला अपराध होने के कारण नौ महीने का श्रम के साथ जेल और एक सौ रुपये का जुर्माना।" जुर्माना न भरने पर तीन माह की सश्रम सजा दी गई। इस तरह उनके खुद कही कथा के अनुसार उनकी स्कूली पढ़ाई छूट गई और वे स्वतंत्रता संग्राम तथा समाजवादी आंदोलन के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने 1947 में ही बेल्जियम में आयोजित सोशलिस्ट अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी का प्रतिनिधित्व किया और पश्चिमी यूरोप के सभी देशों में गए। उसके बाद उनकी रुचि यूरोप का इतिहास जानने में बढ़ गई और उन्होंने यूरोप के इतिहास का गहराई से अध्ययन किया। 1952 के प्रथम आम चुनाव में समाजवादी नेताओं की आशा के विपरीत चुनाव परिणाम आए, जिससे नेतृत्व में निराशा घर करने लगी। 1953 में मध्य प्रदेश के बैतूल में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जहां पार्टी के बड़े नेता अशोक मेहता ने "पिछड़ी अर्थव्यवस्था की मजबूरियां और सहमति के क्षेत्र" शीर्षक से अपना दृष्टिकोण पेश किया। उनकी राय के अनुसार समाजवादियों को सत्ताधारी कांग्रेस से सहयोग करके चलना चाहिए। डा. लोहिया के साथ मधु जी ने इस प्रस्ताव का जबर्दस्त विरोध किया।

1955 में गोवा मुक्ति संग्राम चल रहा था। मधु जी की नई-नई शादी हुई थी और नन्हा-मुन्ना बच्चा भी हो गया था। किन्तु वे परिवार छोड़कर गोवा मुक्ति संग्राम में कूद पड़े।

पुर्तगाली शासन उनके अनुसार ज्यादा बर्बर और निष्ठुर था। वे महाराष्ट्र की सीमा पार कर गोवा की सरहद में अपने सत्याग्रही साथियों के साथ पहुंचे ही थे कि उनके साथियों पर गोवा पुलिस आक्रमणकारी की तरह टूट पड़ी। उनका पूरा शरीर लाठियों से तोड़ दिया गया। लहूलुहान मधु जी को अदालत में पेश किए बिना जेल में डाल दिया गया। जहां बिना किसी अपराध के 12 साल की कठोर सजा सुनाई गई। किन्तु भारत सरकार की पहल और अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में पुर्तगाल की सरकार ने दो वर्ष के बाद सभी भारतीय कैदियों को जेल से मुक्त कर दिया। इस तरह मधु जी का विचार उपनिवेशवाद विरोधी था और उन्होंने अपने जीवन में कठिन प्रयास से पूरी शक्ति और सामर्थ्यभर साम्राज्यवादी शासन का विरोध किया।

मधु जी उन्हीं बातों को कहते, जिसका वे अपने जीवन में स्वयं पालन करते थे। लोक सभा में जाने के बाद उन्होंने संविधान, संसदीय नियम, परिपाटी का गंभीर अध्ययन किया। वे व्यक्तिगत आजादी के प्रबल पक्षधर थे। जब कभी उनकी गिरफ्तारी हुई, सत्याग्रह या आंदोलन के दौरान, उन्होंने जाप्ता फौजदारी, आई.पी.सी., डी.आई.आर. की उन सभी धाराओं को सर्वोच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के तहत चुनौती दी। सभी मामलों की अदालत में खुद पैरवी की और उनके मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय एक लैण्डमार्क जजमेंट था और उन्हीं की पहल पर 1974 में संसद ने एक प्रवर समिति बनाकर एक सौ वर्ष बाद जाप्ता फौजदारी में ढेर सारे परिवर्तन किए। उन्होंने संसद के विशेषाधिकार को आधार बनाकर 1965-66 के दौर में लोक सभा में सरकार और उसके मंत्रियों को मुश्किल में डाला। उस समय विपक्ष का प्रतिनिधित्व संसद में काफी कम था, किन्तु मधु जी ने संसदीय नियमों को ही आधार बना कर तर्क और शैली से सरकार के बहुमत को संसद में निष्प्रभावी कर दिया। संसद के नियमों के धारदार हथियार से उन्होंने पूर्ण बहुमत से निर्वाचित सरकार को लगातार शर्मसार किया। उस दौर के मंत्री उनके झोले को देखकर भयाक्रांत रहते थे कि आज किसके खिलाफ पिटारा खुलने वाला है। संसद की कार्यवाही रोचक बन जाती थी। प्रातः काल अखबार का इन्तजार इसलिए भी रहता था कि आज मधु जी ने विस्फोट किया होगा। सरकार पर रोजाना हमले का बदला उनसे सरकारी पार्टी ने 1967 के चुनाव में लिया। वे अपने चुनाव अभियान में बिहार के मुंगेर जिले के गंगा के कछार इलाके में थे, चूंकि वे संसद में सरकारी नेतृत्व को अनाप-शनाप सरकारी खर्च पर सुरक्षा देने के कदम का पूरा विरोध करते थे, इसलिए स्वयं भी कभी सरकारी सुरक्षा नहीं ली। इस कछार एरिया में उनकी जीप में पार्टी के तीन गरीब कार्यकर्ता थे तभी रास्ते में लाठी, डण्डों, बल्लम से उन पर प्राणघातक हमला हुआ। उनका कोमल शरीर लहूलुहान हो गया। आक्रमणकारी उन्हें मृत समझकर छोड़कर चले गए। यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। देशव्यापी भीषण प्रतिक्रिया हुई। कांग्रेस नेताओं की सभाओं पर हमले होने लगे। किन्तु उनके जीवित बच जाने की सूचना भी समानान्तर रेडियो से प्रसारित होने लगी। तब बिहार, उड़ीसा में शांति हुई। लेकिन इस घटना की प्रतिक्रिया में बिहार के पूर्वी क्षेत्र से सत्ताधारी दल का झण्डा उखड़ गया। भागलपुर अनुमण्डल की सभी लोक सभा सीटों पर संयुक्त समाजवादी पार्टी (संसोपा) का झण्डा लहरा उठा। विधान सभा की अधिकांश सीटों पर संसोपा के उम्मीदवार जीत गए और 1967 के चुनाव में बिहार विधान सभा में कांग्रेस पार्टी अल्पमत में हो गई। इस तरह मधु जी अपनी जिन्दगी की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य को पाने के लिए निरन्तर चलते रहे।

1969 में भारत में राजनीति की हवा बदलने लगी थी। देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव था। कांग्रेस पार्टी में घमासान था। इन्दिरा जी व उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी नीलम संजीव रेड्डी के मुकाबले निर्दलीय वी.वी. गिरि का समर्थन कर दिया। इन्दिरा जी ने सरकार की ओर से लोक लुभावन नारों की बरसात शुरू कर दी। देश की जनता, खास तौर पर युवा पीढ़ी उन नारों से आकर्षित हुई। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, राजाओं को मिलने वाला प्रिवीपर्स समाप्त हुआ, आई.सी.एस. को मिलने वाली सुविधायें समाप्त हुईं, बेरोजगारी, गरीबी हटाओ के नारों ने गरीबों और युवाओं में इन्दिरा जी के प्रति उत्साह का संचार कर दिया। उसी दौर में हम लोगों ने मधु जी का कार्यक्रम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगा दिया। मधु जी विश्वविद्यालय के सीनेट हाल में पहुंचे थे कि युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मधु लिमये वापस जाओ का नारा लगाने लगे। बहुसंख्यक छात्र उनके पक्ष में थे। आमतौर पर उस जमाने के छात्र विश्वविद्यालयों में सभी की बात सुनना चाहते थे, इसलिए बहुतों की राय थी कि मधु जी को सुना जाये। लेकिन मारपीट शुरू हो गई, लाउडस्पीकर का तार काट दिया गया। मधु जी सीनेट हाल से वापस चले गए। वे हम लोगों से कहने लगे अभी इन्दिरा ने जादू कर दिया है। लड़के तुम लोगों की बात सुनने वाले नहीं हैं। लेकिन यह मुलम्मा छंटेगा फिर युवकों में घोर निराशा होगी। तुम लोगों को धीरज से काम लेना चाहिए। 1971 का चुनाव मधु जी हार गए। मैंने गुरुद्वारा रकाबगंज की कोठी से उनका सब सामान निकाला। एक छोटे ट्रक से उनका सभी सामान बान्द्रा स्थित चम्पाजी के फ्लैट में भेज दिया गया। उस समय संसद भवन में स्टेट बैंक की शाखा नहीं थी। पार्लियामेंट स्ट्रीट के मेन ब्रांच में संसद सदस्यों का खाता होता था। मधु जी ने दो सौ रुपये का चेक काटकर मुझे दिया कि तुम घर वापस चले जाना। मैंने खाते से पैसा निकाला तो कैशियर ने कहा मधु जी से कहना 80 रुपये ही बचे हैं। मैंने उनको बताया तो हंसने लगे इतना काफ़ी है। जैसे निजी दौलत से उन्हें पूरा वैराग्य था। उस दौर में उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती थी। उत्तर प्रदेश के दौरे में हम और हमारे मित्र मुख्तार अनीस बारी-बारी से उनके साथ रहते थे। क्योंकि हम दोनों उनकी तकलीफ और दिनचर्या से परिचित थे, मैं स्लीपर क्लास में उनका आरक्षण कराता था। वे प्राय: बीच की सीट पर सोते थे। नीचे मैं रहता था। स्लीपर क्लास में गद्दे नहीं थे। मैं उनके लिए एक मोटी दरी रखता था और बर्थ पर बिछा देता था। वे राष्ट्रीय आंदोलन के दौर से दमे के मरीज थे तथा गोवा जेल और बिहार के चुनाव में उन पर आक्रमण से उनके शरीर की सारी हड्डियां चोटिल थीं। ट्रेन के डिब्बे में धूल बहुत आती थी तो उठकर नाक ढककर बैठ जाते थे। पुरवाई हवा चले तो हड्डियां बेहद दर्द करती थीं। हांफते और दर्द से कराहते मधु जी अपने सभी कार्यक्रम पूरे करते थे। 1974 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए देश के किसी बड़े व्यक्ति ने उन्हें 50 हजार रुपये दिये। उन्होंने मुझे बुलाया और उसमें से दो हजार रुपये उनके साथ दौरे पर हमारे खर्च के लिए थमाए। फिर मुझसे 24 उम्मीदवारों की सूची बनवाई जो पार्टी के पुराने साधन विहीन कार्यकर्ता थे। उन्हें दो-दो हजार रुपये दिए गए। उनके लिए मधु जी की ओर से दो हजार बहुत बड़ी रकम थी। आज के उम्मीदवार और नेताओं की ओर देखकर पुरानी बातें सोचकर व्यथा होती है। हमारा लोकजीवन कहां से कहां पहुंच गया। जब संसद सदस्यों की पेंशन शुरू हुई तो उसका उन्होंने विरोध किया। जीवन भर कष्ट झेले लेकिन सांसद के कार्यकाल के एवज में पेंशन नहीं स्वीकार की। वे राष्ट्रीय आंदोलन और गोवा मुक्ति आंदोलन के अग्रिम

पंक्ति के सेनानी थे किन्तु इसके एवज में पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया। भारत सरकार ने कुछ प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए स्वत: पेंशन देने की घोषणा कर दी लेकिन उसे भी विनम्रतापूर्वक वापस कर दिया और कहा कि राष्ट्रीय कर्त्तव्य की पूर्ति के लिए पेंशन की क्या आवश्यकता है? उनकी आमदनी का कोई साधन नहीं था। पुस्तकें लिखकर उनकी रायल्टी और अखबारों में छपे लेखों के मेहनताने से उन्होंने अपना निजी खर्च चलाया। वे विदेशी वस्तुओं के उपभोग के सर्वथा विरोधी थे। 1978 में हम और हमारे मित्र मुख्तार अनीस दोनों उनके चहेते उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हो गए थे। अलीगढ़ में साम्प्रदायिक दंगा हो गया था। उन्होंने बुलावा भेजा। हम दोनों के साथ ही अलीगढ़ जाना चाहते थे। सवेरे उनकी कोठी पंडारा रोड पहुंचे। उन्होंने कहा तुम लोगों की सरकारी गाड़ी में तो मैं बैठूंगा नहीं। मैंने अपने पी.ए. से कहा जनपथ जाकर एक टैक्सी लाओ। वह टैक्सी लेकर आ गया। मैंने कहा मधु जी टैक्सी आ गई, आप चलिए। बोले पर सरकारी दस्ता साथ नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने अपने पी.ए., चपरासी हटा दिए। बहुत खुश नीचे उतरे गाड़ी में बैठने के लिए ज्योंही दरवाजा खोला गुस्से में अपना बैग लिए वापस अपने कमरे में, हम दोनों हतप्रभ, बहुत माथा-पच्ची के बाद बात समझ में आई टैक्सी तो विदेशी कार थी। मैंने तुरंत गाड़ी वापस कराई एम्बेसडर कार मंगाई। फिर ऊपर जाने की हिम्मत की। उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। मेरे ऊपर जब कभी नाराज होते थे तो अपना गुस्सा प्रदर्शित करने के लिए बेगम अख्तर के गाने का तवा लगाकर चारपाई पर लेट जाते थे। मैं अपनी गलती पर पछतावा करता और वह तुरंत खुश हो जाते थे। ऐसी प्यार भरी अदा मुझे आज तक तकलीफ पहुंचाती है। किसी तरह उन्होंने दरवाजा खोला। मैंने गलती की माफी मांगते हुए कहा टैक्सी एम्बेसडर आ गई। किसी तरह गाड़ी में बैठे। गाजियाबाद पार करते ही ढाबे पर गाड़ी रोकी, हंसकर बोले तुम लोगों को मेरे व्यवहार से कष्ट पहुंचा इसलिए तुम लोगों को कुछ खिलाता हूँ। अपने कनिष्ठ सहकर्मियों के साथ भी मित्रवत व्यवहार था। उनके घर में देश के तमाम बड़े लोगों को मैंने चाय पिलायी, खाना खिलाया, सभी से मेरा परिचय उन्होंने अपने मित्र के रूप में कराया। मन, वचन और कर्म की यौगिक एकता उनमें थी।

वे मुझे बार-बार कहते थे उत्तर प्रदेश विधान सभा में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? संसद में मैं उनके आदेश पर आया। सायंकाल रोजाना उनके घर पहुंचना मेरी दिनचर्या थी। छोटे से घर में कुछ भी अतिरिक्त नहीं था। कभी टी.वी., फ्रिज आदि पहुंचाने की पेशकश की तो डांट लगाते थे। कोशिश तो हमेशा करते कि वे अपने हाथ से ही चाय बनाकर पिलावें। बिना किसी आडम्बर के उस छोटे कमरे के घर में उन्होंने अपने जीवन के 13 वर्ष बिताए। जब कभी देश तोड़ने का कोई प्रयास हो तो उत्तेजित होने लगते थे। बाबरी-मस्जिद प्रकरण हो या मण्डल-कमीशन की संस्तुतियों को लेकर उठा विवाद उस छोटे से फ्लैट से सारी रात जागकर लम्बा पत्र तैयार करते और उसे टाइप कराकर मैं उचित स्थान पर पहुंचाता था। बाबरी-मस्जिद प्रकरण पर अलग से फार्मूला बनाकर आडवाणी जी, वी.पी. सिंह, मुलायम सिंह, चन्द्रशेखर सभी को समझाने की भरपूर कोशिश की। नरसिम्हा राव को तो काफी संदेश भेजे। मण्डल-कमीशन के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों को पत्र लिखे। उनके पत्रों का सभी लोग आदर करते थे और उसमें लिखी बहुत सी बातें सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हिस्सा बनीं।

भारत में 1975 में जिस दिन आपातकाल की घोषणा हुई उनका रायपुर का कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील स्टे के लिए लम्बित थी। उनको एहसास था कि जस्टिस कृष्णा अय्यर इंदिरा जी के मामले में सशर्त स्टे देंगे। मैंने उन्हें नागपुर के लिए हवाई अड्डे छोड़ा। उन्होंने पहले ही एक वक्तव्य लिखकर दे दिया था। उस वक्तव्य को लेकर मैं यू.एन.आई. के कार्यालय में बैठा था। चार बजे तक टेलीप्रिंटर पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया और तभी मैंने मधु जी की प्रतिक्रिया दी जो उस समय के नेताओं में सबसे पहली प्रतिक्रिया थी। वे समय की चाल को ठीक से समझकर आगे की बात का आकलन कर लेते थे और उसी हिसाब से कदम आगे करने के पक्षधर थे। उनकी रायपुर में ही गिरफ्तारी हो गई। रकाबगंज रोड की कोठी पर पुलिस का छापा पड़ा। मैं पीछे के दरवाजे से फरार हो गया। 10 दिन बाद मेरी भी गिरफ्तारी हुई। हम दोनों को 6 माह बाद पता चला कि मधु जी नरसिंहगढ़ जेल में हैं और मैं बरेली केन्द्रीय कारागार में हूँ। वे मुझे बांके बिहारी के नाम से पत्र लिखते थे। उनकी हस्तलिपि से मधु जी का पत्र समझता था। समय और परिस्थिति के हिसाब से वे सम्पूर्ण विपक्ष की एकता के पक्षधर थे। जेल से छूटने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनी जिसे बनाने में उनका पूरा योगदान था। किन्तु मंत्री बनने का प्रधान मंत्री का आग्रह वे लगातार ठुकराते रहे। वे समझते थे कि यह प्रयोग लम्बा नहीं चलेगा। राष्ट्रीय आंदोलन के मुद्दों को मजबूती से उठाते थे। उन मूल्यों में उनकी गहरी आस्था थी। वे निजी जीवन में भी धार्मिक नहीं थे। तर्क की कसौटी पर जिस बात को सत्य मानते थे उसी पर आचरण करते थे। लोकतंत्र, समतामूलक समाज, राष्ट्रीयता और सर्वधर्म सम्भाव उनके जीवन में कूट-कूट कर भरा था जिसे ईमानदार साधक की तरह उन्होंने अपने अमूल्य जीवन की निधि के रूप में संजो कर रखा था।

मधु जी स्वभावत: निर्बैर और निर्मोही थे। दल और विचार से दूर जाने वाले व्यक्ति का त्याग करने में उन्हें समय नहीं लगता था। प्रारंभ काल से अपने बहुत करीबी और अच्छे संबंध वालों का उन्होंने सैद्धांतिक प्रश्न उपस्थित होने पर विरोध किया। त्याग तो उनके व्यक्तित्व का श्रृंगार था। संवेदनशीलता उनके रोम-रोम में व्याप्त था। निजी जीवन की किसी दुर्बलता से बहुत ऊपर थे। स्त्री सम्मान और उन्हें आगे लाने की प्रेरणा सदैव देते थे। उन्होंने आर्थिक प्रभाव व साधन के प्रभाव में केवल विद्वता और त्याग की बदौलत श्रेष्ठता प्राप्त कर ली। निजी गाड़ी तो कभी उन्हें मयस्सर नहीं हुई। बार-बार आग्रह करने पर एक ही उत्तर, गाड़ी रखना खर्चीला काम है। टैक्सी और थ्री-व्हीलर से काम चल जाए तो निजी गाड़ी अनुपयोगी है। सार्वजनिक परिवहन मजबूत करने पर बल देते थे। कभी जीवन में आदमी द्वारा खींचे जाने वाले रिक्शे पर नहीं बैठे। इसे अधभाई का काम कहते थे। 1972 की बात है समाजवादी पार्टी में झगड़े थे। वे पूर्वी उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। मैं उनकी सहायता के लिए साथ था। उन्हें देवरिया से आजमगढ़ ले जाना था। प्रात:काल तीन बजे छोटी लाइन की रेलगाड़ी देवरिया सदर-गोरखपुर से आती जो मऊ होते हुए वाराणसी जाती थी। उग्रसेन जी उस दौर के, उस अंचल के प्रसिद्ध नेता थे। उन्होंने किसी के जिम्मे जीप लेकर देवरिया लोक निर्माण विभाग के डाकबंगले से देवरिया स्टेशन छोड़ने का जिम्मा दिया था। रात के ढाई बजे नींद खुली, देखा कि संबंधित व्यक्ति नहीं आया था। मैंने कहा ट्रेन का समय तो हो गया। गाड़ी नहीं आई क्या रिक्शा बुला लें? नाराज होकर बोले खुद ढोने भर

का सामान लेकर चलना चाहिए। मैं अपना सामान लेकर पैदल चल देता हूँ कितनी दूरी है। मैंने कहा दो कि.मी.। एक होल्डाल, एक अटैची, आपका एक बड़ा बैग और मेरे सामान का झोला कैसे जाएगा? इतने में अपना सामान उठा लिया। मैंने जिद कर उनके हाथ से छीना होल्डाल कंधे में लटकाया, चमड़े की अटैची को दूसरे हाथ में लिया। मेरा झोला जिसमें काफी सामान था और अपना बैग दोनों हाथ में उन्होंने लटका लिया। साथ तेजी से चले कि कहीं ट्रेन छूट न जाये। एक कि.मी. चलने पर एक पांव रिक्शा दिखा मैंने आग्रह किया इसे रोकता हूँ इस पर सामान रख देता हूं फिर पीछे से ढकेलते हुए हम लोग पैदल चलते हैं उन्हें फार्मूला पसंद आया और काफी दूर तक रिक्शा को खुद भी ढकेलते आए। स्टेशन पहुंचने के साथ ही ट्रेन आ गई। हमारा एक साथी तीसरी श्रेणी का टिकट लेकर स्टेशन पर खड़ा था। किसी तरह मऊ स्टेशन उतर कर आजमगढ़ की ट्रेन से आजमगढ़ पहुंचे। विख्यात नेता होने का दर्प तो उन्हें दूर-दूर तक नहीं छू सका था। उन्होंने अपने निजी जीवन के आचरण से हम लोगों पर ऐसी छाप छोड़ी जो विद्वता, ज्ञान, त्याग और राजनीति की ऊंचाई को छूने की सात्विक सीढ़ी है।

उनमें अपने राजनैतिक विरोधी से भी शत्रुता का भाव नहीं था। वे कहते थे राजनीति तो संघर्ष और सेवा की प्रतियोगिता है। दुर्भाग्य से इसमें शत्रुता और प्रतिद्वन्द्विता का प्रवेश हो रहा है, जो भविष्य के लिए कष्टकारी होगा। राजनीति में निजी स्वार्थ ही इसे शत्रुता में तब्दील करता है। इसलिए उन्होंने सभी को अपने राजनैतिक विचारों का प्रतियोगी माना। कभी शत्रुभाव उनमें नहीं आया। उनका पूरा मानस लोकतांत्रिक था। अपने से उम्र में कम और पार्टी के स्थानीय ओहदे पर विराजमान कार्यकर्ताओं से खुली बहस करते थे। कभी-कभी उत्तेजित होते थे, लेकिन बाद में शालीनता के साथ कहते कि उसी की बात सही थी। 1974 के दौरान में केरल के कालीकट में पार्टी का राष्ट्रीय सम्मेलन जोरदार ढंग से हुआ। के.के. अब्बू, के. चन्द्रशेखरन, ए. श्रीधरन, एम.पी. वीरेन्द्र कुमार और विश्वम्भरन पार्टी के केरल प्रांत के प्रमुख लोग थे। इन लोगों ने सम्मेलन की जोरदार तैयारी की थी। सम्मेलन की शुरुआत पार्टी के महामंत्री की रिपोर्ट पर बहस से होती थी। वर्ष भर के पार्टी के पदाधिकारियों के कामकाज का लेखा-जोखा लिया जाता था। मैं समाजवादी युवजनों की ओर से बोलने को खड़ा हुआ। पार्टी के महामंत्री जार्ज फर्नांडिस के कामकाज की कड़ी आलोचना की। जार्ज साहब काफी नाराज हो गए। अगले वर्ष का काम देखने के लिए कमेटी का चुनाव करना था। मधु जी ने मेरा नाम राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में प्रस्तावित कर दिया। जार्ज साहब मधु जी के यहां अपना विरोध दर्ज कराने गए किन्तु मधु जी ने उन्हें समझाया कि नई उम्र के लड़कों को आगे नहीं किया जाएगा तो पार्टी आगे कैसे चलेगी? जार्ज साहब शांत हुए और मैं 27 वर्ष की उम्र में मधु जी की कृपा से पार्टी की सर्वोच्च कमेटी का सदस्य हुआ। उन्होंने बैंगलोर की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सभी विपक्ष को एक करके, एक फेडरल पार्टी बनाने का सुझाव दिया। पूरी कार्यकारिणी में वे अकेले पड़ गए। केवल मैंने और बेनी प्रसाद माधव* ने मधु जी के तर्कों का समर्थन किया। उन्हें समय के रफ्तार की पहचान थी। वे बोले सत्ता पक्ष का राजनीतिक दखल इतना बढ़ेगा कि लोकतंत्र की सभी संस्थायें नष्ट हो सकती हैं। उनका मुकाबला करने की सामर्थ्य केवल एक दल में नहीं रहेगी। अंततः सबको एक

*बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश के पुराने समाजवादी नेता

होना पड़ेगा। दो साल बाद वही हुआ। सभी दलों ने फेडरेशन बनाने के उनके सुझाव को 1974 में ही स्वीकार कर लिए होता तो मजबूरी में जनता पार्टी नहीं बनानी पड़ती, और जिस जल्दी में जनता पार्टी का बिखराव हुआ वह बात भी नहीं होती। फेडरल पार्टी के सभी घटकों को उनकी हैसियत के अनुसार हिस्सा मिलता और असंतोष की गुंजाइश कम से कम रहती। इस तरह गठबंधन थोड़ा टिकाऊ होता।

राजनैतिक संकट खड़ा करने के साथ ही संकट का समाधान ढूंढने में उनका कोई जोड़ नहीं था। जनता पार्टी में जितने संकट खड़े हुए उनके समाधान में वे जुट जाते थे। लेकिन उन पर बिखराव को बढ़ावा देने के आरोप लगते थे जिससे वे काफी दु:खी रहते थे। उत्तर प्रदेश में राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे। उनके खिलाफ पार्टी विधान मंडल दल में अविश्वास प्रस्ताव आया और वे अपने पद से हट गए। उनके रिक्त स्थान पर नए नेता का चुनाव होना था। बाबू बनारसी दास को चौधरी साहब की रजामंदी से नेता पद का उम्मीदवार बना दिया गया। उनके विरोध में स्वयं चन्द्रभान गुप्त जी उम्मीदवार हो गए। स्वाभाविक था कि गुप्त जी अपने ग्रुप के स्वाभाविक नेता थे। मैंने घबराहट में मधु जी को फोन कर लखनऊ की सारी स्थिति बताई। उन्होंने मुझे निर्देश दिया कि अपने घर पर प्रेस को बुलाओ कल मैं लखनऊ आ रहा हूँ। मेरे घर में उनकी प्रेस वार्ता हुई। उन्होंने कहा जो लोग लोक सभा के सदस्य चुने गये थे वे लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में विधान मंडल दल के नेता बन गए। इससे पार्टी में बिखराव की स्थिति बढ़ी। इसलिए पार्टी के संसदीय बोर्ड ने फैसला किया था कि जो लोग विधान परिषद या विधान सभा के सदस्य नहीं हैं वे प्रदेश के विधान मंडल दल के नेता पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। चूंकि मोरारजी भाई स्वयं इस फैसले से जुड़े हैं, गुप्ता जी काफी वरिष्ठ हैं, क्या प्रधान मंत्री इन्हें नेता पद का चुनाव लड़ने से रोक सकेंगे? उनकी प्रेस वार्ता दिल्ली पहुंची और आधे घंटे में प्रधान मंत्री ने गुप्ता जी को चुनाव लड़ने से रोक दिया। मधु जी के वाक्‌चातुर्य से उत्तर प्रदेश का राजनैतिक परिदृश्य एक घंटे में बदल गया। बाबू बनारसी दास मुख्यमंत्री हो गए। उनमें चतुराई इतनी थी कि राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वी निहत्थे हो जाते थे। उनका निजी जीवन महात्मा जैसा ही था। वे विनयी स्वभाव के थे लेकिन अपनी बात कहने में पूरे दृढ़ निश्चयी थे। उनके व्यक्तित्व के बहुतेरे आयाम थे। सादगी, ईमानदारी और चरित्र बल ने उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन, एक स्थान तक पहुंच कर सीधे अपने कदम पीछे कर लेना, राजनीति की श्रेष्ठता की चकाचौंध उन्हें प्रभावित नहीं कर सकी, इसलिए बिना किसी लोभ के उसका त्याग भी कर दिया और अपने जीवन के अंतिम 14 वर्ष एक वनवासी, वैरागी, महात्मा के रूप में बिता कर हमारी पीढ़ी के सामने लम्बी रेखा खींच दी जिसे पार करना कठिन है।

उनके सक्रिय राजनैतिक जीवन का पटाक्षेप विलक्षण था। राजनैतिक, वैचारिक विरोध के बावजूद वे सर्वपक्ष मान्य व्यक्ति थे। जनता पार्टी विसर्जन के बाद उन्हें चौ. चरण सिंह के नेतृत्व वाले लोक दल के साथ रहना पड़ा। चौधरी साहब ने केवल उन्हें सम्मानित करने के लिए प्रमुख महासचिव का पद सृजित कर उन्हें प्रतिष्ठित किया। चौधरी साहब उनके त्याग, समर्पण और विद्वता की इज्जत करते थे। उनके स्वास्थ्य की पूरी चिन्ता करते थे, परन्तु उनके व्यक्तिवादी स्वभाव से दल के भीतर ज्वालामुखी भड़क रहा था। बीजू पटनायक, कर्पूरी ठाकुर, चौ. देवीलाल आग बबूला

हो रहे थे। मधु जी अपने स्वभाव के अनुसार बीच-बचाव का ही रास्ता चुनते थे। सभी राज्यों के क्षत्रप मधु जी से मिलने आए। उन्होंने कहा कि आप लोगों को चौधरी साहब से अलग होकर कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर चौधरी साहब के ही दरवाजे आना होगा। लेकिन वे लोग लोकदल से अलग होने को उतावले थे और उसी बीच पार्टी में विस्फोट हुआ। सभी नेताओं ने एक मंच पर आकर चौधरी साहब के खिलाफ वक्तव्य दिए। इसी बीच मधु जी ने चौधरी साहब को कड़ा पत्र लिखा। देश के सभी प्रमुख अखबारों में उस पत्र को प्रमुखता दी। मधु जी के जानने वालों को धक्का लगा। मधु जी ने मुझे फोन कर लखनऊ से दिल्ली बुला लिया। मैंने जबर्दस्त विरोध किया और कहा ऐसा पत्र शिष्टाचार के सभी मान्य परम्पराओं के खिलाफ है। मधु जी की चुप्पी इस बात का संकेत देने के लिए काफी थी कि उनसे गलत तीर चल गया। उन्होंने मुझे कहा, बगल के एम्बेसडर होटल में 'दास प्रकाश' की शाखा खुल गई है, चलो तुम्हें दक्षिण भारत का स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं। मैं उनके साथ पैदल ही चल लिया। पण्डारा रोड फ्लैट्स से उस स्थान की दूरी कम ही थी। रास्ते में उनकी धमनियों का दर्द उठ गया। मैंने थोड़ा रोका और फिर धीरे-धीरे चलाया। जब डोसा, इडली खिला दिया तो बोले मुझे अंजायना पेन होने लगा है। दवा भी बीमारी दबा रही है, मैं तो सक्रिय राजनीति छोड़ रहा हूँ। यदि मैं कड़ा पत्र न लिखता तो चौधरी साहब मुझे नहीं छोड़ते। मैंने राजनीतिक तौर पर यह काम किया है। मैंने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? बोले उत्तर प्रदेश वालों का भविष्य तो चौधरी साहब के साथ ही जाने में है। मेरे लिए इशारा काफी था। मैंने अपना रास्ता चुन लिया। क्योंकि मधु जी का साथ छोड़ना मेरे लिए असंभव था। मेरी विवशता को समझकर ही उन्होंने मुझे बुला लिया था। अपने कनिष्ठ साथियों के निजी हित को ध्यान में रखने वाला ऐसा कम ही देखा गया। चौधरी साहब जैसा बड़प्पन वाला आदमी मिलना कठिन है। इतने कठोर शब्दावली वाला पत्र मिलने के बावजूद मधु जी के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं थी। वे उनके बीमार होने की जानकारी मिलने पर तुरन्त मधु जी के घर पहुंचते थे। उस समय उनसे आग्रह करते कि मेरे सभी रूठे साथियों को आप ही मेरी ओर फिर कर सकते हैं। राजनीति से अलग होने और अस्वस्थ रहने के बावजूद मधु जी लोकदल से अलग हुए सभी नेताओं के निकट सम्पर्क में थे। अपने आग्रहशील कौशल से उन सभी साथियों को उन्होंने मना लिया और फिर से लोकदल में एकता हो गई। फिर 1984 का दुःखद इतिहास आया। इस देश की जन नेता इंदिरा जी की लोमहर्षक हत्या हुई। राजनीति कांग्रेस के पक्ष में एकतरफा हो गई। उस दौर के सभी प्रमुख गैर-कांग्रेसी नेता उनके यहां जाते रहे। किन्तु मधु जी ने एकांतवासी जीवन बिताने के बावजूद 1989 के चुनाव से पूर्व सभी विपक्षी दलों को एक साथ लाने में प्रमुख भूमिका अदा की। राजनीति से बनवास के बावजूद राजनीति को लेखन, विचार व व्यवहार से प्रभावित करते रहे। उनके साथ ही समर्पित, निष्ठायुक्त राजनीति समाप्त होगी ऐसा वे नहीं मानते थे। यह तो प्रवाह है। कोई कालखण्ड इतिहास का अंतिम अध्याय नहीं है। जब देश संकट में होगा त्याग, विचार की राजनीति ही प्रधान होगी। वह कभी निराश नहीं होते थे। उनकी आशा हम लोगों को रोशनी देती है। ऐसे निस्प्रेही राष्ट्रभक्त को आज याद करने वालों की संख्या सीमित है।

A TRIBUTE TO MADHU LIMAYE

*—George Fernandes**

Madhuji's contribution to the making of the Socialist Party, his contribution to the development of the thought process of its workers, his contribution to this development leading on to join them in the various strategies inherent in the struggle are immense.

Madhuji lent leadership and mentorship in the running of the labour movement as well as his active participation in the movement in Mumbai of which I was the central figure. He was there from the beginning, I firmly believe, even today, that we would not have been able to achieve whatever we could achieve in those days had it not been for the solid support that we could get from the strong shoulders of Madhuji.

Then we had the historic railway strike in May 1974. The strike was outside and we remained confined inside the jail. The nation's railway system remained closed for twenty days. Madhuji used those crucial twenty days in parliament to focus the attention of the nation on the problems and hardships of the striking railwaymen, and threw light on their plight. He forced the Government to consider their problems. All this happened under the leadership of Madhuji and his contribution to this was maximum. The task of drawing the nation's attention to the purpose of the strike, the questions which were raised by the strike and to keep the Government in a precarious situation and force it by some means to resolve the problem—this task remained in the hands of Madhuji.

In the aftermath of the Chinese aggression in 1962, Dr. Lohia had said that this was a Government of national shame, and that it should be removed. And we should do all that was necessary to remove this Government and we should take everyone together in this.

Madhuji did not agree with Dr. Lohia. But he also believed that if we have to clash against any one force, it did not mean that we should remain separated. He thought that we should start to work towards bringing together all the forces that believed in a common cause. We should not break an alliance or go out of an alliance if our differences were not of a

* He is a Member, Lok Sabha and former Union Minister of Railways and Defence.

fundamental nature, which could not be resolved, especially if our ideologies did not clash.

He had a chance to get into government or to remain on any part. He could take anything that he would desire. But he used his ability of sacrifice, or say his life of sacrifice, he showed it there. Whenever such an occasion presented itself he instead of promoting himself, he promoted others and gave them his full support.

स्व. मधु लिमये : एक समाजवादी चिंतक

–देवेन्द्र प्रसाद यादव*

कोई भी दर्शन और प्रणेता इसलिए महान होता है, क्योंकि समाज या राष्ट्र के सम्मुख जब भी कोई संकट आता है तब हम उस दर्शन में या उस महापुरुष के विचारों के आलोक में उस संकट से निकलने का रास्ता पाते हैं। स्व. मधु लिमये एक ऐसे ही महानायक थे जिनके दर्शन व विचार से समाजवादी आंदोलन को धार मिलती है।

स्व. मधु लिमये ने अपने बौद्धिक विचारों तथा लेखनी के माध्यम से समाज को एक नई दिशा एवं राह दिखाई है। उच्च कुलीन ब्राह्मण समाज से होने के बावजूद भी मधु लिमये जी ने गरीब एवं समाज के अंतिम व्यक्ति, कमजोर वर्ग को ऊपर उठाने के लिए खुद को न्यौछावर कर दिया। गांव और गरीब के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए संसद से लेकर सड़क तक अपनी वाणी व लेखनी से समाज में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को नई दिशा दी। उन्होंने समाजवादी आंदोलन को अपने विचारों एवं लेखनी के माध्यम से एक नया आयाम दिया तथा समाजवाद को साहित्य से जोड़कर एक नई दिशा दी।

स्व. मधु लिमये जी सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को बचाने में रोल माडल के तौर पर सामने आये। आज गरीबों को देखने की आवश्यकता है, लेकिन समाज गरीबों को उसका हक देने के लिए तैयार नहीं है, जबकि लिमये गरीबों को उनका हक देने की बात करते थे। जब तक समाज के आखिरी व्यक्ति को अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक संघर्ष और आंदोलन की बात लिमये कहा करते थे।

उन्होंने नैतिकता के पहलू को राजनीति से जोड़ा और इसी के बल पर लोगों को प्रेरित करके समाजवादी आंदोलन को मजबूती दी। उन्हें मूल्यों पर इतना विश्वास था कि वह संघर्ष और आंदोलन को माध्यम बनाकर तथा ईमानदारी एवं सिद्धांत को आधार बनाकर सत्ता प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया और सत्ता की प्राप्ति के लिए कभी भी मूल्यों एवं नैतिकता को तिलांजलि नहीं दी। उन्होंने हमेशा कहा कि सत्ता परिवर्तन तो कभी भी हो सकता है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए नैतिकता, ईमानदारी एवं मूल्यों को उन्होंने आधार माना।

स्व. मधु लिमये जी ने अपने साहित्यिक लेखनी के माध्यम से समाज के उन वर्गों तक भी अपनी बातों को पहुंचाया जिनकी सोच गरीब एवं समाजवाद के विरोध पर टिकी हुई थी। उन्होंने कभी भी साम्प्रदायिक शक्तियों को अपने पास नहीं फटकने दिया और हमेशा कहा कि देश की नींव की मजबूती और विकास के लिए समाज में कौमी एकता का होना आवश्यक है।

---

*वे सांसद (लोक सभा) हैं।

समाजवादी साहित्य के माध्यम से समाजवादी विचारधारा जिन्दा रहे, इसी उद्देश्य से स्व. मधु लिमये जी ने अपने जीवनकाल में ही समाजवादी साहित्य संस्थान की स्थापना की शुरुआत अपनी इच्छानुसार की थी। जिसे अब उन्हीं की कल्पना के अनुसार न्यास के रूप में पंजीकृत करा लिया गया है। यह संस्था समाजवादी विचारधारा को जिन्दा रखे और इसके तत्वाधान में समाजवादी साहित्य का प्रकाशन होता रहे, इसके लिए न्यास को मजबूत पाये पर खड़ा करने के उद्देश्य से इस समाजवादी साहित्य संस्थान के वर्तमान न्यासी मंडल के संस्थापक श्री मस्तराम कपूर जी ने अभी नौ खंडों का डॉ. लोहिया रचनावली को अपने भगीरथ प्रयास से प्रकाशित करवाया है। स्व. मधु लिमये जी के प्रेरणा स्वरूप यह रचनावली धरोहर के रूप में आम पाठकों को आज उपलब्ध हो पा रही है।

स्व. मधु लिमये के दर्शन, विचार, लेखनी एवं खोज व सोच को आगे रखकर ही देश में विकास एवं समाजवाद को मजबूती प्रदान की जा सकती है। मधु लिमये की प्रेरणा एवं विचार को आगे रखकर देश में व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ने की आज आवश्यकता है। परन्तु आज समाजवादी विचार को मानने वाले नेता भी व्यवस्था के अंग बनते जा रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन की बात कल्पना बनती जा रही है। इसलिए आज मधु लिमये जी के विचारों की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना तथा गैर-बराबरी को दूर करने के लिए सतत संघर्ष एवं प्रयास किया तथा अपने जीवन में भी सादगी को उतारा। स्व. मधु लिमये जी की कथनी-करनी में अन्तर नहीं था।

आर्थिक विषमता की समस्या पर मधु लिमये जी हमेशा संभव बराबरी की स्थापना की वकालत करते रहे तथा मूल्यों पर आधारित यानी (Value Base) राजनीति की वकालत करते रहे। आज तो राजनीति में केवल "राज" है और 'नीति' नदारद होती जा रही है। यह देश के सामने एक प्रकार का संकट उपस्थित हो रहा है। आज के इस परिवेश में मधु लिमये जी के राह की प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है।

MADHU LIMAYE—A WARRIOR FOR JUSTICE

*—Dr. Sarojini Mahishi**

In the 20th Century, the name Madhu (which is an abridged form of 'Madhukar', that means a honey-making bee) had become a popular name for a male child in the family in Maharashtra. Shri Madhu Limaye was born on 1 May 1922 at Poona# in a tradition-loving family. His father's name was Ramachandra. His grand father was a learned man who taught Madhu Sanskrit and the traditional method of performing *'Sandhyavandan'* and other rituals. Madhu was very sharp in remembering all the things. He committed to memory all the *mantras.*

The period of Madhuji's childhood was full of Gandhiji's ideas on national freedom movement and its translation into action. The First World War was over and the assurances given to Gandhiji by the British Government were not fulfilled. Hence, Gandhiji had to start the Non-Cooperation Movement. People working in the offices were asked to give up their office duties showing their dislike for the rulers. Lawyers and doctors of independent professions were asked to be away from their professions. Even the students were asked to stop going to the schools and colleges to show their resistance to the ruling British authorities.

Madhuji was impressed very much by this idea of non-cooperation and discontinued his studies in the Fergusson College at Poona. In fact, Poona had become the centre for all anti-imperialist activities, under the inspiration of Lokmanya Tilak, Justice Ranade, Gokhale and others.

Madhuji, impressed by Gandhiji's goal of political freedom of the country and the activities of Tilak and others, joined the Congress Party in 1938. Provisional autonomy was already given to the States by the British rulers in 1937. That was an initial experiment of the British in the Indian atmosphere to judge the capability of Indian people to govern. But, Gandhiji and his followers continued to struggle for the complete independence for India. In 1942, Congress headed by Gandhiji, told the British in clear terms, to "Quit India". From 1942 onwards, things went on changing day by day

---

* She is a former Member of Parliament and former Union Minister of State for Tourism, Civil Aviation and Law, Justice and Company Affairs.

Now known as Pune.

and the time for leaving India was fixed by the British Government—15th of August 1947, at 12 O'clock midnight. All this was adhered to in action. Madhuji continued to be in the Congress and Socialist Party until 1948.

Right from the student days, he continued to live like a student throughout life. As such it was not difficult for him to lead a life of underground worker. He walked from village to village encouraging the youth to join the Quit India Movement in 1942. In 1943, as an underground worker, he went to Bombay. There he came to know that Sane Guruji, Nanasaheb Gore and a few others were arrested. As a result, the publication of *'Krantikari'*, a monthly magazine was assigned to Madhuji. He took over the complete responsibility of publishing the magazine.

At the age of 25, Madhuji came into close contact with a large number of national leaders. He was recommended to attend the International Socialist Conference. On return to India, he wrote a series of articles in a Marathi weekly about the "Post-War Europe".

The Socialist Party in India disassociated itself from the Congress in 1948. Madhuji continued with the Socialist Party. He never wanted to be in any Ministry nor he wanted to wield any power in the Party. It was not in his nature to aspire for any post or position. Neither did he aspire to live in a big way.

Madhuji used to wear a very simple dress. As a social worker, as a literary person, as an underground worker or as a Member of Parliament, he wore a very simple dress. He never lived in a big house with all the facilities nor he ever owned a car. He always travelled on a two-wheeler or a three-wheeler. He never thought it below his dignity to travel by these modes of transport.

During 1948-52 he worked with Jayaprakash Narayan, Dr. Lohia and Shri Ashok Mehta as Joint Secretary. But all his sincerity in organising the Party could not bring in the popular vote of the electorate.

The year 1953 saw the establishment of the Asian Socialist Bureau and Madhuji had to shoulder the responsibility of Party work and also of editing the magazine, *'Socialist Asia'*. But he found it difficult to put up with the undercurrents in the Party and returned to India on the advice of Dr. Lohia.

In fact, Acharya Narendra Deva and Dr. Lohia were not inclined to cut off from the Congress. They were of the opinion that immediately after getting political freedom, it may not be wise to cut off from the Congress Party. It would be better if one wants to get the political freedom deeply rooted in Indian soil. However, Dr. Ashok Mehta along with his group in the Parliament joined the Congress Party and became the Cabinet Minister.

The Socialist Party gradually lost its weight. Madhuji turned towards the Goa Liberation Movement in 1955. The fight was against Salazar, the Portuguese Supremo, who could not do any justice to the people of Goa, Daman and Diu from a distance of thousands of miles. Shri Purushottam Kakodkar had already started the non-cooperation movement against the Portuguese Government in Goa. Dr. Lohia also participated in the Goan Movement. Purushottam Kakodkar was a staunch Congressman and Dr. Lohia, a strong Socialist Party man. But both pulled on together and Kakodkar appreciated the encouragement given to Goan Liberation Movement.

From 1955 onwards, for a period of 19 months, Madhuji was confined to Portuguese Jail. He was away from all political activities. When he came back to Bombay he was caught in the labour movement while trying to help his friend George Fernandes. The labour movement in Bombay was a great success and in 1967 George Fernandes the labour leader defeated the staunch Congress leader, Shri S.K. Patil and entered the Lok Sabha.

In 1963, Dr. Lohia entered the Lok Sabha as a member in by-election from Farukkhabad. Madhuji made all out efforts to bring him to Lok Sabha. The United Socialist Party was started. And, the Monghyr Parliament by-election had to be fought. Madhuji was asked, rather compelled, to contest this election from Monghyr in Bihar. He won the election and became a member of the Lok Sabha.

Madhu Limaye always preferred to speak in Hindi. He used to attend the Lok Sabha Session with full preparation on all subjects listed for discussion on the day. The pros and cons of every item he wanted to know. If the subject matter was earlier discussed in the Lok Sabha, what was the impact of that, he would like to know. A Starred or an Unstarred Question, Calling Attention Notice, Adjournment Motion or Half an Hour Discussion, he would resort to one or the other procedural device, collect all the information from the Supreme Court decisions, if necessary, and keep himself engrossed in that. His wife Prof. Champa Limaye was in the teaching profession and also used to take care of the son. Madhuji was free to move about in the country and outside.

Madhuji always stood strong against all sorts of political, social and economic injustices. His life is a saga of struggle and commitment for the upliftment of the masses. Madhu Limaye, was in fact a true warrior for justice!

MADHU LIMAYE AS I KNOW HIM

*—Rabi Ray**

I have known Shri Madhu Limaye as one of the most prominent leaders of socialist movement in India. I came to know him intimately, when I was elected to Lok Sabha for the first time in 1967. He was then the leader of the socialist group in Lok Sabha. Shri Limaye has led many People's movements prior to his becoming a member of Lok Sabha. That is all the more reason why he was able to make a mark as a very accomplished Parliamentarian then.

The late-lamented Dr. Ram Manohar Lohia became a member of Lok Sabha in 1963. Pandit Nehru was then the Prime Minister of India. There was absolutely no worthwhile opposition to the policies pursued by Pandit Jawaharlal Nehru then. It goes to the credit of Parliamentarians like Dr. Lohia and Madhu Limaye and some other opposition members to make debates in Parliament more meaningful and lively.

It would be worthwhile to make a special mention of a debate in Lok Sabha initiated by Shri Madhu Limaye on the issue of desirability of Morarjibhai Desai appointing his own son Shri Kanti Desai as his Secretary. I vividly remember that Shri Limaye in course of his speech in the House said that Morarjibhai Desai, who was then the Finance Minister of India, was a man of integrity. But, he nevertheless demanded that he should not make his own son as one of his secretaries.

Shri Limaye's contribution to the freedom struggle in Goa is another landmark of his political life. He along with 85 Satyagrahis crossed the borders at Parcem on 24 July 1955. He was arrested for his anti-Portuguese stance as he joined the Goa freedom struggle.

Shri Madhu Limaye would be remembered by posterity as a brilliant Parliamentarian as well as a principled socialist thinker. May his tribe increase.

---

*He is the Former Speaker, Lok Sabha.

श्री मधु लिमये : जैसा मैंने उन्हें जाना

*–डा. गौरीशंकर राजहंस**

कालेज के दिनों से ही मैं मधु लिमये के समाजवादी विचारों से बहुत प्रभावित था। विभिन्न समाचार-पत्रों में उनके जो लेख प्रकाशित होते थे उन्हें मैं खोज-खोजकर पढ़ता था। उन दिनों एम.ए. की परीक्षा पास कर मैं भागलपुर विश्वविद्यालय के एक कालेज में अर्थशास्त्र का प्राध्यापक नियुक्त हुआ था। यह जानकर मुझे हार्दिक खुशी हुई थी कि मधु लिमये उसी क्षेत्र से, अर्थात् बांका से जो भागलपुर जिले का सब-डिवीजन था, लोक सभा का चुनाव लड़ने वाले हैं।

महाराष्ट्रीयन होने के बावजूद भी मधु लिमये ने बिहार को ही अपनी कर्मभूमि बनाया और सांसद भी अधिकतर बिहार के बांका और मुंगेर से निर्वाचित हुए। मेरा घर बांका और मुंगेर के बीच था। इसलिए मैं अधिकतर उनके चुनाव प्रचार में शामिल होता था।

मधु लिमये के व्यक्तित्व में एक गजब का आकर्षण था। बात करने में वे दूसरे का मन मोह लेते थे और अपने तर्कों से किसी को भी उनकी विचारधारा का समर्थन करने के लिये बाध्य कर देते थे। मैं उनकी बातों को सुनकर अभिभूत हो जाता था, लगता था कि वे चलते-फिरते 'एनसाइक्लोपीडिया' हैं। विभिन्न राजनीतिक और आर्थिक विचारधाराओं पर वे घंटों धाराप्रवाह बोल सकते थे। उनसे बात करने से प्राय: ऐसा लगता था मानो आप किसी विद्वान प्रोफेसर की बातें सुन रहे हैं।

मधु लिमये से मेरी कई बार बातें हुई। उन दिनों मैं संसद सदस्य नहीं था। और जब मैं संसद सदस्य बना तब मधु लिमये पूर्व सांसद हो चुके थे। परन्तु तत्कालीन सेक्रेटरी-जनरल डा. सुभाष कश्यप ने पार्लियामेंट एनेक्सी में कई सेमिनारों का आयोजन किया था जिसमें मधु लिमये को भी बोलने के लिये आमंत्रित किया गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक सेमिनार में जब मधु लिमये बोल चुके और मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ तब मैंने उनसे भिन्न विचार रखा।

मधु लिमये को यह पता था कि 'फुल ब्राइट स्कालरशिप' प्राप्त कर मैंने अमेरिका में उच्च्व शिक्षा प्राप्त की थी। जब मैंने उपरोक्त सेमिनार में मधु लिमये के खिलाफ विचार रखा तब वह हैरान हो गये। उन्हें पता था कि मैं समाजवादी विचारधारा का समर्थक हूँ। परन्तु मेरे विचारों को सुनकर उन्होंने कहा कि संभव है अमेरिका में उच्च्व शिक्षा प्राप्त करने के कारण मेरे विचारों में आमूल परिवर्तन हो गया है और अब मैं समाजवादी विचारधारा से हटकर पूंजीवादी विचारधारा का समर्थक हो गया हूँ। मैंने कहा, 'मधु जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सच यह है कि यह तो

---

*वे पूर्व सांसद (लोक सभा) एवं पूर्व राजदूत हैं।

मैंने आपसे ही सीखा है कि हर व्यक्ति को बेझिझक अपने विचार निर्भीक रूप से रखने चाहिये। न तो मैं समाजवादी विचारधारा का समर्थन करता हूं और न पूंजीवादी विचारधारा का। जो मैं ठीक समझता हूं वही करता हूं और वही समाचारपत्रों तथा पत्रिकाओं में लिखता हूं।

यह सुनकर मधु लिमये खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, 'मेरी एक बात हमेशा याद रखियेगा कि अपने लिये सभी जीते हैं, जीवन उसी का सार्थक है जो दूसरों के लिये, खासकर असहाय लोगों के लिये जीता है। आपको मौका मिला है, आप संसद में गरीबों की आवाज अवश्य उठाइयेगा'।

मैंने मधु लिमये की सलाह को गांठ बांध लिया। स्व. राजीव गांधी की कृपा से मुझे संसद में बोलने के अनेक अवसर मिले। 5 वर्षों में शायद ही कोई दिन गया होगा जब मैं किसी न किसी विषय पर नहीं बोलता होऊं। उसका प्रमुख कारण यह भी था कि मैं देश के एक प्रमुख समाचार-पत्र से सम्बद्ध था जहां मुझे हर विषय के अध्ययन करने का मौका मिला था।

जब भी संसद में किसी महत्वपूर्ण विषय पर मैं बोलता था और समाचार-पत्रों या टेलीविजन पर वह खबर प्रसारित होती थी तो मधु लिमये फोन कर मुझे बधाई अवश्य देते थे। आज भी उन दिनों को याद कर मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं।

'सादा जीवन उच्च विचार' का जीता जागता उदाहरण मधु लिमये थे। सांस की बीमारी के कारण उनका असमय निधन हो गया और अस्पताल में भी उन्होंने यही कहा कि जब तक दिल्ली से प्रदूषण समाप्त नहीं होगा, उनके जैसे अनेक लोग असमय ही मौत के मुंह में चले जाएंगे।

मधु लिमये ने संसद के अन्दर और बाहर हर सामाजिक और आर्थिक पहलुओं पर भाषण दिया था तथा लेख लिखा था। आज जब मधु लिमये की याद आती है तो लगता यही है कि आज के नेताओं और मधु लिमये जैसे राजनेताओं में कितना फर्क था। आज के अधिकतर राजनेता कहते कुछ और हैं और करते कुछ और। स्वार्थ से ओत-प्रोत उनका जीवन हो गया है। इसके विपरीत मधु लिमये ने कभी अपने लिये कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी एकत्र नहीं किया। वे आजीवन समाज और देश के लिये समर्पित रहे।

जो लोग मधु लिमये को जानते थे वे उनके आकर्षक व्यक्तित्व को कभी भुला नहीं पाएंगे।

SHRI MADHU LIMAYE : A QUINTESSENTIAL SOCIALIST

*—Surendra Mohan**

Shri Madhu Limaye was a freedom fighter, a distinguished author, socialist ideologue and Parliamentarian, but above all, a man of action, endowed with exemplary courage. I learnt about his clear sight when I read (at the age of 21 in 1948) his small book, *Evolution of Socialist Policy*. Later, his book, *Communist Party: Fact and Fiction* was published in 1951. He was then Joint Secretary of the Socialist Party along with my senior friend Shri Prem Bhasin. He also served as Secretary of the Asian Socialist Conference, which was held in Rangoon in 1953.

Although, I had known him as one of the leaders of the Socialist Movement, I met him only when the two Socialist Parties, the PSP and the SP, unified for six months or so in 1964. This was because I was in the PSP and had joined its Central Office in 1958 as Youth Organizer. I was appointed as one of the Joint Secretaries of the SSP, which came into being as a result of the union of the two Parties. As a result of this unification, he successfully contested a by-election in 1964 from Monghyr. After that, I met him in 1971, when he called at the office of the PSP for a discussion about the unification of the SSP and the PSP. By that time, he had made a name as an astute parliamentarian with a wonderful mastery of the Rule Book and ruthless exposure of corruption at higher levels. Thereafter, we continued to meet often as members of the same Party, the Socialist Party. I served the Party as Joint Secretary in 1971-72 and was elected as General Secretary in 1973.

There was a difference of opinion between Shri Madhu Limaye and I on the mechanism of the unification of non-Communist opposition parties. I thought that this should evolve from a joint struggle by these parties so that a commonality of views could emerge. Although, he was not agreeable but when he wrote the draft of the main resolution for the National Conference of the Party in Calicut in the end of 1974, he adopted the same line as I had advocated. That shows the broadness of his mind and the spirit of accommodation for a young colleague.

Shri Madhu Limaye had lost in the General Elections held in 1971, despite his reputation as one of the most active members of Parliament and

* He is a former member, Rajya Sabha and Editor, *Janata*.

a leader of the people's struggles, but won in a by-election in 1973. He again caught the lime-light as a vigilant member. However, he never missed mass work and always joined in the struggles of the working classes.

Shri Madhu Limaye had made tremendous sacrifice in the Goa Liberation Struggle in 1955-56. He offered satyagraha by entering Goa and faced the brutalities of the Portuguese police. He was sentenced to life imprisonment, but was released in 1957. Whether inhuman treatment or life sentence, nothing could shake his composure. That was a historic struggle, but, now and then, he had to defy the law and court arrest every few years. When the four Left parties, the SSP, the PSP, the CPI and the CPI (M), launched the Land Liberation Struggle in 1970, he faced *lathi* blows along with other leaders. He was assaulted by the police on Parliament Street in New Delhi when his Party, the SSP, held a Jan Vani Divas in 1971, and sustained several injuries. In fact, he was a fighter *par excellence.*

Shri Madhu Limaye was one of the two members of Lok Sabha who resigned from its membership in 1976, when taking advantage of the imposition of the internal Emergency, the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi, got Parliament to extend the term of the Lok Sabha, by one year. The other one was the young MP, Shri Sharad Yadav, who was interned in Jail along with Shri Madhu Limaye. The issue was the unconstitutional use of extra-ordinary powers.

Shri Madhu Limaye was appointed as General Secretary of the Janata Party in 1977, as he had refused to accept the office of Minister. For that office, he recommended the name of a younger and first time MP from OBC category. But, he soon resigned that office as well. The episode of dual membership of the leaders and MPs of the former Bharatiya Jana Sangh group is well known to bear repetition. During 1977-79, he even opposed those Bills of the Government, which he found unacceptable. He valued his principles more than the prestige of the Government. He lost the mid-term election of Lok Sabha in 1980. In 1982, he suffered from heart ailment while asthma had been with him for quite a long time. Medical advice was against heart surgery, and he was compelled to confine himself to writing work only. He did visit some study camps in Bihar and Maharashtra even in that condition.

He would visit the Parliament Library regularly from 11 a.m. to 5 p.m., for studying and writing. He has written a large number of books which have been highly admired. He remained intellectually alert till the end of his dedicated life, but disease had the better of him. He had always lived an austere and simple life, and after his retirement from Parliament, he lived in one-room flat where domestic help was available to him only in the morning and evening hours. During the rest of the time, he would serve all

visitors himself. He never owned a personal motor car. He lived like a true Socialist, always acting on principle and on the voice of his conscience.

He was a lover of music and plays and would go to all such performances whenever he could. It so happened that in 1973, my niece was living with me in a flat in V. P. House. One afternoon, Smt. Champa Limaye, wife of Shri Madhu Limaye, came to the flat, on my invitation for lunch. My niece, who has received education from a Film Institute at Pune, attempted to sing some western and Indian songs. Then, I requested Champa Ji to sing or recite some Poems. First she was not agreeable. But then, she relented and recited a beautiful poem, which she had composed. My niece and I were happy at this and thanked her.

After a few days, I went to Shri Madhu Limaye's residence. Champa Ji was also present. She served us sweets and *pakoras* along with tea. I then requested that she should recite that poem to Madhu Ji. At this, Madhu Ji expressed surprise and asked her whether she used to write poetry. I remarked joyfully that the artistic mysteries of spouses are generally hidden from their partners.

MADHU LIMAYE : AN OUTSTANDING PERSONALITY

*—Jyoti Basu**

In the long years of my political life I had the opportunity to be acquainted with a number of political luminaries of our country. One of them was certainly Madhu Limaye, whom I consider not only an outstanding political personality but also a leading intellectual of his time. I had the occasion to meet him a number of times and was impressed with his political acumen, candid remarks and a commitment to serve the nation.

Born on 1 May 1922, Madhu Limaye was drawn into mainstream nationalist politics in his youth during the 1930s, and was imprisoned by the British for four years between 1940 and 1945. He was an active participant in the Goa liberation struggle for which he had to suffer Portuguese captivity for 19 months. An uncompromising advocate of civil liberties, he was a natural opponent of the Emergency. He played a leading part in organising the public outburst against the infringement upon the democratic rights of his countrymen, and was detained under the infamous MISA between July 1975 and February 1977 in various Madhya Pradesh jails. He served as the General Secretary of the Janata Party, and was one of the architects of the first non-Congress Government in Delhi with Morarji Desai as the Prime Minister. An illustrious representative of that trend in the country's socialist movement, which had been initiated by personalities like Ram Manohar Lohia, Madhu Limaye served as the Secretary of the All India Socialist Party and Chairman of the Socialist Party. Elected to the Lok Sabha four times, he excelled himself as a parliamentarian.

Madhu Limaye remained steadfast in his commitment to secularism. This was aptly demonstrated when he, along with Krishan Kant and Raj Narain, insisted that no member of the Janata Party could simultaneously hold the membership of an alternative social or political orgaisation. The challenge to that dual membership was actually aimed at those members of the Janata Party who had been members of the Jana Sangh, the precursor of present BJP, and continued to remain members of the RSS. This issue of the dual membership caused a virtual split between the secularists and non-secularists within the Janata Party, contributing to the downfall of the Morarji Desai Government in 1979. Subsequently, till his death in

* He is the former Chief Minister, West Bengal.

January 1995, Limaye was preoccupied with defending the Indian Constitution against any attempt of overt centralisation or replacement of the Westminster model with a Presidential one.

Madhu Limaye wrote a number of books on civil liberties, democracy, social movement and foreign relations, which still remain as important sources of information for the reconstruction of the trajectory of our nation-building process. Madhu Limaye found in Gandhi's ideas of village democracy and social transformation as the key to India's version of socialism. Madhu Limaye respected Jawaharlal Nehru's philosophy of democratic socialism, but did not spare him when he deviated from his theoretical formulations. For instance, he could not reconcile Nehru's professed faith in democracy with his imposition of President's Rule in Kerala in 1957, and the dismissal of the first Communist-run government in the country. Strongly criticising Nehru's move in Kerala he noted:

> Seven years after the first imposition of President's rule in Punjab.... in Kerala when the Central Cabinet proposed to dismiss the E.M.S. Namboodiripad Ministry, Rajendra Babu (the President) again signed the proclamation as the constitutional head... A nail was driven in the coffin of provincial autonomy.[1]

Madhu Limaye resented that Nehru "could have set a standard beyond reproach, but did not".

Madhu Limaye also deliberated upon the crucial issue of reservation for SC/ST and OBC sections of our society. He preferred a system of 'elimination and inclusion'. He felt that the benefits of reservation need to be evaluated at regular intervals so that the caste or group which had attained sufficient progress could be eliminated from the beneficiary list.

India today stands at the crossroad of a new age. At one level we have to negotiate with the force of globalisation, without compromising our national values, integrity and self-sufficiency. On the other hand, we have to tune economic growth with demands of equity and justice, and sustain the democratic and secular values of our federal polity. I strongly implore upon the present generation to draw inspiration from personalities like Madhu Limaye, who could rise above petty or personal interests, take a principled stand in the face of all odds and demonstrate his commitment to political ideals to which he subscribed without any fear. I hope that this illustrious personality should inspire us for our rededication to the fight for a better India to live in.

---

[1] Cited in the Foreword by Rabi Ray to Champa Limaye ed. *Madhu Limaye on famous personalities* (B.R. Publishing Corporation, Delhi, 2000) p.viii.

MADHU FOUGHT ALONE

*—Kuldip Nayar**

I was out of Delhi when Madhu Limaye phoned my place. This was a few days before he died in January 1995. Like Jayaprakash Narayan, a socialist-turned-Gandhian, Madhu too veered round to Gandhism in his thinking. His faith in socialism was unshaken but his experience had taught him that India needed to develop in a different way which the *isms* could not provide, neither socialism, communism nor capitalism. He was in favour of the pooling of various ideas and experiences which would help the country to go towards direction of Left, without the mumbo jumbo of ideologies coming in the way. He was a socialist ideologue, considered next to his Guru, Dr. Ram Manohar Lohia, in interpreting what socialism meant and how the society could be changed according to what was basic to the ideology. He was associated with the progressive group in the Indian National Congress for ten years from 1938 to 1948. He participated in the freedom movement and was imprisoned for four years. Yet the type of pragmatism he developed made him support consensus, not confrontation. Madhu's forte was, however, foreign affairs. It was an open secret that Prime Minister Indira Gandhi would often consult him while formulating India's response to certain situations abroad. Many socialists told me that she waited for his points before speaking on foreign affairs in Parliament. He never minced words in criticizing her. But he was always there to give her advice on foreign affairs. In fact, he believed in a bipartisan approach to the country's foreign affairs. He had great admiration for Jawaharlal Nehru's doctrine of non-alignment. When Madhu visited Moscow as the Janata Party's Secretary General, he was treated like a foreign minister. During the cold war, the Soviet Union was happy that India was not on the side of Western bloc or part of US strategy to surround Russia with hostile nations. Madhu spoke in support of non-alignment at Moscow and elsewhere.

His speeches in Parliament reflected erudition, maturity and understanding. He would prepare every speech with care and thinking about the contents long before the delivered it. Even otherwise, he spent long hours in Parliament's Library, reading books after books, often on politics and economics. Off Session, he was in the Library from morning till evening.

* He is a former Member of Rajya Sabha and an eminent journalist.

He was irritated when disturbed in the Library because some people found it convenient to meet him there. Passion for reading matched with his passion for music. He was always accommodated in the front row, not only because he was a connoisseur but also because he appreciated the nuances of ragas. Artists would wait for him before beginning the concert. They looked towards him for appreciation because he understood music. He would sit till the end. His preference was for classical music. He enjoyed ghazals but wished he could understand the meaning of words.

When it came to affairs concerning India, he was firecely patriotic in approach. He did not appreciate New Delhi's policy of patience over the integration of the Portuguese colony in Goa. He led the Goa Liberation Movement in 1955, despite Nehru's 'no'. The latter preferred to wait because he was confident that Goa would be part of India one day. However, Madhu spent some twenty-months in Portuguese captivity. After Goa's liberation, Madhu concentrated on the parliamentary work. He was a member of Lok Sabha from 1964 to 1970 and again from 1973 to 1979. He was the leader of Socialist group in the fourth Lok Sabha from 1967 to 1970. He was uncompromising when it came to India's interest, whether it was Goa or the propriety expected from the Janata government leaders. He was a close associate of Jayaprakash Narayan, man of values, who had led the Janata Party to victory at the polls in 1977. Madhu could not reconcile to the stay of controversial Kanti Desai at the residence of his father, Prime Minister Morarji Desai and he took up this matter openly. He preferred the break-up of Janata Party to the acceptance of Kanti Desai's corrupt deeds at the Prime Minister House. He found Morarji's connivance running counter to the promise made to the people to give clean administration. It was a 'historic necessity' to break-up the Janata Party, Madhu would say. He was angry with Morarji Desai on one more point: not taking back Raj Narain, former Health Minister, in the government. Madhu knew Raj Narain well, socialist as both were, and could predict that Raj Narain would not rest till he had pulled down the Janata government which he eventually did.

Irking Madhu was also the breach of promise by members of the erstwhile Jana Sangh to sever their connection with RSS. When they joined the Janata Party they had given an undertaking that they would end the dual membership and come out of the Sangh Parivar. They refused to do so. When the pressure was put on the Janata Party to oust members of the erstwhile Jana Sangh, Madhu supported the demand to the hilt. He had fought against communalists all his life and he could not relent even when the ousting of Jana Sangh members meant the fall of Janata government. He prepared the ground and did the entire paper work single handed because the other Secretary General, Nanaji Deshmukh, was a RSS man.

I recall talking to Madhu those days. He was sorry that the Janata government was breaking up but he felt that it was inevitable since its stay

meant a compromise with corruption on the one hand and communalism on the other. He could visualise that the Congress would come back but he saw no future for the nation if the Janata Party were to continue to function as groups, without one thinking on fundamental issues. A non-Congress government at the Centre was not something to his liking if it meant the continuation of *status quo*. He could not see the Janata Party or its government breaking the shackles of the past.

Madhu wanted to establish a party which would have all socialists in it. But the mis-performance of non-Congress governments in the States had disappointed him. Different parties had quarreled among themselves and had gone their own way, caring little for the State Chief Minister and still less for the common minimum programme the constituents of the coalition had chalked out collectively.

Madhu's real contribution was to the anti-defection law. But he was not happy with the text of the bill. He wanted a member to have his or her say despite the party's whip, without voting against it. His argument was that the suppression of member's views amounted to dictatorship.

Over the years, he felt cut off from the thinking of many socialist colleagues who wanted to come to power at any cost. Madhu was not a Gandhian but he passionately believed that the wrong means would not lead to right ends. Socialism essentially meant a welfare State which would own means of production and ensure equal distribution. Ideology was important for guidance but what mattered to him the most was the betterment of individual in whom the sovereignty lay.

My regret was that I did not know that Madhu Limaye was looking for me. May be, we and some others would have put our heads together and thought of ways to uplift the lower half and curb vulgar consumption of the upper half and their ostentatious living. That was a challenge against which Madhu fought alone in his own way. This remains the challenge even today. Alas, there are not many Madhu Limayes left on the scene.

LIMAYE—A POLITICAL COLOSSUS

*—Nitish Chakravarty**

Madhu Limaye, the stormy petrel of Indian politics, strode like a colossus on the country's political landscape for nearly three decades from the 1960s to the 1990s. He was drawn into the freedom movement early in life, and courted imprisonment in the struggle for the liberation of Goa from Portuguese rule. A member of the Lok Sabha for four terms, he would be remembered for long as an outstanding parliamentarian who enriched debates and other proceedings in the House in his inimitable style. A prolific author and commentator, his phenomenal writings on what might be called applied politics are more voluminous than anyone else in the past three or four decades.

Even though he belonged to a party which never had a large presence in Parliament—the Samyukta Socialist Party (SSP)—his scintillating mind and his clinical analysis of contemporary political issues enabled him to play an outstanding role in India's public life. In spite of their small number, socialists have been a relatively influential segment of the nation's polity. Even after their political identity was merged in the Janata Party in the late 1970s, they did not lose their unique characteristics.

Those were tumultuous times. The emergency imposed by the Indira Gandhi government had made the people restive in large swathes of north and eastern India. The suppression of the Press, the enfeeblement of the courts including the highest judiciary, the abrogation of the fundamental rights enshrined in the Constitution and the gagging of Parliament itself brought discredit to the government and cost the Congress the people's confidence. The harsh measures adopted by the authorities to curb population growth rates hurt the sentiments of ordinary people across north India.

Many of the Opposition leaders were in jail during the emergency, and this gave them an opportunity to exchange ideas on the strategy they should adopt once the emergency was revoked. It was in those circumstances that various political organisations, despite their ideological differences, decided

---

* He is a Senior Journalist. He was formerly Political Editor of *Deccan Herald* and Special Correspondent of *The Hindu*.

to come together and contest the general elections held in March 1977 on a common Janata Party platform. It may be a bit of an exaggeration to say that Madhu Limaye or his SSP colleagues were the fulcrum of the amorphous political force called the Janata Party which swept out the Congress and for the first time in independent India's history put a non-Congress amalgam in power in March 1977. But undoubtedly, Limaye played a crucial role in bringing diverse and often mutually incompatible political leaders together in order to build up a sort of viable alternative to the Congress Party.

Throughout his active political life Limaye was focussed on ending the monopoly of power in the hands of a single party. He, therefore, played a stellar role in persuading his colleagues in the Samyukta Socialist Party to dissolve its separate identity and embrace the Janata Party. The SSP was one of the first parties to merge its separate identity in the conglomeration called Janata Party which took formal shape months after Charan Singh's Bharatiya Lok Dal (BLD), A.B. Vajpayee's Jana Sangh, Morarji Desai's Congress (O), Jagjivan Ram's Congress for Democracy, the Praja Socialist Party, the SSP and some unattached prominent individuals such as Chandra Shekhar, Krishan Kant and Mohan Dharia, who had quit the Congress in the wake of the emergency, joined hands to contest the post-emergency general election. Even as the other parties took one step forward and two steps backward in formalising the coalition and making the Janata Party a cohesive entity, Limaye and other SSP leaders lost no time in donning the new colours of the Janata Party.

But long before the emergency, Madhu Limaye was at the centre-stage of politics. Ever since he came into the Lok Sabha in 1964 from Banka in Bihar, a constituency far away from his home State of Maharashtra, he and two other socialist MPs—Nath Pai and Hem Barua—were in the limelight. Limaye made a solid contribution to debates and enriched parliamentary proceedings by his mastery over the subjects and issues that he raised. He had an enviable familiarity with the rules and procedures of Parliament, and was thus able to make the most effective use of the parliamentary forum to drive home his points and ferret out information that sometimes put the government on the mat. Limaye showed that even though numerical strength mattered a lot, MPs could make an impact if they did their homework well and had the necessary skills and command over the subjects they dealt with. Limaye regarded the two Houses of Parliament—Rajya Sabha and Lok Sabha—as the most sacred institutions in a democratic polity. He abhorred the idea of sending people defeated in Lok Sabha elections to the Rajya Sabha. This was for him entry through the backdoor. Because of such practice, the Rajya Sabha has not "developed into a real interpreter and defender of the States' interests", he used to say. "As to the Lower House, its role as the nation's greatest representative assembly has suffered

diminution. It is not the size or splendour of the building where Parliament is housed that makes it a great institution. It will become a great institution only when those sitting on the Treasury benches and the Opposition benches, those who occupy the two front benches as well as the back benches, will make it so."

Ever so eager to use parliamentary rules and procedures to focus on people's interests and concerns, Limaye was more effective than most in putting these procedures to good use. He believed that there was nothing inherently wrong with the rules and procedures *per se*. "If members of the ruling party become willing sycophants, if the opposition is overawed by electoral successes and turn themselves into yes men, it is no fault of the parliamentary system."

The Question Hour, half an hour discussions arising from questions and answers, and the procedure of correcting answers—an Indian innovation—provide ample opportunities to MPs to perform their role as watchdogs. There are many other devices; but some of them have fallen into disuse or have been blunted by overuse such as contempt of the House or the wrong use of special mention under Rule 377. In his opinion, it was the MPs themselves who were to blame if they did not make the fullest use of the opportunities available to them to focus on public interest issues.

What caused distress and dismay to Limaye was what he perceived to be the growing indifference of MPs towards the most important task in Parliament—scrutinising the budgetary expenditure of the government. He used to deplore that the Lok Sabha was allocating progressively less and less time to discussions on the Demands for Grants for various Ministries and Departments. In 1989, the demands for only three Ministries—External Affairs, Energy and Agriculture—were discussed before passing. The neglect of Parliament's primary function—scrutinising the Budget—appalled him. Of the total monetary value of Budget Demands amounting to Rs. 81,000 crore, only three Demands aggregating Rs. 11,000 crore were discussed in the House that year. Time was when MPs made news and the Press reported it. But the wheel had turned the full circle. Towards the third quarter of the 20th century, MPs began to eat out of the newspapers' hands. The Press was the main source of information for them. I remember a prominent MP, now no more, once told me that the first thing he did in the morning was to scan the newspapers and find out if there was some topic on which he could give notice of adjournment. He knew all the time that adjournment motions had little chance of being admitted but a member who notified an adjournment was usually in the 1960s and even after the emergency given a chance to make a mention. This enabled the MP concerned to hog the headlines.

Opposition Coordinator

The Congress Government did not have a majority in the Fourth Lok Sabha (1967-1970). It relied for its survival on the support of allies who were not a part of the government. The Communist Party of India was an ally of the government. There was a coordination committee of the leaders of various Opposition parties and groups, of which Limaye was the convener. The coordination committee had no structured agenda apart from avoiding as much as possible mutual conflicts and clashes among the Opposition members in the conduct of business in the House. There was no other forum outside Parliament where different parties could meet together and bring about coordination in their activities.

Limaye was out and out a secularist but, if political expediency so warranted, did not mind taking the help of parties branded as communal for achieving the ultimate goal. Throughout his political life, Limaye strove for cooperation among non-Congress parties across the board in the single minded pursuit of an alternative to the Congress. And, to achieve this bigger objective he did not mind making occasional compromises.

When the question arose of choosing a candidate for the office of President, it fell on the coordination committee in Parliament to select a common candidate for the entire Opposition. Limaye conducted this work most ably. An interesting aspect of these labours to choose a common presidential candidate was that no non-Congress party was untouchable to other Opposition parties. In spite of all their talk of keeping communal forces (the then Jana Sangh in particular) at arm's length, the CPI's S.A. Dange and the CPI(M)'s P. Ramamurthi rubbed shoulders with the Jana Sangh's A.B. Vajpayee in their quest for a common candidate against the Congress nominee.

This kind of coordination between the Left parties and the Jana Sangh did not end with the Fourth Lok Sabha. In the Fifth Lok Sabha (1971-77) too, the coordination committee brought together various parties across the spectrum to put up a common candidate for the office of President. The ambivalent stand of the Left parties on the issue of communal parties never escaped his criticism. Even as the CPI(M) criticised the CPI for joining the coalition governments in the wake of the 1967 general elections in Bihar, UP and Punjab despite the Jana Sangh being one of the constituents, the CPI(M) itself had no compunction about taking the Muslim League as a partner in the Ministry that E.M.S. Namboodiripad formed in Kerala in 1967. The CPI(M) had a tie-up with the Muslim League in Tamil Nadu as well.

Morarji Desai had a fixation that more than any other Janata leader he deserved to be the Prime Minister. His logic was that he was the

senior-most member of Jawaharlal Nehru's Cabinet and should have succeeded him as Prime Minister but was bypassed. Morarji was in a remote part of Orissa on 27 May 1964, when Nehru expired. He reached Bhubaneswar the next day and after a halt at the airport took a flight to New Delhi. Some Orissa leaders including Biju Patnaik accompanied him to Delhi. At Bhubaneswar airport Morarji gave enough hints that he would stake his claim for the Prime Minister's post. But the Congress Parliamentary Party preferred Lal Bahadur Shastri as its leader. Shastri had earlier quit his Cabinet post under the Kamaraj Plan in October 1963, a few months before Nehru's demise.

Morarji was in no mood to let go the second chance to become Prime Minister after the Janata Party swept out the Congress from power at the Centre in 1977. Since there was at least two other claimants (in the context of their seniority in public life)—Charan Singh and Jagjivan Ram—selection of the leader was entrusted by Janata leaders to Jayaprakash Narayan and J.B. Kripalani. This was not to Morarji's liking but the decision handed out by the Narayan-Kripalani duo went in his favour. Madhu Limaye thought the process adopted for selecting the party leader was not democratic. The dubious activities of Morarji's son Kanti Desai were one of the reasons why Limaye doubted Morarji's suitability as Prime Minister. Even so, once Morarji was chosen he gave him unstinted support. The new Prime Minister brought Charan Singh and Jagjivan Ram round by offering the former the powerful Home portfolio and the latter the lucrative Defence portfolio. For the time being the arrangement worked well, though Charan Singh in his petulance made short shrift of legal processes and worked overtime to put Indira Gandhi behind the bars without proper homework.

Since the Janata Party did not have the time to properly shape itself into a structured organisation before the elections, most of the Janata candidates, barring those from the Jana Sangh and the Congress (O), which were recognised as national parties by the Election Commission, adopted the symbol of Charan Singh's Bharatiya Lok Dal. Technically, therefore, they were BLD MPs and constituted the largest single bloc in the Janata Party. Ever on the lookout for an opportunity to throw his weight about, Charan Singh used this as a trump card.

Problems erupted with the beginning of attempts to give the freshly cobbled Janata Party a structured organisational set-up. The BLD was the largest group, and Limaye, whose SSP had ceased to exist, was one of the Janata Party's general secretaries. Once the party's general body decided on organisational integration, enrolment of members was taken up and went on for about a year. When the question arose of electing office-bearers at the national and State levels, Limaye raised objections, for he feared that in

the event of elections, the Jana Sanghis would capture most positions. He suggested that the election of office bearers be put off until after the organisational structuring was over, and for the time being the office-bearers be handpicked, so that each constituent party or group got a fair share. He also raised the issue of dual membership and wanted the Jana Sangh ministers to snap their links with the RSS.

Even as Limaye made heroic efforts to make the Janata Party government a success, he did not hesitate to call a spade a spade. Limaye and Morarji seldom got well together. Long before Morarji became Prime Minister, Limaye had focused attention on his son Kanti. When he found that someone close to the Prime Minister was acting behind his back and eroding his image of incorruptibility, he did not hesitate to sound the alarm bell. After Morarji assumed office Kanti was suspected of indulging in activities which a member of the Prime Minister's immediate family was not expected to. Kanti's behind the scene activities caused much hilarity but more anguish to fellow Janata Party MPs and, of course, to the Opposition. Limaye was relentless in his exposure of the unsavoury things happening behind the Prime Minister's back.

The evidence he gathered was foolproof. So he suggested to the Prime Minister to send Kanti back to Bombay where he had lived most of his life; but the father had unshakable confidence in the *bona fide* of his only son. Personally incorruptible though he was, Morarji turned a blind eye to the allegations against his son. Kanti Desai's deals and Morarji's obstinacy in the face of demands for a probe provided a handle to his detractors to open a front against him. Some Janata Party members themselves kept a close watch on the government. And, it was Kanti's activities that provided a lot of ammunition to Charan Singh in his tussle for power with Morarji.

That was, however, not the only issue on which Limaye fell out with the Prime Minister. Limaye felt that long used to the loaves and fishes of office, Congressmen had become unfit to play the role of Opposition watchdogs. The traditional oppositionists were now either in government or in leading positions in the ruling party. So he took upon himself the watchdog role.

Disillusioned with the Prime Minister's stubborn refusal to probe the allegations against his son, Madhu Limaye opened a frontal attack against him even as he acknowledged that Morarji was personally incorruptible. Madhu wanted Morarji to function as the leader of the entire Janata Party and not as a factional leader of only Congress (O) MPs who in any case were far smaller in number than the BLD and Jana Sangh members. Other Congressmen who had joined the Janata Party were split into Jagjivan Ram's CFD and individuals like Chandra Shekhar, Mohan Dharia and Krishan Kant.

The prevailing perception was that the Janata Party did not need an Opposition when Madhu Limaye was playing the role most effectively.

Anti-Defection Bill Row

Apart from Morarji's stubborn refusal to order a probe into his son's activities, the other issue which triggered sharp differences on policy matters between the Prime Minister and his detractors was the move to legislate the Constitution (Forty-eighth) Amendment Bill, otherwise known as the anti-defection law. The bill was intended for the avowed purpose of preventing defections in Parliament and the State Legislatures. Strangely, the Prime Minister did not deem it necessary to take his own party into confidence before bringing up such an overarching measure in Parliament. The party was cursorily apprised of it when the draft was placed before its Parliamentary Party's executive committee a couple of days before introduction in the Lok Sabha on 28 August 1978.

Limaye as well as many others in the Janata Party and the Opposition had strong reservations about several provisions of the proposed legislation which, in their eyes, were aimed at stifling dissent and herding together the MPs and State legislators like dumb cattle. The main grounds on which Limaye objected to the Forty-eight Amendment were: (i) Defiance of a whip could not be a ground for disqualification, (ii) Denial of conscience vote, an inalienable right of MPs, would lead to dictatorship of the party bosses, (iii) A split could not be defined in arithmetical terms and the law would promote bulk or wholesale horse trading, and (iv) The Bill was not an effective remedy for defections spurred by hankering for ministerial offices as it did not ban the induction of defectors as Ministers. These grounds were not very different from the ones that Limaye had articulated when Indira Gandhi tried to enact a similar bill in 1973 and later Rajiv Gandhi in 1985.

The Prime Minister curiously did not pilot the Bill himself nor did he ask any of his colleagues directly concerned with it to handle it in the House. Instead, he asked P.C. Chunder, the Education Minister, to pilot the Anti-Defection Bill in the Lok Sabha, and himself listened to the proceedings from his office in Parliament House. There was an uproar in the House at the introduction stage itself.

The arguments put forth by Limaye as well as several other MPs forced the government to retrace its steps and withdraw the Bill moments after it was introduced in the House. The hasty withdrawal of the Anti-Defection Bill was an unprecedented tribute to Parliament's watchdog function. Limaye also fought back attempts to foist the power of preventive detention as part of the criminal law of the land, and forced the government to repeal the Maintenance of Internal Security Act (MISA).

Even before the Janata Party government had enough time to settle down to work, dissensions erupted in different States. These dissensions were largely based on old party loyalties. The Jana Sangh leaders in the States stabbed the BLD governments in the back in State after State where they had climbed to power. The BLD leaders in turn paid back by carrying the toppling game to the Centre itself. That was the beginning of the end of the first non-Congress government at the national level.

Just as Limaye had made strenuous efforts to string the Janata Party together in 1977, he played a key role in bringing the party back from the brink on several occasions before it finally broke down in mid-1979. He was acutely conscious that the balance of forces within the Janata Party, both at the Centre and in the States, was precarious, and was opposed to doing anything that would have the effect of disturbing the delicate power equilibrium.

At the national level, the Janata government was in the throes of a crisis even before a year was over since its formation on 24 March 1977. The first salvoe was fired by Charan Singh, the Home Minister, on 11 March 1978. In a letter to the Prime Minister he formally raised the issue of allegations about his son Kanti Desai's dubious activities from within the Prime Minister's official residence, and called for a formal investigation.

The Prime Minister chose to turn a deaf ear to the allegations against his son, whom he had appointed as his private secretary. Even as Morarji Desai claimed that not a scrap of official paper ever went to Kanti Desai, rumours about his deals with businessmen and collecting lakhs of rupees in the name of the party circulated widely. One such deal which attracted a lot of attention in those days was Kanti's attempt to make Dharma Teja, a wheeler-dealer whose illegal transactions on behalf of the Jayanti Shipping Company had earned him a prison term. Desai's stubbornness in refusing to have the allegations probed was not liked by many people within the Janata Party. They warned him that his obduracy might cost him and the party dear. But Morarji stuck to his belief that Kanti was being targeted maliciously by his detractors.

Destabilisation Attempts

The other factor which stirred a hornet's nest was the Desai group's manoeuvres to destabilise Devi Lal, the Janata Party Chief Minister of Haryana. Madhu Limaye was of the view that the crisis in the ruling party was a symptom of the power struggle within the Janata factions in the north Indian States where it had thrown out the Congress Party in the State Assembly elections held after the Janata Party came to power at the Centre. As was his wont Desai thought he could curb factional feuds by taking

harsh disciplinary action against one and all, including leaders of the stature of Charan Singh, whose BLD was the largest single component of the Janata Parliamentary Party.

Limaye as well his colleagues like Rabi Ray, who later became Health Minister in Charan Singh's government, pooh-poohed Morarji Desai's talk about enforcing discipline strictly. Such talk behoved parties which were an integrated whole but not the Janata Party. An amorphous conglomeration of diverse elements that the Janata conglomeration was, it could not afford the luxury of strict disciplinary measures, he felt. Since Limaye himself had broached the Kanti Desai issue with the Prime Minister, he and Charan Singh found themselves in the same boat.

Differences also cropped up over the question of choosing a candidate for the office of President, which fell vacant as a result of the death of Fakhruddin Ali Ahmed midway through his five-year tenure. Morarji suspected that his detractors would create trouble over the selection of a candidate acceptable to him. The Prime Minister was in favour of putting up an a political personality. He, therefore, sounded out his friends on the desirability of proposing Rukmini Devi Arundale, the celebrated Bharat Natyam exponent and theosophist of Kalakshetra in Madras, for the highest public office in the country. True to the Prime Minister's apprehensions Madhu Limaye and many others turned down Morarji's proposal and insisted on an eminent politician for the office of President. In the event Neelam Sanjiva Reddy, who was elected Speaker in the Janata Party-led Parliament, came to be chosen for the post of President.

Limaye was in the United States when the Janata government began tottering on the brink after the Prime Minister gave marching orders to the Home Minister, Charan Singh, and the Health Minister, Raj Narain on 29 June 1978. Limaye cut short his visit and returned to New Delhi three weeks ahead of the scheduled date, and almost immediately plunged into salvage operations. Charan Singh had been sacked from the Cabinet and had chalked out his plans to destabilise Morarji. Shuttling between Morarji and Charan Singh, Limaye with the help of a few friends who were committed to save the Janata Government, worked out a compromise plan.

Even though the Janata Government was rescued from imminent collapse as a result of the gallant efforts of Limaye and a few others, the die was cast. Morarji took Charan Singh back (but not Raj Narain) on his own terms and allotted to him the Finance portfolio but not the Home Ministry which he had held until his resignation. No wonder the end of the skirmishes between them was elusive. As the government plodded along in a dingdong fashion, issue after issue started plaguing the Janata Party. The gulf between different factions widened over many issues in addition to the

anti-defection law and Kanti Desai's self-serving activities. The Congress (O) and the BLD groups fell out over the Uttar Pradesh Janata Legislature Party leader election question. The atmosphere had already been fouled by attempts to remove Devi Lal from the post of Chief Minister of Haryana.

Some groups in the Janata Party including the Jana Sangh asked Morarji to step down. Even Chandra Shekhar, an ardent Morarji supporter, advised him to quit. Chandra Shekhar himself nursed the ambition of succeeding Desai. Some ministers offered to quit if that saved the government. Sensing the mood of the ruling party's MPs several Janata leaders—suggested to Morarji Desai that instead of facing a no-confidence vote in Parliament, he should go to the President and ask him to dissolve the Lok Sabha. Madhu Limaye preferred this course but that was not to be. Morarji's cohorts speculated that the instinct of self-preservation would stop the Janata MPs, regardless of their factional loyalties, short of toppling the government.

Before the final blow struck down the country's first non-Congress government at the Centre in July 1979, Minister after Minister abandoned Morarji's sinking ship. It became clear that Charan Singh was close to achieving his life-long ambition (as he himself put it in front of TV cameras after being sworn in on 28 July 1979) of climbing to the Prime Minister's post. I remember arguing with Limaye why had he thrown in his lot with Charan Singh, and why did he not try to cobble up a new alliance. He defended the tie-up on the logic that Charan Singh was committed to accelerating economic growth, creating greater job opportunities and strengthening social welfare measures. He himself however did not accept a Minister's post in Charan Singh's government.

Madhu Limaye will be remembered for long as a politician who valued principles above personal ambition, placed probity in public life above shady nocturnal deals. Limaye all along placed principles above personal preferences, and that is why he did not hesitate to give up the general secretary's post when he found that his views were not in tandem with the views of Morarji Desai or the party president, Chandra Shekhar. It is a pity that the politicians of the calibre and integrity of Limaye are becoming rarer and rarer.

MADHU LIMAYE : THE ARCHETYPAL PARLIAMENTARIAN

*—Arabinda Ghose**

Madhu Limaye was one of the most sincere Socialists among such greats as Jayaprakash Narayan, Acharya Narendra Deva, Dr. Ram Manohar Lohia, Sane Guruji, S.M. Joshi, Nanasaheb Goray, Madhu Dandavate, Chandra Shekhar, Ashok Mehta and George Fernandes who had dominated the non-Congress political scene in Indian politics from the 1950s to the 1970s Shri Chandra Shekhar and Shri Mehta had joined the Congress Party in 1964 or thereabout. While the former had become the Prime Minister of India for a short period in 1990 and the latter the Deputy Chairman of the Planning Commission during 1963-67, Madhu Limaye remained uncompromising with other Socialists. Madhu Limaye, hailing from Maharashtra, had made Bihar his field of activities since the 1960s.

I was the Special Correspondent and later the Chief of the Bureau of the now defunct daily, The Motherland, which had followed a strident anti-Congress stance from day one, that is from 5 February 1971. It was basically a Bharatiya Jana Sangh mouthpiece but had soon converted itself into an opposition newspaper because it was a support of the Grand Alliance of the Congress-O, the Jana Sangh, the Bharatiya Lok Dal; and the Socialists. The newspaper was closed down by the Government on the night of 26 June 1975, the day the Emergency was imposed.

Even as the election for the Fifth Lok Sabha (1971-1977) was being held, the Bangladesh Liberation war had been launched and for full one year, the country spoke in one voice on this issue. Then came the State Assembly elections in which the Congress Party won a massive mandate which saw Indira Gandhi emerging as the "Empress of India". The Opposition voice was muted for at least another six months.

Three things happened around this time. First, the sudden increase in prices of essential commodities (obviously the fallout of the expensive Bangladesh war of 1971); second, the eruption of the Pondicherry License scandal, with the then Commerce Minister, Lalit Narayan Mishra becoming the target of Opposition attack; and the third, Madhu Limaye winning a Lok Sabha by-election from Banka in Bihar and taking his seat among the Opposition benches.

* He is an eminent journalist.

I have often told fellow journalists and my friends that just about half a dozen Members of the Fifth Lok Sabha from the Opposition benches had demolished the Congress Party with its 370 plus Members even before the Allahabad High Court Judgement on the Raj Narain case unseating Smt. Indira Gandhi had been pronounced. They were: Jyotirmoy Basu from the CPI(M), Piloo Mody from the Bharatiya Lok Dal, Shyam Nandan Mishra from the Congress (O), Atal Bihari Vajpayee from the Jana Sangh, Prof. Madhu Dandavate from the Socialist Party and Madhu Limaye, also a Socialist.

The relentless barbs from these six stalwarts from the Opposition Benches, the wry humour of Piloo Mody, Shri Shyam Nandan Mishra's Parliamentary skill—he was a former Minister—Shri Vajpayee's oratorical skill, Jyotirmoy Basu's piercing bluntness, Prof. Dandavate's "nuclear" skill and Madhu Limaye's Parliamentary skill—used to make the life of the Treasury benches miserable. Only Jagjivan Babu could match the combined skill of the Opposition and used to make the Opposition members squirm in their seats while he would be replying to the motions of no confidence against Smt. Gandhi's Government, often moved by Jyotirmoy Basu.

The crowning glory of the Opposition, if one may use this phraseology, was catching the Congress on the wrong foot for a whole day in what is known as the "*Pratipaksha* Case". Skilfully drawn up by Madhu Limaye, George Fernandes (he was defeated in the 1971 elections) and Piloo Mody in particular, the case had caught the Congress in the wrong foot for nearly the entire Question Hour before it had dawned on them that the party was playing in the hands of the Opposition and it was Parliamentary Affairs Minister, K. Raghuramaiah who had saved the situation for the Congress Party.

It was like this. As Parliament and the country was agitated over the Pondicherry License case (it involved a mere Rs. 30 crore those days), the "*Pratipaksha*", a Hindi weekly came out with a slanderous story defaming, the Members of Parliament who were accused of being "liars", "cheats", "racketeers", etc. This was obviously a defamatory write-up but it was Shri Piloo Mody and not any Congressman who raised the issue in the House and demanded that its Editor, Shri George Fernandes, be called to the bar of the House and reprimanded.

The Congress benches were delighted at the turn of events—an Opposition Member himself accusing another Opposition leader who was not a Member of the House raising a privilege motion against his friend and colleague. They were in a mood to support the motion moved by Shri Mody.

However, Shri Raghuramaiah soon understood the catch in this subtle move by the Opposition, more particularly because the motion was being moved by a member who could not read or understand what was written in the Hindi article penned by George. The issue raged for the entire day, and ended only after the Speaker, Dr. Gurdial Singh Dhillon took the Chair from a Member of the panel of Chairpersons.

Shri Limaye was probably what one would like to say, a perfect Parliamentarian. He would sometimes invite me to his Gurudwara Rakabganj Road residence in order to discuss issues coming up in the House and I had always found him engrossed in perusing the relevant documents. He would go through all relevant documents before raising the issues in the House.

He did play a role in bringing to end the Janata Party rule in July 1979 but could not be re-elected in the December 1979 general elections, which had brought back Smt. Indira Gandhi to power once again. This was a pity because the fragmented opposition did need the likes of Shri Limaye to take on the resurgent Congress Party. Gradually, his health too deteriorated. At this stage, one day I met him at the Central Hall and told him Parliament sorely lacked his absence. He gave a wan smile.

He was quite excited to read an article on Parliament functioning that I had written in a Sunday edition of the *Hindustan Times*, where I was working since 1978. He was disappointed to see that I had given a short shrift to the *Pratipaksha* issue in that article. I had explained that it is not my fault but the editorial staff had curtailed the length of that article and the *"Pratipaksha"* issue had become the victim.

Shri Limaye spent the last years at a Pandara Road flat where too he used to meet friends from the media. I could not attend those meetings because of pressure of work. One day, he just disappeared, dying almost in oblivion. But Madhu Limaye cannot be forgotten at least by this reporter who always respected him as a very sincere Parliamentarian. I often used to meet *Champatai*, his widow and used to discuss "Madhuji". But she too is gone.

मधु लिमये : एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्तित्व

*-कुरबान अली**

मधु लिमये एक पक्के राष्ट्रप्रेमी और सच्चे देश भक्त थे। मधु लिमये के प्रति मेरे मन में यह श्रद्धा उनकी भारतीय राष्ट्र की अवधारणा और उसे बचाये रखने के उनके अथक प्रयासों के वास्तविक अर्थों को लेकर है।

1993 में लिखे गये एक लेख में मधु लिमये ने लिखा कि 'सदियों से भारतीयों में मजबूत और स्थायी राज्य की स्थापना द्वारा राष्ट्रीय एकता के महान आदर्श को प्राप्त करने और उसे बनाये रखने की प्रवृत्ति का अभाव रहा है। राज्य या एकीकृत राजनीति समाज के विचार को कभी भली-भांति समझा ही नहीं गया। भारतीयों की सोच का दायरा परिवार, जाति, उपजाति, गांव या स्थानीयता से आगे बिरले ही बढ़ा और इसी कारण 2,500 वर्षों से ज्ञात इतिहास में, 500 वर्षों को छोड़कर, बाकी समय भारत हमेशा आपस में लड़ने-भिड़ने वाले बड़े, मध्यम और छोटे राज्यों में विभाजित रहा'। मधु लिमये लिखते हैं कि 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार राष्ट्रीय एकता की चेतना पैदा की और विदेशी साम्राज्यवादी नौकरशाही ढांचे को हटा कर जनता की इच्छा से चलने वाले राज्य से उसे प्रतिस्थापित किया'। वे आगे लिखते हैं कि 'आधुनिक भारतीय राज्य अपने जन्म से ही अव्यवस्था और अराजक शक्तियों से घिरा रहा, देश विभाजन के समय की स्थिति और पांच सौ से अधिक देशी रियासतों ने ब्रिटिश सत्ता के हटते ही प्रभुसत्ता सम्पन्न बनने के जो सपने देखने शुरू कर दिये थे, इससे भारत राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े होने का खतरा पैदा हो गया था। लेकिन महात्मा गांधी की नैतिक शक्ति और देश भर में फैले कांग्रेस संगठन के जाल के कारण ही अराजकता की शक्तियों पर काबू पाया जा सका और एक प्रशासनिक तंत्रवाला लोकतांत्रिक संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया'। अंत में मधु लिमये ने लिखा कि, 'और यही विरासत को खत्म किया जा रहा है', उनका यही दर्द हमें उनकी राष्ट्रवादिता और देशप्रेम के प्रति उनके नजरिये को सोचने पर मजबूर कर देता है।

मधु लिमये ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से की थी, इसलिए मधु लिमये की सोच पर राष्ट्रीय आंदोलन की गहरी छाप थी। पुणे के साने गुरु जी के प्रभाव के कारण सांप्रदायिक राजनीति और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से वे शुरू से ही सहमत नहीं थे। इसलिए अपने जीवन के अंतिम दिनों तक वे इसके खिलाफ जेहाद छेड़े रहे। अयोध्या में बाबरी-मस्जिद को गिराये जाने की घटना और उसके बाद बंबई में हुए बम विस्फोटों के बाद मधु लिमये ने एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था 'राष्ट्रीयता के दुश्मन संकीर्ण व

* वे वरिष्ठ पत्रकार हैं।

बिकाऊ हिंदू और धर्मांध मुसलमान'। इस लेख में उन्होंने लिखा कि संघ परिवार पांच एकताओं वाले हिंदू राष्ट्र के आदर्श का प्रचार करता है, जो मुख्यत: जातीय, धार्मिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और भाषाई हैं पर वह कभी हिंदुओं को देश से प्रेम करने वाला जिम्मेदार नागरिक नहीं बना पाया, वह केवल उनमें मुसलमान विरोधी भावनाओं को भड़काने में कामयाब रहा है, एम.एस. गोलवलकर की किताब 'वी आर अवर नेशनहुड डिफाइंड' को उद्धृत करते हुए मधु लिमये ने लिखा है कि देश के गैर-हिंदुओं के बारे में उनकी राय थी कि वे 'विदेशी बन कर रहना बंद करें अन्यथा उन्हें इस देश में हिंदू जाति के पूर्णत: अधीन होकर रहना होगा। हम प्राचीन राष्ट्र हैं और हमें इस देश में रहने वाली विदेशी जातियों से वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा कि सभी प्राचीन राष्ट्र करते हैं।'

इस लेख में मधु लिमये ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराये जाने की घटना, उसके बाद बंबई बम विस्फोट की कड़ियों को मिलाते हुए लिखा कि दाऊद इब्राहिम ने अपराध जगत के अपने अंतरंग साथियों से कहा था कि इसका बदला लेने के लिए कुछ किया जाना चाहिए और तभी देश के पश्चिमी समुद्र तट पर सात हजार किलोग्राम आर.डी.एक्स उतारा गया, जिसे बाद में बंबई बम धमाकों में इस्तेमाल किया गया। मधु लिमये लिखते हैं कि जो लोग समुद्र के रास्ते ये विस्फोट सामग्री लाये थे, वे पाकिस्तानी मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय मुसलमान ही थे पर उनके काम कितने अनुचित और बुरे थे। उन्हें प्रेरणा बाबरी मस्जिद के विध्वंस और उसके बाद हुए दंगों से ही मिली थी और वे धर्मांध हो गये थे। पर मधु लिमये ने सवाल किया है कि उन लोगों के बारे में क्या कहा जाये, जिन्होंने इस सामग्री को उतारने, जमा करने, कस्टम चौकियों से पार कराने और बंबई तक ले जाने में मदद की। वे लिखते हैं इस मामले में गिरफ्तार किये गये लोग हिंदू हैं और विभिन्न जातियों के हैं। मधु लिमये ने सवाल किया है कि इन लोगों के लिए शुद्ध लालच और स्वार्थ-पूर्ति के अलावा क्या प्रेरणा थी? अपने 50 वर्ष से भी अधिक लंबे सार्वजनिक और राजनैतिक जीवन में मधु लिमये ने अपने राजनीतिक सिद्धांतों को मजबूती से पकड़े रखा और उनसे कभी कोई समझौता नहीं किया और बड़ी बेबाकी के साथ अपनी राय व्यक्त करते रहे।

वे मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के खिलाफ थे और उन्होंने हमेशा सांप्रदायिक मुस्लिम राजनीति की मुखालफत की। लेकिन वे भारत विभाजन के लिए मुस्लिम लीग के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी दोषी मानते थे और उनका अडिग विश्वास था कि यदि 1937 में हुए प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में उत्तर प्रदेश में चौ. खलीकुज्जमा को कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री चुन लेती, तो पाकिस्तान की नींव और देश विभाजन के बीज नहीं पड़ते। अपनी तीन खंडों वाली पुस्तक, 'महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू : ए हिस्टोरिकल पार्टनरशिप' में मधु लिमये ने राष्ट्रीय आंदोलन, कांग्रेस और मुस्लिम लीग की राजनीति और उसमें ब्रिटिश हुकूमत की चालबाजियों का विस्तृत विश्लेषण किया है और देश विभाजन के पूर्व की राजनीति की व्यापक समीक्षा की गयी है, जो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए 'बाईबल' का काम करेगी।

अपने नेता और कामरेड डाक्टर राममनोहर लोहिया की तरह मधु लिमये भी 1948 में समाजवादियों के कांग्रेस छोड़ने के पक्षधर नहीं थे। लेकिन जब जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस छोड़ने का निश्चय

कर लिया, तो वे भी डाक्टर लोहिया के साथ कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये और सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाते हुए जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका अदा की और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सरकार की क्या नीति हो इस पर संसद में और संसद के बाहर जनांदोलन करके तथा अखबारों में लेख लिखकर अपनी राय व्यक्त की। बहुत कम लोगों को मालूम है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मधु लिमये को अपना राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वी मानते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनसे सलाह मशविरा करती थीं और पूर्व सोवियत संघ के राष्ट्रपति ब्रेझनेव अपनी भारत यात्रा के दौरान किसी गैर-सरकारी व्यक्ति से अगर मिले तो ये श्रेय भी मधु लिमये को ही जाता है।

मेरी कई बार उनसे समाजवादियों के 'गैर कांग्रेसवाद' की राजनीति और उसके चलते संघ परिवार और उसकी राजनीतिक शाखा, पहले भारतीय जनसंघ और फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में भागीदारी दिलाने पर बातचीत हुई। इसे वे निरंकुश कांग्रेसी सरकार को सत्ता से हटाने की एक रणनीति बताते थे। पर संघ परिवार की खतरनाक राजनीति को उन्होंने कभी अनदेखा नहीं किया और बार-बार वे संघ परिवार की इस राजनीति और दोहरी सदस्यता के सवालों को उठाते रहे और इसी कारण कुछ लोग उन्हें जनता पार्टी के तोड़क के रूप में देखते हैं। जनता पार्टी शासन काल के दौरान अलीगढ़ और जमशेदपुर में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। मधु लिमये ने सत्ताधारी पार्टी का सदस्य और महासचिव होने के बावजूद दंगों में शामिल अपने दल के सदस्यों की कड़ी निंदा की और जब उन्हें लगा कि संघ परिवार की राजनीति का मुकाबला वे जनता पार्टी में रहकर नहीं कर पायेंगे, तो फिर उन्होंने जनता पार्टी के टूटने को 'ऐतिहासिक आवश्यकता' बताया और जनता पार्टी (सेक्युलर) का गठन किया। जिसकी नीति वही थी, जो पूर्व संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की थी। लेकिन अफसोस के साथ लिखना पड़ता है कि जिन लोगों को मधु लिमये ने आगे बढ़ाया बाद में वही लोग उनकी नीयत पर शुबहा करने लगे। इन सारी बातों से खिन्न होकर और अपने गिरते स्वास्थ्य को देखते हुए 1982 में मधु लिमये ने सक्रिय राजनीति से सन्यास ले लिया और दिल्ली स्थित वैस्टर्न कोर्ट के एक छोटे से कमरे में रह कर लिखने-पढ़ने का काम शुरू किया। अखबार और पत्रिकाओं में नियमित लेख लिखने के अलावा उन्होंने डेढ़ दर्जन से भी अधिक बड़ी किताबें लिखीं और प्राय: उनकी हर किताब में राष्ट्र से जूझने वाली समस्याओं और उसके निराकरण का विषय स्थायी होता था। 1985 में राजीव गांधी के प्रधान मंत्री बनने के बाद पंजाब और असम जैसी विषम समस्याओं के साथ-साथ शाहबानों प्रकरण ने भी बड़ा तूल पकड़ा और इस एक प्रकरण ने पूरे देश की राजनीति को झकझोर दिया। मधु लिमये इस प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये फैसले के आलोचक थे। उनका मानना था किसी मुसलमान महिला को गुजारा भत्ता देने का फैसला करते समय किसी न्यायाधीश को यह हक हासिल नहीं हो जाता कि वह पवित्र कुरान के बारे में कोई टीका-टिप्पणी करे। पर इसके साथ ही वे राजीव गांधी सरकार द्वारा मुसलमान महिलाओं से संबंधित विधेयक पास कराये जाने के भी विरोधी थे। उनका मानना था कि देश में समान नागरिक कानून बनाये जाने की पहल होनी चाहिए। पर इस पहल को किसी धर्म या समुदाय पर थोपा नहीं जाना चाहिए। बल्कि माहौल बनाने का प्रयास होना चाहिए कि सभी धर्मों और समुदायों की ओर से समान नागरिक कानून बनाये जाने की मांग की जाये।

मधु लिमये संवैधानिक मामलों के मर्मज्ञ थे, और उन्हें भारतीय संविधान का 'एनसाईक्लोपीडिया' कहा जाता है। इसमें कोई संदेह भी नहीं है। मुझ जैसा अदना पत्रकार रिपोर्टिंग के दौरान जब कभी संवैधानिक मामलों में फंसता था, सीधे मधु जी को टेलीफोन करता था और उसकी हर समस्या का समाधान मधु लिमये से पांच मिनट टेलीफोन पर बात करने से ही हो जाता था। मधु लिमये पत्रकारों के लिए किस प्रकार ट्रेनिंग कालेज का काम करते थे और किस प्रकार उन्हें जानकारी देते थे इसके लिए उदाहरण के तौर पर एक घटना का जिक्र करना चाहूंगा। घटना मार्च-अप्रैल, 1992 की है। उस समय, मैं हिंदी '*संडे आबज़र्वर*' में काम करता था और राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनाव होने वाले थे। इन चुनावों में कई राजनीतिक दल ऐसे लोगों को उन राज्यों से चुनवा कर भेज रहे थे जहां के वे मूल निवासी नहीं थे। मुझे इस विषय पर रिपोर्ट लिखनी थी और यह उजागर करना था कि वामपंथी दलों को छोड़ कर तमाम बड़े राजनीतिक दल यह अनैतिक काम कैसे करने जा रहे हैं। मैं सीधा मधु जी के पास पहुंचा और इस विषय पर उनकी राय जाननी चाही, मैंने उन्हें यह भी याद दिलाया कि 1978 में कांग्रेस पार्टी के प्रणव मुखर्जी के गुजरात से राज्य सभा में चुने जाने पर जनता पार्टी के लोगों ने कितना हंगामा किया था। इस पर मधु लिमये का जवाब था कि किसी व्यक्ति का दूसरे राज्य से राज्य सभा में जाना न केवल अनैतिक है बल्कि गैरकानूनी भी है क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर मतदाता बनने की एक प्रक्रिया होती है और यह हलफनामा दिया जाता है कि वह अब दूसरे राज्य का निवासी नहीं रहा।

लेकिन आमतौर पर चोर दरवाजे से राज्य सभा में जाने वाले लोग, इस प्रक्रिया का ठीक से पालन नहीं करते और किसी भी मुख्यमंत्री के मार्फत पता देकर मतदाता बन जाते हैं और राज्य सभा में घुस जाते हैं।

मधु लिमये ने अगले दिन मुझे अपने साथ संसद की लाइब्रेरी चलने का हुक्म दिया। वे तिपहिया स्कूटर में बैठकर खराब स्वास्थ्य के बावजूद संसद भवन पहुंचे और मुझे एक स्थान पर बैठा कर 1952 से 1992 तक राज्य सभा सदस्य रहे लोगों का जीवन परिचय दिखाने लगे और कहा कि पूरी सूची तैयार करो इनमें से कौन-कौन अपने मूल राज्य से ना होकर दूसरे राज्य से राज्य सभा का सदस्य बना, मुझे देखकर हैरत हुई कि आज के मौजूदा राजनेताओं में कई ऐसे लोग हैं जो संविधान की मूल भावना को ठेंगा दिखाते हुए कई बार भिन्न-भिन्न राज्यों से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। श्री लिमये ने बताया कि इस अपराध से भारत की कोई पार्टी मुक्त नहीं है।

मधु लिमये को अंतिम बार भाषण देते हुए मैंने जनवरी 1990 में देखा था। अवसर था दिसम्बर 1989 के लोक सभा और उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के फैजाबाद लोक सभा और उसी के अंतर्गत आने वाली अयोध्या विधान सभा सीट पर भाकपा के मित्रसेन यादव और जनता दल के जयशंकर पांडेय का चुना जाना। 'हिन्दुस्तानी बिरादरी' नामक एक संगठन की ओर से इन दोनों लोगों को इसलिए सम्मानित किया गया था कि ये दोनों लोग उस स्थान पर सांप्रदायिक शक्तियों को चुनावों में मात देकर विजयी हुए थे, जिसे सांप्रदायिक शक्तियां अपना सबसे बड़ा गढ़ मानती थीं। इस अवसर पर भाषण करते हुए मधु लिमये ने कहा था कि सांप्रदायिक शक्तियों

के इरादों को नेस्तनाबूद करके ही इस देश की एकता और अखंडता को मजबूत रखा जा सकता है। उन्होंने अपने इसी भाषण में संघ परिवार से सवाल किया था कि वह अन्य राजनीतिक दलों पर मुसलमानों का तुष्टीकरण करने का आरोप लगाता है। क्या इसकी एक भी मिसाल उसके पास है? मधु लिमये के शब्दों में ही 'क्या संघ परिवार बता सकता है कि मुसलमानों का कहां तुष्टीकरण हुआ है? क्या वे सामाजिक रूप से ऊपर उठ गये हैं? क्या शैक्षिक रूप से ऊपर उठ गये हैं या आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो गये हैं? और यदि ऐसा नहीं है तो फिर यह झूठा ढिंढोरा पीटना बंद करना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट संसद में पेश हो जाने के बाद जब आधिकारिक रूप से उस बात की पुष्टि हो गई है कि जो मधु लिमये कह रहे थे वह सही था।

SHRI MADHU LIMAYE : A PERPETUAL CRUSADER

*—Amarendra Dhaneswar**

"Her fearlessness, her public spirit, her contempt for convention and her indifference to the opinion of the majority have always seemed good to me and have impressed themselves as worthy of imitation", writes Bertrand Russell about his grandmother in his autobiography. Many of my generation would zealously apply this quote to describe Madhu Limaye. His burning idealism, his dedication to the cause, his concern for the common man, his sharp and analytical mind were some of the attributes which made a deep impression on our minds. During the 1967 elections, Limaye was brutally assaulted by the hired goons of a certain Party. He was seriously wounded in this attack. I remember that the Samyukta Socialist Party (SSP), to which Limaye then belonged, had organised a mass meeting at Shivaji Park to condemn the dastardly attack on Limaye. Limaye, wrapped in bandages all over his body, made a dramatic appearance in that meeting and made a speech which was extremely evocative. This was my first encounter with Madhu Limaye, the fiery socialist leader.

I had read about Limaye's astonishing feats in the Parliament. With his mastery in the Rules of Procedure and passion for justice, he could demolish the arguments of the Treasury benches. I had savored the appreciative news-letters by leading Parliamentary correspondents who raved about Limaye's ability to silence the brute majority of the ruling party. Naturally, I was following his career with a lot of genuine interest. I was drawn towards the Socialist Movements when I was an impressionable collegian. I was recruited by *Samajvadi Yuvak Sabha,* which was a youth wing of the Praja Socialist Party (PSP). It was the year 1970-71. As usual, the Socialist Movement had suffered a split with two parties in opposite political alliances. The PSP was with Smt. Indira Gandhi and the SSP was with the Grand Alliance. Both the factions were severally mauled in the General Elections held in 1971. This compelled the two socialist parties to work in unison. A formal merger was worked out in August 1971. By now, the Bangladesh Liberation Struggle was in full swing. The socialists had demanded instant recognition of the provisional government of the Awami League and Mukti

* He is a freelance journalist and has written the script and scored music for *'Nirantar Yodhha'*, the 58-minute documentary on Shri Madhu Limaye produced by *'Doordarshan'*.

Bahini. A conference focusing on that demand was held by the newly unified socialist party at the Chhabildas High School which was addressed by several leaders including Limaye. It was his speech which made a distinct impression on mind. It was a pre-war situation for India. However, Limaye laid emphasis on the right to criticize the government even in such a situation. He referred to Anurin Bevan's scathing criticism of Churchill during wartime. Limaye did not want the socialists to forget their oppositional role. At a time when the entire spectrum of the political opinion as well as the Press had been under the spell of Indira Gandhi, Limaye's uncompromising oppositional stance was strikingly different.

I had never met Limaye in person. Whatever I had known about him was through the newspapers. I had not even read any of his writings till then. But after having heard these two strongly-worded and forcefully delivered speeches, I began to feel that here was a real dissenter which India badly needed. This is how I began to respond to the dissenting traits of Madhu Limaye. As a student I had been an ardent fan of Bertrand Russell, whose writings on atheism and essence of democracy had overwhelmed me. "Democracy works best its adherents have the skeptical optimism of the scientist". This motto of Russell was engraved permanently on one's mind. Therefore, I began to develop affinity for the implacable dissenter called Madhu Limaye. To harbour any affection for Limaye was looked upon as an unpardonable offence in the Praja Socialist circles. The first major split occurred in the socialist movement was in 1955, when the Kerala coalition Government in which the undivided Socialist Party was a partner opened fire on an unarmed mob. Dr. Ram Manohar Lohia and his followers formed their own Party. Limaye was an active participant in the whole controversy. Perhaps, he was the only prominent leader in Maharashtra who sided with Dr. Lohia at that time. His peer group was totally under the tutelage of S.M. Joshi and N.G. Goray. Limaye who valued his own opinions was never interested in remaining in the good books of these party bosses. Due to his persistent 'disobedience', he was viewed with disfavour by the socialist establishment in Maharashtra. By 1971, unification of the two parties had already taken place. Yet the old hatred and prejudices continued. Some of my seniors in the PSP had tried to inject a bias in my mind against Limaye. "He is really hankering for a seat in Parliament. (Having lost the Monghyr seat in the 1971 General Election, he was not an MP in 1971) Limaye is jealous of Nath Pai", was their constant refrain. This was nothing but an attempt at indoctrination which was not totally unsuccessful. Since, I was repeatedly told that Limaye was standoffish, I did not dare to go near him. In May 1973, he won the Banka bye-election and again began to dominate the proceedings of the Lok Sabha. Leonid Brezhnev, the General Secretary of the Soviet Communist Party and its real boss was on an official visit to India. Those were the days of *'Hindi Russi Bhai Bhai.'* The Twenty-year

Friendship Treaty was fresh in the minds of the people. Indira Gandhi's foreign policy pleased the Soviets. It was a time when Indira Gandhi branded a progressive by the leftists. Limaye met Brezhnev and told him in no uncertain terms that socialists would strongly oppose one-party rule in India. Again, the relentless dissenter was at work. Limaye had won plaudits for trapping the Congress in the Pondicherry License Scandal by initiating a Breach of Privilege Motion against George Fernandes' *Pratipaksha*, a Hindi weekly. The Indira wave of 1971 was already ebbing away. I wanted to work on an article on the License scandal in the Party mouthpiece. I went to interview him. That was my first personal interaction with him. The earlier indoctrination had lost its effect.

Limaye was a strong personality and had a resoluteness which revealed itself as days wore on. Like Jayaprakash Narayan and Morarji Desai, Limaye took an uncompromising position upholding democracy and refused to give any quarter to the emergency regime. Our hearts swelled with pride when Limaye resigned as an MP in protest against the immoral extension of the term of the Fifth Lok Sabha. It was dinned into my ears by the PSP seniors that Limaye always thirsted for MP-ship. However, the evidence was to the contrary. Limaye's insistence on principled politics appealed to young socialists like me. The Janata Party was brought into existence by merging the erstwhile Socialist Party with other non-socialist parties. Did that mean a good-bye to socialist idealism? Are we supposed to jettison our baggage of socialist ideals? Such questions bothered us. Our ideology was not inimical to the Janata Party. In fact, it was complimentary. Whereas, in the case of the Sangh Parivar, their ideology was antithetical to the creed of the Janata Party. It was Limaye who voiced our anxieties and concerns with admirable restraint as a General Secretary of the Janata Party. Therefore, there was no question of disagreeing with his position on dual membership.

Limaye himself never employed terms like the left or the right. His political thought had long out grown such constricting terminologies. Yet it must be conceded that those who have been with the leftist current or political parties have an affinity for 'ideology'. Not withstanding the Marxist condemnation of socialists as part of the bourgeoisie, the fact remains that the Socialist Movement in India was an ideological movement. Ideological movements and parties are not necessarily constantly engaged in ideological politics. They do indulge in non-ideological politics. In the Socialist Party as well as a socialist member of the Janata Party, Limaye always took an ideological position on issues. He advocated his stand with a great degree of clarity and moral force. This, he did till 1982 with distinction. "One may disagree with him; one may oppose him; but one can not ignore him". Such was the unique position he held in the context of Indian politics. Limaye was always guided by his conscience which he fiercely asserted. To him,

nothing was above one's conscience. His PSP colleagues enounced this as a highly individualistic trait. He does not believe in collective decision-making process. They (PSP Colleagues) would often complain. I used to tick him off on this point and he would explode: "Collective decision-making should not become an excuse for inaction. This is what people tend to do. I cannot wait indefinitely for the majority to arrive at a particular decision like resigning from the Lok Sabha seat. I value my conscience above anything else". The opinion-making class was highly antagonised by his active role in the disintegration of the Morarji Desai Government. But that was not the first occasion when he was swimming against the current. He always showed the guts to navigate against the tide as an active political leader and even as an intellectual. Insiders know how he tried to save the Janata experiment. Nanaji Deshmukh, one of the key figures involved in the Janata drama has given Limaye a clean chit. Limaye sided with Charan Singh in the internal squabble of the Janata Party which provoked a strong criticism. In reality the dilemma Limaye faced, was faced by every ideological activist engaged in non-ideological politics. Those who remained in the R.S.S. dominated Janata Party deliberately fudged the issue and sought to put a moral construction on their action which was as ridiculous as it was reprehensible. The Sangh politics of the last 15 years has vindicated Limaye. It would have been a right step on his part to form a Socialist Party in 1979, instead of joining Charan Singh's party. But, he lacked the requisite political will and stamina. Hence, the decision was to continue in non-ideological party. It was only here that Shri Limaye disappointed his followers like me. He did not stretch his ideological position to its logical conclusion.

Since 1982, he had quit active politics apparently on health grounds, which of course were valid. But, it also needs to be understood that he was finding himself to be out of tune with the prevalent political environment. He had no drive force to remain in a non-ideological political party. His retirement was a big loss to the political field but proved to be a boon to the academic field. From 1982 to his sudden death in 1995, he wrote extensively on many topics and issues. His writings had a tremendous sweep. Civilisation, history, political history, social policy, foreign policy, constitutional questions, analysis of historical figures constituted the core of his scholarly work. What he wrote ran into over 15,000 printed pages. Justice Oliver Wendell Homess was so amazed by Harold Laski's speed of writing books that he said, his reading pace lagged behind Laski's writing pace. This analogy aptly fit Limaye as well. This was possibly the most creative phase of his life and I was lucky to be in his vicinity during those days. Limaye had spent five decades in public life. His memory was photographic and his erudition was vast. He has an insightful approach to all questions. All these factors invested this writing with a unique richness. It is wrong

to believe that he was an egotist. Once, when I paid a compliment to him on his astonishing memory he politely accepted the same but added that his memory was 'selective'. "I do not remember the telephone numbers", he said. It was by sheer accident that he began 'writing'. Having sustained severe injuries during the Goa struggle, he had become a victim of arthritis which had damaged his fingers. Therefore, he was totally dependent upon a stenographer for over twenty-five years. However, by chance he scribbled a note on a thin paper with an ink pen. The experiment went on for a day or two. He discovered to his greatest delight that he was no longer dependent on the stenographer.

Due to a haemorrhage he lost his left eye. Still he soldiered on. He could visualize so many aspects of a subject that it was a real intellectual treat to read him. I distinctly remember an incident. He was asked to contribute a paper on the functioning of the Cabinet System. What emerged out of this exercise was a 375 page book on the subject. Similarly, when he set about dwelling upon the theme of Communist-Socialist interaction in India for the George Fernandes Felicitation volume, he ended up penning a 400 page volume, one of the most authoritative ones, on the subject. His Spartan life style and Gandhian austerity set an example which was as unique as it was inspiring. A study of voluminous writing reveals that Limaye has thought deeply over religion. If one analyses the Socialist response to religion, one gets a variety of answers. Secularism is the foundation of Socialism. The material and secular issues confronting the society will have to be tackled on the same plane. Poverty, unemployment and hunger are rooted in causes which are secular. Therefore, the answers too lie in the secular environment. This is the fundamental belief of the socialists of all hues. This dictates a socialist's attitude to religion. Since the socialists have no faith in a non-material world, his approach to religion is either indifferent or aggressively adversarial. Possibly as an angry socialist youth Limaye took a similar position. But as he transformed himself into a thinker, his attitude seems to have undergone a transformation. According to him, even in the Western society, secularisation is a recent phenomenon. It has evolved over the last two centuries. Societies in the far-East have always been free from excessive religiosity. For example, in Japan religion was merely a set of moral and ethical values. However, the Hindu world and the Islamic world are in the firm clutches of religion. It was anticipated that with the onset of industrialisation and westernisation, societies falling under the Hindu or the Islamic spheres would become progressively secular. But, that was not to be.

Limaye cites the theories propounded by Engels, Marx and Bruno Baur and disputes their conclusion that with the coming into existence of Socialism man will be free from the spell of religion. "Once there is a rational

arrangement of human relations and end to exploitation, man will no longer need the palliative in the form of religion," said Marx who also called religion as the opium of the masses.

Limaye always sought to marry theory with practice. He strove to connect ideology to the practical reality. According to him, ideology did not exist in a vacuum. What happened in East Europe? he asked. There existed a 'rational' organization of the forces of production. On the contrary, in the West market forces dominated. Yet, religion continues to hold sway even in planned societies. For well over forty years, these societies were under Communist rule. Communism did its best in order to exterminate the opium of religion. East Germany, Czechoslovakia, Hungary and Poland were under the influence of Western Christianity and civilization. Conversely, Slovenia, Croatia and erstwhile Yugoslavia were under the influence of the Greek Orthodox Christianity. Limaye believed that the Western Christianity has been conducive to the evolution of democracy. Therefore, Communism could not exterminate democratic traditions which were deep-rooted. The Greek Orthodox Church did not provide the right environment for democracy to prosper. Hence, neither before the advent of Communism, nor after its demise democracy could take strong roots in these countries.

Limaye was fond of using the term 'creative tension' which he applied to relations between human beings as well as organisations. For instance, the Janata Party emerged victorious after defeating authoritarian forces represented by Indira Gandhi. Limaye was appointed the General Secretary of the Janata Party. Indira Gandhi had systematically destroyed the Congress Party by making it subservient to the Government. As the General Secretary and as an intellectual, Limaye strongly believed that the party needed to have an autonomous existence. It should retain the freedom to criticise the Government, if necessary. There need not be an undue discordance between the two. But, the Party should not act as mere yes man of the Government. If some amount of 'creative tension' exists between the two it would do them a lot of good.

Limaye perceived this kind of creative tension between the Church and the State, the libertarian and the egalitarian spirit, the need for an ordered State and the demand for freedom, robust individualism and the welfare State are some of the conflicting forces which have been prevalent in the Western society for the last three centuries. Limaye sees creative tension among them. Bloody wars and civil wars were fought which caused untold misery. Yet, these conflicts and tensions were solved everytime on a higher plane and the Western society made progress through such conflicts and their resolutions. Russia, on the contrary, was under Communist rule, resolved the conflicts ruthlessly. Yet, it could not extirpate the opium called

religion. Now, this erstwhile Communist power is caught in the pincer of Orthodox Christianity and Islam. Russia has a dark future. Limaye who never losses sight of reality disputes the Communist contention that religion embodies false consciousness. It is this false consciousness which is shaping history", and giving rise to new nationalistic and political aspirations. Limaye quotes the example of Ireland. Northern Ireland has Protestant domination and the Southern Ireland has Catholic majority. Can one call the conflict born of such consciousness 'false'? Asks Limaye. Turkey has captured the Muslim dominated provinces of Cyprus. What happened to Palestine? The history of the last 1800 years was wiped out and the Jews scattered all over the world assembled to forge a nation-state called Israel. Lebanon, the beautiful nation-state on Mediterranean Sea was set up by striking a balance between the Christians and the Muslims. Religion has played havoc with this nation. After all, it was the force of religion which brought about the partition of India. While giving a materialistic interpretation of history, Marx and Marxists have accomplished feats of intellectual acrobatics which yields very little. For Marx, forces of production were the foundation and besides, everything else was a superstructure. Therefore, as per Marxist analysis, Caste consciousness or religious consciousness can not become the dominant force but a secondary force standing on the base provided by the forces of production. Limaye, with his sharp analytical faculties has demolished this Marxist formulation. By dubbing religion or caste as parts of superstructure distortions creep in, Limaye contends. Islam was born in Arabia in a particular socio-economic context which had a certain production and distribution pattern. But now it has spread all over the world and become a major world religion. It has absorbed a variety of production relations and modes of production. This applies to Christianity as well. Therefore, Limaye argues, there is something in religion which allows it to transcend the mode of production. That something is the inner urge which cannot be dismissed with contempt as false consciousness which reveals Limaye's mature approach to religion. The Marxist interpretation of religion is of little value in regions like South or West Asia. In the Muslim world, despite industrial progress or growth of capitalism, the stranglehold of religion remains intact. Those who settle abroad for the sake of earning a livelihood have to suffer racial discrimination and adverse competition. They strictly adhere to their religious identity. Limaye repeatedly stresses the point that this consciousness is independent of the forces of production. In the non-Western societies, due to poverty and starvation, there is a strong sense of insecurity which seeks refuge in religion. Limaye's thrust is that religion occupies an important place in human affairs. If Socialism is to succeed in South Asia, it would be suicidal to directly attack the religious beliefs, Limaye warns. The line of demarcation between religion and culture is indeed hazy. Marxists in India have so far desisted from attacking the religious beliefs of

Muslims. Even Hindus are now being pampered. In the name of safeguarding culture, Marxists in West Bengal have given a sanction to the *Durga Puja*. Socialists would do well to oppose intolerance and extremism instead of opposing religion itself, cautions Limaye.

Anti-religion or purely pro-rationalist position does not help much to solve the problem. The pace at which these rationalist values are propagated is painfully slow. Sometimes, it is counterproductive too. Limaye wants socialists to befriend the liberals among Christians and Muslims. With their active assistance, mutual understanding could be promoted and peaceful co-existence could be attempted. Capitalism, Communism, Liberalism, Western style Socialism or a consumer society cannot really liberate the human being. Particularly for the Third World, these dogmas hold little relevance. In India, traditional monotheistic religions as well as communally aggressive forces like the Akali Dal or the R.S.S. have generated intolerance and hatred. When on a higher plane, religion accords due respect to other faiths it also helps to keep in check the materialistic greed of the human beings. Limaye, striking an altogether different note makes a bold appeal to socialists to make use of religion in order to realize the social, economic and spiritual equality which is the *sine qua non* of Socialism. There is one current of opinion which holds that people with ability shape the history. Those endowed with extraordinary intellect and power mould the history as well as time. On the contrary, there are those who believe the external forces shape the history and the individual is merely an instrument. Marx, Spengler and Toynbee sought to give social and economic interpretation of history. According to them the individual is of little consequence. In society, a specific necessity arises which gives rise to the leadership. A particular society needs a certain leadership for a certain task. The rise of such leadership is independent of the will of any individual. What is the role of the individual in the process of history? How it does evolve in a developing society? In a stagnant society like India what form does it assume? Do great men mould the history or they are mere pawns in the hands of circumstances?

This was a subject close to Limaye's heart and he thought deeply over it. He complained that the approach of Marx, Engels and Toynbee was deterministic. Would the October Revolution have taken place without Lenin? Would it have given a different turn to world history? Limaye quotes Trotsky to prove his point. Trotsky was a Marxist who had a faith in historical materialism. Yet, he has acknowledged the contribution of Lenin, the individual. Limaye calls Lenin a world leader or a world historical individual. It is stupid to formulate laws of history, he states. "One can not raise them to the status of laws as they are applicable to physics, space science or geology. They cannot even withstand the tests of biological laws," Limaye forcefully argues.

Forces of extremely complex nature come into play in giving a shape to the historical Factors born of clash of individual wills that deeply influence it. Leadership does not emerge in a vacuum. Nor does it unfold as per the script written by the circumstances. Marx forwards the thesis that the individuals perform their roles in the context of favourable circumstances which is disputed by Shri Limaye, the diehard rationalist. "There is a vast space between these two phenomena. Using a picturesque phrase Limaye calls it a 'twilight zone'. It is in this twilight zone that great individuals can accomplish a lot. In a developing and a healthy society there is a better scope for self-determination. Therefore, such societies are conducive for the emergence of great individuals. The decadence that plagued the Indian society was so wide and far-flung that no single power could emerge which could defeat the aggressors and unite the nation. While the Western society was full of vitality, our society was in a devitalised State. Hence, the quality of leadership was bound to have obvious limitations.

Limaye classifies world historical individuals performing historical roles into two categories. Those doing political-cum-military work; and those doing religious-cum-philosophical work. Julieus Ceaser, Napolean and Lenin belong to the first group. The other group includes Buddha and Jesus Christ. Their work was much more spectacular but it belonged to the spiritual sphere. There is only one personality which could combine the two spheres within himself. It was none other than Prophet Mohammed who founded a religion and also a State.

The societies in which the possibilities of development have flowered, throw up a leadership which becomes world leadership in the ultimate analysis. On the contrary, in a stagnant society like India a similar leader merely turns into a national figure. As per Limaye's formulation Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru and Subhas Chandra Bose were great individuals who became national figures. They could not bring resurgence into this moribund society. Their achievements do not acquire a worldwide significance, which Gandhi's mission could gain. Perhaps, he is the only Indian who transcends the boundaries of a nation in this respect. Violence has posed a serious threat to the entire world which can be met only through Gandhian non-violence. In the land of its birth, non-violence is on a decline. However, if it succeeds and other nations derive an impetus from it, Gandhi would turn into a world historical figure.

In a vital society, leadership can confront any crisis and give a direction. But, one can not predict and formulate a law regarding its inevitable emergence. Britain was a vital society for well over four centuries. She threw up leaders of the calibre of Cromwell, Pitt (Chatham), Robert Peel, Gladstone, Lyod George and Churchill. However, after the Second World War, the

decadence set in explains the absence of leadership of that calibre. A decadent culture or a society can not give rise to such leadership. Even if it does, it can not influence world history. Religious leaders, however, form an exception.

The concept of the State has been discussed at length in the Communist literature. The State in a Capitalist society is a hand maiden of Capitalism. When the inevitable confrontation occurs between the two antagonistic forces, capital and labour, the State unleashes its oppression against labour. Marx had predicted the rise of the dictatorship of the proletariat in a post-revolution Communist society. According to him, this was to be a temporary phase and the State was destined to wither away in the long run. For Marx, it was a pet dream. "The State will exist not for exercising power but purely for administration of things. What is the State after all? It embodies instruments of oppression. The Communists who swore by Marx as well as democratic socialists who draw inspiration from Marx have imbibed this concept of the State in their minds which is why they have an inherent abhorrence for the institution. Interestingly enough, the Communists and socialists in India, even after they have become a part of the State, they retain this hatred at the theoretical level. Limaye had a distinctive approach to the State with particular reference to India. He began articulating it after quitting active politics.

As a democrat, Limaye, instead of condemning the State, strongly supported it. Communists in India, on a practical level, did not believe in revolution or a violent overthrow of the Government. However, on a theoretical level they still adhered to these concepts. Limaye did not believe in this dichotomy. Therefore, he carried forward the logic of the ordered State. The ordered State in India is a result of the indefatigable efforts of Jawaharlal Nehru and Patel, he always acknowledged.

An ordered State provides a foundation for a stable society. In the absence of such an ordered State it is impossible for citizens to live. "Our country is becoming ungovernable," he remarked to me with a touch of sadness and anxiety in his voice. What was strikingly different about his approach was his staunch belief that such a State was necessary not only for the propertied class but also for the toiling masses. It is they who are in maximum need of protection by the State which is facing danger from several quarters. Hindutva enthusiasts give a commitment to protect the mosque and brazenly destroy the same. Terrorists and extortionists who hold the common citizen to ransom; politicians are cahoots with criminals; all such elements pose a threat to an ordered state. We must put an end to this anarchy and enthrone the Constitution and the rule of law. As a true democrat, and as a *satyagrahi,* Limaye was sentenced for 12 years for

participating in the Goa satyagraha. *Satyagrahi* does not beg for mercy. Hence, Limaye did not even appeal for mercy to the Portuguese Tribunal which he refused to recognise. Many of his comrades fell prey to the temptation. Limaye reconciled his faith in *satyagraha* with his faith in the need to have an ordered State which was his unique contribution. Many Gandhian activists or even socialists tend towards anarchism which Limaye scrupulously avoided.

As a committed social thinker, Limaye was worried about the growing penetration of politics by religion. The Hindu Society has nursed a grievance against the successive Congress governments for having 'appeased' the Muslim minority. The grievance may have little foundation as such but it has taken a root at least among the upper crust of the Hindu society. In reality, the situation was exactly opposite. In terms of educational opportunities, jobs, Muslims are lagging far behind. However, the Hindu upper castes are in no mood to listen. They have been seized with a fear, a certain inferiority complex which has impaired its capacity to think rationally. Limaye accepts this harsh reality. Maulavis and Mullahs, on their part have instilled consternation among the Muslim masses. Limaye points out that after the end of the Second World War for about two decades there existed a kind of pro-secular or pro-tolerance wave in the Muslim world. However, it was too short-lived. Particularly after the severe drubbing received during the six-day Arab-Israel conflict of 1967 and after the Khomnei led Islamic revolution in Iran, the earlier pro-tolerance trend literally evaporated. This was bound to have repercussions on Indian Muslims. In the first decade after independence, Nehru was at the height of his popularity. Even then, he could not push through reforms in the Muslim personal law. There was no question of others even making an attempt in this direction. The situation was ripe for communal elements among the Muslims to exploit, which blocked the passage of reform legislation. "Communalism induces aggression against other faiths. Introspection and inner search gives way to vengeance." The present wave of fundamentalism could only be countered through tolerance and cultivation of a rational spirit he claimed. The majority nurses a feeling of deliberate discrimination out of the conviction, however, it is ill-founded that the minority is being pampered. As it gets entrenched, a highly inflammable mixture of hatred, envy and vengefulness is formed. The corpses long buried in the grave of history are disinterred. Limaye warns every community to desist from this tendency. Each religion and civilization has revealed different facets of cruelty and destructiveness while dealing with others. Under the Roman Empire, Christians and Jews were persecuted. When Christianity gained the status of official State religion, they persecuted others. Persian *Sassanids* tortured people of other faiths. The Turks did not launch aggressive war campaign tempted only by the lure of gold and wealth. They wanted to emerge as

Ghazis which is a fact ignored by Marxist historians. Limaye recounts the innumerable instances of destruction of religious places by zealots belonging to all communities. "It would be patently unhistorical to read only materialistic consideration behind their destructive thrust", cautions Limaye. Islam is supposed to be a religion of peace. Yet, the brotherhood exists in Islam is restricted only for the faithful, a fact to which Limaye draws attention.

In Hinduism there were currents of religious thought which granted the right of existence to all schools and opinions. Yet, there existed a tendency to suppress the currents going against the mainstream. Jains were persecuted by the Shaivites. Why venture into this past now? Limaye asks a sensible question to his fellow Indians. The Hindutva enthusiasts have been talking of setting right the historical wrongs. "This will not only be counter productive but suicidal," warns Limaye. While the hierarchical nature of the Hindu society is a matter of great shame, there is no gainsaying the fact that a tolerance does exist on a wider level in the Hindu religious thought. In the matters pertaining to faith, Islam is fiercely intolerant which can not be disputed. Still, there is a certain kind of brotherhood and egalitarian spirit which pervades the faith which Limaye appreciates.

Limaye detested shallow interpretation of earth-shaking events like the 1947 Partition of the sub-continent or the age-old Hindu-Muslim conflict. This conflict has a thousand year old history. "It is the most destructive discord which has split the sub-continent. If it is allowed to simmer, it will ruin both the nations," he once told me in a fit of despair. He perceived a fundamental antagonism between Semitic faiths and Hindusim which originated in India. "This has been going on for centuries together. Semitic religions are comparatively more intolerant than the Hindu religion," he wrote. He wanted Judaism, Christianity and Islam to cultivate tolerance and Hindu and its satellite faiths like Jainism, Buddhism and Sikhism which gave a sanction to social hierarchy which, in turn, enthroned inequality, to cultivate an egalitarian spirit. Brahmins did not hesitate to unleash violence against Buddhists and Jains who preached different doctrines. They gave go-bye to the tenet of tolerance expounded in their religion. Limaye wanted to put an end to the unwelcome features of both the Semitic and the Hindu traditions and took a balanced view. In a moving passage he sets forth his eclectic philosophy."

Limaye's analysis of the colonial exploitation and its connection with the Industrial Revolution in Britain is of seminal nature. The British imperialists expropriated India's raw materials during the five decades from 1780 to 1830, which was the direct cause for the pauperisation of India. This process was unraveled by Indian intellectuals like Dadabhai Nauroji,

Mahadeo Govind Ranade, Ramesh Chandra Dutt as well as sympathetic British writers like William Digby, who also took this view. Marx articulated his philosophy in terms of forces of production and relations of production. As the economy makes a transition from feudalism to Capitalism, the developed forces of production overthrow the suffocating relations of production, said Marx.

Forces of production under Capitalism keep developing at a rapid pace. In any equal competition and industry based on the feudal technique will not be able to survive the onslaught of the Capitalist forces of production according to Marx. Marx applied this so-called law to the colonial India and pronounced his verdict that her industry was bound to face defeat and extinction at the hands of the vibrant and resilient British Capitalism. Limaye vehementaly disputed and convincingly refuted the Marxian thesis, "Imperialism is the last stage of Capitalism." It was Lenin who enunciated this theoretical proposition after digesting the formulations of Hobson and Hilferding. Limaye, drawing upon India's experience stated that imperialism was not the last but the first stage of Capitalism. Britain extorted wealth from India by threatening use of the State power. This process began in the late 18th Century. This wealth was utilized by the British Capitalism deployed as its own capital. It was unpardonable loot of India which was the direct cause of the Industrial Revolution in Britain. Limaye sees a historical sequence of events here. First, it was the advanced science and technology which made its entry. Then came the advanced weaponry and superior war equipment with which domination was ruthlessly imposed. Then followed the economic exploitation of the cruelest kind which in turn facilitated transfer of enormous wealth and raw materials to Britain. All this expropriated resources were used for the historic Industrial Revolution which is supposed to have dawned in Britain in 1848. Limaye's thesis is that the so-called Industrial Revolution has its roots in the relentless exploitation by the colonial power. For this purpose extra-economic factors like political power and superior Navy were harnessed by Britain which explodes the Marxian doctrine that lays undue emphasis on the economic factors. Marx had discussed the concept of surplus which he attributes to the exploitation of workers. Marx cites surplus as the main factor leading to the accumulation of capital. Limaye finds this analysis of the process of capital formation to be grossly inadequate. The direct link that he establishes between the process of capital formation in Britain and the progressive and deliberate pauperization of India is of great significance.

Limaye's entire ideological edifice stood on the foundation of secular nationalism that was propounded during the freedom movement. To him, it was a basic article of faith. The birth of the Indian National Congress in 1885 was a major milestone and one of the most significant events in the

history of the country. For the first time people belonging to different faiths assembled in Bombay not for a religious discourse or a ritual but for a specific political purpose. They were highly educated hailed from Hindu, Parsee, Christian and Mohammedan communities respectively. What brought them together was a secular political consciousness, which was a theme close to Limaye's heart. Nationalism, national spirit and consciousness engaged his attention throughout his career. Limaye, in his voluminous writing on the subject demonstrates the confused thinking of some of the great nationalist leaders which resulted in creating a terminological fog which raised obstacles in the path of the evolution of a secular identity. Limaye rightly points out that there is no equivalent of the word 'nation' in Indian languages which added to the confusion. Sir Syed Ahmed used the term 'Quam' in four different ways. Once he called Muslims a Quam. Then, he referred to the Bengalis as a Quam. Sometimes his Quam concept included both Hindus and Muslims. In eastern India one often hears the expression *Udiya* Nation or *Bengali* Nation. What Maharashtrians mean by the word Rashtriya is *Jatiyo* in the eastern Indian languages. The end result is national consciousness gets often mixed up with narrow concepts.

Limaye loved to explain how different strands and layers of Indian nationalism were made up. The modern concept of nationalism did not originate in Asia. It emerged in the Western culture and gathered strength in the post-mediaeval era. England was the first powerful nation-state.

Unity was achieved by the French after they won the hundred day war under the leadership of Joan of Arc. The concept of nation-state gained respectability in the 18th Century after the American Civil War and the French Revolution. As the 19th Century progressed Greece, Itlay and Germany were drawn into the vortex of nationalism. Its arrival in India, thus was through a circuitous route. Everyone was inspired by this ideal of nationalism in India in his own way. To some, Indian nationalism was equivalent to the consolidation of the Bengali speaking people. For some it was nothing but the glory of the Maratha power. For others, nationalism was synonymous with Hindutava or Islam.

Many Bengali intellectuals and leaders including Raja Rammohun Roy looked upon the British as angels who liberated Bengal from the tyranny of the Mughal rule. When Shri Prasanna Kumar Tagore was asked to choose between the British and the indigenous rulers, Tagore unhesitatingly opted for the British because to him self-rule was a euphemism for a Muslim rule. Muslims in the Punjab thought on similar line. They thanked the British for delivering them from the oppressive Sikh rulers. Dalits and shudras who faced excessive discrimination and torture during the Peshwa rule in Maharashtra too thanked the British.

What does one mean by nation-state? Is it a geographical concept? Do people staying within particular boundaries, inhabiting a particular land constitute a nation despite their religious or linguistic dissimilarities? India is inhabited by people professing different faiths, belonging to different castes and speaking different languages. It was the leaders from the Parsee community who first formulated the idea of the nation-state, which was closest to the concept as it emerged in Europe. This was Limaye's most subtle observation. Dadabhai Naoroji and Ferozshah Mehta were the leaders of the Parsee community. In the field of education, commerce and industry Parsees were far ahead of their compatriots. They were and still have been a numerically insignificant minority but the entire community was extremely enlightened. It was the Parsee community leaders who first preached a purely territorial and non-denominational kind of nationalism. Leaders of the Hindus or Muslims showed this maturity much later. They were fiercely nationalistic in spirit but their nationalism was restricted to the narrow categories like the caste, community or linguistic group. Limaye emphatically adds that not a single non-Parsee leader could enunciate Indian nationalism in the correct way in the 19th Century.

Dr. Annie Besant and Bipin Chandra Pal talked of nationalism which encompassed all. Dr. Besant was a theosophist who believed in the essential unity of all religions. There is an element of mysticism and spiritualism in theosophy which finds expression even in its concept of nationalism. Bipin Chandra Pal too expounded an all embracing nationalism, which contained a streak of mysticism. Lokmanya Tilak's nationalism evolved with years. Limaye aptly calls this confusion the birth pangs of Indian nationalism. At a particular stage, Sir Syed Ahmed's idea of Indian nationalism was very broad and it presumed a peaceful co-existence of Hindus and Muslims. He called India the motherland of Hindus and Muslims. "We have dissolved our identities to such an extent that we have invented a new language called Urdu which is truly composite." The same Syed Ahmed gave up his liberal position and adopted a communal stance for which apart from he himself, leaders of the majority community are also to blame, says Limaye from a liberal point of view to the intensely communal viewpoint, it was the process of transformation in case of many leaders of other communities. Mohammed Ali Jinah, Mohammed Iqbal, Vinayak Damodar Savarkar fell into the same category. Limaye makes an extremely pertinent observation regarding the fear complex of the Muslim leadership. "All Muslim leaders including Syed Ahmed were exponents of territorial nationalism. But with the expansion of the limited franchise the representative institutions began to develop. This changed the perception of Muslim leaders. Indians began to get civilian and military jobs. The Muslims began to develop a fear complex which fostered a separatist feeling which forced for the partition of the country." Though the partition has created a three way division of the country the issue still stands unresolved.

There are three faces of Socialism. Communism, Western Socialism and the Third World Socialism. Is the Socialism as it is, reflected in these three types adequate to deal with the problems confronting the mankind? Taking the experience of the last eight decades into account, Limaye is forthright in saying that Socialism is inadequate to solve the problems that face the contemporary world. The defeat of Communist States has prompted some intellectuals to celebrate the 'event'. Those who mix-up religion with politics have been tempted to trumpet it as their own victory which Limaye calls highly immature. No social thought or action plan can hold validity for all times. It is bound by geographical and temporal limitations. One has to make suitable changes in it, update it to meet the new requirements. The Capitalism as it prevails today is much different from what it was when it emerged in the 19th Century. There is a vast difference in contours of this phenomenon at its inception and its present state. If Capitalism can incorporate a number of changes and if it can constantly renew itself, then how can Socialism remain static? If there is an end to misery the world-over and all problems simply vanish into the thin air then Socialism can afford to remain unchanged. But this is far from the reality. One has to constantly re-examine one's ideological premises in the light of new events and in changing contexts, Limaye stressed. One can not bind Socialism to a particular mode of ownership and distribution. A Capitalism based on totally free enterprise exists in no country in the world. Socialism, according to Limaye is not a concept restricted to a particular pattern of ownership of the forces of production. It is a much deeper concept. A change in the pattern of the ownership of the forces of production does not impair the eternal values that Socialism propagates.

Limaye calls Socialism a humanitarian philosophy. It means social and economic justice. It swears by eradication of Casteism, dignity of labour and equality of opportunity to all. Socialism aims to liberate women; preach religious tolerance and is opposed to *apartheid*. It seeks to battle fanaticism of every kind and vehemently condemns exploitation of one nation or a society by another. It abhors war mongering and violence. It is ever prepared to launch a struggle through peaceful means for ensuring rightful gains that are due to all and sundry. Socialism has faith in adult franchise which is the cardinal principle of representative democracy. People have a right to vote out a Government that they do not like and elect the Government of their choice. One-party rule is repugnant to Socialism. The civil liberties which are a legacy of a liberal tradition are considered priceless under Socialism.

Limaye is emphatic that social justice and equality of opportunity to all are the prime motivations behind the socialist philosophy. The only way one can rejuvenate the philosophy and the movement inspired by it is by setting a limit to man's acquisitive instinct. Environmental neglect ultimately leads to injustice against the poor. Socialism can not afford to exploit the

natural resources in a manner that was adopted by Capitalism during its heyday. Socialism not only seeks to establish harmonious relations between different faiths, ethnic groups and nations. It also intends to establish a rapport between man and nature. Accordingly, a redefinition of Socialism is called for.

Socialism in India will be inadequate if it only pays attention to the economic aspect to the exclusion of other angles. National integration and social consolidation are also equally important to the Indian version of Socialism. Indian languages should enjoy an equal status and all Indians should speak a common language. He rated Sanskrit very high and thought it was the most suitable for being made into a national language. He was, of course, as aware as he was critical of the hierarchical environment around Sanskrit. The only way to integrate the Indian society was to abolish Castes altogether.

Socialism believes in the supremacy of reason and rationality. Eradication of superstition and irrationality through the cultivation of a scientific spirit is central to Limaye's Socialism. For socialists democracy is an article of faith. By democracy Limaye does not mean the democracy of the erstwhile moderates. It is not restricted to humble petitions and legislative work. The Gandhian principle of non-violence is totally in tune with Limaye's concept of Socialism. Strikes, non-cooperation, satyagraha, organisation network and constructive work are various facets of Limaye's Socialism. Limaye was an aesthete, an avid listener of classical music and dance. His father was a music teacher and his elder brother too taught music. "Why didn't you learn music? You appreciate it so much." I once asked him. He gave a philosophical reply. "There is an inherent conflict between ethics and aesthetics. I joined politics because of my commitment to ethics." This sums, in a way, his life and saga of his struggles.

MADHU LIMAYE—HIS PERSONALITY, POLITICAL CAREER AND CONTRIBUTION

*—Aniruddha Limaye**

Madhu Limaye was a leader and socio-political activist—very idealistic, logical and rational, with great sense of fairness and justice, a near genius in terms of his intellectual prowess—in breadth and depth of his knowledge, his unending scholarship, his almost photographic memory, his extremely hard working, disciplined nature and a very strong uncompromising will. But in the final analysis he deeply believed that he was a "servant" of the downtrodden people and this nation, rather than the "master" of his own destiny and this country's fortunes. To use title of one Dr. Ram Manohar Lohia's books and thesis contained therein, Madhu Limaye did not possess abundance of *"Will to Power"*. He was more beholden to his conscience and convictions than anything else.

With this fundamental make-up, while he was probably the best in class in his generation and may be in generations to come, Madhu Limaye could possibly never have become a mass leader, who had enormous following and adulation, and who held unquestioned ascendancy in his party and the larger Socialist Movement in India. Nor was he ever passionately devoted to seeking and holding an office. It is ironical that a person, who was most concerned about the well being of the masses, would never be foremost in the minds of the people of our country as their chosen leader.

I will try to explore why and what made my father, Madhu Limaye, the way he was, and therefore, in that light understand what he could achieve and what he could not, in his long career of public service and politics, spanning over 55 years, which began when he was of a tender age of 15–16 years in Pune and which ended with his last breath, on the night of 8 January 1995 in Delhi.

Now on, in this article, I have referred to my father as *Bhai***, which is what I called him. Bhai was third among nine siblings, five brothers and

* He is the son of Shri Madhu Limaye.

** This term in Marathi is equivalent of the term *"comrade."* Bhai was the term extensively used by Communists and Socialists as well as by journalists in public sphere in Maharashtra as a substitute to comrade. My maternal uncles and aunts affectionately addressed my father as Bhai, which I picked up as a child and continued to use. On the other hand, my father's siblings and cousins mostly called him by his given name, Madhu, which in the eyes of a little boy, was not an appropriate way to address his father.

four sisters including him. By the time he was born on 1 May 1922, the financial circumstances and emotional environment of his immediate family had become precarious. His father was a school teacher. English language & literature and Hindustani classical music were the subjects of my grandfather's expertise and passionate interest, which he taught at school. Bhai's elder brother Manohar and his younger sister Indu shared their father's passion and became exponents and teachers of Hindustani classical vocal music. So in a way, Bhai's abiding love for music was a form of family inheritance and shared tradition.

Around the time Bhai was born, after having taught for over 13 years in his *alma mater*, New English School of Pune, Bhai's father developed some serious differences with the school authorities, and quit his job. He was essentially a shy and sensitive type of person, and consequently, he did not quite recover from this life changing event. Thereafter, for the rest of his life, Bhai's father did not really hold a steady job or provide regular, consistent financial support to his immediate family. This not only created immense and long standing financial difficulties for his family, but also made my grandfather very melancholy and permanently depressive. This was one everlasting gloomy aspect of Bhai's early childhood and adolescence (from 1922–1938/39), until he left home in service of the nation and its people.

There were few other events and factors during Bhai's childhood, that is, until his matriculation, which made a lasting impact on him. The first one helped him to get into better physical shape and overcome his sickliness and bronchial asthma, until it recurred during his second incarceration under the British rule in the course of the *"Quit India Movement,"* and then, continued to afflict him for the rest of his life, and eventually was the immediate cause of his death. This was a few years' friendship with a fellow school student in Saraswati Mandir in Pune, who was called Dada. Dada Bhoir encouraged and coached Bhai to learn physical exercises, and to play Indian outdoor sports like Kabaddi, Kho-Kho, and Football. Despite later recurrence of asthma, the short stint of exercises and sports helped Bhai's physical development and endurance a great deal.

The second factor to have impacted Bhai deeply was the tyranny of religious rituals and practices observed and caste discrimination practised by his conservative maternal grandfather. These turned Bhai permanently against traditional Hindu religion and the pernicious "caste system" practised by the Hindu society. At the same time, his grandfather's rituals introduced him to the Sanskrit language.

There was a third set of events that made a lasting impression on Bhai. They occurred in the early 1930s, while he lived in Mumbai for a short period, with his maternal uncle. Here Bhai witnessed brave non-violent

struggle for freedom from the British imperialism, by patriotic men and women under the Congress leadership.

In 1933, when Bhai was eleven, his father decided to bring him to Pune from Mumbai and continue his education there. Bhai's return to a Pune School (Saraswati Mandir) was quite short lived. Under the District School Board rules, he was two years underage in relation to the class he was placed in, and thus, he was never formally enrolled during two years of his stay in Saraswati Mandir School. This situation at Saraswati Mandir (School) eventually led to events that made my grandfather take Bhai out of the school by the time Bhai was thirteen. My grandfather decided to teach Bhai himself and to get him to appear for matriculation (secondary school) examination, which was then conducted by the University of Bombay as an external student. Eventually, in 1936, Bombay University sent a letter accepting Bhai's candidature as an external student for the matriculation examination. My grandfather's decision to take his son out of school and prepare him for matriculation examination under his own tutelage as an external student, instead of pushing the son down a couple of classes and making him go through regular school, met with severe criticism from both sides of Bhai's family. This highly risky step was in many ways the first transformational opportunity and real challenge for Bhai. While there were many prophets of doom, one of my grandfather's well to do cousin sister, called Taputai, promised to provide financial assistance for Bhai's entire college education until BA, if he were to pass matriculation examination in the first attempt.

Bhai's father taught him English for about an hour-and-a-half every day. His elder brother, my uncle, Manohar, who then lived in Satara with their paternal uncle, taught Bhai Mathematics for a few hours every day, during his summer vacation. During this period, my uncle Manohar, who had great fascination for music, also introduced Bhai to the nuances as well as theoretical underpinning of Hindustani classical music, the *ragas* and *taals*. Apart from this relatively meagre formal academic instruction, Bhai had to prepare himself for all other subjects. This compelled him to become intellectually self-reliant.

Absence of regular, full-day, school or full-time tutoring at home, left Bhai with a lot of free time. He was very keen to pass matriculation in the first attempt and enter the enticing world of college education. However, the school text books and curriculum could not really consume all his free hours. So Bhai enrolled himself as a member of Pune's Public Library called *Pune Nagar Vachanalaya*.

The books, magazines, journals and newspapers in the Library opened a completely new world to Bhai. He became a voracious and eclectic reader.

The sympathetic and indulgent library staff supported his passion for reading. Books not only provided Bhai a vast vista of knowledge, they helped his intellectual and emotional development. They helped raise his socio-political consciousness, provided him new insights and enthroned in him love for unending learning and deep study of subjects. Books also created deep sense of aesthetic appreciation.

At this juncture, most of his reading, though on a wide range of subjects, was more restricted to Marathi. This voracious reading habit helped develop his near photographic memory, sharpen his comprehension and also built his reliance on self-learning, which served him very well throughout his career, and in fact, became a hallmark of his style of functioning. Nothing that Bhai spoke or wrote on public affairs was ever off the cuff or based on unsubstantiated opinion. It was always backed by facts, based on vast knowledge and deep study of differing viewpoints. It also helped Bhai to master the art of learning very diverse and new subjects quickly, so that in a short time he could hold his ground on those subjects with those formally educated and steeped in those subjects for years such as lawyers and jurists, economists, sociologists, historians and academicians. These qualities made Bhai's arguments and opinions quite unassailable. Many legal/court cases, including *habeas corpus* cases against his unlawful detention that he successfully argued in the Supreme Court throughout his life, are a testimony to this ability.

Throughout his life and career, particularly during his long prison sentences, whether under the British rule, the Portuguese rule in Goa or otherwise in independent India, within the constraints of prison regulations, Bhai continued his life long studentship through books, under the aegis of what he fondly called *Mahatma Gandhi University of Satyagrahis*. With the company of books, the length of his imprisonment period could never affect his spirit and resolve to fight for the causes that he did all his life.

Around the time he was ready to appear for his matriculation examination, Bhai's personality was a unique mix. He was a shy, reserved and lonesome adolescent, buffeted by uncertainty about his future, who would not easily share his troubles with anyone. The first significant and life changing success that Bhai tasted was when he passed the matriculation examination with good marks at the first attempt, despite all the doom's day predictions.

The two-three year stint in Fergusson College in Pune virtually transformed Bhai's personality and life. He himself likened this phase of his life of being transformed from a "caterpillar into a butterfly". Unlike his school days, now he made quite a few new friends, young men and women,

many of them remained his life-long friends. Awakening of his socio-political awareness was the most important aspect of this phase in his life.

Congress Socialist Leader Achyut Patwardhan's speech in his college on "War on the Horizon" was one such landmark moment. Achyutrao's analysis about likelihood of the war between Nazi Germany and imperial Britain and other countries, and India being dragged into it against her interests and wishes, and our need to resist this made a strong impression on Bhai. The other factors occurred along side his studies. Bhai's history professor, Prof. Kelavala, encouraged him to extend his reading to English newspapers, journals and books and to begin conversing in English.

Preparation for the second paper on the Government of India Act proved to be totally life changing. Apart from theoretical library research on the subject to get familiar with evolution of political institutions under the British rule, Prof. Kelavala had also suggested to Bhai that he should meet local political leaders. One of the first leaders Bhai went to meet and interview on this topic was Socialist Leader Shridhar Mahadev *alias* S. M. Joshi. SM, as he was fondly called, introduced Bhai to the world of idealism, patriotism and public service involving sacrifice. His example drew Bhai into India's freedom struggle and the nascent Socialist Movement in India. Soon SM became Bhai's mentor, guide and inspirational father figure, which he had missed all along. SM introduced Bhai to the Socialist Study Circle and to the Congress Socialist Party. At the study circle Bhai met some of his closest life time friends and comrades, the most important among them being Keshav *alias* Bandu Gore, Vinayak Kulkarni and V. N. *alias* Anna Sane. Apart from affection, praise and encouragement, SM gave Bhai an opportunity to shoulder organizational responsibility and to participate in "office" work and correspondence. He assigned to Bhai projects which involved meeting with people and conducting "field studies" to back up library research on topics of public importance.

SM's steadfast and growing confidence in Bhai's abilities, judgement and character, made this young man, who hitherto had received little recognition, for the first time in life feel really special. Bhai developed the skill of collective organizational functioning and learnt to conduct grassroots level public contact and education of party cadres. Soon, at the age of 16-17 years, at SM's prompting and support, Bhai was made Pune Congress Socialist Party's Office Secretary. Initially SM, and later Yusuf Meherally, Pandurang S. Sane *alias* Sane Guruji, Acharya Narendra Deva, and above all, Jayaprakash Narayan (JP), and Dr. Ram Manohar Lohia pushed shy, self-effacing and un-ambitious Bhai to the forefront, giving him prominence and providing him newer opportunities to develop new skills as well as to use them in public sphere. This inspired and emboldened Bhai, who was temperamentally

little suited to public life. Had these leaders not reposed so much faith in Bhai and made opportunities available to him, in public affairs Bhai may have remained content to be a grassroots level activist.

In 1939, Bhai and many of his friends, now active in the Socialist Movement, decided that they wanted to devote their life to political struggle for freedom and Socialist Movement for upliftment of the downtrodden masses. He and many of his young friends became full time party workers. Bhai was assigned Khandesh (Jalgaon and Dhule Districts) as his area of party work. Until nearly 1948, apart from two long periods of his incarceration under the British rule, first for conducting anti-war campaign in 1940 and later for actively participating in the underground freedom struggle during the 1942 Quit India Movement, Bhai continued to work in Khandesh. During his first prison sentence in Dhule Jail (Juvenile Ward), Bhai met saintly Sane Guruji and drew him away from Communism into the fold of democratic Socialism. Sane Guruji and Bhai became very close until Sane Guruji's untimely death in 1950.

In March–April of 1947, in a small town called Amalner located in Jalgaon District (Khandesh), Bhai was invited to conduct a study circle by some women students. Bhai met my mother, Champa Gupte, in the course this two week long series of lectures. At that age, both my parents were quite shy. As both of them often said, they did not speak a word with each other or even exchange any meaningful glances. However, when around four years later, Bhai wrote a letter to my mother proposing to her, she was delighted at this unexpected turn of events. My mother's family was a well to do and somewhat conservative. However, no one, including my maternal grandparents, objected to this inter-caste alliance. Undoubtedly, they warned my mother of the life of hardships, economic difficulties, sacrifice and uncertainties that she should be prepared to face. And all these challenges she certainly got by a sackful during all her marital life. Both Bhai and Aai (my mother) realized that for most part, she would have to take up the burden of running the household, and therefore, needed to take up a permanent and secure job to enable Bhai to continue to participate full time in political work.

When Bhai proposed to her in 1951, Aai was pursuing her MA degree in Marathi and Sanskrit language and literature at Amalner. So they decided to wait until Aai completed her MA and could get qualified to take up a teaching job, preferably in a college. Eventually, they got married on 15 May 1952. Their marital relationship was the most important foundation on which Bhai could build his life long dedication to public service. It was the most important enabler and emotional anchor for the rest of his life. For my mother, their relationship and Bhai's work provided a sense of larger purpose

in life. Until she retired, for most part, my mother was professor at National College in Mumbai. She ran the house, pretty much raised me single handedly and continued to support Bhai's family until my uncles completed their education. Bhai always said that without my mother's financial and emotional support he would have found it very difficult to lead totally principled and ideological political life. He may have withdrawn from politics earlier.

I often think the years 1939 to 1954, particularly from early 1947 to 1954, were probably among the most hope filled days of Bhai's life. Yet, there were certainly many traumatic events that took place during this period that did not leave the joy unalloyed, but in sum, there was more room for hope and happiness. The years 1947–54 were of many happy developments besides his marriage. In 1948, Bhai was first projected within the Socialist Party at the national level as a promising young leader. At the founding national conference of Socialist Party in 1948, at the young age of 26, Bhai was appointed a Joint Secretary of the Party, and earlier in 1947, he was sent to Antwerp (Belgium) as the sole fraternal delegate of India's Socialist Party to the International Socialist Conference. In 1953, he was sent as Secretary of the Asian Socialist Bureau to Rangoon. In all the three above events JP played a major role. Finally, in July 1954, I, my parents' only child, was born to complete the family.

While participation in the Socialist Movement and freedom struggle, particularly the Quit India Movement, was a source of pride and purpose for Bhai, deaths caused by derailment of trains like Punjab Mail, was traumatic when he secretly witnessed the misery of the victims. This set Bhai permanently against the use of violence as a means of political struggle and made him life long adherent of Gandhian principle of non-violent resistance.

Ordeal of fasts in Rajkot by Gandhiji, in Pandharpur by Sane Guruji and in Pune by JP (after Socialist Party's relatively poor showing in 1952 General Elections), were moments of great anxiety. These events also permanently turned Bhai away from the use of "fasts as a moral force" in public life. He looked upon them as emotional blackmail. He never resorted to fasts to achieve any political results.

I certainly think that the break-up in the Socialist Movement so early in India's post-independence democratic existence and permanent parting of ways between the Party's two tallest leaders, charismatic JP and intellectually brilliant Dr. Lohia, forever destroyed the prospects of ideological and effective socialist alternative before the people of India. Certainly on both sides of the Socialist divide, there were dedicated and brilliant leaders who made

their mark in Parliament and outside later, but Indian socialists had forever missed the bus in terms of impacting the destiny of India for its betterment.

Bhai did realize that Lohia and he may begin new strategic and policy initiatives. They may provide intellectual insights and new theoretical underpinning to help unravel a situation. They may start mass political action and not remain arm-chair revolutionaries, preaching to others and remaining on the sidelines. But both of them, for their own respective reasons, were not mass leaders of the standing and popularity of JP or SM in their own spheres.

Dr. Lohia and Bhai were not just intellectuals and political philosophers. They were all their lives men of action, but more in the manner of gladiators or commandos. Both of them were at their best, dueling individually against their rivals in larger public interest, when they were unencumbered by the task of carrying others, whether those others were their own party comrades, political allies or the mass electorate.

After the split in PSP, soon after celebrating my first birthday on 11 July 1955, Bhai went to participate in Goa Liberation Movement, which had been originally started in June 1946 by Dr. Lohia to resist and overthrow the despotic Portuguese rule of Goa. It had now been strongly revived. This was a difficult decision, fraught with consequences. But as usual, my mother was supportive of Bhai's decision. Bhai and his team of *satyagrahis* were severely beaten up by the police. There were rumours (in fact reports in a Marathi newspaper) that Bhai had died due to the police assault in their custody. Those were terrible moments for my mother, who was barely 27 with a one-year-old child. Like a true *satyagrahi*, Bhai refused to defend himself against the charges saying that since he did not recognize Portuguese authority over Goa, there was no question of recognizing the military tribunal's authority to try him for seeking to peacefully oust the Portuguese from Goa. He was sentenced to 12 years of imprisonment.

However, after nineteen months of incarceration, he and many other detainees, were released under a general amnesty that the Portuguese dictator Salazar declared in early 1957 at the behest of the Pope. Although I had accompanied my mother a couple of times to visit Bhai in prison, when Bhai returned, he was quite a stranger to me. For a few days, I did not want him around, but soon Bhai won me over with his charm, and for the rest of his life, we were very close. Although we spent much less time together, I was more inclined to Bhai's viewpoints than my mother's.

While Bhai was in Portuguese prison in Goa, Dr. Lohia founded and launched Socialist Party, which had broken away from PSP. This phase, from 1955 to 1963, was an attempt of building and running the Party on the basis

of most pristine principles. The focus was on building a cadre based party of the masses, with lots of organizational, educational and constructive work, coupled with peaceful agitation on public issues and against injustice and elections (in Hindi Dr. Lohia called in *Phavda, Jail Aur Vote Ki Rajneeti*).

When Bhai was released from Goa prison, he was accorded a hero's welcome back in Mumbai. Soon the second general elections were due. Dr. Lohia prevailed upon Bhai to contest in the 1957 general elections, which included Parliament as well as State Assembly elections. Bhai became Socialist Party's candidate from Bandra-Khar Assembly Constituency in Mumbai. Bhai lost his security deposit. My mother was very heart broken. Bhai too was sorely disappointed. But the unintended result of the rejection by his home state and city of residence of his candidature was that Bhai became more of a national leader rather than leader from Maharashtra, representing the State.

Bhai's opportunity to represent people in a legislature came after seven years, in the form of bye-election in the last quarter of calendar year 1964. After the fateful 1957 election, Bhai contested six elections to the Lok Sabha; two bye-elections from distant Bihar (in 1964 and 1973) and four general elections (in 1967, 1971, 1977 and 1980) and never from his home State of Maharashtra. For the first three elections, his constituency was Monghyr, and on the latter three occasions it was an adjoining constituency, Banka. While Bhai lost 1971 and 1980 general elections, he was elected to the Lok Sabha four times, a relatively small first victory in 1964 and three resounding victories in 1967, 1973 and 1977. The unfortunate part is that although he won four times, he could never get a single full five-year term. His last election, in 1980, was in a way similar to 1957 election. In 1980, he was unjustly stigmatized as breaker and wrecker of Janata Party.

The first term during which Bhai earned his place as an outstanding Opposition member of Parliament lasted a little over two years, the next term was of around four years, the third was little over three years, since he resigned in 1976, in protest against the extension of the 5th Lok Sabha's five-year term in 1976. The fourth and last term was less than three years. Thus, instead of full 20 years that four victories in normal general elections would have given an MP, Bhai was a member only for these twelve years, of which one year (1975-76) was spent under detention, and the last nearly two and half—three years were spent as General Secretary of Janata Party, and then, after the split of the Janata Party, as General Secretary of Lok Dal, both short lived ruling parties.

After 1977 victory, Bhai chose party position over a Ministerial position, primarily to work towards strengthening the new party, which had many

disparate constituents. Being a senior party office bearer, during his last term, Bhai had to assume very inactive role as a parliamentarian. He spoke on the floor of the House on very few occasions. But even then, his effectiveness in that forum was unsurpassed.

Twice it was to oppose his party government's proposed legislative actions. This was when he had to oppose the anti-defection, (rather anti-dissent) bill that the Government sought to introduce without any inner party debate, and against Bhai's admonishment that the Bill in its current form was anti-democratic. Bhai spoke for barely 10-15 minutes on the floor of the Lok Sabha, and the Government was forced to hastily withdraw the Bill. One other time, it was to prevent the Janata Party Government from reneging from their election pledge to repeal MISA and Preventive Detention. Bhai's intervention on the floor of the House compelled the Government to reconsider its stand. Eventually, both these enactments were repealed.

As his son, I would like to proudly assert that probably there has been no other 20th century Parliamentarian, in India or in any other democracy, who contributed so much as a private opposition member. I would be surprised if I am proved wrong on this seemingly tall claim!!

From 1955 onwards, until he retired from active politics, despite being averse to and above intrigue and power struggle, Bhai had to cope with internal conflicts, intrigue and rivalry foisted upon him by some of his party colleagues. This was more so after Dr. Lohia's death, who died suddenly, and had not declared any heir to his intellectual and ideological legacy. Bhai's ideological and intellectual leadership was constantly resisted and questioned by many fellow leaders. Bhai's political sagacity, foresight or courageous, principled stand on issues was often of little avail. Resigning from the membership of the immorally extended Lok Sabha was one such stark instance, where no one else other than Sharad Yadav followed, and this when many of these prominent leaders (MPs) were in prison and in no position to function as MPs in the Lok Sabha.

On the practical level, Bhai was keenly aware of his personal limitations as a mass leader. After the split in PSP and JP going into Sarvodaya, Dr. Lohia was the only "messiah" or prophet that secular, democratic, socialism had in India. He had, in ample measure, dynamism, charisma, courage, selflessness, audacity and intellectual prowess required to take the socialist movement forward. In 1963, Bhai was 41 years old. From the age of 16, he had spent 25 years of his life in selfless political work. Although he had wider interests and a multi-faceted personality, he had chosen the path of political action rather than anything else. As he often said, he had chosen to pursue "ethics" over "aesthetics," or "shreyas"—duty over

"preyas"—things he loved. It was difficult to revisit this choice. Bhai also had burning faith that democratic socialism would be the saviour of our nation that had suffered misfortunes for long. He, thus decided to break away from ineffective tactics and fully use his habits of industry, deep study, investigative skills, public contact and above all mastery over the Constitution of India and the Rules of Parliamentary Practices and Procedures. He more or less permanently broke away from the methods of his other strident comrades and rarely walked-out of the House or boycotted the proceedings or made noisy scenes. He certainly used his powerful resonant voice and chaste Hindi to capture attention. He also started mobilizing combined efforts with other opposition leaders.

By 1966 Monsoon Session, Bhai established his complete ascendancy in the Lok Sabha. Misdemeanours of many Ministers, bureaucrats, industrialists and businessmen were exposed. Innumerable matters of public interest were debated. Parliament soon moved from being a sterile sanctum of polite debate into "a mirror reflecting the concerns of common people." Press was full of coverage of happenings in the Lok Sabha and Akashvani's daily bulletin "Today in Parliament" became as exciting as listening to running commentary of a keenly fought cricket or hockey match. Dr. Lohia, Bhai and their other SSP comrades spoke in Hindi rather than English. Unlike these days, then the media reported what effective parliamentarians did and revealed. Now media first raises issues and parliamentarians echo them on the floor of the house.

Bhai virtually used every parliamentary method and technique available in the rule book—Starred Questions (during the Question Hour), Unstarred Questions, Calling Attention Notices, Short Notice Questions, Censure Motions, No Confidence Motions, Privilege Motions, Adjournment Motions, Half-An-Hour Discussions, Cut Motions, Points of Order, Debates and Amendments to Government's Bills and Budgetary Demands, Private Members' Bills, use of various Parliamentary Committees to telling effect. He was never wrong on facts, law and procedure. From 1966 onwards, it became difficult to thwart him or curb his devastating effectiveness.

Bhai's stellar parliamentary performance quickly shattered the credibility of the Government at the centre. This contributed to the stunning upsets in the 1967 General Elections. Although the Congress Party did not lose at the Centre, its majority was considerably reduced. In many important States the Congress Governments were replaced by Opposition's coalition governments called Samyukta Vidhayak Dal (SVD) Governments.

While the 1967 General Elections were landmark elections politically, for Bhai and Aai, they were more than eventful. During the campaign in

his own constituency, there was a murderous assault mounted on Bhai by hired goons. He had *miraculous* hair breadth escape. Bhai and his injured comrades were rushed to the Civil Hospital in Monghyr City. Once more like Goa in 1955, twelve years ago, rumours were rife that Bhai had been killed. The atmosphere had become explosive. People were ready to respond with violence and seek vengeance. However, my mother, who was campaigning for my father, stepped out with the police and went all round Monghyr City and other parts of the constituency assuring people that Bhai was not in danger.

My mother's role in this election was spectacular. A few days prior to this incident, she had accidentally hurt her left foot—the nail of her big toe had come off and tendons and ligaments of the left ankle had suffered a tear. But with her bandaged left foot, she campaigned relentlessly, day and night in the entire of Monghyr Lok Sabha constituêncy and some adjoining assembly segments as well. I was all along back in Mumbai, away from these dramatic events, anxiously worrying about Bhai's health and his electoral prospects.

Though Bhai had experienced the loss of some very close associates and friends like Sane Guruji and Keshav Gore before, Dr. Lohia's unfortunate untimely death was not only a great emotional loss; it influenced developments within the party as well as it impacted political developments outside the party. In the Socialist Party (SP) as well as in the Samyukta Socialist Party (SSP), for the 12 year period, from 1955 to 1967, Dr. Lohia was the supreme leader. He carried considerable clout and authority within the party. Not that there were no challenges to his position. Mulka Govind Reddy and P. V. G. Raju had revolted and walked out of the party against Lohia's insistence on following the principled party policies. Raj Narain had got himself elected to the Rajya Sabha from UP.

To sum up, for the next 15-16 years, from 1967 to 1983, and then on until his death in January 1995, Bhai's role and his effectiveness were severely circumscribed by the fact the he had no instrument or organization to bring about appropriate socio-economic or political changes or enforce norms of principled politics that the country sorely needed.

Bhai's return to the Lok Sabha in 1973 once more revived government's vows. The demoralized and numerically reduced opposition now was once more galvanized into fiery action. In a manner of speaking, 1973 was like the return of 1963-64. Bhai, Jyotirmoy Basu and other opposition MPs began unearthing and exposing numerous scandals and misdeeds of the Government. Steel barter scandal, Pondicherry License case, Maruti affair—there were endless issues about corruption in high places, wrong policies and ineffective implementation of policies.

Outside the Parliament, the political climate began undergoing a big change, particularly, from 1974 onwards. Bihar movement launched by JP to cleanse public life and make people's representatives accountable, Nav Nirman Movement in Gujarat, and the first ever successful All-India Railwaymen's Union's Strike led by George Fernandes and his comrades, and more such events, were all leading towards significant weakening of public support and moral authority of Central Government.

Once more talks of closer cooperation, in fact, of forming a loosely strung "Federal Party," came up. But even the middle of road opposition parties, including Socialists were not ready for it yet. Searing experience of "Emergency" was required for many disparate elements to come together to form the short lived Janata Party.

I want to illustrate on how many political and Constitutional issues Bhai's position was correct. However, the unfortunate fact is that more often than not his view did not find enough support. In many of these instances, he was the "sole voice," articulating this.

During Janata Party days there were several instances, when Bhai's advice was spurned by his other party colleagues. In the Assembly Elections that followed the parliamentary polls, Bhai had advised his colleagues in Janata Party that they should have electoral alliances or adjustments with CPI (M) and the Left Front in West Bengal, with DMK in Tamil Nadu and with Shaikh Abdullah's National Congress in Jammu & Kashmir and not attempt to go alone. Janata leaders failed to realize that after ousting Congress, they were now on a level playing field, and no unusual public upsurge and sympathy backed them. The political ground realities in each State would now come into play. Bhai's advice was disregarded. Janata Party went alone in these States and was trounced in each of them.

I can cite many more instances where Bhai's insightful analysis and conclusions, although proved to be correct later, were ignored by his party colleagues and allies. Egos and personal ambitions determined responses of most leaders. Everything was getting reduced to summit and electoral politics. After accusing Congress leaders of dynastic and undemocratic tendencies, leaders of Lok Dal, whose General Secretary Bhai was, were proving to be no different. It was a matter of time that Bhai would move away from active party politics. He was tired of "being even remotely answerable" for unprincipled or ill conceived action of his colleagues and allies. There was talk of reviving the Socialist Party and bringing all the Socialists together, but Bhai knew that this programme was a non-starter, and he certainly did not have the ability, the stamina, the will, and above all mass following necessary to get this venture off the ground. Socialists of

the former PSP faction, who were mostly in the fragmented Janata Party, were never fully prepared to accept his lead.

Eventually, the inevitable happened. When in the winter of 1982, Bhai realized that his health could not be restored he decided that enough was enough. Now he would not participate in active politics. He would become a political commentator and writer. In the following years, his health got worse; he suffered a retinal haemorrhage in one eye, weakening his vision. His other ailments, including the old foe—bronchial asthma—got worse. Progressively he travelled less and attended fewer engagements. However, despite his gradually failing health, for the next 12 years, he played the role of a writer and an incisive and impartial commentator in full measure, and he wrote prolifically. He gave disinterested advice to whoever sought it. Now without any fear or favour, he could speak his mind and express his views. While developments during the 1980s and 1990s deeply saddened Bhai and made him extremely anxious about the fate of the "ordered state" of India, now he was not beholden to support any ideology, any party or any group of individuals.

During the last 7–8 years of my father's life, my mother who had retired from National College, moved to Delhi. Thereafter, they were together all the time. They were virtually inseparable and devotedly looked after each other. There was a glow of happy companionship around them. My mother collaborated in Bhai's extensive writing and publishing. She assisted him in the all important but burdensome activities that precede publication of a book—from proof reading, to checking references to preparing indexes.

When Bhai died after short hospitalization from a very severe asthmatic spasm, my mother was not with him when he was taken to Ram Manohar Lohia Hospital. It was a rare instance when she was not with him as she had come to Pune for a niece's wedding and had stopped over in Mumbai for a few days. After his death, she always regretted the fact that on that fateful night, when the fatally severe spasm began, she was not by his side to take him immediately to the hospital.

While Bhai wrote extensively on many subjects, one theme that he constantly researched, thought about and explored was what makes leaders effective. He believed that in making of a leader, nature and nurture both played a role. In making them effective and helping them shape the destiny, he believed the environment or to use a Marxist phrase "objective conditions" played as much role as the individual leader's (and collective leadership's) capabilities and motivation. If the environment was conducive their impact was greater and often on a wider canvass. If not, then, their impact was much circumscribed.

This was absolutely true about Bhai himself. Had he been blessed with a stronger political organization to work with, had he more comrades who had complementary strengths of mass leadership, and yet, had they heeded his advice and views, they would have made a great collective impact. Probably one opportunity that Indian Socialists had to make the positive impact was for all the stalwarts leaders, particularly for JP and Lohia to have stayed and worked together. But that was not to be. Having said that, it cannot be denied that the credit (or discredit) of creating an environment of "coalition politics" which has come to characterize the political scenario of the last four decades, is directly attributable to Lohia's and Bhai's eventual collaboration on working the strategy of Non-Congressism.

To sum up, in the final analysis Bhai was what his three young friends Amarendra Dhaneshwar, Jayant Dharmadhikari and Anant Kamerkar have characterized him in the one hour long documentary film that they made on him—*Nirantar Yoddha*—a Relentless Fearless Crusader. Bhai was surely worried about the fate of India and its multitudes until his last breath, but he had the satisfaction of having given his fullest devotion to all the causes dear to his heart.

Part III

उनके संसद में चुनिंदा भाषण

HIS SELECT SPEECHES IN PARLIAMENT

संसदीय मामले
PARLIAMENTARY MATTERS

संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों का संहिताकरण*£

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बिड़ला परिवार के एक अखबार "हिन्दुस्तान" (हिन्दी) के खिलाफ नियम 222 के मातहत विशेषाधिकार का सवाल उठाना चाहता हूं। साधारणतया मैं अखबारवालों के खिलाफ विशेषाधिकार का सवाल उठाना पसन्द नहीं करता। पिछली बार "स्टेट्समैन" के बारे में मैंने सवाल उठाया था, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य उस समय के जो गृह मंत्री थे उनकी गलत बयानी को और असत्य भाषण को पकड़ना था। किसी भी अखबार के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए वह सवाल नहीं उठाया गया था।

आज यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि जैसाकि कई रिपोर्ट में कहा गया है, हिन्दुस्तान के अखबारों के ऊपर दिन-प्रतिदिन कुछ उद्योगपतियों का और पैसे वालों का कब्जा होता जा रहा है, और उसका नतीजा यह हो रहा है कि उनको जो शक्ति प्राप्त होती है, आर्थिक शक्ति, मालिक के नाते, उसका यह लोग दुरुपयोग करते हैं। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि "हिन्दुस्तान" हो या "हिन्दुस्तान टाइम्स" हो, या बिड़ला वालों का कोई दूसरा अखबार हो, उनमें खास कर हम लोगों के लिए गाली-गलौच रहता है। आज तक इस बात को हम बराबर नजरअन्दाज करते रहे। आशा थी कि कभी न कभी उनके मालिक रास्ते पर आ जायेंगे। लेकिन 2 जून के "हिन्दुस्तान" में एक सम्पादकीय में मैंने देखा, वह किसी संवाददाता की रिपोर्ट नहीं है, वह तो सम्पादकीय है, और सम्पादकीय का मतलब हुआ कि वह सोच-विचार करके, गौर करके लिखा गया है।

अब जिसके बारे में मेरी शिकायत है, अर्थात् जो सम्पादकीय है उसको मैं पूरा नहीं पढ़ता। उसकी एक नकल मैं आपके पास भेज चुका हूँ। उसमें से कुछ हिस्से मैं पढ़ता हूँ। इस सम्पादकीय का नाम है:

"निराधार, अनर्गल व अनुचित"

मैं समझता हूँ कि इसका अनुवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे चल कर इसमें कहा गया है कि:

> "हजारी-रिपोर्ट को असंगत एवं अवांछित रूप से माध्यम बना कर जिन निराधार आरोपों के तीर समस्त लोकतंत्रीय औचित्यों को बेधते हुए, पूरे बारह घंटे तक राज्य सभा में बराबर चलते रहे, सरकार की कसौटी पर वे सारे आरोप तथ्यहीन हैं और सरकार उन पर विचार करना अनावश्यक समझती है।"

**लोक सभा वाद-विवाद*, 5 जून 1967.

£हिन्दुस्तान (हिन्दी) में लिखे गये संपादकीय पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हुए।

खैर, यह तो बिलकुल गलत बात है क्योंकि सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया है। अगर यह आरोप तथ्यहीन होते तो कमेटी का गठन नहीं करना पड़ता। उसको तो मैं छोड़ता हूं। इसमें राज्य सभा की चर्चा का उल्लेख है, लेकिन आगे चल कर जो बात आती है उनके साफ मतलब हैं कि केवल राज्य सभा में जो हुआ उसके बारे में ही उन्होंने नहीं लिखा है, दोनों सदनों में हजारी-रिपोर्ट या मेरा एक विशेषाधिकार संबंधी प्रस्ताव था या ध्यानाकर्षण का मामला था, उन सभी के बारे में जो कुछ कहा गया उसको मद्देनजर रखते हुए यह लिखा गया है। आगे चल कर यह कहा गया है कि:

"किन्तु खेद का प्रसंग है कि कतिपय संसद सदस्यों ने इस रिपोर्ट को उसके मूल उद्देश्य के बिन्दु से नहीं परखा और केवल एक संस्थान विशेष एवं व्यक्ति विशेष को बदनाम करने के माध्यम के रूप में ही उसका इस्तेमाल किया।"

तो उनकी जो सद्भावना है या जो उनका हेतु है उसके ऊपर भी कीचड़ उछाला गया है। अर्थात् हजारी-रिपोर्ट पर बहस नहीं करना चाहते थे, कीचड़ उछालना चाहते थे, व्यक्ति-विशेष को लेकर। मतलब बिड़ला और बिड़ला परिवार से है। आगे चल कर उसमें कहा गया है कि:

"ऐसी अवैज्ञानिक, अप्रमाणिक एवं दुस्साहसपूर्ण हजारी-रिपोर्ट को आधार बना कर संसद में जो हंगामा खड़ा किया गया और जिसमें मिशनरी, मसीहाई और धर्म-योद्धा के आवेश एवं आवेग में बिड़ला-साम्राज्य का भूत पैदा किया गया, इस शौर्य के मूल में जितनी कुटिलता, कायरता एवं कुमति है, उतनी शायद ही आज तक पार्लियामेंट के मंच पर प्रदर्शित हुई होगी।"

मतलब कभी नहीं हुई ......

आगे चल कर यह हमें उपदेशामृत पिला रहे हैं।

"संसद का मंच राष्ट्रीय विचार-विनिमय और देश की विविध गतिविधियों को परखने का सर्वोच्च, अंतिम एवं सर्वाधिक दायित्वपूर्ण मंच है। इस मंच से बोलने का अधिकार भी जनता उन्हीं लोक प्रतिनिधियों को देती है जो जनहित को अपनी चेतना में सर्वोच्च महत्व देते हैं और परिपूर्ण राष्ट्रनिष्ठा एवं जिम्मेदारी के साथ अपनी राय पेश करने की पात्रता रखते हैं।"

तो हम लोगों की जन प्रतिनिधित्व करने की जो पात्रता है उसके बारे में भी उन्होंने सन्देह प्रकट किया है।

"प्रश्न है कि क्या हजारी-रिपोर्ट का आधार लेकर संसद के मंच से जो अनर्गलता, विषवमन, चरित्र हनन एवं अविवेक प्रदर्शित हुआ क्या वह संसद एवं उसके सदस्यों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था?"

आगे उन्होंने दोनों सदनों का जिक्र किया है कि:

"दोनों सदनों में जो निन्दा आलोचना हुई है..."

बिड़ला परिवार और बिड़ला संस्थानों के बारे में:

"उसमें सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी अग्रणी भाग लिया है।"

इसके ऊपर उनको खेद है कि आपके दल के सदस्यों ने भी उसमें हिस्सा लिया। इस पर उनको बड़ा दुख हो रहा है।

*** *** ***

हम भी खुश हैं। फिर कोई विरोध नहीं होना चाहिए। अन्त में अखबार ने लिखा है:

> "इस दृष्टि को पूर्वाग्रह से रंगीन दृष्टि कहें या पक्षपात से पंकिल दृष्टि अथवा घर फूंक तमाशा देखने की लाचारी, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता।"

इस तरह की सारी बातें इस संपादकीय में हैं।

अब सवाल यह है कि क्या यह सम्पादकीय हमारे संविधान की जो विशेषाधिकार संबंधी धारा है और जिसके अधीन हमें विशेषाधिकार दिये गये हैं, उनको भंग करता है? मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 105 की ओर खींचना चाहता हूं। उसमें कहा गया है:

> "Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament..."

वाक् स्वतंत्रता के अधिकार को इस संविधान में बड़ा महत्व दिया गया है और उसको नियमित करने का अधिकार केवल इस सदन को है, इस सदन की प्रक्रिया से वह नियंत्रित है। इसके अलावा वाक् स्वतंत्रता पर और कोई बंधन नहीं है, कोई भी रोक नहीं है।

आगे यह भी कहा गया है कि संसद में जो बातें कही जाती हैं उन बातों को लेकर अदालतों में कार्रवाई नहीं हो सकती है। यह अधिकार इसलिए दिया गया है कि अगर अदालत में खींचे जाने का खतरा बराबर बना रहेगा तो संसद सदस्य अपनी बात को ठीक तरह रख नहीं पायेंगे। इसलिए सदस्यों को अपने कर्त्तव्य को अच्छी तरह से निभाने के लिए यह वाक् स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और यह भी संरक्षण दिया गया है कि संसद में जो कहा जाता है या बोला जाता है उसको लेकर अदालतों में कोई कार्रवाई नहीं होगी।

आगे चल कर तीन में उन्होंने यह कहा है:

> "In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law..."

हम लोगों ने मांग की है, इस सदन के प्रारम्भ में भी की है, कि हम लोग कानून द्वारा अपने विशेषाधिकारों को निश्चित करें। लेकिन वह हुआ नहीं है। हम लोगों की गलती नहीं है। हम तो बराबर जोर देते आए हैं। अगर यह हुआ नहीं तो इसमें दोष हमारा नहीं है आगे चल कर रखा है:

"...and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution"

हम लोगों को यह देखना है कि जिस सम्पादकीय की ओर मैंने आपका ध्यान खींचा है और उसमें ये जो सारी बातें लिखी गई हैं, क्या 1950 में हाउस ऑफ कॉमन्स का विशेषाधिकार संबंधी जो कानून था क्या उस कानून के मातहत यह विशेषाधिकारों का उल्लंघन होता है या नहीं? मैं जरा आपका ध्यान 'मेज़ पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' की ओर दिलाना चाहता हूं। उसका यह जो सत्रहवां संस्करण है उसके पृष्ठ 117 से मैं इसको पढ़ रहा हूं:

"In 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any books or libels reflecting on the proceedings of the House is a high violation of the rights and privileges of the House, and indignities offered to their House by words spoken or writings published reflecting on its character or proceedings have been constantly punished by both the Lords and the Commons upon the principle that such acts tend to obstruct the Houses in the performance of their functions by diminishing the respect due to them.

Reflections upon Members, the particular individuals not being named or otherwise indicated, are equivalent to reflections on the House."

इस वाक्य पर मैं जोर देना चाहता हूं। जहां विशिष्ट सदस्य का नाम न देकर साधारण सदस्यों की चर्चा की गई है उसका साफ मतलब है कि वह पूरे सदन की अप्रतिष्ठा है, सदन का अपमान है, सदन के विशेषाधिकारों का हनन है।

आगे चलकर 124 पृष्ठ पर यह लिखा हुआ है:

"Analogous to molestation of Members on account of their behaviour in Parliament are speeches and writings reflecting upon their conduct as Members. On 26th February 1701, the House of Commons resolved that to print or publish any libels reflecting upon any member of the House for or relating to his service therein, was a high violation of the rights and privileges of the House.

Written imputations, as affecting a member of Parliament, may amount to breach of privilege, without, perhaps, being libels at common law, but to constitute a breach of privilege a libel upon a Member must concern the character or conduct of the Member in that capacity.".

मतलब यह है कि सदस्य के नाते उसका यहां पर जो व्यवहार है या उसके द्वारा जो कुछ भी बोला जाता है, अगर उसके संबंध में कोई अपमानजनक शब्द लिखे गये हैं किसी अखबार में तो उसके बारे में हम कार्यवाही कर सकते हैं। इन सदस्यों की जो बाहर की कार्यवाही होती है उसके बारे में हम लोग कोई कदम नहीं उठा सकते हैं।

अब मैं आप से इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हजारी-रिपोर्ट पर यहां बहस होने वाली है। बहस के दौरान बहुत-सी बातें कही जायेंगी। हमें यह वाक् स्वतंत्रता इसलिए दी गयी है कि निर्भयता के साथ हम इन बातों को रख सकें। अगर कोई व्यक्ति या कोई माननीय सदस्य अपनी वाक् स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो उसके बारे में कार्यवाही करने का सदन को पूरा अधिकार है। इसीलिए उपाध्यक्ष महोदय जब श्री अर्जुन अरोड़ा के आरोपों की चर्चा प्रधान मंत्री के द्वारा यहां पर की गई तो मैंने स्वयं विशेषाधिकार का प्रस्ताव भी दिया और नियम संख्या 184 के मातहत भी एक प्रस्ताव दिया जिसमें मैंने कहा कि श्री अर्जुन अरोड़ा को अपने आरोपों की पुष्टि करने का मौका दिया जाए। यदि वह उनकी पुष्टि करते हैं तो मंत्रियों के खिलाफ कार्यवाही हो। यदि वे पुष्टि करने में असमर्थ रहते हैं तो फिर यह सदन या राज्य सभा या दोनों मिल कर उनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। मैं यह बिलकुल नहीं कह रहा हूँ कि सदस्य गैर-जिम्मेदारी के साथ बोलते जायें। जो सदस्य आरोप करते हैं या अपनी बात रखते हैं वे संसद का जो अनुशासन है, संसद की जो नियमावली है। उसके सामने सिर झुकाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और उनको हमेशा तैयार रहना चाहिए।

अभी "हिन्दुस्तान" में जो सम्पादकीय आया है यह कोई मामूली बात नहीं है। ये लोग वाक् स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हीं के जो भाई हैं, "हिन्दुस्तान टाइम्स", जिसके बारे में मैंने अलग से नोटिस दिया है, उसमें एक वाक्य आ गया है। बिड़ला अखबार वालों का जो दिमाग है वह कितना सड़ा हुआ दिमाग है उसका इस अंग्रेजी अखबार के लेख से आपको सबूत मिल जाएगा। उसमें यह साफ कहा गया है। संसद की कार्यवाही की रिपोर्ट अखबारों में छपती है और जिस तरह संसद की कार्यवाही सुरक्षित है उसी तरह कार्यवाही की जो रिपोर्ट अखबारों में आती है वह भी सुरक्षित है। इस रिपोर्ट को लेकर कोई अदालत में कार्यवाही नहीं हो सकती। यह महाशय चाहते हैं कि यह संरक्षण छीन लिया जाए। क्या नतीजा होगा? इसका मतलब होगा कि हम लोगों के खिलाफ जितनी बातें वे प्रसिद्ध करना चाहेंगे छापते रहेंगे। जो असली बात है, वह छपेगी नहीं। इधर आर्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण का मामला चल रहा है, राजनीतिक प्रभाव डालने का प्रयत्न हो रहा है, प्रधान मंत्री का चुनाव हो, राष्ट्रपति का चुनाव हो, मंत्रियों का चयन हो, यह छिपी हुई बात नहीं है कि बिड़ला भवन से टेलीफोन आते हैं, दबाव आता है, पैसा चलता है, सब कुछ चलता है...

*** *** ***

...आप विशेषाधिकार समिति के सामने इस मामले को भेज दीजिए, विशेषाधिकार समिति सम्पादक और मालिक को बुलावे। मैंने जो नोटिस दिया है उसमें मालिक का नाम नहीं लिया था लेकिन आपकी अनुमति से अब मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव रख रहा हूं इसके बारे में। इस सम्पादकीय में संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा के खिलाफ और जो अपमानजनक बातें कही गई हैं,

जो हमको गालियां दी गई हैं, उसको समिति देखे। यह कोई मामूली बात नहीं है। अंग्रेजी में अगर इनका अनुवाद किया जाए तो कुटिलता का अर्थ होगा मैक्विैलियनिज्म या होगा, क्रुकिडनैस और कायरता का कावर्डिस और कुमति का मेरी राय में मैलाफाईडी या आप उसको दुष्ट भावना कहिए, जो भी कहिए लेकिन मैलाफाईडी सब से अच्छा अनुवाद रहेगा। जब इस तरह के आरोप लगाये गये हैं, तो विशेषाधिकार समिति का यह फर्ज है कि इन आरोपों के बारे में, और इस पत्र में जो कुछ भी लिखा गया है, उसके बारे में सम्पादक और मालिक दोनों से, जवाब तलब करें और विशेषाधिकार समिति जल्द-से-जल्द इस बारे में अपना फैसला दे जो कि हमारे विचारार्थ सदन के सामने आए।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय*£, परसों मैंने बिड़ला समूह के एक हिन्दी दैनिक, 'हिन्दुस्तान' के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया था और चूंकि सदन ने या सदन के किसी भी सदस्य ने, उसका विरोध नहीं किया, इसलिए वह सीधा विशेषाधिकार समिति के पास पहुंच गया। आज मैं जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाना चाहता हूँ, वह उसी बिड़ला समूह के अंग्रेजी दैनिक, 'हिन्दुस्तान टाइम्स', के खिलाफ है मेरी राय है कि एक मायने में यह मामला हिन्दी दैनिक, 'हिन्दुस्तान', के मामले से भी ज्यादा गम्भीर है और इसका कारण मैं अभी बताता हूँ।

रविवार के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में जो लेख प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है, 'शेड्स ऑफ दि स्टार चैम्बर'। शायद हमारे कुछ मित्र यह नहीं जानते होंगे कि यह स्टार चैम्बर क्या बला है। इसलिए मैं एक ही वाक्य में बताना चाहता हूं कि जब सत्रहवीं शताब्दी में इंग्लैंड में राजाशाही और संसदीय लोकशाही के बीच संघर्ष चल रहा था, तो स्टार चैम्बर की अदालत का इस्तेमाल राजाशाही करती थी लोकतंत्र को दबाने के लिए। कई इतिहासकारों ने स्टार चैम्बर की अदालत का वर्णन इस प्रकार किया है:

"A convenient and secondary instrument of repression."

हाई कमीशन की अदालत एक नम्बर पर थी और यह दूसरे नम्बर पर।

इस संबंध में 'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका' में निम्न वाक्य आता है:

> "Under James I and Charles I, star chamber continued as an important court largely respected and liked. As puritan and parliamentary opposition developed, however, it incurred odium from severe penalties and the reputation then affixed by the enemies has since persisted."

इसका मतलब यह है कि उस वक्त स्टार चैम्बर का अर्थ है दमन का हथियार। यह उस लेख का नाम है। तो जब पार्लियामेंट के बारे में, वह राज्य सभा हो या लोक सभा, 'शेड्स ऑफ दि स्टार चैम्बर' शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका साफ मतलब है कि लेखक हमारे ऊपर यह लांछन लगा रहा है कि हमारी कार्यवाही और प्रक्रिया ऐसी है कि वह दमन चलाने का एक साधन है—यह संसद दमन चलाने का एक हथियार बन गई है।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 7 जून 1967.

£ 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में लिखे गये सम्पादकीय पर विशेषाधिकार का सवाल उठाते हुए।

इस लेख में यह कहा गया है कि राज्य सभा के सदस्यों ने शायद हजारी-रिपोर्ट नहीं पढ़ी थी। इस तरह की आलोचना के खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। हम लोगों को इस प्रकार की टीका-टिप्पणी पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। लेकिन आगे चल कर लेखक ने कहा है कि जो आरोप-प्रत्यारोप किये गये, वे एब्सर्ड है। इस पृष्ठभूमि में मैं इस लेख से दो वाक्य पढ़ता हूं:

"If the Birlas have foreclosed industrial licensing, if the Birlas have evaded income-tax, if the Birlas have salted away foreign exchange by fraud, there is a case for letting them take their deserts under the law of the land. But the stronger case is against a government which permitted all these things to happen because it was, as we are told, beholden to the Birlas."

आगे लेखक यह कहते हैं कि यह बात सही नहीं है:

"The proposition has only to be put in this manner to recognise the absurdity of it."

लेकिन आज के 'स्टेट्समैन' में यह खबर आई है कि 'हिन्दुस्तान मोटर्स' के पांच बड़े अधिकारियों को चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट ने उन के ऊपर कुछ इल्जामात लगाकर बुलाया है। वे आरोप इस प्रकार हैं:

"On a charge under section 120(b) IPC criminal conspiracy, read with section 5 of the Imports and Exports Control Act."

इसमें बहुत बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम हैं, वाइस प्रेसीडेंट हैं, कमर्शियल मैनेजर हैं, सप्लाई मैनेजर हैं, 'आज' के कमर्शियल मैनेजर हैं, ऑफिस इंचार्ज ऑफ दि क्लीयरिंग डिपार्टमेंट ऑफ दि फर्म और फिर 'आज' के आफिस इन्चार्ज यह सब अधिकारी हैं।

"The last two accused have been further summoned on charges of forgery and using forged documents as genuine. The other three have also been further summoned...."

*** *** ***

मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं, कोई गलत बात मेरे मुंह से नहीं आयेगी। उसकी पृष्ठभूमि में मैंने यह कहा:

"The other three have also been further summoned on charges of abetment of the alleged forgery and using forged documents as genuine."

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जो आरोप लगाए गए हैं वह साबित हो गए हैं। यह मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इतना ही कह रहा हूं कि 'हिन्दुस्तान मोटर्स' आदि मामलों की चर्चा हम लोग यहां करते हैं और मांग करते हैं कि जांच हो, अदालत के सामने मामले लिये

जायें तो उसके बारे में हमारे ऊपर आरोप लगाया जाता है कि हम यहां पर 'स्टार चैम्बर' चलाना चाहते हैं, इसलिए मैंने यह कहा: अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे दो-तीन जो खतरनाक वाक्य हैं जिनको लेकर यह विशेषाधिकार का मामला उठता है वह निम्न प्रकार है। पहले तो कहा गया कि जब हम और आप 'हिन्दुस्तान मोटर्स' के खिलाफ कुछ कहेंगे, रूबी कम्पनी और न्यू एशियाटिक कम्पनी के खिलाफ कहेंगे, तो इसके संबंध में मुलगांवकर साहब क्या लिखते हैं:

> "Wild charges which have been flung in Parliament against the Birlas......"

हम अपने कर्त्तव्य को, फर्ज को निभाते हैं, उसके बारे में दलीलें देते हैं, उदाहरण देते हैं, हम यहां कोई न्याय करने नहीं जा रहे हैं, हम जेल में उनको नहीं भेजते, हम सरकार से केवल मांग करते हैं.....

*** *** ***

तो अध्यक्ष महोदय, वाइल्ड चार्जेज हम करते हैं इस तरह का हमारे ऊपर लांछन लगाया गया है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज की तरफ अब मैं आ रहा हूं।

> "The question that now arises is how far can we go in allowing Parliament to behave like some kind of a Star Chamber sitting in judgment on individuals and institutions who have no means of defending themselves without undermining democracy itself."

अध्यक्ष महोदय, यह कहते हैं कि "हाउ फार कैन वी गो इन एलाउइंग पार्लियामेंट?" मैं जानना चाहता हूं कि यह कौन टिकोजी राव या तीसमारखां है? हमको इजाजत देने वाले? पार्लियामेंट को इजाजत देने वाले यह तीसमारखां कौन हैं जो कहते हैं?

> "How far can we go in allowing Parliament to behave like some kind of a Star Chamber?"

यह मैं समझता हूं इसमें सबसे खतरनाक चीज है। आगे चलकर कहते हैं कि संसद सदस्यों को जो स्वतंत्रता दी जाती है और बिड़ला वालों की चर्चा में उसका जो इस्तेमाल किया गया उस वाक् स्वातंत्र्य का इस्तेमाल लोकतंत्र को खत्म करने के लिए हम लोग कह रहे थे: यह वाक्य है:

> "who use the freedom of an open democratic society for the express purpose of subverting it."

बिड़ला समूह के मामलों को लेकर जो चर्चायें दोनों सदनों में हुई उसमें जो वाक् स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल किया गया उसके बारे में कहते हैं कि हम लोग लोकतंत्र को उखाड़कर फेंकना चाहते हैं .... अध्यक्ष महोदय, मैं खत्म करने जा रहा हूं मुझे पता चला कि कुछ लोग विरोध करना चाहते हैं, इसलिए मैं जरा लम्बा भाषण कर रहा हूं ताकि वह अपना विरोध वापस ले लें और सदन का समय बचे। अध्यक्ष महोदय, अगर यह अखबार वालों की स्वतंत्रता के लिए

लड़ते तो कुछ बात समझ में आती, लेकिन वह बात नहीं है। यहां जो कार्यवाही होती है वह सुरक्षित है, जैसाकि दो दिन पहले मैंने बताया, यह अदालत में नहीं जा सकती। इसी तरह यहां की कार्यवाही जो प्रकाशित होती है, अखबारों में छपती है वह भी सुरक्षित है। अब यह महोदय चाहते हैं कि यह अखबार वाला संरक्षण उठा लिया जाये, मतलब हम यहां पर जो बातें करते हैं वह अखबारों में छपे नहीं, जो उनके हक में हों वह छपें, जो उनके खिलाफ हो वह नहीं छपे। तो इस तरह अध्यक्ष महोदय यह मामला है। अब मैं आपको और उद्धरण नहीं देना चाहता। एक ही वाक्य में कहना चाहता हूं कि यह कैसे विशेषाधिकार भंग होता है, 'मेज़ पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस' से तो मैंने दिया लेकिन हाउस आफ कामन्स के एक बहुत विद्वान सचिव थे कैम्पियन साहब, उनकी किताब से मैं एक वाक्य पढ़ कर सुना देना चाहता हूं:

> "Disrespect to the House collectively, whether committed by a Member or any other.
>
> This is the original and fundamental form of breach of privilege and almost all breaches can be reduced to it. Special instances of it are libels on the House at large, upon the Speaker and upon Select Committees."

तो यह पूरे सदन का मामला है। उसके बारे में मैंने यह कैम्पियन से उद्धरण दिया है। अब अन्त में मैं अपना प्रस्ताव औपचारिक रूप में रखता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स के स्तम्भ लेखक, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा मालिक के खिलाफ....

*** *** ***

विरोध किसी ने नहीं किया तो लीव की क्या जरूरत है?*

*** *** ***

तो मैं प्रस्ताव रख रहा हूं$

*** *** ***

मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स के स्तम्भ लेखक, सम्पादक, प्रकाशक, मुद्रक तथा मालिक के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का उपरोक्त मामला विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाये।

Mr. Speaker, Day before yesterday something on the same lines was moved in the Rajya Sabha and they took a decision two days before it was moved in this House they have referred it to their Privilege Committee. Now the motion is before the House. If anybody wants to support or oppose it, he can do so, though I do not think it is necessary to make any speeches. I would now put the motion to the vote of the House.

*** *** ***

---

*अध्यक्ष महोदय के कहने पर कि 'आपको सबसे पहले सदन से अनुमति लेनी चाहिए' का उत्तर देते हुए।

$डा. राम सुभग सिंह, संसदीय कार्य एवं संचार मंत्री तथा अध्यक्ष महोदय के कहने पर कि "कोई विरोध नहीं कर रहा है" का जवाब देते हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:*£

"कि विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर, जो 19 जुलाई, 1967 को सभा में पेश किया गया था, विचार किया जाये।"

इस सदन ने हिन्दी दैनिक 'हिन्दुस्तान' के सम्पादक के खिलाफ उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न को विशेषाधिकार समिति को सौंपा था। विशेषाधिकार समिति ने उस मामले की जांच करके यह रिपोर्ट हमारे सामने रखी है। वैसे, सतह पर जो बाते हैं, अगर हम उनको मद्देनज़र रखेंगे, तो हमें विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट में कोई दोष या कमी नहीं मिलेगी। हजारी-रिपोर्ट पर राज्य सभा और लोक सभा में जो चर्चा हुई और उसके संबंध में जो प्रश्न पूछे गये, उनको लेकर 'हिन्दुस्तान' दैनिक के सम्पादकीय लेख में संसद और संसद सदस्यों के बारे में बहुत भद्दी बातें लिखी गई थीं। विशेषाधिकार समिति ने उस लेख को देखने के बाद कहा है कि इस सदन के विशेषाधिकारों का हनन हुआ है और सम्पादक दोषी है। जब इस बारे में पत्र के सम्पादक को लिखा गया तो उन्होंने समिति को लिखी गई एक चिट्ठी में कहा कि वह इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। इसलिए विशेषाधिकार समिति ने उनको बरी करते हुए कहा है कि इस मामले में आगे कार्यवाही न की जाये।

'हिन्दुस्तान' के जो सम्पादक हैं, उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं उनसे कभी मिला भी नहीं हूं। किसी भी पत्रकार के साथ इस वक्त मेरी लड़ाई नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नियमों में विशेषाधिकार समिति के जो काम बताये गये हैं, उनको दृष्टि में रखते हुए विशेषाधिकार समिति का काम पूरा नहीं हुआ है, अधूरा रह गया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि यह रिपोर्ट दोबारा विशेषाधिकार समिति के पास भेज दी जाये और उससे यह प्रार्थना की जाये कि इस अधूरे काम को वह पूरा करे।

नियम 314 इस प्रकार है:

"The Committee shall examine every question referred to it and determine with reference to the facts of each case whether a breach of privilege is involved and, if so, the nature of the breach, the circumstances leading to it"—

"and make such recommendations as it may deem fit."

अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति ने इस बात पर बिलकुल भी विचार नहीं किया है कि यह विशेषाधिकार भंग का जो मामला उठा है वह किस परिस्थिति में उठा है? क्या पृष्ठभूमि है? क्या हालात है? अध्यक्ष महोदय, यहां विशेषाधिकार का हनन इसलिए हुआ है कि हिन्दुस्तान के जो अधिकांश बड़े अखबार हैं उनके ऊपर सरमायेदारों का कब्जा है और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इस तरह की...

*** *** ***

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 31 जुलाई 1967.

£ विशेषाधिकार समिति के दूसरे प्रतिवेदन पर विचार प्रकट करने के लिए प्रस्तावित करते हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस तरह के विशेषाधिकार भंग करने के कांड इसलिए हो रहे हैं कि आज के महत्वपूर्ण अखबारों पर एक और पूंजीपतियों का और दूसरी ओर सरकार का कब्जा या नियंत्रण प्रस्थापित हो गया है। नतीजा, उपाध्यक्ष महोदय, यह होता है कि सरकार की या पूंजीपतियों की चापलूसी और खुशामद करने हेतु यह काम किया जाता है। इसमें जोशी साहब का, जो सम्पादक हैं, इतना बड़ा दोष नहीं है, जितना दोष परिस्थिति का है। आपका जो प्रेस कमीशन बना था, मैं अभी उसकी रिपोर्ट को पढ़ रहा था, उसमें मुझको निम्न वाक्य मिला—

> "In the case of the editor, long training in Journalism and contact with others, imbued with a spirit of public service will create in him a regard for certain standards of objectivity and fairness. To that extent we are convinced that the public can expect a better deal from an editor who is free to act independently and is governed by the ethics of the profession than from another who has to dance to the tune, the proprietor plays."

उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब है कि जो सम्पादक, उनके धंधे के जो नियम हैं, आदर्श हैं, प्रणाली है, उनके अनुसार काम करने के लिए स्वतंत्र हैं, वह इस तरह कीचड़ उछालने का काम नहीं करेगा, लेकिन जिसको किसी दूसरे के निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है, चाहे सरकार के कहने पर या इशारे पर हो या पूंजीपतियों के इशारे पर हो, वह इस तरह के काम करता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि सरकारी नियंत्रण किस तरह से है—इश्तिहार देना, विज्ञापन देना, पैसा देना, तरह-तरह की सहूलियतें देना अखबार वालों को—इन सबके कारण सरकार का इस वक्त बड़ा प्रभाव है और साथ-साथ जैसा प्रेस कमीशन ने कहा है कि हिन्दुस्तान के जितने महत्वपूर्ण अखबार हैं सभी पूंजीपतियों के कब्जे में चले गये हैं। इनमें से कई पूंजीपति ऐसे हैं जिनके ऊपर इस वक्त कुछ कानूनी मामले चल रहे हैं और इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, इनको दरबार करना पड़ता है प्रमुख मंत्रियों का।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस की स्वतंत्रता की बात कर रहा था। प्रेस कमीशन ने यह भी कहा है कि जिस तरह पीने का पानी अगर दूषित हो जाये तो शहर में बीमारी फैल जायेगी, उसी तरह जो खबरें होती हैं, वे यदि वस्तुनिष्ठ न हों तथा पूंजीपतियों के प्रभाव से या सरकारी नियंत्रण के प्रभाव से प्रभावित होकर अखबारों में छापी जायेंगी या सम्पादकीय लेख लिखे जायेंगे, तो लोकतंत्र की जो धारा है, प्रवाह है वह भी दूषित हो जायेगा।

इसलिए मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि विशेषाधिकार समिति ने ठीक किया है, उन्होंने माफी मांगी है तो उनके खिलाफ कार्यवाही न करें, मेरा कोई झगड़ा उस सम्पादक से नहीं है, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपके ऊपर यह भी दायित्व है कि जिस परिस्थिति में विशेषाधिकार भंग हुआ

है, उस परिस्थिति पर भी आपको विचार करना चाहिए। इसलिये मैं एक छोटा सा स्थानापन्न प्रस्ताव रखना चाहता हूं:

"यह सभा विशेषाधिकार समिति की दूसरी रिपोर्ट पुनश्च: समिति के पास भेजती है तथा समिति से प्रार्थना करती है कि इस विशेषाधिकार भंग के पीछे जो परिस्थिति है उसका भी वह अध्ययन करे।"

यह तो बिलकुल नियम के मुताबिक है, सरकमस्टांसेज लीडिंग टु इट। अब क्या परिस्थिति है मैं उसे संक्षेप में दो मिनट में बतला कर खत्म किये देता हूं। परिस्थिति, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त यह है कि इस वक्त बिड़ला साहब के पास कई अखबार हैं। उनमें हिन्दुस्तान टाइम्स है, 'दैनिक हिन्दुस्तान' है। उसी तरीके से पटना में भी है, लखनऊ में भी है। इस तरह से यह सारे अखबार हैं। कई मामले इनके पास पड़े हैं, कानूनी मामले। ये लोग क्या करेंगे? यह लोग दरबार करेंगे मंत्रियों के। इसी तरीके से रामनाथ गोयनका का अखबार है। उनके भी कई मामले सरकार के पास पड़े हुए हैं। आज ऐसी विचित्र परिस्थितियां हो गई हैं कि प्रेस को केवल पूंजीपतियों के वर्चस्व का ही खतरा नहीं है बल्कि सरकार के पास जितने अधिकार और कानून हैं उनको लेकर यह राजनैतिक पूंजीपति भी इस वक्त प्रेस की स्वतंत्रता को खत्म कर रहे हैं। जिसको थोड़ी भी उपाध्यक्ष महोदय, बुद्धिमानी है, सारे अखबारों को ठीक तरीके से पढ़ेगा तो पता चलेगा कि खुशामद आजकल गृह मंत्री की चल रही है...

*** *** ***

*** *** ***

...इसलिए इनके पास जो आज भयानक अधिकार है इसीलिए तो इनको मैं राजनैतिक पूंजीपति कहता हूँ। अखबारों के जो मालिक हैं वह साधारण पूंजीपति हैं और अगर विदेशों की भी बात अगर आप चलाना चाहें तो मैं तो कहूंगा कि उसकी भी जांच हो। किसी भी विदेशी शक्ति का प्रभाव अगर हमारे अखबारों पर पड़ रहा हो तो उसकी जांच हो। इन सभी प्रभावों से अखबार मुक्त हों। हमारा प्रेस सही मायनों में स्वतंत्र बने। जो नुक्ताचीनी हमारी करनी है वह जरूर करें। साथ ही साथ विशेषाधिकार समिति इन सारे पहलुओं को देखते हुए इसके बारे में विचार करे।

संसद बनाम न्यायपालिका* £

मेरे मित्र नाथ पाई के द्वारा जो विधेयक रखा गया है संविधान में संशोधन करने वाला, उस पर मैंने बहुत गौर से सोचा, लेकिन मुझे खेद है कि इस विधेयक के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, उससे मैं सहमत नहीं हूं। इसके तीन कारण हैं—एक तो यह कि यह ऐसे बुनियादी सिद्धांतों और मान्यताओं पर आधारित है जिनसे मैं सहमत नहीं हूं, जैसे दो शब्दों का यहां पर प्रयोग किया गया है। कुछ लोगों ने कहा कि यह संसद सार्वभौम है, सार्वभौमिकता का सवाल उठाया है और शायद नाथ पाई जी ने सार्वभौमिकता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने सर्वोच्चता का इस्तेमाल किया है—न पार्लियामेन्ट सार्वभौम है और न सर्वोच्च। अपनी जगह पर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, उसका नाम ही सर्वोच्च न्यायालय है और कानून बनाने के मामले में हम लोग भी संविधान के दायरे के अन्दर सर्वोच्च हैं, लेकिन संविधान के बाहर जाकर नहीं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट, जो अधिकार आम लोगों को हैं, वह उन अधिकारों को छीन नहीं सकती है।

दूसरा मेरा आक्षेप यह है कि यह बिल पारित करने से यह संवैधानिक संकट पैदा हो जायेगा, और तीसरा यह कि यह अनावश्यक भी है।

पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, उसको देख लें, सुप्रीम कोर्ट का जो बहुमत वाला निर्णय है, उसमें सुब्बा राव जी ने अपने फैसले के अन्त में साफ शब्दों में कहा है—

> "We declare that the Parliament will have no power from the date of this decision to amend any of the provisions of Part III of the Constitution so as to take away or abridge the fundamental rights enshrined therein".

मैं समझता हूं कि संविधान के तीसरे हिस्से में दिये गये बुनियादी अधिकारों में सभी किस्म के परिवर्तन करना मना नहीं है। अगर माननीय सदस्य बुनियादी अधिकारों का विस्तार करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बाधक नहीं है, लेकिन अगर उनके संशोधनों का मतलब यह है कि बुनियादी अधिकारों को छीन लिया जाये, उनका संकोच किया जाये, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के अनुसार इस फैसले की तारीख से हमें उसकी इजाजत नहीं है।

हम यह विधेयक पास करते हैं और मान लीजिए कि उसके मातहत संविधान में कोई संशोधन करते हैं, तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में जायेगा। उस अवस्था में क्या सुप्रीम कोर्ट अपने इस निर्णय के प्रतिकूल जा कर कहेगी कि चूंकि इस सदन ने कोई संशोधन बिल पास किया है, इसलिए हमारा जजमेंट खत्म हुआ?

**लोक सभा वाद-विवाद*, 7 जुलाई 1967.

£संविधान संशोधन विधेयक, 1967 पर चर्चा में भाग लेते हुए।

अगर माननीय सदस्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवाना चाहते हैं, तो उसके लिए संविधान में प्रक्रिया दी गई है। क्या वजह है कि हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? संविधान के अनुच्छेद 141 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून समूचे देश का कानून माना जायेगा।

*** *** ***

कानून की परिभाषा तो अदालत ही करती है, हम नहीं करते हैं। मतलब तो वही हुआ। ....

*** *** ***

*** *** ***

आगे यह भी कहा गया है कि हिन्दुस्तान में जितने अधिकारी हैं, जितनी सरकारें हैं, उन सबका यह कर्त्तव्य है कि वे सुप्रीम कोर्ट के काम में मदद करें।...

*** *** ***

*** *** ***

चलो, संविधान के अनुच्छेद 141 के शब्दों को ही ले लें:

> "The law declared by the Supreme Court shall be binding on all courts within the territory of India".

आखिरकार कानून की परिभाषा करने का अधिकार अदालतों का होता है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, वह सभी अदालतों पर बन्धनकारक है। इसलिए उसका मतलब है कि वह कानून बन जाता है।

संविधान की धारा 137 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को अपने निर्णयों पर पुनर्विचार करने का अधिकार है और इस अधिकार का उसने इस्तेमाल भी किया है। पहले सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला था कि संविधान के तीसरे हिस्से में इस तरह के संशोधन हो सकते हैं लेकिन ग्यारह जजों का जो न्यायपीठ बनाया गया, वह इसलिए बनाया गया कि उस फैसले पर पुनर्विचार हो। जिस तरह पहले फैसले पर पुनर्विचार हुआ, उसी तरह वर्तमान फैसले पर भी पुनर्विचार हो सकता है। उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि हम यह संशोधन विधेयक पारित करें।

मैं यह भी कह सकता हूँ कि श्री नाथ पाई के बिल की जो बुनियादी बात है, उसके बारे में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की राय फिर से मांग सकते हैं। उसके लिए भी हमारे संविधान में इंतजाम है।

हमारे कुछ प्रगतिशील दोस्तों के मन में यह सन्देह पैदा हुआ है कि हम जो सामाजिक कानून बनाना चाहते हैं या जो सामाजिक परिवर्तन करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का उन पर क्या असर पड़ेगा? श्री हिदायतुल्ला ने अपने अलग फैसले में जो भावना व्यक्त की है, मैं उससे सौ फीसदी सहमत हूं और इसलिए मैं उसको पढ़ता हूँ:

> "Our Constitution accepted the theory that right of property is a fundamental right. In my opinion it was an error to place it in that

category. Like the original freedom of trade, commerce and intercourse within the territory of India as a fundamental right but which was later removed, the right of property should have been placed in a different Chapter. Of all the fundamental rights, it is the weakest. Even in the most democratic constitutions, namely the West German Constitution of 1949, there was a provision that mines, minerals and means of production might be specialised or subjected to control. Article 31, if it contemplated socialisation in the same way in India, should not have insisted so plainly upon payment of compensation. Several speakers warned Pandit Nehru and others of the danger of the second clause of article 31, but it seems that the Constituent Assembly was quite content that under it the judiciary would have no say in the matter of compensation... the warning of Mahatma Gandhi that if compensation had to be paid, we would have to rob Peter to pay Paul".

तो इस तरह की गलती हमारा संविधान बनाते समय कांस्टीट्यूएंट असेम्बली से हो गई। मेरी भी यह राय है कि संविधान के तीसरे हिस्से में अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 नहीं रहने चाहिएं। लेकिन इसका इलाज क्या है? क्या यह संसद एक प्रस्ताव पास नहीं कर सकती है कि अनुच्छेद 19(1)(एफ) और अनुच्छेद 31 हमारे संविधान के तीसरे हिस्से से हटाये जाने के लिए हम लोग दोबारा एक कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बुलायें और जनता के पास जाकर उसकी अनुमति और आदेश प्राप्त करके आएं? अगर इस तरह का प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी रखना चाहती है, तो वह रखें अन्यथा मैं रखने के लिए तैयार हूं। अगर यह जायदाद, सम्पत्ति का अधिकार हमारे मार्ग में बाधक है, तो हम यह प्रस्ताव पास करें, लेकिन पार्लियामेंट को जो अधिकार नहीं है, वह जनता की सम्मति और आदेश के बिना हमें नहीं लेना चाहिए। इस बारे में श्री हिदायतुल्ला का फैसला बिलकुल साफ है। उन्होंने कहा है:

"that for abridging or taking away fundamental rights a constituent body will have to be convoked."

इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस सदन का रास्ता नहीं रोका है। उसने कहा है कि पार्लियामेंट बुनियादी अधिकारों को घटा नहीं सकती है, छीन नहीं सकती है, उनको बढ़ा सकती है। अगर पार्लियामेंट किसी अधिकार को छीनना चाहती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका रास्ता बन्द नहीं किया है। उसने कहा है कि यह संसद प्रस्ताव के द्वारा एक कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बुलाए। मैं खुद भी चुनाव में जीता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे मतदाताओं ने मुझे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों को खत्म करने का अधिकार नहीं दिया है। संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर आगे जितने भी बुनियादी अधिकार गिनाये गये हैं, क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरे मतदाताओं ने मुझे ये बुनियादी अधिकार छीनने का कोई आदेश दिया है? मैं नहीं कह सकता। अध्यक्ष महोदय, क्या मैं यह कह सकता हूँ कि समान रूप से मौका मिले और जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको विशेष मौका मिले यह भी इसका बुनियादी सिद्धांत है, क्या इसको छीनने का हमको अधिकार है?...

...क्या हम इस संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं कि हमारा राष्ट्रपति कभी मुसलमान नहीं होगा, ईसाई नहीं होगा या प्रधान मंत्री हमेशा हिन्दू होगा? क्या इस तरह का बुनियादी परिवर्तन करने का अधिकार हमको है? क्या हम लोग इतने घमंडी हो गए हैं कि हम यह कहें कि हमको यह अधिकार है?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश के और संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत होते हैं उनमें परिवर्तन करने का किसी भी देश की संसद को या विधान सभा को अधिकार नहीं है क्योंकि हम संविधान के दायरे में काम करते हैं। हमारे जो नियम हैं उनको आप देख लीजिए। यह कहा गया कि कानून के दो भाग हैं। मैं भी मानता हूं। लेकिन जैसाकि आचार्य कृपलानी जी ने कहा दोनों कानून हैं। संविधान को हम बुनियादी कानून कहते हैं और दूसरे जो कानून हैं उन को हम साधारण कानून कहते हैं लेकिन दोनों कानून हैं और संविधान की निगाह में कोई फर्क नहीं किया गया है। मैंने पूरा संविधान देखा, मुझे कहीं भी यह फर्क नहीं मिला। क्या संविधान में तरमीम करने वाली जो प्रक्रिया है वह कानून बनाने की प्रक्रिया नहीं है। हमारे नियम हैं, आप देख लीजिए, अध्यक्ष महोदय, संविधान बदलना है तो भी विधेयक आता है और विधेयक के लिए जो प्रक्रिया है, जो नियम हैं वही इसके लिए भी हैं। फर्क केवल इतना है कि साधारण कानून के लिए सिर्फ साधारण बहुमत की आवश्यकता रहती है। संविधान में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है उसमें एक हिस्सा ऐसा भी है कि जिसके अनुसार आईन की तरमीम हम बहुमत से कर सकते हैं, यह कानून मंत्री भी मानेंगे। तो बहुमत या दो-तिहाई बहुमत, यह कोई बुनियादी सवाल नहीं है। उससे कोई कानून में फर्क नहीं होता। कानून की प्रक्रिया का सारा सवाल है। हमारे नियमों में, आप जानते हैं, संवैधानिक कानून बनाने के लिए कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। केवल दो-तिहाई बहुमत वगैरह की चर्चा है या जिस संशोधन में राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण है, उसमें राज्यों से मान्यता वगैरह प्राप्त करने की है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के जो बुनियादी सिद्धांत हैं वह सौ साल से 1857 से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ, साम्राज्यशाही के खिलाफ हम जो लड़ते आयें हैं उसमें परिष्कृत हुए, राष्ट्रीय आन्दोलन का आधार जिससे विस्तृत हुआ उन्हीं आधारभूत सिद्धांतों को तीसरे हिस्से में समाविष्ट किया गया है। यह जो जायदाद वाला अधिकार समाविष्ट किया गया, यह एक गलती हुई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, सम्पत्ति का अधिकार देने वाले नेहरू साहब, कुछ लोगों की राय में प्रगतिशील थे और हमेशा रहे लेकिन उस पर भाष्य करने वाला सुप्रीम कोर्ट प्रतिक्रियावादी है। मेरे दिमाग में अध्यक्ष महोदय, यह बात नहीं आती है। तो मैं भी इसका घोर विरोध करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली की जो गलती हुई है, उसको सुधारने के लिए कानून मंत्री यह प्रस्ताव लेकर आयें कि कांस्टीट्यूएंट असेम्बली बुलायी जाए। अगर आप लाने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं लाने के लिए तैयार हूं। हमेशा के लिए यह निजी संपत्ति अधिकार खत्म किया जाए। सामाजिक न्याय की प्रस्थापना के लिए जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यह रास्ता खुला है।

सदन में भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार*£

अध्यक्ष महोदय, मुझे पता चला है कि इस सदन के पांच सदस्यों के खिलाफ जिनके नाम हैं, संजीव रेड्डी, नरेन्द्र कुमार साल्वे, एस.एम. बनर्जी, वाई.बी. चव्हाण और शंकरानन्द पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किया गया है शंकराचार्य वाले मामले में। इस नोटिस में यह कहा गया है:

> "Notice is hereby given to you that if you wish to contest the appeal, you may enter appearance within thirty days of the receipt of this notice before this Court either in person or by an advocate in the court to be appointed by you in that behalf and take such part in the proceedings as may be advisable and take further notice that in default of your appearance within the time prescribed, the appeal will be proceeded with and determined in your absence and no further notice in relating thereto shall be given to you."

इस सदन में जो मामला उठाया जाता है, जो भाषण किये जाते हैं या वोट दिया जाता है, उसके बारे में संविधान की धारा 105(2) के तहत बिलकुल साफ शब्दों में कहा गया है कि अदालत में कोई कार्रवाई हो नहीं सकती है। जब यह मामला हाई कोर्ट में आया था तब हम लोगों ने यह सवाल यहां पर उठाया था लेकिन बाद में हाई कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया। उसके पश्चात् ऐसा लगता है जिन्होंने यह केस चलाया था, तेज किरण जैन आदि लोगों ने, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट प्राप्त किया अपील करने का और इस सर्टिफिकेट को लेकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट के पास गए और उसके ऊपर यह नोटिस जारी किया गया है।

इसके बारे में दो बातों में से किसी एक विकल्प को हमें स्वीकारना है। या तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो नोटिस जारी किया गया है उसको हम सदन की मानहानि समझें, सदन के विशेषाधिकार का हनन समझें और अदालत के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन अदालत के खिलाफ कार्रवाई करना मेरी राय में उचित नहीं है। इस झगड़े में हमको नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ख्वामख्वाह पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में संघर्ष और झगड़ा मैं भी करना नहीं चाहता। लेकिन साथ-साथ यह भी साफ बात है कि संविधान की धारा 105 और उपधारा 2 भी बिलकुल स्पष्ट है। मेरी राय में तो सुप्रीम कोर्ट को यह नोटिस जारी नहीं करना चाहिए था। लेकिन यह नोटिस जारी किया गया। इसके बारे में सभी निर्णयों को मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। एक ही बात मैं कहना चाहता हूँ। जो मामला

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 3 अप्रैल, 1970.

£ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सांसदों को भेजे गए नोटिस के विरुद्ध विशेषाधिकार के मामले पर चर्चा की शुरुआत करते हुए।

इंग्लैंड में तीन-चार सौ साल पहले तय हुआ था क्या उसी युग में सुप्रीम कोर्ट हमको ले जा रही है। जब एलिजाबेथ रानी के जमाने में हाउस ऑफ कॉमन्स अपने अधिकारों को साबित करने का प्रयास करता था तो सर एडवर्ड कोक ने एक मजेदार भाषण किया था। आपकी जानकारी के लिए एक ही वाक्य मैं पढ़ता हूं। उन्होंने स्पीकर को डांटते हुए कहा था:

> "Liberty of speech is granted to you, but you must know what privilege you have; not to speak everyone what he listed, or what cometh in his brain to utter, but your privilege is "aye" or "no".

सिर्फ 'हां' या 'न' करने का आपको अधिकार है। यह उस समय कहा गया था। लेकिन उसके बाद बड़ी लड़ाइयां राजा और हाउस ऑफ कॉमन्स के बीच में होती रहीं और पार्लियामेंट के सदस्यों को जो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है वह इंग्लैंड में प्रस्थापित हो गया। हमारे संविधान में भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखा गया है। उसके बारे में शकधर साहब की किताब में जो एक अनुच्छेद है सिर्फ उसको मैं पढ़ना चाहता हूं और ज्यादा सफाई की जरूरत तब नहीं पड़ेगी।... जिस तरह से इंग्लैंड में 'मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' को संसदीय प्रक्रियाओं के संबंध में कोट किया जाता है, उसी तरह से हम यहां 'मेज' के साथ-साथ 'कौल और शकधर' को चलाते हैं। इसमें यह कहा गया है:

> "For his speech and action in Parliament a member is subject only to the discipline of the House itself and no proceedings, civil or criminal, can be instituted against him in any court in respect of the same. Absolute privilege has been given in respect of anything said or any vote given in Parliament or a committee thereof so that members may not be afraid to speak out their minds and freely express their views. Members are therefore completely protected from any proceedings in any court even though the words uttered by them in the House may be false and malicious to their knowledge. Though a speech delivered in the House by a member of the House may amount to contempt of court, no action can be taken against him in a court of law, as speeches made in the House are privileged."

धारा 19 में साधारण जनता को भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार है और उसके ऊपर कोई अगर किसी की बदनामी करे तो केस चल सकता है। अदालत भी बदनामी को लेकर केस चला सकती है। संविधान की शायद धारा 121 में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की आलोचना यहां पर नहीं करनी चाहिए।

*** *** ***

लेकिन बावजूद इसके अगर कोई करे तो उस पर नियंत्रण आपको करना है, इस सदन को करना है। अदालत के द्वारा या सरकार के द्वारा इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मैं यह कह रहा हूं कि यहां मनमाने ढंग से किसी की भी बदनामी या मानहानि लोग अदालत की करें, सुप्रीम कोर्ट की करें, दूसरे लोगों की करें तो उसका जो नियंत्रण है, मैम्बरों को जो अनुशासित करना है, यह काम आपका और सदस्यों का है और इसलिए धारा 105 और उपधारा 2 में यह

अधिकार हमको दिया गया है। अगर इन अधिकारों का उल्लंघन होगा और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में मामला चलने लगेगा तो सदन में एक डर उत्पन्न होगा और सदस्य निर्भीक होकर अपने विचार प्रकट नहीं कर पाएंगे।

मैं यह नहीं चाहता कि आप सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई मनमानी कार्यवाही करें। लेकिन आप मेहरबानी करके इन पांचों मेम्बरों को यह आश्वासन दें कि सुप्रीम कोर्ट का चाहे जो भी निर्णय हो मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को खारिज कर देगा, लेकिन अगर उसने किसी कारण से ऐसा न किया, तो—इस मामले को लेकर—मैं माननीय सदस्यों के अन्य कामों के बारे में नहीं कह रहा हूँ—उनको दंडित करने की इजाजत किसी को नहीं मिलेगी और उनको पूरा संरक्षण दिया जायेगा।

सदन की विधायी शक्तियां*[£]

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक को पेश करने की जो अनुमति श्री गोखले ने मांगी है, उस पर पूरी बहस इसी समय हो। इस संबंध में मेरा जो विरोध है, उसके दो कारण हैं। जो राजनैतिक और नैतिक कारण हैं, वे तो अलग हैं, लेकिन मेरी राय में श्री गोखले जो काम करने जा रहे हैं, वह संविधान के खिलाफ है।

अगर कोई विधेयक सातवें शिड्यूल की एन्ट्रीज या बुनियादी अधिकारों, इन दोनों के विपरीत है, तो क्या इस सदन को इस तरह के विधेयक को पास कराने का अधिकार है? श्री गोखले कानून के बड़े पंडित हैं और वह मानेंगे कि जो चीज प्राइमा-फेसी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, उसको वह कानून का जामा नहीं पहना सकते।

आर्टिकल 13(2) इस प्रकार है:

13(2). The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void.

"स्टेट" की परिभाषा आर्टिकल 12 में की गई है। उसमें पार्लियामेंट आती है। मेरी राय में यह कानून संविधान की दफा 13 के खिलाफ है।

दफा 14 इस प्रकार है:

"The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

आप पूछेंगे कि इक्वल प्रोटेक्शन क्लाज का इससे क्या संबंध है। इसके लिए मुझे आपको उदाहरण देना पड़ेगा। आप जानते हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में श्री राज नारायण बनाम श्रीमती इंदिरा गांधी का एक पेटीशन चल रहा है। मैं कोई सबज्युडिस वाली बात नहीं कह रहा हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो एफिडेविट दिया है, जो एक एक्ससेबिल पब्लिक डाक्युमेंट है, ...

*** *** ***

*** *** ***

Affidavit is a public document, it is accessible to every citizen of India.

**लोक सभा वाद-विवाद*, 21 नवम्बर 1974.

[£]चुनाव कानून में संशोधन विधेयक की प्रस्तुति पर चर्चा में भाग लेते हुए।

श्री गोखले बताएं कि क्या मैं एफिडेविट की ठीक परिभाषा कर रहा हूं। इसलिए मैं केस को प्रेज्युडिस करने वाली बात नहीं बोलने वाला हूँ। लेकिन एफिडेविट में क्या-क्या इंदिरा गांधी ने एडमीशन्स किये हैं वह देखने योग्य हैं।

*** *** ***

*** *** ***

लेजिस्लेशन में सबज्युडिस का सवाल आता ही नहीं। लेजिस्लेशन जिसके लिए लाया गया है उसमें यह भी मामला सबज्युडिस था। 180 मामले सबज्युडिस थे।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक किस चीज के बारे में है? उन्होंने खुद कहा है कि 180 चुनाव याचिकाएं (इलैक्शन पेटीशन्स) इस वक्त न्यायालय के सामने पड़ी हुई हैं। उनमें श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी एक पेटीशन है, इस बात को ये काट नहीं सकते और इन 180 पेटीशन्स के बारे में इस विधेयक को लेकर आये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'शकधर और कौल' की किताब और 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' से कुछ अंश पढ़ कर सुनाता हूं:

> "Matters pending judicial decisions: matter awaiting adjudication of a court of law should not be brought forward in debate except by means of a Bill."

इसमें बिल का अपवाद किया गया है। यह मैंने 'मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस' के 18वें एडीशन के पेज 416 से पढ़कर सुनाया है। अब 'शकधर और कौल' की किताब को लीजिए। इसमें थोड़ा विस्तृत है पृष्ठ 900 से उद्धृत कर रहा हूँ:

> "The rule of *sub judice* cannot stand in the way of legislation. If the rule of *sub judice* were to be made applicable to legislation, it would not only make Legislatures subordinate to the courts in that matter but would make enactments impossible because numerous cases concerning a large number of statutes await at all times adjudication in one court or the other. Parliament's main function to make laws will thus come to a standstill. This is neither sanctioned by the Constitution nor justified on merits. Legislatures being supreme and sovereign in the matter of making laws there is no bar on their work in the field of legislation. The members, however, refrain from referring to the facts of a case pending before a court, when a Bill is under discussion in the House."

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल आर्टिकल 14 को कैसे वायलेट करता है, यह इस्टेब्लिश करने के लिए मैं फैक्ट्स दे रहा हूं—मेरा और कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 14 को यह बिल कैसे वायलेट करता है वह मैं साबित करूंगा। अगर इसके बाहर जाऊं तो आप मुझे टोकिये। उपाध्यक्ष महोदय, आप यह देखें कि जो विधेयक है उसकी मुख्य बात क्या है। मूल सेक्शन इस प्रकार है जिसका एक जुमला माननीय वाजपेयी जी ने पढ़ा:

> "Every candidate at an election shall either by himself or by the election agent keep separate and correct account of all expenditure in connection with an election incurred or authorised by him or by his election agent."

मान लीजिए उत्तर बम्बई में एक कमेटी बनती है इनकी रजामन्दी से, इनके कहने से कि एच.आर. गोखले फोर लोक सभा सिटीजन्स कमेटी। या वह उसके अध्यक्ष हैं, या उसमें हिस्सेदारी करते हैं और सारा खर्चा इनकी सम्पत्ति से होता है, और अगर केस के दौरान इनका विरोधी यह साबित कर सकता है कि यह जो खर्चा है समिति की ओर से यह इनके द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है। आपने किन-किन को छोड़ा है? पार्टी, बॉडी, एसोसिएशन, व्यक्ति। सवाल पार्टी ने खर्चा किया, बॉडी ने, इंडिविजुअल ने या एसोसिएशन ने किया यह नहीं है?

Whether that expenditure was authorised by the candidate or his election agent...

*** *** ***

मैं इस बात को रख रहा हूं कि इसमें बुनियादी बात है कि क्या कैंडिडेट ने ऑथोराइज्ड किया है?

*** *** ***

यह बताने की जरूरत है। उसी खर्चे को पकड़ूंगा जो आपके द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है। प्रधान मंत्री इस सरकार की प्रमुख हैं, इस सरकार का जो खर्च होता है वह उनकी ऑथोरिटी से होता है। उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं हो सकता। तो अगर जीपों, मोटरों, हैलीकॉप्टर आदि पर चुनाव के दौरान खर्चा किया जाता है तो आप कहेंगे कि उनकी रजामन्दी से नहीं हुआ। रायबरेली जिला कांग्रेस कमेटी के तहत उस समय कितने चुनाव क्षेत्र थे? असेम्बली का नहीं था, केवल प्रधान मंत्री का ही क्षेत्र था। तो रायबरेली की कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो भी खर्चा किया जाता है ...

*** *** ***

मैं वैधानिकता पर बोल रहा हूँ। अटल जी के लिए सरकार मोटरगाड़ी का इंतजाम कहां से करेगी, हैलीकॉप्टर का कहां से करेगी?

A full discussion has to be allowed.

*** *** ***

कांस्टीट्यूशनेलिटी का सवाल है कि यह बिल पास हो जाएगा तो प्रधान मंत्री के लिये अलग कानून बनेगा और मधु लिमये या वाजपेयी जी के लिए अलग कानून बनेगा।

*** *** ***

*** *** ***

मैंने शुरू में ही कहा आपने सुना नहीं। यह पार्लियामेंट फंडामेंटल राईट्स के खिलाफ कानून नहीं बना सकती। आप अधिक से अधिक खर्चा परमिट कर सकते हैं। यहां तो रूलिंग हो चुकी है।

*** *** ***

*** *** ***

That is what I was saying.

लेजिस्लेटिव कम्पीटेंस की कहीं व्याख्या की गई है? मेरी राय में अगर वह लिस्ट को वॉयलेट करता है, फंडामेंटल राईट्स को वॉयलेट करता है या किसी कांस्टीट्यूशनल प्रोविजन को वॉयलेट करता है।

Then it is outside our legislative competence.

इसमें दो चीजों में फर्क करना है। मैं आपकी रूलिंग नहीं मांग रहा हूँ।

I am giving my opinion, common sense. What is competence? Are you competent to legislate against fundamental right?

*** *** ***

वह तो होता ही नहीं है। हजार बार फैसला हुआ है कि स्पीकर फैसला नहीं करेगा। केवल आप हमें मौका देते हैं अपने विचार रखने का, उससे अधिक हम कुछ नहीं मांगते हैं।

Whether you consider this constitutional or unconstitutional.

इसलिए मैं कह रहा था कि अगर बॉडी, पर्सन्स, इंडिविजुअल, पार्टी, इनका खर्चा आप इस डैफिनीशन से स्पष्टीकरण के द्वारा प्रापर लेजिस्लेशन नहीं स्पष्टीकरण के द्वारा हटाना चाहते हैं तो ये जो मिनिस्टर लोग हैं, प्राइम मिनिस्टर है या जो सत्ताधारी लोग हैं इनके अधिकारों में और हमारे

अधिकारों में फर्क आ जायेगा क्योंकि जो सुविधायें इनको मिलेंगी हमें कभी नहीं मिल सकती हैं। इसलिए अगर यह मैं इस्टेब्लिश करूं कि XYZ expenditure was authorised by the Prime Minister or any other Minister.

तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने निर्णयों के अनुसार, नये नहीं, यह इलैक्शन एक्सपेंडिचर में माना जाता है। लेकिन अब श्री गोखले साहब इस विधेयक के द्वारा फर्क करना चाहते हैं और इस तरह की बोगस बाडीज, एसोसिएशंस वगैरह भी यह करेंगी, उनके द्वारा सारा खर्चा चलायेंगे तो हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। इसमें कोई इक्वेलिटी बिफोर लॉ नहीं होगी। गरीब पार्टी के लिए, गरीब उम्मीदवार के लिए अब कोई भविष्य नहीं है। आइंदा पार्लियामेंट में इसी तरह के इनके लोग भरे जायेंगे इतना ही मुझे अर्ज करना है।

संसदीय प्रक्रिया एवं सदन का संचालन*£

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट ऑफ आर्डर है। यह चर्चा भटक रही है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इसको मूल मुद्दे पर ले आइये। इस वक्त चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय यह है कि यह जो आर्डर पेपर पर आइटम 14 है क्या यह आर्डर पेपर पर रह सकता है? उपाध्यक्ष महोदय, आप स्टेज बाई स्टेज जाइये। पहले इसका फैसला कीजिए कि क्या यह आर्डर पेपर पर आ सकता है?

आप जरा मुझे समय दीजियेगा। इसके बारे में जो नियम है वह देखिये।

*** *** ***

Now, please see Rule 72. It says as follows:

> "If a motion for leave to introduce a Bill is opposed, the Speaker, after permitting, if he thinks fit, a brief explanatory statement from the member who moves and from the member who opposes the motion, may, without further debate, put the question:
>
> Provided that where a motion is opposed on the ground that the Bill initiates legislation outside the legislative competence of the House, the Speaker may permit a full discussion thereon."

Under this rule, if I may submit, it is mandatory on your part to put the question. I am not under 72. If I were to raise a point of order under 72, it is mandatory on your part after listening to us all to put the question.

*** *** ***

My point of order relates to Order of Business. Under Rule 31(1), a list of business for the day shall be prepared by the Secretary, and a copy thereof shall be made available for the use of every member.

यह जो लिस्ट तैयार की जाती है सब नियमों को पूरा करने के बाद। यह सेक्रेटेरिएट का काम है, आपका काम यह देखना है कि आर्डर पेपर पर जो सवाल रखे जाते हैं क्या नियमों के अनुसार हैं। क्या वह नियम की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, यह आपको देखना है। अब

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 7 मई 1975.

£ 'आंतरिक सुरक्षा बनाये रखना (संशोधन) विधेयक' को पुरःस्थापित करने के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप पहले इसका निर्णय दीजिए। डिबेट लैजिस्लेटिव कम्पीटेंस का सवाल बाद में आयेगा। पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि जो प्री-कंडीशन है उन्हीं को पूरा नहीं किया गया है। कैसे, वह मैं बताता हूँ।

*** *** ***

मैं बताता हूँ। एक-एक करके लीजिए। आप शकधर की किताब का पृष्ठ 471 देखिए।...

*** *** ***

...आप 470 और 471 देखिए। पेज 470 में कहा गया है:—

> "It has been the uniform practice since 1862 to append to every Bill a Statement of Objects and Reasons, briefly explaining the purpose of the proposed legislation. The Statement is explanatory of the contents and objects of a Bill and helps in understanding the necessity and scope of the Bill..."

क्या गृह मंत्री महोदय ने जो बिल आपके पास भेजा है और उसका यह जो स्टेटमेंट है क्या इस रिक्वायरमेंट को वह फुलफिल करता है? क्या इस शर्त के अनुसार है? यह मेरा पहला प्वाइंट है। इन्होंने स्टेटमेंट ऑफ औबजेक्ट्स और रीजन्स में कहा है कि यह नार्थ ईस्टर्न इलाके के लिए है। आप बहुत ही गहराई में जाकर देखिये। इसमें कहा गया है कि:—

In these cases 'for dealing effectively with such insurgent elements'.

मतलब यह नार्थ ईस्टर्न इलाके के बारे में।

लेकिन नियम दूसरा यह है, 471 में अनेक्शर बहुत ही काबिले गौर है:—

> "Where certain sections of the parent Act are sought to be amended—the Maintenance of Internal Security Act of 1971—, the text thereof is generally appended to every amending Bill in the form of an annexure. In case the number of sections involved is large, the sections are not reproduced as an annexure, but copies of the original Act are supplied by the Minister concerned for distribution to, or use of, members.
>
> Before 1950, the text of sections of an Act sought to be amended by an amending Bill was not printed along with the Bill."
>
> On 14 August 1950, when the Bill further to amend the Essential Supplies (Temporary Powers) Act, came up for consideration before the House, a point was raised along with an amending Bill the relevant sections of the original Act which are sought to be amended should also be printed for the purpose of facilitating the work of Members.

On this the Speaker directed:—

"In future whenever amending Bills are presented to amend original Acts, a schedule of the relevant sections from the original Acts should be given with the Bill.

Such an annexure is, however, not added to a secret Bill."

यह तो सीक्रेट है ही नहीं।

अब उपाध्यक्ष महोदय आप एनेक्जर देख लीजिए। कोई कौरेसपोंडेंस स्टेट ऑफ औबजैक्ट एंड रीजन्स और एनेक्जर में नहीं है। एनेक्जर में केवल सेक्शन्स दिये हैं, 10, 11, 12 और 13। अगर यह नार्थ-ईस्टर्न रीजन के बारे में था, तो पेरेन्ट एक्ट का सेक्शन 1 और 2 देना चाहिए। मैं उसका सेक्शन 1 पढ़ रहा हूँ:

This Act may be called the Maintenance of Internal Security Act, 1971.

(2) It extends to the whole of India;

Provided that every person in respect of whom an order of detention made under the Jammu and Kashmir Preventive Detention Act□..."

जम्मू-कश्मीर का है। यानि नार्थ-ईस्टर्न रीजन के बारे में नहीं है। अगर यह नार्थ-ईस्टर्न रीजन के बारे में था, तो सेक्शन 1 रीप्रोड्यूस करना चाहिए था। यह बताना चाहिए था कि यह पूरे देश के लिए नहीं है बल्कि नार्थ-ईस्टर्न रीजन के लिए है। इसलिए मेरा पहला कहना यह है कि स्टेटमेंट ऑफ औबजैक्ट्स एंड रीजन्स उद्देश्यों का ज्ञापन अपूर्ण वंचना करने वाला, सदन को गुमराह करने वाला है, इनकम्पलीट, डिसेप्टिव और मिसलीडिंग है और एनेक्जर में और स्टेटमेंट ऑफ औबजैक्ट्स एंड रीजन्स में कोई परस्पर संबंध नहीं है। यह मेरा पहला प्वाइन्ट है।

अब, उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों के लिए क्या नियम है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि स्टेटमेंट ऑफ औबजैक्ट्स एंड रीजन्स देना मेनडेटरी है या नहीं? मैंने अभी कहा कि 1862 से यानि जब पहली बार लेजिस्लेचर बना, जिस समय कोई अधिकार नहीं था, उसी समय से यह परिपाटी है कि इस तरह का स्टेटमेंट होना चाहिए। अब रूल 65 देखिए, जो हम लोगों के लिए है:—

"65(1) Any Member, other than a Minister, desiring to move for leave to introduce a Bill, shall give notice of his intention, and shall, together with the notice, submit a copy of the Bill and an explanatory Statement of Objects and Reasons which shall not contain arguments:

(3) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this rule shall be one month unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice."

लेकिन मिनिस्टर के लिए क्या है, इसके लिए स्पीकर्स डायरेक्शन्स देखिए। 19(ए) में हम लोगों को एक महीने का नोटिस देना पड़ता है और इन लोगों के लिए क्या है। मैं 19ए (1) पढ़ रहा हूं:—

> "19A (1) A Minister desiring to move for leave to introduce a Bill shall give notice in writing of his intention to do so.
>
> (2) The period of notice of a motion for leave to introduce a Bill under this direction shall be seven days unless the Speaker allows the motion to be made at shorter notice,"

फर्क इतना ही है कि हम लोगों के लिए एक महीने का है और इन लोगों के लिए 7 दिन का है, लेकिन जहां तक स्टेटमेंट ऑफ औबजैक्ट्स एंड रीजन्स देने का सवाल है वह मेनडेटरी है। इसलिए, इसमें आप मंत्री जी से कह सकते हैं कि क्योंकि आपका स्टेटमेंट ऑफ औबजैक्ट्स एंड रीजन्स नियमों के अनुसार नहीं है, सारी बातों का स्पष्टीकरण नहीं है और कई बातों के बारे में गुमराह करने का प्रयास किया गया है, इसलिए यह डिफेक्टिव है और आर्डर पेपर पर यह नहीं आ सकता है। यह मेरा एक औबजेक्शन हुआ।

अब दूसरा औबजैक्शन मेरा यह है। आप रूल 70 देखिए, जिसको मेरे मित्र ने आपके सामने रखा है। यह भी मेनडेटरी है और 69 और 70 की आप तुलना कीजिए, तो आप को पता चलेगा कि इसमें से कोई भागने का रास्ता ही नहीं है। रूल 70 इस प्रकार है:—

> "A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character."

इसमें शब्द 'शैल' का प्रयोग किया गया है। इसलिए इसमें ऐसा नहीं है कि इनके मन में जो आया, नहीं दिया। यह आपके ऊपर भी नहीं है कि आप उनके लिए कुछ रिलेक्स कर सकते हैं क्योंकि आप रूल 69 देखिए। रूल 69 का ब-क्लाज (2) जो है, उसका जो प्रोवीजो है, उसमें आपको पावर दी गई है:—

> "Provided that where a clause in a Bill involving expenditure is not printed in thick type or in italics, the Speaker may permit the member incharge of the Bill to bring such clauses to the notice of the House."

इसलिए मेरा दूसरा 'औबजैक्शन यह है कि इन सब बातों को देख कर आपको अपनी रूलिंग देनी है। डेलीगेटिड लेजिस्लेशन का मेमोरेंडम भी नहीं है। इसलिए यह आर्डर पेपर पर नहीं आ सकता। मैं इसके अपोज करने की बात अभी नहीं कह रहा हूं। मेरा अभी तो यही कहना है कि यह आर्डर पेपर पर नहीं आ सकता और इस पर आप अपनी रूलिंग दीजिए।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो निर्णय दिया है वह अंतिम निर्णय है और इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। इसलिए अब यह बिल गया, अब इसका सवाल नहीं है। एक एकेडमिक सवाल इन्होंने उठाया है और खुद कहा कि मेरा इनटेरस्ट एकेडमिक है, इसलिए अब एकेडमिक बात चल रही है। जहां तक इस बिल का सवाल है उसका निर्णय हो चुका है। ...बिलकुल हो चुका है... आप अपना निर्णय देने से पहले अपने सचिवालय से इस बात की जानकरी स्वयं इकट्ठी कीजिए और हम लोगों को यह जानकारी दीजिए कि कितनी बार जो बिल लोग इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, मिनिस्टर या दूसरे लोग, चूंकि नियम और कन्डीशन्स को वे बिल पूरा नहीं करते थे, इसलिए कितनी बार लौटा दिये गये? पहले हमें इसकी जानकारी मिलनी चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पहला उदाहरण नहीं है।

कई बार हुआ है इसलिए।...

*** *** ***

...मैं भी इस राय का हूँ कि एकेडमिक सवाल है। इसका फैसला होना चाहिए। इसलिए आप सचिवालय की मदद से रात भर मेहनत करके, ओवरटाइम अलाउन्स दिया जाए स्टाफ को और कल हमको एक स्टेटमेंट मिले और इसका एक बयान, एक ज्ञापन हम लोगों के सामने आए कि कितनी बार इस तरह के विधेयक वापस भेजे गए हैं।

*** *** ***

शुरू से आप नहीं सुनना चाहते हैं जरा धीरे-धीरे मुझे चलने दीजिए। इसलिए इसकी पहले जानकारी होनी चाहिए। यह बिल वापस किया गया इसका मतलब है कि क्वेश्चन पुट नहीं हुआ ...

*** *** ***

Before the question is put, you have to satisfy yourself whether all the conditions and requirements of the rules have been fulfilled. If you are satisfied, then only you can put the question.

मेरा पाइंट था कि 72 का स्टेज कब आता है?

After the Chair has satisfied itself that all the requirements of the rules have been fulfilled, then only the question can be put.

अब इसमें हुआ क्या है? मैं स्टेटमेंट ऑफ औबजैक्ट्स और रीजन्स पर अभी नहीं हूँ। एक और रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई है।

*** *** ***

मैं मैरिट्स पर नहीं बोल रहा हूँ, कांस्टीट्यूशनेलिटी पर नहीं बोल रहा हूँ, कम्पीटेन्स पर नहीं बोल रहा हूँ। मैं इस पर हूँ कि क्वेश्चन कब पुट किया जाता है। इन्होंने कहा कि आपको करना

ही पड़ेगा, आर्डर पेपर पर आया तो आपको करना पड़ेगा। इनका यह कहना है कि अगर आर्डर पेपर पर आ गया, बिल आ गया तो आपको परमीशन देनी ही है और क्वेश्चन पुट करना ही है।

*** *** ***

*** *** ***

Please issue a supplementary direction to the Minister that he complies with the requirements of rule 70. Please issue another direction to him that he comply with the requirements of Rule 69.

और इसके बाद बिल आयेगा, उसके पहले नहीं आयेगा।

सदन के अधिकारों का हनन*£

अध्यक्ष महोदय, इस सदन का समय बचाने के लिए और आपकी सुविधा के लिए अभी आपको जो पत्र लिखा है उसी में से कुछ हिस्से मैं पढ़कर इस सदन को सुनाऊंगा। इससे अधिक मुझे इस समय कुछ बयान नहीं करना है।

"My present notice of breach of privilege and contempt of Parliament is not complicated at all. That is also a very serious matter—none can dispute. After the Mudgal affair, no case of this importance, I think, has ever been raised in Parliament. In fact, this is even more serious than the Mudgal case, because no less a person than the former Prime Minister is involved.

The facts are very simple. Mrs. Gandhi's son was issued a letter of intent (of which the period was extended several times) and finally an industrial licence to manufacture a cheap and hundred percent indigenous car on the condition that no import licence will be asked for or given and that no machinery of foreign origin will be allowed to be used in the manufacture of this car. From the very beginning, I was critical of the Project and I doubted the ability of Mr. Sanjay Gandhi to manufacture any car or the genuineness of his promise of not using any imported machinery for producing it.

In 1974 I began to receive reports about the circumvention by Maruti Ltd. of the conditions laid down by the Government and willingly accepted by Mr. Sanjay Gandhi. When I got hold of the Annual Report and Accounts of Maruti Ltd. for the year 1973-74, I found a mention at pages 16-17 of the machinery installed or in the process of installation in the factory. The Maruti report made no mention of the fact that part of the machinery was imported machinery of foreign origin. Naturally they wanted to conceal from the general public the fact that conditions of licence had been blatantly violated by them. When I learnt that the imported machinery had been obtained by Maruti Ltd. through Batliboi & Sons, I tabled a question in the House in the 1974 winter session of the Lok Sabha. The question made a reference to pages 16 and 17 of the Maruti report and stated whether part of the machinery installed was of foreign origin.

**लोक सभा वाद-विवाद*, 16 नवम्बर 1977.

£विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए।

After creating a lot of difficulties about the admission of the question, finally the Lok Sabha Secretariat admitted it in a mutilated form (U.S.Q. 4175 on 11-12-1974), of course, without reference to me, and with the inevitable result that a negative answer was conveniently given. The mutilation consisted in the fact that the re-framed question asked whether Maruti report mentioned that foreign machinery had been installed. It was ridiculous to have framed such a question. The distortion was introduced at the instance of the Prime Minister's Secretariat. When I strongly protested and kicked up a row in the House itself, the question was admitted in the original form and was set down for answer on 12.3.1975 (U.S.Q. 2960). Again the reply was evasive. Now, what went on behind the scene during these days has been exposed before the Shah Commission.

When I persisted in my effort to elicit the embarrassing information about the imported machinery, and when the Speaker finally admitted it in the original form, the Industries Minister had no choice but to start enquiries. When his officers approached Maruti, the then Prime Minister's son must have strongly protested to his mother. Mrs. Gandhi was furious, as Shri T.A. Pai, the then Industries Minister, testified before the Shah Commission. She took unusual steps to protect her son and wreak vengeance on the officers who had shown the temerity to start enquiries about imported machinery in obedience to the order of Parliament. The officers must be deemed to have been in the service of Parliament"—

I emphasis this fact—

"The officers must be deemed to have been in the service of Parliament since they were collecting information for answering a parliamentary question."

I will give four quotations from May's Parliamentary Practice to substantiate this.

"Obstruction of or interference—with such persons in the exercise of their rights or discharge of their duty or conduct calculated to deter them or other persons"—

केवल आफिसर्स नहीं, "अदर पर्सन्स"

"from preferring or prosecuting petitions or from discharging their duties may be treated as a breach of privilege."

"A contempt committed against one Parliament may be punished by another."

कोई यह कहेगा कि यह बात पांचवीं लोक सभा में हुई, छठी लोक सभा में यह मामला कैसे आयेगा तो यह क्लियर रूलिंग है:—

"It is clear that breach of privilege in one Parliament may be punished in another succeeding..."

"It is contempt to obstruct officers of either House or other persons employed by or entrusted with the execution of the orders by either House, while in the execution of their duty."

"Neither will suffer any person whether an officer of the House or not to be molested... on account of anything done by them in the course of their duty."

अध्यक्ष महोदय, आप नियम (41) देखें।

Rule 41 says:—

"A question may be asked for the purpose of obtaining information on a matter of public importance within the special cognizance of the Minister to whom it is addressed".

इस नियम का दूसरा हिस्सा कहता है:—

"Right to ask a question".

तो यह कोई दया नहीं है। इस सदन के सभी सदस्यों को अधिकार दिया गया है नियमों और संविधान के द्वारा, संविधान के अनुच्छेद 105 में है:—

"Powers, Privileges and Immunities of Parliament and its Members."

यह बात उसमें कही गई है। इसलिए यह मेरा अधिकार था। जब स्पीकर साहब ने मंजूर कर दिया तो इसके लिए जानकारी हासिल करना उद्योग मंत्री का कर्त्तव्य था और उद्योग मंत्री जी ने जिन अफसरों को यह काम दिया था, वे यह काम पार्लियामेंट की आज्ञा से, हुक्म से कर रहे थे, ऐसा माना जाना चाहिए। मैं इस संबंध में 'मेज़' से कुछ और कोटेशन्स भी दे सकता हूँ, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूँ।

आगे, अध्यक्ष महोदय, यह है—"The officers must be deemed to have been in the service of Parliament since they were collecting information for answering a parliament question. The C.B.I. Director was summoned and without probing the truth or othewise of the fabricated charges made against the officers by the Prime Minister and others, the C.B.I. carried out raids and searches. Officers were harassed. One of the officers, Shri Kavale, was not only suspended but his wife was also harassed by the C.B.I.".

अध्यक्ष महोदय, मिसेज़ कावले मेरी पत्नी के पास गई थीं, मेरे पास भी आई थीं और रो रही थीं। उन्होंने कहा—मेरा क्या अपराध था?

"Apart from the inhumanity of the whole affair and apart from the blatant abuse of power the pertinent question in this connection is the gross contempt committed by the former Prime Minister of the rights,

privileges and immunities of the Member of Parliament and of the whole House."

इस समय, अध्यक्ष महोदय, मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। अगर ये लोग आक्षेप लेंगे, तो आप सदन की अनुमति मांगिए, उसके बाद मैं अपना प्रस्ताव पेश करूंगा कि यह मामला प्रिविलेजिज़ कमेटी के सामने जाना चाहिए।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अब सदन इस प्रस्ताव पर विचार करे। मेरा प्रस्ताव इस प्रकार है:—

"That the question of breach of privilege and contempt of the House against Shrimati Indira Gandhi and others be referred to the Committee of Privileges with instructions to report within a period of six months."

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इस बात की ओर मैं इस सदन की तवोज्जह दिलाना चाहता हूं कि पिछले सदन में, पिछली लोक सभा में, जब से श्रीमती इंदिरा गांधी को और उनके दल को दो-तिहाई का बहुमत प्राप्त हुआ।

*** *** ***

मैं सबसे छोटा भाषण करूंगा, लेकिन सारे फैक्ट्स सदन के सामने रखने की जरूरत है।

जिस समय उनको दो-तिहाई का बहुमत मिला, उसके बाद मैंने देखा कि इस सदन की जो प्रक्रियाएं हैं, इस सदन के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को लगातार समाप्त करने का काम श्रीमती इंदिरा गांधी कर रही थीं। इतना ही नहीं, सबसे खतरनाक बात यह थी कि प्रधान मंत्री का सचिवालय सर्वोपरि हो गया और लोक सभा का जो सचिवालय है, लोक सभा सैक्रेटैरिएट, उसके ऊपर भी हावी होने लगा। किन प्रश्नों की चर्चा के लिए, बहस के लिए स्वीकारा जाये, किन प्रश्नों को गायब कर दिया जाये, किन प्रश्नों का गलत जवाब दिया जाये, यह सारा निर्णय प्रधान मंत्री के सचिवालय में होता था। चूंकि दो-तिहाई का बहुमत था, स्पीकर को हमेशा यह डर था कि उनको हटाया जाएगा अगर सदन की गौरव और गरिमा के लिए वह कार्यवाही करेंगे। नतीजा यह हो गया कि इस सदन की पवित्रता...

*** *** ***

मैं सिद्ध करने वाला हूँ, मेरे पास डाक्युमेंट्स पड़े हैं, मैं हवा में बात करने वाला आदमी नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव रखा है, उसके ऊपर बहुत लम्बा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जो मुख्य बातें हैं, केवल उन्हें ही मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। शाह कमीशन के सामने जो तथ्य आये हैं, मेरी राय में पूरे तथ्य नहीं आये हैं और प्रिविलेजिज़ कमेटी का यह फर्ज होगा

कि इन तथ्यों की वह खोज करे। कौन से तथ्य नहीं आये हैं—वे संक्षेप में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो मारूति के बारे में मेरा प्रश्न था, इसके बारे में बहुत बड़ा घपला और तिकड़म उन दिनों में हुआ था और इसीलिए 11-12-74 को जब मेरे प्रश्न को तोड़ा-मरोड़ा गया और जानबूझ कर उसका गलत उत्तर दिया गया, तो चूंकि मैं सचेत था, इसलिए दूसरे ही दिन मैंने उस समय के अध्यक्ष को पत्र लिखा। अब, अध्यक्ष महोदय, जब मैं अध्यक्ष के बारे में बोल रहा था, तो ये लोग हल्ला कर रहे थे लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं यह कहना चाहता हूँ। अभी मेरे लायक दोस्तों ने मुझको बताया कि जब मैं जेल में था, तो उस समय के अध्यक्ष श्री गुरदयाल सिंह ढिल्लों ने यह कहा था कि "I was the first victim of emergency" यानि उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसका इससे पता चल जाएगा। 12 तारीख को जो मैंने पत्र लिखा था, वह इस प्रकार था:—

> "I wish to draw your attention to the very sordid trick which your Sectretariat and the Industry Ministry have played on me in respect of my Unstarred Question No. 4175 answered on the 11th December, 1974. My original question made a reference to the Maruti Ltd.'s Annual Report for 1973-74 and asked whether part of the plant and machinery and equipment referred to at pages 16-17 of the report had been imported from abroad.
>
> Without reference to me and without my consent, the Secretariat and the Industry Ministry have completely changed my question. The question as modified by them makes me appear to be a big fool. I am supposed to have asked whether the Maruti Ltd.'s Annual Report has stated that a part of their machinery has been imported from abroad.
>
> I am in possession of the Maruti Ltd.'s Annual Report, why should I ask this stupid question? Of course, the Maruti Ltd. has not stated that part of the machinery is imported. It is on the basis of the report that I received that despite the declarations about the Swadeshi Car, machinery including the proto-type engine had been imported from abroad that I tabled the question. In order to avoid answering this embarrassing question, the Industry Ministry, in collusion with your Secretariat, have changed my question. This is nothing but a fraud."

अध्यक्ष महोदय, आगे मैंने यह कहा था: "I refuse to believe that your junior officers have done this on their own. Shri Dandavate had already charged that the Prime Minister's office has directed that all questions should go to her. Her Secretariat not only edits the answers but also the questions themselves as has been done in this particular case."

तो अध्यक्ष महोदय, हालत उन दिनों में ये हो गये थे कि प्रधान मंत्री जी ने न केवल यह निर्देश दिया था कि मिनिस्टरों के जो प्रश्न हैं, उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए न केवल उनको ही उनके पास भेजा जाए बल्कि यहां तक उन्होंने निर्देश जारी किये थे कि किस प्रश्न को किस शक्ल में बहस के लिए स्वीकारा जाए...

*** *** ***

वह एंक्वायरी आप कर रहे हैं, वह अलग बात है लेकिन मेरा कहना यह है कि जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधान मंत्री थीं और जब उनके सचिवालय का अधिराज्य चल रहा था, तब जो गोलमाल और घपला चल रहा था, उसको प्रिविलेजिज़ कमेटी को देखना चाहिए। शाह कमीशन ने यह काम नहीं किया है न शाह कमीशन यह काम कर सकता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आप जो जांच कर रहे हैं यह बहुत सराहनीय बात है क्योंकि लोक सभा सचिवालय की स्वतंत्रता और पवित्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अपने लायक दोस्तों से भी मैं यह कहूंगा अगर ऐसा नहीं हुआ और मान लीजिए दस साल तक जनता पार्टी की सरकार रही और हमारी सरकार में भी ऐसा हुआ तो क्या यह ठीक होगा? हमारे प्रधान मंत्री ऐसा नहीं करेंगे इसके बारे में मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। परन्तु यह किसी एक व्यक्ति के चरित्र पर निर्भर रह कर नहीं चल सकता, लोक सभा सचिवालय को बिलकुल स्वतंत्र होना चाहिए, किसी के दबाव में आकर काम नहीं करना चाहिए।

मैं फिर 16 तारीख को एक पत्र लिखता हूं। उसमें विषय इस प्रकार लिखा हुआ है—

Another Maruti question disappears from the Secretariat files.

अध्यक्ष महोदय, फिर तीसरा पत्र 29 जनवरी को लिखता हूं। कोई जवाब नहीं आता है। उसके बाद 6 फरवरी को जवाब आता है। उसमें सेक्रेटरी साहब कहते हैं:

> "While processing the question for admission there was a somewhat mix-up in our Secretariat arising out of certain misunderstanding and inaccurate appreciation of the implications of the questions..."

अध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त सचिव कहते हैं कि हमारे सचिवालय में कुछ गलतफहमी हो गयी थी और पता नहीं चला कि आपके प्रश्न का अर्थ क्या है। इनको पता नहीं चला मगर प्रधान मंत्री सचिवालय को अच्छी तरह से पता चल गया। यह सब जानबूझ कर किया गया। आज आप अध्यक्ष हैं, मार्च के महीने में देश में परिवर्तन आया है इसलिए मैं चाहूंगा कि लोकतंत्र की एक-एक संस्था का शुद्धिकरण होना चाहिए और लोक सभा सचिवालय का भी शुद्धिकरण होना चाहिए, न्यायालयों का शुद्धिकरण होना चाहिए, सिविल सर्विसिज का शुद्धिकरण होना चाहिए और ऐसी जितनी भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं उनका भी शुद्धिकरण होना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इस देश में लोकतंत्र नहीं पनपेगा। यह मैं चेतावनी देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय मैं सारी कार्यवाही शाह कमीशन की नहीं पढ़ूंगा, इसमें जो मुख्य बातें हैं वही पढ़ूंगा:

> "The former Minister for Industry Mr. T.A. Pai told the Shah Commission today......"

*** *** ***

मैं तो कहता हूँ कि सारी राजनीति का शुद्धिकरण होना चाहिए। उसमें तो सब बातें आती हैं।

> "The former Minister for Industry Shri T.A. Pai told the Shah Commission today that it was at the instance of a furious Mrs. Indira Gandhi that the Central Bureau of Investigation had started proceedings against four officials, enquiring the affairs of Maruti Limited."

अध्यक्ष महोदय, शाह कमीशन के सामने कौन से तथ्य आये हैं वे मैंने 'टाइम्स आफ इंडिया' से पढ़कर आपके सामने संक्षेप में प्रस्तुत किये हैं। जो बात श्री कंवर लाल गुप्त ने कही थी उसको मैंने नहीं लिया है, मैंने तो केवल वही बातें पढ़ी हैं जिनका संबंध इंदिरा गांधी से है।

अध्यक्ष महोदय, यह किसी ऐरे-गैरे के कहने पर नहीं हुआ। यह बात पाई साहब ने कही है कि स्वयं उस समय प्रधान मंत्री ने सी.बी.आई. के डायरेक्टर को बुलाकर उन्हें आदेश दिया था कि इन अफसरों के घरों पर छापे मारो, इनकी जांच करो।

सभापति महोदय, अब अफसरों ने जो जानकारी दी है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

चट्टोपाध्याय साहब से जब शाह कमीशन ने यह पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा:—

> "He was convinced about the seriousness of the matter as the then Prime Minister had personally told him about it as she must have applied her mind to it."

यह मामला गम्भीर है, यह किस आधार पर चट्टोपाध्याय साहब कहते हैं? क्योंकि प्रधान मंत्री ने कहा इसलिए गम्भीर होना ही चाहिए था। कृष्णास्वामी क्या कहते हैं इसको भी आप देखें:

> Mr. Krishnaswamy, one of the victims denied that he had caused harassment to any party. He had not visited the Maruti premises nor had he held discussions with any member of the affected party. He had started the enquiry and knowing that it was a sensitive matter he had kept his Joint Secretary informed. He had written to the DGTD (Director General, Technical Development) to collect the information and also the Project Engineers to let him have any information with them.

आगे चल कर मैं कांवले साहब जो कुछ कहते हैं वह बता देना चाहता हूं क्योंकि सबसे दर्दनाक कहानी उनकी ही है:

> He had gone on long leave and his premises were searched. He had sought the intervention of senior Ministry officials. After Mr. Parikh had advised him to seek his fortune elsewhere as he was a highly qualified person he resigned on June 15. He secured a job as Marketing Manager of a private company but it was refused to him as he was a Sanjay victim.

यानी संजय गांधी की उनके ऊपर अकृपा है इसलिए जो जॉब मिला था उससे भी उनको अलग कर दिया गया। आगे वह कहते हैं:

> His wife had lost her job in an advertising firm after the CBI had made some enquiry.

जैसे ही सी.बी.आई. उनकी पत्नी के कार्यालय में गई तो डर के मारे उसको भी निकाल दिया।

His life insurance which had lapsed was not renewed by the LIC following a call from the CBI.

यानि एलआईसी की किश्त नहीं दी जा सकी इस वास्ते कि नौकरी चली गई थी।

***　　　***　　　***

मुझे बहुत शर्म आ रही है। हजारों परिवारों को खत्म कर दिया और आपको जरा पश्चाताप नहीं है और यहां फालतू के प्वाइंट्स आफ आर्डर आप उठाते हैं। मैं चाहता था कि चव्हाण साहब और ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब यहां होते और कहते कि इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। यह मामूली बात नहीं।*

***　　　***　　　***

बीस-बीस महीने लोगों ने जेल में काटे हैं, हजारों लोग उजड़ गए हैं। ये व्यवस्था की बातें बिना मतलब की बात करते हैं। कुछ तो ये शर्म रखें। बेहयाई की हद होती है।

मैं चाहता हूँ कि यह मामला प्रिविलेजिज़ कमेटी के सामने जाए। वह इसकी जड़ में, इसकी तह में जाए। यह प्रश्नों को तोड़ने-मरोड़ने का काम कैसे हुआ। प्रधान मंत्री सैक्रेटेरिएट में उन दिनों में श्री बिशन नारायण टंडन साहब ज्वाइंट सैक्रेटरी होते थे जो पार्लियामेंटरी मामलों को हैंडल करते थे। मैं चाहता हूँ कि उनका इसमें क्या हाथ रहा इसकी प्रिविलेजज़ कमेटी को जांच करनी चाहिए। आपके लोक सभा सचिवालय में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो उस समय के प्रधान मंत्री और उनके सचिवालय के दबाव में आकर सदस्यों के अधिकारों के ऊपर अतिक्रमण करते थे तो उसकी भी प्रिविलेजिज़ कमेटी को जांच करनी चाहिए।

---

*श्री सौगत राय, सांसद द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाये जाने पर।

और अन्त में अगर प्रिविलेजिज़ कमेटी श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी पाती है तो मैं विनम्रता के साथ यह निवेदन करूंगा। यहां कुछ नौजवान लोग आते हैं अपना प्रोटेस्ट करने के लिए लीफलेट्स फेंकते हैं, उनको तो यह सदन सात-सात दिन की सजा देता है। मैं जानना चाहूंगा कि इस लोक सभा में क्या वह ताकत है कि लोक सभा के सारे अधिकारों को छीनने का, उसके ऊपर सेंसरशिप लाने का और देश के लाखों परिवारों को उजाड़ने का काम जिस व्यक्ति ने किया है उसको जेल भेजे, क्या उनको जेल भेजने की शक्ति इस लोक सभा में है या नहीं? यही मुझे निवेदन करना है।

*** *** ***

*** *** ***

[£]मुझे कुछ कहने दीजिए। जहां तक समय का सवाल है मैं अपने मित्र के सुझाव से सहमत नहीं हो सकता इसलिए कि यह जो अवधि है यह बहुत कम हो जायेगी।[££] आप जानते हैं कि प्रिविलेजिज़ कमेटी को कम समय दिया जाता है तो बार-बार वह सदन के सामने आते हैं। इसलिए अगर सदन की अनुमति हो तो एकाध महीना घटा सकते हैं। बजट सेशन के अन्त में यह मामला आ सकता है। बजट में तो दूसरा काम नहीं होता है। बजट पास होने के बाद जो सात आठ दिन बचते हैं उसमें यह आ सकता है। अगर सदन की रजामन्दी हो तो पांच महीने में करने के लिए तैयार हूं जिसमें बजट के अन्त में यह आ जाये, बजट सेशन के लास्ट वीक में।

*** *** ***

दे सकते हैं तो जरूरत ही नहीं है बदलने की। विदिन की बात है तो कोई जरूरत नहीं है बदलने की दूसरी बात—श्री श्याम नन्दन मिश्र जी का जो सुझाव है वह वैसे ठीक है, लेकिन नोटिस में जो मैंने कहा है वह मैं पढ़कर सुना देता हूँ और उसके बाद मैं क्यों असमर्थ हूँ उसे स्वीकार करने में यह उन्हें पता चल जायेगा।

मैंने नोटिस में यह कहा है: "My charge of contempt of the House is against the following persons:

(1) Mrs. Gandhi who directed raids against the officers for collecting information for Parliamentary Questions;

(2) Mr. Sen, the then Director of the CBI who conducted these raids on the basis of fabricated charge. If necessary, Mr. Bishan Tandon the then Joint Secretary in the PM's Secretariat and Mr. Shakdher the then Secretary-General, Lok Sabha, may also be asked to testify. If found involved, they should also be hauled up."

[£] *लोक सभा वाद-विवाद*, 18 नवम्बर 1977.

[££] अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कहने पर कि 'क्या आप श्री श्यामनंदन मिश्र, सांसद द्वारा प्रस्तावित संशोधन से सहमत हैं?' का जवाब देते हुए।

उसके ऊपर मैं ज्यादा कोई राय नहीं दे रहा हूँ लेकिन सेन का नाम मैं नहीं छोड़ सकता हूं इसलिए "ऐंड अदर्स" मैंने कहा है। आर्डर्स की बात क्या है? आर्डर्स का मतलब क्या यह है कि प्रधान मंत्री किसी को कहे कि तुम जाकर उसका मर्डर करो और वह मर्डर कर देगा, उसके बाद कहेगा कि आइ वाज अंडर आर्डर्स। आर्डर भी कानून के दायरे के अन्दर होना चाहिए। इसलिए सेन साहब को मैं नहीं छोड़ सकता हूँ और नामों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर "ऐंड अदर्स" की जगह पर "सेन" का नाम जुड़वा देंगे तो मैं मान लूंगा।

राजनीतिक विषय
POLITICAL AFFAIRS

भाषा का मुद्दा*£

अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारी सरकार जो अहिंसा और शांति का घोष करती है, पिछले 18 साल में हमेशा हिंसा और अत्याचार के सामने झुकती रही है। अत्याचार के दबाव में, हिंसा के दबाव में आकर जैसे कोई अनुचित और गलत काम नहीं करना चाहिए। उसी तरह जब तक कि हिंसाचार नहीं होता है, जो उचित और जायज काम होता है उसको भी नहीं करना है। यह कोई अच्छी बात नहीं है।

पिछले 18 साल में आपने देखा होगा कि आंध्र की जनता ने जो मांग की थी कि भाषिक राज्य का निर्माण किया जाए, केन्द्रीय सरकार ने बराबर उसका विरोध किया था और जब पोट्टी श्री रामलू का देहांत हुआ, उनको अपना बलिदान करना पड़ा और उसके बाद आंध्र के अन्दर व्यापक पैमाने पर हिंसक आन्दोलन हुआ तब जाकर केन्द्रीय सरकार जनता के सामने झुकी और उसने आंध्र प्रदेश का गठन किया।

उसी तरह के पश्चिम भारत में लोगों ने मांग की थी कि भाषिक राज्य का निर्माण हो लेकिन सरकार ने उसको नहीं माना। लेकिन जब बम्बई** में खून की नदियां बहीं और अहमदाबाद में मासूम बच्चों की हत्याएं हुईं तब जाकर भाषिक राज्य का गठन सरकार ने किया।

आज भी गोवा की विधान सभा ने प्रस्ताव किया है जिसके बारे में कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। मैं जानता हूँ कि केन्द्रीय सरकार उसको नहीं मानेगी जब तक कि लोगों के द्वारा कोई हिंसक आन्दोलन नहीं होता है। इस तरह से हिंसा के प्रभाव में आकर गलत काम करना या जब तक हिंसा नहीं होती है उचित काम नहीं करना यह मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है।

यह जो आज मसला हमारे सामने आया है इसके बारे में सरकार के द्वारा यह कहा गया है कि 'द्रविड़ मुनेत्र कषगम' के लोगों ने वहां पर यह हिंसक आन्दोलन किया है। 'द्रविड़ मुनेत्र कषगम' के साथ मेरे जैसे लोगों का मतभेद है। लेकिन अगर उनके मन में, उनके हृदय में केवल हिन्दी के प्रति द्वेष नहीं है, साथ-साथ तमिल से प्रेम भी है तो आज नहीं तो कल कभी न कभी हम लोगों के बीच में कोई समझौता हो सकता है। लेकिन सत्तारूढ़ दल के अन्दर जो देशतोड़क तत्व हैं, जो अपने आन्तरिक झगड़ों को लेकर या अपने छोटे स्वार्थों को साधने के लिए जनता को भड़काने का काम करते हैं, उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यह जो हिंसक आन्दोलन हुआ है उसकी जिम्मेदारी केवल 'द्रविड़ मुनेत्र कषगम' या विरोधी दलों

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 18 फरवरी 1965.

** अब इसे मुम्बई के नाम से जाना जाता है।

£ भाषा के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

पर ही नहीं है बल्कि जो कांग्रेस के सत्तारूढ़ दल के बड़े नेता हैं उन लोगों ने पिछले एक दो महीनों में भाषा के मसले को लेकर जो भाषण किये हैं और लोगों को उकसाने का प्रयास किया है, उससे वातावरण और ज्यादा गर्म हुआ है।

अभी-अभी फिलहाल केन्द्रीय सरकार के दो मंत्रियों ने यह जो इस्तीफे देने का नाटक किया है—मैं जानबूझकर उसको नाटक कहता हूं क्योंकि इस्तीफे क्यों दिये गये और क्यों वापस लिये गये, उसके बारे में आज तक संसद को कोई जानकारी नहीं है—उसकी, तथा केन्द्रीय मंत्रियों से लेकर सत्तारूढ़ दल के जो बड़े-बड़े लोग हैं वे जनता को उभारने का, भड़काने का प्रयास कर रहे हैं और उसकी मैं सख्त आलोचना करना चाहता हूँ।

एक ऐसा वातावरण बनाया गया है जिससे पता चले कि जो झगड़ा है वह हिन्दी समर्थकों और हिन्दी विरोधियों के बीच में है। इस ढंग से इस सवाल पर सोचना मैं समझता हूं बहुत गलत होगा। स्वयं मैं एक गैर-हिन्दी इलाके का आदमी हूँ और मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं है। मेरी मातृभाषा मराठी है और अपनी मातृभाषा पर मुझे उतना ही अभिमान है, उससे मुझे उतना ही प्रेम है जितना अन्य भारतीय भाषाओं से है। इसलिए मुझ पर कोई आरोप नहीं लगा सकता है कि मैं किसी एक भाषा के साथ पक्षपात कर रहा हूँ। लेकिन साथ-साथ मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि इस सवाल को केवल हिन्दी समर्थकों और हिन्दी विरोधियों का क्यों बना दिया गया है। यह हिन्दी समर्थकों और हिन्दी विरोधियों का सवाल नहीं है।

हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने भाषण में चार-पांच मुद्दों पर प्रकाश डाला था। एक ही मुद्दे को आप लीजिए। उन्होंने कहा था कि राज्य स्तर पर राज्य के लोग जिस भाषा में व्यवहार करना चाहते हैं, उसकी उनको छूट दी जाएगी। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब यह होता है कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ अंग्रेजी का इस्तेमाल करने की भी छूट आप दे रहे हैं। इसको मैं बहुत गलत समझता हूं। क्या वजह है कि 18 साल में जहां-जहां प्रादेशिक भाषायें चलती हैं, वहां-वहां सरकारों ने अपने कामकाज में, शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं का इस्तेमाल नहीं किया है।

हमेशा बात की जाती है कि भारत की भाषायें विकसित नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जब तक उनको इस्तेमाल करने का मौका आप नहीं देंगे, उनको अवसर नहीं मिलेगा, तब तक दफ्तरों में शब्द गढ़ने वाले जो लोग हैं क्या वे भारतीय भाषाओं को विकसित करेंगे? जब भाषा का इस्तेमाल होगा, व्यवहार में वह आयेगी, शिक्षा के क्षेत्र में उसका इस्तेमाल होगा, कानून के लिए उसका इस्तेमाल होगा, अदालतों में इस्तेमाल होगा तभी जाकर भाषायें विकसित हो सकती हैं। इसलिए यह दलील कि भारतीय भाषायें विकसित नहीं हैं, इसलिए अंग्रेजी का इस्तेमाल करना चाहिए, मैं समझता हूँ बहुत ही गलत दलील है और उसके साफ-साफ माने यह हैं कि एक-दो प्रतिशत जो लोग अंग्रेजी पढ़े-लिखे हैं और उनमें से भी अधिकतर लोग रद्दी अंग्रेजी बोलते और लिखते हैं उनका ही आधिपत्य देश पर जमा रहे। मैं स्वयं अंग्रेजी नहीं जानता हूँ। लेकिन यह कहना कि भारतीय भाषायें विकसित नहीं हैं, इसलिए उनका इस्तेमाल नहीं हो सकता है, बहुत ही गलत है।

मैं एक-दो मिसालें देना चाहता हूँ। हैदराबाद राज्य में विभाजन होने के पहले अदालतों में और दूसरे कामों में उर्दू का इस्तेमाल होता था, ग्वालियर में हिन्दी का इस्तेमाल होता था, बड़ौदा में गुजराती का इस्तेमाल होता था। लेकिन क्या बात है कि इन राज्यों का विलीनीकरण होने के बाद अंग्रेजी वहां की जनता पर थोपी गई, लादी गई। इससे बिलकुल साफ जाहिर होता है कि यह मामला अहिन्दी भाइयों के हिन्दी विरोध का नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हमारे देश में हैं, और सत्तारूढ़ दल में भी है, खासकर केन्द्रीय सरकार में, जो किसी न किसी बहाने को लेकर अंग्रेजी को हिन्दुस्तान का माध्यम बनाये रखना चाहते हैं। इसलिए श्री शास्त्री का जो यह मुद्दा है कि राज्य स्तर पर प्रादेशिक भाषा के अलावा अंग्रेजी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मैं समझता हूँ वह उन्नित चीज नहीं है और हमारे देश के लोग डट कर उसका मुकाबला करेंगे।

आप जानते हैं कि केरल में राष्ट्रपति की हुकूमत है। वहां पर केन्द्रीय सरकार के द्वारा यह कहा गया कि केरल राज्य में मलयालम के साथ-साथ अंग्रेजी का भी इस्तेमाल हो। वहां तो कोई हिन्दी समर्थक और हिन्दी का विरोध करने वालों की बात नहीं थी। फिर केरल राज्य में अंग्रेजी के इस्तेमाल की छूट क्यों दी जाती है। आंध्र के मंत्रियों ने अभी-अभी कहा था कि आंध्र में तेलुगू भाषा को लाने के लिये दस सालों की जरूरत है, महाराष्ट्र में तेजी से मराठी नहीं आ रही है। बंग्ला के बारे में भी यही बात जानना चाहता हूँ। बंग्लाभाषी लोग कहते हैं कि हमारी भाषा विकसित है। तो फिर वे इस बात पर बल क्यों नहीं देते हैं कि बंगाल के अन्दर हर क्षेत्र में, अदालत से लेकर शिक्षा तक के क्षेत्र में बंग्ला का ही इस्तेमाल हो। इसलिए सवाल हिन्दी के समर्थन या विरोध का नहीं है। अगर गैर-हिन्दी इलाकों के लोग नहीं चाहते कि हिन्दी आये तो मैं कहूंगा कि हिन्दी को वह न लायें, हिन्दी का इस्तेमाल न करें, लेकिन कम-से-कम अपने-अपने राज्यों में हर क्षेत्र में अनिवार्य ढंग से अपनी प्रादेशिक भाषा का इस्तेमाल करें और अंग्रेजी को राज्य स्तर से बिलकुल निकाल दें, बिलकुल हटा दें।

दूसरे मेरा यह कहना है कि इन राज्यों में जो स्कूल हैं, जिनका माध्यम अंग्रेजी है, उनके ऊपर प्रतिबंध होना चाहिए और उन राज्यों में केवल प्रादेशिक भाषाओं के जरिये, जनभाषाओं के जरिये शिक्षा दी जाये। साथ-साथ किसी भी स्तर पर जहां पर कि अंग्रेजी अनिवार्य भाषा, मैं चाहूंगा कि वहां पर उसे एक ऐच्छिक भाषा बनायी जाये। अंग्रेजी को अनिवार्य न रहने दिया जाये। हिन्दी के बारे में अगर आप लोगों को विरोध है तो हिन्दी को भी एक ऐच्छिक विषय के रूप में रखा जाये। किसी के ऊपर हिन्दी जबर्दस्ती न लादी जाये।

अब केन्द्र का सवाल रह जाता है। केन्द्र के बारे में मेरी समझ में नहीं आता है कि सरकार की क्या नीति है। एक ओर तो हम कहते हैं कि भारत की जितनी जनभाषाएं हैं सभी राष्ट्र भाषायें हैं। दूसरी ओर उनका यहां प्रयोग करने पर रोक है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस संसद में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल पर क्यों रोक है। जब हमारे जैसे लोग राष्ट्रपति जी से अनुरोध करते हैं कि वे अपना भाषण हिन्दी में नहीं तेलुगू में दें, तो प्रधान मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है कि संविधान में इसकी छूट नहीं है। संविधान में रोक भी नहीं है। अगर राष्ट्रपति जी अपना अभिभाषण तेलुगू में दे देते तो दक्षिण के लोगों को लगता कि ठीक है, हमारी भाषा की भी इज्जत हो रही है और हिन्दी के साथ-साथ दूसरी जनभाषाओं को भी उनका योग्य स्थान दिया जा रहा है।

भविष्य के संबंध में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैंने आज अखबारों में पढ़ा कि प्रधान मंत्री जी संसद के अन्य दलों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने वाले हैं। मेरा सुझाव है कि प्रधान मंत्री जी एक व्यापक सम्मेलन बुलायें। वे उसमें न केवल संसद में जो विभिन्न दलों के नेता हैं उनको बुलायें बल्कि जो बाहर के दलीय नेता हैं उनको भी बुलायें। भाषा शास्त्रियों को भी उसमें बुलाया जाये और साथ-साथ जो दूसरे ऐसे निर्दलीय जन प्रतिनिधि हैं उनको भी बुलाया जाये, और हम लोग शांति से इस विषय पर सोचें। मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन को मुल्तबी रखा जाये। इस बात का फैसला पहले उस सम्मेलन में अनौपचारिक रूप से किया जाये और फिर संसद में बहस होनी चाहिए। उसके पश्चात् ही मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

लोकतंत्र एवं दलगत राजनीति*£

अध्यक्ष महोदय, नन्दा जी ने हमारे सामने यह किताब रखी है जोकि 45 सफे की है। पहाड़ खोद कर नन्दा जी ने उसमें से क्या निकाला है? एक चूहा निकाला है और वह भी मरा हुआ। मुझे हैरत होती है कि जिस प्रकार के रहते हुए चीन के बारे में गलत नीतियां चलीं और दो-ढाई साल पहले सारे भारतवर्ष को अपमानित होना पड़ा आज वही सरकार एक दूसरे दल के बारे में यह आरोप लगा रही है कि वह चीन के साथ मिला हुआ है और उनकी गतिविधियां देशहित विरोधी हैं। मैं नन्दा जी से जानना चाहता हूँ कि जिस दल के वह नेता है और मंत्री हैं और जिस दल के हाथ में मुल्क की बागडोर पिछले 17-18 साल से चली आ रही है, उस दल की चीन संबंधी नीति क्या रही है? श्रीमती रेणु चक्रवर्ती और गोपालन के हाथ में कम से कम देश की बागडोर नहीं थी। अगर कोई इस देश में मुल्जिम है तो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं गृह मंत्री जी, वह मुल्जिम हैं।

1950 या 1951 में जब तिब्बत की आजादी का हनन हुआ तो नन्दा जी उस वक्त बम्बई में मंत्री थे। अपने मंत्री पद से वह हटे नहीं और जवाहरलाल नेहरू जी की हुकूमत में मंत्री बनने के लिए दिल्ली आए। उसके बाद 1954 में कांग्रेस की सरकार ने पंचशील की संधि उसी चीन के साथ की जिसने तिब्बत की आजादी का हनन करके भारत की उत्तरी सीमा पर संकट पैदा कर दिया था। क्या नन्दा जी ने उस वक्त इस नीति की आलोचना करते हुए इस्तीफा दिया था या वह अपने पद पर चिपक कर बैठे रहे?

उसी तरह से 1954 में जब यह पंचशील की संधि हुई और उसके ऊपर जो स्याही थी वह सूखने भी न पाई थी कि चीन के द्वारा लद्दाख में आक्रमण का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक्त नन्दा जी और उनके दल ने और उनकी सरकार ने आक्रमण के इस तथ्य को इस सभा से छिपाये रखा। उस वक्त भी नन्दा जी ने इस बात को लेकर इस्तीफा नहीं दिया।

उसके बाद भी चीन ने आक्रमण किया। इस हमले को उन्होंने कभी कबूल नहीं किया और संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने बरसों तक भारत के प्रतिनिधि यही कहा करते थे कि यह तो एक सीमा का झगड़ा है, सीमाई विवाद है। उसके बाद भी अगस्त 1962 में इन लोगों ने घोषणा की थी कि भारत की भूमि पर से जब तक चीन नहीं हटता, उसके साथ कोई वार्तालाप या समझौता हम नहीं करेंगे। लेकिन अक्तूबर 1962 में जब रणभूमि पर हमारी हार हो गई, उसके बाद हमारी सरकार अपने वायदे को भूलकर कोलम्बो प्रस्ताव लेकर समझौते के रास्ते पर चली।

---

*_लोक सभा वाद-विवाद_, 11 मार्च 1965.

£कम्युनिस्टों द्वारा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

मैं जानना चाहता हूँ कि चीन को लेकर कांग्रेस सरकार की ओर कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उस नीति में और वामपंथी कम्युनिस्टों की नीति में क्या फर्क है। वे भी राजनीतिक समझौता चाहते हैं और भूमि का सौदा करने के लिए शायद तैयार हैं और नन्दा जी और उनकी हुकूमत भी चीन के साथ राजनीतिक समझौता चाहती है और अपनी भूमि का सौदा करने के लिए तैयार है।

चीन का जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस सरकार की नीति, नन्दा जी की नीति और वामपंथियों की नीति में कोई अन्तर नहीं है। आज वामपंथी कम्युनिस्टों के बारे में जो आरोप लगाये जाते हैं, उनका समावेश इस किताब में किया गया है। क्या इसमें हमें मिला है? 45 सफे में कहीं दो पैरे ऐसे हैं जिनमें वामपंथियों की कार्रवाइयों का ज़िक्र है। 33 सफे पर जो 26वां परिच्छेद है उसमें 1948 और 1950 में जो उन्होंने काम किया था उसका ज़िक्र है। 49 सफे पर एक परिच्छेद 28 नम्बर का है। उसमें उनके वर्तमान कार्यों के बारे में कुछ ज़िक्र है। यह कहा गया है कि वामपंथी कम्युनिस्ट नेता डलहौजी गये, मनाली गये, कुल्लू गये। कौन कहां जाता है या नहीं जाता है, उसकी एक लिस्ट दे कर आप इन आरोपों को साबित नहीं कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोग बम्बई में जाते हों और अपनी भाग्य रेखा पंडितों और ज्योतिषियों को दिखा कर उनसे पूछते हों कि क्या मैं प्रधान मंत्री बन सकता हूँ। कोई कहां जाता है इससे कोई चीज साबित नहीं होती है। पूरी किताब में कम्युनिस्टों की कार्रवाइयों के बारे में एक जुमला तक नहीं है। दो वाक्य में पाता हूँ। एक उनका कार्यक्रम है कि किसानों, मजदूरों, खेतिहर मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों को संगठित करके एक जन-आन्दोलन छेड़ा जाए। इस सदन में विरोधी दल के जो अधिकतर सदस्य हैं उनमें से एक-एक सदस्य इस काम को करता है और मैं भी करता हूं। अभिमान के साथ यह काम करना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूँ।

वामपंथी कम्युनिस्टों के साथ मेरा मतभेद है। अगर इनमें से कोई ऐसे हैं जोकि पेइचिंग की ओर देखते हैं तो उनके साथ लड़ने के लिए मैं तैयार हूँ और अपने दोस्तों से कहूंगा कि पेइचिंग की ओर देख कर या मास्को की ओर देख कर या वाशिंगटन की ओर देख कर या लंदन की ओर देख कर हिन्दुस्तान की तरक्की नहीं हो सकती है। हमको अभिमुख होना है भारत के जो गरीब लोग हैं उनकी तरफ, मजदूर और किसान जनता की तरफ, मध्यम श्रेणी की जनता की तरफ और उसकी ओर अभिमुख होकर और उनको संगठित करके ही हमारे देश में समाजवाद स्थापित हो सकता है।

जहां मैं यह कहता हूँ वहां साथ-साथ सरकार का इस वक्त जो काम है उसकी भी कटु आलोचना करता हूं। संकटकालीन स्थिति की सरकार ने घोषणा की है। संविधान में लिखा हुआ है कि अगर युद्ध का खतरा हो, अगर कोई हमला होता है, फौजी चढ़ाई होती है या आन्तरिक विद्रोह की परिस्थिति है तो संकटकालीन कानून जारी किया जा सकता है। आज न जंग चल रही है, न फौजी लड़ाई हो रही है, न कोई हमारे देश में हिंसात्मक क्रांति होने जा रही है। फिर मैं जानना चाहता हूँ कि संकटकालीन स्थिति को बनाये रखते हुए और भारत सुरक्षा कानून को बनाये रख कर हजारों लोगों की जो स्वतंत्रता छीन ली गई है, उनके बारे में नन्दा जी क्या करना चाहते हैं। एक ही चीज़ वह करना चाहते हैं। वह जानते हैं कि जनता में असंतोष है और जनता को

अगर मौका दिया जाएगा तो उनकी सरकार एक दिन के अंदर खत्म हो सकती है जैसे केरल में हो चुका है। नन्दा जी ने कहा कि लोगों को वोट देने का जो अधिकार दिया हुआ है, उसको नहीं रोक सकते, लोगों को इलेक्शन में खड़े होने से नहीं रोक सकते, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता है, तब मैं कहूंगा कि नजरबंद कम्युनिस्टों को अगर आप रिहा नहीं करना चाहते हैं तो जो विधान सभा के सदस्य हैं उनको आप वोट देने की इजाजत दीजिए। जेल से नहीं छोड़ना चाहते तो न छोड़िये। अभी केरल में विरोधी दलों की हुकूमत बन सकती है। जहां तक मेरे दल का संबंध है कल मेरे दल ने प्रस्ताव किया है कि जो सबसे बड़ा केरल में दल है उसको राज्यपाल को न्यौता देना चाहिए सरकार बनाने के लिए और उस सरकार को बहुमत दिलाने के लिए ठोस और निश्चित कार्यक्रम के आधार पर हम सहयोग देने को तैयार हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वामपंथी कम्युनिस्टों को गिरफ्तार करके और नजरबंद रखकर नन्दाजी राष्ट्रपति की गैर-जिम्मेदार और अप्रजातांत्रिक हुकूमत को केरल में बनाये रखना चाहते हैं। केरल की जनता ने कांग्रेस को तो उखाड़ कर फेंक दिया है लेकिन राष्ट्रपति की हुकूमत की आड़ में छिप कर केरल की जनता पर वह अपनी नीतियां थोप देना चाहते हैं, जिन्हें कि केरल की जनता ने अस्वीकार कर दिया है। तो हमारे सामने सवाल यह है कि संकटकालीन स्थिति की घोषणा अब खत्म करनी चाहिए। अगर संकटकालीन स्थिति खत्म होती है, तो भारत रक्षा कानून की वे धाराएं जिनके अंतर्गत इनको गिरफ्तार किया गया है समाप्त हो जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है कि इन धाराओं का संविधान के अन्दर जो बुनियादी अधिकार है उनके साथ टकराव है और ये धाराएं तभी खत्म हो जाएंगी जब संकटकालीन स्थिति खत्म हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, आज देश हित के नाम पर ऐसे कानूनों, संविधान की ऐसी धाराओं का इस्तेमाल किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल केवल जंग, या फौजी चढ़ाई या हिंसात्मक विद्रोह का जब खतरा रहता है उसी समय किया जाना चाहिए। सरकार ने जो यह 45 सफों की किताब निकाली है इसको मैं गृह मंत्रालय की बुद्धिहीनता का प्रतीक मानता हूँ। अगर आप इसको लेकर अदालत में जाएंगे तो अदालत में यह किताब टिक नहीं सकेगी, इसको कोई सबूत नहीं कह सकता। अगर कम्युनिस्ट आन्दोलन में मतभेद हैं और उनके बारे में किताब लिखनी थी तो किताब लिखी जा सकती थी। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो वामपंथ है या दक्षिणपंथ है उनके विचार क्या हैं, उनकी विचार प्रणाली क्या है, उसके बारे में चर्चा करना इस किताब का, इस पुस्तिका का, उद्देश्य नहीं हो सकता था। इसमें लिखा है "राष्ट्र विरोधी कार्रवाई" "राष्ट्र विरोधी काम"। हो सकता है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि प्रजातंत्र खराब चीज़ है और जनाधिपत्य की जगह एकाधिपत्य आना चाहिए। क्या ऐसे लोगों को आप जेल में बन्द करेंगे? जब तक वे इस सरकार को हिंसात्मक तरीके से उखाड़ कर फेंकने का काम नहीं करते, तब तक ऐसे लोगों को भी अपनी राय रखने का अधिकार है। इसलिए मैं एक जोरदार ढंग से आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार यह जो अपने हाथ में अधिकारों को केन्द्रित करने की नीति को चला रही है, उस नीति को वह छोड़ दे। इन कम्युनिस्ट नजरबंदों के खिलाफ अदालतों के सामने मुकदमे चलाए। लेकिन अगर वह यह भी करने के लिए तैयार नहीं है तो जैसे उनको वोट देने का अधिकार दे दिया, उसी तरीके से ये जो 29 कम्युनिस्ट केरल की जेलों में नजरबन्द हैं,

इनको विधान सभा में समय समय पर वोट देने के लिए भी कोई सुविधा दें। अगर यह हो जायेगा तो मैं समझता हूँ कि देश में प्रजातंत्र पनप सकता है।

अन्त में मैं एक ही बात और कहूंगा। मुझे बड़ा दुख होता है जब विरोधी दलों में से ही एक तबका इस तरह की मांग करता है कि फलां-फलां दल के ऊपर पाबन्दी लगाओ। मुझे इस मांग से बड़ा सदमा होता है। दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों ने हाल ही में अपनी कांग्रेस में मांग की थी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबन्दी लगायी जाये, और अब हमारे जनसंघ के मित्र कहेंगे कि वामपंथी कम्युनिस्टों पर या दक्षिणपंथी कम्युनिस्टों के ऊपर पाबन्दी लगायी जाए। तो इससे न तो जनसंघ सत्ता में आएगी और न दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट सत्ता में आएंगे, यह जो नन्दा जी की जनता विरोधी हुकूमत है वह वैसे ही कायम रहेगी। इसलिए मैं अपने मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि नागरिक स्वतंत्रता के सिद्धांत की बुनियाद पकड़ो, सिद्धांत की जड़ में जाओ और किसी दूसरे दल को खत्म करने के लिए कांग्रेस सरकार के साथ सहयोग करने का और जनता की पीठ में छुरी घोंप देने का पाप न करो।

केरल में संविधान की धारा 356 का दुरुपयोग*£

केरल जैसे एक नितान्त रमणीय, शिक्षित और सुसंस्कृत इलाके के साथ संविधान की दफा 356 को लेकर इस केन्द्रीय सरकार ने जो व्यवहार किया है, उससे कांग्रेस दल का दकियानूसी चेहरा और लोकतंत्र विरोधी शक्ल हम लोगों के सामने बिल्कुल साफ हो गई है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि संविधान की दफा 356 उन संकटकालीन धाराओं में से है, जिसका इस्तेमाल संकटकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि केरल में इस धारा का दो दफा जो इस्तेमाल किया गया है वह किसी संकटकालीन स्थिति का सामना करने के लिए नहीं किया गया बल्कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता-लालसा को तृप्त करने के लिए कृत्रिम ढंग से एक संकटकालीन स्थिति केरल में पैदा की और इस धारा का दुरुपयोग करके उसने विरोधी दलों को समाप्त करने का प्रयास किया।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि छः साल पहले केरल में एक ऐसी हुकूमत थी, जिसको विधान सभा में बहुमत का समर्थन हासिल था। कांग्रेस दल के द्वारा हजारों कोशिशें हुई थीं कि उस दल को तोड़ा जाये, कुछ लोगों को रिश्वत दी जाये, लेकिन आप जानते हैं कि इस बहुमत को वह नहीं तोड़ सकी थी। तो फिर उसने कृत्रिम ढंग से एक विमोचन समर वहां पर चला कर एक ऐसी हवा पैदा की, जिसका फायदा उठाकर उसने दफा 356 के तहत कम्युनिस्ट हुकूमत को समाप्त किया और केरल में जनाधिपत्य का खात्मा किया। आज छः साल के बाद फिर केरल में यही दुर्व्यवहार सत्ताधारी दल की ओर से किया जा रहा है।

अभी माननीय सदस्य ने मेरी बातों का जिक्र किया, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरी बातों को वह पूर्णतया नहीं पकड़ते हैं, अधूरी चीज को पकड़ते हैं। यह बात सही है कि मैंने इस सदन में कहा था कि चुनाव कानून की धारा 73 के अन्दर और संविधान की दफा 327 के तहत केरल में विधान सभा का गठन कानूनी ढंग से हो गया, जबकि चुने हुए सदस्यों का नाम गजट में प्रकाशित किया गया। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि संविधान की दफा 172 बिलकुल साफ है। उसमें तीन बातें हैं। एक बात यह है कि हर विधान सभा की मियाद पांच साल की रहेगी। दूसरी बात यह है कि यह मियाद उसकी प्रथम बैठक की तारीख से पांच साल तक चलेगी। उसके पहले भी विधान सभा को बर्खास्त किया जा सकता है, राज्यपाल को वह अधिकार दफा 174 के अन्दर है। लेकिन विधान सभा के गठन की तारीख और विधान सभा की प्रथम बैठक की तारीख में बहुत फर्क है।

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 6 मई 1965.

£राष्ट्रपति को केरल राज्य की विधायी शक्तियां संबंधी विधेयक पर संशोधन प्रस्तुत करते हुए।

प्रथम बैठक के बाद राज्यपाल विधान सभा को बर्खास्त कर सकता है, लेकिन विधान सभा के गठन के तुरन्त बाद उसको बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। "विधान सभा का गठन" यह शब्द-प्रयोग संविधान की दफा 327 में आता है। अगर संविधान बनाने वाले चाहते थे कि विधान सभा को उसके गठन के तुरंत बाद खत्म किया जाये, तो उन्होंने दफा 172 के अन्दर यह लिखा होता कि विधान सभा की मियाद पांच साल की रहेगी उसके गठन के दिन के बाद। लेकिन संविधान में इस शब्द का प्रयोग किया गया है कि विधान सभा की प्रथम बैठक के बाद ही पांच साल तक विधान सभा चलेगी और दरमियानी अर्से में उसको खत्म किया जा सकता है।

इसलिए, मैं आपके सामने इस तथ्य को रखना चाहता हूँ कि दफा 356 के अन्दर जो राष्ट्रपति शासन का हुक्म जारी किया गया है, वह संविधान के बरखिलाफ है और उसके जरिये केरल में, और हमारे देश में, जनाधिपत्य को खत्म करने की कोशिश कांग्रेस दल ने की है।

दूसरी उसमें कई बातें हैं जिनका जिक्र मैं करना चाहता हूँ। अभी बताया गया है कि केरल में और कोई रास्ता रह नहीं गया था सिवाय इसके कि राष्ट्रपति शासन जारी किया जाये। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संकटकालीन स्थिति वहां पैदा की गई है, यह जो पेंच वहां पैदा किया गया यह कृत्रिम ढंग से किया गया। यह जो चुनाव हुआ उसके ऊपर सरकार द्वारा और राजनीतिक दलों के द्वारा लाखों करोड़ों रुपया खर्च हुआ। कांग्रेस पार्टी जैसे दल को स्वयं वित्त मंत्री कृष्णमाचारी साहब पैसा दिलाते हैं, वह बम्बई आये थे और सचिवालय के अन्दर उन्होंने बम्बई के उद्योगपतियों को बुलाया था और एक घंटे के अन्दर-अन्दर केरल के चुनाव के लिए उन्होंने बीस लाख रुपया दिला दिया। लेकिन मेरे दल जैसा जो दल है, जो गरीब दल है, उसको न पूंजीपति पैसा देते हैं, न और कोई पैसा देता है, हमें जो पैसा मिलता है वह गरीब किसानों और मजदूरों से ही मिलता है। ऐसे दलों के लिए बार-बार चुनाव लड़ना आसान नहीं होता है। केरल में चुनाव हुआ, चुनाव पर पैसा खर्च हुआ लेकिन चुनाव में जनता कांग्रेस के खिलाफ अपना मत व्यक्त न करे, इसलिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा तरह-तरह की कोशिशें की गईं। चुनाव के पहले वहां के सैकड़ों कम्युनिस्टों को नजरबन्द कर दिया गया। एक ऐसे कानून के मातहत जिसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यह कानून संविधान की 14वीं धारा, और संविधान की 22वीं धारा की हत्या करता है। लेकिन चूंकि संकटकालीन स्थिति के नाम पर कोई भी आदमी, गोपालन साहब या दूसरे लोग न्यायालय के सामने नहीं जा सकते हैं और अपने अधिकारों के बारे में न्यायालय से फैसला नहीं मांग सकते हैं, इसलिए इस स्थिति से फायदा उठाकर केरल के अन्दर उनको जेल में डाल दिया गया। जनता के ऊपर वहां दबाव डाला गया। वहां पर गृह मंत्री नंदा जी और प्रधान मंत्री शास्त्री जी गये थे और उन्होंने वहां पर भाषण किये थे और उन भाषणों में उन्होंने जनता को धमकाया था, मतदाताओं को धमकाया था कि कम्युनिस्टों को चुनाव के बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे इसलिए उनको वोट देना बेकार है। यह भी कहा गया था कि अगर कम्युनिस्टों को और उनके साथ चलने वालों को या उनका समर्थन करने वालों को केरल की विधान सभा में बहुमत प्राप्त हो जायेगा तो भी केरल की कम्युनिस्ट पार्टी को वहां पर मंत्रिमंडल बनाने का मौका नहीं दिया जायेगा। इस तरह से मतदाताओं पर अनुचित ढंग से दबाव डाल कर, संविधान की हत्या करके, लोगों को नजरबंद रखकर भी जब कांग्रेस की बुरी तरह हार हो गई तब गृह

मंत्री जी सदन के सामने आये और अपना इस्तीफा पेश करने के बजाय यह दलील देने लगे, बिलकुल रद्दी दलील देने लगे कि हम हारे ही नहीं हैं बल्कि हमारी विजय हुई है। गृह मंत्रालय का इस्तेमाल किया गया यह साबित करने के लिए अखबारों में यह बात छपवाने के लिए कि कांग्रेस की हार नहीं हुई है, हार जो हुई है वह विरोधी दल की हुई है।

जब मैं केरल गया था उस समय मंत्रिमंडल के गठन की बात चल रही थी और तब जो घटनायें घटी थीं उनसे मैं परिचित हूं। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ने राज्यपाल के पास एक मुकम्मिल योजना पेश की थी। हमने राज्यपाल से कहा था कि आप जो सबसे बड़ा विरोधी दल है नम्बूदिरीपाद और गोपालन का कम्युनिस्ट दल, उस दल को मंत्रिमंडल बनाने के लिए न्यौता दें और विधान सभा की बैठक धारा 176 के अन्दर बुला कर आप उनसे कहें कि विधान सभा के सामने वह आयें और अपनी नीति तथा अपना कार्यक्रम रखें और अगर बहुमत का समर्थन उनको हासिल हो जाता है तो वे अपना मंत्रिमंडल बनायें। अगर विधान सभा के सामने आकर बहुमत प्राप्त करने में वह असहाय हो जाते हैं तो उसके बाद दूसरे दल को मौका दिया जाये। यह भी सुझाव मैंने इस सदन में और केरल राज्यपाल के पास हमारे नेताओं के जरिये भिजवा दिया था कि अगर नम्बूदिरीपाद, गोपालन के कम्युनिस्ट दल के जो नेता जेल में बन्द हैं, उनको आज जेल से नहीं छोड़ सकते हैं तो कम से कम महत्वपूर्ण समय पर उनको विधान सभा में जाने का, उसकी कार्रवाई में हिस्सा लेने का और वोट देने का अधिकार तो दें। लेकिन हमारे सब सुझावों को राज्यपाल ने, और उसका मतलब हुआ केन्द्रीय सरकार ने ठुकरा दिया, और अपनी सत्ता की लालसा को तृप्त करने के लिए राष्ट्रपति का शासन कायम किया।

आज यह कितना महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप देखें। केरल की शिक्षित जनता को अब मौका नहीं है अपनी बात रखने का। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर या तो कानून मंत्री को उपस्थित होना चाहिए था यहां पर या छागला साहब को जिन्होंने उस दिन हस्तक्षेप किया था और सदन के सामने अपनी बात रखी थी, आज सदन के सामने आना चाहिए था, यहां उपस्थित रहना चाहिए था। उनको चाहिये था कि वे इस बहस में हिस्सा लेते और जो सारे मामले मैंने उपस्थित किये हैं उनका जवाब देते। हमारे संविधान में ऐसी भी व्यवस्था है कि ऐसे सांविधानिक प्रश्नों पर जब बहस होती है तो एटर्नी-जनरल को यहां आ कर अपनी राय देने के लिए कहा जा सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि विधान सभा को बर्खास्त करके, उसको न बुलाने का जो काम किया गया है और राष्ट्रपति का शासन जारी किया गया है यह संविधान की कई धाराओं को तोड़ देता है, उनका हनन करता है और इसलिए केन्द्रीय सरकार की मार्फत राष्ट्रपति जी को यह सलाह दी जानी चाहिए कि धारा 143 के अन्दर सर्वोच्च न्यायालय की राय जानने के लिए इस मामले को राष्ट्रपति जी सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दें। इसके साथ ही साथ मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि यदि आप देश में जनाधिपत्य और राज्य की स्वायत्तता को बचाना चाहते हैं तो राज्य सरकारों के साथ उस तरह का व्यवहार आप न करें जिस तरह का व्यवहार नगरपालिकाओं के साथ, पंचायतों के साथ उनको बर्खास्त करके किया जाता है। केरल की सरकार को एक पंचायत के तौर पर, नगरपालिका के तौर पर समाप्त किया गया है, उनके साथ जैसा व्यवहार होता है, वैसा ही व्यवहार किया गया है। मैं तो अर्ज करूंगा कि हमारे संविधान में पंचायत, नगरपालिका, जिला

पंचायत, राज्य सरकार उन सबके अधिकार सीमित ही सही लेकिन निश्चित किये जाने चाहिएं और जब तक वे अपने अधिकारों के दायरे में काम करती हैं केन्द्रीय सरकार को बिल्कुल अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनको समाप्त कर सके। अगर उनके द्वारा कोई अनुचित काम होता है, कोई गैर-कानूनी काम होता है तो उनके खिलाफ आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं लेकिन प्रजातंत्र को खत्म करने की बात हरगिज नहीं होनी चाहिए।

मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है आज केरल में किसी भी दल को निरपेक्ष बहुमत हासिल नहीं था। लेकिन कल तो कई राज्यों में यह स्थिति पैदा हो सकती है। क्या हर राज्य में जब गैर-कांग्रेसी सरकार बनने का खतरा पैदा होगा आप राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल करके उसको खत्म करेंगे?

कांग्रेस पार्टी ने आज तक पिछले दस-पन्द्रह साल में ऐसे-ऐसे काम किये हैं जिनसे हमारे देश में जनाधिपत्य बिलकुल चौपट होने जा रहा है। पट्टम थानु पिल्ले के साथ इनका क्या व्यवहार रहा है? उनको इन्होंने राज्यपाल बना दिया था। टी. प्रकाशम के बारे में भी मैं कहना चाहता हूँ कि स्वर्गीय भूतपूर्व प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि टी. प्रकाशम अगर आंध्र के मुख्य मंत्री बनना चाहते हैं तो उनको विरोधी दल से हट कर कांग्रेस पार्टी में आना पड़ेगा। इस तरह से विरोधी दल को समाप्त करने का प्रयास इन्होंने किया था।

*** *** ***

टी. प्रकाशम के साथ और पट्टम थानु पिल्ले के बारे में व्यवहार करके कांग्रेस पार्टी ने विरोधी दल को समाप्त करने का प्रयास किया था, उसी तरह से दूसरी गलत परिपाटियां भी हमारे देश में जारी करते जा रहे हैं। एक भूतपूर्व प्रमुख न्यायाधीश को दूत और मंत्री नियुक्त करके आज न्यायालय की स्वतंत्रता को खत्म करने का प्रयास कांग्रेस कर रही है। लोक सभा के एक भूतपूर्व अध्यक्ष को राज्यपाल बना कर इस सदन में जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनके ऊपर भी दबाव डालने का प्रयास आज कांग्रेस दल कर रहा है। ये सारी जो परिपाटियां हमारे देश में जारी की जा रही हैं उनकी मैं तीव्र आलोचना करता हूँ और मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि हो सकता है कि दो साल के बाद या कुछ सालों के बाद कई राज्यों में किसी भी दल को निरपेक्ष बहुमत प्राप्त न हो, तो फिर जो अंग्रेजों से परिपाटियां या संकेत हमने लिये हैं, उनको कैसे लागू करेंगे? धारा 176 के अन्दर यह जरूरी नहीं है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार अपने कार्यक्रम को रखे। विधान सभा को वह बुला सकते हैं केवल इस बात के लिए भी कि वह एक लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण कर सके।

चौथे गणराज्य में फ्रांस के अन्दर भी यह परिपाटी थी कि चूंकि किसी भी एक दल का बहुमत वहां नहीं रहता था इसलिए वहां पर किसी भी एक आदमी को राष्ट्रपति के द्वारा "प्राइम मिनिस्टर डेजीगनेट" नामजद किया जा सकता था। वह विधान सभा के सामने जाता था अपने कार्यक्रम रखता था, अपनी नीति रखता था और अगर उसको बहुमत का समर्थन हासिल होता था तो उसको सरकार बनाने का मौका दिया जाता था।

मैं अर्ज करूंगा कि हमारे संविधान की जो बातें हैं और देश में जो स्थिति है उसका ख्याल करते हुए इस परिपाटी को अपनाया जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि एक दिन लोक सभा में भी कांग्रेस दल का बहुमत खत्म हो जाये। तब आप क्या करेंगे। आपको यहां पर एक तानाशाही या एकाधिपत्य कायम करना है या जैसा मैंने कहा है हर दल को आप मौका देंगे कि वह प्रजातांत्रिक ढंग से बहुमत का समर्थन हासिल करके सरकार बनाये।

आज जो संकल्प हमारे सामने रखा गया है मैं उसका विरोध इसलिए करता हूँ कि वह संविधान की धाराओं को तोड़ता है, वह जनाधिपत्य के खिलाफ है और जो प्रान्तीय स्वायत्तता का सिद्धांत है उसके ऊपर भी वह आघात करता है। मैं इन तीन-चार कारणों को लेकर इस संकल्प का पूरा विरोध करता हूँ।

सरकार के कार्यकलापों का लेखा-जोखा*£

उपाध्यक्ष महोदय, अभी सुरक्षा मंत्री जी ने कश्मीर युद्धविराम रेखा का उल्लंघन करके पाकिस्तान व्याप्त प्रदेश के अन्दर दो चौकियां कायम करने के बारे में सदन को जानकारी दी। इस बात का सत्तारूढ़ दल के लोगों ने तालियां पीट कर स्वागत किया। मुझे भी इस बात पर खुशी हुई, लेकिन सवाल यह है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिस पर बहस हो रही है, उसमें विरोधियों की जबान बन्द करने के लिए यह काम किया गया है या इसके पीछे कोई लामबंद दृष्टिकोण है और पाकिस्तान के बारे में आज तक जो नीति चली उसमें कोई बुनियादी तब्दीली लाने की दृष्टि से सरकार तैयारी कर रही है।

जब 18 साल पहले कांग्रेस के नेताओं ने देश के विभाजन को कबूल किया तो उसके बाद उन्होंने एक नीति चलाई कि पाकिस्तान के साथ दोस्ताना रिश्ता कायम करने के लिए, सद्भावना का वातावरण पैदा करने के लिए, दोनों देशों के बीच में जितने विवाद हों उनको एक-एक करके हल करो। लेकिन एक-एक विवाद को हल करने की जो नीति चली उसके नतीजे क्या निकले हैं, यह हम सब लोग देख रहे हैं। कश्मीर में जब 18 साल पहले पाकिस्तान ने हमला किया तो अंग्रेजों के दबाव में आकर हम लोगों ने वहां युद्धविराम कबूल किया। युद्धविराम रेखा वहां पर कायम हो गयी, लेकिन उससे पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच में जो रिश्ते हैं उनमें कोई सुधार नहीं हुआ।

उसके बाद अल्पसंख्यक लोगों का सवाल हल करने के लिए नेहरू लियाकत अली करारनामा हुआ। उससे भी अल्पसंख्यक लोगों का सवाल हल नहीं हुआ। फिर सिन्धु नदी के पानी का बंटवारा आपने किया और अभी-अभी कच्छ के बारे में आपने पाकिस्तान के साथ अपमानजनक समझौता किया।

लेकिन, ये जितने प्रयास एक-एक विवाद को हल करने के लिए हुए, उनका नतीजा यह हुआ कि कश्मीर पर फिर एक दफा पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर हमला किया है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या 18 साल की असफलता के बाद भी सरकार पाकिस्तान संबंधी अपनी नीति में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं करेगी। जब तक पाकिस्तान और हिन्दुस्तान का अलगाव रहेगा और यह देश विभाजन कायम रहेगा तब तक मैं समझता हूँ कि इन दो देशों के बीच में कभी सद्भाव पैदा नहीं हो सकता, और न स्थायी तौर पर शांति के रिश्ते कायम हो सकते हैं। इसलिए अब मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार तीन चीजों को लेकर कोई बुनियादी फैसला करेगी?

*_लोक सभा वाद-विवाद_, 25 अगस्त 1965.

£श्री एम.आर. मसानी, सांसद द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

एक काम तो हम को यह करना चाहिए कि कश्मीर में युद्धविराम रेखा को हमेशा के लिए समाप्त करना चाहिए और हमें यह फैसला करना चाहिए कि पाकिस्तान के हाथ में इस वक्त कश्मीर का जो इलाका है उस इलाके को मुक्त किये बिना आज कश्मीर में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को हरगिज खत्म नहीं करना चाहिए। तो एक काम तो यह है कि पाकिस्तान के आक्रमण से कश्मीर की मुक्ति।

दूसरा काम यह है कि आज नागा विद्रोहियों की मदद पाकिस्तान कर रहा है, हर तरह से हिन्दुस्तान को तोड़ने का काम पाकिस्तान और हमारा दूसरा दुश्मन जो चीन है, वे इस वक्त कर रहे हैं। हमें भी यह देखना है कि अगर पाकिस्तान हिन्दुस्तान के साथ सारे विवादों को समाप्त करके यह जो अलगाव कायम हुआ है, उसको खत्म करने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर पाकिस्तान के बारे में भी हमें एक अलग नीति चलानी चाहिए।

1947 में जब देश का विभाजन हुआ तब पाकिस्तान के अन्दर रहने वाले पख्तून लोग हमारे मित्र थे, और वहां पर एक राष्ट्रीय मंत्रिमंडल था। लेकिन, हम लोगों ने पख्तून लोगों के साथ विश्वासघात किया और उनको पाकिस्तान में धकेल दिया। तबसे लेकर आज तक पख्तून लोगों की और पाकिस्तान सरकार की बराबर लड़ाई चल रही है। पख्तूनों के इलाके में पाकिस्तान द्वारा कई बार बमबारी की गई, और खान अब्दुल गफ्फार खां जैसे नेता को बरसों तक उन्होंने जेल के अन्दर रखा। मैं चाहूंगा कि सरकार पाकिस्तान के बारे में नीति बदले, बादशाह खां को यहां आने की इजाजत दें और भारत की भूमि पर स्वतंत्र पख्तून हुकूमत कायम करके पख्तूनों को अयूबशाही के चंगुल से मुक्त कराने का प्रयास करें।

तीसरी बात है पूर्वी बंगाल के बारे में। दो दफा पूर्व बंगाल के लोगों ने इस बात का परिचय दिया है कि वे पश्चिमी पाकिस्तान से और अयूबशाही की हुकूमत से ऊबे हुये है और उन्हें पाकिस्तान के अन्दर नहीं रहना है। 1954 में वहां मुस्लिम लीग की करारी हार हो गयी थी और संयुक्त मोर्चा कायम हो गया था, लेकिन हमारी सरकार ने उसका कोई ख्याल नहीं किया और पूर्व बंगाल के लोगों को स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्रदान करने के लिए प्रयास नहीं किया। अब पूर्व बंगाल में स्वतंत्रता चाहने वाली और अयूबशाही से मुक्ति चाहने वाली जितनी शक्तियां हैं उनकी मदद करना और पूर्व बंगाल को अयूबशाही के वर्चस्व से छुड़ाना हमारी नीति का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

इस तरह से ये दो-तीन बड़े परिवर्तन करके पाकिस्तान के बारे में हमें एक नई नीति बनानी चाहिए।

साथ-साथ पाकिस्तान से हमें यह कहना चाहिए कि अगर वह स्वेच्छा से इस अलगाव को खत्म करने के लिए तैयार हो, और एक विदेश नीति, एक सुरक्षा नीति और आर्थिक मामलों में सहयोग करने के लिए तैयार हो तो हिन्दुस्तान उसके लिए हमेशा तैयार रहेगा। लेकिन अगर यह सहयोग करने वाली नीति पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, तो हमें दूसरी नीति को भी अपनाना पड़ेगा। कोई भी बुद्धिमान सरकार एक ही नीति के आधार पर सदा अपनी राजनीति को नहीं चलाती। जब एक नीति फेल हो जाती है तो दूसरी नीति को अपनाना पड़ता है।

इसलिए, सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अगर 18 साल की इन नीतियों को वह बदलने के लिए तैयार है, तब तो जो उसने आज काम किया है उसका मतलब है, नहीं तो यह नोंक-झोंक मात्र है और केवल अविश्वास के प्रस्ताव का सामना करने के लिए और विरोधी दलों को चुप कराने के लिए आपने यह काम किया है, इसमें कोई बुनियादी बात नहीं है।

साथ-साथ विदेश नीति के मामले में भी मैं एक चीज के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

वियतनाम के बारे में शास्त्री जी ने पिछले कुछ महीनों में कई दफा पहल की। उन्होंने 17 तटस्थ राष्ट्रों की एक परिषद बुलायी, उस परिषद ने एक प्रस्ताव पास किया। लेकिन उसके बारे में चीन और हनोई सरकारों की क्या प्रतिक्रिया रही? उन्होंने कहा कि ये तटस्थ देश अमरीकी साम्राज्यवादियों को मदद करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

उसके बाद शास्त्री जी बेलग्रेड गए और टीटो और शास्त्री का एक संयुक्त निवेदन निकला, लेकिन उसको लेकर हनोई सरकार ने कहा कि टीटो और शास्त्री अमरीकी साम्राज्यवादियों के सन्देशवाहक लोंडो के समान हैं। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये उनके ही शब्द हैं।

शास्त्री जी इसके बाद मास्को गए। कोसीजिन के साथ उन्होंने एक संयुक्त बयान दिया। उसके बारे में चीन की प्रतिक्रिया क्या हुई? चीन ने कोसीजिन को भी साम्राज्यवादियों का दलाल कहा और शास्त्री जी को भी साम्राज्यवादियों का दलाल कहा। इसलिए वियतनाम में, जहां हिन्दुस्तान कोई सृजनशील काम नहीं कर सकता, जहां की स्थिति को हिन्दुस्तान नई दिशा नहीं दे सकता है, और जहां चीन का पूरा संबंध है। ऐसे मामलों में हमारे लिए यही अच्छी नीति होगी कि हम चुप रहें और कुछ न कहें। यूगोस्लाविया और रूस चीन से दस हजार किलोमीटर की दूरी पर है। अगर वे वियतनाम में स्वतंत्रता और शांति कायम करने के लिए प्रयास करते हैं तो उनको करने दीजिए, लेकिन बार-बार चीन से थप्पड़ खाना और हनोई से थप्पड़ खाना हिन्दुस्तान की सरकार को शोभा नहीं देता। अगर हिन्दुस्तान सरकार अपनी हिम्मत का परिचय देना चाहती है तो मैं कहूंगा कि दुनिया में उपनिवेशों के बहुत से सवाल हैं, उन पर ध्यान दें। रोडेशिया का सवाल पक रहा है, इसी तरह से पोर्तुगीज उपनिवेशों का सवाल है, मुजांबिक का सवाल है, अंगोला का सवाल है, उनके बारे में कोई पहल की जाए।

रोडेशिया की सफेद सरकार वहां के काले लोगों को दबाने के लिए और उनके ऊपर गुलामी लादने के लिए प्रयास कर रही है।

मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1949 में हिन्देशिया को लेकर एक सम्मेलन हम लोगों ने बुलाया था, जिसके फलस्वरूप हिन्देशिया को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। इसी तरह से मैं चाहूंगा कि मौजूदा सरकार दूसरों के द्वारा जो मामले पकाए गये हैं उनमें पहल करने के बजाय नए मामलों को पकाए जिससे स्वतंत्रता, आजादी और शांति आगे बढ़ेगी। उसे चाहिए कि रोडेशिया के मामले को ले लें। मुजांबिक के मामले को ले लें या अंगोला के मामले को ले लें।

साथ-साथ अगर सरकार हिम्मत से काम लेना चाहती है, तो विदेशों को मान्यता देने के बारे में और उनके साथ कूटनीतिक संबंध कायम करने के बारे में ठीक नीति चलावे। बार-बार इस

सदन में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने कहा था कि विदेशों को मान्यता देते समय उनके यहां क्या अर्थ पद्धति है, क्या राज व्यवस्था है, उनका वैचारिक रंगरूप उनका है, इन बातों पर विचार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके अस्तित्व की जो असलियत है उसी के आधार पर रिश्तों को कायम करना चाहिए। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस नीति पर वह अमल क्यों नहीं करती। पूर्व जर्मनी जैसे देश को वह मान्यता क्यों नहीं देती? क्या ऐसा करने में सरकार को पश्चिमी जर्मनी का भय है, या अमरीका का भय है? क्या ऐसा करने से वे हमें जो आर्थिक सहायता देते हैं उसे बन्द कर देंगे। अगर उनके मन में यह भय है, तो मैं कहना चाहूंगा कि कब तक भीख मांगने की नीति के आधार पर हमारे देश का गुजारा होगा? हमको हिम्मत करके हमारी विदेश नीति के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उन पर अमल करना चाहिए और वियतनाम जैसे मामलों में खामख्वाह दखल देकर चीन और हनोई से बार-बार थप्पड़ नहीं खाने चाहिएं।

जहां विदेश के मामलों में भारत सरकार एक निरर्थक नीति चला रही है, अन्दरूनी मामलों में भी जो खाद्य संकट आया है उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। आज तक उन्होंने जो नीतियां चलायीं उनके फलस्वरूप आज खाद्य का यह घोर अभाव हमारे मुल्क में कायम हो गया, और उसका हल जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक मेरा कहना है कि हमारी सुरक्षा का जो मसला है कभी हल नहीं होगा। आखिरकार खाद्य संकट और सुरक्षा का आपस में सीधा संबंध है। देश में खाद्य का घोर अभाव रहेगा तो हमारा देश आक्रमण का भी मुकाबला नहीं कर पाएगा।

इधर सुब्रह्मण्यम साहब ने जो भाषण दिया, यहां पर उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने यह माना कि पिछले दो वर्षों में पैदावार बढ़ रही है, 1965 के बारे में उन्होंने कहा कि पैदावार बहुत अच्छी है। बाजरे का उत्पादन करीब-करीब 18 और 19 प्रतिशत बढ़ा है, गेहूं का उत्पादन 22 फीसदी बढ़ा है और इस तरह से चावल का उत्पादन भी एक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब पैदावार अच्छी हो रही है तो विभिन्न राज्यों में खाद्य का घोर अभाव क्यों है। जहां सरकार कहती है कि अनाज की औसतन उपलब्धि करीब-करीब एक या डेढ़ आउन्स बढ़ गयी है, वहां हम लोग देखते हैं कि व्यापक पैमाने पर भुखमरी भी फैल रही है।

बिहार में जो घटनाएं हो गयीं, महाराष्ट्र में जो घटनाएं हो गयीं, उनको लेकर कहा जाता है कि कुछ राजनीतिक दल इन उपद्रवों के पीछे हैं, उनकी यह शरारत है और उनकी वजह से ही इन दो राज्यों में उपद्रव हो रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर राजनीतिक दलों की शरारत की ही बात होती तो उपद्रव पंजाब में क्यों नहीं हुआ? इसलिए यह कह देना कि इन प्रदर्शनों आदि के पीछे केवल राजनीतिक दलों की कार्यवाही है या शरारत है दुरुस्त नहीं है। असल में आज जो देश के सामने कठिन और भयंकर स्थिति है वह देशवासियों को बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है और उनके लिए अब कोई चारा नहीं रहा सिवाय इसके कि वह बगावत करके और लूट करके अपने पेट को भरें। इसलिए राजनीतिक दलों के ऊपर आरोप करने के बजाय सरकार से मैं यह कहूंगा कि वह अपने दिल को टटोलें और उनकी जो गलत नीतियां हैं उनमें परिवर्तन लाने की कोशिश करें।

सरकार के द्वारा जो नई अन्न नीति यहां पर पेश की गई है उसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा है कि बड़े शहरों में ऐसे 8 शहर हैं जिनकी आबादी 5 करोड़ से कुछ ज्यादा है। कानूनी

ढंग से राशनिंग की व्यवस्था की जाएगी और जो छोटे शहर हैं, कस्बे व छोटे नगर हैं उनके लिए अनौपचारिक ढंग से सस्ते अनाज की दुकानें खोल कर इन्तजाम किया जाएगा। कुल 9 करोड़ लोगों के लिए कुछ इन्तजाम करने का विचार यह सरकार कर रही है लेकिन बाकी लोगों के बारे में क्या हो रहा है? यहां जितनी नीतियां चल रही हैं उसका साफ-साफ मतलब होता है कि बड़े औद्योगिक शहरों में जहां संगठित मजदूर हैं, जो कुछ हल्ला भी करते हैं केवल उन्हीं को खिलाना है। शहरों में शिक्षित मध्यम वर्ग है उसका हमारे समाज तथा शासन के ऊपर व्यापक असर है इसलिए उसको भी खिलाना है। देहातों में बड़े किसान हैं, बड़े जमीन मालिक हैं जो कि आज वर्तमान सत्तारूढ़ दल के आधार स्तम्भ हैं उनके पास जो काफी अनाज है उसको वे अपने पास ही जमा रख रहे हैं और उसके दाम बढ़ा कर मुनाफा कमा रहे हैं। आज की सरकार इन तीन वर्गों के लिए सारी अन्न नीति बना रही है। महाराष्ट्र की बात आप लीजिए। बम्बई शहर में इस वक्त 16 किलो अनाज मध्यमवर्गीय लोगों को और मजदूरों को दिया जा रहा है। सोलह किलो अनाज उन्हें दिया जा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र के देहातों में अनाज का घोर अभाव है। अभी जब विधान परिषद और विधान सभा का सत्र हो रहा था विरोधी दलों के द्वारा इस सवाल को छेड़ा गया था और विरोधी दलों ने मिल कर सरकार के सामने यह मांग रखी थी कि जहां बम्बई शहर को आप 16 किलो अनाज देते हैं वहां कम से कम देहाती इलाकों की जनता को, जैसे खेतिहर मजदूर अथवा भूमिहीन किसान हैं या छोटे किसान हैं जिनके पास अनाज बचता नहीं है ऐसे लोगों को कम से कम जिन्दा रहने के लिए 6 किलो का आप इन्तजाम कीजिए। अब 6 किलो का मतलब हो गया एक दिन में सात औंस लेकिन सात औंस का भी इन्तजाम करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जब उनकी ओर से कहा जाता है कि हम लोग किसानों को उचित दाम दे रहे हैं तो किसानों से उनका मतलब क्या है? महाराष्ट्र में ज्वार की खरीद करने का एकाधिकार सरकार ने लिया लेकिन सरकार को अनाज किसने बेचा? ज्वार किसने बेची? ज्वार बेची गरीब किसानों ने जिनको कि टैक्स देने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए और अपने घर का खर्चा चलाने के लिए अपना अनाज बेचना ही पड़ता है। ऐसे लोगों ने अनाज बेचा है और बाकी जो बड़े किसान हैं, बड़े जमीन मालिक हैं उनके पास अनाज पड़ा हुआ है और वह काले बाजार में एक रुपये और सवा रुपये किलो के भाव से बेच रहे हैं लेकिन उनको हाथ लगाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार की अन्न नीति हमारे देश के बड़े-बड़े व्यापारी और जमीन मालिकों की रक्षा करने की है। देहातों में 100 में से शायद 4-5 ऐसे लोग होते हैं जिनके पास काफी अनाज होता है। लेकिन उन लोगों से अनाज खरीदने के बजाय, उन लोगों को बेचने के लिए मजबूर करने के बजाय सरकार आज गरीब किसानों से अनाज ले रही है। खेतिहर मजदूर भूमिहीन और छोटे किसानों के सामने भूखों मरने की नौबत आ गयी है। बिहार में महाराष्ट्र से भी ज्यादा खराब स्थिति है। अक्सर फी आदमी अनाज की उपलब्धि की बात की जाती है। लेकिन मुझको ऐसा लगता है कि उसका कोई महत्व नहीं है। क्योंकि फी आदमी आमदनी में विभिन्न प्रदेशों तथा वर्गों में बड़ा फर्क है। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और बिहार में आदमियों की आमदनी में बड़ा फर्क है। औद्योगिक इलाकों में जहां पर कि अंग्रेजी जमाने से पूंजी लगाई जा रही है उनमें और बिहार जैसे गरीब इलाके में फी आदमी आमदनी में जमीन आसमान का फर्क है। बिहार की आमदनी बंगाल, महाराष्ट्र और पंजाब के मुकाबले में आधे से भी कम है। दिल्ली जैसा शहर अगर आप लेंगे तो चार गुने का फर्क पड़ जाता है। जब इतना फर्क है। विभिन्न प्रदेशों में, तो अनाज की

उपलब्धि डेढ़ अंश ज्यादा बढ़ी है, एक व्यक्ति को 14 औंस अनाज मिलता है इस तरीके की बात करना बेमतलब की चीज है। इसी तरह हर सूबे में शहरी इलाकों और देहाती इलाकों में भी काफी फर्क है। शहरों को भी आप लेंगे तो बड़े शहरों में जो बड़े लोग हैं और झोपड़ियों में, गन्दी बस्तियों में रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन में आज जमीन आसमान का फर्क हो गया है। समाजवादी आर्थिक नियोजन चलाने की बात इधर 15 साल से चलाई जा रही है लेकिन समाजवाद मुझको कहीं भी नजर नहीं आता है। महज सार्वजनिक क्षेत्र का कोई महत्व नहीं है। समाजवादी समाज व्यवस्था के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार जरूरी है लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का विस्तार आप इस वक्त इस ढंग से कर रहे हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र से समाजवाद लुप्त हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र में इतनी पूंजी आपने लगाई है लेकिन बिलकुल मुनाफा नहीं हो रहा है। वहां पर अकार्य क्षमता बढ़ रही है, फिजूलखर्ची बढ़ रही है। मुनाफा बढ़ने की जब बात की जाती है तो दामों को बढ़ा कर आप मुनाफा कमाने की बात करते हैं। खर्चा घटाने की बात नहीं है, कार्यक्षमता बढ़ाने की बात नहीं है पैदावार की क्षमता बढ़ाने की बात नहीं है। यह दृष्टिकोण ही नहीं है।

अभी बम्बई के पास पनवेल में एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में बन रहा है। उस कारखाने के निर्माण का काम कहां से किया जा रहा है? अफसरों ने दिल्ली में कुछ मकान लिये हैं, बम्बई में कुछ फ्लैट्स लिये हैं और 700 मील की दूरी से या 60 मील की दूरी से कारखाने के निर्माण का काम किया जा रहा है।

पिछली योजनाओं में हमने देखा है कि पैदावार बढ़ाने का उद्देश्य या दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। इसीलिए इतनी पूंजी लगाने के बाद भी, इतना पैसा लगाने के बाद भी मुनाफा नहीं हो रहा है। फिर पूंजीपतियों को मौका मिलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र को बदनाम करें।

*** *** ***

सार्वजनिक क्षेत्र का जो पूरा ढांचा है उसमें वही विषमता है, वही गैर-बराबरियां हैं जो कि हम निजी क्षेत्र में पाते हैं।

अभी सरकार ने फैसला किया कि बड़े अधिकारियों की तनख्वाह, उनकी आमदनी बढ़ायी जाये। आज ही कम से कम आमदनी और ज्यादा से ज्यादा आमदनी के बीच सार्वजनिक क्षेत्र में इतना ज्यादा फर्क है कि बड़े आदमियों की तनख्वाह अगर आप और अधिक बढ़ायेंगे तो उससे खतरनाक नतीजे निकलेंगे। सरकार कहती है कि अगर सार्वजनिक क्षेत्र में हमने तनख्वाह नहीं बढ़ायी तो लायक और अच्छे लोग हमको कम मिलेंगे और वे सारे निजी क्षेत्र में चले जायेंगे। मैं मानता हूं कि जब तक निजी क्षेत्र की आमदनी और खर्चे को आप काबू में नहीं लायेंगे तब तक सार्वजनिक क्षेत्र में भी तनख्वाहों को गिराना और बराबरी को कम करना मुश्किल हो जाएगा। आज निजी क्षेत्र में गैर-बराबरी काफी बढ़ रही है और सरकार के द्वारा जितने आन्दोलन चलाये गये—इस वक्त दो नौटंकियां देश में चल रही थीं, एक नन्दा जी का भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलन और दूसरा कृष्णमाचारी साहब का काले बाजार का पैसा निकालने का आन्दोलन। यह दोनों बिलकुल नौटंकियां हैं—सारे असफल साबित हुये हैं। उसका कारण क्या है? अगर आप आयकर विभाग की रिपोर्ट को देखेंगे तो पायेंगे कि एक लाख से जिनकी ज्यादा कमाई है ऐसे इस देश

में पांच सौ लोग हैं लेकिन मेरी अपनी जानकारी यह है कि अकेले बम्बई शहर में जिनकी कमाई सालाना एक लाख से ज्यादा है ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 25,000 है और हो सकता है कि वह 1 लाख तक चली जाये। लेकिन उनका पैसा निकालने का काम आप नहीं करते हैं। एक ही शहर की मिसाल मैंने दी है। सभी बड़े-बड़े शहरों में यही हालत है।

सत्तारूढ़ दल सीमा बांधने की बात करता है। लेकिन वह भी एक नकली चीज होती है। कुछ हमारे विरोधी दल के साथी जब उसका विरोध करते हैं तो उनका विरोध भी नकली होता है। असल में आज धंधे वालों की आमदनी और खर्च पर कोई रोक नहीं है। अगर सरकार का अर्थ विभाग, आयकर विभाग, कर की चोरी को रोकना चाहता है, फिजूलखर्ची को रोकना चाहता है और देश में बराबरी कायम करना चाहता है तो उसके लिए मैं मदद करने को तैयार हूं। लेकिन ऐसा अवसर वह दे। करना क्या चाहिए? आमदनी की तलाश करने से काम नहीं चलेगा। अगर आयकर की चोरी को आप खत्म करना चाहते हैं तो बड़े लोगों का जो खर्चा है उसकी जांच आपको करनी चाहिए। एक-एक आदमी का बीस-बीस हजार रुपये का मासिक खर्चा है और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको उनका नाम बता सकता हूं। है इनमें यह हिम्मत? कहां से वह पैसा आता है। हम लोग निकाल सकते हैं।

आज शहरों में जो जमीन है, फ्लैट्स आदि हैं उनमें यह पैसा लगाया जाता है, फिजूलखर्ची में बरबाद किया जाता है। बम्बई से उद्योगपति यहां आते हैं, क्लेरिजज होटल में आकर ठहरते हैं, अशोका होटल में ठहरते हैं और एक दिन में हजारों रुपया खर्च कर देते हैं। लेकिन आयकर का उनका हिसाब-किताब आप देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। असल में बात यह है कि अगर मुल्क में आप समाजवादी नियोजन कायम करना चाहते हैं तो न केवल आमदनी के सवाल को बल्कि खर्च के सवाल को भी आपको लेना पड़ेगा। मैं तो यहां तक कहूंगा कि अगर आमदनी पर सीमा लगाने की हिम्मत आपमें नहीं है तो न लगायें। कम से कम खर्च के ऊपर और फिजूल-खर्ची के ऊपर तो सीमा लगायें। जब तक इस देश का औद्योगीकरण पूरी तरह से नहीं हो जाता है, खेती का सुधार नहीं हो जाता है, हर एक आदमी को भर पेट खाना नहीं मिल जाता है, तब तक सारा पैसा पूंजीकरण के ऊपर, कारखाने बनाने के ऊपर, लघु सिंचाई योजनाओं के ऊपर तथा दूसरे सुधार के कामों के ऊपर लगाया जाना चाहिए। इधर 18 साल में अगर किसी का विकास और विस्तार हुआ है तो वह नौकरशाही का ही हुआ है। इन सालों में नौकरशाही की संख्या इतनी बढ़ी है कि कोई हिसाब नहीं। सचिवों, अवर सचिवों की संख्या बढ़ी है, कई शहरों में ब्यूरो निकले हैं, इंस्टीट्यूट निकले हैं और उस तरह के दूसरे संगठन भी निकले हैं। सामुदायिक प्रखंडों में भी नौकरशाही का खर्च बढ़ रहा है। करोड़ों रुपया इस तरह के कामों पर बरबाद होता है। इसलिए एक नई नीति पर सरकार को चलना चाहिए। अगर सरकार बराबरी वाली नीति नहीं चलायेगी और हिन्दुस्तान के गरीब लोगों को अनाज नहीं देगी तो उसका बहुत बुरा नतीजा निकलने वाला है। इस अविश्वास के प्रस्ताव के जरिये अगर यह सरकार नहीं हटती है तो जन आन्दोलन की आग में जो कि इस वक्त सारे देश में फैल रही है उस आग में यह सरकार भस्मसात हुए बिना नहीं रहेगी।

लोकतंत्र में 'लोकमत' का महत्व*£

मैंने जो प्रस्ताव किया था वह विधेयक को पास करने संबंधी नहीं था जिसके लिए राष्ट्रपति जी ने अपनी अनुमति नहीं दी। मैंने यह प्रस्ताव किया था कि लोकमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए। मैं नहीं समझ पाया हूं कि इस प्रस्ताव से मंत्री महोदय क्यों इतना डरते हैं। यह चीज व्यावहारिक है या नहीं इसका भी तभी पता चलेगा जब लोग इसके ऊपर विचार करेंगे, विभिन्न राज्य सरकारें विचार करेंगी, शिक्षण संस्थायें विचार करेंगी और नागरिकों के दूसरे समूह इसके ऊपर विचार करेंगे।

इन्होंने कहा है कि अरबों रुपया इस विधेयक के सिद्धांतों को कार्यान्वित करने में लग जाएगा। इसमें दो राय नहीं है कि आज आपका जो अर्थ संकल्प है उसमें तो पचास अरब से अधिक रुपया आप लगा ही रहे हैं। राज्य सरकारों का रुपया भी आप मिला दीजिए तो जो कुल खर्चा होगा प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि उसका बोझ इतना ज्यादा नहीं होगा कि जिसको हमारा देश सह नहीं पाएगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इन्होंने जो चतुर्थ योजना बनाई है उसमें इनके कहने के अनुसार 1981 तक ये निदेशक सिद्धांतों को कार्यान्वित नहीं कर पायेंगे। उन्होंने यह नहीं कहा है कि 1981 तक हम कार्यान्वित करेंगे यह कहा है कि हर हालत में 1981 तक ये कार्यान्वित नहीं हो पायेंगे। इस तरह अगर आप इनको छूट देंगे और केवल निदेशक सिद्धांतों और प्रस्तावों तथा प्रेरणाओं की ही हम बात करते रहेंगे तो मुझे डर है कि 1981 तो क्या 21वीं शताब्दी शुरू हो जाएगी फिर भी हमारा जो उद्देश्य है उसमें हम सफल नहीं हो पायेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करके, जम करके हम को फैसला करना पड़ेगा।

26 जनवरी 1968 की तिथि से अगर उनका मतभेद है तो उनकी सुविधा के लिए यह तिथि और बढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं लेकिन कोई न कोई समय निश्चित करके काम कीजिए ताकि हम आपकी गर्दन पकड़ सकें। अगर आप तब नहीं रहेंगे तो जो रहेगा उसकी गर्दन हम पकड़ सकेंगे और यह कह सकेंगे कि यह संकल्प है, यह संवैधानिक अधिकार है अगर इसको कार्यान्वित नहीं किया गया तो हम अदालत के सामने जायेंगे और हमारे इस अधिकार को कार्यान्वित करवायेंगे लेकिन इसके लिए भी ये तैयार नहीं हैं।

जहां तक खाने का सवाल है मैं मानता हूँ कि इसको तो इन्हें तत्काल कबूल कर लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के पहले बड़े जोर से चर्चा थी कि इंदिरा गांधी जी की सरकार की यह विशेषता

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 9 जून 1967.

£ संविधान संशोधन विधेयक, 1967 पर लोकमत जानने के लिए प्रचारित करने का प्रस्ताव पेश कर चर्चा में भाग लेते हुए।

है कि दो साल लगातार दुर्भिक्ष होते हुए भी एक भी आदमी को इसने भूख से मरने नहीं दिया। जब आप किसी को भूख से मरने नहीं देते हैं और ये गैर-कांग्रेसी सरकारें भी आपके रास्ते पर चल पड़ी हैं और यह कह रही हैं कि कोई भूख से नहीं मर रहा है तो इसको मानने से आप इन्कार क्यों करते हैं? लोग मर रहे हैं भूख से लेकिन गैर-कांग्रेसी सरकारें भी आपकी सीख लेकर कह रही हैं कि नहीं मर रहे हैं। आपकी सीख उनके गले उतर गई है। ये लोग भी इन्कार करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार या बिहार की सरकार कह रही है कि कोई नहीं मर रहा है। मैं स्वयं जानता हूँ...

*** *** ***

£मैं कह रहा हूँ खुद इसको। आपने वातावरण को ऐसा गंदा बना दिया है कि सत्य कोई बोलना ही नहीं चाहता। मैं अपनी सरकारों की भी आलोचना करना चाहता हूँ। इसमें घबराने की क्या बात है?

मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भूख से नहीं मर रहा है तो फिर क्या वजह है कि यह कानूनी अधिकार आप जनता को नहीं देना चाहते हैं? दोनों में कहीं न कहीं असत्य छिपा हुआ है। या तो लोग भूख से मर रहे हैं, आप इसको कबूल नहीं कर रहे हैं और अगर भूख से नहीं मर रहे हैं तो फिर मेरे संशोधन को आपको स्वीकार कर लेने में क्यों हिचक हो रही है?

इन्होंने नशाबन्दी और शराबबन्दी की बात कही है। मैं इनको निदेशक सिद्धांतों में से क्यों हटाना चाहता हूँ? कारण यह है कि बीस साल हो गए, जिस ढंग से इस पर अमल हो रहा है, इसमें बहुत ज्यादा ढोंग है, असंगति है। दिल्ली में केन्द्रीय सरकार राज करती है। दिल्ली में भी आप नशाबन्दी नहीं कर पाये हैं, सेना में नहीं कर पाये हैं। असैनिक-सैनिक का भेद आप बराबर रखते हैं। दिल्ली राजधानी का शहर होते हुए भी यहां नशाबन्दी नहीं की गई। खुद कांग्रेसी सरकारों ने चीनी आक्रमण के बाद नशाबन्दी कानून में ढील की। महाराष्ट्र में कानून ढीला हो रहा है। केरल की गैर-कांग्रेसी सरकारों ने तो ईमानदारी से इसको खत्म ही कर दिया है। ढोंग से तो ईमानदारी अच्छी है। जो चीज आप इच्छा होते हुए भी नहीं कर रहे हैं, या जो आप कर नहीं सकते हैं उसको उन्होंने कर दिया है। इससे हथभट्टी, अपराध, रिश्वतखोरी, पुलिस जुल्म, गुंडागर्दी सभी शहरों में बढ़ रहे हैं। ऐसे सिद्धांत को रखने से क्या लाभ? इसलिए मैंने नशाबन्दी को निदेशक सिद्धांतों से हटाने की बात की।

श्री त्रिगुण सेन भी आ गए हैं। मैं चाहता हूँ कि वह भी इस पर विचार करें। इस संशोधन के पीछे जो भावना है उससे अगर आप सहमत हैं तो फिर कम से कम लोकमत जानने के लिए जो मेरा प्रस्ताव है उसका आप विरोध न करें। लोगों को आप सोचने का मौका दें। लोकमत के बारे में जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर विचार कर सकते हैं। इतना ही मुझे इस अवसर पर कहना है।

£माननीय सदस्य की प्रतिक्रिया 'ये तो आपकी सरकारें हैं' का जवाब देते हुए।

पूर्वोत्तर भारत की समस्यायें और समाधान*£

उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा मणिपुर के इलाके में दो हमलों की जो घटनायें हुई उनको लेकर है। लेकिन मेरी राय में यह समूचे पूर्वोत्तर हिन्दुस्तान का मामला है, और पूर्वोत्तर हिन्दुस्तान में मैदानी असम, असम का पहाड़ी इलाका है, जिसमें उरवसीअम् अर्थात् नेफा, मणिपुर, त्रिपुरा, बंगाल और पूर्वी बंगाल भी आ जाता है।

आज इस सवाल की बुनियाद में जाकर अगर कोई रास्ता हमने नहीं निकाला तो मुझे ऐसा डर लगता है कि पन्द्रह-बीस साल के अन्दर जो विदेशी ताकतें इस इलाके में आपस में टकरा रही हैं, उनकी गतिविधियों के कारण यह पूर्वोत्तर हिन्दुस्तान का इलाका भारत से अलग हो जाएगा।

मैंने आज सवेरे कहा था कि पांच किस्म के हस्तक्षेप इस इलाके में विदेशी ताकतों के द्वारा किये जा रहे हैं। सबसे पुराना जो हस्तक्षेप है वह इस इलाके में जो विदेशी, बागान के मालिक हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। उसी तरह विदेशी पादरी हैं। इन लोगों का भी पुराना हस्तक्षेप एक अर्से से चल रहा है। स्वतंत्रता के बाद विदेशी बागान मालिकों को यहां से हटाने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया गया है और आज भी इस इलाके की जो अर्थव्यवस्था है उस पर विदेशियों का काफी प्रभाव है। पादरियों का जो हस्तक्षेप है उसको आप जानते ही हैं। नागा या मिजो कोई भी हो, उनके साथ बातचीत करके जो रास्ता आप निकालना चाहते हैं, जरूर निकालें लेकिन जो विदेशी पादरी हैं वे इन लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में हमें सख्ती से काम लेना चाहिए।

तीसरा हस्तक्षेप मैं बतलाता हूँ। अभी-अभी मैं सिक्किम गया था। मैंने वहां देखा कि अमरीकियों द्वारा सिक्किम को हिन्दुस्तान के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ दिन पहले सिक्किम की महारानी ने भाषण किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो दार्जिलिंग जिले का हिस्सा है वह भी सिक्किम का हिस्सा है। साथ ही साथ सिक्किम की सरकार पर दबाव डाला जा रहा है कि भारत के साथ उनका जो पुराना रिश्ता है या संधि है उसमें सुधार और संशोधन किया जाए। इस तमाम इलाके में अमरीकी लोग तो बड़ी तेजी से अपना काम कर रहे हैं उनकी गतिविधियां भी इस सदन के सामने हैं।

चौथा हस्तक्षेप चीन के द्वारा किया जा रहा है। चीन की प्रेरणा से जो यहां तोड़फोड़ का काम करने वाले तत्व हैं, वे चीन के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आप

*_लोक सभा वाद-विवाद_, 17 जुलाई 1967.

£स्थगन प्रस्ताव के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए।

यह भी जानते ही हैं कि पाकिस्तान भी इन सारी गतिविधियों में साथ दे रहा है और इस इलाके की जनता को विद्रोह के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है।

इसमें सबसे खतरनाक दो हस्तक्षेप हैं। आज मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि एक-एक हिस्से को अलग करने की पन्द्रह-बीस साल से अमरीका के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि यहां उनके अधीन एक राज्य बने या कई राज्य बनें। साथ ही साथ चीन के द्वारा भी कोशिश की जा रही है कि उसके अधीन, उनके प्रभाव में यहां पर एक राज्य अलग से बने, या राज्यों के समूह बनें। कम्युनिस्ट भाई सोचते होंगे कि इस लड़ाई में शायद चीन बाजी मार जायेगा लेकिन वे भूल कर रहे है। विदेशी बागानों के मालिक और विदेशी पादरियों का इसमें जो हाथ है उसके फलस्वरूप अगर यह इलाका हिन्दुस्तान से अलग हो जाता है और यहां पर छोटे या बड़े स्वतंत्र तथा सार्वभौम राज्य बन जाते हैं तो इसमें चीन बाजी नहीं मारेगा, अन्ततोगत्वा अमरीका के प्रभाव में यह सारा इलाका आएगा। इसलिए मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से भी कहूंगा कि तोड़-फोड़ की जो राजनीति है उसको बढ़ावा देने से हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है।

इसलिए मैं आज मांग करता हूँ कि बुनियाद में जाकर यह जो पहाड़ी इलाका है उसके बारे में आप अपनी नीति बनायें। आज सवेरे असम के बारे में एक वक्तव्य गृह मंत्री जी ने दिया है। इन्होंने अपने वक्तव्य में कहा है कि इनकी जो संघ राज्य बनाने की योजना है उसको कांग्रेस के नेताओं ने कबूल किया है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार मामला बहुत आगे बढ़ चुका है और पूर्ण स्वाधीनता की मांग इन पहाड़ी इलाकों में लोग उठाने लगे हैं। कई लोग जेलों में बन्द किये गये हैं। एक खासी लड़का है जिसका नाम स्टालिन राजी है। वह भी जेल में है। इस तरह की बातें हो रही हैं मैं सरकार से कहूंगा कि कितने दिन तक आप यह चर्चा करते रहेंगे? 1954 और 1956 में नागा लोगों के द्वारा जो मांग की गई थी उसको अगर हम लोगों ने कबूल कर लिया होता तो आज उनकी यह मांग मंजूर करने की नौबत हम लोगों के ऊपर न आती, आज वे इस मांग को न उठाते। लेकिन इस देश की और इस सरकार की यह परम्परा रही है कि समय रहते सरकार काम नहीं करती है। नतीजा यह होता है कि समय बीत जाता है और मामला बहुत खराब हो जाता है। उर्वसीअं अर्थात् नेफा की बात है। हम लोग विदेशियों को अपना सलाहकार बनाते हैं। वेयर एलविन की राय पर नेफा संबंधी हमारी नीति बनी। आज नेफा से हमारे संबंध टूट गए हैं। गोवा आजाद होने के बाद भी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह गोवा की आजादी के लिए हम को लड़ना पड़ा था, गोवा में जाने के लिए जो परमिट सिस्टम था उसको खत्म कराने के लिए भी मुझे वहां सिविल नाफरमानी करनी पड़ी थी। गोवा के मुक्त होने के बाद यह सिविल नाफरमानी करनी पड़ी थी। मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि इसी तरह नेफा, उर्वसीअं के इलाके को भारत से अलग रखने की जो नीति है उसका विरोध करने के लिए मेरे दल के नेता डा. राम मनोहर लोहिया को भी गिरफ्तार होना पड़ा था। लेकिन अभी तक आप अपनी नीति को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। सबसे पहले मैं मांग करता हूँ कि इन लोगों के साथ सहानुकम्पा का, सहानुभूति का व्यवहार करके इनकी मांग को, हिन्दुस्तान का हमारा यह जो सार्वभौम राज्य है उसके दायरे के अन्दर, आप पूरा करें। इनकी आकांक्षाओं में मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन साथ-साथ जो विदेशी हस्तक्षेप है, पादरियों का जो हस्तक्षेप

है उसको आप खत्म करें। उत्तर बंगाल में दो-तीन विदेशी बागान के मालिकों को हमारे देश से निकाला गया है। इन सब बागानों का आप राष्ट्रीयकरण कीजिए। जो हमारी पश्चिमी बंगाल की सरकार है, उसकी भी मैं चर्चा करना चाहता हूं। मेरी राय में साढ़े चार महीनों में उसने कोई अच्छा काम नहीं किया है, एक काम केवल अच्छा किया है और वह यह है कि कलकत्ता की ट्रामवेज को उसने हाथ में लेकर राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त किया है। उसका समर्थन करता हूं। लेकिन एक किस्म के विदेशी हस्तक्षेप को जब तक आप खत्म नहीं करेंगे, दूसरा होता रहेगा। मैं श्री मीनू मसानी* से कहना चाहता हूँ कि मैं सभी विदेशी हस्तक्षेपों के खिलाफ हूँ चाहे चीन के द्वारा किया गया हो या ब्रिटेन के द्वारा किया गया हो या अमरीका के द्वारा किया गया हो। इसलिए मैंने सिक्किम की भी चर्चा की।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह इसकी बुनियाद में जायें और तमाम विदेशी हस्तक्षेपों को खत्म करके वहां की जनता के साथ हमदर्दी से, सहानुभूति और सहानुकम्पा से व्यवहार करके इस मामले को हमेशा के लिए हल करें।

*** *** ***

£सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने मित्र श्री चिन्तामणि पाणिग्रही जी को धन्यवाद देना चाहता हूं—एक बहुत ही आवश्यक विषय पर संसद में चर्चा करने का उन्होंने मौका दिया है। मैं सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की व्याख्या करना चाहता हूँ। मेरी राय में पूर्वोत्तर भारत लखनऊ के पूर्व से शुरू हो जाता है। लखनऊ के पूर्व से लेकर यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, सारे पहाड़ी राज्य—यह है पूर्वोत्तर भारत और आज ये तीन प्रकार के अन्तर-विरोध और शोषण का शिकार हैं। एक अन्तर्विरोध-केन्द्र-बनाम-राज्य। दूसरा अन्तर्विरोधी और शोषण शहर-बनाम-ग्रामीण इलाका। कलकत्ता के पूंजीपति इस पूरे इलाके का शोषण कर रहे हैं। तीसरा पहाड़ी-और-मैदानी। इसमें जितना पहाड़ी इलाका है या वनवासियों का इलाका है, चाहे वह बिहार में हो, उड़ीसा में हो, नागालैण्ड में हो, मणिपुर में हो, त्रिपुरा में हो—ये बनवासी पहाड़ी लोग और—दूसरी ओर मैदानी लोग—यह तीसरा अन्तर्विरोध है। सभापति महोदय, यदि इस इलाके के विकास की समुचित व्यवस्था आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले यह जरूरी हो जाता है कि इन तीन अन्तर्विरोधों और शोषणों का आप कोई समाधान निकालिए।

सभापति महोदय, जब मैं उदाहरण के तौर पर बिहार की चर्चा करूंगा तो इसका यह मतलब नहीं है कि इन सूबों के इन इलाकों और अन्य सूबों में कोई फर्क कर रहा हूँ। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जिसके आंकड़े मेरे पास हैं। आज फी-व्यक्ति राज्य-वार आमदनी की एकमात्र कसौटी को ले लीजिए—इस दृष्टि से उड़ीसा इस देश का सबसे गरीब राज्य है और तकरीबन बिहार भी उसी कोटि में आ जाता है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जहां पंजाब में फी-व्यक्ति औसत आमदनी तकरीबन एक हजार रुपये है, उड़ीसा में, 400 रुपये से कम है और बिहार में 402 रुपये है। आप इसी से प्रारम्भ कीजिए।

---

* श्री मीनू मसानी, सांसद।

£ पूर्वोत्तर क्षेत्रों के औद्योगिक विकास पर प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए, *लोक सभा वाद-विवाद*, 11 मई 1973।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि 1965 के प्रारम्भ से मैं इस सदन में इस बात पर जोर देता आया हूँ कि केन्द्र के द्वारा जितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं, दो-तीन साल बीच में कोई योजना चल ही नहीं रही थी, वार्षिक योजना चल रही थी, मैं लगातार मांग करता रहा कि आप क्या खाक योजनाएं बनाते हैं, जब आपको इस बात का ही पता नहीं है कि राज्यवार फी-व्यक्ति आमदनी क्या है। राज्यवार फी-व्यक्ति, केन्द्र ने क्या सहायता दी है—आंकड़े भी आपके पास नहीं हैं तो आप क्या योजनाएं बनाते हैं। तीन-साढ़े तीन साल की कोशिश के बाद, सभापति महोदय, योजना आयोग के उपाध्यक्ष प्रो. गाडगिल साहब ने 1968 के अन्त में एक पत्र द्वारा मेरे पास यह जानकारी भेजी और इस जानकारी को, जो उन्होंने मेरे पास भेजी थी, आप सुनकर दंग रह जायेंगे। 17 वर्षों में सबसे कम सहायता व्यक्ति पीछे औसत सहायता बिहार राज्य को दी गई थी—99 रुपये।

उसके बाद उत्तर प्रदेश का नम्बर था—101 रुपया, फिर आपके दूसरे जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं, उनका भी उसमें नम्बर था। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या उसके बाद विगत चार-पांच वर्षों में स्थिति बदली है या वही सिलसिला जो 1950 के बाद 17 वर्षों तक चला, वही आज भी, चल रहा है—इसके आंकड़े उनको सदन के सामने रखने चाहिएं।

सभापति महोदय, अब मैं कुछ तौलनिक अध्ययन मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूँ। आप सबसे पहले खेती की बात को ले लीजिए। आप स्वयं जानते हैं कि बिहार के दो हिस्से हो जाते हैं—एक मैदानी हिस्सा और दूसरा पहाड़ी हिस्सा—छोटा नागपुर का हिस्सा, यदि सिंचाई, खाद और बीज का समुचित प्रबंध किया जायेगा तो बिहार के मैदानी इलाकों में जो गंगा के उत्तर और दक्षिण में हैं, इन इलाकों में इतनी क्षमता है—मैं पूरे देश की बात नहीं करता, लेकिन समूचे पूर्वोत्तर भारत को खिलाने की क्षमता इस मैदानी इलाके में है। 1966 में मैंने सुझाव दिया था कि रांची हैवी इन्जीनियरिंग कारपोरेशन को काम नहीं मिल रहा है, उसमें घाटा है, आप उसमें "रिग" पैदा करने का काम करो। आज 7 साल हो गये, फिर बिहार में अकाल संकट है, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, सभी राज्यों में है, लेकिन क्या वजह है कि रिग पैदा करने का जो सुझाव दिया था, अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। सभापति महोदय, इसका नतीजा यह हुआ। सिंचाई में प्रगति नहीं हुई—सिंचाई के जो दूसरे अन्य साधन होते हैं, कौन नहीं जानता कि फी-एकड़ सिंचाई का प्रबंध करना है तो उसमें सबसे कम खर्चा बिहार में है और सबसे अधिक मैसूर में है। बिहार में बहुत कम पैसा खर्च करके सिंचाई का इन्तजाम हो सकता है, लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर रही है।

अब खाद को ले लीजिए—पंजाब में औसत 52 किलोग्राम खाद का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि बिहार में यह आंकड़ा 9.5 किलोग्राम है। बिजली की खपत की बात को ले लीजिए—जहां महाराष्ट्र में 153 किलोवाट—आवर व्यक्ति पीछे बिजली की खपत है, बिहार में केवल 44 किलोवाट है। साक्षरता की बात को ले लीजिए—जहां केरल में 60 प्रतिशत से अधिक लोग साक्षर हैं, बिहार में यह अनुपात 20 प्रतिशत से भी कम है। इस सरकार ने एक और करिश्मा करके दिखलाया है—10 साल पहले 1961 में जनगणना के समय जितने निरक्षर लोग हमारे देश में थे, उससे बहुत ज्यादा निरक्षर लोगों की संख्या बढ़ाने का काम किया है। ऋण के बिना, कर्ज

के बिना न बिरला चल सकता है और न टाटा चल सकता है। कर्जे पर सब कुछ चलता है। बिरला को गांवों में फर्टिलाइजर का कारखाना बनाने के लिए आपने लाइसेंस दिया। 55 करोड़ के वे मालिक बन जायेंगे। उन्होंने अपने पास से कितना लगाया? बिल्कुल नगण्य। अपनी कम्पनियों का पैसा लगाते हैं। अमरीका का कुली फंड का पैसा मिलता है। वित्तीय संस्थाओं से मिलता है और राष्ट्रीयकृत बैंकों से मिलता है लेकिन पूर्वोत्तर भारत के जो गरीब किसान लोग हैं उनके लिए कर्जे का कोई इन्तजाम है? कोई इन्तजाम नहीं है? मैं आपसे उदाहरण के लिए कहना चाहता हूँ एक लाख आबादी के पीछे महाराष्ट्र में जहां 5 से अधिक बैंक की शाखाएं हैं वहां एक लाख के पीछे बिहार में एक भी शाखा नहीं है, उससे कम है। उड़ीसा की हालत भी उतनी ही खराब है। अगर मुझे मौका मिला होता तो और आंकड़े पेश करता तो बैंकों के द्वारा जो कर्जा दिया जाता है व्यक्ति पीछे उसकी आप चर्चा कीजिए। महाराष्ट्र में जहां व्यक्ति पीछे 262 रुपया दिया जाता है, बिहार के लिए यह आंकड़ा 14 है। उड़ीसा की भी यही हालत है। कभी-कभी आंकड़े जब दिये जाते हैं पश्चिमी बंगाल के और महाराष्ट्र के तो वह ऊपर उठते हैं लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि कलकत्ता शहर और बम्बई शहर को छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा और कोंकण इलाके में जाइये तो वहां बिहार और उड़ीसा से हालत अच्छी नहीं है। उसी तरह कलकत्ता को छोड़ दीजिए, औद्योगिक इलाके को—श्री समर मुखर्जी मेरी इस बात की पुष्टि करेंगे—तो पश्चिमी बंगाल की भी उतनी ही हालत खराब है। वहां पर जो कंगाली और गरीबी है उसको देखकर रोना आता है।

जहां तक तीसरा संघर्ष है पहाड़ी, बनवासी और मैदानी का, पूर्वोत्तर भारत की समस्याओं को ठीक तरह से समझने के बजाय नौकरशाही ढंग से और उद्दंडता से पहाड़ी लोगों के साथ केन्द्रीय सरकार ने जो व्यवहार किया है। केन्द्र शासित इलाकों में, यहां से जो अधिकारी बनकर जाते थे वे सोचते थे कि मणिपुर, त्रिपुरा यह जो सारे केन्द्र शासित इलाके हैं वह भारत के उपनिवेश हैं, जबकि वे इस देश के अविभाज्य अंग हैं और उनको भी नागरिकता के और लोकतंत्र के वही अधिकार मिलने चाहिएं जो भारत के दूसरे इलाकों के हैं। खैर, धीरे-धीरे अक्ल और बुद्धि सरकार में आ रही है और पूर्वोत्तर भारत की जो जनता है उसके लोकतांत्रिक अधिकारों को यह धीरे-धीरे मानने लगे हैं। चूंकि राष्ट्रपति शासन का अलग विषय है इसलिए उस पर मैं बोलना नहीं चाहता हूँ केवल आर्थिक पहलुओं पर ही जाना चाहता हूँ। मैं आपसे केवल यह कहना चाहता हूँ क्या केन्द्रीय सरकार पंचवर्षीय योजना में कोई ऐसा इन्तजाम करेगी, कोई ऐसी विकास निधि बनायेगी अखिल भारतीय स्तर पर, जिससे पूर्वोत्तर भारत के जो पिछड़े हुए इलाके हैं उनकी सर्वांगीण प्रगति के लिए कोई अच्छी योजना बनाई जा सके? यदि इस तरह की योजना बनाने की उनकी आशा है तो सदन को उन्हें विश्वास में लेना चाहिए। जिस तरह की जानकारी मैंने मांगी है हर राज्य के लिए वह देने की मेहरबानी करें, खासकर केन्द्रीय सहायता के बारे में—दो किस्म की सहायता, एक तो सीधे राज्य सरकारों को दी जाती है और दूसरे केन्द्रीय परिकल्प जो विभिन्न राज्यों में लगते हैं उस पर भी पूंजी लगती है, तो दोनों का अलग-अलग विवरण सदन के सामने पेश करें। इस बात के साथ पाणिग्रही जी का जो प्रस्ताव है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं।

लोकतंत्र में दल-बदल की समस्या*£

सभापति महोदय, इस विधेयक से कुछ मौलिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ने इन प्रश्नों पर ठीक ढंग से नहीं सोचा है।

पूरे संविधान में राजनैतिक दलों की कहीं चर्चा नहीं है और इस लोक सभा का आधार यह है कि सदस्य अपने मतदाताओं और चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं। अगर सरकार इसको बदलना चाहती है, तो वह इसके मूलाधार को बदले और एक नया ढांचा सदन के सामने लाये। तब उस पर विचार किया जा सकता है लेकिन प्रतिनिधिक लोकतंत्र का यह आधार है कि लोक-प्रतिनिधि अपने मतदाताओं के प्रतिनिधि हैं और वे अपने मतदाताओं की इच्छा का पालन करें अगर सरकार बीच में राजनैतिक दलों को ले आना चाहती है, तो दो बड़े सवाल उपस्थित हो जाते हैं।

संविधान की दफा 105 के तहत सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिये गये हैं, जैसे बोलने की आजादी और वोट की आजादी। राजनैतिक दलों द्वारा सदस्यों को आदेश दिये जाते हैं, लेकिन उन आदेशों की लोक सभा में कभी चर्चा नहीं होती। वह सदस्यों और उनके दलों के बीच का मामला है। अगर किसी आदेश के द्वारा किसी सदस्य पर एक विशिष्ट ढंग से वोट देने के लिये जबर्दस्ती की जाएगी तो दफा 105 के द्वारा उसको मत स्वतंत्रता और वोट की स्वतंत्रता के जो विशेषाधिकार मिले हैं, उनका निश्चित रूप से हनन होगा। इस विधेयक में दफा 105 के बारे में सोचा ही नहीं गया है। दफा 105(1) में कहा गया है—

> "Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament."

बोलने की स्वतंत्रता को तो छीना नहीं जा सकता है। वह कैसी स्थिति होगी कि कोई सदस्य भाषण तो किसी प्रस्ताव या बिल के पक्ष में करे और पार्टी के आदेश के अनुसार वोट उसके खिलाफ करे इन लोगों की तो आदत है, लेकिन हम लोगों को नहीं है। इसलिए दफा 105 के साथ इस विधेयक का टकराव है।

दफा 105(2) में कहा गया है कि सदस्यों को वोट की स्वतंत्रता है और वोट के बारे में कोई सवाल किसी अदालत के सामने नहीं आयेगा।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 13 दिसम्बर 1973.

£ श्री उमाशंकर दीक्षित, गृहमंत्री द्वारा प्रस्तावित संविधान (32वां संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

दफा 105(2) में कहा गया है:

> "In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom, and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

वोट देने की स्वतंत्रता—यह तो हाउस ऑफ कॉमन्स में सदस्यों का विशेषाधिकार है। लेबर पार्टी जब सत्ता में रहती है तब भी कांग्रेस के नाम पर वह खिलाफ वोट देते हैं और टोरी पार्टी रहती है तब भी वह अपने नेतृत्व के खिलाफ हाउस ऑफ कॉमन्स में वोट देते हैं। अधिक से अधिक क्या होता है? ह्विप वापस लिया जाता है, उसे दल से निकाला जाता है। टोरी पार्टी में तो कभी होता नहीं ...

*** *** ***

...मैं यह अर्ज कर रहा था कि इंग्लैंड में यह सदस्यों का विशेषाधिकार मान लिया गया है कि अपनी सद्-असद् विवेक बुद्धि के अनुसार संसद में वोट दे सकते हैं, तो इन सारे विशेषाधिकारों का, बोलने की स्वतंत्रता, वोट की स्वतंत्रता जो कि बुनियाद है जनतंत्र की, इसका इसमें हनन होगा। इसके ऊपर कोई विचार नहीं किया गया है। डिफेक्शन कमेटी में कोई एक राय इस पर नहीं थी, आपने रिपोर्ट देखी होगी। उसमें इसके बारे में कोई सहमति नहीं है। हम जानते थे कि इसमें बहुत संवैधानिक अड़चनें हैं। अब वह एक विधेयक लेकर आए हैं तो उसके कुछ पहलुओं को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि जो कमेटी बनने वाली है वह भी इन बातों पर गहराई में जाकर विचार करे।

(1) हमारे संविधान में और संसदीय लोकतंत्र का ढांचा यह है कि हम अपने मतदाताओं के और अपने चुनाव क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। पार्टी के प्रतिनिधि के नाते हमको वोट नहीं मिलते हैं।

(2) संविधान के तहत सदस्यों को कुछ बुनियादी अधिकार दिए गए हैं और उन बुनियादी अधिकारों के हनन का इस विधेयक में खतरा मुझे लगता है जिसके बारे में भी हम लोगों को सोचना चाहिए।

(3) अब मैं तीसरी बात इस संबंध में यह कहना चाहता हूँ कि जब आप राजनैतिक दलों को इतना बड़ा अधिकार देने जा रहे हैं, उसके नेतृत्व को, उसको रूलिंग क्लिक को कि वह आदेश दे, मान लीजिए कि मेरे मतदाताओं की एक कोई इच्छा है और पार्टी का नेतृत्व कोई आदेश दे रहा है तो मैं किसकी बात मानूं? मान लीजिए चुनाव घोषणा-पत्र है किसी भी दल का और पार्टी का नेतृत्व बदल जाता है, वह कहता है कि इसके खिलाफ आपको वोट देना है और आप जीते हैं, चुनाव घोषणा-पत्र पर तो फैसला कौन करेगा? जिस चुनाव घोषणा-पत्र पर मैं चुनाव लड़कर जीता

हूं उसके अनुसार मुझे वोट देना चाहिए या किसी भी दल की जो रूलिंग क्लिक्स है उसके आदेश पर वोट देना चाहिए?... यह आप लोग क्या कर रहे हैं? मैं सैद्धांतिक बातें कह रहा हूं। आप आइने में अपना ही चेहरा देख लीजिए। मैं तो एक सैद्धांतिक बात कह रहा हूं। मान लीजिए किसी दल का कोई मैनिफेस्टो है, उस पर चुनाव जीत कर लोग आते हैं और पार्टी का कोई रूलिंग क्लिक होगा, नेतृत्व होगा वह कहेगा कि ऐसे-ऐसे काम करो, मेरी सद्-असद् विवेक बुद्धि कहती है, मेरी आत्मा कहती है कि नहीं, मैंने जिस चुनाव घोषणा-पत्र पर लड़कर चुनाव जीता है उसके यह बरखिलाफ है तो मैं यह कहूंगा कि उस आदेश के खिलाफ वोट देना चुनाव घोषणा-पत्र के अनुसार होगा और नेतृत्व के आदेश को ठुकराना बिलकुल सही काम होगा। तो इसकी भी कोई इसमें व्याख्या नहीं की है।

(4) जब आप राजनैतिक दलों के नेतृत्व को इतने अधिकार देंगे तो क्या इसकी कोई गारंटी है कि राजनैतिक दलों का काम भी लोकतांत्रिक ढंग से चले? इसका भी कोई प्रावधान किया गया है? आप हमारी सदस्यता को खत्म कर रहे हैं, दस लाख वोटरों, की इच्छा को आप तोड़ रहे हैं तो इसकी कोई गारंटी आपके बिल में होनी चाहिए कि राजनैतिक दलों का काम भी लोकतांत्रिक ढंग से हो। क्या स्वयं आपके दल में कुछ लोगों ने बासिज्म के खिलाफ बगावत नहीं की? ... मैं आपके भी हित की बात कर रहा हूं। बासिज्म के खिलाफ क्या आपके दल में बगावत नहीं हुई? श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो विद्रोह किया क्या उसको आप स्प्लिट कहेंगे या डिफेक्शन कहेंगे? मोरारजी देसाई कहेंगे कि यह डिफेक्शन था। आप कहेंगे कि यह स्प्लिट था। तो यह राजनैतिक प्रश्न है और आप इसका निर्णय गवर्नर और राष्ट्रपति के हाथ में देंगे? क्या राष्ट्रपति या गवर्नर अपने मन से फैसला देते हैं या सरकार के कहने से चलते हैं? तो राजनैतिक दलों में फूट पड़ी है या डिफेक्शन हुआ है इसका निर्णय गवर्नर करेगा मुख्यमंत्री और केबिनेट की सलाह पर और राष्ट्रपति केन्द्र में निर्णय करेगा इनकी सलाह पर—यह कोई तमाशा है? आप क्या गंभीरतापूर्वक इन चीजों को सोचकर इस विधेयक को ले आए हैं?

हम लोग दल-परिवर्तन के बड़े विरोधी हैं और हम उन नेताओं के अनुयायी हैं—आचार्य नरेन्द्र देव को आप जानते हैं, स्वतंत्रता के पहले की जो अविभाजित कांग्रेस थी उसके टिकट पर वह उत्तर प्रदेश की विधान सभा के सदस्य चुन कर आए थे। जब हम लोगों ने कांग्रेस को त्यागने का निर्णय किया तो आप लोग जानते हैं कि हमारे दल में हमारी राष्ट्रीय समिति में इस पर बहस हुई, मैं भी उसमें मौजूद था और कई लोगों ने यह दलील दी कि कांग्रेस कोई दल नहीं है, वह तो साम्राज्यशाही के विरुद्ध एक राष्ट्रीय मोर्चा है, उसमें जिस तरह से सरदार पटेल और नेहरू साहब ने काम किया है उसी तरह से, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्र देव और डा. राम मनोहर लोहिया ने भी अपना योगदान दिया है, तो ऐसी हालत में जब हम अलग हो रहे हैं आजादी के बाद तो इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं है। उस समय आचार्य जी ने कहा था कि नहीं, संसदीय लोकतंत्र एक नया पौधा है। हम चाहते हैं कि वह पनपे इसलिए बावजूद इस बात के कि कई लोगों ने

उनसे कहा था कि इस्तीफा मत दीजिए, हमारे सभी लोगों ने उस समय इस्तीफा दिया था। दुबारा चुनाव हुआ था उसमें आचार्य जी हार गए। लेकिन हारने से न उनको दुख हुआ न हमको हुआ। इस दल परिवर्तन के खिलाफ जिन्होंने सबसे पहले एक मिसाल पेश की उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। आचार्य जी को दुख नहीं हुआ, हमको भी नहीं हुआ क्योंकि वह एक आदर्श कायम करना चाहते थे। लेकिन क्या सत्ताधारी दल ने इस आदर्श पर चलने का काम किया? क्या विगत 26 साल में दल-परिवर्तन का एक सिलसिला आप ही लोगों ने शुरू नहीं किया और आप के ही कदम पर कदम रखकर 67 के बाद क्या विरोधी दलों ने भी आपका अनुसरण नहीं किया? ... आप कैसे बोल रहे हैं? आप तो हमको छोड़कर उधर चले गए। आपको तो कम से कम खामोशी रखनी चाहिए। उधर इतने प्राणी पड़े हुए हैं जो इस इधर से उठकर गए हैं, उनकी चर्चा मैं न करूं तो अच्छा है इस सदन की शान के लिए। इसलिए मुझे टोका न जाये क्योंकि हर एक तीन आदमी में से कम-से-कम एक दल-बदल उधर है।

अब मैं अपने मुद्दे केवल रखता हूँ क्योंकि स्पष्टीकरण में बड़ा समय जाता है। मेरा यह कहना है कि अगर इस विधेयक को आप रखना चाहते हैं तो पहले राजनैतिक दलों को रजिस्टर करवाइए, उनका कार्य लोकतांत्रिक ढंग से चलेगा, चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से होंगे, नेतृत्व का चुनाव भी और समितियों का चुनाव भी लोकतांत्रिक ढंग से होगा, इसके बारे में आप कुछ प्रावधान बनाइये, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तो दल-परिवर्तन का सख्त विरोध करने वाला आदमी हूं। मैं उसे बहुत अनैतिक काम समझता हूँ लेकिन साथ-साथ मैं खतरे की लाल लालटेन दिखाना चाहता हूँ इनकी तो नजर ही नहीं है यह बहुत कम दायरे में सोचते है। मैं एक उदाहरण देता हूँ।

उमाशंकर जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें वह क्या कहते हैं? कहते हैं कि अगले सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन में रिपोर्ट आनी चाहिए। इतने साल हो गए, डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पड़ी है, आपके सामने, कोई कार्यवाही आपने नहीं की, और जिस समय उत्तर प्रदेश की नई विधान सभा गठित होने वाली है, उस समय आप रिपोर्ट चाहते हैं। आपके दिल में धड़कन है कि दो सौ सीटें मिलेंगी, सवा दो सौ मिलेंगी या इससे भी कम मिलेंगी, आखिर बात क्या है? इसलिए कमेटी को कुछ मौका दीजिए। जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है। आप कमेटी को अगले सत्र के अंत तक विचार करने का मौका दीजिए। नहीं तो फिर समय मांगने के लिए या तो आप को आना पड़ेगा या जल्दबाजी में कोई आप दलीय दृष्टिकोण से फैसला करेंगे जिस पर कि स्वयं आपको ही पश्चाताप करने की नौबत आएगी। इस बात को ठीक तरह से समझ लें। अब तो तीन बातें मैं कहना चाहता हूँ।

(1) डिफेक्शन कमेटी ने यह कहा था कि विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों में से ही प्रधान मंत्री और मुख्यमंत्री चुना जाये।

इन्होंने क्या कहा है—6 महीने के अन्दर वह विधान सभा या लोक सभा का सदस्य बने। जो डिफेक्शन कमेटी आप लोगों ने बनाई थी, जिसकी इस बारे में तकरीबन एक राय थी, एक राय से उसकी सिफारिश आई थी—उसको भी ये नहीं मानते हैं।

आप डिफेक्शन कमेटी की रिपोर्ट पढ़िये—उसमें बहुत देर तक बहस हुई थी कि मंत्रिमंडल के साइज पर कोई पाबन्दी रहे या नहीं। इसके बारे में मैंने एक विधेयक इस सभा में कई साल पहले रखा था। उस विधेयक का जबाब देते हुए मंत्री महोदय ने कहा था कि आप अपने विधेयक को वापस ले लीजिये, इसके सिद्धान्त को हम मानते हैं और स्वयं हम इसके बारे में एक बिल लेकर आयेंगे। मैंने इनकी बात को कुबूल किया। लेकिन आज क्या देख रहा हूँ—अगर इनको 11 परसेन्ट ही करना था—हमारी बात तो छोड़िये, हमने तो केन्द्र में पचास की सीमा और विधान सभाओं में 1/2, छोटी विधान सभाओं को छोड़कर चाहते थे—अगर ये उसको नहीं चाहते थे तो अपने ही सिद्धान्त को, 11 प्रतिशत को ले आते। लेकिन उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। डिफेक्शन कमेटी में जिन चन्द मुद्दों पर सहमति थी, उनको इन्होंने काट दिया और जिनपर बिलकुल एक राय नहीं थी, जिनपर कमेटी ने भी सिफारिश नहीं की थी, सिफारिश नहीं कर सकी थी, उन बातों को ले आये। उसकी बहुत सारी सैद्धान्तिक बातों को भूल गये।

इसलिये, सभापति महोदय, मैं यह कहूंगा कि यह जो समिति बन रही है, इसके कार्यकाल को बढ़ा दिया जाये ताकि वह ठीक तरह से इस पर विचार कर सके।

(2) अगर आप इस लोकतंत्र के ढांचे को बदलना चाहते हैं—चुनाव क्षेत्र के प्रतिनिधि की जगह आप पार्टी सिस्टम को ले आना चाहते हैं तो फिर वोट भी पार्टी को ही क्यों न पड़ें, बक्सा भी पार्टी का ही रखा जाय, पार्टियों की सूचियां हों, उनकी रजिस्टर्ड सोसायटी हों—लेकिन यहां क्या कर रहे हैं—न एकदम घोड़ा और न गधा बनाया जा रहा है...

*** *** ***

क्या खच्चर है। अगर रिप्रैजेन्टेटिव डेमोक्रैसी को बनाये रखना चाहते हैं तो पार्टी को ऊपर क्यों ला रहे हैं और यदि लाना ही है तो इस ढांचे को बदलिये, उस हालत में हम भी सोचने को तैयार हैं। उसी अनुपात में सीटों का बंटवारा कीजिए। जितने वोट किसी पार्टी को मिलेंगे, उसी अनुपात में सीटें मिलेंगी। मान लीजिये किसी पार्टी को 40 प्रतिशत वोट मिलते हैं तो उसी के अनुसार उसके सदस्य हों। आप इस समय 43 प्रतिशत वोट के मालिक हैं, लेकिन दो-तिहाई का डण्डा लेकर दौड़ते हैं—क्यों? जब इस उसूल को ला रहे हैं कि प्रतिनिधि लोकतंत्र की जगह पर यहां पार्टी-प्रणाली हो, तो फिर यह बिल उस सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। आप 43 प्रतिशत के धनी हैं, उसी को लेकर बैठिए, हम 57 प्रतिशत के मालिक हैं, हमको 57 प्रतिशत स्थान दीजिए। तभी इस देश में लोकतंत्र ठीक तरह से चलेगा।

दल-बदल और अवसरवादिता*£

चेयरमैन साहब, वैंकटसुब्बैया साहब ने जो प्रस्ताव रखा है, उस प्रस्ताव के पीछे जो भाव है, उससे मेरा झगड़ा नहीं है। वह चाहते हैं कि लोग अपना दल न बदलें, बिना प्रतिनिधिक संस्थाओं से इस्तीफा दिये वह न छोड़ें—तो भाव तो उनका ठीक है, लेकिन उसमें कानून के द्वारा इस चीज को रोकने की जो झलक मुझे दिखाई दे रही है, मैं मानता हूँ कि यह सम्भव नहीं हो पायेगा। अगर वह इस तरह से कानून में परिवर्तन चाहते हैं, तो सबसे पहले जो हमारी संसदीय प्रणाली है, जिस चुनाव व्यवस्था पर वह आधारित है, उसमें इनको परिवर्तन करना पड़ेगा। हमारे संविधान के अनुसार प्रादेशिक चुनाव क्षेत्रों में देश को बांट दिया गया है और हर एक चुनाव क्षेत्र से प्रतिनिधि खड़े होते हैं और चुने जाते हैं। तो बहुत कुछ हद तक, जैसा कि आचार्य जी ने कहा—कुछ लोग चुनाव चिह्न को वोट देते हैं। लेकिन इधर 15 सालों से बहुत सारी बातें बदली हैं और हम लोग देखते हैं कि अब लोग व्यक्तियों के आधार पर भी वोट देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि नीचे किसी कांग्रेसी को वोट देते हैं, तो ऊपर विरोधी दल के आदमी को वोट देते हैं या इससे उल्टा भी होता है—तो इसका मतलब यह है कि हमारी चुनाव प्रणाली में व्यक्तियों और उम्मीदवारों का भी लिहाज मतदाता करते हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी पार्टी के टिकट पर एक व्यक्ति जीत जाता है, अगर वह दल बदलता है तो इस पर कानून के द्वारा रोक कहां तक सम्भव है। अब अगर कोई नई चुनाव व्यवस्था आप जारी करते हैं और उम्मीदवारों के नाम के जो बक्से रखे जाते थे, उसकी जगह पर हर एक दल के नाम का बक्सा आप रखते हैं और जो मतदाता हैं, वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी दल वाले बक्से में अपना वोट डालते हैं तो बात दूसरी है। हर एक दल अपने उम्मीदवारों की सूची बनाये और जिस दल को 10 प्रतिशत वोट मिलेंगे, उस दल के 10 प्रतिशत उम्मीदवार निर्वाचित घोषित किये जायेंगे, ऐसी हालत में यदि कोई उम्मीदवार दल बदलेगा तो आप मना कर सकते हैं कि यह दल का वोट था और दल परिवर्तन के कारण अब उसको लोक सभा में या विधान सभा में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्या वैंकटसुब्बैया साहब इस तरह से चुनाव पद्धति में कोई बुनियादी परिवर्तन लाना चाहते हैं जिससे कि प्रतिनिधियों का और उम्मीदवारों का चयन करने के बजाय, लोग अपना वोट दल को दे दें? अगर ऐसी व्यवस्था की जाती है तो इसके बारे में कोई वैधानिक या कानूनी इन्तजाम हो सकता है।

दूसरी बात, जैसा आचार्य जी ने कहा—कभी-कभी सवाल आता है कि बदला कौन? दल बदला या उस दल का सदस्य बदला? उदाहरण के लिये मान लीजिये, आने वाले चुनाव में या

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 8 दिसम्बर 1967.

£ 'विधायकों द्वारा राज्य विधान सभाओं में दल परिवर्तन' के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

और किसी चुनाव में जैसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 10 सूत्री कार्यक्रम बनाया कि राजाओं के निजी कोष और विशेषाधिकार खत्म करने चाहिएं, ऐसा कार्यक्रम बनता है और उस पर उस दल की हुकूमत अमल न करे तो ऐसी स्थिति में उस दल का सदस्य कह सकता है कि चूंकि चुनाव घोषणा-पत्र में दिये गये आश्वासन की पूर्ति हमारी सरकार नहीं कर रही है, इसलिये उस दल से हम हट जाते हैं और अगर इस तरह के वैचारिक आधार पर या वचनों की पूर्ति न करने के कारण यदि कोई उस दल को छोड़ता है तो उस पर भी कानून के द्वारा रोक लगाना मुश्किल हो जायेगा। इसलिये सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि संविधान में प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का हम इन्तजाम करें।

हमारी चुनाव पद्धति में यह जरूरी नहीं है कि हर एक जीते हुए उम्मीदवार को 51 प्रतिशत वोट मिलें। कभी-कभी ऐसा होता है कि पांच-छह उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं, तो जिसको ज्यादा वोट मिलता है वह चुना जाता है।

तीस प्रतिशत वोट पाने वाला उम्मीदवार भी जीत जाता है इसलिये वापिस बुलाने का अगर इन्तजाम आप करेंगे तो मेरा ख्याल है कि कम से कम 60 प्रतिशत की शर्त आपको रखनी पड़ेगी कि अगर 60 प्रतिशत मतदाता कहते हैं कि हमारे प्रतिनिधि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, हमारे विश्वास को खो बैठे हैं तो उन लोगों को अपने प्रतिनिधि को वापिस बुला लेने की सुविधा होनी चाहिये। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि दल परिवर्तन इस वक्त जो चल रहा है यह दो किस्म का है। मध्य प्रदेश में जब हुआ तो उस दिन मैं भोपाल में था। मैं उस समय वहां की विधान सभा कक्ष में था और मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मूसलाधार वर्षा हो रही थी और 8-10 हजार लोग हार लेकर जो कांग्रेस से टूट कर विरोधी दल वालों के साथ वोट देने जा रहे थे, तो उनके स्वागत के लिये, हार और पुष्प गुच्छे लेकर, बाहर खड़े थे। लेकिन आज जो बंगाल में संयुक्त मोर्चा है उससे जब डा. पी.सी. घोष और उनके साथी टूटे तो यह बिल्कुल साफ बात है कि जनता के सामने आने की हिम्मत नहीं कर सके। वह अपना मुंह छिपा रहे हैं। आप पूछेंगे कि क्या आप इस बात को अच्छा समझते हैं? नहीं, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि दल परिवर्तन इस वक्त जब कांग्रेस से होता है तो जनता उसका स्वागत कर रही है और कांग्रेस विरोधी मोर्चों से या गैर-कांग्रेसी मोर्चों से जब लोग टूटते हैं तो इस परिवर्तन को जनता आज अच्छा नहीं समझ रही है। यह बात सही है क्योंकि मैंने यह भोपाल में देखा। मैं दल परिवर्तन कोई अच्छी चीज नहीं समझता लेकिन इस बारे में आम लोगों की भावना मैं कह रहा हूं कि 8,000 लोग मूसलाधार वर्षा में खड़े थे भोपाल में हार लेकर। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं पी.सी. घोष का स्वागत करने के लिये जनता कलकत्ते में खड़ी नहीं थी, इसलिये फर्क तो है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि श्री वैंकटसुब्बैया का जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव के पीछे भाव तो ठीक है लेकिन वैंकटसुब्बैया साहब भूल जाते हैं कि कुछ बीमारियों का इलाज बीमारी के बहुत दूर तक फैलने के बाद नहीं होता है। बीमारी को होने ही न देना यह उसके लिये सबसे अच्छा उपाय है। मसलन 1948 में जैसा कि आचार्य नरेन्द्र देव ने कहा था—हम लोग सबसे पहले

कांग्रेस से अलग हो गये हैं—और जैसा कि उन्होंने कहा किसी कुर्सी की लड़ाई को लेकर हम अलग नहीं हुए। यह तो कोई भी मानेगा कि 1948 में पुरानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के लोग जब कांग्रेस से अलग हो गये तो कुर्सी नहीं मिल रही थी इसलिये वह अलग हुए थे। निश्चय ही वह इसलिये अलग नहीं हुए थे। उनको कहा जा रहा था कि आप रहिये कांग्रेस में आपको कुर्सी भी मिल जायेगी और आपकी बातें भी हम सुनेंगे। लेकिन हमारे लोग अलग हो गये। ...

*** *** ***

... मैं यह अर्ज कर रहा था कि कांग्रेस से सोशलिस्ट पार्टी के लोग जब अलग हो गये तो एक अच्छा लोकतांत्रिक आदर्श पेश करने के लिये आचार्य नरेन्द्र देव और उनके साथियों ने विधान सभा से इस्तीफा दिया, चुनाव लड़े, हारे भी लेकिन एक अच्छा आदर्श पेश करने के लिये उन्होंने यह काम किया। उस वक्त कांग्रेस ने उनके खिलाफ बाबा राघवदास को खड़ा किया था जिनसे कि वह हारे। उस वक्त हमारी अपेक्षा थी कि कांग्रेस के बड़े नेता आचार्य नरेन्द्र देव और उनके साथियों के द्वारा जो काम लिया गया था उसकी इज्जत करेंगे, आदर करेंगे और ऐसी आचार संहिता तैयार करेंगे जिससे जो काम आचार्य नरेन्द्र देव और उनके साथियों ने किया वही सब लोग भविष्य में करेंगे। लेकिन यह हुआ नहीं। आज मुझे याद आ रहा है सुचेता जी अभी बैठी थीं, 1953 की बात है दादा हमारी पार्टी के चेयरमैन थे, मैं सेक्रेटरी था। आंध्र का मामला आया था। दिल्ली में ही हमारी राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई थी। मैं छोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उनकी बात कर रहा हूँ जो 17 साल तक स्वतंत्र देश के प्रधान मंत्री रहे हैं, उन्होंने आंध्र में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आंध्र नेता, आंध्र केसरी श्री टी. प्रकाशम से यह कहा कि नया आंध्र राज्य बना है, मैं वैंकटसुब्बैया साहब, आपके राज्य की बात कर रहा हूँ, यह अखबार वाले लिखते हैं कि उत्तर हिन्दुस्तान में ही दल परिवर्तन होता है। मेरा कहना है कि दल परिवर्तन आपके राज्य में सबसे बड़े पैमाने पर हुआ, मद्रास में हुआ और केरल में भी हुआ। जब नया आंध्र राज्य बना था तब आप लोगों का बहुमत नहीं था। मेरी राय नहीं थी कि आपके साथ कोई मिली-जुली सरकार बनाई जाये। मैं तो पहले से खिलाफ हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके साथ कभी मिल-जुल कर काम नहीं हो सकता है। जब तक एकाधिकारशाही का घमंड आप लोगों के हृदय में है तब तक आप लोगों के साथ मिलकर काम करने का सवाल ही नहीं उठता। मैं इसके विरुद्ध था लेकिन आचार्य जी और दूसरे लोग हैं वह चाहते थे कि आंध्र राज्य नया बना है और स्थिरता के लिये अगर जरूरी हो तो मिली-जुली सरकार बनाई जाये। इसके लिये राष्ट्रीय समिति इजाजत देने के लिये तैयार थी। लेकिन नेहरू साहब ने टी. प्रकाशम को क्या कहा? नेहरू जी ने उनको कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिये तैयार हैं बशर्ते कि आप प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता को छोड़ दें और कांग्रेस के सहयोगी सदस्य बनें। जब जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग ऐसा काम कर सकते हैं तो फिर औरों की बात ही क्या है? अभी-अभी नेतृत्व की बात उन्होंने की। गांधी जी के बाद सबसे ऊंचा स्थान कांग्रेस में जवाहरलाल जी का था लेकिन जवाहरलाल जी ने खुद टी. प्रकाशम के बारे में इस तरीके का काम किया। हमारे दल में राष्ट्रीय समिति में इसकी चर्चा हुई कि क्या प्रकाशम साहब को छूट दी जाये सदस्यता छोड़ने की तो इसका मैंने डटकर विरोध किया था और कुछ नेताओं के साथ मेरा कुछ झगड़ा भी हुआ था। उसके बाद लगातार

यह परम्परा चली। अब सुचेता जी सदन में आ गई हैं, मैं समझता हूं उनको 1953 की बात याद होगी जब टी. प्रकाशम को जवाहरलाल जी के द्वारा कहा गया कि वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सदस्यता छोड़ दें आपको आंध्र का मुख्यमंत्री बनाने के लिये हम तैयार हैं।

असल में अवसरवादिता और सिद्धान्तहीनता का जो सिलसिला चल पड़ा था। उसका सूत्रपात उस समय से हुआ है। इसलिये वैंकटसुब्बैया साहब से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आज जो आप प्रस्ताव ले आये हैं वह प्रस्ताव क्या इसलिये नहीं ले आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ, मध्य प्रदेश में जो हुआ उससे आपके मन में यह डर पैदा हुआ कि कहीं यह लोक सभा में भी हो जाये तो आपकी सरकार टूट जायेगी? वह हो या न हो लेकिन आपके मन में डर है। आज इसकी आपको चिन्ता होने लगी है। बाकी आप स्वयं इसी दल परिवर्तन का सहारा लेकर जहां-जहां भी गैर-कांग्रेसी हुकूमतें स्थापित हुई थीं उनको एक-एक करके खत्म कर रहे हैं। हम विरोधी दलों की सरकारों को आप रहने कहां दे रहे हैं? बंगाल में ख़त्म कर दिया, हरियाणा में खत्म कर दिया, पंजाब में खत्म कर दिया और उत्तर प्रदेश और बिहार में भी दल-बदल लोगों के जरिये आप हमें खत्म करना चाहते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि वैंकटसुब्बैया साहब का जो प्रस्ताव आया है उसके पीछे कांग्रेस पार्टी का कोई उच्च सिद्धान्त वगैरह नहीं है। क्योंकि जब इनको अधिक वोटों की जरूरत नहीं थी तब भी ये लोग दूसरे विरोधी दलों को खत्म करने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। कोई दल नहीं बचा है, न हमारा दल बचा है, न प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बची है, न जनसंघ बचा है और न ही कम्युनिस्ट पार्टी बची है क्योंकि चन्द्रजीत यादव जैसे सदस्य ने पार्टी से त्यागपत्र उत्तर प्रदेश में दिया लेकिन इस्तीफा देकर कभी चुनाव नहीं लड़ा। इनके यहां मौलिचन्द्र शर्मा का किस्सा है। एक दिन अविश्वास के प्रस्ताव पर जब बहस चल रही थी तो प्रधान मंत्री जी ने ताना मारा था कि क्या विरोधी दलों को संगठित करने का और मजबूत बनाने का भी हमारा काम है? उनका ताना मारना तो ठीक है लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस दल परिवर्तन और अवसरवादिता को फैलाने का काम सबसे बड़े दल ने और उस दल के सबसे बड़े नेता ने, किया।

ठीक है। अगर पुराने इतिहास को आप भुला देना चाहते हैं और कोई नया रास्ता खोलना चाहते हैं तो मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि उसमें कानून की बात नहीं होनी चाहिये। आप आपस में बात करें और कोई रास्ता निकालें। लेकिन दल परिवर्तन के लिये कानून ही नहीं होना चाहिये। सार्वजनिक जीवन को शुद्ध करने के लिये आचार संहिता चाहिये। राजनीतिक दलों को चन्दा कहां से आता है? चुनावों में हिसाब-किताब की बात भी इसमें आती है। कई तरह की बातें उठेंगी। इन सबको किस तरह से रोका जाये, यह भी सोचना होगा। ये सब मामले हैं और अगर इन सब मामलों के बारे में कोई आचार संहिता या कोई आपस में समझौता करने के लिये आप लोग तैयार हों तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे, हम भी आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं बावजूद इस तजुर्बे के, कि पिछले बीस वर्षों में सार्वजनिक जीवन की धारा को जहरीला बनाने का काम आपके दल ने और आपके दल के बड़े नेता ने किया है।

पश्चिम बंगाल : राज्यपाल की भूमिका*£

अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने जनता के द्वारा 1967 के चुनाव में जो राय दी गई थी, उसके बरखिलाफ जाकर और संविधान की धाराओं को तोड़कर, पश्चिम बंगाल की जो लोक-नियुक्त सरकार थी, उसको बर्खास्त करने का काम किया।... इस बारे में पश्चिम बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष ने कहा कि विधान सभा की सम्मति के बिना गवर्नर किसी भी सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकता है और चूंकि ऐसी घटना बंगाल में हुई है इसलिए मैं विधान सभा की बैठक को ही स्थगित कर रहा हूं।... उसके बाद वहां पर राष्ट्रपति का शासन कायम किया गया। पश्चिम बंगाल की विधान सभा के अध्यक्ष ने जो राय व्यक्त की है, आप लोगों ने भी अपने सम्मेलन में उसका समर्थन किया है। आपने दो बातें कही हैं। गवर्नर बिना विधान सभा की सम्मति के किसी भी लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकेगा, साथ ही साथ आपने यह भी कहा है कि विधान सभा की कार्यवाही में अध्यक्ष भी दखल नहीं देगा। तो सबसे पहला पाप गवर्नर और केन्द्रीय सरकार द्वारा हुआ है, इसका सभी लोग ख्याल रखें। चाहे यह सभा हो, हाई कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, उनसे भी एक उच्चतर न्यायालय है, भारत और पश्चिम बंगाल की जनता।

अन्त में फैसला इस जनता के द्वारा दिया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में जनता के द्वारा यह निर्णय दिया गया है। पश्चिम बंगाल के नये मंत्रिमंडल ने इनके पास मांग की है। लेकिन गृह मंत्री जी बहुत चतुर हैं, उस मांग के बारे में, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार की मांग के बारे में यह कुछ नहीं कहते हैं और कहते हैं कि श्री धर्मवीर ने अक्तूबर महीने में व्यक्तिगत कारणों को लेकर उनको गवर्नर के पद से हटाने के लिए विनती की है जोकि उनके विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, संविधान की दो धाराओं की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाऊंगा। 6 मार्च को विधान सभा की बैठक होने वाली है। हमारे संविधान में लिखा है कि विधानमंडल का जो पहला सत्र बुलाया जायेगा चुनाव के बाद उसमें गर्वनर का अभिभाषण होगा। उसमें गवर्नर को छूट नहीं है, वह मैन्डेटरी प्रोविजन है...

*** *** ***

ठीक है नहीं पढ़ता हूँ। "शैल एड्रैस" कहां है; गवर्नर को, विधायकों को क्यों बुलाया गया है, उसे उनके बुलावे का कारण भी बतलाना पड़ता है...

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 3 मार्च 1969.

£ अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय 'पश्चिम बंगाल के राज्यपाल को वापस बुलाने की आवश्यकता' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

*** *** ***

$मेरा प्रश्न आ रहा है। यह टाल नहीं सकते हैं सवाल। गवर्नर का या राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वह सरकार की नीति का इजहार करने वाला वक्तव्य होता है। वह मंत्रिमंडल के द्वारा लिखा जाता है। गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है संविधान में—और केवल एक धारा पढ़ूंगा जो कि पढ़ना बहुत जरूरी है बाकी को मैं छोड़ देता हूँ। संविधान की एक धारा में यह दिया हुआ है:

> "There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head..."

*** *** ***

वह मैं नहीं कह रहा हूँ। यह पूरी धारा पढ़ना जरूरी है, लेकिन अब आप ही नहीं समझ रहे हैं इसकी आवश्यकता को तो मैं क्या करूं?

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभिभाषण में तबदीली करने का गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है और 6 तारीख को वह भाषण उन्हें करना पड़ेगा। जब पश्चिम बंगाल की सरकार अपने नीति वक्तव्य में विधायकों को बुलाने का कारण यह बतलायेगी कि गवर्नर के द्वारा जो असंवैधानिक कार्यवाही की गई उसको लेकर राष्ट्रपति शासन आया, चुनाव हुआ और अब उन्हें बुलाया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या गवर्नर को आप यह सलाह देंगे कि जो मंत्रिमंडल के द्वारा भाषण तैयार करके दिया जायेगा उसको वह हुबहू विधान मंडल के सामने कहें, या अगर आप इस संघर्ष और टकराव को टालना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें यह सलाह देंगे कि वह छुट्टी पर जायें। जब तक वह छुट्टी पर हैं एक आफिशिएटिंग गवर्नर यहां पर नियुक्त कर दिया जाये। केन्द्र और राज्यों के संबंध में काफी कटुता आई है। मैं आज चेतावनी के रूप में कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इसको प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल न बनायें। पश्चिम बंगाल की जनता का जो फैसला वर्डिक्ट है, उसके सामने आप झुकिये और गवर्नर को यह सलाह दीजिये कि वह बीमारी को लेकर या और किन्हीं व्यक्तिगत कारणों को लेकर छुट्टी पर जायें और एक आफिशिएटिंग गवर्नर आये। जो पश्चिम बंगाल का मंत्रिमंडल है वह उसको नीति वक्तव्य बना कर दे देगा और वह उसको पढ़ेगा।

$ अध्यक्ष महोदय की प्रतिक्रिया 'यह सबको स्वीकार्य है। इस पर कोई विवाद नहीं है' पर अपने विचार प्रकट करते हुए।

प्रेस : लोकतंत्र का आधार स्तंभ*£

अध्यक्ष महोदय, यहां पर घोषणा की गई है कि नये प्रेस कमीशन का निर्माण किया जायेगा। तो इस वक्त केवल नया प्रेस कमीशन कायम करके जो बीमारियां हैं उनको दूर नहीं किया जा सकता है। इस वक्त हमारे प्रेस के ऊपर दो बड़े संकट हैं। एक सरकारी नियंत्रण का और दूसरा बड़ी पूंजी के नियंत्रण का। कभी-कभी एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए मंत्री महोदय बड़ी पूंजी के नियंत्रण की तो चर्चा कर देते हैं लेकिन उनके स्वयं की ओर से जो नियंत्रण सारे अखबारों पर रखा जा रहा है और उससे जो प्रेस की स्वतंत्रता खत्म हो रही है क्या उसकी ओर भी ध्यान दिया जायेगा? मैंने यहां पर एक व्यक्ति पूजा, पर्सनैलिटी कल्ट का सवाल उठाया था और मैंने कहा था कि हिन्दुस्तान के अखबारों में यह प्रधान मंत्री की ताईद करो, यह सारे इश्तिहार छपे कैसे? आज मैं राज्य मंत्री से सीधा जवाब चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि जब कभी अखबारों के विज्ञापन दिए जाते हैं तो जिस विज्ञापन एजेंसी के द्वारा यह विज्ञापन मिलते हैं उसका नाम उस पर होना चाहिए। लेकिन इस विज्ञापन पर नाम है, स्पान्सर्ड बाई ए ग्रुप आफ यंग बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, यह लिखा है। तो क्या वजह है कि विज्ञापन एजेंसी का नाम इस इश्तिहार में नहीं छापा गया? किसी एजेंसी के द्वारा यह विज्ञापन मिला है उसका माननीय मंत्री जी खुलासा करें।

दूसरी बात क्या यह सही नहीं है कि जो इश्तिहार होते हैं उनके बारे में एक परिपाटी है कि राजनैतिक नेताओं के चित्र, उनकी तस्वीरें उसमें नहीं छापी जायेंगी? इसके बारे में मुझको पता लगा कि बम्बई के '*टाइम्स आफ इंडिया*' ने पूछा कि यह विज्ञापन छपने के पहले इस तरह की परिपाटी है कि नेताओं की तस्वीर नहीं दी जाती हैं तो क्या 'प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो' से हमको इस तरह की अनुमति मिलेगी? यह मामला इनके ब्यूरो के पास आया और मुझे पता चला है कि प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो ने कहा है कि तस्वीर होते हुए भी यह विज्ञापन आप दे सकते हैं। तो इस बात का भी मैं खुलासा चाहता हूँ। फिर किस मुंह से आप प्रेस स्वातंत्र्य की बात करेंगे जब आपमें आलोचना सहन करने की शक्ति नहीं है, टीकाटिप्पणी सहन करने की शक्ति नहीं है? इसलिए मैं बहुत गंभीर चेतावनी देना चाहता हूं—आज पी.टी.आई., समाचार भारती, यू.एन.आई., ये एजेंसियां दिन प्रतिदिन सरकार के अनुदान पर निर्भर होती चली आ रही हैं। नतीजा यह होगा कि उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी मांगों के बारे में, उनकी स्वतंत्रता के बारे में कोई विचार नहीं होगा। अन्त में समाचार भारती के बारे में मैं एक वाक्य कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा। समाचार भारती के कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनके बारे में मैं मंत्री महदोय को लिख चुका

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 28 अगस्त 1969.

£ प्रेस परिषद (संशोधन) विधेयक, 1969 पर चर्चा के दौरान विचार प्रकट करते हुए।

हूँ। समाचार भारती की हालत अच्छी नहीं है। सरकार ने काफी रुपया करीब-करीब 19 लाख रुपये तक देने का वायदा किया है। तो ऐसी हालत में क्या वजह है कि समाचार भारती का काम ठीक तरह नहीं चल रहा है? जो नियुक्तियां की जाती हैं उसमें कर्मचारियों को बताया नहीं जाता है कि उनकी सेवा की शर्तें क्या होंगी, उन्हें किस ग्रेड में रखा जायेगा और जिस ढंग से यह खबरें वगैरह प्रकाशित की जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, समाचार भारती की विदेशों में कोई प्रतिनिधि नहीं है लेकिन आल इंडिया रेडियो से खबरें लेकर अपने नाम से प्रसारित करने का काम किया जाता है। मेरे पास इसके सुबूत हैं, अगर आप इजाजत दें तो मैं सदन के टेबल पर रखने के लिए तैयार हूं। क्या मंत्री महोदय इस चीज की भी जांच करेंगे कि सरकार जब इन एजेंसियों की मदद कर रही है, तो उसका नतीजा यह होता है कि कर्मचारियों की स्वतंत्रता, लिखने की स्वतंत्रता या तनख्वाहों आदि की सुविधाओं की शर्तें—इनके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। बल्कि सरकार के गीत गाकर ये लोग अपना गुजर करते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि अगर सचमुच आप प्रेस की स्वतंत्रता चाहते हैं तो केवल नये प्रेस कमीशन की नियुक्ति से काम नहीं बनेगा, इन सारी चीजों के बारे में आपको खुलासा करना पड़ेगा।

*** *** ***

*प्रेस काउंसिल के बारे में सूचना मंत्रालय द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको सदन अस्वीकार करे यह संकल्प में रखना चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

> "This House disapproves of the Press Council (Amendment) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 3 of 1974) promulgated by the President on the 28th June, 1974."

वास्तव में इस अध्यादेश का मकसद बहुत ही सीमित है। चूंकि यह प्रेस काउंसिल का सवाल है इस वास्ते आपकी अनुमति से उसके कार्यों के बारे में मैं कुछ निवेदन करूंगा। इसको इसलिए बनाया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता को हम लोकतंत्र की बुनियाद मानते हैं और इसलिये अगर प्रेस काउंसिल कारोबार ठीक नहीं चलेगा तो प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। विगत कुछ महीनों में प्रेस की स्वतंत्रता पर सरकार तेजी से आक्रमण कर रही है। बिहार में 'सर्चलाइट' और 'प्रदीप' नाम के अखबार हैं चूंकि ये अखबार सरकार विरोधी समाचार छापते हैं, जन-आन्दोलन के बारे में सूचना-केन्द्र छापते हैं इसलिए बिहार की सरकार ने इनको अपनी सूची से हटा लिया और इनको विज्ञापन देना भी बन्द कर दिया। अफसोस की बात है कि हमारे केन्द्रीय मंत्री ने जिनकी सरकार का बहुमत इस सदन में भी है और बिहार में भी है इस संबंध में बिहार सरकार को कोई हिदायत नहीं दी कि आप यह बहुत गैर मुनासिब काम कर रहे हैं और अखबारों के साथ आपको इस प्रकार का विषम-व्यवहार नहीं करना चाहिये। अगर सरकार विरोधी अखबारों को इस तरह तंग किया जाएगा, उनको विज्ञापन देने से सरकार इन्कार करेगी तो इसका मतलब होगा कि संविधान में जो समान व्यवहार का और कानून के समान संरक्षण का आपने जो आश्वासन दिया है उसका भी उल्लंघन होगा और अन्ततोगत्वा सभी सम्पादक और प्रोपराइटर समझने लगेंगे कि इंद्र गुजराल और अब्दुल गफूर की चापलूसी करो, तभी जाकर हमें विज्ञापन मिलेगा। यह बहुत अनुचित काम आप कर रहे हैं। मैं आशा करता हूँ कि इसका आप अपने उत्तर में कुछ खुलासा करें।

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 29 अगस्त 1974.

इसी तरह मंत्री महोदय जिस सूबे से आते हैं उस सूबे के एक सम्पादक और प्रोपराइटर ने मुझे यह पत्र भेजा है कि जिसमें उन्होंने 'हिन्द समाचार' और 'पंजाब केसरी' नाम के जो दैनिक पत्र जालंधर से निकलते हैं उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार पंजाब की सरकार ने किया है, उसका विवरण दिया है। मैं आपको इसमें से थोड़ा सा पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है:

> "*Hind Samachar* was sanctioned an electric connection for 9.528 KW by the Punjab State Electricity Board since 1969.
>
> On 7 April 1971, a requisition for an increase of 26.920 KW load was made to the State Electricity Board for running a new Web Offset Rotary machine imported from U.S.A. A security of Rs. 640 as demanded by the Board in respect of the above requisition was deposited and an agreement duly executed in this behalf was also tendered. The above increase of load was sanctioned by the Chairman, Punjab State Electricity Board..."

उसके बाद वे कहते हैं:

> "On 18 May 1973, we applied for further extension of 25.420 KW electric load *vide* our requisition dated 18 May 1973. A further sum of Rs. 520 was deposited as security and the agreement duly executed was tendered in this behalf..."

उसी तरह आगे वह कहते हैं:

> "On 8 August 1973, we received a letter from the S.D.O. Electricity, Civil Lines, Jullundur with reference to our above application that the load checked at site was 74.600 KW and directed us to apply for further extension to regularise the existing load of 74.600 KW..."

आवश्यकतानुसार बिजली वे अधिक कंज्यूम करने लगे। इसके लिए जितने भी बिल्स आते थे उनको बराबर वे चुकता करते रहे, किसी तरह के एरियर्स वगैरह नहीं थे। बाद में पंजाब की सरकार ने आक्षेप उठाया कि आप बहुत ज्यादा बिजली कंज्यूम कर रहे हैं। उसका नतीजा हुआ कि उन्होंने बिजली के कनैक्शन को तोड़ दिया। अभी अभी मेरे एक मित्र जालंधर होकर आए हैं। उन्होंने मुझे यह सूचना दी है कि ट्रैक्टर की पावर का वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। मशीनें वगैरह चलाने के लिये। मेरा कहना यह है कि इस सरकार के पास कितने विवेकाधीन अधिकार डिसक्रीशनरी पावर्स हो गए हैं कि अगर किसी अखबार को ये पसन्द नहीं करेंगे, अगर कोई अखबार इनके खिलाफ टीका टिप्पणी करेगा, आलोचना इनकी करेगा तो या तो ये किसी की बिजली काट सकते हैं, किसी का परमिट छीन सकते हैं, किसी को विज्ञापन देना बन्द कर सकते हैं और पचासों प्रकार से इन लोगों को ये तंग कर सकते हैं। इसीलिए रेलवे के इश्तिहारों के बारे में आप तफसील देने के लिए तैयार नहीं हैं। विज्ञापन देना, बिजली देना क्या अखबारों को गुलाम बनाने का आपने साधन बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय पूरी शक्ति के साथ पंजाब सरकार, बिहार सरकार तथा अन्य सरकारों को यह हिदायत दें कि प्रेस के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार वे न करें।

एक दूसरा भी मामला अभिव्यक्ति से संबंधित है, उसकी स्वतंत्रता के साथ संबंधित है। प्रेस-काउंसिल में यह शायद नहीं आएगा। आजकल सॉंग एण्ड ड्रामा डिवीजन इनके तहत है। कई बार मैं अर्ज कर चुका हूं कि यहां जो भी प्लेस आदि किए जाते हैं, उनके ऊपर दिल्ली प्रशासन के द्वारा पचास तरह के बंधन लादे जाते हैं। सखा राम बाइंडर, घासी राम कोतवाल के लिए उन्होंने इंटरटेनमेंट टैक्स भी माफ नहीं किया। 'अब्दुल्ला दीवाना' नाम का एक नाटक था। उसके लिए भी फी माफ नहीं की क्योंकि 'अब्दुल्ला दीवाना' में कमिटेड ज्यूडिशरी के बारे में उन्होंने कुछ आलोचना की थी। बकरी नाम का एक प्रयोग चला था कि गांधी जी की बकरी की आड़ में कैसे इनका भ्रष्टाचार चलता है। इसका उसमें विवरण था। उसके लिए भी इन्होंने इंटरटेनमेंट टैक्स माफ़ नहीं किया।

*** *** ***

प्रेस काउंसिल क्यों है? फ्रीडम आफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। अभिव्यक्ति के कई साधन हैं। प्रेस एक उसमें से जबर्दस्त साधन है। लेकिन नाटक भी एक बहुत बड़ा साधन है। इनका प्रकाशन ऐसा है कि 'एनीमी आफ दी पीपल' नाम के नाटक का प्रयोग हो रहा था तो उसके ऊपर भी इन्होंने रोक लगाई और कहा कि आपने स्क्रिप्ट नहीं भेजा है। आप जानते हैं कि 'एनीमी आफ दी पीपुल' नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? 'इकसन' ने सौ साल पहले लिखा था। इनका नाम इसके अफसरों ने सुना भी नहीं होगा। ऐसे नाटक पर भी पाबन्दी लगा दी और इंटरटेनमेंट टैक्स माफ नहीं किया। एक नाटक है 'गालिब के उड़ेंगे पुर्जे'। उसमें वर्तमान जो ढांचा है, बहादुर शाह हुए हैं इन सब पर व्यंग्य वगैरह था। ये कितने सैंसेटिव बन गए हैं कि तत्काल इनके प्रशासकों के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई—और कहा गया कि आपको थियेटर नहीं मिलेगा, आपका इंटरटेनमेंट टैक्स माफ नहीं किया जायेगा। अभी-अभी एक कलाकार मेरे पास आया था। उसने कहा कि 'मदर' नाम का कोई प्ले है। मैंने तो यह पढ़ा नहीं है। अब 'हेमलेट' है 'हेमलेट' के बारे में भी कहा कि 14 दिन के पहले आपने स्क्रिप्ट नहीं दी। तो हेमलेट के लिए भी इजाजत चाहिए जो 'शेक्सपीयर' ने चार सौ साल पहले लिखा होगा? 'एनीमी आफ दी पीपुल' के लिए भी चाहिए। तो यह इंद्र कुमार गुजराल का मंत्रालय असल में बंटा हुआ है मिनिस्ट्री आफ कल्चरल अफेयर्स में, कुछ शिक्षा विभाग में आता है और कुछ इसके तहत आता है।

*** *** ***

तो दिल्ली में, इस राजधानी में, आज संस्कृति और सभ्यता की हालत क्या हो गई है? क्या मनोदशा है इस सरकार की और इनके प्रशासकों की इसके ऊपर मैं रोशनी डाल रहा हूँ। इसके बारे में ड्रामेटिक परफोरमैंसेज के एक्ट में संशोधन के बारे में प्राइवेट मैम्बर्स विधेयक की भी एक सूचना मैंने दी है और आपके साथ बात भी की है। उसी बिल को देख लीजिएगा और सारे कानून को भी। मेरा समय आधा घंटा तो है, लेकिन मैं ज्यादा समय इस पर लेना नहीं चाहता हूँ। जो मुद्दे मैंने उठाए हैं उन सारे मुद्दों पर मंत्री महोदय प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

प्रेस की स्वतंत्रता पर कुठाराघात*£

सभापति महोदय, श्री इन्द्र कुमार गुजराल के मंत्रालय की रपट मैंने गौर से पढ़ी और बोर्ड आफ फिल्म सेन्सर्ज के बारे में इसमें मुझे बहुत मजेदार बातें मिलीं। इसके पृष्ठ 35 पर लिखा गया है कि—

> "Twelve appeals were received by Government against the decision of the Board in respect of 12 feature films. In the case of 9 films the Government found justification for revising the decision of the Board. Three cases are still pending with Government."

इतना होने के बाद आगे कहा गया है—

> "In view of the growing tendency to depict violence, sex, and vulgarity in films, Government have asked the Board to be more strict in censorship."

यानी 12 अपीलें आती हैं और 9 अपीलों में उनके पक्ष में आप फैसले करके मान लेते हैं। ऐसी हालत में फिर सेन्सर बोर्ड को आप कहते हैं कि उनको कड़ाई से काम लेना चाहिये। तो क्या इन्द्र गुजराल साहब 20वीं सदी के मोहत्सिब बनना चाहते हैं? औरंगजेब के जमाने में मोहत्सिब का ओहदा होता था, जिसके बारे में जदुनाथ सरकार की किताब में लिखा है—

> "It was the duty of the *Muhtasib* to regulate the lives of the people in strict accordance with the Quranic rules, and to enforce the Prophet's commands by putting down the drinking of distilled spirits, *bhang* and other liquid intoxicants..."

*** *** ***

उन्होंने अपनी किताब में लिखा है—

> "... and to enforce the Prophet's commands by putting down the drinking of distilled spirits, *bhang* and other liquid intoxicants, gambling and the practice of immorality as a profession or in public. The punishment of heretical opinions, blasphemy against the Prophet, and neglect of the five daily prayers or of the fast during the month of Ramzan, also lay within his province."

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 28 मार्च 1974.

£ सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान।

मैं जानना चाहता हूं—क्या औरंगजेब की तरह इन को पब्लिक-मोरल्ज में सेन्सर करने का काम भी इस सरकार के तहत मिला है।

*** *** ***

*मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि औरंगजेब के जमाने में संगीत पर पाबन्दी लगाई गई, इससे जो संगीतकार थे, वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने संगीत का एक जनाजा निकाला उस समय औरंगजेब साहब नमाज के लिये जामा-मस्जिद में जा रहे थे, भीड़ देखकर रुक गये। उन्होंने पूछा यह हलचल कैसी है? लोगों ने कहा कि संगीत का जनाजा निकाला गया है। उन्होंने बड़ी गम्भीर मुद्रा में कहा कि इसको ठीक तरह दफनाने का काम किया जाये। तो क्या मंत्री महोदय इसी तरह अपने मंत्रालय को भी चलाना चाहते हैं? "हिन्दुस्तान हमारा" एक फिल्म थी। कुछ लोगों ने हल्ला किया तो मंत्री महोदय दबाव में आ गये और उस पर रोक लगा दी गई। हां, बाद में आपने जो थोड़ा-बहुत परिवर्तन किया, वह दूसरी बात है।

इसी तरह यहां "घासी राम कोतवाल" का हिन्दी संस्करण चल रहा था, जिसमें ब्राह्मणों की कुछ आलोचना की गई थी। यह विजय तेंदुलकर का नाटक था। दिल्ली प्रशासन ने इस नाटक को एन्टरटेनमेंट टैक्स की छूट देने का काम नहीं किया। दिल्ली प्रशासन को मैंने इसके बारे में पत्र भी लिखा है लेकिन आज तक उनका कोई जवाब नहीं आया है। पिछली बार मेरा ख्याल है प्रेस कौंसिल पर जब बहस चल रही थी तो मंत्री महोदय ने मदर इंडिया के बारे में कहते हुए यह जवाब दिया कि हमारे दबाव में उनके इश्तहार, विज्ञापन बन्द नहीं हुए हैं। तो जो पूंजीपति लोग हैं उनके मन में मॉरैलिटी के बारे में, आब्सीनिटी के बारे में बहुत अच्छे विचार आ गए और उन्हीं विचारों को लेकर मदर इंडिया के विज्ञापनों को एक साथ एक ही महीने में बन्द करवाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं इन चीजों के बारे में क्या मंत्रालय की कोई नीति है या किसी का भी दबाव आ गया तो हंसी मजाक, हास्य विनोद सब के ऊपर यह पाबन्दी लगाने वाले हैं?

अभी-अभी वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा था कि जिन रेडियो सेट्स का दाम 225 रुपए या उससे कम है उनके ऊपर मैं उत्पाद शुल्क बिलकुल खत्म करने जा रहा हूं ताकि साधारण लोगों को भी संगीत का मजा लेने का मौका मिले। जब आप लोगों ने एक्साइज ड्यूटी को खत्म किया है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं क्या आप दो काम करेंगे? पहला काम यह कि जो रेडियो लाइसेंसिंग की प्रथा है जिसके चलते लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है—मुझे पता नहीं कितनी आमदनी होती है, किसी न किसी दूसरे रूप में उसको ले लीजिएगा—लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर परिवार के पास कम से कम एक रेडियो सेट हो तो मेरा सुझाव है कि लाइसेंसिंग फीस को बिल्कुल माफ कर देना चाहिए। दूसरा काम यह है कि रेडियो पर जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं उनमें कुछ मौलिक परिवर्तन करने की जरूरत है: सवेरे जब कभी हम रेडियो गलती से लगा देते हैं तो राम, कृष्ण और भजन के चलते हम बिल्कुल तंग आ जाते हैं। ... क्योंकि उसमें संगीत का मजा बिलकुल नहीं आता है। आप जबरदस्ती लोगों को ईश्वर परायण बनाने की जो चेष्टा कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अगर भजनों का कार्यक्रम रखना

* श्री एस.ए. शमीम, सांसद द्वारा यह पूछने पर कि 'इनका औरंगजेब कौन है'? का जवाब देते हुए।

ही है तो आप एक चैनल में रखें लेकिन बाकी चैनल्स के ऊपर हिन्दुस्तानी या कर्नाटक संगीत के अच्छे प्रोग्राम रखने का काम करें ताकि बाकी लोगों की जो अभिरुचि है, उसको भी सुधारने का आप प्रयास कर सकें लेकिन आज वह नहीं हो रहा है और जबरदस्ती दिन रात भजन सुनते-सुनते हम तंग आ गए हैं।

इनके मातहत प्रेस समाचार पत्रों का भी मामला है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यह समाचार पत्रों की प्रेस स्वतंत्रता की दुश्मन है और इनका जो प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो है जिसमें जासूस तक पकड़े गए हैं, मेरी मांग है कि प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो को तत्काल बर्खास्त किया जाये और उसके ऊपर जो खर्चा हो रहा है वह कम से कम बचाने का काम किया जाये। इन्होंने पी.आई.बी. के बारे में क्या कहा है:

> "The Press Information Bureau is the agency through which the Government maintains a continuous dialogue with the Press."

यह इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया है, होना चाहिए:

> "seeks to brainwash journalists and the press and, indirectly, through this medium, the people."

असल में यह होना चाहिये। यह इनका काम चल रहा है। इसलिए प्रेस स्वतंत्रता के ऊपर कुठाराघात करने का काम इनका मंत्रालय और पी.आई.बी. लगातार करते हैं। इसमें यहां तब बात आई है कि सरकार के लिए जो ऐसे प्रश्नों के उत्तर हैं जो एम्बैरेसिंग मालूम होते हैं, उनको दबाने का काम भी पी.आई.बी. ने किया है लेकिन बाद में उन्होंने इनकार किया है। इसलिए मेरा पहले से सुझाव है कि जिनको प्रेस स्वतंत्रता से लगाव है, शहरी आजादी से लगाव है, ऐसे किसी मंत्री के हाथ में इस काम को देना चाहिए।

'*इलस्ट्रेटेड वीकली*' का मामला आया था, मंत्री महोदय ने क्या किया इसके बारे में? इनके ऊपर वारन्ट था और दूसरे आपके जो साथी थे जम्मू के, श्री बलराज दुपुरी, उनके ऊपर वारन्ट था। '*इलस्ट्रेटेड वीकली*' की कापियां जब्त की गईं। इसके बारे में भी इनको कुछ करना चाहिए था लेकिन इन्होंने चुप्पी साधने का काम किया।

छोटे अखबारों की जो बात है, जो सरकार विरोधी हैं, प्रतिपक्ष साप्ताहिक निकलते हैं, उनमें इधर बिलकुल न्यूजप्रिन्ट कोटा नहीं मिल रहा है लेकिन ऐसे तथाकथित छोटे अखबारों को मैं जानता हूं जो अपना न्यूजप्रिन्ट काले बाजार में बेचने का काम करते हैं। इनका ध्यान मैं '*नवभारत*' *दैनिक* पत्रों की ओर खींचना चाहता हूं। यह नागपुर आदि और मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों से प्रकाशित होते हैं। इसके जो मालिक हैं वह बड़े अमीर आदमी हैं। उन्होंने वेज बोर्ड के निर्णयों पर अमल नहीं किया है, कानून की अवहेलना की है लेकिन चूंकि इसके ऊपर अमल करने का काम राज्य सरकारों का आता है और राज्य सरकारें इसके बारे में कुछ नहीं कर रही हैं, '*नवभारत*' के जो पत्रकार हैं वे रो रहे हैं। यहां '*समाचार भारती*' की एजेन्सी है, क्या मंत्री महोदय इसकी जानकारी रखते हैं कि 18 महीनों से इन लोगों को मंहगाई भत्ता तक नहीं मिला है? तो मंत्री महोदय आखिरकार इन पत्रकारों को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं?

अभी-अभी *सर्चलाइट* का काण्ड हुआ। कोई यह कह सकता है यह बिड़ला का अखबार है। लेकिन उससे मुझे मतलब नहीं है। अगर वहां कोआपरेटिव बनाकर वह चलाना चाहते हैं तो मैं उसका समर्थक हूं लेकिन 300 परिवार आज बेकार हो गए हैं। मैंने पटना में जाकर स्वयं *सर्चलाइट* को देखा, उनकी मशीनरी, उनका न्यूजप्रिंट का स्टाक सब कुछ जला दिया गया और सरकार ने मदद तक नहीं की। फायर ब्रिगेड भी खामोश रहा, बिल्कुल निष्क्रिय रहा। फायर ब्रिगेड ने उस आग को बुझाने का कोई काम नहीं किया। इसलिए मैं जानना चाहता हूं इसके बारे में मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं? *सर्चलाइट* पत्र जल्दी चालू हो, क्या इसके लिए मशीनरी आदि मंगाने के बारे में आर्थिक सहायता दी जायेगी और तीन सौ परिवारों की बेकारी का जो मामला है उसको सुलझाने का प्रयत्न किया जायेगा?

मैं एक अर्से से मंत्री महोदय से कह रहा हूं कि पेज प्राइस शेड्यूल की जगह पर रीडिंग मैटीरियल और एडवर्टीजमेंट का रेशियो कायम करने वाला कोई विधेयक दोबारा एटार्नी जनरल आदि से मश्विरा करके लाने का प्रयास करेंगे जिससे लोगों को पढ़ने के लिए खबरें, लेख साहित्य आदि ज्यादा मिल सके और एडवर्टीजमेंट का जो मामला है, वह कम हो सके? एडवर्टीजमेंट के बारे में मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि यह जो विदेशी कम्पनियां हैं वह विज्ञापनों का इस्तेमाल अखबारों की नीति को प्रभावित करने के लिए करती हैं लेकिन उसके ऊपर मंत्री महोदय का बिलकुल भी ध्यान नहीं है।

अन्त में मुझे दो बातों को और कहना है। इनके मंत्रालय के बारे में बहुत सारी शिकायतें मैंने की हैं। गुप्ते साहब शायद आपके कृपा-पात्र हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मैंने इसके बारे में एक लम्बा-चौड़ा आवेदन पत्र भी प्रधान मंत्री के पास भेजा है लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि टी.वी. और रेडियो के बारे में जो भी आप कार्यक्रम रखते हैं, आप जानते हैं कि उसका इस्तेमाल भी ऐसे पत्रकारों को प्रोत्साहन देने के लिए या उनका दिमाग बदलने के लिए किया जाता है कि बराबर तुमको रेडियो और टीवी के प्रोग्राम मिलेंगे अगर सरकार के खिलाफ लिखने का काम बन्द रहेगा। क्या आपने विरोधी दलों में से भी किसी को कभी बुलाया है? इतने वर्षों से मैं यहां पर हूं आपने मुझे कभी नहीं बुलाया है। श्री ज्योतिर्मय बसु को आपने कभी बुलाया हो तो मुझे पता नहीं। आप कभी-कभी इस तरह के कार्यक्रम टीवी और रेडियो पर क्यों नहीं रखते हैं?

What is wrong with our election system?

What is ailing the Information & Broadcasting Ministry and the Minister?

इस तरह की बहसें भी होनी चाहिएं। सरकार के जो करारे टीकाकार और आलोचक हैं उनको भी अपना दृष्टिकोण रखने का मौका देना चाहिए। आप मुझे न बुलायें, यह सवाल नहीं है लेकिन दूसरे विरोधियों को भी बुलाने का आप काम नहीं करते हैं। तो क्या आप चाहते हैं रेडियो और टीवी पर केवल चमचे लोगों का ही कार्यक्रम हो या चमचे बनाने के लिए ही इस तरह के काम किए जाते हैं—इसका भी जवाब मैं आपसे चाहता हूं।

मणिपुर में लोकतंत्र की स्थापना*£

अध्यक्ष महोदय, मैं अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें:

> "संसद के एक पुराने समर्थकारी अधिनियम के अंतर्गत उड़ीसा निवारक निरोध अधिनियम को, ऐसी स्थिति में जबकि उड़ीसा अधिनियम का अस्तित्व ही नहीं था, मणिपुर पर लागू करने वाली अधिसूचना की ओर, जिसके द्वारा विधि बनाने के मामले में संसद के प्राधिकार की अपेक्षा की गई।"

अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के दो पहलू हैं—एक पहलू का ताल्लुक मणिपुर की जनता से है और दूसरे पहलू का ताल्लुक पार्लियामेन्ट के अधिकारों से है। जहां तक मणिपुर की जनता का सवाल है, इस सरकार ने गैर-मुनासिब ढंग से पिछले वर्ष मणिपुर में राष्ट्रपति शासन जारी किया जबकि संयुक्त मोर्चे का असेम्बली में बहुमत था और वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए वे तैयार थे और जनता की इच्छा थी कि वैकल्पिक सरकार बने। लेकिन आपने मणिपुर में जो सीमित स्वायत्तता थी यूनियन टेरिटरीज एक्ट के तहत उसको भी खत्म कर दिया और जनता की जो मांग है कि मणिपुर के लोगों को अलग राज्य का सम्पूर्ण दर्जा दिया जाये, सेप्रेट स्टेट का, उस मांग को भी आपने ठुकरा दिया। जहां लोग विद्रोही बनते हैं उनके साथ आप समझौता करते हैं और उनको अलग राज्य का दर्जा दे देते हैं जैसे कि नागालैंड को आपने दिया। अब इसका नतीजा यह हो रहा है कि मणिपुर के जो युवक लोग हैं उनमें ऐसी हताशा और निराशा सरकार के इस रवैये को लेकर उत्पन्न हो रही है कि अब वे लोग सोचने लगे हैं—एक तो यह कि हथियार हाथ में लिये बिना हमारा सवाल हल नहीं होगा और दूसरे यह कि हिन्दुस्तान के संविधान के तहत हमारी मांगों पर यह सरकार विचार नहीं करेगी। इसका क्या मतलब होता है? यानी आप हथियारी बलवे के लिए, विद्रोह के लिए जनता को उकसा रहे हैं। आप मजबूर कर रहे हैं कि उनमें ऐसी भावना उत्पन्न हो कि वे हिन्दुस्तान छोड़कर चले जाएं। और इसका एक लोकतांत्रिक पहलू यह है कि आप हिन्दुस्तान की एकता को खत्म करने का काम कर रहे हैं और मणिपुर में लोकतंत्र की प्रस्थापना करने से इंकार कर रहे हैं।

इसके दूसरे पहलू का संबंध पार्लियामेंट के अधिकारों से है। पार्लियामेंट ने कानून बनाया था जोकि पिछले साल खत्म हुआ लेकिन उस कानून को बढ़ाने के लिए नया विधेयक लाने की हिम्मत

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 8 मई 1970।

£ उड़ीसा निवारक निरोध अधिनियम को मणिपुर पर लागू किये जाने पर अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा शुरू।

इनकी नहीं हुई क्योंकि ये जानते थे कि पार्लियामेंट का बहुमत इसके खिलाफ है और यदि कानून लायेंगे तो बावजूद इसके कि कुछ दल इनका सहयोग कर रहे हैं लेकिन इस विधेयक के बारे में सब लोगों की एक राय थी और इसलिए उस पर सरकार हार जाती। डर के मारे यह भीरू सरकार उस विधेयक को सदन के सामने नहीं लाई। ऐसी हालत में जो काम सीधे ढंग से आप नहीं कर सकते हैं उसको आप अप्रत्यक्ष ढंग से करना चाहते हैं और उसके लिए आपने क्या रास्ता निकाला? सन् 1950 में हमने यहां पर यह कानून बनाया कि जो केन्द्र शासित इलाके हैं उनमें अन्य राज्यों के कानूनों को लागू किया जाये लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि सेक्शन (2) में तो जो पोस्ट फैक्टो लॉज़ है उनके लिए हमने आपको अधिकार दिया न कि उसके बाद, पांच साल, दस साल, बीस साल या सौ साल के बाद जो कानून बनेंगे जिनकी पार्लियामेन्ट को कोई कल्पना भी नहीं थी, ऐसे मिला है? क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है, समरू वर्सेस पांडिचेरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है कि जिस इलाके में जो असेम्बली है—मणिपुर की असेम्बली चूंकि आपने खत्म कर दी इसलिए पार्लियामेंट है तो उसके अधिकारों को जब आप छीन लेते हैं—मैं एक वाक्य का कोटेशन उसमें से देता हूँ:

> "where there is abdication or effacement the legislature concerned in truth and in fact acts contrary to the Instrument which constituted it and the statute in question would be void and still-born."

इसलिए आपको पार्लियामेन्ट की इजाज़त के बिना सन् 1950 के कानून के सेक्शन (2) के तहत सभी ऐसे लोकतंत्र विरोधी कानूनों को लागू करने का कोई अधिकार नहीं था।

इसके साथ-साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि 17 नौजवानों को इस कानून के तहत बन्द करके रखा है? उसके बारे में भी आप जानकारी दें और सदन की भावना का आदर करते हुए इस सदन को आश्वासन दें कि जो कानून लागू किए हैं उनको रद्द करेंगे और पार्लियामेन्ट को विश्वास में ले करके जो कार्यवाही करनी है वह करेंगे। अच्छा होगा कि मणिपुर को अलग सम्पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए और उसके साथ लोकतंत्र के काम करके मणिपुर की जनता की जो इच्छा है उसका आदर करें।

*** *** ***

मैं तो 1967 के जजमेंट को रैफर कर रहा हूँ, जो लेटेस्ट है।

1967 के जजमेंट के बारे में आपको क्या कहना है?

£सबसे पहले मैंने कहा कि 1967 का अंतिम निर्णय हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि लेजिस्लेचर अपनी जिम्मेदारी को इस तरह दूसरों पर डालकर इफेस नहीं कर सकता। इसका मंत्री जी ने कोई जवाब नहीं दिया।

£ श्री विद्याचरण शुक्ल, गृह राज्य मंत्री के यह कहने पर कि "माननीय सदस्य से और दलों से बात करके वहां ऐसी परिस्थिति पैदा करने की कोशिश करें जिससे ऐसे कानून की जरूरत ही न पड़े" का जवाब देते हुए।

दूसरा सवाल मैंने पूछा कि क्या 17 लोगों को आपने जेल में डाल दिया है इस कानून के तहत। और तीसरा प्रश्न यह था कि जब पार्लियामेंट के सामने कानून रखने के लिये तैयार नहीं थे तो अप्रत्यक्ष ढंग से उड़ीसा का कानून क्यों लागू करते हैं। यहां आपने कानून क्यों नहीं रखा?

*** *** ***

उसके लिये आई.पी.सी. के अन्दर आप को अधिकार है।

उत्तर प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता का संकट*£

अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश में जो घटनायें घटी हैं उनसे एक बात बिलकुल साफ हो जाती है कि वहां खुलकर संविधान की हत्या की गई है और लोकतंत्र का गला काटा गया है।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के द्वारा राष्ट्रपति जी को जो पत्र लिखा गया है उसकी ओर इस सदन का ध्यान नहीं गया है। यदि उस पत्र को ठीक तरह यह सदन देखेगा तो उसे पता चलेगा कि उसमें ऐसे सिद्धांतों का निरूपण किया गया है कि जो लोकतंत्र प्रणाली में और हमारे संविधान के बिलकुल खिलाफ है। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो जुमले गवर्नर साहब के पत्र से आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ—

> "The resignation gives detailed reasons and is coupled with the recommendation that I should request you to exercise your powers under article 356 of the Constitution and to take over the administration of the State for a temporary period."

आगे चलकर गवर्नर साहब श्री कमलापति त्रिपाठी की इस सिफारिश को स्वीकार करते हैं और कहते हैं—

> "There is one other aspect of the matter. The advice as to the alternative arrangements having been tendered by the Council of Ministers while continuing to enjoy an absolute majority in the Legislative Assembly, I should be loath to reject it except for compelling reasons."

इसका मतलब है कि श्री कमलापति त्रिपाठी को राष्ट्रपति शासन जारी करने की सिफ़ारिश करने का अधिकार है—यह गवर्नर साहब मानते हैं और इतना ही नहीं, चूंकि त्रिपाठी सरकार का विधान सभा में बहुमत था, इसलिए उनकी सिफारिश को मैं ठुकरा नहीं सकता, यह भी गवर्नर साहब कहते हैं। कुछ साल पहले स्पीकर्स कान्फ्रेन्स हुई थी और इसके बारे में अब दो राय नहीं हैं कि बहुमत वाली सरकार का मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की सलाह से विधान सभा को बर्खास्त करके नये चुनाव कराने की सलाह राज्यपाल को दे सकता है। राज्यपाल को वह सलाह माननी पड़ेगी। इंग्लैंड में भी यही परिपाटी है और हमारे देश में स्पीकर्स कान्फ्रेंस ने और इस सदन ने भी कई बार इस सिद्धान्त को माना है। लेकिन अब यह कौन सा नया लोकतांत्रिक सिद्धान्त आ रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार समाप्त करो, संविधान की हत्या करो, लोकतंत्र का गला घोंटो,

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 9 अगस्त 1973.

£ उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा में भाग लेते हुए।

ऐसा कहने का मुख्यमंत्री को अधिकार है। ऐसी सलाह देने का मुख्यमंत्री को कबसे अधिकार प्राप्त हो गया? यह कौन सी परिपाटी है? क्या मंत्री महोदय इस बात का समर्थन करते हैं कि यह नई परिपाटी हमारे देश में अब कायम होने जा रही है कि लोकतंत्र को खत्म करने की सलाह भी मुख्यमंत्री दे सकते हैं—यद्यपि उनका राज्य विधान सभा में बहुमत हो।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं मानता हूँ कि राष्ट्रपति शासन जारी करने के लिए गवर्नर साहब ने यह जो मुख्य कारण बतलाया है कि बहुमत वाली सरकार के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया और इस्तीफा देते समय उन्होंने यह सलाह दी कि मैं राष्ट्रपति को सिफारिश करूं कि वह राष्ट्रपति शासन जारी करें—

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल लोकतंत्र विरोधी काम है और भविष्य में इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। मैं तो यह चाहूंगा कि राज्यपाल के इस काम के बारे में इस सदन में बाकायदा प्रस्ताव आना चाहिए और आपको हम लोगों को मौका देना चाहिए कि इसकी हम लोग निन्दा करें।

*** *** ***

...यह वैल ऐस्टेबलिश्ड कन्वेंशन है कि बहुमत वाले दल का मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट की सलाह से विधान सभा बर्खास्त करने और नये चुनाव कराने की राय दे सकता है। लेकिन किसी भी हालत में लोकतांत्रिक सरकार को समाप्त करने की सलाह वह नहीं दे सकता।

उत्तर प्रदेश में एक बात स्पष्ट हो गयी कि अब तक कहा जा रहा था कि यह जो मिली-जुली सरकारें हैं अनेक दलों की, यह स्वच्छ और स्थिर शासन नहीं दे सकती। एक दलीय सरकार ही यह कर सकती है, यह बेमतलब है। इंदिरा गांधी ने 1972 के चुनाव में और 1969 के मध्यावधि चुनाव में मतदाताओं से यह कहा कि चूंकि मिली-जुली सरकारें स्थिर शासन नहीं दे सकती हैं इसलिये एक दलीय शासन चाहिए, और अकेली कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो देश को एक दलीय शासन दे सकती है। आंध्र प्रदेश में एक दलीय शासन हुआ, उत्तर प्रदेश में इतना विशाल बहुमत विधान सभा में है कि आज किसी भी विरोधी दल से इस सरकार के अस्तित्व को खतरा नहीं है। लेकिन फिर भी राष्ट्रपति शासन आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में कायम किया गया है, जिससे स्थिर सरकार का नारा बिलकुल थोथा साबित हुआ है। अब मतदाताओं को समझ लेना चाहिए कि केवल एक-दल वाली बात भी निरर्थक साबित हुई है। राष्ट्रपति शासन से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी इतनी निकम्मी पार्टी है कि विशाल बहुमत देने के बाद भी वह सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। स्वच्छ और स्थिर शासन की बात तो अलग है।

उत्तर प्रदेश ने देश को तीन प्रधान मंत्री दिये और इसके एवज में उत्तर प्रदेश को क्या मिला? गरीबी और शोषण के अलावा कुछ नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय, केवल चार तथ्य, चार मुद्दे मैं उत्तर प्रदेश के बारे में रखना चाहता हूँ। पहला यह कि 1960 से 1970 तक ही के बीच में कांग्रेस सरकार और केन्द्र की सरकार ने उत्तर प्रदेश में निरक्षरों की संख्या में तकरीबन 90 लाख की वृद्धि करायी।

दूसरा यह कि उत्तर प्रदेश में फ़ी व्यक्ति जो औसत आमदनी है और भारत की जो फ़ी व्यक्ति औसत आमदनी है, दोनों की तुलना करेंगे तो भारत की औसत आमदनी से अधिक तो है ही नहीं, लेकिन 25 प्रतिशत उत्तर प्रदेश की पर केपिटा इन्कम अखिल भारतीय औसत से कम है, और यह घटती जा रही है। अध्यक्ष महोदय, 1960-61 में यह अनुपात 80 प्रतिशत था। आज यह घटकर 75 प्रतिशत हो गया। यानी पहले 20 प्रतिशत कम था आज 25 प्रतिशत कम है।

कांग्रेस की अयोग्यता के संबंध में मेरा तीसरा तर्क यह है कि उत्तर प्रदेश गेहूं, मक्का, अरहर और चीनी सबसे अधिक पैदा करता है तो देश की कृषि की समस्या के ऊपर उत्तर प्रदेश में क्या होता है उसका बड़ा असर होता है। लेकिन आखिर भारत में जो खेती के उत्पादन की वृद्धि की दर है, उससे उत्तर प्रदेश के उत्पादन वृद्धि की दर एक प्रतिशत कम रही है, और—

चौथी बात यह है कि विगत 18 सालों में जब से आर्थिक नियोजन शुरू हो गया केन्द्र के द्वारा जो सहायता विभिन्न राज्यों को दी गयी उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार का नम्बर सबसे आखिर में रहा। 99 रु. फ़ी व्यक्ति सहायता बिहार को 17 सालों में मिली और उत्तर प्रदेश को 101 रु., जब कि दूसरे राज्यों को 200, 250, 300, 350, 400 रु. दी गयी। तो इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की उपेक्षा की गयी।

केन्द्र में कांग्रेसी शासन रहा और 10, 12 महीने छोड़कर उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेसी प्रशासन या केन्द्र का राष्ट्रपति शासन रहा और उत्तर प्रदेश की इस बीच में यह हालत हो गयी। विगत 1, 2 वर्षों में विश्वविद्यालयों को भी चौपट कर दिया गया।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, इनकी कुव्यवस्था के कारण उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय चौपट हो गये। सभी जगह पुलिस, पी.ए.सी. और सी.आर.पी. लगा रहे हैं। जब पी.ए.सी. मुसलमानों को पीटती थी, छात्रों पर लाठी चलाती थी, मजदूर-आन्दोलन को दबाती थी, तब तक पी.ए.सी. के जवानों के बारे में कहा जाता था कि वे बड़े अनुशासित हैं। लेकिन जब उन्होंने आई.जी.पी. से ही प्रेरणा पाकर, उनकी सहानुभूति से अपनी एसोसिएशन बनाने का फैसला किया और अपने अधिकारों के बारे में वह जागरूक होने लगे, वह कहने लगे कि अफसरों के बूट पालिश करना हमारा काम नहीं है, अफसरों के जानवरों के लिये घास काटकर लाना हमारा काम नहीं है, सभाओं में इंदिरा गांधी जिन्दाबाद का नारा देना हमारा काम नहीं है, जब आगे यह कहा कि छात्रों पर बर्बरता के साथ हम लाठी नहीं चलायेंगे, अल्पसंख्यकों को नहीं पीटेंगे तो तत्काल कहा गया कि यह विद्रोही बन गये। और उनकी ओर से एक भी बयान अखबार में छपने नहीं दिया गया। पहली बार माननीय के.सी. पन्त के बयान से मालूम हुआ कि "विद्रोह" किया गया है।

अभी-अभी खाद के बारे में आपने सुना होगा कि फैज़ाबाद के डिपो में लाखों रुपये का गबन हुआ है, फर्टिलाइजर के बारे में मैं ऐसे पचासों मामले रख सकता हूं। मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन बातों के बारे में कोई खुलासा इनके पास है? और राष्ट्रपति शासन

लोकतांत्रिक सरकार की कभी भी जगह नहीं ले सकता है। इसलिये मेरी मांग है कि विधान सभा को जो निलम्बित आपने रखा है यह अच्छा नहीं है। आप विधान सभा को तत्काल बर्खास्त कीजिये, राज्यपाल को बदलिये क्योंकि उन्होंने संविधान की मानहानि की है और तत्काल उत्तर प्रदेश में चुनाव कराइये ताकि इस निकम्मी पार्टी को वहां से निकाल बाहर करने का मौका उत्तर प्रदेश की जनता को मिल सके।

सिक्किम में लोकतांत्रिक व्यवस्था*£

सभापति महोदय, हालांकि सरकार इस महत्वपूर्ण मामले में जल्दबाजी कर रही है और शायद कुछ भव्य-दिव्य करके जनता का ध्यान इस वक्त देश में जो आम आर्थिक संकट है उससे विचलित करना चाहती है, लेकिन मैं फिर भी इस पर दलीय दृष्टिकोण से प्रेरित हो कर नहीं बोलना चाहता हूं। यद्यपि आपके मोटिव के बारे में मुझे सन्देह है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि इसको दलीय दृष्टिकोण का विषय न बनाया जाए, क्योंकि यह सरकार आज है, कल नहीं रहेगी, लेकिन जो हमारे हिमालय के इलाके हैं, जो पड़ोसी हैं उनके साथ हमको हमदर्दी और दोस्ताना रिश्ते तो रखने ही हैं। इसलिए मैं दलीय दृष्टिकोण से नहीं बोलूंगा।

पश्चिमी एशिया में पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों ने एक्सेशन और यूनियन के बहुत सारे प्रयोग देखे हैं जो जल्दबाजी में किये जाते हैं। जैसे लीबिया और मिस्र का यूनियन बना—लेकिन आज क्या हालत है? जैसे मिस्र, यमन और सीरिया का यूनियन बना, इसकी हालत भी आज आप देख रहे हैं। एक व्यापक अरब-यूनियन का प्रयास किया गया, उसकी हालत भी आज आप देख रहे हैं। इसलिए मैं पहली बात यह कहना चाहूंगा कि इसमें जल्दबाजी से काम न कीजिए। सभी पहलुओं पर सोच-विचार करके कदम उठाइये जिससे आगे चलकर पश्चाताप करने की नौबत आप पर और हम लोगों पर न आये।

सभापति महोदय, जो ढांचा हम लोगों के सामने रखा गया है उसके द्वारा एक नई बात हमारे संविधान में ये घुसेड़ना चाहते हैं, जिसके सभी पहलुओं पर मुझे लगता है कि सरकार ने भी विचार नहीं किया है। विरोधी पक्ष को तो आपने मौका ही नहीं दिया है। भारत और सिक्किम का जो करार हुआ उस पर यहां कभी चर्चा नहीं हुई। इसलिए मुझे कुछ उद्धरण देने पड़ेंगे—मैं चाहूंगा कि समय के बारे में आप थोड़ा ढिलाई बरतियेगा।

सभापति महोदय, सिक्किम की जो नई असेम्बली है, यह उसका 11 मई का संकल्प है। इसके पहले कि मैं उसमें से उद्धरण दूं, मैं चाहता हूं कि जो समझौता या करार भारत सरकार और सिक्किम के बीच हुआ था उसमें जो 11वीं धारा है उसको पहले आपके सामने रखूं। इसमें कहा गया है—

> "... The Government of India who are solely responsible for the defence and territorial integrity of Sikkim and who are solely responsible for the conduct and regulation of the external relations of Sikkim, whether

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 2 सितम्बर 1974.

£ श्री स्वर्ण सिंह, विदेश मंत्री द्वारा पुरःस्थापित 'संविधान (36वां) संशोधन विधेयक' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

political, economic or financial, reaffirm their determination to discharge these and other responsibilities for the benefit of the people of Sikkim, for their communal harmony, good administration and economic and social development. It is hereby reaffirmed that they shall have the necessary powers for carrying out these responsibilities."

यह इनका आधार है। इसके बाद उनका जो 11 मई का संकल्प है जिसे वहां की असेम्बली ने पास किया था, मैं उसका पांचवां अनुच्छेद आपके सामने रखना चाहता हूं—

"5. Reiterating its determination to further strengthen the relations between India and Sikkim, taking notes of the Government of India's responsibility for the security and defence of Sikkim, for its external relations, and for good administration in Sikkim, and bearing in mind the special interest and responsibility of the Government of India for the further democratic evolution and rapid economic and social development of Sikkim, this Assembly resolves and hereby request the Government of India to examine the modalities of further strengthening Indo-Sikkim relationship as already agreed to in the Agreement of May 8, 1973 signed between the three parties and to take immediate steps for Sikkim's participations in the political and economic institutions of India.

अब उनके छठे अनुच्छेद को भी सुनिये—

6. The Assembly accordingly resolves and hereby requests the Government of India to depute immediately a Constitutional Adviser for (i) giving a legal and constitutional framework for the objectives of this Resolution, (ii) defining the powers of the Chogyal, the Chief Executive, the Executive Council and of the Assembly; and (iii) recommending to the Government of India specific proposals for further strengthening Indo-Sikkim relationship and for Sikkim's participation in the politicial and economic institution of India, as desired in this Resolution."

अब, अध्यक्ष महोदय, इसके आधार पर यह संविधान में संशोधन करने वाला विधेयक बनाया गया है आज यह हमारे सामने आया है। इसमें कई सवाल उठते हैं। सबसे पहले मैं आपकी तवोज्जह प्रिएम्बिल की ओर दिलाना चाहता हूं। हमारे संविधान का जो प्रिएम्बिल है उसमें कहा गया है—

'We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens:

Justice, social, economic and political;

Liberty of thought, expression, belief, faith and worship; ..."

It is further said:

> "Fraternity assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;"

अध्यक्ष महोदय इसमें कल्पना यह है कि—वी दी, पीपुल आफ इंडिया—हम भारत की जनता। इसके साथ ही नागरिक हकों की कल्पना, तीसरी बात—यूनिटी आफ दि नेशन—राष्ट्र की एकता—इन बातों पर जोर दिया गया है। अब इस बिल के पास होने के बाद इंडियन यूनियन का क्या स्वरूप होने वाला है—क्या इसके ऊपर हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक सोचना नहीं चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आर्टीकल 1 में भारत को संघ राज्य—इंडिया शेल बी ए यूनियन आफ स्टेट्स कहा गया है, अब यह 'एसोसियेट स्टेटस' कहां से बीच में आता है—क्या इसके लिए आर्टीकल 1 को बदलने के बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए? क्या इस पर ईमानदारी से विचार नहीं होना चाहिए?

दूसरी बात—भारत का जो इलाका है, उसकी परिभाषा इसमें की गई है और उसमें यह कहा गया है कि तीन किस्म के इलाके भारत में हैं या हो सकते हैं—

(a) the territories of the States;

(b) the Union of Territories specified in the First Schedule; and

(c) such other territories as may be acquired.

अध्यक्ष महोदय, क्या सिक्किम को हम एक्वायर करेंगे? क्या इस श्रेणी में यह आ सकता है? मेरी राय में नहीं आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप उसमें (डी) को जोड़िये कि ऐसे राज्य जो खुशी से इंडियन यूनियन में आकर एक्सीड करना चाहते हैं। सीधी बात होनी चाहिए। अब जो एक्सेशन आफ ट्रीटी होगा उसमें किसी राज्य को विशेष दर्जा देना चाहते हैं वह दे सकते हैं। मेरा मतलब यह नहीं है कि इंडियन यूनियन के तहत अन्य राज्यों की तरह रहे, जो नया राज्य होगा उसको अगर स्पेशल स्टेटस देना चाहते हैं तो उसके बारे में इस सदन में सोचा जा सकता है। लेकिन जो पूरा संवैधानिक ढांचा है, उसको जल्दबाजी में बदलेंगे तो उसके नतीजे बहुत ही खतरनाक निकल सकते हैं—यह चेतावनी आज मैं देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें और बहुत सारे सिद्धान्त जुड़े हुए हैं। आप जरा इनका विधेयक देखिए। इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि यह जो विधेयक हम लोग पास कर रहे हैं और सिक्किम को एसोसियेट स्टेटस देने जा रहे हैं इसके बारे में सिक्किम की जो जनता है उसकी राय ली जाये।

*** *** ***

... सिक्किम की असेम्बली का चुनाव हिन्दुस्तान के साथ एसोसियेट स्टेटस कायम करना है इस बिना पर नहीं लड़ा गया है। क्या वहां की जनता के सामने आपने यह सवाल रखा था कि भारत के साथ एसोसियेट स्टेटस लेना है या नहीं? इसके ऊपर सिक्किम की जनता की राय आपने नहीं ली। जो चुनाव हुआ सिक्किम में उसका दूसरा आधार था कि सिक्किम में लोकतांत्रिक ढांचा

हो। इसलिए यह कहना कि सिक्किम की असेम्बली जनता के द्वारा चुनी गई है और इसलिए असेम्बली का जो प्रस्ताव है वह हमारे लिए काफी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। इसके ऊपर आप अगर चलना चाहते हैं तो चलिए, दो-तिहाई राक्षसी बहुमत है आपका। लेकिन अगर तर्क से और राष्ट्रीय हित में बात करना चाहते हैं तो सिक्किम की जनता की राय एकत्रित करने का आपको पहले प्रयास करना चाहिए। अगर आपका आग्रह यही है कि आप हमारी बात नहीं मानना चाहते और चाहते हैं कि इस पर अभी विचार होना चाहिए और इसको पारित भी करना चाहिए, तो क्या यह अच्छा नहीं होगा कि एसोसियेट स्टेटस वाली जो बात है इसके ऊपर तत्काल सिक्किम में रेफरेण्डम लिया जाए? उसमें 18 साल या उससे अधिक जिनकी आयु है उनकी राय आप लीजिए, तत्काल ले लीजिए। इनको शामिल करने से पहले लीजिए, क्योंकि कश्मीर का अनुभव हमारे सामने है। इसलिए आप पहले रेफरेण्डम लीजिए।

इतना ही नहीं जो स्टेटस होगा उसमें यदि भविष्य में परिवर्तन करना है तो सिक्किम की जनता को आप आश्वस्त कीजिए कि इस तरह का परिवर्तन आपकी रजामन्दी के बिना और नये रेफरेण्डम के बिना नहीं होगा। तो एसोशियेट स्टेटस के लिए रेफरेण्डम कीजिए। अब हिन्दुस्तान की तो मैं नहीं कह सकता था, आप कहते कि अड़ंगेबाजी कर रहा हूं, लेकिन कम से कम जो नया राज्य आ रहा है वहां की जनता की तो राय लेनी चाहिए। और आगे परिवर्तन भी करना है तो उसके लिये भी उनकी राय लेनी चाहिए। स्पष्ट आश्वासन हमको देना चाहिए।

आगे चल कर अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक में कहीं भी मैं यह नहीं देख रहा हूं कि दायित्व के सिद्धान्त को आपने माना है। सारे अधिकार सरकार ने हाथ में लिये है और पार्लियामेंट के अधिकारों को आपने इस मामले में सीमित किया है। सिक्किम का एक प्रतिनिधि राज्य सभा में लेना चाहते हैं जो कि असेम्बली के द्वारा चुना जायेगा। ठीक है हमारी राज्य सभा के प्रतिनिधि भी असेम्बलियों के द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन इस लोक सभा में आप असेम्बली के द्वारा नामजद सदस्य को लेंगे। अध्यक्ष महोदय, लोक सभा की जो बुनियाद है उसी के ऊपर यह कुठाराघात कर रहे हैं। मैं तो जो दो नौमीनेटेड सदस्य हैं उनके भी खिलाफ हूं। हालांकि आप दो चुनाव वाली आरक्षित जगह उनको दे दें, एंग्लो इंडियन्स के लिये, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नामजदगी के सिद्धान्त का मैं विरोध करता हूं, और उसी आधार पर सिक्किम असेम्बली के द्वारा चुने हुये किसी प्रतिनिधि को यहां पर बुलाना बैठने के लिये मुझे अच्छा नहीं लगता। यह लोकतंत्र के विपरीत है। इस सदन का जो ढांचा है उसके खिलाफ यह बात जाती है। इसलिये इसके ऊपर भी अध्यक्ष महोदय, इनको विचार करना चाहिए।

उसके बाद अध्यक्ष महोदय, आपने सिक्किम असेम्बली का नया प्रस्ताव देखा है 29 जून का? मैं माननीय श्यामानन्दन मिश्र और माननीय ज्योतिर्मय बसु का ध्यान उस ओर खींचना चाहता हूं। इसमें उनका जो सिक्किम एक्ट है, जो एक माने में उनका संविधान है, उसमें उन्होंने दो परिवर्तन चाहे हैं और उसमें कहा है कि आपको मूल धारा और उसका संशोधन भी पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। 31 में कहा है:

> "All judges shall be independent in the exercise of their judicial functions and such functions shall be discharged in accordance with law."

और इसमें यह परिवर्तन चाहते हैं:

"The ultimate appellate jurisdiction against the judgment of the High Court of Judicature in Sikkim should lie with the Supreme Court of India."

और जहां तक (32) का सवाल है:

"All sections of the people of Sikkim shall enjoy the basic human rights and fundamental freedoms without discrimination;

(2) The Government of Sikkim shall make every endeavour to secure for the people of Sikkim the enjoyment of the aforesaid rights and to maintain and promote communal harmony;

(3) Notwithstanding anything contained in the aforesaid provisions, special provisions shall be made for the advancement or the protection of the aboriginal inhabitants of Sikkim and other minorities."

इसमें यह जोड़ना चाहते हैं 32 (1):

"as enjoyed by the Citizens of India under Part III of the Indian Constitution."

तो क्या केवल सिक्किम एक्ट के तहत ही आना चाहते हैं? अपने संविधान में क्यों नहीं डालते हैं कि फंडामेंटल राइट सिक्किम की जनता को भी मिलें? एसोसियेट स्टेटस के माने क्या हैं? इंडियन यूनियन के नागरिकों को जो फंडामेंटल राइट्स हैं वह आप सिक्किम की जनता को देने के लिये तैयार हैं? उनको नागरिक बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। अगर आप उनको एसोसियेट सिटिजन ही बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको प्रावधान करना चाहिये। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर सिटिजनशिप को लेकर बहुत बुनियादी सवाल उत्पन्न होते हैं, जिससे हमारे संघ राज्य के पूरे ढांचे पर असर पड़ेगा। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं अधिक न बोलकर केवल मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जल्दबाजी के चक्कर में न पड़कर हम लोग भी चाहते हैं कि हिमालय के पड़ोसी देशों के साथ हमारा रिश्ता हो और उनकी जो इच्छा है कि भारत के पोलिटिकल और इकोनामिक इंस्टीट्यूशन में उनको हिस्सेदारी मिले उसका भी आदर हो। यह जो उनकी सद्इच्छा है उसका मैं स्वागत करता हूँ। यह जो सद्इच्छा पहली चुनी हुई असेम्बली ने दिखाई है उसका मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन यह मामला बड़ा गंभीर है और इसलिये भावना में आकर हम लोगों को काम नहीं करना चाहिए।

मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, बड़े-बड़े देश हमारी आवाज कहां से सुनेंगे, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा दुख है कि चीन में माओत्से-तुंग के नेतृत्व में पीपुल्स रिपब्लिक कायम होने के बाद हिमालयन स्टेटस के बारे में चीन के द्वारा गलत नीति अपनायी गई। उस नीति का मैं विरोध कर रहा हूँ। और उन्होंने तिब्बत को अपने देश का ही एक हिस्सा बनाने का और तिब्बत की जो आजादी थी उसको कुचलने का जो प्रयास किया है उसका मैं विरोधी रहा हूँ और मेरे

नेता डा. राम मनोहर लोहिया भी रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम लोग अपनी हिमालय नीति की बात कहते थे। अगर वह नहीं होता तो कितनी अच्छी बात हो जाती कि तिब्बत, नेपाल, भूटान, सिक्किम इन सभी लोगों को सार्वभौम स्वतंत्रता प्रदान की जाती, न्यूट्रलाइज्ड स्टेटस उनको बनाया जाता। और अगर ऐसा हो जाता तो इन इलाकों में जो जनता हिमालयन स्टेटस में रहती है वह भी शान्ति में रह सकती थी और आज इन बातों पर विचार करने की हम लोगों को आवश्यकता ही नहीं होती। कोई दूसरी ही बात हो जाती। लेकिन यह नहीं हो पाया। अब आप सिक्किम के साथ एक नया रिश्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं तो जल्दबाजी में कोई कदम न उठायें और जल्दी में इस बिल को पास न कीजिये। ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में इन सभी पहलुओं पर विचार करने का मौका दीजिये। इस सत्र में यह पास नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। और जो भी स्टेटस आप तय कीजिये रजामन्दी से कीजियेगा और सिक्किम की जनता की उसके ऊपर राय लेकर कीजियेगा।

इतना ही मुझे कहना है।

*** *** ***

*I beg to move:

Page 1,—

after line 11, *insert*—

"2A. After article 11 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:—

"11A. The people of Sikkim shall enjoy the status of associate citizens.'." (12)

Page 1,—

after line 11, *insert*—

"2A. After article 35 of the Constitution, the following article shall be inserted, namely:—

"35A. The people of Sikkim shall enjoy all the fundamental rights enumerated in this Part, although associate citizens of the Indian Union.'." (13)

अध्यक्ष महोदय, मैं एक नया क्लाज़ जोड़ना चाहता हूं—12 तथा 13 संशोधनों को पेश करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं जो नया क्लाज जोड़ना चाहता हूं उसमें दो बातें हैं—एक यह है कि संविधान की धारा 11 के बाद एक नई धारा जोड़ी जाए—11 (ए)—

"The people of Sikkim shall enjoy the status of associate citizens."

**लोक सभा वाद-विवाद*, 4 सितम्बर 1974.

आपने एसोसिएट स्टेट बना दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको सह-नागरिक का दर्जा भी दिया जाए।

मेरा दूसरा सुझाव यह है—

"The people of Sikkim, although associate citizens of the Indian Union, shall enjoy all the fundamental rights enumerated in this part. ..."

अध्यक्ष महोदय, इसके मानने में सरदार साहब को बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहा है कि सिक्किम असेम्बली की जो इच्छा है, जो एक राय से अभिव्यक्त की गई है, उसको हम लोग मानना चाहते हैं। अब सिक्किम असेम्बली के प्रस्तावों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव नं. 2 है, इस प्रस्ताव में उन्होंने कहा है—

"The people of Sikkim should enjoy the fundamental rights available to the citizens of India under Part III of the Constitution of India."

तो इनकी जो इच्छा है कि सिक्किम के नागरिकों को वही सब बुनियादी मौलिक अधिकार मिले जो आज भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को मिलते हैं।

अध्यक्ष महोदय, कल को सिक्किम के अंतर्गत कोई बात हो गई और भारत का जो प्रो-कान्सल वहां पर बैठा है, वह अगर सिक्किम असेम्बली के प्रस्ताव को बदल दे तो, अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो एक पवित्र करार इस विधेयक के द्वारा सिक्किम की जनता के साथ आप करना चाहते हैं उसका क्या होगा? तो हम लोगों की ओर से, इस सदन की ओर से मैं चाहता हूँ कि सिक्किम की जनता को हम लोग यह आश्वासन दें कि हम अपने संविधान में ही परिवर्तन करके आपके प्रस्ताव के द्वारा जो इच्छा अभिव्यक्त हुई है उसको हम अपने संविधान में रखते हैं। इसका मतलब होगा कि दो-तिहाई बहुमत के बिना कोई भी आदमी, कोई भी प्रो-कान्सल सिक्किम की जनता की जो स्वतंत्रता की प्यास है, बुनियादी अधिकारों के लिये, उसको कभी खत्म नहीं कर सकता है।

बार-बार आप सिक्किम असेम्बली का हवाला दे रहे थे तो फिर आपको कौन सी चिन्ता है, आपको क्या ऐतराज है कि सिक्किम असेम्बली के प्रस्ताव को ही हम संवैधानिक जामा पहनाये। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो दुनिया के ऊपर इसका अच्छा असर नहीं होगा। इसलिए मैं लम्बा भाषण नहीं कहूंगा, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि एसोसियेटेड सिटिजन वाली मेरी बात को मान लीजिए।

आज क्या होता है—पासपोर्ट के बारे में मुझे पता नहीं है लेकिन एक जानकार व्यक्ति ने मुझे कहा है कि सिक्किम के लोगों के पासपोर्ट में यह लिखा होता है—इंडियन प्रोटेक्टेड पर्सन। यह लांछन की बात होगी। लेकिन मेरा संशोधन मान लेने के बाद अब लिखा जायेगा—एसोसियेटेड सिटिजन आफ दि इंडियन यूनियन एण्ड सिटिजन आफ सिक्किम। ... अध्यक्ष महोदय, क्या हर चीज पर शंकरदयाल सिंह को बोलना चाहिए, ये वोट के समय यहां क्यों नहीं आते हैं। आप

जरा अपने लोगों को डिस्प्लिण्ड बनाइये। कोई जरूरी नहीं है कि वे इस वक्त यहां रहें, सैन्ट्रल हाल में जाकर काफी पी सकते हैं।

*** *** ***

आप लोग अगर इम्पेशन्ट होंगे तो मैं बैठने वाला नहीं हूं। जिनको सुनना नहीं है न सुने। यहां बैठने के लिए किसने जबरदस्ती की है। यह क्या तरीका है, आप अपने संवैधानिक ढांचे में बुनियादी तब्दीली फण्डामेंटल चेंज कर रहे हैं। कांस्टीट्यूएंट असेम्बली में जिस पर महीनों तक बहस हुई थी—इतना महत्वपूर्ण विषय है और आप लोग हो-हल्ला करते जा रहे हैं।

इसलिए इसके बाद भी "इंडियन प्रोटेक्टेड पर्सन" यह वर्णन सिक्किमी जनता के पासपोर्ट पर रहेगी तो अच्छा नहीं है। इसलिए मेरे इन दोनों सुझावों को आप मान लें, यह सिक्किम असेम्बली के प्रस्ताव से कहीं भी नहीं टकराते, बल्कि उस प्रस्ताव को संवैधानिक लिबास पहनाते हैं।

*** *** ***

*अध्यक्ष महोदय, पिछले महीने में जब सिक्किम के बारे में यह विधेयक ले आये थे, तो हम लोगों ने सिक्किम की यह जो ख्वाहिश है कि भारत के साथ घनिष्ठ रिश्ता हो, इसके बारे में तो संतोष व्यक्त किया था, लेकिन जिस ढंग से यह विधेयक पारित करने की कोशिश की गई थी, उस का हम लोगों ने विरोध किया था। अध्यक्ष महोदय, आप को याद होगा कि हम लोगों ने कहा था कि इससे संविधान की बुनियाद के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसके ढांचे को आप एकदम बदल रहे हैं और सिक्किम की जनता की जो राय है; उसको पहले जानने की कोई कोशिश नहीं की गई है। उस समय हमने यह भी कहा था कि एसेम्बली का चुनाव तो हुआ लेकिन एसेम्बली के चुनाव के समय भारत के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए, यह सवाल जनता के सामने बिलकुल नहीं था। उस समय अध्यक्ष महोदय हम लोगों ने यह भी कहा था कि अगर आप सिक्किम को भारत के संघ राज्य में शामिल करना चाहते हैं, तो बाकायदा कीजिए और मैंने एक एमेण्डमेंट भी दिया था कि नये राज्य के एक्सेशन के लिए आप कोई प्रावधान कीजिए, लेकिन एक बात सिर्फ हम लोगों की आप लोगों ने मानी और वह यह है कि सिक्किम की जनता का जो प्रतिनिधि इस सभा में बैठेगा, पहले तो आप उसको नामजद करना चाहते थे लेकिन आपने हमारी इस बात को मान लिया कि यहां चुना हुआ प्रतिनिधि बैठेगा। बाकी जो हमारे मुद्दे थे उनके बारे में आपने विचार तक नहीं किया। विरोधी पक्ष द्वारा जो रचनात्मक सुझाव रखे जाते हैं, उनके बारे में इस सरकार का यह रुख और रवैया रहता है? मुझे पता नहीं है कि विरोधी पक्ष के नेताओं की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें यह जो नये विधेयक का मसौदा था, वह उनको दिखाया गया था या नहीं?

*** *** ***

जनरल वेंग की बात की जाती है और अखबार में दे दिया जाता है कि विरोधी पक्ष का पूरा समर्थन इसमें मिला है और रेडियो पर पहले ही यह आ जाता है। जहां तक विरोधी पक्ष

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 21 अप्रैल 1975.

के लोगों का सवाल है, उन्होंने इसका समर्थन किया कि सिक्किम के लोगों की राय ली जाय, रिफ्रेन्डम हुआ और उसके आधार पर वे चाहते हैं कि एक घटक राज्य वह संघ राज्य का बने। इसके लिए सहमति तो विरोधी पक्ष के नेताओं ने दी लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि विरोधी पक्ष के नेताओं ने इस तरह की बातों के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी होगी जैसा कि 371 एफ में है। मैं आपका विशेष ध्यान उसकी धारा (जी) की तरफ दिलाना चाहता हूं। (जी) में यह कहा गया है:

"371F. (g) the Governor of Sikkim shall have special responsibility for peace and for an equitable arrangement for ensuring the social and economic advancement of different sections of the population of Sikkim and in the discharge of his special responsibility under this clause; the Governor of Sikkim shall, subject to such directions as the President may, from time to time, deem fit to issue, act in his discretion;"

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मेरा सख्त एतराज है। यह जो विशेष उत्तरदायित्व, विशेष रेस्पोंसिबिलिटी की बात की गई है, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप सिक्किम को लोकतांत्रिक अधिकार नहीं देना चाहते। आप सिक्किम को एक उपनिवेश के रूप में रखना चाहते हैं। आपने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट, 1935 को देख लिया और मुझे लगता है कि यह जो धारा आई है, वह सब आपने गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट, 1935 में जो धारा गवर्नर के विशेषाधिकारों के बारे में थी, उसको यहां लाकर रख दिया है। आज मैं विदेश मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे तो स्वतंत्रता आन्दोलन के सेनानी रहे हैं और वे जानते हैं कि 1937 में जब मंत्रिमंडल के बनाने का सवाल आया, तो कांग्रेस इसी मामले पर अड़ी रही। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि गवर्नर के विशेषाधिकार को हम छोड़ेंगे नहीं और वर्किंग कमेटी ने कहा, कांग्रेस की ए.आई.सी.सी. ने कहा कि जब तक उसके बारे में एशोरेंस नहीं मिलेगी, हम लोग अधिकार ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं हैं। अन्त में महात्मा गांधी की ब्रिटिश नेताओं और वाइसराय के साथ बातचीत हुई और एक जेन्टीलमेन एग्रीमेन्ट हुआ कि गवर्नर के विशेषाधिकारों का उपयोग स्वायत्त मंत्रिमंडल के खिलाफ नहीं किया जाएगा। इस तरह की धारा सेक्शन 52(1) गवर्नमेन्ट आफ इंडिया एक्ट, 1935 में है। इसमें कहा गया है:

"In the exercise of his functions, the Government shall have the following special responsibility—

(b) safeguarding of the legitimate interest of minorities."

और आगे यह कहा गया है, सेक्शन 54 में:

"In so far as the Governor of a province is by or under this Act required to act in his discretion or to exercise his individual judgment, he shall be under the general control of and comply with such particular directions, if any, as may from time to time be given to him, by the Governor-General in his discretion, but the validity of anything done by a Governor shall not be called into question on the ground that it was done otherwise than in accordance with this section."

अध्यक्ष महोदय, इसमें ये क्या कर रहे हैं? गवर्नर के विशेषाधिकार वैसे ही है और अंग्रेजों के जमाने में गवर्नर के ऊपर नियंत्रण गवर्नर जनरल का था और अब राष्ट्रपति का, मतलब यह कि श्रीमती इंदिरा गांधी का नियंत्रण आप रखना चाहते हैं।

*** *** ***

वह सब हम जानते हैं कि पार्लियामेंट का नियंत्रण कैसा है। पार्लियामेंट डे-टुडे अधिकारों में दखल देता है, प्रशासन में दखल देता है?

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सिक्किम को आप राज्य का दर्जा देना चाहते हैं तो उसको समान अधिकार भी मिलने चाहिए और जैसे अधिकार अन्य राज्यों के हैं वैसे ही सिक्किम को भी देने चाहिए। इसलिए इस बिल का मैं विरोध करना चाहता हूँ। यह लोकतंत्र के खिलाफ है और राज्यों की स्वायत्ता पर आक्रमण है। यह अंग्रेजों के जमाने का जो उपनिवेशवादी तत्व है, उसका ही यह एक अनुसरण है।

अन्त में यह कहना चाहता हूं कि अगर मंत्री महोदय यह कहते कि संक्रमण काल के लिए ट्रांजीशन पीरियड के लिए हमको कुछ प्रावधान करना पड़ेगा, तो दूसरी बात होती जैसाकि आपने इसी क्लाज़ के सेक्शन (एल) में कहा है और आपने राष्ट्रपति जी को अधिकार दिए हैं:

> "The President may, within two years from the appointed day, by order make such adaptations and modifications of the law. ..."

यह अधिकार आपने दिया है। आगे (ई) में आपने यह अधिकार दिया है:

> "If any difficulty arises in giving effect to any of the foregoing provisions of this article, the President may, by order, do anything including any adaptation or modification of any other article which appears to him to be necessary for the purpose of removing that difficulty.
>
> Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the appointed day."

अगर संक्रमणकाल के लिए आप संसद के सामने यह सुझाव रखते कि एक साल के लिए या दो साल के लिए हम इस तरह का प्रावधान रखेंगे लेकिन संक्रमण काल समाप्त होने के बाद, ट्रांजीशन पीरियड समाप्त होने के बाद, सिक्किम के लोगों को, सिक्किम की एसेम्बली को, सिक्किम की सरकार को वही सारे अधिकार मिलेंगे जो महाराष्ट्र सरकार के हैं, आंध्र प्रदेश की सरकार के हैं या अन्य सरकारों के हैं, तो दूसरी बात होती इसलिए इस बुनियादी सिद्धान्त के आधार पर मैं इसका विरोध कर रहा हूं। हमारा हरगिज यह मतलब नहीं है कि सिक्किम की जनता ने जो राय अभिव्यक्त की है उसका हम लोग आदर नहीं करते।

*** *** ***

विरोधी पक्ष का यह सहयोग चाहते हैं लेकिन विरोधी पक्ष के सुझाव को भी नहीं मानते और छः महीने और साल के बाद, वही सुझाव लेकर आते हैं।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर कुठाराघात*£

अध्यक्ष महोदय, आज एक अनहोनी बात इस सदन में हो रही है। आजादी के बाद इस तरह का प्रस्ताव किसी भी लोक सभा के सदस्य के खिलाफ अब तक चर्चा के लिए नहीं आया था। यह पहली बार श्री ललित नारायण मिश्र के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आ रहा है। इसी से दुनिया को पता चलेगा कि यह किस तरह के मंत्री हैं और किस तरह के नेता हैं। यह दुनिया को पता चल जायेगा। दूसरी इनके बारे में एक विशेष बात यह भी है कि यह एक अकेले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके आचरण की जांच करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमीशन गठित किया गया और केन्द्रीय सरकार से उस राज्य सरकार को बर्खास्त करवाने के बाद ...

*** *** ***

ठीक है, लेकिन डिफंक्शंस कैसे करवाए क्या यह हम लोग नहीं जानते हैं?

*** *** ***

जब कमीशन बनाया जाता है तो क्या यह बात शोभा देती है कि श्री ललित नारायण मिश्र प्रधान मंत्री के ऊपर उनका जो प्रभाव है उसका अनुचित इस्तेमाल करके इस कमीशन को बर्खास्त करवाएं? अगर ये मर्द होते, आदमी होते, तो कहते कोई बात नहीं है, इस कमीशन के सामने मैं जाऊंगा और मेरे खिलाफ जो अभियोग लगाए गए हैं उन अभियोगों को मैं ऐसे सबूत देकर...

मैं यह कह रहा था कि वह सबूत देकर के साबित करते कि वे निर्दोष हैं तो उनका नाम रोशन हो जाता है।

*** *** ***

**आप नहीं जानते हैं? बिहार राज्य सरकार ने इनके आचरण की जांच करने के लिए एक कमीशन नियुक्त किया था और स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी...

*** *** ***

जो भी हो, वह सरकार का नोटिफिकेशन था।

*** *** ***

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 18 दिसम्बर 1974.

£ श्री ललित नारायण मिश्र, सांसद के आचरण की जांच से संबंधित प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्री डी.पी. धर, योजना मंत्री द्वारा यह पूछे जाने पर कि 'किस कमीशन की बात आप कर रहे हैं?', का जवाब देते हुए।

राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन करके यह कमीशन नियुक्त किया था।

इनका काम था कि कमीशन की चुनौती को स्वीकार करते। लेकिन इस चुनौती को स्वीकारने के बजाये इन्होंने बिहार में केन्द्र सरकार के जरिये विरोधी पक्ष की सरकार को गिराया ....

*** *** ***

प्रधान मंत्री के ऊपर जो इनका प्रभाव है उसको इस्तेमाल करके इस कमीशन को बर्खास्त किया गया। ... जो भी हो आपने कमीशन बर्खास्त करवाया कि नहीं।

*** *** ***

रात में बनाया या दिन में बनाया, आप इतने डरपोक क्यों हैं? आप कमीशन से क्यों भागते हैं? बख्शी गुलाम मोहम्मद, बीजू पटनायक, प्रताप सिंह कैरों आदि के खिलाफ कमीशन बैठे, लेकिन वह भागे नहीं। लेकिन यह एक ऐसा व्यक्ति है कि यह कमीशन की चुनौती से भागा। इसलिये मैं इस बहस को एक अनहोनी बहस मानता हूं।

सभापति महोदय, अब मैं बुनियादी सवालों को उठाना चाहता हूँ। अभी यहां श्री गुलजारी लाल नन्दा बैठे हुए थे, वह जब योजना मंत्रालय में थे और प्लानिंग कमीशन में थे इन्होंने एक बहुत ही गंदा काम किया और वह इस भारत सेवक समाज को जन्म देना था। आप जानते हैं कि भारत सेवक समाज नाम किसका था? श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने इस राष्ट्र के सेवकों की एक संस्था बनायी थी जिसको अंग्रेजी में सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, लेकिन भारतीय भाषा में भारत सेवक समाज कहा जाता था। शायद श्री ललित नारायण मिश्र नहीं जानते हैं कि श्री गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वयं भारत सेवक समाज का सदस्य बनने के लिये आवेदन पत्र दिया था। तो इनके नाम तक को आपने छीन लिया और मैं जानता हूँ कि क्या कांसप्रेसी हुई, उनको मजबूर किया गया, पंडित हृदय नाथ कुंजरू अगर इस सदन में होते तो वह बताते, उनको कहा गया आप हिन्द सेवक समाज नाम लीजिये। तो कुंजरू साहब ने इनसे कहा, श्री गुलजारी लाल नन्दा और श्री जवाहर लाल नेहरू से, कि हमारा यह पुराना नाम है, 70 साल हो गये और आप हमारा नाम छीनना चाहते हैं। अच्छा नाम तो छीन लिया, और कर्म क्या है? आज मैं पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी की इस बड़ी रिपोर्ट के आधार पर इस बहस को ऊंचा उठाना चाहता हूँ। ज्योतिर्मय जी, आप भी चेयरमैन हैं इस मामले को आगे बढ़ाइये।

*** *** ***

आप जरूर लाइये। आज एक प्रिवलेज नोटिस ले आये उस पर बहस चल रही है। नागालैंड का भी ले आइये। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी, तीसरी लोक सभा, 34वीं रिपोर्ट सबसे पहले यह कमेटी कहती है:

> "The Committee are not convinced with the argument given by the Secretary, Planning Commission that it was within the scope and functions of the Planning Commision...."...

*** *** ***

सभापति महोदय, प्लानिंग कमीशन भारत सेवक समाज की जननी है और इसके बारे में हमारी पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा है:

"The Committee are not convinced with the arguments given by the Secretary, Planning Commission that it was within the scope and functions of the Planning Commission (a) to have set up an agency like the Bharat Sevak Samaj and (b) to have given grants, loans and other facilities to that body from year-to-year."

सबसे बड़ी गलती यह हुई कि 'प्लानिंग कमीशन' ने अपने अधिकार के बाहर जाकर भारत सेवक समाज का निर्माण किया और एक पुरानी जो संस्था है उसके नाम तक को छीन लिया। इन लोगों ने विरोध क्यों किया, पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने?

"The Planning Commission being a government organisation whose accounts and finances are subject to proper scrutiny, is subject to the normal rules and procedures and financial discipline and is finally accountable to Parliament. But the Bharat Sevak Samaj has not so far been subjected to the control required to be exercised by the Ministries and Departments of Government which give it large grants and loans and unusual concessions. Its consolidated accounts, which alone could give a complete and overall financial position, are not prepared. The complete accounts are not brought under the audit scrutiny of the Comptroller and Auditor General of India, though the transactions run into crores of rupees. According to present indications, the transactions of the construction service itself may run into Rs. 90 crores by the end of the fourth plan."

और सभापति महोदय, इसीलिये पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने इसके बारे में चिन्ता व्यक्त की जिसमें से यह कपूर कमीशन की जांच निकली है। सभापति जी, सवाल यह है कि यह जो कोसी घाटी योजना बिहार में कार्यान्वित की गई जिसमें 'भारत सेवक समाज' को ठेके आदि दिये गये क्या इसके बारे में सारे जो आर्थिक व्यवहार हुए हैं वह क्या ठीक तरह से हुए हैं? सभापति महोदय, मेरे सामने यह बिहार विधान सभा की प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट है, यह पब्लिक डाक्यूमेंट है और बिहार विधान सभा के बारे में कहा जाता है कि श्री ललित नारायण मिश्र के दोस्तों की वहां मैजोरिटी है।

*** *** ***

यहां नहीं है इनके चमचों का बहुमत। आज आप प्रधान मंत्री के लिये वोट देने वाले हैं। ज्यादा होशियारी मत कीजिये मैं बहुत सारे चेहरें देख रहा हूं। अगर उनको फ्री वोट दिया जाये तो ललित नारायण मिश्र की गर्दन पकड़ कर आज ही निकाल देंगे। आज यह केवल प्रधान मंत्री के आदेश से वोट होगा। इसलिये इनका वोट मिश्र जी के पक्ष में है, यह मैं नहीं मानूंगा। अब छोड़िये उस बहस को। लेकिन यह कहा जाता है कि मिश्र जी बिहार में—कर्तुम अकर्तुम् अन्यथा

कर्तुम् है। ललित नारायण मिश्र जी ने बिहार में केदार पाण्डेय को मुख्य मंत्री बनाया लेकिन आगे नहीं चलने दिया। अब्दुल गफूर को मुख्य मंत्री बनाने में इनका हाथ था, लेकिन उनको भी नहीं चलने देना चाहते हैं। आज वह चल रहे हैं तो श्री जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन के कारण चल रहे हैं, अगर यह आन्दोलन नहीं चला होता, तो तीसरे मुख्य मंत्री बिहार में निश्चित रूप से आ जाते।

लेकिन इस समय जिस विधान सभा में इनके मित्रों का बहुमत है, उस विधान सभा की कमेटी क्या सिफारिश करती है यह देखना है—मैं इसमें से बहुत ज्यादा उद्धरण नहीं देना चाहता हूं—सभापति महोदय, पृष्ठ 3 पर यह कमेटी कहती है—

"दृष्टव्य है समिति को भेजी गई सूचना में इस तथ्य को जानकर छिपाया गया मालूम पड़ता है, क्योंकि तल सफाई के मद में 'एसोसियेटेड इंजीनियरिंग कारपोरेशन' का नाम कहीं भी अंकित नहीं है। इस फर्म के मालिक सर्वश्री कमल नारायण मिश्र उर्फ लड्डू बाबू जो सिंचाई मंत्री के भाई है एवं मुक्तिनाथ झा हैं जिसमें क्रमश: उनका हिस्सा 80 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत है" यह पार्टनरशिप डीड भी इसमें दी गई है। मुझे पता नहीं कि ये मिश्र परिवार के सदस्य हैं या नहीं हैं, इनके वे कोई रिश्तेदार हैं या नहीं हैं। लेकिन जो एपेन्डिक्स जोड़ा गया है, उससे मालूम होता है कि इनके भाई है।

*** *** ***

अगर गलत है तो करैक्ट कीजिये।

अब यह समिति क्या सिफारिश करती है—पृष्ठ 17 पर इसकी सिफारिशें हैं—मैं सिर्फ नं. 2 सिफारिश की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं—

"कोसी परियोजना द्वारा बलवा बाजार के मिश्र परिवार के ठेकेदार सदस्यों के ठेके के कार्यों में पक्षपात, उनके हेतु वित्तीय नियमों का उल्लंघन, अनुचित भुगतान, मनोनुकूल अधिकारियों का पदस्थापन एवं अन्य अनियमितताओं की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराई जाये।"

जिस विधान सभा में श्री ललित नारायण मिश्र के मित्रों का बहुमत है, कांग्रेस विधायक दल पर जिनका वर्चस्व है, उसी विधान सभा की एस्टीमेट्स कमेटी यह मांग कर रही है कि इन्होंने जो इर्रेगुलरिटीज की हैं—मैं फिर से उन चीजों में नहीं जाना चाहता हूं—उनकी जांच की जाये....

*** *** ***

ये इसमें पूरी तरह से डूबे हुए हैं—जब कोसी में "बाढ़" आती है तो ये "डूब" जाते हैं।

सभापति महोदय, अब मैं कपूर कमीशन की रिपोर्ट पर आना चाहता हूं—यह पृष्ठ 104-वाल्यूम 11 है—मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, थोड़ा सा पढ़ूंगा।

"Mr. L.N. Mishra also stated that he had sent full accounts to the Convener of the Western Embankment Community Saving Committee... ..".

आगे, सभापति महोदय, कमीशन कहता है—

"Unfortunately, whatever these accounts, they have been kept back by the Bharat Sevak Samaj but the correspondence on the files of the Central Bharat Sevak Samaj tends to show that these accounts were unaudited."

"But it is rather astonishing".

यह बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया गया है।

"But it is rather astonishing that in spite of the criticisms, both in Bihar Assembly and in Parliament, these accounts have been kept back by the Samaj and have not been produced either before the Central Bharat Sevak Samaj or before this Commission."

इसलिये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी की यह जो टिप्पणी थी कि 'भारत सेवक समाज' जैसी संस्था को करोड़ों अरबों रुपया देना बहुत ही गलत काम है, क्योंकि इस संस्था के हिसाब-किताब के ऊपर इस पार्लियामेंट या ए.जी. या पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी का नियंत्रण नहीं रहेगा, इससे इसकी पुष्टि होती है।

खुद श्री ललित नारायण मिश्र का इसमें पत्र दिया हुआ है—उसमें क्या कहते हैं—इनका स्टैण्ड क्या है:

"While I fully appreciate your anxiety to guard the interests of the Bharat Sevak Samaj in this regard. I would like to say that it will not be proper and fair for the Government to take upon itself the work of audit of the accounts of an independent organisation like the Bharat Sevak Samaj."

सभापति महोदय, 90 करोड़ रुपया या एक अरब रुपया लेने के लिये ये इण्डीपेन्डेन्ट नहीं हैं, अगर ये जैनुइन वालंट्री आर्गेनाइजेशन चलाना चाहते हैं तो सरकारी पैसे पर क्यों पलते हैं?

जब सरकार से पैसा लेते हैं तो यह सिद्धांत श्री ललित नारायण मिश्र इस पत्र के द्वारा क्यों दुनिया के सामने रखना चाहते हैं कि 'भारत सेवक समाज' के हिसाब-किताब से सरकार को कोई मतलब नहीं होना चाहिये, क्या सरकार ने दान के रूप में पैसा दिया था या ललित नारायण मिश्र को दान के रूप में दिया था?

*** *** ***

मैं सिद्धान्त की बात कर रहा हूँ—मैं यह कह रहा हूं कि 'पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी' ने यह जो रवैया अपनाया है—'भारत सेवक समाज' के बारे में कि भारत सेवक समाज को करोड़ों रुपया देना इसलिये गलत है क्योंकि इनके लिये कोई फाइनेन्शल रूल्ज नहीं हैं, कोई फाइनेन्शल डिसिप्लिन नहीं है—ये पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी के शब्द हैं—यह बहुत ही अनुचित काम है और स्वयं इसी

की आड़ में छिप कर श्री ललित नारायण मिश्र कहते हैं—मैं डिस्टार्ट नहीं कर रहा हूं, इनका पत्र प्रकाशित हुआ है—कौन सरकार होती है मेरे से हिसाब मांगने वाली भारत सेवक समाज एक इण्डीपैन्डेन्ट आर्गेनाइजेशन है इससे हिसाब नहीं मांगा जा सकता है।

मैं अब सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं—इस प्रस्ताव में क्या कहा गया है—इसमें कहा गया है—

"improprieties and malpractices committed by the Minister".

यह इस प्रस्ताव का विषय है—बाकी जो पैराग्राफ्स दिये गये हैं वे केवल मिसाल के तौर पर हैं—यही मैं कहना चाहता हूं। विषय यह है कि इस मंत्री महोदय के द्वारा लगातार इम्प्रोप्राइटीज और मैलप्रेक्टिसिज का सिलसिला चल रहा है और उदाहरण के रूप में यह भारत सेवक समाज है। इसमें कुछ पैराग्राफ्स दिये गये हैं—जिनके लिये श्री मिश्र यह कहते हैं कि इन पर बहस उठाने से सदन की मानहानि होती है, गरिमा, डिगनिटी—ये शब्द इनके मुंह से कितने शोभा देते हैं—आप अन्दाजा लगा सकते हैं।

पॉलियेस्टर फाइबर के बारे में जो लाइसेंस काण्ड का मामला अभी-अभी राज्य सभा में उठाया गया है—मैं आज चुनौती देना चाहता हूं—ये जब से विदेश व्यापार मंत्री बने और जिस दिन इन्होंने विदेश व्यापार मंत्रालय छोड़ा—केवल इन दो-ढाई वर्षों का लेखा-जोखा लिया जाये तो मैं साबित कर सकता हूं कि अरबों रुपये की लूट भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में, नेशनल इकानामी में हुई है। क्या-क्या उदाहरण दूं—टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट वर्षों तक दबाई गई और माफी मांगनी पड़ी—प्रो. चट्टोपाध्याय को। पाप ये करें और धोये इन का सकसेसर.....

*** *** ***

मैं ईल्ड करने के लिये तैयार हूं—मैं चैलेन्ज करता हूं यह जो गैम्बलिंग चल रही है, उसको छोड़े, आप खड़े हो जाइये और स्टेटमेन्ट कीजिये कि मेरे कार्यकाल में टैरिफ कमीशन की किसी रिपोर्ट को नहीं दबाया गया। कारण मैं बतला रहा हूँ।...

मैं मानता हूं। मैंने स्वयं कहा है इस मोशन में इम्प्रोप्राइटी और मैलप्रक्टिसिस की बात की गई है और मिसाल के तौर पर यह दिया गया है। मैं बहुत ज्यादा इधर-उधर नहीं जाना चाहता। 'टैरिफ कमिशन' की बात मैं कर रहा था। मैंने कहा मैं आपको चुनौती देता हूं। सही बात यह है कि 'टैरिफ कमीशन' की रिपोर्ट कई साल तक दबाई गई और उसका कारण यही था कि बहुत बड़े पैमाने पर नायलोन स्पिन्ज रेयोन वाले, पॉलियेस्टर यार्न, आदि सारे जितने आर्टिफिशल फाइबर और यार्न और फैब्रिक वाले हैं, इनसे पैसा वसूलने का काम किया जाए। लाइसेंसिस के बहुत से मामले हैं।....

*** *** ***

मैं केवल उदाहरण दे रहा हूं। आज्ञा दें तो तफ्सील में जा सकता हूं। वह तो आएगा। आज ही मुझे एक नोट मिला है। जो डाक्युमेंट हमें दिखाए जा रहे हैं, उसमें से नहीं है। दूसरा है।

इस वक्त मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय को अगर थोड़ी लज्जा है तो इस तरह का प्रस्ताव आने के बाद उनको स्वयं कहना चाहिये कि मैं हट जाता हूं, मेरी वजह से सरकार की बड़ी बदनामी हो रही है। आज लोगों के हित की बात मैं कह रहा हूं। अगर श्री ललित नारायण मिश्र, श्री बंसी लाल और मारूति लिमिटेड को दफनाया जाएगा—फिगरेटिवली मैं कह रहा हूं—तो आपका, सरकार का इमेज सुधरेगा और जो चुनाव आने वाला है उसमें आपकी मदद होगी। यह बैगेज, यह बोझ ढोने का काम मेरे मित्र कर रहे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आता है। मेरी प्रार्थना है कि श्री ज्योतिर्मय बसु का जो प्रस्ताव है उसके हक में ये वोट दें, और प्रधान मंत्री से इनको डरने की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस सरकार के हित में इनका यह वोट होगा।

समस्तीपुर बम कांड और केन्द्रीय मंत्री का निधन*£

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही को और इस सदन को अब स्थगित किया जाए।

आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि एक अरसे से हमारे देश में रहस्यपूर्ण मौतें होती हैं और इस रहस्य को हल करने का सरकार के द्वारा कोई समुचित इंतजाम नहीं किया जाता है। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में आज के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कांग्रेस पार्टी के एक सदस्य ने ही जो बात कही है उसी से अपने भाषण को शुरू करना चाहता हूँ। यह 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की जो बैठक हुई उसकी रिपोर्ट है। उसमें से एक हिस्सा मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

> "Mr. P.R. Das Munsi said: There was a general feeling in the country that the Government had indulged in misconduct from the death under mysterious circumstances of Nagarwala to L.N. Mishra. The Government has not done anything to remove the doubts of the people, he added."

***   ***   ***

अब हो सकता है कि इसके बाद में ये इसका प्रतिवाद करेंगे। लेकिन उन्होंने जो बात कही है वह हिन्दुस्तान के कई लोगों के मन में बात है कि हमारे देश में विगत कुछ वर्षों से बहुत ही रहस्यपूर्ण तरीके से लोगों को खत्म किया जा रहा है। इसी दिल्ली शहर में नवम्बर महीने की घटना है, अनिल चोपड़ा नाम का जो दमन का कस्टम कलेक्टर था उसकी मौत भी रहस्यपूर्ण वातावरण में हुई। सी.बी.आई. के जो दो अफसर पांडेय और रामनाथन—उनके बारे में भी कहा गया है कि सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हुई है। नागरवाला कांड के बारे में सभी लोग जानते हैं कि नागरवाला की जो मृत्यु हुई वह भी रहस्यपूर्ण वातावरण में हुई। उनके मामले की जांच करने वाले जो पुलिस अफसर कश्यप साहब—उनकी मौत भी रहस्यपूर्ण वातावरण में हुई है। जनसंघ के जनरल सैक्रेटरी... पहले जनरल सैक्रेटरी थे, फिर अध्यक्ष हुए, श्री दीन दयाल उपाध्याय जी, उनकी मौत का रहस्य भी दो-दो कमीशनों को बैठाने के बाद भी नहीं खुल पाया है और समस्तीपुर बम विस्फोट के बारे में भी आम लोगों की यह राय है कि सरकार ने इस रहस्य को खोलने के लिए समुचित प्रयास नहीं किया।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 18 फरवरी 1975.

£ समस्तीपुर बम कांड के रहस्य का पता लगाने में सरकार की असफलता पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

जैसे ही 3 तारीख को श्री ललित नारायण मिश्र की मृत्यु की खबर आई, एक स्वर से, एक आवाज से विरोध पक्ष ने अपना दुख प्रकट किया। इतना ही नहीं, हिंसा के इस्तेमाल के बारे में भी बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने कहा कि हिंसा का रास्ता हमारा नहीं है। विरोध पक्ष ने निष्पक्ष और खुली जांच की मांग की। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने यह जो सार्वजनिक जांच की मांग उस समय की गई थी उसको न मानते हुए उच्च स्तर पर विरोध पक्ष के ऊपर दोषारोपण करने का काम तत्काल कुछ ही घंटों के अन्दर शुरू किया और अफसोस की बात है कि इसमें प्रधान मंत्री ने और आल इंडिया रेडियो ने सबसे अधिक पहल की। प्रधान मंत्री जी का पहले दिन का वक्तव्य ही देखिए। प्रधान मंत्री जी ने कहा:

> "The forces of disruption which have come to the fore lately have spread hatred and indirectly encouraged violence. It is this atmosphere which is responsible for this dastardly crime."

इसके बाद उसी दिन रेडियो पर जो स्पाट-लाइट का कार्यक्रम होता है उस पर सी.एस. पंडित जो फ्री प्रेस के एडीटर है, हमारे मित्र भी हैं, मैं मानता हूं कि उनको अपनी राय रखने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन यह रेडियो पर से कार्यक्रम हुआ है और रेडियो के बारे में प्रधान मंत्री ने यही कहा है कि रेडियो का कार्य क्या है—निष्पक्ष ढंग से समाचारों को प्रसारित करना या सभी दृष्टिकोणों को रेडियो के द्वारा जनता के सामने रखना, यह रेडियो का रोल प्रधान मंत्री ने नहीं माना है। प्रधान मंत्री कहती हैं कि रेडियो का काम है कि टू प्रोजेक्ट गवर्नमेंट पालिसी। इसी सदन में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है। तो मैं मानता हूं कि वहां सी.एस. पंडित का जो टाक हुआ उसमें सरकारी अनुमति से, सरकारी सम्मति से यह कहा गया है। ऐसा मैं मानता हूँ। मैं केवल दो वाक्य आपके सामने उद्धृत करना चाहता हूँ।

> "The total responsibility for this act is on those who on the one side swear by democratic norms and want to save it and on the other actively support a movement which is not only destroying people's faith in their leaders but in the system itself."

और आगे यह कहते हैं:

> "Whatever may have been the Opposition's complaint against Mr. Mishra and the ruling party itself by this act and the general atmosphere of violence in the wake of Bihar Agitation it has opened itself to the charge that behind their allegation to corruption and misuse of power was political vendetta and not a desire to reform..."

यानी स्पाट लाइट में स्पष्ट शब्दों में रेडियो कहता है कि समस्तीपुर बम विस्फोट और ललित नारायण मिश्र की मौत इस कृति के जरिए, इस एक्ट के जरिये अपोजीशन ने साबित किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका जो अभियान है उसके पीछे राजनैतिक विद्वेष है। तो 3 तारीख को ही प्रधान मंत्री और आल इंडिया रेडियो निर्णय दे देता है कि समस्तीपुर में जो घटना हुई उसके लिए विरोध पक्ष जिम्मेदार है।

*** *** ***

...मेरा मुद्दा यह है कि जब विरोध पक्ष ने एक स्वर से हिंसा के रास्ते को त्याज्य ठहराया, उसकी निन्दा की और निष्पक्ष और खुली जांच की मांग की तो प्रधान मंत्री ने और आल इंडिया रेडियो ने और दूसरे प्रवक्ताओं ने विरोध पक्ष को दोषी ठहराने का काम उसी दिन कुछ ही घंटों के अन्दर शुरू किया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि शुरू से ही प्रधान मंत्री चाहती थीं कि समस्तीपुर की जो ट्रेजेडी है उसका इस्तेमाल राजनैतिक उद्देश्यों के लिए किया जाए। उन्होंने जयप्रकाश नारायण के आन्दोलन को और विरोध पक्ष को बदनाम करने का प्रयास किया है। इसलिए इसकी जड़ में जाने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए। अखबारों में बहुत सारी गलत खबरें शुरू में पुलिस के द्वारा दिलाई गई। पहले यह कहा गया कि यह रेल कर्मचारियों का काम है। एक कर्मचारी का भी नाम जोड़ा गया, जो स्वयं इसमें मर गया था। पहले तो रेल मजदूरों को बदनाम करने का प्रयास किया गया, साथ-साथ विरोध-पक्ष को बदनाम करने का प्रयास हुआ, फिर आर.एस.एस. के साथ, आनन्दमार्गियों के साथ इसका संबंध जोड़ा गया। आनन्दमार्गियों के साथ कितना संबंध है, मैं नहीं जानता—जहां तक मुझे मालूम है जयप्रकाश जी के आन्दोलन के साथ उनका कोई संबंध नहीं है। आर.एस.एस. के साथ भी उसका कोई संबंध नहीं है, हां, उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, वे इस आन्दोलन से संबंधित हैं-यह कोई छुपाने की बात नहीं है....

*** *** ***

मैं कह रहा था कि पहले रेल मजदूरों के साथ, फिर विपक्षी दलों के साथ, जयप्रकाश जी के आन्दोलन के साथ, आर.एस.एस. के साथ इस घटना का संबंध जोड़ने का प्रयास किया गया। उसके बाद इन्टैलिजेन्स ब्यूरो और सी.बी.आई. के लोग इसमें आये, उनके द्वारा जांच का काम शुरू हुआ।

अब इसमें सन्देह उत्पन्न होता है—आज सी.बी.आई. की जो स्थिति है, वह स्पष्ट है। यह विभाग प्रधान मंत्री जी के तहत है। पहले यह गृह मंत्रालय के साथ था, लेकिन अब श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी के मातहत नहीं है। 1970 में जब प्रधान मंत्री जी ने मंत्रिमंडल की पुनर्संरचना की, उस समय सभी जासूसी विभाग प्रधान मंत्री जी के कार्यक्षेत्र में लाये गये। जब प्रधान मंत्री जी स्वयं निर्देश दे रही हैं कि सी.बी.आई. जांच करे और उन्होंने पहले ही यह निर्णय दे दिया कि ये सब लोग इससे संबंधित हैं तो सी.बी.आई. वाले बाध्य होकर इसी दिशा में जांच करने लगे कि किसी तरह से यह जो काण्ड हुआ है, इसकी जिम्मेदारी विरोध पक्ष पर लादी जाये और आज डेढ़ महीने में भी सी.बी.आई. को सफलता नहीं मिली है। तो इसका मुख्य कारण है कि प्रधान मंत्री जी ने अपने वक्तव्यों में सी.बी.आई. की जांच को एक विशिष्ट दिशा में प्रभावित करने का प्रयास किया है।...

*** *** ***

...जब प्रधान मंत्री जी, जिनके मातहत सी.बी.आई. है, स्वयं पहले ही फैसला दे देती है कि इसकी जिम्मेदारी किस पर है, तो फिर आप सी.बी.आई. से उम्मीद नहीं कर सकते कि वह निष्पक्ष

ढंग से जांच करेगी। अब, मैं लिंक साप्ताहिक को प्रधान मंत्री जी ने जो मुलाकात दी है, उसके एक अंश को उद्धृत करना चाहता हूं। आप इसको देखिए-प्रधान मंत्री जी से पूछा गया—

> "Shri Mishra's death will cause a lot of concern among the people about such violence spreading elsewhere."

यह सवाल उनसे पूछा गया, अब प्रधान मंत्री जी जवाब देती हैं—

> "As I have said, it is not important which person did the killing. But, when an atmosphere of hatred calumny and violence is fostered, then, anybody can do it."

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि किस ने मारा, इसका कोई महत्व नहीं है। अगर यह साबित हो जाता है कि किसी कांग्रेसी ने मारा है, तो भी प्रधान मंत्री जी कहती हैं कि इसका कोई महत्व नहीं है, इसका दोष तो विरोधी पक्ष के लोगों के ऊपर है...आप क्यों घबरा रहे हैं....

सभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी की राय में किसने मारा, इसका कोई महत्व नहीं है। ऐसा वाक्य वे इसलिये कहती हैं—क्योंकि मन में उन्होंने पहले से ही फैसला कर लिया था कि दोष इन्हीं लोगों पर लगाना है—इसलिये इस तरह का वाक्य उनके मुंह से निकला।

समस्तीपुर बम विस्फोट और श्री ललित नारायण मिश्र जी की मृत्यु के तत्काल बाद मैंने 3 जनवरी को दिल्ली से मेरे कुछ विरोधी पक्ष के साथियों के साथ एक वक्तव्य दिया था कि ललित नारायण मिश्र जी के शव पर अग्नि-संस्कार करने में जल्दबाजी न की जाये, पहले उनका पोस्ट-मार्टम कराया जाये, पूरे फोरेन्सिक एक्जामिनेशन के बाद, तथा उसकी रिपोर्ट आने के बाद उनके शव का अग्नि संस्कार कराया जाये। आमतौर पर, सभापति महोदय, आप जानते हैं—आप स्वयं वकील हैं, मैं वकील नहीं हूं, लेकिन इतना अवश्य जानता हूं कि पुलिस केस होने के बाद पुलिस वाले शव का अग्नि संस्कार कराने की इजाजत तभी देते हैं जब पोस्टमार्टम हो जाता है। यह पुलिस केस था, तत्काल पुलिस ने रजिस्टर किया था तो फिर पोस्टमार्टम न करने की छूट किनके कहने से दी गई? मैंने यह सुना है कि बिहार के चीफ सैक्रेटरी ने स्वयं कहा कि पोस्टमार्टम की कोई जरूरत नहीं है और आप अग्नि संस्कार करने की इजाजत दे सकते हैं। मैं पोस्टमार्टम का सवाल इसलिये उठा रहा हूं, क्योंकि नार्थ-ईस्टर्न रेलवे के चीफ मेडिकल आफिसर—भल्ला साहब ने कहा था—जो हम लोगों ने रेडियो से सुना था—ललित नारायण मिश्र जी को मामूली चोट आई है, स्किन-डीप-इन्जरी है, उनकी जान खतरे में नहीं है, लेकिन उसी दिन हमने बाद में सुना कि वह गम्भीर चोट थी, लम्बे आपरेशन के बाद उनकी मृत्यु हुई। इससे हम लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हुआ, इसीलिये हमको और ज्यादा शक था और हमने कहा था कि पूरे पोस्टमार्टम के बाद जांच की जाती। क्योंकि अब सवाल आयेगा—मान लीजिये, कोई आदमी पकड़ा जाता है, जिसने यह काम किया है और उस पर केस चलेगा तो वह कह सकता है कि बम विस्फोट के चलते वे नहीं मरे, 12 घंटे जो विलम्ब हुआ, उनकी जो ठीक से चिकित्सा नहीं

की गई, उनका इलाज नहीं किया गया, उसके कारण ललित बाबू की मृत्यु हुई है, इसलिये मेरे ऊपर उनके खून का, कत्ल का, होमीसाइड का इल्जाम नहीं लग सकता है...

*** *** ***

...सवाल यह उठता है—मौत का कारण क्या था? मान लीजिये, वे इलाज से ठीक हो जाते, जैसे जगन्नाथ मिश्र ठीक हो गये, तो फिर उस व्यक्ति के ऊपर कोई दूसरा चार्ज लगता, होमीसाइड का चार्ज नहीं लगता, एटेम्प्ट टु कमिट होमीसाइड का चार्ज लगता। इसलिये आपने इस मामले की जांच करने की दृष्टि से भी जो कदम उठाना चाहिए था, वह नहीं उठाया और हम लोगों के द्वारा वक्तव्य देने के बाद भी जब नहीं उठाया गया तो मैं आरोप लगाऊंगा कि यह जानबूझ कर किया गया है।

दूसरी बात—श्री मिश्रा जी का समारोह का जो कार्यक्रम था उसमें सिक्योरिटी अरेन्जमेंट ठीक था या नहीं था—यह मामला मैथ्यू कमीशन के सामने है, इसकी जांच करना उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका निर्णय वे देंगे। लेकिन कुछ बातें बिलकुल स्पष्ट हैं जो अखबारों में आ चुकी हैं कि सिक्योरिटी अरेन्जमेन्ट में इतनी खामियां थीं कि समस्तीपुर में बम विस्फोट होने के बाद सिक्योरिटी के सारे लोग भाग गये। और उस समय पर कोई नहीं था। यानी बिहार सरकार और केन्द्रीय सरकार का मनोबल कितना टूट गया है उसका यह परिचायक है कि एक विस्फोट की घटना होती है और सब लोग भाग जाते हैं। देर तक कमिश्नर वहां पर थे उनका पता नहीं, जिलाधीश का पता नहीं, एस.पी. का पता नहीं और रेलवे का जो प्रमुख अधिकारी होता है डिवीजनल सुपरिन्टेडेंट वह भी गायब। और ऐसी स्थिति में कौन चार्ज लेता है? श्री राम बिलास झा नाम का एक व्यक्ति चार्ज लेता है। मैं उनको नहीं जानता हूँ, उनकी क्या आफिशियल पोजीशन थी या नहीं थी मुझे कोई जानकारी नहीं है। सेक्योरिटी वाले भाग गये, बड़े-बड़े अधिकारी भाग गये और राम बिलास ने चार्ज ले लिया। और पहला काम वह क्या करता है कि सैलून में किसी को भी आने नहीं देंगे। यानी चार लोग जिन्होंने, सिक्योरिटी वाले सब भाग गये, तो उन चार लोगों ने ललित बाबू को उठा कर रेलवे सैलून पर चढ़ाया वह थे एक जमुना सिंह, दूसरे थे उमेश प्रसाद सिंह, शिव शंकर सिंह और चौथे कन्हैया, इसमें उमेश प्रसाद सिंह घायल थे, लेकिन राम बिलास उनसे कहता है कि यह कोई अस्पताल है? भागो यहां से। तो मारपीट की नौबत आ गई। तो यह बेचारे स्वयं घायल और फिर भी मिश्र जी को सैलून तक पहुंचाने का काम किया। लेकिन उनको भी सैलून के अन्दर नहीं आने दिया। यह राम बिलास की क्या अथॉरिटी थी इसकी खोज होनी चाहिये।

दूसरी बात यह कि राम बिलास ने गाड़ी दानापुर जायेगी यह आदेश उसने दिया। और उन्होंने कहा कि कहां हैं वह चीफ आपरेशन सुपरिन्टेंडेंट जो गाड़ियों के बारे में निर्णय करता है। बुलाओ उसको। और उनके आदेश से यह तय हुआ कि ललित बाबू का इलाज न समस्तीपुर, न दरभंगा, न पटना में होगा और न उनको दिल्ली भेजा जायेगा। क्योंकि जितना समय लगा उतने समय में अगर सरकार चाहती तो उनको हवाई जहाज से दिल्ली लाया जा सकता था। लेकिन नहीं लाया गया, और राम बिलास, जिस की कोई आफिशियल पोजीशन नहीं है, वह यह सब निर्णय करता है।

तीसरी बात यह है कि बिल्कुल जानकार सूत्रों से मुझे पता चला है कि पटना में जो विलम्ब हुआ वह इसलिये कि राम बिलास झा ने एक बार नहीं दो बार चेन पुलिंग करके इस गाड़ी को रोकने का काम किया है। स्वयं उन्होंने चेन पुलिंग की है। तो इसलिये यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे बना, और सारी जो वहां पर गतिविधियां, ऐक्टिविटी हुई उसका उसने चार्ज कैसे लिया, इसके बारे में सफाई होनी चाहिये।

उसी तरह उस सैलून में, जिसकी चर्चा मेरे ख्याल में कल "मदरलैंड" ने की है, और वह सही है कि मस्ताना बाबा, हाजीपुर के, जो तांत्रिक हैं और ललित बाबू के साथ लगे हुए रहते थे, वे सैलून में थे। लेकिन ये घायल लोग जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल कर ललित बाबू को पहुंचाने का काम किया उनको सैलून में नहीं आने दिया गया। लेकिन मस्ताना बाबा, हाजीपुर का सैलून में आ गया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो अखबारों में बहुत सारी बातें आ रही हैं।

'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' ने समस्तीपुर से जो समाचार भेजे हैं और जो प्रकाशित हो गये, उसमें दो एम.एल.सी. पर अभियोग लगाया है कि इनका इसमें हाथ था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि एक गैर बिहारी एम.पी. उसी समय पटना गया था और उसके साथ एक स्वामी भी था। पटना में जो मैंने चर्चा सुनी, बिहार में सुनी, तब मैं केवल बता रहा हूँ, मैं कोई अपना अभियोग नहीं लगा रहा हूं, और वह है यशपाल कपूर का नाम। 'हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड' में जिसकी चर्चा की गई है वह यशपाल कपूर है।

उस समय जहां तक सिक्योरिटी की बात है उसके बारे में जांच होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि इस घटना की जानकारी पटना के अफसरों को तकरीबन कुछ ही मिनटों के अन्दर दी गई। उस समय आई.जी. पुलिस एक नृत्य कला के कार्यक्रम में गये हुए थे और यह खबर आने के बाद भी वह वहां से हिले नहीं, बल्कि घंटा, डेढ़ घंटा वहीं बैठे रहे। वहां गवर्नर महोदय भी थे, शायद उनको भी जानकारी नहीं दी गई।

*** *** ***

यह शाम की बात है। मैं यह कहा रहा हूं कि इस घटना के बाद इसकी जानकारी आई.जी. पुलिस बिहार को दी गई। उस समय वह एक सांस्कृतिक कला के कार्यक्रम में थे और उसके बाद वहीं बैठे रहे, देर तक बैठे रहे, और उन्होंने इस बात का जरा भी प्रयास नहीं किया कि कौन अन्य लोग घायल हुए हैं, ललित बाबू की क्या स्थिति है, उनका इलाज हो रहा है कि नहीं? जो कि करना चाहिये वह भी नहीं किया गया। तो मैंने यह सुना कि चीफ सेक्रेटरी ने पोस्टमार्टम की शर्त को वैध किया और आई.जी. पुलिस इस घटना की जानकारी मिलने के बाद भी वहीं बैठे रहे और स्थिति पर काबू पाने का जरा भी प्रयास नहीं किया।

एक और मजेदार बात है कि ललित बाबू जब बिहार जाते थे तो उनके पीछे सारे मंत्री लोग, कम से कम आधे दर्जन से अधिक उनके आगे पीछे लगा करते थे। बहुत सारे दूसरे लोग भी होते थे। लेकिन उस दिन मंच पर और समारोह स्थल पर उनके भाई के अलावा एक भी मंत्री

मौजूद नहीं था। तो प्रश्न उठता है कि क्या इन लोगों को इस बात का पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है? और क्या इसीलिये उस जगह से वह इतनी दूर रहे, गये नहीं? और अगर उनको पता था तो ललित बाबू को उन्होंने क्यों नहीं बताया? इसके बारे में लोग अपना तर्क कर रहे हैं। कुछ उसमें कुतर्क भी हो सकता है। लेकिन यह सब चल रहा है। साधारण जन भी इस को मानते हैं कि विरोध पक्ष का इससे कोई संबंध नहीं था और न है क्योंकि विरोध पक्ष का ऐसा काम करने से कोई लाभ नहीं था। यह साधारण जनता भी समझती है, क्योंकि ललित बाबू के सवाल पर वर्षा और शीत कालीन सत्र में जो यहां पर लम्बी बहस चली उससे विरोध पक्ष का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा था। आप लोगों का नुकसान हो रहा था और फरवरी के बजट सत्र में इस सवाल पर हम लोग मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ने वाले थे। इसलिये साधारण जनता यह कहती है कि विरोध पक्ष का इससे संबंध हो ही नहीं सकता है क्योंकि विरोध पक्ष को ऐसा करने से कोई लाभ नहीं था। लेकिन ललित बाबू को लेकर जिनको जबरदस्त इम्बैरेसमेंट हो रहा था उनके बारे में लोग अपना तर्क जरूर कर रहे हैं। मैंने, सभापति महोदय, यह सुना है कि 23 तारीख को ललित बाबू से प्रधान मंत्री जी की बात हुई। वे यहां हैं और वे स्वयं कह सकती हैं। जो उन्होंने कहा, वह मैं आपके सामने रख रहा हूँ। .... लोगों ने कहा है और मुझे यह पता लगा है कि प्रधान मंत्री जी ने ललित बाबू से कहा कि आप को अब तक तो मैं डिफेंड करती रही हूँ लेकिन अब हमारे लिए मुश्किल है और आप मंत्रिमंडल से अब हटने के बारे में सोचें।

*** *** ***

*ठीक है, यह मैं आप के लिए छोड़ देता हूं, लेकिन मेरी यह जानकारी है कि इनकी मुलाकात हुई थी और इसलिए ललित बाबू चिंतित थे, दुखी थे, यह पक्की बात है। यह मुलाकात कब हुई, कैसे हुई, क्या नहीं हुआ और क्या बात हुई, उसको छोड़िये लेकिन यह बात निश्चित है कि इसको लेकर ललित बाबू दुखी थे और दो चार लोगों से उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने जो कुछ किया वह कभी अपने लिये नहीं किया, अगर किया है, तो प्रधान मंत्री जी के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए किया है... और इसलिए अब मेरी उपयोगिता समाप्त हो गई है, मेरी यूटीलिटी समाप्त हो गई है और इसीलिए मुझको हटाया जा रहा है। यह उन्होंने जो नजदीक के दो चार दोस्त थे, उनसे कहा.....

...**अब विभूति जी कहते हैं कि आप लोगों को लेकर बड़े चिंतित थे। हम तो ललित बाबू के राजनीतिक विरोधी थे। उनके बीच और हमारे बीच व्यक्तिगत विद्वेष का सवाल नहीं था। हम उनके राजनीतिक स्तर पर विरोधी नहीं थे लेकिन पांडिचेरी लाइसेंस कांड में हमारी राय में उन्होंने जो अनुचित काम किया, उसको लेकर हम बोलते थे और उसमें कांग्रेस पार्टी, प्रधान मंत्री और उनमें हमारे लिए कोई फर्क नहीं था क्योंकि ललित बाबू ने अपने दोस्तों से यह कहा कि सब कुछ मैं इनके लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए करता था और मुझे अब हटाया जा रहा है या

---

* श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री की टिप्पणी 'ऐसी कोई बातचीत मेरी ललित बाबू से नहीं हुई' का जवाब देते हुए।

** श्री विभूति मिश्र, सांसद।

मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो यह आपके आपस का मामला है और इसमें मैं नहीं पड़ता, लेकिन आज साधारण लोगों की यह राय हो गई है कि विरोधी पक्ष का इससे कोई संबंध नहीं है और अगर यह काम किया है, तो व्यवस्था और इस्टाबिलिशमेंट के लोगों ने ही किया है क्योंकि श्री ललित नारायण मिश्र उनके लिए एक बहुत बड़ा इम्बैरेसमेंट बन गये थे इसलिए आप लोगों को इसकी शुरू में ही जो निष्पक्ष जांच करनी चाहिए थी वह नहीं की और पोस्टमार्टम नहीं करवाया और जब पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने की स्थिति उत्पन्न हो गई, तब आप ने इस चार्ज को प्री-एम्प्ट करने के लिए मैथ्यू कमीशन नियुक्त किया। अब इस कमीशन को भी देखिये।

सभापति महोदय, आप मेरी ओर क्यों देख रहे हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेने वाला हूं और मुझे ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है।

*** *** ***

इस वक्त तीन किस्म की जांच चल रही है। एक मेडिकल टीम बनाई गई है जो यह देखेगी कि उनका इलाज ठीक से हुआ या नहीं। मेरी जानकारी यह है कि भल्ला साहब ने कहा, जब उनको तकलीफ और पीड़ा होने लगी तो फिर डाक्टर को सैलून में बुलाया गया, तो डाक्टर ने कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है और आप नर्वस हो रहे हैं। उन्होंने कहा यू डोन्ट ट्राई टू मिसलीड और उस समय जानबूझकर इन्टरव्यू करवाया गया हरि प्रसाद शर्मा से, जो पटना स्थित आल इंडिया रेडियो में थे और यह 'आल इंडिया रेडियो' पर भी आया है। अब यह एक मामूली सी बात है कि जब इस तरह की चोट होती है, तो जो पेशेंट होता है, उसको पानी वगैरह नहीं पिलाया जाता है लेकिन रास्ते में उनको कई दफा पानी पिलाया गया और इतनी देर से उनका आपरेशन हुआ कि सब जमा हुआ खून उनके पेट में से मिला है। इसलिए मेरा आरोप है कि उस वक्त जो डाक्टर वहां पर थे उन्होंने सही ढंग से उनका इलाज नहीं किया है और उसमें विलम्ब हुआ है। दरभंगा, समस्तीपुर, पटना और दिल्ली की बात तो आप छोड़िए लेकिन सैलून में भी जो उनका इलाज होना चाहिए था, वह नहीं हुआ और रास्ते भर उनको बराबर पानी पिलाते रहे जिसका बहुत बुरा असर उनके घाव पर पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई।

तीसरी सी.बी.आई. की जांच चल रही है। इंटेलीजेंस वाले क्या कर रहे हैं, मुझे पता नहीं है। तो मेरी राय में इस अक्षम्य विलम्ब का बुरा असर होगा; सरकार ने बहुत सारी एविडेंस को नष्ट किया है या नष्ट होने दिया है। साथ ही साथ बिहार सरकार के जो अफसर हैं या मंत्री लोग हैं, उनका इस कांड में जो रोल है वह मेरी राय में बहुत गैर-जिम्मेदाराना है। वे बहुत गैर-जिम्मेदाराना तरीके से पेश आए हैं और उन्होंने अपने दायित्व को ठीक तरह से नहीं निभाया है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि सत्य का पता लगे, तो इसमें जो भी दोषी अफसर हैं, दोषी लोग हैं उनको हटाना आप का कर्त्तव्य हो जाता है। समस्तीपुर विस्फोट के बारे में जब बिहार सरकार की इतनी अकर्मण्यता है, इतनी असफलता है, तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। स्वयं डा. जगन्नाथ मिश्र ने, जो उनके भाई हैं, कहा है कि यह बहुत बड़ा षड्यंत्र था और बिहार सरकार ने सिक्योरिटी के बारे में अक्षम्य अपराध किया है। यह स्वयं डा. जगन्नाथ मिश्र की राय है। तो ऐसी हालत में मैं सरकार

को सलाह देना चाहता हूँ कि वह बिहार सरकार को तत्काल बर्खास्त करे और ये जो सारी बातें हैं इन बातों के बारे में सारी मदद 'मैथ्यू कमीशन' को दी जाए वरना यह जो रहस्य है, यह कभी खुलने वाला नहीं है।

इसके अलावा अनिल चोपड़ा की जो तथाकथित सड़क दुर्घटना में हत्या हुई है, उसके बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ।

उनके पास जो कागज पाए गए हैं उनमें तीन-तीन बार जोगी तांडेल का नाम आया है। यह जोगी तांडेल कौन है। एक और उसकी रिश्तेदारी हरि भाई तांडेल से है जो कांग्रेस पार्टी के दमण से एम.एल.ए. हैं और मुकुर नारायण बखिया के रिश्तेदार हैं। दूसरी ओर प्रेमा भाई तांडेल हैं जो मारूति लिमिटेड में इंस्पेक्टर हैं। यह अनिल चोपड़ा के कागजों में स्वयं मैंने देखा है कि दो-दो, तीन-तीन बार इन सभी लोगों का उल्लेख है।

*** *** ***

...मैं यह कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी और इटेंलीजेंस का टोटल फेल्योर हुआ है, पूरी असफलता के ऊपर मैं बोल रहा हूँ। इसलिए मुझे यह कहने का अधिकार है। अन्त में मैं मांग करता हूं कि सरकार अगर इन रहस्यों का उद्घाटन चाहती है तो मैं कहूंगा कि नागरवाला से लेकर समस्तीपुर बम विस्फोट तक जितनी भी रहस्यमय मौतें हुई हैं उन सभी की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति आप बिठाएं। आप जानते ही हैं कि संसदीय कमेटी में दलीय दृष्टिकोण से विचार नहीं होता है और इस कारण जो सत्य है वह बाहर आ सकता है। अगर इस तरह की बात को आप कबूल नहीं करेंगे तो जनता का जो विश्वास है वह आप पर से उठता ही चला जाएगा। इनको बहुत घमंड था कि जनता मेरे साथ है। हमेशा कहती थी कि मेरे साथ है लेकिन लगातार जो उन निर्वाचनों के नतीजे निकल रहे हैं वे आपके खिलाफ जा रहे हैं। आप कहती थीं कि बंसीलाल की जांच नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्या इसलिए कि गुड़गांव जिले में उन्होंने मारूति लिमिटेड को तीन सौ एकड़ जमीन दी है? लेकिन जनता ने फैसला दे दिया। तीन में से दो उप-निर्वाचन आप हार गए हैं। मेरे पीछे मेरे मित्र बैठे हैं जो जबलपुर जैसे आपके गढ़ में कांग्रेस के उम्मीदवार को 87,000 मतों से हराकर आए हैं। गुजरात में आप चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि आपको डर लग रहा है। आपके जो कारनामे रहे हैं उनकी वजह से जनता का विश्वास आप खो चुके हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि सदन को तत्काल स्थगित किया जाए और इस सरकार को सेंसर किया जाए। अगर आप इस प्रस्ताव को नहीं मानते हैं तो जनता अन्त में आपके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव और सेंसर मोशन जरूर पास करेगी बशर्ते कि संसदीय लोकतंत्र को आप बचने दें।

अलोकतांत्रिक गतिविधियों का विरोध*£

मेरा इस बहस में हिस्सा लेने का विचार नहीं था। लेकिन कुछ सदस्यों के भाषण सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे भी कुछ बोलना चाहिये।

राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सम्पूर्ण क्रान्ति की चर्चा करते हुए कहा है कि सम्पूर्ण क्रान्ति की बात करने वाले लोग लोकतंत्र की जड़ों को उखाड़ कर विघटन का काम करना चाहते हैं। इसलिये इसका जवाब देना मैं आवश्यक समझता हूँ। आप तो उपाध्यक्ष महोदय समाचारपत्रों को गौर से पढ़ते हैं। आपने विगत इतवार को *'इंडियन एक्सप्रेस'* में सुधांशु दास का जो लेख प्रकाशित हुआ है उसको जरूर पढ़ा होगा। उन्होंने जहां विरोधी पक्ष में आपस में जो विचार विनिमय हो रहा है उसकी चर्चा की वहां सत्तारूढ़ दल में भी इस समय क्या विचार चक्र चल रहा है उसका भी उल्लेख किया है और कहा है कि सत्तारूढ़ दल के कुछ मान्यवर लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि लोक सभा का सत्र जो इतना लम्बा चलता है उस सत्र को छोटा बना देना चाहिए। और जो काम के दिन हैं उनकी संख्या निश्चित करनी चाहिए। उसी तरह *पोलिटिकल एण्ड इकोनोमिक वीकली* में श्री रमेश थापर जो कभी-कभी सत्तारूढ़ दल में अन्दर ही अन्दर विचार चलता है, लाउड थिंकिंग, उसकी कभी-कभी अभिव्यक्ति करते हैं और उसमें उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि प्रधान मंत्री जी ने स्नैप पोल की चर्चा बेकार छेड़ दी है। यह सब नहीं होना चाहिये था। उन्होंने सुझाव दिया है कि देश में जो संकटकालीन स्थिति है उसका लाभ उठाकर वर्तमान लोक सभा की मियाद को और दो साल के लिये बढ़ा देना चाहिये और इन दो वर्षों का इस्तेमाल, जो आर्थिक संकट इस वक्त देश पर आया है, उस संकट के निवारण के लिए, रचनात्मक ढंग से करना चाहिये। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री के जो विचार हैं, रमेश थापर उनको अभिव्यक्त कर रहे हैं, या वह उनके आफिशियल एजेन्ट हैं। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सुधांशु दास ने *इंडियन एक्सप्रेस* में जो कहा है, वह कोई अधिकारिक सरकारी वक्तव्य है। लेकिन आखिरकार ये पत्रकार सत्तारूढ़ दल के नेताओं से भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, और उन दोनों ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल में इस समय यह थिंकिंग है।

इसलिये इन दो बातों को आप ध्यान में रखिये कि एक ओर लोक सभा के सत्र को छोटा बनाने की बात चल रही है, और दूसरी ओर रमेश थापर खुल कर यह सुझाव दे रहे हैं कि लोक सभा की अवधि को दो साल के लिये बढ़ा देना चाहिये।

***　　　***　　　***

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 26 फरवरी 1975.

£ माननीय राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए।

£अगर आप इससे सहमत नहीं हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोक सभा की मियाद एक दिन के लिये भी नहीं बढ़ानी चाहिये, तो मैं यह सुझाव दूंगा कि आप अपने दल के नेताओं पर दबाव डालें और संकटकालीन स्थिति, स्टेट आफ इमर्जेन्सी, को समाप्त करने का काम करें। जब संकटकालीन स्थिति रहती है, तो अनुच्छेद 83 के प्रोवाइजो के तहत पार्लियामेंट को यह अधिकार मिल जाता है कि वह मामूली कानून, आर्डिनरी ला, के जरिये एक समय पर एक साल तक लोक सभा की अवधि बढ़ा सकती है।

आपने कहा है कि आपका मेरे साथ मतैक्य है। अगर मतैक्य है, तो क्या वजह है कि आप संकटकालीन स्थिति, इमर्जेन्सी, को खत्म करने के लिये अपने नेताओं पर दबाव नहीं डालते हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी मंशा साफ नहीं है। लोकतंत्र में जहां विरोधी दल का अपना रोल है, वहां यह भी जरूरी है कि हर एक दल में भी लोकतंत्र रहे—हमारे दल में, आपके दल में और श्री पीलू मोदी के दल में लोकतंत्र रहे, क्योंकि लोकतंत्र के लिये यह आवश्यक है कि केवल लोक सभा में ही नहीं, बल्कि हर एक दल में भी लोकतंत्र रहे।

मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि दो महायुद्धों के बीच में जर्मनी में जो वाइमर रिपब्लिक थी, वह दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में सबसे अधिक उन्नत लोकतंत्र थी और सब लोग यह बात मानते हैं। लेकिन वहां संविधान की धारा 48 के तहत कई किस्म के अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते थे। जिस तरह हमारे यहां अध्यादेश का प्रावधान है, वैसे जर्मनी में डिक्री से राज करने का प्रावधान था। जब वहां संकटकालीन स्थिति उत्पन्न होती थी, तो देश में सुव्यवस्था बनाये रखने के लिये राष्ट्रपति के द्वारा पार्लियामेंटरी कानून का नहीं, बल्कि डिक्री का इस्तेमाल किया जाता था।

प्रैजिडेंट हिंडनबर्ग संसद से बहुत नफरत करते थे, क्योंकि वह कैसर का जनरल था। वह कहता था कि संसद एक वाहियात चीज है। सुधांशु दास ने कहा है कि सत्तारूढ़ दल लोक सभा के सत्रों की अवधि को घटाना चाहता है। जर्मनी में प्रैजीडेंट हिंडनबर्ग के कार्य-काल में यही किया गया। पहले वहां सात महीने तक संसद का सत्र होता था। उन्होंने कहा कि यह नहीं होना चाहिये। फिर वर्किंग डेज को 100 से कम किया गया। होते-होते जर्मनी की संसद के वर्किंग डेज को 30, 35 दिन तक घटाया गया।

वहां पहले कानून संसद के द्वारा बनाये जाते थे। लेकिन प्रैजिडेंट हिंडनबर्ग ने कहा कि संसद के द्वारा कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं डिक्री से कानून बनाऊंगा और 1930 में, हिटलर के उदय से तीन साल पहले, एक साल में संसद के द्वारा केवल 5 अधिनियम बनाये गये और 45 से अधिक अधिनियम डिक्री के मार्फत बनाये गये।

आज सत्तारूढ़ दल के लोग खुल कर लोकतंत्र-विरोधी प्रस्ताव कर रहे हैं, वे समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों से इस बारे में बातचीत भी कर रहे हैं, और ये लोग अपने लेखों में इस तरह की बातें कह रहे हैं।

*** *** ***

£श्री एम. रामगोपाल रेड्डी, सांसद की टिप्पणी, 'हम इससे सहमत नहीं हैं' पर विचार व्यक्त करते हुए।

£अगर कम होगा, तो यह संसद के लिये बड़ा खतरा होगा। मंत्री लोग और नौकरशाही के लोग समझते हैं कि लोक सभा एक न्यूसेंस है। वे कहते हैं कि जब लोक सभा का सत्र होता है, तो हम काम नहीं कर सकते।

*** *** ***

इस वक्त विचारों के स्तर पर बात हो रही है। श्री वाजपेयी कह रहे हैं कि खुद श्री चन्द्रजीत यादव ने कहा है। विचारों की दिशा के बारे में बात हो रही है। क्या सत्तारूढ़ दल के नेता इस दिशा में सोच रहे हैं कि लोक सभा का सत्र बड़ा न्यूसेंस है, ये मेम्बर लोग सवाल पूछते हैं, हम लोगों को काम करने का समय नहीं मिलता है? जैसे ये लोग वास्तव में कुछ काम करते हैं।

आजकल नौकरशाही में विशेष सेल्ज खुल गये हैं कि प्रश्नों के उत्तर असत्य ढंग से कैसे दिये जायें, विरोधी पक्ष के प्रश्नों को ईवेड कैसे किया जाये। मैं उसका एक उदाहरण देता हूं। ऐसे बहुत से मामले हैं, लेकिन मैं यहां श्री चन्द्रजीत यादव की चर्चा करूंगा। उनके बारे में एक विशेषाधिकार का सवाल मैंने उठाना चाहा था। लेकिन अभी तक उसकी अनुमति नहीं मिली है। मैंने दोबारा पत्र लिखा है, श्री चन्द्रजीत यादव का एक पत्र स्पीकर की मार्फत मेरे पास आया है। मैं उसको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ:

"Dear Mr. Speaker,

Kindly refer to Lok Sabha Secretariat U.O. No. .... dated February 5, 1975. The communication refers to a notice of question of privilege given by Shri Madhu Limaye, MP. The factual position of the matter referred to in the notice is as follows:

Some time in March 1971, Shri Shamshad Ali, whom I had known as a young small-scale entrepreneur from Lucknow, met me on behalf of his firm Messrs Paramount Engineering Works, Lucknow, and represented that his firm was facing difficulties in securing adequate quantity of raw materials for running their industry. I recollect that I spoke on phone to the concerned officer in Kanpur and requested him to look into the legitimate difficulties being experienced by the firm in question. The allegation that I abused my position as an M.P. in this matter is baseless. All I did, as a representative of the people, was to bring to the notice of concerned authority what I believed to be the genuine difficulties of this small-scale enterprise.

I will have no objection if you decide to pass on a copy of my letter to Shri Madhu Limaye."

*** *** ***

£ श्री एम. राम गोपाल रेड्डी, सांसद के वक्तव्य 'लेकिन लोक सभा या राज्य सभा का एक दिन भी कम नहीं हुआ' पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए।

£आप भी ऐसा काम करते हैं क्या! बोगस फर्म्स को लाइसेंस दिलवाने का काम आप भी करते हैं? राष्ट्रपति जी ने कहा है कि हम बहुत सारे सुधार चाहते हैं।... वे प्वाइंट ऑफ आर्डर कहें तो मैं तुरन्त बैठ जाऊंगा।

मैं यह कह रहा था कि राष्ट्रपति जी ने कहा है कि भ्रष्टाचार का निराकरण हम लोग भी करना चाहते हैं। आखिरकार भ्रष्टाचार क्या चीज है? जब तक संसदीय प्रणाली में जो विभिन्न समस्यायें हैं उनके आपसी संबंध ठीक नहीं होते तब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा। उसमें सवाल उत्पन्न हो जाता है न्यायालय और संसद इनका कार्यक्षेत्र क्या होना चाहिये। यह भी स्पष्ट हो जाना चाहिये कि लोक-प्रतिनिधि जैसे आप और हम हैं उनका और नौकरशाही का तथा मंत्रियों का क्या रिश्ता होना चाहिये? मैं महत्व के मुद्दे पर आया तो आपने घंटी बजा दी। मैं खत्म कर रहा हूं।

मैं यह कह रहा था कि जनता मतदाता एक ओर और लोक प्रतिनिधि दूसरी ओर इनका क्या रिश्ता होना चाहिये? क्या लोक प्रतिनिधियों को किसी को लाइसेंस कोटा परमिट दिलवाने का काम करना चाहिये? अगर वह बेइमानी करने वाली फर्में हैं तो क्या इन फर्मों की भी मदद हम लोगों को करनी चाहिये?... आप जितना ज्यादा बोलेंगे उतना चन्द्रजीत यादव का मामला गड़बड़ होगा। आप बोलिये मैं पसंद करता हूँ। मैं 'ईल्ड' करने को तैयार हूं। बोलना वह नहीं जानते हैं लेकिन बार-बार बोल रहे हैं। तो वह बोलें मैं उनको इनवाइट कर रहा हूं बोलने के लिये।... नहीं, मैं तैयार हूं। मैं बहुत डिमोक्रेट हूँ इस मामले में।

मैं यह कह रहा था कि उसी तरह कार्यकारिणी के अन्दर मंत्रियों और नौकरशाह का आपस में क्या रिश्ता होना चाहिये, यह सारे सवाल उठते हैं, पांडिचेरी लाइसेंस कांड में भी उठे हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट की किसी कमेटी को खूब गहराई में जाकर निष्कर्षों को निकालना चाहिये और वह निष्कर्ष सदन के सामने आने चाहियें।

जहां तक इस केस का सवाल है मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह पैरामाउन्ट इंजीनियरिंग कम्पनी जो है यह बिलकुल बोगस कम्पनी है। अभी डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज उत्तर प्रदेश ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जितनी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं इनमें से तीस प्रतिशत से अधिक बोगस हैं और इनमें यह भी हैं....

*** *** ***

££आप मुझे और समय दिलवा दें तो चट्टोपाध्याय के साथ मेरा जो जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसमें जो जो ऐडमीशंस किये गये हैं वह सब मैं आपके सामने रखूंगा।

*** *** ***

£ श्री एम. राम गोपाल रेड्डी, सांसद की टिप्पणी 'बुरा क्या है?' का उत्तर देते हुए।

££ एक माननीय सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी कि 'आपको कैसे मालूम?' पर बोलते हुए।

पैरामाउंट इंजीनियरिंग नाम का कोई कारखाना नहीं था और उसमें कोई मशीनरी नहीं थी और 80 लाख रुपये का लाइसेंस....

*** *** ***

£मैं इन दोनों बातों का ईमानदारी से जवाब दूंगा। 30 प्रतिशत की बात अखबारों में आई है। अब 30 परसेंट में पैरामाउंट इंजीनियरिंग का समावेश डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्रीज ने किया है या नहीं यह मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरी अपनी जानकारी है कि एन्क्वायरीज हुई है और प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी के बाद इस फर्म से पूछा गया कि आपका ऐन्युअल कन्जंप्शन क्या है और उसका आधार क्या है तो वह यह नहीं बता पाये। उसी में ये पकड़े गये हैं। डायरेक्टर आफ इंडस्ट्रीज ने अगर इनका समावेश उसमें नहीं किया है तो आज की बहस के बाद जरूर पैरामाउंट इंजीनियरिंग का समावेश उनको करना चाहिये।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस पैरामाउंट इंजीनियरिंग फर्म को जो लाइसेंस चन्द्रजीत यादव के दबाव पर मिला है उसको काले बाजार में बेचने का काम इस फर्म ने किया है।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मैं फिर एक बार दोबारा कहना चाहता हूँ कि अगर संसदीय कमेटी बैठायेंगे तो मैंने जो अभियोग लगाये हैं एक-एक को मैं साबित करूंगा।

अब मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। श्रीमती सुचेता कृपलानी का नाम लिया गया है, मैं नहीं जानता हूं। आज वह इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिये उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वह आज जवाब देने के लिये मौजूद नहीं हैं, लेकिन मैं बहस के लिये मानने को तैयार हूं कि उन्होंने भी कहा हो तो उससे क्या होता है? लेकिन चन्द्रजीत यादव मौजूद हैं। उनको मिनिस्टर बना दिया गया है। तो क्या उनकी जवाबदेही इस सदन के प्रति है या नहीं? मैं इसका उत्तर चाहता हूँ और फिर दोबारा स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो चुनौती दी है उस चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं, उसके लिये, पार्लियामेंट्री कमेटी बैठायी जाये।

£ श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय, सांसद द्वारा यह स्पष्टीकरण मांगने पर कि 'क्या बोगस फर्म्स में शहशाद अली की फर्म है और क्या आप जानते हैं कि इस फर्म के बारे में उत्तर प्रदेश की भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी ने कोई लैटर लिखा था?' का स्पष्टीकरण देते हुए।

नागरिक स्वतंत्रता का हनन*£

इसमें दो बातें हैं। एक तो विधेयक का विरोध और दूसरे जो बुनियादी मुद्दा है कि इनको इसको इंट्रोड्यूस करने की इजाजत नहीं देनी चाहिये और वह क्यों नहीं देनी चाहिये। इन दोनों पर मैं बात कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, हर विधेयक के साथ स्टेटमेंट आफ औब्जैक्ट्स एंड रीजंस देने पड़ते हैं, कारणों और उद्देश्यों का ज्ञापन देना आवश्यक होता है। आपको यहां तक भी अधिकार दिया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर आप इस ज्ञापन को दुरुस्त भी कर सकते हैं, बदल भी सकते हैं। मेरा यह कहना है कि इन्होंने जो उद्देश्यों और कारणों का वक्तव्य दिया है वह अपूर्ण है और सदन को गुमराह करने वाला है। अपूर्ण कैसे है? इन्होंने यह जो नया सेक्शन 15ए जोड़ने की बात कही है उसका 'बी' आप देख लीजिये। क्लाज 215ए, 1 बी मैं पढ़ रहा हूँ:

> "(b) the detaining authority is satisfied, having regard to all or any of the facts constituting all or any of the grounds on which the order has been made, that such person is likely to commit or attempt to commit, or abet the commission of, any prejudicial acts within the meaning of sub-section (2) of this section in an area which is for the time being declared to be a disturbed area by notification under section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 and makes a declaration to that effect within five weeks of the detention of such person."

इसका कोई स्पष्टीकरण स्टेटमेंट आफ औब्जैक्ट्स एंड रीजंस में नहीं है। यह जो 'बी' क्लाज जोड़ दिया गया है इसका एकमात्र उद्देश्य है कि एक अर्से से नजरबन्दी के बारे में, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं... इक्का-दुक्के निर्णय नहीं—दर्जनों निर्णय हैं इनको नलीफाई और समाप्त करने के लिए यह काम किया गया है और इस बात को स्टेटमेंट आफ औब्जैक्ट्स एंड रीजंस में स्पष्ट नहीं किया गया है। मैं, सुप्रीम कोर्ट का एक ताजा निर्णय जो है वह आपके सामने रखना चाहता हूँ।

I am reading out from page 138, paragraph 6, AIR, Vol. 62, 1975 January (Part 733). It says:—

> "If there is one principle more firmly established than any other in this field of jurisprudence, it is that even if one of the grounds or

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 7 मई 1975.

£ 'आंतरिक सुरक्षा (संशोधन) विधेयक' पुरःस्थापित के समय चर्चा में भाग लेते हुए।

reasons which led to the subjective satisfaction of the detaining authority is non-existent or misconceived or irrelevant, the order of detention would be invalid and it would not avail the detaining authority to contend that the other grounds or reasons are good and do not suffer from any such infirmity, because it can never be predicted to what extent the bad grounds or reasons operated on the mind of the detaining authority or whether the detention order would have been made at all if the bad ground or reason were excluded and the good grounds or reasons alone were before the detaining authority. See the decisions of this Court in *Shibban Lal Saxena v. The State of Uttar Pradesh,* 1954."

ये इक्का-दुक्का निर्णय नहीं है। 1954 से सुप्रीम कोर्ट कह रही है। मैं इन वाक्यों पर जोर दे रहा हूं:—

"If there is one principle more firmly established than any other in this field of jurisprudence."

ये केस उन्होंने साइट किए हैं:

"See the decisions of this Court in *Shibban Lal Saxena v. The State of Uttar Pradesh,* 1954; *(2) Dr. Ram Manohar Lohia v. State of Bihar; (3) Pushkar Mukherjee v. The State of West Bengal* 1970. Even as recently as this year, a Division Bench of this Court pointed out in *Biram Chand v. State of U.P., AIR* 1974 that it is well settled that in an order under the present Act the decision of the authority is a subjective one and if one of the grounds is non-existent, irrelevant or is not available under the law, the entire detention order will fall since it is not possible to predicate as to whether the detaining authority would have made an order for detention even in the absence of non-existent or irrelevant ground.

The conclusion is, therefore, inescapable that since ground No. 5 was wholly misconceived, non-existent and "not available under the law"; the order of detention must be held to be invalid."

आगे जजों ने चिन्ता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन सरकारी अधिकारी ठीक तरह काम नहीं करते हैं और इसलिये उन्होंने कहा है:

"This circumstance also is indicative of the rather casual manner in which the District Magistrate proceeded to make the order of detention without proper application of mind and it could have an invalidating consequence on the order of detention. We hope and trust that the District Magistrate will be more careful in the future when he has occasion to exercise the enormous powers of preventive detention entrusted to him by the Parliament."

इसलिए मेरा कहना यह है कि यह जो ज्ञापन है यह अपूर्ण है, यह सब-क्लाज क्यों रखा गया है उसका कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं किया गया है। असली कारण इसका यही है कि अभी-अभी सुकुर नारायण बखिया का केस हुआ है और उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर छोड़ने का हाई कोर्ट ने फैसला किया है। एक तो लापरवाही बरती जाती है और कभी-कभी यह जानबूझकर भी किया जाता है। मुझे जानकारी मिली है कि विगत सितम्बर महीने में इनके लिए प्रिफेस तैयार किए गए गिरफ्तारी के। लेकिन प्रमुख लोगों के ब्रीफ्स को बदला गया और इस तरह के प्रेजुडिशल ग्राउंड्स जानबूझकर दिए गए हैं। मूल जो फाइल है, ब्रीफ्स की, उसको हासिल करने की आप कोशिश करें। अगर उस फाइल का आपको पता चलेगा तो मेरी बात की पुष्टि हो जाएगी। इसलिए इसमें उन्होंने इसी फैसले का हवाला देते हुए कहा है:

> "In view of what we have held above, the inclusion of non-existent facts in the grounds vitiates the entire detention order. It is then argued that the totality of the grounds must be seen and not individual grounds.

इसी के ऊपर यह आधारित है। इनका 'प्ली' यह है:

> "There is no force in this contention. In *Dwarka Prashad* v. *State of Bihar* (AIR 1975 SC 134), it has been clearly held that even if one of the grounds or reasons which led to the subjective satisfaction of the detaining authority is non-existent or misconceived or irrelevant, the order of detention would be invalid and it would not avail the detaining authority to content that the other grounds or reasons are good and do not suffer from any such infirmity....."

यह हाई कोर्ट का निर्णय है। इसलिए मेरा यह कहना है कि आप इनको इस बिना पर अनुमति न दें कि इन्होंने स्टेटमेंट आफ औब्जैक्ट्स एंड रीजंस को ईमानदारी से और सारी बातों को सदन के सामने रखने के लिए तैयार नहीं किया है। बाकी जो मेरे आक्षेप हैं वे इस प्रकार हैं। पहले तो यह नजरबन्दी का कानून ऐसा है कि लोकतंत्र की मान्यताओं के खिलाफ है। इंग्लैंड जैसे देश में युद्धकाल को छोड़कर इमरजेंसी—हमारी तरह की झूठी इमरजेंसी नहीं बल्कि असली इमरजेंसी—अगर चलती है तो जैसे ही वह समाप्त हो जाता है, नजरबन्दी कानून भी समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने साधारण कानून में ही नजरबन्दी कानून का प्रावधान संविधान की दफा 22 के अंतर्गत किया है। लेकिन उसमें भी कुछ उन्होंने शर्तें लगाई हैं, कुछ प्रतिबंध रोकें लगाई हैं, निर्बन्ध लगाए हैं। लेकिन एक-एक निर्बन्ध को गृहमंत्री और सरकार अब समाप्त करना चाहती है। इसका मतलब यह है कि अगर यह कानून हम लोग इस संसद में पास होने देंगे तो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकेगा और अब अगर झूठे कारण भी दिए जायेंगे और एक कारण भी अगर अदालत को ठीक मालूम होगा तो बाकी सारे कारण झूठ होते हुए भी इस नजरबन्दी के आर्डर को वैध उसको करना पड़ेगा—आपने जो 'अभी भी' लगा दिया है उसकी वजह से। आपने यह प्रावधान किया है कि एडवाइजरी बोर्ड के पास दो साल तक उनके मामले नहीं भेजे जायेंगे। यह लोकतंत्र के ऊपर कुठाराघात है, इससे अधिनायकवाद का रास्ता खड़ा हो

ज़ाएगा। आप कह रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक नेता या कार्यकर्ता के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन बार-बार हम देख चुके हैं कि इस सदन के सदस्यों तक के ऊपर भी मीसा का इस्तेमाल किया गया है और हजारों-हजार नौजवानों, मासूम नौजवानों, निष्पाप नौजवानों को आपने नजरबन्दी कानून के तहत जेलों में डाल रखा है और वहां वे सड़ रहे हैं। अगर आप इनको यह छूट देंगे कि दो साल तक एडवाइजरी बोर्ड के पास मामलों को नहीं भेजा जाएगा और मामला अगर रिट पैटीशन में, हेबियस कारपस में जाता है तो आप कहते हैं कि अगर एक कारण भी ठीक होगा और बाकी नौ-दस जितने भी कारण हैं वे झूठे हों तो नजरबन्दी वैध होगी। ग्राउंड टैक्नीकली ठीक है, यह सही है या नहीं, इसके ट्रुथ आर अदरवाइज में अदालत नहीं जा सकेगी। टैक्नीकली एक कारण भी ठीक होगा तो आप चाहते हैं कि नजरबन्दी के आदेश को वैध घोषित कराया जाए अदालत के जरिए। हमारे जितने मौलिक और बुनियादी अधिकार हैं उनको आप समाप्त करना चाहते हैं। यह प्रेजुडिशल एक्ट की जो व्याख्या की गई है उसका भी नतीजा यही निकलेगा कि प्रेजुडिशल एक्ट के नाम पर किसी तरह के कार्य को भी आप आधार बना कर उनको दो साल के लिए नजरबन्दी कानून के तहत जेल में ठूंस सकते हैं। मेरा बुनियादी आक्षेप पहला रूल्ज के तहत है कि जब तक स्टेटमेंट ऑफ औब्जैक्ट्स एंड रीजंस ठीक नहीं होगा तब तक यह बिल इंट्रोड्यूस भी नहीं हो सकता है। अगर इसके बावजूद भी आप इनको छूट देते हैं तो मैंने जो कारण बताए हैं कि एडवाइजरी बोर्ड को दो साल तक नजरबन्दी के कारण नहीं दिए जायेंगे, दो साल तक एडवाइजरी बोर्ड के सामने नहीं जाया जाएगा, एक कारण भी वैध होगा तो भी नजरबन्दी को वैध घोषित किया जाएगा, इस तरह के जो प्रावधान हैं, प्रेजुडिशल एक्ट की जो परिभाषा है और इन सबका मैं बुनियादी तौर पर विरोध करता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इनको इस बिल को पेश करने की इजाज़त न देकर सदन के सदस्यों तथा दूसरे बाहर के लोगों का धन्यवाद प्राप्त कीजिए और लोकतंत्र की रक्षा कीजिए।

जम्मू-कश्मीर की स्थिति*£

अध्यक्ष महोदय, पहली बार सरकारी दल के सदस्य के नाते इस सदन में बोल रहा हूं, इसलिए यह मुझे बड़ा अटपटा सा लग रहा है, जैसा हमारे दोस्त सुब्रमण्यम साहब** को भी अटपटा लग रहा था, जिस समय वे विरोधी दल के सदस्य के नाते बोल रहे थे।

अध्यक्ष महोदय, मेरी तो सारी जिन्दगी ही विरोध की राजनीति में बीती है, 16 साल की उम्र से 25 साल तक मैंने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, उसके बाद कांग्रेस सरकार का हम लोग विरोध करते रहे और जनता की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन हम लोग जिस प्रतिपक्ष में बैठकर काम करते थे, वह बिखरा हुआ प्रतिपक्ष था, कई दलों में बंटा हुआ था।

डा. सुब्रमण्यम स्वामी, संसद सदस्य आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा नया संविधान इस देश में स्थापित होने के बाद, पहली बार, एक संगठित प्रतिपक्ष इस सदन में स्थापित हुआ है, इसलिए मैं आशा करता हूं कि सत्ताधारी दल और प्रतिपक्ष, मेरा तात्पर्य मान्यताप्राप्त प्रतिपक्ष से है, दोनों मिलकर जन-स्वातन्त्र्य की रक्षा के लिए और संसदीय संस्थाओं की जड़ों को मजबूत करने के लिए मिल कर काम करेंगे।

मैं इस बात को बिलकुल नजरअन्दाज नहीं कर रहा हूं कि हमारे दल में और विरोधी पक्ष में बुनियादी मतभेद हैं। लेकिन इन बुनियादी मतभेदों के बावजूद मैं उम्मीद करता हूं कि राष्ट्रीय हितों को हम लोग सर्वोपरि रखेंगे। मैं यह मानता हूं कि जब हम प्रतिपक्ष में थे तो हमसे भी कुछ भूलें हुई होंगी। मैं यह नहीं कहता कि हमारे सारे काम ठीक ही थे, लेकिन इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि जब देश के ऊपर आक्रमण हुआ या देश के ऊपर अन्तर्राष्ट्रीय संकट आए, तब प्रतिपक्ष ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली और सत्तारूढ़ दल के साथ रह कर देश के हितों की और जनता के हितों की रक्षा की। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि जब 1965 की लड़ाई हुई, उस समय प्रतिपक्ष ने दलीय भावना से ऊपर उठकर जनता और सरकार का साथ दिया। जब बंगलादेश का मामला सामने आया, तो अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि प्रतिपक्ष ने सहयोग की भूमिका निभाई और जब कभी इस सदन में कश्मीर का सवाल उठाया गया और उसकी चर्चा हुई तो कश्मीर के सवाल के महत्व को, उसकी अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए, हम लोगों ने हमेशा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाया था। संकट काल की घोषणा से पहले शेख अब्दुल्ला साहब और प्रधान मंत्री जी के बीच में जो समझौता हुआ था कश्मीर के मामले को लेकर और उस पर जो इस सदन में चर्चा हुई थी, उसकी आज हमें याद आ रही है। मैंने

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 29 मार्च 1977।

£ जम्मू-कश्मीर की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

** डा. सुब्रमण्यम स्वामी, सांसद।

उस चर्चा में भाग नहीं लिया था लेकिन मेरे मित्र श्री मधु दंडवते ने, जो अब रेल विभाग के मंत्री हैं, हमारी तरफ से भाषण किया था और अध्यक्ष महोदय, यदि आप और हमारे दूसरे मित्र उस भाषण को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि शेख अब्दुल्ला और प्रधान मंत्री जी के बीच जो समझौता हुआ था, उसका हम लोगों ने खुल कर समर्थन किया था। क्यों किया था? क्योंकि हमारी मान्यता थी कि कश्मीर का सवाल दलीय राजनीति का सवाल नहीं है। कश्मीर के साथ अगर आप दलीय राजनीति की बातें करेंगे तो मेरी अपनी मान्यता है कि न केवल सत्तारूढ़ दल को चोट पहुंचेगी, न केवल प्रतिपक्ष को चोट पहुंचेगी बल्कि समूचे राष्ट्र की स्वाधीनता खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम लोगों ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपना कर कश्मीर समझौते का समर्थन किया था।

मेरे जिस लायक दोस्त ने आज यह 'काम रोको प्रस्ताव' रखा है, वह मेरे मित्र हैं। उनका मैं बहुत आदर करता हूं और जिस तरह से शेख अब्दुल्ला का स्थान कश्मीर की राजनीति से कोई नहीं छीन सकता है, उसी तरह से मैं मानता हूं कि जम्मू व कश्मीर की सियासत में डा. कर्ण सिंह का अपना स्थान है। उससे मैं इंकार नहीं करता। इसलिए मैं उम्मीद कर रहा था कि मेरे मित्र दलीय भावना से ऊपर उठकर औचित्य के आधार पर, राष्ट्रीय हित के आधार पर और संविधान की जो धाराएं हैं, उनके आधार पर इस बहस को उठाएंगे और अपना भाषण करेंगे। हो सकता है कि हमारा जो संविधान है, चाहे भारत का संविधान हो या कश्मीर का संविधान हो—बहुत सारे लोगों को शायद यह मालूम नहीं है कि कश्मीर का अपना अलग संविधान है—उसको ठीक से कुछ लोगों ने पढ़ा नहीं। अभी मेरे मित्र डा. कर्ण सिंह ने कहा कि जब कश्मीर का संविधान बना था तो उस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। लेकिन पता नहीं कि उन्होंने हस्ताक्षर करते समय उसको पढ़ा था या नहीं क्योंकि उस समय उनकी उम्र बहुत छोटी थी और वे बहुत कम उम्र के थे। मैं कोई व्यंग्य के तौर पर नहीं बोल रहा हूँ। उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी और इसलिए अगर उस समय उसको उन्होंने नहीं पढ़ा होगा, तो उसमें उनको कोई दोष नहीं लगता।

अध्यक्ष महोदय, इसमें जो बातें हैं, उनके ऊपर हम लोगों को बिलकुल निष्पक्ष और तटस्थ बन कर सोचना चाहिए।

मुझे बड़ा आनन्द हुआ कि इतना महत्व का सवाल कर्ण सिंह जी ने उठाया और आपने चर्चा के लिए उसको लिया। मैं अपनी सरकार से और हमारे सदस्यों से विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहता हूं कि जब कभी देश के महत्व का सवाल यहां आए तो यह देश की बड़ी पंचायत है, इसमें उसकी चर्चा जरूरी होनी चाहिए। मैं अपनी पार्टी की ओर से आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी इससे भागती थी, हम कभी भी इस प्रकार के विवाद से भागेंगे नहीं। अगर हमसे गलतियां होती हैं तो मैं अपने मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री जी से कहूंगा कि वे विनम्र होकर इस सदन के सामने आएं और अपनी गलतियों को कबूल करें। गलतियां कबूल करने पर और विनम्रता से पेश आने पर यह सदन उनको माफ करेगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, एक स्वस्थ परम्परा बननी चाहिए कि सत्ताधारी दल और विरोधी पक्ष के बीच जहां तक खुली बहस का सवाल है, वह हो। आपकी कोशिश होनी चाहिए, हमारी कोशिश होनी चाहिये, मेरी भी रहेगी, कि हर राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर इस सदन में बहस हो और सभी मुद्दे सदन के सामने आएं और किसी को भी चर्चा से भागने का प्रयास नहीं करने दिया जाए।

मेरे स्वर्गीय नेता ने मुझको सिखाया था कि जो दण्डधारी होता है, सत्ता में रहता है, उसको हमेशा विनम्रता से बात करनी चाहिए और विरोध पक्ष के जो लोग होते हैं वे अगर गुस्से में भी बात करते हैं तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि हमारे दल में इस आदर्श का पालन होगा। मैं अपने स्वर्गीय नेता की जब बात करता हूं तो मेरा तात्पर्य डा. राम मनोहर लोहिया से है और डा. राम मनोहर लोहिया ने हमेशा कहा है कि जो दण्डधारी है, जो सत्ता में है, उसको बहुत कुछ पीना चाहिए, बर्दाश्त करना चाहिए। इसके लिए हमारी सदा कोशिश रहेगी। अगर हम गलती करते हैं तो आप हमको ठीक रास्ते पर लाने का काम कीजिए, हम आपकी बात को मानेंगे।

जहां तक आज के प्रश्न का सवाल है, कर्ण सिंह जी के भाषण को मैंने गौर से सुना है। उनका मुख्य मुद्दा यह था कि जिस मुख्य मंत्री के पीछे केवल तीन सदस्यों का समर्थन है, क्या ऐसे मुख्य मंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को या गवर्नर को—चूंकि इसमें राष्ट्रपति की सम्मति का सवाल आता है इसलिए मैंने राष्ट्रपति का नाम लिया—काम करना चाहिए? आपका मुख्य मुद्दा यही था कि क्या राज्यपाल या राष्ट्रपति को इसकी सलाह पर काम करके जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसको समाप्त करना चाहिए? आप कहते हैं कि मुख्य मंत्री के अलावा और लोगों का वहां बहुमत था। ठीक है जिस स्तर पर इसकी चर्चा होनी चाहिए उसी स्तर पर इसकी चर्चा करूंगा।

आपने 1972 के चुनाव का उल्लेख किया है। माफ कीजिए मैं यह बात आज नहीं कह रहा हूं क्योंकि मै इधर बैठा हूँ। 1972 में जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आये थे, मैं बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करके आया था और कश्मीर के बारे में मेरे पास समाचार आये थे, तभी मैंने एक पत्रकार सम्मेलन में कहा था कि कश्मीर और पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हो रहे हैं ये न तो निष्पक्ष हैं और न स्वतंत्र वातावरण में हो रहे हैं। मैं तो इससे भी आगे जाकर कहूंगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से कश्मीर में जितने चुनाव हुए वे सभी स्वतंत्र चुनाव नहीं हुए हैं। वहां स्वतंत्रता के वातावरण में चुनाव नहीं कराये गये। यह मेरी राय है। आप मुझसे मतभेद रख सकते हैं। इसलिए 1972 के चुनावों का जो आधार आप बता रहे हैं, मैं कहता हूँ कि यह बिलकुल निराधार बात है। 1972 के चुनावों में जम्मू और कश्मीर की जनता का जो सही मत है वह अभिव्यक्त नहीं हुआ था। यह मेरी राय है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरी एक बात इस सदन को ध्यान में रखनी चाहिए। 1972 में जो विधान सभा चुनी गयी थी वह पांच साल के लिए चुनी गयी थी। आपने मनमाने ढंग से, एक व्यक्ति की गद्दी को बचाने के लिए, इस देश में संकटकाल की घोषणा की और संविधान की धाराओं का दुरुपयोग करके असेम्बलियों की मियाद को बढ़ाया, इस सदन की मियाद को बढ़ाया। आपने औचित्य और नैतिकता की बात की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि 25 जून 1975 को किसी ने इस देश में सशस्त्र क्रांति की बात की थी? क्या कोई विद्रोह की स्थिति थी? क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण शान्तिपूर्ण तरीकों को मन से स्वीकार नहीं करते थे? यह बात भी कही गई कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सेना और पुलिस को उकसा रहे थे लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था सेना के सिपाहियों को, अफसरों को पुलिस दल के सदस्यों को किसी

गैर-कानूनी और असंवैधानिक हुक्म को नहीं मानना चाहिए। अगर केवल हुक्म को ही आधार लिया जाएगा तो हिटलर के आदेश पर जो अत्याचार किए गए मुसोलिनी के आदेश पर जो अत्याचार किए गए, वे क्षम्य मानने पड़ेंगे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस में विद्रोह फैलाने का कोई प्रयास नहीं किया। अगर संकटकाल को लगाना ही था तो गुजरात आन्दोलन जब चरम सीमा पर था तब लगाया होता और दस प्रतिशत आपकी बात सही है ऐसा जनता कहती। बिहार आन्दोलन जब चरम सीमा पर था तीन, चार, पांच अक्तूबर को और बिहार बन्द का आह्वान।

***   ***   ***

मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि संकटकाल से ही इस विधान सभा की मियाद को बढ़ाया गया। नहीं तो कर्ण सिंह जी को 'काम रोको प्रस्ताव' रखने की छूट ही आप नहीं देते। मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूँ कि जहां तक नैतिकता का सवाल है जम्मू-कश्मीर की विधान सभा का कोई नैतिक आधार नहीं बचा था। वह टूट गई थी। उसको तो वैसे ही खत्म किया जाता मुख्य मंत्री की सलाह के बिना तो भी वह उचित होता, नैतिक होता। लेकिन उसकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। स्वयं कर्ण सिंह जी ने कहा है कि कश्मीर का अपना संविधान है। क्या है संविधान की धारा? यह 35(2) है जो अंग्रेजी में है और इसको मैं धीरे-धीरे पढ़ देता हूँ:—

> "All functions of the Governor except those under sections 36, 38 and 92 shall be exercised by him only on the advice of the Council of Ministers".

***   ***   ***

[£]मैं इसलिए कहता हूँ कि आपकी उम्र तब छोटी थी, आपने उस समय संविधान को नहीं पढ़ा था। अब दुबारा आपको इसको पढ़ना चाहिये। आपने जिस पर हस्ताक्षर किया उसमें आपने सिर्फ कहा है। आपने हस्ताक्षर किए हैं, मैंने नहीं किए हैं। मैं तो प्रतिपक्ष की राजनीति उन दिनों किया करता था। आपने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जिस मुख्य मंत्री के पीछे तीन लोग हैं, चार लोग हैं, पांच लोग हैं, सौ लोग हैं, दो सौ लोग हैं, जहां तक डिसोल्यूशन का सवाल है, विघटन का सवाल है वह तो मुख्य मंत्री की सलाह पर या प्रधान मंत्री की सलाह पर ही होता है। आप अगर मुझे बहस में ले जाना चाहते हैं तो मैं सिफारिश करता हूं कि यह आइवर जैनिंग्ज की किताब है, कैबिनेट गवर्नमेंट इसको आप पढ़िये। मैं सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता क्योंकि यह कोई डिबेटिंग यूनियन नहीं है। हम जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता की बात हम लोग बोलेंगे। यह कोई यूनिवर्सिटी की छात्र यूनियन नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि सदन को विघटित करने का अधिकार इंग्लैंड में हमेशा प्रधान मंत्री का ही रहता है। उसके बारे में अगर आप चाहते हैं तो मैं एक वाक्य पढ़े देता हूँ। मैं कोई तोड़मरोड़ कर बातों को कहने का आदी नहीं हूँ।

> "During the last 100 years there is no instance of refusal of dissolution by the King when advised by the Cabinet."

[£] डा. कर्ण सिंह, सांसद की टिप्पणी 'Council of Ministers, not the Chief Ministers' का जवाब देते हुए।

हां भाई कैबिनेट है लेकिन होता है सब प्रधान मंत्री के कहने पर। इन्दिरा जी भी आप को पूछती नहीं थीं, आपको इत्तिला देती थीं। हमारे बाबू जगजीवन राम जी कहते हैं कि हमको इत्तिला दी जाती थी। सलाह नहीं की जाती थी। जिन मंत्रियों ने, जब संकटकाल की घोषणा की गई, कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया तो उसके ऊपर सबने हां करने के अलावा और कुछ नहीं किया। कम से कम उन लोगों को केबिनेट की बात नहीं करनी चाहिये वरना मामला बड़ा मुश्किल हो जायेगा आप लोगों के लिये।

> "There has been nevertheless a persistent tradition that he could refuse if the necessary circumstances arose."

आगे वह कहते हैं:—

> "It is difficult to see what those circumstances would be."

और अब तक ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई कि जिसमें वहां की रानी ने या राजा ने मंत्री की सलाह को ठुकराना उचित समझा हो। अगर इधर 50 साल में कोई उदाहरण दे सकते हैं आप, तो दे दीजिये।

मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि आप ने कहा कि यह बहुत असाधारण बात मालूम पड़ रही है कि जिस व्यक्ति को तीन व्यक्तियों का समर्थन है ऐसे मुख्य मंत्री की सलाह पर विधान सभा को बर्खास्त किया गया। लेकिन मैं पूछता हूं कि जब आपका बहुमत जम्मू-कश्मीर में था तब आप को जरूरत क्यों पड़ी इस व्यक्ति के पीछे भागने की?

*** *** ***

£नहीं समझाया। क्योंकि शेख अब्दुल्ला असाधारण स्थान रखते हैं कश्मीर की परिस्थिति में इसलिये रिग्ड इलेक्शन में बहुमत पाने के बाद भी आपने स्वयं महसूस किया कि कश्मीर की जनता आपके साथ नहीं है। तो कश्मीर का और भारत का जो रिश्ता है उसको सुदृढ़ करने के लिये आपने यह मुनासिब समझा कि शेख साहब के साथ बातचीत की जाय और उनके साथ समझौता किया जाय। उस समझौते के बारे में अगर किसी ने संदेह उपस्थित किया था तो ऐसे व्यक्ति थे जो आज सरकारी बैंचों में हैं। लेकिन आप लोगों में से किसी ने भी यह संदेह नहीं प्रकट किया था। और आज शेख अब्दुल्ला के बारे में आप जो बातें कह रहे हैं, मैं पूछता हूं कि क्या यह राष्ट्रीय हित में है?

प्रधान मंत्री ने उस समय चर्चा का समापन करते हुए क्या कहा है वह मैं बताना चाहता हूँ, हालांकि इंदिरा जी को उद्धृत करना मैं उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन वह प्रधान मंत्री थीं इसलिये बहैसियत प्रधान मंत्री, मैं उनको उद्धृत कर रहा हूँ, न कि इंदिरा जी को। एक तो पहले इंदिरा जी ने यह कहा:

> "A distinctive constitutional feature in respect of Jammu and Kashmir is that it has its own Constitution supplementing the Union Constitution under specific provision in Article 370."

£ डा. कर्ण सिंह, सांसद के यह कहने पर कि 'मैंने आपको समझाया', का उत्तर देते हुए।

आगे शेख अब्दुल्ला के बारे में प्रधान मंत्री जी कहती हैं:

"Even so, he managed to look dignified and every inch a leader. He was attracted to the message of the national freedom, civil liberties and religious equality which our national movement propagated and these became the guidelines of his own National Conference which mobilised the people of Kashmir."

यह चूंकि शेख साहब का स्थान कश्मीर की सियासत में था इसीलिये प्रधान मंत्री ने उचित समझा उनके साथ बातचीत करना। हमने मुनासिब समझा कि इसमें आप का समर्थन करें। आपने जब कश्मीर में असाधारण स्थिति पैदा की कि तीन व्यक्तियों का समर्थन जिस व्यक्ति को प्राप्त था ऐसे आदमी को आपने मुख्य मंत्री बनाया। अब आप यह कहते हैं। तो इससे साफ होता है कि शेख अब्दुल्ला का यह संदेह ठीक था कि आप उनको अपने बहुमत में फांसकर उनको गुलाम बनाना चाहते थे और उनको स्वतंत्र बुद्धि से कश्मीर की सरकार चलाने नहीं देना चाहते थे।

मैंने यह भी सुना है कि संकट काल में बहुत सारे काम करने के लिये उन पर दबाव डाला गया। वह तो गिरफ्तार करने के लिये तैयार नहीं थे। आज मैं शेख अब्दुल्ला को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जल्द से जल्द आर.एस.एस., जमायते इस्लामी और विपक्ष के लोगों को छोड़ा। मैंने जेल से उनको पत्र लिखा था, मुझे पता नहीं कि वह पत्र उनके पास पहुंचाया गया या नहीं? मैंने शेख साहब को पत्र में कहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि आप पूरी बात तो अपने दिल की नहीं कर सके, लेकिन कम-से-कम रिहाई के मामले में आप अग्रसर रहे हैं। इसी प्रकार लोकतंत्र की रक्षा आपको भविष्य में भी करनी चाहिये।

इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि असाधारण व्यक्ति असाधारण ढंग से मुख्य मंत्री बनाया गया। यह ठीक-ठीक पहले सोचना चाहिये था कि 3 व्यक्ति उनके पीछे हैं। हो सकता है कि 3 सदस्य उनके पीछे थे, लेकिन कश्मीर वैली की अधिकांश जनता शेख साहब के पीछे थी, यह मैं कहना चाहता हूँ। वह सिद्ध होगा।

आप पूछेंगे कि जब मुख्य मंत्री की सलाह पर असेम्बली को विघटित किया गया तो वास्तव में सवाल यह उठना चाहिये कि असेम्बली को विघटित करने के बाद मुख्य मंत्री को पद से क्यों हटाया गया? मैं तो यह सवाल उपस्थित करने जा रहा हूँ लेकिन उसमें हमारी लाचारी है। इंग्लैंड में जब सदन को विघटित किया जाता है तो केयरटेकर प्राइम-मिनिस्टर रह जाता है। इसलिये चुनाव की घोषणा होने के बाद आपने जो परिस्थिति हमारे सामने पेश की है कि चुनाव के दरम्यान कर्मचारियों का वोट हासिल करने के लिये महंगाई-भत्ते की घोषणा करना, मजदूरों के लिये वेतन वृद्धि की घोषणा करना, किसी क्षेत्र के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करने के लिये किसी प्रकल्प की घोषणा करना, यह गोरखधन्धा तो आप करते आये हैं, लेकिन मेरी राय में जब चुनाव की घोषणा होती है, उसके बाद इस तरह का काम किसी भी सरकार को नहीं करना चाहिये और केवल अन्तरिम सरकार, केयरटेकर गवर्नमेंट के नाते वह काम करती। यह कश्मीर में क्यों संभव नहीं हुआ? अब मैं बहुत उदाहरण देने लगूंगा तो अध्यक्ष महोदय टोकेंगे कि बहुत समय नहीं है, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पर बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहने जा रहा था कि वास्तव में शेख अब्दुल्ला को रहने देना चाहिए था मुख्य मंत्री, लेकिन क्यों नहीं रहने दिया गया? हमारी लाचारी थी क्योंकि 1 अप्रैल के पहले हमको बजट पास करना था। केन्द्र में बजट पास करने के लिये बिलकुल यह राय भूतपूर्व प्रधान मंत्री को दी गई थी कि लोक सभा में अगर संदिग्ध स्थिति रहती हो तो, मैंने यह सुना था कि प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह देने वाली हैं कि लोक सभा को विघटित करो और फिर से चुनाव कराओ और अध्यादेश के जरिये बजट पास करो। लेकिन जहां तक मैं समझ पाया हूँ कि केवल साधारण विधेयक अध्यादेश के जरिये पास होता है कोई भी वित्तीय विधेयक या विनियोग विधेयक इस तरह अध्यादेश के जरिये पास करना संविधान के साथ खिलवाड़ करना है। लेकिन मान भी लीजिये कि वित्तीय विधेयक अध्यादेश के जरिये पास किया जा सकता है मगर अनुदान की मांग का क्या होगा? हमारी धारा 113 में लिखा है कि लोक सभा के द्वारा अनुदान मांगों के समर्थन के बिना आप अप्रोप्रियेशन बिल पास ही नहीं कर सकते, तो असेम्बली के बिना हम क्या करते। असेम्बली होनी ही चाहिये, नहीं तो अनुदान की मांग कैसे पारित करते? यह स्थिति उत्पन्न हुई, इसीलिये वहां राज्यपाल को कहा गया कि मामला राष्ट्रपति की सलाह से अनुमान लेकर तय कीजिये। राष्ट्रपति ने अनुमति दी कि वर्तमान स्थिति में और कोई चारा नहीं है, यह बजट का मामला इस सदन में न आये, कश्मीर संविधान के खंड 92 के तहत सुलझाया जाये इसलिये वहां पर राज्य का शासन लागू किया गया है।

आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि हमारा इरादा यह नहीं है कि देर तक यह चुनाव न कराये जायें, 6 महीने के अन्दर चुनाव करना लाजमी है कश्मीर में। मुझे तो कोई अधिकार नहीं है। मैं एक साधारण सदस्य के नाते बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्द से जल्द हमारी सरकार चुनाव कराने का प्रयास करेगी और उस समय यह फैसला होगा कि नैतिकता, औचित्य और लोकतंत्र का प्रेम किसको है, जनता किसके साथ है। आप इस चुनौती को चुनाव के क्षेत्र में स्वीकार करियेगा। यहां इस तरह की बात से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

इसलिये सारे सदन से मेरी अपील है कि स्थगन प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाये।

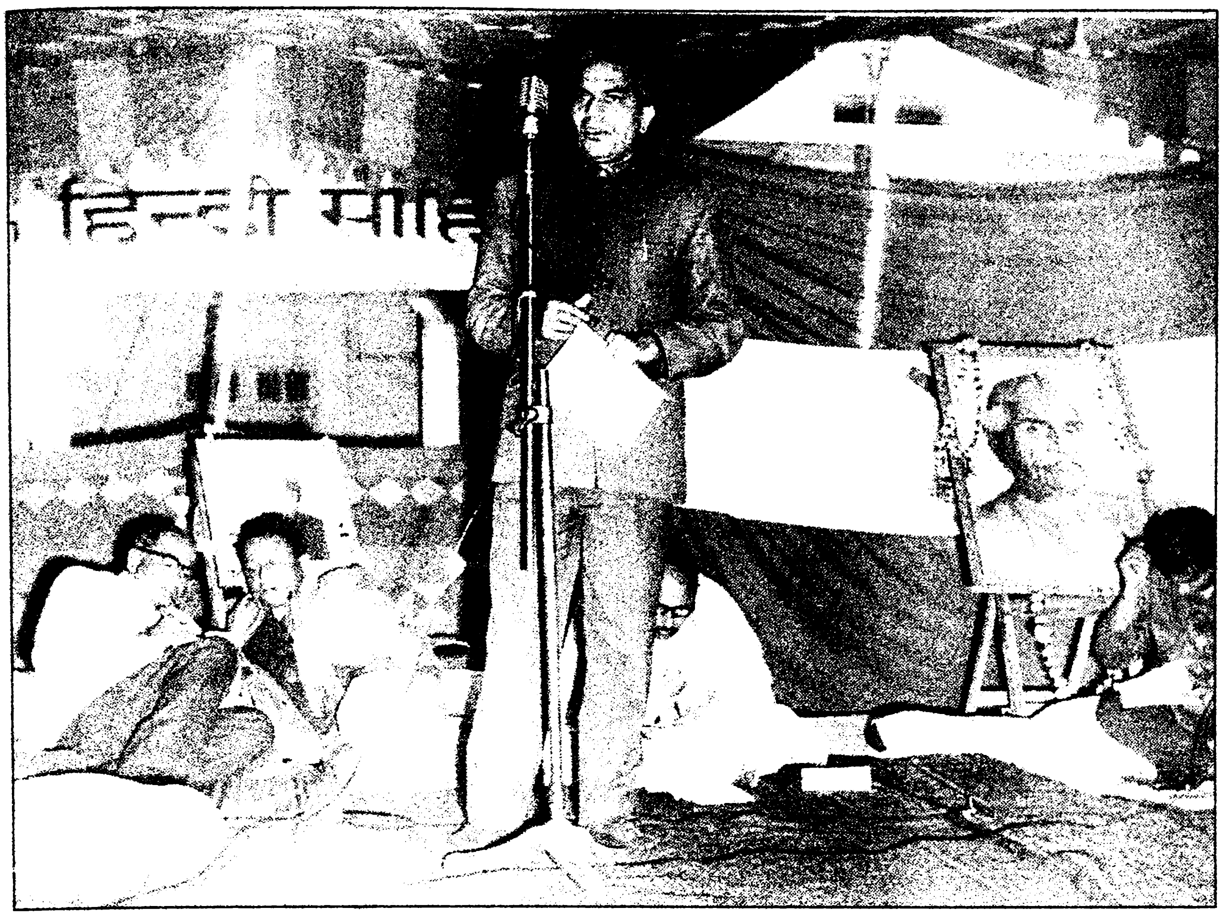

Shri Madhu Limaye addressing the National Conference after the merger of the Praja Socialist Party and the Samyukta Socialist Party in January 1973

Shri Madhu Limaye, Shri George Fernandes and other leaders holding a procession after the National Conference of the Socialist Party at Bulandshahar (UP) in 1973.

Shri Madhu Limaye addressing the party workers at the inauguration of P. D'Mello Bhavan and Dr. Ram Manohar Lohia Institute for Socialism on 26 January 1988 at Talegaon Dabhade, Pune. The distinguished audience included Sarvashri George Fernandes and Ladli Mohan Nigam

Shri Madhu Limaye with Smt. Mrinal Gore and Shri Vinayak Kulkarni at the death anniversary of Shri Keshav *alias* Bandu Gore in Mumbai in February 1990

संवैधानिक और न्यायिक मामले
CONSTITUTIONAL AND JUDICIAL MATTERS

राज्य की नीति के निदेशक तत्वों की समीक्षा*£

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। आप संविधान की धारा 117 को देखिये, जिसके तीसरे हिस्से के अंतर्गत राष्ट्रपति जी ने इजाज़त देने से इन्कार किया है। यह धारा इस प्रकार है:

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill."

इसका साफ़ मतलब है कि इस विधेयक को पारित किया जाये, पास किया जाये—यह प्रस्ताव यह सदन मंजूर नहीं कर सकता है जब तक कि राष्ट्रपति जी ने इस पर विचार करने की अनुमति नहीं दी है।

अब जो प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं वह विधेयक पर विचार किया जाये—यह रख रहा हूँ। यह नहीं कि इसको पारित किया जाये। इस धारा के अनुसार मैं मानता हूं कि पारित करने का प्रस्ताव मैं नहीं रख सकता, लेकिन इस वक्त मैं पारित करने का प्रस्ताव नहीं रख रहा हूँ। इसलिए मुझे इसमें कोई संवैधानिक बाधा नहीं दिखती है। अगर इजाज़त हो तो पहले वही प्रस्ताव रखूंगा, आप जो निर्णय देंगे उसी के अनुसार चलूंगा।

*** *** ***

$मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस निर्णय को बदला जाये, क्योंकि यह संविधान की शब्दावली के खिलाफ जाता है।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरा प्रस्ताव रख रहा हूँ। आपने जिस निर्णय को दोहराया मेरी राय में वह संविधान के खिलाफ है फिर भी उसको मैं मानता हूं और मैं अपना दूसरा प्रस्ताव रखता हूँ। मेरा यह प्रस्ताव है कि लोकमत जानने के लिए हमारे विधेयक को परिचालित किया जाए।

अब जो विधेयक मैं इस सदन के सामने रख रहा हूं उसके सिद्धान्त को पहले मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 17 साल पहले जो संविधान बना उसको 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 26 मई 1967.

£ संविधान (संशोधन) विधेयक (संविधान की धारा 37, 45 आदि) को परिचालित कर विचार प्रकट करते हुए।

$ उपाध्यक्ष के निर्णय पर कि 'इस विधेयक को विचार करने के लिए प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है? यदि चाहें तो इसे परिचालन के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है' पर अपना मत रखते हुए।

उस संविधान में जो हिस्सा III है उसमें बुनियादी अधिकारों की चर्चा है और इन अधिकारों की यह विशेषता है कि जैसे कि 32वीं धारा में कहा गया है:

> "The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this part is guaranteed".

तो तीसरे हिस्से में जो अधिकार हैं या सिद्धान्त हैं उन पर अमल करवाने के लिए कोई भी नागरिक सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है, उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है और उस पर अमल करवा सकता है। साथ-साथ हमारे संविधान में IV हिस्सा है। उस हिस्से में भी कुछ सिद्धान्तों की चर्चा है, कुछ दिशा दिखाने वाले निदेशक सिद्धान्त हैं। लेकिन बुनियादी अधिकारों में और इन सिद्धान्तों में यह फर्क है कि जहां बुनियादी अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट के जरिए आप अमल करवा सकते हैं, निदेशक सिद्धान्त नीति के आधार रूप में रहेंगे और सरकार का और शासन का यह कर्त्तव्य रहेगा कि उनको कार्यान्वित किया जाये। लेकिन संविधान में न्यायालय के जरिए, किसी अदालत के जरिए उन पर अमल करवाने का इंतजाम नहीं है। आप धारा 37 देख लीजिए:

> "The provisions contained in this part shall not be enforceable by any court but the provisions therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws".

इसका साफ मतलब है कि अदालत में जाने की छूट नहीं है लेकिन राज्य को और शासन को इसमें यह निर्देश दिया गया है कि नीति निर्धारित करते समय या कानून बनाते समय इन सिद्धान्तों का वह हमेशा ख्याल रखे। अब इसमें कई सिद्धान्त दिए गए हैं। उदाहरणार्थ: दो सिद्धान्तों का मैंने जिक्र किया है—एक प्राथमिक शिक्षा के बारे में है और दूसरा भुखमरी आदि के बारे में है। जो प्राथमिक शिक्षा के बारे में निदेशक सिद्धांत है वह इस प्रकार है:

> "The State shall endeavour to provide, within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they complete the age of fourteen years".

निदेशक सिद्धान्त तो यह था कि संविधान के अमल में आने के पश्चात् दस साल के अन्दर चौदह साल तक के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और मुफ्त की जाये। लेकिन आज सत्रह साल के बाद भी सरकार इस सिद्धान्त को अमल में नहीं लाई है। मुझे इस बात का डर है कि अगर इस सिद्धान्त को IV हिस्से से लेकर III हिस्से में न डाला गया, तो शायद पच्चीस चालीस साल तक भी इस सिद्धान्त पर अमल नहीं हो पायेगा।

इस वक्त मैं केवल एक बड़े शहर का उदाहरण देना चाहता हूँ—कलकत्ते का, जो हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा शहर है। उस शहर में प्राथमिक शिक्षा की क्या हालत है? आपको याद होगा कि कलकत्ता नगरी में अंग्रेजों के जमाने में जो काउंसिल बनी थी, उसमें श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने एक प्रस्ताव रखा था और उसके अगले साल उन्होंने एक विधेयक भी रखा था—यह 1910-11 की बात है—जिसमें उन्होंने यह आशा प्रकट की थी कि बीस-पच्चीस साल में उनका यह सपना

साकार हो जायेगा। लेकिन आज मुझे कोई खुशी नहीं है कि जिस विषय पर गोपाल कृष्ण गोखले ने करीब-करीब 56 साल पहले प्रस्ताव और बिल रखा, उसी पर मुझे भी यह बिल रखना पड़ रहा है। इसमें कोई गौरव की बात नहीं, बल्कि कुछ शर्म की ही बात है ऐसा मैं समझता हूँ— शर्म मेरे लिए भी और सरकार के लिए भी।

*** *** ***

*** *** ***

कलकत्ते जैसे बड़े शहर में आज चालीस प्रतिशत से अधिक बच्चे ऐसे हैं, जिनके लिए प्राथमिक शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। जहां तक देहाती इलाकों का संबंध है, वहां भी हरिजनों, आदिवासियों और दूसरे गरीब तबके के बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई का कोई अच्छा इन्तज़ाम नहीं किया गया है।

इस स्थिति में यह स्पष्ट है कि केवल निदेशक सिद्धान्त रख कर इस देश में प्राथमिक शिक्षा कभी भी अनिवार्य और मुफ्त नहीं हो पायेगी। अगर इस सिद्धान्त पर अमल नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के बड़े लोगों के बच्चे बहुत खर्चीले और अमीरी स्कूलों में पढ़ते हैं। वे लोग तो अपने बच्चों की शिक्षा का इन्तज़ाम कर लेते हैं, लेकिन देहाती लोगों, मजदूरों, हरिजनों और आदिवासियों के बच्चों की शिक्षा का कोई ख्याल नहीं किया जाता है।

इसलिए यह जरूरी हो गया है कि अब हर एक नागरिक को यह अधिकार देना चाहिए कि अगर शासन उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध नहीं करता है, तो वह नजदीक के मजिस्ट्रेट के सामने जाये और कहे कि उसके बच्चों की पढ़ाई का कोई इन्तजाम नहीं है। मजिस्ट्रेट उसकी बात सुनकर शासन पर यह हुक्म जारी करे कि इन बच्चों के लिए फलां-फलां अवधि के अन्दर स्कूल का इन्तजाम किया जाये। जब तक अदालत में जाकर इस अधिकार पर अमल करवाने का इन्तजाम नहीं किया जायेगा, तब तक यह सरकार सुनने वाली नहीं है।

मैं इस वक्त कांग्रेस और गैर-कांग्रेस की बात नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मेरे इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है, तो सभी शासनों को, चाहे वे कांग्रेसी हों या गैर-कांग्रेसी, इस पर अमल करना पड़ेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिए परिचालित करते समय वह राष्ट्रपति जी को लिखें कि इसका बहुत महत्व है और पहले उन्होंने जो अनुमति देने से इन्कार किया था उस पर वह पुनः विचार करें। उसकी पृष्ठभूमि क्या है? कारण क्या है यह मैंने बतलाया है।

अब इस विधेयक का जो दूसरा हिस्सा है उसका संबंध धारा 47 से है। उसमें दो बातें हैं। एक शासन की यह जिम्मेदारी कि लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठायें और कम-से-कम उनका, जो स्वास्थ्य है, खाने-पीने का इंतजाम है उसका शासन ख्याल करे। आगे चलकर इसमें कहा गया है:

> "...The State shall endeavour to bring about prohibition of the consumption except for medicinal purposes of intoxicating drinks and of drugs which are injurious to health".

इन दो चीजों को साथ ही रखा गया। आज क्या नतीजा हुआ है? इस निदेशक सिद्धांत पर कैसे अमल हुआ? तो स्वास्थ्य का ख्याल करते हुए नशाबंदी की बात हुई। लेकिन ऐसे ढंग से नशाबंदी को चलाया गया कि हथभट्ठी का मामला चल पड़ा और लोगों का स्वास्थ्य शराब से खराब होने लगा।... खैर, आचार्य जी, बात सही है। लेकिन नशाबंदी के सिद्धांत पर भी शासन ने ठीक तरह अमल नहीं किया। आप जानते हैं कि 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ तो चीन के आक्रमण के पश्चात् सबसे पहले उत्तर प्रदेश की चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने शराब ढीली कर दी तो लोग कहने लगे कि चीन ने एक धक्का मारा नशाबंदी ढीली हो गई।

*** *** ***

मैं जो बात कह रहा हूँ उसे सुनिये आप। तो लोग कहने लगे कि इस सरकार को कोई और विदेशी धक्का मारेगा तो शराब बिलकुल खुल जायेगी। तो अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी शासन में शराब बन्दी, नशाबन्दी ढीली हो गई और उसके बाद महाराष्ट्र शासन ने भी यही किया। अब केरल का उन्होंने उल्लेख किया। मैं केरल के शासन को इसलिएं बधाई देना चाहता हूँ कि कम से कम उनमें यह ईमानदारी है, ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा कि नशाबन्दी से जो पैसा मिलता था आबकारी कर के रूप में वह तो चला ही गया, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहा, हथभट्ठी चल पड़ीं, स्वास्थ्य गिरने लगा, चोरी होने लगी, साथ-साथ भ्रष्टाचार भी फैल गया, पूरा पुलिस दल भ्रष्ट होने लगा। तो इसलिए केरल ने फैसला किया कि इसको एकदम खोल देना चाहिए।

तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अब यह निवेदन करना चाहता हूँ कि 17 साल के अनुभव की रोशनी में हमको अपने निदेशक सिद्धांत पर विचार करना चाहिए। जहां शिक्षा का सवाल है, जिस पर अमल होना चाहिए था, उस पर अमल नहीं हुआ। शराबबन्दी उस पर अमल नहीं हुआ। आज भी दिल्ली में राजधानी है यहाँ, लेकिन आप शराबबन्दी नहीं करते। सेना के लिए शराबबन्दी नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि आप राज्यों को हिदायत देते हैं कि उस पर अमल करें। इसलिए मैंने जो तरमीम रखी है उसमें यह जो ढोंग धतूरा है, उसको खत्म किया गया है और नशाबन्दी वाला जो हिस्सा है उसको हटा दिया गया है और पहला जो स्वास्थ्य का, खानपान का और जीवन-स्तर ऊपर उठाने का हिस्सा है उसको साफ-साफ शब्दों में रखने की कोशिश की गई है। जो नया अनुच्छेद होगा वह इस प्रकार बनेगा:

> "It shall be the duty of the State to ensure to every citizen a minimum standard of nutrition and, in particular, to prevent untimely deaths resuting from mal-nutrition under-nourishment or starvation".

यह तीन शब्द मैंने इसलिए जोड़े कि दो साल से इस सदन में एक चर्चा रही, हम कहते थे भूख से मौतें हो रही हैं। शासन से जवाब मिलता था कि भुखमरी से नहीं, कभी कहते थे, हैजा हो गया, चेचक हो गया, टी.बी. हो गई लेकिन यह सारे रोग और बीमारियां जो होती हैं वह आखिरकार कम खाना मिलता है, अच्छा खाना नहीं मिलता है, कमजोरी और दुर्बलता आ जाती है, इसी की वजह से होती हैं। इस तरह की बीमारी बड़े पैमाने पर जर्मनी, अमेरिका, कनाडा आदि देशों में नहीं हुआ करतीं। मुझे याद है। दो साल पहले पश्चिम जर्मनी में चेचक से मौत

का एक ही उदाहरण हुआ तो इतना बड़ा हल्ला हुआ और वहां का जो पार्लियामेंट है वह पूरा हिल गया, उसके बाद ठोस कार्यवाही हुई। तो मैंने यह सुझाव रखा है कि कम से कम खाना मिले हर एक व्यक्ति को और अब यह केवल निदेशक सिद्धांत नहीं रहे। निदेशक सिद्धांत जिसका मतलब होता है चाहे शासन अमल में लाता है तो लाये, न लाता है तो न लाये। मैंने यह सुझाव दिया है कि अगर कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है उसको खाने को कुछ भी नहीं है तो उसको यह छूट होनी चाहिए कि वह अदालत के सामने जाये और मजिस्ट्रेट से हुक्म जारी कराये सरकार पर, शासन पर कि वह उसको खाना खिलाये। अगर सरकार यह कहती है कि सरकार खाना खिलाने के लिए तैयार है, वह काम करे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। काम दो, काम लो। लेकिन इस तरह का अधिकार होना चाहिए उसको। अध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा चुनाव के समय सरकार के जितने प्रवक्ता हैं उन्होंने अखबारों के जरिये रेडियो के जरिए इस बात को परिचालित किया कि यह इंदिरा गांधी की जो सरकार है इसकी यह विशेषता है कि इतना दुर्भिक्ष होने के बावजूद किसी भी व्यक्ति को भूख से इस सरकार ने मरने नहीं दिया। असल में यह बात सही नहीं है। पिछले अक्तूबर महीने से मेरे क्षेत्र में लोग भूख से मरने लगे थे। मुझे बहुत खेद है कि आज जहां-जहां गैर-कांग्रेसी शासन हुआ है वह भी लकीर के फकीर बनकर इन्हीं लोगों की तरह बातें करने लगे हैं। मैंने उनको यह कहा था कि अगर अकाल है तो अकाल की स्थिति को कबूल करो। अगर कोई भूख से मरा है तो सुब्रह्मण्यम साहब की तरह बात मत करो कि यह हैजा से मरा है या चेचक से मरा है। हर एक मौत की जाँच करो। अगर भूख से मरा है तो उस बात को कबूल करो। यह शर्म की बात जरूर है लेकिन जब तक सही बात को कबूल नहीं करते हैं उसको दूर करने के लिए भरसक प्रयास भी नहीं होता है। तो, आज मैं उत्तर प्रदेश की सरकार और बिहार की सरकार को भी कहूँगा कि मौत के जितने उदाहरण हैं उनकी जाँच की जाये और जब तक जाँच के बाद यह साबित नहीं होता है कि इसके पेट में खाना था। फिर किसी बीमारी से मरा है उसको भूख से मौत ही माना जाये। मैंने यह सुझाव रखा है। अगर इस सरकार का यह दावा है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किसी को भी भूख से मरने नहीं दिया तो मैं भागवत झा आजाद से कहूंगा कि आपको क्या एतराज है मेरे सुझाव को मानने में? आप ने मरने नहीं दिया, आप मरने नहीं देने वाले हैं तो आप यह अधिकार नागरिकों को क्यों नहीं दे रहे हैं कि अगर वह भूख से मरते हैं तो मजिस्ट्रेट के पास जाकर इस अधिकार पर अमल करवायें?

तो मैं लम्बा भाषण नहीं करना चाहता। दो मिनट में खत्म करता हूँ। दूसरे बहुत से लोग बोलने वाले हैं। इसमें और भी निदेशक सिद्धांत हैं। उसका मैंने उल्लेख नहीं किया है। लेकिन एक सामान्य सिविक कोड बने यह भी एक सिद्धांत है। अगर यह ऐसा ही रहेगा तो क्या फायदा इस पर अमल करना है तो करवायें खत्म करना है तो कहिए हम निकम्मे हैं, नहीं कर सकते। लेकिन यह जो ढोंग धतूरा चलता है यह नहीं चलना चाहिए।

इसी तरह कार्यकारिणी और न्यायालय का अलगाव, यह आप न दिल्ली में कर पाये न राज्यों में कर पाये। तो अब समय आ गया है, 17 साल के बाद, अध्यक्ष महोदय, कि हमारे जो निदेशक सिद्धांत हैं उन पर हम ठंडे दिल से विचार करें और सोचें कि इनमें से कौन से ऐसे निदेशक सिद्धान्त हैं जिन पर अमल करना निहायत जरूरी है और ऐसे सिद्धान्त को अदालत के जरिए

कार्यान्वित करने का बुनियादी अधिकार नागरिकों को दे दीजिए। जिन सिद्धांतों के बारे में आप सोचते हैं जैसे नशाबन्दी, अमल नहीं किया जायेगा, ईमानदारी से क़बूल कीजिए कि इसको हटा दिया जाये।

अनुभव से सीखो। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उसी तरह से जो कॉमन सिविल कोड की बात है, कार्यकारिणी और न्यायालय के अलगाव की बात है, इसके एक-एक सिद्धान्त को ठीक तरह, जांच करके देख लें और जो अच्छे सिद्धांत हैं, उनको क़बूल रखें, जो बहुत जरूरी सिद्धांत हैं उनको बुनियादी अधिकार की शक्ल में क़बूल करें। इनको इस तरह क़बूल करने का मतलब है नागरिकों को न्यायालय के सामने जाने देने का अधिकार देना है।

इसलिये मैं विनती करता हूँ कि मेरे प्रस्ताव पर यह सदन विचार करे।

लोकतंत्र बनाम पूर्व राजाओं के विशेषाधिकार*£

अध्यक्ष महोदय, आज की बहस कानून की परिभाषा करने की बहस नहीं है जैसे कि तीसरे वर्ग के मैजिस्ट्रेट की अदालत में होता है। आज की बहस सिद्धांतों की बहस है, दिशाओं की बहस है और जीवन मूल्यों की बहस है। वैसे तो यह प्रस्ताव राजाओं के खास अधिकारों तथा उनको जो निजी कोष, प्रिवी पर्स मिलता है, उसके बारे में है, लेकिन उसका संदर्भ बहुत व्यापक है ...

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह बहस सिद्धान्तों की है, दिशाओं की है तथा जीवन मूल्यों की है, और इसका संदर्भ भी व्यापक है। वैसे प्रस्ताव में केवल राजाओं के खास अधिकारों और निजी कोष की चर्चा की गई है, लेकिन जो बहस मैं उठाना चाहता हूँ वह सभी खास अधिकारों के खिलाफ और जहाँ-जहाँ इस तरह की विशेष सुविधाओं के गढ़ हैं, उनको खत्म करने के लिये उठा रहा हूँ। मुझे यह उम्मीद है कि अगर यह राजाओं के विशेष अधिकार और प्रिवी पर्स खत्म हो जाते हैं और ये मुक्त मानव बन जाते हैं तो मेरे जैसे लोगों का वे साथ देंगे अन्य खास अधिकारों और विशेष सुविधाओं को खत्म करने के काम में।

अब अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं यह बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वर्तमान कानून और संविधान के मातहत इनको क्या-क्या खास सुविधायें उपलब्ध हैं? आज तक जो चर्चा चली है—वह उनको जो रकम मिलती है उसके बारे में ही चली है।

जहां तक रकम का सवाल है एक लाख से अधिक जिनको यह निजी कोष मिलता है ऐसे राजाओं की संख्या 102 है और जिनको दस लाख से अधिक मिलता है ऐसे राजाओं की संख्या 6 है। यह सोचने की बात है कि इनको यह जो प्रिवी पर्स मिलता है उस पर किसी किस्म का आमदनी टैक्स नहीं लगता है और दूसरे करों से भी इन्हें मुक्ति है। मैंने कई लोगों से पूछा है। मैं इनकम टैक्स के बारे में इतना जानकार आदमी नहीं हूँ। दांडेकर जैसे लोग बता सकते हैं इसके बारे में। लेकिन मुझे कई लोगों ने बताया है, जब मैंने उनसे पूछा कि 17 लाख और 26 लाख आदि जो कोष इनको मिलता है टैक्स देने के पश्चात्, इतनी राशि प्राप्त करने के लिए आदमी को कितना कमाना पड़ेगा, कि वे इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि वर्तमान जो टैक्स संबंधी कानून हैं उन कानूनों के अनुसार सारे टैक्स देने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इतना पैसा बच नहीं सकता है। इसी से आपको यह पता चल सकता है कि कितना बड़ा विशेष अधिकार इन लोगों को मिला हुआ है। इसका कारण यह है कि जिसकी इतनी आमदनी होगी उसके पास

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 13 जून 1967.

£ देशी रियासतों के भूतपूर्व शासकों के विशेषाधिकारों और प्रिवी पर्सिस को समाप्त करने के बारे में चर्चा में भाग लेते हुए।

कुछ सम्पत्ति भी होगी क्योंकि किसी भी आदमी को इतनी तनख्वाह तो मिलती नहीं और अगर होगी तो सम्पत्ति कर भी उनको देना पड़ेगा और दूसरे सारे टैक्स देने पड़ेंगे। तो आज वर्तमान कानून की जो व्यवस्था है, टैक्स कानून की जो व्यवस्था है, उसके मातहत इस तरह की नकद आमदनी किसी भी व्यक्ति की नहीं हो सकती है। इसी से आपको पता चलेगा कि एक विशेष कोटि में ये लोग जाकर बैठे हैं और उनको यह खास अधिकार प्रिवी पर्स के जरिये मिल गया है।

दूसरे उनके कई अधिकार हैं। इनके जो मकान हैं, जेवरात आदि हैं सब चीजें हैं उनके बारे में भी इनको सहूलियतें दी गई हैं। लाल नम्बर की गाड़ियों का ये इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह पानी और बिजली भी इनको मुफ्त मिलती है। उनके यह व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है। लेकिन मेरे पास ऐसे उदाहरण मौजूद हैं और एक उदाहरण मैं अभी आपको देता हूँ जिसमें इस अधिकार का दुरुपयोग होता है। रामपुर के जो नवाब साहब हैं उनको जो मुफ्त बिजली और पानी मिलता है वह उनके व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए है लेकिन उन्होंने खास बाग, राज प्रासाद में...

.....इन्होंने अपने खास बाग, राज प्रासाद में कई दफ्तर लगाये हैं, कई होटल लगाये हैं और उनके लिए इनको जो मुफ्त बिजली और पानी प्राप्त होता है, उसी का इस्तेमाल किया जाता है। यह मैं दुरुपयोग का उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे तो इस तरह की सहूलियतें सभी राजाओं को मिलती हैं।

एक बात और है। विदेशों से जब ये लौटते हैं तो इनके पास जो सन्दूक आदि होते हैं उनकी तलाशी नहीं ली जाती है जिनको दस बन्दूक वाली सलामी मिलती है, या पन्द्रह बन्दूक वाली जिनको सलामी मिलती है। इस तरह से इनका भी वर्गीकरण है और इनको भी सलामियां दी जाती हैं।

कुछ राजा ऐसे भी हैं कि उनके द्वारा जो पेट्रोल आदि खर्च किया जाता है.... चूंकि पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा होती है, इस वास्ते इन लोगों के लिए यह एक्साइज ड्यूटी भी माफ कर दी जाती है, वह उनको वापस लौटा दी जाती है। इस तरह के पचासों अधिकार, विशेष अधिकार इनको मिले हुए हैं। अगर उनके ऊपर आप कोई केस आदि करना चाहें तो जिस तरह नए राजा हैं, हमारे मंत्री लोग हैं और उसी तरह बड़े नौकरशाह हैं, उनके खिलाफ अगर कोई केस करना होता है तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है और बिना इजाजत लिये उनके खिलाफ मुकदमे नहीं चल सकते हैं उसी तरह इन लोगों के खिलाफ मुकदमे बिना केन्द्र की इजाज़त लिये नहीं चल सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूँ कि क्या किसी भी प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक देश में इस तरह के खास अधिकार और विशेष सुविधाएं कुछ इने-गिने लोगों को दी जा सकती हैं? संविधान की धारायें बिलकुल साफ हैं। कानून के सामने सभी लोग समान हैं, सबके लिए समान मौके की भी बात है। आगे चलकर इस सिद्धांत को भी माना गया है कि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, दबे हुए हैं उनको विशेष अधिकार मिलने चाहियें। कोई भी यह नहीं कहेगा कि इनको ये खास अधिकार इसलिये दिये गये हैं कि ये बहुत दबे हुए हैं, दलित हैं और पिछड़े हुए लोग हैं। इस वर्गीकरण में ये

लोग नहीं आते हैं। हमारे संविधान की जो बुनियाद है, उसके बरखिलाफ ये सारे खास अधिकार और विशेष सुविधाएं जाती हैं।

यह मैं जानता हूँ कि आज हमारे देश में दूसरे वर्ग भी ऐसे हैं, सत्तारूढ़ वर्ग के हिस्से, जैसे हमारी कम्पनियों के लोग हैं, पूंजीपति हैं, उनके अपने खर्च के खाते होते हैं, एक्सपेंस एकाउंट होते हैं। ये भी इसी तरह की विशेष सुविधाएं और खास अधिकार हैं। मंत्रियों और नौकरशाहों के बारे में मुझे यह कहना है कि क्या मुफ्त मकान और गाड़ियां और पचासों तरह की उनको भी सुविधायें हैं...

*** *** ***

आखिरकार अध्यक्ष महोदय, प्रिवी पर्स के हम लोग क्यों खिलाफ हैं? मेरी कोई राजाओं से व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं तो उदाहरण के लिए बता रहा हूं। यह एक बुनियादी उसूल हमने माना है कि कानून के सामने समानता हो, समान नागरिकता हो और विशेष अधिकार और खास अधिकार इने-गिने लोगों को न मिलें। मेरी राजाओं से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है जो मैं उनके विशेष अधिकारों की आलोचना कर रहा हूं और मांग कर रहा हूं कि उनको समाप्त किया जाए। कहीं कोई गलतफहमी न हो इसलिए यह कहना भी जरूरी है कि सत्तारूढ़ वर्ग के जो दूसरे हिस्से हैं जिनको भी इस तरह के खास अधिकार प्राप्त हैं उनको भी समाप्त करने के बारे में कार्रवाई होनी चाहिये और उसका यह सूत्रपात है, यह पहला कदम है, ऐसा मैं मानता हूं।

घुमा फिराकर यह कहा जाएगा कि हमने जो आश्वासन दिये थे, जो करार किये थे, संविधान में जो बात है, उसका आखिरकार हम पालन करेंगे या नहीं करेंगे? हमारे मित्र श्री कर्णसिंह जी ने एक पुस्तिका परिचालित की है। उसमें उन्होंने तुलसीदास जी की रामायण की चर्चा की है और यह दोहा भी उद्धृत किया है।

रघुकुल रीति सदा चलि आई,
प्राण जायें पर वचन न जाई।

मैं जानना चाहता हूँ कि एक राज्य जो लोकतंत्र के ऊपर आधारित है उसको अगर इसके बारे में फैसला करना है कि ये सारे जो करार आदि हैं ये किस समय किये गये, क्या उनका संदर्भ था तो इसमें कौन सी अनुचित बात है?

सरदार पटेल का बार-बार जिक्र किया जाता है। उनके एक भाषण से मैं तीन जुमले पढ़ना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि किस पृष्ठ भूमि में ये सारे करार किये गये थे, आश्वासन दिये गये थे। सरदार पटेल कहते हैं:

> "The so-called lapse of paramountcy was a part of the plan announced on June 3, 1947 which was accepted by the Congress. We agreed to this arrangement in the same manner as we agreed to the partition of India. We accepted it because we had no option to act otherwise."

उस वक्त हालत ऐसी थी, ऐतिहासिक हालत ऐसी थी और कुछ नेताओं की भी कमजोरी थी, हम सब लोगों की कमजोरी थी जिसकी बदौलत मजबूर होकर, लाचार होकर बाध्य होकर कांग्रेस के नेताओं ने कुछ बातों को क़बूल किया। अब क्या इसका यह मतलब है कि मजबूरी में जो करार किये जाते हैं जो आश्वासन दिये जाते हैं दो व्यक्तियों के बीच में नहीं हैं एक ओर समूचा हिन्दुस्तान है, हिन्दुस्तान की जनशक्ति है और दूसरी ओर ये सत्तारूढ़ वर्ग के विभिन्न हिस्से हैं, तो क्या इसमें कोई तुलसीदास वाली बात आ सकती है? मेरे ख्याल में नहीं आ सकती है।

यह कहा जाएगा कि राजाओं ने बहुत बड़ा त्याग किया, अपनी सार्वभौमिकता का त्याग किया अपने राज्यों का त्याग किया और उसके बदले में यह सब कुछ उनको दिया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि आज जितने ये राजा हैं इनमें से कौन ऐसा है जो कभी भी सार्वभौम रहा हो? ये या तो मुगलों के अधीन थे या अंग्रेजों के अधीन थे। सबसे बड़े राजा निजाम की मैं याद दिलाना चाहता हूँ। एक दफा इन्होंने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि विदेशी मामलों को छोड़कर हम सार्वभौम हैं, आपके और हमारे बीच में करार हैं इसलिए बराबरी के स्तर पर बात होनी चाहिए। तब रीडिंग साहब ने उनको एक पत्र लिखा था। उसमें से एक वाक्य मैं पढ़ूंगा। बहुत बड़ी-बड़ी कल्पनायें ये लोग मन में न रखें। मैं प्रेम से उनसे कहना चाहता हूँ कि रीडिंग साहब ने उनको यह बताया था:—

> "The sovereignty of the British Crown is supreme in India and, therefore, no ruler of an Indian State can justifiably claim to negotiate with the British Government on an equal footing. Its supremacy is not based only upon treaties and engagements."

उनका मतलब यह था कि हमने हथियारों के आधार पर अपनी प्रभुसत्ता को कायम किया है। मुगलों की प्रभुसत्ता भी इसी के ऊपर आधारित थी। आज आप पूछेंगे आज की प्रभुसत्ता किस पर आधारित है। मैं हथियारों की चर्चा नहीं करूंगा मैं बल की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन पचास करोड़ लोगों की जो जन-शक्ति है, वही आज इस देश में सार्वभौम है और उसके सामने सभी लोगों को झुकना पड़ेगा।

अपने समय में सरदार पटेल ने जो काम किया उसके बारे में हमने उनके साथ बहुत अन्याय किया। आज इस संसद की पीठ से मैं यह कहना चाहता हूँ कि उन दिनों हम उनसे गुस्से होते थे जो कि स्वाभाविक था, क्योंकि हम जल्दी परिवर्तन चाहते थे और जल्दी समानता और लोकतंत्र पर आधारित समाज बनाना चाहते थे। इसलिए हम लोगों को उस समय यह लगता था कि एकीकरण और लोकतंत्र लाने की प्रक्रिया जितनी तीव्र होनी चाहिए वह उतनी तीव्र नहीं है। लेकिन एक ऐतिहासिक दृष्टि रखते हुए आज मैं सरदार पटेल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही मुस्तैदी के गुण दिखाकर एक छोटे अरसे में इस काम को पूरा किया।

लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरदार पटेल ने उस वक्त जो कुछ किया, बीस साल के बाद भी हम उसी को रटते रहें। जमाना बदलता है, जमाना आगे जाता है। जिन अंग्रेजों के

कानूनों पर हम निर्भर रहते हैं, उनमें से एक साहब, श्री कूपलैंड, का करार आदि के बारे में यह कहना है, उसको मैं पढ़ता हूँ:

> "No compact can endure when owing to the evolution of ideas it has ceased to square with general conceptions of right and wrong. And certainly things no longer stand in India as they stood when most of the treaties were made."

आज बीस साल के बाद जो नई स्थिति उत्पन्न हो गई है, उस पर ये शब्द लागू होते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करूंगा कि हम करार, वचन, आश्वासन और अभिवचन की चर्चा न करें, बल्कि जो उचित है, जायज है और देश की तरक्की के लिए आवश्यक है, उसकी रोशनी में हम ये सारी बातें करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सरकार निर्णय करे और राजा लोग खुशी से इन अधिकारों को छोड़ने के लिए तैयार हो जायें। सरकार हमेशा निजी कोष और खास अधिकारों की बात लेकर उनको प्रलोभन दिखाती है, उनको दबाने की कोशिश करती है। आज भी मुझे पता चला है कि कुछ लोग ए.आई.सी.सी. के प्रस्ताव को इस्तेमाल कर रहे हैं राजाओं को झुकाने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए। हो सकता है कि मेरी जानकारी गलत हो।

*** *** ***

मैं अपनी जानकारी के आधार पर यह बात कह रहा हूं। गृह मंत्री इसका खुलासा कर सकते हैं। मैं साफ कह देना चाहता हूँ कि हल्ला करने से मैं दबने या डरने वाला नहीं हूँ।

इसलिए उधर जितने राजा हैं, इस तरफ जितने राजा हैं या जो बाहर हैं, उन सबसे मैं यह अपील करना चाहता हूँ कि सरकार के ऋण में जो वे हमेशा रहते हैं और दबते हैं, उससे मुक्त होने के लिए, मुक्त मानव बनने के लिए, वे स्वयं इस बात को क़बूल करें, अन्यथा हिन्दुस्तान की जो जन-शक्ति है, वह जो कुछ करना उचित समझेगी, वह तो करेगी ही। यह केवल प्रारंभ है।

जो दूसरे नये राजा-महाराजा हैं, उनको भी आज मैं चेतावनी देना चाहता हूँ।

*** *** ***

यह सभी लोग जानते हैं। उनको निजी कोष के नाम पर तो नहीं मिलता होगा, लेकिन दूसरे ढंग से जो मिलता है और उनके जो विशेषाधिकार हैं, वे राजाओं से कुछ कम नहीं हैं। आज इस बहस के द्वारा इनको भी समाप्त करने की लड़ाई शुरू हो रही है। इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।

राज्यपाल के कर्त्तव्य और अधिकार*£

अध्यक्ष महोदय, अब मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन के कार्य को स्थगित किया जाये। यह प्रस्ताव मैं इसलिये रख रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश में जो घटनायें हो गई हैं, उन घटनाओं से और वहां पर जो निर्णय किया गया है कि विधान सभा का सत्रावसान किया जाये, प्रोरोग किया जाये, इससे समूचे देश पर और लोकतंत्र पर एक कलंक लग गया है और इसलिए यह काम रोको प्रस्ताव मैं पेश करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री के द्वारा राज्यपाल को जो सलाह दी गई, जिसके बारे में कई व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये, उसकी मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं, मेरा संबंध केन्द्रीय सरकार से है और केन्द्रीय सरकार की जो असफलता है, उसी को लेकर यह काम रोको प्रस्ताव है। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और जब तक राष्ट्रपति उनको राज्यपाल के पद पर रखना चाहते हैं, उसी समय तक वह राज्यपाल रह सकते हैं। साथ ही साथ, अध्यक्ष महोदय, संविधान में यह जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है कि हर एक राज्य का काम-काज संविधान की धारा के अनुसार हो।

अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में जो 355 धारा है वह बिलकुल साफ है और इस धारा में कहा गया है—

> "It shall be the duty of the Union........................to ensure that the government of every State is carried on in accordance with the provisions of this Constitution."

अध्यक्ष महोदय, अब मैं यह साबित करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विधान सभा के सत्र का अवसान करना—यह संविधान की और लोकतंत्र की घोर हत्या करना है और इसकी 100 फीसदी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार की है। अध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा का सत्र किसलिए बुलाया गया था? यह विधान सभा के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार का जो बजट है उसको पास कराने के लिये बुलाया गया था। बजट पर मध्य प्रदेश की विधान सभा में बहस चल रही थी और कल मध्य प्रदेश विधान सभा के सामने शिक्षा मंत्रालय की मांगें थीं। जब यह बहस चल रही थी तो कांग्रेस पार्टी के एक भूतपूर्व सदस्य वर्मा साहब ने सदन में ऐलान किया कि मैं और मेरे 34-35 साथी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं फिर उनके द्वारा सभापति जी से कहा गया कि विरोधी दल में बैठने की हमको इजाजत दीजिये। नतीजा यह हुआ—अब बात साफ है कि

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 20 जुलाई 1967.

£ काम रोको प्रस्ताव पेश कर चर्चा में भाग लेते हुए।

मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी का अब बहुमत नहीं रह गया है। तब विरोधी दल के द्वारा वहां पर यह मांग की गई कि हम दो-तीन घन्टे ज्यादा बैठने के लिए तैयार हैं, आज ही शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बहस पूरी हो जाये और अन्त में उस पर वोट ले लिया जाये, इससे विधान सभा को भी पता चल जायेगा और समूचे हिन्दुस्तान को भी पता चल जायेगा कि अब द्वारिका प्रसाद मिश्र के साथ विधान सभा का बहुमत है या नहीं है।

*** *** ***

सभी लोग समझते थे कि विधान सभा की आज बैठक होगी और शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बहस पूरी होगी और इस वोट में सरकार की पूरी तरह से हार हो जायेगी, सरकार को हटना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि आज भोपाल में गैर-कांग्रेसी सरकार बन जायेगी अगर संविधान की हत्या नहीं की जाती। लेकिन जब श्री मिश्र को पता चला कि अब उनका बहुमत तो रहा नहीं तब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाये। रात में उन्होंने जरूर कोशिश की होगी कि जो लोग कांग्रेस पार्टी से अलग हो गये हैं उनको तरह-तरह के प्रलोभन देकर अपने साथ फिर ले आया जाये। लेकिन इसमें वह सफल नहीं हुए और इसीलिये केन्द्रीय सरकार बीच में आई।

आज सवेरे भी प्रधान मंत्री जी ने कहा और गृह मंत्री जी ने भी बड़ा स्वांग रचा कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं बातचीत करूंगा और फिर सदन को अवगत कराऊंगा। लेकिन वह सरासर गलतबयानी कर रहे थे, असत्य वचन बोल रहे थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या कल से लेकर आज सवेरे सदन में जब वे आये तब तक उन लोगों से उन्होंने कोई सलाह-मशविरा नहीं किया? सभी लोग जानते हैं कि उनकी बातें हुई हैं। वहीं के सभापति जी से भी शायद दो घंटे श्री मिश्र की बातें हुई हैं, और इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या सभापति विधान सभा की बैठक को स्थगित नहीं रख सकते। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जल्दी वह लोग वापस जाने वाले नहीं हैं, कितना ही प्रलोभन दिया जाये, तब जाकर केन्द्रीय सरकार के कहने पर, केन्द्रीय सरकार की अनुमति से राज्यपाल से कहा कि विधान सभा को प्रोरोग किया जाये, ताकि उनको मौका मिले लोगों को खरीदने का या लोकतंत्र की हत्या करने का।

जब से चौथे चुनाव पूर्ण हो गये, हम लोगों ने बार-बार यह मामला उठाया कि इस स्थिति में राज्यपाल का कर्त्तव्य क्या है, इसके बारे में केन्द्रीय सरकार विरोधी दलों के नेताओं के साथ बातचीत करके संविधान की पूर्ति के लिये और लोकतंत्र की प्रणाली को चलने देने के लिए कोई निश्चित नियम बनाये। लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा कोई प्रणाली, कोई नियम या कोई सिद्धान्त निश्चित नहीं किये गये। मैं जानता हूं कि राज्यपाल को विधान सभा का समय-समय पर सत्रावसान करने का, प्रोरोग करने का अधिकार है, लेकिन आज हम क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? क्योंकि संविधान की जो धारा 164 है, जो कि संसदीय लोकतंत्र प्रणाली का आधार है, बुनियाद है, उसको खत्म करने के लिये विधान सभा के सत्र का अवसान करने का फैसला किया गया है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। 164 धारा में क्या है जिसके बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस धारा में कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है, जो सरकार है, उसका सामूहिक दायित्व विधान सभा के प्रति है, जिस प्रकार इस सरकार का दायित्व लोक सभा के प्रति है। इस धारा

को अमल में लाने का एक ही तरीका है जैसा आपने देखा है कि विधान सभा की बैठक बुलाई गई। शिक्षा मंत्रालय की मांगों पर बहस हो रही थी। उस पर वोट होने वाला था, और वोट के जरिये ही इस धारा पर अमल किया जा सकता है। वह वोट न देने के लिये जब प्रोरोगेशन का अधिकार इस्तेमाल किया जाता है तब मुझे कहना पड़ेगा कि इस अधिकार का दुरुपयोग हुआ है, लोकतंत्र की हत्या की गई है। मैं आपके द्वारा सदन से यह कहना चाहता हूं कि चौथे चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में ऐसी घटनायें घटी हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो घटना है, मैं समझता हूं कि वह एक बड़ा दुर्दिन है.... एक शर्म का दिन है लोकतंत्र के लिये और हमारी स्वाधीनता के लिये।

मैं आपका ध्यान संविधान की धारा 160 की ओर भी खींचना चाहता हूं, जिसको लेकर सरकार को सिद्धांत और नियम बनाने चाहिये थे। इसके लिये जो हमारे संविधान के निर्माता थे उन्होंने यह इन्तजाम किया था। जो धारा 160 है वह इस प्रकार है:

> "The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter."

इस तरह की जब संकटकालीन या आपातकालीन या कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होती है तब उसमें राज्यपाल को किस ढंग से अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिये, इसके बारे में राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकते हैं। राष्ट्रपति करेंगे केन्द्र की सलाह पर। लेकिन उन्होंने वह नहीं किया। आप लोग जानते हैं कि केरल में लोगों को जेल में ठूंसने के बाद भी जब कांग्रेस की हार हो गई तब गैर-कांग्रेसी सरकार को केरल में बनने नहीं दिया गया, उत्तर प्रदेश में भी लोगों को खरीदा गया और चन्द्रभानु गुप्ता की सरकार को लादा गया, राजस्थान में भी इसी तरह से लोकतंत्र की हत्या हुई। आज मध्य प्रदेश में भी यही हो रहा है। ऐसी स्थिति में गवर्नर का कर्त्तव्य बिल्कुल साफ था। वह विधान सभा का सत्रावसान करने से इंकार कर देते और कहते कि वोट होने दिया जाये अगर वोट सरकार के खिलाफ जाता हो तो क्या करना चाहिये? मैं बताने की कोशिश करूंगा—और उसकी भी मैं सफाई चाहता हूं, यह बात भी हमेशा के लिये साफ होनी चाहिये कि जब किसी सरकार का पतन हो जाता है वोट के जरिये तो, सबसे पहले विरोधी दलों को मौका देना चाहिये, जो सबसे बड़ा दल हो या मिला-जुला दल हो, तो उसको मौका देना चाहिये, हारे हुए दल को नहीं, जिसका पतन हुआ है उसको नहीं—विरोधी दलों को मौका देना चाहिये। अगर सभी विरोधी दल असफल हो जाते हैं तब उसके बाद नये चुनाव कराने का सवाल आ सकता है। हमारे देश की जो विशेष परिस्थिति है उसको देखते हुए मैं आज यह अर्ज करूंगा कि किसी भी हालत में कांग्रेसी मंत्रियों का अपनी स्वेच्छा से, जब उनकी तबियत हो तब, यह कहना कि हम चुनाव करायेंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिये। अखबारों में खबर आई है कि प्रधान मंत्री जी ने कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की कार्यकारिणी में जब बहस हुई तब कहा, जो उनको चुनने वाले लोग हैं उनसे ही, कि देश हमारे साथ है। कब देश आपके साथ था?

*** *** ***

मैं कहता हूं कि आज भी नहीं है। इस चौथे आम चुनाव में केवल 3 प्रतिशत वोट उनको मिले हैं। उनको वहां पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है।... मैं उनके संबंध में बात कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री धमकी दे रही हैं कि देश उनके साथ है, लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि उनके साथ देश कभी नहीं था। चौथे आम चुनाव में आपको केवल 38 प्रतिशत वोट मिले हैं। इसलिये आपको वहां बैठने का अधिकार नहीं है।

*** *** ***

मध्य प्रदेश को लेकर ही वाद-विवाद है। जिस तरह से श्री मिश्र को एक सेकेण्ड के लिये भी वहां बैठने का अधिकार नहीं है, उसी तरह से मेरी राय है कि इनको भी एक मिनट के लिये यहां बैठने का अधिकार नहीं है।

इसलिए मेरी राय है कि मध्य प्रदेश सरकार को तत्काल निकाला जाये और संविधान की धाराओं पर अमल किया जाये। भोपाल में आज ही 12 बजे के पहले गैर-कांग्रेसी सरकार बनाने के लिये राज्यपाल से यह कहा जाये। केन्द्र सरकार आदेश दे कि आज ही वहां गैर-कांग्रेसी सरकार सत्तारूढ़ हो।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री जी ने कहा कि मैं विरोधी दल से यह जानना चाहता हूं कि जब राज्य का मुख्य मंत्री राज्यपाल को एक सलाह देता है, तो ऐसी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिये था। यही सवाल था न उनका? मैं बताता हूं कि केन्द्रीय सरकार की क्या जिम्मेदारी थी।

अध्यक्ष महोदय, वहां जो बहस उठाई गई है, मुख्य मंत्री के द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई, वह उसको लेकर नहीं है। इसलिए श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने जो बात कही है, उसका यहां कोई मतलब नहीं है। यहां जो बहस उठाई गई है, वह इस बात को लेकर है कि ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी और दायित्व क्या है?

*** *** ***

यहां पर यह कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के मातहत गवर्नर को विधान सभा का सभावसान करने का, उसको प्रोरोग करने का, अधिकार था और राज्य के मुख्य मंत्री की हिदायत पर इस अधिकार का इस्तेमाल किया गया। मैं संविधान के तीन अनुच्छेदों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं जिनमें केन्द्रीय सरकार के कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से बताए गए हैं। अनुच्छेद 355 का तो मैं उल्लेख कर चुका हूं जिसके अनुसार केन्द्रीय सरकार की हर हालत में यह जिम्मेदारी है कि राज्यों की सरकारें संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाएं।

अब मैं अनुच्छेद 164 और 203 का उल्लेख करता हूं। अनुच्छेद 164 में स्पष्ट है कि जिस सरकार को विधान सभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, उसी को सत्ता में रहने का अधिकार है। किसी दल को बहुमत का समर्थन प्राप्त है या नहीं, यह देखने के लिए, यह तोलने के लिए

संविधान में एक मात्र रास्ता यह दिया गया है कि विधान सभा में जो प्रस्ताव आते हैं, जो सुझाव आते हैं, उन पर वोट हो।

*** *** ***

वह तो आज होने वाला था। खुद गृह मंत्री ने कहा है कि आज शिक्षा विभाग की मांगों पर वोट होने वाला था। मेरा आरोप यह है कि गवर्नर ने इस तरह जो विधान सभा के सत्र का अचानक अवसान किया है, उससे विधान सभा को इस वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है।

श्री अशोक सेन ने कहा कि हम विधान सभा के अधिकारों को कैसे ले सकते हैं। मैं भी यही कह रहा हूं कि विधान सभा का अधिकार था कि द्वारिका प्रसाद मिश्र की गर्दन पकड़ कर उनको निकाल दे। मेरा आरोप है कि केन्द्रीय सरकार ने विधान सभा को उस अधिकार से वंचित रखा और इसलिए बहुत अनुचित ढंग से विधान सभा के सत्र का अवसान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, दूसरा अधिकार—आप धारा 203 को देख लीजिए...

*** *** ***

आप धारा 203 को देखिये—

> "The Legislative Assembly shall have power to assent or to refuse to assent, to any demand, or to assent to any demand subject to a reduction of the amount specified therein."

किसी भी मांग पर अपनी स्वीकृति देना, स्वीकृति न देना या कुछ रकम काट कर स्वीकृति देना—यह विधान सभा का बुनियादी अधिकार है। आज उस अधिकार पर विधान सभा अमल करने वाली थी और मुझे खबर मिली है कि आज केवल 130 लोग नहीं, बल्कि 158 लोग ऐसे थे जो इस अनुदान के खिलाफ़ वोट देने के लिये कटिबद्ध थे और इसलिए, अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के सत्र का अवसान करके यह जो धारा 203 है, उसकी हत्या की गई है। समझ में आई बात—नहीं आई। धारा 203 में साफ लिखा है कि विधान सभा का यह अधिकार है, उस पर आज विधान सभा अमल करने वाली थी, लेकिन अपने इस अधिकार पर अमल करने से उसको रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय, नैतिकता का सवाल उठाया गया है। ये 1947 से राज की बागडोर सम्भाले हुए हैं, बीस साल में हजारों मिसालें दे सकता हूँ—प्रकाशम साहब को मुख्य मंत्री पद की लालच देकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अलग किया गया।...

सेठ गोविन्द दास जी ने और दूसरे लोगों ने कहा कि हर एक विधायक अपने दल के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके विधायक बन जाता है—लेकिन जब इधर से अनेक लोगों को तोड़कर अपने में मिलाया गया तब वह नैतिकता कहां थी? अभी भी कई लोग इस सदन में ऐसे बैठे हुए हैं जो पहले आपके साथ नहीं थे—तुलसी दास जाधव, राजेन्द्र बरुआ, जसवन्त मेहता, मैं एक नहीं हजारों उदाहरण दे सकता हूं, जिनको विधान मंडलों की सदस्यता का त्याग न करते हुये कांग्रेस में दाखिल किया गया—तब इनकी नैतिकता कहां चली गई थी?

यहां कुछ आचार संहिता की चर्चा हुई है—मुझे याद है सन् 1961—मैं अब गृह मंत्री जी की बात कर रहा हूं—प्रो. डी.आर. गाडगिल ने, जिनको अब उन्होंने योजना कमीशन का उपाध्यक्ष बनाया है, भाड़घर में सभी महाराष्ट्र के दलों का एक सम्मेलन बुलाया था और कांग्रेस पार्टी भी उसमें थी। वहां पर मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था और इसलिये पेश किया था कि 1956 में डा. राम मनोहर लोहिया साहब ने आवाहन किया था कि देश में आदर्श, राजनीतिक मूल्य और नैतिकता की रक्षा करने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जाये। राजनीतिक दलों की जो आमदनी होती है, जो खर्चा होता है, इधर से उठकर लोग उधर जाते हैं, उधर से उठकर इधर आते हैं—इसके बारे में ठोस और निश्चित नियम और परिपाटी बनाने के लिये एक सम्मेलन बुलाया जाये, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको कभी नहीं सुना। तो 1961 में जब प्रो. गाडगिल ने महाराष्ट्र के सियासी दलों का सम्मेलन बुलाया और मैंने जब यह सुझाव रखा कि इधर से उधर जाने, उधर से इधर आने, दल को छोड़ना, अपने मतदाताओं के साथ गद्दारी करना—इसके ऊपर हम लोग रोक लगायें तो उस वक्त चव्हाण साहब ने एक वाक्य कहा था—

> "The political loyalties in Maharashtra are in a state of flux; I shall not accept this proposition before the third general election."

यही बोले थे न, ठीक है न?

*** *** ***

[£]बिलकुल गलत बोल रहे हैं। मैंने यह बिलकुल नहीं माना था, इनके दल के लोगों ने माना था, शंकर राव गोरे ने माना था। आपने नहीं माना इसका कारण था कि महाराष्ट्र में जनरल इलेक्शन के बाद वहां की विधान सभा में कांग्रेस को केवल दो का बहुमत था। मोहित साहब महाराष्ट्र के मंत्रीमंडल में बैठे हुए हैं। चव्हाण साहब बैठे हुये हैं, खाडिलकर साहब भी बैठे हुये हैं, इनसे उन्होंने नहीं कहा था इस्तीफे दे दो, चुनाव लड़ो। इन्होंने उस समय कहा था कि निष्ठाएं बदल रही हैं। आज मैं कहना चाहता हूं कि केवल महाराष्ट्र में ही नहीं, राष्ट्रीय पैमाने पर निष्ठा बदल रही है। जनता, कार्यकर्ता और विधायक बड़ी तेजी से कांग्रेस से टूट रहे हैं, इसलिए यह आचार संहिता का समय नहीं है।

आचार संहिता के लिये हम लोग कब तैयार हो जायेंगे, जब इनका 20 साल का एकाधिकार खत्म हो जाएगा। यहां और अन्य राज्यों में जैसे दूसरे दल हैं, उसी तरह जब यह कांग्रेस दल बनेगा तब समझ में आयेगा और तब हम आचार संहिता बनाने के लिये तैयार होंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं महाभारत का एक दृष्टांत सुनाना चाहता हूँ। जब जख्मी भीष्म पितामह लड़ाई के बाद उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा कर रहे थे, पाण्डव लोग उनके पास जाते थे और वे उनको धर्म की सीख देते थे। एक दिन जब धर्म पर चर्चा भीष्म पितामह ने शुरू की और नैतिकता के सिद्धान्त को लेकर जैसे सेठ गोविन्द दास और दूसरे लोग बोल रहे थे, उसी तरह से जब

[£] श्री वाई.बी. चव्हाण, गृह मंत्री की सहमति, 'I did say that and you had accepted the position,' का प्रत्युत्तर देते हुए।

भीष्म पितामह बोलने लगे, तब द्रौपदी, जो तेजस्वी औरत थी, हंसने लगी। कुछ पाण्डवों को गुस्सा आया और उन्होंने पूछा कि क्यों हंस रही हो—तो द्रौपदी ने कहा—पितामह, जब द्रौपदी चीर हरण हो रहा था, कौरवों की सभा में, उस समय आपकी धार्मिकता और नैतिकता कहां चली गई थी? आज मुझे वही प्रसंग याद आ रहा है। जब आपसे लोग टूटने लगे, उत्तर प्रदेश में आप खत्म हो गये, हरियाणा में खत्म हो गये, मध्य प्रदेश में खत्म हो गये और कल मोरारजी भाई के गुजरात में भी खत्म होने वाले हैं और जल्दी ही इंदिरा गांधी भी जाने वाली हैं, यह सब होकर रहेगा, तब आपको नैतिकता याद आएगी। इसीलिये आज कौरवों की सभा—मुझे याद आ रही है। इसलिए नैतिकता की बात करना बेकार है। जहां तक संवैधानिकता का सवाल है, कानून का सवाल है, इनका कर्त्तव्य है कि संविधान पर अमल करावें—लेकिन मध्य प्रदेश में आपने ऐसा नहीं किया। इसीलिये यह काम रोको प्रस्ताव है और मैं हाउस से अपील करता हूँ कि वह इस प्रस्ताव को पारित करके इनको भी आज निकाल दें।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय*£, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस सदन में कि यह प्रस्ताव हम लोगों के द्वारा क्यों रखा गया? इधर एक अरसे से हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने अपने दलगत स्वार्थों के लिये संविधान को एक फुटबाल बनाया है। जब उनके हित में एक बात होती है तो वह संविधान का कुछ अर्थ लगाते हैं, कुछ परिपाटी डालते हैं, परम्परा डालते हैं और जब वह परम्परा या परिपाटी या भाष्य कांग्रेस पार्टी के हित के विरोध में जाता है तब फिर नई परिपाटी डालते हैं, नया भाष्य करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से भी अशोक सेन मुख्य प्रवक्ता के नाते बोले और उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के बारे में उन्होंने और दूसरे 60 सदस्यों ने क्या किया था। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि उस वक्त अशोक सेन साहब ने सदन में क्या कहा था। मेरे पास यह लोक सभा की कार्यवाही है। अशोक सेन साहब कभी-कभी भूल जाते हैं क्योंकि वह वकील हैं और वकील के नाते एक बात कभी सुप्रीम कोर्ट में वह कहते हैं, दूसरे दिन किसी दूसरे का पक्ष लेकर बिलकुल उलटी बात वह कहते हैं।...

*** *** ***

यह समझ ही नहीं रहे हैं। वकील के नाते उनका यह करना ठीक है लेकिन वह भूल जाते हैं कि इस सदन में जब उनको बोलना है तो लोक सभा के सदस्य के नाते और जनता के प्रतिनिधि के नाते उनको बोलना है। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार उन्होंने जब मध्य प्रदेश वाली बहस में हिस्सा लिया तो उन्होंने संविधान का क्या अर्थ है, इसके बारे में कुछ जुमले कहे थे। उन्हीं के शब्दों में वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद आप को पता चलेगा कि मैं क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान को फुटबाल बनाया जा रहा है।

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 15 नवम्बर 1967.

£ राज्यों के राज्यपालों के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

अशोक सेन साहब कहते हैं:

"The ultimate judgment of any governmental action of the State must be given by the State Legislature and not by us."

दूसरा वह कहते हैं:

"The second principle is that if the autonomy of the State is to be maintained and if the Governor has to act as a constitutional organ, then the Governor must act on the advice of the Chief Minister so long as he remains Chief Minister."

यह अशोक सेन के शब्द हैं। तीसरा वाक्य वह कहते हैं:

"Now, if the Governor has to act on the advice of the Chief Minister who are we to tell him that he must act in a different manner?"

इसका मतलब, अध्यक्ष महोदय, यह हुआ कि सदन का सत्रावसान क्यों किया गया, उसको प्रोरोग क्यों किया गया, उसकी उस वक्त चर्चा चल रही थी और उस पर अशोक सेन साहब ने कहा कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ नहीं कहा है, मुख्य मंत्री के कहने पर उन्होंने सत्र का अवसान किया और गवर्नर का यह कर्त्तव्य था कि संवैधानिक राज्य के प्रमुख के नाते कि जब तक वह मुख्य मंत्री हैं, मुख्य मंत्री की सलाह पर उनको चलना चाहिये, सत्र कब बुलाना, कब उसको अवसान करना आदि के बारे में उस वक्त तो एक सत्र चल रहा था, वोट होने वाला था और उस वक्त यह बहुत गलत काम किया गया, सत्र का अवसान करने का। लेकिन उसका भी समर्थन अशोक सेन साहब ने उस समय किया है। अध्यक्ष महोदय, उस समय यह कहा गया था कि गृह मंत्रालय की राय और कानून मंत्रालय की राय इसके बारे में अलग-अलग थी। कुछ दिन पहले राज्यपालों का सम्मेलन हुआ। मेरे पास स्टेट्समैन की यह रिपोर्ट है और उसमें दो नये सिद्धांत और नये भाष्य हमारे सामने आये हैं। एक वाक्य मैं स्टेट्समैन से पढ़ता हूं:—

"The Governor can dismiss a minority Government if on the basis of any material information available to him, he finds that the ruling party has lost its majority. He can act in the absence of the verdict of the Legislative Assembly. This interpretation of the constitutional position, of immense significance in the context of the current West Bengal developments, was given by a spokesman of the Law Ministry today."

आगे चल कर यह कहते हैं कि जहां तक विधान सभा को बुलाने का सवाल है:

"In regard to the summoning of the Legislature, another logical issue in West Bengal today, the Governor, according to the spokesman's interpretation cannot exercise his discretion; he is bound to follow the advice of the Chief Minister."

तो इस रिपोर्ट के अनुसार विधान सभा की बैठक के बारे में गवर्नर को कोई अधिकार नहीं है आदेश जारी करने का, उनको मुख्य मंत्री की सलाह पर चलना है। लेकिन साथ ही साथ ये कहते हैं कि अगर गवर्नर की यह राय है कि सरकार अब अल्पमत में हो गई है तो गवर्नर अपने

विवेकाधीन अधिकारों का इस्तेमाल करके उस सरकार को हटा सकता है। अब यह एक नया भाष्य है—अध्यक्ष महोदय। अब सेन साहब क्या कहते हैं? और उस वक्त क्या कहते थे? सेन साहब कहते थे कि इसका फैसला गवर्नर नहीं करेगा, विधान सभा को करना पड़ेगा और विधान सभा की बैठक के बारे में, सत्र कब बुलाना उसका अवसान कब करना, इसके बारे में संवैधानिक प्रमुख के नाते सरकार की सलाह पर उनको चलना पड़ेगा। तो, अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि आज इन्होंने जो बात कही है और उस समय इन्होंने जो बात कही थी उसमें जमीन और आसमान का फर्क है और इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान को फुटबाल बनाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, असल में हमारे संविधान की जो विभिन्न धारायें हैं उनको अगर गौर से देखें, अगर निष्पक्ष हो कर काम करेंगे तो हमारे सामने कोई आपत्ति नहीं आयेगी, कोई अड़चन नहीं आयेगी। आज मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि संविधान की धारा 164 में जो यह लिखा हुआ है कि—

> "The Chief Minister shall be appointed by the Governor and the Ministers shall hold office during the pleasure of the Governor."

क्या इसका यह मतलब है कि आज किसी भी राज्य के मंत्री को गवर्नर हटा सकता है? क्या प्रेसिडेन्ट आज प्रधान मंत्री को हटा सकता है? क्या ड्यूरिंग दि प्लेजर आफ दी गवर्नर या प्रेसिडेन्ट—इसका यह भाष्य है कि वह मनमानी करे।

अध्यक्ष महोदय, संविधान में साथ-साथ इसी धारा के अन्दर कहा गया है कि जो मंत्रीपरिषद है, उसका दायित्व विधान सभा के प्रति रहेगा—इसका अर्थ क्या है? इसका फैसला करने कि सरकार को बहुमत का समर्थन हासिल है या नहीं, उसका फैसला राज्यपाल नहीं कर सकता। केन्द्र सरकार इसका फैसला नहीं कर सकती, इसका फैसला विधान सभा को करना पड़ेगा। अब विधान सभा की बैठक के बारे में बहुत कुछ कहा गया—हम लोग उन लोगों में से नहीं हैं, जो विधान सभा से भागना चाहते हैं, जैसे नाथ पाई जी ने कहा, अटल बिहारी जी ने कहा और मेरी भी यही राय है कि अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो हम लोगों को डरना नहीं चाहिये, किसी को डरना नहीं चाहिये, लेकिन साथ-साथ इसका यह मतलब नहीं है कि जब कोई दो-चार लोग इस तरह के पत्र तैयार करें, पत्रों का कारखाना खोलें, गवर्नर के पास जायें, दो-चार लोग खड़े करें और कहें कि बहुमत समाप्त हो गया तो हर सात दिन के बाद या दस दिन के बाद विधान सभा की बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है, कि जुलाई-अगस्त महीने में लगातार उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक कोशिश की गई कि इन सरकारों को समाप्त किया जाये, अविश्वास के प्रस्ताव आये, स्थगन प्रस्ताव आये, बजट पर वोट हुआ, इन लोगों को पूरा मौका मिला था लोकतांत्रिक ढंग से इन सरकारों को समाप्त करने का। संविधान में यह लिखा हुआ है कि दो सत्रों के बीच में किसी भी हालत में 6 महीने से अधिक की अवधि नहीं होनी चाहिये। मैं इनसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या पश्चिम बंगाल में दो विधान सभाओं के सत्र के बीच 6 महीने की अवधि हो चुकी है? अगर 6 महीने के बाद भी मुख्य मंत्री कह दें कि मैं बैठक नहीं बुलाऊंगा तो गवर्नर ने जो शपथ ली है, जो कसम खाई है कि मैं संविधान का पालन करूंगा, उसके तहत मैं मानता हूं कि उनको अधिकार है कि वह सरकार को हटायें लेकिन संविधान की जो धारा है उसका भाष्य आज यह अपने हित के अनुसार करना चाहते हैं।

बिहार में, अध्यक्ष महोदय, सवाल आया कि हमारे दल के श्री विन्देश्वरी प्रसाद मंडल, वह इस सदन के सदस्य हैं, को हम लोगों ने यह सलाह दी कि आपको लोक सभा के लिये चुना गया है, इसलिए आप यहां आयें। उनको यह पसन्द नहीं आया, उन्होंने विद्रोह किया—इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है—लेकिन बाद में सवाल आया कि एक ऐसा व्यक्ति जो पांच महीने पच्चीस दिन या छब्बीस दिन मंत्री रहता है, सदस्य नहीं है विधान सभा का या विधान परिषद का, एक दिन के लिये, दो दिन के लिये या चार दिन के लिये हट जाता है, तो क्या वह फिर से मंत्री या मुख्य मंत्री बन सकता है। संविधान में लिखा हुआ है कि 6 महीने के अन्दर उसको सदस्य बनना चाहिये, 6 महीने के बाद वह नहीं रह सकता। तो बिहार के राज्यपाल ने उनसे यह कहा कि संविधान का जहां तक मैं अर्थ समझ पा रहा हूं, उसके तहत आपको मंत्री या मुख्य मंत्री मैं नहीं बना सकता। उस वक्त ये लोग उनका समर्थन कर रहे थे और बिहार में चूंकि उनकी इच्छा के अनुसार वहां के राज्यपाल ने काम नहीं किया, ये लोग गवर्नर के खिलाफ हो गये, यही वजह है कि बिहार सरकार के कहने पर कि उनको और पांच साल के लिये वहां रखा जाये, इनकी इच्छा के अनुसार केन्द्र ने काम नहीं किया। इसलिये ये उनको वहां से हटा रहे हैं और अब नई परिपाटी बनाना चाहते हैं कि पांच साल से ज्यादा कोई गवर्नर न रहे। गिरी साहब रह चुके हैं, श्रीमती पद्मजा नायडू एक ही सूबे में पांच साल से अधिक समय तक गवर्नर रही हैं, लेकिन अब जब कि एक नई समस्या आती है, दल-हित और पुरानी परिपाटी टकराती है तो कहते हैं कि एक नई परिपाटी बनाओ, आईन की धाराओं का एक नया भाष्य करो।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब संविधान में इसके लिये एक अलग धारा है—धारा 160, जिसका मैंने यहां पर कई दफा जिक्र किया है:

> "The President may make such provision as he thinks fit for the discharge of the functions of the Governor of a State in any contingency not provided for in this Chapter."

क्या वजह है कि आज 17 साल हो गये, इसके बारे में सरकार ने कोई नियम नहीं बनाये, इन नियमों को सदन के सामने नहीं रखा, इस सदन की स्वीकृति नहीं ली। अगर इस तरह के नियम पहले से बनाये जाते, आदेश जारी किये जाते कि विभिन्न स्थितियों में गवर्नर को कैसे काम करना है तो आज इस तरह के विवाद और झगड़े उत्पन्न नहीं होते, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, जानबूझकर 160 धारा का ये इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि स्थिति को इस तरह से ये अपने काबू में रखना चाहते हैं कि ये मनमानी कर सकें। इसलिये इसमें कोई संवैधानिक सिद्धान्तों का सवाल नहीं है। अगर अजय मुखर्जी साहब खुद 18 दिसम्बर को नहीं, बल्कि 5 दिसम्बर को या 1 दिसम्बर को बैठक बुलाते, तो मुझे ऐतराज नहीं था, मुझे खुशी होती। लेकिन आज जब गवर्नर आदेश दे रहा है इनके कहने पर, तो आज मैं इसके लिये बाध्य हो रहा हूं कि अजय मुखर्जी साहब को यह सलाह दूं कि आप अब किसी भी हालत में गवर्नर की इच्छा के अनुसार बैठक न बुलायें। वरना विधान सभा की बैठकों के बारे में तो मेरी राय इससे अलग है।

हरियाणा में कई दफा स्थितियां बदलीं—क्या वजह है कि इन लोगों ने कभी हरियाणा के मंत्रिमंडल को नहीं कहा—अटल जी ने कहा है कि मैंने कहा है, उनके दल ने कहा है—लेकिन

केन्द्रीय सरकार ने गवर्नर के द्वारा कभी यह नहीं कहा कि तत्काल विधान सभा बुलाइये। शायद यह कारण हो सकता है कि वीरेन्द्र बहादुर सिंह का एक वक्तव्य मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हरियाणा में गैर-कांग्रेसी सरकार अच्छी है, लेकिन केन्द्र में इंदिरा जी और चव्हाण साहब की सरकार अच्छी है, क्या इसलिए हरियाणा के बारे में आपकी अलग राय है और पश्चिम बंगाल के बारे में अलग?

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर यह केवल स्वस्थ संवैधानिक परम्पराओं का सवाल होता, परिपाटी का सवाल होता, संविधान के भाष्य करने का सवाल होता तो एक जगह बैठ कर इसके बारे में कोई रास्ता निकाला जा सकता था। राजस्थान के समय सम्पूर्णानन्द जी की बात मुझे याद है—उन्होंने कहा था कि आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं, विधान सभा की बैठक का इन्तजार करो और वहां ताकत की आजमाईश करो। जबकि राजस्थान में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं दाण्डेकर जी से इस बारे में सहमत नहीं हूं—सत्तारूढ़ दल चुनाव में हार चुका था और हारने के पश्चात वहां पहला मौका विरोधी दल को देना चाहिये था और कांग्रेस पार्टी को यह सलाह देनी चाहिये थी कि अगर उनकी राय में विरोधी दलों के साथ बहुमत नहीं है तो आपके साथ तो बिलकुल ही नहीं है, क्योंकि चुनावों में जनता ने आपको हरा दिया है, इसलिए आप विधान सभा की बैठक में आजमाईश करें, लेकिन वहां इसके बिलकुल उलट हुआ—हारे हुए दल को सरकार बनाने का मौका दिया गया और जनता ने जिनको बहुमत में चुना था, जिन्होंने कांग्रेस को हराया था, उनको कहा गया कि तुम विधान सभा की बैठक के लिये इन्तजार करो। इसलिए राजस्थान में हमको विरोध करना पड़ा। मध्य प्रदेश में अध्यक्ष महोदय, बजट के समय यह जो सत्र का अवसान किया गया उसकी निन्दा हमने की क्योंकि हमको शक था कि केन्द्रीय सरकार के कहने पर यह किया गया। यह कहते हैं कि नहीं हमने नहीं किया लेकिन आपको याद है कि बजट छापने का मामला आया था और प्रमाण के साथ यहां साबित किया था। एक बड़ा षडयंत्र रचा गया था और भारी तैयारियां हुई थीं। लेकिन चूंकि वह बजट सत्र था यह जानते थे कि विधान सभा की बैठक अगर नहीं बुलायेंगे तो बजट कैसे पास करेंगे? बजट यहां पास करना पड़ेगा और इन लोगों को हमने साफ कहा था कि हम आपके चपरासी और गुलाम नहीं है कि आप संविधान की हत्या करते जायें और हम आपका बजट यहां पर पास करें। मैं उस दिन भोपाल में था और श्री द्वारका प्रसाद मिश्र इस्तीफा नहीं देना चाहते थे हारने के बाद भी। तो उस वक्त उनको कहना पड़ा है, गृह मंत्री जी की और मिश्र जी की बात हुई है और गृह मंत्री जी ने कहा है कि परसों सोमवार है, लोक सभा के सामने मुझको आना पड़ेगा आप इस्तीफा दे दीजिये, तब इस्तीफा हुआ है। कोई संविधान का आदर करने के लिये उन्होंने नहीं दिया है। अध्यक्ष महोदय, यह संविधान का मामला नहीं है। यह सवाल दलीय राजनीति का बन गया। आज मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में उसने क्या काम किया, क्या नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया वह बात अलग है। खुद गैर-कांग्रेसी सरकारों के कामों से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। आपको याद होगा कि लोहिया जी को श्रद्धांजलि देते समय हमने यह कहा है कि हम यह जरूर चाहते थे कि कांग्रेस हटे, कांग्रेस खत्म हो जाये, परिवर्तन हो जाये, राजनीति गतिमान बने, कई सरकारें बनें लेकिन साथ ही साथ हम यह चाहते थे कि यह सरकारें सत्ता अभिमुख न बनें बल्कि यह कार्यक्रम अभिमुख बनें तो अध्यक्ष महोदय,

झगड़ा, पश्चिम बंगाल सरकार कैसी है, बिहार सरकार कैसी है, उत्तर प्रदेश की सरकार कैसी है, यह नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले 7-8 महीनों में जिस ढंग से काम करना चाहिये था और औद्योगिक कानून, श्रम नीति, जमीन का बंटवारा, अन्न नीति, इन सारी चीजों के बारे में जो प्रगतिशील और ठोस कदम सरकार के द्वारा उठाये जाने चाहिये थे, वह नहीं उठाये गये।

एक ट्रामवे कम्पनी को हाथ में लिया। उसका स्वागत हमने किया था तो इसके लिये मुझको खेद है लेकिन यह जिस ढंग से इस सरकार को खत्म करने जा रहे हैं इसको हम कभी कबूल नहीं करेंगे। कार्यक्रम पर अमल नहीं किया, आश्वासनों को पूरा नहीं किया इसको लेकर गैर-कांग्रेसी सरकारों को भंग करने के लिये एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा हम तैयार हो जायेंगे लेकिन केन्द्रीय अधिकारों का इस्तेमाल करके गवर्नरों के द्वारा अगर इन सरकारों को तोड़ा जायेगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखबारों में खबरें आई हैं, मेरे पास इस तरह की इत्तला आई है कि फौज की सहायता ये लोग लेने वाले हैं। आज मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं, यह सुरक्षा मंत्री रहे हैं, मेहरबानी करके सेना को और फौज को वह राजनीति में घसीट कर न ले आयें। अगर उनको पश्चिम बंगाल की सरकार को गिराना है तो लोकतांत्रिक रास्ते से संवैधानिक रास्ते से वह सरकार को गिरायें। 10-12 दिन में 15 दिन में कोई आसमान नहीं टूटने वाला है विधान सभा की बैठक होगी। अब मैं यह नहीं कहने के लिये तैयार हूं अजय मुखर्जी को कि वह बैठक जल्द बुलायें क्योंकि इन लोगों ने अनुचित ढंग से दबाव डाला है। अगर राजनीतिक स्तर पर यह बात करते, हम लोग करते तो वह एक दूसरी बात होती। लेकिन अनुचित ढंग से गवर्नर को जो अधिकार नहीं हैं उस अधिकार का इस्तेमाल करके अगर वह इस सरकार को दबाना चाहेंगे और उसके लिये फौज को और सेना को बुलाना चाहेंगे तो मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि सेना को राजनीति में लाने का बड़ा खतरनाक नतीजा निकल सकता है। आप उसी रास्ते पर जा रहे हैं जिस रास्ते पर अय्यूब खां गये और दूसरे फौजी तानाशाह गये हैं। इसलिये यह काम आप न करिये। आपको जो लड़ाई लड़नी है, संघर्ष करना है वह आप करिये लोकतांत्रिक ढंग से, राजनीतिक तरीकों से। इसका जनता फैसला करेगी। अगर पश्चिम बंगाल की सरकार में कोई खराबियां हैं कमियां हैं तो हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो विरोधी दल के नेता हैं कि किस तरीके से इन कमियों को केवल पश्चिम बंगाल में ही नहीं अगर बिहार में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, तो वहां भी इन कमियों को दूर करें। आप मेहरबानी करके, यह प्रस्ताव आज चेतावनी के तौर पर लाया गया है वरना हम अविश्वास का प्रस्ताव आज लाते, जल्दबाजी में संविधान की हत्या करने वाला, लोकतंत्र का गला घोंटने वाला कोई कदम जल्दबाजी में आप न उठायें। जो प्रक्रिया है वह चलने दीजिये। सरकार को अगर वहां की जनता गिराना चाहती है, लोग गिराना चाहते हैं, विधान सभा गिराना चाहती है, तो गिरा सकती है। लेकिन गवर्नर के जरिये अपने विवेकहीन अधिकारों का इस्तेमाल करके, विवेकपूर्ण नहीं, डिस्क्रैशनरी नहीं, और फौज का नाजायज ढंग से इस्तेमाल करके अगर यह सरकार को गिरायेंगे तो हिन्दुस्तान की सुरक्षा का और सेना का क्या होगा? मुझे बड़ा खतरा लग रहा है। बस इतनी ही बात मैं आज कहना चाहता हूं।

मध्य प्रदेश में लोकतंत्र की बहाली*£

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं निम्न प्रस्ताव इस सभा के विचारार्थ पेश करना चाहता हूं:—

> "That this House disapproves the unconstitutional act of the Governor of Madhya Pradesh in not inviting immediately the new leader of the S.V.D. to form a Government which only very recently had proved its majority on the floor of the Assembly."

अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले साफ कर देना चाहता हूं कि मेरा प्रस्ताव और गवर्नर के द्वारा जो सत्र को अवसान कराया गया है, इन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है।

मैंने जब यह प्रस्ताव तैयार किया था उस समय मेरे पास सत्रावसान की खबर भी नहीं पहुंची थी। प्रस्ताव का सीधा संबंध, सीधा ताल्लुक उस मौलिक चीज से है कि गवर्नर का ऐसी परिस्थिति में, ऐसी हालत में क्या कर्त्तव्य होता है। संविधान की दृष्टि से आज मैं श्री वेंकटासुब्बैया साहब को बधाई देता हूं इसलिए कि आज पार्लियामेंट की जो सही आवाज है, वह उनके मुंह से निकली है। आज वह न केवल विरोधी दल की ओर से बल्कि पूरे सदन की ओर से बोले हैं और पचास करोड़ भारतीय जनता की आवाज उन्होंने यहां अभिव्यक्त की है।

*** *** ***

.......लेकिन जो प्रशंसा जरूरी है, वह मैं जरूर करूंगा। मैं उसका कारण बताता हूं।

जब कल मैंने यह सवाल यहां उठाया, तो उस समय से लेकर आज सबेरे 11 बजे तक मेरे मन में बड़ी चिंता उत्पन्न हो रही थी कि हमारे देश में लोकतंत्र का भविष्य क्या होने वाला है। आज तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा बहुत से पाप हुए हैं, लेकिन यह खुशी की बात है कि आज उसमें कम से कम एक आदमी ऐसा निकला, जिसने लोकतंत्र की आवाज को सदन के सामने पेश किया।

गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस मामले में मैं बिल्कुल सदन के साथ हूं। उसका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। ऐसे कम ही मौके मिलते हैं, जबकि हम गृह मंत्री की राय से मुत्तफिक होते हैं। लेकिन गृह मंत्री के इस वक्तव्य के कुछ निष्कर्ष भी निकलते हैं। अगर वह अपने आपको सदन के हाथ में सौंप देना चाहते हैं, तो आज उन्हें पार्टी या अनुशासन के नाम पर कोई व्हिप

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 12 मार्च 1969.

£ मध्य प्रदेश में मंत्रिपरिषद का गठन और राज्यपाल के निर्णय का प्रस्ताव पेश कर, चर्चा में भाग लेते हुए।

जारी नहीं करना चाहिए, ताकि सदन मेरे प्रस्ताव पर अपनी सही राय व्यक्त कर सके। अगर व्हिप के बिना, बहुमत से, मेरा यह प्रस्ताव ठुकराया जाता है, तो वह बात दूसरी है, लेकिन अगर वह व्हिप दे देते हैं, यह आदेश दे देते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में से किसी को भी मेरे प्रस्ताव के हक में वोट नहीं देना चाहिये, तो मेरा ख्याल है कि श्री चव्हाण ने आज सवेरे हमको जो आश्वासन दिया है, यह बात उसके विपरीत होगी।

मध्य प्रदेश में ये जो घटनायें हुईं हैं, ये कोई नई घटनायें नहीं हैं। वहां इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। करीब करीब दो साल पहले, जुलाई-अगस्त में इसी तरह की घटनायें हुई थीं और उन घटनाओं में वहां की विधान सभा के अध्यक्ष और गवर्नर, इन दोनों का, जो रोल रहा, मेरा ख्याल है, और बहुत से लोगों का ख्याल है कि वह संविधान के अनुसार नहीं था, लोकतंत्र-विरोधी था। क्या घटनायें हुईं?

*** *** ***

मैंने माननीय सदस्या की बात सुन ली है। वह औरत है इसलिए मैं बैठा।

दो साल पहले मध्य प्रदेश में क्या हुआ था? मध्य प्रदेश विधान सभा का बजट-सत्र बुलाया गया था और उसमें शिक्षा मंत्रालय की मांग पर वोट होने जा रहा था। उसी दिन कांग्रेस पार्टी में विद्रोह हुआ और कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा संयुक्त विधायक दल के साथ आ गया। इसलिए उस दिन बिलकुल गैर-कानूनी ढंग से और औचित्य का भंग करते हुए अध्यक्ष ने सदन में वोट नहीं होने दिया और सदन की बैठक को स्थगित कर दिया।

दूसरे दिन क्या हुआ? जैसा कि आज हुआ है, पहले अध्यक्ष के द्वारा सदन की बैठक को स्थगित कर दिया गया और दूसरे दिन गवर्नर के द्वारा सदन को प्रोरोग कर दिया गया। उस के बाद पार्लियामेंट में उस पर बहस उठी और यहां पर विधान सभा की बैठक तत्काल बुलाने की मांग की गई। इन लोगों की इस मांग को क़बूल करना पड़ा और विधान सभा की बैठक हुई। मैं भी उस समय भोपाल गया था।

फिर ताज्जुब की बात है कि विधान सभा की बैठक हुई, चर्चा हुई, वोट होने वाला था, लेकिन फिर अध्यक्ष ने श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र को मौका देने के लिए वोट नहीं होने दिया और विधान सभा की बैठक को स्थगित कर दिया। उस दिन रात में मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि उन्होंने यह बहुत अनुचित काम किया है और यदि वह इस तरह का काम करेंगे और सदन को अपनी राय व्यक्त करने का मौका नहीं देंगे, तो लोकतंत्र के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो काका पांडेय जी ने मुझे आश्वासन दिया कि कल चाहे जो भी हो, कल वह वोट करवायेंगे और उसके नतीजे के अनुसार चलेंगे। उन्होंने मुझे अपनी गैलरी में आकर सदन की कार्यवाही देखने के लिये कहा। उस दिन वोटिंग हुआ। श्री विद्या चरण शुक्ल के भाई, मेरा ख्याल है कि उन्हें श्याम बाबू कहते हैं, और श्री द्वारिका प्रसाद मिश्र ने उसमें अड़ंगा डालने की कोशिश की। मैं गैलरी से देख रहा था, लेकिन काका पांडेय उस दिन बड़े मुस्तैद रहे। उन्होंने वोट के लिये कहा और वोट हुआ।

उसके बाद मैं उनसे मिलने के लिए उनके चैम्बर में गया और मैंने उनका अभिनन्दन किया। उस समय उनकी आंखों से अश्रु बह रहे थे और उन्होंने कहा कि... यह सही बात है, संयुक्त विधायक दल के नेताओं ने मुझसे कहा था, वे ऐसे अध्यक्ष को बदल देंगे। मुझे यह याद है कि मैंने उनको यह सलाह दी थी कि चूंकि अध्यक्ष ने अपनी गलती को महसूस किया है और आज उन्होंने वोट करवाया है, इसलिए हमको ऐसे व्यक्ति के खिलाफ द्वेष से प्रेरित होकर कार्यवाही नहीं करनी चाहिये और उन्हें अध्यक्ष बने रहने देना चाहिए।

लेकिन आज मुझे पश्चाताप हो रहा है कि ऐसे आदमी के खिलाफ कार्यवाही करने की जो बात संयुक्त विधायक दल के नेताओं के मन में थी, मैंने उसमें ख्वामख़ाह बाधा क्यों डाली। अगर ऐसे अध्यक्ष को निकाल दिया जाता, तो मध्य प्रदेश की दृष्टि से और देश में लोकतंत्र की दृष्टि से अच्छा होता।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल ऐतिहासिक घटनाक्रमों का क्रम रख रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। इसके साथ ही मैं अपनी गलती पर पश्चाताप व्यक्त कर रहा हूं। इस पर माननीय सदस्य को क्यों तकलीफ हो रही है?

मैं अर्ज कर रहा था कि मध्य प्रदेश में इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है। संयुक्त विधायक दल के नेता के परिवर्तन के बारे में एक अरसे से चर्चा चल रही थी। वह परिवर्तन कुछ ही महीने पहले होने वाला था, लेकिन नहीं हुआ। इस बार सर्व-सम्मति से निर्णय हुआ और सारंगगढ़ के राजा को सर्वसम्मति से नेता के पद पर चुना गया। इसमें आपत्ति की क्या बात है? कांग्रेसी राजा अच्छा होता है और विरोधी राजा बुरा होता है, यह कौन-सी नीति है। प्रधान मंत्री के अगल-बगल में, आगे-पीछे सब तरफ राजा ही राजा हैं। इसी समय मैं उनके नजदीक बैठे हुए श्री भानुप्रकाश सिंह को देख रहा हूं। राजा सारंगगढ़ का नाम सुनकर इस प्रकार उपहास करना इन लोगों को शोभा नहीं देता है। मैं यह अर्ज कर रहा था कि जब नया नेता चुना गया तो उसको लेकर गोविंद नारायण सिंह और संविद के नेता गवर्नर से मिलने के लिए गए। लेकिन खेद की बात है, कल विजया जी से मेरी बातें हुई थीं और उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब ने उनसे मिलने से इंकार कर दिया और बहाना बनाया कि मैं बीमार हूँ। मुझको लगता है कि द्वारिका प्रसाद मिश्र ने बहुत ज्यादा स्लीपिंग टेबलेट्स का उनको डोज दे दिया है। मेरी समझ में नहीं आता कि गवर्नर का पद एक इज्जत का पद है, उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियां हैं तो क्या उन जिम्मेदारियों को उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए था? अगर वह बीमार थे तो केन्द्र से कहते कि मुझे छुट्टी पर जाने दीजिए। वहां के जो चीफ जस्टिस हैं उनको दरमियानी अरसे के लिए गवर्नर बना दिया जाये। तो चीफ जस्टिस साहब गवर्नर के नाते नये नेता को मुख्य मंत्री की शपथ दिला सकते थे और उनको न्योता दे सकते थे कि आप अपना मंत्रिमंडल बनाइए। सदन की बैठक चल रही थी। अब सभापति जी को मेरी राय में सदन की बैठक को स्थगित नहीं करना चाहिये था। गवर्नर का कर्त्तव्य बिलकुल साफ था। संविद का नेता कौन हो इसमें दखल देने का न राज्यपाल को अधिकार है,

न केन्द्रीय सरकार को अधिकार है, यह तो उस दल का अंतर्गत मामला है। कल यह हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी स्वयं फैसला करे कि इंदिरा गांधी जी हटें या इंदिरा गांधी फैसला करें कि अब मैं प्रधान मंत्री नहीं रहना चाहती हूं, तो क्या होगा? जिस किसी को कांग्रेस पार्टी नया नेता बनाना चाहती वह बनता... अरे भाई, राजा दिनेश सिंह को बनाना चाहेंगे ये लोग, या हो सकता है कि मोरारजी भाई को बनाना चाहें या यहां गृह मंत्री भी बैठे हैं, वह भी उम्मीदवार हैं तो इसमें अगर किसी को बनाना चाहते हैं तो क्या राष्ट्रपति इस तरह कह सकता है कि मुझे देखना पड़ेगा कि नये नेता के चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी का पार्लियामेंट में बहुमत है या नहीं, उसकी मैं जांच करूंगा और जांच के पश्चात अगर मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूं कि नये नेता के पीछे भी बहुमत है तभी जाकर मैं उसे मौका दूंगा?

अब मैं कोई लम्बा चौड़ा संविधान की किताबों का हवाला देना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसके बारे में मेरा ख्याल है कि एकदम एक राय है, यह सभी संविधान के जितने भाष्यकार हैं इनका कहना है कि गवर्नर को दो तीन धाराओं को छोड़कर अन्य धाराओं में कोई विवेकपूर्ण अधिकार नहीं है। अब संविद का बहुमत था या नहीं, आपने स्वयं कहा है, सभापतियों के सम्मेलन का निर्णय है कि किसी दल को या दलसमूह को, बहुमत का समर्थन प्राप्त है इसका फैसला राजभवन में नहीं होगा, इसका फैसला विधान सभा की बैठक में होगा। विधान सभा चल रही थी। विधान सभा की बैठक को स्थगित किसने किया? सभापति जी ने किया। गोविंद नारायण सिंह जी ने नहीं किया, संविद की सरकार ने नहीं किया। तो ऐसी हालत में गवर्नर के सामने रास्ता बिलकुल साफ था कि राजा सारंगगढ़ को वह नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाते। नया मंत्रिमंडल बन जाता और उसके बाद वह अविश्वास का प्रस्ताव लाते या बजट सत्र में कोई स्थगन प्रस्ताव लाते या दूसरी किसी शक्ल में इस सवाल को उठाते तो फिर एक दफा इसकी कसौटी हो जाती कि संविद के पीछे बहुमत है या नहीं या नई स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। लेकिन मैं यह मानता हूं कि यह गुस्ताखी हो गई राज्यपाल के द्वारा कि उन्होंने बहुमत है या नहीं, या नई स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं, इसका फैसला राजभवन में करना चाहा। तीन दिन तक मैं मिलूंगा नहीं, इस तरह की बात करना मैं समझता हूं कि बिलकुल संविधान के विपरीत है। एक घंटा भी नहीं जाने देना चाहिए था क्योंकि बिना सरकार बनाए हमको चलना नहीं चाहिए।

अब यह कहेंगे कि गवर्नर के द्वारा जो प्रोरोगेशन का निर्णय हुआ है वह तो गोविंद नारायण सिंह की सम्मति और राय से हुआ है। सबसे पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रोरोगेशन वाली स्थिति उत्पन्न क्यों हुई? इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि उसी दिन रात को नये नेता को शपथ इन्होंने नहीं दिलाई। अगर नये नेता को शपथ कल दिला दी जाती, नया मंत्रिमंडल बन जाता, विधान सभा की बैठक सुचारू रूप से चलती तो कोई झगड़ा, कोई बखेड़ा इस तरह का न उठता और संवैधानिक संकट उत्पन्न नहीं होता और हमको यह प्रश्न यहां पेश करना नहीं पड़ता। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर सवाल क्या है? सवाल यह है न कि गवर्नर साहब दलीय राजनीति में दखल दे रहे हैं। गृह मंत्री जी ने कहा कि राज्यपाल को हमने कोई सलाह नहीं दी है। मेरा ख्याल है 3 तारीख को, जब मैंने कॉलिंग अटेंशन में सवाल पूछा था, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि:

> "The Government of India does not function as adviser to the Governor."

तो अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में यह चीज नहीं आ रही है, गवर्नर के दो किस्म के कार्य हैं, एक कार्य जो बहुत बड़ा कार्य है उसमें उनको सिर्फ अपने राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से चलना है। लेकिन असम वाला मामला है या किसी विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए सुरक्षित रखने का काम है या 356 धारा के अंतर्गत अगर संविधान टूट चुका है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार का गठन या चलाना असंभव हो गया है तो वह 356 धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अपनी रपट भेज सकता है। लेकिन दोनों स्थिति में गवर्नर तानाशाह नहीं है। एक स्थिति में वह राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से चलता है और दूसरी स्थिति में केन्द्रीय सरकार की सलाह से चलता है जिसका दायित्व हमारे इस सदन के प्रति है। तो हर हालत में पूरे संविधान में मैं कोई चीज नहीं देख रहा हूं कि जिसमें राज्यपालों पर अन्ततोगत्वा जनता के प्रतिनिधियों का नियंत्रण नहीं है या तो विधान सभा का और राज्यीय-मंत्रिमंडल का या लोक सभा का और केन्द्रीय मंत्रिमंडल का।

लेकिन इनकी बात से पता चलता है कि वह राज्य के मंत्रिमंडल की सलाह पर भी नहीं चलेगा और यह तो कहते हैं कि हम सलाह देते ही नहीं हैं। अब इनका टेलीफोनिक कन्वर्सेशन टैप करने के लिए तो हम नहीं आते हैं, नहीं देखते हैं; कि यह क्या-क्या करते हैं, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि इन सब बातों का नतीजा यह हो रहा है कि एक नया संविधान हम लिख रहे हैं और गवर्नर को तानाशाही अधिकार दे रहे हैं कि वह राज्य-मंत्रिमंडल की भी राय न माने। और केन्द्र से सलाह मशविरे का तो कोई सवाल नहीं है। इसलिए गवर्नर मनमानी करे, स्वेच्छा से काम करे और लोकतंत्र को मिट्टी में मिला दे। प्रोरोगेशन चीफ मिनिस्टर की राय से किया या नहीं, इसके बारे में यह बोलेंगे, इसलिए मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि इस तरह की चतुराई में आप न जायें। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब राजा सारंगगढ़ को नये नेता के नाते बुलाने से गवर्नर ने इनकार किया या विलम्ब किया तब स्थिति यह उत्पन्न हुई कि गोविंद नारायण सिंह केअरटेकर मुख्य मंत्री बन गये उनका असल में इस्तीफा यह स्वीकार कर चुके थे, तो जब वह सलाह दे देते हैं तो जिसका इस्तीफा मंजूर हुआ है उसकी राय से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए था। लेकिन अगर लेते भी हैं तो इस प्रस्ताव की जो मुख्य बात है वह बिलकुल अकाट्य है, इसको कोई काट नहीं सकता है। लम्बे चौड़े भाषण की जरूरत नहीं है। इसलिए अन्त में मैं चव्हाण साहब से और प्रधान मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो गलती हुई है उसको आप सुधारें। आप दो काम अगर करेंगे, आप दो आश्वासन अगर इस सदन को देंगे तो मैंने दूसरों से राय तो नहीं की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेरे साथी भी इन दो आश्वासनों के बाद आग्रह नहीं करेंगे कि यह प्रस्ताव पास हो। सबसे पहला तो यह कि आज तत्काल राजा सारंगगढ़ को नया मंत्रिमंडल बनाने के लिए गवर्नर न्यौता दें और दूसरा यह कि चूंकि गवर्नर ने इस तरह दलीय राजनीति में हस्तक्षेप किया है, एक सत्ताधारी दल जो यहां पर है उसकी मदद करने की कोशिश की है इसलिए जल्द से जल्द राज्यपाल को वापस बुलाने की बात पर भी सरकार सोचे। इतना अगर यह आश्वासन दे देते हैं तो आज जो वातावरण वेंकटसुब्बय्या साहब ने पैदा किया है यहां पर, उसकी मैं दाद दूंगा। जो लोग कहते हैं कि कभी-कभी आप भी रचनात्मक बनोगे, मुलायम बनोगे तो अच्छा रहेगा, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज मैं बहुत मुलायम बन

रहा हूं यदि दो आश्वासन मिल जाते हैं तो मैं अपने प्रस्ताव के बारे में आग्रह नहीं करूंगा। धन्यवाद।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, जहां तक तथ्यों का सवाल है, गृह मंत्री जी ने कहा है कि तथ्यों के बारे में कोई मतभेद नहीं है। क्या तथ्य है—10 तारीख की रात को ये नेता लोग गवर्नर से मिलने के लिये गये, गवर्नर ने मिलने से इन्कार कर दिया, कहा गया कि वह सो रहे हैं, उठेंगे नहीं—यह बात इन्होंने मान ली है। दूसरे दिन सवेरे ये लोग फिर गवर्नर से मिलने के लिए गए। उस समय श्री गोविंद नारायण सिंह ने अपना इस्तीफा पेश किया और कहा कि नरेशचन्द्र सिंह जी को हमने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है, उनको आप बुलाइये, कौन नेता रहे, यह हमारा आन्तरिक मामला है। अब गवर्नर साहब उस वक्त इतने स्वस्थ थे कि गोविंद नारायण सिंह का इस्तीफा उन्होंने मंजूर कर लिया, लेकिन जो दूसरी बात थी, जिसे केवल गोविंद नारायण सिंह जी ने ही नहीं, विजया देवी जी ने, हमारे दल के नेता चैनपुरिया जी ने, सकलेचा जी ने सभी ने कही थी, उसको मानने से उन्होंने इनकार किया। बल्कि कल मुझे पता चला और आज हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से उसकी पुष्टि भी हुई, इसको यह भी नहीं काट सकते हैं कि:

> "Mr. Reddy, however, informed the leaders that he will like to make his own assessment before taking the next move. Meanwhile, he asked the Rajmata to send him the proceedings of the meeting of the SVD last night presumably to see if the Raja had the support of the various constituents of the SVD."

अध्यक्ष महोदय, मेरी समझ में नहीं आता है कि गवर्नर असेसमेंट करने वाला कौन होता है, उसको कोई अधिकार नहीं है कि वह राजमाता को कहे...

*** *** ***

यह कुछ प्वाइंट ऑफ आर्डर नहीं है, बैठ जाइये। यह गवर्नर कौन होता है कहने वाला कि हम असेस्मेंट करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, किस चीज का मूल्यांकन करने वाला था? उसको नये नेता को तत्काल बुलाना चाहिए था। इतना ही नहीं, इस संविद के जो घटक दल हैं उनके नेता वहां पर मौजूद थे और उन सभी लोगों ने मिलकर कहा था कि इस नये नेता का हम समर्थन कर रहे हैं, फिर भी गवर्नर अपने को तानाशाह बनाकर कहता है कि लिखित रूप में दीजिये, इसका मतलब—वह नेताओं के शब्दों पर अविश्वास कर रहा है, संदेह प्रकट कर रहा है कि वाकई इन दलों ने समर्थन दिया था या नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि गवर्नर संवैधानिक प्रमुख के नाते काम नहीं कर रहा था, बल्कि हस्तक्षेप कर रहा था, दखल दे रहा था, राजनीति खेल रहा था, सियासत चला रहा था, इसलिए उसका जो काम है, वह बिलकुल संविधान के खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय, शारदा मुखर्जी ने और गृह मंत्री जी ने गवर्नर के अधिकार का सवाल उठाया। एक ओर गृह मंत्री जी ने कहा कि विधान सभा चल रही है तो उसको मुल्तवी को सही करना

चाहिए, सरकार का बहुमत है या नहीं, उसका फैसला विधान सभा में ही होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वह कहते हैं कि प्रोरोग करने का निर्णय भी बिलकुल वैध है। हम दोहरे मापदण्ड की बात नहीं करते। दो साल पहले श्री डी.पी. मिश्र के कहने पर जब उन्होंने हाउस को प्रोरोग किया था, तब भी हमने उसकी आलोचना की थी और आज भी आलोचना करते हैं। जिस आदमी ने इस्तीफा दिया था, जिसका इस्तीफा मन्जूर हुआ था, उस मुख्य मंत्री की सलाह को मानकर हाउस को प्रोरोग करना सभा का अवसान करना बिलकुल अनुचित काम है। हम लोगों की नीति में कोई असंगति नहीं है, कोई दोहरा मापदण्ड नहीं है।

डिस्क्रीशन की बात आजकल बहुत की जाती है। शारदा मुखर्जी ने 163(बी) का हवाला दिया, लेकिन 163(ए) को अगर वह पढ़तीं तो डिस्क्रीशन के मायने क्या हैं, उसकी मर्यादा क्या है—यह स्पष्ट हो जाता। उसमें यह कहा गया है:

> "There shall be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head to aid and advise the Governor in the exercise of his functions, except insofar as he is by or under this Constitution required to exercise his functions on any of them in his discretion."

इसका मतलब साफ है।

*** *** ***

ठीक है, मैं 'बी' को भी जानता हूं—except insofar as he is required, ... He is not required to use his discretion. नेता के चयन में अगर परिवर्तन होता है, नया नेता आता है तो उसमें इनको दखल देने का कोई अधिकार नहीं है, डिस्क्रीशन का कोई सवाल नहीं है।*

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि सरकार गवर्नर की नियुक्ति के बारे में उनके अधिकारों के बारे में एक संयुक्त प्रस्ताव यहां पर पारित करे... इस सदन और राज्य सभा में... जिसमें गवर्नर के लिए स्पष्ट निर्देश दिया जाये कि धारा 366 और कानून राष्ट्रपति की मान्यता के लिए आरक्षित करना... इन दो बातों को छोड़कर उसको कोई डिस्क्रिशनरी पावर्स नहीं है विवेकपूर्ण अधिकार नहीं है। अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है।

मैंने चव्हाण साहब से दो आश्वासन मांगे थे—एक आश्वासन मांगा था कि तत्काल नये नेता को बुलाया जाये। उन्होंने कहा है कि हम बुला रहे हैं। लेकिन मैंने दूसरा आश्वासन मांगा था—चूंकि गवर्नर ने असंवैधानिक काम किया है, इसलिये आप यह भी आश्वासन दें कि हम गवर्नर को वापस बुलाने की मांग पर जल्द विचार करेंगे। उन्होंने यह आश्वासन नहीं दिया, इसलिये प्रस्ताव वापस लेने का कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। मैं नाथ पाई जी के संशोधन को इसलिए स्वीकार करना चाहता हूं कि गोविंद नारायण सिंह का इस्तीफा मंजूर होने के बाद प्रोरोगेशन के बारे में उनकी सलाह की कोई तुक नहीं थी कोई मतलब नहीं था। मैं उसको भी पसंद नहीं करता हूं।

* श्री चन्द्रजीत यादव, सांसद द्वारा यह कहने पर कि " 'बी' को भी पढ़िये" का जवाब देते हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि वहां की एस.वी.डी. सरकार ने जो किया है उसका समर्थन करने की हमको आवश्यकता नहीं है। मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि एस.वी.डी. के जो सदस्य नहीं हैं या जो विधान सभा के सदस्य नहीं हैं, ऐसे किसी भी बाहरी आदमी को मध्य प्रदेश में या अन्य राज्य में मुख्य मंत्री या मंत्री बनाने के पक्ष में न तो मैं पहले ही कभी था और न आज ही हूँ। अगर विधान सभा की बैठक बुलाने के पश्चात् एस.वी.डी. की सरकार गिर जाती है तो हम विधान सभा के सामने सिर झुकाने के लिए तैयार होंगे। लेकिन किसी कीमत पर भी अगर गवर्नर विधान सभा के अधिकारों को या जनता के अधिकारों को छीनना चाहते हैं तो हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। आज मैं गम्भीर चेतावनी देना चाहता हूँ। यह मैं मानता हूं कि आज लोक सभा ने जो दखल दिया उससे लोक सभा की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई, लेकिन अगर किसी ने संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहा तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान में हो रहा है, वही यहां पर भी होगा। अगर पाकिस्तान की जनता फौजी शासन की जड़ों को हिला सकती है तो मुझे पूरा विश्वास है कि महात्मा गांधी और नेताजी सुभाषचन्द्र का यह देश लोकतंत्र की हत्या करने वालों की गर्दन पकड़ कर उनको उखाड़ कर फेंक सकता है।

मताधिकार की आयु 18 वर्ष*£

अध्यक्ष महोदय जहां तक 18 साल के युवकों और युवतियों को वोट देने का सवाल है इसके बारे में अब दो राय नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं कि इस वक्त कांग्रेस के संविधान में क्या बात है। लेकिन जब कांग्रेस आजादी के लिए लड़ रही थी तब 18 साल की जिनकी उम्र थी, ऐसे सब नवयुवकों को कांग्रेस का सदस्य बनने का अधिकार था। बल्कि मेरे जैसे आदमी तो गैर-कानूनी ढंग से कांग्रेस के सदस्य बनते थे क्योंकि मेरी उम्र 18 साल की नहीं थी। ...

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब राजनीतिक दलों की सदस्यता 18 वर्ष के युवकों और युवतियों के लिए खुली है जैसे हमारे दल की है तो क्या वजह है कि उनको वोट देने का हम अधिकार न दें? वोट देना तो एक बहुत मामूली बात है। इसलिए अब तो इस पर बिलकुल बहस नहीं होनी चाहिए और मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि इसको अगर आप पास करने जा रहे हैं तब तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं। लेकिन अगर पास करने को तैयार नहीं हैं तो कम से कम मैं आप से निवेदन करूंगा कि इसको प्रसारित करने का जो सुझाव है उसको आप मान लें।

अब इस विधेयक में एक और महत्वपूर्ण बात है—जो मुख्य मंत्री हों या प्रधान मंत्री हों वह विधान सभा या लोक सभा के सदस्य हों। असल में सारी चीजें तो संविधान में आती नहीं। संविधान का जो भावार्थ है उसको अगर हम मद्देनजर रखते तो कभी किसी भी गैर-विधान सभा के सदस्य को या गैर-लोक सभा के सदस्य को मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री बनना ही नहीं चाहिए। लेकिन खेद की बात है कि नये संविधान के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो सबसे पहले संविधान के भावार्थ की हत्या कांग्रेस पार्टी ने की और राजाजी ने की। राजाजी न केवल विधान सभा के सदस्य नहीं थे, वरिष्ठ सदन के सदस्य भी नहीं थे, लेकिन आप दल-बदलुओं के जरिये अपनी हुकूमत पुराने मद्रास राज्य में जमाना चाहते थे, इसलिये राजाजी को न्योता देकर आपने बुलाया। यह सबसे बड़ा पाप आपने संविधान के अन्दर पहला चुनाव होने के बाद किया और पुराने मद्रास राज्य में किया और फिर उसके बाद उसीकी पुनरावृत्ति यहां केन्द्र में हुई, जब आपने 1966 में श्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत के बाद एक ऐसे व्यक्ति को प्रधान मंत्री बनाया जो इस सदन की सदस्य नहीं थी। जो लोग यहां पर बैठे हैं, उनमें से कुछ लोग 1966 में भी इस सदन में थे—उनको याद होगा कि प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आने के बाद जब पहला वोट यहां पर हुआ तो मैंने आपत्ति उठाई थी कि प्रधान मंत्री को यहां बैठने का अधिकार नहीं है और यह सब गलत हो रहा है। आप संविधान की धारा 164 को देखिये, उसी तरह की धारा केन्द्र के लिये भी है।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 1 मई 1969.

£ संविधान (संशोधन) विधेयक के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

प्रधान मंत्री या मुख्य मंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, सारे मंत्रियों का चयन उनकी सलाह से होता है और उसका दायित्व लोक सभा या विधान सभा के प्रति होता है। तो जब किसी सरकार का प्रमुख लोक सभा या विधान सभा का सदस्य ही न हो, तो इसका मतलब है कि आप धारा 164 को एकदम खत्म कर रहे हैं। ...

*** *** ***

[$]मुख्य मंत्री के नेतृत्व में या प्रधान मंत्री के नेतृत्व में जो मंत्री परिषद बनती है, उसके दायित्व के प्रति है आप यह भी देखिये कि नो-कान्फिडेंस का प्रस्ताव यहां आता है, उसी तरह से विधान सभा में आता है, राज्य सभा में नहीं आता है। इसलिए यह बहुत गलत काम केन्द्र में हुआ है। डिफेक्शन कमेटी में भी यह बात आई थी और मेरा ख्याल है कि अधिक से अधिक लोग इस राय के थे कि भविष्य में इस तरह का इन्तजाम किया जाये। तब मेरी समझ में नहीं आता है कि कानून मंत्री इस बात को तत्काल कबूल क्यों नहीं करते हैं, जब कि डिफेक्शन कमेटी में इसके बारे में एक राय थी, शायद हमारे डी.एम.के. के कुछ सदस्यों को छोड़कर करीब-करीब हम सब इसके बारे में मुत्तफिक थे। जब ऐसी बात थी तो क्या मंत्री महोदय इस बात की घोषणा करेंगे कि इस बिल के सिद्धान्त को हम कबूल करते हैं—एक तो प्रसारित करने का जो प्रस्ताव है उसको माना जाये या इसके सिद्धांत को कबूल कर इस संबंध में वह स्वयं इस तरह का विधेयक लायें। तो जैसा हम लोगों ने पहले भी किया है—मंत्री के आश्वासन पर कम्पनी वाला विधेयक वापस लिया था, इसको वापस लेने के लिये हम विचार करेंगे। लेकिन स्पष्ट आश्वासन आना चाहिये कि इस बिल के सिद्धान्त को आप स्वीकार करते हैं।

[$]श्री शिव नारायण, सांसद के प्रश्न '164 धारा क्या है?' का उत्तर देते हुए।

कार्यवाहक राष्ट्रपति का त्यागपत्र*£

अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में कार्यवाहक राष्ट्रपति वी.वी. गिरि के इस्तीफे के औचित्य और वैधानिकता का सवाल उठाना चाहता हूं और इसके लिए संविधान की धारा 56 (1) के (अ) की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूं जो कहता है कि:

"The President may, by writing under his hand addressed to the Vice-President, resign his office;"

फिर धारा 62 (2) भी देख लें:

"An election to fill a vacancy in the office of President occurring by reasons of his death, resignation or removal, or otherwise shall be held as soon as possible after, and in no case later than six months from the date of occurrence of the vacancy; and the person elected to fill the vacancy shall, subject to the provisions of article 56, be entitled to hold office for the full term of five years from the date on which he enters upon his office."

उप-राष्ट्रपति के बारे में भी फिर धारा 67 (अ) में कहा गया है कि—

"a Vice-President may; by writing under his hand addressd to the President, resign his office;"

उपरोक्त धाराओं से जाहिर होता है कि न तो संविधान ने ऐसी स्थिति की परिकल्पना की और न व्यवस्था ही की है कि राष्ट्रपति के विधिवत् चुनाव होने और राष्ट्रपति का स्थान भरे जाने के पहले ही कार्यकारी राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र दे देगा। संसद के विगत सत्र में जो राष्ट्रपति उत्तराधिकार विधेयक पारित हुआ उसमें भी इस विशेष स्थिति के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी।

इस प्रकार यह लगता है कि जब तक राष्ट्रपति का चुनाव सम्पन्न नहीं हो जाये तब तक कार्यकारी राष्ट्रपति के त्याग पत्र के लिए कोई इंतजाम नहीं है, प्रावधान नहीं है। भारत सरकार के कानून अधिकारियों को चाहिए था कि वे श्री वी.वी. गिरि को इस कानूनी हालत की जानकारी करा देते और उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने के फैसले से विरक्त करते। इसके विपरीत, अटार्नी जनरल या किसी अन्य व्यक्ति ने उन्हें यह सलाह दी कि संविधान की व्यवस्था

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 31 जुलाई 1969.

£ नियम 377 के अंतर्गत कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा अपने पद से त्यागपत्र देने के औचित्य पर अपने विचार व्यक्त करते हुए।

अनुसार राष्ट्रपति को पत्र लिखकर वे अपने पद का त्याग कर सकते हैं। यह उल्लेखनीय है कि कार्यकारी राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र देने के समय कोई राष्ट्रपति था ही नहीं और जब राष्ट्रपति ही नहीं था तो भला उसे पत्र कैसे लिखा जाता? राष्ट्रपति के नहीं रहते भी पटल पर पत्र रख देने और उसकी प्रतिलिपि प्रधान मंत्री और मुख्य न्यायाधीश को भेज देने की प्रक्रिया सचमुच एक अजीबोगरीब प्रक्रिया है। क्यों समय रहते भी इस प्रकार की स्थिति के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया? क्या सरकार इस संबंध में कोई अध्यादेश नहीं जारी कर सकती थी, जैसे उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में किया? अब हमको कैसे पता चलेगा कि इस्तीफे का पत्र किस समय राष्ट्रपति के टेबल पर रखा गया और यह इस्तीफा किस तारीख को, किस समय अस्तित्व में आया? क्या मंत्री महोदय ये सारे तथ्य सदन के सामने रखेंगे?

जो भी हो, लोक सभा को इस प्रश्न पर बहस करने का और सरकार को इस संबंध में विचार जानने का अवसर अवश्य मिलना चाहिए और वर्तमान कानून में आवश्यक परिवर्तन कर समस्या का हल निकालना चाहिए।

नागरिकों के संवैधानिक अधिकार*£

सबसे पहले मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि आज की जो बहस है वह किसी एक वर्ग के खिलाफ या किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहां पर जो हमारे मित्र हैं उनमें राजा महाराजा भी हैं, मैं यह भी जानता हूँ वे देशभक्त हैं, तहजीबयाफ्ता हैं, सुसंस्कृत और सभ्य हैं, उनसे हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है बल्कि इसमें सिद्धांतों की लड़ाई है। मुझे श्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण को सुनकर बड़ा अचरज हुआ ... मैं कारण बतलाता हूँ जो करार किये गये हैं उनकी पवित्रता की बात उन्होंने कही लेकिन पचास करोड़ लोगों के लिए जो संविधान बनाया गया है क्या उसके बारे में भी अटल जी सोचेंगे?... मैं अटल जी और सभी माननीय सदस्यों का ध्यान संविधान की जो व्यवस्था है, उसकी ओर खींचना चाहता हूं। हिन्दुस्तान के नागरिकों को कुछ कानूनी अधिकार हैं, कुछ संवैधानिक अधिकार हैं और संवैधानिक अधिकारों में भी दो वर्ग हैं—एक बुनियादी अधिकार है और एक गैर-बुनियादी संवैधानिक अधिकार हैं। आप संविधान की धारा 14 देखिए:

> "The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India."

तो यह बुनियादी अधिकार समानता का है। कानून के सामने हिन्दुस्तान के सभी नागरिक समान हैं और उनको कानून का संरक्षण मिलना चाहिए। यह इतना महत्वपूर्ण बुनियादी अधिकार है कि इसी संविधान में धारा 32 के तहत, अगर इन अधिकारों पर अतिक्रमण होता है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी जाने का अधिकार दिया गया है। इसी संविधान में राजाओं के बारे में जो धारायें हैं जैसे 362—यह जरूर कहा गया है कि कानून बनाते समय राजाओं के साथ जो करार किये हैं उनका ख्याल रखा जाये लेकिन साथ-साथ जो अधिकार दिये हैं उनको लेकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं—363 को देखियेगा। तो संविधान की जो योजना बनाई गई है, उस संविधान के बनाने वाले मूर्ख नहीं थे, इसलिए उन्होंने जनता के जो बुनियादी अधिकार हैं उनको उच्चकोटि का अधिकार माना है और उनके सामने बाकी सभी अधिकारों को झुकना पड़ेगा। मेरा एक मुद्दा तो यह था।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि दो साल पहले जुलाई के महीने में इस बहस को मैंने उठाया था इस पार्लियामेंट में। उसके पहले ए.आई.सी.सी. ने जो प्रस्ताव किया तो मैंने पहल करके, स्वतंत्र और जनसंघ को छोड़कर, सभी विरोधी दलों के नेताओं का एक पत्र प्रधान मंत्री को भेजा कि इसको कार्यान्वित करने के लिए अगर आप पहल करेंगी, कानून बनायेंगी तो हम सभी लोग उसका

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 1 अगस्त 1969.

£ प्रिवी पर्सिस को समाप्त किये जाने के संकल्प पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए।

समर्थन करेंगे। यदि संविधान में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें भी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। मेरा ख्याल है कि अगर यहां पर वोट हो जाये तो इस पर 415 मतदान पक्ष में होगा—मुझे इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि दो साल पहले ही हमने आपको अपना समर्थन दिया था और यहां पर इस प्रश्न को उठाया था। उस समय गृह मंत्री जी ने क्या कहा उसका एक ही वाक्य मैं आपके सामने रखना चाहता हूं:

> "The real test, and I entirely agree with Shri Madhu Limaye, is the question of political value. It is question of principles involved. It is a question of direction we want this democracy to take."

आगे चलकर उन्होंने कहा कि सरकार इस पर सोचेगी और उचित फैसला करेगी। क्या दो साल की अवधि इस पर सोचने के लिए और फैसला करने के लिए पूरी नहीं थी? मेरी समझ में नहीं आता कि दस जुलाई को आर्थिक नीति के बारे में प्रधान मंत्री जी का जो नोट आता है उसमें 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जिक्र नहीं था और 9 दिन के अन्दर आर्डिनेन्स निकलता है और फिर उसमें सेलेक्ट कमेटी के सामने जाने के लिए भी आप तैयार नहीं होती हैं, उसको तुरन्त पास करना चाहती हैं। मैं आपकी उत्सुकता समझ सकता हूँ लेकिन क्या वजह है कि दो साल पहले आपने हमको आश्वासन दिया और उसके बाद भी आप इसको कर नहीं रहे हैं। मुझे यह बताया जाता है कि चूंकि माउन्टबैटन साहब का पत्र श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से आया, या श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में राजा महाराजाओं की भरमार है, इसलिए इस काम को वह जल्दी नहीं करना चाहती हैं। लेकिन मैं चव्हाण साहब और माननीय कामराज से पूछना चाहता हूँ कि ये क्यों चुप हैं? पहल क्यों नहीं कर रहे हैं? और लम्बी बातचीत की चर्चा क्यों चला रहे हैं।

आपने जमींदारी खत्म की, 10 किश्तें बांध दीं, जमींदारों के अधिकार खत्म हो गये। बैंक के हिस्सेदारों को आपने खत्म कर दिया। क्या जमींदारों के साथ और बैंकों के हिस्सेदारों के साथ निगोसियेशन्स किये थे? लेकिन निजी कोषों की बात को लेकर टालमटोल की नीति क्यों चल रही है? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि चव्हाण साहब दो साल पहले जो आश्वासन दे चुके हैं उसको दोहरायें नहीं। कोई समय की निश्चित अवधि होनी चाहिए। और अगर माउन्टबैटन साहब इसमें दखल दे रहे हैं तो मुझे इतना ही कहना है कि निजी कोष का मामला कोई अन्तर्राष्ट्रीय मामला नहीं है, और मैं जानता हूँ कि हमारे मित्र पूर्णतया देशभक्त हैं, लड़ाई लड़ेंगे लेकिन उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर नहीं रखेंगे। इसीलिए मैं कहूंगा कि निजी कोष का मामला हमारा अन्दरूनी मामला है, माउन्टबैटन साहब को इसमें दखल नहीं देना चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव का मामला भी अन्दरूनी मामला है। लेकिन मैं सुनता हूँ कि प्रावदा में लेख छप रहे हैं और मुझे लग रहा है कि हमारे उम्मीदवार का यह चान्स खत्म करना चाहते हैं। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय राममूर्ति और मैंने एक संयुक्त निवेदन द्वारा इस तरह के विदेशी हस्तक्षेप के खिलाफ बात उठायी। निजी कोष और राष्ट्रपति के चुनाव का मामला, ये दोनों अन्तर्राष्ट्रीय मामले नहीं हैं, घरेलू मामले हैं। हम लोग आपस में जितना लड़ना चाहें लड़ें, लेकिन विदेशों को इसमें कोई

हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं चव्हाण साहब से कहना चाहता हूँ कि गोलमोल आश्वासन न दीजिए, निर्गुण निराकार ब्रह्म की तरफ हमें न ले जाइये, कोई निश्चित अवधि रखिए।

कम्पनी डोनेशन्स के बारे में मेरा बिल था। इनके आश्वासन पर मैंने उसे वापस ले लिया। इन्होंने कहा कि बजट सत्र में पेश किया जाएगा। लेकिन पेश करते-करते बजट सत्र करीब-करीब समाप्त हो गया और पास करने के लिए एक साल लगाया गया। कम-से-कम निजी कोष के बारे में इस तरह की बात अब बर्दाश्त करने के लिए हम तैयार नहीं हैं। अवधि के बारे में अगर कोई ठोस बात आ जायेगी तो मेरा ख्याल है कि प्रस्तावक महोदय जरूर उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

मौलिक अधिकारों का औचित्य*£

साल्वे साहब ने जो मुद्दा सदन के सामने रखा है। उसको मैंने गौर से सुना है। बाकी माननीय सदस्यों ने भी उन्हीं की बात को दोहराया है।

सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि संविधान की जिस धारा पर वह निर्भर कर रहे हैं, उसको आप देखिए। उसकी परिभाषा को देखिए। एक तो वह है: 110(1)

> "for the purposes of this chapter, a Bill shall be deemed to be a Money Bill if is contains only provisions dealing with all or any of the following matters."

एमाल्युमैंट्स के साथ-साथ कंडिशंज आफ सर्विस आदि पचासों चीजें हैं। इसलिए आप जिसको "ओनली" यानी सिर्फ मनी मैटर्ज कहते हैं या फाइनेंशल आबलिगेशंस हैं, इसकी चर्चा नहीं है, सारे विशेषाधिकारों की चर्चा है। उसमें एक अमेंडमेंट भी हो सकता है। सिर्फ नहीं है। इसमें सिर्फ जिसमें वेतन और भत्ता यानी पैसे की जो बात है, उसकी चर्चा नहीं है। आई.सी.एस. लोगों के भी विशेषाधिकारों की इसमें चर्चा है और उसका एक हिस्सा वेतन भत्ता आदि भी हो सकता है।

अब आप भी देखिए।

> "...or the amendment of the law with respect to any financial obligations undertaken or to be undertaken by the Government of India."

अब मैं जो एमेंड करने जा रहा हूँ वह लॉ नहीं है वह कांस्टीट्यूशन है। मेरा जो बिल है वह पास होने के बाद लॉ बनेगा। दोनों में फर्क है। मैं जो बदलने जा रहा हूँ वह लॉ नहीं है, कानून नहीं है, वह संविधान है, लेकिन मैं जिसके द्वारा बदलने जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ केस के अनुसार वह लॉ है, विदिन दी मीनिंग आफ आर्टिकल 13। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। अगर इसको आप नहीं मानते हैं तो कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह डिसीजन है कि मैं जो परिवर्तित करने जा रहा हूँ वह कानून नहीं है, वह संविधान है लेकिन जिसके द्वारा मैं करने जा रहा हूँ, बिल, वह पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार लॉ बन जायेगा। यह बुनियादी फर्क है। इसलिए पहली बात इस में नहीं आयेगी क्योंकि मैं संविधान बदलने जा रहा हूँ—

*** *** ***

££इतना सटल डिफ्रेंस आप नहीं समझते हैं।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 26 मार्च 1970.

£ संविधान संशोधन विधेयक, 1970 प्रस्तुत करने के पश्चात् अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए।

££ मु. यूनुस सलीम, सांसद द्वारा पूछे जाने पर कि 'बिल है या नहीं', का जवाब देते हुए।

what I am seeking to demand is not a law but the Constitution. I am seeking to amend it through a Bill which after the assent of the President will become a law according to the Supreme Court judgement.

कहने का मतलब यह है कि संविधान को परिवर्तित करने का जो साधन है, पास होने के बाद और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के गोलकनाथ निर्णय के अनुसार वह लॉ है। लेकिन मैं जो बदलने जा रहा हूं:

"...or the amendment of the law with respect to any financial obligations..."

मैं बदलने नहीं जा रहा हूं। किन्तु यह पास होने के बाद जब नियम बनेंगे वह कानून हो जाएगा संविधान की धारा 110 (बी) के अनुसार।

आप 117(3) पर आइये:

"A Bill which, if enacted and brought into operation, would involve expenditure from the Consolidated Fund of India shall not be passed by either House of Parliament unless the President has recommended to that House the consideration of the Bill."

मेरा संशोधन पास होने के बाद और 314 धारा जब हट जाएगी तो सरकार को नया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। सरकार का पैसा बच जायेगा। आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कबूल किया है, उसी के आधार पर मैं कह रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में क्या हुआ था, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी? उसकी पृष्ठभूमि यह थी, कि आई.सी.एस. अधिकारियों को पुराने नियमों अनुसार यह सुविधा प्राप्त है कि वे विलायत की यात्रा करें। उसका उनको खर्चा मिलता था, न केवल उन अफसरों को, उनकी बीबियों को और उनके बच्चों को भी, फिर चाहे एक हो या दस बच्चे हों। हुआ क्या? बिहार के एकाउंटेंट जनरल ने चाहा कि उनको भी वह मिले। लेकिन 1957 में सरकार ने नियमों में परिवर्तन किया कि भविष्य में यह सुविधा नहीं मिलेगी। उसने उसके ऊपर आपत्ति की। बिहार सरकार ने कहा, चलो, आपको दे देंगे। उन्होंने कहा मेरी पत्नी को भी देना चाहिए, बच्चों को भी देना चाहिए। इस पर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 314 जब तक है तब तक यह नियम कानून नहीं है, असंवैधानिक है, अल्ट्रावायरस इसको उसने डिक्लेयर कर दिया। इसलिए विधेयक लाया हूँ। शायद चव्हाण साहब चर्चा के दौरान हमारी दलीलों से प्रभावित हो जाएं और इसको मान लें। इसलिए मैंने कहा है कि संविधान संशोधन विधेयक पास होने के बाद सरकार का कोई खर्चा बढ़ने वाला नहीं है, बल्कि बहुत घटने वाला है। अगर किसी बिल में खर्चा होने की कोई व्यवस्था हो, तो बिल पेश करने वाले सदस्य को फाइनेंशियल मेमोरेंडम देना पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखते ही हैं कि हम कई बार मंत्रियों को टोकते हैं कि उनके बिलों में फाइनेंशियल मेमोरेंडम, या डेलीगेटिड लेजिसलेशन का मेमोरेंडम नहीं है। अपने इस बिल को देखने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि चूंकि इसमें खर्चा बढ़ने की बात नहीं है, बल्कि खर्चा घटाने की बात है, इसलिए फाइनेंशियल मेमोरेंडम देना आवश्यक नहीं है और इसलिए राष्ट्रपति की अनुमति लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसाकि मैंने

कहा है, चूंकि इस बिल के द्वारा कोई नया खर्चा नहीं होने वाला है, इसलिए अनुच्छेद 117(1) या 117(3) के अंतर्गत इस पर आपत्ति नहीं उठाई जा सकती है।

सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ और बैंकों के नेशनलाइजेशन के मामलों में यह निर्णय दिया कि संविधान के तीसरे हिस्से में जो अधिकार दिये गये हैं, वे पार्लियामेंट के द्वारा खत्म नहीं किये जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने उन अधिकारों को इतना पवित्र माना है। इसलिए अगर हम अनुच्छेद 314 को नये सिरे में रखने के लिए कोई कानून बनाते, तो संविधान के समानता वाले अनुच्छेदों तथा अन्य अनुच्छेदों के कारण वह पास न हो सकता। संविधान के तीसरे हिस्से के अनुसार जो बुनियादी अधिकार दिये गये हैं, वे इतने पवित्र हैं कि उनसे टकराने वाला कोई संविधान संशोधन विधेयक असंवैधानिक करार दिया जायेगा। लेकिन चूंकि अनुच्छेद 314 पहले से ही मौजूद है, इसलिए संविधान को संशोधित करने का काम सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विधेयक के द्वारा मैं कानून में कोई परिवर्तन नहीं करने जा रहा हूं, संविधान में परिवर्तन करने जा रहा हूँ, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार यह पास होने, और राष्ट्रपति को अनुमति मिलने के बाद कानून बन जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक जो सदन के सामने मैं विचारार्थ पेश कर रहा हूँ यह सभी निहित स्वार्थों के खिलाफ जो एक अभियान हम लोगों ने चलाया है उसी का एक हिस्सा है। आर्थिक बराबरी और सामाजिक न्याय की भूख हमारे देश में जग गई है और हम लोगों की कोशिश है कि यह और प्रज्ज्वलित हो ताकि जितने निहित स्वार्थ हैं या विशेष सुविधा हासिल करने वाले और उसका उपभोग करने वाले जो वर्ग हैं उनकी सारी सुविधाएं खत्म हों। राजाओं के विशेषाधिकारों को समाप्त करने का जो सुझाव यहां पर रखा गया वह भी उसी का अंग था और आज यह जो धारा 314 को समाप्त करने का विधेयक मैं लाया हूं वह भी इसी का एक अंग है। अध्यक्ष महोदय, यह विधेयक 16 नवम्बर 1967 का मैंने पेश किया था। सरकार को बहुत पहले इस पर विचार करके निर्णय करना चाहिए था। लेकिन जिसके बारे में सरकार आश्वासन दे चुकी है वह निजी कोष वाला मामला जो है उस पर भी सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया और अभी भी बिल पेश नहीं हो पाया है। जिस तरह जमींदारी प्रथा का खात्मा हुआ, उसी तरह राजा महाराजाओं के निजी कोष को समाप्त करने के बाद सामन्तवाद को समाप्त करने का कार्य पूरा हो जायेगा। हम यह चाहेंगे कि निजी क्षेत्र में जो कम्पनियां हैं और इनकी मैनेजिंग एजेंसी है, सोल सेलिंग एजेंसियां हैं, पचासों तरह की ऐसी बातें हैं जिनसे विशेष सुविधाएं, तनख्वाह और भत्ते कम्पनी वालों को भी प्राप्त होते हैं तो अगर हम निहित स्वार्थों को खत्म करना चाहते हैं तो निजी क्षेत्र की कम्पनियों के अन्दर जो बातें चलती हैं उनके ऊपर भी रोक हमें लगानी पड़ेगी।

तीसरी बात—जिस तरह से राजाओं, कम्पनी वालों और आई.सी.एस. की बात है, मैं यह भी चेतावनी देना चाहता हूँ, एक नया राजनैतिक नेताओं का वर्ग उत्पन्न हो रहा है और हम लोग भी चूंकि कानून बनाने की हालत में है, हम अपनी सुविधाओं को और मंत्रियों की सुविधाओं को भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। लेकिन उसका साधारण जनता के ऊपर क्या असर हो रहा है, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। और इसी एक अभियान का यह भी एक अंग होगा कि जो राजनैतिक नेता हैं, मंत्री हैं, या विधायक हैं वह भी अपनी सुविधाओं के बारे में पुनर्विचार करें और इन विशेष सुविधाओं को खत्म करने का, घटाने का प्रयास करें। लेकिन सवाल सिर्फ

सामाजिक न्याय का और आर्थिक बराबरी का नहीं है, साथ-साथ प्रशासन के आधुनिकीकरण का भी सवाल है। आज जो मैं बोल रहा हूँ आई.सी.एस. अधिकारी को एक प्रतीक के रूप में ले रहा हूँ। एक साधारण प्रशासक, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर की जो श्रेणी है, उसका यह प्रतीक है। आई.ए.एस. केवल उसका नया अवतार है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब अंग्रेजों ने इंडियन सिविल सर्विस का निर्माण किया, उस समय राज्य के कार्य बहुत सीमित थे। आर्थिक मामलों में, व्यापार में राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता था। इसी तरह से राज्य समाज कल्याण के जितने काम आज कर रहा है, उस तरह के कार्य उन दिनों राज्य नहीं करता था। अंग्रेजों के जमाने में जो आई.सी.एस. अधिकारी आते थे, उनका एक मुख्य काम यह रहता था कि वे जिलों में लगान वसूल करते थे, कानून और अमन-चैन का इन्तजाम रखते थे, साधारण प्रशासन के जो कार्य थे, उन्हीं को वे अधिकारी किया करते थे, और जो सचिवालय में बैठते थे, इनमें से जो अनुभवी लोग थे, बड़े लोग थे, वह सचिवालय के विभिन्न विभागों में जा कर सचिव का काम करते थे। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आज राज्य का कार्यक्षेत्र बहुत बढ़ गया है, समाज-कल्याण का कार्य राज्य करता है, बैंकों के क्षेत्र में भी राज्य आया है। रिजर्व बैंक उन दिनों नहीं था, वह बाद में बना, 1935 के आस-पास बना। 14 साल पहले स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ और इसके बाद हम देखते हैं कि राज्य के कार्य में परिवर्तन आने लगा, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आई.सी.एस. अधिकारी हैं, सभी कामों के लिए इनको लायक माना जाता है। आजादी के पहले तकरीबन 1084 आई.सी.एस. अधिकारी थे। मुल्क के बंटवारे के बाद 451 रहे, आज के आंकड़े क्या हैं मुझे पता नहीं है, उम्मीद है गृह मंत्री जी अपने उत्तर में यह जानकारी हमको देंगे। लेकिन हमने सुना है कि 111 आई.सी.एस. अधिकारी सरकार में बचे हैं, आपके मंत्रालय ने ही यह जानकारी मुझे दी थी, हो सकता है कि यह पुरानी जानकारी हो...।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, इन जनरल एडमिनिस्ट्रेटर्स का चयन कैसे होता था। 19 से 24 साल के लोगों को इसमें लिया जाता था, उनकी परीक्षाएं होती थीं स्पर्धा के आधार पर, उसके बाद साक्षात्कार में घुड़सवार होना या ऐसी दूसरी चीजों के जरिये इनमें से ऐसे लोगों को छांट दिया जाता था, जो साधारण गरीबों में से आते थे या जिनमें ये सारी खूबियां नहीं होती थीं। इस तरह से एक विशिष्ट टाइप, विशेष प्रकार के अधिकारी आई.सी.एस के रूप में यहां आये।

इनमें एक दूसरी विशेषता यह थी कि चयन के बाद बाहर से किसी भी आदमी का बाद में इनमें प्रवेश नहीं होता था। इस तरह से एक सीमित गुट बन कर, क्लास ग्रुप बनकर इनका सारा काम चलता रहा। इन लोगों का हमेशा यह दावा होता था कि प्रशासन के अन्दर जितने बड़े पद हैं, ये सब पद इन्हीं को मिलने चाहिए, यद्यपि ये उस पद के विशेषज्ञ नहीं थे। बल्कि एक लेखक ने तो यह कहा है:

Technical innocence was considered a strong point of the I.C.S.

यानी विशेष ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोगों का—

Technical point was the strongest point of the I.C.S.

इनका यह दावा था कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं, लेकिन सर्वज्ञ हैं, हम सब चीज जानते हैं। आई.सी.एस. क्या नहीं कर सकता था, जज भी बन सकता था और बम्बई में आप जानते हैं कि एक आई.सी.एस. चीफ जस्टिस भी बन गया था, ऐसा अंग्रेजों के जमाने में होता था, अब नहीं होता है। शिक्षा के क्षेत्र से इनका क्या संबंध है, 20-24 साल की उम्र में स्कूल या कालिज छोड़ने के बाद इनका क्या संबंध रहता था, लेकिन आई.सी.एस. अधिकारी उपकुलपति बनाये जाते हैं, राज्यपाल के पद पर तो इनका विशेष अधिकार है और कूटनीति इनसे अधिक अच्छी कौन जानता है। सारे राजदूत भी धीरे-धीरे यही लोग बनते रहे। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं रहा, जहां इनको न रखा गया हो। रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक के गवर्नर का चयन करना है—उसके लिए भी आई.सी.एस., लाइफ इंशोरेंस कारपोरेशन के लिये भी आई.सी.एस. इतना ही नहीं सार्वजनिक क्षेत्र में जब बड़े-बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, उनकी जो बरबादी हुई, उनके सत्यानाश का कारण भी यही लोग हैं। ऐसे लाट साहब लोगों को इन कारखानों का प्रमुख बनाया गया। नतीजा यह हो गया कि शौकीनी और फिजूल खर्चे के साथ सारे प्रशासकों में अंग्रेजों के जमाने में जो सारे गुण या दुर्गुण आये थे—मैं यह कहने वाला नहीं हूं कि इनमें सभी दुर्गुण हैं, कुछ गुण भी हैं—लेकिन उन गुणों के साथ जो सारे दुर्गुण थे उनको लेकर ये कारखाने के प्रशासक बने। स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन में आयात-निर्यात के बारे में जानकारी, प्रशिक्षण और संस्कारों की जरूरत है लेकिन उसके बारे में आई.सी.एस. लोगों को कोई ज्ञान नहीं परन्तु उसमें भी इनको योग्य माना गया।

इसके अलावा यह जो हमारी नौकरशाही है और समाज के अन्दर जो जाति व्यवस्था है उसी का प्रतिबिम्ब इस नौकरशाही में है। ये वो आई.सी.एस. अधिकारी हैं वे समाज के ब्राह्मण, क्षत्रिय और ठाकुर हैं। आई.ए.एस. का नम्बर बाद में आता है। और बाकी जो लोग हैं वे सारे पिछड़े वर्ग के हैं जिनको शूद्र कहिये, अछूत कहिये या हरिजन कहिये। तो हमारे समाज में जाति व्यवस्था का जो दुर्गुण है, जो ऊंच-नीच का भेदभाव है वह इन लोगों में आ गया है। मैं मानता हूँ कि इन लोगों में भाषा की सफाई जरूर है। ये परिष्कृत भाषा में बोलते हैं। इनमें बहुत सारे आक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े हैं। चूंकि अंग्रेजी हमारे व्यवहार की भाषा है इसलिए ये अंग्रेजी की परिष्कृत भाषा में बोलते हैं। इनके व्यवहार में शिष्टाचार और बातों में सफाई रहती है इसलिए ये लोग अपना काम चला लेते हैं। लेकिन जहाँ-जहाँ विशेष ज्ञान की जरूरत है, चाहे वह समाज कल्याण का क्षेत्र हो, मजदूर-मालिक रिश्ते का संबंध हो, व्यापार और कारखानों का संबंध हो या विज्ञान और तकनीक का संबंध हो, मैं समझता हूं कि वहां पर इनकी कोई उपयोगिता नहीं है। इन लोगों को प्रशिक्षण से कहा गया था कि कुछ नहीं करेंगे, यह इनका सबसे बड़ा कर्त्तव्य है और इसके बारे में, एक बड़े अंग्रेज प्रशासक हैं, उन्हीं के ही कुछ वाक्य रखना चाहता हूं:—

वे कहते हैं:

"The Government of India is a mighty and miraculous machine for doing nothing. Nothing has been done hitherto under six months. When I suggested six weeks, the attitude is one of pained surprise; if

six days, it is one of pathetic protest, if six hours one of stupefied resignation."

और यही व्यक्ति आगे कहता है:

"It is worked by loyal and hardworked men."

तो गुण तो कुछ हैं।

"I have not one word against their devotion to duty and their industry, but they are so absorbed with the daily grind that their eyes are never lifted from the ground. No ray of imagination strikes upon their minds, no spark of initiative springs from their breast. If left to themselves, they will instinctively oppose and throttle every reform."

अध्यक्ष महोदय, ये अंग्रेज कौन थे? यह हिन्दुस्तान के वाइसराय कर्जन साहब की उक्ति है। यह किसी समाजवादी या कम्युनिस्ट की उक्ति नहीं है बल्कि कर्जन की है जिसकी योग्यता के बारे में, सन्देह नहीं रहा। उनके साथ हमारे मतभेद थे, राष्ट्रवादियों के झगड़े और संघर्ष उनके साथ जरूर रहे लेकिन उनकी काबलियत के बारे में, उनको योग्यता और बुद्धि के बारे में किसी को सन्देह नहीं था। वे स्वयं अपनी सेवाओं के बारे में कह रहे हैं इसलिए कोई भी यह न समझे कि विद्वेष या जलन की भावना से प्रेरित होकर हम लोग इसके बारे में कुछ कह रहे हैं। बाहरी शिष्टाचार से तो काम चलता नहीं है। अगर भीतरी शून्यता है विचारों की, मूल्यों की और सिद्धांतों की और अगर जनता के प्रति आस्था नहीं है तो ये सारे काम नहीं होंगे। साधारण प्रशासक में ये सारे दुर्गुण अंग्रेजों के जमाने से आ गये। उनमें जो गुण थे उन गुणों का आज फायदा नहीं है। विशेषज्ञों की जरूरत है जिनका जनता के साथ जीवित संबंध हो, जो जनता की समस्याओं को समझते हों और जनता की तकलीफों के बारे में जिनको आस्था हो। ऐसे लोगों की आज आवश्यकता है। इसके अलावा हम लोगों ने, मुझे याद है कि 1948 में...

*** *** ***

मैं पांच-छ: मिनट में समाप्त करता हूँ। 1948-49 की बात है जब आर्थिक योजना की बात हमारे यहां शुरू हुई और लोग समझने लगे कि अब सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग खुलेंगे, आर्थिक व्यवहारों में राज्य दखल देगा। तो हमने उस समय एक सुझाव दिया था कि एक आर्थिक और व्यापारिक सेवा, इकोनामिक सिविल सर्विस चालू की जाये जिसमें जिनको औद्योगिक प्रशिक्षण हो, जो कारखानों, व्यापारों और बैंकों का काम कर सकते हैं, जिनको इस बारे में जानकारी है, ऐसे लोगों को भर्ती किया जाये। उनको और प्रशिक्षण दिया जाये और उनके जरिये जितने सरकारी प्रकल्प हैं उनको बढ़िया ढंग से चलाया जाये। लेकिन अभी तक सरकार ने इन सुझाव को नहीं माना। आज सार्वजनिक क्षेत्र की और सरकारी प्रकल्पों की जो लोग आलोचना करते हैं उसका कारण यही है कि सरकार ने सारी जिम्मेदारी जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, साधारण प्रशासक के ऊपर छोड़ दी।

अब सामाजिक समता का जो पहलू है, मेरी समझ में नहीं आता कि आई.ए.एस. में भी बहुत अच्छे लोग हैं, जैसे इन लोगों में हैं, लेकिन दोनों सेवाओं में एक ही देश के प्रशासन में इतनी असमानताएं हैं। और इसके चलते क्या हुआ कि जाति व्यवस्था की बात नौकरशाही में और तेजी से चल रही है और स्नौबरी का निर्माण होता चला जा रहा है, और कुछ राजनीतिक नेता भी इसके लिए दोषी हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि पुराने जमाने में जब आई.सी.एस. लोगों की संख्या घटने लगी और दूसरे लोग भी भर्ती होने लगे, तो कुछ मंत्री कहते थे कि मेरे विभाग का सचिव आई.सी.एस. क्यों नहीं है। इसका मतलब यह है कि मेरे विभाग के बारे में सरकार ठीक ढंग से नहीं सोचती है। तो आई.सी.एस. सचिव रहेगा यह स्टेटस का सिम्बल बन गया। जैसे कैडिलेक, रोल्स रायस गाड़ी स्टेटस सिम्बल बन गयी उसी तरह से यहां भी स्टेटस सिम्बल बन गया। माननीय चव्हाण साहब को पहले से ही यह सिम्बल प्राप्त है। लेकिन बहुत सारे मंत्री हैं, और मैंने सुना है कि कई मंत्री ऐसा कहते थे कि हमारे विभाग की सरकार में कोई कदर नहीं है क्योंकि हमारे लिये एक मामूली आई.ए.एस. अधिकारी को लगा दिया है, आई.सी.एस. को नहीं लगाया। तो राजनीतिक नेता भी इस बीमारी से मुक्त नहीं हैं। यह जो ऊंच, नीच, स्नौबरी वाली बीमारी है उससे हम लोग भी मुक्त नहीं हैं।

अब इन लोगों को जो विशेष सुविधायें हैं, बहुत तफसील में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि बहुत सी बात इन्होंने स्वयं कह दी, जब आई.सी.एस. अधिकारी अधिकांश इंग्लैंड से आते थे तो विलायत की यात्रा और बच्चों तथा बीबी को ले जाने की, ये सारी सुविधायें उनको थीं। लेकिन आजाद हिन्दुस्तां में इस तरह की सुविधाओं को देने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हो गयीं उपाध्यक्ष महोदय, आजादी आ गयी लेकिन आजादी आते-आते हमारी जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक क्रांति थी यह क्रान्ति कैद हो गयी, अवरुद्ध हो गयी और नतीजा यह हुआ कि हमारे संविधान में, प्रशासन में, राजनीति में और सार्वजनिक जीवन में यह बहुत सारी बीमारियां आ गयीं। माननीय नेहरू और माननीय पटेल साहब ने राजाओं के साथ समझौता किया, प्रिवी पर्स का बोझ उठाया। अगर उनके लिए कोई चारा नहीं था तो बाद में राज्य स्थिर होने के बाद तो कम से कम यह करना चाहिए था, लेकिन उल्टे इनकी शक्ति और ताकत बढ़ने लगी। आई.सी.एस. के बारे में भी शायद उन दिनों में यह लोग कहते थे कि अगर सबके सब यह आई.सी.एस. लोग चले जाते तो हम प्रशासन कैसे करते। इसलिए उनको खुश करने की जरूरत थी। लेकिन कम से कम नया संविधान लागू होने के पहले नियमों और सेवाओं की शर्तों में परिवर्तन करना चाहिए था। एक मुद्दा और भी है। नतीजा क्या होगा। यह सब लोग विलायत जाते रहते हैं, कम्पनियों के साथ व्यवहार होते हैं, ठेके होते हैं। आज यह सोचने लायक बात है कि कितने आई.सी.एस. अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद कम्पनियों में नौकरी पाते हैं। अभी मैंने सुना है कि लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन के श्री भिडे को 'वोल्टास' में बड़ी नौकरी मिली है। इसी तरह से हमारे इस सदन में कुछ लोग हैं जो आई.सी.एस. से सेवानिवृत्त होने के बाद बड़े बिजनेसमैन बने। इसका साफ मतलब है कि उनका पहले से उद्योगपतियों के परिवारों से संबंध था और उन्होंने जरूर उनके साथ कोई न कोई रियायतें और गैर-कानूनी व्यवहार किया है, विलायती कम्पनियों के साथ भी और यहां की कम्पनियों के साथ भी।

उनको एक अधिकार है जिसके कारण उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई मुश्किल हो जाती है। दूसरे आइ.ए.एस. अधिकारियों को राज्य सरकारें और गवर्नर वगैरह सस्पैंड कर सकते हैं, लेकिन आई.सी.एस. अधिकारियों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कपूर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि:

> "We therefore, allow the appeal and declare rule 7 of the Discipline Rules in so far as it applied to members of the Indian Administrative Service who are members thereof by virtue of Rule 5 (a) and (6) of the Recruitment Rules to be bad to the extent to which it permits an authority other than the Government of India to suspend as an Interim measure (and not as a punishment) such members of the services. In consequence, we set aside the order of the Governor dated July 18, 1959." (1964 ASC 798)

आज सुप्रीम कोर्ट उनके विशेषाधिकारों को खत्म करने वाले सारे नियमों को इसलिए खत्म करता जा रहा है कि वह धारा 314 से टकराते हैं। यही कारण है कि आई.सी.एस. के लोग आज लाट साहब बनते चले जा रहे हैं।

इसलिए मेरी प्रार्थना है कि और मैं मंत्री जी से अपील करूंगा कि वह हमारे इस बिल को मान लें। अगर वह तत्काल इसको पास करवाने की स्थिति में नहीं हैं तो मैं कहूंगा कि जैसे कम्पनी कानून के बारे में किया गया था, इस बिल के सिद्धांत को मान ले। हो सके तो इस बजट सत्र में कैबिनेट में निर्णय लेकर इस तरह के विधेयक को लाने के बारे में सदन को आश्वस्त करे। आज एक अभियान, एक आन्दोलन सारे निहित स्वार्थों के खिलाफ शुरू होना चाहिए, वर्ना हम जो समाजवाद की घोषणाएं करते हैं उनका कोई मतलब नहीं रह जाता।

मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया*£

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद तीन ज्येष्ठ जजों का मुख्य न्यायाधीश पद के लिए विचार न किया जाना तथा उनके द्वारा इस्तीफा दिया जाना—यह एक अद्वितीय घटना है... अद्वितीय का मतलब है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ....

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि यह जो घटना हुई, यह एक अद्वितीय घटना है—तीन जजों के द्वारा त्यागपत्र दिया जाना और ऐसे जज जो भारत की किसी भी अदालत के सामने भविष्य में वकालत नहीं कर सकते हैं—ऐसे जजों के द्वारा त्यागपत्र दिया जाना—इसकी हम लोगों को कद्र करनी चाहिए।

कानून मंत्री शायद इस त्याग के महत्व को न समझें, क्योंकि उन्होंने स्वयं इसलिए जज पद से अपना इस्तीफा दिया था कि जजों के लिए वर्तमान जो वेतन आदि हैं, वे सन्तोषजनक हैं मुझे पता नहीं मंत्री के नाते उनको जो वेतन मिलता है, वह उनके लिए संतोषजनक है या आमदनी के कोई और स्रोत भी बीच में उन्होंने बनाये हैं। इसलिए इन तीन जजों के द्वारा जो त्यागपत्र दिये गये हैं, उनकी भावना की मैं कद्र करता हूं।

गोखले साहब ने अपने भाषण में लॉ कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दिया। यदि इस पूरी रपट को हम पढ़ेंगे तो मेरी समझ में नहीं आता है कि यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर अपने कामों का कैसे समर्थन कर सकते हैं? लॉ कमीशन ने जो भी सिफारिशें कीं उनको सन्दर्भ से तोड़ कर और उसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उससे उन सिफारिशों को अलग करके उसमें से एक जुमले को या आधी सिफारिश को लेकर यदि वह श्री ए.एन. रे की नियुक्ति का समर्थन करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है कि कोई भी निष्पक्ष आदमी इस तरह की बात को कबूल नहीं करेगा। लॉ कमीशन ने इसी रिपोर्ट में सबसे पहले इस बात पर आपत्ति की है कि पिछले कुछ वर्षों में जजों की नियुक्ति में कार्यकारिणी के द्वारा ऊपर से प्रभाव डालने का प्रयास किया गया है। यह आरोप उन्होंने उस रिपोर्ट में किया है और आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में और मुख्य न्यायाधीशों के बारे में उन्होंने दो सुझाव दिये हैं। एक कानून के भाष्य में स्थिरता लाने की दृष्टि से उन्होंने यह सुझाव दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसे जजों की नियुक्ति की जाये जिनको कम से कम दस साल सुप्रीम कोर्ट पर काम करने का मौका मिले और उन्होंने कहा है कि लम्बी मियाद का जहां तक सवाल है, मुख्य न्यायाधीश के बारे में यह दलील और तर्क और

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 2 मई 1973.

£ भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति पर चर्चा में भाग लेते हुए।

मजबूत हो जाता है। उन्होंने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश को कम से कम 5 में ले कर 7 साल मिलने चाहिए ताकि संवैधानिक मामलों को, कानून को एक आकार देने का काम वह ठीक से कर सकें। तो मैं जानना चाहता हूं इसी कसौटी को आप ले लीजिए कि लम्बी मियाद के लिए मुख्य न्यायाधीश हो। इस कसौटी पर भी देखा जायेगा तो सब लोग जानते हैं जिन ग्रोवर साहब को इन्होंने हटा दिया, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, उनकी मियाद श्री ए.एन. रे से भी शायद दो महीने अधिक थी। यानी मियाद की दृष्टि से भी देखा जायेगा तो श्री ए.एन. रे की नियुक्ति श्री ए.ए. ग्रोवर से कैसे अधिक अच्छी है? यह किसी की समझ में नहीं आयेगा।

गोखले साहब ने अपने वक्तव्य के दौरान में कहा कि लॉ कमीशन की सिफारिशों को सरकार ने 1960 में ही मंजूर किया था। मैंने लॉ मिनिस्ट्री से आज दिन भर जानने की कोशिश की, उन सिफारिशों के बारे में, कि मंत्रालय का या सरकार का कोई प्रस्ताव है लेकिन अभी तक वह प्रस्ताव मुझे नहीं मिला है। वह प्रकाशित भी नहीं हुआ है। क्या उन्होंने अपनी गुप्त फाइल के ऊपर कोई प्रस्ताव बना कर 1960 में रख दिया था जिसको प्रकाशित करने को उन्होंने विगत 13 वर्षों में प्रयास नहीं किया। तो इसका यह कहना कि 13 साल पहले इस सिफारिश को स्वीकारा था उसका कोई सबूत सदन के सामने नहीं आया और सदन को तथा देश को उस पर बहस करने का मौका नहीं मिला और इस बात का उत्तर नहीं मिला कि विगत 13 वर्षों में इस सिफारिश पर कार्यान्वयन करने के लिए सरकार ने क्या किया। आज ही सरकार को यह बात क्यों सूझी? अगर 13 साल पहले लॉ कमीशन की सिफारिश को स्वीकारा था तो उन्हें सदन के सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि एक नया आदर्श, एक नयी परिपाटी डालना चाहते हैं और पुरानी परिपाटी को तोड़ना चाहते है। लेकिन यह भी इन्होंने नहीं किया।

लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के बारे में जिन कसौटियों का उल्लेख किया है उनमें से एक ही पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें वह कहते हैं:

> "It is obvious that succession to an office of this character cannot be regulated by mere seniority."

इसके ऊपर कानून मंत्री अपने निर्णय को आधारित करते हैं। मगर कमीशन आगे कहता है:—

> "For the performance of the duties of Chief Justice of India, there is needed not only a judge of ability and experience but also a competent administrator capable of handling complex matters that may arise from time to time, a shrewd judge of man and personalities and above all a person of sturdy independence and towering personality who would, on the occasion arising, be a watch-dog of the independence of the judiciary."

यानी एक वाक्य को जो यह पकड़ रहे हैं, सन्दर्भ से अलग करके, उसको भी पूरा पढ़ा जाये तो पता चलेगा लॉ कमीशन को चिन्ता है कि ऐसा व्यक्ति मुख्य न्यायाधीश बने जो न्यायालय की पवित्रता और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके, कार्यकारिणी के दबाव के खिलाफ जो आवाज उठा सके। ऐसी टावरिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए। मैं श्री ए.एन. रे के खिलाफ कुछ भी बोलना नहीं चाहता

हूं। जैसे कि दूसरे कई जजेज हैं वैसे वह भी हैं, उनके सामने भी दो बार अपना तर्क पेश करने के लिए मैं खड़ा हो गया था। तो उनके खिलाफ मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन जो कसौटी मुख्य न्यायाधीश की लॉ कमीशन ने बताई है उन कसौटियों पर यह उतरते हैं—ऐसा मेरा ख्याल है हिन्दुस्तान का एक भी वकील या कुछ कानून के बारे में जो जानकारी रखता हो, नहीं मानेगा कि अन्य तीन जजों से वे इतनी ज्यादा टावरिंग पर्सनैलिटी के आदमी हैं कि उनकी नियुक्ति करना सरकार के लिए बहुत आवश्यक हो गया है 26 साल की परिपाटी को तोड़कर यह कोई भी नहीं मानेगा। या फिर कोई ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में बहस की गुंजाइश ही न हो, कोई ऐसा नाम होता जिसके बारे में कोई बहस ही नहीं होती तब तो मैं मानता हूं लॉ कमीशन ने जो सिफारिश की है... यह मेरी बात सुन नहीं रहे हैं। श्री ए.एन. रे इस तरह के व्यक्ति नहीं हैं यह मैं कह रहा हूं? हेगड़े क्या हैं, ग्रोवर क्या हैं और शेलट क्या हैं उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। पहले मैं यह कहना चाहता हूं—मैं रे के खिलाफ नहीं कह रहा हूं—मैं इतना ही कह रहा हूं जैसे दूसरे जजेज़ हैं वैसे वह भी हैं लेकिन लॉ कमीशन ने जो कसौटियां बताई हैं, स्टरडी इंडिपेन्डेन्ट, स्वतंत्र मति, टावरिंग पर्सनैलिटी, राक्षसी कहिये, उतुंग कहिये, व्यक्तित्व, इस तरह का कुछ नहीं है। मैं अर्ज कर रहा था जब श्री रे की ऐसी कोई गुणवत्ता नहीं है तो क्या वजह है कि तीन ज्येष्ठ न्यायाधीशों की वरीयता को नजरअंदाज करके रे साहब को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया? मेरा अपना ख्याल है कि इन तीनों जजों को इसलिए सरकार ने नहीं चुना क्योंकि इन तीनों जजों ने समय-समय पर सरकार के खिलाफ निर्णय दिये हैं। गोखले साहब ने पूछा कि शेलट साहब ने और ग्रोवर साहब ने सरकार के खिलाफ कौन से निर्णय दिये हैं तो मैं कुछ सूची ही आपके सामने रखना चाहता हूं। आप बार-बार रे की बात ले आ रहे हैं। मैं कहता रहा हूं ग्रोवर साहब ने 1968 में ही एक हेबियस कार्पस के मामले में, मेरे मामले में बहुत शानदार निर्णय दिया था और उसमें कहा था संविधान की 22 जो धारा है उसका उल्लंघन सरकार कर रही है और जब कभी सरकारी अधिकारी कर्त्तव्य के नाम पर नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ कोई छेड़खानी करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि जो कानून और संविधान की मर्यादा है उसके अन्दर रह कर वह काम करें। श्री ग्रोवर का यह निर्णय सरकार को पसन्द नहीं आया? यह मामला विशेषाधिकार में भी उठा था लेकिन चूंकि लोक सभा ही बरखास्त हो गई इसलिए वह मामला आगे नहीं चला।

अब जहां तक शेलट साहब का सवाल है वह भी 1970 में दो मामलों में मुख्य न्यायाधीश श्री हिदायतुल्ला के साथ हैबियस कार्पस पेटीशन की सुनवाई के लिए बैंच पर मौजूद थे मेरे ही मामले में, मैं जीता हूं और सरकार हमेशा गलत साबित होती है और इस निर्णय में जस्टिस हिदायतुल्ला और जस्टिस शेलट साहब ने यह कहा है कि जो मैजिस्ट्रेट है वह कानून की जानकारी नहीं रखता है, मैजिस्ट्रेट ने गैर-कानूनी ढंग से इन्हें गिरफ्तार करके नजरबंद रखा और इसलिए उनको इस तरह से कानून की और संविधान की मर्यादा का उल्लंघन करके जेल में नहीं रखना चाहिए था। ऐसे मैजिस्ट्रेट के साथ सरकार ने क्या व्यवहार किया? उनको कोई सजा देने के बजाय, यह जो सिटी मैजिस्ट्रेट थे श्री मोहिन्द्र सिंह, उनको पदोन्नति मिल गयी और वह रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बना दिये गये, और मैं आज कहता हूं कि जिस मैजिस्ट्रेट के बारे में कहा गया कि कानून की जानकारी नहीं रखता है, ऐसे मैजिस्ट्रेट को प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव क्षेत्र में रिटर्निंग अफसर के पद पर नियुक्त किया गया।

शेलट साहब के बारे में और एक बात मैं कहना चाहता हूं। 'ब्लिट्ज' अखबार जो प्रधान मंत्री का बड़ा प्रशंसक है, उसने ही शेलट साहब के द्वारा अभी जो एक नजरबन्दी कानून के बारे में निर्णय दिया गया है उस पर क्या कहा है? यह अखबार प्रधान मंत्री का प्रशंसक है जिसको यह प्रतिक्रियावादी अखबार नहीं कह सकते हैं। वह कभी-कभी अच्छा काम कर देता है, लेकिन वह मेरे प्रशंसकों में नहीं है, जब आपकी जमानत जब्त होने का पहले से उसको अनुमान लगा तो मेरी फोटो छाप दी। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि शेलट साहब के बारे में ब्लिट्ज अखबार कहता है:—

"The Supreme Court seven-Judge Bench with Acting Chief Justice J.M. Shelat presiding, deserves the gratitude of all lovers of human liberty for the historic judgment striking down section 17A of the Maintenance of Internal Security Act, which authorised prolonged detention of a person without trial and even without the safeguard of the opinion of the Advisory Board... The Court has at once struck a blow for individual freedom and its own reputation as an upholder of this freedom."

इनके पेट में अध्यक्ष महोदय कौन सी बीमारी उत्पन्न हो गयी है कि इन जजों का नाम लेते ही यह लोग उछलने लगते हैं। मैंने पहले ही कहा कि जस्टिस ए.एन. रे जो दूसरे जज हैं वैसे ही वह भी हैं। बहस इसलिए है कि इन तीन लोगों के वरीयता के अधिकार को आपने ठुकरा दिया:

"The Court has at once struck a blow for individual freedom and its own reputation as an upholder of this freedom."

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि इन दो जजों के बारे में सरकार को इसलिए गुस्सा है कि समय-समय पर, एक बार नहीं, कई बार इन लोगों ने सरकार के खिलाफ निर्णय दिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी जो सैद्धांतिक भूमिका है, खास करके जायदाद के अधिकार के बारे में, उसके बारे में उनके और मेरे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जस्टिस ए.एन. रे साहब भी कोई मार्क्सवादी या क्रान्तिकारी नहीं हैं, इसलिए उनका और मेरा मतभेद उसके बारे में हो सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय हमारे संविधान की मैं यह गरिमा मानता हूं कि अनुच्छेद 32 के तहत उसने साधारण नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय के पास जाने का और अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मनवाने का मौलिक अधिकार जनता को दे रखा है। इसके अलावा और कोई संस्था मेरी नजर में नहीं आती है। एक जनता है, जनमत है, वह अलग बात है, लेकिन कोई संस्था नजर नहीं आती जो नागरिकों के मानवीय अधिकारों की रक्षा कर सके। इसलिए न्यायालय की पवित्रता और स्वतंत्रता के बारे में अध्यक्ष महोदय, मैं चिन्तित हूं।

अब तीसरे जज को लीजिए, जस्टिस हेगड़े। इन्होंने सरकार की निगाह में सबसे बड़ा पाप यह किया, जिसका उल्लेख मेरे मित्र श्री मधु दंडवते ने किया, कि उन्होंने प्रधान मंत्री की एक

चुनाव याचिका के मामले में प्रधान मंत्री के खिलाफ निर्णय देने की हिम्मत दिखायी। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, इन लोगों को जस्टिस हेगड़े के बारे में विशेष विद्वेष की भावना है। लेकिन यदि मैं सभी तथ्यों का यहां उद्घाटन करूं तो आपको पता चलेगा कि श्री हेगड़े साहब ने प्रधान मंत्री के बारे में नरम रुख ही अपनाया था, कोई सख्त रुख नहीं अपनाया। माननीय गोखले जी मेरी बात पर विचार करें, मेरी जानकारी के अनुसार प्रधान मंत्री के विरुद्ध की गयी चुनाव याचिका में कुछ सवाल पूछे गये थे और उन सवालों का जवाब देना प्रधान मंत्री नहीं चाहती थीं, उनके लिए वह आसान नहीं था। तो इन प्रश्नों का जवाब देना प्रधान मंत्री के लिए आसान नहीं था, इसलिए प्रधान मंत्री सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील में चली गयीं और उनके इनके वकीलों ने ऐसे हलफनामे पर हस्ताक्षर करवाया है कि यदि वह हलफनामा सदन के सामने आयेगा तो शर्म से प्रधान मंत्री का सर झुक जायेगा और दूसरे लोगों का भी झुक जायेगा। इस हलफनामे में प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि यदि मुझे इन प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाध्य किया जायेगा तो मैं मिथ्या साक्ष्य देने के अपराध में फंस जाऊंगी। हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं उसका आधार उन्होंने लिया है कि किसी को भी मिथ्या अपराध में फंसने वाली गवाही का बयान देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। प्रधान मत्री के हलफनामे में...

*** *** ***

हलफनामे तो सार्वजनिक शपथ पत्र होते हैं।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि एफीडेविट्स सार्वजनिक दस्तावेज हुआ करते हैं।

*** *** ***

वह पेटीशन डिस्पोज हो चुकी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं।

*** *** ***

मैं कोई कमेन्ट नहीं करूंगा।

प्रधान मंत्री के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय में अपील की गई थी कि मुझे इन प्रश्नों का जवाब देने से छुट्टी दी जाये, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूँ। उसका तो निर्णय हो चुका है। जब वह एफिडेविट सामने आया, तो हेगड़े साहब ने मित्रता की दृष्टि से इनके वकील को सलाह दी कि यदि इस पर खुली अदालत में बहस होगी और पता चलेगा कि प्रधान मंत्री ने यह आधार लिया है, तो दुनिया के अखबार लिखेंगे कि...

*** *** ***

मैं कह रहा था कि हेगड़े साहब ने इनके वकील से कहा कि... मैं कोई गुप्त जानकारी नहीं दे रहा हूं। यह ओपन कोर्ट में हुआ है।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, आप अनजाने में मेरे कौशल की स्तुति कर रहे हैं। मैं कोई थिन लाइन पर नहीं हूं।

*** *** ***

मैं बिलकुल संसदीय भाषा में और नियमों का पालन करते हुए बोल रहा हूं।

खुली अदालत में हेगड़े साहब ने इनके वकील को सलाह दी कि इस अर्जी को आप वापिस ले लीजिए और वह अर्जी वापिस ली गई।

हेगड़े साहब ने जो दूसरा फैसला दिया, उसी को लेकर इन लोगों की यह नाराजगी है। मेरे पास यह निर्णय की नकल है।

*** *** ***

£श्री जगमोहन रेड्डी, श्री के.एस. हेगड़े और श्री ए.के. मैथ्यू।

*** *** ***

तो क्या हुआ? हेगड़े साहब ने जजमेंट लिखा और जब दूसरे दो जजों ने अपनी सम्मति दी, तो वह सर्वसम्मत निर्णय यूनेनिमस डिसिजन हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि जज साहब के किन मुद्दों पर इनका आक्षेप है—शायद इस अनुच्छेद पर है:

> "The allegations made in paragraphs 2, 5 and 6 of the petition, if read together, do show that the allegation against the respondent is that she obtained the assistance of Yashpal Kapur, a gazetted officer, to support her candidature by organising her electioneering work. These allegations bring out all the ingredients of the corrupt practice alleged though they are lacking in better particular such as the date on which Yashpal Kapur was entrusted with the responsibility of organizing the electioneering work of the respondent. The absence of these particulars does not *per se* invalidate the charge. They can be supplied even now with the permission of the court. In this connection it is necessary to mention that the respondent in her written statement did not say that the allegations in question did not raise a triable issue..."

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण है:—

> "...In this connection it is necessary to mention that the respondent in her written statement did not say that the allegations in question did not raise a triable issue. No such objection appears to have been taken at the time of the framing of the issues or in any of her pleadings. It seems that the objection was taken up for the first time when the

£श्री वायलर रवि, सांसद द्वारा यह पूछने पर कि 'How many Judges?' का जवाब देते हुए।

petition to set aside the interrogatories was heard. We are saying all these only to show as to how the parties understood the allegations at the earlier stages, of the proceedings."

ऐसी हालत में मुझे तो लगता है कि हेगड़े साहब को मुख्य न्यायाधीश न बनाना एक द्वेषमूलक बात है और सरकार ने इसमें सद्भावना नहीं दिखाई है।

एक सवाल यह आता है कि मुख्य न्यायाधीश को प्रशासकीय अनुभव भी होना चाहिए। इन तीन जजों में से दो जज ऐसे हैं, जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं, इसलिए उनको प्रशासकीय अनुभव है। शेलेट साहब गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और हेगड़े साहब दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर इनमें से किसी को प्रशासकीय अनुभव नहीं है, तो वह श्री ए.एन. रे को नहीं है, जैसाकि श्री ग्रोवर के बारे में भी कह सकते हैं कि उनको भी प्रशासकीय अनुभव नहीं है। इसलिए यदि यह तर्क है कि इन जजों को प्रशासकीय अनुभव नहीं था, जो मुख्य न्यायाधीश के काम के लिए आवश्यक है, तो यह तर्क भी बिलकुल मिथ्या साबित हो जाता है।

गोखले साहब ने संविधान के विभिन्न प्रावधानों के जो भाष्य यहां पर किये, उनको सुन कर मैं दंग रह गया। वह मेरे पुराने मित्र हैं और एक वकील के नाते उनके बारे में पहले से मेरी अच्छी राय रही है। लेकिन मुझे पता नहीं कि सरकार में आने के बाद वह इस तरह की बातें क्यों करने लगे हैं। श्री गोखले एक जमाने में हमारे दल के उम्मीदवार थे। वह 1967 में बम्बई से चुनाव लड़ने वाले विरोधी पांच पांडवों में से एक थे। जब 1970 में यह खबर आई कि बम्बई के एक हजार बुद्धिवादी नवकांग्रेस में चले गये हैं, तो लोग इस बारे में मुझे पूछने लगे। मैंने कहा कि एक हजार बुद्धिवादी न बम्बई में हैं और न समूचे भारत में हैं। श्री गोखले ने मुझे टेलीफोन पर कहा—और बयान भी दिया; वर्ना मैं टेलीफोन की बात न कहता—कि वह गोखले मैं नहीं हूं; जो नवकांग्रेस में गये हैं, वह बम्बई उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, श्री बी.एन. गोखले हैं। वह क्यों 1971 में इनके जाल में फंस गये, यह मेरी समझ में नहीं आता और नतीजा हुआ कि इस तरह के वक्तव्य देने लगे। इन्होंने कई बयान दिये:—

"The power of the President in this matter is absolute."

एब्सोल्यूट पावर की बात कहते हैं। अब जरा हम डा. अम्बेडकर साहब का भाषण देखें जो उन्होंने संविधान निर्मात्री परिषद् के सामने दिया था इसी धारा के ऊपर। उसका एक ही अनुच्छेद मैं पढ़ता हूं। वह अमेरिका और ग्रेट ब्रिटेन की धाराओं की तुलना करते हैं:—

"In Great Britain the appointments are made by Crown, without any kind of limitation whatsoever, which means by the executive of the day. There is the opposite system in United States where, for instance, offices of the Supreme Court as well as other offices of the State shall be made only with the concurrence of the Senate in the United States. It seems to me, in the circumstances in which we live today, where the sense of responsibility has not grown to the same extent to which

we find it in the United States, it would be dangerous to leave the appointments to be made by the President, without any kind of reservation or limitation merely on the advice of the executive of day."

केवल गोखले साहब और इंदिरा जी की सलाह पर जजों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं देना चाहिए, यह अम्बेडकर साहब का भाषण है। अमेरिका की स्थिति अलग है, यहां की स्थिति अलग है।

*** *** ***

...अम्बेडकर साहब ने कहा था।

"Similarly, it seems to me that to make every appointment which the executive wishes to make subject to the concurrence of the Legislature is also not a very suitable provision. Apart from its being cumbrous, it also involves the possibility of the appointment being influenced by political pressure and political consideration. The draft article therefore steers a middle course."

अब 26 साल पहले डा. अम्बेडकर ने यह कहा था। ... मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि राष्ट्रपति की नियुक्ति का अधिकार ऐसा नहीं है कि जिसको एब्सोल्यूट कहा जा सके यानी जिसके ऊपर कोई मर्यादा की बात नहीं है। अमर्यादित अधिकार नहीं हैं।

अब धारा 124 और धारा 126 का जो भाष्य इन्होंने किया क्या वह सही है? क्या हमारे संविधान में ज्येष्ठता और वरीयता के प्रश्न को कोई महत्व नहीं दिया गया है? मैं सदन का ध्यान और कानून मंत्री का ध्यान संविधान की धारा 60 की ओर खींचना चाहता हूं:

"Every President and every person acting as President or discharging the functions of the President shall, before entering upon his office, make and subscribe in the presence of the Chief Justice of India or, in his absence, the seniormost Judge of the Supreme Court available."

संविधान में सीनियरमोस्ट जज की चर्चा है। तो संविधान कुछ महत्व देता है ज्येष्ठता को। ... मैंने कहा कि संविधान ज्येष्ठता के सिद्धांत को भी कोई महत्व देता है तब जाकर 60वीं धारा में उसकी उन्होंने चर्चा की है। अब 124 के बारे में:

*** *** ***

...धारा 124 को हम लोग देखें। इस धारा 124 में इनका कहना है कि ए जज या एवेरी जज, यह जो शब्दावली है उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते हैं। लेकिन इसके प्रोविजो को देखें-

"Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted."

'अदर दैन दी चीफ जस्टिस' इसका साफ मतलब है कि चीफ जस्टिस भी न्यायाधीशों में ही आता है। तो चीफ जस्टिस के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया है, यदि दूसरे किसी जज की नियुक्ति करनी है तो अनिवार्य रूप में आप चीफ जस्टिस की राय लेंगे, अनिवार्य रूप में, आब्लिगेशन है आपके ऊपर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि चीफ जस्टिस की नियुक्ति में चीफ जस्टिस की सलाह नहीं लेंगे। अनिवार्य बना दिया है दूसरे जजेज की नियुक्ति के बारे में। लेकिन चीफ जस्टिस के लिए कहीं भी नहीं लिखा है कि चीफ जस्टिस जिसकी मियाद समाप्त होने वाली है उसकी सलाह नहीं लेनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, गोखले साहब ने यह नहीं बताया कि किन जजेज़ की राय राष्ट्रपति जी ने ली? जरा पता लगे कि किन-किन जजों की राय उन्होंने ली और इसका भी पता चले कि क्या दो भूतपूर्व एटार्नी जनरल श्री सीतलवाड साहब और श्री दफ्तरी साहब जो हैं क्या उनसे इन्होंने राय ले ली थी? संविधान में नहीं है। लेकिन जब एक परिपाटी के विपरीत जा कर नई परिपाटी स्थापित करना चाहते हैं तो क्या इनका यह कर्त्तव्य नहीं था कि जो इस देश के माने हुए कानून पंडित हैं उनकी सलाह लेते? इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीतलवाड साहब की सलाह ली या दफ्तरी साहब की सलाह ली? क्या जो भूतपूर्व तीन चीफ जस्टिस हैं जिनके साथ इन्होंने काम किया, इन तीन जजों ने चीफ जस्टिस हिदायतुल्ला साहब, शाह साहब और सीकरी साहब, उनसे राय ली? ... सुब्बा राव तो पहले के हैं। उनके समय में इनमें से कोई जज उनके साथ काम नहीं किये होंगे। तो ये तीन जो भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं क्या इनकी भी सलाह ली है? मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया क्योंकि मनमाने ढंग से ये अपना काम करना चाहते थे।

अब इस स्थिति में करना क्या चाहिए? इसके ऊपर मैं अपने सुझाव देता हूं। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि समूचे देश में बड़ी खलबली मची है ... वकीलों के द्वारा... बम्बई* में 7 हजार लोगों का काम से दूर रहना, बम्बई में अहमदाबाद में कामकाज ठप्प हो जाना और सभी शहरों के बार एसोसिएशन से प्रस्ताव पास होना, क्या पटना क्या दूसरी जगह, सभी जगहों से हो रहा है, ऐसी हालत में मेरी राय में आज हमारे न्यायालय की पद्धति में एक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

इसलिए मेरा यह सुझाव है (1) कि राष्ट्रपति जी श्री ए.एन. रे को सलाह दें कि इस संकट के निवारण के लिए वह मुख्य न्यायाधीश के पद से इस्तीफा दें। (2) राष्ट्रपति जी जिन-जिन न्यायाधीशों ने इस्तीफा दिया है उनको बुलाकर कहें कि वह अपना इस्तीफा वापस लें और इसके बाद वरीयता के सिद्धांत को प्रस्थापित किया जाये। चूंकि श्री ए.एन. रे से कहा जा रहा है कि वह मुख्य न्यायाधीश के पद को छोड़ें इसलिए मेरा यह भी सुझाव है कि चूंकि श्री ए.एन. रे की मियाद दो महीने कम है श्री ए.एन. ग्रोवर से तो हम नहीं चाहते कि उनका भी कोई अपमान किया जाये इसलिए मैं चाहूंगा कि श्री ए.एन. ग्रोवर 6 महीने पहले इस्तीफा दे दें ताकि श्री ए.एन.रे भी मुख्य न्यायाधीश बन सकें। अगर कोई नई परिपाटी कायम करनी हो तो वह श्री ए.एन. ग्रोवर

* वर्तमान में 'मुम्बई'।

और श्री ए.एन. रे की मियाद समाप्त होने के बाद की जाये और जो भी नियुक्ति हो वह दो तीन महीने पहले की जाये, इस सदन को मौका दिया जाये उस पर बहस करने का। वरना क्या होगा कि सभी जज सरकार को खुश करने का प्रयास करेंगे।... एन.एन. द्विवेदी साहब को इलाहाबाद से विदा किया गया तो यह भाषण उन्होंने दिया था कि मैं जा रहा हूं गोलकनाथ केस के फैसले को बदलने के लिए। यह उनका भाषण है। ... इसलिए इस संकट को समाप्त करने के लिए और भविष्य में कोई भी जज सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए गले में यह पट्टा डाल कर न घूमे कि मैं बंधा हुआ हूं। कमिटेड जज हूँ, जैसे हमारे मित्र पीलू मोदी कुछ गले में डाला करते थे। मैं केवल सिद्धांतों के प्रति बंधा हुआ हूँ, प्रधान मंत्री से भी बंधा हुआ हूँ, उनके प्रति भी वफादार हूं—हरा पट्टा गले में डालकर न घूमें। इसलिए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन*£

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे इस विधेयक को जल्दी में इसी सत्र में पास करवाने का प्रयास न करें। अभी मेरी राय है कि इस सदन में नयी प्रवर समिति बननी चाहिए। और उस समिति को इसकी कई धाराओं को देखने का मौका मिलना चाहिए। आखिरकार संविधान की धारा 21 के तहत हमको अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता या जान, जो दंड प्रक्रिया है उसी के मुताबिक लेनी चाहिए तो यह मौलिक दंड प्रक्रिया है और मैं इसका महत्व संविधान के बराबर मानता हूं क्योंकि साधारण व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार इसी दंड प्रक्रिया से निश्चित होते हैं। मैं एक बात शुरू में ही कहना चाहता हूं कि मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूं। अभी यहां पर एंथनी साहब बोले, वे एक वकील के नाते बोले लेकिन मैं हमेशा इन कानूनों का शिकार रहा हूं इसलिए एक तो इस नाते बोल रहा हूं और अपनी वकालत मैं स्वयं करता हूं इसलिए सीमित अर्थ में मैं एक वकील के दृष्टिकोण से भी बोल रहा हूं हालांकि मेरा कानून और विधि की शिक्षा से कोई संबंध नहीं है।

मेरा अनुभव तो यह है कि व्यवहार में जितने हमको अधिकार दिये गये, जो संरक्षण दिये गये, उनको तोड़ा जा रहा है। 1958 के अन्त में श्री प्रताप सिंह कैरों के राज में जब मैं अपने पार्टी दफ्तर में बैठा था तो बिना वजह मेरी गिरफ्तारी हुई। इसमें इसी से प्रारम्भ हुआ कि हम आपकी हैंडकफिंग करेंगे तो मैंने कहा कि अंग्रेजों ने, पुर्तगालियों ने नहीं किया और मैं करने नहीं दूंगा तो अन्त में जाकर बिना हैंडकफिंग के मुझे जाने की अनुमति दी गई। तो इसके बारे में भी इसमें कोई प्रावधान होना चाहिए, यह तो बर्बरता वाला कानून है कि आप हैंडकफ करके साधारण लोगों को ले जाते हैं। हां, कोई भंयकर व्यक्ति हो जो भागता है बार-बार, उसको हैंडकफ करते हैं तो बात समझ में आती है। इसलिए इस बर्बर और जंगली रिवाज को गैर-कानूनी करार देना चाहिए।

पहला कानून यह टूटा कि 24 घंटे में संविधान की धारा 22वीं के तहत, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत मजिस्ट्रेट के सामने रखा जाये लेकिन अक्सर होता यह है कि कभी भी मुल्जिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया जाता, सीधे जेल में ले जाते हैं और जेल के पास जो वारन्ट होता है उसके ऊपर मजिस्ट्रेट पुलिस के कहने पर हस्ताक्षर कर देता है। बिहार विधान सभा की एक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि गया में एक मुल्जिम साढ़े 6 साल तक जेल में रहा और उसको कभी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। मेरे बारे में भी यह कानून टूटा। दूसरे इसमें कारण बताना चाहिए तो मुझे उन्होंने केवल एक सेक्शन बता दिया उसमें

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 30 अगस्त 1973.

£ 'दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

भी कानून टूटा। तीसरे जो वर्तमान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 344 है उसमें कहा गया है कि कारण बताना चाहिए, रिकार्ड का स्पष्ट आदेश होना चाहिए लेकिन क्या मंत्री महोदय जानते हैं कि अक्सर मजिस्ट्रेट तारीख देते जाते हैं और हस्ताक्षर करते जाते हैं। तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की और संविधान की जो धाराएं विद्यमान हैं उनका भी उल्लंघन हो रहा है। ऐसी हालत में हम लोगों को और सेफगार्ड्स और संरक्षण देने के बारे में सोचना चाहिए न कि जो हमारे संरक्षण और अधिकार हैं उनको ही हम लोग खत्म करें।

अब मेरे जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके ऊपर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। पहले मेरा कहना है कि वर्तमान क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में 106, 109, 110 आदि जो धाराएं हैं उनको एकदम खत्म करना चाहिए लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इन धाराओं को किसी न किसी रूप में इन लोगों ने बनाये रखा है। 107 के बारे में बाद में बताऊंगा लेकिन हैबिचुअल आफेन्डर वगैरह की जो धारायें हैं उनमें बड़ा जुल्म किया जाता है, मैं जानता हूं जेलों में काम के लिए भंगी लोग नहीं मिलते हैं इसलिए यह जो हैबिचुअल आफेन्डर के नाम पर जो लोग हैं उनको जेलों में केवल इसी तरह के गन्दे कामों के लिए जेल अधिकारी और पुलिस आपस में मिलकर पकड़ कर लाती है। यह अनुभव की बात है। जो स्वतंत्रता के दिनों में जेल में रहे हैं उनको इस बात का पता है। पुरानी 107 को खत्म करने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम पुरानी जो 106, 109 और 110 हैं, उसी के अनुरूप जो नई धारायें हैं उनको कम से कम खत्म करें।

107 के बारे में मैं कहना चाहता हूं। मुझे यह धारा बहुत अच्छी नहीं लगती है। उसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। लेकिन उसने इसको संवैधानिक ठहराया। होता क्या है? जैसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है 151 में करेंगे लेकिन साथ-साथ 107 चला देंगे, उसका नोटिस भी बढ़ाया जाएगा और तुरन्त 117 के तहत उसके ऊपर जमानत या जेल का आदेश जारी हो जायेगा। मेरे अपने बारे में बनारस का केस है। यह 1970 का है। मैं हवाई अड्डे से आ रहा था। बिना वजह मुझे पकड़ लिया गया और 107 के तहत कार्रवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मैं गया। सुप्रीम कोर्ट का स्पेशल बैंच बैठा था। 107 की वैधता के बारे में विचार करने के लिए। इसको तो वैध साबित किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मेरी एक बात को माना कि 117(3) के तहत जो हुक्म होता है और 107 और 112 का जो आर्डर होता है वह उसी के साथ नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा उन्होंने पैंडिंग कम्पलीशन आफ इनक्वायरी की व्याख्या की है कि कम से कम एक विटनेस आए, उसकी गवाही हो और उसको क्रास एग्जामिनेशन करने का मौका मिलना चाहिए। अगर यह सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है तो क्या वजह है कि कम से कम इतना संरक्षण, इतना सेफगार्ड हम कानून में न दें। मेरा केस होने के बाद भी सैकड़ों-हजारों केस उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। समाजवादी युवजन सभा के भूतपूर्व जनरल सेक्रेटरी मोहन सिंह का केस था। मेरे साथ इलाहाबाद जेल में वह थे। सुप्रीम कोर्ट के पास समय ही नहीं था और उसके केस को खारिज कर दिया गया। फिर वह अपील में सेशन कोर्ट में गए। उसी बिना पर सेशन कोर्ट ने उनको छोड़ा कि 117(3) के तहत एक साथ आर्डर नहीं किया जा सकता है। कम से कम इतना सेफगार्ड तो दिया जाए।

107 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह आपातकालीन है। मान लो झगड़ा-फसाद का खतरा है, व्यक्तिगत झगड़ा हो सकता है, सांप्रदायिक झगड़ा हो सकता है, राजनैतिक दंगा-फसाद होने का अंदेशा हो सकता है तो तत्काल कार्रवाई के लिए 107 है, यह उनका कहना है। एक, एक, दो, दो और तीन-तीन साल यह जो मामला चलता है, क्या जरूरत है इसकी। लखीसराय की 1968 की बात है। मेरी सारी मांगों को अन्त में रेल मंत्रालय ने मान लिया। लखीसराय रेलवे का सुधार हो गया। लेकिन अधिकारियों ने दुष्टता का व्यवहार किया। ढाई साल तक मेरे खिलाफ यह केस जारी रखा। नतीजा यह हुआ कि दो-दो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हो गई। 1968 में हुई 1970 में हुई। फिर भी केस चलाया। 1971 में शैलेट साहब के सामने यह मामला आया। उन्होंने कहा क्या मजाक है? ढाई साल हो गए हैं और 107 की कार्यवाही कर रहे हैं और अगर मुकदमा वापिस नहीं लेते हों तो आपके खिलाफ अभी फैसला देना होगा। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि हम तैयार हैं। उसको कहना पड़ा, इसमें इस तरह की बात होती है। 117(3) के बारे में जो मौजूदा धारा 116 है इसमें इसको मान लें। हैबिचुअल आफेन्डर खत्म करें। 107 में जो अधिकार चाहते हैं वे आपके पास हैं। ईमानदारी से पुलिस और मजिस्ट्रेट काम करना चाहते हैं तो धारा 107 अनिच्छा से मैं रहने दे रहा हूं। मेरी इच्छा नहीं है कि रहने दूं। अच्छा प्रशासन वह नहीं है जो ऐसा करता है। लेकिन अगर आपको रखनी है तो रखिये लेकिन बाकी की खत्म कर दीजिए जो समय है छः महीने, एक साल इसको तीन महीने कर दीजिए। यह काफी है। जो शान्ति के लिए खतरा है वह तीन महीने में खत्म हो जाता है।

अब मैं 144 के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री महोदय जानते ही हैं कि सारे देश में दफा 144 लगी हुई है। बीच में मैं मालेगांव गया था। मेरा वहां जाने का मकसद यह था कि बुनकरों की स्थिति का मैं अध्ययन करूं। मेरे वहां जाने से न अशान्ति होने वाली थी और न साम्प्रदायिक दंगा होने वाला था। लेकिन जब एक निजी जगह में कार्यकर्त्ताओं ने सभा रखनी चाही तो पुलिस वालों ने चारों ओर से उसको घेर लिया और किसी को वे जाने नहीं दे रहे थे। जब हम वहां पहुंचे और कहा कि वह क्या तमाशा कर रहा है, तब जाने दिया। पूरे देश में दफा 144 लगी हुई है। मैंने संशोधन दिया है। यह भी एक संकटकालीन दफा है। आजकल हमारे देश में जो इमरजेंसी वाली चीज है वह भी नार्मल चीज हो रही है। मेरा सुझाव है कि जो पहला आर्डर होगा, जो इंटेरिम आर्डर होगा उसको आप 48 घंटे और 72 घंटे से अधिक न रखें। यह कहिये मजिस्ट्रेट को कि वह पब्लिक हियरिंग करे, सार्वजनिक कार्यकर्त्ताओं को सुने और यदि उनको लगता है कि और इसको बढ़ना चाहिए तो पन्द्रह दिन और अधिक से अधिक तीस दिन तक वह बढ़ाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के मैंने डिसिजन्स इसके बारे में देखे हैं। जब सिविल राइट्स मूवमेंट चल रही थी तब प्रायोर रेसट्रेंट जिसको कहते हैं, उसको उन्होंने बहुत बुरा माना। दफा 144 प्रायोर रेसट्रेंट नहीं है तो क्या है? क्या बोलता है, प्रदर्शन में क्या कहता है, भाषण में क्या कहता है, क्या अपराध करता है, इसका सवाल नहीं है। वह प्रचार करें ही नहीं, जलूस निकाले ही नहीं, सभा करे ही नहीं, इसके वास्ते जो यह निर्बाध प्रतिबंध लगाया जाता है तो यह ठीक नहीं है। इसके बारे में सावधानी बरती जानी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इंटेरिम आर्डर हो, दो-तीन दिन में पब्लिक हियरिंग हो। नियम बनाएं। उसके बाद भी यदि मजिस्ट्रेट आवश्यक समझता है तो बढ़ाए। मैं यह भी चाहता हूं कि सभी एग्जैक्टिव मजिस्ट्रेट्स

को और एस.डी.ओज. को आप यह पावर न दें। आज जो आपने डी.एम. को दे रखी हैं वही रखें। आप कहते हैं कि मैं इसको और उदार बनाना चाहता हूं, लिबरल बना रहा हूं, यह लिबरलाइजेशन है क्या? मामूली मजिस्ट्रेट को, एस.डी.ओ. को अधिकार आप दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ए.डी.एम. को भी आप यह अधिकार न दें केवल डी.एम. को दें ताकि जिम्मेदारी से सत्ता का इस्तेमाल हो सके। अगर आप इसको मानने के लिए तैयार हैं तो ए.डी.एम. को भी रखें। लेकिन एस.डी.ओ. फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की जो बात आपने कही इसको आप खत्म कर दें।

अब मैं सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन पर आ रहा हूं और वह है 167 वर्तमान। इन्होंने कुछ लोगों की बैठक बुलाई थी और बहुत अच्छी हम लोगों की बातचीत हुई। इनके अफसरों का भी खुला मन मैंने देखा। आप समझते हैं कि मैं हमेशा अफसरों के खिलाफ बोलता हूं लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो तर्क करते हैं, बहस करते हैं, उनको मैं पसन्द करता हूं लेकिन जो तर्क और बहस करने के बजाय यह कहते हैं कि हम ब्यूरोक्रेट हैं और हम करेंगे उनको मैं पसन्द नहीं करता हूं। अच्छी बहस हुई। चूंकि काम अधिक था और बैठकें नहीं हो सकीं। मंत्री महोदय का इसमें कोई दोष नहीं है। 167 को मैंने बहुत स्टडी किया है। इसके बारे में वर्तमान कानून बिलकुल साफ है। चितले साहब की जो कमेंटरी है उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाता हूं।

> "The longest period for which an accused can be ordered to be detained in police custody by one or more such orders is only 15 days. It was so held in a case arising under the corresponding section of 1961 Code wherein the time limit was not fixed, and similarly under the Code of 1882 wherein the words "in the whole" where absent.
>
> Where even within the 15 days' time allowed under this section the investigation is not complete, the police may release the accused under section 169; or they may send him to the Magistrate having jurisdiction to try the case or hold an inquiry with a report under section 173; then the Magistrate may remand the accused under section 344. But such remand will not be to police custody. Detention under this section in the police custody for more than 15 days is illegal."

मंत्री महोदय का और इनके अफसरों का कहना था कि फैसलों की रोशनी में ऐसा किया जा रहा है। लेकिन होता क्या है? 344 के तहत रिमांड देते चले जाते हैं। वह गलत काम है। लेकिन कम से कम उसमें यह सेफगार्ड है कि 344 में जो रिमांड गलत है या सजा जो होती है वह जेल कस्टडी की होती है। पुलिस कस्टडी में जहां तक पन्द्रह दिन की बात है, एक बार इनकागनिटो आप जाएं एक ही दिन और पुलिस कस्टडी में रहे तो आपको पता चलेगा कि इट इज वैरी डबल हैल। एक दिन से अधिक उसमें आप रात काट सकें तो मैं इनके सुझाव को मानने के लिए तैयार हूं। मंत्री महोदय पुलिस कस्टडी में एक दिन के लिए इनकागनिटो जाकर देख लें। वहां बहुत खराब हालत होती है। जानवरों के लिए बम्बई में 'आरे मिल्क कालोनी' में जो स्टेबल बनाये गये हैं उनकी कंडिशन ज्यादा अच्छी है पुलिस कस्टडी से। मेहरबानी करके यह नब्बे दिन वाला जो काला कानून आप ले आये हैं उसमें आप यह कर दें कि पन्द्रह दिन के आगे अगर

केस का इनवैस्टीगेशन पूरा नहीं हुआ तो जेल में रखा जाये और जरुरी हो तो उसी में आप एक क्लाज़ जोड़ दें कि ज्यूडिशल कस्टडी में भेज दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। मंत्री महोदय का यह कहना था कि दफा 344 का दुरुपयोग होता है। मैंने मान लिया। वह दुरुपयोग न हो, इसके लिए उन्होंने कुछ सुझाव दिये। उनका मैं स्वागत करता हूं। अब सवाल यह है कि अगर पन्द्रह दिन में इनवेस्टीगेशन पूरा नहीं हुआ, तो क्या करें। मैं कहता हूं कि उसी के तहत यह प्रावधान किया जाये कि और कुछ दिन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन ज्यूडिशल कस्टडी दी जाये। मेहरबानी करके पुलिस कस्टडी न दी जाये। मंत्री महोदय को बाकी जो कुछ भी पास करना है, वह करें, लेकिन जब तक मैं यहां हूं, मैं इसको मानने के लिए तैयार नहीं हूं। इस पर डिविजन होगा।

मेरी फिर एक दफा प्रार्थना है कि पुलिस कस्टडी में पन्द्रह दिन काटना एक टार्चर है और इस विधेयक में तो नब्बे दिन की बात की गई है। यह मुझे जंचता नहीं है। मंत्री महोदय इस बारे में सोचें।

मैं उन धाराओं के बारे में नहीं बोलना चाहता हूं, जिनको दूसरे माननीय सदस्यों ने कवर किया है। श्री एन्थनी ने अपील, समरी ट्रायल और परजरी के बारे में जो कहा है; मैं उससे सहमत हूं। जहां तक अपील का संबंध है, एक दफा इक्विटल होने के बाद जब सज़ा होती है, तो एक भी अपील न रहे; यह अच्छी बात नहीं है।

मंत्री महोदय ने इस विधेयक में लीगल एड के बारे में एक अच्छा प्रोविजन दिया है, जिसके बारे में मैंने पिछले सत्र में दो-दो विधेयक रखे थे। वह बड़ा अच्छा प्रोविजन है, लेकिन मंत्री महोदय ने उसमें एक बहुत बड़ा दोष रखा है। इस विधेयक की धारा के तहत हाई कोर्ट नियम बनायेगा "विद दि प्रापर एपरूवल आफ दि स्टेट गवर्नमेंट", और वकीलों की नियुक्ति भी शायद सरकार ही करेगी। मंत्री महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह मेरे एमेंडमेंट को स्टडी करें। मेरा संशोधन इस प्रकार है:

"The High Court may, in consultation with the State Government"...

मैंने "एपरूवल" की जगह "कनसल्टेशन" रखा है।

> ...prepare a panel of pleaders for each district from among whom the accused may select a pleader for his defence under sub-section (1); and also make rules providing for..."

रूल्ज अलग कर दीजिए। हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार से सलाह करके हर जिले के लिए एक पैनल बनाया जाये। नहीं तो क्या होगा? सब लोग चमचागिरी करने लगेंगे, क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस-वकालत-चलती नहीं है, वे सोचेंगे कि अगर हम सरकार की चमचागिरी करेंगे, तो उस पैनल में आ जायेंगे। इस तरह सरकार एक हाथ से जो अधिकार दे रही है, वह दूसरे हाथ से उसको वापिस ले रही है। मेरे एमेंडमेंट में कोई गलती नहीं है। मंत्री महोदय इस पर सोच लें और इसको मान लें। मेरा संशोधन यह है कि हाई कोर्ट के द्वारा राज्य सरकार की सलाह से हर जिले के लिए एक पैनल बनाया जाये और एक्यूज्ड को यह छूट हो कि वह उसमें से किसी को चुन ले।

जैसा कि मैंने कहा है, मैं लीगल ऐड के प्रोविजन का स्वागत करता हूं। पिछली बार मैंने कहा था कि अमरीका में जो बुनियादी अधिकार हैं, वे तकरीबन हमारे जैसे हैं, लेकिन अमरीका की सुप्रीम कोर्ट ने पिछले तीन वर्षों में भाष्य या इन्टरप्रेटेशन से—कांस्टीट्यूशनल एमेंडमेंट से नहीं, लीगल प्रोविजन से भी नहीं—यह कहा है कि गरीब और कंगाल मुलजिम को यदि वकील नहीं मिलता है, तो वह मौलिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अब सरकारी खर्चे से वकील मिलता है। सरकार ने यह जो शुरुआत की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन इसमें चमचागिरी, खुशामद या प्रशंसा के लिए मौका न दिया जाये, क्योंकि वैसे ही न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में लोग हल्ला करने लगे हैं। इसलिए मंत्री महोदय मेरे इस सुझाव को मान लें।

चार्ज के बारे में इस विधेयक में कहा गया है कि वह अदालत की भाषा में दिया जायेगा। मैं उसमें यह संशोधन चाहता हूं कि अदालत की भाषा, या हिन्दी, या प्रादेशिक भाषा, या मुलजिम को जो भाषा समझ में आये, उसमें उसको चार्ज मिलना चाहिए। एक सूबे का आदमी दूसरे सूबे में भी हो सकता है। अगर उसको चार्ज का ऐसा अनुवाद मिल जायेगा तो वह समझ जायेगा।

मैं दो तीन बातें धारा 107 और तत्सम धाराओं के बारे में भी कहना चाहता हूं। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि जब पिछले साल मैं इलाहाबाद में गिरफ्तार हुआ, तो मेरी रिट पिटीशन की सुनवाई के लिए मुझे दिल्ली के तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, यह एक दर्दनाक कहानी है। एक दिन मेरे वार्ड में कुछ नौजवान लड़के सफाई करने के लिए आये। जिन लोगों को स्कूल-कालेजों में होना चाहिए था, उनको जेल में देखकर मैं दंग रह गया। मैंने उन लोगों को बुलाकर पूछा कि यहां क्यों आये भाई; चोरी, डकैती, बलात्कार, क्या किया। वे बोले, कुछ नहीं, हम 55/107 में बन्द हैं।

उनमें से एक का नाम था रामसिंह। वह बोला कि मैं अनाथ हूं, मेरे मां-बाप नहीं है, बड़े भाई के यहां कानपुर में रहता था, भाभी मुझसे बहुत काम लेती थी, भूखा रखती थी, इसलिए मैं भाग गया। उसके पास टिकट था। जब वह दिल्ली स्टेशन पर उतरा, तो रेल कांस्टेबल ने उसको छेड़ा और पूछा कि तुम कहां के हो। उसने कहा कि मैं अनाथ हूं, नौकरी की खोज में दिल्ली आया हूं। कांस्टेबल ने कहा कि अनाथ हो, चलो तुम को 55/107 में गिरफ्तार किया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब राजधानी में हो रहा है। जेल में उसको कहा गया कि पचास रुपये दो, तब तुम्हें छोड़ेंगे। उसने कहा कि मेरे पास पचास रुपये नहीं है। तब उसकी तलाशी ली गई और जो दस बारह रुपये मिले, वे छीन लिये गये। उसको तीन दिन तक मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं किया गया और बाद में पन्द्रह दिन का रिमांड ले लिया गया।

दूसरे का नाम ललित कुमार था और वह सहरसा, बिहार का था। उसने बताया कि मैं कालका मेल की डाइनिंग कार में रोटी बनाने का काम करता था; जब डाइनिंग कार दिल्ली में रहती थी, तो पुलिस वाले आकर तंग करते थे कि खाना खिलाओ; मैं उनको बचा हुआ खाना दे देता था; एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे सुपरवाइजर ने मुझे डांट दिया कि ऐसे खाना क्यों देते हो। तो उसने कहा कि अब मैं नहीं दूंगा। दूसरे दिन जब वह कश्मीरी गेट से साबुन खरीदकर आ रहा था, तो पुलिस वालों ने उसकी गर्दन पकड़ी और कहा कि तुम को 55/107 में गिरफ्तार किया जाता

है। वह रोने लगा कि मुझे यहां से छुड़वाइये, मैं फिर दिल्ली नहीं आऊंगा, यह बड़ी भयंकर नगरी है, मैं वापिस बिहार चला जाता हूं।

तीसरा लड़का छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश, का रहने वाला था। 55/107 में जेल या जमानत की जो कार्यवाही होती है, उसके तहत वह एक साल के लिए जेल में था और नौ महीने की सजा काट चुका था। वह एक गरीब आदमी था। मैंने उससे कहा कि जमानत क्यों नहीं देते। उसने कहा कि मैं जमानत कहां से लाऊं। अगर मैं अपनी बीवी को बुलाऊंगा, तो उसके आने जाने में पांच सौ रुपये खर्च हो जायेंगे; मेरे पास पैसा नहीं है। जब मैंने पूछा कि क्यों पकड़ा तो बोला कि नौ महीने पहले—वह मालिश करने वाला था—मैं दिल्ली के राजपथ पर खड़ा था, तो दो पुलिस वाले आये और उन्होंने टोका कि क्या कर रहे हो। वह बोला कि जैसे दूसरे लोग राजपथ पर टहलने के लिए आये हैं, वैसे मैं भी आया हूं। कहां के रहने वाले हो?—मैं छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। यहां कहां रहते हो?—मेरा कोई घर नहीं है, जैसे हजारों लोग किसी पेड़ की छाया में या इमारत के किनारे रहते हैं, वैसे मैं भी रहता हूं। जब उसने कहा कि मैं बेघर आदमी हूं, तो पुलिस वाले बोले कि यह 55/107 के लिए फिट आदमी है। मजिस्ट्रेट के सामने जाकर उन्होंने कहा कि एक पार्क की हुई फियेट कार पर उसकी बुरी नजर थी। इस देश में 55/107 के तहत क्या-क्या होता है।

मैंने सोचा कि यह 55/107 क्या बला है। मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को खोलकर देखा। 55 में क्या था?—"नो आस्टेंसिबल मीन्ज आफ सबसिस्टेंस"। तीन साल से सत्तारूढ़ दल के लोग यह हंगामा कर रहे हैं कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन में फंडामेंटल राइट्स बाधक बन रहे हैं। संविधान कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि सब लोगों को काम दिलाया जाये, रोजगार दिलाया जाये। लेकिन यह सरकार रोजगार तो देती नहीं है और जिनके पास रोजगार नहीं है या आस्टेंसिबल मीन्ज़ आफ सबसिस्टेंस नहीं है, उनको जेल में बन्द कर देती है।

*** *** ***

...मैंने यह कहानी इसलिए सुनाई है कि मैं जो सेफगार्ड मांग रहा हूं, और जिन धाराओं को काटने के लिए कह रहा हूं, मंत्री महोदय उनके बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचें। मैंने एक फ्रेन्ड के नाते उनके लिए रिट-पिटीशन किया। अभी तक जेल में जो बन्द हैं उसका फ्रेन्ड बाहर से कर सकता है, लेकिन पहली बार जेल में एक कैदी के द्वारा दूसरे कैदी के लिए रिट पिटीशन किया गया। मैंने कहा कि इस दुष्ट और क्रूर, जगत में मेरे अलावा इनका और कौन दोस्त है? इसलिए मैं कह रहा हूं और उस समय जो जज थे द्विवेदी साहब वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल पर लेक्चर दे रहे थे फंडामेंटल राइट्स के केस में। मैंने कहा कि निर्देशक सिद्धांतों के गीत गाते हैं और इनको इसमें गिरफ्तार किया जाता है। जब मेरा पिटीशन गया तो वह एडमिट हुआ और एक आदमी को तो उन्होंने छोड़ दिया और दूसरे को सुप्रीम कोर्ट के जज छोड़ने जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सात दिन की मियाद दीजिए और सात दिन के बाद उनको भी छोड़ दिया गया। लेकिन वह राम सिंह मालिश वाला अभी तक जेल काट रहा है। शायद एक साल पूरा हुआ होगा तो छूट गया होगा। इसलिए इस तरह का दृष्टिकोण यह रखें। मेरी अपनी यह राय है, मैं ऐसे न्यायालय चाहता

हूं, मैं वह दिन देखना चाहता हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज आर्थिक और सामाजिक मामले में जो विधि मंडलों के प्रगतिशील कानून है उनका तो समर्थन करेंगे लेकिन जहां व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल आएगा वहां निर्भयता के साथ राज्य का, स्टेट का मुकाबला करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हक में फैसले देंगे जैसे अमरीका में वारेन कोर्ट ने किया क्योंकि वारेन कोर्ट का यह अनुभव है कि सिविल राइट के बारे में, क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में मैजिस्ट्रेट भी प्रतिक्रियावादी हो सकता है। आप लोग जो बार-बार कहते हैं कि इन संस्थाओं के संबंध बिगड़ गये हैं, आज कार्यपालिका प्रतिक्रियावादी है, विधिमंडल प्रतिक्रियावादी है और न्यायालय भी प्रतिक्रियावादी हैं। जब तक इनके रिश्तों को नहीं सुधारेंगे और उदारवादी स्वतंत्रतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनायेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर में सही माने में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

संविधान में बुनियादी परिवर्तन की आवश्यकता*£

सभापति महोदय, श्री विभूति मिश्र ने जो संकल्प सदन के सामने रखा है, मैं उसकी बुनियादी बात से सहमत हूं और वह बात यह है कि वर्तमान संविधान बहुत असंतोषजनक है, उसमें खामियां तथा त्रुटियां हैं और उसमें छोटे-छोटे परिवर्तन करने से वह ठीक नहीं होने वाला है। सरकार 30, 31 परिवर्तन कर चुकी है। इसमें सौ परिवर्तन किये जायें, लेकिन जब तक हम इसके ऊपर बुनियादी तौर पर पुनर्विचार नहीं करेंगे, तब तक इसमें कोई सुधार होने वाला नहीं है।

श्री मिश्र नई कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली की मांग आज कर रहे हैं। लेकिन मेरे दल ने इस मांग को 1946 में ही उठाया था और हमने कहा था कि जो कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली अंग्रेजों के द्वारा संगठित की जा रही है, उसमें हम लोग सम्मिलित नहीं होंगे और हमारे जो बुजुर्ग नेता थे—आचार्य नरेन्द्र देव, श्री जय प्रकाश नारायण और डा. राम मनोहर लोहिया, उन्होंने उस कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली का बहिष्कार किया।

उन्होंने ऐसा क्यों किया था? उनका कहना था कि कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली के लिए सीधा चुनाव होना चाहिए, लेकिन वह अप्रत्यक्ष ढंग से चुनी हुई कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली थी। और अंग्रेजों के जमाने में अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए फ्रैंचाइज, मतदान का अधिकार, मुश्किल से 19 प्रतिशत लोगों को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त रियासतों के जो प्रतिनिधि थे, वे नामजद किये हुए थे। हमारे ये तीन मुख्य आक्षेप थे: (1) बालिग मताधिकार पर कांस्टीट्यूएन्ट एसेम्बली का चुनाव नहीं हुआ है; (2) उसके दो-तिहाई प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने गये हैं और (3) एक-तिहाई प्रतिनिधि रियासतों के प्रतिनिधि तो सीधे नामजद किये गये हैं।

जो संविधान बना, उसमें जो बड़ी-बड़ी खामियां हैं, उन्हीं की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। संविधान में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज में जो भेद किया गया है, वही सारे झगड़े और विवाद की जड़ है। उस भेद के कारण एक कृत्रिम बहस, एक नकली बहस, हमारे देश में चल पड़ी है। मैं चाहूंगा कि इस भेद को खत्म कर दिया जाये और मौलिक अधिकारों का पुनर्निर्माण किया जाये। कैसे किया जाये? इसके बारे में मेरे तीन सुझाव हैं:

मैं नहीं चाहता कि आर्टिकल 19(1) (एफ), जो सम्पत्ति के बारे में है, आर्टिकल 31, 31ए, 31बी, 31सी का मौलिक अधिकारों में समावेश हो। अगर इस बारे में कुछ रखना ही है, तो यह रखना चाहिए कि सम्पत्ति, आमदनी और खर्च पर सीमा, लिमिट लगाई जाये और जिसके पास उससे अतिरिक्त सम्पत्ति हो, राज्य को उसको बिना मुआवजा दिये अपने हाथ में लेने का अधिकार

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 31 अगस्त 1973.

£ वर्तमान लोक सभा को संविधान सभा घोषित किये जाने से संबंधित चर्चा में भाग लेते हुए।

होना चाहिए। वह लिमिट एक लाख रुपये की हो या दो लाख रुपये की हो, लेकिन कोई न कोई लिमिट जरूर होनी चाहिए। हम इस बारे में व्यावहारिक ढंग से बात करने के लिए तैयार हैं।

सम्पत्ति और आमदनी के साथ-साथ खर्च पर सीमा, लिमिट लगाने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज कल कुछ लोग सोचते हैं कि अपनी सम्पत्ति तो रखेंगे नहीं, लेकिन पूरे राष्ट्र की सम्पत्ति को अपने बाप की सम्पत्ति समझेंगे और खर्च करेंगे। इसमें नौकरशाही और मंत्रीशाही आदि सब आते हैं।

निदेशक सिद्धांतों में बहुत से फालतू हैं। जैसे, शराबबन्दी है। शराबबन्दी का निदेशक सिद्धांत है, लेकिन सरकार शराब खोलती चली जा रही है। यह दाम्भिकता और ढोंग क्यों है। इससे अच्छा है कि शराबबन्दी को निदेशक सिद्धांतों में से निकाल दिया जाये।

निदेशक सिद्धांतों में यूनिफार्म सिविल कोड की बात भी कही गई है। सरकार इसके द्वारा मुसलमानों को चिढ़ाती है, डराती है और फिर कहती है कि हम यह नहीं करेंगे। इस तरह वह वोट हड़पना चाहती है। इन बातों को निदेशक सिद्धांतों में से निकाल देना चाहिए।

निदेशक सिद्धांतों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करने का भी उल्लेख है। मैं चाहूंगा कि यह शिक्षा समान, मुफ्त और अनिवार्य हो। मैं इसमें 'समान' इसलिए जोड़ना चाहता हूं कि यदि बचपन से ही पब्लिक स्कूल, जो वास्तव में पब्लिक नहीं है, और साधारण स्कूल का फर्क किया जायेगा, तो फिर समाजवाद, समानता और सोशल जस्टिस आदि कुछ भी चलने वाला नहीं है। अगर मेरे मित्र, श्री पीलू मोदी, और हम लोग एक स्कूल में पढ़ते, तो श्री पीलू मोदी किसी दूसरे ढंग के आदमी, बहुत अच्छे आदमी बन गये होते। म्युनिसिपल और गरीबों के स्कूल में पढ़कर भी मैं किसी भी मामले में किसी से कम नहीं हूं। यह मैं सबूत के तौर पर पेश करके कहना चाहता हूं कि पब्लिक स्कूलों की कोई जरूरत नहीं है।

इसी तरह काम करने के अधिकार को निदेशक सिद्धांतों में क्यों रखा गया है। संविधान में कहा गया है: "... दि प्रिंसिपल्ज ... आर फंडामेंटल इन दि गवर्नेन्स आफ दि कन्ट्री"। लेकिन वह सरकार इतनी बेहया है कि निदेशक सिद्धांतों को फंडामेंटल बनाने के बाद भी लोगों को रोजगार का अधिकार नहीं देती है।

*** *** ***

आखिर कितने संशोधन एमेंडमेंट करेंगे? मैं पूरा चित्र आपके सामने रखूंगा, तो आप मान जायेंगे।

अब मैं मौलिक अधिकारों पर इसीलिए जा रहा हूँ। मैं यह चाहूंगा कि रोजगार का काम करने का अधिकार और पब्लिक असिस्टेंट्स इन केस आफ अनएम्पलायमेंट यह भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में फर्क यह है न—दोनों अधिकार हैं लेकिन एक अधिकार को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं और दूसरे अधिकारों के बारे में आप कोई अदालती कार्यवाही नहीं कर सकते हैं।...

तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा और यह बहुत बुनियादी है कि मौलिक अधिकारों को दो वर्गों में बांट सकते हैं। हमारे संविधान में बहुत सारे अधिकार हैं। एवार्ड न दिया जाए या टाइटिल न दिया जाये, यह भी फंडामेंटल राइट है। लेकिन मैं चाहूंगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं—क्योंकि ये लोग फंडामेंटल राइट्स में हमेशा गड़बड़ी करते हैं, मुझे सम्पत्ति के अधिकार से मतलब नहीं है इसको निकाल दीजिए या इस पर प्रतिबंध लगा दीजिए लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के जो अधिकार हैं भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता इनको मैं विशेष स्थान देना चाहता हूं और यह मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इसको पेश कर चुका हूं। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज बड़े विचित्र हैं। जजमेंट देते समय तो लिखेंगे एसेंशियल फीचर और कहेंगे कि यह ऐसे अधिकार हैं कि जिनके बिना लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है। लेकिन जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता के केस के बारे में जजमेंट लिखने का सवाल आएगा तो इनकी दृष्टि में सम्पत्ति के अधिकार में और इस अधिकार में कोई फर्क नहीं है बल्कि तराजू का पलड़ा दूसरी ओर ही झुकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अमेरिका में माइकल जोन ने इस सिद्धांत को रखा और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अब इसका उल्लेख होने लगा है। खासकर वारेन के जमाने से। यह एक सालिसिटर जनरल की किताब है, मैं केवल एक उसमें से उद्धरण दूंगा:

> "Self-government, as the Warren Court sees it, begins with lively, indeed lusty and uninhibited, debate over issues, candidates for office and the conduct of public officials. Dr. Alexander Meiklejohn argued that whereas other constitutional immunities are restrictions projecting the citizen against, abuse of the powers delegated to Government by the people, the guarantees of freedom of speech and the press are measures adopted by the people as the ultimate rulers to withhold all power over these subjects from their legislative and executive agents. The court adopted something very like this view of the absolute protection to be accorded plitical debate when Justice Brennan wrote for the court that 'speech concerning public affairs is more than self-expression. It is the essence of self-government'. In a subsequent lecture, Justice Brennan acknowledged the indebtedness to Dr. Meiklejohn."

तो नया संविधान बने, उसमें मैं चाहूंगा कि भाषण की स्वतंत्रता को विशेष स्थान हम लोग दें। ...

एक ही मुद्दा और कह कर अब खत्म करूंगा।

*** *** ***

...मैं अब केवल मुद्दों को बताता हूं। उसका विश्लेषण नहीं करता हूं। मैं यह कहता हूं कि इस संविधान में राज्य और केन्द्र के रिश्ते बिगड़े हुए हैं और राज्यों को हमने पटवारी का दर्जा दिया है जबकि गोखले साहब और ये सारे मंत्री कलेक्टर हैं। जब इनके मन में आता है। राज्यों की सरकारों को बरखास्त कर देते हैं। इसी तरह के राज्य और स्थानीय निकाय जो हैं उनके संबंधों का तो जिक्र नहीं है। जिस तरह केन्द्र राज्यों के साथ पटवारी की तरह सलूक करता है राज्य

सरकारें म्यूनिसिपैलिटीज और लोकल बॉडीज के साथ भी वही सलूक करती हैं, उनको भी वह पटवारी समझती हैं। आज हरियाणा में एक भी म्युनिसिपैलिटी जीवित नहीं है। सभी म्यूनिसिपैलिटीज को बरखास्त कर दिया गया है। कलकत्ता कारपोरेशन को एक आर्डिनेन्स के द्वारा बरखास्त कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में पांच में से चार कारपोरेशंस बरखास्त कर दिए गए। अकेले बम्बई की महानगरपालिका थी जिसको पूरी स्वायत्तता थी। सरकार को अधिकार नहीं था बरखास्त करने का। लेकिन विगत साल चूंकि उन्होंने एक राय से बोनस देने का निर्णय किया महाराष्ट्र की पापी सरकार ने उसकी भी स्वायत्तता को खत्म किया और अब उनके द्वारा जो खर्चा किया जाएगा अपनी आमदनी से उसके अंदर भी राज्य सरकार का हस्तक्षेप होने लगेगा। तो ये बिगड़े हुए रिश्ते हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसा संविधान बने जिसमें सीमित अधिकार वाला केन्द्र, सीमित अधिकार वाला राज्य, सीमित अधिकार वाली म्यूनिसिपैलिटीज और अन्य लोकल बॉडीज हों। एक-दूसरे के अधिकारों का वे अतिक्रमण नहीं करें और किसी को भी दूसरे को बरखास्त करने का अधिकार नहीं होगा।

अब राज्य सभा को लीजिए। क्या है यह राज्य सभा, यह समझ में नहीं आता है। 30-32 एम.एल.एज. मिलकर इसके सदस्यों को चुनते हैं और कई एलेक्शन पेटीशंस में यह साबित हुआ है कि आजकल सोनपुर के मेले में जिस तरह जानवर बिकते हैं उसी तरह एम.एल.ए. भी बिकने लगे हैं। एक दो केसेज में यह साबित हुआ। इसलिए मैं चाहूंगा कि राज्य सभा की गरिमा को भी अब बढ़ाना चाहिए। आप राज्य सभा को सीधे चुनावों के जरिए चुनिये।

*** *** ***

...राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्य सभा को करना है। लेकिन राज्यों के कोई मामले उठते हैं वहां? केवल लोक सभा के अधिकारों को छीनने का और उसका डुप्लीकेशन करने का उसको दोहराने का काम राज्य सभा करती है। राज्य सभा का रोल होना चाहिए था कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करे। मैं चाहूंगा कि छोटे राज्यों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाया जाये और बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र इनके प्रतिनिधित्व को घटाया जाये। तब जाकर आपकी फेडरल हुकूमत ठीक ढंग से चलेगी। और मैं भी चाहता हूं कि राज्य सभा को कुछ विशेष अधिकार आप दीजिए। सुरक्षा नीति या वैदेशिक नीति के बारे में अधिकार दीजिए जैसे वित्त की नीति के बारे में लोक सभा को है। न्यायालयों की स्वतंत्रता का सवाल भी आता है। उसके बारे में मैं इस वक्त नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि एक बिल अटल जी का आ रहा है।

एक मेरा सुझाव जरूर है कि लोक सभा की कमेटियों को राजदूत, न्यायाधीश और गवर्नर इनकी नियुक्ति पर—अखबार वाले गलत छापते हैं, मैं, लोक सभा को एप्वाइंटमेंट करने का अधिकार मिलना चाहिए, यह नहीं कह रहा हूं—इनकी नियुक्ति पर इनका नियंत्रण हो। एप्वाइंट वह करें, मैं वह अधिकार नहीं चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह अमेरिका की सीनेट की जूडिशियल कमेटी है जिसमें बड़े-बड़े चोर पकड़े जाते हैं। ए.बी. फोर्ट्स आप जानते हैं प्रेसीडेंट जानसन का खास व्यक्ति माना जाता था। जूडिशियल कमेटी की वजह से सारे मामले खुल गए। उनको इस्तीफा देना पड़ा। प्रेसीडेंट निक्सन के दो जो एप्वाइंट थे उनको सीनेट ने नहीं माना अगर यहां हमको मौका होता तो इनके जो एप्वाइंटी हैं उनकी धज्जियां हम उड़ा देते। नहीं चल सकते थे वह। अगर

हम लोगों को मौका मिलता तो मैं आपसे कहता हूं कमेटियों में इस तरह से नहीं होता, बहुमत और अल्पमत से मामला नहीं चलता है, आज प्रेसीडेंट निक्सन का इम्पीचमेंट करने की बात रिपब्लिकन पार्टी के भी लोग करते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग जरा स्वतंत्र बनिए। हमेशा ... व्हिप पर मत चला करिए।...

तो बहुत सारे मामले हैं। आप सोचिए कि संशोधन विधेयक के जरिये पूरे संविधान के बारे में क्या विचार हो सकता है? इसलिए मैं चाहता हूं कि नई विधान सभा बने और अब बगल के लंका देश में बनने के बाद तो मानेंगे कि नई संविधान सभा बन सकती है। लेकिन इनके सुझाव में जबर्दस्त खतरा है। यह कहते हैं कि वर्तमान लोक सभा को कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनाइए। आप धोखा-धड़ी करना चाहते हैं भारत की जनता के साथ? आपने जब वोट लिया तो संविधान निर्मात्री परिषद् के लिए नहीं लिया। लेजिस्लेचर और कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली में बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कहूंगा कि मेरे संशोधन को वह मान लें कि अगर नई कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनाना चाहते हैं तो जनता के सामने जाएं, जनता को बताएं कि आपको अगली लोक सभा को भी चुनना है और कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली को भी चुनना है।

लोगों के साथ धोखाधड़ी करके कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली के अधिकार छीनने का प्रयत्न मत कीजिए। यह बहुत गलत कदम होगा। इसलिए मैं विभूति मिश्र जी के इस सिद्धांत की सराहना करते हुए भी कि नई संविधान निर्मात्री परिषद् होनी चाहिए, मैं कतई इस बात के लिए तैयार नहीं हूं कि वोटर्स के साथ धोखाधड़ी करके, गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ के झूठे नारे देकर, 500 जीपें लूट कर, जो वोट प्राप्त किया है ...

*** *** ***

मैं जानता हूं कि सवा सौ करोड़ रुपये की डिफेन्स की जीपें हड़पने का प्रयास किया था। जिस प्रश्न को छिपाया गया था, अब मंत्री महोदय का जवाब आया है। इसलिए मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं। आपको ऐसा मेन्डेट प्राप्त नहीं हुआ है कि इस लोक सभा को कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनायें। अगर नई कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली बनाना चाहते हैं तो जनता के पास जाइये, नया आदेश, मेन्डेट लीजिए और इन अच्छे सिद्धांतों के आधार पर नया संविधान बनाइए।

हमारा फेडरल रिपब्लिक—अगर आप चाहते हैं—कि चिरस्थायी हो, टूटे नहीं, विघटित न हो, तो पाकिस्तान के विघटन से सबक सीखिए। शुरू में मुस्लिम लीग आटोनॉमी वाली थी, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान बना, केन्द्रीयकरण वाली बन गई। सब यही चाहते थे कि फेडरल रिपब्लिक बनायेंगे लेकिन 1947 के बाद उनके दिमाग खराब हो गये। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं—बंगलादेश की घटना से सबक सीखिए और राज्यों को गुलाम बनाने का प्रयास न कीजिए, उनकी स्वायत्तता और उनके अधिकारों को मानिये। मैं राज्यों से भी कहूंगा—महात्मा गांधी जी ने जो विकेन्द्रीकरण का नारा दिया था, डा. लोहिया ने चौखम्बा राज्य का नारा दिया था, उस पर विचार कीजिए, तभी अच्छा संविधान बनेगा।

दंड-प्रक्रिया संहिता की सार्थकता*£

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री जोरदार से सहमत हूं कि इसको समाप्त ही कर दिया जाये। लेकिन अगर किसी कारण आप इसको रखना चाहते हैं तो श्री शम्भूनाथ ने जो संशोधन रखा है उस संशोधन के साथ मंत्री महोदय उसको मानें। मेरा ख्याल है:

> 'unless his further detention is required or authorised under any other law for the time being in force.'

इसकी कोई जरूरत नहीं है।

अभी शुक्ला जी ने कहा कि 107 की जब कार्यवाही करनी होती है न तो पुलिस अक्सर 151 में गिरफ्तार करती है। यह बात सही है। मैं तथ्य से इंकार नहीं करता। 1968 में लखी सराय केस में मुझे दफा 151 में गिरफ्तार किया गया और फिर 107 की कार्यवाही हुई। यह केस सुप्रीम कोर्ट के सामने मैंने स्वयं आर्ग्यू किया और मैं आपका उस ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसके ऊपर मैंने प्रिविलेज का भी सवाल उठाया था। लेकिन चूंकि वह लोक सभा ही बीच में बरखास्त हो गई इसलिए वह बच गए। हमेशा बच जाते हैं। वह जजमेंट ग्रोवर साहब ने लिखा है। शाह साहब की बेंच थी और उन्होंने स्पष्ट ढंग से कहा है कि 'चैप्टर एट'' एक सैल्फ-कंटेन्ड कोड है और 151 में गिरफ्तार करके 107 की कार्यवाही करना यह बिल्कुल गैर-कानूनी है। 107 की कार्यवाही में मजिस्ट्रेट वारंट निकालता है, 112 में शायद निकालता है और कार्यवाही आगे होती है। जब 151 का इस तरह दुरुपयोग होता है तो मंत्री महोदय को बड़ी गंभीरतापूर्वक इस पर सोचना चाहिए। 1960-61 में जब रानी एलिजाबेथ यहां आई थीं तो जो पैसे की बर्बादी हो रही थी उसको लेकर हम लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक कार्यक्रम बनाया था। बम्बई शहर में अध्यक्ष महोदय, साढ़े तीन बजे सवेरे पुलिस आ गई, एक या दो दिन पहले साढ़े तीन बजे आई और जगाया। बोले कि 151 में आपको गिरफ्तार किया जाता है। जब 24 घंटे पूरे हो गए तो हम लोगों ने कहा कि न मैजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहे हैं न हमको छोड़ रहे हैं। 151 में आप यह नहीं कर सकते हैं। तब पुलिस इन्सपैक्टर कहता है कि आप हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, दो-तीन दिन में छोड़ देंगे। इसमें रिट नहीं कर सकते, इन्फ्रक्चुअस हो जायेगा। तीन-चार दिन तक उन्होंने बड़े आराम से, उन लोगों के लिए आराम से, लेकिन हम लोगों के लिए तकलीफ से रखा और तीन चार दिन बाद कहा कि चले जाओ। इसलिए मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहता

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 1 सितम्बर 1973.

£ दंड प्रक्रिया संहिता विधेयक पर जारी चर्चा में भाग लेते हुए।

हूं। मैं शम्भू नाथ जी का संशोधन "एरेस्ट" तक कबूल करता हूं, यदि मंत्री महोदय मानें तो जोड़ दिया जाये—

> 'Any violation of this provision by the police officer shall, itself, be a cognisable offence'.

और इंडियन पैनल कोड में सजा का इन्तजाम किया जाये, तब मैं मानने को तैयार हूं। कागनिजिबल आफेन्स के नाम पर वे उसको तोड़ते जायें—यह बात अच्छी नहीं है। उसको रखना चाहते हैं तो आधा अमेंडमेंट शम्भूनाथ जी का मान लें और मैं अपना अमेंडमेंट मौखिक दे रहा हूं—अध्यक्ष महोदय की इजाजत से—

> 'Violation of this provision should be made a cognisable offence.'

इंडियन पैनल कोड में सब्सटेन्टिव आफेन्स कर दीजिए। आप सरकारी नौकरों को मनमानी करने का मौका दे दें तो कानून का राज्य नहीं चलने वाला है।

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, श्री जोरदार ने जो बातें कहीं हैं मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन शुक्ला जी के संशोधन का भी मैं इसलिए समर्थन कर रहा हूं कि इस बिल में जो प्रावधान हैं, वे इतने अमानवीय हैं, दुष्ट प्रावधान हैं कि इनके चलते पुलिस कस्टडी में 90 दिन तक रहना ही पड़ता, और अगर मैजिस्ट्रेट चाहते तो और भी ज्यादा दिन उसको पुलिस कस्टडी में रख सकते हैं। मैं इसको पढ़ कर सुनाता हूं ताकि सब लोग इसके महत्व को समझें:

> "The Magistrate may extend the term beyond the period of fifteen days if he is satisfied that adequate grounds exist for doing so; but no Magistrate shall authorise the detention of the accused in custody for a total period exceeding ninety days unless he, for reasons to be recorded by him in writing, as satisfied that the detention of the accused in custody for a total period exceeding the said period of ninety days is necessary in the interests of justice..."

उपाध्यक्ष महोदय, आज होता क्या है? 15 दिन के बाद मौजूदा क्रिमनल प्रोसीजर कोड के तहत किसी को भी पुलिस कस्टडी में नहीं रखा जा सकता था इस बीच जांच अगर पूरी नहीं होती है तो पुलिस वाले क्या करते थे—344 के तहत वे रिमाण्ड लेते जाते थे। हालांकि 344 का यह मतलब नहीं था। अब मंत्री महोदय की दिक्कत यह थी—यदि 15 दिन के अन्दर इन्वेस्टीगेशन पूरा नहीं होगा तो क्या होगा? तो फिर जैसा जोरदार जी ने कहा है—60 दिन की मियाद लगाइये, कोई सीमा बांधिये, लेकिन उसके लिए भी ये लोग तैयार नहीं थे। हमने सोचा कि कुछ नहीं मिलता है तो जो शुक्ला जी के संशोधन के द्वारा जो मिलता है, उसी को ले लें। उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को पुलिस लाकअप का अनुभव है, छोटे-छोटे कमरों में, जहां बुनियादी सैनिटेशन भी नहीं है, दो सौ, तीन सौ, चार सौ आदमियों को ठूंस-ठूंस कर भर दिया जाता है। ऐसी हालत में 90 दिन या उससे अधिक पुलिस कस्टडी में रखने की बात होती तो पूरी तबाही हो जाती। जब

आप इस बिल को ज्यादा उदार दृष्टिकोण से, इस का ज्यादा लोकतंत्रीकरण कर रहे हैं तो फिर अंग्रेजों के जमाने में 100 साल तक जिस धारा के चलते तकलीफ नहीं हुई, 15 दिन का पीरियड काफी होता था, क्या देशी सरकार को वह भी काफी नहीं हो रहा है। मेरी समझ में नहीं आया कि ओरिजनल बिल में यह कैसा अमेंडमेंट आया है?

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यदि जोरदार जी के संशोधन को नहीं मानना चाहते और सिर्फ शुक्ला जी के संशोधन के लिए राजी हो गये हैं तो मैं उसको एक कदम मानता हूं। अपनी यह लड़ाई हम सस्पेण्ड करने वाले नहीं हैं, यह तो चलेगी, लेकिन इसमें सुधार की गुंजाइश है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जरूर इस पर विचार करें।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, यह 125 का जो विषय है, सुलेमान सेठ, शमीम और मेरे दूसरे लायक दोस्तों ने शुरू में ही इस पर अपना एतराज प्रकट किया था। लेकिन उस वक्त सरकार ने सुना नहीं। अब देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में मुसलमानों के वोट पर तो कहीं खराब असर नहीं पड़ेगा। इसको दृष्टि में रखकर ये नई बातों को लेकर आए हैं इंदिरा जी के कहने पर। तो मेरा इतना ही कहना है, मेरा विरोध नहीं है। शमीम साहब से मेरा इत्तफाक है। लेकिन यह नीति समझ में नहीं आती है कि मुसलमानों को क्या हमेशा वोटर की दृष्टि से ही देखा जायेगा? कभी इंसान की दृष्टि से भी उनको देखा जायेगा क्या? ... इसलिए जहां तक शमीम साहब की राय है मैं उससे सहमत हूं। लेकिन इसको पहले आपको करना चाहिए था।

दूसरी बात यह बता दें कि किन नियमों के अनुसार पास किये गये क्लाज पर हम पुनर्विचार कर सकेंगे क्योंकि आप जो कार्यवाही करेंगे वह आइन्दा के लिए भी प्रिसीडेंट बन जायेगी। 125 के बारे में हमें एतराज नहीं है। आप अवश्य पुनर्विचार कीजिए। लेकिन और बहुत से क्लाजेज हैं 144, 106, 108, 109, 110 और एक और दफा है चार्जेज के बारे में जिसके ऊपर बोलने का भी मौका हम लोगों को नहीं मिला। तो अगर इन सभी खतरनाक क्लाजेज के ऊपर पुनर्विचार करने की छूट सदन को मिलेगी तो हमको क्या एतराज हो सकता है 125 के बारे में? कोई एतराज है ही नहीं। मैं शमीम साहब से इस मामले में एक राय रखता हूं कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ में कोई परिवर्तन करना है तो बैकडोर से क्यों किया जाये? उनकी रजामन्दी से होना चाहिए। यह मेरी पहले से राय है। इसलिए मुझे यह इलेक्शन टैक्टिक्स इसमें अच्छी नहीं लग रही है। इंसान के नाते उनकी जो मांग है उसको आप पूरा करिए। लेकिन यह जो आप कर रहे हैं यह बिल्कुल गलत है और अगर करते हैं तो बाकी जो इसमें दमनकारी क्लाजेज हैं उनके ऊपर भी हमें पुनर्विचार करने का मौका मिले, कोई नियम या प्रक्रिया ऐसी बनायी जाये जिसके अन्दर पास किये हुए क्लाजेज के ऊपर हम पुनर्विचार कर सकें।

न्यायालय की स्वतंत्रता*£

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली बार शुरू ही किया था। सबसे पहले मैं इस बात की चर्चा करना चाहता हूं कि जो सत्ताधारी दल के सदस्यों ने उठाया था। मेरे कांग्रेसी मित्रों के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर यह इल्जाम लगाया गया कि सर्वोच्च न्यायालय प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण से ग्रस्त है और उनके फैसलों की वजह से हमारे जो निदेशक सिद्धांत हैं चौथे चैप्टर में, उनको कार्यान्वित करने में, उन पर अमल करने में सरकार को कठिनाई हो रही है। लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अकेले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इस तरह प्रहार करना बिलकुल बेमतलब है। सरकार अपनी बेईमानी को सुप्रीम कोर्ट की आड़ में छिपाकर दृष्टि से ओझल रखना चाहती है। क्या सर्वोच्च न्यायालय, क्या सरकार और क्या यह सदन, तीनों वर्तमान व्यवस्था के अंग हैं और प्रतिक्रियावाद का अगर अभियोग करना ही है तो सबसे पहले मैं कार्यकारिणी के ऊपर, इस सरकार के ऊपर करूंगा। क्योंकि हमारे संसदीय लोकतंत्र में परिवर्तन के बारे में पहल करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि सरकार का सदन में बहुमत रहता है, सदन के ऊपर नियंत्रण रहता है। तो क्या सरकार ने संविधान के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए जो उनके ऊपर दायित्व था, उसको निभाया है?

आज मैं यह पूछना चाहता हूं कि आर्थिक सत्ता का जो हमारे देश में केन्द्रीकरण हो रहा है क्या उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय जिम्मेदार है? या सरकार की गलत आर्थिक नीतियां जिम्मेदार हैं? उसी तरह मैं आपकी मार्फत कानून मंत्री से पूछना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में विदेशी पूंजी का प्रभाव कम होने की बजाय जो बढ़ता चला जा रहा है, उसका दायित्व किसका है? ऐसे क्षेत्रों में जैसे तेल की खोज करने के लिए फर्टिलाइजर के उत्पादन के लिए या ऐसी चीजों की पैदावार के लिए जिसमें हमारे पास 'नो हाऊ' नहीं है, उन क्षेत्रों में यदि आप विदेशी पूंजी की सहायता लेते तो बात समझ में आती लेकिन अचरज की बात है कि कंज्यूमर इंडस्ट्री में इनका मंत्रालय, आर्थिक विकास मंत्रालय और वित्त मंत्रालय लगातार विदेशी पूंजी को सहूलियत देने का काम करता चला जा रहा है जिसके चलते न केवल देशी पूंजीपतियों के हाथ में सत्ता का केन्द्रीकरण हुआ है बल्कि विदेशी पूंजी का और मल्टीनेशनल कम्पनियों का भी असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बढ़ता चला जा रहा है, इन कामों में विदेशी पूंजी की और स्वदेशी जो बड़े इजारेदार और पूंजीपति लोग है, सरमायेदार हैं, उनकी मदद कौन कर रहा है? सत्ताधारी कांग्रेस के नेता और नौकरशाह। इन लोगों ने विदेशी पूंजी और एकाधिकारशाही जिनके हाथ में है वे स्वदेशी पूंजीपति इनके साथ सांठ-गांठ करके देश में आर्थिक सत्ता के केन्द्रीकरण की प्रक्रिया को चालू कर रहे हैं। अगर देश में गैर-बराबरी है, सामाजिक न्याय नहीं है तो उसका दायित्व भी सरकार के ऊपर है, अदालतों के ऊपर नहीं है।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 16 नवम्बर 1973.

£ संविधान (संशोधन) विधेयक (अनु. 124 का संशोधन) पर बहस में भाग लेते हुए।

आज ही प्रश्नोत्तर काल में थर्ड पे कमीशन का सवाल आया था। पिछली बहस में मैंने साबित किया था कि जहां तक चतुर्थ और तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का सवाल है उनके साथ तो सौतेली मां का व्यवहार सरकार का रहा है। लेकिन जहां तक पहले वर्ग के अफसरों का सवाल है उनकी संख्या में दो पे कमीशंस के बीच में 228 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप लोगों का अभियोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। मैं बताना चाहता हूं कि कार्यकारिणी प्रतिक्रियावादी कैसे है:

*** *** ***

*** *** ***

...डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कार्यान्वित करने के रास्ते में सुप्रीम कोर्ट रोड़ा अटका रही है, यह प्रायः इनका मुद्दा है और मैं साबित कर रहा हूं कि आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण इनकी नीतियों के चलते हुआ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के चलते हुए नहीं हुआ है, अगर आज देश में गैर-बराबरी बढ़ रही है, सामाजिक न्याय नहीं है जोकि हमारे संविधान का उद्देश्य हैं, आप प्रिएम्बल को देखिए उसमें सामाजिक न्याय यह हमारा मौलिक उद्देश्य माना गया है लेकिन आज सामाजिक न्याय की प्रस्थापना क्यों नहीं हो रही हैं? उसका कारण मैंने उदाहरण देकर बताया है कि जहां तक अफसरों का सवाल है उनकी संख्या में 228 प्रतिशत वृद्धि दो पे कमीशंस के बीच में होती है और उनके दो सौ से लेकर सात सौ रुपये तक वेतन में भी आप इजाफा करते हैं। इसलिए कानून मंत्री महज सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आरोप और इल्जाम लगाकर बहस को दूसरी दिशा में ले जाने का प्रयास न करें। अगर किसी की जिम्मेदारी है तो सरकार की भी है, इस सदन की भी है, और अदालत की भी है, उसको मैं छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि उनका दृष्टिकोण भी उतना ही दकियानूसी है जितना गोखले साहब का और इंदिरा जी का। मैं इन सबके दृष्टिकोणों में कोई फर्क नहीं करता हूं:

*** *** ***

*** *** ***

इसका इलाज क्या है? इलाज यह नहीं है कि न्यायालय की स्वतंत्रता के ऊपर आप आक्रमण करें और न्यायालय में ऐसे जज पीठासीन करें जो सरकार के चमचे हैं। यह तरीका नहीं है। वाजपेयी जी ने जरा दूर से देखा था। यह बिल 1971 का है। आपने देखा किस दिशा में गोखले साहब, कुमारमंगलम साहब और इंदिरा जी जा रही हैं। इसको देखते हुए तथा 23 साल से जो परिपाटी चली आ रही थी उसको संवैधानिक रूप देने का उन्होंने इसमें प्रयास किया है। कोई नई बात वाजपेयी जी ने नहीं की। 23 साल से सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में जो एक नीति सरकार ने अपनाई थी उसी को वह संवैधानिक दर्जा देना चाहते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो घटनाएं घटीं और इस परिपाटी को तोड़ दिया गया है तो क्या जैसी हालत में जो बहस हम लोग मई महीने में कर चुके हैं उसी को दोहराकर आज फिर वरिष्ठतम, सीनियर-मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बनायेंगे? इस तरह का संशोधन करके क्या काम बनेगा? मुझे लगता है कि इस वक्त जो बहस चल पड़ी है इस बहस से न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में और उनकी प्रतिष्ठा के बारे में जनता के मन में सन्देह उत्पन्न हुआ है। साथ-साथ कार्यकारिणी के बारे में भी यह सन्देह उत्पन्न हुआ है कि वह सारे अधिकार अपने हाथ में लेना चाहती है और न्यायालय को महज सरकार

की सहशाखा बनाना चाहती है। इसका निराकरण कैसे हो। मैं बड़े अदब के साथ अपने मित्र वाजपेयी जी से कहूंगा कि आज फिर सीनियर मोस्ट जज की बात करके अगर वह समझते हैं कि कोई हल निकलने वाला है तो वह नहीं निकल सकता है। इसलिए बुनियादी जो सवाल है उसके सभी पहलुओं को देख कर मैं एक रचनात्मक सुझाव इस सदन के विचारार्थ रखना चाहता हूं और उसके बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

*** *** ***

*** *** ***

ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे न्यायालय की स्वतंत्रता के बारे में कोई सन्देह न रहे और कोई सरकार के ऊपर यह अभियोग भी न लगा पाए कि ये लोग सर्वाधिकारशाही की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा सुझाव यह है कि आप पांच लोगों की एक कमेटी बनाएं जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों और उसके पहले वाले चीफ जस्टिस हों यानी अगर नया कोई चीफ जस्टिस बनाने की बात आ जाएगी तो उसके पहले सीकरी साहब थे और वर्तमान राय साहब हैं, ये दो और तीन सीनियर मोस्ट, वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट के जज हों। इन पांच लोगों की कमेटी हो और ये लोग तीन नामों का सुझाव दें। इन तीन नामों पर बॅार कांउसिल तथा बार एसोसिएशन खुलकर चर्चा करें और अपने निष्कर्षों को चीफ जस्टिस के पास भेजें और बार काउंसिल और बार एसोसिएशन के सुझावों और टिप्पणियों की रोशनी में तीन नामों को अंतिम करके राष्ट्रपति जी के पास भेज दिया जाए और राष्ट्रपति जी तीन में से एक की नियुक्ति करें। साधारण जजों के लिए सात नामों की सूची से लेकिन उस नियुक्ति पर अमल तभी होगा जब ससंद की उस नाम के लिए मान्यता मिल जाए। हाई कोर्ट के बारे में भी ऐसा ही किया जाये मगर मुख्य न्यायाधीश की राय भी ले ली जाये।

मैं ऐसा सुझाव क्यों दे रहा हूं? इसलिए कि मैं नियुक्ति का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं देना चाह रहा हूं, और जुडिशियरी को भी नहीं दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि कानून के जो पंडित हैं—वकील और जज, वे जानते हैं कि कौन अच्छे लोग हैं। इसलिए नामों का सुझाव उनकी ओर से आये, नियुक्ति करे राष्ट्रपति अर्थात् कार्यकारिणी। लेकिन उनमें कोई गड़बड़ आदमी है या नहीं, इसका पता कैसे चलेगा? इसलिए उस पर संसद की रोक हो।

राज्य की जो तीन शाखायें हैं, कार्यकारिणी, न्यायपालिका और कानून बनाने वाला विधिमंडल- यह संसद्, इन तीनों का ही कुछ न कुछ अधिकार इन नियुक्तियों पर रहेगा। जहां तक संसद को यह अधिकार देने का संबंध है, मैं कहना चाहता हूं कि अमरीका में चूंकि सीनेट को यह अधिकार है, इसलिए उसके द्वारा बहुत से अवांछनीय जजों की नियुक्ति की पुष्टि नहीं की गई। एव फोर्टस नाम के एक जज ने जो गलत काम किया था, उसको सीनेट ने एक्सपोज किया। नतीजा यह हुआ कि एव फोर्टस को, जो जान्सन साहब के मित्र थे, इस्तीफा देना पड़ा। इसी तरह निक्सन साहब ने एक नाम रखा; उसको बार एसोसिएशन ने भी और सीनेट ने भी रद्द समझा, इसलिए उसकी नियुक्ति नहीं हो सकी।

अन्त में मैं श्री वाजपेयी को बताना चाहता हूं कि "सीनियरमोस्ट" रखने में क्या खतरा है, क्योंकि ये लोग बहुत चालाक हैं, ये उनके सिद्धांतों को लेकर उन्हीं पर हावी हो जाएंगे। इसलिए मैं पहले ही सचेत करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जो साधारण जज हैं, प्यूनी जज हैं, उनकी तो वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति नहीं होती है, यानि किसी भी हाई कोर्ट की वरिष्ठता भी नहीं मानी जाती है। न हाई कोर्ट जजों की अखिल भारतीय वरिष्ठता आज तक मानी गई है। तो जिसकी कम-से-कम उम्र है और जो सरकारी पक्ष का है, सरकार उस जज को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर देगी।

मान लीजिए कि सरकारी राय से अपनी राय को मिलाने वाला कोई कनिष्ठ जज सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाये, तो श्री वाजपेयी की सरकार बनाने के बाद भी वह पन्द्रह साल तक रहेगा। इसलिए इस सरकार के बारे में बड़े सचेत होकर सब सुझाव देने पड़ते हैं।

मैं चाहता हूँ कि राज्य की एक शाखा का नियंत्रण दूसरी शाखा पर, दूसरी शाखा का नियंत्रण तीसरी पर और तीसरी का पहली पर हो। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे अगर श्री गोखले इसके बारे में सोचेंगे, तो उनको मानना पड़ेगा कि यह सर्वोत्तम इलाज है, हालांकि इंदिरा जी उनको ऐसा काम नहीं करने देंगी, जिससे उनके अधिकार कम हो जाये।

आर्थिक और वित्तीय मामले

ECONOMIC AND FINANCIAL ISSUES

रेल उद्योग का आधुनिकीकरण*£

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बजट रेलवेज के संबंध में हमारे सामने आया है, उस पर रेल मंत्री ने जो अपना भाषण दिया है वह मैंने गौर से पढ़ा। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा अचरज हुआ कि इन सारे भाषणों में और जितने कागजात हमारे सामने रखे गये हैं उनमें कुछ आत्मसंतुष्टि की वृत्ति मैं पाता हूं और उससे ऐसा लगता है कि जहां तक रेलवेज का सवाल है उसमें खामियां और त्रुटियां बिलकुल न होंगी, सारा इन्तजाम बढ़िया ढंग से किया जा रहा है और इसी तरह आगे भी चलेगा। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र में यह सबसे बड़ा उद्योग है और उसका व्यापक असर दूसरे उद्योगों पर पड़ता है। अगर रेल विभाग अपना काम अच्छे ढंग से, सही ढंग से नहीं करेगा तो दूसरे जो सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग हैं उनके बारे में हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वह अच्छे ढंग से अपना काम चलायेंगे?

इस रेल के उद्योग में करीब-करीब 3 हजार करोड़ रुपये हमारे लगे हुए हैं और करीब-करीब 13 लाख मजदूर उसमें काम करते हैं। लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा दुख है कि जो 13 लाख मजदूर रेलों में काम करते हैं उनको सरकारी नौकर होने के नाते बुनियादी राजनैतिक अधिकारों से वंचित रखा गया है। आप जानते हैं कि रेलें जो चलाई जाती हैं वह औद्योगिक व व्यापारिक दृष्टि से चलायी जाती हैं और अगर दूसरे उद्योगों में काम करने वाले नौकरों और मजदूरों को राजनीतिक दलों का सदस्य बनने का अधिकार दिया जाता है तो कोई वजह नहीं है कि जो औद्योगिक और व्यापारिक उसूलों पर रेल विभाग चलता है उसके कर्मचारियों को भी राजनीतिक दलों का सदस्य बनने का अधिकार क्यों न दिया जाये?

बार-बार रेल मजदूरों की ओर से यह मांग की गई है कि चूंकि यह विभाग व्यापारिक और औद्योगिक सिद्धांतों के ऊपर चलता है इसलिए जैसे अन्य उद्योगों के लिए एक वेज बोर्ड आदि बनाया गया है उसी तरह इनके लिए भी एक वेज बोर्ड बनाया जाये। रेल कर्मचारियों की यह बिल्कुल जायज मांग है जो, और मैं चाहता हूं कि, रेल मंत्री अन्य मंत्रियों और प्रधान मंत्री से बातचीत करके इस काम को जल्द से जल्द करे ताकि वेज बोर्ड का गठन हो और वेज बोर्ड की मार्फत उनकी तनख्वाह आदि के बारे में जो शिकायतें हैं वे दूर की जायें।

एक और बात उसके संबंध में मैं अर्ज करना चाहता हूं।

कई जो केन्द्रीय सरकार के कानून हैं मजदूरों के संबंध में उनको लागू करने के लिए रेलवे मंत्रालय तैयार नहीं है जैसे कि औद्योगिक कलह निवारण कानून है। उसको भी रेल मंत्रालय

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 8 मार्च 1965.

£ रेलवे बजट पर सामान्य चर्चा में भाग लेते हुए।

आज मानने के लिए तैयार नहीं है। उद्योगों में शांति रखने के लिए एक अनुशासन संहिता बनाई गई। इस संहिता को लागू करने की मांग कर्मचारियों ने की लेकिन मुझे बड़ा सदमा है कि अभी तक रेल मंत्रालय ने इस सुझाव को नहीं माना है। जब कभी रेल कर्मचारियों और रेल मंत्रालय के बीच में झगड़ा होता है और उसका जब कोई हल नहीं निकलता है तो मैं चाहूंगा, सरकार बार-बार इस बात पर जो जोर देती है कि इस झगड़े को 'लवाद' की मार्फ़त निबटाया जाये तो मैं चाहूंगा कि रेल मंत्रालय स्वयं इसके बारे में पहल करे। जो झगड़ा सीधी बातचीत करके निबटाया नहीं जा सकता है उसको 'लवाद' के सामने पेश किया जाए।

मैं यह चाहता हूं 25 साल के रेल विकास की एक व्यापक योजना रेल मंत्रालय बनाये और जो वर्तमान मंत्री हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि वह अपने कार्यकाल में ऐसे व्यापक कार्यक्रम की योजना को बनायें जिसके अंतर्गत हिन्दुस्तान में जितनी भी छोटी लाइनें हैं उनका रूपान्तर बड़ी लाइनों में किया जाये। जितनी भी छोटी लाइनें हैं उनको बड़ी लाइनों में तब्दील किया जाये।

अभी भाप के जो इंजन चलते हैं उनमें अच्छे दर्जे का कोयला इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इस्पात के धंधे को हमारे देश में बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए कोयले के इस्तेमाल के बारे में एक नई नीति बनाने की जरूरत है। इसलिए 25 साल की इस योजना में रेलों के बिजलीकरण और डीजलीकरण करने की भी एक व्यापक योजना बनाई जाये और 25 साल के अन्दर छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित करने के लिए, बिजलीकरण और डीजलीकरण की योजना को कार्यान्वित करने के लिए कोशिश की जाये।

साथ ही साथ आज जो रेलों की कार्यक्षमता है, रेलों के जो कारखाने हैं और उनकी पैदावार की क्षमता है, उसके बारे में जो आत्मसंतुष्टि की वृत्ति है उसको त्याग दिया जाये उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए कोई एक ठोस कदम आज उठाया जाए।

जहां तक रेल को इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों का संबंध है, एक ओर पैसेंजर लोग हैं, जो ज्यादातर तीसरे दर्जे से प्रवास करते है और उनके बारे में रेल मंत्रालय बिल्कुल उपेक्षा धारण कर रहा है और बराबर किराये बढ़ाये जा रहा है। उनको जो सुविधायें दी जानी चाहिएं, वे नहीं दी जाती हैं। अगर मुल्क में विकास का वातावरण पैदा करना है, तो बचत और त्याग की अत्यावश्यकता है। मैं चाहूंगा कि कम-से-कम पच्चीस साल के लिए रेल के बड़े वर्गों को—पहले वर्ग या दूसरे वर्ग को—रद्द किया जाये और एक ही वर्ग, अर्थात् तीसरा दर्जा, रखा जाये। जो यात्री लम्बा प्रवास करते हैं, उनको पर्याप्त सुविधायें दी जायें। इस समय कुछ मात्रा में सुविधायें दी जाती हैं, लेकिन यात्रियों के लिए पर्याप्त इंतजाम किया जाना चाहिए। इन बातों से मुल्क में त्याग और समानता की भावना पैदा होगी और हमको देश को आगे बढ़ाने के काम में सहायता मिलेगी।

रेलवे मंत्रालय जो माल ढोने का काम करता है उसके बारे में काफी शिकायतें मिलती हैं, खासकर के भ्रष्टाचार को लेकर। ऐसा कहा जाता है कि जब तक रेल के बड़े कर्मचारियों से लेकर नीचे तक पैसा नहीं दिया जाता है, रिश्वत नहीं दी जाती है, तब तक माल आगे नहीं बढ़ता है। मेरा ख्याल है कि यह मामला दो साल पहले इस सदन के सामने भी आया था। मैं चाहूंगा

कि आज के रेल मंत्री भी इस बारे में सोचें और आज रेल में जो व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है, उसको खत्म करने की कोशिश करें।

मैं आपका ध्यान रेल के नक्शे पर पश्चिमी तट की ओर दिलाना चाहता हूं। वहां पर बम्बई से लेकर मंगलौर तक का जो क्षेत्र है, उस पर कोई रेल नहीं है। मैं कोई स्थानीय और प्रादेशिक मांगों को लेकर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई ऐसी मांग है, जिसमें स्थानीयता, प्रादेशिकता और राष्ट्रीय हित का मधुर संगम, मिलाप होता है, तो वह पश्चिम तटीय कोंकण रेलवे का प्रश्न है। वर्तमान रेल मंत्री भी उस इलाके के रहने वाले हैं। मैं चाहूंगा कि वह कम-से-कम इस कोंकण रेलवे को बनाने के काम को ज्यादा अहमियत दें। आप जानते हैं कि कोचीन* से लेकर त्रिवेन्द्रम* तक रेल बनी है, लेकिन वह छोटी लाइन है और त्रिवेन्द्रम* से कन्याकुमारी तक कोई लाइन नहीं है। इसलिए यह आवश्यक है कि वर्तमान मंत्री पश्चिमी तट पर रेल बनाने का काम तुरन्त हाथ में ले लें।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि सुरक्षा और औद्योगिक विकास की दृष्टि से जैसे पश्चिमी तट पर बड़ी लाइन बनाना आवश्यक है, उसी तरह आसाम और बिहार के इलाके में, खासकर सुरक्षा की दृष्टि से, आज जो छोटी लाइन है उसका बड़ी लाइन में रूपान्तर करना भी अत्यन्त जरूरी हो गया है।

जहां तक दुर्घटनाओं और रेलों की अनियमितता का सवाल है, उसके बारे में जो आत्मसंतुष्ट वृत्ति दिखायी जा रही है, वह ठीक नहीं है। मैं रेल मंत्रालय से अपील करूंगा कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रेलगाड़ियों की अनियमितता को खत्म करके उन को नियमित रूप से चलाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किया जाये।

मैं यह जानना चाहता हूं कि स्वतंत्रता के बाद प्लेटफार्म और स्टेशन की इमारतों आदि बाह्य बातों पर कितना पैसा लगाया गया है। अगर नई लाइन बनाने के लिए, या मीटरगेज लाइन का बड़ी लाइन में रूपांतर करने के लिए यह पैसा खर्च किया जाता तो उससे ज्यादा फायदा पहुंचता।

आखिर में दो तीन स्थानीय मसलों की ओर ध्यान देकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। पूर्वी रेलवे पर सुल्तानपुर से देवगढ़ (वैद्यनाथ धाम) जाने वाले यात्रियों की तादाद लाखों में है। मैं चाहता हूं कि सुल्तानपुर से देवगढ़ लाइन के बारे में सर्वेक्षण किया जाये और यह लाइन तुरन्त बनाई जाये।

क्यूल और जमालपुर के बीच में जो छोटा हिस्सा है, उसमें यातायात की बड़ी असुविधा है। वहां पर इस वक्त दो गाड़ियां चल रही हैं—329 और 330 अप और डाउन और उनके साथ-साथ 327 और 328 अप और डाउन। क्यूल और जमालपुर के बीच में कई स्टेशनों पर ये गाड़ियां नहीं रुकती हैं। इसलिए इन गाड़ियों को उन स्टेशनों पर भी रोकने का इंतजाम किया जाये।

---

*अब इन्हें क्रमशः कोच्चि एवं तिरुअनंतपुरम के नामों से जाना जाता है।

साहबगंज से जमालपुर तक जो गाड़ी चलती है, उसको बढ़ा कर क्यूल तक किया जाये। इससे इस लूपलाइन के मुसाफिरों को काफी सुविधा प्राप्त होगी।

मैं बम्बई की उपनगरीय रेल के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। एक माननीय सदस्य ने अभी मंत्री महोदय का ध्यान उस तरफ दिलाया था। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस वक्त रेल के जो दो मंत्री हैं, अगर वे एक दिन हमारे साथ बम्बई में—मैं लोकल गाड़ी की बात कर रहा हूं—तीसरे दर्जे के डिब्बे में शाम या सवेरे बैठने की कोशिश करके दिखाये और अपने मुकाम तक पहुंच पायें, तो उनको पता चल जायेगा कि कितनी असुविधा तीसरे दर्जे से प्रवास करने वाले मुसाफिरों को और खासकर के नौकरी करने वाले लोगों को होती है। हमारे एक मित्र का इकलौता लड़का इसी कारण से दुर्घटना में मर गया। इसी तरह जो बच्चे और विद्यार्थी इन लोकल गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं उनमें दो-तीन लोग तो हर दिन दुर्घटनाओं में मर ही जाते हैं। इसलिए मैं रेलवे मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बम्बई की उपनगरीय गाड़ियों पर इस वक्त जो बहुत ज्यादा भीड़ और दबाव है वह उसको कम करने के लिए तुरन्त कोई योजना लागू करें।

अन्त में मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि रेल में तेरह लाख मजदूर हैं। इन मजदूरों के बारे में रेल मंत्रालय का जो दृष्टिकोण है उसमें तब्दीली करने की आवश्यकता है। अगर नौकरशाही ढंग से और केन्द्रीयकरण के आधार पर इस रेल मंत्रालय और रेलों के काम को चलाया जायेगा तो मुझे ऐसा डर लगता है कि उससे पूरा सार्वजनिक क्षेत्र बदनाम हो जायेगा और जो लोग आज यह कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा न लोक कल्याण हो सकता है और न उसमें कार्यक्षमता पैदा हो सकती है उनकी यह बात व्यापक पैमाने पर देश में फैलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बारे में मंत्री महोदय पहल करके कर्मचारियों की उचित और न्यायपूर्ण मांगों का समाधान करने की कोशिश करें। जिन मांगों पर कोई समझौता नहीं होता है उनको दोनों पक्षों को जो 'लवाद' सम्मत है उसके सुपुर्द करने का प्रयास करें।

योजना का आधार: देश का सर्वांगीण विकास*£

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है, केन्द्र सरकार जो आमदनी राज्यों के बीच में बांटती है, उसके संबंध में है। इसके बारे में सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब से योजना आयोग कायम हुआ, योजना आयोग ने एक अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। किसी भी योजना का, जिसका आधार सामाजिक न्याय और समाजवाद है, उसका उद्देश्य होना चाहिए कि हिन्दुस्तान के विभिन्न इलाकों में जो विकास को लेकर गैर-बराबरी है उसको मिटाना, और हिन्दुस्तान के सभी इलाकों का विकास करना। यह एक बहुत बड़ा उद्देश्य किसी भी योजना का होना चाहिए। लेकिन मुझे खेद है कि योजना आयोग ने इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक मामला है कि पिछले बजट सत्र में मैंने एक सवाल पूछा था कि विभिन्न राज्यों की और विभिन्न राज्यों के अन्दर जो जिले हैं, उनकी फी आदमी आमदनी क्या है, जवाब आया कि अभी तक सरकार के पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जब ये बुनियादी आंकड़े सरकार के पास नहीं हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि ये लोग योजना कैसे बनाने वाले हैं। कल के लिए मैंने एक और प्रश्न दिया है और उसमें इसी बात को दुहराया है कि क्या पिछले सात-आठ महीनों में सरकार ने इसके संबंध में आंकड़े इकट्ठा किये हैं। मुझे पता नहीं कल मुझको क्या वित्त मंत्रालय से जवाब मिलने वाला है।

लेकिन, मैं आप का ध्यान जो लोकनाथन साहब की एक संस्था है उसके द्वारा जो जांच की गयी थी उसके निष्कर्षों की ओर खींचना चाहता हूं। और उसमें बताया गया है कि पहले दिल्ली में प्रति आदमी आमदनी 871 रुपया थी 1960-61 में।

*** *** ***

$'डिस्ट्रीब्यूशन आफ नेशनल इन्कम बाई स्टेट्स 1960-61'.

इसमें दिया गया है कि दिल्ली की आमदनी फी आदमी 871 रुपया, महाराष्ट्र की 468, बंगाल की 464, पंजाब की 451 थी और दूसरे जिनकी सब से कम थी उनमें एक नम्बर है बिहार का जिसमें फी आदमी आमदनी केवल 220 रुपए थी, राजस्थान में 267 थी और उड़ीसा में 276।

*** *** ***

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 8 दिसम्बर 1965.

£ केन्द्रीय कर प्रणाली संबंधी विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

$ माननीय सदस्य की टिप्पणी 'किताब का नाम बताइए' का जवाब देते हुए।

*पीटर अल्वेयर्स ने कहा कि मैं मेरे क्षेत्र की बात कह रहा हूं। बिलकुल नहीं। इस वक्त मैं केवल राष्ट्रीय दृष्टिकोण से बोल रहा हूं और मुझे बड़ा खेद है कि जब मंत्री लोग यहां बात करते हैं तो राष्ट्रीय दृष्टिकोण को नहीं अपनाते। मैंने राजस्थान और उड़ीसा का भी जिक्र किया जो मेरे क्षेत्र नहीं हैं। तो उपाध्यक्ष महोदय, एक कसौटी फी आदमी आमदनी की हो गयी।

दूसरी ओर एक बुनियादी चीज है साक्षरता वाली। उसका उल्लेख मैं इसलिए करता हूं कि हमारे संविधान में कहा गया है कि सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए और उसको अनिवार्य बनाना चाहिए। तो उसके आंकड़े क्या हैं? उसमें भी, उपाध्यक्ष महोदय, आप देख लीजिए कि जहां तक साक्षरता का सवाल है:

जम्मू कश्मीर में केवल 11 प्रतिशत लोग साक्षर हैं,

मध्य प्रदेश में 17 प्रतिशत,

नागा प्रदेश में 17 प्रतिशत,

राजस्थान में 15 प्रतिशत,

उत्तर प्रदेश में 17 प्रतिशत और

बिहार में 18 प्रतिशत लोग साक्षर हैं।

तो साक्षरता की भी आप कसौटी लगाइए, कुछ क्षेत्र हमारे देश में बिल्कुल पिछड़े हुए, अविकसित हैं, और कुछ क्षेत्रों ने प्रगति की है। उसके कई कारण हैं।

उसी तरह यहां पर बहस चली खाद्य की और उसके बारे में बार-बार खाद्य मंत्री ने उर्वरकों पर चर्चा की। अब रासायनिक खाद का महत्व मैं कम नहीं समझता हूं। लेकिन चूंकि वह एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां काफी पानी का, सिंचाई का इंतजाम किया गया है, इसलिए उनके सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या है उर्वरकों की। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हमारे देश में हैं जहां पानी का ही इंतजाम नहीं है। तो ऐसे क्षेत्रों को केवल आप फर्टिलाइजर (उर्वरक) दे देंगे तो उससे खेती की पैदावार बढ़ेगी नहीं, बल्कि फसल मरेगी और उपजाऊ जमीन खत्म हो जाएगी।

अब उसके भी आंकड़े ले लीजिए आप। उसके बारे में इन आंकड़ों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं योजना बनाते समय, इसलिए अर्ज करना पड़ता है। मैं कोई, प्रान्तीयता की बात नहीं करता। जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश, मद्रास और पंजाब इनमें सबसे ज्यादा सिंचाई का इंतजाम है। महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर में पांच, छः या सात प्रतिशत जमीन पानी से, सिंचाई से, भीगती है।

तो ये जो सारी विषमताएं हैं, गैर-बराबरियां हैं, उनको खत्म करना सबसे बड़ा कर्तव्य योजना आयोग का हो जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आमदनी के बारे में और राज्यों में यह जो आयकर तथा यह चुंगी आदि का जो बंटवारा होता है उनको लेकर एक बुनियादी सिद्धांत मैं रखना चाहता हूं। आखिरकार जिनकी आमदनी ज्यादा है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर हम तरह-तरह के टैक्स, कर लगा रहे हैं। आमदनी कर, इस्टेट ड्यूटी है। इसी प्रकार खर्चे के ऊपर कर है।

* श्री पीटर अल्वेयर्स, सांसद को सम्बोधित करते हुए।

जो इनाम वगैरह दिया जाता है उसके ऊपर भी कर है। उसका मकसद एकमात्र यह है कि कुदरत का जो कानून है उसके अनुसार यानी अगर ऐडम स्मिथ को माना जाये तो कुछ लोगों के हाथ में सम्पत्ति और आमदनी तो बहुत ज्यादा आयेगी और कुछ लोग हमेशा के लिए गरीब रहेंगे। इसलिए इन करों के द्वारा आमदनी का समान बंटवारा करने का प्रयास होता है क्योंकि सरकार के हाथ यह सारी आमदनी जब आती है तो शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर या दूसरी चीजों के ऊपर राज्य खर्च करता है और सम्पत्ति का एक तरीके से बंटवारा होता है तो जिस तरह व्यक्ति-व्यक्ति के बीच में और विभिन्न वर्गों के बीच में आमदनी का बंटवारा करने का प्रयास कर योजना की मार्फत किया जाता है उसी प्रकार मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी सारी जितनी व्यवस्थाएं हैं, हम अनुदान देते हैं राज्यों को या आयकर का बंटवारा करते हैं, चुंगी का ऐक्साइज का बंटवारा करते हैं उनके बारे में बुनियादी तौर पर सोचना चाहिए और निरक्षरता को खत्म करने के लिए, अविकसित इलाकों को आगे बढ़ाने के लिए सिंचाई का इंतजाम करने के लिए इनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक सबसे बड़ी बात फी आदमी जो आमदनी है, आज शहरी इलाकों में बहुत ज्यादा, और बंगाल और महाराष्ट्र का इसलिए जिसका जिक्र करना पड़ा क्योंकि बम्बई और कलकत्ता इन प्रांतों में है, इसलिए फी आदमी आमदनी भी ज्यादा हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि जो ग्रामीण इलाके चाहे बंगाल के हों या महाराष्ट्र के वे उसी तरीके से अमीर हैं। तो योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से मैं यह कहूंगा कि अगर उसके लिए संविधान में कोई तरमीम करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो वित्त मंत्रालय ऐसी तरमीम ले आये और यह साफ कर देना चाहिए कि आयन्दा से यह जो आमदनी का बंटवारा किया जायेगा, अनुदान वगैरह दिया जायेगा चुंगी कर का बंटवारा किया जायेगा, आयकर का बंटवारा किया जायेगा महज इस बात को लेकर किया जायेगा कि जो अविकसित, पिछड़े हुए और गरीब इलाके हैं उनको आगे बढ़ायें।

एक बात मैं और अर्ज करना चाहता हूं। जैसे सिंचाई है, निरक्षरता है, तो कुछ और विशिष्ट चीजों को लेकर हम अनुदान दे दें, यानी निरक्षरता को खत्म करने के लिए राज्यों को मदद दी जाय, उसी तरीके से सिंचाई के लिए मदद दी जाये। विशिष्ट उद्देश्यों के लिए हम मदद देंगे तो मेरा ख्याल है कि उसके बारे में हम लोग अच्छी तरक्की कर पायेंगे।

एक आखिरी बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं। यह जो फाइनेंस कमिशन की रिपोर्ट है उसमें कुछ लोगों ने कहा है कि इस कमिशन के अधिकार और योजना आयोग के अधिकार, दोनों में टकराव है। एक तो संविधान के अन्दर कानूनी रूप में बना है और दूसरे के लिए कोई संवैधानिक, यानी आईन का कानून का अधिकार नहीं है तो यह टकराव तो हो ही जाता है। अब या तो इन दोनों को मिला दिया जाये और उसको कानूनी अर्थात् संवैधानिक मान्यता दी जाये या फिर उसकी दो कमेटियां रहें। एक जो योजना का व्यापक काम है वह करे और दूसरा यह जो बंटवारे का काम है उस काम को करे लेकिन इनके बारे में कानूनी और संवैधानिक सफाई जरूर होनी चाहिए और हमारे देश में जो विषमतायें हैं गैर-बराबरी है शहरी और ग्रामीण लोगों के बीच, तरक्की किये हुए इलाके और पिछड़े इलाके के बीच, इन सब में समानता लाने के लिए इन अधिकारों का और हथियारों का इस्तेमाल किया जाये। बस इतना ही मुझे इस अवसर पर अर्ज करना था।

सरकार की प्राथमिकताएं*£

अध्यक्ष महोदय, मैं अपने सभी कटौती के प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं। उनकी संख्या 22 है। सब पढ़कर मैं समय बरबाद नहीं करना चाहता। अभी वित्त मंत्री साहब ने जो बजट पर बहस हुई उसका जवाब देते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं जो बिलकुल साधारण बातें थीं और इस सदन की दृष्टि से बेमतलब भी। जैसे उन्होंने कहा कि जिस तरह खेती का सुधार होना चाहिए उसी तरह औद्योगीकरण की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आगे चल कर यह कहा कि जिस तरह बड़े उद्योगों का हमें निर्माण करना है छोटे उद्योगों के बारे में भी हमें कुछ ख्याल करना चाहिए। यह तो बिल्कुल साधारण बातें हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस वक्त देश की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए किन चीजों को प्राथमिकता देनी चाहिए? इन चीजों के बारे में यह क्या करने वाले हैं? साथ-साथ वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वह विरोधियों के जरूर सुझाव चाहेंगे और उन पर अगला बजट पेश करते समय वह विचार करेंगे तो दो तीन बातें प्राथमिकता को लेकर मैं कहना चाहता हूं। बात बिल्कुल साफ है कि जब तक कि खेती की पैदावार बढ़ती नहीं और हमारी बुनियादी अन्न की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम बार-बार अमेरिका के पास झोली लेकर जाते रहेंगे तब तक न हिन्दुस्तान में आत्मसम्मान रह पायेगा और न कोई स्वतंत्र और निरपेक्ष विदेश नीति चल पायेगी। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि आज सबसे बड़ा सवाल यहां खेती की पैदावार का और अनाज की पैदावार का है। आज उत्तर प्रदेश में, बिहार में और दूसरे राज्यों में अकाल की स्थिति है। मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें सरकार का दोष नहीं है, अकाल की स्थिति इसलिए पैदा हुई कि पानी नहीं बरसा, तो वह दोष देते हैं—पानी नहीं बरसा— इस बात को, लेकिन आखिरकार सरकार का भी कुछ कर्त्तव्य होता है।

सरकार को इस बात को मद्देनजर रखना चाहिए था कि हिन्दुस्तान जैसे देश में हर साल पानी नियमित रूप से सभी जगह पड़ेगा, ऐसा तो सम्भव नहीं है इसीलिए हमारे जो सिंचाई के साधन हैं उनका विकास करके पानी की कमी को हमें पूरा करना चाहिए था। आज बिहार, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में क्या स्थिति है? कुएं खोदने के लिए आज मशीनों का अभाव है। मेरा ख्याल है कि बिहार सरकार के द्वारा ये सारी बातें केन्द्र सरकार के सामने रखी गई हैं। उसी तरह आज पम्पिंग सेटों का हमारे देश में अभाव है और ऐसे रद्दी किस्म के पम्पिंग सेट वितरित किये जाते हैं, कम से कम बिहार के बारे में मैं जानता हूं कि वे लगने के तत्काल बाद खराब हो जाते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वह कोई अगले बजट के समय में अपनी नीति निर्धारित करेंगे और आवश्यकता पड़े तो कानून आदि भी बनायेंगे कि उन तमाम फालतू चीजों

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 27 मार्च 1967.

£ जनरल बजट 1966-67 पर चर्चा में भाग लेते हुए।

की, खास कर जिनमें अय्याशी और विलासिता का सामान है या बड़े लोगों को आराम से जिन्दगी बिताने के लिए जिन चीजों, की जरूरत है उनकी पैदावार अगले 10-15 साल के लिए बिलकुल बन्द कर देंगे? हमारे देश में पैदावार के जो साधन हैं, जो पूंजी है वह सीमित है इन सारे साधनों को वे इन कामों के लिए लगायेंगे? जैसे कुएं आदि खोदने के लिए जिन मशीनों की जरूरत है वे मशीनें पैदा करें, पम्पिंग सैट बड़े पैमाने पर निर्माण करें और किसानों को कर्जा दे कर वे सस्ते में दिलाने की कोई योजना बनावें, कम दर पर बिजली का इन्तजाम करें। यदि ये सारे काम वे नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है कि प्राथमिकता का मामला बिलकुल गड़बड़ हो जाएगा और जो आर्थिक योजना सरकार बनाती है वह बिलकुल कभी सफल न हो पायेगी।

एक और बात इस संबंध में कहना चाहता हूं। मुझे इस बात का पता चला है कि बिहार सरकार के द्वारा केन्द्र सरकार के पास यह सुझाव रखा गया था और जैसाकि विरोधी दलों ने चुनाव के पहले भी यह मांग की थी और अपने घोषणा पत्रों में कहा था कि बिहार जैसे इलाके में जहां 20 प्रतिशत भी फसल पैदा नहीं हुई है ऐसे इलाकों में अकाल की स्थिति घोषित की जायेगी। बिहार सरकार चाहती थी कि बिहार के ऐसे सभी टापुओं में अकाल की घोषणा की जाये, लेकिन केन्द्र सरकार के द्वारा अड़ंगा डाला गया है, बिहार सरकार को मना कर दिया गया है। जब खाद्य मंत्री बिहार गये थे, अखबारों में यह बात निकली है कि बिहार सरकार से उनके द्वारा कहा गया है कि अकाल की स्थिति की घोषणा न की जाये। मैं वित्त मंत्री को याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन में पिछले एक डेढ़ साल से बराबर यह प्रश्न आता रहा और पिछले खाद्य मंत्री ने अन्त में इस बात को स्वीकारा था कि अगर फसल 25 प्रतिशत से भी कम है तो उस स्थिति को अकाल की स्थिति माना जायेगा और उसी पैमाने पर कार्यवाही की जायेगी। तो क्या वजह है कि केन्द्र सरकार इस स्पष्ट आश्वासन के बावजूद आज बिहार सरकार के द्वारा जो सुझाव दिया जाता है कि बिहार के कई इलाकों को अकाल क्षेत्र घोषित करने की इजाजत दी जाये, उस में बाधा उत्पन्न कर रही है। अकाल की स्थिति घोषित होने का क्या नतीजा होगा? आप सूरज को सूरज कहें, चांद को चांद कहें और रात को रात कहें और तमाम हिन्दुस्तान के नागरिकों से अपील करें कि अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए फलां-फलां काम हमको करना चाहिए, लेकिन ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं। क्या कारण दिया जाता है? दुनिया में हमारी बदनामी हो जायेगी कि स्वतंत्र भारत में भी अकाल पड़ता है। तो जो सही स्थिति है जो वास्तविकता है उस पर चद्दर डालने से काम नहीं बनता। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जहां सचमुच अकाल की स्थिति है उस स्थिति को स्वीकारा जाये और बड़े पैमाने पर अगले डेढ़-दो सालों में पम्पिंग सैंटों और कुएं खोदने की मशीनों का निर्माण किया जाये। टी.वी. सैट और एअर कंडीशनर, पीतल के बाथरूम के सामान जैसी चीजों का, चाहे सार्वजनिक क्षेत्र में हों या निजी क्षेत्र में हों, पैदावार पर तत्काल रोक लगायी जाये और सारी पूंजी और साधन आवश्यक कामों के लिए जुटाये जायें। आज विदेशी सहायता लेकर या विदेशियों के सहयोग से यहां पर कुछ उद्योग चालू करने की बात चल रही है लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि आज अनावश्यक चीजों के लिए विदेशियों की सहायता ली जा रही है, जैसे कोका कोला, चॉकलेट, आइसक्रीम, बिस्कुट आदि, इन कामों के लिए विदेशी पूंजी की सहायता आप लेते हैं, क्या नतीजा होता है? क्या ये सारी चीजें विदेशी

सहायता के बजाय हिन्दुस्तान में अच्छी तरह से पैदा नहीं की जा सकती हैं। विदेशी सहायता का मतलब होगा—विदेशी मुद्रा यहां से चली जायेगी विदेशों में। जब विदेशी मुद्रा का अभाव है तो इस तरह के विदेशों के साथ सहयोग के जो करार होते हैं, उनके ऊपर वित्त मंत्रालय और उद्योग मंत्रालय क्यों रोक नहीं लगा रहा है, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही है।

और भी बहुत सारे मामले हैं। अभी वित्त मंत्री जी ने कहा कि शासकीय खर्च हम कहां तक घटा सकते हैं और उससे कितना पैसा बच जाएगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि आज जैसे सुरक्षा मंत्रालय है सुरक्षा मंत्रालय पर 900 करोड़ रुपया हम लोग खर्च करते हैं, क्या वित्त मंत्री यह बता सकते हैं कि इस 900 करोड़ रुपये का सदुपयोग हो रहा है? आज सवेरे ही मैंने खराब टायरों का सवाल उठाया था और उसमें मैंने इन बातों को सबूत देकर साबित किया है कि इस तरह के खराब टायर सेना के द्वारा खरीदे जाने और उनका अग्रिम इलाके में भेजा जाना—एक भ्रष्टाचार और देशद्रोह का नमूना है। अगर सुरक्षा मंत्रालय के खर्च की छानबीन करने के लिए इस सदन की स्थायी समिति बनेगी और दूसरे मंत्रालयों के लिए भी बनेगी तो मेरा ख्याल है कि शासन सुधरेगा और यह जो फिजूलखर्ची चल रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है उसके ऊपर हम अच्छी तरह रोक लगा सकेंगे।

तीसरी लोक सभा में मैंने कई मामले उठाये थे जो कि अधूरे रह गये। अब नये वित्त मंत्री आये हैं नई सरकार बनी है। इसलिए उनमें से कुछ मामलों को मैं पुन: उठाना चाहता हूं। यह 9 नवम्बर की बात है, यहां पर चुनाव कानूनों के संबंध में बहस चल रही थी। इस बहस में हिस्सा लेते हुए मैंने यह चेतावनी दी थी कि आज वित्त मंत्रालय में जो बातें हो रही हैं—मैंने बर्ड एंड कम्पनी का जिक्र किया था और कहा था कि मुझे खबर मिली है कि नई सरकार बनने के पहले बर्ड एंड कम्पनी का जुर्माना घटाया जायेगा उसके लिए साजिश की जा रही है और जो साजिश थी वह उस वक्त मैंने बताई थी कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन को व्यापार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव की जगह दी गई है और दूसरे जो रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य हैं—आनन्द साहब, उनको आश्वासन दिया गया है कि आपके पद को भी बढ़ोत्तरी मिल जायेगी और बर्ड एंड कम्पनी पर जो 1 करोड़ 65 लाख का जुर्माना हुआ था उसको एक करोड़ से अधिक रकम से घटाया जायेगा।

*** *** ***

...मैंने प्रधान मंत्री को चिट्ठी लिखी थी और 9 नवम्बर को कहा था और चेतावनी दी थी कि आप इन सारी घटनाओं पर नजर रखिए इसको आप प्रकाशित न कीजिए दो-चार महीने के बाद पता चल जायेगा कि मेरी वाणी सही निकली।

*** *** ***

*** *** ***

सभापति महोदय, 13 मार्च के पहले यानी पुराने वित्त मंत्री के हटने के पहले जैसी मैंने भविष्यवाणी की थी उसी तरह हुआ और बर्ड एंड कंपनी का जुर्माना जो एक करोड़ 65 लाख रुपये था वह घटा कर 40-45 लाख रह गया है। जब इस तरह के काम होते हैं तो इसमें सरकार

को घाटा होता है। एक ओर अच्छे कामों के लिए सरकार कहती है कि पैसा नहीं है लेकिन इस तरह के भ्रष्टाचार के काम जब हो जाते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं उनको या तो नौकरी से फौरन हटा देना चाहिए या उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए।

इसी तरीके से व्यापार मंत्रालय के संबंध में मैंने कई मामले उठाये थे। इस प्रकार के कटौती प्रस्ताव भी मैंने दिये हैं। एक मामला सल्फर का गंधक का उठाया था और मैंने यह कहा था कि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन के द्वारा बिलकुल गैर-जिम्मेदाराना ढंग से सल्फर के बारे में यह कहा गया कि अब निजी क्षेत्र में सल्फर का आयात नहीं होगा सारा काम स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन करेगी। सल्फर की सप्लाई के लिए एक ऐसी अमरीकी कम्पनी के साथ करार किया गया कि जिस कम्पनी का सल्फर के व्यापार से कभी भी संबंध नहीं था। औरतों के जूते मंगाने का काम यह कम्पनी करती थी। लाखों रुपयों की विदेशी मुद्रा हमारी बर्बाद हो गई है और उसके बाद उनको अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। आज सार्वजनिक क्षेत्र की बदनामी इसलिए हो रही है कि यह जो वर्तमान हुकूमत है उसने अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, फिजूलखर्ची इन सारी चीजों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र को बिलकुल बर्बाद कर डाला है।

अभी-अभी वित्त मंत्री ने रूस का हवाला देते हुए कहा कि वहां भी अप्रत्यक्ष करों के द्वारा ही सरकार अपना खर्चा चलाती है। मैं एक बात वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो रूस और पूर्वी यूरोप के देश हैं या पश्चिमी यूरोप के पूंजीवादी देश हैं इन देशों में जो वेतन में अन्तर है और हमारे देश में साधारण लोगों के वेतन और बड़े लोगों के वेतन श्रेणियों में और खर्चे में जो अंतर है उसकी ओर भी वह ध्यान दें। जैसे शिक्षा का क्षेत्र आप लीजिए। प्राथमिक शिक्षक को जो तनख्वाह या दूसरी सुविधाएं यहां मिलती हैं और विश्वविद्यालयों के जो बड़े उपकुलपति हैं, वाइस चांसलर्स हैं उनको जो पैसा मिलता है, भत्ता मिलता है, तनख्वाह मिलती है, सुविधाएं मिलती हैं उनमें वह तुलना करें। इसी तरीके से सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं, मामूली सफाई करने वाले मजदूरों की जो आमदनी है और खर्चा है और जो बड़े-बड़े मैनेजर हैं व्यवस्थापक हैं या डायरेक्टर्स हैं उनकी जो आमदनी और खर्चे हैं उसकी वह तुलना करें और तौलनिक के आंकड़े रखें। उसी तरीके से सरकारी नौकरी में मैं कहूंगा कि हमारे एक मामूली चपरासी को जो तनख्वाह मिलती है और जो बड़े सचिव हैं उसको जो तनख्वाह और सुविधाएं मिलती हैं, बंगला और मोटरगाड़ी मिलती है, उन चीजों की कोई पैसे के रूप में उसकी कीमत क्या है, यह बतायें और इसकी रोशनी में रूस में क्या स्थिति है, इंग्लैंड में क्या स्थिति है, यूगोस्लाविया में क्या स्थिति है और स्वीडन में क्या स्थिति है उसका चित्र, वित्त मंत्री को, जब उनको मौका मिले तब सदन के सामने रखें।

केवल दूसरे देशों का हवाला एक छोटा-सा मैं दूंगा। दूसरे देशों में विशेषत: समानता और बराबरी के बारे में आज दुनिया के जितने प्रगतिशील देश हैं वे बहुत आगे बढ़े हैं? यह भारत दुनिया का सबसे गरीब देश है लेकिन आज इस देश में जितनी आर्थिक विषमता है, असमानता है दुनिया के किसी भी देश में नहीं होगी। ऐसा कोई नहीं कह रहा है, ऐसा केवल मूर्ख आदमी ही कहेगा कि अमीरों का पैसा लेकर उसका बंटवारा करो। यह बिलकुल गलत बात है। वित्त मंत्री

सदन को गुमराह न करें। देश को गुमराह न करें। मैं यह कह रहा हूँ कि बड़े लोगों की आमदनी और खर्चे में और गरीब की आमदनी और खर्चे में, खेतिहर मजदूरों की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि अगर पिछले बीस सालों में किसी की आमदनी घटी है तो खेतिहर मजदूरों की घटी है उनकी तो मैं चर्चा ही नहीं करता, जो गैर-बराबरी है उसको समाप्त करके जो पैसा बचेगा जो पूंजी बचेगी वह जब तक आवश्यक काम हैं उन्हीं कामों के लिए नहीं लगायी जाती है, देश की तरक्की नहीं होगी। मुझे आशा है कि वित्त मंत्री जी अगला बजट पेश करते समय इन बातों का ख्याल करेंगे।

सूती कपड़े के निर्यात को बढ़ावा*£

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बिलकुल कानून और नियमों की मर्यादा के अन्दर बोलने जा रहा हूं। वैसे मैं इस पर बोलना नहीं चाहता था लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनका कि कपड़े के निर्यात से सीधा संबंध है और जिसका जिक्र यहां पर नहीं किया गया। लेकिन उसके पहले मैं तीन बातों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यह है कि हिन्दुस्तान में मिलों के द्वारा जितना कपड़ा पैदा किया जाता है उसमें से कितना हिस्सा निर्यात होता है उससे संबंधित आंकड़े मैं केवल एक ही वाक्य मैं आपको पढ़ कर सुनना चाहता हूं जिसमें यह बात बिलकुल साफ तौर पर प्रकट होती है कि निर्यात तेजी से घट रहा है।

कॉमर्स सप्लीमेंट में से मैं यह पढ़ कर सुना रहा हूं:

> "It fell from 19.8 per cent in 1951 to 16 per cent in 1955 to 11 per cent in 1962 and to 10.1 per cent in 1966".

इस तरीके से आप देखेंगे कि 51 के बाद वह करीब-करीब 9 प्रतिशत घटा है। उसी तरह हमारे देश में जो कुल निर्यात यहां से होता है उसमें कपड़े का हिस्सा पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था वह भी साढ़े 3 प्रतिशत इन वर्षों में घटा है।

तीसरी चीज यह कि दुनिया में कुल कपड़े का जो निर्यात होता है, जो कपड़े का व्यापार होता है, उसमें भी हमारा हिस्सा घटता जा रहा है जबकि पाकिस्तान का, जापान का, हांगकांग का व अमरीका का बढ़ता जा रहा है। इसलिए हर दृष्टि से देखने से ज्ञात होता है कि हमारा निर्यात घटता जा रहा है। आखिरकार इसका कारण क्या है? एक सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बीच में यह सूती कपड़े के बारे में जो निर्यात प्रोत्साहन योजना बनाई गई थी इनके भूतपूर्व मंत्री द्वारा, मनुभाई शाह के द्वारा, वर्तमान उप-मंत्री शायद उस वक्त उस मंत्रालय में थे। उनकी इस योजना के कारण निर्यात पर बहुत बुरा असर हुआ है। मैं कई दफा इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि इसमें निर्यात बिलकुल फर्जी होता था और उसके बदले में, एवज में इनको जो इम्पोर्ट लाइसेंसेज मिल जाते थे वह ऐसी चीजों के मिल जाते थे जिनके कि ऊपर कभी-कभी प्रीमियम 600 या 800 तक होता था। मैं प्रमाण के साथ इसको साबित कर चुका हूं और मैंने मांग भी की है कि इसके लिए जिम्मेदार अफसर टैक्सटाइल कमिश्नर दुरईस्वामी साहब के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। उनके खिलाफ मैंने कई दफे मंत्री साहब के सामने चार्जशीट पेश की है आज पता नहीं है कि यहां हाउस में दिनेश सिंह साहब क्यों नहीं हैं। मैंने प्रमाण के साथ साबित किया है कि

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 14 नवम्बर 1967.

£ सूती कपड़ा (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) (निरसन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

दुरईस्वामी इतने अयोग्य और भ्रष्ट अफसर हैं कि उनके रहते हुए अगर हमारा निर्यात चौपट हो रहा है तो उसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। मंत्री महोदय ने मुझे लिखा है कि अगर आप *प्राइमा फेसी* केस उनके खिलाफ बनायेंगे तो मैं जरूर कार्यवाही करूंगा। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि मैंने एक बिना पर नहीं बल्कि कम से कम 7 आरोप लगा कर प्रमाण के साथ यह साबित किया है। लेकिन दो सत्रों के बीच में मुझे पता चला है कि मेरे द्वारा जो आरोपपत्र दिये गये थे उसका केवल इतना नतीजा हुआ है कि उस अफसर का तबादला किया गया है। उसके खिलाफ एक क्रिमिनल केस भी दायर हो चुका है। उसको गृह मंत्रालय दबा रहा है। जब एक आदमी के खिलाफ क्रिमिनल केस किया जाता है तो क्या वह *प्राइमा फेसी* केस हुए बगैर किया जाता है? आज मैं चाहता था कि श्री दिनेश सिंह यहां पर मौजूद होते। पता नहीं वह यहां से क्यों उठ कर चले गये? इसका खुलासा होना चाहिए कि यह जो पापी अफसर है जिसने कि हमारे निर्यात व्यापार को और कपड़ा उद्योग को चौपट करने के काम में पहल की है उसके खिलाफ क्या कार्यवाही अब तक की गई है और यह गृह मंत्रालय इस मामले को क्यों दबा रहा है उस अफसर का तबादला करने के बजाय उसको नौकरी से या तो निकाल देना चाहिए या उसके खिलाफ कार्यवाही जब तक पूरी नहीं हुई है उसको मुअत्तिल कर देना चाहिए। निर्यात प्रोत्साहन योजना के बारे में इस तरीके की बातें हुईं। उन चीजों को मैं दुहराना नहीं चाहता लेकिन उसकी सफाई मैं जरूर चाहता हूं क्योंकि उसका सीधा संबंध हमारे निर्यात व्यापार से है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक दूसरी बात का भी यहां उल्लेख नहीं हुआ। मैंने मंत्री महोदय को चिट्ठी लिखकर कहा है कि मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान का व्यापार एक दो देशों के साथ नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के साथ बढ़े। उसमें मैं पूर्वी यूरोप के देशों को भी शामिल करता हूं। मेरी यह इच्छा है और मेरा यह ख्याल है कि और इस सदन की भी यह इच्छा होगी कि पूर्वी यूरोप के साथ भी हमारा व्यापार बढ़े। हम लोग चाहते हैं कि व्यापार बढ़े। व्यापार बढ़ने का मतलब है कि हमारे हित को मद्देनजर रखते हुए यह सारा काम होना चाहिए। मुझे आज खेद के साथ कहना पड़ता है कि पूर्वी यूरोप के साथ हमारा इस वक्त जो व्यापार चल रहा है उसमें मुनाफे की और देश हित की दृष्टि व्यापार मंत्रालय के द्वारा नहीं रखी जाती है।

कुछ दिन पहले उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि मैंने हंगरी के साथ सूत के निर्यात के बारे में इन्होंने जो करारनामा किया था उसका जिक्र किया था और उन लोगों को यह कबूल करना पड़ा, जब मैंने बार-बार यह सवाल उठाया कि 45 लाख का उन्होंने उनके साथ सौदा किया जिसमें कि हमारे मुल्क को 6 लाख का घाटा हुआ। इसके लिए मैं स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन को जिम्मेदार ठहराना चाहता हूं कि उसमें हमें मुनाफा होने के बजाय 6 लाख रुपये का घाटा हुआ। हंगरी के साथ यह हुआ।

मेरे पास अधिकारिक सूत्रों से खबर आई है कि आज पश्चिमी यूरोप में हमारे यह कपड़े का निर्यात व्यापार इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि पूर्वी यूरोप के देशों को जो कपड़ा हम बेचते हैं वही कपड़ा पूर्वी यूरोप के देश सारे सिद्धांतों और परम्पराओं को तोड़ कर सीधे जाकर दूसरे देशों में बेचते हैं जहां हम अलग से अपना कपड़ा बेच सकते हैं। जब आप सदन को और देश को गुमराह करते हैं जो पूर्वी यूरोप के देशों के साथ हमारा व्यापार बढ़ रहा है, मैं भी चाहता

हूं कि हम अपना व्यापार बढ़ायें लेकिन उसका हरगिज यह मतलब नहीं होना चाहिए कि वह लोग सीधे सस्ते में कपड़ा हमसे आकर ले लें और पश्चिमी यूरोप के देशों में उसे ले जाकर बेचें। इसको मैं व्यापार कहने के लिए तैयार नहीं हूं। आज मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जब मैंने उनको चिट्ठी लिखी तो उन्होंने मुझको लिखा कि मेरे पास आकर इस विषय के संबंध में बातचीत करो। लेकिन मंत्री और मेरे बीच का यह मामला नहीं है, यह समूचे देश का मामला है। इसलिए आज मैं सीधे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारे किसी विदेशी दूतावास से उनके पास कोई पत्र आया है, या उस दूतावास से किसी दूसरे हमारे दूतावास को पत्र गया है जिसमें इस तरह के उदाहरण सरकार के ध्यान में लाये गये थे? अगर इस तरह का पत्र गया है तो उसके बारे में सरकार ने क्या किया? यूगोस्लाविया में भी ऐसा ही हुआ है, जूट के व्यापार को लेकर हुआ है और कपड़े के व्यापार में भी हुआ है। अगर हम इस तरह से पूर्वी यूरोप के देशों के साथ या दूसरे देशों के साथ व्यापारिक रिश्ता कायम करना चाहते हैं तो मैं इसको व्यापार कहने के लिए तैयार नहीं हूं। जब यह कानून हम पास करने जा रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात का खुलासा करें।

उन्होंने कहा कि मिलों का कोई कुसूर नहीं है, हमें कोई मौका ही नहीं मिला कि उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। अगर मिलों का कोई कुसूर नहीं है तो फिर हमारा निर्यात क्यों घट रहा है? शायद वह कहेंगे कि स्पर्द्धा बहुत ज्यादा है। आज हांगकांग और पाकिस्तान, जहां कपड़े का उद्योग पहले नहीं था, आगे बढ़ रहे हैं, तब हिन्दुस्तान के कपड़े का व्यापार क्यों घट रहा है? यह कहने की कोई जरूरत नहीं कि औद्योगिक युग के पहले हिन्दुस्तान के कपड़े की बराबरी या मुकाबला दुनिया का कोई भी देश नहीं कर सकता था। मैं समझता हूं कि यह कहना भी ठीक नहीं है कि चूंकि औद्योगिक पैमाने पर यांत्रिक पैदावार यूरोप में शुरू हुई इसीलिए हमारा धन्धा खत्म हो गया। ऐसा नहीं हुआ है। उन देशों ने रोक लगाई है और राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करके हमारे उद्योग को दबाया आज हमारा मुल्क आज़ाद हो गया है। तब क्या वजह है कि आप का व्यापार मंत्रालय और आपका स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन कपड़े के भारतीय निर्यात को बढ़ाने के बजाय ऐसी-ऐसी योजनाएं ला रहे हैं, ऐसी ऐसी नीतियां अपना रहे हैं, जिनसे यह व्यापार चौपट होता जा रहा है?

आज दुनिया का कोई देश, चाहे वह कम्युनिस्ट हो, चाहे सोशलिस्ट हो या पूंजीवादी हो, हमेशा व्यापारिक सिद्धांतों और देश के हित को ध्यान में रखता है। आज क्या हम इतने अमीर हो गये कि पूर्वी यूरोप के देशों को या दूसरे देशों को हम सस्ते में माल दे दें और एक तरह अपने निर्यात व्यापार का एक हिस्सा उनको दें। अगर मंत्री महोदय इस बात का कोई खुलासा करेंगे तो उसमें व्यापार मंत्रालय का भी भला है और देश का भी भला है।

आयात-निर्यात कानून का नियमन*£

अध्यक्ष महोदय, प्रथम वाचन के समय मेरे भाषण को बीच में ही रोक दिया गया था। आज मैं अपने मुद्दों को पेश करना चाहता हूं।

उस रोज मैं यह अर्ज कर रहा था कि नेपाल के साथ 1966 में जो मैमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, उसके बारे में इम्पोर्ट कंट्रोल हैंडबुक में उल्लेख तक नहीं है। मेरा पहला सुझाव यह है कि वर्तमान अनुच्छेद 176 में निम्न प्रकार परिवर्तन किया जाये:

> "Imports and exports of goods from and to Nepal are allowed without import and export control restrictions provided they are either the produce or manufactures based principally on raw material of respective countries. However, synthetic fabrics worth upto Rs. 90 lakhs and stainless steel products worth upto Rs. 30 lakhs would be allowed to be imported into India free of duty every year in terms of the agreement of 18th November, 1968 but these goods would have to be stamped by the Customs Department or S.T.C."

असल में यह करार मुझे पसन्द नहीं है, लेकिन चूंकि सरकार यह करार कर चुकी है, इसलिए उसके दायरे में जो कुछ किया जा सकता है, उसको दृष्टि में रखते हुए मैं यह सुझाव दे रहा हूं।

विदेशों के साथ भारत का जो निर्यात व्यापार होता है, उससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है, जिसकी हमें निहायत आवश्यकता है। आप जानते हैं कि ग्रे कपड़े के निर्यात से हमें काफी विदेशी मुद्रा मिलती है, लेकिन अब वह ग्रे कपड़ा नेपाल के जरिये विदेशों में जा रहा है, जिसके कारण हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जनवरी 1967 में हमारे यहां से 1,04,00,000 मीटर ग्रे कपड़ा नेपाल में निर्यात होता था, लेकिन नवम्बर, 1968 तक, यानी सत्रह-अठारह महीनों में, वह करीब-करीब तीन गुने से भी ज्यादा हो गया, अर्थात् 3,55,00,000 मीटर हो गया। नेपाल में कोई ब्लीचिंग हाउस नहीं है। वे लोग ग्रे कपड़ा लेकर क्या करते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि वे इस कपड़े को अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले रहे हैं, बल्कि वे इसको विदेशों में बेचते हैं, जिसके परिणामस्वरूप हमें जो विदेशी मुद्रा मिलनी चाहिए, वह नहीं मिलती है। सरकार को इस बारे में भी विचार करना चाहिए।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 22 मार्च 1969.

£ सीमा शुल्क (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

सरकार ने इस विधेयक में चार स्थानों पर अपने हाथ में बहुत ज्यादा अधिकार ले लिये हैं, जिनका संबंध नियम बनाने से है। सेक्शन 11बी में सरकार ने यह अधिकार अपने हाथ में ले लिया है कि वह ऐसी चीजों की लिस्ट प्रकाशित करें, जिनके तस्कर व्यापार का खतरा है। मैंने सरकार को नेपाल के बारे में जो पत्र लिखा था, उसमें मैंने कई चीजों के नाम गिनाये थे, जिनकी पैदावार अब नेपाल में होगी—नेपाल के कच्चे माल के आधार पर नहीं, बल्कि विलायत से कच्चा माल ला कर वे लोग ये चीजें बनायेंगे। मैंने इस संबंध में पत्र-व्यवहार की जो किताब छापी है, जिसकी नक्ल मैंने आपको दी है, उसके पृष्ठ 68 पर जो चीजें बताई गई हैं, सरकार के नोटिफिकेशन में भी करीब-करीब उसी तरह की चीजें हैं।

क्या वजह है कि सरकार नेपाल की सीमा पर यह कानून लागू नहीं कर रही है? सरकार ने इस बारे में अपने हाथ में अधिकार ले लिया है, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि उस अधिकार का ठीक इस्तेमाल होगा? सरकार ने सेक्शन 11 एच में 100 किलोमीटर की बात मान ली है। लेकिन जमीन की सीमा पर वह लागू होगा या नहीं, इस बात को सरकार ने अपने हाथ में रखा है। क्या मंत्री महोदय यह स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वह एक नया नोटिफिकेशन निकाल कर इस खंड को, प्रोविजन को नेपाल की सीमा पर और दूसरी जमीन की सीमा पर, जिसको लैंड बार्डर कहते हैं, लागू करेंगे?

किन चीजों को छूट मिलनी चाहिए, यह तय करने का अधिकार भी सरकार ने अपने हाथ में रखा है। सरकार को इस बारे में कुछ तो वर्गीकरण बताना चाहिए था। मैं समझता हूं कि इस प्रकार बहुत ज्यादा अधिकार अपने हाथ में लेना अच्छा नहीं है। मैं कोई कानूनी आपत्ति नहीं उठा रहा हूं, बल्कि मैं औचित्य की दृष्टि से कह रहा हूं। इस बारे में कुछ वर्गीकरण जरूर बताना चाहिए कि किन चीजों को छूट दी जायेगी और किन चीजों का समावेश किया जायेगा। इन सब बातों का खुलासा होना चाहिए।

सरकार ने वर्तमान कानून के तहत नेपाल के माल को केवल कस्टम ड्यूटी से छूट दी है, लेकिन विदेशों से आयी चीजों के बारे में जो इत्तिला देने की बात है, उसके संबंध में कोई छूट नहीं है। मैंने श्री मोरारजी देसाई को 17 मार्च को जो पत्र लिखा है, उसके बारे में मंत्री महोदय कार्यवाही करें और फैसला करें। आज क्या होता है कि दूसरे देशों से जो माल लाया जाता है, उस पर नेपाल वाले एक मुहर लगा कर यह घोषित करते हैं कि वह नेपाली माल है। नेपाल से जो माल आता है, उस पर कोई प्रतिबंध या रोक नहीं है या तो सरकार एस.टी.सी. की मार्फत वह माल मंगवाये और या उन पर कस्टम्ज डिपार्टमेंट की मुहर लगवाये। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है।

इसका नतीजा क्या होगा? जिस उद्देश्य को लेकर आपने यह कानून बनाया है, वह बिलकुल असफल हो जायेगा। जो तस्कर व्यापार करने वाले हैं, उनका यह कहना है कि हमने यह माल नेपाल से मंगवाया है, बस मामला यहीं खत्म हो जाता है।

इस विधेयक का दूसरा मकसद है—चांदी का जो निर्यात चल रहा है, उसको भी रोकना। अब मैं मंत्री महोदय को जांच के लिए एक विषय दे रहा हूं। मुझे पता चला है कि बम्बई के

बाजार में यह अफवाह फैली थी कि 23 दिसम्बर को आपका आर्डिनेन्स आयेगा—इससे चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव होने लगा, तब कुछ लोगों ने जिनको पता था कि आर्डिनेन्स 3 जनवरी को आने वाला है, उन्होंने बहुत सस्ते में चांदी खरीदी और जब महंगी हो गई और लोगों को ऐसा लगा कि आर्डिनेन्स नहीं आ रहा है, तब बेच डाली। उसके बाद 3 जनवरी को यह आर्डिनेन्स आया और इसका नतीजा यह हुआ कि दाम 38 रु. एक किलो के पीछे गिर गये। इसके बारे में 'इकोनॉमिक टाइम्स' कहता है:

> "The sharp fall in silver and the rise in gold prices are a direct result of the ordinance."

तो क्या आप इस बात की जांच करेंगे कि आर्डिनेन्स 3 तारीख को आ रहा है, इस गुप्त बात का कुछ लोगों को कैसे पता चला और जिस को लेकर चांदी में उन्होंने जो व्यवहार किया, उससे लाखों रुपये इन लोगों ने कमाये? बजट के बारे में कोई चीज गुप्त नहीं रहती, आर्डिनेन्स निकलता है, वह गुप्त नहीं रहता, मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार को क्या हो गया है। इस साल मैंने लन्दन इकानामिस्ट में पढ़ा था कि हाउस आफ कामन्ज में भी बजट लीकेज का मामला आया था और सबूत न दिये जाने पर भी उन्होंने इस सवाल को एक विशेष कमेटी के पास भेजा है। इस समय मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि क्या इस तरह से तेजी मंदी को लेकर और आर्डिनेन्स के निकलने की तारीख की जानकारी के आधार पर लाखों रुपये का व्यवहार हुआ है और कुछ लोगों ने मुनाफा कमाया है उसकी वे जांच करेंगे? वह इसका अपने उत्तर में खुलासा करें।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के उद्देश्यों से मैं सहमत हूं, लेकिन मुझे इस बात को लेकर घोर आपत्ति है कि सरकार ने इस कानून के अन्दर नियम बनाने के नाम पर, आयात-निर्यात को नियमित करने के नाम पर बहुत ज्यादा अधिकार अपने हाथ में ले लिये हैं। क्या सरकार इस संबंध में जो भी नियम उनको बनाने हैं, जल्द बना कर सदन के सामने लायेगी ताकि सदन को उनके ऊपर बहस करने का मौका मिले?

बैंकों का राष्ट्रीयकरण*£

अभी प्रधान मंत्री जी ने बड़ी ताकत के साथ कहा कि राष्ट्रीयकरण का जो विधेयक है वह टोटली जस्टिफाइड है। मतलब यह कि इसके बारे में उनके मन में बिल्कुल सन्देह और दुविधा नहीं है। लेकिन असल में बात क्या है? 10 जुलाई को प्रधान मंत्री एक नोट वर्किंग कमेटी के सामने भेजती हैं और आर्डिनेन्स निकलता है 19 तारीख की शाम को।

*** *** ***

...उस नोट में प्रधान मंत्री के विचारों पर रोशनी डाली गई है। 10 जुलाई को उनके दिमाग में क्या विचार थे?

वह कहती है कि:

> "Either we can consider the nationalisation of the top five or six banks or issue directions that the resources of banks should be reserved to a larger extent for public purposes."

इसके बारे में कहा कि ऐसे उनके दिमाग में विचार आए हैं और उन्होंने जल्दी में उनको लेखबद्ध किया। दस जुलाई को भी उनके दिमाग में इसके बारे में दुविधा थी कि पांच छः प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए या सामाजिक नियंत्रण को जो आज है उसको और मजबूत किया जाए। नौ दिनों में ऐसी कौन सी बात हुई जिससे सन्देह खत्म हुआ और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विचार परिपक्व हुआ, पक्का हुआ और केवल पांच छः बैंकों के बारे में ही नहीं, चौदह बैंकों के बारे में। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो काम किया गया है इसका मैं स्वागत करता हूं क्योंकि मैं राष्ट्रीयकरण का समर्थन करने वाला आदमी हूं लेकिन इसके पीछे जो भावना है, जो मकसद है, जो राजनीति है, उसको हम लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए।

बैंगलोर में यह नोट इसलिए भेजा गया था कि कांग्रेस के अंतर्गत जो सत्ता संघर्ष था इस सत्ता संघर्ष में प्रधान मंत्री नहीं चाहती थीं कि भूतपूर्व अध्यक्ष कामराज और गृह मंत्री चव्हाण साहब इन लोगों के साथ जायें। इसलिए उन्होंने यह नोट उनके सामने रख दिया। नोट रखने का नतीजा यह हुआ कि कामराज साहब ने और चव्हाण साहब ने नोट का समर्थन किया और ये लोग बड़ी तकलीफ में पड़े। फिर इन लोगों ने चव्हाण साहब के जरिए एक मिला-जुला प्रस्ताव पास किया और इन लोगों ने फैसला किया कि संगठन के स्तर पर प्रधान मंत्री का मुकाबला करेंगे। इसलिए

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 29 जुलाई 1969.

£ 'बैंकों का राष्ट्रीयकरण विधेयक', 1969 पर चर्चा में भाग लेते हुए।

राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में पार्लियामेंटरी बोर्ड ने चार के विरुद्ध दो मतों से श्री संजीव रेड्डी के बारे में निर्णय किया। उसका यह नतीजा हुआ कि इनकी यह जो हार हुई इस हार को विजय में परिणत करने के लिए इन्होंने सोचा कि एक ऐसा काम किया जाए जिससे इन लोगों में भगदड़ मचे और उन्नीस तारीख को यह आर्डिनेंस निकाल दिया गया। यह सत्य बात है, कोई इसको काट नहीं सकता है।

अब प्रधान मंत्री का उद्देश्य अगर क्रांतिकारी होता, अगर वह बुनियादी परिवर्तन चाहती तो जिस ढंग से उन्होंने काम किया है उस ढंग से काम नहीं करतीं। बैंकों के बारे में उनका रेडियो भाषण मैंने सुना है। अकसर मैं रेडियो नहीं सुनता और खासकर मंत्रियों के भाषण को नहीं सुनता। लेकिन उस दिन ऐसा लगा कि अगर यह इतना बड़ा काम था तो उनके भाषण में कुछ ओज होना चाहिए था, कुछ उत्साह दिलाने वाली बात होनी चाहिए थी लेकिन ऐसा लगता था कि प्रधान मंत्री रो रही हैं। इससे साफ होता है कि कोई नक्शा नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई कार्यक्रम नहीं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मैं समर्थन करता हूं। लेकिन साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि जो लोग कविताओं की रचना करके हमको बता रहे हैं कि नवयुग आ रहा है, समाजवाद आ रहा है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि स्वयं प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में कहा, रेडियो ब्राडकास्ट में कहा है कि राष्ट्रीयकरण का कोई नया युग नहीं शुरू हो रहा है।

*** *** ***

फ्रांस में राष्ट्रीयकरण हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि फ्रांस में पूंजीवाद खत्म हुआ या पूंजीवाद पनपा है? पिछले बीस सालों में फ्रांस में आर्थिक एकाधिकारशाही कम हुई है या आर्थिक एकाधिकारशाही बढ़ी है? हिन्दुस्तान के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं और बार-बार इस सवाल को हम लोगों ने उठाया है कि आज चार पांच ऐसी संस्थायें हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में हैं लेकिन इसके बावजूद इन सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल गरीबों के लिए, काश्तकारों के लिए, कारीगरों के लिए, छोटे लोगों के लिए नहीं हुआ है, चाहे ये संस्थाएं निजी क्षेत्र में हों या सरकारी क्षेत्र में हों। इसका फायदा तो बिड़ला, टाटा, मफत लाल आदि लोगों को ही मिलने वाला है। इसलिए शायरी करने वाले जो लोग हैं, दरबारी कविताएं रचने वाले जो लोग हैं उनसे मैं कहूंगा कि बुनियाद में चलिए, फिर आपको पता चलेगा।

अभी कुछ ही दिन पहले सवाल पूछे गये कि पिछले तीन सालों में उद्योग करने वाली बड़ी-बड़ी कम्पनियों के समूहों की जायदाद में कितनी वृद्धि हुई। स्वयं श्री मोरारजी देसाई ने उस प्रश्न का जवाब देते हुए बताया कि 1964 में बिड़लाज के एसेट्स 292 करोड़ के थे, जबकि 1966-67 में वे 480 करोड़ हो गये, अर्थात् उनमें 64 प्रतिशत इजाफा हुआ। टाटा के बारे में बताया गया कि वे 417 करोड़ से बढ़कर 547 करोड़ हो गये, अर्थात टाटा के असेट्स 31 प्रतिशत बढ़े। मफत लाल ने तो कमाल कर दिया! 1964 में उसके असेट्स 46 करोड़ भी नहीं थे, लेकिन 1966-67 में वे 106 करोड़ हो गये, अर्थात् उनमें 131 प्रतिशत वृद्धि हुई और जब उससे आगे के दो साल के ताजा आंकड़े आयेंगे तो आप को पता लगेगा कि उनके असेट्स ढाई या तीन गुना बढ़ गये हैं।

जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, डैवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन और स्टेट बैंक, ये सब सरकारी क्षेत्र की संस्थायें हैं। इन्होंने किन लोगों को कर्जा दिया है? क्या इन्होंने काश्तकारों और अन्य छोटे आदमियों को अपने दरवाजे तक आने दिया है? मैं कहना चाहता हूं कि इन सब संस्थाओं की ओर से हमेशा बड़े लोगों को कर्जा मिला है।

इसलिए मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि बैंकों की मिल्कियत सरकार की है या नहीं, यह महत्व का सवाल नहीं है, बल्कि सरकार किसकी है, यह महत्व का सवाल है। जब तक गरीबों और साधारण लोगों की सरकार नहीं है, जब तक बड़े लोग शासन, सरकार और नौकरशाही के मालिक हैं, तब तक कोई बुनियादी परिवर्तन होने वाला नहीं है। इसके पीछे जो राजनीति है, वह सत्ता-संघर्ष की राजनीति है।

मैंने श्री मोरारजी देसाई और श्री चव्हाण को कई दफा लिखा है, और कहा भी है, कि मैं नहीं मानता कि प्रधान मंत्री आर्थिक नीति में इन से ज्यादा प्रगतिशील हैं, लेकिन इन दोनों से वह ज्यादा चालाक हैं। मैंने श्री देसाई को 1 मई को यह लिखा था। क्या याद है उन्हें? उन्होंने उस वक्त अपनी बड़ी निष्ठा दिखाई थी।

*** *** ***

उस वक्त हमारे भूतपूर्व उप-प्रधानमंत्री ने एक प्रेस कांफ्रेंस बुला कर कहा कि आपके कहने पर मैं नहीं जाऊंगा, प्रधान मंत्री के कहने पर मैं जा सकता हूं। लेकिन अब बिना कहे इनको जाना पड़ा। क्या मतलब है इसका? इस का मतलब यह है कि यह सत्ता संघर्ष है। यह सिद्धांतों का टकराव नहीं है। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह प्रतिक्रियावादी हैं और वह प्रगतिशील हैं। हां, अगर इन लोगों के गिरोह-संघर्ष में देश का आधा कदम भी आगे जाता है, तो मैं उसका जरूर फायदा उठाऊंगा। अब 1 अगस्त को हमारी पार्टी के नेता रवि राय का प्रस्ताव आ रहा है राजाओं के निजी कोष के बारे में। इनके प्रस्ताव पर खरी कसौटी का अवसर आयेगा कि कौन तुर्की है, कौन अफगान है, कौन अंग्रेज है, सबका पता चलेगा। मैं इनको चुनौती देता हूं कि अगर आप राजाओं के दलाल नहीं हैं, अगर आप समाजवाद के प्रेमी हैं, अगर आप समानता का युग लाना चाहते हैं तो हिम्मत करो, कमर बांधकर हमारे सामने आओ... स्वयं तारकेश्वरी जी ने यहां प्रस्ताव दिया है। मैं विनती करूंगा आप वापस न लीजिएगा और वोट देने की हिम्मत दिखाइएगा। मैं इस बिल के बारे में क्यों चाहता था कि यह ज्वाइंट कमेटी में जाये। इसका एक मात्र कारण यह था कि इसके एक सिद्धांत को यानी क्लाज (4) को मैं मानता हूं:

> "On the commencement of this Act, the undertaking of every existing bank shall be transferred to, and shall vest in, the corresponding new bank."

इसके अलावा इसमें कोई अच्छी बात नहीं है। आप व्याख्या देखिए। बैंकिंग कम्पनी, एग्जिस्टिंग, मौजूदा बैंक की जो परिभाषा है उसमें विदेशी बैंकों को छोड़ दिया है। अभी प्रधान मंत्री ने बिलकुल थोथी दलील दी कि विदेशी व्यापार में यह बैंक सहायता देते हैं इसलिए इनका राष्ट्रीयकरण नहीं कर रहे हैं। एक ओर विदेशी आयात-निर्यात के राष्ट्रीयकरण की बात चल रही है और दूसरी

ओर यह इस प्रकार का भाषण दे रही हैं। इनके भाषण से मैं एक ही नतीजे पर पहुंचा हूं कि इनके जो अंग्रेज और अमेरिकी मालिक हैं उनसे यह घबराते हैं।

*** *** ***

...मैंने हमेशा कहा है कि इनके साढ़े तीन मालिक हैं। एक मालिक की चर्चा मैंने कभी नहीं की। साढ़े तीन मालिक की चर्चा की है। आज साबित हो गया कि इनके जो अंग्रेज और अमेरिकी मालिक हैं उनको नाराज करने की हिम्मत नहीं है प्रधान मंत्री में और इसलिए यह थोथी दलील यहां पर दी। नहीं तो जो सरकार विदेशी व्यापार के राष्ट्रीयकरण की बात करती है क्या वजह है कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने की हिम्मत उसमें नहीं है? हम चाहते हैं कि इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो। दूसरे जो बैंक हैं अगर इनको आप छोड़ देंगे तो इसका नतीजा होगा कि ये बड़े लोग छोटे बैंकों का भी इस्तेमाल करेंगे चाहे जो भी कानून बने। जब तक सरकार में यह लोग मालिक हैं, कोई न कोई रास्ता यह निकाल लेंगे। मोरारजी भाई ने फाइनेंस बिल में कितनी तरमीमें कीं, इनकम टैक्स ऐक्ट बदला, बहुत सारे ऐक्ट बदले लेकिन क्या काला बाजार कम हुआ? तो इसमें से तो यह रास्ता जरूर निकाल लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं बुनियादी बातें अब केवल गिनाता चला जाऊंगा, स्पष्टीकरण में नहीं जाऊंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि इस बिल में अगर आप चाहते हैं कि नौकरशाही ज्यादा मजबूत न हो और इन्होंने भी कबूल किया है कि हम नहीं चाहते कि नौकरशाही का प्रभाव पड़े और इनका दुरुपयोग हो, यह भी उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते लेकिन एक बात की ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, कभी आपने सुना है कि बैंक कर्जा काश्तकारों को नहीं, कारीगरों को नहीं, टैक्सी वालों को नहीं, ट्रक ड्राइवर्स को नहीं, मिस्त्रियों को नहीं, राजनैतिक दलों को देते हैं? हमारे देश में मोरारजी भाई के इस सामाजिक नियंत्रण में यह पाप हुआ है। अच्छा होता कि मोरारजी भाई इसके खिलाफ कोई चीज लाते, हम उनमें इनका साथ देते। लेकिन क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, मध्यावधि चुनाव के पहले सामाजिक नियंत्रण का कानून अमल में आने के पश्चात् बिरला के यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ने दस लाख रुपया ए.आई.सी.सी. को दिया। पंजाब नेशनल बैंक ने 10 लाख रुपया कर्जे के तौर पर दिया है। मैंने इसके बारे में सवाल पूछा है। मैंने यह पूछा था कि क्या इन बैंकों के द्वारा कर्जा दिया गया?

Whether these bodies or persons are treated as farmers or small entrepreneurs;

if not, whether such advances are consistent with the objectives of the social control over banking legislation; and

if not whether Government would proceed against the Banking Company concerned.

इनका उत्तर है अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री बनने के बाद:

> "As the House knows such information relating to the accounts of any particular constituent of a bank is not divulged."
>
> "(b), (c) and (d): Do not arise."

आज मैं यह सवाल उठाता हूं और मैंने अमेंडमेन्ट दी है कि बैंकों को किसी भी राजनीतिक दल को या व्यक्तियों को राजनीतिक कारणों के लिए कर्जा देने का अधिकार नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय, सामाजिक नियंत्रण के तहत कांग्रेसियों को 25 लाख रुपया मिला, क्या राष्ट्रीयकरण के बाद ढाई करोड़ या 25 करोड़ रुपया मिलने वाला है? मैं कहना चाहता हूँ कि इनका जवाब पहले आप ले लीजिए और मेरी तरमीम का समर्थन कीजिए।

सभापति महोदय, इसमें बोर्ड आफ डायरैक्टर्स और एडवाइजरी बोर्ड के बारे में कोई बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधि, काश्तकारों के प्रतिनिधि, कारीगरों के प्रतिनिधि और औद्योगिक मजदूरों के प्रतिनिधि, साधारण जनता के प्रतिनिधि इस में रहें ....

*** *** ***

लेकिन इसको तो खोलना हमारा काम है। ये तो बुरा काम करते ही हैं, अभी कल नेशनल कोल डेवलपमेंट कारपोरेशन का मामला आया, कल इंडियन एयरलाइन्ज का मामला आया। जो स्टेट बैंक आफ इंडिया है या दूसरे बैंक हैं—एक चेयरमैन ने हमको बताया कि शेड्यूल्ड बैंक और कमर्शियल बैंकों के जो कर्जे हैं, 600 खातों में आधे से ज्यादा कर्जा दिया जा रहा है, जबकि कुल खातों के लिए—इसमें बहुत समय लग जायेगा—फिर भी मैंने देखा है डेढ़ लाख से ज्यादा खातों को कर्जा दिया जाता है, लेकिन केवल 600 खातों को आधे से ज्यादा कर्जा दिया जा रहा है।*

उपाध्यक्ष महोदय, इस राष्ट्रीयकरण से अगर आप ग्रामीण इलाकों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं तो इस बिल में इस तरह का सुझाव होना चाहिए कि इन बैंकों को एक साल में ग्रामीण इलाकों में कितनी शाखायें खोलनी चाहिए। ग्रामीण इलाके की आज की परिभाषा क्या है—25 हजार की आबादी के शहरों को ग्रामीण इलाका कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 10 हजार से कम का क्षेत्र ग्रामीण इलाका माना जाये।

अब मैं एक सबसे ज्यादा बुनियादी बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अन्य उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण किया, लेकिन जब तक व्यक्तिगत उपभोग पर, पर्सनल-कन्जम्पशन पर रोक नहीं लगाई जाती, समाजवाद की दिशा में एक कदम भी हम आगे नहीं जायेंगे। इसलिए हम लोगों ने सुझाव दिया है कि इन बैंकों के जो डायरेक्टर्स या अधिकारी होंगे, इनमें से किसी को भी उनका पूरा भत्ता मिला कर 2 हजार रुपये से अधिक किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए और अन्य सरकारी उद्योगों में भी इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, आज के सरकारी उद्योगों में एक-एक व्यक्ति के ऊपर एक महीने में 15 से 20 हजार रुपया आसानी से खर्च होता है। पिछली बार जब सामाजिक नियंत्रण का कानून आया, आपको मालूम है एक 'मिनट-आफ-डिसेन्ट' हम लोगों ने दिया था, उसको दो हिस्सों में काट दिया गया था, जिसको आपने मेहरबानी करके उस मिनट में फिर से डाल दिया था। उसमें

*श्री जे.बी. कृपलानी, सांसद की टिप्पणी कि "ये लोग ही करप्ट कर देंगे' का उत्तर देते हुए।

हमने नाम लिया था। मोरारजी भाई के उस सामाजिक नियंत्रण से कुछ कांग्रेसियों का समावेश बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में हुआ जिनके नाम ये हैं: मैसर्स उत्सव पारिख और जी.वी. नवलकर (बैंक आफ बड़ौदा), त्रिभुवन दास पटेल (सैन्ट्रल बैंक), शांतिलाल शाह, एम.पी., कान्तीलाल धिया, एम.एल.ए., एस.एन. देसाई और रघुनाथ सिंह (यूनियन बैंक), जसभाई पटेल, तथा मगनभाई पटेल (बैंक आफ इंडिया)।

अब प्रधान मंत्री के राष्ट्रीयकरण में हिम्मत सिंह जैसे लोग जिनका एक महीने का खर्चा 15-20 हजार रुपये होगा, इस तरह के लोग नकली वामपंथी ही तो आ जायेंगे। फर्क इतना पड़ेगा कि शांतिलाल जी आयेंगे और रघुनाथ सिंह जायेंगे ... माफ कीजियेगा, आपको बुरा लग रहा होगा।

*** *** ***

मैं आज इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि व्यक्तिगत उपभोग के ऊपर नियंत्रण रखने के लिए स्वयं प्रधान मंत्री उदाहरण पेश करें। क्या वज़ह है कि हम समाजवाद की बात तो करते हैं लेकिन किसी स्कूटर वाले, टैक्सी ड्राइवर, ट्रक वाले या काश्तकार और कारीगर को कभी कर्जा नहीं दिया जाता है और दूसरी तरफ प्रधान मंत्री के लिए बीस लाख का मकान बन रहा है। अभी तो शुरुआत है, वह पचास लाख तक जायेगा। इसलिए प्रधान मंत्री आदर्श रखें और दूसरे मंत्री आदर्श रखें। और जो हमारे सांसद हैं उनसे भी मैं कहूंगा कि 31 रुपये को 51 रुपये करने की बात मत सोचें।

राष्ट्रीयकरण में तो हम विश्वास करते हैं, उसके हक में हैं लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम विश्वास नहीं करते। मेरी यह पक्की राय है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में भ्रष्टाचार और चोरी हो रही है इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था को खत्म किया जाये—सभी बैंकों, उद्योगों और इंश्योरेन्स का राष्ट्रीयकरण किया जाये और साथ ही साथ व्यक्तिगत उपभोग पर भी नियंत्रण लगाया जाये।

अंत में एक बात कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि इस देश में ब्राह्मण वर्ग की यह परम्परा रही है कि खुद जायदाद तो रखेंगे नहीं लेकिन समाज की सारी चीजों का उपभोग करेंगे। उसी तरह से हिन्दुस्तान स्टील के जनरल मैनेजर, हैवी इंजीनियरिंग कारखाने के बड़े-बड़े अधिकारी, मंत्री लोग और संसद सदस्य कहेंगे तो यही कि मिल्कियत सरकार की ओर जनता की लेकिन उपभोग हमारा। चौधरी साहब जरा सुन लें कि इसमें काश्तकारों के लिए दरवाजा खुलने वाला नहीं है और न कारीगर के लिए ही कोई दरवाजा खुलने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेरे सुझावों को मानेंगे तो हो सकता है हिन्दुस्तान में पहली बार गरीबों के लिए भी दरवाजा खुल जाये। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करना चाहता हूं और उसका कारण बता रहा हूं। इस विधेयक में जो चौथा अनुच्छेद है कि इन बैंकों को हम अपने हाथ में ले रहे हैं, उससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन बाकी जितनी बातें हैं, अधिकतर बातों से मेरा विरोध है, कुछ राजनैतिक हैं और कुछ संवैधानिक। राजनैतिक विरोध में तो मैं बहुत तफसील में नहीं जाना चाहता हूं। दो-चार मुख्य बातें बता देना चाहता हूं। इन्होंने इन बैंक वालों को जो मुआवजा देने का निश्चय

इस नये विधेयक के अनुसार किया है जिसमें तकरीबन 90 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, 87 करोड़ से अधिक, इसका मैं घोर विरोध करना चाहता हूं। यह लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आड़ में छिप कर यह कार्य कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मैंने पढ़ा है और मैंने कहीं नहीं देखा है कि 87 करोड़ रुपया देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा है। तो मुआवजा जिस पैमाने पर दिया जा रहा है उसका मैं घोर विरोधी हूं।

*** *** ***

मैं तो बिना मुआवजा कम्पन्सेशन लेने के पक्ष में हूं। आप में हिम्मत हो तो नई संविधान निर्मात्री परिषद् बुलवाकर ऐसा निर्णय कराओ जिससे संपत्ति अधिकार, प्रापर्टी राइट खत्म हो जायेंगे ... आपके पैदा होने से पहले से यह बात हम कह रहे हैं...

*** *** ***

आप भी एक जमाने में हमारी पार्टी में थे। इतनी जल्दी चीजें भूल न जाया करिए ... अध्यक्ष महोदय, यह बीच में टोकेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय*, नियम में लिखा हुआ है कि विधेयक के सिद्धांतों का भी विरोध कर सकते हैं और संवैधानिक आपत्ति भी उठा सकते हैं इसमें एक सबसे जबर्दस्त सिद्धांत जोड़ दिया गया है कि 87 करोड़ रुपया दे दो इसका मैं विरोध करता हूं और भी एक कारण मेरे विरोध का यह है कि जो दरम्यानी अरसे की व्यवस्था ट्रांजीशनल अरेंजमेंट पुराने बिल में था उसमें एक संशोधन मैंने दिया था। उस समय जो ऐडवाइजरी बोर्ड बनने वाला था उसके ऊपर बैंक कर्मचारी, डिपाजिटर, किसान, कारीगर और मजदूर इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए जिसको इन्होंने माना था। और आज जो यह मंत्री महोदय नया बिल लेकर आए हैं उसमें ऐडवाइजरी बोर्ड की जगह पर फर्स्ट बोर्ड आफ डायरेक्टर्स आने वाला है, उसमें मैं यह देख रहा हूं कि किसानों को, कर्मचारियों को, मजदूरों को सब को छांट दिया गया है। इसलिए यह तो बिलकुल वचन भंग हो रहा है। इसका सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कोई ताल्लुक नहीं था। तो ऐसे वचनभंगी मंत्री के द्वारा जो विधेयक रखा जा रहा है उसके इस नये हिस्से का मैं विरोध करना चाहता हूं और बहुत सारी बातें हैं लेकिन उनको मैं इसके ऊपर चर्चा के दरम्यान कहूंगा।

अब संवैधानिक आपत्ति मैं यह उठाना चाहता हूं कि इस बिल के द्वारा 14 बैंकों को सरकार हाथ में ले रही है जिनके डिपाजिट्स 50 करोड़ या उससे अधिक हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक लटकती हुई तलवार इस विधेयक के ऊपर है और वह तलवार इस तरह की है कि आप क्लास-लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। आप किसी एक वर्ग के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते हैं लेकिन वर्गीकरण कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब सवाल यह उठेगा

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 27 फरवरी 1970।

कि इस विधेयक में जो वर्गीकरण किया गया है जैसे पहले भी किया गया था कि 14 विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण सिर्फ होगा इसमें 50 करोड़ वाले चार विदेशी बैंकों को छोड़ दिया गया है, तो 50 करोड़ का आपका जो निर्णय था उस वर्गीकरण के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई राय नहीं दी है। अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी हो जाता है कि इसमें से एक हिस्सा मैं पढ़ कर सुनाऊं इन्होंने अपने निर्णय में यह कहा है:

"But in the absence of any reliable data we do not think it necessary to express an opinion on the question whether selection of the undertaking of some out of many banking institutions for compulsory acquisition is liable to be struck down as hostile discrimination on the ground that there is no reasonable relation between the differentia and the objective of the Act which cannot be substantially served even by the acquisition of the undertaking of all the banks out of which the selection is made.

विदेशी बैंकों को छोड़ने से या बाकी बैंकों को छोड़ने से इसमें होस्टाइल डिस्क्रिमिनेशन होता है या नहीं संविधान की धारा 14 टूटती है या नहीं अफेक्ट यह सवाल भी ऐसा ही है जिसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि आप सभी बैंकों को भी अगर ले लेंगे तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण करने का जो उद्देश्य है उसका और बैंकों को हाथ में लेना इसका एक सीधा रिश्ता है या नहीं, इस पर हम कोई राय नहीं दे रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस विधेयक पर भी लटकती हुई तलवार है। अत: मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि कम से कम सभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का यह प्रस्ताव करें। विदेशी बैंकों का भी और बाकी जिन बैंकों को उन्होंने छोड़ दिया है उन बैंकों का भी यह राष्ट्रीयकरण करें। फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक ही सवाल रह जायेगा कि इन सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने से बिल का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति होगी या नहीं।

मेरे ख्याल से नीति के सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को राय देने का कोई अधिकार नहीं है। नीति के सवाल संविधान की धाराओं के तहत पार्लियामेंट के द्वारा निश्चित किये जायेंगे, विधान सभाओं के द्वारा निश्चित किये जायेंगे। इसलिए मेरी अपनी राय यह है कि मंत्री महोदय मेरी इस संवैधानिक आपत्ति को मानें अपने इस विधेयक को वापिस ले लें, नया विधेयक लेकर आयें, जिसमें मुआवजे, कम्पेन्सेशन के आंकड़ों को घटाया जाय, बाकी सभी बैंकों—विदेशी बैंकों और 50 करोड़ रुपये से जिनके पास कम डिपोजिट है ऐसे बैंकों—का राष्ट्रीयकरण करने का प्रस्ताव लायें तब मैं और मेरा दल पूरी तरह से उसका स्वागत करेंगे।

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय*, इसके लिए 5 घंटे का समय निर्धारित किया गया है इसलिए मुझे आशा है कि सभी लोगों को पूरा समय दिया जायेगा।

एक अर्से के बाद इस विषय पर चर्चा करने का हम लोगों को मौका मिला है, इसलिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। बैंकिंग कमीशन की रिपोर्ट सरकार के पास लगभग

**लोक सभा वाद-विवाद*, 14 अगस्त 1974.

ढ़ाई साल पहले आई थी। उसके बाद रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने, इस रिपोर्ट में जो सिफारिशें की गई हैं उनका अध्ययन करके सरकार के पास अपनी एक रिपोर्ट भेजी। उसके पश्चात् इस संसद की एस्टिमेट्स कमेटी ने, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनकी गतिविधियों के बारे में अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट भी पेश की है। लेकिन अफसोस की बात है कि इतने दिनों के बाद यह जो तीन रिपोर्ट सरकार के सामने आई हैं उनके बारे में सरकार ने अपने निर्णय अभी तक घोषित नहीं किये हैं। आज मैं आशा कर रहा हूं इस बहस का जब वित्त मंत्री जी जवाब देंगे तो उसके साथ सरकार के निर्णय भी सदन के सामने रखेंगे। पहले रखते तो ज्यादा अच्छा था।

सबसे पहले मैं आपका ध्यान वित्त मंत्रालय के तहत जो बैंकिंग विभाग है, डिपार्टमेंट है उसकी ओर खींचना चाहता हूं। मेरी राय में यह एक अनावश्यक विभाग है, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहां रिजर्व बैंक है, इंडियन डेवलपमेन्ट बैंक भी अलग से बनते जा रहे हैं, स्टेट बैंक आफ इंडिया भी है तो ऐसी हालत में डिपार्टमेंट के निर्णय की क्या आवश्यकता थी यह मेरी समझ में नहीं आता। इस डिपार्टमेंट में 30 बड़े पदाधिकारी हैं—इनमें से कुछ हैं ज्वाइंट सेक्रेटरीज, एडीशनल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज—फिर इसमें मेरा ख्याल है। 4 डायरेक्टर्स हैं 6 डिप्टी सेक्रेटरीज हैं, 9 अंडरसेक्रेटरीज हैं और 4 संशोधन और खोज करने के लिए आफिसर्स नियुक्त किये गये हैं। तो इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको बैंकिंग का कोई अनुभव नहीं है और आर्थिक विकास की क्या प्रायर्टीज रहती हैं उसका उनको ज्ञान नहीं है लेकिन जो नौकरशाही के विस्तार का सिलसिला आजादी के बाद चल पड़ा है उसके चलते बैंकिंग डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया है। तो क्या मैं वित्त मंत्री जी से यह उम्मीद कर सकता हूं कि जब प्रशासनीय खर्चा घटाने की आज आप बात करते हैं तो सबसे पहले इस विभाग को बरखास्त करके पूरे देश के सामने और सरकार के सामने एक अच्छी मिसाल पेश करेंगे। मेरी राय में इस विभाग से कोई अच्छा काम नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में हम लोग उम्मीद करते थे कि राष्ट्रीयकरण के बाद सारी जानकारी जनता के सामने और संसद के सामने रखी जायेगी लेकिन आज भी मैं देख रहा हूं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में चुप्पी साधने की ही नीति यहां चल रही है। मैंने एस्टिमेट्स कमेटी की रिपोर्ट गौर से पढ़ी है। इस चुप्पी का नतीजा यह हुआ है कि हमारी प्राक्कलन समिति पर भी इसका असर हो गया है और जिन तथ्यों को उन्होंने प्रकाश में लाना चाहिए था। निर्भयता के साथ उन पर लीपा-पोती करने का ही प्रयास किया गया है। इसलिए मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में सारी जानकारी वार्षिक प्रतिवेदन के जरिये आप इस संसद के सामने और जनता के सामने रखें। मैंने इनके सभी 15 बैंक्स के जो वार्षिक प्रतिवेदन हैं वह पढ़े हैं और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमको उनके बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है। जैसाकि प्राक्कलन समिति ने कहा है और उन्होंने भी इसको कबूल किया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का मुनाफा जो कुल पूंजी लगाई गई है उसके अनुपात में घटता चला जा रहा है। यह मैं आपकी अकार्यक्षमता का द्योतक मानता हूं। कई बैंक्स ऐसे हैं कि वर्षों हो गए लेकिन उनके जो एकाउन्ट्स होते हैं उनका उसे रिकंसिलिएशन कहते हैं—अभी तक रिकंसिलिएशन का काम नहीं हुआ। स्पष्ट शब्दों में इसका मतलब है कि उनके एकाउन्ट्स ही तैयार नहीं हैं। आप साफिस्टिकेटेड भाषा में रिकंसिलिएशन की बात करते हैं लेकिन क्या यह सही नहीं है कि कई बैंकों के एकाउन्ट्स के बारे में एक अर्से से रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है? एक

बैंक का उल्लेख एस्टिमेट्स कमेटी ने किया है कि सात साल हो गए हैं उसके एकाउन्ट का रिकंसिलिएशन नहीं हुआ है। तो आप इन बैंकों के ऊपर लोकमत के द्वारा या संसद के द्वारा कैसे नियंत्रण रखेंगे जब उनके एकाउन्ट्स का ही ठीक ढंग से पता नहीं है? बहुत सारी रिपोर्ट मैंने देखी और मुझे ऐसा लगा कि जानकारी देने के बजाय तथ्यों को छिपाने का काम यह एनुवल रिपोर्ट्स करती हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक की एक रिपोर्ट है, जो उन्होंने तथ्य दिये हैं उनके बारे में कहा गया है बल्कि सभी रिपोर्टों में यही बात है:

> "They disclose such matters as were required to be disclosed by virtue of the provision of the 1949 Act as read with the related provisions of the Companies Act, 1956."

पुराना जो नियम है, कानून है उसके अनुसार ही सारे तथ्यों का उद्घाटन हो रहा है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में क्या यह अपेक्षा नही की जा सकती है कि ज्यादा तथ्य सामने आने चाहिए बनिस्पत जो पुराने कानून के तहत आते थे उसी तरह इसी इंडियन ओवरसीज बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है:

> "No provision has been made for any probable doubtful items of agricultural loans or small loans due for these years."

मेरी राय में हर बैंक के लिए यह नियम बनना चाहिए कि इस तरह की सारी आवश्यक जानकारी वे अपने वार्षिक प्रतिवेदन में दें और सरकार और स्टेट बैंक को लेकर और जो चौदह बैंक हैं उनके बारे में एक वार्षिक रिपोर्ट दे दें जब तक लोकमत का प्रभाव बैंकों के ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक उनमें परिवर्तन अच्छाई के लिए नहीं होने वाला है। बहुत सी बातें एस्टीमेट्स कमेटी की रिपोर्ट के द्वारा हम लोगों के सामने आई हैं। इनसे पता चलता है कि कृषि के क्षेत्र में जहां तक सहायता करने का काम है तीन राज्यों को छोड़ कर अन्य राज्यों में यह काम बहुत ही असंतोषजनक है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कोई योजना नहीं बनायेंगे ताकि अन्य राज्यों में कृषि का जो क्षेत्र है इसके लिए भी अधिक से अधिक बैंकों के द्वारा उत्पादक कामों के लिए ऋण दिये जा सकें?

एस्टीमेट्स कमेटी ने यह भी कहा है कि जहां तक कृषि ऋणों का सवाल है यह बहुत ही खतरनाक बात है कि पचास प्रतिशत से अधिक कर्जा रिकवर करने का, वसूल करने का, कोई प्रयास नहीं हो रहा है। कुछ राज्यों के बारे में तो जिनका नाम उसने नहीं बताया है यह कहा है कि 25 प्रतिशत से भी कम इन ऋणों की वसूली हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन सब राज्यों के नाम बताये जाएं यह भी पता चलना चाहिए कि कौन बैंक हैं जो इस तरह चल रहे हैं। एस्टीमेट्स कमेटी ने इन बैंकों तथा इन राज्यों के नाम क्यों छिपाये हैं। समझ में नहीं आता है। कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा करने का मौका हमें नहीं मिलता है। एक सिलसिला, एक ढांचा बन गया है। ब्यूरोक्रेटिक ढंग से और एक दम रंगहीन ढंग से यह सारी रिपोर्ट लिखी जाती है। लिखने का उद्देश्य शायद यह रहता है कि दो पैरें पढ़ने के बाद आदमी बोर हो जाये और रिपोर्ट को छोड़ दे। जरा ढंग से सीपीएसी, पीयूसी अपनी रिपोर्ट लिखने का काम करे। इन राज्यों का, और बैंकों का नाम मैं जानना चाहता हूं। अपनी जानकारी के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि

राजनीतिक तत्वों के दबाव के चलते गलत लोगों को उत्पादन के कामों के लिए नहीं, गलत कामों के लिए, गलत उद्देश्यों के लिए कृषि ऋण के नाम पर ऋण दिये जाते हैं और नतीजा यह होता है कि कांग्रेसियों के दबाव के चलते इन ऋणों की वसूली नहीं हो पाती है। कई राज्यों में ऐसा हुआ है। मुझे मालूम है कि बड़े कर्जे लेने वाले जो लोग थे उनकी कभी वसूली नहीं होती है, जिनको पांच सौ या हजार बैंक ऋण या तकावी के रूप में मिलता उन्हीं से वसूला जाता है।

यह खेद की बात है कि पश्चिमी बंगाल में अस्सी प्रतिशत जो कृषि के बारे में कर्जा दिया गया है वह चाय के बागानों को दिया गया है। जैसे वहां किसान धान या जूट पैदा करने वाला कोई है ही नहीं। इन चाय बागानों में शायद इनके प्रिय पात्र आर.पी. गोयनका भी जरूर होंगे। स्वयं एस्टीमेट्स कमेटी ने कहा है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद प्रथम वर्ष में जिनको ये लोग प्रायोरिटी सेक्टर कहते हैं, यानी उत्पादन की दृष्टि से जिन लोगों को वरीयता या प्राथमिकता देनी चाहिए, उन सैक्टरों को कर्जा देने के बारे में बड़ी प्रगति हुई लेकिन उसके बाद यह गति धीमी हो गई। नतीजा यह हुआ कि जिन क्षेत्रों में कर्जा देने से पैदावार बढ़ सकती थी उनको कर्जा नहीं मिल पाया। अक्सर ये लोग डिपाजिट्स की जो रकम बढ़ रही है उसके बारे में अपनी ही पीठ थपथपाते हैं अपने आपको शाबाश कहते हैं लेकिन इनकी तवोज्जह मैं इधर दिलाना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के ही नहीं गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों को भी डिपाजिट्स तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या बैंक डिपाजिट बढ़ने का यह कारण नहीं है कि देश में इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति की स्थिति है? असल सवाल यह है कि क्या जो डिपाजिट्स हैं उनका इस्तेमाल तेजी से पैदावार बढ़ाने के लिए किया गया है, कृषि के क्षेत्र में किया जा रहा है या नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने के बारे में या कृषि उत्पादन के लिए ऋण देने के बारे में जो गति धीमी हो गई है उसको तेज करने का आप प्रयास करें।

बैलेंस शीट्स में जो जानकारी दी जाती है वह पूरी नहीं होती है, सही नहीं होती है। एक-एक रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि अधिकांश शाखाओं के एकाउंट्स की किसी आडिटर द्वारा जांच नहीं हुई है। मुझे पता नहीं रिजर्व बैंक ने कोई नियम बनाया है कि उन्हें केवल सैम्पल सर्वे की तरह सैम्पल शाखाओं के एकाउंट्स की ही जांच करनी चाहिए। इसका खुलासा होना चाहिए। विगत साल से बम्बई के अन्दर जो गलत काम किये जाते हैं—कई मामले मैंने और मेरे मित्रों ने उठाये हैं—और उनमें एक मुख्य नाम की छोटी सी जगह है जहां पर 71 लाख रुपये का एडवांस किया गया था और उसकी जानकारी जब वित्त मंत्री को दी गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना कोई बड़ौदा बैंक के तहत हुई ही नहीं है लेकिन बाद में दो-तीन बार इनको लिखने के बाद और फिर ध्यानाकर्षण का प्रस्ताव जब दिया गया तो चव्हाण साहब ने कहा कि 71 लाख रुपये का मामला ....

*** *** ***

आपको मालूम होगा कि रीजनल आफिसिस बदलते रहते हैं आपने भी कबूल किया है कि इसकी वजह से गलतफहमी हुई है जो भी हो हम लोग बड़ी मुश्किल से जानकारी लाते हैं। जब आप दुत्कार देंगे कि दम नहीं है उसमें तो जानकारी देने वाले जो कुछ भले लोग बैंकों में बचे हैं वे भी जानकारी देना बन्द कर देंगे।

मैं बोलकर और लिखकर थक गया हूं। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद भी इन बैंकों के ऊपर पुराने जो पूंजीपतियों के गुट हैं, ग्रुप हैं, इनका इतना जबर्दस्त असर है कि कई राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखायें इन गुटों के एजेंटों के रूप में काम करती हैं। एक उदाहरण कानपुर की नयागंज शाखा का मैं बार-बार देता आया हूं। सुशीला जी कानपुर से इस सदन में प्रतिनिधि हैं। मेरा ख्याल था कि वह ज्यादा इसमें दिलचस्पी लेंगी और चोरी को पकड़ने के काम में हमारी सहायता करेंगी लेकिन अफसोस है कि यह नहीं हो रहा है। या उनको छूट नहीं मिल रही है। जो भी हो रीजनल मैनेजर का एक पत्र मेरे पास आया है। कानपुर सर्कल का जिसमें उन्होंने नयागंज के मैनेजर को संबोधित करते हुए कहा है:

> "We know that through an oversight you allowed a drawing power of Rs. 12.07 lakhs against stock in process as against the sub-limit of Rs. 5 lakhs fixed by the head office. Likewise, through an oversight you allowed them a drawing power of Rs. 23.81 lakhs as against the sub-limit of Rs. 7 lakhs fixed for the purpose by the H.O. authorities. Your action being highly irregular cannot be confirmed by us, and neither we can recommend to the H.O to condone this irregularity. Please send us the explanation of the person at fault in duplicate for our necessary further action."
>
> "We would once again advise you to let us know the source of the funds with which the party has close their hypothecation account with you, together with the name of bank and the security offered to them as the information has still not been sent by you."

इस तरह के और भी दो-चार डाक्यूमेंट्स मैं आपकी इजाजत से सभा पटल पर रखना चाहता हूं।

*** *** ***

आपकी अनुमति से ही तो रखा जायेगा। टेबल पर मेरा थोड़े ही अधिकार है? आपका है और सदन का अधिकार है।

*** *** ***

उसी तरह 'पंजाब नेशनल बैंक' के एक आफिसर ने मुझे पत्र भेजा है जिसमें यह जानकारी मिली है:

> "Nationalised banks discount bills drawn on mills and factories for goods consigned to the sidings of these units. The mills and factories use the goods for the manufacturing process, sell them, and after realising the sale proceeds, retire the bills. These malpractices involved millions upon millions of rupees."

अग्रवाल जी अभी इस पर बोलने वाले हैं तो वह इस पर जरा प्रकाश डालने की कृपा करेंगे क्योंकि इसकी वे जरा ज्यादा जानकारी रखते हैं, जानकार आदमी हैं।

तो इन सारे गुटों के द्वारा इस तरह बैंकों के फंड्स का जो दुरुपयोग होता है उसकी भी मेरी राय में जांच होनी चाहिए। क्योंकि इसका नतीजा होता है कि डबल फाइनेंस एक माने में यह हो रहा है गैर-कानूनी तरीके से क्योंकि कच्चा माल आता है, उसका पैसा देना चाहिए, लेकिन वह देने के बजाय उसे पक्का बनाया जाता है, बेचा जाता है, जब उसका पैसा आता है तब बिल रिटायर करने वगैरह की बात आती है। डालमिया नगर की घटना है, कानपुर की घटना है, जयपुरिया ग्रुप है, जे.के. ग्रुप है, कितने गुटों का नाम मैं लूं, सभी इस तरह के काम कर रहे हैं।

बैंकों के अंदर जो दुर्व्यवहार चल रहा है उसके बारे में मैं आपका ध्यान नागरवाला कांड की ओर दिलाना चाहता हूं। उस समय मैं इस सदन में नहीं था। लेकिन सदन की कार्यवाही को मैंने पढ़ा है यहां आने के बाद और वित्त मंत्री जी से भी मैंने बात की है। उन्होंने यथाशक्ति मुझे समझाने का प्रयास किया है कि यह तो एक मूर्खतापूर्ण काम है, इसके पीछे कोई षडयंत्र वगैरह नहीं है। ठीक यहीं कहा था न आपने। मैं आपको मिसकोट नहीं करना चाहता हूं यह सब पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह मूर्खतापूर्ण या ऐसा कोई काम नहीं है। यह वास्तव में एक बहुत बड़ा षडयंत्र है और इसकी पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा जांच कराने से जो इन्कार सरकार बराबर करती रही है इससे मेरी इस शंका की, इस सन्देह की पुष्टि होती चली जा रही है। वैसे इस कांड के जो अधिकारी कहिये या जो कुछ भी कहिए, नागरवाला साहब और दूसरे कश्यप साहब जो पुलिस अधिकारी थे, ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो मल्होत्रा जी हैं उन्होंने अपने बयान में यह कहा है, मैंने यह बयान पढ़ा है हिन्दुस्तान टाइम्स और दूसरे अखबारों में कि हमारे बैंक में यह परिपाटी थी कि करेंसीचेस्ट से हम लोग टेलीफोन के ऊपर विशेष पार्टियों के लिए पैसा निकालते थे और बाद में वह लिखित भेजते थे और वह रेगुलराइज हो जाता था। इसका कोई जवाब मुझे पता नहीं ... अब वह माता जी की एक कहानी मैं कहने वाला हूं। 1972 में मेरी गिरफ्तारी इलाहबाद में होने के बाद मैंने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी थी और उस सिलसिले में उन्होंने मुझे तिहाड़ जेल में भेजा था। जिस वार्ड में हम लोग रहते थे उसमें एक नागा विद्रोही था। उससे बात करते हुए जेल अधिकारियों ने मुझे देखा। क्या देशद्रोह की बात मैं उनसे कर सकता था? क्या मैं उनको यही समझाने की कोशिश नहीं करता कि आपकी जो तकलीफें हैं, पीड़ाएं हैं, वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अंदर ही उसको हल करने का आप प्रयास करें लेकिन जेल सुपरिन्टेन्डेंट को और अधिकारियों को यह अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन उस बेचारे को भगा दिया। उसको मैंने फल वगैरह भेजा था। तो वह बोला कि 6 महीने के बाद हमने यह फल चखे हैं। बंगलादेश में वह पकड़ा गया था। तो आप लोग नहीं चाहते हैं कि विद्रोहियों को अपने साथ कराया जाये। उस वार्ड में धर्म तेजा नाम के भी एक कैदी थे। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह पता नहीं कि आप जेल में रहे हैं या नहीं, लेकिन वित्त मंत्री जी तो कई बार जेल में रहे हैं और वित्त मंत्री जी मेरी इस राय की पुष्टि करेंगे कि जेल में चाहे मर्डरर हों या डकैत हों, उनके मन में ख्वाहिश होती है कि जब इस तरह के राजनैतिक लोग आते हैं तो उनके पास जाकर वे बात करें। अकसर यह होता है। हालांकि धर्म तेजा के मामले को विस्फोट करने में मैं आगे रहा हूं लेकिन मेरी यह अपेक्षा थी कि वह मुझसे आकर बात करेंगे और अपनी सफाई देने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप विश्वास कीजिए, मेरे जेल जीवन में यह एक अनोखी घटना हुई, वह

मुझे कभी विश भी नहीं करते थे और जब अखबार लाते थे तो मेरे सेल के बाहर रख कर भाग जाते थे। मैं सोच रहा था कि ऐसा क्यों है? बाद में जब मैं रिहा हो कर आया तो उनका एक रिश्तेदार मुझे मिलने के लिए आया, उसने कहा कि मधु जी, आपको गलतफहमी हुई होगी लेकिन सही बात यह है कि धर्म तेजा को कहा गया था कि यदि मधु लिमये के साथ आप किसी तरह की बात करेंगे तो आप को उसी रास्ते से जाना पड़ेगा कि जिस रास्ते से नागरवाला और कश्यप गए हैं। इस तरह की आजकल धमकियां दी जाती हैं। यह सही बात है। कोई गलतबयानी करने की मुझे जरूरत नहीं है। चव्हाण साहब ने भी माना है कि जेल की एक साइकोलॉजी होती है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि वह मुझसे कोई बात करते तो मेरे ऊपर कोई असर होने वाला था। लेकिन यह हो सकता है कि वह कोई ऐसी जानकारी मुझे देते जिससे प्रधान मंत्री को या उनके सुपुत्र को तकलीफ हो तो यही कारण मुझे लगता है। और कोई कारण नहीं हो सकता। तो नागरवाला कांड के बारे में अभी भी मेरी संतुष्टि नहीं है और मेरी यह मांग है कि पार्लियामेंट की एक कमेटी इसकी जरूर जांच करे।

यह बैंकिंग कमीशन बनाया गया। इसका बहुत व्यापक कार्य क्षेत्र था। लेकिन विदेशी बैंकों के बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने भी यह रिपोर्ट पढ़ी होगी। इसमें तीन-चार वाक्य हैं केवल और मुझे आश्चर्य लगा कि सरकार के निर्णयों का कभी-कभी कमीशंस के ऊपर भी कैसा असर होता है? क्योंकि सरकार का मन बना हुआ है कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा, इसलिए केवल तीन लाइन्स हैं इसमें और यह 760 सफे की रिपोर्ट है। केवल इतना इसमें दिया है:

> "As regards foreign banks they may be allowed to continue at present since their branch expansion in any case limited to 4 towns and since their share in the total banking business in India is fast diminishing."

सवाल वह नहीं है। सवाल यह है कि आज ये विदेशी बैंक विदेशी मुद्रा की चोरी में और रीपेट्रिएशन में एक बहुत बड़ा गलत रोल अदा कर रहे हैं और इसलिए विदेशी बैंक का नियंत्रण करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जितने भी दूसरे विधेयक यहाँ पर आ रहे हैं कम्पनीज एक्ट में संशोधन हुआ है, फौरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट में संशोधन हो गया है, लेकिन इन कम्पनियों के ऊपर कोई असर नहीं है और यह सोचने की बात है कि जहां राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्राफिटेबिलिटी कम होती चली जा रही है, इन लोगों के मुनाफे और उसका अनुपात बढ़ता जा रहा है। और सब बातें ये दिखाते भी नहीं हैं। नेशनल एंड ग्राइन्डलेज के मामले कई बार हम लोगों के द्वारा उठाये गये थे लेकिन कोई कार्यवाही इसके बारे में नहीं की जा रही है।

अंत में इस विषय को लेकर एक बात मुझे कहनी है कि यह जो राष्ट्रीयकृत बैंकों की रिपोर्ट्स हैं इनका मैंने अध्ययन किया और इस दृष्टि से किया कि इसके जो चेयरमैन हैं इनको वेतन भत्ता आदि कितना दिया जाता है। क्योंकि वित्त मंत्री को याद होगा उस समय वे वित्त मंत्री नहीं थे लेकिन जब बैंक नेशनलाइजेशन का बिल यहां आया था तो मैंने कहा था कि पुराने जमाने में बैंकों के पुराने अधिकारियों को जो एमाल्युमेंट्स दिये जाते थे अगर वही सिलसिला चलेगा तो इन बैंकों के द्वारा कोई सामाजिक कार्य नहीं हो पायेगा। लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया है। यह

14 बैंकों की रिपोर्ट है। इसमें 4,677 रुपये से शुरुआत होती है। न्यूनतम यह है और अधिकतम 1 लाख 32 हजार। कुछ रिपोर्ट 73 की हैं कुछ 72 की हैं। लेकिन 46 हजार से लेकर 1 लाख 32 हजार रुपये तक इन लोगों के एमाल्युमेंट्स हैं। वेतन तथा उपलब्धियां हैं।

बैंकों के बारे में अक्सर यह कहा जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो सेवा है उस का दर्जा गिरता चला जा रहा है। कर्मचारियों का व्यवहार अच्छा नहीं है और यह भी शिकायत सुनने को मिली है हालांकि एस्टीमेट्स कमेटी ने एक वाक्य में उसको खत्म कर दिया, ओवरटाइम का सवाल...

*** *** ***

मैं उनके बोनाफाइडीज के बारे में नहीं कह रहा हूँ। मैं उनकी जो गलतियां हैं वह रख रहा हूं। क्या हम लोग इतने टची हो गए हैं... मैं उनकी नीयत पर संदेह नहीं कर रहा हूं, एस्पर्शन नहीं कास्ट कर रहा हूं। मैं बिलकुल अपने दायरे में चल रहा हूँ और यह कह रहा हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी को इसका विश्लेषण ज्यादा करना चाहिए था। जो अच्छी बातें कही हैं वह भी मैं कह रहा हूँ और जो उनमें त्रुटियां हैं वह भी कह रहा हूँ। आप अगर एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्य हैं तो यह नुक्ताचीनी आप एस्टीमेट्स कमेटी के सदस्यों के सामने रखिए।

उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों को इतना टची नहीं होना चाहिए, जब तब किसी की नीयत पर, मोटिव पर शक नहीं किया जाता है। मैं तो यह भी कहता हूं कि अखबारों को, सदस्यों को सभी आम लोगों को क्रिटिसिज्म का अधिकार होना चाहिए।

मैं कह रहा था कि कर्मचारियों के ओवरटाइम के बारे में शिकायत आ रही है। मैं कोई पेशेवर ट्रेड-यूनियननिस्ट नहीं हूं, मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ—ओवरटाइम के चलते अगर बैंकों की बरबादी होती है तो मैं इसका कभी समर्थन नहीं करूंगा, लेकिन इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि जब तक शिखर पर पैसे की बरबादी होगी, शिखर पर 1 लाख 32 हजार रुपया एमाल्युमेंटस के रूप में चेयरमैन को दिया जायेगा, तब आपके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि एक साधारण कर्मचारी और छोटे अफसरों को कहें कि आप फिजूलखर्ची कर रहे हैं। क्या मंत्री महोदय बड़े लोगों के इमोल्युमेंट्स को आर्थिक संकट को मद्देनजर रखते हुए घटाने का कोई संकल्प करेंगे? इसके साथ-साथ जो ट्रेड यूनियन्ज के लोग हैं—क्योंकि आप जानते हैं स्वयं मैंने संशोधन रखा था कि मजदूरों के, कर्मचारियों के, आर्टिजन्ज के, दूसरे लोगों के प्रतिनिधि बैंक के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर होने चाहिए और मेरा यह संशोधन इस सदन ने कबूल भी किया था—इसलिए मैं यह चाहता हूं कि जहां हम इन लोगों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए लड़ेंगे, वहां अगर कोई गलत काम होता है तो उसका भी हम लोग विरोध करना चाहेंगे। मैं अपने ट्रेड यूनियन के साथियों से कहूंगा कि जहां उच्च स्तर पर जो फिजूलखर्ची चल रही है, उसके खिलाफ जरूर लड़िये, लेकिन ओवरटाइम के बारे में भी कुछ संयम के साथ हम लोगों को सोचना चाहिए—यह मेरी स्पष्ट राय है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं कृषि के बारे में बहुत संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज भी यह बात सही है कि व्यापारियों को वितरण के काम के लिए या स्टाक रखने के

लिए जितना ऋण बैंकों के द्वारा मिलता है या बड़े उद्योगपतियों को आज भी मिल रहा है, उसकी तुलना में छोटे उद्योगवालों को, कारीगरों को और खास कर कृषि को, किसानों को नगण्य ऋण मिल रहा है। मैं अक्सर सोचा करता हूं—क्या इसके बारे में कोई इस तरह का प्रावधान आप नहीं कर सकते कि ये जो 15 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं तथा दो अन्य बैंक—रिजर्व बैंक तथा इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया—इन सब को मिला कर कोई "पम्पिंग सैट कारपोरेशन" की स्थापना की जाये, जो किसानों को कृषि के ऋण देने के बजाय टर्न-की-बेसिज पर बोरिंग कर के छोटे ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट लगा कर उनके हवाले कर दे? इसके लिए, मैं चाहता हूं बड़े पैमाने पर कार्यक्रम बनाया जाये।

हमारे देश में खाद की कमी है। आज सवेरे ही गोबर गैस प्लांट के बारे में सवाल आया था। खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन इस बारे में बहुत ही निकम्मा साबित हुआ है। क्या ये राष्ट्रीयकृत बैंक गोबर गैस प्लांट के निर्माण का काम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते? इससे क्या लाभ होगा—गैस के चलते फ्युअल में बचत होगी साथ ही खाद भी मिलेगी। आज आपसे बड़ी सिंचाई योजनाओं के बारे में, रासायनिक खाद के बारे में सवाल पूछा जाये कि इनकी क्या स्थिति रहेगी, तो आप कोई भी सन्तोषजनक जवाब नहीं दे सकते। क्या आपके ये 15 बैंक, रिजर्व बैंक और इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट बैंक—ये सब मिल कर कोई ऐसा कारपोरेशन बनायेंगे जो बहुत बड़े पैमाने पर इन कार्यों को करे?

एक जमाना था जब हमारी एस्टीमेट्स कमेटी ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया था कि आप पम्पिंग सैटों का एक व्यापक सामुदायिक कार्यक्रम हाथ में लें। यद्यपि उस समय के दामों में और आज के दामों में बहुत फर्क हो गया है, लेकिन यदि उस समय एस्टीमेट्स कमेटी के सुझाव को माना जाता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि कृषि उत्पादन के बारे में आज जितनी खराब हालत है, उतनी खराब हालत न होती।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं किसी राज्य की नुक्ताचीनी नहीं करना चाहता हूं लेकिन आपको याद दिलाना चाहता हूँ—महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने एक दफा शिवाजी पार्क में घोषणा की थी—अगर तीन वर्षों में महाराष्ट्र को अनाज के मामले में पूर्ण आत्मनिर्भर नहीं बनाऊंगा तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। इतने साल हो गये, क्या वे रोप (डोरी) की खोज में हैं, उनको अभी तक रस्सी नहीं मिली है। इस सदन में एक अर्सा पहले मैंने कहा है, लेकिन प्रधान मंत्री जी ने कृषि के बारे में कह दिया हो-हल्ला शुरू हो गया। शायद मुख्यमंत्री जी रोप की खोज में हैं जो उनको अभी तक नहीं मिली है। मैंने इस सदन में कहा है कि महाराष्ट्र सब से अमीर राज्य है, औद्योगिक दृष्टि से प्रगतिशील राज्य है। क्या हम लोगों के लिए यह शर्म की बात नहीं है—आप 1960-61 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, 1962 में यहां चले आये, क्यों आपने 1962 के बाद बैठकर इस बारे में सोचा है। आज कृषि के मामले में गन्ने को छोड़कर महाराष्ट्र का रिकार्ड बहुत ही शोचनीय है, गन्दा रिकार्ड है।

आखिरी मुद्दा यह है कि 27 सालों में देश में बहुत-सी बातें हुईं। 1966 से 1971 के बीच में पश्चिमी भारत में गेहूं का उत्पादन डबल हो गया। स्वतंत्र भारत का सबसे अच्छा कार्य।

1971 के बाद आपका यह हो-हल्ला शुरू हुआ, दो-तिहाई बहुमत आ गया, प्रधान मंत्री जिन्दाबाद के नारे शुरू हो गये, 1971 के बाद कृषि के विकास के काम में आपने रोड़े अटकाने शुरू किये। उत्तर पश्चिमी भारत में 6 वर्षों में गेहूं का उत्पादन डबल हुआ, अगर आप बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद पूरे देश में इस आधुनिकीकरण को फैला देते तो वास्तव में इस देश में हरित क्रान्ति हो जाती, लेकिन 1970-71 के बाद इनकी हरित क्रान्ति कागज पर रह गई और नतीजा यह हुआ कि हमारा देश आज फिर पी.एल. 480 की ताक में है।...

*** *** ***

[£]ड्राउट ही के लिए तो खेती की सिंचाई की बात कह रहा हूँ। चूंकि ड्राउट की स्थिति हमारे देश में रहती है, अभी भी मौसम के ऊपर आपकी खेती निर्भर है, इसलिए मैं सुझाव दे रहा हूं कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों को इस काम में लगाइये—आप इतनी सी बात भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। यदि अन्तर्मुखी होकर कृषि के विकास कार्यों को पूरे देश में फैलाते, लैंड रिफार्म दृढ़ निश्चयी होकर करते तो यह नौबत न आती। किसींगर साहब कब आयेंगे, पी.एल. 480 का कार्यक्रम कब बनेगा—इस झंझट में न रहते।

[£]श्री वसंत साठे, सांसद द्वारा कहने पर "सूखा पड़ा, लगातार कई वर्षों तक सूखा पड़ा" का जवाब देते हुए।

औद्योगिक विकास का आकलन*£

सभापति महोदय, श्रीमती इंदिरा गांधी की समाजवादी सरकार तकरीबन पांच साल से सत्ता में है और औद्योगिक विकास मंत्री भी तीन साल से इस मंत्रालय को देख रहे हैं लेकिन इन पांच वर्षों का अगर लेखा-जोखा लिया जाएगा तो औद्योगिक विकास के लिए या इस मंत्रालय के लिए जो सर्वसाधारण उद्देश्य होने चाहिएं उनमें से किसी भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है—यह बात बिलकुल साफ हो जाएगी।

जहां तक भारत की खेती का सवाल है वह तो मौसम के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन जहां तक औद्योगिक मंत्रालय का सवाल है उसका कर्त्तव्य होना चाहिए कि औद्योगिक उत्पादन में अधिक गति उत्पन्न करने का प्रयास करे लेकिन जैसाकि उन्होंने स्वयं स्वीकारा है कि 1966-67 में औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के बजाय घटा और उसके बाद 1968-69 में 6-7 प्रतिशत बढ़ा है तो अगर चार साल का लेखा-जोखा लेंगे तो तीन-साढ़े तीन प्रतिशत से अधिक औद्योगिक पैदावार की गति नहीं बढ़ी है। क्या मंत्री महोदय इसको सफलता कहेंगे? तो पैदावार बढ़ाने के मामले में यह मंत्रालय बिलकुल अयोग्य साबित हुआ है।

दूसरा उद्देश्य आर्थिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण है। क्या इसके बारे में मंत्री महोदय कह सकते हैं कि आर्थिक सत्ता को विकेन्द्रित करने के लिए, वितरित करने के लिए इनके मंत्रालय के द्वारा कोई ठोस काम हुआ है? कई कमेटियां बनीं, उनकी रिपोर्टें आयीं, लेकिन जहां तक औद्योगिक ढांचा हमारे देश में है, और जो आर्थिक सत्ता का केन्द्रीयकरण है, उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया।

बम्बई कांग्रेस का अधिवेशन समाप्त होने के बाद जिन तीन नीतियों की घोषणाएं की गयीं, उनमें एक घोषणा थी कि गोवा में बिड़लाजी को फर्टिलाइजर का कारखाना दिया जाय, इस्पात के दामों को बढ़ाया जाय और वनस्पति घी के दाम भी बढ़ाये जायें जिसमें हिन्दुस्तान लीवर जैसी विदेशी कम्पनी का अकेले उत्पादन में एक-तिहाई हिस्सा है। तो सत्ता के केन्द्रीकरण का जहां तक सवाल है पुरानी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं आया और समाजवाद के नाम पर मुल्क में एकाधिकारशाही को उत्पन्न करने का जो काम 23 साल से चल रहा है, पिछले तीन, चार वर्षों में उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

इन्होंने कम्पनी कानून में हम लोगों के कहने पर परिवर्तन किया और मैनेजिंग एजेन्सी की प्रणाली को, तथा कम्पनियों के द्वारा जो राजनीतिक दान दिया जाता था, उस प्रथा को भी बन्द करवाया। लेकिन जैसाकि उस समय हम लोगों ने कहा कि यह बिल तो पास हो जाएगा लेकिन

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 16 अप्रैल 1970.

£ उद्योग विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए।

उसके बाद कम्पनियां नये-नये रास्ते निकालेंगी जिससे जो पुरानी प्रथायें हैं वही चलती रहेंगी, वह बात हमारी सच साबित हो रही है।

अब राजनीतिक अनुदान के बारे में उन्होंने कहा कि कानून बिलकुल साफ है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है, उनका ध्यान इन बातों की ओर हमने तत्काल आकर्षित किया था कि सूवेनेयर के जरिये, यानी जो सप्ताह के नियमित ढंग से अखबार नहीं निकालते हैं, जो मासिक पत्रिकाएं नहीं हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के सूवेनेयर्स को इतनी बड़ी मात्रा में विज्ञापन दिये जाते हैं कि कम्पनी के राजनीतिक चन्दे को बन्द करके जो फायदा होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कितनी कम्पनियों के खिलाफ आपने कार्यवाही की है? या सिर्फ यह आश्वासन ही देते रहेंगे कि कानून बिल्कुल साफ है और कम्पनियों का ध्यान इस ओर खींचा गया है?

मैनेजिंग एजेंसी की प्रणाली को खत्म इसलिए किया गया, कम-से-कम मैंने विधेयक इसी दृष्टि से रखा था कि निजी क्षेत्र में सामन्तवाद का, परिवारवाद का जो असर है वह खत्म हो और जिनको तकनीकी ज्ञान है, बिजनेस का ज्ञान है, ऐसे नए-नए लोगों को काम में लिया जाए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट का विकास किया जाय। लेकिन क्या मंत्री महोदय कह सकते हैं कि मैनेजिंग एजेन्सी प्रणाली को खत्म करने के बाद रत्ती भर भी परिवर्तन हुआ है? मैंने 8, 10 कम्पनियों के बारे में मंत्री महोदय को चिट्ठियां लिखी हैं और उनसे पता चलेगा कि जिन लोगों के हाथ में मैनेजिंग एजेन्सी थीं उन्हीं लोगों को और उनके ही रिश्तेदारों को होल-टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। उसमें जरा भी परिवर्तन नहीं आया। इस मंत्रालय के द्वारा जो सम्पूर्ण समय देकर काम करने वाले मैनेजिंग डायरेक्टर आदि लोग हैं उनको कितनी तनख्वाह दी जाये, उसके बारे में इन्होंने एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र का इस्तेमाल कम्पनियों के द्वारा शेयरहोल्डर्स को और उपभोक्ताओं को लूटने के लिए किया गया है। इस परिपत्र के बारे में मैंने छः सुझाव इनके पास भेजे हैं, जिनकी संक्षेप में मैं चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पांच साल के लिए इन मैनेजिंग डायरेक्टरों की नियुक्ति न हो, तीन साल के लिये हो। जैसे अन्य डायरेक्टर्स हैं उनके साथ यह भी बदल जायें। साथ-साथ एक-दो जगह मैंने ऐसा देखा है कि एक जगह पर फुल-टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर उसी को नियुक्त किया जाता है जो किसी एक दूसरी कम्पनी में पार्ट टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर है। ऐसा गोकाक और आई.वी.पी. के बारे में मैंने लिखा है, लेकिन उसके बारे में मंत्रालय सो रहा है, कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है।

इसी तरह उन लोगों को सुविधायें क्या मिलें इसके बारे में एक सीमा लगाई गई है, लेकिन एक-एक सुविधा के बारे में अलग-अलग सीमाएं नहीं लगाईं। नतीजा यह हुआ है कि एक कम्पनी से वह मोटर कार अलाउंस लेंगे, एक कम्पनी से दूसरा अलाउंस लेंगे और दूसरी कम्पनियों से दूसरी सुविधायें लेंगे। इसके बारे में मंत्री महोदय को सोचना चाहिए।

जो पुराने करारनामे हैं उनके बारे में भी मैंने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया है और मैंने सुझाव दिया है कि पुराने सभी करारनामों को खत्म किया जाये और जो सुझाव मैंने दिया है या तो उसके आधार पर उनको नये सिरे से बनाया जाये या अगर वे मेरे सुझाव को मानने

के लिए तैयार नहीं हैं तो कम-से-कम जो यह परिपत्र है उसके अनुसार उनमें संशोधन करने का काम हम करें।

साथ-ही-साथ मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि नये-नये लोगों को इन बड़े पदों पर पहुंचाने के खिलाफ मंत्री महोदय क्या कार्यवाही कर रहे हैं। आज कुछ लोगों ने सट्टा खेल कर, चोरी करके, भ्रष्टाचार करके कुछ कम्पनियों पर कब्जा किया है, जैसे कापड़िया के बारे में कुछ अर्से से मैं लिख रहा हूं, उनकी मैनेजिंग एजेंसी खत्म करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बम्बई सब-अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी है, अहमदाबाद की कम्पनी है, सूरत की कम्पनी है, उनमें एक परिवार के रिश्तेदारों को होल टाइम डायरेक्टर नियुक्त करने का सुझाव आ रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में आप क्या कर रहे हैं। इस मंत्रालय में जो चापलूसी करेगा, खुशामद करेगा या जो बड़े लोगों के रिश्तेदार होंगे उनके बारे में कभी कड़ी कार्यवाही नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि मुझसे पहले श्री बाबू राव पटेल ने प्रधान मंत्री जी के लड़के को मोटर गाड़ी की पैदावार का लाइसेन्स देने के बारे में पूछा था। मैं आज मंत्री महोदय से एक ठोस सवाल पूछना चाहता हूं। हम लोगों ने सुना है कि प्रधान मंत्री के लड़के ने एक गाड़ी का मॉडल तैयार किया है जिसका इस्तेमाल भी हो रहा है। क्या इस गाड़ी के ऊपर एक्साइज ड्यूटी आदि जो कर हैं वह दिये गये हैं? अगर नहीं दिये गये हैं तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है? जब पूंजीपतियों के परिवार इस तरह की कार्यवाही करते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं, लेकिन प्रधान मंत्री के लड़के के बारे में क्या इस मंत्रालय में या वित्त मंत्रालय में कार्यवाही करने की कोई हिम्मत है? अगर नहीं है तो साफ-साफ कह दीजिए कि हमारा समाजवाद और शुद्ध शासन सारा ढोंग है और हमको मनमाने ढंग से काम चलाना है।

*** *** ***

*** *** ***

अब आप बड़ौदा रेयान के मामले को लीजिए। उसने ऐसी सबकी तनख्वाहें और सुविधायें निश्चित की हैं कि आप दंग रह जायेंगे। मिनिमम रेम्यूनरेशन निश्चित करते समय उन्होंने कहा है कि मुनाफा हो या घाटा हो, उनको जो रेम्यूनरेशन मिलने वाला है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या कम्पनी मंत्रालय इसको भी मान्यता देने वाला है? मुझे डर है कि चूंकि एक मंत्री का लड़का इस कम्पनी में होल टाइम मैनेजिंग डायरेक्टर है इसलिए श्री फखरुद्दीन अली अहमद की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस कम्पनी के खिलाफ कोई कार्रवाई करें। उनके मंत्रिमंडल के मिनिस्टर का लड़का उसमें होल-टाइमर है।

आज ही कलकत्ता से मेरे पास चिट्ठी आई है जिसमें ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी के बारे में कहा गया है। उसमें तीन-तीन लोगों को एक-तिहाई प्रतिशत कमीशन देने का नया प्रस्ताव आया है। इस ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कम्पनी में भी एक बड़े नये समाजवादी का कोई रिश्तेदार काम करता है। नया समाजवादी है वह। उससे मास्को में मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने पूछा था कि तुम कहां जा रहे हो, मैं तो लेनिनग्राड जा रहा हूं क्योंकि वह रशियन क्रांति का केन्द्र था। उन्होंने कहा कि मैं स्टालिनग्राड जा रहा हूं। मैंने कहा बात बिलकुल साफ है। तुम नये समाजवादी हो, मैं पुराना समाजवादी हूं।

ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कारपोरेशन के बारे में अभी मुझे चिट्ठी आई है और तीन-तीन लोगों को इतनी ज्यादा सुविधायें और तनख्वाहें दी गई हैं और उसके साथ-साथ यह कमीशन वाला मामला है।

*** *** ***

*केशव देव मालवीय नये समाजवादी और बड़ौदा रेयान के बारे में भी जानना चाहते हैं तो श्री के.के. शाह का लड़का है। आप मजबूर करते हैं नाम लेने के लिए।

मैं एक-एक वाक्य में मुद्दे रखता हूं। असल में बात यह है कि आज निजी क्षेत्र यानि कम्पनी सैक्टर परिवारवाद और सामन्तवाद से चौपट हो रहा है और जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उसके ऊपर यह सर्वसाधारण प्रशासक, जनरल एडमिनिस्ट्रेटर, आई.सी.एस. और आई.ए.एस. हावी हो गया है और कहीं भी निपुणता, विशेष गुण के आधार पर आगे बढ़ने का नौजवानों को मौका नहीं मिल रहा है इसलिए निजी क्षेत्र से भी कुछ नहीं निकल रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र से भी कुछ नहीं निकल रहा है।

दो तीन सवाल उठाये गये हैं। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो कर्जा दिया जाता था उसको इक्विटी में परिवर्तित करने के बारे में कई बार सवाल पूछे गये हैं। क्या मंत्री महोदय ने इसके बारे में कोई ठोस नीति अपनाई है।

दस-दस करोड़ जो इस्को और टिस्को को दिया गया है वह मामला भी बहुत पुराना मामला है। उसके बारे में भी यहां पर बहस छेड़ी गई थी और सरकार को बताया गया था कि कानून में अधिकार होते हुए भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि बड़ी कम्पनियों के खिलाफ अपने अधिकार को इस्तेमाल करे। इसलिए वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो कर्ज दिया जाता है उसको इक्विटी में परिवर्तित करने के बारे में आपकी जो नीति है उसका आप यहां ऐलान करें।

अल्पसंख्यक शेयरहोल्डर्स को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में प्रतिनिधित्व मिले, इसके बारे में भी सरकार के द्वारा अभी तक कोई ठोस सुझाव नहीं आया है। अगर सरकार स्वयं बिल लाने के लिए तैयार नहीं है तो कम-से-कम निजी सदस्यों के जो बिल हैं, उनके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए।

मैनेजिंग एजेंसी खत्म होने के बाद हमने इनको चेतावनी दी थी कि सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के नाम पर भी वही काम किया जाएगा। सिंथेटिक के बारे में हमने पहले सवाल उठाया था। अब उसी प्रणाली को तकरीबन दूसरी कम्पनियां भी अपनाने लगी हैं। इसलिए सोल डिस्ट्रीब्यूटरशिप के बारे में भी सरकार जल्दी कोई कानून बनाए और कोई पाबन्दी लगाए। ऐसा नहीं किया गया तो मैनेजिंग एजेंसी को खत्म करने के जो अच्छे नतीजे निकलने चाहिए थे, वे भी नहीं निकलेंगे।

समय अधिक नहीं इसलिए एक बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। जो इनकी लाइसेंसिंग की नीति है, इससे न उद्योगों में स्पर्धा उत्पन्न हो रही है, न पैदावार बढ़ाने का मौका

---

*माननीय सदस्य द्वारा यह कहने पर कि 'नाम बताइये' का जवाब देते हुए।

मिल रहा है, बल्कि जो खुशामद करेंगे, जो चापलूसी करेंगे, जो इनको चन्दा देंगे उन्हीं इने गिने लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मोदीनगर के गूजर मल मोदी को पद्म विभूषण वगैरह से इन लोगों ने विभूषित किया था। इतना ही नहीं। अभी मोदीनगर इनक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था। उस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार के आशीर्वाद से नतीजा यह हुआ है कि मोदीनगर में जब कभी श्रमिकों के बीच में और व्यवस्थापकों के बीच में संघर्ष हुआ है, कभी भी ट्रिब्यूनल को मामला नहीं भेजा गया है हालांकि सरकार को ऐसा करने का अधिकार है। यह आप इसलिए कर रहे हैं कि मोदीनगर के सेठों के द्वारा राज्य सरकार के नेताओं को और आप लोगों को भी मदद मिलती रहे। अगर ज्यादा मुझको छेड़ेंगे तो इंदिरा गांधी जी के नाम से भी जो चैक वगैरह दिये गये हैं, उसकी जानकारी भी हम सदन के सामने दे देंगे और उसको भी हम देने वाले हैं।

*** *** ***

मैंने तो कहा है उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार, चाहे चरण सिंह की हो या चन्द्र भानु गुप्त जी की। मुझे कोई मतलब नहीं है।...

विदेशी मुद्रा की चोरी पर अंकुश*£

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इसके बारे में कई आक्षेप हैं। उसमें से बुनियादी आक्षेपों को मैं आपके सामने रखूंगा। पहला मेरा आक्षेप यह है कि यह विधेयक अधूरा है। इतना ही नहीं, असद्भाव, मैलाफाइडीज से भरा हुआ है। मैलाफाइडी के मेरे दो ग्राउन्ड्ज हैं कि यह विधेयक आपातकालीन स्थिति, इमर्जेंसी को मेलाफाइडी ढंग से विदेशी आक्रमण का संकट समाप्त होने के बाद भी चला रही है। उसको चलाये रखना और फिर उसके तहत आर्डिनेंस और विधेयक बनाना यह मैलाफाइडी का एक ग्राउन्ड है। दूसरा मैलाफाइडी इसमें यह दिखायी देता है कि इस बिल के तहत जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आर्टिकल 19(ए), (बी), (सी) है जिसको मैं बहुत ज्यादा महत्व देता हूं उसको खत्म किया गया है लेकिन मेरी राय में जो बुनियादी अधिकार होना ही नहीं चाहिए, सम्पत्ति का अधिकार, इन लोगों की सम्पत्ति छीनने के बारे में चाहे वह बेनामी हो या उनके नाम से हो, उनके दोस्तों के नाम से हो, उनकी बीवियों के नाम से हो, उसको छीनने के वास्ते इसमें प्रावधान नहीं है। उसके लिए प्रावधान आपको करना चाहिए था। उसके लिए आप संवैधानिक संशोधन भी पेश करते तो मैं उसमें आपका साथ देता। क्योंकि आखिरकार इनकी शक्ति मनी पावर, इकोनामिक पावर है। उसको आप तोड़ते नहीं और उनको जेलों में बंद करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी मनी पावर तोड़ेंगे और उनको बाहर भी रखेंगे तो वे कर क्या सकते हैं? इसलिए असद्भावपूर्ण यह इसलिए लगता है कि इसके अन्दर आर्टिकल 19(ए), (बी), (सी) जिसमें भाषण, आदि की स्वतंत्रता है उसके ऊपर आक्रमण किया जा रहा है और उनकी सम्पत्ति छीनने का काम उसके द्वारा नहीं हो रहा है। आप इनकी सम्पत्ति छीन लीजिए, मैं आपका साथ दूंगा।

दूसरी बात यह है कि इसमें मुझे विषय व्यवहार लगता है। कैसे? अब मैं नामों पर आऊंगा। मेरा डिस्क्रीशन का प्वाइन्ट है। यह जब सरकार को आप पूरा अधिकार देते हैं, विवेकपूर्ण अधिकार, डिस्क्रीशनरी पावर कि जिसको चाहे पकड़ें उसमें यह भी अधिकार है कि जिसको न चाहें न पकड़ें। मेरा कहना यह है कि आप पकड़ते हैं लेकिन आप जिसको चाहेंगे उसी को पकड़ेंगे और आप जो मैं लगातार जानकारी दे रहा हूं, आपने मुझे आश्वासन भी दिया है कि मैं सख्त कार्यवाही करूंगा, लेकिन मैदान में आपके आने से पहले कई काम ऐसे हुए हैं कि जिनके बारे में मुझे एतराज है, इसलिए मैंने आज नोटिस दिया है। जिसकी कापी मंत्री जी को भी दी है वही चार मुद्दे मैं आज उठाऊंगा क्योंकि मुझे बार-बार कहा गया कि आप नोटिस नहीं देते हैं जबकि जिसके बारे में नोटिस मैंने 17 मार्च 1970 को दिया, उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल वगैरह के ऊपर कई नोटिस दिए, फिर भी संतोष इन लोगों को नहीं होता, स्पीकर साहब को नहीं होता, इसलिए मैंने

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 25 नवम्बर 1974.

£ विदेशी मुद्रा का संचय और तस्करी की गतिविधियों पर रोक लगाने संबंधी विधेयक को प्रस्तुत किये जाने के अवसर पर।

आज जानबूझ कर यह प्रापर नोटिस दिया और नोटिस दे कर चार लोगों के बारे में कह रहा हूं। एक हैं श्री नित्यानन्द कानूनगो—This gentleman is guilty of perjury. ये गवर्नर थे और इंदिरा गांधी इनके ऊपर इतनी मेहरबान थीं कि इनका टर्म खत्म होने के बाद भी इनको गवर्नर बनाए रखा था। यहां हल्ला होने के बाद इनको टर्मिनेट किया गया।

दूसरे हैं श्री रामलाल नारंग—This gentleman was a notorious smuggler. But several Ministers of the Central Government and State Governments as also Chief Ministers of States hobnobbed with him. Because of his influence he got himself nominated on the Telephone Advisory Committee, Bombay under the Ministry of Communications and the Board of Film Censors under the Ministry of Information and Broadcasting.

तीसरे हैं श्री हरिभाई तांडेल—brother-in-law of notorious smuggler Bankhia was given a Congress ticket of the Goa Assembly and the Prime Minister herself campaigned for him. He has not yet been arrested.

चौथे हैं श्री प्रेमा भाई तांडेल इनको भी नहीं पकड़ा गया—He is a relative of Bankhia and purchaser of 15,000 shares in the Maruti Ltd., enjoys special protection from Sanjay Gandhi and the Prime Minister.

...तो डिस्क्रिमिनेशन यह है। यह जिस कागज से इन्फार्मेशन इनको दी गई है उनमें कुछ लोगों को तो गिरफ्तार किया जैसे योगी तांडेल को किया और दूसरों को नहीं किया। हरिभाई और उनके भाई को नहीं किया। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार को डिस्क्रीशनरी पावर देने में एक खतरा यह आता है कि आप जिनको पकड़ना चाहेंगे उन्हीं को पकड़ेंगे और जिनको नहीं चाहेंगे नहीं पकड़ेंगे, वे छूट जायेंगे।

तो ये मेरे मुख्य आक्षेप हैं। वरना स्मगलिंग का जितना विरोध मैं 1966 से इस सदन में करता आया, क्योंकि मेरे मित्र बकवास करते हैं, प्रलाप में उसको कह कर छोड़ देता हूं ....

*** *** ***

...तो डिस्क्रिमिनेशन के बारे में मुझे बड़ी-भारी चिन्ता है और आज मैं बड़ी उम्मीद से आया हूं कि मंत्री महोदय इसके बारे में गहराई से सोचेंगे क्योंकि उनके पत्रों के टोन से मुझे ऐसा लगा कि वह भी इसके पीछे पड़े हुए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं, लेकिन श्रीमती सुशीला रोहतगी तो हैं। विदेशी मुद्रा की चोरी रोकना और विदेशी मुद्रा की राशि को बढ़ाना, इस डबल उद्देश्य से प्रेरित होकर सरकार यह विधेयक लाई है। इसलिए मैं इस विधेयक के उद्देश्यों के समर्थन में बोलूंगा। लेकिन जो तरीके हैं, उनमें मैं परिवर्तन का सुझाव देना चाहता हूं। जो भी काम करना है वह अध्यादेशों के जरिये न किया जाये। इस मायने में मैं अटलजी के प्रस्ताव का समर्थक हूं और इस बिल के जो उद्देश्य हैं, उनका भी समर्थक हूं।

आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात रखना चाहता हूं कि जो तस्कर लोग हैं, तस्करी करते-करते जब उनके पास धन-संचय हो जाता है, तो वह उसको व्यापार और उद्योगों में लगाने लगते हैं। जो कल का तस्कर है, वह आज का बिजिनेस मैन या उद्योगपति बन जाता है, और जो उद्योगपति है, वह भी विदेशी मुद्रा की चोरी करने का काम करता है। प्रकार अलग हैं, लेकिन दोनों का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर समान असर पड़ता है। इसलिए मैं दोनों के कामों को राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही समझता हूँ।

अगर सरकार इसके बारे में कोई व्यापक कानून बनायेगी, तो मैं उसका स्वागत करूंगा लेकिन इस कानून में केवल छः महीने के लिए नजरबन्द करने का प्रावधान किया गया है। उससे कुछ होना-हवाना नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इकोनोमिक आफेंडर्ज के बारे में एक सम्यक कानून लाये। कानून के कार्यान्वयन की जो मशीनरी है, उसका वह शुद्धिकरण करें। पुलिस, कस्टम्ज, एक्साइज, एन्फोर्समेंट डायरेक्ट्रेट में सब भ्रष्ट लोग घुसे हुए हैं; सरकार को उन्हें निकालना पड़ेगा। उद्योगपतियों और नौकरशाही, इन दोनों से सांठ-गांठ करके इस तरह का गंदा काम करने वाले राजपुरुषों के खिलाफ भी सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। तस्करों की सम्पत्ति को जब्त करना होगा।

आज मैं उद्योगपतियों के एक बड़े परिवार का मामला आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं पहले ही इसकी सूचना दे चुका हूं। यह मामला है मोदी परिवार के बारे में। श्री गूजरमल मोदी अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की चापलूसी करते थे। अंग्रेजों की चापलूसी करते-करते इन दो भाइयों ने "राय बहादुर" और "रायजादा" इन दो पदवियों को हासिल किया। जब जमाना बदला गया—अंग्रेज गये और कांग्रेस आई—तो वह कांग्रेस की चाकरी करने लगे, और "पद्मभूषण" की पदवी को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। यह मोदी रबर की बोर्ड आफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है। इसमें लिखा है: "चेयरमैन: राय बहादुर सेठ गूजरमल मोदी, पद्मभूषण"। साम्राज्यवाद और राष्ट्रवाद दोनों का यह मिलाप है, समन्वय है।

इस मोदी रबर के बारे में मैं संक्षेप में कुछ तथ्यों को रखना चाहता हूँ। इसमें जो पूंजी शेयर कैपिटल लगा हुआ है, उसमें एक बड़ा हिस्सा सरकारी वित्तीय सस्थाओं, गवर्नमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्ज ने इक्विटी में लिया है। इसके अलावा मोदी रबर को 16 करोड़ रुपये कर्जे, लांग टर्म लोन्ज़ के रूप में दी गई है।

मोदी रबर ने पश्चिमी जर्मनी की एक कम्पनी के साथ, संक्षेप में जिसका नाम है "कांटीनेंटल" उसके आगे भी कुछ शब्द हैं, लेकिन संक्षेप में उसको "कान्टीनेंटल" कहा जाता है—सहयोग का करार किया। वित्त मंत्रालय के तहत जो आई.डी.बी.आई है, उसने इस करार को एक माडल एग्रीमेंट के रूप में परिचालित, सर्कुलेट, किया है, और सब लोगों को इसका अनुसरण करने के लिए कहा है। लेकिन सरकार को एक अर्से तक इस बात का पता नहीं था—इधर कुछ दिनों से पता चला है, हालांकि कोई कार्यवाही नहीं की गई है—कि मोदी परिवार के लोगों ने कान्टीनेंटल कम्पनी के साथ जिस दिन यह माडल एग्रीमेंट किया, उसी दिन एक गुप्त करार भी किया, और इस गुप्त करार की जो शर्तें हैं, वे सरकार से छिपा कर रखी हैं।

मुझे एक गुप्त करार प्राप्त हुआ है। कल मैं आपको यह दिखा चुका हूँ और मैं आपकी अनुमति चाहता हूं कि मैं इस करार को मेज पर रखूं। साथ में मैंने एक तुलनात्मक, कम्पेरेटिव स्टेटमेंट दिया है। उससे पता चलता है कि सरकार को जो शर्तें बताई गईं, उनके अलावा कुछ गुप्त शर्तें, सीक्रेट क्लाजिज, थीं, जिनके तहत कुल मिलाकर लगभग पचास लाख रुपए, मैं राऊंड फिगर्स दे रहा हूं—अधिक विदेशी मुद्रा में इस वैस्ट जर्मन कम्पनी को देने का करार किया गया।

माडल एग्रीमेंट में कहा गया कि परचेज कमीशन नहीं दिया जाएगा और सीक्रेट एग्रीमेंट में कहा गया है कि मोदी द्वारा 2 परसेंट परचेज कमीशन दिया जाएगा। माडल एग्रीमेंट में कहा गया है कि इंजीनियरिंग फीस 5 लाख डालर्स है, और गुप्त एग्रीमेंट में 20 लाख वैस्ट जर्मन मार्क्स की बात कही गई है। इस तरह का आश्वासन भी दिया गया है कि इस बीस लाख वैस्ट जर्मन मार्क्स पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। आगे चल कर गुप्त करार की शर्त में कहा गया है कि यह जो अधिक विदेशी मुद्रा दी जाएगी, उसकी पूर्ति मशीनरी का खर्चा बढ़ा कर की जाएगी, जिसको अभी माननीय सदस्य ओवर-इन्वोयसिंग कह रहे थे, अर्थात् मशीनरी का खर्चा बढ़ा कर दिखाओ और उसमें से यह पैसा काट कर ले लो।

इसके अलावा यह करार हुआ था कि रेडियल टायरों पर ढाई प्रतिशत रायल्टी दी जाएगी, लेकिन गुप्त करार में व्यवस्था की गई है कि पांच परसेंट रायल्टी दी जाएगी।

इसके अलावा भी और सप्लीमेंटरी एग्रीमेंट्स हुए हैं, लेकिन समय-समय पर मैं आपके सामने इन चीजों को रखता जाऊंगा। फिलहाल यह जो उसके साथ एग्रीमेंट है ... इसको मैं टेबिल पर रख रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मोदी रबड़ जिनको 16 करोड़ का कर्जा आपने दिया ...

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, अब मुझे और कुछ बातों की ओर आने दीजिए। सरकारी वित्तीय संस्थाओं की ओर से दो डायरेक्टर्स मोदी रबर के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स पर थे। एक का नाम है—एल.एम. जदवानी और दूसरे का नाम है—डी. शर्मा। डी. शर्मा साहब, ज्वाइन्ट जनरल मैनेजर आई.डी.बी.आई. हैं और जदवानी साहब इंडस्ट्रीयल फाइनेन्स कारपोरेशन के दिल्ली डिवीजन के अधिकारी हैं। ये सरकार की ओर से नामजद किये गये। इस सदन के भी एक सदस्य इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर हैं और एक मित्र के नाते, जब इन बातों की जानकारी मुझे मिली तो मैंने उनसे कहा कि मोदी रबर के मैनेजिंग डायरेक्टर्स जो हैं—तीनों मोदी—इनके बारे में बहुत सनसनीखेज समाचार मुझे मिले हैं। विदेशी मुद्रा की ये लोग चोरी करते हैं, ये लोग चीटिंग कर रहे हैं, कांस्परेसी कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेन्ज रेगुलेशन एक्ट को तोड़ रहे हैं, कस्टम एक्ट को तोड़ रहे हैं। फॉरेन एक्सचेन्ज के इन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट के जो नियम हैं उनको भी ये लोग तोड़ रहे हैं। तो आप या तो यह मामला बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में उठा कर उनको सारी बातें बतला दीजिए और फिर सरकार को रिपोर्ट दीजिए, यदि प्रबंधक सत्य बताने का काम नहीं करते हैं तो आपको जो भी करना है, वह कीजिए। बाद में मैंने उनको पत्र भी भेजा है और उन्होंने मुझको कहा है कि अगर

यह बात सही है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब वह क्या करते हैं—वह जानें। मैं आज उनका नाम नहीं लेता, लेकिन मित्र के नाते मैंने उनको यह सलाह दी। यह जो जदवानी हैं और मि. शर्मा हैं—इन दोनों को भी मैंने पत्र लिखे हैं।

उस पत्र में मैंने जो लिखा है, वह पढ़ देना चाहता हूँ—उसके बाद मैं लम्बा भाषण नहीं करूंगा—

"Dear Shri Jadhvani,

Subject: Malpractices in Modi Rubber

I have before me the Second Annual Report, 1973, of Modi Rubber Ltd. This seems to be their latest published balance sheet. I understand that this Company was given permission by the authorities to extend the date of their next Annual General Meeting.

2. The Annual Report shows that Rai Bahadur Seth Gujar Mal Modi is the Chairman of the Company. The Report calls to mind the feat of G.M. Modi in obtaining high honours both from the erstwhile British Government in India as well as Padma Bhushan from the Government headed by Mrs. Gandhi. Kedar Nath Modi also obtained honours from the former British Government. He was given the title of Raizada by the imperialist rulers. I guess he will also obtain a Padma Bhushan from our President very soon.

3. The Company's authorised capital of Rs. 6 crores is fully subscribed. From the prospectus of the Company which I happened to see three years ago, the public financial institutions hold a substantial proportion of the equity of this Company. If anything, this proportion must have gone up.

4. The Report further says that the term lending institutions and banks have agreed to give the Company long term loans of Rs. 12 crore. Subsequently, this sum has been raised, I understand, to Rs. 16 crore.

5. The U.P. Government have given Modi Rubber 117 acres of land at a concessional rate for their factory and they have also agreed to give an additional loan and subsidy of Rs. 25 lakh.

6. The Company's collaborators are Messers Continental Gummi-Werke A.G. Hannover (West Germany).

7. I reliably understand that the Company's management has sold part of its steel and cement quotas in the blackmarket at a considerable profit. What is much more serious is that the management controlled by G.M. Modi, K.N. Modi and V.K. Modi have entered into secret agreements with their

foreign collaborators (Continental) which amount to a conspiracy to defraud the Government and the shareholders. The agreements, I am told, have not been disclosed to the Government, and constitute a gross violation of our foreign exchange regulations. I cannot but call this an unethical, unpatriotic and anti-national act.

8. You are Manager of the IFC, Delhi Division and you represent public financial institutions on the Baord of Directors of Modi Rubber. As such, it is your duty to protect the interests of these institutions, the shareholders and the general public.

9. I am sorry to say that you have not carried out your duty properly. You seem to be either ignorant of what is happening in this Company, or although you are aware of the true state of affairs, you are indifferent to public interests, or what is worse, you are an abettor of the crimes that are being perpetrated by the Modi trio.

10. I would like to know what you do at the meetings of the Board of Directors. Don't you ever ask searching questions? Don't you ever insist that all information pertaining to the affairs of the Company be disclosed to the Baord of Directors and to the Government? Do you go to the meetings only to collect your travelling expenses and allowances?

11. I do not know you personally and, believe me, I am not motivated by any malice. I was induced to write this to you because I thought that it was only fair that I should give an opportunity to explain your position before I criticise you in Parliament."

*** *** ***

£I have not taken his name; you can see the record.

मैंने इनके बारे में कुछ नहीं कहा है—आप क्यों इनको उकसा रहे हैं। मैं इससे ज्यादा और क्या प्रीकोशन ले सकता था। मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा, उन्होंने दो-तीन दफा मुझसे बात की। मुझे उस बारे में और कुछ नहीं कहना है। लेकिन यह जदवानी और शर्मा इतने चालाक हैं—जदवानी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कारपोरेशन का दिल्ली डिवीजन का आदमी है और डी. शर्मा—आई.डी.बी.आई. के ज्वाइन्ट जनरल मैनेजर हैं। इन लोगों को मैंने 20 नवम्बर को पत्र लिखा, इन लोगों ने एकनोलिज तक नहीं किया है। अब मुझे पता लगा है कि जैसे ही मेरा पत्र मिला, वे छुट्टी पर चले गये। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता, लेकिन यह जरूर मांग करना चाहता हूं कि इन लोगों ने जो अपराध किये हैं, इन अपराधों का सरकार को ख्याल करना चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य इस बात को लेकर हुआ कि इनसे संबंधित कुछ आवश्यक डाक्यूमेन्ट्स एन्फोर्समेन्ट डायरेक्टोरेट दिल्ली को दिये गये, लेकिन उसके बाद भी एन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने किसी तरह की कार्यवाही नहीं की। जब आप स्मगलिंग खत्म करने की बात करते हैं, विदेशी

£Responding to Shri R.S. Pandey's remarks that 'your friend' has resigned.

मुद्रा की चोरी को रोकने की बात करते हैं और इस तरह बिना मुकदमा चलाये हुए नजरबन्द करने के कानून भी बना रहे हैं तो मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। साधारण कानून के तहत इन सारे चोरों को और समाजद्रोही तत्वों को खींच कर उनके ख़िलाफ मुकदमा चला कर उनको पूर्णतया एक्सपोज करके जेल में भेजने का काम आप करने वाले हैं या केवल नजरबन्दी के कानून की आड़ में छुपाने वाले हैं। दूसरा जो मुद्दा—मोदी रबड़ का सवाल मैंने उठाया है, इन लोगों ने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी मेरे द्वारा बताई गई इस इन्फार्मेशन को छिपाया। साल्वे साहब को तो इसकी जानकारी नहीं थी?

ऐसी हालत में सरकार के साथ धोखाधड़ी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ धोखाधड़ी, शेयर होल्डर्स के साथ धोखाधड़ी, अवाम के साथ धोखाधड़ी—आखिर यह मामला कैसे चल सकता है। क्या मैं अपेक्षा करूं कि यहां जो लोगों को गिरफ्तार करने की बात चल रही है, क्या इन रायबहादुर, रायजादों, पद्मभूषण को भी तत्काल गिरफ्तार करके उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड, फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन्ज़ एक्ट, कस्टम्ज़ एक्ट, आदि कानूनों के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और जिन अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है, उन एन्फोर्समेंट अधिकारियों को भी दंडित किया जाएगा?

ये दो सवाल पूछकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ। ......

विदेशी मुद्रा की चोरी पर नियंत्रण*£

सभापति महोदय, असल में जिस उद्देश्य से मंत्री महोदय ने विधेयक रखा है उसके बारे में कोई विवाद नहीं है। लेकिन सवाल यह है इस विधेयक के पास करने के बाद या इस तरह के पचास विधेयक पास करने के बाद क्या वित्त मंत्री इस स्थिति में रहेंगे कि विदेशी मुद्रा की जो बड़े पैमाने पर चोरी चल रही है उसको वह नियंत्रित कर सकें? इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो प्रशासन के इन्तजाम में है। उसमें मुझे कुछ दोष दिखाई दे रहा है। जैसे फारेन एक्सचेन्ज रेगुलेशन एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए डायरेक्ट्रेट बनाया गया है उसके ऊपर वित्त मंत्री का नियंत्रण अब नहीं है। यह विधेयक तो वह अवश्य ला रहे हैं, लेकिन इस विधेयक के तहत, इस कानून के तहत कार्रवाई करने वाला जो डायरेक्टोरेट है वह प्रधान मंत्री के नियंत्रण में है। क्या वित्त मंत्री यह आश्वासन देने की स्थिति में है कि उनकी इच्छा के अनुसार इस डायरेक्टोरेट के जरिये काम होगा क्योंकि उस पर उनका नियंत्रण नहीं है?

दूसरा सवाल मुझे यह उठाना है कि उनके मंत्रालय का और उनका पूरी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है क्योंकि वह वित्त मंत्री हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा स्थान विदेशी व्यापार का है, और विदेश व्यापार मंत्रालय प्रधान मंत्री जी ने एक ऐसे विशेष व्यक्ति के हाथ में दे दिया है जिसकी विदेश व्यापार को बढ़ाने में रुचि कितनी है, शक्ति कितनी है, यह अलग बात है, लेकिन किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित हो कर यह महकमा उन्हें दिया गया है।

मै तीन-चार साल से यह विदेशी व्यापार का मामला उठा रहा हूँ। असल में इसमें तीन मामले हैं। एक तो आयात-निर्यात का मामला जिसमें अन्डर-इन्वायसिंग और ओवर-इन्वायसिंग का मामला आ जाता है। इसमें मंत्री महोदय का अधिकार ही नहीं चलता है। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन बनने के बाद भी अगर आपके अधिकारी और आपके सरकारी लोग भ्रष्ट हैं तो जो निजी क्षेत्र में चोरियां होती हैं, तमाम चेनलाइजेशन के बाद भी होती है। उनको आप रोक नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए नेपाल का मामला है। इधर तीन सालों से मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। सभी लोग जानते हैं कि नेपाल नाइलोन फिलेमेंट यार्न पैदा नहीं करता। सारा माल जो बनता है रेडीमेड गारमेंट्स से लेकर, मैंने उसका सबूत दिया है पिछले साल दशहरे की एक भेंट मैंने विदेश व्यापार मंत्री, श्री भगत, को दिया था। वह माल जापान से आया था। उसके ऊपर मेड इन नेपाल की मोहर लगी थी और यहां पर वह बेचा जा रहा था। इतना ही नहीं, मैंने अशोक कारपोरेशन सर्कुलर को पकड़ कर आपके पास भेजा था इसमें कहा गया था कि रेडीमेंट गारमेंट्स के बारे में कोई रोक

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 25 नवम्बर 1970.

£ विदेशी मुद्रा विनियमन (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान।

नहीं है। आप जानते थे कि माल मंगवा सकते हैं हम दे सकते हैं। बम्बई के बाजार से खरीद कर हमने उसको रखा था और आपके पास भेजा था।

अभी भी नेपाल के साथ संधि वाला मामला चल रहा है। मेरी समझ में नहीं आता है कि आप इसके बारे में सख्ती से काम क्यों नहीं लेते हैं। नेपाल की सहायता करने का मैंने कभी विरोध नहीं किया। आप हर साल पच्चीस करोड़ उनको दें, मुझे कोई एतराज नहीं है। उनके कच्चे माल का, उनके साधनों का विकास करने के लिए आप जितनी सहायता चाहे उनको दें। लेकिन आप विदेशी मुद्रा की बचत तो करें। कारण यह है कि फारेन एक्सचेंज रिज़र्व के ऊपर ही तो आपकी इकोनोमी चलती है। यह आपकी जिम्मेदारी है। उसमें से अगर लीकेज होता है और नेपाल के जरिये होता है तो क्या वित्त मंत्रालय उसके बारे में कुछ नहीं कहेगा? लेकिन जिस ढंग से आप नेपाल के साथ बात कर रहे हैं, उस पर हमारा एतराज है आपको उनकी मदद करनी है तो बजट में उसकी व्यवस्था करके आप मदद करें। और भी करनी है तो करे। मेरा ख्याल है कि इस सदन में कोई ऐसा गैर जिम्मेदार आदमी नहीं है जो पड़ोसी देश की सहायता करने के बारे में आपका विरोध करे। लेकिन यह तरीका नहीं है कि स्टेनलैस स्टील, नायलोन फिलेमेंट, माइका, रेडीमेड गारमेंट्स आदि के बारे में इस तरह से तस्करी चले। कई केसेस सरकार के सामने हमने पेश किये हैं। जूट का नेपाल को निर्यात होता है, माइका का निर्यात होता है। क्या नेपाल में माइका पैदा होता है? इसके लिए क्या कमीशन की जरूरत है? क्या किसी सबूत की जरूरत है, समझ में नहीं आ रहा है। नेपाल में माइका पैदा नहीं होती लेकिन नेपाल के जरिये माइका विलायत में कैसे निर्यात होता है, उसकी विदेशी मुद्रा नेपाल में कैसे जाती है? आखिरकार भारत के व्यापारी ही वहां जाकर यह सब काम करते हैं। इसके बारे में वित्त मंत्री जी के ऊपर मुझे रहम आता है।

आप यह भी देखें कि विदेश व्यापार मंत्रालय पर इनका कोई कब्जा नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है, इनकी बात कोई सुनता नहीं है। यह चलता रहेगा? क्या यह सरकार हमारे सामने इसी तरह से विधेयक पेश करती रहेगी? अगर ऐसा होता है तो कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है।

औद्योगिक विकास और कम्पनी विभाग भी अलग हैं। हमारी अपनी राय है कि नीतियों के मामले में वित्त मंत्रालय से बातचीत करके इनको काम करना चाहिए क्योंकि वित्त मंत्री एक नीति चलाएं और उसके विपरीत नीति अगर उद्योग मंत्रालय या कम्पनी कानून मंत्रालय चलाए तो यह सरकार चलेगी कैसे, देश चलेगा कैसे, यह समझ में नहीं आता है ...

*** *** ***

अगर इसको चलना या प्रशासन का चलना कहते हैं तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

*** *** ***

[£]उस माने में यह सरकार चल रही है। उद्योग विकास मंत्रालय के एक नहीं कई मामले इस वक्त मैंने विदेशी कम्पनियों के बारे में और एकाधिकारशाही के बारे में उठाए। क्या वित्त मंत्रालय

[£] श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद द्वारा यह कहने पर कि 'चलती का नाम गाड़ी है' पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए।

की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है? मैं जानना चाहता हूँ कि ब्रिटानिया बिस्कुट कम्पनी क्या आने वाले पांच साल में पन्द्रह करोड़ रुपया और विलायत भेजने वाली नहीं है? श्री दिनेश सिंह को यह सब मैंने लिख कर दिया है। क्या आप उसमें दिलचस्पी नहीं लेंगे? क्या आप कहेंगे नहीं कि हम लोगों की नीति ऐसी होनी चाहिए कि विदेशी कम्पनियों का प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था में कम हो? इम्पीरियल टोबैको का मामला चल रहा है। वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी को साठ लाख रुपये में इन लोगों ने खरीदा है, विदेशी कम्पनी ने खरीदा है और आज वह छ: करोड़ की मालिक बन गई है। क्या तमाशा है? समाजवाद की आप बातें करते हैं। साठ लाख में जिस कम्पनी ने खरीदा वह छ: करोड़ की मालिक बन गई है। मैंने सुना है कि हमारे तेलंगाना के कुछ सदस्य अपना पत्र भेज रहे हैं और पूछना चाहते हैं कि क्या वजीर सुल्तान की फैक्ट्री तेलंगाना में नहीं रहेगी? मैं कहता हूँ कि आप राष्ट्रीयकरण करें। उसके बाद कितना विस्तार वजीर सुल्तान कम्पनी का आपको करना है करें, मैं खिलाफ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना का विकास हो। मैं चाहता हूँ कि वहां भी तम्बाकू पैदा करने वाले जो किसान हैं, उनको उचित दाम मिलें। विदेशी कम्पनी के द्वारा उनकी जो लूट हो रही है, उसको रोका जाए।

यह हिज मास्टर्ज वायस कम्पनी का जहां तक ताल्लुक है, यह साठ साल से चल रही है यह हिज मास्टर्ज वायस नहीं हर मास्टर्ज वायस गवर्नमैंट है, आप ठीक कहते हैं। उस ग्रामोफोन कम्पनी आफ इंडिया की सौ प्रतिशत एकाधिकारशाही है। इनके सारे काम एक हजार डीलर्ज के जरिये होते हैं और उनके जरिये ही यह काम करती है। इन डीलर्स के बारे में उनका यह कहना है कि अगर किसी भी दूसरी कम्पनी के ग्रामोफोन रिकार्ड आप बेचेंगे तो आपकी डीलरशिप को हम रद्द कर देंगे। आपने जो मोनोपोलीज एंड ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव प्रेक्टिसिस एक्ट बनाया है, उसके तहत यह जुर्म है। लेकिन इस जुर्म में इस कम्पनी के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा जबकि औद्योगिक मंत्रालय के अफसर रात-दिन काम कर रहे हैं कि ऐसी कम्पनी के खिलाफ कोई कार्रवाई चले ही नहीं और उसके लिए वे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। मैं जिम्मेदारी के साथ यह कह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वजह है कि बम्बई के आठ डीलरों के खिलाफ कार्रवाई एच एम वी के द्वारा की गई है और इस वास्ते की गई है कि उन्होंने पालीडाल नाम की जो नई कम्पनी निकाली है उसके रिकार्डज को बेचना पसन्द किया है। क्या एक हजार डीलर इस कम्पनी के इस तरह से गुलाम रहेंगे, सारे संगीतकार इस कम्पनी के गुलाम रहेंगे? पांच-पांच और दस-दस साल साल का—कांट्रैक्ट उनके साथ किये रहते हैं। उनको कहा जाता है कि कैसे आप दूसरी कम्पनी को अपना संगीत दे सकते हैं?

***   ***   ***

£रोका जा सकता है अगर हिम्मत हो, इच्छा हो। यह जुर्म है। मैं यहां किसी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूं जब तक कि आप पूरा समाजवाद नहीं लाते हैं तब तक विदेशी कम्पनियों के खिलाफ मैं जरूर चाहूंगा कि आप देशी कम्पनियों को आगे बढ़ाएं आज बड़े

£ श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे, सांसद द्वारा यह पूछे जाने पर कि 'क्या डीलर्स को कम्पीटीटिव बिजनैस करने से रोका जा सकता है?' का जवाब देते हुए।

एकाधिकारशाह, मोनोपोलिस्ट उनके खिलाफ चल रहे हैं। नए लोगों को आप आगे बढ़ायेंगे। जो संगठित उद्योग हैं उसके बारे में मैं कहूंगा कि जो छोटे लोग हैं, ग्रामोद्योग करने वाले लोग हैं करघे चलाने वाले लोग हैं उन लोगों की आप मदद करें। समाजवाद की तो मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूं।

अगर वित्त मंत्रालय की इन चीजों में दिलचस्पी नहीं है तो यह काम कौन करेगा? इसका दूसरा पहलू है। मैं समझता हूँ कि जिन चीजों का सामरिक महत्व है, जो इसेंशियल सैक्टर है, जिसके बारे में हमारे यहां जानकारी नहीं है, तकनीक नहीं है, उसके बारे में आप विदेशों से कोलेबोरेशन करें। वह बात तो समझ में आती है। लेकिन जिन चीजों के बारे में कोई विदेशी सहायता की या कोलेबोरेशन की जरूरत नहीं है आप ऐसी चीजों के बारे में भी फारेन कोलेबोरेशन लेते चले जा रहे हैं इस देश में सौ साल से बियर बन रही लेकिन अब बीयर बनाने के लिए एक डेनिश कम्पनी के साथ कोलेबोरेशन किया गया है। यह कुछ नहीं है, यह ब्रांड नेम हैं, नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है। बिड़ला बंधुओं से जुड़ी हुई एक कम्पनी है जो आर्टिस्टों के लिए रंग बनाती है, कलर बनाने का काम करती है। रीव्ज के साथ उसको कोलेबोरेशन करने की इजाजत दी गई है। रीव्ज नाम का इस तरह से इस्तेमाल न किया जाये जिससे ऐसा आभास हो कि यह कम्पनी विदेशी कम्पनी है या विदेशों से माल ला कर बेच रही है। यह बिड़ला की कम्पनी है लेकिन कार्टन वगैरह जो होते हैं, उनके ऊपर रीव्ज है। आपके देश में ऐसे नौजवान लोग हैं जो विदेशों से विद्या हासिल करके सीख करके आते हैं और चाहते हैं कि वे कुछ करें। लेकिन उनको कोई काम नहीं है, मौका नहीं है। एंटरप्राइज की बात की जाती है। इन बड़े लोगों को कितनी सहायता पब्लिक इंस्टीट्यूशंज से मिलती है? अगर यह सहायता न हो तो इनका एंटरप्राइज कहां जाए? क्या छोटे लोगों को, नए लोगों को यह मौका मिलता है? इस तरह का मौका नहीं मिल रहा है। एंटरप्राइज वाली बात भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि स्पर्धा रहे, एकाधिकारशाही खत्म हो और जो ग्राहक लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए ताकि उनको भी राहत मिले।

फारेन कोलेबोरेशन के साथ-साथ सरकार के बारे में भी एक बात उठाना चाहता हूं। अभी इन्होंने कहा कि यहां पर आरोप-प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए, उससे कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं। यहां मैंने फ्रेडको का मामला उठाया। आप जानते हैं कितनी मुश्किल होती है इन लोगों को पकड़ना। लेकिन आपके अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट तक जा कर सजा दिलाई। आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने क्या किया? उस समय आप वित्त मंत्री नहीं थे। मोरारजी भाई वित्त मंत्री थे। उन्होंने मुझको कहा कि मैंने उनको लिखा है। यह बहुत बुरा हुआ है। लेकिन उन्होंने कुछ किया क्या? न प्रधान मंत्री ने कुछ किया और न उन्होंने कुछ किया। मैं जानता हूं कि आप भी कुछ करने वाले नहीं हैं। एक दिन में सब लोगों को दिल की बीमारी हो जाती हैं, एक साथ सभी भाइयों को हो जाती है और उनको छोड़ दिया जाता है।

अभी-अभी कुली मस्तान का मामला हमारे मित्र जार्ज फर्नांडीज ने उठाया और उसके बारे में प्रधान मंत्री को लिखा था। उनको अस्पताल में रखा गया और एक हजार, डेढ़ हजार रुपया उन पर एक दिन में खर्चा किया गया, इतना उनका एक दिन का खर्चा था। जब वह जेल में

थे तो महाराष्ट्र सरकार ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया और हम लोगों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने कैसा व्यवहार किया, दूसरे लोगों के साथ बिहार की सरकार ने क्या व्यवहार किया, यह जानने की बात है। राजनीतिक दलों के कार्यकर्त्ताओं के साथ इस तरह से व्यवहार जेल में होता है और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दोषी पाये गये हैं, विदेशी मुद्रा की जिन्होंने चोरी की है और जो समाजद्रोही हैं उनको दिल की बीमारी हो जाती है या कुछ और हो जाता है तो उनको छोड़ दिया जाता है।

यहां पर श्री कानूनगो का मामला उठाया गया था। उन्होंने प्रधान मंत्री को कहा कि मेरे हस्ताक्षर से जो पत्र कुली मस्तान ने दिखाया था, जिस के बल पर उन्होंने पासपोर्ट पाया, वह फोर्ज्ड लैटर है। मैंने प्रधान मंत्री को कहा कि अगर यह फोर्ज्ड लैटर है, तो क्या वजह है कि सरकार कुली मस्तान के खिलाफ फोर्जरी का केस नहीं चला रही है। इसलिए कि वह फोर्ज्ड लैटर नहीं है। बिहार का गवर्नर झूठ बात बोल रहा है। मैं मंत्री महोदय को चुनौती देना चाहता हूँ कि अगर वह फोर्ज्ड लैटर है, तो वह फोर्जरी का केस चलायें और अपराधी को सजा दिलायें। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है और हमको कहा जाता है कि वह फोर्ज्ड लैटर है। इस तरह के आदमी को यह सरकार गवर्नर बनाती है। उनकी टर्न खत्म हो गई है, लेकिन सरकार उनको उस पद से नहीं हटा रही है, क्योंकि बिहार में प्रशासनिक संकट है और सरकार चाहती है कि वहां ऐसा गवर्नर रहे, जो बिहार में उसके दल की सरकार को बचाये।

इसीलिए मैंने कहा कि चव्हाण साहब पर मुझे दया आती है, रहम आता है। न एनफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट उनके हाथ में है न विदेशी व्यापार मंत्रालय उनकी बात सुनता है, न कंपनी कानून मंत्रालय उनकी बात सुनता है और न औद्योगिक विकास मंत्रालय में उनकी बात चलने वाली है। इस स्थिति में यह बिल पास करें—मैं भी इसके पक्ष में वोट दे दूंगा—लेकिन इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, जब तक बुनियादी परिवर्तन नहीं होता है।

विदेशी मुद्रा का अपव्यय*£

अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को स्वीकार करना इसलिए जरूरी है कि इसके बिना विदेशी कम्पनियों पर प्रभावशाली ढंग से हम लोग नियंत्रण नहीं रख पायेंगे। मैंने वित्त मंत्री से कहा कि कोई ऐसी परिभाषा कीजिए जिसको सदन स्वीकार करे। मैंने कहा कंज्यूमर इंडस्ट्री को मानिये, उसके लिए वे तैयार नहीं हैं। नान प्रापर्टी इंडस्ट्री तक सीमित रखें, उसके लिए भी तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में मैं अपने संशोधन को वापिस नहीं ले सकता हूं और इसके समर्थन में मैं कुछ बात रखना चाहता हूं। अपने भाषण में मैंने एक प्रश्न का उल्लेख किया था और मैंने कहा कि प्रश्नों का ठीक जवाब नहीं मिलता है। मेरा प्रश्न यह था:

> "Whether Government considered that these exports in terms of physical resources plus the funds repatriated to the tune of 80 per cent constitute a drain on the country?"

तो ड्रेन आन दि कन्ट्री और ड्रेन आन फौरन एक्सचेंज रिसोर्सेज में बहुत फर्क है। मैंने ड्रेन के बारे में पूछा है और पूछने का कारण है क्योंकि ड्रेन में दो बात आती हैं—विदेशी मुद्रा का बाहर जाना भी आता है और जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका बाहर जाना भी आता है। जब आप 80 परसेन्ट की बात करते हैं, कोका-कोला के बारे में तो जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज बाहर जा रहे हैं उसकी आप चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं। कोका-कोला कंपनी निर्यात करती है लेकिन किन चीजों का? इन्होंने मेरे प्रश्न के उत्तर में एक तालिका दी है उससे आपको पता चलेगा कि—

Non-alcoholic Beverage bases, Coca-Cola Concentrate and Citrus and fruit beverage bases.

इसके तौर पर 3 करोड़ 84 लाख निर्यात के आंकड़े दिये गये हैं। एडिबिल वेजिटेबिल गम 1 करोड़ तीन लाख कोका-कोला का इससे क्या संबंध है मेरी समझ में नहीं आता, मैंगो पल्प 4 लाख, कैश्यु नट्स 11 लाख, चाय 6 लाख 71 हजार, काफी 11 लाख 48 हजार और चिवड़ा 27 हजार।

अब यह जो सारी चीजें हैं इनका निर्यात आप होने देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह जो फिजिकल रिसोर्सेज हमारे देश के वहां जा रहे हैं। एडिविल वेजिटेबिल गम, मैंगो पल्प, कैश्यु नट्स वगैरह जो जा रहा है उससे एक तो नुकसान यह होगा कि हमारा माल यहां से चला गया। फिर इसके अतिरिक्त आप 80 प्रतिशत विदेशी मुद्रा बाहर भेजने की इजाजत भी देते हैं। इस तरह

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 27 अगस्त 1973.

£ 'विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक' से संबंधित चर्चा में भाग लेते हुए।

से हमारा डबल घाटा हो रहा है, हमारा माल भी जा रहा है और हमारी विदेशी मुद्रा भी जा रही है। तो इन दोनों बातों का विचार करके आपको अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि ड्रेन आन इंडिया एंड ड्रेन आफ फौरेन एक्सचेंज रिसोर्सिज में यह फर्क है। आपके अफसर इसको अच्छी तरह से समझते थे लेकिन उन्होंने जान-बूझ कर सदन को कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा किया। ऐसी कोई भाषा ही नहीं है कि इसमें जिसको लोग न समझ सकें। सभापति जी, मैं क्यों चाहता हूं कि विदेशी कम्पनियां रजिस्टर्ड हों? इधर जो मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने दूसरा स्टेटमेंट दिया, स्टेटमेंट नम्बर 1 और अभी जो स्टेटमेंट नम्बर दो पढ़ा इसमें देखेंगे कि बहुत-सी विदेशी कम्पनियां अब हेड आफिस एक्सपैंसेज के नाम पर, रीजनल आफिस भी, चाहे वह इटली में हो, हालैंड हो या लंदन हो, जहां टैक्स कम बैठेगा उसके नाम पर भेजती हैं, और हैड आफिस एक्सपैंसेज भी जा रहे हैं। इसलिए अगर इस तालिका का स्वयं अध्ययन करेंगे तो उनको पता चलेगा कि इनका टैक्स से कोई संबंध नहीं है, यह खर्चे के नाम पर जाता है। इसलिए इसकी रकम अगर बढ़ेगी, इसकी संख्या जब बढ़ेगी तो वह पूरे देश का नुकसान होगा। उस पर आपको टैक्स भी नहीं मिलने वाला है। इसलिए हैड आफिस एक्सपैंसेज को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कहा कि इनका विस्तार हो रहा है आपने नई लाइसेंस पालिसी का हवाला दिया कि सब्सटेंशियल एक्सपेंशन अगर करना है तो नया लाइसेंस लेना चाहिए। इस सरकार के ध्यान में कई उदाहरण हम लाये कि जिनमें सब्सटेंशियल एक्सपेंशन हुआ है। लेकिन नये लाइसेंस के लिए कोई प्रार्थना पक्ष नहीं दिया गया। आप ही नीति की घोषणा करते हैं और उसके विपरीत सारे काम होते हैं। इसलिए डिस्क्रीशनरी पावर देने के पक्ष में हम नहीं हैं। इसका कारण यह है कि आप जो घोषणाएं करते हैं उसके विपरीत अफसर काम करते हैं, इसलिए स्टेट्यूट में, कानून ही में व्यवस्था की जरूरत हो जाती है।

सभापति जी, कम्पनियों के साथ हम जो करार करते हैं, उसके हक में माननीय चव्हाण जी ने कुछ कहा। अब यह मैं मानने के लिए तैयार हूँ कि आवश्यक क्षेत्रों में नई टेक्नोलाजी लाने के लिए अगर हम लोग इस तरह का काम करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। हमारे कम्युनिस्ट मित्र भी इस बात को जानते हैं कि रूस इधर पश्चिमी यूरोप के देशों से, जापान से और अमरीका से नई टेक्नोलाजी लाने के लिए नये-नये करार कर रहा है। तो सिद्धांततः मतभेद नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि फारेन कोलेबोरेशन एग्रीमेंट क्या वास्तव में भारत के आर्थिक विकास का और वैज्ञानिक तरक्की का साधन है? या विदेशी मुद्रा की चोरी का और विदेशों में फारेन बैंक अकाउन्ट्स खोलने का साधन है? और इसलिए मैं स्टेट बैंक आफ इंडिया का जो मन्थली रिव्यू आता है उसके अप्रैल, नम्बर की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इसमें लेखक ने फारेन कोलेबोरेशन एग्रीमेंट पर एक लम्बा लेख लिखा है—फारेन कोलेबोरेशन एंड ज्वाइंट वैन्चर—इसमें वह कहते हैं कि 1957 के बाद 4,000 फारेन कोलेबोरेशन एग्रीमेंट्स हुए हैं। उसमें से इनका कहना है कि 1962 और 1966 के बीच में 289 हर साल होते थे और उसके बाद 1967 और 1971 के बीच में हर साल 175 एग्रीमेंट होते रहे। आगे वह अपने विश्लेषण में कहते हैं कि:

The largest number of collaboration agreements have come from the parties from the United Kingdom.

अब इसके बारे में भी मुझे कुछ कहना है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में कौन नहीं जानता है कि औद्योगिक क्षेत्र में, सभी उद्योगों में आज इंग्लैंड आगे नहीं है। लेकिन चूंकि इंग्लैंड से आपका पुराना रिश्ता है इसलिए पिटी-पिटाई परम्परा के आधार पर हमारा झुकाव ब्रिटेन की ही तरफ होता है। इसके बारे में भी क्या नये ढंग से मंत्री महोदय सोचने के लिए तैयार हैं, आर्थिक नीति के बारे में, कोलेबोरेशन के बारे में? पश्चिमी यूरोप में, अमेरीका में, जापान में बड़ा परिवर्तन आ रहा है तो जो देश जिन टेक्नोलोजी में सबसे आगे है, पूर्वाग्रह छोड़कर, प्रिज्यूडिस छोड़कर, आपको उसकी टेक्नोलाजी को लेना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे, उनका जो दिमाग बना हुआ था, उसके चलते जर्मनी और जापान के बारे में बड़ा प्रिज्युडिस रहा और इसका नीचे तक असर रहा। मैं केवल वैज्ञानिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से यह बात कह रहा हूँ कि सबसे अच्छी टेक्नोलाजी जहां है उसको लाने के बजाये जो पिटी-पिटायी, जो परम्परागत नीति चली आ रही है, उसके चलते यह सारे एग्रीमेंट होते हैं। इसलिए उनकी टेक्नोलाजी सभी क्षेत्रों में अच्छी नहीं है, फिर भी हम लोग उनकी टेक्नोलाजी को ज्यादा लेते रहे।

*** *** ***

सोवियत यूनियन के बारे में मैंने कह दिया कि अब तो वह भी जापान और अमरीका से टेक्नोलाजी ला रहे हैं। अगर रूस के पास हो या और लोगों के पास हो तो हमें लेना चाहिए। लेकिन चूंकि भारत और ब्रिटेन का पुराना आर्थिक, राजनीतिक रिश्ता रहा है इसलिए अंधे और गुलाम बनकर हम उनका अनुसरण न करें, यह मेरे कहने का मतलब है।

साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूँ कि हर चीज में फारेन कोलेबोरेशन एग्रीमेंट की क्या जरूरत है? फिर कन्ज्यूमर और नॉन-प्रायोरिटी इंडस्ट्री का सवाल आता है। चाकलेट बनाने के लिए, बिस्कुट बनाते हैं, आपने करार स्वीकृत किये हैं, कोलेबोरेशन एग्रीमेंट इसलिए मैं कह रहा हूं कि वित्त मंत्रालय का कोई आर्थिक नियंत्रण ही नहीं है हमारी आर्थिक नीति के ऊपर। अब फिर मंत्रालयों के पुनर्रचना की बात आयेगी। कोई मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक एफेयर्स ही नहीं है हमारे यहां आपका डिपार्टमेंट है, लेकिन मेरे मन में जो मिनिस्ट्री आफ इकोनामिक एफेयर्स की कल्पना है, उसके अनुसार आपका डिपार्टमेंट नहीं है। आपको इन सारी चीजों पर निगरानी रखनी चाहिए। और इसलिए कन्ज्यूमर इंडस्ट्री में आप जो लगातार फारेन कोलेबोरेशन की अनुमति दे रहे हैं, उसकी इजाजत नहीं देनी चाहिए। विदेशी मुद्रा की चोरी का वह एक रास्ता है।

इसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन, कम्पनियों के विस्तार के बारे में। जब तक कम्पनी कानून के तहत इन कम्पनियों को आप नहीं लायेंगे, इनकी शाखाओं को नहीं लायेंगे, तब तक यह काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह से ब्रान्ड नेम के बारे में आपने मेरे संशोधन को माना, उसी तरह इस संशोधन को भी स्वीकार करें। अगर उसमें यह थोड़ा बहुत परिवर्तन करना चाहते हैं तो हम उसको ट्रायल देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वह इसके बारे में यह रुख न अपनायें कि नहीं इसको मानना ही नहीं है। अगर आपको जंचता है और मुद्दा अच्छा है तो मंत्री महोदय को सोचना चाहिए। और यह तर्क करने की, एक दूसरे को समझाने की जगह है तो इसके बारे में हठधर्मी अच्छी नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूँ।

विदेशी मुद्रा का पलायन*£

अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके कार्यालय से यह जानना चाहूंगा कि इस विधेयक का जो नोटिस आपको मिला था वित्त मंत्री की ओर से क्या उसमें कारिजेंडा की जो बातें हैं वह थीं और केवल छापने में गलती हुई है? आपके पास जो विधेयक आया था उसमें यदि ये सब बातें हैं, केवल छापने में कोई गलती होती है तब तो कोई आक्षेप उठाने की गुंजाइश नहीं है लेकिन इनके मूल नोटिस में अगर कारिजेन्डा में दी गई बातें नहीं हैं तो किसी भी हालत में वह कारिजेन्डा के रूप में नहीं आ सकती हैं। तो यह जानकारी आप अपने सचिवालय से हासिल करके हमें दें। नयी बात जोड़ने का प्रयास तरमीम या संशोधन के रूप में ही हो सकता है। इस तरह पीछे के दरवाजे, बैकडोर के मैथड से यह नहीं होना चाहिए।

जहां तक कम्पनी कानून मंत्रालय के खर्चे का सवाल है, संविधान की धारा 115 बिलकुल साफ है। संविधान की इस धारा का दूसरा हिस्सा इस प्रकार है:

> "When the need has arisen during the current financial year for supplementary or additional expenditure by some new service not contemplated in the annual financial statement for the year..."

यह न्यू सर्विस है। जो बजट इन्होंने फरवरी में पेश किया उसमें इसका उल्लेख भी नहीं था, हो भी नहीं सकता था क्योंकि बाद में इसके बारे में सोचा गया है। तो पूरक मांगें प्रथम आनी चाहिए थीं।

दूसरे फाइनेंस बिल के बारे में सभापति के द्वारा यह निर्णय दिया गया है कि वह गलती हुई और उस गलती को पूरा करना चाहिये। यह दूसरी गलती क्यों की जा रही है इसके बारे में तो कड़ाई आप बरतें। यह आप कहिए कि इस बिल पर तभी विचार किया जाएगा जब सप्लीमेंटरी डिमांड्स हैं, जो नई सर्विसिस हैं, सेवाएं हैं, उनके संबंध में वे भी सदन के सामने साथ आएंगी। इस बारे में तो आप कड़ाई से अपना फैसला दें।

***　　　　***　　　　***

***　　　　***　　　　***

उपाध्यक्ष महोदय, यह मामूली प्रोसीजरल मामला नहीं है, यह केवल प्रक्रिया का सवाल नहीं है। आप इसको इस ढंग से न कीजिए। यह सरकार इतनी अयोग्य है, इसकी ड्राफ्ट्समैनशिप इतनी

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 16 अगस्त 1974.

£ श्री यशवन्तराव चव्हाण, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित 'कम्पनी (लाभांशों पर अस्थायी निर्बन्धन) विधेयक' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

खराब है कि वह हर दिन हमारे सामने जो विधेयक लेकर आती है, हमें उसके बारे में आक्षेप करना पड़ता है। इस आर्डिनेंस के बारे में क्या हुआ? पहले आर्डिनेंस में नेट प्राफिट नहीं था। इन लोगों ने कहा कि ऐसा..., ओवरसाइट से हो गया, और इसलिए ये नया आर्डिनेंस लाये। सरकार की इनकम्पीटेंस, खराब ड्राफ्ट्समैनशिप और जल्दबाजी के बारे में आपको कोई आलोचना करनी चाहिए। इससे हम लोगों की भी देश में बदनामी होती है। आप इसको हल्के ढंग से न लीजिए। लोग हमसे पूछते हैं कि यह कैसी पार्लियामेंट है, जो इस तरह के वाहियात लेजिस्लेशन पास करती है।

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के जो उद्देश्य दिए गए हैं उसमें कहा है:

"...and promote saving in the economy.".

अगर बचत का ही सवाल है तो विदेशी कम्पनियों का जो डिविडेन्ड बाहर जायेगा क्या उसमें बचत करने की आवश्यकता नहीं है? और जब बचत का सवाल आता है तो देशी कम्पनियों में और विदेशी कम्पनियों में कोई फर्क नहीं किया जायेगा। क्या किसी भी एक स्वतंत्र देश के लिए यह शोभा की बात है कि जो विदेशी शेयरहोल्डर्स हों उनको आप विशेष सुविधायें दें, जबकि विदेशी मुद्रा बाहर जाने का खतरा हो, और जो इस देश के रहने वाले हों, उनके साथ विषम व्यवहार, डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट किया जाये?

मेरा दूसरा आक्षेप यह है कि इनका डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में जो ज्ञापन है वह मेरी राय में अधूरा और गुमराह करने वाला है। आप देख लीजिए, मैं क्लाज (6) की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ:

> "For a period of two years from the appointed day, no company to which this Act applies shall, except with the previous approval of the Central Government and subject to such conditions and limitations as may be specified by that Government...".

तो यह सरकार को कंडीशन्स बाद में स्पेसिफाई करने का, लिमिटेशन्स स्पेसिफाई करने का अधिकार दिया गया है, क्या यह डेलिगेटेड लेजिस्लेशन नहीं है? जब एक विधेयक में आपको नयी बात बाद में करने का अधिकार दिया गया है वह डेलिगेटेड लेजिस्लेशन में आता है। लेकिन इनका जो डेलिगेटेड लेजिस्लेशन का मैमोरेन्डम है वह आप देख लें, क्लाज (6) का इन्होंने उल्लेख नहीं किया है। तो गुमराह करने के लिए इस तरह का मैमोरेंडम दिया जाता है। क्या इनका यह कर्त्तव्य नहीं है कि इस विधेयक के तहत नियम आदि बनाने की जितनी शक्ति इनको मिली है उसमें इन सभी क्लाजेज का उल्लेख किया जाये? क्या इनका यह कर्त्तव्य नहीं है? ऐसी हालत में मेरा व्यवस्था का प्रश्न इसके विरोध में बनता है और यह विधेयक चल ही नहीं सकता है जब तक कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन वाले ज्ञापन में परिवर्तन नहीं हो जाता। तब तक आप यह विधेयक वोट के लिए रख ही नहीं सकते हैं।

तीसरे—अभी माननीय सदस्य श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आपका ध्यान 15वें अनुच्छेद की ओर खींचा। मैं जानता हूँ तकरीबन सभी विधेयकों में रिमूवल आफ डिफीकल्टीज का क्लाज रहता है। यह मैं मानता हूं लेकिन इस विधेयक को लेकर मेरे मन में शंका है कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज के नाम पर कहीं बुनियादी परिवर्तन तो आप इस कानून में नहीं करेंगे क्योंकि इस कानून के बारे में आपने शुरू से ही ऐसी जल्दबाजी की है, लगातार आर्डिनेन्स को अमेन्ड करते जा रहे हैं। आज कारिजेन्डा पर लम्बी चौड़ी बहस हुई है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री महोदय इसके बारे में सदन को स्पष्ट आश्वासन देंगे कि रिमूवल आफ डिफीकल्टीज क्लाज, जो साधारणत: सभी बिलों में आता है, उसका दुरुपयोग करके इसमें बुनियादी परिवर्तन करने और संशोधन करने का वे प्रयास नहीं करेंगे।

विदेशी सहायता की राष्ट्रीय विकास में भूमिका*£

अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर गया है कि भारत के कई अखबारों में यह खबर छपी है कि यह जो विश्व बैंक की रिपोर्ट है यह स्वयं बैंक के अफसरों ने कई समाचारपत्रों के बीच वितरित की। और यह भी कहा गया है कि सबसे पहले एक भारतीय अखबार और "न्यूयार्क टाइम्स" को यह दी गई और उसके बाद दूसरे लोगों के हाथ में यह पड़ी। "टाइम्स आफ इंडिया" ने यहां तक कहा कि जब यह लोग इसको वितरित करना चाहते थे तो उनके ऊपर दबाव डाला गया कि कम से कम उत्तर प्रदेश के चुनाव तक इसको प्रसारित नहीं किया जाये। यह मेरी बात नहीं है। मैं टाइम्स आफ इंडिया से पढ़ रहा हूँ।

> "They were evidently dissuaded from releasing the report during the U.P. elections lest it should damage the Congress Party's chances and Mrs. Gandhi's standing."

मंत्री महोदय इसकी भी सफाई दें कि क्या हमारे दूतावास ने इस तरह का कोई प्रयास किया था कि चुनाव के पहले प्रकाशित न हो। जब इसमें से कई हिस्से प्रकाशित हो चुके हैं तो क्या आप कम से कम अब सदन को विश्वास में लेंगे और जो मूल रिपोर्ट है जो आपके पास जरूर पहुंची होगी, इसकी एक कापी सदन की मेज पर रखेंगे ताकि पता चल सके कि वास्तव में इसमें क्या है। जहां तक तथ्यों का सवाल है, उसके बारे में मेरी मंत्री जी से यह मांग है।

जहां तक विश्व बैंक का सवाल है इस रिपोर्ट से दो तथ्यों का पता चलता है। एक यह कि विश्व बैंक के द्वारा जिन अविकसित और दूसरे देशों को कर्जा दिया गया उन देशों में सबसे अधिक कर्जा अकेले भारत को दिया गया है। 1973 की विश्व बैंक की यह रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि 370 करोड़ का कर्जा दिया गया है अकेले भारत को। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अविकसित देशों में जो सबसे गरीब तीस करोड़ लोग हैं पूरी अविकसित दुनिया में उनमें से अकेले भारत में तेरह करोड़ सबसे गरीब लोग रहते हैं। इस हालत में इस रिपोर्ट का अपना महत्व है। इस रिपोर्ट में दो बातें विशेष जोर देकर कही गई हैं। एक यह कि पांचवीं योजना की अवधि में इस देश को लगभग एक करोड़ टन गल्ला मंगवाना पड़ेगा पाचं वर्षों में और जो हमारा योजना आयोग है उसका अनुमान साफ है इससे मेल नहीं खाता है। दूसरी बात यह है कि पांचवीं योजना के लिए विदेशी सहायता का जो अनुमान किया गया है, यानी 500 करोड़ डालर उसके बारे में वर्ल्ड बैंक वालों का कहना है कि 1210 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, एक गल्ले के आयात के लिए और दूसरे तेल के दामों में जो वृद्धि हुई है

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 13 मार्च 1974.

£ 'भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेशी सहायता' विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान।

उसको लेकर तेल के आयात को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए भी ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। वैसे सरकार की बड़ी आलोचना हो रही है कि विदेशी सहायता के बारे में जो सही स्थिति है उससे सरकार जनता को अवगत नहीं कर रही है। बजट के बारे में भी कई लोगों ने यह आलोचना की है कि आपने विदेशी सहायता के जो आंकड़े हैं उसमें रूस के द्वारा गेहूं के रूप में आपको मदद की गई है या ईरान के द्वारा जो कर्जा दिया गया है इसको आपने दिखाया तक नहीं है। क्या यही सिलसिला विदेशी सहायता के बारे में चलेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि विश्व बैंक के द्वारा गल्ले के आयात के बरे में जो अनुमान किया गया है उसके बारे में इस वक्त सरकार की प्रतिक्रिया क्या है इससे हमें अवगत कराया जाए। क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं हैं? दूसरे विदेशी सहायता के बारे में तेल के दामों में जो वृद्धि हो गई है और गल्ले का जो संकट है उसको लेकर क्या यह बात सही है कि 1,210 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त किये बिना आपकी योजनायें ठीक ढंग से नहीं चल पाएंगी?

बीच में ईरान के बादशाह ने यह बयान दिया था कि तेल के दामों में जो वृद्धि हुई है उसके चलते उनके पास जो राशि आने वाली है उसका क्या किया जो, यह उनके सामने भी सवाल है। एक सुझाव उन्होंने यह दिया था कि पेट्रोलियम पैदा करने वाले देश, विकसित देश और अविकसित देश तीनों को मिलाकर एक कोई संगठन बनाया जाए और उस संगठन की मार्फत अविकसित देशों के विकास में मदद की जाए। क्या इस तरह का सुझाव भी आपके पास आया है। जो विश्व बैंक की रपट है उससे भी कुछ इस तरह का इशारा मिलता है कि जो तेल पैदा करने वाले देश हैं उनके ऊपर अविकसित देशों को निर्भर रहना पड़ेगा और उसके लिए वे तैयार हो जायेंगे। ये जो तेल पैदा करने वाले देश हैं खासकर सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, ईराक आदि, क्या इनके साथ इसके बारे में कोई बातचीत हुई है? यदि इस तरह का संगठन बनेगा तो क्या वह विश्व बैंक से अलग रहेगा या विश्व बैंक से सहयोग से काम करेगा? इसका भी खुलासा आप करें और भारत सरकार की जो प्रतिक्रिया है उसके बारे में भी बताने की आप कृपा करें।

*** *** ***

*** *** ***

किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया इन्होंने। अखबारों से मैंने उद्धरण दिये हैं। दो सवाल मैंने उठाए हैं, एक गल्ले आयात के बारे में। हिन्दू तथा दूसरे अखबारों में यह आया है और कोटेशन में है। दूसरे विदेशी सहायता के अनुमान के बारे में मैंने सवाल उठाया है। मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि क्या वास्तव में विश्व बैंक का यह अनुमान गल्ले के आयात के बारे में और विदेशी सहायता के बारे में सही है और उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है। इसमें छिपाने की क्या बात है। अखबारों में आ चुका है आपको अपनी प्रतिक्रिया बतानी चाहिए।

*** *** ***

मंत्री महोदय अपनी तरफ से कम से कम यह तो बता सकते हैं कि इस वक्त जब ड्राफ्ट प्लान बना, मैं उस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ—विदेशी सहायता और गल्ले के आयात के बारे में उनका अनुमान क्या है।

*** *** ***

*** *** ***

इस वक्त क्या स्थिति है? अध्यक्ष महोदय, क्या आप इतना भी जवाब नहीं दिलायेंगे?

*** *** ***

यह इसी में आता है। क्या आप इतना भी जवाब नहीं दिलायेंगे? मैंने कहा है "इरेस्पेक्टिव आफ दि वर्ल्ड बैंक्स रिपोर्ट"। यह इसी में आयेगा। अगर इन प्रश्नों का जवाब नहीं आना है तो इस कालिंग एटेन्शन को एडमिट करने का क्या मतलब है?

*** *** ***

जब अधूरी रिपोर्ट आ चुकी है तो मंत्री महोदय को पूरी रिपोर्ट के बारे में बताने में क्या आपत्ति है? जब वर्ल्ड बैंक ने स्वयं इसको लीक किया है तो सरकार को इसमें क्या आपत्ति है। अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को यह जानकारी देने के लिए आदेश दें।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग बहुत ही सीधी-सादी है। मैं कह रहा हूं कि विश्व बैंक की रिपोर्ट को छोड़ दें। मंत्री महोदय कहते हैं कि स्थिति बदलती रहती है बार-बार मूल्यांकन करना पड़ता है। आज 13 मार्च है। 13 मार्च का मंत्री महोदय का क्या मूल्यांकन है, इसका तो पता चले। इसमें विश्व बैंक का क्या संबंध है?

*** *** ***

बहस तो हम बजट पर डिस्कशन के दौरान करेंगे। इस वक्त तो मैं सिर्फ जानकारी चाहता हूं। मेरा प्रश्न यह है कि एज ऑन 13 मार्च गल्ले के आयात और विदेशी सहायता के बारे में मंत्री महोदय का इवैल्युएशन क्या है।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, यह तो बड़ा अन्याय हो रहा है। आखिर यह कालिंग एटेन्शन नोटिस काहे के लिए है? मंत्री महोदय, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को रखने के लिए तैयार नहीं हैं। हम उसको छोड़ देते हैं। हम चाहते हैं कि मंत्री महोदय गल्ले के आयात और विदेशी सहायता के बारे में सरकार के वर्तमान मूल्यांकन की जानकारी दें। वह दो वाक्यों में यह जानकारी दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप सदस्यों के अधिकारों की रक्षा नहीं कर रहे हैं।

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, मैंने ईरान के शाह के बारे में पूछा है। क्या मंत्री महोदय उसका भी जवाब नहीं देंगे? क्या उसका भी वर्ल्ड बैंक से संबंध है? तो फिर आप इस कालिंग एटेन्शन नोटिस को डिसएलाउ कर दीजिए।

*** *** ***

£यह इसी के तहत आता है।

मैं विदेशी सहायता और विकास के बारे में कह रहा हूं। बातचीत यह करते हैं। विदेशी मुद्रा का मामला इनके तहत आता है। अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह चलेगा, तो मुझे सभा त्याग करना पड़ेगा। आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करते हैं। मंत्री महोदय को ईरान के शाह के बारे में जवाब देना पड़ेगा। आप उनसे जवाब दिलवाइये। वह एक भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार नहीं हैं।

*** *** ***

*** *** ***

This is not the Government decision.

*** *** ***

*** *** ***

The case in which that ruling was given has to be distinguished from the present case...

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस निर्णय से संतोष नहीं है, और मैं इसके विरोध में सदन त्याग कर रहा हूं।

£अध्यक्ष महोदय द्वारा यह कहने पर कि 'उसके लिए अलहदा कालिंग एटेन्शन नोटिस दीजिए' का जवाब देते हुए।

पंचवर्षीय योजनाओं की सार्थकता*£

मैं आशा करता था कि इस बजट के जरिये विगत साल सरकार के कामकाज में जो नीतिहीनता और दिशाहीनता दिखाई दे रही थी और जो अन्तर्विरोध प्रकट हो रहा था उसको सुलझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन खेद है कि इस बजट ने इस अन्तर्विरोध को मिटाने का जरा भी प्रयास नहीं किया है बल्कि इस बजट से सरकार के जो दिवालियेपन की नीति है उसी का इजहार होता है। जब से चौथी योजना प्रारम्भ हुई अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों में ह्रास होता जा रहा है। विगत एक साल में अनाज की कीमत चालीस प्रतिशत से अधिक बढ़ी है और जबसे गरीबी हटाओ का जमाना शुरू हुआ है क्या कर वृद्धि और क्या घाटे की अर्थव्यवस्था, दोनों में बड़ी तेजी से सरकार प्रगति कर रही है। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1970 का बजट पेश किया गया। उसके तीन साल पहले यानी चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में कुल मिला कर 244 करोड़ रुपये के अतिरिक्त टैक्स लगाये गये। लेकिन बाद में चार वर्षों में नई कर वृद्धि 840 करोड़ रुपये की हो गई। घाटे की अर्थव्यवस्था का जहां तक सवाल है 1967, 1968 और 1969 में. यानी चौथी योजना के पहले तीन वर्षों में 544 करोड़ रुपये के घाटे की अर्थव्यवस्था की गई लेकिन बाद के चार वर्षों में जब से 'गरीबी हटाओ' का नारा बुलन्द हुआ 2110 करोड़ रुपये का डिफिसिट फाइनेंसिंग किया गया। उसी तरह जहां तक चौथी योजना का सवाल है उसका यह लक्ष्य बनाया गया था कि हर साल राष्ट्रीय आमदनी में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि होगी। लेकिन उसके पहले चार वर्षों में क्या हुआ? पहले वर्ष में तो 5.2 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन उसके बाद यह दर लगातार गिरती गई और चौथी योजना के तीसरे वर्ष में राष्ट्रीय आमदनी में वृद्धि सिर्फ 1.7 प्रतिशत की हुई और चौथे वर्ष में 0.6 प्रतिशत की ही हुई।

जहां तक पांचवीं योजना का सवाल है इसका मसौदा विगत दिसम्बर मास में पेश किया गया था। लेकिन यह जो बच्चा पैदा हुआ यह जन्म से ही मरा हुआ पाया गया है क्योंकि इसके आधार बिल्कुल निकम्मे साबित हो गये हैं, जहां तक प्लानिंग कमीशन का सवाल है वह निरर्थक और बेमतलब हो गई है। मैं सभी आधारों की चर्चा नहीं करना चाहता। केवल दो बुनियादी बातों को लेता हूं। इसमें पृष्ठ संख्या 73 पर एक आधार यह दिया गया है:

> "Efficient management of the good economy so as to avoid large scale food imports."

मैं कहना चाहता हूँ कि इधर चार-पांच महीनों में अनाज के मामले में सरकार की नीति और कार्यान्वयन में कोई बुनियादी परिवर्तन हुए हों, इसके आसार बिल्कुल नहीं दिखायी दे रहे हैं।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 19 मार्च 1974.

£ सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान।

आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के नेता और मंत्री जब आमने-सामने हमसे मिलते हैं पार्लियामेंट के बाहर तो सरकार की जो स्वीकृत नीतियां हैं उनकी खुलकर आलोचना करते हैं।

*** *** ***

झूठ मत बोलिये। चापलूसी और असत्य यह आज सत्ताधारी दल का आधार बन गया है, लॉबीज में एक बात कहना और यहां दूसरी ठीक नहीं है। व्हीट टेक ओवर की गति गलत है। यह केवल आज ये नहीं कह रहे हैं, दस-बारह महीने पहले भी कांग्रेस के प्रमुख लोग ऐसे थे जो कहते थे कि गेहूं के सरकारीकरण की नीति इसलिए गलत है कि हमारे पास न कोई यंत्र है और न हमारे द्वारा ठीक से इंतजाम किया जा सकता है। उनमें मंत्री भी थे। वे खुलकर कहते थे। मैंने पूछा कि श्रीमती इंदिरा गांधी को क्यों नहीं कहते तो लोग कहते थे कि हमारी हिम्मत नहीं है। सत्य अगर बोलेंगे तो हमारे ऊपर प्रतिक्रियावादी होने का सिक्का लगाया जाएगा। डर के मारे असली मुद्दों पर अपना मत अभिव्यक्त करने से कांग्रेसी नेता और मंत्री हिचकिचाते हैं। ये सरकार को ठीक राय नहीं देंगे तो कौन देगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि किसानों के बारे में इस सरकार की जो नीति रही है उसका कांग्रेस के अन्दर जबरदस्त विरोध होते हुए भी खुलकर बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस संदर्भ में आपसे कहना चाहता हूं कि गेहूं के मूल्यों का जब सवाल आया उस समय हमारे लोगों ने मांग की थी कि सौ रुपये से खरीदने की मूल्य नीति होनी चाहिए। इसका जबरदस्त विरोध किया गया लेकिन किसी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि जो स्वयं कांग्रेसी हैं, जिनके पास अच्छी खासी जमीन है क्या उन लोगों ने निर्धारित दामों पर यह लेवी देने का प्रयास किया था? एक-एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं जिससे पता चलेगा कि साधारण किसान के लिए एक कानून, एक मापदंड और अपने बड़े लोगों के लिए दूसरा मापदंड। क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक, उत्तर प्रदेश पंजाब तक बड़े काश्तकारों का गेहूं सीधा ट्रकों पर लाद कर बम्बई की मंडियों में साढ़े चार सौ रुपये क्विंटल तक बेचा गया है जबकि साधारण किसान को 76 रुपये से लेकर 80-82 रुपये तक गेहूं बेचने के लिए आप बाधित करते थे? आप विदर्भ के हैं? आप क्या इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कपास और रूई के बारे में इसकी खरीद की नीति को अपनाया।

*** *** ***

*** *** ***

...मैं कह रहा था कि पांचवीं योजना का यह जो आधार है कि अनाज का वितरण और उसकी खरीद हम बढ़िया ढंग से करेंगे, ऐसा आपने किया है इसको मानने का भी कोई आधार नहीं है। इस आधार पर यह जो इमारत रची गई है यह बिलकुल बेबुनियाद होने के कारण टूटने लगी है।

दूसरा आधार बताया है:

> "Tightening of foreign exchange control to check leakages through under-invoicing of exports and over-invoicing of imports and the diversion of remittances from Indians abroad through un-official channels."

मैं एक अरसे से इस सरकार से कहता रहा हूं कि भारतीय लोगों के द्वारा विदेशों में जो पैसा कमाया जाता है—और उसका अनुपात इन दस वर्षों में बहुत ज्यादा बढ़ गया है—आज वह तस्करी के लिए एक माध्यम बन गया है। इस सरकार की पंचवर्षीय योजना का आधार है कि वह विदेशी मुद्रा की चोरी को रोकेगी, लेकिन—मुझे फिर इन बातों को कहना पड़ता है, क्योंकि इन बातों से इन्कार नहीं किया गया है—जब सरकार के बड़े लोग ही स्मगलरों के सम्राट के साथ मुलाकात करेंगे, और उनसे एक करोड़ रुपये लेंगे, तो फिर वित्त मंत्रालय के तहत कौन अफसर ऐसा है, जो विदेशी मुद्रा की चोरी करने वाले लोगों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही कर सकेगा?

इस आरोप का किसी ने भी खंडन नहीं किया है कि स्मगलरों के सम्राट, कुली मस्तान के साथ प्रधान मंत्री की मुलाकात हुई है। किसी ने इसका खंडन नहीं किया है, और कर भी नहीं सकते हैं। कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी की एक्जीक्यूटिव के सदस्यों ने इस बात की ताईद की है कि इस तरह की मुलाकात हुई थी। सिर्फ तस्वीर खींचने का प्रयास असफल रहा। वह एक करोड़ रुपये के बदले तस्वीर लेना चाहता था ... मुझे ज्यादा बाध्य करेंगे तो मैं और कुछ कह दूंगा। इसलिए इसको छोड़ दीजिए।

आज सवेरे बिहार का सवाल आया था। बिहार में विस्फोट क्यों हुआ? उधर के माननीय सदस्य कह सकते हैं कि यह नक्सलाइट्स ने किया, आर.एस.एस. ने किया, गुंडों ने किया। लेकिन असली बात यह है कि बिहार भारत का सबसे गरीब इलाका है। उसमें 25 प्रतिशत से अधिक लोग भूमिहीन खेतिहर है और दस साल के अन्दर खेतिहर मजदूरों का अनुपात 9 प्रतिशत बढ़ा है।

सरकार राज्यों को जो अनाज देती है, उसमें किस तरह का न्याय है? मेरे 18 मार्च के प्रश्न के उत्तर में बताया गया कि पश्चिम बंगाल ने 25.70 लाख टन अनाज मांगा और उसको 18.88 लाख टन दिया गया, केरल ने 13.48 लाख टन अनाज मांगा और उसको 10.16 लाख टन दिया गया, महाराष्ट्र ने 36.83 लाख टन अनाज मांगा और उसको दिया गया 24.18 लाख टन। और बिहार को? उसने 17.40 लाख टन अनाज मांगा और उसको सिर्फ 4.40 लाख टन दिया गया, यानी केन्द्रीय सरकार ने उसकी आवश्यकता को पच्चीस प्रतिशत से कुछ थोड़ा ज्यादा पूरा किया।

अगर सरकार समझती है कि वह गोली और सेना के बल पर जन असंतोष को कुचल डालेंगे, तो मैं कहना चाहता हूं कि न केवल बिहार में, बल्कि समूचे देश में आग लगेगी और उसमें ये लोग भी खत्म हो जायेंगे और लोकतंत्र भी खत्म हो जायेगा।

*** *** ***

हमको तो ये लोग वैसे ही खत्म करने पर तुले हुए हैं। हमारा भविष्य कोई महत्व की बात नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि जो आग लगेगी, उसमें ये लोग खत्म हो जायेंगे, जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोकतंत्र उसमें खत्म हो जायेगा, यह एक चिन्ता का विषय है।

पांचवीं योजना में कहा गया है कि हर साल औसत पब्लिक सैक्टर आउटले 7,450 करोड़ रुपये होगा और इस बजट से पता चलता है कि सरकार केवल 4,364 करोड़ रुपया वर्तमान दामों

के आधार पर लगाने वाली है। पंचवर्षीय योजना के पहले साल से ही पब्लिक आउटले का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है, और बढ़ते हुए दामों के कारण जो भी पूंजी लगाई जाएगी, उससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

हालांकि नियोजन पर मेरा विश्वास है, लेकिन विगत वर्षों में सरकार ने जिस ढंग से योजना आयोग को चलाया है, उसको देखते हुए मेरी स्पष्ट राय है कि सरकार वर्तमान योजना आयोग को समाप्त कर दे, और उसके लिए उसने जो 13.70 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में मांगा है, वह उसकी भी बचत करे, क्योंकि इस योजना आयोग और योजना मंत्रालय से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है।

मंत्री महोदय ने कहा है कि इस बजट में मैंने उन चीजों पर टैक्स लगाया है जिनका इस्तेमाल अमीरों के द्वारा किया जाता है। लेकिन कौन नहीं जानता है कि सरकार किसी भी रूप में टैक्स लगाये, सारा इन्तजाम और व्यवस्था ऐसी है कि अन्ततोगत्वा साधारण जनता पर ही उसका बोझ पड़ता है।

सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कहा है कि हम लोग सीधे टैक्सस से आमदनी बढ़ायेंगे। उसने पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में घोषणा की है:

> "The additional tax effort envisaged in the Fifth Plan period—the yield from direct taxes is anticipated to improve to 3.8% of the GNP."

That is improvement by 0.67%.

लेकिन इस बजट में मंत्री महोदय ने सीधे टैक्सस को घटाया है। फाइनेंस बिल के वक्त में अपना टेबल पेश करूंगा और यह साबित करूंगा कि जिनकी आमदनी दस हजार से बीस हजार रुपये है, उनको मंत्री महोदय ने बहुत मामूली किस्म की राहत दी है, लेकिन उन्होंने बड़े लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर राहत दी है।

उन्होंने दलील यह दी है कि अगर हम टैक्स को घटायेंगे, तो उससे शायद टैक्स की चोरी कम हो जायेगी। लेकिन लोग इसके इतने आदी हो गये हैं कि मंत्री महोदय के प्रोपोजल का टैक्सों की चोरी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यह सड़ांध एक अरसे से चली आ रही है।

सरकार के पास कोई राष्ट्रीय आय नीति नहीं है। मैं एल.आई.सी. के वेज बिल के आंकड़े देख रहा था। एल.आई.सी. में जो क्लास वन और क्लास टू के 13,000 कर्मचारी हैं, उनमें से एक-एक की वार्षिक औसत आमदनी 1.32 लाख रुपये है। अगर उनमें तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों को भी मिला दिया जाये, तो भी उनकी औसत वार्षिक आमदनी 9,000 रुपये है। यह कौन-सा सामाजिक न्याय है? मैं श्री चव्हाण से पूछना चाहता हूं कि भारत में कितने किसान ऐसे हैं, जिन पर पांचवीं पंचवर्षीय योजना की सफलता निर्भर करती है, जिनकी 2,000 रुपये की भी वार्षिक आमदनी है। इस सरकार की आय नीति में सामाजिक न्याय बिलकुल नहीं है। जिन लोगों पर सरकार ने योजना को सफल बनाने का सबसे अधिक बोझ डाला है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं है।

डीजल आयल हो, या कैरोसीन आयल, मोबिल आयल या फर्टिलाइजर हो, उनमें से एक भी चीज, जो खेती की तरक्की के लिए आवश्यक है, नियंत्रित दाम पर नहीं मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में उनके दाम दुगने से भी अधिक हैं। जब तक सरकार वितरण की व्यवस्था को ठीक नहीं करेगी, तब तक इस स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है।

जहां तक कपड़े का सवाल है, विगत साल मंत्री महोदय ने कहा कि कपड़े के दाम बहुत बढ़ गये हैं और उनके बारे में कुछ करना चाहिए। एक साल हो गया, लेकिन अभी तक कपड़े के बारे में सरकार की कोई संकलित नीति, इन्टेग्रेटिड पॉलिसी, नहीं बन पाई है। मैंने सुना है कि नियंत्रित कपड़े का अनुपात बढ़ाने की बात चल रही है। लेकिन उसको पांच-दस प्रतिशत बढ़ाने से क्या होगा? सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो मोटे और मध्यम श्रेणी का कपड़ा नियंत्रित दाम से पैदा किया जायेगा, उसका इस्तेमाल देश की जनता करेगी और फाइन और सुपरफाइन कपड़ा केवल निर्यात के लिए रखा जायेगा?

मैंने इस सदन में पहले भी एक बार कहा था कि सरकार सूडान और ईजिप्ट से चार लाख बेल्स लांग स्टेपल काटन मंगाती है, लेकिन उसने एक धेले का निर्यात भी नहीं किया। जब अमरीका जैसा अमीर देश एक लाख बेल्स से संतुष्ट था, जापान केवल दो लाख बेल्स मंगाता था, लेकिन सारा निर्यात के लिए। लेकिन इस देश के अमीरों को अच्छी पोशाक पहनाने के लिए सरकार ने 800 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च करके हर साल चार लाख बेल्स लांग स्टेपल काटन विगत आठ-नौ वर्षों में मंगवाई है। ...हां, इस साल नहीं लाया। लेकिन दस साल जो 8 सौं करोड़ रुपया चला गया क्या आपका यह कहना है कि उसका अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं हुआ? इस 8 सौ करोड़ रुपये से आप फर्टिलाइजर मंगाते या और कोई चीज मंगाते जब आपने निर्यात की बात की है तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। अमेरिका से ये चीजें क्यों मंगाते हैं? कल मैं सिराथू गया था। यह टीअर गैस शैल जो वहां चलाया गया, अमेरिका से मंगाया गया था। सिराथू में गोलीकांड और टीअर गैस चली। मैं इसको टेबल पर रख रहा हूँ। आप देखिए। क्या अमेरिका से इन चीजों को मंगवाना चाहिए या जिससे उत्पादन बढ़े उन चीजों को मंगवाना चाहिए? मैं अहमदाबाद और बड़ौदा भी गया था। वहां मैंने देखा, सिकेनिंग गैस जिसका इस्तेमाल हुआ अमेरिका से उसको मंगवाया गया था और मेरा ख्याल है कि बिहार में भी 4 सौ-5 सौ शेल कल जो विस्फोटित किये गये थे उनके बारे में भी मुझे टेलीफोन पर पता चला है कि सारा माल अमेरिका से मंगाया गया था। तो आप अमरीका से दमन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, दमन का सामान अमेरिका से मंगाते हैं? क्या यही आधार है अमेरिका के साथ दोस्ती रखने का या कुछ ऐसी चीजें आप वहां से मंगवाएंगे जिनसे उत्पादन बढ़ेगा?

एक ही बात और कह कर मैं खत्म करता हूँ। यहां 'वर्ल्ड बैंक' की रिपोर्ट के बारे में चर्चा हुई। आप एकदम चुप रहे, जैसे आप का हमेशा तरीका होता है क्योंकि आप संसद को तो कुछ समझते ही नहीं, संसद को विश्वास में लेकर कुछ बहस करना, विचारों का आदान-प्रदान करना यह तो आपका कभी तरीका होता नहीं, हमेशा तकनीकी जवाब देकर आप समय काटने का काम करते हैं। इस तरह से काम नहीं चल सकता। वर्ल्ड बैंक को छोड़िए, मैं पूछता हूँ क्या यह बात

सही नहीं है, मैं इसी के आधार पर कहता हूं, अनाज के बारे में, विदेशी सहायता के बारे में, फर्टिलाइजर के बारे में और तेल इत्यादि के बारे में जो वर्तमान स्थिति है उसको देखते हुए क्या यह बात सही नहीं है कि उस रिपोर्ट में जिन बातों की चर्चा की थी वह ज्यादा वास्तविकता के करीब हैं बनिस्पत 'प्लानिंग कमीशन' के इस प्रारूप के? इसलिए सत्य बोलने से भारतीय लोग कब से डरने लगे? सत्य कोई बोलता है तो कहा जाता है कि यह भारत विरोधी है। हम लोग स्थिति को बदलें, वास्तविकता को बदलें। दूसरों पर कीचड़ उछालने के पहले हमलोगों को अपनी स्थिति में परिवर्तन लाने का काम करना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।

आर्थिक नियोजन की नीति*£

The Resolution which I have already moved reads as follows:

"This House is of opinion that the Government should recast its policy with regard to prices and agricultural production in such a way that—

(a) essential articles of consumption sell at $1^1/_2$ times the cost of production, including transport charges, taxes and profits;

(b) there shall prevail parity between the prices of industrial goods and agricultural produce;

(c) fluctuations in foodgrain prices of more than 15 percent shall not be permitted;

(d) the Government shall take the responsibility of purchasing cotton, sugarcane, raw jute, foodgrains and other produce at support prices which may take into account the cost of production plus a reasonable margin for the farmers;

(e) electricity rate per unit for agricultural purposes shall not be more than ten paise; and

(f) fertilisers shall be made available to the *Kisans* with land holdings of less than ten acres at subsidised rates and the irrigation rates shall be reduced by 25 percent."

मेरे कई लायक दोस्तों ने पिछली बार जब मजदूरों के एक मामले पर चर्चा हो रही थी तो यह कहा था कि इस सदन में जितना समय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों और कर्मचारियों के सवाल पर दिया जाता है उतना समय काश्तकारों की जो समस्याएं हैं उन पर बहस करने के लिए नहीं दिया जाता है। इसीलिए आज मैं देखूंगा कि मेरे लायक दोस्तों का मेरे प्रस्ताव के बारे में क्या रुख रहेगा क्योंकि इस प्रस्ताव का यह महत्व है कि यदि इसके सिद्धांतों को सरकार मान लेगी तो हमारे आर्थिक नियोजन की नीति में बुनियादी परिवर्तन आएगा और देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम हम उठाएंगे।

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इसमें जो सैद्धांतिक बातें हैं उनकी ओर खींचना चाहता हूं। सरकार ने विगत 27 वर्षों में हमेशा ठोस बातें करने के बजाय साधारण बातें करने का जो

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 29 मार्च 1974.

£ मूल्यवृद्धि और कृषि उत्पाद पर प्रस्तुत संकल्प पर चर्चा में भाग लेते हुए।

एक सिलसिला चलाया है उसका नतीजा होता है कि किसी निष्कर्ष पर हम लोग नहीं पहुंच पाते। सभी लोग कहते हैं कि दामों पर नियंत्रण होना चाहिए। जीवनावश्यक चीजें लोगों को उचित दामों में मिलनी चाहिएं, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में चुस्ती आनी चाहिए, यह विचार तो मंत्रियों के भाषणों में हमेशा हम लोग पाते हैं। लेकिन इन चीजों का कार्यान्वयन क्यों नहीं हो रहा है; क्योंकि यह सरकार निश्चित और स्पष्ट सिद्धांतों के साथ अपने को बांधना नहीं चाहती। यह हमेशा निर्गुण और निराकार ब्रह्म की चर्चा करना चाहती है। नतीजा यह होता है कि जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं उनको हम लोग पूरा नहीं कर पाते। क्या मंत्री महोदय इस बात से असहमति रखते हैं कि जो जीवनावश्यक चीजें हैं उनके दाम निश्चित करते समय डिक्स, मुनाफा और जो मैनेजरी का खर्चा होता है उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए; जीवनावश्यक चीजों की व्याख्या करते हुए पचास वस्तुओं का समावेश इसमें नहीं करना चाहता हूं। अगर सरकार चाहती है इसको सीमित ही रखा जाये। लेकिन इससे दो राय नहीं होगी कि जैसे गल्ला है, कपड़ा है, चीनी है, केरोसिन है, तेल है, नमक है, ये चीजें ऐसी हैं कि जिनके बिना साधारण लोगों की जिन्दगी नहीं चल सकती। इसलिए कम-से-कम इन वस्तुओं के बारे में इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास होना चाहिए और जब कपड़ा नीति की हम लोग चर्चा करेंगे तो मुनाफे के ऊपर रोक लगानी चाहिए। टैक्स को कम कर देना चाहिए और दूसरे परिवहन आदि के जो खर्चे है उनमें भी कटौती करने का प्रयास करना चाहिए। यदि कपड़ा, चीनी, तेल, केरोसिन, नमक, मिर्च आदि चीजें उत्पादन का जो खर्चा है उसके ड्यौढ़े से भी बेचने लगेंगे तो साधारण जनता को बहुत बड़े पैमाने पर राहत मिलेगी; क्या कपड़ा, केरोसिन तेल, चीनी आदि के वर्तमान दाम सिद्धांत नं. 1 के अनुसार हैं:—जहां तक चीनी का सवाल है विगत साल चीनी मिलों की जितनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित हो गई है उसके अनुसार जो बड़ी-बड़ी मिलें हैं उनके मुनाफे में विगत साल बहुत बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। इसमें जो करों की चोरी वह करते हैं या 70 प्रतिशत चीनी आप नियंत्रित दामों पर खरीदते हैं लेकिन वास्तव में मिलों से इतनी चीनी खरीदी नहीं जा रही है, एक मिल का उदाहरण है उसके बारे में मैं खाद्य मंत्री को लिख चुका हूं, उनको तो उनका जो लेवी शुगर का कोटा था उसी को खुले बाजार में बेचने की छूट दे दी गई ...

*** *** ***

क्योंकि दोनों के बीच में इस वर्ष संघर्ष चल रहा है और बरेली की एक मिल है उसके बारे में मंत्री को लिख चुका हूं। तो 70 प्रतिशत लेवी की चीनी वसूली नहीं जाती। यह काम फूड कारपोरेशन आफ इंडिया पर छोड़ दिया गया है और बहुत दफा यह लेवी की चीनी ऊपर से नीचे तक खुले बाजार में चली जाती है और काले दामों में बिकती है।

जहां तक कपड़े का सवाल है विगत साल मैंने स्वयं आंकड़े दिये थे कि 1971 के जनवरी महीने से 1973 के जनवरी महीने तक कपास का दाम लगातार घटता जा रहा है और इन दो वर्षों में कपड़े के दाम में कटौती होने के बजाये बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। उसका नतीजा यह है कि 1972-73 में जो भी बैलेंस शीट प्रकाशित हुई उससे पता चलता है कि जो बड़ी-बड़ी प्रमुख मिलें हैं खास करके बड़े उद्योगपतियों की मिलें उनके मुनाफे में 11 से लेकर 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। ये आंकड़े मैंने स्वयं सदन के सामने रखे हैं। तो चीनी मिलों

के द्वारा भयंकर मुनाफाखोरी, कपड़ा मिलों के द्वारा भी कर मुनाफाखोरी और कपड़े के ऊपर, चीनी के ऊपर, केरोसिन के ऊपर आप लगातार टैक्स भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आज मंत्री महोदय इस आशय की घोषणा करें कि जहां तक जीवनावश्यक चीजों का सवाल है हम संयम बरतेंगे कर लगाते समय, मुनाफे पर भी नियंत्रण रखेंगे और कम से कम पांच छ: चीजें जो मैंने बताई उनका दाम नियंत्रित करके वितरण व्यवस्था में से भ्रष्टाचार और अकार्यक्षमता को खत्म करके सही ढंग से उनका वितरण करायेंगे।

दूसरा सिद्धांत मैं रखता हूं कि खेती के माल में और औद्योगिक माल में हम लोगों को संतुलन कायम करना चाहिए। इसके बारे में मैंने एक सवाल इसी सदन में पूछा था और उसका बहुत ही विचित्र जवाब खाद्य मंत्री से मुझे मिला था। मैंने इस संतुलन के बारे में जो कहा था उसके जवाब में मंत्री महोदय ने 23 जुलाई को कहा था:

> "In India prices of agricultural commodities have generally shown a relatively greater rise than the prices of manufactured goods. But the elements of speculation do play a large part in the trade of agricultural commodities."

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—आप चीनी की ही बात को लीजिए—1968 में गन्ना उत्पादकों को उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के इलाकों में एक क्विंटल का 15 रुपया दाम दिया गया था और उस समय खुले बाजार में चीनी 2 रुपया या सवा दो रुपया किलो बिक रही थी। 1973-74 के मौसम में उत्तर प्रदेश के इलाके में साधारण तौर पर सवा-तेरह रुपये क्विंटल के हिसाब से गन्ना उत्पादकों से लिया गया। कहीं कुछ कम और कहीं कुछ ज्यादा, 13 रुपये के दाम भी दिये गये और साढ़े तेरह रुपये के दाम भी दिये गये, लेकिन औसत में सवा तेरह आयेगा। लेकिन खुले बाजार में चीनी का दाम क्या है? सवा चार से साढ़े चार रुपये किलो के हिसाब से चीनी बिक रही है।

जब शिन्दे साहब कहते हैं कि भारत में कृषि का जो उत्पादन है उसके दाम में, कारखानों में या मिलों में पैदा होने वाली चीजों के दाम के मुकाबले अधिक तेजी से वृद्धि हुई है—तो मुझे दुख होता है। आप चीनी का ही उदाहरण ले लीजिए आपको पता चल जायेगा कि यह सही नहीं है। चीनी में किसानों को जो भी मूल्य आपने बताया है, उसको घटाने के बाद भी चीनी की जो बिक्री की दर है उसके बढ़ने का क्या कारण है, उसका दाम सवा चार रुपये में क्या हुआ। मैं 1968 के खुले दाम और इस समय के खुले दामों की चर्चा कर रहा हूं।

इसी तरह कपड़े की स्थिति है। पिछले 5-6 महीनों में कपास के दामों की स्थिति जरूर बदली है, लेकिन जितना हल्ला किया जा रहा है किसानों को बहुत लाभ हो रहा है—वह स्थिति नहीं है। मेरे सामने यह "कामर्स साप्ताहिक" है, इसमें प्रो. दंतवाला का एक लेख है—"पोलिटिक्स एंड प्राइज"। इन्होंने इस लेख में कृषि दाम नीति की घोर आलोचना की है, इनका यह कहना है कि काश्तकारों को बहुत ज्यादा दाम दिये जा रहे हैं। लेकिन अभी कुछ ही समय पहले 'इकोनोमिक टाइम्स' में कपास के बारे में जो खबर आयी थी, उसमें यह कहा गया था:

> "The cotton prices have fallen by Rs. 100 to Rs. 250 per candy owing to heavy arrivals of cotton on the one hand and slackening of demand from the buyers on the other."

यह बात 7 मार्च के 'इकोनोमिक टाइम्स' में कही गई है। इसलिए यदि 3 साल के आंकड़े इकट्ठे किये जाएं तो इसमें दो राय नहीं होगी कि कपड़े के दामों में अधिक तेजी से वृद्धि हुई है, बनिस्पत कपास के दामों के। इसमें भी कपास के दाम लेते समय मैंने उस दाम को नहीं लिया है जो सट्टा वगैरह चलता है या जो इजारेदारी चलती है उससे जो दाम बढ़ जाता है, उसको लेने से कोई फायदा नहीं है। मैं इस समय उसी दाम की चर्चा कर रहा हूं कि कपास का किसानों को क्या दाम मिला और कपड़े का उपयोगी मूल्य क्या है, जिस पर कि साधारण उपभोक्ता को देना पड़ता है। यदि इसका तीन साल का तुलनात्मक अध्ययन किया जायेगा तो निश्चित रूप से साबित होगा कि कपड़े का दाम अधिक मात्रा में बढ़ा है और उस अनुपात में रूई और कपास का दाम नहीं बढ़ा है।

इधर मैंने बजट पर बोलते समय इस बात को छेड़ा था कि लम्बे धागे की रूई आप इजिप्ट, सूडान, से मंगवा रहे हैं। तब वित्त मंत्री जी ने कुछ गर्मी में कहा—पहले हम मंगवाते थे, लेकिन सबने इन दिनों लांग स्टाइल काटन मंगवाना बन्द कर दिया है। ऐसा लगता है कि वित्त मंत्रालय और व्यापार मंत्रालय में कोई एकसूत्रीकरण नहीं है, क्योंकि व्यापार मंत्रालय ने मेरे ही प्रश्न के उत्तर में कहा है—

> "Cotton year 1970-71, imports 8.51 lakhs bales value in crores of rupees, 109.85 crores."

यह 1970-71 का आपका आयात है। उसके बाद 1971-72 में 7 लाख 44 हजार बेल्ज मंगवाई और उस पर 101 करोड़ 73 लाख रुपये की देशी-विदेशी मुद्रा खर्च की। 1972-73 में आपने 4 लाख 42 हजार बेल्ज मंगवाई जिस पर 64 करोड़ 90 लाख रु. की विदेशी मुद्रा आपने खर्च की। जहां तक 1973-74 का सवाल है, मेरी जानकारी है कि आपने 4 लाख बेल्ज मंगवाई हैं। मैंने पूछा था कि यह जो लम्बे धागे की रूई मंगवाते हैं, क्या इसका निर्यात के लिए इस्तेमाल होता है या हिन्दुस्तान के जो अमीर वर्ग के लोग हैं उनके शरीर पर बढ़िया वस्त्र चढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? व्यापार मंत्रालय ने जवाब दिया:

> "About 10 to 11% of the cloth made out of the yarn produced from the imported long staple cotton has been exported this year."

यानि 10 से 11 प्रतिशत। इन आंकड़ों के बारे में मुझे संदेह है कि क्योंकि, इनको यह कैसे पता चला कि आयातित रूई से जो कपड़ा बनाया गया, उसी को निर्यात किया गया, क्योंकि भारत में लम्बे धागे की कपास पैदा होती है। आपने इतनी बड़ी रकम विदेशी मुद्रा के रूप में इस लम्बे धागे की कपास को मंगवाने में खर्च की है अमीरों को अच्छा कपड़ा देने के लिए आपने खर्च की है—मैं जानना चाहता हूं कि इस नीति के पीछे कौन-सा सिद्धांत है। क्या यह समाजवाद की नीति है या अमीर, उच्च वर्गीय नीति है—इसका फैसला सदस्य लोग करें। इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि यह जो दूसरा सिद्धांत है कि खेती का माल और कारखानीय माल—इनके बीच संतुलन होना चाहिए, सामाजिक न्याय की दृष्टि से आपको इस सिद्धांत को क़बूल करना चाहिए।

आगे मैंने कहा है कि गल्ले के दाम में एक साल में 15 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। आपने कई प्रश्नों के जवाब में कहा है कि कहीं-कहीं ये दाम बढ़े हैं। बाजरा है, मक्का है, आपने यह माना है कि एक महीने में 20-25 और 30 प्रतिशत तक परिवर्तन हुआ है और पूरे साल की बात तो आप जानते ही हैं। जब कटने का समय आ जाता है तो किसान अपना माल मंडी में लेकर आता है, तब दाम गिर जाते हैं और जब उसे स्वयं खरीदने की नौबत आती है, यानि लीन-मंथ्स में, उसकी नई फसल आने से पहले, तो जिस भाव उसने बेचा होता है, उससे 50-60 अधिक दाम देकर खरीदना पड़ता है। इसके लिए गल्ले के दाम में 15 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। 15 प्रतिशत इसलिए रखा गया है कि स्टोर करने का खर्चा होगा, बैंकों से कर्जा लिया है तो उसका सूद देना होगा—इसलिए मैं 15 प्रतिशत की बात कर रहा हूं।

चौथी बात यह है कि सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि कृषि का जो माल है, वह निर्धारित दामों पर सरकार खरीदे। अब इसमें आप राष्ट्रीयकरण करें या निजी क्षेत्र में उसका व्यापार रहने दें—इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इस बारे में मेरी निश्चित राय है कि चाहे राष्ट्रीयकरण की नीति हो या निजी व्यापार की नीति हो, जब तक प्रशासन में भ्रष्टाचार और बेईमानी रहेगी, वितरण व्यवस्था में घूसखोरी चलेगी, तब तक आपकी दोनों नीतियां असफल रहने वाली हैं। इस साल आप दूसरी नीति चलाने जा रहे हैं इसका भी अनुभव ले लीजिए। क्योंकि इसके बारे में मेरे पास अभी-अभी दो पत्र आये हैं, उनसे आपको पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार की आज स्थिति क्या है। एक पत्र मुझे कजोरिया प्रखंड से, जो मेरे क्षेत्र में है, मिला है। उसमें उन्होंने सबूत के साथ साबित किया है कि आपके जो सब-इंस्पेक्टर्स होते हैं जब पिछली बार मैं गया था तो मुझे कहा गया था—एक बोरा गेहूं देने के लिए सप्लाई इंस्पेक्टर 5 रु. घूस लेता है चीनी के ऊपर 15 रु. लेता है, केरोसिन के एक ड्रम पर 15 रु. लेता है। लेकिन पिछले दो-तीन महीनों से जैसे-जैसे दाम बढ़े हैं घूसखोरी की दर भी बढ़ती गयी और अब घूसखोर की दर हो गयी है—गेहूं के बोरे पर 10 रुपया, केरोसिन ड्रम पर 25 रुपया, चीनी के बोरे पर 25 रुपया। खुद डीलर कहते हैं कि जब तक इस तरह की घूस हम नहीं देते हमको माल नहीं मिलेगा और घूस देकर माल लेंगे तो सप्लाई इंस्पेक्टर कहता है कि कोई जरूरी नहीं कि गरीबों को बेचो, ज्यादा दाम बढ़ाकर बेच सकते हो, डायरी या रजिस्टर को रेग्यूलराइज कर दूंगा। पास कर दूंगा तीन बार आंचल अधिकारी ने जांच के लिए उस डीलर को बुलाया, लेकिन वह नहीं आया और जांच नहीं हो पायी।

यहां हम लम्बे चौड़े लेक्चर दे रहे हैं कि गल्ले का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, या निजी व्यापार होना चाहिए, लेकिन सभी मानते हैं कि समाज में जो शोषित तत्व है, जिनके पास अपनी खेती-बाड़ी नहीं है और अगर है तो मामूली है, उन लोगों तक सार्वजनिक व्यवस्था से न्यूनतम गल्ला नहीं मिलेगा, वे जिन्दा नहीं रह सकते। तो सभी लोग मानते हैं कि सार्वजनिक व्यवस्था रहनी चाहिए और उसके मार्फ़त ऐसे तत्वों को कम से कम गल्ला मिलना चाहिए। लेकिन वितरण व्यवस्था में इस तरह की बेईमानी रहेगी तो क्या होगा?

अब आप लेवी की बात कीजिए। लेवी के बारे में इस तरह के जुल्म होते हैं। मेरे क्षेत्र से मुझे पत्र मिला है जिसमें कहा गया है कि बिना नोटिस के उन्होंने 20 क्विंटल धान लेवी के रूप में वसूलने के लिए कहा। छोटे किसान की बात थी, उसके पास उतना धान नहीं था तो उन्होंने कहा कि 500 रु. घूस दीजिए तो आपको लेवी देने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं लेवी का विरोधी नहीं हूं आप इस गलतफहमी में न आयें। एक ओर जब मैं चाहता हूं कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से लोगों को गल्ला मिले, कम से कम ऐसे गरीब लोगों को, भूमिहीनों को और शहर के गरीब लोगों को तो सार्वजनिक वितरण की व्यवस्था के लिए गल्ला कहां से आयेगा मैं तो इस पक्ष में नहीं हूं कि आप लगातार विदेशी आयात करते चले जायें। इसलिए गल्ला तो आपको प्रोक्योर करना ही पड़ेगा। उसके लिए आप यह लेवी की प्रणाली को चलाते हैं किसी न किसी रूप में, क्योंकि यह भी एक लेवी की प्रणाली चलायी है जो होलसेलर्स पर लेवी लगायी जायेगी चावल के बारे में या गेहूं के बारे में। पहले आप सीधे वसूलते थे। मेरा कहना है कि छोटे किसानों के ऊपर जुल्म न हो जिस तरह इन्कम टैक्स में बड़े लोग जिनकी आमदनी ज्यादा है उससे आप ज्यादा टैक्स वसूलते हैं हालांकि इस बार इस सिद्धांत को भी आपने छोड़ दिया है। छोटे लोगों को आपने कम राहत दी है और बड़ी आमदनी वालों को आपने ज्यादा राहत दी है, इस आशा से कि वे करों की चोरी नहीं करेंगे। तो मैं यह कह रहा था कि जिनके पास अतिरिक्त अनाज है मंडी में बेचने लायक उनके ग्रेडेड लेवी के आधार पर आप लेवी जरूर वसूलिये—मैं इसका विरोध नहीं करूंगा लेकिन आप जो बड़े काश्तकार हैं जो लेवी में अनाज दे सकते हैं उनसे आप अनाज वसूलते नहीं हैं और जो छोटे लोग हैं, आपकी मशीनरी इतनी सड़ गयी है कि मार उन छोटे लोगों पर पड़ती है। मैं केवल इसकी चर्चा कर रहा हूं कि निर्धारित दामों से सरकार खरीदे, अगर दाम नीचे जायेंगे तो आपके पास लोग आयेंगे और छोटे लोगों को अगर ज्यादा दाम मिल जायेगा तो कोई बुरी बात नहीं है।

जूट के बारे में आपने आश्वासन दिया था कि 157.50 रुपये क्विंटल के हिसाब से कलकत्ता डिलीवरी का जूट आप लेंगे लेकिन आप बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, उत्तरी बिहार में जाकर देखें क्या काश्तकारों को जूट का वह दाम मिला, तो आपको पता चलेगा कि बड़े ग्रोअर्स को छोड़कर छोटे ग्रोअर्स को किसी हालत में नहीं मिला है। इसलिए मेरा सुझाव है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए आपने क्या लक्ष्य बनाया है? आपने यह लक्ष्य बनाया है:

> "The rate of growth of output in the agricultural sector envisaged for the Fifth Plan Period is 4.67 percent per annum. The fulfilment of this target will make the country not only self-sufficient in respect of foodgrains but also leave a cushion for building a buffer stock."

तो 4.67 प्रतिशत की दर से अगर कृषि का आप का विकास करना चाहते हैं तो कृषि के लिए आपकी कोई योजना होनी चाहिए जिसका मैं कोई प्रकाश चिह्न नहीं देख रहा हूं—मुझे अफसोस है। हमारी योजना बनाने वाले अधिकारी लोग हैं, मैं किसी में फर्क नहीं करना चाहता, बेकारी निराकरण के बारे में उनकी बहुत सारी गलत धारणाएं हैं मेरी यह निश्चित धारणा है कि बेरोजगारी की जो भयंकर समस्या है उसका यदि समाधान करना है तो तथाकथित औद्योगीकरण

के जरिये वह कभी नहीं होगा बल्कि कृषि विकास के ऊपर आप जोर देंगे तो बेकारी की समस्या का भी समाधान होगा। इतना ही नहीं, औद्योगीकरण के लिए भी रास्ता प्रशस्त हो जायेगा।

मैं एक उदाहरण देता हूं। मुंगेर जिले में जो ताल का इलाका है उसमें यदि आप योजना का इंतजाम कर दें और बोरिंग आदि का प्रबंध करेंगे तो निश्चित रूप से दो फसल निकाल पाएंगे। मक्का की फसल निकाल पाएंगे और एक रबी की फसल निकाल पाएंगे। नतीजा यह होगा, मैं उत्तरी बिहार की बात नहीं कह सकता लेकिन मुंगेर, भागलपुर, संथाल परगना इन इलाकों में जितने ग्रामीण बेकार लोग हैं इन सभी को अकेली इस योजना में काम मिल जायेगा। इसलिए यदि बहुत बड़े पैमाने पर बेकारी की समस्या का आप हल करना चाहते हैं तो कृषि विकास योजनाओं पर आपको जोर देना पड़ेगा और उसी में से आपको पूंजी भी मिल जायेगी। इन बातों को लेकर मैं कहता हूं कि आप कृषि के विकास के लिए समुचित प्रयास नहीं कर रहे हैं और कृषि विकास से जिनकी समुचित आमदनी हो रही है उन पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। मैं कहता हूं कि आमदनी बढ़ाने के लिए आप उत्पादन बढ़ाने का समुचित प्रयास कीजिए। उससे अधिक लाभ जिनको होगा उन पर, जैसे कि अन्य आमदनी पर आप टैक्स लगाते हैं कृषि आमदनी पर भी टैक्स लगाइये या एक्रेज की बेसिस पर इन्कम टैक्स लगाइये जिसमें बेईमानी और घूसखोरी की कम से कम गुंजाइश होगी। तो इस रास्ते को आप अपनाइये। इसलिए मैंने सुझाव भी दिया है:

Electricity rate per unit for agricultural purposes shall not be more than 10 paisa.

अब आपकी क्या प्रायर्टीज है, वरीयता के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। यह मैं जानना चाहता हूं। मैं भी जानता हूं आज एल्यूमिनियम की हमारे देश के लिए आवश्यकता है लेकिन 'हिंडालको' के कर्मचारियों ने मुझको आंकड़े दिये हैं कि 55 मेगावाट का जो पुराना करार है उसके तहत दो पैसे की यूनिट से भी कम आप 'हिंडालको' से वसूलते हैं। 50 मेगावाट का जो नया समझौता हुआ है उसमें आपने 10 पैसे फी यूनिट दाम रखे हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या कृषि उत्पादन को वरीयता आप एल्यूमिनियम या निजी क्षेत्र से कम देते हैं? आप इस बात का बिल्कुल फैसला कीजिए कि आने वाले कुछ वर्षों के लिए बिजली का प्रति यूनिट का दाम कृषि कार्य के लिए 10 पैसे से अधिक नहीं रहेगा। यह आपको एकदम निर्णय करना चाहिए।

इसके साथ-साथ मैं जो अंतिम प्रस्ताव रखना चाहता हूं वह यह है कि दस एकड़ वाले किसान इधर चार-पांच साल की रबी की ओर अधिक अभिमुख होने लगे थे, अच्छा बीज भी इस्तेमाल करने लगे थे और खाद का भी प्रयोग करने लगे थे लेकिन इस बीच आप खाद का दाम भी बढ़ाते जा रहे हैं और उसके ऊपर टैक्स भी बढ़ाते जा रहे हैं। खाद के वितरण में इतनी बेईमानी है कि जो नियंत्रित दाम है बिहार में साढ़े बावन रु. यूरिया के बड़े बोरे का था लेकिन दो महीने पहले वह 100 रु. में मिलता था और इस बारे में जब मैं गया तो लोगों ने कहा कि हम 5 रुपया किलो के हिसाब से खाद खरीदते हैं।... इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप छोटे किसानों को, अपना जो घाटा है उसको सहते हुए, नियंत्रित दाम से भी कम दाम पर खाद देने का प्रबंध कीजिए और इस वक्त को सिंचाई का रेट अनाप-शनाप बढ़ाया जा रहा है, सिंचाई के

ऊपर टैक्स लगाकर आर्थिक नियोजन के लिए आप पैसा लेने की बात करते हैं उसको भी बन्द कर दीजिए मैं आपको उल्टी बात कहता हूं कि आप सिंचाई कर कम कर दीजिए आप फर्टीलाइजर का दाम घटा दीजिए, और किसानों को जो आमदनी हो उसके आधार पर टैक्स लगाइये। आप उत्पादन को ही मारने की बात क्यों करते हैं। आप सामाजिक न्याय की बात क्यों करते हैं तो आमदनी संबंधी कर नीति आपकी होनी चाहिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जैसे कि प्रोफेसर लोग अक्सर इस सदन में कहते हैं कि हमारी आमदनी संबंधी नीति कोई सामाजिक न्याय नहीं है। मैंने एल.आई.सी. के तीसरे और चौथे श्रेणी के कर्मचारियों की कुल मिलाकर आमदनी का आंकड़ा निकाला है जो कि साढ़े आठ हजार रुपया प्रतिवर्ष आता है। इसमें मैंने सारी एमिनिटीज शामिल कर ली हैं। लेकिन कितने किसान आज हमारे देश में हैं जिनको साढ़े आठ हजार की नेट इन्कम प्रतिवर्ष हो जाती है। क्लास टू और क्लास वन के अफसरों के आंकड़े भी मैंने निकाले हैं जोकि एक लाख 32 हजार होता है। एल.आई.सी. में ज्यादा आमदनी होती है तो उसको आप घटाएं लेकिन तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों की आय की भी जब हम चर्चा करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि छोटे किसानों के बारे में सोचने के लिए कोई तैयार नहीं है; इसलिए पहले सामाजिक न्याय को लाने की दृष्टि से उत्पादन किससे घटेगा या ज्यादा फसलें निकालने के कामों की ओर से किसान मुड़ जायेंगे इस तरह की आपकी टैक्सेशन नीति नहीं होनी चाहिए।

फर्टिलाइजर के ऊपर ऐक्साइज ड्यूटी लगाने की बात, एनर्जी टैक्स बढ़ाना, इलेक्ट्रिसिटी की दर बढ़ाते हैं, इन तमाम कामों से उत्पादन खत्म हो जाता है। इसलिए केवल बड़े किसानों पर उनकी आमदनी के अनुपात में अगर टैक्स लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आप संविधान में परिवर्तन ले आते। इतने परिवर्तन आपने किये, क्यों नहीं इस तरह का परिवर्तन ले आते कि बड़े काश्तकारों पर टैक्स लगाने के लिए राज्य सरकारों को बाध्य कीजिए। वह टैक्स आप न लीजिए लेकिन आप संविधान में परिवर्तन करके उसका अनुपात तय कर दीजिए, और राज्यों को वसूल करने के लिए कहिये, और उनको यह भी कहिये कि इस तरह के टैक्सेशन से जो आमदनी उनको मिलेगी उसमें मैचिंग ग्रान्ट हम देंगे और उसका एक फंड बनाइये जिसका इस्तेमाल जो आज असिंचित इलाके हैं उनके लिए कीजिए। महाराष्ट्र की बात मंत्री जी जानते हैं महाराष्ट्र में बहुत बड़ा सवाल है कि कुछ लोगों को तो 12 महीने सिंचाई मिलती है और कुछ लोगों को दो महीने के लिए भी सिंचाई नहीं मिलती है। तो यह जो फंड है इस पैसे का इस्तेमाल आप असिंचित इलाकों में सिंचाई का फैलाव करने के लिए कीजिए। इस तरह की उत्पादन बढ़ाने वाली, सामाजिक न्याय लाने वाली, कृषि को प्रोत्साहन देने वाली योजनायें आप बनायेंगे तो निश्चित रूप से जो वर्तमान कुंठा अर्थव्यवस्था में पैदा हो गई है। यह खत्म हो जायेगी और देश तेजी से तरक्की की दिशा में आगे बढ़ेगा।

नीतियों का जहां तक सवाल है, सबसे बुनियादी सवाल हो गया है भ्रष्टाचार, घूसखोरी और सरकारी तंत्र के शुद्धीकरण का। आप लाख कहिये, नीतियां बनाइये, विदेशों से विशेषज्ञ ले आइये, डाक्टर ले आइये, यह बीमारी जाने वाली नहीं है जब तक इस यंत्र का शुद्धीकरण नहीं करेंगे और कठोर आदेश नहीं करेंगे और इसके लिए मैं छोटे सप्लाई इंस्पेक्टर की चर्चा नहीं करना चाहता, बल्कि प्रधानमंत्री, मंत्री, गवर्नर और संसद सदस्य और विधान सभाओं के सदस्यों से आदर्श पेश

किया जाये, तब जाकर नीचे तक शुद्धिकरण का सिलसिला प्रारम्भ होगा। चीन ने अपना कल्चरल रिवोल्यूशन किया, हमारे देश में भी शुद्धिकरण की क्रान्ति की जरूरत है। और आज लड़कों के मन में यह बात आ गई है कि आप गोली के बल पर इस आन्दोलन को नहीं दबा सकते, बल्कि वह सोचते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटाये बिना हमारी तरक्की नहीं होगी। इसलिए इन सुझावों पर आप विचार कीजिए, यही मुझे कहना है।

सरकार की आर्थिक नीतियों का आकलन*£

सभापति महोदय, मैंने श्री चव्हाण साहब**, जगजीवन राम जी, प्रो. राव तथा मेरे दूसरे मित्रों के भाषण बड़े गौर से सुने। इन सभी लोगों ने पूछा कि विरोधी पक्ष अविश्वास का प्रस्ताव क्यों लाया है? इस राजधानी में या इस देश में जो अखबार प्रकाशित होते हैं—किसी भी दिन के दो-चार अखबारों को उठाइये तो पता चलेगा कि अविश्वास का प्रस्ताव विरोधी पक्ष को क्यों लाना पड़ा। आज के अखबार को ही लीजिए—यह फाइनेंशियल एक्सप्रेस है—इसमें लिखा है:

"A Windfall for hoarders.

"The Government's bravado has cost the consumer heavily. Perhaps to impress Parliament, it was announced that a supplementary Budget would be presented on July 31."

"The announcement has, however, recoiled. It served as a green signal to manufacturers and traders to hold back items on which additional taxes are expected to be levied in the supplementary Budget. They hope to earn windfall profits."

अब इसको लेकर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाना है तो क्या करना है?

अब दूसरे अखबार को लीजिए—यह 'टाइम्स आफ इंडिया' है—इसमें कहा गया है—

"5 rats for one human in India".

"Rats outnumber by five times the human population in India according to Mr. Math, retired Deputy Director of Agriculture (Entomology)."

"Mr. Math, who is associated with the Indian Institute of Socio-Economic Studies, estimated the rat population at 240 crores."

"A survey of several parts of Karnataka had revealed that each rat collected for its consumption 1 to 15 kg. of foodgrains in its burrow at harvest time. It was estimated that 150 rats consumed half a tonne of foodgrains in a year apart from rendering 10 times this quantity unfit for human consumption."

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 25 जुलाई 1974.

£ अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्री यशवन्तराव चव्हाण, वित्त मंत्री।

अब आप इस तीसरे अखबार को लीजिए:

> "Notwithstanding the Government denials reports of starvation deaths and distress sale of children continue to pour in from different parts of Assam".

अब इन अखबारों को लेकर हम लोग निन्दा का प्रस्ताव नहीं लायेंगे तो क्या आपकी तारीफ करने का प्रस्ताव लायेंगे। आप कलकत्ता के इस 'हिन्दुस्तान स्टैण्डर्ड' को लीजिए—

Hindustan Standard, Calcutta:

Commuter dies of suffocation in Bombay—

> "The Chaotic conditions on the suburban railway services resulted in the death of a commuter this morning. He first suffered from suffocation and giddiness and then an arm injury in an overcrowded compartment. He died in a hospital. Deaths of many have also reportedly gone unrecorded. People travel precariously on train roof tops or footboards".

और इसका एक ही कारण है कि रेल मंत्री जी ने अभी तक मेन्टेनेंस स्टाफ को काम पर नहीं लिया और एक दफा यह नौबत आई कि बम्बई में ग्रांड कोर्ड का इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन शुरू नहीं हो रहा था तो जिस स्टाफ को आपने डिसमिस किया था गाड़ी भेजकर उस मजदूर को बुलाना पड़ा तब इलेक्ट्रिकल सब-स्टेशन चालू हुआ। इसीलिए यह निन्दा का प्रस्ताव है।

प्रोफेसर साहब ने अभी कुछ आंकड़े दिये, मैं ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहता लेकिन इतना ही कहना चाहता हूँ कि 1956 के बाद जिस मनी सप्लाई की उन्होंने चर्चा की वह 2,218 करोड़ से लेकर 11,000 करोड़ तक बढ़ गई और इसी अवधि में राष्ट्रीय असली आमदनी दो गुना हो गई। पांच गुना मनी सप्लाई बढ़ी और असली आमदनी दो गुना बढ़ी। इसलिए आज मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई है। 1956 में रुपये का जो मूल्य था वह घटकर आज एक-चौथाई भी नहीं बचा। जब से प्रधान मंत्री जी सत्ता में आयी हैं पर-कैपिटा अवेलेबिलिटी आफ फूडग्रेन्स के बारे में क्या स्थिति है, उसको भी देखा जाए। 1965 में 480 ग्राम एक व्यक्ति के पीछे फूडग्रेन्स की खपत थी। लेकिन आज क्या स्थिति है? फी व्यक्ति पीछे 418 ग्राम अनाज मिल रहा है। जहां तक खाने के तेल का सवाल है कुछ ही साल के अन्दर पहले जहां 3.6 किलोग्राम तेल मिलता था, आज फी व्यक्ति पीछे 2 किलोग्राम मिल रहा है। चीनी 7.3 किलोग्राम थी, अब 6.1 किलोग्राम मिल रही है। कपड़ा इस देश में व्यक्ति पीछे जहां 15.2 मीटर मिलता था, आज 13.2 मीटर मिल रहा है? यह सरकारी आंकड़े हैं। तो इन्हीं कारणों को लेकर हम लोग निन्दा का प्रस्ताव रख सकते हैं।

बाबूजी* ने कहा कि लांछन वाली बात को क्यों लाते हो। तो जिस सरकार ने ऐसे काम किये हैं क्या उसकी आरती उतारने का प्रस्ताव लायें। सत्ताधारी पक्ष क्या चाहता है? इसलिए आप

---

* श्री जगजीवन राम, कृषि एवं सिंचाई मंत्री।

किसी भी मोर्चे पर देखिये सरकार के निकम्मेपन का सबूत आपको मिल सकता है। आज चारों ओर बिजली के अभाव का प्रश्न है। हम लोगों ने बिजली बोर्ड के ऊपर 5,500 करोड़ रुपये खर्च किया है, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जहां विदेशों में बिजली का ट्रांसमिशन लॉस 10 से 12 प्रतिशत है, मेरे ही एक प्रश्न के उत्तर में कबूल किया है कि हमारे देश में ट्रांसमिशन लॉस 27 से 37 प्रतिशत तक हो जाता है। इसलिए बड़े पैमाने पर जो बिजली का अभाव है उसके पीछे भी सरकार का निकम्मापन है।

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सवाल है कलकत्ता के एक औद्योगिक अखबार ने कहा है:—

Industrial growth rate continues to be sluggish, the rate of growth recording less than 1 per cent last year and is likely to be near zero during the current year.

कुछ अखबारों का यह भी कहना है कि उत्तर भारत में ट्रांसपोर्ट बोटलनेक और बिजली के अभाव के कारण इस साल औद्योगिक उत्पादन 10 प्रतिशत घटने वाला है। हालांकि वित्त मंत्री इसको कबूल नहीं कर रहे हैं। तो जब आपने सारे अध्यादेश जारी किये क्या इससे आप सोचते हैं कि दाम गिर जायेंगे? जब तक उत्पादन नहीं बढ़ेगा, पांच प्रतिशत मनी सप्लाई कम भी करेंगे, तो भी दामों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। आपने अध्यादेशों के जरिये जो ईमानदार कर देने वाले हैं, श्रमिक हैं, उसी की आमदनी के ऊपर आपने रोक लगायी है और जो लोग काला बाजार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, या इजारेदारी करते हैं, या बूट लैगिंग का काम करते हैं, इनको छुआ तक नहीं है। और कारण यह है कि आप इन लोगों से मिले हुए हैं।

विदेशी कम्पनियों का प्रश्न आप लीजिए। विगत साल हमने एक विधेयक पास किया। लेकिन आप विदेशी कम्पनियों को बोनस शेयर जारी करने की खुलकर छूट दे रहे हैं। इन्हीं दिनों में दर्जनों विदेशी कम्पनियों को बोनस शेयर देने की अनुमति वित्त मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों ने दी और इसका यही नतीजा हो रहा है कि जो ईमानदार आदमी है उसकी आमदनी को आप फ्रीज करना चाहते हैं। लेकिन जो बेईमान है उसकी आमदनी तो निरंतर बढ़ती ही चली जा रही है।

केवल वेज फ्रीज का सवाल नहीं है। प्रोफेसर साहब जरा सुन लें अगर मजदूरों की कमाई का पैसा खर्च नहीं कर सकते उसको फ्रीज नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे और मैं तो कहता हूं इन दिनों में सरकार द्वारा वेतन की लूट हो रही है। अभी-अभी कलकत्ता में एक एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी। इंडेक्स नम्बर को रिवाइज करने के लिए और उसकी रिपोर्ट आयी है मुझे पता नहीं माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने उसकी चर्चा की है कि नहीं। इसलिए मैं 'कैपिटल वीकली' का ही एक उद्धरण आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस कमेटी की सिफारिशों के बारे में 'कैपिटल वीकली' ने कहा है कि:

> "The implementation of the Committee's recommendation will mean a substantial increase in the dearness allowance payable to the industrial workers as well as to employees in mercantile firms. This increase is estimated to be of the order of Rs. 50 or even more per month."

तो प्रोफेसर साहब, मैं जानना चाहता हूं कि इंडेक्स नम्बर की चोरी करके आप लोग हर महीने मजदूरों की 50 रु. की आमदनी छीनते जा रहे हैं और सभी उद्योगपति इस कमेटी की सिफारिशों का विरोध कर रहे हैं और सरकार उस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानेगी क्योंकि वह उद्योगपतियों से प्रभावित है। जो कलकत्ता के बारे में सही है वह बम्बई, दिल्ली, कानपुर, मद्रास, बंगलौर आदि शहरों के बारे में भी सही है और मजदूरों के वेतन की लूट अखिल भारतीय है, केवल कलकत्ता तक ही सीमित नहीं है।

एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय चव्हाण* ने यह कबूल किया है कि आज जो दाम वृद्धि हो रही है वह वेतन वृद्धि के चलते या मजदूरी के चलते नहीं हो रही है। तो दाम वृद्धि के कारण क्या हैं? क्या दाम वृद्धि के लिए मुख्यत: सरकार और काला बाजार करने वाले जिम्मेदार नहीं हैं? स्वयं सरकार ने विगत साल 76 रु. क्विंटल के भाव किसानों से गेहूं खरीदा। नया गेहूं मई महीने के बाद बाजार में आया होगा। तो मई तक जो गेहूं बेचा गया उसमें 105 रु. क्विंटल के दाम से जो गेहूं खरीदा गया है वह नहीं बेचा गया, बल्कि जो गेहूं 76 रु. के भाव से खरीदा गया उसके दाम राशन की दुकान पर 135 रु., 145 रु. क्विंटल हो गये तो किसानों और उपभोक्ताओं, दोनों को आप लूट रहे हैं।

माननीय चव्हाण ने कहा कांग्रेस के पास जबर्दस्त इच्छा शक्ति है काले धन का प्रतिकार करने की। इनकी इच्छा शक्ति के कुछ नमूने पेश करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं पेट्रोलियम मंत्रालय को लूंगा, माननीय बरुआ जी** यहां नहीं है, चाहता हूं मेरी बात उन तक पहुंचे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने नैप्था का दाम पैट्रो-कैमिकल इंडस्ट्रीज के लिए 1 मार्च को 2,400 रु. प्रति टन कर दिया। लेकिन क्या हुआ? ढाई लाख टन मफतलाल इस्तेमाल करते हैं 80,000 टन इंटरनेशनल यूनियन कारबाइड इस्तेमाल करते हैं और 20,000 टन साहू जैन इस्तेमाल करते हैं। इन्होंने हल्ला मचाया, नतीजा यह हुआ कि नैप्था का दाम 26 मार्च को, यानी 26 दिन बाद ही, आपने 2,400 रु. प्रति टन से घटाकर 1,000 रु. टन कर दिया। 1,400 रु. प्रति टन आपने इन पूंजीपतियों के लिए छूट दी जिसके चलते मफतलाल को 35 करोड़ का फायदा हुआ, यूनियन कारबाइड को 11 करोड़ रु. बच गये और इसी तरह से साहू जैन के भी बच गये और जानकार सूत्रों से मुझे पता चला है कि 23 नं., तुगलक रोड से यह मामला सफदरजंग रोड पर चला गया है और डेढ़ करोड़ रुपये की वहां दोनों को मिलाकर रकम बांटी गई है।

*** *** ***

*** *** ***

मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। सफदरजंग रोड को खरीद लिया आपने।

*** *** ***

*** *** ***

* श्री यशवन्तराव चव्हाण, वित्त मंत्री।

** श्री देवकांत बरुआ, पेट्रोलियम मंत्री।

सभापति महोदय, आप जानते हैं कि 'इंडियन पेट्रो-केमिकल इंडस्ट्री लि.' और गुजरात का 'स्टेट फर्टिलाइजर्स कार्पोरेशन' अब 20 लाख टन केपरोलेक्टम और डी.एम.टी. प्रति वर्ष तैयार करने का काम करेंगे और एक साल के अन्दर 20 हजार टन की कैपेसिटी रहेगी। सभापति महोदय, इस रा-मैटीरियल से नाइलोन यार्न और पोलियेस्टर फिलामेंट और फाइबर बनता है। अब तक विदेशों से यह स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन मंगाती थी लेकिन यह जो स्वदेशी केपरोलेक्टम और डी.एम.टी. बन रहा है—जरा श्री उन्नीकृष्णन जी मैं रचनात्मक सुझाव दे रहा हूं, उस पर गौर करें और उसका आदर करें—मुझे जानकार सूत्रों से पता चला कि एक्साइज ड्यूटी उस पर नहीं लगने वाली है। इसका नतीजा यह होगा कि विदेशों से जो केपरोलेक्टम और डी.एम.टी. आते थे, उससे 18 हजार रुपये प्रति टन दाम कम है।

किन-किन लोगों को इससे फायदा होगा, मोदी—यह तो अनपार्लियामेंटरी नाम नहीं है—बिड़ला, जे.के., वगूर्स, जयपुरियाज, निरलांस आदि इन सबको इससे फायदा होगा। ये सब एन्टी-सोशल एलीमेंट्स हैं और इनको यह 18 हजार रुपया प्रति टन सस्ता केपरोलेक्टम और डी.एम.टी. देने का विचार है। इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई। अभी-अभी प्रोफेसर साहब ने सरकार की आमदनी बढ़ाने की बात कही सरकारी खजाने में यह 50 करोड़ रुपया जा सकता है। कौन इसको रोक रहा है? मैंने इस पर कई बार तवोज्जह खींची और इस तरह के मामले को सरकार के पास भेजा लेकिन इसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ लेकिन उड़ीसा चुनाव के लिए 25 लाख रुपया जे.के. से इकट्ठा किया गया है। ... मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं। मैं जानकार सूत्रों से जानता हूं। श्री उन्नीकृष्णन, मुझे माफ कीजिए, देखिये वरना उन सभी कांग्रेसी सदस्यों का मुझे नाम लेना पड़ेगा जो मेरे पास आकर इस तरह की जानकारी जो होती है, उसकी पुष्टि करते हैं।...

*** *** ***

सभापति महोदय, गूजरमल मोदी परिवार के लोगों के पास से विदेशी मुद्रा और गेहूं आदि चीजें निकली हैं जिसका उल्लेख श्री श्यामानन्द मिश्र जी ने किया है। मैं इतना और कहना चाहता हूं कि उनके पास से फारेन करेन्सी भी मिली है .... अब गूजरमल मोदी के बारे में भी परेशानी हो रही है।

*** *** ***

*** *** ***

सभापति महोदय, अभी गुजरमल मोदी परिवार में एक शादी हुई थी इन्टर-कांटीनेन्टल ओबराय में ...

*** *** ***

मैं उसमें नहीं गया था लेकिन आपके लोगों ने कहा कि हमारे यहां के बड़े-बड़े लोग उस शादी में पाये गये। सभी लोगों ने देखा है .... स्मगलिंग के बारे में मैंने चर्चा की थी। इसको

अगर रोकना चाहते हैं, तो स्मगलर जो हैं ... मैं स्वयं हूं। पार्टी से क्या मतलब है? जो कहना है मुझे कहिये। अगर आप स्मगलिंग को रोकना चाहते हैं तो जिन लोगों के बारे में सन्देह है कि वे स्मगलिंग में शामिल हैं तो उन लोगों के बारे में क्या हम लोगों को सचेत नहीं रहना चाहिए? महाराष्ट्र के एक मंत्री श्री अंतुले का मामला मैंने उठाया था। प्रधान मंत्री ने मुझको चिट्ठी लिखी कि श्री अंतुले को कमेटी आफ दी लेजिस्लेचर ने क्लीयर किया है। यह सारी जानकारी उन्हें महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री से मिलती है। वह यह झूठी जानकारी प्रधान मंत्री को देते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र लेजिस्लेचर की किसी भी कमेटी ने ....

*** *** ***

*** *** ***

अगर लेजिस्लेचर की कमेटी होती तो एक शब्द भी मैं नहीं बोलता। लेकिन झूठी जानकारी महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री को देकर उनको गुमराह करने ...

*** *** ***

मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ, ओपिनियन नहीं दे रहा हूँ। प्रधान मंत्री को गलत इनफार्मेशन दी गई है, इसमें अनपार्लियामेंटरी क्या है?

*** *** ***

*** *** ***

मैंने दो प्रश्नों के द्वारा दो मुद्दों पर जानकारी मांगी थी। एक यह था कि क्या इस सरकार ने विरोधियों के ऊपर जासूसी करने के लिए जापान से सोफिस्टिकेटिड इलेक्ट्रोनिक बगिंग इंस्ट्रूमेंट्स मंगाये थे और क्या उसके ऊपर करोड़ों रुपया खर्चा हुआ था?

*** *** ***

कभी भी इस सदन को बजट पेपर्स में इसकी जानकारी नहीं दी गई कि किस मद के ऊपर यह पैसा खर्च हुआ है। मैंने पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन को भी एक पत्र लिखा है। मैं जानना चाहता हूं कि एस्टीमेट्स कमेटी और पब्लिक एकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन इसके बारे में क्या कर रहे हैं?

*** *** ***

...इस सरकार की नीतियों के कारण भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर और डाक्टर बड़े पैमाने पर अमरीका चले जा रहे हैं। इस बारे में 'अन्कटाड' की एक रिपोर्ट आई है कि कितने बड़े पैमाने पर इस सरकार के तहत ब्रेन-ड्रेन हो रहा है। उस रिपोर्ट में कहा गया है:

> "Detailed estimates of incomes gained were made for the United States and Incomes lost for India per unit of immigration in 1970. The United States is the biggest recipient country and India one of the biggest donor countries in this international transfer of skill"... the income

transferred through brain drain, or reverse transfer of technology, from developing regions to the United States in 1970 alone would amount to around $3.7 billion. In comparison, the figure for the United States official Development assistance to developing countries in the same year was $3.1 billion. (This brain drain represents about 39 per cent of the United States current expenditure on higher education)... It should be noted that since prices and productivity have both risen since 1970, this would tend to make the figures per-immigrant income gained substantially larger today compared with the estimates presented in this study."

जहां तक रेलवे का संबंध है, 14 जून को हमारे प्रैजिडेंशल कैंडीडेट और श्री एस.एम. बनर्जी आदि के साथ रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र, से हमारी बातचीत हुई। विक्टिमाइजेशन के बारे में जो भी बातें हुई मैंने उनको लेखबद्ध करके तत्काल उनके पास भेजा। उन बातों को उन्होंने नहीं काटा। लेकिन कल उन्होंने कहा कि कोई विक्टिमाइजेशन नहीं है। मैं एक सीक्रेट सर्कुलर लाया हूँ, जिससे पता चलेगा कि सत्य क्या है। उस सीक्रेट सर्कुलर में नार्दर्न रेलवे के पदाधिकारी कहते हैं:

"It has been observed that despite issue of Shri Koli's D.O. of even No. dated 14.5.1974, followed by a D.O. dated 29.5.1974, from me, no appreciable progress has been made either in regard to processing the cases of condonation of break in service, or disposal of appeals preferred by the May 1974 strikers against their dismissal/removal/termination... The Board have also expressed their concern on this account. In order to avoid any further feeling of victimisation amongst the staff and to ensure quick normalcy on the railway, it is essential that you examine this burning problem personally and arrange to have all the appeals against dismissals/removal/terminations as also the case of condonation of break-in-service finalised expeditiously keeping of course the 'hard cores' aside. It has been desired by the Railway Board that, in view of the ensuing Parliament session, the work regarding disposal of all appeals against dismissal/removal/termination etc. and condonation of break in service, excepting those of 'hard cores' must be completed before the end of this month."

इस सर्कुलर पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ है? मंत्री महोदय अपने डिविजनल सुपरिन्टेंडेंट और डी.एस. आदि को डिसमिस कर दें, क्योंकि वे सरकारी सर्कुलरों पर अमल नहीं कर रहे हैं।

मेरा आखिरी मुद्दा बिहार के बारे में है। बिहार में गोली के बल पर लड़कों को कालेज और विश्वविद्यालय नहीं भेजा जा सकता है और एग्जामिनेशन्स नहीं कराये जा सकते हैं। इसलिए मेरी यह मांग है कि सरकार अपनी इस दमन की नीति को छोड़े। बिहार में चेचक से 36,000 आदमी मरे हैं। बिहार सरकार इतनी निकम्मी है कि उस पर पचास करोड़ रुपये का ओवरड्राफ्ट है।

पांचवें फाइनेंस कमीशन ने कहा है कि जो स्टेट इतना ज्यादा ओवरड्राफ्ट करेगी उसके खिलाफ कांस्टीट्यूशनल एक्शन लिया जा सकता है।

मेरी मांग है कि लड़कों के खिलाफ टैंक चलाने वाली और शूट एट साइट का आर्डर देने वाली इस सरकार को—गया कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया है कि कई कांग्रेस एम.पीज. ने कहा है कि शूट एट साइट का आर्डर दिया गया था—और बिहार की विधान सभा को तत्काल बर्खास्त किया जाये। अगर बन्दूक और टैंक के बल पर मजदूरों और छात्रों को दबाने का प्रयास किया जायेगा, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव भले ही गिर जाये, लेकिन वह सरकार भी ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाली है—जनता उसको खत्म कर सकती है।

कम्पनियों पर नियंत्रण की आवश्यकता*£

मेरा इस विधेयक के बारे में यह कहना नहीं है कि इसके सभी अनुच्छेद खराब हैं। कुछ अच्छे हैं और कुछ के बारे में एक अर्से से कोशिश भी कर रहा था। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि उनके बारे में कुछ कहना आवश्यक भी है। कुछ अनुच्छेद नहीं रहते तो ज्यादा अच्छा था।

मैं आखिरी अनुच्छेद से शुरूआत करना चाहता हूं। आप क्लाज 37 लीजिये। इसमें इन्होंने कम्पनी के पदाधिकारियों को जो मानदेय दिया जाता है, उसमें संशोधन करना चाहा और उसमें पांच ऐसी बातें रखी हैं जिनके आधार पर यह रिम्युनरेशन निश्चित किया जाएगा। मंत्री जी को पता होगा कि उनके साथ और उनके पहले जो कम्पनी अफेयर्स के मंत्री थे श्री फखरुद्दीन अली अहमद साहब उनसे मेरा एक अर्से से कई कम्पनियों के बारे में पत्र-व्यवहार चल रहा है। जो उन्होंने सबसे अंत में रखा है उसको मैं चाहता हूं कि सबसे पहले रखा जाए और उस पर सबसे अधिक वजन दिया जाए।

Public policy relating to removal of disparities in income.

क्या मंत्री महोदय इस सदन के सामने कोई अपने अध्ययन का निष्कर्ष रखेंगे कि जो बड़ी-बड़ी कम्पनियां हैं और छोटी कम्पनियां भी हैं उसमें इस समय जो मैनेजिंग डायरेक्टर आदि पदाधिकारी हैं उनको कितनी तनख्वाह, वेतन भत्ते, सुविधायें दी जाती हैं? अगर इसका ब्यौरा कभी सिलसिलेवार सदन के सामने आएगा तो मैं इसके बारे में इस पर क्यों जोर देना चाहता हूं इसका आपको पता चलेगा। आपने मजदूरों के बारे में अभी अध्यादेश जारी किया ऐसी हालत में आपके हाथ में जो पहले भी अधिकार था, अब कुछ उसका आपने स्पष्टीकरण किया है सरकार को कम्पनी बिल, कम्पनी एक्ट के बारे में बार-बार क्यों आना पड़ता है? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ईमानदारी से अपने अधिकारों का सार्वजनिक हित में इस्तेमाल करेगी? मुझे लगता है कि रिम्युनरेशन के बारे में आज तक इन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया गया है। इन लोगों का जो रिम्युनरेशन है इसके ऊपर कुल्हाड़ी चलाने की जरूरत है। 'एक्स' का इस्तेमाल उसको करना चाहिये।

32 और 33 क्लाजिज में कुछ विदेशी कम्पनियों को कम्पनी कानून के तहत लाने का प्रयास किया गया है। यह ठीक बात है लेकिन मेरा कहना यह है कि कुछ फारेन एक्सचेंज रेग्युलेशन एक्ट के अन्दर प्रावधान हैं, इसमें यह नया प्रावधान है रिजर्व बैंक और कैबिनेट के द्वारा कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। ऐसी हालत में क्या इस काम को इस तरह से अलग-अलग करने से कोई

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 5 अगस्त 1974.

£ 'कंपनी (संशोधन) विधेयक' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

विदेशी कम्पनियों का ढंग से नियंत्रण हो पाएगा? कोई व्यापक प्रावधान विदेशी कम्पनियों के बारे में ट्रांजीशनल पीरियड के लिए, उस समय के लिए जब तक कि वे हिन्दुस्तानी कम्पनियां नहीं हो जाती हैं, सम्यक दृष्टि रखकर प्रावधान इसमें लाना चाहिये। स्वयं मैंने एक प्राइवेट मैम्बर्ज बिल दिया है, फारेन कम्पनीज रेग्युलेशन बिल। मेरी आपसे विनम्र विनती है कि उसके ऊपर आप जरूर विचार करें।

क्लाज 31 आप देखें। सरकारी डायरेक्टर्स की संख्या वगैरह के बारे में इसमें प्रावधान किया गया है। लेकिन केवल सरकारी डायरेक्टरों की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलने वाला है। ये डायरेक्टर वहां जाकर क्या करें, सरकार की जो औद्योगिक नीति है, जो सामाजिक नीति है, आर्थिक नीति है, उन सब नीतियों को लेकर कम्पनी व्यवहार नियंत्रित कैसे करें इसके बारे में बहुत सोच-समझकर हर एक कम्पनी के लिए, हर एक इंडस्ट्री के लिए आपको गाइडलाइंस तैयार करनी चाहिये और इन डायरेक्टर्स के लिए यह अनिवार्य बना दिया जाना चाहिये कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के जो निर्णय होंगे, मिनट्स होंगे उनके ऊपर वे हस्ताक्षर करें, वार्ता में जो निर्णय करते हैं उनके प्रति उनका कोई दायित्व नहीं रहता है यही बात जो वित्तीय संस्थाओं के डायरेक्टर रहते हैं उनके बारे में भी मैं कहूंगा। मैंने शायद आपको इसके बारे में लिखा भी है कि उनके लिए भी सरकार गाइडलाइंस दे दे और उनके जो मिनट्स होते हैं या निर्णय होते हैं उनके ऊपर अपना हस्ताक्षर करने को उनको बाध्य करे। नहीं तो इन निर्णयों के प्रति फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की ओर से जो डायरेक्टर जाते हैं या सरकार के द्वारा जो डायरेक्टर नियुक्त किए जाएंगे, उनका कोई दायित्व कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी।

युनाइटेड किंगडम के कम्पनी कानून की नकल करते हुए क्लाज 30 में कहा गया है कि होलटाइम सेक्रेटरी का पद होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि इस पद की क्या आवश्यकता है। यह एक नौकरशाही दृष्टिकोण है, जिसके अनुसार अपनी सेवाओं का विस्तार करने और सेक्रेटरीज की संख्या को बढ़ाने का काम विगत 27 वर्षों से चल रहा है। सरकार में भी यही स्थिति है। अंग्रेजों के जाने के समय सचिवालय में कितने सचिव थे और आज कितने सचिव हैं? मुझे यदि याद है कि 1965 में, जब श्री कृष्णामाचारी वित्त मंत्री थे, मेरे एक सवाल के उत्तर में बताया गया कि सचिवों की संख्या चार गुनी हो गई है। जो कुछ सरकारी सेक्टर में हो रहा है, सरकार वही निजी क्षेत्र में भी करने जा रही है। मैं समझता हूं कि फुल-टाइम पेड सेक्रेटरी की कोई जरूरत नहीं है, यह फिजूलखर्ची का एक तरीका है, और इस पर रोक लगानी चाहिए।

जहां तक क्लाज 27 का संबंध है, यह अच्छी बात है कि सोल सेलिंग एजेंसी पर कोई पाबन्दी लगाई गई है। आप जानते हैं कि चौथी लोक सभा में किलाचन्द वालों का मामला आया था, और मैंने बहुत ताकत के साथ इसको उठाया था। इस विधेयक में कहा गया है कि किन-किन वस्तुओं की सोल सेलिंग एजेंसी नहीं रहेगी, सरकार द्वारा इस संबंध में एक सूची प्रकाशित की जायेगी। होना चाहिए इससे उल्टा। मेरी राय में आज देश में सेलर्स मार्किट है, और देश में उत्पादन की जो स्थिति है, उसको देखते हुए यह कई वर्षों तक रहने वाली है। ऐसी हालत में यह साधारण पाबन्दी होनी चाहिए कि सोल सेलिंग एजेंसी नाम की चीज नहीं रहेगी, और अगर किसी विशेष

चीज के बारे में सरकार इसकी आवश्यकता समझती है, तो एक नोटिफिकेशन में स्पष्टीकरण देकर वह उसके लिए सोल सेलिंग एजेंसी की इजाजत देगी। मेरा तात्पर्य यह है कि सरकार सोल सेलिंग एजेंसी पर साधारण पाबन्दी लगा दे और अगर किसी एक-आध चीज के बारे में उसको लगता है कि उसमें सेलर्स मार्किट नहीं है और उसकी बिक्री करना मुश्किल काम है, तो वह उसके लिए छूट दे सकती है।

इस विधेयक में टेक-ओवर बिड के बारे में प्रावधान दिये गये हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वर्तमान कम्पनी कानून के तहत जो अधिकार हैं, उनका भी कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है। आज तक जो टेकओवर बिड्ज हुए हैं, क्या कम्पनी अफेयर्स मिनिस्टर ने उनको स्टडी करके अपने निष्कर्ष कभी भी इस सदन के सामने रखे हैं? अभी-अभी इस सदन में एन.आर.सी. की चर्चा हो रही थी। क्या मंत्री महोदय को मालूम नहीं है कि यह जो आज कपाड़िया ग्रुप बना है, इन लोगों ने कैसे धन इकट्ठा किया, इन्होंने पूरे क्लिक निक्सन ग्रुप को हथिया लिया और अब प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स संबंधी वर्तमान प्रावधान का दुरुपयोग क्र के एन.आर.सी. पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं? मंत्री महोदय यह जानते हैं। पैसा बटा है बड़े पैमाने पर। 1968 में क्लिक निक्सन ग्रुप के बारे में जो टेक-ओवर बिड हुआ था मैंने उसके संबंध में उस समय के मंत्री, श्री फखरुद्दीन अली अहमद, को एक मेमोरेंडम दिया था। लेकिन यह खेद की बात है कि 1968 में मैंने सरकार के सामने जो जानकारी रखी थी, आज तक छ: साल के बाद भी—न उसकी कोई जांच हुई है और न कोई कार्यवाही की गई है। अगर सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, अगर सरकार की मंशा ही संदेहास्पद है, तो मेरा ख्याल है कि इस प्रावधान से भी कुछ होने वाला नहीं है।

विगत दस-पंद्रह सालों में इस तरह के जितने भी टेक-ओवर बिड्ज हुए हैं, कम्पनी कानून, इन्कम टैक्स और वैल्थ टैक्स संबंधी कानूनों के तहत उन सभी लोगों के कारनामों की जांच होनी चाहिए, उनकी तरफ सरकार का जो बकाया है, वह वसूल होना चाहिए और उन पर जुर्माना भी होना चाहिए। अगर सरकार उन पर जबरदस्त जुर्माना करेगी तो एक भी कम्पनी इन लोगों के हाथ में नहीं रहेगी।

जैसा कि एक्स्प्लेनेशन में भी कहा गया है, कभी-कभी टेक-ओवर हो जाता है और शेयरहोल्डर्स को पता ही नहीं चलता है, जबकि वास्तव में वे मैनेजमेंट में परिवर्तन नहीं चाहते हैं। क्लिक निक्सन ग्रुप के बारे में ऐसा ही हुआ था। वे लोग अहमदाबाद और सूरत की इलेक्ट्रिसिटी कम्पनियों पर कब्जा करके अपने ग्रुप का मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त करना चाहते थे। उस वक्त श्री टी.ए. पाई, एल.आई.सी. के चेयरमैन थे मैंने उनको पत्र लिखकर इस मैनेजमेंट के टेक-ओवर को रोकने का प्रयास किया। मुझे पता नहीं है कि वर्तमान परिस्थिति क्या है।

क्लाज 19 के तहत डिविडेंड वाली रकम को केन्द्रीय सरकार जनरल रेवेन्यू एकाउंट में क्यों रखना चाहती है। मैंने इस प्रावधान को बहुत गौर से पढ़ा है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि सरकार इसको खर्च करना चाहती है या क्या करना चाहती है। सरकार इसको लेना क्यों आवश्यक समझती है? इसका जो स्पष्टीकरण दिया गया है, वह मेरी समझ में नहीं आया है। मंत्री महोदय को इसका खुलासा करना चाहिए।

सरकार द्वारा डिपाजिट्स वगैरह के बारे में जो प्रावधान रखे गये थे, जायेंट कमेटी ने उसमें परिवर्तन क्यों किया है? मेरी राय में मूल प्रावधान अच्छे थे। डिपाजिट्स वगैरह को लेकर इतना गोलमाल हो रहा है। मारूति के डिपाजिट्स का सवाल उठाते हुए मैंने कहा था कि दो सौ डिस्ट्रिब्यूटर्स से चार करोड़ रुपये तक डिपाजिट्स इकट्ठा करने का प्रयास किया गया। बाद में मंत्री महोदय ने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज के पास उनकी कोई बैलेंस शीट नहीं आयी है। फिर शीतकालीन सत्र में इसके बारे में 1.75 करोड़ रुपये की बात मंत्री द्वारा स्वीकार की गई, जबकि मैंने चार करोड़ रुपये की बात कही थी। वे 31 मार्च 1973 तक की फिगर्स हैं। नये फिगर्स क्या हैं? जिन कम्पनियों का प्राडेक्ट मार्किट में नहीं आया है, जो टेस्ट भी नहीं हुआ है, अगर सरकार इस प्रकार की कम्पनियों को जनता से डिपाजिट लेने की छूट देगी, तो वह अच्छा नहीं होगा।

जायेंट कमेटी ने यह परिवर्तन किया है कि अगर शेयरहोल्डर्स और डायरेक्टर्स का सवाल है, तो उसका एडवरटाइजमेंट नहीं देना चाहिए। मेरे ख्याल में यह परिवर्तन अच्छा नहीं हुआ है। मूल प्रावधान अच्छा था।

विभिन्न क्लाजिज के तहत अदालत के अधिकार छीनकर कम्पनी लॉ बोर्ड को दे दिये गये हैं। मैं समझता हूं कि ये प्रावधान कोई अच्छे नहीं हैं। सरकार समझती है कि शायद इससे वक्त बचेगा, समय बर्बाद नहीं होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। कम्पनी लॉ बोर्ड जिस ढंग से काम करता आ रहा है। वह संतोषजनक नहीं है।

अन्त में मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे देश में भ्रष्टाचार और असमानता का जो माहौल है, उसके कारण सरकार के हाथ में जितने भी विवेकाधीन अधिकार, डिसक्रीशनरी पावर्स दिये जा रहे हैं, इस बात का डर है कि इन अधिकारों का इस्तेमाल अधिकारी लोग, और सरकार के लोग, चुनाव के लिए चन्दा इकट्ठा करने के लिए या अपनी जेबें भरने के लिए करेंगे। अगर कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी दिल की बात कहेंगे, तो वे इससे सहमत होंगे।

इसलिए मैं बार-बार कहना चाहता हूँ कि सरकार कम्पनी कानून में चाहे हजार परिवर्तन करें, लेकिन जब तक उसकी नीति और दिशा में उचित परिवर्तन नहीं होता है, जब तक उसमें ऐसी जबरदस्त इच्छा शक्ति, विल पावर, का उदय नहीं होता है—जिसका आज घोर अभाव है—कि हम काले धन को और कम्पनी सेक्टर में होने वाले सब गलत कामों को सख्ती के साथ रोकेंगे, तब तक इस तरह के परिवर्तनों से कुछ नहीं होने वाला है।

मुद्रास्फीति पर नियंत्रण*£

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि यदि यह वित्तीय बिल वे इस सदन के सामने नहीं लाते तो वह बड़ा गैर जिम्मेदाराना काम होता। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका यह जो विधेयक है और उसमें जो सुझाव दिए गए हैं उनसे मुद्रास्फीति और दाम-वृद्धि रुकने वाली नही है—इनके सुझावों में एक धोखाधड़ी छिपी हुई है जिसकी ओर सबसे पहले मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने अपने विधेयक में कहा है कि पहली बार केप्रोलेक्टम और डी.एम.टी. के ऊपर हम लोग उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) लगाने जा रहे हैं। इनको 30 अप्रैल को ही मैंने एक पत्र द्वारा सूचित किया था कि 'गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कारपोरेशन' और 'इंडो-पैट्रोकेमिकल कार्पोरेशन' केप्रोलेक्टम और डी.एम.टी. का उत्पादन शुरू करने जा रहे हैं तो क्या सरकार जो केप्रोलेक्टम और डी.एम.टी. है उसके ऊपर कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाएगी? लेकिन मेरे पत्र का कोई जवाब नहीं मिला। मैंने स्मरण पत्र दिया उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। अविश्वास के प्रस्ताव पर जब मैंने करारा हमला इनके ऊपर किया तब इस विधेयक में आपने 50 प्रतिशत और 25 प्रतिशत ड्यूटी लगाई है। ... मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूंजीपतियों के साथ मिलकर इस लूट में सरकार और सरकारी लोग कैसे हिस्सेदारी कर रहे हैं। अब तक जो डी.एम.टी. विदेशों से आयात किया जाता था जिससे पालियेस्टर फाइबर और पालियेस्टर यार्न बनता है—रूस के कुछ आंकड़े मैं देता हूं, रूस से यह माल मंगवाया जाता था और इसकी सी.आई.एफ. प्राइस साढ़े 21 हजार रुपया थी। इसके ऊपर 70 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी, 15 हजार 50 रुपए प्रति टन लगाई गई थी। और एम.एस.टी.सी. का साढ़े सात प्रतिशत सर्विस चार्ज होता था 1612 रुपए कुल मिलाकर इसका बिक्री दाम 38,162 रुपए था। इनका पहले इरादा क्या था? इरादा यह था कि गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कार्पोरेशन 18 हजार रुपये में डी.एम.टी. और तकरीबन उसी दाम में कैप्रोलेक्टम हिन्दुस्तान के जो बड़े-बड़े पूंजीपति हैं जिनमें इनके प्रिय पात्र गुज्जरमल मोदी, जे.के. सिंघानिया, बिड़ला, बांगड़, जयपुरिया आदि सभी लोग हैं—आर.पी. गोयनका भी इनके प्रिय पात्र हैं लेकिन इसमें वह नहीं आते—इन लोगों को यह 18 हजार रुपये में डी.एम.टी. बेचना चाहते थे जबकि डी.एम.टी. का इम्पोर्टेड दाम, आयातित बिक्री मूल्य, जैसा मैंने कहा 38 हजार रुपए था। तो 20 हजार रुपए का लाभ उसमें ये बड़े-बड़े पूंजीपतियों को देने जा रहे थे। बार-बार लिखने के बाद और हमला करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ यह कहा कि 50 प्रतिशत की ड्यूटी केप्रोलेक्टम पर और 25 प्रतिशत की ड्यूटी डी.एम.टी. पर लगाएंगे। अभी मैंने इसका हिसाब जोड़ा है। इसकी बेसिक प्राइस 18 हजार रुपए, 25 प्रतिशत ड्यूटी साढ़े

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 13 अगस्त 1974.

£ वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1974 पर चर्चा में भाग लेते हुए।

4 हजार रुपये, यानि 22,500 रुपए प्रति टन का दाम हो गया। इसका मतलब है 38 हजार रुपये बिक्री का दाम है इम्पोर्टेड डी.एम.टी. का तो यह ड्यूटी लगाने के बाद भी इन लोगों को, पूंजीपतियों को तकरीबन 15,662 रुपए प्रति टन का लाभ होने वाला है। इसमें इनकी हिस्सेदारी भी है। ... आज मैं कहना चाहता हूं आप लोग इनको इसलिए छूट दे रहे हैं कि प्रधान मंत्री से लेकर देवकांत बरूआ तक सभी इन लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं चुनाव के लिए। ... मैं सबूत दे रहा हूं। मेरे बार-बार पत्र लिखने के बाद भी इस तरह का बेनिफिट यह सरमायेदारों को क्यों दे रहे हैं और इसके बाद फिर समाजवाद की बकवास करते हैं? क्या इनके समाजवाद का यही मतलब है? मैंने जो डी.एम.टी. के बारे में कहा वही केप्रोलेक्टम के बारे में भी है। इस तरह इन लोगों ने उनको तकरीबन 50 करोड़ की पोटैन्शियल छूट दे रखी है आज भी साढ़े 15 हजार रुपए टन का बेनिफिट उनको दिए जा रहे हैं।

*** *** ***

...पैदावार बढ़े बिना इम्पोर्ट कम नहीं होगा। लेकिन जब कंज्यूमर और बुनकरों को इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है तो यह जो सरकार को 50 करोड़ का नुकसान होगा, और पूंजीपतियों को लाभ होगा वह किन लोगों में बांटा जाएगा? अगर कंज्यूमर और वीवर को फायदा होता तो बात मेरी समझ में आती लेकिन उनको बिलकुल कोई लाभ नहीं दे रहे हैं। इसलिए मेरा आरोप है कि इसमें बड़े पैमाने पर राजनीतिक घूसखोरी छिपी हुई है।

मुद्रास्फीति रोकने की जो बात है, इसके लिए इन्होंने अध्यादेश जारी किए हैं और उनके जरिए, इनको अपेक्षा है कि इस साल 4 सौ करोड़ रुपए जो बाजार में आते उनको वे फ्रीज करेंगे, जमा करेंगे। फ्रीज शब्द आपको अच्छा नहीं लगता है लेकिन यह फ्रीज ही है। अगले साल के लिए अन्दाजा है 6 सौ करोड़ रुपए फ्रीज कर सकेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं उत्पादन के मोर्चे पर इनकी जो असफलता है उसके चलते यह 4 करोड़ रुपये चटनी के बराबर है और उनका दामों पर कोई असर नहीं होने वाला है। आप खेती को लीजिए—मैं इनकी ही नेशनल इनकम के आंकड़े और कृषि उत्पादन के आंकड़े के आधार पर बतलाना चाहता हूं—अगर खेती में 5 प्रतिशत और उत्पादन घटेगा तो बाजार में 875 करोड़ का माल कम आयेगा और दाम जरूर बढ़ेंगे। औद्योगिक उत्पादन के बारे में यह शुरू में हमारी बातों को नहीं मानते थे लेकिन अब इन्होंने स्वयं कबूल किया है कि कुंठा की स्थिति है। इस तरह पावर शटेज, ट्रांसपोर्ट बॉटलनेक और आपकी अयोग्यता के चलते, कच्चे माल के अभाव के चलते औद्योगिक उत्पादन भी मेरी राय में घटने वाला है इस साल तो कुल मिलाकर उत्पादन के मोर्चे पर इनकी जो अकर्मण्यता है, अयोग्यता है उसके चलते मजदूरों और श्रमिकों का जो 4 सौ करोड़ रुपया आज फ्रीज करने वाले हैं उससे मुद्रास्फीति और दामों पर जरा भी असर नहीं होगा, दाम बढ़ते जायेंगे। गणेश जी* ने उस दिन कबूल किया था इस वक्त इतनी तेजी से दाम बढ़ रहे हैं कि हर महीने में डीयरनेस का नया इंस्टालमेंट देना पड़ रहा है। यह आपकी दुर्बलता है, आपकी कमजोरी है और आपकी अयोग्यता है। इसलिए उत्पादन के मोर्चे पर, उत्पादन बढ़ाने के लिए इनका क्या कार्यक्रम है उसके बारे में वास्तव में इन्हें कोई रूपरेखा रखनी चाहिए थी लेकिन मुझे ऐसा लगता है इनके पास उत्पादन बढ़ाने का कोई कार्यक्रम ही नहीं है।

---

*श्री के.आर. गणेश, वित्त राज्य मंत्री।

दूसरे इन्होंने वायदा किया था कि हम प्रशासकीय खर्चा घटायेंगे। मेरे मित्र पीलू मोदी कहते हैं कि 4 सौ करोड़ घटाने का वायदा किया था, मुझे पता नहीं है, लेकिन जो प्रशासकीय खर्चा घटाने का वायदा इस सदन में बार-बार किया गया है उसके लिए कोई कदम उठाया है? मैं देख रहा हूं विगत 27 सालों में इन्होंने एक ही काम किया है, इन्होंने तेजी से नौकरशाही का विस्तार किया है। विगत 27 सालों से अनुत्पादक नौकरियों का निर्माण करने और अनुत्पादक कार्यों पर पैसा बर्बाद करने का सिलसिला चल रहा है। जब उत्तर अमरीका और पश्चिम यूरोप का औद्योगिकीकरण शुरू हो गया, कृषि विकास की प्रक्रिया शुरू हो गई तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या वितरण और सेवा के क्षेत्र में लोक संख्या का इतना बड़ा परसेंटेज उत्तर अमरीका में और पश्चिम यूरोप में था? आप अपने यहां सेवा और वितरण में कितनी अनुत्पादक जॉब्स विगत 27 सालों में उत्पन्न करते गये हैं क्या इसका भी आपने अंदाजा लगाया है? इसका नतीजा यह है कि आज आपकी अर्थव्यवस्था यह भार वहन करने के लिए तैयार नहीं है, कर ही नहीं सकती है। इसके बारे में मैं कोई नई दिशा नहीं देख रहा हूं। जो भी बिल यहां आता है उसमें अनुत्पादक जॉब्स पैदा होते हैं: अभी-अभी की बात है। सैंसरशिप बिल आया था, एग्रिकल्चरल कमीशन आया था, आयल डिवेलपमेंट बोर्ड का रैकेट, सीक्रेट बिल के रूप में श्री देवकांत बरूआ* ने यहां रखा था। इन सबका एक ही मकसद है कि अनुत्पादक जॉब्स बढ़ाओ, बड़े-बड़े जो नौकरशाह हैं उनको बहुत अच्छी-अच्छी नौकरियां दो। उनके भत्ते भी रहेंगे, वे घूमेंगे, फिरेंगे, एवं एयरकंडिशन्ड उनके कार्यालय बनेंगे और इस तरह जनता का जो पसीने का पैसा है उसको आप बरबाद करेंगे।

उत्पादक तथा प्रशासकीय खर्चे के बारे में मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से लेकर इन तमाम लोगों को नजीर पेश करनी चाहिये। जब तक प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति अपने खर्चे घटाने के मामले में सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, नजीर पेश नहीं करेंगे तब तक नीचे तक इस तरह का एक सादगी का जीवन सरकारी लोग बसर करेंगे, ऐसी बिलकुल आशा नहीं की जा सकती है। उत्पादन के मोर्चे पर इनकी अकर्मण्यता तथा प्रशासकीय खर्चा घटाने के बारे में इनके द्वारा दिए गए आश्वासन खोखले सिद्ध हुए हैं। जो काम है वह बिलकुल उल्टा हो रहा है।

दाम वृद्धि, मुद्रा-स्फीति आदि को रोकने की वे बात कहते हैं लेकिन काला धन, तस्करी, बूट लैगिंग और इस तरह से जो दूसरे असामाजिक काम हो रहे हैं क्या उनके ऊपर रोक लगाने की कोई योजना इनके पास है। मेरी राय में 'सैमी बांबला योजना' और डिमानेटाइजेशन दोनों को मिला करके एक कार्यक्रम बनाया जा सकता है। लेकिन मंत्री महोदय इस कार्यक्रम को कभी बनाएंगे नहीं और न उनको बनाने की छूट मिलेगी। इसका कारण यह है कि अभी मेरे मित्र श्री डी.एन. तिवारी ने कहा है कि काले पैसे के नोट क्या बिजनेसमैन के पास रहते हैं? वह तो नोट नहीं रखते हैं। नोट कौन रखता है? ये सरकारी लोग रखते हैं मंत्री और अधिकारी। डिमानेटाइजेशन उन्हीं लोगों के लिए है और काले धन के खिलाफ, जो दूसरी कार्रवाई है वह बिजनेसमैन के खिलाफ है—

*** *** ***

---

*श्री देवकान्त बरूआ, पेट्रोलियम मंत्री।

*आप दो चार करोड़ कहते हैं, मैंने तो पचास करोड़ की चर्चा की है। डिमानेटाइजेशन इसलिए जरूरी है कि उससे जो व्यापारी लोग हैं, उद्योगपति लोग हैं उनका काला धन बाहर नहीं निकलेगा, यह मैं नहीं कहता हूं लेकिन जो ब्यूरोक्रेट हैं और जो पालिटिशियन, मिनिस्टर हैं उनका काला धन अधिकांश नोटों में है—

*** *** ***

डिमानेटाइजेशन करिये। अगर उनके पास हैं तो उनके भी पैसे आएंगे। आप लोगों को तकलीफ क्यों होती हैं डिमानेटाइजेशन करने में। 'सैमी बांबला' में मनी सप्लाई को रोकने का काम हो जाएगा और डिमानेटाइजेशन से काला धन निकलेगा। इसलिए दोनों को मिलाकर जोड़कर यह काम आप करें, यह मैं कहना चाहता हूं। लेकिन आप यह करना नहीं चाहते हैं।

श्री गणेश** अभी बैठे हुए थे। तस्करी का जहां तक सवाल है, मैं उनसे अक्सर कहता हूं कि 1,500 करोड़ रुपया कम-से-कम विदेशी मुद्रा के रूप में जाता है, उसका लीकेज हो रहा है, उसकी चोरी हो रही है। क्या इसके बारे में आप कोई कठोर उपाय करने जा रहे हैं। क्या इन लोगों ने नेनमल पुंजाजी शाह, बखिया, यूसुफ पटेल, कुली मस्तान आदि के नाम सुने हैं। क्या यह सही नहीं है कि जो दमन के एक कांग्रेसी एम.एल.ए. हैं वे इन लोगों को आश्रय देते हैं। ... मैं खुलकर कहता हूं। इसको आप काट नहीं सकते हैं। आप नौजवानों, बच्चों को नक्सलाइट के नाम पर बन्द कर देते हैं, 36,000 लोगों को इस तरह से आपने जेल में बन्द कर रखा है, वे वहां सड़ रहे हैं, पांच सौ लोगों को, रेल मजदूरों को, आपने अभी भी गिरफ्तार करके रखा हुआ है लेकिन क्या इन लोगों को मीसा और डी.आई.आर. के तहत और उनके जो एफिलियट् हैं, जो एजेंट है, गिरफ्तार करके आपने तीन-तीन साल भी रखा है, क्या ऐसा करने की आप में हिम्मत है? अगर नहीं है तो काले धन के खिलाफ तस्करी के खिलाफ लड़ने की बात आप बेकार क्यों करते हैं? जब तक इसके बारे में कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, कुछ नहीं होगा।

आप एक्साइज ड्यूटी को लें। इंडियन टैबेको कम्पनी का नाम आपने सुना होगा। नाम के वास्ते वह इंडियन हो गई है वह इम्पीरियल टौबेको कम्पनी है। उसके बड़े अफसर ने मुझे जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मुझको इस बात से बड़ी घृणा आती है कि यह इंडियन टौबेको कंपनी सरकार को और जनता को लूटने के लिए क्या-क्या काम करती है। उन्होंने मुझे जो पत्र लिखा है उसके अनुसार तीन करोड़ रुपये की एक्साइज ड्यूटी की चोरी का पूरा प्लान बन गया है। उसके तहत एक-एक जो होलसेल डीलर हैं उसके ऊपर वे कुछ खर्चा पासऑन करना चाहते हैं। गुप्त पत्र जो मेरे पास है उससे पता चलता है कि यह एक बनावटी चीज है। असल में उनसे कहा गया है कि यह सारा काम आपको मिल जाएगा लेकिन आप दिखाएं। नतीजा यह होगा कि एक-एक होलसेल डीलर के पास साठ-साठ हजार रुपया ब्लेक का आने वाला है। वजीर सुलतान भी

* श्री डी.एन. तिवारी, सांसद की प्रतिक्रिया "उनके पास चार करोड़ रुपया हुआ भी तो उससे क्या होता है?" का उत्तर देते हुए।

** श्री के.आर. गणेश, वित्त राज्य मंत्री।

उसमें आता है। यह इंटर-कनैक्टिड है। सरकार के सामने यह टैक्स के ये सारे मामले आने वाले हैं। तीन करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी में आपका इसमें गायब हो जाएगा। कई बार इस कम्पनी के गलत कामों के बारे में हम लोगों ने आपसे कहा है लेकिन सरकार के द्वारा कोई कृति इसलिए नहीं होती है क्योंकि इसके जो चेयरमैन हैं श्री ए.एन. हक्सर साहब यह बहुत ही शक्तिशाली आदमी है और प्रधान मंत्री के ऊपर उनका बहुत बड़ा असर है। इसलिए इस कम्पनी के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही नहीं होगी चाहे यह तीन करोड़ या पांच करोड़ रुपये का मामला हो।

*** *** ***

[£]यह भी मैं दे दूंगा। लेकिन जो इनफोरमेशन दी उसका क्या किया जाए इन्होंने यह मैं जानना चाहता हूं।

कस्टम ड्यूटी के मामले को आप ले। इम्पोर्ट एंटाइटलमेंट को लेकर आज बहुत चोरी हो रही है। इम्पोर्ट परवानों के लिए रेड बुक तक को बड़े अधिकारियों ने इन लोगों के साथ मिल करके उसमें जो सक्रिपेन्शस होते हैं उन तक को चेंज किया है, बदला है। इनके पास मैंने एक अर्सा पहले कंसट्रेट व्हिसकी का मामला भेजा था। क्या यह सही नहीं है कि इस पूरी दुनिया में कंसट्रेट व्हिसकी नाम की कोई चीज नहीं है प्लेन व्हिसकी, स्काच व्हिसकी होती है उसको कंसट्रेट व्हिसकी के नाम पर मंगाया जाता था। रेड बुक में जो डिसक्रिपेन्शस दिए गए थे और जिनको बदला गया है, जो चीज दुनिया में अस्तित्व में नहीं है, उसके डिसक्रिपेन्शस को लेकर के आर्डिनरी स्काच व्हिसकी का आयात किया गया कंसट्रेट व्हिसकी के नाम पर। एक्सपोर्ट हाउस का जो रैकेट है इसमें टाटा एक्सपोर्ट हाउस भी शामिल है। बोगस इंटाइटलमेंट है,—आयात परवाना है—वैसे तो वैध है, लीगेलाइज्ड है क्योंकि रेड बुक में डिसक्रिपशन है लेकिन असल में बोगस। मैंने इसको लेकर पत्र लिखा। जे.आर.डी. टाटा का हाउस भी इस तरह का काम करता है; कंसट्रेट व्हिसकी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन रेड बुक में डिसक्रिपशन बदल दी गई और प्लेन व्हिस्की इम्पोर्ट करने के लिए यह बोगस चीज, कंसट्रेट व्हिसकी तैयार की गई है। इसका कंसाइनमेंट पकड़ा गया मेरे लिखने के बाद और कलेक्टर ऑफ कस्टमस, बम्बई ने निर्णय किया, एडजूडिकेसन किया और चौदह-पन्द्रह लाख का जुर्माना करके इस कंसाइनमेंट को ये मेकडोविल कम्पनी को देने जा रहे हैं। उन पर जुर्माना हुआ पन्द्रह लाख लेकिन वे कमाएंगे साठ-पैंसठ लाख। ये इस तरह से सरकार चलाते हैं, शर्म नहीं आती है। गरीब लोगों के ऊपर आप टैक्स लगाते हैं। एक नहीं हजारों इस तरह के उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। पोलिटिकल विल नहीं है, इच्छा-शक्ति नहीं है जिसकी बात इन्होंने की हैं। इच्छा-शक्ति होती तो आप कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई इसके पहले भी करते।

'बामेर लारी नाम' की कम्पनी के बारे में मेरे कलकत्ता के मित्र कहेंगे। लेकिन इस कम्पनी के साथ डी.जी.एस. एण्ड डी. फिक्स प्राइस कांट्रेक्ट करती है कि इस दाम पर इतना माल, इतने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दिये जायेंगे। आप जानते ही है कि श्री देवकान्त बरूआ की मिनिस्ट्री के दबाव में 70 लाख रु. या एक्स ग्रेशिया पेमेंट बामेर लारी को किया गया है। जब खाडिलकर साहब

[£] श्री सतपाल कपूर, सांसद द्वारा "आप पूरी इनफोरमेशन दें" पूछे जाने पर, जवाब देते हुए।

से इसके बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि बात तो सही है मामला मैंने प्रधान मंत्री के पास भेजा है। आप यह क्या करते हैं? आप लोग फिस्कल रेस्पांसिबिलिटी और न जाने किन-किन बातों पर लम्बे-चौड़े भाषण देते हैं लेकिन इनका कोई असर नहीं होने वाला है। जब तक सरकार और नौकरशाही का शुद्धीकरण-प्युरिफिकेशन-नहीं किया जायेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है।

श्री के.आर. गणेश* ने श्री जयप्रकाश नारायण पर नुक्ता-चीनी करते हुए कहा कि यह बिजनेसमैन के खिलाफ कुछ नहीं कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश में भ्रष्टाचार का त्रिकोण है। उसका एक आधार मंत्री तथा राजनीति वाला मिनिस्टर—पॉलिटीशियन है, दूसरा आधार है नौकरशाही और तीसरी आधार है बिजिनेसमैन व्यापारी, सेठ लेकिन अल्टीमेट पोलिटिकल-पावर-अन्तिम राजनैतिक सत्ता-मिनिस्टर-पालिटीशियन के हाथ में है और जब तक आप उसके बारे में ठोस कार्यवाही नहीं करेंगे, तब तक आप नौकरशाही और बिजनेसमैन को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए अगर श्री जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि पहले मंत्रियों की सफाई, उनका शुद्धिकरण होना चाहिये, तो वह गलत नहीं कहते हैं।... राष्ट्रपति और प्राइम मिनिस्टर भी उसमें आते हैं।

यहां नेशनल रेयान कार्पोरेशन का मामला कई दफा उठाया गया है। कल श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने कपाड़िया का उल्लेख किया। ये कपाड़िया बिजिनेस ग्रुप कैसे बन गए? जो स्टील का कोटा आप बैरल और ड्रम के लिए उनको देते हैं, उसको ब्लैक में बेचकर उन्होंने जो रुपया कमाया, उससे उन्होंने क्लिक निक्सन की कम्पनियों को खरीदा, और प्रेफरेंस शेयर्स के वोटिंग राइट्स के पुराने कानून का फायदा उठाकर उसी काले पैसे से उन्होंने नैशनल रेयान कार्पोरेशन पर भी कब्जा कर लिया।

अफसोस की बात है कि कानून मंत्री, श्री गोखले, इस बारे में गलतबयानी कर रहे हैं। मैं यह खुला आरोप लगाना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और कानून मंत्री ने 'यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया' के, जो एक सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उम्मीदवारों को हराकर कपाड़िया के हाथ में 'नेशनल रेयान कार्पोरेशन' का नेतृत्व दिया है। जितना पैसा उन्होंने उसमें लगाया है, वह सारा पैसा और उससे कई गुना अधिक वे लोग अकेला रेयान ब्लैक में बेच कर छ: महीने में वसूल करने वाले हैं।

मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो चोर लोग हैं, जिनके बारे में हाई कोर्ट में कहा गया है कि उनके डाउटफुल एनटिसिडेंट्स हैं और उनकी बिजनेस प्रैक्टिसिस खराब हैं, अगर बड़ी-बड़ी कम्पनियां इस तरह से उनके हाथ में दे दी जायेंगी, तो इस देश में क्या रहेगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री यह बिल्कुल ही रद्दी, थर्ड-क्लास विधेयक लेकर आये हैं। असल में उनको जो काम करना चाहिए, वह करने की उनमें हिम्मत, इच्छा और दिशा नहीं है। इसलिए मैं इस विधेयक का घोर विरोध करता हूँ और चाहता हूँ कि इसमें से एक धेला और एक कौड़ी भी सरकार को नहीं देनी चाहिए।

---

* श्री के.आर. गणेश, वित्त राज्य मंत्री।

काले धन पर अंकुश*£

I move:

"This House disapproves of the Compulsory Deposit Scheme (Income-tax Payers) Ordinance, 1974 (Ordinance No. 10 of 1974) promulgated by the President on the 17th July, 1974."

*** *** ***

सभापति महोदय, मेरी राय में इस अध्यादेश को इस सदन को अस्वीकार करना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस अध्यादेश में मुझे कोई बुद्धिमानी की झलक नहीं दिखाई दे रही है। कोई ऐसा अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला नहीं था कि जिसको लेकर यह अध्यादेश जारी करना चाहिए था।

अगर अध्यादेश की जगह पर विधेयक ले आते, जल्दबाजी नहीं करते तो कोई आसमान नहीं फटने वाला था। लेकिन एक आभास वह पैदा करना चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों के साथ हम लोग न्याय कर रहे हैं या अन्याय कर रहे हैं। यह एक आभास उत्पन्न करना चाहते थे। इसलिए जब 1 करोड़ 80 लाख मजदूरों की आमदनी पर इन्होंने डाका डाला तो इन्होंने यह आवश्यक समझा कि जिनकी आमदनी 15 हजार रुपये सालाना से अधिक है उनके ऊपर भी कुछ रोक या नियंत्रण लगाना चाहिए और इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर यह अध्यादेश जारी किया गया है।

सबसे पहला आक्षेप इस अध्यादेश के खिलाफ मेरा यह है कि इसमें सिर्फ प्रशासकीय खर्चा बढ़ने वाला है। आपने स्वयं वित्तीय मेमोरेंडम में कहा है कि 61 लाख रुपया रिकरिंग एक्सपेंडीचर होगा। यानी हर साल इतना रुपया आप इंतजाम के ऊपर प्रशासन के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं और 6 लाख रुपया आपका नान-रेकरिंग एक्सपेंडीचर है यानी कार्यालय दफ्तर इत्यादि के ऊपर और यह योजना तकरीबन 7 साल चलेगी। सात साल तक आपको प्रशासकीय खर्चा करना पड़ेगा और जिस तरह ऐडीशनल एमाल्यूमेंट्स के अतिरिक्त कार्य का बोझा आपने सारा प्राविडेंट फंड पर डाला, इसको आपने इन्कम टैक्स के अफसरों पर डाला है। वैसे ही सभी लोग जानते हैं कि इन्कम टैक्स अफसरों के ऊपर स्वयं इन दिनों में जो काम का बोझ है, वह बहुत ज्यादा है और ऐसी हालत में एक नया बोझ नई जिम्मेदारी उनके ऊपर आप लादने जा रहे हैं। इससे वह अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। इस वक्त इस देश को जरूरत इस बात की है कि जो लोग आज इन्कम टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो सम्पत्ति कर नहीं दे रहे हैं, गिफ्ट टैक्स नहीं दे रहे हैं उन

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 27 अगस्त 1974.

£ अध्यादेश और कम्पलसरी डिपोजिट योजना आदि विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

लोगों को, कर की चोरी करने वाले लोगों को कर योजना के जाल में कैसे लाया जाये। यह एक प्रमुख काम इन्कम टैक्स अफसरों का होना चाहिए लेकिन वह काम अब वे कर नहीं पाएंगे क्योंकि नई जिम्मेदारी आपने उनके ऊपर लादी है। तो प्रशासकीय खर्चा इससे बढ़ेगा यह मुझे इसके खिलाफ अर्ज करना है और इसमें जो नये कर्मचारी आदि लग जाएंगे बाद में सब तरह के दबाव आएंगे और सात साल के बाद आप उनको हटा नहीं पाएंगे क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के द्वारा विरोध पक्ष के सदस्यों के द्वारा दबाव आएंगे, बाहर के दबाव आएंगे। जो एक दफा सरकारी नौकरी में आ जाता है उसको निकालना मानवीयता की दृष्टि से भी कितना मुश्किल है, आप जानते हैं। इसलिए हर ऐसे प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं जिससे अनुत्पादक प्रशासकीय खर्चा बढ़े और आपकी योजना का यही सबसे बड़ा दोष है। इनकी योजना अगर यही थी कि जिनकी आमदनी 15 हजार वार्षिक से अधिक है वे अपनी आमदनी का एक हिस्सा खर्च करने के बजाय जमा करके रखें तो कई दूसरे उपाय इनके पास थे जिनका इस्तेमाल वे कर सकते थे और इसी उद्देश्य को हासिल कर सकते थे। अब इनका जो कहना है कि इससे मनी सप्लाई कम होगी तो वित्त मंत्री महोदय इसके ऊपर भी सोचे कि मान लीजिए जिनकी आमदनी 15 हजार से अधिक है उन्होंने अपना कुछ पैसा टाइम डिपाजिट के रूप में बैंकों में रखा है—आज उसका मुख्य आकर्षण क्या है कि बैंकों से जो उनको ब्याज मिलता है इन्कम टैक्स असेसमेंट के समय आप उसको अलग कर देते हैं, 3000 रुपये तक डिडेक्शन मिलता है। तो जिनका 6 महीने का, एक साल का या तीन साल का टाइम डिपाजिट होगा वे लोग क्या करेंगे कि वे अपना टाइम डिपाजिट निकालेंगे और उसको खर्च करना शुरू कर देंगे क्योंकि कुछ हिस्सा तो उनका इस योजना के तहत कटने वाला है और इसमें उनका फायदा भी होगा कि 6 महीने डिपाजिट पर रेट ऑफ इंटेरेस्ट ज्यादा मिलने वाला है। तो कौन सा उद्देश्य इससे हासिल होने वाला है? और मुझे सरकार के कुछ सेक्रेटरीज ने कहा है कि यह तो एकदम मूर्खतापूर्ण सुझाव है। उन्होंने कहा कि हम लोग अपना खर्च नहीं घटाने वाले हैं क्योंकि जब दाम बढ़े हैं तो खर्चा तो करना ही पड़ेगा। मैंने पूछा कि कैसे करेंगे तो कहा कि जो बैंकों में 6 महीने या साल का डिपाजिट है जिसके ऊपर ब्याज कम मिलता है वह विदड्रा कर लेंगे और वह खर्च करना शुरू करेंगे और इसमें जो कटेगा उस पर ब्याज और टैक्स डिडेक्शन तो हमें मिलेगा ही। तो मुख्य उद्देश्य जो इसका है वह विफल होने वाला है और यह जो आपके सेक्रेटरीज हैं, सचिव लोग हैं उनमें से दो-तीन लोगों ने मुझसे कहा कि यह बिलकुल मूर्खतापूर्ण सुझाव है। ...मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता।

अब मैं दूसरा मुद्दा लेता हूं। तकरीबन चार-साढ़े चार लाख लोग हैं जो इसमें आएंगे। वर्तमान जो इन्कम टैक्स पेयर्स हैं जिनकी आमदनी 15 हजार से अधिक है, आपके आंकड़े जो मुझे उपलब्ध हुए हैं उनसे लगता है कि लगभग साढ़े चार लाख इन्कम टैक्स पेयर्स इसमें आते हैं और इतने लोगों के लिए जो आप 67 लाख रुपये का खर्चा कर रहे है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसे रास्ते बता रहा हूं—अगर सरकार इन्डेक्स नम्बर के साथ जुड़े हुए बांड्स को ही फ्लोट करे, मैं साधारण बचत की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इन्डेक्स्ड बांड को सरकार फ्लोट करे तो इतना पैसा सरकार को मिल सकता है। उसके ऊपर आप पांच या छः प्रतिशत या उससे भी कम रेट आफ इंटरेस्ट लगाइए, आपको बहुत सारा पैसा मिल जायेगा, लेकिन वह भी करने के लिये आप तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में मेरी राय है कि यह जो आपकी अनिवार्य जमा योजना है,

इसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा, यह केवल नाटक है, स्वांग है इसे किस लिये रचा गया है? जो एडीशनल इमाल्यूमेन्ट्स (कम्पलसरी डिपाजिट) बिल है उसको शुगर कोट करने के लिये इसे लाया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अर्थनीति और राजनीति इस धोखाधड़ी से चलने वाली नहीं है। मुद्रास्फीति और दाम वृद्धि का सवाल बहुत गम्भीर सवाल है, इसकी गहराई में जाकर विचार करना चाहिये और उत्पादन को बढ़ाने के लिये आपको प्रयास करना चाहिये। लेकिन उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से किसी तरह का प्रयास नहीं हो रहा है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं—ऐसी बहुत सारी योजनायें हैं, बिजली की योजनायें हैं, सिंचाई की योजनाएं हैं, आपके अनिर्णय के चलते उन पर कार्यवाही नहीं हो रही है। आपका ब्यास प्रोजेक्ट है, नर्मदा प्रोजेक्ट है, ऐसे पचासों प्रोजेक्ट्स के नाम ले सकता हूं, कम से कम काम तो चालू कीजिये, राज्यों के विवाद चलते रहेंगे। लेकिन उत्पादन की ओर ध्यान नहीं है और ये बोगस योजनायें बनाते चले जा रहे हैं केवल आभास उत्पन्न् करने के लिये कि सरकार सामाजिक न्याय की भावना से प्रेरित है, लेकिन इनका कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसलिये मेरी प्रार्थना कि सरकार इसको वापस ले।

सभापति जी, देखिये, यही एडवान्टेज होता है—वित्त मंत्री जी, कैबिनेट रैंक के, चले गये, आराम के लिये। क्या हम लोगों को भी कोई सब्स्टीट्यूट मिलेगा जो मुध लिमये की जगह रेजोल्यूशन पर भाषण करे।

*** *** ***

*** *** ***

अब तो मैं पूरा भाषण करूंगा, टाइम लिमिट का कोई सवाल नहीं है।

सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से उम्मीद कर रहा था कि वे अपने भाषण में जो काला धन है उसको निकालने के बारे में कोई ठोस सुझाव देंगे क्योंकि जो इन्कम टैक्स दे रहे हैं उन्हीं लोगों की आमदनी का एक हिस्सा आप जमा करने जा रहे हैं। लेकिन जिनके पास काला धन है, उसको निकालने का आपका क्या तरीका है? उस दिन वित्त विधेयक पर बोलते समय मैंने यह अभियोग लगाया था कि पश्चिम बंगाल में जो रोलर मिल्स हैं उनके द्वारा पहले 80 रुपये प्रति टन मिलिंग मार्जिन था, जो उड़ीसा में भी था, अब श्री सिद्धार्थ शंकर राय ने उसको ऊंचा उठाया है और 200 रुपया प्रति टन कर दिया है। तो बंगाल में 120 रुपया प्रति टन अधिक मार्जिन मिलता है। 6 लाख टन अगर मिल जाएगा तो 7 करोड़ 20 लाख की अतिरिक्त आमदनी हो जाएगी। और मेरा निश्चित मत है कि वह आमदनी में नहीं दिखाई जाएगी। ऐसे एक नहीं पचासों उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन क्या आपकी यह जो कम्पलसरी डिपाजिट स्कीम है उसके तहत इन टैक्स चोरों को पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ा जाएगा। जो ईमानदारी से टैक्स देते हैं उन्हीं को पकड़ने का यह बिल है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप मुख्यमंत्री और उनके रोलर मिल वाले साथियों को पकड़ सकें। आपकी हिम्मत नहीं है कि जो अफसर रिश्वत लेने वाले हैं उनको पकड़ें। आप यह काम नहीं कर सकेंगे। मैं यहां चिल्ला-चिल्ला कर थक गया लेकिन आपके ऊपर कोई असर

नहीं होता।... हंसिये लेकिन एक दिन रोने का भी समय आ जाएगा क्योंकि अभी जो मैं बात कर रहा हूं वह देश हित की कर रहा हूं। कल हम लोगों ने सुन लिया चट्टोपाध्याय और राम निवास मिर्धा का जवाब, मारुति के बारे में मेरे जो प्रश्न थे, जिनके उत्तर 12 महीने नहीं मिले, उनका सीधा संबंध काले धन से था। मैंने कहा था कि मारुति के जो मेजर शेयरहोल्डर्स हैं इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर या तो इन्कम टैक्स की इंक्वायरी चल रही है, एक्साइज ड्यूटी की इंक्वायरी चल रही है, चोरी को लेकर या विदेशी मुद्रा संबंधी जो कानून हैं उनके उल्लंघन को लेकर केसेज चल रहे हैं और इसलिए आप यह सब जानकारी नहीं दे रहे हैं? अगर वह काम ठीक ढंग से होता तो 50 करोड़ से भी अधिक रकम उसमें मिल जाती और यह कानून लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन आप कापड़िया के खिलाफ ऐक्शन नहीं ले सकते हैं, आप मोहन बुअरीज के खिलाफ ऐक्शन नहीं ले सकते हैं, आप रौनक सिंह के खिलाफ ऐक्शन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि यह सब मारुति के शेयरहोल्डर्स हैं इसलिए आप ऐक्शन नहीं ले सकते हैं। 80 लोग हैं, जिनमें जिन्दल भी हैं। तो मारूति के जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। अभी नेशनल रेयान का कब्जा कपाड़िया को दिया गया। अकेले कैमिकल और रेयान को बेच कर आने वाले 6 महीनों में 50 लाख रु. कैमिकल और रेयान के ऊपर वह कमाने वाला है जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं दिया जाएगा। माननीय पी.आर. दासमुंशी गर्दन हिला रहे हैं। इस तरह अगर आप लोगों में सुधार हो जाए तो देश का भाग्य खुल जाएगा। जब तक काले धन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक कुछ नहीं होगा।

उस दिन हमारे सदन में स्मगलिंग के बारे में चर्चा हुई और इन्होंने ऐसा सोचा कि कोई नया मामला रिवील कर रहे हैं। क्या नाम दिए है, यूसुफ पटेल, कुली मस्तान, बखिया! बखिया के पास अपने डाक्स है। अगर अकेले बखिया को पकड़ेंगे तो वही आपको 50 करोड़ दे देगा। आप मेरे साथ चलिए और एक-एक को मैं बताऊंगा। आप जो एस.आर.पी., बी.एस.एफ., आर.पी.एफ. और इंडस्ट्रियल सेक्योरिटी फोर्स को लेकर बिहार की जनता और लड़कों के खिलाफ लड़ रहे हैं उसके बजाए आप इन स्मगलर्स के खिलाफ क्यों नहीं लड़ते हैं? मैं सबके नाम बताऊंगा और जगह भी बताऊंगा कि कहां रहते हैं। आपने इसलिए सदन में नाम लिया कि वह यहां से भाग जाएं। आप नहीं पकड़ना चाहते थे। आप चाहते थे कि वह भाग जाएं उसके एजेन्ट्स यहां काम करें। अगर मैं आरोप करूं कि सरकार स्मगलर्स से मिली हुई है, तो कोई गलत न होगा।

आज 21 सदस्यों का नाम आया है, हमारे मित्रों ने इन्कार किया है कि हमारे दस्तखत नहीं हैं। 1970 में इसी सदन की बात है मैंने एक दस्तावेज पेश किया था कि कानूनगो के बारे में जो बिहार के गवर्नर थे। उन्होंने कुली मस्तान के लिए पासपोर्ट के लिए एक सिफारिशी पत्र दिया था, जैसे आज लाइसेंस के लिए सिफारिशी पत्र देने का आरोप लगाया गया है। उसी तरह से कुली मस्तान के बारे में एक सिफारिशी पत्र श्री कानूनगो ने दिया था कि यह महान समाज सेवी आदमी हैं सरकार इनको पासपोर्ट क्यों नहीं दे रही है वहां उनके साथ अन्याय हो रहा है। ...पाटिल साहब ने टेलीफोन के लिए कहा था। लेकिन पासपोर्ट के लिए कानूनगो ने कहा। जब वह दस्तावेज मैंने यहां रखा तो सदन में तहलका हुआ, और उस समय आप लोगों का ऐसा बहुमत नहीं था, जरा डरते थे। तो प्रधान मंत्री ने भी यहां आकर कहा कि इतना शोर क्यों हो रहा है? मैं कानूनगो

साहब से पता लगाऊंगी कि क्या सचमुच, उन्होंने इस तरह का सिफारिशी पत्र दिया है? एक अर्से तक मैंने इंतजार किया, लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो प्रधान मंत्री को मैंने स्मरण-पत्र दिया कि कानूनगो का कोई कोई जवाब आया है या नहीं? और तब जाकर प्रधान मंत्री ने मुझको लिखा कि गवर्नर कानूनगो कहते हैं कि यह हस्ताक्षर मेरे नहीं है, यह फोर्ज्ड सिग्नेचर हैं। तो मेरे ऊपर एक माने में कानूनगो ने आरोप लगाया कि फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट मैंने सभा के पटल पर रखा। तो मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। मैंने प्रधान मंत्री को लिखा कि आप कुली मस्तान के खिलाफ ऐक्शन लीजिए धारा 420 के अधीन फोर्जरी के आधार पर उन्होंने पासपोर्ट प्राप्त किया। तो पहले कानूनगो साहब तैयार नहीं थे, बार-बार जोर देने के बाद वह चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। तीन साल तक मुकदमा चला और बांका के चुनाव के पहले उसका फैसला आया, और मैंने विगत साल ऐप्रोप्रिएशन बिल पर बोलते हुए उल्लेख किया था, चीफ प्रैसीडेंसी मैजिस्ट्रेट ने अपने फैसले में कहा है कि कानूनगो एक अद्भुत आदमी है, उनकी गवाही का एक जुमला नहीं था, आपने नाम को छोड़कर जिसमें कम से कम एक असत्य वाक्य नहीं था, ऐसे लोगों को आप गवर्नर बनाते हैं, व्यापार मंत्री भी बनाते हैं। तो जैनुइन सिग्नेचर का मामला याद रखिये, कानूनगो ने इन्कार किया था और इन्कार के बाद तीस साल तक चीफ प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा चला और फैसला पुन: उनके खिलाफ गया और मैं विन्डीकेट हो गया। लेकिन कानूनगो के खिलाफ आपने कोई ऐक्शन लिया? उनको जेल में भेजा, सजा दी? आपने कुछ नहीं किया। इसलिए जब यह अभियोग लगाया जाता है फलां-फलां सदस्य के हस्ताक्षर हैं तो आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते और कहा जाता है कि जैन्यूइन हस्ताक्षर नहीं हैं।

तो बात चल रही थी कुली मस्तान की, उनके बारे में जो दूसरा केस चल रहा था उसमें वह छूट गया। और जब उसके बारे में हम शिकायत करते हैं तो बम्बई का एक बड़ा पुलिस अधिकारी मुझसे कहता है कि आप हमको क्यों पूछते हैं। आप मुख्य मंत्री से पूछिये। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में कई मंत्री ऐसे हैं जिनके बारे में मस्तान कहता है कि वह मेरी जेब में हैं और आप की बम्बई कांग्रेस जो 1969 में हुई थी उसके लिए मस्तान ने लाखों रुपया दिया था। क्या इस बात से वित्त मंत्री जी इन्कार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय, 1,500 करोड़ रु. विदेशी मुद्रा के रूप में इस देश से बाहर चला जा रहा है मैं 150,200 करोड़ रु. की फिगर्स से सहमत नहीं हूँ। और जब तक आप इस पर रोक नहीं लगायेंगे तो ऐडिशनल एमोल्यूमेंट्स बिल, कम्पलसरी डिपोजिट बिल, डिविडेंट बिल, इनसे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। इसलिए यह बहुत ही वाहियात विधेयक है, रद्दी अध्यादेश हैं, और मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि इस समय 10, 15 मिनट हो रहे हैं, इस फालतू अध्यादेश और विधेयक को आप रद्दी की टोकरी में फेंकिए।

लाइसेंस राज*£

अध्यक्ष महोदय, कल ही मैंने इस संबंध में सदन की मान-हानि का नोटिस आपको दिया था। कल शाम को 6 बजे मैं खुद राज्य सभा की कार्यवाही को सुनने के लिए गया था और उस कार्यवाही को सुनने के बाद, अध्यक्ष महोदय, मुझे ऐसा लगा कि कुछ नई बातें आपके सामने रखनी चाहिए। इसलिए चार सफों का नया नोटिस भी मैंने आपको दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें तीन प्रकार के मान-हानि भंग हैं। नं. 1 तो यह है कि व्यापार मंत्री प्रो. चट्टोपाध्याय** ने इस सदन के सदस्यों के बारे में राज्य सभा में जो वक्तव्य दिया, उससे इस सदन की मानहानि हुई है। इसलिए पहला मेरा मान-हानि का आरोप तो प्रो. चट्टोपाध्याय के खिलाफ है और क्योंकि वे राज्य सभा के सदस्य हैं, इसलिए राज्य सभा के चेयरमैन से बात करके उस मामले को आगे बढ़ाना पड़ेगा।

मेरा दूसरा विशेषाधिकार का जो नोटिस है, वह भूतपूर्व विदेश व्यापार मंत्री और वर्तमान रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र के खिलाफ है और साथ ही 21 लोग जो इस लोक सभा के सदस्य हैं, जिनके बारे में यह कहा गया है कि उन्होंने आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर किये जिसके आधार पर 7 व्यक्तियों को, जो पांडिचेरी यूनियन टैरीटरी के विभिन्न हिस्सों के लोग हैं, जिनको लाइसेंस दिये गये हैं, तो इन लोगों के खिलाफ भी मेरा नोटिस है। लेकिन वे गलतफहमी में न पड़ें इस बात को लेकर कि जिसके हस्ताक्षर फोर्ज किये गये हैं उनके बारे में भी मैं औपचारिक नोटिस दे रहा हूं इसका यह मतलब नहीं कि मेरा मन उसके बारे में बना हुआ है। मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ कि उनके बारे में अभियोग लगा हुआ है कि इन्होंने हस्ताक्षर किये थे।

तो अध्यक्ष महोदय, कुछ बुनियादी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरी जानकारी के अनुसार इन लाइसेंसों के बारे में जो पहले आवेदन पत्र दिये गये थे, इनके पहले के जो विदेश व्यापार मंत्री या व्यापार मंत्री थे, उनके मंत्रालय के द्वारा यह अस्वीकार कर दिये गये थे, यानी इन लाइसेंसों की एप्लीकेशन अस्वीकार कर दी गई थी। लेकिन बाद में इन सदस्यों के हस्ताक्षर जिन आवेदन पत्रों पर है, जो 23.11.1972 को प्राप्त हुआ यह जानकारी प्रो. चट्टोपाध्याय ने दी है, उसके आधार पर नये लोगों को लाइसेंस दिये गये हैं और आज बम्बई से मुझे समाचार मिला है कि जिन लोगों को ये लाइसेंस दिये गये हैं, ये लोग अपने लाइसेंसों को बेच रहे हैं इन्टरमीडियेरीज के द्वारा। जो व्यापार मंत्रालय के द्वारा हैंडबुक प्रकाशित किया गया है उसके तहत, अध्यक्ष महोदय, ट्रैफिकिंग इन लाइसेंसज, यह अपराध है, जब तक कि माल मंगवाया नहीं जाता, क्लियर नहीं होता,

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 28 अगस्त 1974.

£ विशेषाधिकार के प्रस्ताव पर अपना पक्ष रखते हुए।

** प्रो. डी.पी. चट्टोपाध्याय, व्यापार मंत्री।

तब तक यह माल बेचा नहीं जा सकता। यह आपके नियम हैं और इन नियमों का भी उल्लंघन हुआ है। जो लाइसेंस दिये गये और उनके लिये जो लेटर आफ अथोरिटी होता है, उसका भी उल्लंघन हुआ है। लाइसेंसिंग में ट्रेफिकिंग हो रहा है और अध्यक्ष महोदय, यह पूरा जो मामला है, यह गैर-कानूनी मामला है और बहुत ही गंदा मामला है। इसमें रिश्वत दी गई है और ली गई है। यह इसकी पृष्ठभूमि है।

अध्यक्ष महोदय, जब इसके बारे में ब्लिट्ज साप्ताहिक में खबर छपी, तो प्रो. चट्टोपाध्याय के कथनानुसार, इसकी जांच सी.बी.आई. ने शुरू की। सी.बी.आई. वाले उन सदस्यों के पास पहुंचे जिनके नाम इस आवेदन पत्र पर थे और इनमें से कई सदस्यों ने कहा, मुझे यह बताया गया और प्रो. चट्टोपाध्याय ने भी यह राज्य सभा में कहा कि हमने हस्ताक्षर नहीं किये थे और ये बनावटी हैं, झूठे हैं और जैन्यूइन नहीं हैं लेकिन इनमें से एक सदस्य ने जाकर जिसका सबसे पहले नाम है, मैं उन सदस्यों की सूची पढ़ना नहीं चाहता क्योंकि अखबार में वह आ चुकी है, श्री तुलमोहन राम का पहला नाम है और उन्होंने सी.बी.आई. से कहा है कि हां, मेरे हस्ताक्षर हैं। तो इसमें वह सवाल उठता है कि जब प्रो. चट्टोपाध्याय को मालूम था कि कुछ सदस्यों ने कहा है कि हमारे हस्ताक्षर जेन्यूइन नहीं हैं, तो उनका वहां पर नाम क्यों लिया? जब उनको यह भी मालूम था कि एक सदस्य ने कबूल किया है कि मेरे हस्ताक्षर हैं तो उनको यह नहीं कहना चाहिए था कि जिन तीन सदस्यों ने इंकार नहीं किया है, उनके बारे में भी मेरा प्रिजम्पसन है कि इनके हस्ताक्षर भी बनावटी हैं। अध्यक्ष महोदय, दोनों बातें आप देखिये कि जिनके बारे में उनको जानकारी थी कि उनके हस्ताक्षर फोर्ज किये गये हैं, मेम्बरों के कथनानुसार, उनके नाम लेना और जिनके बारे में उन्हें यह जानकारी थी कि उनके हस्ताक्षर हैं, उनके बारे में यह कहना कि मेरे प्रिजम्पशन हैं कि वह भी फोर्ज है, ये दोनों ही अनुचित काम प्रो. चट्टोपाध्याय ने किये हैं।

जहां तक श्री ललित नारायण मिश्र का सवाल है, उस समय वे विदेश व्यापार मंत्री थे और उनके ही कार्यालय में या घर में यह सारा षडयंत्र रचा गया। श्री तुलमोहन राम के हस्ताक्षर से यह तैयार किया गया और उन्हीं लोगों के खिलाफ वह जानकारी मिली है कांग्रेस के सदस्यों के मार्फत यह भी तय हुआ कि कुछ सिग्नेचर इसमें फोर्ज किये जाएं।

*** *** ***

£अब मेरे पास कोई साधन नहीं है, कोई इंवैस्टीगेटिंग एजेंसी नहीं है जो मैं सही जानकारी हासिल करूं लेकिन जो मेरे पास खबरें पहुंच रही हैं, उनको मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि श्री ललित नारायण मिश्र के कार्यालय में या घर में एक यह आवेदन पत्र तैयार किया है। उसके ऊपर आप सफाई दे सकते हैं। मैं केवल यह कह रहा हूँ कि आपके इंकार करने से कुछ नहीं होने वाला है। इसकी पूरी जांच जब तक नहीं होती है, सत्य सामने नहीं आयेगा। मैं यह तो दावा नहीं करता कि मेरी सब बातें सौ फीसदी सही हैं और आपके इंकार से भी कोई बात नहीं होने

£ श्री एल.एन. मिश्र, रेल मंत्री द्वारा यह कहने पर कि 'यह गलत है' पर अपने विचार व्यक्त करते हुए।

वाली है। जो जानकारी मुझे मिली है उसको मैं रख रहा हूँ। इसलिए श्री ललित नारायण मिश्र का संबंध इसमें आता है कि यह शेडी डील उनके मंत्रालय में तब हुई जब कि वे सत्ता में थे। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जिन सज्जनों को 'सज्जन' कोट में कह रहा हूँ अगर उनको सज्जन कहना है लाइसेंस दिये वे लोग सारे कानूनों को तोड़कर उसमें पैसा बना रहे हैं। 30 लाख रुपये की रिश्वत कैश में दी गई है क्योंकि तकरीबन 30 लाख रुपये के लाइसेंसेज हैं। चार सौ से अधिक उसके पीछे प्रीमियम है। मैं अतिश्योक्ति नहीं करना चाहता हूँ। उसमें शराब है—

*** *** ***

सदन की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। दावा नहीं कर रहा हूँ कि सौ प्रतिशत सही है। मैं प्राइमा फेसी केस रख रहा हूँ इनवेस्टीगेशन के लिए।

मुझे एक मंत्री ने कहा—इस वक्त मुझे पता नहीं कि उनका नाम लेना उचित होगा या नहीं और मैं नाम ले भी नहीं रहा हूँ—कि नियम!—सरकार का ऐसा है कि सी.बी.आई. के द्वारा सदस्यों की गतिविधियों के बारे में इनवेस्टीगेशन नहीं हो सकता है, केवल वेरिफिकेशन ही वह कर सकता है, यही पूछ सकता है कि आपके हस्ताक्षर हैं या नहीं है। इनवेस्टीगेशन का काम सी.बी.आई. साधारण तौर पर नहीं करता। इस वास्ते इस सदन की कोई कमेटियां या इस तरह की कोई मशीनरी होनी चाहिए, जो इसकी जांच कर सके। मंत्री महोदय अपना नाम यहां पर रखने की मुझे इजाजत देंगे तो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल उनकी इजाजत नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ।

जिन 18 सदस्यों ने कहा कि हमारे हस्ताक्षर जाली हैं उनके बारे में मैं कोई लांछन नहीं लगाना चाहता। किन्तु एक उदाहरण श्री कानूनगो का हो चुका है जिसका कल मैंने जिक्र किया था। जो पत्र मैंने यहां मेज पर रखा था कुली मस्तान को पासपोर्ट देने के लिए सिफारिश-पत्र गवर्नर कानूनगो का, उसके बारे में आप लोगों ने हल्ला करके कहा था कि यह जाली पत्र दे दिया है। श्री कानूनगो आपके साथी रहे हैं। तब प्रधान मंत्री सामने आई थीं और उन्होंने कहा था कि मैं इसकी जांच करूंगी। उन्होंने गवर्नर को पत्र लिखा और मुझे इत्तिला दी कि गवर्नर कहते हैं कि यह जाली पत्र है। मैंने तब कहा कि अगर जाली पत्र है तो कुली मस्तान के खिलाफ फोर्जरी का केस होना चाहिए। केस हुआ और उस केस में यह साबित हुआ कि पत्र दिया था वह बनावटी नहीं था, सही पत्र था और मैं विंडीकेट हो गया...

मैं खत्म कर रहा हूँ अट्ठारह सदस्यों के ऊपर संदेह का क्लाउड रहे वह मैं नहीं चहता हूँ।

जहां तक मेरा सवाल है अगर वे कहते हैं कि हमारे हस्ताक्षर नहीं हैं तो मैं शायद विश्वास कर लूंगा कि लेकिन इसमें साठ करोड़ भारत की जनता का सवाल है, इस सदन की गरिमा का सवाल है, इसलिये उनके हित में है कि जिनके वास्तव में सिगनेचर फोर्ज किये गये हैं कि पूरी जांच के बाद उनको फुल्ली क्लीयर किया जाये। पूर्णतया उनको क्लीयर किया जाये। मैं चाहता हूं कि जो जांच समिति या जांच समितियां या प्रिवलेजज कमेटी बैठे वह या तो उनको पूर्णतया क्लीयर करे और अगर वह कहते हैं कि नहीं, हमने हैंडराइटिंग एक्सपर्ट या दूसरे लोगों की गवाहियां...

*** *** ***

क्लीयरेंस मैं चाहता हूँ और इसलिये चाहता हूं कि जो उसमें अपराधी हैं। वे शार्पली फोकस में आयें नहीं तो वे उनकी आड़ में छिपे रहेंगे जो शेडी डील में हिस्सेदार हैं या जिन्होंने रिश्वत ली है और दिलाई है, वे उनकी आड़ में छिपे न रह सकें इसलिये मैं चाहता हूँ कि जिनके हस्ताक्षर फोर्ज किये गये हैं। उनको फुल्ली क्लीयर किया जाये, उनको पूरा क्लीयरेंस मिलना चाहिये। मेरा सुझाव है कि या तो सदन की विशेष कमेटी बना करके उसके सामने आप इन्वेस्टीगेशन के लिये मामला दें या प्रिवलेजज कमेटी के सामने दें, लेकिन फिलहाल मैं यह चाहता हूं कि रिपोर्ट इस सदन के सामने पहले आये और उसके बाद जो हमको कार्यवाही करनी है, उसके ऊपर हम विचार करें।...

*** *** ***

*** *** ***

...दो बातें मैं अन्त में कहना चाहता हूँ। इन सदस्यों के हस्ताक्षरों के बारे में और इनके रोल के बारे में जो होनी चाहिये और साथ ही साथ पूरा लाइसेंसिंग जो प्रोसीजर है उसकी भी जांच होनी चाहिये। दो तरह के इंटरमीडियरीज का नाम मैंने दिया है आपको। एक नाम है 'इंडो बंगला देश ट्रेडिंग कारपोरेशन' और उसमें सिद्दीकी जैसे कांट्रैक्ट मैन का भी नाम आता है ये लोग लाइसेंस बेचने में इंटरमिडिएरी का काम कर रहे हैं। पूरे लाइसेंसिंग प्रोसीजर की इस उदाहरण के संदर्भ में मैं चाहता हूँ कि जांच हो।

राज्य सभा और लोक सभा के पारस्परिक संबंधों का भी यह मामला है। 21 सदस्य इस सदन के हैं और प्रो. चट्टोपाध्याय, मेरा ख्याल है कि राज्य सभा के सदस्य हैं। यह मोशन प्रो. चट्टोपाध्याय के खिलाफ जहाँ तक होगा वह राज्य सभा के पास जाना चाहिए जहाँ तक हमारे सदस्यों का सवाल है राज्य सभा को कोई अधिकार नहीं है कि वह इसमें जांच करें। यह काम हम लोगों को ही करना चाहिये। राज्य सभा और लोक सभा के अधिकारों और संबंधों का भी यह सवाल है। इसी एक उदाहरण से सबक सीखा जाना चाहिये और पूरे लाइसेंसिंग प्रोसीजर को देखा जाना चाहिये। सदस्यों के द्वारा इस तरह दबाव डालना, एप्लीकेशन करना, यह क्या उचित है? सरकार उससे प्रभावित होकर कोई इल्लीगल काम करती है तो मैं समझता हूँ कि यह अनुचित है जिस काले धन की और भ्रष्टाचार की हम लोग चर्चा करते हैं। उसमें यह सन्निहित है।

*** *** ***

*** *** ***

इससे पहले जो मंत्री महोदय का शाम का बयान है, उसमें से दो वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि:

> "Madam Vice-Chairman, during Question Hour today I had stated in reply to supplementaries arising out of Starred Question No. 730 about a representation received by the Ministry of Commerce on 23rd November 1972 allegedly bearing the signature of 21 Hon. Members of Parliament that the matter was still under verification and that our normal presumption would be that the signature on this representation were not genuine unless anything to the contrary came to light."

यह ऐबसर्ड प्रीपोजीशन है। अगर मेरे सिग्नेचर से कोई पत्र जाता है जब तक मैं डिनाई नहीं करता हूं तो यह प्रीपोस्टरस प्रीजम्पशन कैसे? इसका मतलब तो यह हुआ कि उनको मालूम हो गया था कि सी.बी.आई. के सामने उन्होंने डिनाई किया था। अगर मालूम हो गया था तो यह जानकारी राज्य सभा के सामने लानी चाहिए थी। आगे कहते हैं:

> "I would like to reiterate that till the process of verification and confirmation is completed, I would maintain my presumption that the alleged signatures of the other Hon. Members are also not genuine."

जब तक वह डिनाई नहीं करते हैं तब तक प्रीजम्पशन कैसा? डिनाई किया तो प्रीजम्पशन ठीक है। जिन्होंने डिनाई नहीं किया उनके बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि हमारा प्रीजम्पशन है। इसका साफ जवाब दिलाइये।

इस्पात उद्योग पर सरकारी नियंत्रण*£

मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"This House disapproves of the Indian Iron and Steel Company (Taking over of Management) Amendment Ordinance, 1974 (Ordinance No. 4 of 1974), promulgated by the President on the 28th June 1974."

सभापति महोदय, यह अध्यादेश इस बात का प्रमाण है कि सरकार कभी लम्बान की दृष्टि से चीजों पर नहीं सोचती। जब इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के इन्तजाम को सरकार ने अपने हाथ में लिया तो सरकार का यह अनुमान था कि दो साल के अंदर कम्पनी को हम लोग ठीक-ठाक करेंगे। हालांकि जब उन्होंने इस कम्पनी के मैनेजमेंट को लिया तब जो उत्पादन की शक्ति थी उसका केवल 27 प्रतिशत मात्र उत्पादन हो रहा था। तो इतना उत्पादन गिरने के बाद सरकार को यह मान कर चलना चाहिये था कि इस कारखाने को ठीक करने में बहुत समय लगेगा। लेकिन यह दो साल का विधेयक लेकर आये हैं और इसका नतीजा हुआ कि जब यह दो साल की मियाद 14 जुलाई को खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो इनकी नींद खुली और चूंकि संसद उस समय रीसेस में थी, इन्होंने अध्यादेश के जरिये इसकी मियाद को और तीन साल बढ़ाया। तो मैं मंत्री महोदय से सबसे पहले इस बात का खुलासा चाहता हूँ कि जब बजट सत्र चला रहा था तो क्या मैनेजमेंट ने या इस्पात मंत्रालय के लोगों ने मंत्री जी को यह जानकारी नहीं दी थी कि इंडियन आयरन और स्टील का मामला अभी तक ठीक नहीं हुआ है, उसमें और समय लगेगा? अगर उनको जानकारी दी गई थी तो क्या वजह है कि बजट सत्र में ही इस विधेयक को लेकर यह सदन के सामने नहीं आये? हर हालत में मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की कोई दीर्घकालीन नीति नहीं होती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे शब्दों को नोट कीजिये कि तीन साल में भी यह मामला ठीक नहीं होने वाला है और फिर नया विधेयक या अध्यादेश लेकर आपको संसद के सामने आना होगा। मेरी समझ में नहीं आता, जब इसको आप हाथ में ले ही रहे हैं तो अब वापस देने की बात न सोचिये प्राइवेट लोगों के हाथ में। इसको हमेशा के लिये लीजिये और हमेशा के लिये यह मामला आप खत्म कर दीजिये।

सभापति जी, अध्यादेश के साथ और इस विधेयक के साथ दो साल के इनके कार्य का रिव्यू सदन के सामने रखना चाहिये था। उनको कहना चाहिये था कि दो साल में इसको सुधारने के लिये क्या किया? पैदावार बढ़ाने के लिये क्या किया? जो व्यवस्थापक और मजदूरों के रिश्ते होते

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 29 अगस्त 1974.

£ इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने संबंधी सांविधिक संकल्प और इंडियन आयरन एण्ड स्टील कंपनी (प्रबन्ध ग्रहण) संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

हैं उनको सुधारने के लिये क्या किया? कम्पनी की आर्थिक और वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिये क्या किया, आधुनिकीकरण के लिये क्या किया? इसकी सारी जानकारी सदन को देनी चाहिये थी।

जब आयरन और स्टील कम्पनी निजी क्षेत्र में थी तो सबसे बड़ी शिकायत जो मेरे पास आती थी वह स्क्रैप के बारे में थी। कहा जाता था कि जो स्क्रैप को बेचा जाता है उसमें बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है। तो स्क्रैप को बेचने के बारे में कौन-सी नई प्रणालियां, सरकारी क्षेत्र में कारखाना आने के बाद चालू की गई हैं, उसकी जानकारी मंत्री को देनी चाहिये। लेकिन मैंने यह सुना है कि कम्पनी वाले पहले सोचते थे कि स्क्रैप को बेचने से 80 लाख रु. मिलेगा, लेकिन जब आक्शन किया गया तो 1 करोड़ 41 लाख रु. प्राप्त हुआ। और जब दूसरे लोट का आक्शन किया गया तो उसमें 1 करोड़ 55 लाख रु. प्राप्त हुआ। तो इससे साफ है कि आक्शन के जरिये अधिक आमदनी आपको हो रही है। तो इस आक्शन प्रणाली को सुधारने के लिये और क्या कदम उठाये जा सकते हैं इसके बारे में भी सदन को विश्वास में लेना चाहिये, क्योंकि इनमें लाखों रु. का घोटाला हमेशा होता रहा है, और इसकी सही जानकारी हमको मिलनी चाहिये। केवल कम्पनी सरकारी मैनेजमेंट में आने से स्थिति सुधरती है, ऐसी बात नहीं है। क्या मंत्री महोदय इस बात से इन्कार कर सकते हैं राऊरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में जो अच्छा स्टील या अच्छे स्टील प्रोडक्ट बनते हैं उनको इनफीरियर घोषित करके माल निकाला जाता है और वही माल ब्लैक में बेचा जाता है। तो क्या आई.एस.को. में भी इस तरह के काम इन दिनों में चल रहे हैं? क्या इसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है?

जहां आई.एस.को. में उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकता है, उसका उपयोग भी ठीक होना चाहिये। आज सवेरे ही सवाल उठा था कि इस्पात एक ऐसी चीज है कि जिसकी हमारे औद्योगिकीकरण के लिये, हमारे कृषि की पैदावार के लिये बड़ी आवश्यकता है और उसका इस्तेमाल ठीक ढंग ऐसे करना चाहिये। गलत कामों के लिये इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बारे में अगर मेरे साथी दंडवते* बोलेंगे तो सवेरे वह जो प्रश्न उठाना चाहते थे उसकी तफसील आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन मंत्री महोदय को पहले भी मैंने पूछा था आज बम्बई जैसे शहर में 20, 25, 30 मंजिल की जो अट्टालिकायें बन रही हैं उसमें सीमेंट और स्टील का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होता है और मैं नहीं समझता, राष्ट्रीय हित में, ऐसे कामों को वरीयता मिलनी चाहिये। मंत्री महोदय ने पिछली बार मुझसे कहा कि इसके ऊपर विचार किया जा रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि जहां वह आई.एस.को. में वह उत्पादन बढ़ाने की बात कहेंगे, साथ-साथ जो स्टील प्राप्त होगा सरकारी क्षेत्र में उसका जो इस्तेमाल है वह सही ढंग से और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से जो आवश्यक काम हैं उन्हीं कामों के लिये होगा इसकी ओर भी वह ध्यान देंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ।

दो उदाहरण मेरे सामने आये हैं। बम्बई में जो बैकवे रिक्लेमेशन की योजना है जिसको मैं यहां कई बार उठा चुका हूँ इस स्कीम के तहत जो केन्द्र की जमीन है उसकी चोरी करके और बड़े-बड़े लोगों को वह बेच कर यह अट्टालिकायें खड़ी की जा रही हैं। अभी-अभी जो 16 प्लाट्स

* श्री मधु दंडवते, सांसद को संबोधित करते हुए।

बेचे गये हैं उसमें 2 करोड़ 80 लाख की रिश्वत दी गई। उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, कानून मंत्री को कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन यदि आप यह नियम बनाते हैं कि ऐसी अट्टालिकाओं के लिये एक किलो भी स्टील नहीं मिलेगा तो यह जो रिश्वत और चोरी का मामला है यह सब खत्म हो जाएगा। तो आज मैं मंत्री महोदय से चाहता हूँ कि इसके बारे में सरकारी नीति का वह ऐलान करें कि उत्पादन बढ़ाने का एक काम है और जो उत्पादन है उसका सही इस्तेमाल यह दूसरा काम है।

अब दूसरा सवाल मोटर कारखाने का है। यह हैवी इंडस्ट्री में वह आता है, आपके मंत्रालय में नहीं है मारुति लिमिटेड को 50,000 ... आई.एस.को. में उत्पादन बढ़ाने का काम हमको करना है, लेकिन साथ-साथ चूंकि पैदावार बढ़ाने की प्रक्रिया पर कुछ न कुछ लिमिटेशन्स आ ही जाते हैं इसलिये स्टील के इस्तेमाल के बारे में भी हमको सोचना चाहिये। मारुति लिमिटेड को पचास हजार मोटरगाड़ियां बनाने का लाइसेंस दिया गया है। क्या आप यह सोचते हैं कि इसके लिये जो स्टील कोटा दिया जाएगा यह इस्पात का सदुपयोग होगा? इसके बारे में आपको, सभापति महोदय, सरकार के ऊपर स्ट्रिक्चर्स पास करने चाहिये। आपातकालीन स्थिति में इस तरह इस्पात का दुरुपयोग करना कहां तक उचित और मुनासिब है? इसलिये मैं चाहता हूँ कि जहां मंत्री महोदय इस्पात के उत्पादन का ख्याल रखें वहां वितरण के बारे में भी कोई कड़ी व्यवस्था करें।

इस्पात के जो कारखाने हैं उनके बारे में आप जानते हैं कि कुछ तो सार्वजनिक कम्पनियों के लिए और अन्य कामों के लिए इस्पात का वितरण होता है—25-30 प्रतिशत इस्पात चाहे वह भिलाई का हो, दुर्गापुर का हो, राउरकेला का हो "या इसको' में बनने वाला हो। क्या यह सही नहीं है कि 25-30 प्रतिशत आप प्राइवेट ट्रेड को देते हैं? क्या यह भी सही नहीं है कि कई बार आपका मैनेजमेंट और रेल मंत्रालय दोनों मिल जाते हैं आपस में और फर्जी नामों के ऊपर स्टील एलाट कर दिया जाता है, कभी-कभी स्टील एलाट किया जाता है बम्बई के पते पर और वह रास्ते में ही उतार लिया जाता है और सारा ब्लैकमार्किट में चला जाता है? 'इसको' के अंदर जो वितरण व्यवस्था है क्या उसके ऊपर आपकी निगरानी है और क्या ऐसे कामों के लिए स्टील चला नहीं जाता है? इसका आपने क्या इंतजाम किया है? कापड़िया ग्रुप की अकसर हमारे प्रियरंजन दासमुंशी मेरे साथ चर्चा किया करते हैं। कुछ साल पहले की यह बात है। उनको ड्रम और बैरल बनाने के लिए स्टील शीट्स का कोटा दिया गया। आज भी उनको कोटा मिलता होगा। 'इसको' से भी मिलता होगा। इसका खुलासा मैं चाहता हूँ कि आप करें। क्या यह सही नहीं है कि ड्रम और बैरल बनाने के बजाय यह इस्पात की चादरें ये लोग ब्लैकमार्किट में बेच डालते हैं। इस पर दो तीन सौ प्रतिशत का प्रीमियम चल रहा है। इसी तरह से स्क्रैप के बारे में आप कड़ाई बरतें। इस्पात के वितरण के बारे में कड़ाई बरतें, इस्पात के यूज के बारे में, एंड-यूज के बारे में भी कड़ाई बरतें।

'इस्को' की जो कम्पनी है उसमें इस वक्त नियुक्तियों को लेकर बहुत विवाद खड़ा हो गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या 'इस्को' के सरकार के हाथ में आने के बाद कोई नई रिक्रूटमेंट पालिसी अपनाई गई है क्योंकि जब निजी क्षेत्र में 'इस्को' कम्पनी थी उस वक्त कहा जाता है

कि इसमें नौकरी देने के लिए पांच-छः हजार रुपया रिश्वत का लिया जाता था। क्या सरकारी क्षेत्र में आने के बाद जो नई रिक्रूटमेंट पालिसी आपने चालू की है क्या उसके तहत इस तरह के गलत काम बन्द हो गए हैं? अगर बन्द नहीं हुए हैं तो क्या इनवैस्टीगेटिंग एजेंसी की मदद से इनको बंद करने का आपने कोई प्रयास किया है? इसके बारे में भी खुलासा होना चाहिए।

इसको कम्पनी में कांट्रैक्ट सिस्टम की एक बहुत खतरनाक व्यवस्था थी जिसके चलते जो कांट्रैक्ट लेबर रहती थी उनको ठीक मजदूरी वगैरह नहीं दी जाती थी। आप इसको तीन साल के लिए अपने हाथ में ले रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि हमेशा के लिए लें। इस कांट्रैक्ट प्रणाली को आप समाप्त करें। अगर मजदूरों को सही मजदूरी मिलेगी, उनका सहयोग प्राप्त करने की कोई व्यवस्था आपने की तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और लेबर भी सन्तुष्ट होगी। बिना मजदूरों का दिली सहयोग प्राप्त किए उत्पादन बढ़ाने की जो जिम्मेदारी आपने ली है उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर पाएंगे।

चेयरमैन की नियुक्ति के बारे में बहुत झगड़ा चल रहा है। मेरी यह राय है कि नियुक्तियों और ट्रांसफर वगैरह के बारे में हम लोगों को दखल नहीं देना चाहिये। अगर किसी व्यक्ति को आप किसी विदेशी कम्पनी को छोड़कर सरकारी क्षेत्र की मदद करने के लिए बुलाते हैं तो आपको उसको सोच-समझ कर बुलाना चाहिये और बुलाने के बाद उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वह आदमी अयोग्य है, नालायक है तो क्यों आप उसको बुलाते हैं। लेकिन जब दावत देकर बुलाते हैं तो उनकी टेलेंट का, गुणवत्ता का पूरा-पूरा आपको इस्तेमाल करना चाहिये। मैं चाहता हूँ कि मेरिट के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर चयन होना चाहिये। नियुक्तियां होनी चाहिएं। लेकिन मैं जानता हूं कि पैरवी के आधार पर यह सरकार चलती है, इनफ्लुएंस पेडलिंग के आधार पर चलती है और इसमें पचासों तरह के प्रेशर्ज मंत्रालय के ऊपर आते हैं। इस तमाम चीजों को बन्द करने के पक्ष में हूं। एक बात सिद्धांत के तौर पर कहना चाहता हूं, किसी व्यक्ति की चर्चा नहीं करना चाहता। आज सरकारी क्षेत्र के लिये अच्छे लोग नहीं मिल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सरकार में यह प्रवृत्ति है कि यह निर्णय नहीं लेना चाहती है और वह इसलिये कि निर्णय लेने में जिम्मेदारी आती है और आज जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता है। जिम्मेदारी का सिद्धान्त जब तक आप सरकार में और खास कर पब्लिक अंडरटेकिंग्ज में जारी नहीं करेंगे, सुधार नहीं आयेगा। अच्छा काम किया तो उसका उसको फल नहीं देंगे, शाबाश नहीं कहेंगे और गलत किया तो उसके लिये दोष नहीं देंगे उसको, तब तक काम सुचारू ढंग से नहीं चल सकेगा। रूस में डंडा चलता है। अमरीका में उसको फायर किया जाता है। लेकिन हमारे यहां अयोग्य व्यक्ति को प्रोमोशन दी जाती है, ही इज किक्ड अपस्टेयर्ज। यह हम लोगों की नीति है। इससे कुछ नहीं होगा। पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की जो खराब हालत है इसमें पर्सनल पालिसी बहुत महत्व रखती है। इस वास्ते बहुत सोच कर आप सेलेक्शन करें। मुझे याद है, बहुत साल पहले—यह एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वगैरह तो आज की बात है—हमारे दल में श्री अच्युत पटवर्धन आदि लोग जब हुआ करते थे तो उसी समय सरकार को कहते थे कि इकोनोमिक सिविल सर्विस चालू की जाए और उसमें ऐसे सभी लोगों को लें जिनको दो-तीन साल का बिजनेस का अनुभव हो, जवानी में उनको लें, फिर उनको ट्रेंड आप करें, पहले वे बाहर थोड़ा अनुभव प्राप्त करें, फिर

उनको प्रशिक्षण आप दें, बाद में उनको मौका दें और निर्णय लेने की निर्णय शक्ति आप उनमें पैदा करें। इस तरह की सेलेक्शन पालिसी, रिक्रूटमेंट पालिसी आप अपनायेंगे तो मेरा ख्याल है कि इसको जो कारोबार है, उसमें हम लोग तरक्की कर पायेंगे।

प्यास लगने के बाद कुआं खोदने का काम ही आप आज तक करते आ रहे हैं। दो-तीन दिन से मैं सरकार को यही सलाह देता आ रहा हूं। प्यास लगने के बहुत पहले से ही आपको कुआं खोदना चाहिये। इस बात का आप विचार करें कि प्यास तो इन्सान को लगती है इस वास्ते कुआं भी पहले से ही खोदना चाहिये।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय[£], मैंने मंत्री महोदय का जवाबी भाषण बहुत गौर से और प्रेमपूर्वक सुना, लेकिन मुझे इस बात को लेकर निराशा हुई कि इस सभा में सभी लोगों के द्वारा जो मांग रखी गई थी कि यह कारखाना ठीक-ठाक होने के बाद भविष्य में कभी भी निजी इन्तजाम के सुपुर्द नहीं करना चाहिए इसके बारे में उन्होंने कुछ स्पष्ट आश्वासन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि हमारे कहने का उन पर असर होगा।

इस्को के कांट्रेक्ट सिस्टम का, इनकी कांट्रेक्ट प्रणाली का जो सवाल मैंने उठाया था—मुझे अफसोस है कि उस पर इन्होंने लीपापोती ही की है। इनको स्पष्ट कहना चाहिए था कि एक समयबद्ध कार्यक्रम बनायेंगे। मैं जानता हूं कि इस दूषित प्रणाली को एक दिन में समाप्त नहीं किया जा सकता है या दो महीने में समाप्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोई समयबद्ध कार्यक्रम तो ये हमारे सामने रख ही सकते थे।

*** *** ***

प्रैक्टिकल और आयडियल व्यवहार और आदर्श दोनों में कोई समन्वय आपको करना है। आप ऐसा नहीं करते हैं। आपकी नीति बड़ी दिशाहीन रहती है। एक सिद्धांत आप प्रतिपादित कर देते हैं और जो आपका कर्म होता है वह उससे कहीं मेल नहीं खाता है।

ऑक्शन प्रणाली चालू करने के बाद कम्पनी का जो अनुमान था स्क्रैप डील से कि उसको इतना पैसा आएगा, पुराने अनुभव के आधार पर, उससे दोनों ऑक्शंज में, 50-60 लाख अधिक मिला है। श्री राय की वजह से ऐसा हुआ था और किसी वजह से मैं इसमें जाना नहीं चाहता हूं। मंत्री महोदय ने इसकी वजह एक यह भी बताई है कि बीच में स्क्रैप के दाम बहुत बढ़ गए इसलिए ज्यादा मिला। यह अर्द्ध-सत्य है और अर्द्ध-सत्य बहुत खतरनाक होता है। दाम वृद्धि एक कारण है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि जब कम्पनी निजी इंतजाम में थी तो स्क्रैप डील में बहुत घपला था, इसलिये मैंने इन्दिरा जी को लिखा। प्रधान मंत्री के सामने मैं बार-बार इस बात पर जोर देता रहा, और मैंने इस बारे में उनसे लिखा-पढ़ी भी की और उनका ध्यान इस ओर खींचा था। मंत्री महोदय को इसमें क्या तकलीफ होती है और पुराने स्क्रैप डील्स में कोई घपला

£ *लोक सभा वाद-विवाद*, 30 अगस्त 1974.

हुआ है। घपला माने घोटाला, गड़बड़ी। इसको तो आप मानेंगे ही कि हिन्दी में शब्द अंग्रेजी की तुलना में तीन गुना अधिक हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि कम से कम पंडित जी (श्री कमलापति त्रिपाठी) हिन्दी में ही बोला करें। असमिया, बंगला, मलयालम के भी शब्द लेता हूं और कभी-कभी वे बहुत काम के होते हैं बहुत बढ़िया शब्द होते हैं। अब आप ही बताइये कि "इक्वी डिस्टेन्स थ्योरी" को आप हिन्दी में क्या कहेंगे? समान दूरी वगैरह ही तो कहेंगे? लेकिन मलयालम वाले कहेंगे 'समदूर सिद्धान्त'। भारत की भाषाओं की गरिमा को आप नहीं जानते हैं। टूटी-फूटी अंग्रेजी छोड़ दीजिये। मुंह बना कर अंग्रेजी में बोलना छोड़ दीजिए। ऐसी हिन्दुस्तानी को आप अपनाएं कि जिसमें भारत की सभी भाषाओं के अच्छे शब्दों का समावेश हो।

स्क्रैप डील के बारे में मेरी प्रधान मंत्री से लिखा-पढ़ी हो चुकी है। मंत्री महोदय को यह कहने में क्या दिक्कत है कि पुराने स्क्रैप डील्स की जांच की जाएगी और अगर उसमें चोरी हुई तो चोरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी क्या पुराने लोगों के साथ कोई आपने डील की है छिपकर के? अगर आप यह नहीं करते हैं तो मतलब होगा कि उस पर आप चादर बिछाने का काम करते हैं। अगर इस तरह की डील नहीं की है तो आपको स्पष्ट आश्वासन देने में तकलीफ बिलकुल नहीं होनी चाहिए।

*** *** ***

इनका मैमोरेंडम आप पढ़ें। इनको क्यों अध्यादेश जारी करना पड़ा? इन्होंने कहा कि हम जब गहराई में गए और जब पता लगा कि कितना नुकसान प्लांट को पहुंचाया गया है....

*** *** ***

...दो साल के अध्ययन के बाद यदि इनको पता चला कि इतना डैमेज हुआ है तो इनको इसमें भी जाना चाहिये था। कम्पनियों की मलाई निकालने का एक तरीका आजादी के बाद शुरू हुआ है और जिन-जिन लोगों के हाथ में ये सारे उद्योग चले गए हैं इन लोगों ने बड़ी तेजी से मलाई निकालने का काम किया है। जैसे डी.एम.एस. का दूध मिलता है उसी तरह से ये सारे प्लान्ट्स और कारखाने सिक बन कर रह गए हैं। डी.एम.एस. के दूध की जो हालत है वही हालत इन सिक मिल्ज और कारखानों की है और इसलिए जांच आवश्यक है। औरों को अगर आप भागने देंगे तो एक-एक मिल और कारखाना सिक बनता चला जाएगा और आप उनको लेते जायेंगे। तो कहां जाकर मामला रुकेगा? मैंने शुरू में कहा था कि आपकी गलत नीतियों के कारण अच्छी कम्पनियां भी सिक हो जायेंगी।

मैंने नेशनल रेयान कारपोरेशन का उल्लेख किया। कोहेनूर मिल का उल्लेख किया। कपाड़िया को जो अव्वल नम्बर का बदमाश है चूंकि वह मारूति में और अधिक इनवेस्ट करेगा इसलिए उनको ये दो कम्पनियां आप दे रहे हैं और ये भी सिक बन कर रह जायेंगी। ...आप बरूआ जी* मौजी और मस्त आदमी हैं। आपको क्या परवाह है कि अर्थव्यवस्था का क्या होता है। यह बहुत गम्भीर मामला है। इनके बस का मामला नहीं है।

---

* श्री देवकान्त बरूआ, वित्त राज्य मंत्री को संबोधित करते हुए।

इन्होंने कहा कि इस्पात की पैदावार बढ़ाने के लिये हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और अपनी कार्यक्षमता को बढ़ाना चाहते हैं। इस उद्देश्य से हम सहमत हैं। यह भी इन्होंने कहा है कि जो इस्पात का वितरण होता है, विभिन्न प्रोडक्ट्स का होता है उसके ऊपर हम निगरानी रखना चाहते हैं। एंड यूज अंतिम जो उसका इस्तेमाल होता है उसके ऊपर नियंत्रण रखना कितना कठिन है उसकी चर्चा इन्होंने की है। यह कहा है कि कुछ इस्पात कोटा राज्यों के अधीन आते हैं, कुछ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज के हाथ में रहते हैं। लेकिन क्या इस्पात मंत्रालय का यह कर्त्तव्य नहीं है कि एंड यूज के ऊपर वह कुछ न कुछ नियंत्रण रखे। मैंने एक स्पेसेफिक उदाहरण दिया है कि मारूति को अब तक जो कोटा दिया गया है, जिसको पचास हजार गाड़ियों का लाइसेंस मिला है, क्या नेशनल प्रायोरिटीज में निजी, आटोमोबाइल्ज के लिए स्टील कोटा देना यह बात आ सकती है? अगर ट्रक्स के लिये, बसों के लिये कोटा दिया जाता तो मेरी समझ में आता लेकिन उसके बारे में आपने जानबूझकर चुप्पी साधी है, मौन सहमति को दर्शाती है। आपके मौन का यही अर्थ निकलता है। मारूति के बारे में मैंने जो अभियोग लगाया है कि वे काले बाजार में इस्पात बेचते हैं, उसमें कुछ सत्य का अंश है।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, मैं चौथे मुद्दे पर आया था। तीन मुद्दे मेरे क्या इस बिल से संबंधित नहीं थे? पहला मैंने क्या कहा कि इस कारखाने को फिर कभी निजी क्षेत्र में न जाने दीजिये, यह रेलीवेंट है। मैंने कांट्रैक्ट लेबर के बारे में कहा क्योंकि इसमें मैनेजमेंट का सवाल आ जाता है। वह रेलीवेंट था।

*** *** ***

फिर 'इस्को' के स्क्रैप डील के बारे में, सरकार के मैनेजमेंट में आने के 'इस्को' के बाद जो स्थिति थी उसके ऊपर मैंने कहा। अब जो मैं कह रहा हूं वह इसलिए कह रहा हूं कि 'इस्को' की मान लीजिए इस्पात की पैदावार कुछ मात्रा में बढ़ी। तो क्या होगा? उसका जो वितरण होगा और उसके एन्ड यूज की बात मैं कह रहा हूं क्योंकि यही मंत्रालय है, अगर इसका कुछ भी नियंत्रण नहीं रहेगा, नेशनल प्रायोरिटीज का जरा भी विचार नहीं किया जाएगा तो जो पैदावार बढ़ने से राष्ट्र का लाभ हुआ है वह बहुत हद तक खत्म हो जायेगा, इसलिए मैं कह रहा था। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। इन्होंने कहा कि नौ सौ टन मारूति को दिया। नौ सौ टन तो आपके कार्यकाल में मिला है। अब मैं आपकी जानकारी के लिये केवल आपके सामने रख रहा हूं कि इसमें से अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया गया। एन्ड यूज का सवाल इसीलिए सामने आता है कि मारूति कारखाने की बनावट पर खर्च नहीं हुआ है, तकरीबन 500 टन इसका ब्लैक में चला गया और ब्लैक में दो तीन हजार रुपये टन का मार्जिन है इसके ऊपर। मंत्री महोदय मार्किट में जाकर जांच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा। अब 500 को आप गुणिये दो हजार रुपये से तो क्या रकम आती है? हमारे प्रोफेसर साहब नहीं है। दस लाख रुपये का मामला हो जाता है। मैं तो कम फिगर पकड़ रहा हूं 500 टन की कि इतना ब्लैक में चला गया और दो हजार प्रीमियम मिला

तो दस लाख रुपये इस हिसाब से मिला। इनके पहले के जो मंत्री थे टी.ए. पाई साहब और मोहन कुमार मंगलम साहब तो उस समय भी यह सिलसिला चलता रहा। तो मैं इस बात पर बहुत जोर देना चाहता हूं कि सरकारी कारखानों में जहां उत्पादन बढ़ाने का प्रयास आपको करना चाहिए, वहां सख्ती से एन्ड यूज के ऊपर भी आपको नियंत्रण रखना चाहिए। साथ ही अपनी वरीयता का, प्रायोरिटीज को भी ठीक तरह से रखना चाहिए, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा और जनता के लिए आवश्यक चीजों का उत्पादन बढ़ेगा। उन्हीं चीजों के लिए आपको स्टील के मामले में प्रायोरिटी देनी चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि, स्काई स्क्रपर्स का मैंने सवाला उठाया और मुझे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। केन्द्र की जमीनों की चोरी बम्बई में होती है। उसके ऊपर 2 करोड़ 80 लाख की रिश्वत ली जाती है। अब उसके ऊपर अट्टालिकाओं के लिये इनको कोटा मिलेगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से सीमेंट का कोटा मिलेगा।

*** *** ***

[£]नहीं मिलेगा? क्या कह रहे हैं आप? बिल्डर्स ने रिश्वत इसीलिए दी है कि 75-75 लाख रुपये कमायेंगे जो बिल्डिंगें बनने वाली हैं उनमें। उसमें सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक की भी बिल्डिंगें बनने वाली हैं। तो मैं केवल यही चाहता हूं कि आप जब जवाब देंगे, थर्ड रीडिंग पर या क्लाज-बाइ-क्लाज कंसिडरेशन पर तो स्पष्ट घोषणा कीजिए कि बम्बई के बेकवे रिक्लेमेशन के स्काई स्क्रपर्स के लिए एक किलो भी स्टील नहीं मिलने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनकी यह कल्पना है, इन सब मंत्रियों की कि हमेशा मैं इनके पीछे पड़ता हूं, मैं इनको बदनाम करने का प्रयास करता हूं, लेकिन कोई मेरा दिमाग परवर्स है? मैं देश हित की बात करता हूं। इसमें कोई परवर्सिटी की, विकृति की बात नहीं है। अगर वे अच्छा काम करेंगे, उस दिन पंडित जी ने कहा कि अब हम पोर्ट ट्रस्ट एरिया की जमीन को कानून के तहत ला रहे हैं तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, नींद देर से खुली तो भी अच्छा है।

[£] माननीय सदस्य द्वारा 'नहीं मिलेगा' का जवाब देते हुए।

रिजर्व बैंक की स्वायत्तता पर प्रश्नचिह्न*£

अध्यक्ष महोदय, यह रिजर्व बैंक कानून में संशोधन करने वाला जो विधेयक हमारे सामने रखा गया है उसके बारे में मैं सबसे पहले यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस तरह पीसमील ढंग से इस कानून का आधुनिकीकरण अच्छा नहीं है। बुनियादी तौर पर रिजर्व बैंक एक्ट के बारे में सरकार को सोचना चाहिए और एक नया कानून सदन के सामने पेश करना चाहिए। हर एक दो साल के बाद इस तरह के विधेयकों को पास करने का कोई मतलब नहीं होगा।

दूसरी बात यह है और यह बहुत चिंता की बात है कि-रिजर्व बैंक की जो स्वायत्तता है उस स्वायत्तता को इस सरकार ने बिल्कुल समाप्त कर दिया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाज की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में एक बहुत ही अनोखी घटना हुई जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री जगन्नाथ साहब जो आई.सी.एस. हैं, कमेटी के समक्ष गवाही देने के लिए आए थे। उनसे मैंने एक सीधा प्रश्न पूछा कि इस कानून के बारे में सरकार के पास आपने अपनी राय भेजी थी और अगर भेजी थी तो क्या इस कानून के बुनियादी सिद्धांतों से आपका विरोध है? तो गवाही देने वाले रिजर्व बैंक के गवर्नर क्या जवाब देते हैं कि सरकार से सलाह-मशविरा करके और सरकार की इजाजत लेकर मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का उन्होंने अपमान तो किया ही लेकिन इससे रिजर्व बैंक के गवर्नर की मनोदशा के ऊपर प्रकाश पड़ता है। इस सरकार ने सारे अफसरों को इस तरह गुलाम बना दिया है कि स्वायत्तता की बात तो आप करेंगे लेकिन ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने एविडेंस देने के लिए वह तैयार नहीं हैं इस डर से कि मंत्री महोदय क्या कहेंगे? क्या यह घटना हुई है या नहीं, इसकी सफाई सुशीला जी को देनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको सही सलाह मिले, उसको आप मानें न मानें, लेकिन अफसरों के मन में इस तरह का डर उत्पन्न होगा तो कोई सरकार चल नहीं पायेगी फिर यह चमचा लोगों की ही सरकार होगी। तो रिजर्व बैंक की स्वायत्तता के बारे में वह सफाई दें।

अब मैं इसके प्रमुख क्लाजेज की तरफ आ रहा हूं।...

उपाध्यक्ष महोदय, चतुर्थ क्लाज में इन्होंने यह कहा है कि रिजर्व बैंक के डायरेक्टर्स 4 साल में नियुक्त किये जायेंगे। लेकिन बाद में यह कहा है कि जब तक उनके सक्सैसर्स नियुक्त नहीं किये जायेंगे तब तक पुराने डायरेक्टर्स ही चलते रहेंगे। इस तरह के सुझाव का क्या मतलब है— मेरी समझ में नहीं आता है। जब आपको मालूम है कि फलां डायरेक्टर चार साल के लिये नियुक्त

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 15 नवम्बर 1974.

£ भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन) विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

किया गया है उसकी मियाद फलां तारीख को खत्म हो जायेगी तो क्या 4 साल में भी आप सक्सैसर के बारे में निर्णय नहीं कर पायेंगे। जिस तरह से गवर्नरों को टर्म खत्म होने के बाद चालू रखते हैं उसी तरह से डायरेक्टरों के बारे में भी करना चाहते हैं—इसका मैं सख्त विरोध करता हूं।

जब मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे, मैंने कई बार सुझाव दिया था कि लगातार आई.सी.एस. अफसरों को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाते चले जा रहे हैं—यह गलत बात है। ऐसे विशेषज्ञों को रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाइये जो फिसकल और मौनिटरी पालिसी के बारे में जानकारी रखते हों। लेकिन अभी तक इसके बारे में सरकार ने कोई पालिसी डिसीजन नहीं लिया। इसलिये सुशीला जी से प्रार्थना करूंगा—जब आप हमारे मुद्दों का जवाब दें तो इसके बारे में भी खुलासा कीजिये कि भविष्य में इस तरह के आई.सी.एस. या आई.ए.एस. लोगों को नियुक्त नहीं किया जायेगा और रिजर्व बैंक के गवर्नर विशेषज्ञों को ही बनायेंगे।

इन्होंने अपने इस विधेयक में बैंकों का जो टाइम डिपाजिट या कुल मिलाकर जो डिपाजिट्स होते हैं उसका 1 प्रतिशत रीफाइनेन्स फैसिलिटी के रूप में देने का सुझाव दिया है। यदि बैंकिंग डिपाजिट 12 हजार करोड़ मान लिया जाए तो यह रकम 120 करोड़ रुपये हो जायेगी। 120 करोड़ रुपये की रकम कोई मामूली रकम नहीं है। क्या मंत्री महोदय कोई इस प्रकार का आश्वासन देंगी कि यह 120 करोड़ रुपये का क्रेडिट कृषि या उद्योगों के सेक्टर में केवल उन्हीं को मिलेगा जिनको आपने वरीयता दी है। सरकार के द्वारा जो प्रायोरिटीज निश्चित की गई हैं उन्हीं के द्वारा रीफाइनेन्सिंग फैसिलिटीज का इस्तेमाल किया जायेगा—इसका मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं।

मंत्री जी को पता होगा कि हमारे यहां बम्बई या अन्य चार-पांच बड़े शहरों में हुण्डी बिजनेस चलता है, इसमें वे बैंकों के द्वारा कर्जा लेते हैं। मान लीजिये 16 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से लिया, लेकिन कानून तोड़कर 25-30 प्रतिशत पर हुण्डीवाले लोग धन्धा करते हैं। क्या बैंकों के द्वारा क्रेडिट इसलिये दिया जाता है कि ये हुण्डीवाले गैर-कानूनी ढंग से रुपया कमाने का काम करें। हुण्डी बिजनेस पर सरकार को तुरन्त निर्णय लेना चाहिये, इसको समाप्त कर देना चाहिये।

अब डिपाजिट्स के मसले को लेता हूं। नान-बैंकिंग कम्पनीज के द्वारा आम लोगों से डिपाजिट्स लिये जाते हैं। इसके बारे में आज तक बहुत ही ढिलाई बरती गई है। देवकरण नानजी कम्पनी के बारे में मंत्री जी को पता होगा—उस कम्पनी के जो चलाने वाले थे वे पब्लिक का एक करोड़ रुपया खा गये, अब यह कम्पनी कापड़िया ने ले ली है जिस पर यह सरकार बहुत मेहरबान है। एक चोर से दूसरे चोर के हाथ में यह कम्पनी चली जा रही है—मैं जानना चाहता हूं रिजर्व बैंक क्या कर रहा है नेशनलाइज्ड बैंक क्या कर रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रिजर्व बैंक के डिपाजिट्स के बारे में जो नियम हैं, उनकी कापी नहीं है। मैं दो दिन से मांग रहा हूं। चूंकि इस समय आप सभापतित्व कर रहे हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं—क्या पार्लियामेंट की लाइब्रेरी इसी तरह से चलेगी, हम को जो जानकारी चाहिये क्या वह हमको नहीं मिलेगी? दो दिनों से कोशिश कर रहा हूं कि रूल्ज मिल जाये लेकिन नहीं मिले। यह कोशिश इसलिये कर रहा था कि वर्तमान रूल्ज के अनुसार कम्पनियों का जो शेयर कैपिटल होता है उसका 25 प्रतिशत वे आम जनता से डिपाजिट के रूप

में ले सकती हैं और डायरेक्टर्स की व्यक्तिगत गारण्टी पर वे 25 प्रतिशत और ले सकती हैं, जब कि डायरेक्टर्स कोई व्यक्तिगत एसेट्स नहीं होते। चूंकि डिपाजिट्स के बारे में आपने इसमें कुछ सुझाव रखे हैं, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि इससे जो धांधलियां और गड़बड़ियां चल रही हैं क्या आप लोग उस पर कोई नियंत्रण कर पायेंगे।

अब मारूति के एक बड़े शेयरहोल्डर की बात आपके सामने रखना चाहता हूं—यह मधुसूदन लि. है जो मारूति के मेजर शेयरहोल्डर हैं। इन्होंने डिपोजिट्स के लिये एडवरटाइज किया है और 22 प्रतिशत इन्टरेस्ट देने को तैयार हैं। ये कम्पनियां मारूति लि. कम्पनी जैसी कम्पनियों में रुपया लगा रही हैं जो घाटे में चलने वाली हैं जिनमें दुनिया भर के बदमाश इकट्ठे किये गये हैं। आपके यहां आने से पहले आज सुबह जब मैं अगले सप्ताह के बिजनेस पर बोल रहा था....

*** *** ***

आपको पता चलेगा कि दो स्मगलरों ने मारूति में 30 हजार और 15 हजार शेयर लिये हुए हैं जिनकी कीमत होती है—3 लाख और डेढ़ लाख रुपया। यह भी इसी तरह की कम्पनियां हैं, जाजोदिया और तुलसियान की। क्या आप इनके बारे में जांच करायेंगी कि पब्लिक के पैसे का कैसे दुरुपयोग किया जा रहा है?

अब आप मारूति पर आइये—मैंने मारूति की बैलेंसशीट को बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है यह बैलेंसशीट बहुत जल्दी नहीं मिलती है? इससे पता चलेगा कि इनका जो पेड-अप कैपिटल है, उससे दुगने से भी अधिक....

*** *** ***

डिपाजिट्स के बारे में कह रहा हूं नान-बैंकिंग कम्पनीज के द्वारा पब्लिक से जो डिपाजिट्स लिये जाते हैं, उसमें जो घोटाला होता है, उसको चैक करने के लिये इन्होंने इस बिल में उसकी व्याख्या की है। इसलिये इस महत्वपूर्ण अंग की ओर आपका ध्यान दिला रहा हूं। मैं कह रहा था कि जो ऐसी कम्पनियां हैं जिनके ऊपर सरकार का वरद-हस्त है, आशीर्वाद है, उन कम्पनियों में क्या चल रहा है? मारूति का जो शेयर कैपिटल है उससे डबल से भी अधिक उन्होंने एजेंटों से और वितरकों से डिपाजिट इकट्ठा किया है मेरे पास यह 31 मार्च तक की बैलेंसशीट है—इसमें 2 करोड़ 18 लाख रुपया अकेले डिस्ट्रिब्यूटर्स से जमा किया गया है। मैं मंत्री जी से आज इस बात की सफाई चाहता हूं—25 प्रतिशत का आपका रूल है या नहीं है शेयर कैपिटल का कितने प्रतिशत डिपाजिट के रूप में पब्लिक से इकट्ठा किया जा सकता है—विभिन्न फोर्म्ज में। क्या मारूति ने केवल एजेन्टों से शेयर कैपिटल के दुगने से भी अधिक रुपया इकट्ठा किया है या नहीं।

अगर दूसरी कम्पनियों से आप इस कम्पनी की बैलेंसशीट की तुलना करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारी बातें जो कम्पनी कानून के तहत इस बैलेंसशीट में होनी चाहिये, वे भी इसमें नहीं आई हैं। विचित्र बात तो यह है कि 46 लाख रुपये की शेयर एप्लीकेशन्स इनके पास पड़ी हुई हैं, उसमें से 20 लाख रुपया जमा है, लेकिन उनकी एप्लीकेशन्स तक नहीं हैं। मारूति में

जितनी पूंजी लगी हुई है, सब चोरों, बदमाशों और स्मगलरों ने लगाई हुई है वरना इस तरह की बात कम्पनी कानून के अंतर्गत कैसे हो सकती है—मेरी समझ में नहीं आता है—पैसा जमा है, लेकिन एप्लीकेशन्स नहीं है—इसका मतलब है कि सारे शेयर बोगस हैं, उनमें ब्लैक का पैसा लगा हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न को 14 महीने हो गए—आप इस सदन के उपाध्यक्ष हैं, यह केवल अध्यक्ष की ही जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दिलवाये, आपकी भी जिम्मेदारी है, दूसरे सभापतियों की भी जिम्मेदारी है जो इस कुर्सी पर बैठते हैं। 14 महीने हो गये मैंने पूछा था कि मारूति के मेजर इन्वैस्टर्स बताये जायें और इकोनामिक ओफन्सेज के बारे में बतलाया जाये—मैंने दोनों सवाल कामर्स मिनिस्टर से पूछे थे—14 महीने के बाद भी यह जानकारी नहीं मिली यह कहा जाता है कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है, उचित समय पर रखी जायेगी। यह समय कब आयेगा—मेरे मरने के बाद?

*** *** ***

[£]हारने की उम्मीद न कीजिये—मेरे मरने के बाद ही यह इन्फर्मेशन आयेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि इन बातों का खुलासा हो जाये उसी तरह से हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड में अच्छा लेख आया है, मंत्री जी को पढ़ना चाहिये इसके बारे में।

"RBI regulations for deposits acceptance found inadequate."

*** *** ***

आप के डायरेक्टर्स गारन्टी के बारे में यह कहते हैं कि कई डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं। उनके कोई असेट्स नहीं होते और शेयर कैपिटल का अगर 25 प्रतिशत पब्लिक से डायरेक्टर्स की गारन्टी पर लिया जायेगा तो बहुत सारी कम्पनियां ऐसी हैं जिसमें पब्लिक हल्ला कर रही है कि हमारे डिपाजिट्स वापस नहीं मिल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक और सरकार किसी तरह का नियंत्रण कंपनी ला का मामला हो या आर.बी.आई. का हो कोई नियंत्रण इन चीजों पर नहीं रख रहे हैं।

मैं मंत्री जी का ध्यान चिट फंड्स की ओर भी दिलाना चाहता हूं यह भी एक माने में नान-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्ज हैं और चिट फंड के कई मामले सरकार के सामने पड़े हुए हैं? उसमें क्लास तीन और चार के जो कर्मचारी होते हैं वह अपनी बचत का पैसा लगाते हैं और उसमें करोड़ों रुपयों का घोटाला हो रहा है। तो क्या चिट फंड्स को भी नियमित करने के बारे में मंत्री महोदय कुछ सोचेंगी?

इस विधेयक का एक उद्देश्य यह है कि कृषि के कार्य में मदद की जाये तो एक विषय की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मेरे पास 13 तारीख का 'हिन्दुस्तान टाइम्स' अखबार है और सिंचाई के ऊपर एक लेख है।

"70 per cent of irrigation water goes waste".

[£] प्रो. नारायण चन्द पराशर, सांसद द्वारा "आपके हारने के बाद" शब्दों का जवाब देते हुए।

हम लोग तो जानते थे लेकिन उन्होंने कई राज्यों के आंकड़े एकत्रित करके दिये हैं और जो निष्कर्ष इनका है वह आपके सामने रखता हूं:—

"Wastage of water and lack of scientific water management were the other defects exposed. Only 30 per cent of water benefited crops, the rest being lost through seepage from canals or evaporation. This problem was worse in the major and medium irrigation schemes which accounted for 40 per cent of irrigation sources. Minor sources such as wells and tubewells provided irrigation of better quality."

इसलिये मैं कहना चाहता हूँ अभी आप ने पौंग डैम की खबर अखबारों में पढ़ी होगी कि पौंग डैम बन गया राजस्थान को फायदा होगा लेकिन लीकेज शुरू हो गया है और हर दिन 15,000 क्यूसेक्स से अधिक पानी चला जा रहा है और कहते हैं कि बाद में उसको किसी बैराज से पकड़ते हैं, तो मेजर और मीडियम इरीगेशन स्कीमों के ऊपर तो अरबों रुपया लगाया जा रहा है जिससे 30 प्रतिशत पानी बेकार जा रहा है, नजदीक के इलाके हैं वहां इतना पानी होता है कि कभी-कभी धान की फसलें मारी जाती हैं और जो दूर के इलाके कमान्ड एरिया में हैं उनको एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। एस्टीमेट्स कमेटी ने इस बात पर जोर दिया है कि ट्यूब वैल्स और पम्प सैट्स पर ही ज्यादा जोर दिया जाए ताकि किसानों के अख्तयार में ही यह मामला रहे और इसके लिये रिजर्व बैंक में जो प्रयत्न कर रहे हैं उन दोनों में कोई समन्वय बैठना चाहिये। कृषि विकास के लिये बड़ी-बड़ी योजनाओं पर पैसा बरबाद करने के बजाय जो आपका क्रैडिट है वह किसानों को दीजिये। और मैंने सुझाव दिया था कि 14 नेशनलाइज्ड बैंक्स और स्टेट बैंक मिलकर कोई एक पम्पिंग सैट कॉरपोरेशन बनायें और टर्न की बेसिस पर किसानों को दीजिये और उस पर इन्स्टालमेंट लगाया जाये। इससे बीच वाले जो पैसा अभी खा जाते हैं वह नहीं खा सकेंगे। मैं समझता हूं इन सारे सुझावों पर सरकार सोचेगी।

*** *** ***

*उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री जी ने अभी कहा कि रिजर्व बैंक के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 25 प्रतिशत डिपाजिट्स लिये जा सकते हैं। 25 प्रतिशत काहे का? यह बुनियादी सवाल इसमें है। रिजर्व बैंक के जो डायरेक्शन मेरे पास आये हैं उसमें चूंकि नान-बैंकिंग, नान-फाइनेंशियल कम्पनी है मारूति लिमिटेड, उसके बारे में बोल रहा हूं। इन्होंने मारूति लिमिटेड के बारे में कहा कि किसी तरह की इर्रगुलैरिटी नहीं हुई अब मैं साबित कर रहा हूं रिजर्व बैंक के जो निर्देश हैं उनका कदम-कदम पर मारूति लिमिटेड ने उल्लंघन किया रिजर्व बैंक का यह डायरेक्शन देखिये, जैसा सुशीला जी ने अभी कहा:—

"In the case of any other deposit 25 per cent of the aggregate of the paid up capital and free reserves of the company".

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 18 नवम्बर 1974.

इसमें मतभेद नहीं है। लेकिन मैं उनका ध्यान पेज 7 पर जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसकी ओर खींचना चाहता हूँ। यह सफेद कागज है, नीला कागज तो फाइनेंशियल कम्पनीज के बारे में है। तो पेज 7 का एक्सप्लेनेशन क्या कहता है:—

"page 5, Explanation: In arriving at the aggregate of the paid up capital and the free reserves for the purpose of sub paragraph of para 3(2) there shall be deducted from the aggregate of the paid up capital as appearing in the balance-sheet of the company account of accumulated balance and loss if any disclosed in the balance-sheet."

25 प्रतिशत काहे का? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्युमुलेटिड लासेज। अगर वित्त मंत्री जी इस बात को काटना चाहती है तो मैं बैठ जाता हूं; और अगर नहीं काटती हैं तो मैं आगे बढ़ता हूं। मैं मारूति का लास्ट बैलेंस शीट लाया हूं। अगर आप देखना चाहती हैं तो देख सकती हैं। इसमें पेड अप कैपिटल दिखाई गई है मैं राउन्ड फिगर्स ले रहा हूं, 1 करोड़ 54 लाख, और रिजर्व दिखाये गये हैं 6 लाख 80 हजार। तो टोटल हो जाता है पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व 1 करोड़ 61 लाख। अब इसमें लासेज दिखाये गये हैं मारूति बैलेंस शीट के 11 पेज पर एक्युमुलेटिड लासेज दिखाये गये हैं 58 लाख। तो पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्वज माइनस लासेज जो बैलेंस शीट में डिसक्लोज किये गये हैं उसके अनुसार 58 लाख अगर कम किया जाएगा तो नेट अमाउन्ट आयेगा 1 करोड़ 2 लाख। इसका 25 प्रतिशत क्या होगा? 25 लाख 40 हजार। डिपाजिट्स कितने हैं? इनके पेज 8 पर दिखाये गये हैं 28 लाख और 2 लाख 50 हजार। मैं डायरेक्टर्स की गारन्टी वाला डिपाजिट छोड़ रहा हूं, गारंटी बिना वाला डिपाजिट ही पकड़ रहा हूं। 28 लाख और ढ़ाई लाख यह तीस लाख हो जाता है।

अब मैं मारुति बैलेंस शीट के पेज 18 की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं। इसमें आडिटर्स के नोट्स हैं। आडिट नोट नम्बर 1 में कहा गया है:

Auditor's notes: 1. Share application money Rs. 46,41,000.

आगे आडिटर्स के कमेंट हैं:

The aforesaid amount of Rs. 46,41,000 includes sums aggregating Rs. 20,43,000 received by the company upto 31st March, 1974 in respect of which formal applications have yet to be received from the applicants concerned.

यह शेयर कैपिटल नहीं है। 46 लाख रुपया क्या है? शेयर कैपिटल के तौर पर मिला है। 26 लाख के लिए कम से कम एप्लीकेशंस हैं, ऐलाटमेंट नहीं हुआ है। लेकिन बीस लाख रुपया मारूति लिमिटेड में जमा है जिसके लिए फार्मल शेयर एप्लीकेशन्ज नहीं है। यह तो शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। यह डिपाजिट नहीं है तो क्या है? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। मारूति लिमिटेड के पास बीस लाख की जो रकम जमा है जिसके बारे में शेयर एप्लीकेशन भी नहीं है और मेरी राय के अनुसार यह ब्लैक मार्किट का पैसा है जिसके लिए फार्मल शेयर एप्लीकेशंस भी नहीं है लेकिन यह कम्पनी के पास है तो इसको तो डिपाजिट्स में ही पकड़ना चाहिए। इन तीनों को

यदि पकड़ा जाएगा तो यह कुल मिलाकर 51 लाख हो जाता है। ये ले सकते हैं पच्चीस लाख। लेकिन 51 लाख डिपाजिट्स के रूप में जमा है। चूंकि प्रधान मंत्री का लड़का मैनेजिंग डायरेक्टर है इसलिए आप बिना सोचे-समझे न कुछ कह दें। मैं प्रेमपूर्वक कहना चाहता हूं कि जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें बहुत सोचने-समझने की कोशिश करते हैं हालांकि आपके रिजर्व बैंक ने मुझसे कोओप्रेट नहीं किया है इसमें लेकिन कोई बात नहीं है। मैंने साबित किया है कि डिपाजिट की जो लिमिट रिजर्व बैंक के निर्देशों के साथ रखी गई थी यह 25 प्रतिशत की थी और इन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक डिपाजिट लिया है। इसमें मैं डीलर्ज डिपाजिट नहीं पकड़ रहा हूं। अब मैं उस पर आ रहा हूं।

डीलर्ज डिपाजिट क्या है? कमर्शियल ट्रांजैक्शंज के लिए जो डिपाजिट लिए जाते हैं वे 25 प्रतिशत की लिमिट में नहीं आते हैं लेकिन अब हम लोगों को यह एग्जैमिन करना है कि 2 करोड़ 18 लाख के डीलर्ज डिपाजिट पेज 10 पर दिखाई गए हैं मारूति बैलेंस शीट में ये क्या है। यह बैलेंस शीट इनके पास जरूर आयी होगी। आप पूछेंगे क्यों आयी होगी? तो एक नियम मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं रिजर्व बैंक का। इनको सब इनफोर्मेशन देनी पड़ती है रिजर्व बैंक को।

Returns to be made to the Reserve Bank. Without prejudice to the provisions of para 11, every non-banking, non-financial company, which holds deposits as on 31st March, in any year shall submit to the Reserve Bank a return furnishing the information specified in the first schedule with reference to its position as on 31st March and every non-banking, non-financial company carrying on or financing hire-purchase transactions shall furnish a return..... etc.

आप स्पष्ट उत्तर दें कि क्या मारूति लिमिटेड ने अपने रिजर्व बैंक के पास डिपाजिट के बारे में पूरी तरह फाइल किए हैं। क्यों मैं यह सवाल उठा रहा हूं? इस वास्ते कि रिजर्व बैंक ने अपने डायरेक्शन में कहा है कि उनके डायरेक्शन का हर्गिज यह मतलब नहीं है डिपाजिट्स के डिपाजिट्स हर हालत में प्रोटेक्ट हो जायेंगे। उसके निर्देशों का यदि उल्लंघन होता है तभी वह कार्यवाही कर सकता है। लेकिन मैंने साबित किया है कि रिजर्व बैंक के डायरेक्शंस का मारूति लिमिटेड ने उल्लंघन किया है और रिजर्व बैंक इस तरह की कार्रवाई कर सकता है?

> "The Reserve Bank has powers to prosecute institutions and or persons for their failure, if any, to comply with the directions issued by it."

लेकिन जो रिजर्व बैंक का गवर्नर सरकार की इजाजत के बिना ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने एवीडेंस देते वक्त प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार न हो उस डरपोक आदमी से मैं आशा नहीं करता हूं कि प्रधान मंत्री के लड़के की कम्पनी के खिलाफ वह किसी तरह की कार्रवाई करेगा। आज इसलिए मुझे यह कहना पड़ता है कि इकोनोमिक आफेंसिस की जब बात चलती है तो जो बड़े लोगों के बेटे या बच्चे हैं उनको हमें छोड़ नहीं देना चाहिए। मिर्धा साहब से मैं कहना चाहता हूं कि 1968 में उप-प्रधान मंत्री के बेटे का जब सवाल उठा था तब आपमें से कई लोगों ने मेरा उस समय साथ दिया था लेकिन उप-प्रधान मंत्री से भी बड़े प्रधान मंत्री के लड़के की जब बात करता हूं तो आप लोग चुप्पी साधते हैं।

डीलर्स डिपाजिट का जहां तक सवाल है उसमें उन्होंने 2 करोड़ 18 लाख इकट्ठा किया है। रिजर्व बैंक की जो अभी उन्होंने परिभाषा पढ़ी उसमें उसकी व्याख्या की गई है। सुशीला जी ने अभी कहा कि ट्रेडिंग के लिए परचेजिंग एजेंट्स या सैलिंग एजेंट्स जो इकट्ठा किया जाता है वह उसमें नहीं आएगा। लेकिन डिपाजिट जो सैलिंग एजेंट से या डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जाते हैं वह तो कमर्शियल ट्रांजैक्शन है और उस कमर्शियल ट्रांजैक्शन में किसी भी एजेंट को और डिस्ट्रीब्यूटर को यह जरूर आशा रही होगी कि कम से कम उसको नेट दस प्रतिशत रिटर्न मिले। मैं जानना चाहता हूं कि मारूति ने कौन-सी प्रोडक्ट्स उनको बेची, कौन-सी प्रोडक्ट बेचेगा, ऐसी उम्मीद थी जबकि प्रोटोटाइम तक टैस्ट नहीं हुआ था, इंडस्ट्रियल लाइसेंस तक नहीं मिला था दो साल से ये डिपाजिट लिए जा रहे हैं।

Is it a non-commercial transaction? Is this contribution being made on the basis of non-commercial considerations?

अगर नान-कमर्शियल है तो मैं कहूंगा कि डिपाजिट की व्याख्या में इसका भी उल्लेख होना चाहिए। यह बोनाफाइड नहीं है। अगर थोड़ा भी निष्पक्ष ढंग से इस पर सोचेंगे तो मारूति प्रोडक्ट ही नहीं आया। उसकी इतनी गाड़ियां मुझे मिलेंगी इस तरह की आशा एजेंट को नहीं। प्रोटोटाइम टैस्ट नहीं हुआ था और इंडस्ट्रियल लाइसेंस तो 31 मार्च के बाद ही आप लोगों ने दिया है। ये बोनाफाइड डीलर्स डिपाजिट्स नहीं है। इसको भी इसमें सम्मिलित करना चाहिए, डिपाजिट्स में करना चाहिए। अगर आपने ऐसा किया तो आप देखेंगे कि पचास लाख और ये दो करोड़ अठारह लाख, कुल मिलाकर दो करोड़ 68 लाख हो जाते हैं और पेडअप कैपिटल वगैरह एक करोड़ का होता है। मतलब यह हुआ कि तकरीबन ढाई गुना से भी अधिक कैपिटल। तो यह कम्पनी कोई बोनाफाइड ढंग से चल नहीं रही है। मेरा निवेदन है कि इस कम्पनी के एक-एक शेयरहोल्डर के बारे में आप जांच करें। चौदह महीने से मेरे प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे हैं। इनमें से एक मेरा आदमी है जो विदाउट फियर आफ कंट्रेडिकशन में कह सकता हूं कि इकोनोमिक आफेंडर है। दो तो स्मगलर हैं। ये लोग हमें सिखाते हैं? मेरी बातों का आप अभी जवाब दें नहीं तो थर्ड रीडिंग पर मुझे फिर बोलना पड़ेगा और मामले को सदन के सामने रखना पड़ेगा।

आयात लाइसेंस केस*£

अध्यक्ष महोदय यह सही है कि हालांकि विषय एक ही है, लेकिन विशेषाधिकार भंग के अभियोग कई लोगों पर लगाये गये हैं। मैंने जो नोटिसिज दिये हैं, उनमें जिन लोगों ने मेरी राय में इस सदन का अपमान किया है, पहले मैं उनकी सूची बता देता हूं। सबसे पहले गृह मंत्री ....

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा, विषय एक ही है, लेकिन इसके पहलू बहुत ज्यादा हैं और सदन की मानहानि करने वाले सदस्यों और मंत्रियों की संख्या भी ज्यादा है। सबसे पहले उनकी सूची मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहले हैं गृह मंत्री। इसमें सर्वश्री उमाशंकर दीक्षित जिन्होंने आश्वासन दिया और ब्रह्मानंद रेड्डी जिन्होंने उसी पद पर रहकर आश्वासन तोड़ा इन दोनों का मैं समावेश करता हूँ। फिर आश्वासन देने वालों में श्री हरिभाई गोखले भी हैं। कानून मंत्री.... यहां तो भाऊ का भाई ही हो जाता है। फिर चौथे हैं श्री चट्टोपाध्याय व्यापार मंत्री और पांचवें हैं लोक सभा के सदस्य श्री तुलमोहन राम।

अब मैं इकट्ठा ही बोलूंगा। सबसे पहले भूतपूर्व गृह मंत्री श्री उमाशंकर दीक्षित जी ने इस सदन को क्या आश्वासन दिया था वह मैं उन्हीं के शब्दों में पढ़कर सुनाता हूं:

> "I am making a promise. I am giving an assurance that after this investigation is over, the first thing that we will do is to come to Parliament and we will say, this is where we have arrived. Please tell us what we should do. It is only after that according to the wishes of Parliament that we will proceed. We are not closing the door for further investigation by Parliament. There can be one remote possibility when the matter can go to a Committee."

यह श्री उमाशंकर दीक्षित ने 9 तारीख को कहा था।

अब कानून मंत्री श्री गोखले साहब ने इसके बारे में दो दफा वक्तव्य दिया है। एक उन्होंने 9 तारीख को ही आश्वासन दिया, वह इस प्रकार है:

> "Please refer to my remarks. I have said at that time that we shall take the House into confidence after the investigation report was available. After the results of investigation are available, we shall take

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 20, 26, 28 नवम्बर और 20 दिसम्बर 1974.

£ आयात लाइसेंस केस पर विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर चर्चा में भाग लेते हुए।

the House into confidence. The whole matter is open to the House to consider at that stage."

गृह मंत्री के आश्वासन में और श्री गोखले साहब के आश्वासन में महत्व की दृष्टि से मैं थोड़ा फर्क करता हूं क्योंकि गृह मंत्री जी कानून मंत्री नहीं हैं लेकिन श्री गोखले साहब कानून मंत्री हैं। कानूनी मामलों में वे सरकार के सलाहकार हैं। वे हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। और सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े अधिवक्ताओं में से रहे हैं। अधिवक्ता, माने एडवोकेट। इसलिये इन मंत्रियों में इनकी जिम्मेदारी सबसे अधिक है।

चौथे मंत्री हैं व्यापार मंत्री। आपको याद होगा इन्होंने 9 सितम्बर को कहा था कि जो लाइसेंस दिये गये हैं न्याय और इक्विटी के लिये दिये गये हैं। बाद में इस सदन को यह बताया गया है कि ये लाइसेंसज इम्पाउड किये गये। तो अगर न्याय के लिये दिये गये थे तो इम्पाउंड क्यों किये गये? इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि लाइसेंसज में ट्रैफिकिंग नहीं हुई हालांकि 28 अगस्त को मैंने इनकी तवज्जह दिलाई थी कि इंडो-बांग्लादेश ट्रेडिंग कारपोरेशन के मार्फत और श्री सिद्दीकी के मार्फत इन लाइसेंसों को बेचने का प्रयत्न किया जा रहा है। अभी तक इंडो-बांग्लादेश ट्रेडिंग कारपोरेशन पर छापा मारने के बाद क्या-क्या जानकारी मिली इसके बारे में सदन को विश्वास में नहीं लिया गया। सदन के बार-बार मांग करने के बाद भी चार्जशीट भी नहीं दी गई। इसलिए व्यापार मंत्री भी इसमें सदन के विशेषाधिकार को भंग करने में सदन की मानहानि करने में सम्मिलित हैं।

अब गृह मंत्री श्री ब्रह्मानंद रेड्डी की तरफ मैं आता हूं। उन्होंने अपने वक्तव्य में जो इस सदन में इसी सत्र में दिया उसमें उन्होंने कहा है—

"The investigations did not disclose that any of the officers who dealt with the matter were involved in the commission of the offence."

यह इन्होंने इन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया लेकिन असलियत यह है—हमने अखबारों में पढ़ा है कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट और चार्जशीट में यह कहा गया है कि श्री तुलमोहन राम ने अपना प्रभाव पब्लिक सर्वेन्ट्स पर डालने का प्रयास किया और उसके लिये पैसा लिया। तो वास्तविकता यह है कि तुलमोहन राम और दूसरे लोगों के प्रयास से—इसमें मैं ललित नारायण मिश्र को भी शुमार करता हूं—इनके प्रयास के पब्लिक सर्वेन्ट्स प्रभावित हो गये, इसका सबूत हम लोगों के पास है।

श्री एन.के. सिंह के बारे में चार्जशीट में दो तरह की बातें कही गई हैं। श्री तुलमोहन राम ने कहा है कि श्री सिंह ने कहा था कि एक पैटीशन और दे दो जिससे मंत्री का हाथ मजबूत हो जायेगा। दूसरी बात यह भी सामने आई है कि श्री एन.के. सिंह जो ललित नारायण मिश्र के समय स्पेशल एसिस्टैंट या एडवाइजर थे, प्रो. चट्टोपाध्याय ने उनको श्री ललित नारायण मिश्र के आग्रह पर अपने मंत्रालय में रखा। इनके बारे में यह जानकारी श्री तुलमोहन राम ने दी है कि 20 हजार रुपया उनको देना पड़ेगा। अभी तक यह चार्जशीट हमको नहीं दी गई है।

अध्यक्ष महोदय, जो पब्लिक डाक्यूमेन्ट है उसको देने में भी इनको हिचक है। एफ.आई.आर. की रिपोर्ट सारी बहस होने के बाद हम लोगों के सामने टेबिल पर रखी गई, तो चार्जशीट क्यों नहीं रखी गई, इसमें कौन-सी सीक्रेट बात है या वह यह चाहते हैं कि हम अदालत में जाएं यहां का काम-धन्धा छोड़कर—और अदालत से सर्टिफाइड कापी मांगें—इसलिये, अध्यक्ष महोदय, व्यापार मंत्री भी इसमें आ जाते हैं।

अब, अध्यक्ष महोदय, घुमा-फिराकर बार-बार यह कहा जा रहा है कि मामला न्यायालय के अधीन है। किसने मामला न्यायालय के अधीन बनाया? श्री गोखले की सलाह पर गृह मंत्री जी ने मामला सब-ज्युडिस बना दिया, जबकि उन्होंने स्पष्ट शब्दों में आश्वासन दिया था कि इन्वेस्टीगेशन्स की प्रक्रिया पूरी होने के बाद हम पार्लियामेंट के सामने आयेंगे और आपसे पूछेंगे कि आगे क्या करना है। ऐसा करने में इनको किसी तरह की हिचक नहीं होनी चाहिये थी, कानून का कोई बन्धन नहीं था—आप चाहे 100 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराओं को पढ़िये—कहीं नहीं लिखा गया है कि दो-चार या दस दिन की देरी नहीं हो सकती है या आप सी.बी.आई. को कह सकते थे कि अभी कई और मामले ऐसे हैं जिनकी इन्वेस्टीगेशन्स कीजिये और यह भी कह सकते थे कि पार्लियामेंट का सत्र शुरू होने तक इसको पूरा किया जाये—लेकिन यह आपने जानबूझकर नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय, मेरा यह आरोप है कि पोलिटीकल अफेयर्स कमेटी में, जो कैबिनेट की कमेटी है, हाई-लेवल पर प्रधान मंत्री जी की सम्मति से, बल्कि उनके कहने पर, यह निर्णय लिया गया कि पार्लियामेंट को दिये गये आश्वासन के बजाय हम लोगों की स्ट्रैटिजी यही होनी चाहिये कि इस मामले को सब-ज्युडिस बना दिया जाये। इसलिये मैं प्रधान मंत्री जी से लेकर पोलिटिकल अफेयर्स कमेटी के जितने सदस्य हैं और बाकी जिन मंत्रियों की सूची मैंने रखी है इनके ऊपर असद्भावपूर्ण व्यवहार—मैलाफाइड एक्शन—का आरोप लगाता हूं। इसलिये यह मामला बहुत संगीन और गम्भीर बन जाता है।

अब यदि कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो क्या पार्लियामेंट का जो अधिकार है कि अपने सदस्यों के व्यवहार के बारे में, उनके आचरण के बारे में निर्णय कर सके—समाप्त हो जाता है? अदालत जहन्नुम में जाये, अदालत से इसका कोई संबंध नहीं है। जब पार्लियामेंट का कानून भंग होता है तो इसमें अदालत के दखल की जरूरत नहीं है। वह अपना केस अलग से चलाये। छोटी सादड़ी सोना काण्ड की तरह से उसको चाहे सात साल चलाये या नागरवाला की तरह दो मिनट में खत्म कर दे। अध्यक्ष महोदय, यह सरकार न्यायालय के साथ किस तरह से खिलवाड़ करती है—नागरवाला का केस एक दिन में, एक घन्टे में खत्म होता है और सुखाड़िया का छोटी सादड़ी का मामला सात साल चलता है। तो आप के सब-ज्युडिस से यह पार्लियामेंट रुकने को तैयार नहीं है, आप दो-तिहाई बहुमत के बल पर जो कुछ भी कीजिये, लेकिन फैसला पार्लियामेंट में होना चाहिये—यह मैं ताकत के साथ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि संविधान की दफा 105 क्या है, मैं उसको पढ़ना नहीं चाहता हूं। इसलिये मैं "मैज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस" का पहले हवाला देता हूं—मेम्बरों को हाउस

आफ कामन्ज क्या सजा दे सकता है—यह पेज 128 है और 18वां एडीशन है इसमें यह कहा गया है—

"The purpose of expulsion is not so much disciplinary as remedial, not so much to punish Members as to rid the House of persons who are unfit for membership. ...."

मैं इसको अधोलिखित करना चाहता हूँ—

"It may justly be regarded as an example of the House's power to regulate its own constitution. But it is more convenient to treat it among the methods of punishment at the disposal of the House."

किस-किस बिना पर सदस्यों को निकाला जाता है—उसकी सूची दे रहा हूँ—

Members have been expelled as being in open rebellion; as having been guilty of forgery.......

अब तुलमोहन राम ने फोर्जरी तो की है—आन देअर ओन एडमीशन—अब अगर सी.बी.आई. की रिपोर्ट में विश्वास नहीं है तो मैं चाहूंगा कि पार्लियामेन्ट की प्रिवलेज कमेटी हैण्डराइटिंग एक्सपर्ट को बुलाकर अपना निर्णय कर सकती है। फोर्जरी का केस बाहर चले और हमारा केस यहां अलग चले। दूसरी बात—

"Of perjury; of frauds and breaches of trust; of misappropriation of public money; of conspiracy to defraud; of fraudulent conversion of property; of corruption in the administration of justice, or in public officers, or in the execution of their duties as Members of the House; of conduct unbecoming the character of an officer and a gentleman; and of contempts, libels and other offences committed against the House itself."

अध्यक्ष महोदय, इसमें कई बिना पर यह कार्यवाही की जा सकती है। जहां तक 'मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस' का संबंध है, इस तरह के इसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे लेकिन इस समय मैं अपनी सभा की ओर आ रहा हूं। मैं केवल दो उदाहरण आपके सामने रखूंगा—एक तो मुद्‌गल का केस है। अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो पार्लियामेंट को प्रभावित करने के लिये और सरकार को प्रभावित करने के लिये उन्होंने स्टाक-एक्सचेंज से पैसा लिया था। इन्होंने भी पब्लिक सर्वेन्ट्स और सरकार की लाइसेंसिंग पालिसी और निर्णयों को प्रभावित करने के लिये पैसा लिया है—ऐसा आरोप है। इसलिये, अध्यक्ष महोदय मुद्‌गल केस और इस केस में बहुत हद तक साम्य है। मुद्‌गल के खिलाफ बाद में न्यायालय में कोई कानूनी कार्यवाही हुई या नहीं—मैं नहीं जानता, लेकिन उससे मेरा संबंध भी नहीं है, वह हुई है या नहीं हुई है—यह देखना सरकार का काम है। वैसे सरकार हमेशा ही ऐसा करती है—कानूनगो के बारे में पर्जरी का केस आया, पर्जरी साबित होने के बाद भी सरकार सो गई—कोई कार्यवाही नहीं हुई। आप हम को कहते हैं कि लॉ-मस्ट-टेक-इट्स-ओन कोर्स लेकिन यह सरकार तो इसी तरह से मजाक करती आ रही है। जब चाहते

हैं मामले को सब-ज्युडिस बना देते हैं और जब इन को सूट नहीं करता है तो उसको लटकाये रखते हैं।

अब आप दूसरे केस को लीजिये—यह एस.सी. मुखर्जी का मामला है। इसके बारे में सदन ने यह प्रस्ताव पास किया था:—

"That this House having considered the Twelfth Report of the Committee of Privileges presented to the House on 24th November, 1970 in which Shri S.C. Mukerjee, the then Deputy Iron and Steel Controller has been held to have deliberately misrepresented facts and given false evidence before the Committee on Public Accounts and committed contempt of the House, do resolve that he be summoned before the Bar of the House and reprimanded and the House do further recommend that the Government, in the light of the gravity of the offence, administer to Shri S.C. Mukerjee the maximum punishment under the law and report the same to the House."

अब आखिरी जो हिस्सा है उसके बारे में बाद में झंझट हुआ। उसी समय मैंने आर्ग्यूमेंट दिया था कि आपने फाइंडिंग किया है वह अपराधी है तो सजा आप दीजिये। आप सरकार पर क्यों छोड़ते हैं? और मैंने कहा था कि सात दिन की जेल की सजा दीजिये। तो उस समय आपने फाइंडिंग दिया और सरकार को कहा कि कड़ी सजा दें। और बाद में तरह-तरह के झंझट हुए, स्वर्गीय कुमार मंगलम आये और बोले कि अटार्नी जनरल की यह राय है। तो मैं इसका उदाहरण इसलिये दे रहा हूं कि एस.डी. मुकर्जी के खिलाफ बाद में पर्जरी का केस चल सकता है। आपने नहीं चलाया। तो मैं हजारों उदाहरण दे सकता हूं कि जब चला सकते थे नहीं चलाया, और चला कर लटका कर रखा। और इस केस में वही सादरी वाली टेक्टिक्स आप अपनाना चाहते हैं।

तुलमोहन राम आपको अंग्रेजी में पत्र लिखता है, जबकि यहां दर्जनों पत्रकारों के सामने उन्होंने कहा है कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता तो यह ड्राफ्ट किसका है? क्या श्री ललित नारायण मिश्र का ड्राफ्ट है?

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, चूंकि तुलमोहन राम की और उनकी दोस्ती है और चार्जशीट में और इन्वेस्टीगेशन रिपोर्ट में यह आशा है कि ललित नारायण के पिता जी के लिये स्कूल बनाने के लिये 50,000 रु. मांगा गया था, उस समय माननीय वाजपेयी जी बोल रहे थे तो यह लोग अड़ंगा डाल रहे थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि तुलमोहन राम अंग्रेजी नहीं जानता उसको ड्राफ्ट किसने लिख कर दिया? अटार्नी जनरल ने दिया? माननीय एच.आर. गोखले ने दिया या माननीय ललित नारायण मिश्र के किसी वकील ने दिया?

अध्यक्ष महोदय, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं। मैंने इकट्ठा अपनी बातें कहीं हैं, लेकिन आप मेरे एक-एक पाईंट के ऊपर निर्णय दीजिये कि क्या माननीय ब्रह्मानन्द रेड्डी ने

गृह मंत्री के नाते जो आश्वासन दिया था उसका उल्लंघन करके सदन का अपमान किया है कि नहीं? जब उन्होंने यह कहा कि अफसरों का कोई कसूर नहीं है। यह झूठ और गलत बात कहकर सदन को उन्होंने गुमराह किया है या नहीं। Telling a deliberate lie; यह एक अलग आफेंस है। मामला एक है, लेकिन आफेंसेज कई बन रहे हैं। यह तो हुआ माननीय ब्रह्मानन्द रेड्डी के बारे में।

माननीय गोखले का जुर्म तो बहुत ही गम्भीर है। आप लॉ मिनिस्टर हैं और आप इस सदन को आश्वासन देते हैं। फिर एक दफा अध्यक्ष महोदय, इनके आश्वासन को देखा जाये:

> "Please refer to my remarks. I have said at that time that we shall take the House into confidence after the investigation report was available. After the results of investigation are available, we shall take the House into confidence. The whole matter is open to the House to consider at that time."

बहुत ही स्पष्ट और साफ आश्वासन हैं। इसलिये इनके बारे में तो आप को निर्णय देना ही है।

और हमारे मित्र वाणिज्य मंत्री के चेहरे से पता चलता है कि यह बहुत ही निष्पाप और इन्नोसेंट आदमी हैं। लेकिन इनका कर्म भी ऐसा होता?

*** *** ***

दोनों ने मिलकर किया है। इनका कर्म भी इसी तरह मालूम होता तो आज प्रो. चट्टोपाध्याय को यहां मैं बधाई देने के लिये खड़ा होता। उनके खिलाफ प्रिवलेज मोशन नहीं लाता। लेकिन उन्होंने भी कदम-कदम पर सदन को गलत जानकारी दी है। जब मैंने पूछा क्या यह एक्स ग्रेशिया लाइसेंस है? एस्टेबलिस्ड इम्पोर्टर्स लाइसेंस या एक्स ग्रेशिया लाइसेंस? आज शाम को बहस है। कैसे इसका मेल बैठता है। एस्टेबलिस्ड इम्पोर्टर्स लाइसेंस ऐडहाक लाइसेंस है, यह भी आप ने एडमिट किया है:

Not for the future; not qualified for quota, NQQ.

आपको पता ही नहीं था लाइसेंस की शब्दावली शायद मुझको मालूम हो जाये। लेकिन आप का यह दुर्भाग्य है कि मुझे मालूम हुआ और आप को 9 तारीख को यह सब कबूल करना पड़ा। इसलिये इन्होंने जो आर्डर पास किये यह आर्डर उनके मंत्रालय के अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद, उनकी रिपोर्ट के आधार पर जारी किये गये। उन्होंने एडमिट किया है मेरे एक पत्र के उत्तर में कि आन दी स्पोट स्टडी करने के लिये अफसरों को भेजा था। उनकी रिपोर्ट आप क्यों नहीं सदन के सामने रखते हैं? सदन को जो करने दीजिये कि जस्टिस और इक्विटी हैं या नहीं, या उसमें घपला है। बहुत सारी फर्म बोगस हैं, उनका कोई व्यापार नहीं था। इम्पोर्टर्स यह थे नहीं कई साल से, 17, 18 साल से और यह लाइसेंस देने के बाद भी माल मंगवाने की स्थिति में नहीं थे। इसीलिये घर-घर घूम कर यह बेचने का प्रयास करते थे। इसलिये यह भी दोषी हैं।

अन्त में श्री तुलमोहन राम, जिनका पत्र पढ़कर सुनाया, यह और एक बड़ा अपराध कर रहे हैं। एक ओर अखबार वालों को कह रहे हैं कि मैं अंग्रेजी नहीं जानता और दूसरी ओर बड़ी शैलीदार अंग्रेजी में आपको पत्र लिखते हैं। यह बात सही है कि श्री तुलमोहन राम तो बलि का बकरा है। इनके पीछे जो आदमी है उसको मैं पकड़ना चाहता हूं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मिसडेमनर का मामला है। मामला प्रिविलेज कमेटी में एक-एक का जाना चाहिये, अलग-अलग जाना चाहिये और प्रिविलेज कमेटी को सारी चीजों का अध्ययन करके अपेंडेक्स वगैरह लेकर उनका भी बुलाया जाए, तुलमोहन राम को भी सुना जाये, और कमेटी अपना निर्णय इंडिपेंडेंटली करे। मैं फिर कहता हूं कि अदालत जहन्नुम में जाये, उससे हमें मतलब नहीं है। लॉ आफ पार्लियामेंट के तहत हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिये।

*** *** ***

*अध्यक्ष महोदय, मैं इकट्ठे अपनी बात कहूंगा। सारे प्वाइंट्स आफ आर्डर के बारे में इसलिये बीच में मुझे न टोकिये। इस समय मैं प्रोसीजर के सवाल पर हूँ कि हम कहां तक आये। जो चार प्रिवलेज के नोटिस दिये गये थे उस पर आपने हमारी प्रीलिमनरी बातें सुनीं। उसके बाद मंत्रियों को मौका दिया। इसके दौरान दो प्रश्न उठे। एक सी.बी.आई. की रिपोर्ट के बारे में और इन मंत्रियों ने जो ध्यान दिये उसके बारे में। आपको आगे क्या करना चाहिये, दो प्रश्नों के ऊपर मैं आपका स्पष्ट निर्णय चाहता हूं।

कल आपने कहा कि सबज्यूडिस वाले मामले में मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहता। लेकिन मैं अदब से अर्ज करना चाहता हूँ कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट को सदन के सामने रखने की जो मांग की गई है वह व्यापक सदन की मानहानि का जो सवाल है उसके संदर्भ में की गई है। तो सबसे पहली बात तो मैं यह बार-बार कहना चाहूंगा कि सबज्यूडिस का सवाल प्रिविलेज के मामले में बिल्कुल नहीं आ सकता है। अध्यक्ष महोदय प्रिविलेज का सवाल उठता है आर्टिकल 105(3) के तहत और आपके जो रूल हैं उसके नियम 118 के तहत। अब कांस्टीट्यूशन खोले बिना काम नहीं चलेगा।

आर्टिकल 105(3) इस प्रकार है:

> "In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law."

ऐसा कोई कानून आज नहीं है।

> "and until so defined, shall be those of the House of Commons of the Parliament of the United Kingdom and of its members and committees, at the commencement of this Constitution."

केवल हमको इतना ही स्पष्ट करना है कि 26 जनवरी, 1950 को हाउस आफ कामन्स के सबज्युडिस के बारे में क्या अधिकार हैं, और वह बन्धनकारक हैं आपके लिये, आप उससे अलग नहीं हो सकते क्योंकि हमारे और सदन के अधिकारों का सवाल है।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 26 नवम्बर 1974.

शकधर की किताब में यह लिखा हुआ है:

The following observations have been made on the *sub judice* rule in regard to privilege questions.

यह कोटेशन में है। यह माननीय ब्रह्मानन्द रेड्डी की तरह का कोटेशन नहीं है:

"So far as privilege matters are concerned, a Legislature is the sole judge of its privileges and the rules of *sub judice* does not apply."

यह एक मिनट में मामला आप खत्म कर सकते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं, खेद के साथ, कि आपके ऊपर जो दायित्व इस संविधान ने और हमारे नियमों ने डाला है उस दायित्व को आप सोचते हैं कि न निभायें और समझौते के और सरकार के सौजन्य से यह मामला हल हो जाये।

*** *** ***

यही कहा, आपने सरकार पर छोड़ दिया। मैं कहना चाहता हूं कि आपको अपने दायित्व को निभाना है।

अध्यक्ष महोदय, क्या कहा गया है:

"The Committee of Presiding Officers.............

आप बार-बार उसका हवाला देते हैं। जो आर्टिकल 105 में दिया गया है:

"The Committee of Presiding Officers has considered the scope of the rule of *sub judice* and recommended the following guidelines:

(1) Freedom of speech is a primary right whereas the rule of *sub judice* is a self-imposed restriction."

प्राइमरी राइट जो संविधान से निकलता है। और सुविधा के लिये हम लोग अपने ऊपर जो बन्धन या रोक लगाते हैं उनमें श्रेष्ठ कौन-सा है उसका फैसला करने में एक मिनट नहीं लगना चाहिये।

"(2) The rule of *sub judice* has no application in privilege matters."

अब मेरा व्यवस्था का सवाल यह है, माननीय ब्रह्मानन्द रेड्डी को हमने सुना मैं कोटेशन से आप का समय नहीं लेना चाहता लेकिन उन्होंने घुमाफिराकर बात क्या कही कि सी.बी.आई. की रिपोर्ट एक नहीं है। यह तो माननीय चट्टोपाध्याय के पत्र से ही स्पष्ट होता है interim reports mainly from the CBI कि सी.बी.आई. की ही रिपोर्ट नहीं है और एजेन्सीज की रिपोर्ट भी इस बारे में है। तो घुमाफिराकर क्या तर्क दिया गया कि अगर यह सदन की मेज पर रखी जायेगी तो अदालत की प्रोसीडिंग्स ज्युडिस हो जायेंगी। और यह तर्क दिया 18 तारीख को, और यही तर्क 14 तारीख को तुलमोहन राम ने दिया। इसका स्रोत एक ही है। क्या माननीय ब्रह्मानन्द रेड्डी, क्या तुलमोहन राम और क्या माननीय एच.आर. गोखले, सभी सबज्यूडिस का आधार ले रहे हैं। तो इसका स्रोत है प्राइम मिनिस्टर के ब्रेन का। तुलमोहन राम का लेटर भी उसी से निकला। अब

आपको इस बात पर निर्णय देना है एक और सब-ज्युडिस वास्तव में हाउस आफ कामन्स में तो दूसरा ही रिवाज है....

*** *** ***

मैं दूसरे पहलू पर आ रहा हूं।

*** *** ***

...प्रिविलेजिज के मामले में लोक सभा के अधिकार किसी भी अदालत से, सुप्रीम कोर्ट से भी अलग और श्रेष्ठ हैं। मामला सदन में पैंडिंग है। सब-ज्युडिस का आखिरकार मतलब क्या है under consideration of the court. यह पार्लियामेंट भी प्रिविलेजिज के मामले में सर्वोच्च कोर्ट है।

The matter is pending in the House which means under consideration of Parliament.

इसके बारे में पृष्ठ 226 पर इन्होंने कहा है:

> "Comments outside the House on matters which are pending the decision of the Speaker or a Committee of the House or even in the House may also amount to a contempt of the House on the grounds of an affront to the dignity of the House in attempting to influence its decision or pre-judging an issue."

इसका मतलब है कि जिस तरह कोर्ट में मामला चल रहा है बाहर कोई उसकी चर्चा करेगा तो कोर्ट कहती है:

It is an affront to our dignity. This is an attempt to pre-judge and pre-judice the pending case.

उसी तरह जब:

Parliament is seized of the privilege matter.

अगर बाहर की कोई भी अथोरिटी जैसे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट हो कोई एक्शन हो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का या कुछ और हो कान्स्टीट्यूशन से सुपीरियर नहीं है। 105 आर्टिकल के सामने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की जो धाराएं हैं जिनको इन्होंने साइट किया है सबको झुकना है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कोई चीज नहीं है जब मामला पार्लियामेंट के विचाराधीन है, सब-ज्युडिस वगैरह कोई मामला नहीं आता है। मैं आपका सदन की मानहानि के सवाल के ऊपर में स्पष्ट निर्देश चाहता हूं। निर्णय करने के लिए सी.बी.आई. की और अन्य एजेंसियों की सभी रिपोर्टें सदन के सामने रखना जरूरी हैं इससे आप निकल नहीं सकते हैं।

प्रो. चट्टोपाध्याय के बयान के बारे में प्वाइन्ट ऑफ आर्डर का मेरा अंतिम मुद्दा है। इन्होंने अपने भाषण के दौरान कहा आप इनके बयान को देख लें—

*** *** ***

...क्योंकि प्रो. चट्टोपाध्याय का बयान मेरे पास है ही नहीं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि सी.बी.आई. की कोई रिपोर्ट नहीं है, केवल सी.बी.आई. का कामर्स मिनिस्ट्री के नाम से एक पत्र है। अभी कहा है। हाउस के सामने यह गलत बयानी हो रही है आपके सामने हो रही है। आपको मैंने दो बार यह पत्र पढ़ कर सुनाया था जिसमें उन्होंने कहा था—ये उनके शब्द हैं:—

> "Certain consequential action had to be taken on receipt of the interim reports mainly from the CBI."

अब क्या रिपोर्ट नहीं है पत्र हैं? रिपोर्ट को गायब कर दिया है इन्होंने, आपके सामने यह सब हो रहा है। दूसरी बात है मेनली फ्राम दी सी.बी.आई.। इसका मतलब है अदर इनवैस्टीगेटिंग एजेंसीज की रिपोर्टस का जिक्र तक नहीं करते हैं जिन्होंने इन्डो-बांग्लादेश ट्रेडिंग कारपोरेशन के ऊपर छापा मारा इन रिपोर्टस का ये जिक्र तक नहीं करते हैं। सदन को जानबूझकर गुमराह कर रहे हैं। इसलिए आप हमारे प्रिविलेज मोशन को ले लें और सी.बी.आई. रिपोर्टस के बारे में स्पष्ट निर्णय दें।

£अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह बात सही है कि मैं एक मामूली आदमी हूं इसलिए मेरी दरख्वास्त पर सत्तारूढ़ दल को गौर करना ही चाहिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं। कल मैंने आपको विनती की थी कि प्रिविलेज की बहस को कल तक के लिए स्थगित कर दिया जाए। अगर उन्होंने मेरी इस विनती को नहीं माना है, तो मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन कम से कम दो मिनट के लिए इसके बारे में मेरी बात सुन लीजिए। अगर कल मैं इस सदन में होता, तो आप मुझे नहीं रोकते, मुझे बोलने देते। मैंने आप को पत्र लिखा था। दूसरों की सुविधा देखी जाए और मेरी सुविधा बिल्कुल न देखी जाए, यह ठीक बात नहीं है। मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं। दो मिनट के लिए मुझे सुनिये।

*** *** ***

यह पाइंट ऑफ आर्डर है। आप मुझे इजाजत देंगे, तो मैं सबमिशन करूंगा। मैं एक पेंडिंग मैटर के बारे में सबमिशन करना चाहता हूं।

*** *** ***

मैं एक मामूली आदमी हूं। मेरी कोई ओपीनियन नहीं है। लेकिन मेरे भी अधिकार हैं।

*** *** ***

£ *लोक सभा वाद-विवाद*, 28 नवम्बर 1974.

क्या प्राइम मिनिस्टर और श्री रघुरामैय्या के नाम उनमें थे? उन्होंने क्यों इंटरवीन किया? मैं एक मामूली आदमी हूं, लेकिन इस सदन में मेरे अधिकार श्रीमती इंदिरा गांधी से कम नहीं हैं।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बार-बार मुझे टोकते हैं और इतना टोकते हैं इसलिए गुस्सा आना स्वाभाविक है। अगर ये बार-बार नहीं टोकें तो आप जानते हैं कि मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपनी बात करता हूं। मैं केवल तीन प्रार्थना करना चाहता हूं।

कल अटल जी ने सवाल उठाया था कि क्या उमाशंकर दीक्षित जी का वक्तव्य लाइयेगा? उस पर श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा:

> "We do not see what you are going to examine because the privilege motion is against the Home Minister; the Home Minister continues; the persons may change but the Home Minister continues. That is why he is dealing with the question."

मुझे पता नहीं उनको कौन उपदेश देता है। अब मामला और गहराई में जा रहा है। संविधान की धारा 75 के अंतर्गत कलेक्टिव रेस्पांसिबिलिटी होती है। आज उमाशंकर दीक्षित गृह मंत्री नहीं हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद् के सदस्य आज भी हैं। अगर वह अपने द्वारा मंत्रिमंडल की ओर से दिए गए अभिवचन को पूरा नहीं कर सकते हैं तो उमाशंकर दीक्षित को इस सदन के सामने आना चाहिए कि मैं लाचार हूं, मैं मंत्रिमंडल से हट रहा हूं, तो हम लोग उनके खिलाफ मामला नहीं उठाएंगे अगर इस प्रश्न पर वह इस्तीफा देंगे कि मैं लाचार हूं मैं वचन को पूरा नहीं करवा सकता, मैं हट रहा हूं। फिर उसके बाद मामला सरकार के प्रमुख के खिलाफ, प्रधान मंत्री के खिलाफ चलेगा। आप बहुत गहराई में जा रहे हैं, मैं केवल चेतावनी दे रहा हूं आपको।

दूसरी प्रार्थना यह है कि जब यह सवाल उठा कि दूसरे सदन के जो सदस्य हैं उनके खिलाफ अगर प्रिविलेज का मामला इस समय उठता है तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, आप रूलिंग दीजिए लेकिन शकधर की किताब के पृष्ठ 263 के ऊपर इसके बारे में प्रक्रिया दी गई है। जो दोनों सदनों का कमेटी बैठा था उस कमेटी ने निर्णय किया है और लोक सभा ने उसको ताईद की है। मैं एक ही अनुच्छेद उसका पढ़ूंगा:

> "Accordingly, when a question of breach of privilege or contempt of the House is raised in either House in which a member, officer or servant of the House is involved, the procedure followed is that the Presiding Officer of the House in which the question of privilege is raised, refers the case to the Presiding Officer of the other House, only if he is satisfied on hearing the member who raises the question or on persuing any document where the complaint is based on a document, that a breach of privilege has been committed. Upon the case being so referred, it is the duty of the Presiding Officer of the other House to deal with the matter in the same way as if it were a case of breach of privilege of that House or of a member thereof."

तो अपने निर्णय के बाद अगर आप इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि श्री उमाशंकर दीक्षित ने इस सदन का अपमान किया है तो राज्य सभा के अध्यक्ष को इस बात को वहां पर उठाना पड़ेगा। और राज्य सभा के सभी सदस्यों को हमारे अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी।

दूसरी बात यह है कि उमाशंकर दीक्षित जी ने जो वचन दिया अगर वह सरकार की ओर से दिया है तो उमाशंकर दीक्षित जी को सफाई नहीं देनी है, तब हमको प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार का सवाल उठाने की इजाज़त दीजिए क्योंकि मंत्रियों के द्वारा जो वक्तव्य दिये जाते हैं उसकी अंतिम जिम्मेदारी प्रधान मंत्री की है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि तुलमोहन राम का सवाल आया। अगर ये बिल्कुल चुप्पी साधते, कोई सफाई नहीं देते तो कोई बात नहीं थी। लेकिन उन्होंने दो सत्रों के बीच में पत्रकारों के सामने असत्य वचन कहे हैं और जो चार्जशीट आई है जिसकी कापी लाइब्रेरी में रखी गई है उस चार्जशीट से बिल्कुल प्राइमाफेसी केस बन जाता है कि उनका जो वक्तव्य था पत्रकारों के सामने वह सरासर गलत और झूठा था। ऐसी हालत में आप तुलमोहन राम से कहिये कि वह सफाई देने आएं और वह नहीं आते हैं तो फिर इसका यह निष्कर्ष निकलेगा कि तुलमोहन राम हमारे इल्जामों को कबूल करते हैं, प्राइमाफेसी केस बन जाता है, उनका मामला प्रिविलेज कमेटी के सामने जाये और या तो उमाशंकर दीक्षित जी यहां आएं या प्रधान मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार का मामला चले।

*** *** ***

[£]अध्यक्ष महोदय, इस बहस में कुछ सिद्धांतों और कुछ तथ्यों के सवाल उठे थे। सिद्धांतों के चार सवाल उठे थे, जिनमें से दो का आपने निर्णय दे दिया है। एक सवाल यह था कि एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज की सीमा क्या है और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की सीमा क्या है इसका निर्णय हो गया। सी.बी.आई. के सभी दस्तावेजों का तो नहीं, लेकिन सरकारी दस्तावेजों को हमको देखने का मौका मिला।

दूसरा सवाल था—अदालत का कार्यक्षेत्र और पार्लियामेंट का कार्य-क्षेत्र—दोनों में जो टकराव और संघर्ष है—उसका क्या होगा? उसका आपने निर्णय दिया कि जहां सदस्यों के दुराचरण का सवाल आता है, मिस-कन्डक्ट का सवाल आता है—उसमें अदालत की ज्युरिसडिक्शन का सवाल नहीं है।

तो इन दो सिद्धांतों का फैसला हो चुका है, दो सिद्धान्त अभी बाकी हैं। एक—एक्जिक्यूटिव गवर्नमेंट के अन्दर, कार्यपालिका के अन्दर मंत्री और अफसर, सिविल सर्वेन्टस और मिनिस्टर—उनका क्या रिश्ता होना चाहिए। यह पूरा सवाल इसमें उठा है और सभी दस्तावेजों को देखने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी को इस प्रश्न के बारे में अन्तिम फैसला करना ही चाहिए, वरना अराजकता पैदा होनी वाली है।

चौथा सवाल—लोक प्रतिनिधि यानी लेजिस्लेटर्स का नौकरशाही और मंत्रियों के साथ और सरकार के साथ क्या रिश्ता हो—यह भी एक विवाद का विषय है और पार्लियामेंटरी कमेटी को

[£] *लोक सभा वाद-विवाद*, 20 दिसम्बर 1974.

इसके बारे में भी मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करने चाहिएं। इसलिए दो सैद्धान्तिक प्रश्नों का फैसला हो चुका है और दो प्रश्न अभी बाकी हैं—इसीलिए हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग है।

अब जहां तक तथ्यों का सवाल है—आपने स्वयं अपने फैसले में कहा है कि जो विवादास्पद सवाल है—जैसे इम्प्रोप्राइटी का सवाल है, मिसकन्डक्ट का सवाल है—इनके ऊपर यह सदन बहस भी कर सकता है और जांच भी कर सकता है। जांच के बारे में आपने यह कहा कि मैं अपने अधिकार से यह मामला किसी कमेटी के पास नहीं भेज सकता हूं, मुझे सभा का, सदन का आदेश चाहिए। इसीलिए, अध्यक्ष महोदय, जब आप इसमें तटस्थ बन जाते हैं तो मामला विरोध पक्ष और सरकार के बीच में रह जाता है। अभी दो सुझाव इस सदन के सामने आये—एक—हम लोगों की ओर से मोरारजी भाई ने रखा कि पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग को सरकार स्वीकार करे और आज ही घोषणा करे, फिर आगे बहस की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्म्ज आफ रेफ्रेन्स वगैरह मेरी राय में मामूली सवाल हैं, इस पर विवाद की गुंजाइश नहीं है।

दूसरा सुझाव आया—श्री इन्द्रजीत गुप्त का, उन्होंने कहा कि सरकार सिद्धान्ततः इसको मान ले, कमेटी के गठन का मामला इस सत्र की समाप्ति के बाद तय किया जाए, 10 दिन में, 5 दिन में, दो दिन में।.....

*** *** ***

फर्क यही है—इन दोनों प्रस्तावों में। मोरारजी भाई और हम लोग चाहते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी के गठन का फैसला आज ही हो, यह सत्र समाप्त होने के पहले हो और श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी कहा है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बने, लेकिन वे कहते हैं कि बाद में इसके ऊपर स्पीकर महोदय के साथ बात करके तय किया जा सकता है।

*** *** ***

यह बात सही है कि कुछ सदस्यों ने सभी कागजात अभी नहीं पढ़े हैं। मोरारजी भाई ने स्वयं नहीं पढ़े हैं, क्योंकि वे कल ही आये हैं। लेकिन हम लोगों ने सीज्ड-डाक्यूमेंट्स की फाइल और सी.बी.आई. की रिपोर्ट को गौर से पढ़ा है। जिन मामलों पर बारबार चर्चा हुई है और जितने तथ्य और विवादास्पद प्रश्न उठे थे—मुझे जो नई जानकारी मिली है उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन चार्जशीट के आधार पर विवादास्पद प्रश्न उठे थे, इसलिए मैं कोई सीक्रेसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, चार्जशीट के आधार पर बोल रहा हूँ—श्याम नन्दन बाबू ने जो 23 अगस्त 1972 की नोटिंग का सवाल उठाया था और दूसरा सवाल उठा था—ज्वाइन्ट चीफ कन्ट्रोलर श्री के.एन.आर. पिल्लै, डिप्टी चीफ कन्ट्रोलर रामन, इन लोगों को पाण्डिचेरी किस लिए भेजा था। हम लोगों ने यह कहा था कि उनको इसलिए भेजा गया था कि जांच करके रि-ओपनिंग के लिए केस बनायें। इस पर श्री ललित नारायण मिश्र ने कहा—नहीं, एक फाइल गायब थी, उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए उनको भेजा था—यह विवाद का विषय है। अब हम क्यों पार्लियामेंट्री कमेटी चाहते हैं? इन दस्तावेजों के आधार पर हमारी राय में इन प्रश्नों पर काफी रोशनी पड़ती है। अब क्या रोशनी पड़ती है—यह कहने के लिए मैं फ्री नहीं हूँ।

तीसरा सवाल यह उठा कि क्या एन.के. सिंह ने वास्तव में यह हिदायत दी थी कि केस अदालत से वापस लिया जाए, विदड्रा किया जाए, यह भी विवाद का विषय है।

चौथा विवाद का विषय है, क्या श्री एन.के. सिंह ने तुलमोहन राम को यह कहा था कि 21 सदस्यों के हस्ताक्षर का मुझे नया मेमोरेन्डम चाहिए। काहे के लिए? यह चार्जशीट में है—

"to strengthen the hands of the minister in the reopening of the case".

यह भी विवाद का विषय है।

पांचवां विषय है—5 फरवरी 1973 को जो नोटिंग है श्री एन.के. सिंह का 5 फरवरी 1973 का नोटिंग जो चार्ज शीट में कोट किया गया है—उसके बारे में भी विवाद है। सी.बी.आई. रिपोर्ट में 5 फरवरी की घटनाएं विस्तार में दी गयी हैं।

मेरी राय में और विरोध पक्ष के सभी सदस्यों की राय में ये पांच विवादास्पद विषय हैं जो इस सदन में उठाये गए थे। इन सबके ऊपर एक नई रोशनी, एक नया प्रकाश, नए सुबूत, नये एविडेन्स जरूर मिले हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आपके पास जितना नैतिक बल है, नैतिक शक्ति है, उसका इस्तेमाल कर के आज ही सदन में पार्लियामेंट्री कमेटी की घोषणा करवाइये। उसके बाद इस बात पर और ज्यादा विवाद बढ़ाने और लम्बा खींचने की हमें जरूरत नहीं है।

लोकान्मुख टैक्सटाइल नीति की आवश्यकता*£

उपाध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अहम विषय है और इसके सभी पहलुओं पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसी मेरी राय है। एक सिद्धांत के तौर पर मैं अध्यादेश के द्वारा कानून पास करने का विरोधी हूं क्योंकि उसका नतीजा यह होता है कि जल्दबाजी में आपको विधेयक के द्वारा जो संसद का सत्र होता है उसमें पास करना पड़ता है। नतीजा यह होता है कि आप किसी सैलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी के पास उसको नहीं भेज सकते, और अनुभव यह है कि जब कोई विधेयक सलेक्ट कमेटी या पार्लियामेंटरी ज्वाइंट कमेटी में जाता है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि वह पूर्णत: दोषमुक्त हो जाता है, लेकिन मेरी राय में वह ज्यादा अच्छा बिल हो जाता है। तो इसलिए मैं इसका विरोधी हूं। लेकिन इस आर्डिनेंस का जो आशय है कि अब तक जो सूती मिलें संचालकों के द्वारा ठीक से नहीं चलाई गई जिसकी वजह से वह बन्द हो गई उन मिलों को हाथ में लेकर अब राष्ट्रीयकरण करने का जहां तक आशय है उससे मैं सहमत हूं। मेरी यह राय है कि यह जो 103 मिलें हैं, आज कुछ राज्यों के कारपोरेशन के तहत हैं और कुछ राष्ट्रीय कारपोरेशन के तहत हैं। मेरी राय में सूती मिलों को आप राष्ट्रीय कारपोरेशन के तहत दीजिए। लेकिन चूंकि मैं राज्यों की स्वायत्तता का हमेशा समर्थक हूं। मैं चाहूंगा कि जिन राज्यों में यह मिलें अधिक संख्या में हैं उन राज्यों के प्रतिनिधि आप बोर्ड आफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट में ले लीजिए। दूसरी बात यह है कि आप रीजनल बोर्डस भी विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत के आधार पर बनाइये और उसमें राज्यों को अधिक प्रतिनिधित्व दीजिए। ऐसा मैं क्यों सुझाव दे रहा हूं? क्योंकि एक कारपोरेशन के तहत यह सारी मिलें यदि आ जायेंगी तो पूरे देश की जो टैक्सटाइल पालिसी है उसको ठीक दिशा में आप प्रभावित कर सकेंगे। वरना राज्यों के बीच में अलग-अलग अगर नीतियां चलेंगी तो उसमें संघर्ष टकराव उत्पन्न हो सकता है।

तीसरी बात यह है कि यह जो 103 मिलों का आप राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं इसमें लूमेज, स्पिन्डलेज और मजदूरों की संख्या कुल टैक्सटाइल इन्डस्ट्री में जितना लूमेज है, स्पिन्डलेज और मजदूर हैं, उसका 18 और 22 प्रतिशत के बीच में आप राष्ट्रीयकरण के द्वारा सरकार के नियंत्रण में ले रहे हैं। तो ऐसी हालत में इस बिल को एक लीवर के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए एक मुकम्मल लोकान्मुख टैक्सटाइल नीति को चलाने के लिए।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हमारी टैक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़े की कितनी वैराइटीज मिलों द्वारा पैदा की जाती हैं? लगभग 4,300 प्रकार। तो मेरा मुद्दा यह है कि क्या इतनी

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 25 नवम्बर 1974.

£ संवैधानिक संकल्प और रुग्ण टैक्सटाइल्स कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण) एवं अध्यादेश (राष्ट्रीयकरण) विधेयक, 1974 पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए।

वैराइटीज की जरूरत है देश को? इसलिए बहुत बड़े पैमाने पर इन प्रकारों की संख्या को घटा कर कुछ स्टैन्डर्डाइज्ड वैराइटीज इन लोगों को पैदा करने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

एक दूसरी विचित्र बात यह है कि यह 103 मिलें अब उद्योग मंत्रालय के तहत आयेंगी। लेकिन जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं वह व्यापार मंत्रालय के तहत आयेंगी। यह सब मनुभाई शाह का चक्कर था, वह पावर ग्रेटर थे और अपना साम्राज्य फैलाते-फैलाते वह उद्योग के क्षेत्र में भी आक्रमण करने लगे थे। मेरी राय है कि पूरी टैक्सटाइल मिलों को एक ही मंत्रालय के तहत रखना चाहिए, चाहे उद्योग मंत्रालय हो या व्यापार मंत्रालय हो। मेरी राय में उद्योग मंत्रालय में इन को आना चाहिए। व्यापार मंत्रालय में मनुभाई शाह ने इसलिए खींचा था निर्यात के लिए। लेकिन कुल उत्पादन का कितना अंश निर्यात करती है यह मिलें? अधिकतर टैक्सटाइल इंडस्ट्री गरीब जनता को कपड़ा दिलाने के लिए हैं। इसलिए पूरी काटन टैक्सटाइल इंडस्ट्री को उद्योग मंत्रालय के तहत लाना चाहिए। आप भी जरा इस बारे में प्रधान मंत्री से बात कीजिए।

टैक्सटाइल मिलों द्वारा जनता की जो सेवा की गई है उसके बारे में जरा स्थिति को देखिये। खेद की बात है इसमें मैं सरकार और टैक्सटाइल इंडस्ट्री दोनों को जिम्मेदार समझता हूं। इस इंडस्ट्री का काम है कि जनता के लिए न्यूनतम कपड़ा तैयार करे। लेकिन खेद की बात है कि 1964 के बाद भी प्रति व्यक्ति कपड़े की उपलब्धि बढ़ने के बजाय घटती चली जा रही है। मैं आंकड़े देता हूं। 1964 में पर कैपिटा अवलेबिलिटी आफ क्लोथ थी 15.22 मीटर्स लेकिन 1973 में गिरकर वह 11.97 मीटर्स हो गई। तो कितनी तरक्की देश की हो रही और साधारण उपभोक्ताओं के लिए आप के राज्य में क्या हो रहा है इस का यह परिचायक है।

दूसरी एक मजेदार बात यह है कि जो हैंडलूम और पावरलूम का क्षेत्र है उसने अपनी जिम्मेदारी को बहुत बढ़िया ढंग से निभाया है और अपनी पैदावार 80 करोड़ मीटर तक बढ़ाई है जबकि 1964 और 1974 के बीच में मिल क्षेत्र जिसमें बड़ी मिलें आती हैं उसने 60 करोड़ मीटर कपड़ा कम बनाने का काम किया है यानी हैंडलूम और पावरलूम का प्रोडक्शन इनक्रीज्ड बाई 80 करोड़ एंड दैट आफ दी आर्गेनाइज्ड मिल सैक्टर डिकलाइंड बाई सिक्सटी करोड़्स। इससे संगठित टैक्सटाइल इंडस्ट्री का जो रोल है उसके ऊपर वृहद् प्रकाश पड़ता है। इस उद्योग पर मैं अभियोग लगाना चाहता हूं कि राष्ट्र के प्रति और जनता के प्रति उनकी जो जिम्मेदारी थी उसको उसने ठीक तरह नहीं निभाया। यह अभियोग इसलिए अधिक गम्भीर हो जाता है कि अगर आप प्रतिशत में देखें तो दस साल पहले 1964 में 60 प्रतिशत कपड़ा मिलों के द्वारा पैदा किया जाता है और अब दस साल के बाद 51 प्रतिशत पैदा किया जाता है और पहले हैंडलूम और पावरलूम सैक्टर के द्वारा 40 प्रतिशत किया जाता था, अब 49 प्रतिशत किया जाता है। इसका मतलब है कि विकेन्द्रित क्षेत्र ने अपने सामाजिक दायित्व को निभाया है और संगठित मिल मालिकों ने अपने सामाजिक कर्त्तव्यों को पूरा नहीं किया है।

एक और क्षेत्र में मिल सैक्टर अपने सामाजिक कर्त्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है और यह सरकार उस पर अपनी जान न्यौछावर कर रही है, उनके सामने अपने आपको समर्पित कर रही है। मैं इसके बारे में आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं जिनसे आपकी आंखें खुलनी चाहिए।

काटन टैक्सटाइल मिलों को 1961 और 1971 के बीच में 885 करोड़ रुपये की रुई लम्बी धागे वगैरह की मंगवाने की छूट मिली। मशीनरी उनके लिए 261 करोड़ की मंगाई गई। रंग रसायन, डाइज़ एंड कैमीकल्ज 240 करोड़ के मंगाये गये, इस तरह कुल मिलाकर 1,386 करोड़ रुपये संगठित मिल उद्योग के लिए विदेशी मुद्रा में सरकार ने खर्च किये। अब उसने विदेशी मुद्रा कमाई कितनी? इस निर्यात के लिए मनुभाई शाह के व्यापार मंत्रालय में यह उद्योग चला गया। उसने विदेशी मुद्रा इसी दौरान 695 करोड़ कमाई। इसका मतलब है कि इनका निर्यात और इनके ऊपर खर्च की गई विदेशी मुद्रा, इनकी कमाई और उनका खर्च इसमें हमारे राष्ट्र को 691 करोड़ खर्च अधिक करना पड़ा। इतनी मेहरबानी सरकार ने संगठित मिल उद्योग पर की है लेकिन क्या इसने कपड़े के दामों को घटाया है और कपड़े के और खास कर नियंत्रित कपड़े के उचित वितरण के बारे में कोई भी कदम आगे बढ़ाया है। सार्वजनिक हित का उन्होंने जरा भी ख्याल नहीं किया और एक माने में उनका जो रिकार्ड है बहुत ही लज्जास्पद है। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि लांग स्टेपल काटन 1970-71 में 109 करोड़ से भी अधिक रुपये की इस उद्योग के लिए मंगाई गई थी 1971-72 में 101 करोड़ से भी अधिक की, और 1972-73 में 64 करोड़ की, इस तरह आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान जैसा गरीब देश सूडान, इजिप्ट, अमरीका आदि देशों से आखिरकार क्यों मंगा रहा है। अमरीका इतना अमीर देश है लेकिन लांग स्टेपल काटन इतनी नहीं मंगाता है, जापान नहीं मंगाता है और जापान जो मंगाता है वह निर्यात के लिए इस्तेमाल करता है। दामानी साहब बैठे हैं इस उद्योग से वह संबंधित हैं। अगर इस बहस में वह हिस्सा लेंगे जिस तरह श्री मौर्य से मैं जवाब चाहता हूं कि सरकार का इसमें क्या रोल रहा है उसी तरह मैं यह भी चाहता हूं कि लांग स्टेपल काटन जो उन्होंने मंगाई वह यह बताएं कि इसमें से कितना कपड़ा आपने निर्यात किया क्या यह सही नहीं है और मैं बराबर अभियोग लगाता रहा हूं कि छः प्रतिशत से लेकर दस प्रतिशत जो काटन है उसका इस्तेमाल निर्यात के लिए किया गया बाकी 90 प्रतिशत से अधिक यह महंगा काटन किनका कपड़ा बनाने के लिए आपने इस्तेमाल की क्या हिन्दुस्तान के जो पचास-साठ लाख बड़े लोग हैं। जो चोर-बाजारी करते हैं। काला धन, स्मगलिंग आदि तरीकों से जो अमीर बने हैं। जो बड़ी-बड़ी हवेलियों में, अट्टालिकाओं में रहते हैं, जिनके फ्लैट बम्बई में पन्द्रह-पन्द्रह लाख रुपये के बनने लगे हैं क्या आपने इन लोगों के वास्ते कपड़ा पहनने के लिए बनाने पर देश की विदेशी मुद्रा को बर्बाद नहीं किया है।

आजकल औद्योगिक संकट की बात चल रही है। लेकिन विगत सालों में संगठित मिलों के जो मुनाफे हैं वे कितने बड़े हैं। मैं कुछ मिलों का जिक्र करना चाहता हूं। विक्टोरिया मिल्ज का मुनाफा दो साल में तीन सौ प्रतिशत बढ़ा है, लक्ष्मी विष्णु का दो सौ प्रतिशत बढ़ा है, कोहिनूर मिल कपाड़िया की है उसका 80 प्रतिशत बढ़ा है, अम्बिका मिल का 75 प्रतिशत बढ़ा है, टाटा मिल का 50 प्रतिशत बढ़ा है, बाम्बे डाइंग का 45 प्रतिशत बढ़ा है और विनोद मिल जो उज्जैन की है उसको तो 62 लाख रुपये का घाटा हुआ था 1971 में लेकिन दो साल ऐसी लूट उसने मचाई कि 1973 में उसने 1 करोड़ 68 लाख रुपये का मुनाफा कमाया, घाटे को एकदम नफे में परिवर्तित कर लिया गया। गरीब जनता को कपड़ा पहनाने के मामले में यह इंडस्ट्री पूर्णतया

असफल हो चुकी है और इन लोगों को अच्छी फटकार पार्लियामेंट से और जनता से मिलनी चाहिए यह मेरी राय है।

अब मैं उस सवाल पर आना चाहता हूं जिसमें साधारण जनता की बहुत दिलचस्पी है कि नियंत्रित कपड़े के बारे में आज तक स्थिति बिल्कुल असंतोषजनक रही है। बार-बार आश्वासन दिया गया है कि साधारण जनता के लिए नियंत्रित कपड़ा आप बनाएंगे, लेकिन हुआ क्या है? 1971 में, मैं मिलों की चर्चा कर रहा हूं, कुल के उत्पादन में 10 प्रतिशत आपने जनता के लिए नियंत्रित कपड़ा बनाया, फिर 1972 में यह 16 प्रतिशत हुआ, 1973 में गिर कर 14 प्रतिशत रह गया। 1 अप्रैल 1974 को आपने घोषणा की कि 80 करोड़ मीटर कम-से-कम कंट्रोल का कपड़ा हम लोग बनाएंगे। यह कुल मिलाकर 20 प्रतिशत हो जाएगा। 80 करोड़ मीटर बनेगा तो 20 प्रतिशत आप कह सकते हैं कि कंट्रोल का कपड़ा होगा। मेरी राय है कि इसको 30-35 प्रतिशत तक बढ़ाना चाहिए। आज क्या हो रहा है पहले एक नियम था कि निर्धारित कोटा अगर कोई मिल पूरा नहीं करेगी तो एक मीटर के पीछे एक रुपया जुर्माने के तौर पर देना पड़ेगा, लेकिन मिलें जो सुपरफाइन और फाइन कपड़ा बना रही थीं खास कर लांग स्टेपल काटन का इस्तेमाल करके उनको चार-पांच रुपये का मुनाफा होता था, मिलें क्या करती थीं? जुर्माना देती थीं और कंट्रोल का कपड़ा बनाने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाती थीं। उनमें कुछ ऐसे लोग भी बेशर्म थे कि कंट्रोल का कपड़ा बनाने के अपने दायित्व को पूरा तो नहीं करते थे लेकिन जो जुर्माना एक रुपया मीटर के हिसाब से पहले था उसमें भी बकाया उनकी तरफ था और उनमें सबसे बड़े कपाड़िया हैं। श्री मौर्य इस मंत्रालय में नये आदमी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि चूंकि कपाड़िया मारूति में बड़े शेयर होल्डर हैं, इसलिए क्या वह उन के सारे पापों पर पर्दा डालेंगे कुल बकाया जुर्माने का 50 प्रतिशत से अधिक कपाड़िया के नाम से है। ये तो समाज विरोधी लोग हैं, और आप लोग उनको रेसपेक्टिबिलिटी दे रहे हैं, क्योंकि मारूति में उनकी दो कम्पनियों स्लाटिड एंगल्ज लिमिटेड और किलिक स्लाटिड मशीन्ज लिमिटेड ने पैसा लगाया है। आपने उनको नैशनल रेयन कार्पोरेशन पर भी कब्जा करने दिया, कोहिनूर मिल बम्बई की एक बड़ी मिल है। जब वह उनके हाथ में आई, तो उन्होंने उसमें से भी कर्जे के रूप में पैसा निकालने का काम शुरू किया।

फिर सरकार ने जुर्माने को बढ़ा कर ढाई रुपये प्रति मीटर कर दिया। यह अच्छी बात है। लेकिन उसमें रिलेक्सेशन क्यों शुरू हो गया? इसमें थ्योरी यह है कि अगर मिलें कंट्रोल्ड कपड़े के उत्पादन में एक मीटर का डिफ़ाल्ट करें, तो उनको 5 रुपये का कपड़ा या 7.50 रुपये के गारमेंट्स निर्यात करने होंगे, और उनका जुर्माना माफ़ हो जायेगा। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस तरह के रिलेक्सेशन से कंट्रोल्ड कपड़े के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि कंट्रोल्ड कपड़े के बारे में सरकार की जो नीति है, वह महज खोल और फ़ार्स बन गई है। टैक्सटाइल कमिश्नर और व्यापार मंत्रालय के अधिकारी दोनों मिलकर मिल वालों से बहुत पैसे ले रहे हैं और राजपुरुष भी ले रहे हैं। इसलिए उनके द्वारा जो जन विरोधी काम हो रहे हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है।

इस संबंध में मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। एक तो सरकार नियंत्रित कपड़े की पैदावार कम-से-कम 30-35 प्रतिशत तक बढ़ा दे, निर्यात के लिए यह ढील नहीं होनी चाहिए और वह सभी मिलों से कहे कि वे अपना कोटा माहवार या कम से कम क्वार्टर्ली बेसिस पर पूरा करें, एस्टीमेट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे दस ग्यारह महीने तक अपना कोटा पूरा नहीं करते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बाजार में कंट्रोल्ड कपड़ा कम हो जाता है और उसके दाम बढ़ने लगते हैं और सरकार कंट्रोल्ड कपड़े की स्टेडी सप्लाई चाहती है, तो यह आवश्यक है कि मिलों की यह जिम्मेदारी हो कि वे हर महीने कंट्रोल्ड कपड़े का निर्धारित कोटा पूरा करें कम-से-कम त्रैमासिक बेसिस पर यह होना चाहिए।

नियंत्रित कपड़े के वितरण में बड़े घोटाले हैं। एस्टीमेट्स कमेटी के सामने सरकार ने यह कबूल किया है कि वह होलसेलर्ज या नैशनल को-आपरेटिव फेडरेशन या दूसरी को-आपरेटिव सोसाइटियों को वितरण के लिए जो कपड़ा देती है उसके बारे में बड़ी शिकायतें हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि अनाज और चीनी के लिए जो वर्तमान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसको सरकार चुस्त बनाये और उसमें जो भयंकर भ्रष्टाचार हैं, उसको निकाला जाये। राशन कार्डों पर कंट्रोल्ड कपड़े का वितरण गरीब लोगों में ठीक ढंग से होता है या नहीं, सरकार नागरिक समितियां, सिटिजन कमेटीज बना कर उसकी देखभाल करने का प्रयास करे।

इस बारे में एक और सुझाव यह आया था कि कंट्रोल्ड कपड़े के हर मीटर पर स्टैम्प लगनी चाहिए। आज यह होता है कि कपड़े के तागों के शुरू और अंत में प्राइस स्टैम्प लगती है लेकिन जब पहला मीटर बिक गया तो गरीब लोगों को पता ही नहीं चलता है कि कपड़े का क्या दाम है। मुझे याद है कि तीसरी लोक सभा में डा. राम मनोहर लोहिया ने इस तरह के बिल्ज़ भी यहां पेश किये थे कि आदिवासी इलाकों और हरिजन बस्तियों में जो दुकानें हैं, उनके द्वारा किस तरह की लूट होती है। साधारण आदमियों को अनियंत्रित कपड़े के दामों पर ही यह कपड़ा बेचा जाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि हर मीटर पर प्राइस स्टैम्प लगनी चाहिए और वह जनता की भाषा में होनी चाहिए। तमिलनाडु में वहां के अंकों में होनी चाहिए और हिन्दी भाषी इलाकों में हिन्दी अंकों में होनी चाहिए।

इस विधेयक में मुआवजे के लिए जो प्रावधान रखे गये हैं उनके बारे में कुछ विचित्र किस्म की बात है। मैं एक मिल का विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल दो उदाहरण देना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश में वारंगल की आजमजाही मिल का 100 रुपये का शेयर उसके मिसमैनेजमेंट के कारण गिरते-गिरते कम हो गया जो स्टाक एक्सचेंज में क्वोट किया गया मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार उस मिल को जो 93 लाख रुपये का मुआवजा देने जा रही है, वह किस आधार पर और उसकी क्या व्यापारिक कसौटियां हैं।

दूसरी मिल है अपोलो मिल, जिसको 1,20,00,000 रुपये का मुआवजा दिया जा रहा है। यह गोकुलचन्द मोरारकाज की मिल है। और गोकुलचन्द मोरारकाज कितने दूध के धोये हुये हैं, उसके बारे में कुछ कह कर मैं अपना समय क्यों बिगाड़ूं। इसको मैं दामानी साहब पर ही छोड़ देता हूं। ऐसे मामलों में उनको ही बोलना चाहिए। सब तरह के फ्राड्ज, चार सौ बीसी और गन्दे काम

गोकुलचन्द मोरारकाज ने किये हैं। लेकिन सरकार फिर भी बड़ी दयालु है, जो उनको 1,20,00,000 रुपये का मुआवजा दे रही है।

अब मैं एक बुनियादी बात पर आता हूं। ये टैक्सटाइल मिलें पहले प्राइवेट मैनेजमेंट के अंतर्गत थीं फिर सरकार ने उनको अपने हाथ में ले लिया और अब उनका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। उन मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की सेवाओं को खंडित किया जा रहा था। मैं श्री बुद्धप्रिय मौर्य का अभिन्दन करता हूं और उनकी सराहना करता हूं कि उन्होंने अपनी तरमीमों के द्वारा उन लोगों की कान्टीन्युइटी आफ सर्विस को बने रहने दिया है यह बहुत ही अच्छी बात है।

*** *** ***

टैक्सटाइल इंडस्ट्री की कन्डीशन्ज आफ वर्क कैसी होती है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज कल बम्बई के दवाओं के कारखाने क्लिनिकली शुद्ध होते हैं। और ऐसे लगता है कि वे बगीचे हैं। ऐसी कन्डीशन्ज टैक्सटाइल इंडस्ट्री में नहीं होती है। वहां मजदूरों ने अपना पसीना बहाया है और खून बहाया है। उनमें से कई लोगों को टी.बी. हो गया है। उन लोगों ने मेहनत करके जो ग्रैचुइटी और प्राविडेंट फंड कमाया है, इस विधेयक के शिड्यूल में चार्जिज की सूची में उसको कितनी लो प्रायर्टी दी गई है। इसमें दल-विशेष का सवाल नहीं है। मैं केवल विरोध पक्ष के सदस्यों से ही नहीं, बल्कि उधर के सदस्यों से भी—इन्दौर के श्री रामसिंह भाई बैठे हुए हैं। जो टैक्सटाइल मजदूरों के बड़े नेता हैं—अपील करना चाहता हूं कि वे इस बारे में हमारी मदद करें। मैं चाहता हूं कि सबसे पहला चार्ज मजदूरों का प्राविडेंट फंड, ग्रैचुइटी और उनके दूसरे ड्यूज होने चाहिएं।

*** *** ***

मैंने प्री-टेक ओवर का एमेण्डमेंट किया है। सिक्युर्ड लोन्ज वगैरह बाद में आते हैं। मजदूरों के पसीने से पैदावार और सम्पत्ति उत्पन्न होती है। इसके लिए कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं प्राथमिक सत्य आपके सामने रख रहा हूं। मैं चाहता हूं कि सरकार इसको प्राथमिकता दे।

मैंने जिस टैक्सटाइल नीति की ओर इशारा किया है, मैं चाहूंगा कि उसको कार्यान्वित करने के लिए नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन और राष्ट्रीयकृत मिलें एक नजीर पेश करें। कैसे कन्ट्रोल्ड क्लाथ के उत्पादन के बारे में अगर दूसरे लोग चोरी करते हैं, बदमाशी करते हैं, डिफाल्ट करते हैं, तो नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर सारा घाटे का ही सौदा होगा, तो राष्ट्रीयकृत मिलें हमेशा घाटे में रहेंगी, और बदनाम भी हो जायेंगी कि उनमें हमेशा घाटा होता है। इसलिए जहां कंट्रोल कपड़े के उत्पादन को 30 प्रतिशत बढ़ाने की बात मैं कर रहा हूं, मैं इसकी भी मांग करूंगा। मैं समर्थन करूंगा कि रीज़नेबल प्राइस कंट्रोल क्लाथ का होना चाहिए वरना आप का नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन चल नहीं पायेगा। यह मैं मानता हूं।

और मैं एक बात यह कहूंगा कि आपकी जो स्पिनिंग मिल्स हैं, कम्पोजिट मिल्स की बात मैं नहीं कह रहा हूं, इनका एक विशेष दायित्व होगा कि हैंडलूम और पावरलूम के लिए जिस काउन्ट का सूत चाहिए वह उनको दें। ये प्राइवेट सैक्टर की मिलें बड़ी बदमाशी करती हैं, दो तीन साल पहले इतना कम हैंडलूम और पावर लूम वालों को इन्होंने दिया, मेरे क्षेत्र में हैंडलूम और पावर लूम वाले लोग हैं, लोग तंग आ गये, सूत का दाम बढ़ाया गया, आन-मनी लिया गया, इसलिए मेरा सुझाव है कि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन की स्पिनिंग मिल्स को हैंडलूम और पावरलूम वालों को उचित काउन्ट के सूत की स्टेडी सप्लाई करने का जो बड़ा काम, बड़ा दायित्व है उसको लेना चाहिए और निजी मिलों के ऊपर भी उसी तरह का एक नियंत्रण लगाना चाहिए।...

मैं वही कह रहा हूं। जब यहां नहीं करेंगे तो प्राइवेट सैक्टर को मौका मिल जायेगा कि श्री बुद्धप्रिय मौर्य का कारपोरेशन ही नहीं कर रहा है तो हम क्या करें? तो आप करिये और प्राइवेट सैक्टर से भी करवाइये।

मेरा दूसरा मुद्दा तो यह था—आधुनिकीकरण और नवीकरण के बारे में और उसके बारे में मैं बहुत चिन्तित हूं क्योंकि एक विशेषज्ञों की कमेटी ने कहा था कि टैक्सटाइल इंडस्ट्री के आधुनिकीकरण और नवीकरण के लिए 1250 करोड़ की आवश्यकता है। उसमें नैशनलाइज्ड मिलों का जो प्रोपोर्शनेट शेयर है वह कम-से-कम 250 करोड़ आता है, 250 करोड़ आपको खर्च करना पड़ेगा। तो जो मिलें अच्छा निर्यात का काम कर रही हैं प्राइवेट सैक्टर में उनको आप वरीयता देंगे तो बात समझ में आएगी लेकिन सबसे पहले नवीकरण और आधुनिकीकरण की प्रायोरिटी आपको नैशनलाइज्ड मिलों को देनी चाहिए। उसके लिए आपने कुल कितना प्रोवाइड किया है? आपने 108 करोड़ की व्यवस्था की है। वह भी होगा या नहीं, मुझे मालूम नहीं। आवश्यकता है 250 करोड़ की और 108 करोड़ भी नहीं होने वाला है। तो फिर क्या होगा उसके बारे में अभी से आप लोग सोचें। पचास प्रतिशत सिर्फ जो आपने किया वह उचित नहीं है।

टैक्सटाइल इंडस्ट्री में आपकी राष्ट्रीयकृत मिलों को आधुनिकीकरण, कपड़े की पैदावार बढ़ाना, उत्पादन का खर्चा घटाना, बिक्री के दामों को गिराना, इन सबके बारे में पेस सेंटर का काम करना चाहिए और फिर निजी क्षेत्र में भी इसी तरह का दबाव डालकर उनसे भी इसी तरह का काम आप को कराना चाहिए। अभी-अभी इंडस्ट्रियल रिसेशन की बात जो थी क्या सरकार इस बात के लिए बहुत जल्दी प्रयास करेगी कि विगत दो-तीन वर्षों में बहुत ही अन-रीज़नेबल ढंग से कपड़े का दाम बढ़ाया गया तो मेरी राय में कम-से-कम 25 से 30 प्रतिशत तो सभी वैराइटीज के कपड़े का दाम आप घटाने के लिए कहिये। आज मिलों ने कई बहाने बनाकर अपना उत्पादन घटाने का काम चलाया है। इसका नतीजा क्या होगा कि आज तो मांग कम हो गई। क्यों हो गई कम? एक तो बहुत सारे लोग फ्लड अफेक्टेड, फेमिन अफेक्टेड हैं, अकाल और भुखमरी आदि के चलते लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। इसलिए हल्ला हो रहा है। इसलिए दाम घटाना बहुत जरूरी है।...

क्रेडिट की जहां तक बात है मैं भी मानता हूं कि क्रेडिट पालिसी सलेक्टिव होनी चाहिए, अन्धी नहीं होनी चाहिए। इनकी क्रेडिट पालिसी अन्धी पालिसी है। स्पेकुलेटर्स के लिये भी, होडर्स

के लिए भी एक ही कानून है और जो उत्पादन के काम में लगे हुए हैं उनके लिए भी एक ही कानून है। तो यह मामला इंडस्ट्री मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ लेना चाहिए। यह क्रेडिट पालिसी अन्धी न हो, उत्पादन उन्मुख हो और उत्पादन भी रैफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और टेलीविजन आदि का न होकर जो कन्ज्यूमर गुड्स है, या कैपिटल गुड्स हैं उनका हो। तो यह भी इसका एक पहलू है।

अब नैशनल कॉटन कारपोरेशन का जो कॉटन ग्रोअर्स हैं, किसान हैं जो रूई पैदा करते हैं, उनके प्रति कोई दायित्व होगा नहीं? मौर्य जी को पता होगा कि सितम्बर 1974 से नवम्बर 1974 तक दो-तीन महीनों के अन्दर काटन कारपोरेशन की गलती और अयोग्यता के चलते, व्यापार मंत्रालय की नालायकी के चलते किसानों के साथ भयंकर अन्याय हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के इलाके सारे कपास के इलाके हैं। किसान मर रहा है जूट की कहानी अभी ज्योतिर्मय बसु ने बताई। लेकिन जनता से सीधा जो सम्पर्क रखता है वह तो कपड़े का सवाल है। इसलिए काटन के बारे में आपको ज्यादा सचेत रहना चाहिए। मैं केवल तीन आंकड़े दूंगा। कल्याण जाति का जो काटन है इसका दाम सितम्बर में 4,200 रुपये प्रति कैंडी था और नवम्बर में 2,500 रु. प्रति कैंडी हो गया। इतनी गिरावट आ गई। इसी तरह दिग्विजय रुई जो है उसका 4,600 रुपये था सितम्बर में और नवम्बर में 3,150 रुपये हो गया। इसी तरह शंकर 4 जो वैराइटी है उसका दाम था 5,800 रुपये सितम्बर में और नवम्बर में करीब-करीब 4,200 रुपये प्रति कैंडी हो गया। इसलिए मैं यह कहूंगा कि नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन को भी अब मैदान में उतरना चाहिए। बैंकों को उनको क्रेडिट देनी चाहिए। काटन कारपोरेशन अगर नालायक है तो आपको भी अयोग्यता का प्रमाण नहीं देना चाहिए। कुछ किसानों के प्रति भी आपका अपना जो दायित्व है उसको आप पूरा कीजिए। दूसरे मामलों में भी पूरा कीजिए।

अंतिम बात मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बड़ा काम आप करने जा रहे हैं तो इसके संचालन के जो तरीके हैं उनमें भी आपको कुछ परिवर्तन करना चाहिए। 27 साल का अनुभव है कि जो भी राष्ट्रीयकृत कारपोरेशंस होते हैं उनमें जो अधिकारी होते हैं वे सोचते हैं कि यह अपने आप की जायदाद है तो एय्याशी के ऊपर, फिजूलखर्ची के ऊपर और विलासिता के ऊपर पैसा बहुत सारा खर्च किया जाता है। मजदूरों के वेतन और बड़े लोगों के वेतन और सुविधाओं को आप मिलाइये, इतना बड़ा फर्क आप देखेंगे तो यह समाजवाद का नाम भी लेना और इतनी विषमता और गैर-बराबरी को बढ़ाते जाना, बर्बादी को बढ़ाते जाना यह एक बहुत बड़ा पाप है जो आप लोग कर रहे हैं।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि जो उपभोक्ता है और श्रम करने वाले जो मजदूर हैं क्या इन मिलों के संचालन में इनको भी कोई हिस्सेदारी आप देंगे? आपके बिल में कोई चीज है इसके बारे में? इसलिए इतना बड़ा, यानी 22 प्रतिशत टैक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसको आप राष्ट्रीयकरण करने जा रहे हैं उसमें तकरीबन 22 या 20 प्रतिशत मजदूर काम करते हैं कुल टैक्सटाइल इंडस्ट्री के, फिर भी आपने उनके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा। तो आपके जो मैनेजमेंट के आज तक के तरीके रहे हैं उनमें आप कुछ बुनियादी परिवर्तन कीजिए, नये प्रयोग कीजिए। युगोस्लाविया में वर्कर्स मैनेजमेंट की बात चल रही है, दूसरे देशों में भी विभिन्न प्रयोग किये जा रहे हैं।

...उसके बारे में मैं कोई डाग्मेटिक नहीं हूं कि इसी एक फर्म को ले लीजिए। लेकिन आप को यह प्रयोग करना चाहिए।

रीजनल बोर्ड की बात मैंने इसलिए की कि थोड़ा एक कम्पीटीशन का भी एलीमेंट जरूर होना चाहिए जिससे कि विभिन्न रीजनल बोर्डस में यह होड़ लगे कि कौन बढ़िया ढंग से काम कर रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं संकल्प को औपचारिक ढंग से पेश कर रहा हूं: "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 सितम्बर, 1974 को प्रख्यापित रुग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1974 (1974 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

*** *** ***

£उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीधा हवाई अड्डे से आपकी खिदमत में आ रहा हूं। इसलिए सभी भाषणों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जिन मुख्य बातों को मैंने अपने भाषण के दौरान उठाया था उनके समर्थन में मैं कुछ पहलू आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बुनियादी सवाल यह है कि ये जो बीमार मिल हैं, ये बीमार क्यों हो जाती हैं? क्या उनको कैंसर लग जाता है, टी.बी. लग जाता है या निमोनिया हो जाता है। ये मिलें बीमार कैसे हो जाती हैं? वास्तव में इनको न टी.बी. लगता है, न कैन्सर लगता है, न निमोनिया लगता है, इनके जो मालिक या प्रबंधक होते हैं, ये इन मिलों की मलाई निकालने का काम करते हैं और जब यह मलाई निकाली जाती है, उस समय कम्पनी कानून के तहत सरकार को मुकम्मल अधिकार होते हुए भी सरकार इन गलत कामों की ओर ध्यान नहीं देती है। नतीजा यह होता है कि इन मिलों से जो मलाई निकलती है, उसका अगर रीइन्वैस्टमैन्ट होता, आधुनिकीकरण के वास्ते इस्तेमाल होता है तो ये मिलें कभी घाटे में नहीं चलतीं और मजदूरों के ऊपर बेकार होने का संकट न आता। लेकिन सरकार इन मिलों के गलत कामों के बारे में सख्त कार्यवाही नहीं करती है, बल्कि इन गलत कामों में उनकी मदद करती है। इसलिए लगातार यह मिलें बीमार होती चली जा रही हैं, और उसके बाद में स्किम्ड मिल्क आप लेते हैं, मलाई निकल जाती है, जो इस विधेयक की शक्ल में आ रहा है।

सभापति महोदय, 250 करोड़ रुपये इन मिलों के आधुनिकीकरण पर खर्च करने के बाद भी मुझे शक है कि यह मिलें ठीक तरह से चल पायेंगी कि नहीं। दूसरी ओर निजी सैक्टर में कम से कम 100 मिलें ऐसी हैं जो ठीक से चल रही हैं, जिन्होंने अपने मुनाफे से जो पैसा निकलता है पूंजी के रूप में आधुनिकीकरण के लिए लगाया। नतीजा होता है कि यह मिलें फायदे में चल रही हैं। लेकिन अधिकांश मिलें ऐसी हैं जिनके मालिक उनसे मुनाफा उठायेंगे और केवल चोर-बाजारी के जरिये ही नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जिस पर पैसा नहीं बनाते? कपास खरीदना है, एक हिसाब मिल के लिए देंगे और उनका अपना नम्बर दो अकाउन्ट दूसरा रहेगा। मशीनरी खरीदेंगे ओवर इनवायसिंग होगी, विदेशों में मंत्रियों के नाम से और नौकरशाही के नाम से

£ *लोक सभा वाद-विवाद*, 2 दिसम्बर 1974.

स्विस बैंक में पैसा जमा होता रहेगा। यह डाइज और कैमिकल्स खरीदेंगे तो वही बात है पैसा उठाया जायेगा। इसलिए अभी बहुत ही जल्दी और तीन मिलों को आपको बीमार मिलों के रूप में हाथ में लेना पड़ेगा, यह मैं चेतावनी दे रहा हूं। आपने ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन का नाम सुना होगा। उसके तहत तीन सूती मिलें हैं जिनमें सरकारी पूंजी तकरीबन 50 प्रतिशत है और जो बीच में व्यवस्था हुई है उसके तहत निगरानी उद्योग मंत्रालय का काम है। लेकिन उद्योग मंत्रालय किस ढंग से निगरानी कर रहा है इसका एक उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूं। इसके बारे में मैं पहले ही नोटिस दे चुका हूं, इसलिए मेरे मित्र हल्ला न मचायें। प्रधान मंत्री को यह मैंने जो पत्र लिखा है वही पूरा मैं पढ़ कर सुनाता हूं जिससे इस बात पर प्रकाश पड़ेगा कि मिलें बीमार क्यों होती हैं:

> "I am enclosing herewith a copy of the letter which Miss Saroja, a disciple of Vinobaji Bhave, has sent to you about the malpractices in the above Corporation. These malpractices cover every spectrum of the Corporation's activity, including purchase of wool, purchase of dyes and chemicals and other stores, appointment of agents and so on. Mrs. Normala Bajoria has been functioning as the executive director of this Corporation. She has been operating through men like Mr. Avatar Singh, who has been adversely commented upon by the Saraju Prasad Commission. The Bikaner firms, namely, Messers Jugal Kishore Lal, Messers Fibre Trading Corporation, Messers Indo-Wool Corporation, Messers Agrawal Brothers and Messers Mahavir Wool Stores (which are really one party) are in league with the management. Mr. Bajoria relies in her corrupt practices on the services of Messers J.S. Bindra, General Manager, P. C. Jain, Secretary and the Chairman, P. N. Mathur."

पी.सी. जैन के बारे में सुना है कि वह यू.पी. टैक्सटाइल कारपोरेशन के चेयरमैन बनाये गये हैं।

> "On persistent complaints being received from different quarters about the management set-up, it was wisely believed that Mrs. Bajoria and her main henchmen would be removed from office. However, Miss Saroja told me that a deal was struck by Mrs. Bajoria and her officers on the one hand and Mr. Uma Shankar Dixit on the other. .... Finding the Chairman hesitant, a direct approach was made by Mr. Dixit to Mrs. Bajoria and others. Bajoria told the Chairman that the demand of the Congress Party must be met even if it meant having recourse to borrowing in the market. Eventually, however, a sum of Rs. 10 lakhs in black was handed over by Mr. C. Jain to the Congress Leader ..."

*** *** ***

*** *** ***

"Miss Saroja told me that she had given all the details about this scandalous deal to you in the course of her several interviews. She seemed to be completely innocent of the ways of politicians. She, like some other disciples of Baba, had not only great illusions about you but also a soft corner.

श्रीमती इंदिरा के बारे में सॉफ्ट कार्नर था इनको।

It was because of this that she agreed to delete the following paragraph from her letter to you...

श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर यह पैराग्राफ हटा दिया गया।

When I informed her that her illicit dealings in matters of wool purchase and granting of agencies would be brought to the notice of the Prime Minister, she said that she was not collecting all this money for herself. They would have to pass it on to the Congress Party for the coming U.P. elections. Later, she has also circulated it against reasonable and reliable quarters that she had sent Rs. 5 lakhs for Congress Party in response to a call from Shri Uma Shankar Dikshit. It has also been recently propagated by quarters close to her that the Prime Minister is very happy with her performance and has directed Mr. Subramaniam to help her."

*** *** ***

I have given prior notice under rule 353; I have given notice to the Prime Minister, Shri Uma Shankar Dikshit and to Shri Raghu Ramiah and also to the Industries Minister. What greater precaution can I take?...

उमा शंकर दीक्षित जी ने तो सारी लज्जा को छोड़ दिया है। जब उनके खिलाफ मामले चलते हैं तो यहां पर नहीं आते हैं इसी पर पाइंट ऑफ आर्डर उठना है।

*** *** ***

सभापति महोदय, यह जो पैसेज था; इंदिरा जी के कहने पर सरोज जी ने इसको अपने पत्र से काट दिया।

मैंने इस पत्र में आगे लिखा है:

"I read in the newspapers today that the offices and residences of Mr. Biju Patnaik have been raided by the income-tax people. Probably, this shows the Prime Minister's determination to proceed against powerful politicians in the land. But is not your approach a bit selective?

I feel no action was taken against Mrs. Bajoria and her colleagues largely because, they have a huge amount to your Party for the U.P. Elections. And as a *quid pro quo,* the government agreed to extend the terms of these corrupt officers, including the General Manager and the Chairman.

Not only this. The collection of vast sums in black money from the agents of the Corporation was connived at.

Is it completely futile to expect strong action against the economic offenders, including their protectors, Mr. Uma Shankar 'Dikshit'?

यह पत्र मैंने तकरीबन डेढ़ दो महीने पहले प्रधान मंत्री को लिखा। और खूबी यह है कि इस पत्र का एकनालिजमेंट तक मुझे नहीं मिला है जवाब की तो बात छोड़िये। विनोबा भावे की यह शिष्या सोचती थीं कि एक औरत भारत की प्रधान मंत्री है और हम उनके खिलाफ बिना मतलब चिल्लाते हैं। लेकिन इस केस के बारे में पांच छ: दफा प्रधान मंत्री से मिलने के बाद वह इस निश्चित नतीजे पर पहुंची कि बाबा यानी विनोबा भावे को भ्रान्ति हो गई है और हम जो बात कहते हैं वह बढ़ा कर नहीं कहते हैं घटा कर कहते हैं।

मिलों को कैन्सर, टी.बी. या निमोनिया कैसे हो जाता है इसका यह एक क्लासिकल उदाहरण है। अगर मंत्री महोदय इन 103 मिलों में से एक-एक की विगत 27 वर्षों की केस स्टडी सदन के सामने रखेंगे, तो पता चलेगा कि हर एक मिल में इसी प्रकार का फ्राड हुआ है। केवल इन मिलों का राष्ट्रीयकरण करने से काम नहीं चलेगा। अन्य जो मिलें बीमार होने के रास्ते पर चल पड़ी हैं, समय पर उनका इलाज करके इस बीमारी को रोकना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो 103 मिलें सरकार ने अपने हाथ ली हैं, उनके अफसर भी भ्रष्टाचार के जरिये इन मिलों को गाय समझ कर दोहने का काम न करें। क्या मंत्री महोदय दोहने का अर्थ समझते हैं? मिलिंकग दि काऊ। इन मिलों को भी भ्रष्टाचार से बचाने के लिए मंत्री महोदय सख्त कार्यवाही करें।

मैं एक बार फिर इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि यह जरूरी नहीं है कि कंट्रोल्ड कपड़ा हमेशा कोर्स या मीडियम हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर चार पांच काउंट रेज किया जायेगा, तो कम रूई का इस्तेमाल करके ज्यादा कपड़ा बन सकता है। मैंने मिलों पर यह चार्ज लगाया है कि विगत दस-बारह वर्षों में कुल उत्पादन में उनका हिस्सा 9 प्रतिशत घटा है और हैंडलूम और पावरलूम का हिस्सा 9 प्रतिशत बढ़ा है।

अगर सरकार चाहती है कि कपड़े का उत्पादन बढ़े, और अगले साल फिर दामों का संकट उत्पन्न न हो, तो मेरा सुझाव है कि मंत्री महोदय प्राइवेट सैक्टर और पब्लिक सैक्टर के सब प्रोडक्शन मैनेजर्स का एक सम्मेलन बुलायें और इस बात पर विचार करें कि कम रुई से अधिक कपड़ा कैसे पैदा करना है। मैं जानता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे गरीब इलाकों में, जहां सर्दी ज्यादा पड़ती है लोगों के पास गर्म कपड़े नहीं होते हैं और वे मोटे कपड़े से अपने बदन की रक्षा करते हैं। लेकिन मैं एक बिल्कुल दूसरी बात कह रहा हूं। मंत्री महोदय इस बारे में एक टेक्निकल टीम बनायें। इससे यह लाभ होगा कि हमें बार-बार रुई का आयात करने की नौबत नहीं आयेगी, जैसाकि इस समय होता है।

मैंने मुआवजे के बारे में बहुत सी बातें कहीं है। अगर श्री मौर्य ने मेरे भाषण का सारांश मंत्री महोदय को नहीं दिया है, तो मैं उसको उनकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं।

*** *** ***

मैंने एक संशोधन यह दिया है कि जो मुआवजा दिया जायेगा, उसमें पहला चार्ज होना चाहिए मजदूरों का बकाया-प्राविडेंट फंड, ग्रैचुइटी और अन्य बकाया, और इसलिए मैं शिड्यूल में परिवर्तन चाहता हूं। मंत्री महोदय इस बात को मान लें, वर्ना श्री राम सिंह भाई आदि सदस्यों के साथ मिल कर हम उनको परेशान करेंगे। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि इसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वर्ना कांग्रेसी सदस्यों के साथ मिल कर हम उनका जीवन चलना मुश्किल कर देंगे, उनको परेशान करेंगे। इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं है।

*सभापति महोदय, इस अनुसूची में विभिन्न मिलों को दिये जाने वाले मुआवजे की तफ़सील दी गई है। लेकिन इस अनुसूची में, या पूरे बिल में, इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि किन सिद्धांतों के आधार पर यह मुआवजा दिया जा रहा है। मुझे तो इसमें कोई तार्किक आधार दिखाई नहीं दे रहा है। और इसलिए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह बात सही है कि जिन मिल वालों की पहुंच बड़े नेताओं या मिनिस्टरों के पास थी, उन्हीं लोगों को ज्यादा मुआवजा दिया गया है, बावजूद इस बात के कि उन मिलों के एस्टेट्स, लूमेज और स्पिडलेज कम थे। चूंकि उन लोगों का प्रभाव ज्यादा था, इसलिये सरकार ने उनका मुआवजा बढ़ा दिया। इस वक्त मैं केवल तीन मिलों की चर्चा करना चाहता हूं। मंत्री महोदय अपने जवाब में बतायें कि किन सिद्धांतों के आधार पर यह मुआवजा कम्प्यूट किया गया है।

पहली मिल है आजमजाही मिल, वारंगल, आंध्र प्रदेश। मैंने अपने संकल्प पर बोलते समय ही कहा था कि स्टाक एक्सचेंज में इस का क्वोटेशन माइनस है—बहुत ज्यादा माइनस है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मिल के एस्टेट्स वगैरह ज्यादा नहीं हैं। फिर भी राजनैतिक प्रभाव में आकर मंत्रालय ने इस मिल को 92,95,000 रुपये का कम्पन्सेशन दिया है।

दूसरी मिल है अपोलो मिल। यह गोकुलचन्द मोरारका वालों की मिल है। गोकुलचन्द मोरारका किस जाति के प्राणी हैं, इसके बारे में मुझे अधिक कहने की जरुरत नहीं हैं।

*** *** ***

हो सकता है। मुझे तो जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास जानकारी होती, तो मैं अवश्य आपकी खिदमत में पेश करता। यह सही है कि कुछ लोग ऐसे हैं, जो मुनाफे को कारखाने में री-इन्वेस्ट करके उसका आधुनिकीकरण करते हैं। लेकिन ऐसे लोग कम हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ऐसे भी लोग हैं, जिनकी मिलें घाटे में नहीं चलती हैं। लेकिन कुछ लोगों की मंशा यही रहती है कि हर एक चीज में से मलाई निकाल ली जाये, और नये-नये औद्योगिक साम्राज्य बनाये जायें। सभी जानते हैं कि उन्हीं लोगों में से ये गोकुलचन्द मोरारका हैं। उनका चीनी का भी बड़ा मामला है, लेकिन उनको मैं इस वक्त नहीं खोलना चाहता हूं। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इन लोगों को 1 करोड़ 20 लाख रुपया आप क्यों देने जा रहे हैं?

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 11 दिसंबर 1974.

तीसरी बात यह है कि महबूब शाही कुलवर्गा मिल्स गुलबर्गा, कर्नाटक है, अब इसके बारे में मैं साधारण शब्दों में राजनैतिक प्रभाव की बात नहीं कहना चाहता हूं। मेरी जानकारी है कि इस मिल के केस की वकालत केन्द्र सरकार के एक मंत्री ने की थी। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस वक्त। मैं कई दफा जानबूझकर नाम नहीं लेता हूं। मैं सरकार को मौका देता हूं। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे जानकारी नहीं रहती। आज सवेरे भी मैंने स्पीकर को कहा था— शेल आई नेम दैट अननेम्ड आंध्र एम.पी.? मैं उनका नाम नहीं जानता ऐसी बात नहीं है। दो तीन साल से जानता हूं। लेकिन स्पीकर साहब ने कहा कि अभी नाम मत लो, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया। इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं प्रोवोक नहीं हुआ करता हूं। मैं जब 'प्रोवोक' होना चाहता हूं तभी 'प्रोवोक' होता हूँ।

अध्यक्ष महोदय, इस मिल को 1 करोड़ 34 लाख 84 हजार मुआवजा दिया गया है। इसकी लूमेज और स्पिंडलेज की फिगर्स मंत्री महोदय रखें और सदन को जांच करने दें। मेरी राय है कि वे नये नौजवान मंत्री हैं, बड़े मेहनती हैं। इनकी वजह से इतने अमेंडमेंट्स आए वरना यह बिल तो बहुत रद्दी था, तो इनको इस अवसर पर मैं धन्यवाद भी देता हूं और बधाई भी देता हूं। लेकिन इन बातों का वह खुलासा करें और सदन को बताएं कि किन सिद्धांतों के ऊपर यह कम्पेन्सेशन कम्प्यूट किया गया है?

पोलियेस्टर फाइबर का आयात*£

सभापति महोदय, 6 दिसम्बर को जो तारांकित प्रश्न मैंने पोलियेस्टर फाइबर के आयात के बारे में पूछा था उस का जो जवाब मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया उसी पर यह आज की बहस आधारित है। मेरे प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा था कि जिन लोगों को पोलियेस्टर फाइबर आयात करने की छूट दी गई थी, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के सभा स्थल पर रखी जाएगी लेकिन ढाई महीने के बाद भी मंत्री महोदय ने पोलियेस्टर फाइबर के आयात के बारे में सदन को विश्वास में लेने का काम नहीं किया। इसलिए सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हम लोगों की ओर से और इस सदन की ओर से इन्होंने अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में जो अक्षम्य अपराध किया है, उसको ले कर आप इनको फटकारिये, डांटिये।

सभापति महोदय, इसके बाद यह सन्त प्रकाश भगवान दास का मामला राज्य सभा और इस सदन में चल पड़ा। सोचने की बात यह है कि 6 अप्रैल, 1974 को एक आवेदन पत्र के द्वारा मैने राष्ट्रपति जी से कहा था कि विदेश व्यापार मंत्रालय में बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और इसी पत्र में .... मैंने आरोप लगाया था कि सन्त प्रकाश भगवान दास नाम की फर्म को नाइलोन, फिलामेंट यार्न और थ्रेड और बाद में पालियेस्टर फाइबर आयात करने की छूट दी गई, बावजूद इसके कि चीफ कन्ट्रोलर ने और रिजर्व बैंक ने इसका कस कर विरोध किया था। इसके बाद, अध्यक्ष महोदय की मार्फत पत्र-व्यवहार मेरा भी चला, #अटल जी का चला और दूसरे सदस्यों का भी चला लेकिन इन पत्रों के उत्तर में जो कुछ भी मंत्री महोदय ने कहा है, उसमें भी ईमानदारी से सभी बातों पर प्रकाश डालने का इन्होंने प्रयास नहीं किया है और बातों को छिपाया है। इन्होंने हम लोगों के प्रश्नों के उत्तर में यह कहा है कि सन्त प्रकाश भगवान दास फर्म ने दो बार मांग की थी कि उनके द्वारा जो निर्यात किया गया है, उसके बदले में उनको आयात करने की छूट मिलनी चाहिए। दो दफा इनकी अर्जियों को अस्वीकार किया गया था और उसके बाद 12 जनवरी 1971 को इनके प्रतिवेदन पर पुनर्विचार हुआ और मंत्री के स्तर पर, विदेश व्यापार मंत्री के स्तर पर, इसके ऊपर यह निर्णय किया गया कि सन्त प्रकाश भगवान दास को नाइलोन और फिलामेंट यार्न और थ्रेड आयात करने की छूट दी जायेगी, लेकिन मैंने जो पूछा था कि क्या रिजर्व बैंक और चीफ कन्ट्रोलर ने विरोध किया था और उसके विरोध के बावजूद यह निर्णय लिया गया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया। वह मैं आपको पढ़ कर सुनाता हूं। मेरा प्रश्न यह था:

> "At what level and on what date the decision to issue a letter of authority to the said firm for importing nylon yarn and thread/

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 24 फरवरी 1975.

£ पोलियेस्टर फाइबर के आयात लाइसेंस जारी करने पर आधे घंटे की चर्चा।

\# श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद द्वारा इसी संदर्भ में अध्यक्ष को लिखे गये पत्र को उद्धृत करते हुए।

polyester fibre was taken, and whether this was not in opposition to the views expressed by the Reserve Bank and the Chief Controller as also in violation of the policy then in force?"

यह उन्होंने जवाब दिया:

"The decision to issue CCP and letter of authority for nylon yarn and thread was taken on 12th January 1971 at the level of the then Minister of Foreign Trade. The decision to include polyester fibre was taken on 3rd March, 1971 again at the level of the then Minister of Foreign trade."

मैंने यह कहा था कि क्या उस समय की जो निर्धारित नीति थी, उसके यह बरखिलाफ था? क्या रिजर्व बैंक और चीफ कन्ट्रोलर की राय के यह खिलाफ था? इसका कोई आपने जवाब दिया है और आज की बहस के बारे में यदि यही रुख आप अपनायेंगे, तो इस बहस से कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। इसलिए यह एक सवाल उठता है कि राष्ट्रपति जी को पत्र लिखने के बाद भी महीनों तक इसके बारे में कोई कार्यवाही नहीं हुई। विदेश व्यापार मंत्री के बारे में तीन प्रतिवेदन राष्ट्रपति जी को हमने दिये थे पर उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो एक दफा मैं गिरि साहब से मिलने भी गया और मैंने उनसे कहा कि चार-चार प्रतिवेदन हमने विदेश व्यापार मंत्री के खिलाफ दिये हैं पर आपने उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। इस पर उन्होंने कहा कि आप के जो प्रतिवेदन आते हैं वह मैं प्रधान मंत्री जी को भेज देता हूं। इस पर मैंने गिरि जी से कहा कि इसका मतलब यह हुआ कि आप एक पोस्टमैन हैं और सो भी इतने खर्चीले पोस्टमैन।

तो सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि 6 अप्रैल को इसकी जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रपति जी के मार्फत इसके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

दूसरा मेरा सवाल यह है कि यह जो नाइलोन यार्न और बाद में जिसका कन्वर्जन किया गया पोलियेस्टर फाइबर में, इसका मूल्य क्या था? इसकी जानकारी भी मैं चाहता हूं।

साथ ही साथ मैं यह चाहता हूं कि इस को जो बदल दिया गया, इम्पोर्टेड नाइलोन यार्न और थ्रेड को जो पोलियेस्टर फाइबर में बदल दिया गया, क्या यह कानून के अनुसार था? क्या इसमें कानून की अवहेलना नहीं हुई और क्या इसलिए यह परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि पोलियेस्टर फाइबर में काला बाजार में ज्यादा मुनाफा मिलता था? इसलिए मंत्री महोदय से मैं इसका भी जवाब चाहता हूं कि क्या कानून के द्वारा, रेड बुक के अनुसार इस कन्वर्जन की छूट दी गई थी।

चौथी बात इन्होंने कही है इन्फोर्समेंट की। मेरे प्रश्न के उत्तर में ये कहते हैं मेरा प्रश्न था:

What were the findings of the CBI and on which date were they submitted to the Government?

इसके जवाब में ये कहते हैं:

Regarding the alleged over-invoicing the Enforcement Directorate took action and imposed a penalty of Rs. 15 lakhs on the party.

तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह 15 लाख रुपया वसूल किया गया है और अगर वसूल किया गया है, तो कब किया गया है?

साथ ही साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर यह जुर्माना वसूल नहीं किया गया है, तो क्या इसका यह कारण है कि यह जो आपने पोलियेस्टर फाइबर के लिए छूट दी है, वह इस कारण दी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी के लिए इस फर्म के पास से 10 लाख रुपया लिया गया था, क्योंकि जून 1970 में मंत्रिमंडल में परिवर्तन हुए और स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र को जो विदेश व्यापार मंत्री बनाया गया था तो उनको इसीलिए मंत्री नहीं बनाया गया था कि उनके जिम्मे यह काम दिया गया था कि निर्यात की बात को न देख कर वे कांग्रेस पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करें ... कांग्रेस कोष विकास के लिए वे काम करें। क्या उनको इसके लिए ही नहीं नियुक्त किया गया था? अभी जिस दिन हम लोग 18 तारीख को चर्चा कर रहे थे और मेरा काम रोको प्रस्ताव था तो मैंने यह कहा था कि 23 दिसम्बर को स्वर्गीय ललित बाबू और इंदिरा जी की मुलाकात हुई थी और उसमें ललित बाबू को कहा गया था कि अब आप हटिये, लेकिन उसके बाद ललित बाबू के जो नजदीक के लोग हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की और उन्होंने मुझसे कहा कि आपने जो कहा था वह 101 प्रतिशत सही था और प्रधान मंत्री जी ने बिल्कुल असत्य बोला था। खैर इसकी चर्चा तो मैं अभी नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब ललित बाबू विदेश व्यापार मंत्री थे, तो उनके कार्यालय में जितने निर्णय किये गये, उनके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह था कि उनका काम यह था कि वे कांग्रेस के लिए चन्दा इकट्ठा करें।

जब कांग्रेस पार्टी के लिए यह सब काम वह करते थे तो बदनाम तो हो ही गए लेकिन उसकी जिम्मेदारी स्वयं लेने के बजाय ललित बाबू ने ही उठाई। अब इस देश की जनता धीरे-धीरे इन बातों को पकड़ रही है। इन बातों को आपने छिपाया क्यों? अगर आपके उद्देश्य नेक थे तो क्या मेरी इस चुनौती को आप स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि पोलियेस्टर फाइबर के ही नहीं 1970 से ले कर आज तक ये आयात लाइसेंस के और लैटर आफ आथोरिटी के जितने भी मामले हुए हैं क्या उन तमाम को आप इस सदन की कमेटी के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं? आप अन-फाउंडिड बात की चर्चा कर रहे हैं। आप अब मेरी ओर देखते ही नहीं। जितने घोटाले हो गए, आप पाक हैं, आपके दामन पर कोई दाग नहीं तो आपको डर क्यों लगता है, आप पार्लियामैंटरी जांच के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप तैयार हो जाते हैं तो इसमें सदन का जो समय बरबाद होता है वह नहीं होगा।

ये लोग छिपाने की कला में बहुत माहिर हो गए हैं। मेरे एक प्रश्न के उत्तर में ये कबूल करते हैं कि the CBI found them guilty of the allegation of cheating लेकिन हम लोगों को जो पत्र लिखते हैं उसमें इसका उल्लेख तक नहीं करते हैं। इसलिए मेरे इस प्रश्न का आप जवाब दें कि यह चीटिंग का जो आरोप हुआ, क्या इसके बारे में कोई क्रिमिनल केस इस फर्म के खिलाफ चलाया गया है? साथ ही साथ यह सोचने लायक बात है कि इस फर्म के बारे में एबेएंस का आदेश जारी किया गया है और सरकार ने जो परिपत्र जारी किया था, काशनरी सर्क्युलर जिसको वह कहते हैं, तो पहले मंत्री महोदय के स्तर पर निर्णय लिया गया कि इनको

लेटर आफ अर्थॉरिटी दिया जाएगा नायलोन यार्न के लिए लेकिन जो लैटर आफ अर्थॉरिटी था उसको परिवर्तित किया गया पोलियेस्टर फाइबर के लिए और उसके बाद यह एबेएंस आर्डर और काशनरी सर्क्युलर वापस लिया गया, क्या यह सही नहीं है और यदि हां, तो क्या इससे भी यह बिलकुल साफ नहीं हो जाता कि केवल सन्त प्रकाश भगवान दास फर्म को ही नहीं, पोलियेस्टर फाइबर आयात करने वाले जितने लोग हैं उन लोगों के बारे में इस तरह का अवैध और गैर-कानूनी काम हुआ है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि मेरे प्रश्न के उत्तर में जो जानकारी देने का आपने वचन दिया था आप अपने जवाब में सब ऐसी फर्मों के बारे में और व्यक्तियों के बारे में जो जानकारी हमने मांगी थी वह दें।

साथ-साथ आप तो जानते हैं कि पोलियेस्टर फाइबर के ऊपर प्रीमियम है और इस प्रीमियम के बारे में समय-समय पर सरकार के पास जानकारी आती रहती है। अब क्या इन फर्मों का इनकम टैक्स एसेस करते समय बाजार में पोलियेस्टर फाइबर का जो असली दाम था उसको आंका गया था और उसके आधार पर इनकम टैक्स एसेस किया गया था? अगर नहीं किया गया तो इन फर्मों को छूट देने का कारण क्या है और इन लोगों से कांग्रेस पार्टी के लिए कुल कितना चन्दा आपने एकत्र किया है, इसका विवरण भी आप हमें दें।

*** *** ***

£नियम तो यही है कि मंत्री महोदय, प्रश्नों के बाद उत्तर दें लेकिन नियमों को हमेशा सुविधा के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। सुविधा इसी में है कि मेरे प्रश्नों का वह जवाब दे दें और जिन बातों का खुलासा वह न करें, उनको तथा अपने प्रश्नों को मेरे मित्र पूछ लें।

*** *** ***

*** *** ***

इन्होंने कहा था कि मैं सारी जानकारी दे दूंगा यह उन्होंने 6 दिसम्बर के मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा। इनको वह पहले दें ताकि इनके जवाब के ऊपर हमें सोचने का मौका मिले। इनको मैं खास तौर पर चेतावनी देना चाहता हूं कि इनके ऊपर अब जिम्मेदारी आई है फंड कलैक्शन की। जो फंड कलैक्शन के मामले में गहराई में जाता है उसकी जान हमेशा खतरे में होती है, यह ललित बाबू की घटना से व्यवस्था ने, एस्टेबलिशमेंट ने साबित किया है। आप मेरे मित्र हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बच कर रहें। डिक्टेटर को जिन के रहस्य मालूम होते हैं या डिक्टेटर के जिनको रहस्य मालूम होते हैं वे सब खतरे में रहते हैं।

*** *** ***

*** *** ***

दो करोड़ का मैं नहीं जानता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो सवाल मैंने उठाए हैं उनका मुझे ये जवाब दे दें।

£ श्री श्याम नन्दन मिश्र, सांसद की टिप्पणी 'मंत्री महोदय जवाब दे लें, उसके बाद हम प्रश्न पूछेंगे और वह भी तब अगर हमें उनके उत्तर से संतोष नहीं होगा। हो सकता है कि उनके उत्तर से ही हमें संतोष हो जाए' पर अपना समर्थन व्यक्त करते हुए।

सिंथैटिक टेक्सटाइल तस्करों पर अंकुश की आवश्यकता*£

अध्यक्ष महोदय, श्री पीलू मोदी ने जो पत्र सदन के सामने रखा है उसमें पांच नाम लिये गये हैं। एक नाम लिया गया है मद्रासी का, एक है एम.बी., एक है सोलंकी और एक है जोजफ का, तो मुझे भी यह शक हुआ कि कहीं यह जाली पत्र तो नहीं है। इसलिए मैंने पता लगाने की कोशिश की ये लोग कौन हैं? तो एम.बी. और मद्रासी का तो पता नहीं चला, लेकिन सोलंकी और जोजफ के बारे में यह पता चला कि ये बम्बई के तस्करों के सर्किल में ख्याति प्राप्त लोग हैं। ये कोई फर्जी व्यक्ति नहीं हैं। ये बम्बई इलाके के बड़े स्मगलर हैं और इनका रिश्ता उन तमाम स्मगलरों के साथ है जिनको आपने बन्द करके रखा था जैसे सुकर नारायण बखिया, मस्तान, यूसुफ और नयनमाल पूंजाजी शाह।

सबसे पहले बखिया के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। इसमें जस्टिस प्रकाश नारायण कहते हैं, यह हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है:

> "Mr. Justice Prakash Narayan who delivered the judgement in Bakhia's case observed that the allegations in one of the grounds appeared to be concocted and placed before the detaining authority as a padding up of the grounds on which the detenul could be detained. It was, therefore, held that, even if one of the grounds of reasons which led to the subjective satisfaction of the detaining authority was non-existent or misconceived or irrelevant, the order of detention would be invalid."

यह सोचने लायक बात है। मेरा इस सरकार के ऊपर और इनके अफसरों के ऊपर यह आरोप है कि डिटेंशन के केस के बारे में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से आप अवगत थे कि अगर आप सात ग्राउण्ड देते हैं, उनमें जो भी गलत या बोगस साबित होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट यह निर्णय देता है कि हम नहीं कह सकते कि किस ग्राउण्ड को लेकर सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन हुआ। तो मेरा यह आरोप है कि शुरू से जब सितम्बर में आपने स्मगलरों को गिरफ्तार करने का नाटक या नौटंकी चलाई तो आप के अफसरों ने जानबूझकर हर एक केस में ऐसे 'वेग' या 'बोगस' या 'फर्जी' ग्राउन्ड देने का सिलसिला चलाया क्योंकि वे जानते थे कि कानून के अंदर इस तरह के फर्जी और बोगस ग्राउन्ड दिये जायेंगे, नान-एग्जिस्टेंट ग्राउन्ड दिये जाएंगे तो अदालत के सामने

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 22 अप्रैल 1975.

£ संश्लिष्ट कपड़े को भारी मात्रा में चोरी-छिपे भारत लाते विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

कोई रास्ता नहीं रहेगा सिवाय इसके कि वह इनको छोड़ दे। आप हमेशा अदालत बनाम सरकार का झगड़ा पैदा करके जनता को गुमराह करते हैं। आपका जो आर्डिनेंस था या आपने फारेन एक्सचेंज के बारे में जो कानून बनाया उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने अवैध घोषित नहीं किया तो कोई नहीं कह सकता है कि पार्लियामेंट और जूडिशियरी का इसमें कोई सवाल आता है क्योंकि पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए गए, अधिनियम बनाए गए, उनकी वेलिडिटी को हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है। तो गलती कहां पर है? गलती एक्जीक्यूटिव की है, कार्यपालिका की है। आप ठीक तरह से जो सबूत है उसको इकट्ठा क्यों नहीं करते और जो नोटिस दिया जाता है या ग्राउण्ड दिया जाता है उसमें आप जानबूझकर हेरफेर करते हैं जिसके फलस्वरूप ये लोग छोड़े जा रहे हैं? इसका आपके पास क्या जवाब है? क्योंकि अदालत ने कहा है कि एक ग्राउन्ड नान-एग्जिस्टेंट था और दूसरा कान्काक्टेड था। तो पहले इन अफसरों की जांच होनी चाहिए जिन्होंने यह नोटिस फ्रेम किया है। पहले इनको सस्पेंड करने के बाद ही और कार्यवाही होनी चाहिए ...

*** *** ***

अब यह जो कर बढ़ाए गए जिसके चलते इस पत्र में कहा गया है कि हम लोगों को एक बढ़िया मौका मिला है इस कपड़े को स्मगल करने का। इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि जो तस्करों के द्वारा माल ले जाया जाता है और उसके लिए जो मार्केट यहां पर मिल रही है उसके मैं दो कारण मानता हूं।

एक तो हम लोगों के दिमाग पर यह असर है कि जो विदेशी चीज होती है वह अच्छी होती है, जो स्वदेशी की भावना है, वह हम लोगों के अन्दर नहीं है। दूसरा कारण आर्थिक कारण है। जब तक आप की आर्थिक नीतियां, कर संबंधी नीतियां ऐसी रहेंगी कि विदेशों में जो कपड़ा पैदा होता है—वह सस्ता पड़ेगा—मान लीजिए इटली या जापान से जो कपड़ा आता है, वहां भारत के मुकाबले में वेजेज़ बहुत ज्यादा हैं, हमारे यहां मजदूरी बहुत कम है, फिर भी उनका कपड़ा सस्ता आता है और आपका कपड़ा जहां मजदूरी कम है, महंगा पड़ता है—तो ज़ाहिर बात है कि स्मगलिंग होगा। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि आप पांच स्टेजेज़ पर ड्यूटी वसूल करते हैं—सबसे पहले जो रॉ-मैटेरियल है—डी.एम.टी कप्टोलैक्टम—उस पर ड्यूटी लगाते हैं, उसके बाद फाइबर पर लगाते हैं, फिर धागे पर ड्यूटी लगाते हैं, उसके बाद किम्पिंग टेक्सचराइज्ड प्रोसेस पर ड्यूटी लगाते हैं। उसके बाद कपड़े पर, फैब्रिक्स पर ड्यूटी लगाते हैं। नतीजा यह होता है कि जिस कपड़े का एक्स-मिल दाम ड्यूटी लेकर मान लीजिए 110 रुपये हो जाता है, वही कपड़ा जब विदेशों से दुबई होकर आता है तो उसका दाम 22 रुपये होता है।

अध्यक्ष महोदय, जिन तीन कपड़ों की चर्चा यहां पर की गई है—उसमें एक तो इन्होंने कहा है-निटेड-फैब्रिक्स, दूसरे ड्रेस मैटीरियल वगैरह—मैं इनके नमूने दिखाता हूं—यह स्वदेशी कपड़ा है और आप देखिये कितना बढ़िया है, विदेशी के मुकाबले क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है—ऐसी स्थिति में क्या वजह है कि हिन्दुस्तान में विदेशी कपड़े के लिए मांग ज्यादा है। हमारे छोटे-छोटे लोग जिस कपड़े को बना रहे हैं, वे आज विदेशों के मुकाबले टिक नहीं पा रहे हैं। इसका कारण

यही है कि जो नई कर योजना इन लोगों ने इस बजट में बनाई है वही इसके लिए जिम्मेदार है। इसमें दो राय नहीं हो सकती है, यह कामनसैन्स की बात है जब स्वदेशी कपड़े का दाम ऊंचा उठ जाएगा, आपकी करनीति से 25-30 रुपये मीटर बढ़ने वाला है, जब विदेशी कपड़े और स्वदेशी कपड़े में इतना अन्तर पड़ जाएगा तो जाहिर बात है कि ये स्मगलर्स जोखिम उठाने के लिए तैयार हो जायेंगे, बावजूद इसके कि आप उनको जितना चाहे पकड़ने की कोशिश कीजिए।

यह पकड़ने की कोशिश क्या है—उसको भी सुन लीजिए। पश्चिमी बंगाल में एक अखबार में यह कहा गया है—

> "The Union Government is said to have instructed the State Governments to take legal action against absconding smugglers. West Bengal accounts for 62 of them. About 80 smugglers are now under detention."

आप कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं—क्या कर रहे हैं—82 गिरफ्तार किये गये हैं और 62 एब्सकौण्ड कर गये हैं। यह आपकी कार्यक्षमता, एफिशियेन्सीज का नमूना है।

दूसरी बात-जैसा मस्तान ने इलेस्ट्रेटिड वीकली में कहा था—10-15 साल से इतना बड़ा धन्धा क्या सरकार की मदद के बिना हम लोग खड़ा कर सकते थे? आपके सरकारी अधिकारी और बड़े-बड़े लोग इनसे मिले हुए थे। आपने स्वयं अखबारों के द्वारा प्रसारित किया है कि 300 कर्मचारियों और अफसरों का ट्रांसफर करवाया है, 68 लोगों को आपने रिटायर करवाया है या करवाने जा रहे हैं, 37 लोगों के खिलाफ आप अनुशासन की कार्यवाही कर रहे हैं। ये समाचार अखबारों को आपने ही दिया है, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, सरकार इन आंकड़ों के बारे में सफाई दे कि इनमें तथ्य कितना है और इस काम में जो ढिलाई हो रही है उसके बारे में सरकार क्या करने जा रही है?

अभी श्री रामगोपाल रेड्डी ने कहा कि पीलू मोदी इसलिए ऐसा कह रहे हैं कि उनको चुनाव के लिये पैसा मिलेगा। मुझे आपत्ति नहीं है—अगर पीलू को मिल जायें, लेकिन मुझे भी जरूर उसमें से हिस्सा दे दें। लेकिन मैं यहां निवेदन करना चाहता हूं कि ड्यूटीज को कम करने की मांग उनके ही दल के नेता—श्री रजनी पटेल ने भी की है, जो बड़ी तेजी से श्री ललित नारायण मिश्र की जगह ले रहे हैं। उन्होंने भी ड्यूटीज के खिलाफ बयान दिया है कि ड्यूटीज घटाई जाये। पीलू मोदी के एक दोस्त हैं—उनका कहना है...

*** *** ***

मैं निवेदन कर रहा था कि श्री रामगोपाल रेड्डी ने यह आरोप लगाया कि ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ये इन लोगों से मिले हुए हैं। मैं यह कहने के लिए तैयार हूं कि स्मगलर्स से मिलने की बजाय, अगर छोटे उद्योगवालों से मिलने की बात आयेगी तो हम स्वदेशी लोगों से मिलना पसन्द करेंगे, इन स्मगलर्स या विदेशी लोगों से मिलना पसन्द नहीं करेंगे। मैं चाहता हूं कि स्वदेशी उद्योग हमारे देश में पनपे। स्मगलर्स और विदेशियों के द्वारा जो आक्रमण स्मगलिंग के द्वारा हमारे देश के अन्दर हो रहा है, उसको रोका जाना चाहिए। जो विदेशी लोग हमारे देश

में घुसे हुए हैं, मैं उनके आक्रमण के खिलाफ हूँ। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं:

1. ड्यूटी के बारे में खुद सुब्रह्मण्यम साहब ने कहा है कि पुनर्विचार कर रहे हैं। यह पुनर्विचार कब खत्म होगा और अपने सुझाव लेकर वे कब हमारे सामने आयेंगे?
2. इन सरकारी अफसरों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गई हैं, उसकी तफसील सदन को दें?
3. क्या यह सही है कि पश्चिम बंगाल में 62 एब्सकाण्डर्स हैं, जिनको अभी तक नहीं पकड़ा गया है? क्या दूसरे राज्यों में भी यही स्थिति है?
4. जानबूझकर जो ग्राउण्डस डिटेन्शन में गलत दिये गये हैं—क्या उन मामलों में भी कोई जांच की जायेगी और जो दोषी आफिसर्ज हैं उनको जांच कराने से पहले सस्पेण्ड किया जायेगा?

मैं इन सब प्रश्नों के उत्तर चाहता हूं।

*** *** ***

*** *** ***

आप कहते हैं कि बखिया के केस के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि बखिया के केस के बारे में क्या आप जांच कराने के लिए तैयार हैं—नान-एक्जिसटेन्ट और कनकाक्टेड ग्राउण्डस क्यों दिये गये? क्या ये लोग बखिया से मिले हुए थे?

*** *** ***

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, जूनियर मिनिस्टर को इस तरह बलि का बकरा बनाया जाता है। आपको औब्जरवेशन करना चाहिए इस पर क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। माननीय सुब्रह्मण्यम को यहां आना चाहिए था। वह कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं जो यहां नहीं आये?

*** *** ***

मैं वैस्ट बंगाल की बात कह रहा था। मैंने यह कहा था कि पश्चिम बंगाल में 82 स्मगलर्स पकड़े गये हैं, और 68 एब्सकौण्ड कर रहे हैं। क्या यह बात सही है? 82 smugglers have been arrested and 68 are absconding.

*** *** ***

[£]इनकी ऐफीशियंसी देख लीजिए, अध्यक्ष महोदय, 68 एब्सकौण्ड कर रहे हैं स्मगलर्स।

[£]श्री प्रणव मुखर्जी, सांसद की समर्थित टिप्पणी 'That is correct' के जवाब में बोलते हुए।

खाद्य और कृषि

FOOD AND AGRICULTURE

अकाल का प्रकोप*£

केन्द्रीय सरकार का समर्थन करने के लिए कांग्रेस के कुछ माननीय सदस्यों ने बिहार की गैर-कांग्रेसी सरकार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की है। लेकिन ये लोग भूल गए हैं कि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और केरल में पिछले बीस वर्षों में हुकूमत कांग्रेस पार्टी की थी। अगर बीस साल का लेखाजोखा लिया जाये तो आपको क्या दिखायी देता है? मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बीस साल के कांग्रेसी शासन के बाद बिहार हिन्दुस्तान का सबसे गरीब इलाका रहा है। उसी तरह से जहां तक फी आदमी अनाज की उपलब्धि का सवाल है बिहार में हमेशा साधारण साल में भी दो औंस अनाज कम मिला करता है। और जहां तक सिंचाई का सवाल हैं मैं ये आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार की कुल मिलाकर करीब-करीब चौदह पन्द्रह करोड़ की आबादी होती है। बीस साल में आप लोगों ने क्या किया है? मद्रास में नलकूप यानी ट्यूबवैलज 1,35,313 बन गए जबकि यू.पी. में केवल 11,377...

*** *** ***

बिहार और उत्तर प्रदेश में आपने जो काम किया है, उसके नतीजे मैं आप को बता रहा हूं उत्तर प्रदेश में 11,377, केरल में 5,917, बिहार में 5,117, पश्चिम बंगाल में 3,893, राजस्थान में 2,941 और उडीसा में 1,332 नलकूप बन पाए। यही सूबे हैं जहां दो सालों से घोर अकाल की स्थिति है। पिछले वर्ष उड़ीसा में है और इस साल बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और केरल में तकलीफ है। इसलिए दूसरों पर कीचड़ उछालते समय आपकी सरकार का जो काम रहा है उस पर तो कम से कम शर्म आनी चाहिए, तारकेश्वरी जी**, और विभूति मिश्र जी*** को तो कम से कम आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं।

मैं इन लोगों की तरह जो अपनी सरकार है उसके सभी कामों की सराहना नहीं करना चाहता। एक बात पर मुझे यहां एतराज प्रकट करना चाहिए। केन्द्रीय सरकार ने इस सदन में ऐलान किया है कि साधारण साल की जो फसल होती है उससे 75 प्रतिशत अगर कम होगी तो, जहां ऐसा होगा उस इलाके को अकाल क्षेत्र मानना चाहिए। यह बात आपके पहले वाले जो मंत्री थे उन्होंने मुझको यहां कही थी। क्या वजह है कि आप सभी राज्यों को यह हिदायत नहीं देते हैं कि जिन राज्यों के जिन इलाकों में या हिस्सों में 25 प्रतिशत से इस साल कम फसल हुई है, उनको अकाल

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 22 मई 1967.

£ स्थगन प्रस्ताव देश में खाद्यान्न की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद।

*** श्री विभूति मिश्र, सांसद।

क्षेत्र घोषित किया जाए। लेकिन जब बिहार की गैर-कांग्रेसी सरकार ने इस सिद्धांत का पालन करते हुए अकाल की घोषणा करने की इच्छा प्रकट की, तो प्रधान मंत्री ने और श्री जगजीवन राम[@] ने, जो बिहार गए थे, उसको मना करने की कोशिश की। आखिरकार फैमिन कोड इनके द्वारा ही बनाया गया था और वह अब भी लागू है। इसलिए केन्द्र सरकार सभी राज्यों को कहे—केवल बिहार सरकार को नहीं—कि जिस क्षेत्र में पच्चीस प्रतिशत से कम फसल हुई है, वहां सीधे अकाल की घोषणा करें।

*** *** ***

लेकिन उधर से ही इस का विरोध किया जाता है।

मंत्री महोदय इस बारे में सारे आंकड़े सदन के सामने रखें कि केन्द्रीय सरकार ने भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों से जितना अनाज देने का वादा किया था, उसमें से वह कितना दे पाई। केरल के बारे में श्री गोपालन ने कहा है कि जितना चावल उसको मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल रहा है और वे लोग बड़ी तकलीफ में हैं।

बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि मार्च में उसको 17,000 टन अनाज कम मिला। मैं केन्द्रीय सरकार के वचन की बात कर रहा हूं, बिहार सरकार की मांग की नहीं। अप्रैल में उसको करीब 50,000 टन अनाज कम मिला। केन्द्रीय सरकार के हिसाब से मई में उसको करीब सवा दो लाख टन अनाज मिलना चाहिए, लेकिन 15 मई तक उसको केवल 50,000 टन अनाज मिल पाया है। मंत्री महोदय इस बारे में आंकड़े दें। यह उनकी जिम्मेदारी की बात है।

अगर मंत्री महोदय बिहार सरकार को कुछ हिदायत देना चाहते हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वह उससे फैमिन कोड पर अमल करवायें। उसके अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि जिन इलाकों में अकाल की घोषणा होती है, उनके बारे में साप्ताहिक रपट केन्द्रीय सरकार के पास आनी चाहिए।

*** *** ***

*[£]अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जो बयान मैंने सुना, मुझे उसमें आत्मप्रशंसा के अलावा और कोई चीज दिखलाई नहीं दी। उन्होंने इस बात का पूरा बखान किया कि हमने कितना बढ़िया काम किया है, लेकिन परिस्थिति की जो गम्भीरता है, उसके बारे में मुझे ऐसा लगता है कि इनको बिलकुल अहसास नहीं है।

इस सत्र के प्रारम्भ के पहले मैं बिहार के कई जिलों का दौरा करके आया हूं और मैंने अपनी आंखों से भागलपुर, संथाल परगना, मुंगेर जिलों की हालत देखी है। इतना ही नहीं मेरे पास गया, नवादा, पलामु, भोजपुर, कितने जिलों का नाम लूं, सब जिलों की रिपोर्टें आई हैं। लाखों लोग

[@] श्री जगजीवन राम, कृषि एवं सिंचाई मंत्री।

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 24 जुलाई 1973.

[£] अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय 'देश के विभिन्न भागों में व्याप्त अकाल और सूखे की स्थिति' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

आज भूख से मर रहे हैं। मेरे अपने क्षेत्र में कटोरिया क्षेत्र की राधानगर पंचायत में दो लोग भूख से मरे। मैंने स्वयं जाकर जांच की है। चांदन इलाके में एक हरिजन औरत ने कहा कि उनका एक लड़का भूख से मर चुका है और दो मृत्यु के कगार पर हैं। यह केवल विरोधी दल के लोग ही नहीं कांग्रेसी सदस्य भी कह रहे हैं कि वहां पर लोग भूखों मरने लगे हैं।

उत्तर प्रदेश की भी यही हालत है। यूथ कांग्रेस के लोगों ने कहा है कि बांदा जिले में भूख से 8 लोग मर चुके हैं। इलाहाबाद की भी यही हालत है, अन्य इलाकों की भी यही हालत है। बनारस विश्वविद्यालय का होस्टल अन्न के अभाव में बन्द हो गया है। अन्न को लेकर जो दंगा-फसाद हुआ उसके चलते केरल में सारी शिक्षण संस्थायें बन्द हो गई हैं। केरल के ऐसे इलाकों में अकाल की घोषणा करने का अधिकार वहां के मुख्यमंत्री ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे दिया है। इन सब बातों से पता चलता है कि परिस्थिति कितनी गम्भीर है।

कल मैंने वित्त मंत्री जी का भाषण सुना था। वह दिल्ली से बम्बई जाते हैं, बम्बई से कराड जाते हैं और फिर दिल्ली वापस आ जाते हैं, पूरे देश के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। मुंगेर जिले की एक दर्दनाक घटना में आप के सामने रखना चाहता हूं। तीन लोगों का एक परिवार है, उन्होंने जहर खाकर खुदकुशी कर ली, और जाते समय यह कागज एक प्लास्टिक के झोले में छोड़ कर गये। टूटी-फूटी भाषा में वे यह संदेश समूचे बिहार और देश को छोड़ कर गये हैं। वासुदेव राम नाम का एक पिछड़ी जाति का आदमी था उसने इस प्रकार लिखा है:

"श्रीमान, सभी सरकारों से निवेदन है कि झगड़ा-झंझट नहीं है। टोला-टाटी घर बस्ती कमाने को सकती नहीं है। खाने को नहीं मिल रहा है। अनर्गल जीवन की हत्या कर रहे हैं। इस काज में कोई बाधा नहीं डाल सकते। गौ कसम है, सूअर कसम है। सभी को हाथ जोड़कर जा रहे हैं।" एक कैश मीमो 1266 नम्बर का दिया है किसान भंडार जमुई का। फोलीडोल 100 ग्राम, 6.80 पैसे का बिल है। 6 महीने पहले उसके पास जो जमीन थी वह बेच डाली महाजन का कर्ज चुकता करने के लिए। उसकी जो शादीशुदा लड़की वहां आयी थी। उसके गहनों को भी बेच डाला। यह जमुई अनुमंडल की घटना है। इस तरह के कई दर्दनाक किस्से मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैं मंत्री जी को चुनौती देता हूं कि संसद को छोड़िये, आप, हम और दूसरे दलों के नेता चलकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का दौरा करके सही स्थिति की जानकारी हासिल करें। क्या आप इसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? लोग मर रहे हैं और आप यहां बैठे हैं। आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार नहीं हैं तो जिस तरह हरिजनों पर हुए अत्याचारों की जांच करने के लिए बिहार विधान सभा के अध्यक्ष, श्री हरिनाथ मिश्र ने एक सर्वदलीय समिति का गठन करके लोकतंत्र की गरिमा को ऊंचा उठाया, उसी तरह अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी अपील करूंगा कि अगर मंत्री जी मेरी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो आप इस बारे में, जैसा श्री हरिनाथ मिश्र ने किया, लोक सभा समूचे देश की पंचायत है, आप भी उसके बारे में वैसा कीजिए।

महाराष्ट्र के बारे में माननीय चव्हाण साहब ने कहा कि अच्छी वर्षा हो गई है, सब ठीक है। केन्द्र के द्वारा महाराष्ट्र को जो मदद दी जाती है उसमें कटौती की है। 50 पैसा मजदूरी मजदूरों की कम कर दी गई है। जून, जुलाई, अगस्त, सितम्बर में मजदूर लोग क्या खायेंगे। अच्छी वर्षा हुई, लेकिन महाराष्ट्र में इंसानों को अध्यक्ष महोदय, बैल के साथ जोड़ा जा रहा है क्योंकि बैल

नहीं है किसानों के पास। यह आंखों देखा हाल है। तो अध्यक्ष महोदय, स्थिति की गम्भीरता के बारे में कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन जो आत्मसंतुष्टि इनके बयान में मैं देख रहा हूं उससे बड़ी तकलीफ होती है।

पिछले मार्च महीने में यह लोग मुक्ति दिवस मना रहे थे कि इंदिरा ने इन्द्र से मुक्ति दिलाई भारत की खेती को। यह मार्च महीने में इंदिरा जी का बयान था कि भारत स्वावलम्बी हो गया। अब इतना अनाज पैदा होने लगा है कि रखें कहां यह हमारे सामने समस्या है। मार्च 1972 का भाषण है बिहार का उनका। उन्होंने कहा कि एक किलो अनाज भी अब विदेशों से नहीं मंगाया जाएगा बल्कि 70 साल पहले जिस तरह हम निर्यात करते थे वैसे ही अब समय आ गया है कि यहां से भारत का अनाज निर्यात किया जाएगा। 18 महीने पहले यह इनके बयान थे। और आज मुल्क की हालत क्या है?

अध्यक्ष महोदय, गल्ले का इन्होंने सरकारीकरण किया, मैं सिद्धांतों की बहस में नहीं जाता, एक बात मैं जानता हूं कि आने वाले कई वर्षों में हिन्दुस्तान में 25, 30 प्रतिशत ऐसे गरीब लोग रहेंगे जिन्हें सार्वजनिक डिस्ट्रिब्यूशन के द्वारा खिलाने का काम, सस्ता अनाज देने का काम, आपको करना ही पड़ेगा। यह मैं व्यावहारिक बात आपको बता रहा हूं। 25, 30 प्रतिशत लोगों को हर हालत में आपको राशनिंग के जरिये खिलाना पड़ेगा जिसमें खेतिहर मजदूर हैं, शहर के गरीब लोग हैं, छोटे किसान हैं जिनके यहां उनकी जरूरत का पूरा अनाज नहीं होता है।

लेकिन अध्यक्ष महोदय, सरकार के पास कोई दाम नीति नहीं है कि कारखाने में बनने वाली चीजों के दाम में और खेती में पैदा होने वाले माल में कैसा संतुलन रखा जाये। किसी प्रकार का कोई संतुलन करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। कल सवाल पूछा था उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। खेती की जो विभिन्न उपज हैं उनके दामों में कोई संतुलन नहीं है। तो जब गन्ने का दाम ज्यादा बढ़ जाता है तो किसान गेहूं छोड़ कर गन्ना बोने लगते हैं। सरकारीकरण गल्ले का किया लेकिन आप लोगों ने अभी भी दो मंडियों की प्रथा हर राज्य में जारी रखी है। मैं 18 तारीख को सर्चलाइट अखबार देख रहा था और उसमें मैंने दाम क्या देखा कि खुले बाजार में मकई का दाम, जो गरीब लोग खाते हैं, डेढ़ रुपया किलो और 88 पैसा किलो आप गेहूं बाजार में राशनिंग शोप्स में देते हैं। लेवी का गेहूं देने के लिए रिश्वतखोरी करके बड़े जमींदार लोग आपके भ्रष्ट अधिकारियों से मिलकर लेवी में राशन का गेहूं दे देते हैं, और उनका गेहूं 1 रु. 30 पैसे के हिसाब से बिक रहा है क्योंकि सप्लाई इन्स्पेक्टर एक बोरे के पीछे 5 से 10 रु. लेता है, बी.डी.ओ. 10 से 15 रु. लेता है और इसी तरह से दूसरे अधिकारियों का भी हिस्सा बंटा हुआ है। इसलिए इनके पास लेवी की कोई ठीक नीति नहीं है।

मेरा कहना है कि 10 एकड़ तक के किसान को इससे छूट दीजिए और उससे जो बड़े किसान हैं, उनके परिवार के खर्च के लिए अनाज रख कर, बाकी सब अनाज आप उनसे ले लीजिए, उचित दाम देकर। 76 रु. क्विंटल कोई उचित दाम नहीं है जबकि 3, 4 साल में फर्टिलाइजर का और हर चीज का दाम बढ़ गया है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि किसान आपको 76 रु. के भाव से गेहूं राजी से देगा? जो सिंथेटिक फाइबर, यार्न के मालिक हैं उनको आप सस्ते में बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, कारखानेदारों को बाध्य नहीं करते, लेकिन किसान से 76 रु. क्विंटल लेना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं उन्हें आप हाथ नहीं लगा सकते।

माननीय बिहार के भूतपूर्व मंत्री दिनेश सिंह के पास 35,000 एकड़ जमीन है उनको आप हाथ नहीं लगा सकते, इसी तरह से बिहार के पिछले मंत्रिमंडल में दूसरे सदस्य थे बढ़ैया के बद्री बाबू के पास हजारों क्विंटल गेहूं आपको मिल सकता है। उत्तर प्रदेश में भी बड़े-बड़े जमींदार मंत्री पड़े हैं, उनसे आपको गल्ला नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों से आप गल्ला नहीं निकलवा सकते, लेकिन 2 एकड़, 3 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़ वाले किसानों से आप 76 रु. क्विंटल पर गेहूं लेना चाहते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, मेरी मांग है कि दाम नीति की घोषणा हो, विभिन्न किसानों की जो उपज हैं उनमें संतुलन कायम किया जाय। आवश्यक करवाली चीजों का दाम थोड़े पर बंधे और 10 एकड़ वाले किसानों को छूट देकर बाकी जितने बड़े जमींदार हैं उनके परिवार के लिए अनाज छोड़कर बाकी गेहूं उचित दाम पर उनसे लिया जाए।

1966-67 में बिहार के ऊपर भीषण अकाल की छाया थी, लेकिन उस समय लोगों को सरकार बदलने का मौका था। नई सरकार आयी, अधिकारी उस समय डरते थे, मैं उस सरकार की तारीफ नहीं करता हूं, उसको अंत में गिरना चाहिए था और वह गिरी भी, लेकिन इतना अवश्य है कि पहले तीन, चार महीने तक, कोई आदमी इन्कार नहीं कर सकता इस बात से कि, जनता को खिलाने का काम संयुक्त मोर्चे की सरकार ने किया, किसी भी आदमी को भूखा नहीं मरने दिया गया, बूढ़े और अपाहिजों को लाल राशन कार्ड दिये गये। हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम में कठिन श्रम जो काम करने वाले मजदूर थे उनको राशन का गेहूं मिलता था। लेकिन आज सरकार के पास कोई काम नहीं रह गया है, आज भ्रष्ट सरकार और नौकरशाही का अस्तित्व है और सारा इंतजाम सड़ा करता है। इसलिए सरकार इस परिस्थिति को सुधारने के लिए क्या कर रही है? बिहार अब अकाल की चपेट में है, मृत्यु के कगार पर है तो बिहार में क्या हो रहा है? कौन मुख्य मंत्री बने इसके लिए आज भी झगड़े चल रहे हैं और कुछ लोग दिल्ली में बैठकर मंत्रियों और अधिकारियों को बदलने का काम करते हैं। अगर वह हिम्मत वाले मर्द होते तो स्वयं कहते कि बिहार की बागडोर लेने के लिए तैयार हैं। लेकिन वह ऐसा करेंगे नहीं। दिल्ली में बैठेंगे और सरकार को उलटने-पलटने का काम करेंगे। तो क्या इस तरह अकाल का मुकाबला होगा? इस तरह अकाल का मुकाबला नहीं हो सकता है।

मैंने जो नीतियों के मामले उठाये हैं, वितरण के मामले में सवाल उठाये हैं, मजदूरों को काम दिलाने के सवाल उठाए हैं, उनका आप साफ जवाब दें। लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। बाजार में दो तीन और चार रुपये के भाव पर गेहूं और चावल मिलता है तो खरीदेगा कौन? धीरे-धीरे लोग मर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि मंत्री महोदय हमारे साथ दौरे पर चलें और अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो मेरी आपसे विनती है कि आप एक सर्वदलीय समिति बना करके पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल तथा देश के और भी जो इलाके अकाल के शिकार हैं उसको दौरे पर जाने के लिए कहें और वापिस आकर वह एक सही रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत करें और इस अकाल का सामना कैसे किया जाए इसके बारे में ठोस सुझाव भी दें।

राष्ट्रीय खाद्य नीति*£

उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय खाद्य बजट के संबंध में जो प्रश्न पूछा गया था और जो उसका उत्तर आया है, उसको लेकर मैं यह बहस उठाना चाहता हूं। आपको याद है कि 30 मई को इस सदन में मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में कुछ सवाल पूछे गये थे, जिसमें राष्ट्रीय खाद्य बजट का सवाल भी पूछा गया था तथा सरकार की ओर से निम्न उत्तर दिया गया था—

> "It was recognised that the tentative national food budget placed before the Conference had some limitations on account of the imperfect data available relating to production, consumption, etc. It was, therefore, felt that in order to meet the difficult situation during the year it would be necessary to proceed on an *ad hoc* basis."

उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से यह मांग की गई थी कि राष्ट्रीय खाद्य बजट का जो मसौदा उन्होंने मुख्य मंत्री सम्मेलन के सामने रखा था वह सदन की टेबल पर भी रखा जाये लेकिन जान-बूझकर खाद्य मंत्री ने यह सदन की टेबल पर नहीं रखा। किसी भी मंत्री का यह फर्ज होना चाहिए कि सदन जो जानकारी मांगता है वह जानकारी उनको तत्काल दें। वैसे तो स्वयं ही देनी चाहिए और मांगने पर तो बिल्कुल इंकार नहीं करना चाहिए। लेकिन यहां अजीब हाल है? इसमें कोई राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है फिर क्या वजह है कि मंत्री महोदय आपने आंकड़े और अपना मसौदा सदन के सामने रखने के लिए तैयार नहीं हैं? मेरा अपना अंदाज है, अनुमान है कि वह इसलिए नहीं रखना चाहते हैं कि राष्ट्रीय खाद्य बजट का उन्होंने जो आधार बनाया था उसमें इतनी विषमता, असमानता और अमानुषता थी कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है सदन के सामने आने की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास वह कागज नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं प्राप्त करने की अगर मुझको मिल जाएगा तो मैं स्वयं रख दूंगा। लेकिन मुझे खबर मिली है कि उसमें इन लोगों ने कहा है कि कुछ राज्यों के आदमी जो हैं वह साल में 108 किलो या 112 किलो अनाज खाकर जिंदा रह सकते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं कि जिनको 120 किलो मिलना चाहिए, 130 किलो मिलना चाहिए और कुछ राज्य शायद ऐसे भी हैं कि जहां 140 किलो देने की बात कही गई है। जैसाकि हमेशा होता है माननीय खाद्य मंत्री जिस इलाके से आते हैं वह बड़ा अभागा इलाका है, फी व्यक्ति राज्यवार आमदनी का जहां तक सवाल है हिन्दुस्तान में सबसे गरीब इलाका बिहार का इलाका है। सरकार के पास मैंने कई दफे कहा कि तीन योजनाएं खत्म हो चुकीं, चौथी योजना आप बना रहे हो लेकिन अभी तक राज्यवार फी व्यक्ति आमदनी क्या है उसका अभी तक पता नहीं। कई सवाल मैंने पूछे मगर कह दिया गया कि योजना मंत्रालय अध्ययन कर रहा है।

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 7 जून 1967.

£ आधे घंटे की चर्चा के दौरान राष्ट्रीय खाद्य बजट पर बहस का मुद्दा उठाते हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इसका कब और कैसे पता चलेगा? अगर आप ठीक योजना बनाना चाहेंगे तो किस राज्य की क्या आवश्यकता है, कहां गरीबी ज्यादा है, स्वास्थ्य का इंतजाम सबसे खराब कहां हैं, शिक्षा की कमी कहां है इन चीजों का पता लगाना चाहिए। जब तक सरकार स्वयं इसके बारे में आंकड़े इकट्ठे करके सदन के सामने नहीं रखती है और अपनी आर्थिक योजना भी उसी के आधार पर नहीं बनाती है। देश में संतुलित विकास नहीं हो पायेगा।

इसी तरह फी व्यक्ति अनाज की उपलब्धि पिछले पांच वर्षों में क्या रही, उसके बारे में भी हमने कई सवाल पूछे थे लेकिन अखिल भारतीय औसत तो ये हर साल बतलाते हैं कि इस साल इतनी उपलब्धि रही, पिछले साल इतनी थी और कितनी कम हो गयी है। अखिल भारतीय औसत आंकड़े तो आ रहे हैं। लेकिन राज्यवार आंकड़े नहीं आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है या हिन्दुस्तान के जो दूसरे पिछड़े हुए इलाके हैं उनमें अनाज की फी व्यक्ति उपलब्धि अखिल भारतीय औसत है, उससे दो या डेढ़ या ढाई औंस कम है। उसके बारे में तथ्य और आंकड़े सदन के सामने नहीं रखे गये हैं। फी व्यक्ति आमदनी के औसत के आंकड़े शायद इनके पास उपलब्ध नहीं है लेकिन लोकनाथन की जो संस्था है उसने दो दफे इसके बारे में आंकड़े प्रकाशित किये हैं और इन आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले 15 वर्षों में राज्यवार फी व्यक्ति जो आमदनी है, पर कैपिटा इनकम स्टेटवाइज उसमें जो अन्तर है, विषमता है वह कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। फिर मैं जिक्र करना चाहता हूं कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, उड़ीसा है, इन राज्यों की आमदनी और आंध्र, महाराष्ट्र के भी कुछ ऐसे जिले हैं और दूसरे इलाकों के भी जिले हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है। पश्चिम बंगाल चूंकि उसमें कलकत्ता है, उसी तरह पंजाब है जहां अंग्रेजों के जमाने से विकास पर पूंजी लग रही है, नहर आदि को लेकर महाराष्ट्र चूंकि उसमें बम्बई* है, मैं देहाती इलाकों की बात नहीं कर रहा हूं फी व्यक्ति औसत आमदनी बिहार से दुगुनी है। इनके बारे में कोई आंकड़े नहीं दिये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक और दुःख की बात है। मैं कभी कभी अपने को भी दोष देता हूं कि दो साल हो गये मेरे ध्यान में यह बात कैसे नहीं आई कि आपने खेती के दाम निश्चित करने के लिए एक कमीशन बनाया। उसकी एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। यह मेरे पास है। यह करीब-करीब दो साल पहले की रपट है। उसके बाद मेरा ख्याल है कि 10-11 रपट आ चुकी हैं। इनमें से एक भी आप ने प्रकाशित नहीं की है। अभी गेहूं के बारे में, जूट के बारे में रपट आई है। यह रपट भी आपने प्रकाशित नहीं की है। मैं आज खाद्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि पहली रपट प्रकाशित करने के बाद आज तक इन्होंने बाकी रपटों को क्यों नहीं प्रकाशित किया? सारांश तक नहीं है। मैं समझता हूं कि उसका कारण यह है कि एग्रीकल्चरल प्राइसैज कमीशन ने अपनी विभिन्न रपटों में सरकार की खाद्य नीति की घोर आलोचना की है। वह डरते हैं कि उन्होंने ही जो कमीशन बनाया जो रपट है, जो सिफारिशें हैं उनके प्रकाशित होने से सरकार को नुकसान पहुंचेगा।

---

* अब मुम्बई के नाम से प्रचलित है।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीय खाद्य बजट इसलिए नहीं बन रहा है कि खाद्य के बारे में इनकी कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। कल ही एक सवाल यहां पर पूछा गया कि इनकी जो देश को टुकड़ों-टुकड़ों में बांट देने की नीति है, जिसके कारण इधर का अनाज उधर नहीं जाता, उसका क्या नतीजा हो रहा है? ऐसा सवाल पूछा गया था। मेरा ख्याल है कि देसाई साहब का यह सवाल है। उसमें उन्होंने पूछा है कि विभिन्न राज्यों में जो अगल-बगल में हैं, उनमें उसी अनाज के दाम क्या हैं? एक बड़ी विचित्र चीज मिलती है और खुद सरकार ने जवाब में स्वीकार किया है कि यह जो मोटे अनाज का मई महीने में थोक दाम 170 रुपये क्विंटल था और उसी का दाम महाराष्ट्र में साढ़े 68 रुपये था। इसी तरह मैं पंजाब और दिल्ली का भी जिक्र करूं। अनाज के दाम पंजाब में 77 रुपये है दिल्ली में 57 रुपये है। यह ज्यादा आंकड़े मैं देना नहीं चाहता लेकिन बात बिल्कुल साफ है कि इन्होंने देश में जो कई पाकिस्तान पैदा किये हैं उसका यह नतीजा हुआ है कि आज हिन्दुस्तान के कई इलाके चूसे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि खाद्य के बारे में वह बुनियादी बातों पर सोचें। उनसे एक दफा पूछा गया कि खाद्य के बारे में हिन्दुस्तान में व्यक्ति की आवश्यकता क्या होती है, तो उन्होंने बड़ा अजीब जवाब दिया है। जब उनसे आवश्यकता के बारे में पूछा गया तो वह यह जवाब देते हैं:

> "There is no uniform daily requirement of foodgrains per person even in India. The requirement of foodgrains by a person depends on his income."

यानी खाद्य की आवश्यकता आमदनी पर निर्भर करती है। उपलब्धि या खरीदने की शक्ति आप कहेंगे उस पर निर्भर करती होती तो मैं मानता। लेकिन हमारा एक साधारण औसत तो निकालना चाहिए कि कम से कम जिन्दा रहने के लिए, ठीक तरह से, हिन्दुस्तान में गल्ले की इतनी आवश्यकता है। हर एक रोज किसी भी व्यक्ति को इतना अनाज देने की जिम्मेवारी, मैं समझता हूं, सरकार की और शासन की है। शासन से मेरा हर्गिज यह मतलब नहीं है कि केवल केन्द्रीय सरकार की। उसमें मैं राज्य सरकारों को भी समाविष्ट करता हूं। लेकिन जब इस किस्म के ऊटपटांग जवाब आते हैं तो उसका मतलब होता है कि खाद्य मंत्री की राय में जो गरीब लोग है, हरिजन हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ज्यादा मर रहे है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में—यही लोग मर रहे हैं पिछड़े हुए क्षेत्रों और वर्गों के जिन की आमदनी कम है—उनको अधिक खाद्य की आवश्यकता नहीं है। अगर यह कहते कि जितनी आवश्यकता है उतना नहीं मिल रहा है और उसे दिलाने के लिए हम राष्ट्रीय नीति बना रहे हैं, एक राष्ट्रीय बजट बना रहे हैं तो उनकी बात मानता।

आप की मार्फत जो जानकारी मैंने मांगी है वह मंत्री महोदय देने की कृपा करें और अपनी राष्ट्रीय खाद्य नीति क्या है, उसकी मोटी-मोटी बातें क्या हैं, यह सदन के सामने रखने का कष्ट करें।

*£अध्यक्ष महोदय, मैं दो बातें कहना चाहता हूं। जहां तक इनकी नयी नीति का सवाल है इसके बारे में अखबारों में एक अरसे से खबरें आ रही हैं और उसके ऊपर बाकायदा हम लोगों

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 3 अप्रैल 1974.

£ गेहूं की अधिप्राप्ति और मूल्यनिर्धारण संबंधी नीति पर चर्चा के दौरान।

के द्वारा नोटिस दिये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि हम लोगों के द्वारा जो ध्यानाकर्षण के सुझाव दिये गये थे उनके जवाब में इनका बयान क्यों नहीं आया क्योंकि उसके जवाब में बयान आता तो हम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता। तो इस सदन में इसके ऊपर तत्काल बहस करने का मौका मिले और अभी मंत्री महोदय खुलासा करें कि इस वक्त हिन्दुस्तान के कई इलाकों में खास कर के बिहार में अनाज का इतना घोर अभाव है कि राशन की दुकानों में बिल्कुल अनाज नहीं है, लोग भूखों मर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भी खबरें आ रही हैं, कई सूबों में भुखमरी से लोग मर रहे हैं, तो मंत्री महोदय कम से कम यह इस वक्त बताने की कृपा करें कि बिहार आदि इलाकों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा आज का वितरण करने के बारे में तत्काल कौन से कदम वह उठाने जा रहे हैं?

*** *** ***

सभापति महोदय, मुझे लगता है कि जो वर्तमान माहौल है, उसमें सरकारी व्यापार में खर्चीलापन और घूसखोरी अनिवार्य है और निजी व्यापार से मुनाफाखोरी बिल्कुल सन्निहित है। ऐसी हालत में पिछले वर्ष जिस नीति को अपनाया गया, उससे मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। आज जब कि नई फसल आ रही है, अगर गेहूं का दाम कहीं दस रुपये या पन्द्रह रुपये गिर जाता है, तो माननीय सदस्यों को बहुत ज्यादा आशावादी नहीं होना चाहिए। अभी पूरा साल बीतने वाला है। इसलिए नई नीति से भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है।

इस सदन में साधनों के बारे में—सरकारी व्यापार बनाम निजी व्यापार के बारे में बड़े जोर-शोर से बहस हुई है, लेकिन उद्देश्यों की चर्चा हम लोगों ने बहुत कम की है। मेरी राय में तीन प्रधान उद्देश्यों को हमें अपनी खाद्य नीति के जरिये हासिल करना चाहिए। पहला उद्देश्य तो यह है कि उत्पादकों को उनकी फसल का उचित दाम मिले और उनकी पैदावार को बढ़ाने के लिए खाद, बीज, कीटनाशक दवायें और पानी आदि जो चीजें आवश्यक हैं, वे भी उनको उचित दाम पर मिलें, ताकि देश अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन सके।

दूसरा उद्देश्य यह है कि शहरों और ग्रामीण इलाकों की गरीब जनता को सस्ता अनाज मिले। मैं ग्रामीण जनता पर जोर देना चाहता हूं, क्योंकि अक्सर मंत्री महोदय उसको भूल जाया करते हैं। जहां तक ग्रामीण इलाकों का सवाल है, केरल वगैरह एक दो सूबों का अपवाद छोड़कर ग्रामीण इलाकों में करीब-करीब सरकारी वितरण व्यवस्था एक अर्से से समाप्त हो चुकी है।

तीसरा उद्देश्य यह है कि विभिन्न फसलों के दामों के बीच, और खेती-माल के दाम और कारखानों की चीजों के दामों के बीच में एक समन्वय और संतुलन हो। अगर सरकार इन तीन उद्देश्यों को पूरा नहीं करेगी, तो कोई भी खाद्य नीति सफल नहीं हो पायेगी।

सरकार को यह कबूल करने में क्या दिक्कत है कि उसने विगत साल जिस नीति को चलाया, उसमें वह पूर्णतया असफल रही? लेकिन सरकार ने इस असफलता के कारणों की खोज नहीं की। सरकार ने अनाज प्राप्त करने के बारे में लक्ष्य बनाये थे, लेकिन पंजाब और हरियाणा को छोड़ कर और किसी भी राज्य ने उनमें से 60 प्रतिशत लक्ष्य भी हासिल नहीं किया है। जहां तक बिहार

का संबंध है, उसका 6 लाख टन का लक्ष्य था, लेकिन उसने 50,000 टन गल्ला भी हासिल नहीं किया। इसी तरह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी सरकार पूर्णतया असफल रही। ऐसी हालत में सरकार को इस असफलता के कारणों की खोज करनी चाहिए थी।

आज सरकार थोक व्यापारियों को 105 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए तैयार हो गई है। लेकिन हम पूरे साल भर कहते रहे कि काश्तकारों को सरकार कम से कम 90 रुपये प्रति क्विंटल—और अगर संभव हो, तो 100 रुपये प्रति क्विंटल दे, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। अगर यह दाम किसानों को दिया जाता, और जिन बड़े-बड़े जमींदारों के पास अतिरिक्त अनाज है, उनके साथ थोड़ी सख्ती की जाती—एक ओर उचित दाम दिये जाते और दूसरी ओर थोड़ी सख्ती की जाती—तो मेरा ख्याल है कि सरकार का अनाज हासिल करने का जो लक्ष्य था, उससे अधिक मिल जाता। लेकिन सरकार ने यह एक बहुत बड़ी भूल की और आज उसको थोक व्यापारियों को 105 रुपये प्रति क्विंटल देने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इसमें से कितना काश्तकारों को मिलने वाला है, इसके बारे में भी मेरे मन में सन्देह है।

गेहूं पैदा करने वाले जो अतिरिक्त राज्य हैं, सरकार उन से तो अनाज नहीं भेजने देगी। उसका नतीजा होगा कि उन राज्यों में गेहूं के दाम नीचे चले जायेंगे। और काश्तकारों को 105 रुपये नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो उसके बारे में आप क्या करने वाले हैं? यह आप अपने भाषण में हम लोगों को बता दें कि क्या सरकार स्वयं यह जिम्मेदारी लेगी कि अगर काश्तकारों को यह नहीं मिलेगा तो हम लोग 105 रुपये फूड कारपोरेशन या और जो संस्थाएं हैं उनके मार्फत उनको देंगे? विगत साल 76 रुपये क्विंटल दाम निर्धारित किया गया था और मुझे याद आता है कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के अपने दौरे में किसानों से यह कहा था कि अगर 76 रुपये क्विंटल आप गल्ला देने के लिए तैयार नहीं होंगे तो हम विदेशों से सस्ता गल्ला मंगवाने के लिए तैयार हो जायेंगे। अब आपने स्वयं कहा है कि विदेशों से गत वर्ष 1973 में आपने 41 लाख टन गल्ला मंगवाया। तो क्या 76 रुपये क्विंटल से कम दाम देकर आपने यह अनाज मंगवाया? तो इस तरह की जो धमकी किसानों को दी गई उसका क्या मतलब है?

मैं उत्पादन की चर्चा करना चाहता हूं जिसकी ओर बहुत कम ध्यान गया है। आप अगर विगत कुछ वर्षों के आंकड़े देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1966-67 से 1970-71 तक पांच वर्षों में गेहूं की पैदावार डबल हो गई। यानी औसत अगर प्रतिवर्ष का निकाला जाये तो हर साल 20 प्रतिशत से भी अधिक उत्पादन में वृद्धि हुई। फिर क्या बात है कि 1970-71 के बाद गेहूं के उत्पादन में कुंठा की स्थिति उत्पन्न हो गई? जब तक इसकी जड़ में नहीं जायेंगे तब तक इस मामले की सफाई नहीं होने वाली है। मेरी राय है कि 70-71 के बाद एक ओर कारखानों की चीजों के दाम लगातार बढ़ते चले गये, किसानों के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते गये और एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन में जो शहरी दिमाग के लोग बैठे हैं उन्होंने इन बातों पर विचार नहीं किया। तीन-चार साल तक आपने गेहूं को खरीदने का दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाया। उसका नतीजा यह हुआ कि धीरे-धीरे उत्पादन की वृद्धि में कुंठा की स्थिति उत्पन्न हो गई।

अब आप आयात की तरफ देखें। 1966 में लगभग 1 करोड़ टन से भी अधिक अनाज आप लोगों ने मंगवाया और 1972 तक वह कम होता गया, सिर्फ चार लाख टन आपने मंगवाया। लेकिन

आपकी इन गलत नीतियों का एकदम असर 1973 में पड़ा जबकि आपको 41 लाख टन अनाज बाहर से मंगवाना पड़ा और रूस से 20 लाख टन कर्जा लेना पड़ा।

*** *** ***

*आपके वक्तव्य से तो यह साफ नहीं होता है। आपने कहा कि 41 लाख टन आपने मंगाया और 20 लाख टन रूस से कर्जा लिया। अब आप उसको साफ करिए।

तो सरकार की जो नई नीति है इस नीति के बारे में मेरे मन में कई संदेह उत्पन्न हो जाते हैं। एक तो इस वक्त राशनिंग की कोई बात नहीं बताई गई बल्कि खाद्य मंत्री ने यह कहा है कि जहां तक सार्वजनिक वितरण का सवाल है हम अपनी जिम्मेदारी को जितना हो सके घटाने का प्रयास करेंगे, यह मंत्री महोदय का वक्तव्य है। अगर वर्तमान में जो स्थिति है उसके अधीन आप करेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस तरह अपनी जिम्मेदारी को घटाने का आप प्रयास करेंगे तो जो खेतिहर मजदूर और भूमिहीन लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतने वाली है यह आप जरा विचार कीजिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो भी वितरण पद्धति रहेगी उसमें घूसखोरी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि जिसकी कोई हद नहीं। जैसाकि मैंने पिछले शुक्रवार को अपने प्रस्ताव पर बोलते हुए कहा, दो-तीन महीने पहले मैंने यह कहा था कि ये जो सप्लाई इंसपेक्टर हैं ये लोग गेहूं के एक बोरे पर 5 रुपया घूस लेते थे, आटे की बोरी पर दस रुपये घूस लेते थे, चीनी और केरोसीन पर 15 रुपये लेते थे और दो तीन महीने के अंदर स्थिति यह हो गई कि अब दस रुपये गेहूं के बोरे पर ले रहे हैं, 25 रुपये चीनी के ऊपर ले रहे हैं और एक ड्रम कैरोसीन के ऊपर 25 रुपये ले रहे हैं। ये लोग पकड़े गए हैं किसी तरह की जांच नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है, चाहे आप सरकारी व्यापार का प्रयोग कीजिए, चाहे निजी व्यापार का प्रयोग कीजिए, जब तक आप सरकारी संस्थाओं और नौकरशाही की अपनी व्यवस्था को शुद्ध करने का काम नहीं करेंगे, घूसखोरी के ऊपर नियंत्रण नहीं रखेंगे तब तक कोई भी प्रणाली आपकी नहीं चलने वाली है चाहे लाख प्रयोग आप कीजिए। इसलिए मैं मंत्री महोदय से बुनियादी तौर पर अपील करना चाहता हूं कि यह जो घूसखोरी का सिलसिला ऊपर से नीचे तक चलता है उसका वह क्या इलाज करने जा रहे हैं? इसमें यह कहा गया है कि सरप्लस में से गेहूं बाहर भेजने के लिए परमिट दिया जाएगा और जब किसी ने कहा कि इसमें बड़ी घूसखोरी होगी तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें घूसखोरी की क्या गुंजाइश है? तो मैं आपसे विगत साल की एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र कोआपरेटिव फेडरेशन के लोग पंजाब में गेहूं खरीदने के लिए गए थे और वह कांग्रेस दल के ही हैं। उनके अध्यक्ष ने कहा कि मुख्य मंत्री के इर्द-गिर्द घूमने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने एक क्विंटल के पीछे 15 रुपये उनसे मांगा था। तो इस साल जो थोक व्यापारी अनाज बेचेंगे। ...मैं आपसे कहता हूं कि यह आप के दल के लोगों ने मुझसे कहा है। आपके दल के लोग झूठ बोलते हैं तो बात अलग है।...

*** *** ***

...नाम ले सकता हूं मैं लेकिन मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं तो शिन्दे साहब को बता दूंगा।

---

* श्री फखरुद्दीन अली अहमद, औद्योगिक विकास और कम्पनी कार्य मंत्री द्वारा यह कहने पर कि "जो रूस से आया है वह भी 41 लाख टन में ही है" का जवाब देते हुए।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो बाहर जाएगा इस तरह से उसके ऊपर घूस लेने की प्रक्रिया चलेगी। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि यह प्रयोग करने के बाद अंत में आप इसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि लेवी के अलावा आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेवी के बारे में मेरी यह तजवीज़ है कि आधा आप खुले बाजार में होलसेलर को बेचने की छूट देते हैं तो आप काश्तकारों को देने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं? अगर आप ऐसी नीति बनाते हैं तो दस एकड़ तक आप किसानों और काश्तकारों को बिल्कुल माफ कर दीजिए और जो इने-गिने सरप्लस फार्मर्स हैं, दस या पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे उनसे आप कहिये कि 50 प्रतिशत यह जो नया दाम निर्धारित किया है उस दाम पर वह दें और बाकी खुले बाजार में बेचें। खुले से मतलब है प्रान्तबन्दी, जिलाबन्दी इत्यादि को खत्म कर देना और किसान को पूरी छूट दे देना कि खुले बाजार में वह अपना अनाज बेचें। आज जो थोक व्यापारियों को छूट दे रहे हैं वह काश्तकारों को देने में क्या तकलीफ है? यदि इस तरह की व्यवस्था आप करेंगे तो कुछ काम आपको जरूर करने पड़ेंगे जिनमें एक काम यह करना जरूरी हो जाएगा कि विभिन्न राज़्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या बिहार इनमें जो बड़े काश्तकार हैं जो सीलिंग के कानून में नहीं माने गए हैं ऐसे लोगों के ऊपर लेवी लगाने का काम आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो नतीजा यह होगा कि बिहार जैसे राज्य में 38 प्रतिशत आबादी भूमिहीनों की और खेतीहर मजदूरों की है, मैं शहर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वे लोग भूखे मर जाएंगे। लगभग इसी अनुपात में 26, 27, 28 प्रतिशत तक विभिन्न राज्यों में हैं। तो मेरा यह सुझाव है कि जो भी लाभ हो वह उत्पादकों को हो। बीच में आपकी नई नीति के फलस्वरूप पहले नौकरशाही के लोग मौजमस्ती करते थे अब आप थोक व्यापारियों को छूट देने वाले हैं। इसमें काश्तकारों को कौन सा लाभ होने वाला है, यह मेरी समझ में नहीं आता।

दूसरी बात—काश्तकारों के लिए मैंने यह कहा है कि आप अपनी कर नीति के बारे में पुनर्विचार कीजिए। मिर्धा साहब ने उस दिन मेरी राय से अपना विरोध प्रकट किया, बिजली के दामों के बारे में और सिंचाई के दामों के बारे में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बोवाई से मंडी तक किसान का जो माल आता है उसमें पचासों संकट किसान के ऊपर आ सकते हैं जिसके फलस्वरूप अच्छी फसल जो आप को खड़ी दिखाई पड़ती है, कई चीजें उसमें हो सकती हैं, कीड़े लग सकते हैं या और तरह से वह खत्म हो सकती है, इसलिए इनपुट के ऊपर कर लगाने की जो आप की नीति है उसमें आप बुनियादी, परिवर्तन कीजिए और आमदनी के ऊपर कर लगाने की नीति आप अपनाइए। इसमें किसानों का बचाव होगा और उसके साथ फसल इंश्योरेन्स की पालिसी को भी यदि आप चला देंगे तो पूरे देश में हरित क्रान्ति हो जायेगी। अगर यह करने की आपकी तैयारी नहीं है तो...

*** *** ***

मैं एक सिद्धांत की बात कह रहा हूँ। इनपुट्स के ऊपर कर लगाने की नीति से उत्पादन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। अगर आप इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं तो न मानिये। लेकिन मेरा अपना अनुभव यह है और मेरे क्षेत्र के किसान भी यही कहते हैं कि सिंचाई के ऊपर, खाद के

ऊपर, बिजली के ऊपर अनाप-शनाप कर लगाते रहेंगे तो उत्पादन के लिए हमको कोई प्रोत्साहन मिलने वाला नहीं है।

आमदनी के बारे में कोई नीति बनायें, केन्द्रीय कर कम हो, अफसरों के जुल्म कम हों, यदि इन सब बातों के लिए आप सोचना चाहते हैं तो जब तक इस तरह के बुनियादी परिवर्तन नहीं होंगे, आपके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होगी। एक ओर उत्पादकों को प्रोत्साहन देना है, पैदावार में मुल्क को आत्मनिर्भर बनाना है, दूसरी ओर ये 25-30 प्रतिशत की जो आबादी है, जो बिल्कुल असहाय है, जिसके पास कोई रास्ता नहीं है, सिवाय इसके कि सरकारी दुकानों से अनाज खरीदे—वर्तमान व्यवस्था में इनकी स्थिति और ज्यादा खराब होने वाली है।

मैं फिर कहना चाहता हूं—यदि बेरोजगारी की समस्या का आप समाधान करना चाहते हैं तो तथाकथित औद्योगिकीकरण की नीति से कुछ होने वाला नहीं है बल्कि खेती का विकास होगा तो औद्योगिकीकरण भी सफल होगा और बेकारी की समस्या भी हल हो जायेगी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की असफलता*£

मान्यवर, एक लम्बे अर्से से इस संकल्प पर इस सदन में बहस चल रही है। बहस के दौरान जितने सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया अधिकतर लोगों ने इस प्रस्ताव से अपनी सहमति व्यक्ति की। जो कांग्रेस के सदस्य थे उनमें मैंने एक भयंकर हताशा और निराशा पायी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव तो अच्छा है, सरकार का जवाबी भाषण भी अच्छा होगा लेकिन जब कार्यान्वयन का सवाल आयेगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तकरीबन सभी कांग्रेस सदस्यों ने यह बात कही। अभी मंत्री महोदय ने सार्वजनिक वितरण व्यवस्था पर बहुत ज्यादा जोर दिया। जैसाकि मैंने अपने प्रस्तावित भाषण में कहा था मेरी चिन्ता यही है कि मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने क्षेत्र के उदाहरण दिये थे, उसमें शहर वगैरह बिल्कुल नहीं हैं, तो जो ग्रामीण समाज में बिहार में 38 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन अखिल भारतीय पैमाने पर 25 प्रतिशत, इनके लिये आपकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था क्या कर रही है? मुझे ऐसा लगता है कि सार्वजनिक वितरण व्यवस्था टूट चुकी है और इस साल बड़े पैमाने पर लोगों को तकलीफ होने वाली है। यह सिलसिला विगत साल से ही शुरू हुआ था जब हम लोग कहते थे कि भुखमरी से लोग मरने लगे हैं। तो सरकार हमेशा कहती है थी कि यह सत्य नहीं है। कोई न कोई दूसरा कारण ढूंढ़ा जाता था, दिल का दौरा पड़ गया, चेचक हो गई, इस प्रकार कुछ न कुछ कारण दिया जाता था। लेकिन विगत साल एक भले डाक्टर ने जो पोस्टमार्टम किया उसमें सत्य कहने की उन्होंने हिम्मत दिखायी। यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और उसमें हिम्मत के साथ, मेरे ख्याल से इस देश में पहली बार किसी ने हिम्मत के साथ सच्चाई को सामने रखा। मध्य प्रदेश सरकार ने धमकी दे रखी है कि जांच कर रहे हैं। उस डाक्टर ने यह कहा कि

"The cause of death is chronic starvation".

यह मैं धर साहब की खिदमत में सारे कागजात पेश कर रहा हूं। तो मैं यह कह रहा हूं कि इस देश में जो गरीब लोग हैं, जो हमेशा भूखे रहते हैं, उनके प्रति थोड़ी हमदर्दी दिखाइये। यह हिम्मत वाला डाक्टर है कोई नहीं जानता है इसको, किसी भी दल का वह नहीं है।

इसलिये मैं मंत्री महोदय ने कहना चाहता हूं कि यह जो नई उन्होंने खाद्य नीति अपनायी है, मैं तो हमेशा इस राय का रहा हूं कि पुरानी भी निकम्मी है और नई भी असफल रहेगी। क्यों? जब खाद्य नीति पर बहस हुई थी तो उसके कारण मैंने विस्तार से बताये। मेरी आज भी यही राय है कि एकमात्र रास्ता है कि आप ग्रेडेड लेवी की प्रणाली को चालू कीजिए और बाकी किसानों

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 10 मई 1974.

£ 'मूल्य और कृषि उत्पादन' संबंधी नीति के बारे में चर्चा में भाग लेते हुए।

को पूरी छूट दीजिए। पूरे भारत में फूड जोन बनाइये और उसमें किसानों को छूट दीजिये कि जिस आदमी को वह बेचना चाहें बेच सकते हैं, ग्रेडेड लेवी के अलावा। लेकिन चीनी मिल मालिकों के प्रति आपका क्या रुख है? 70 प्रतिशत चीनी उनकी आप लेते हैं और कहते हैं कि 30 प्रतिशत जिस दाम से बेचना चाहें बेचें। लेकिन जब किसानों का, काश्तकारों का सवाल आता है तो पचास तरह की बातें आप करते हैं। पिछले वर्ष भी आपकी नीति के फेल होने के कारण यही थे। ग्रेडेड लेवी के सिस्टम को आपने नहीं अपनाया, किसानों को उचित मूल्य आपने नहीं दिया।

और तीसरी चीज आपकी एफ.सी.आई. और सारी वितरण व्यवस्था इतनी खर्चीली है कि उसका बोझ ढोते-ढोते इस देश की गरीब जनता तबाह हो गई है। सब्सिडी देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप भ्रष्टाचार और इस खर्चीलेपन को खत्म करेंगे। लेकिन आप असफल रहे हैं।

अभी अन्तिम चार बातें आपने कहीं कि यह होना चाहिये, वह होना चाहिये, लेकिन यह सब आपकी आशायें हैं, वास्तव में यह होने वाला नहीं है क्योंकि दिन-प्रतिदिन सार्वजनिक वितरण व्यवस्था भ्रष्ट हो रही है। माननीय शिन्दे ने कुछ दिन पहले मेरे एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा, जिसका जिक्र मैंने किया था, कि औद्योगिक चीजों की तुलना में खेती माल के दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन एक पूरा सिलसिला आप लेंगे 10, 15, 20, 27 साल का तो मेरी राय में यह बात सही नहीं है।

आप कपड़े की बात लीजिये। यह 1972 की जो प्रमुख कपड़े की मिलें हैं उनकी बिक्री के और मुनाफे के आंकड़े मेरे पास हैं, यह बैलेंसशीट्स हैं, इनका आप अध्ययन कीजिए, केवल आइवरी टावर में बैठ कर योजना न बनायें। जब साठे साहब ने कहा कि जीवन स्तर ऊपर ले जा रहे हैं तो मुझे लगा कि ऐसे स्थान पर वह विवाद को ले जा रहे हैं कि धरातल पर उतर ही नहीं रहा है। मेरे पास बोम्बे डाइंग की वार्षिक रिपोर्ट है इसमें इनकी बिक्री में 15 प्रतिशत इजाफा हुआ सेल्स में। लेकिन मुनाफे में 75 प्रतिशत का इजाफा हुआ। सेंचुरी मिल्स की बिक्री बढ़ गई 16 प्रतिशत एक साल में, मुनाफा बढ़ गया 32 प्रतिशत। अम्बिका मिल्स 23 प्रतिशत बिक्री बढ़ी, मुनाफा बढ़ा 100 प्रतिशत। इसका मतलब यह है कि प्रति मीटर जो उनका उत्पादन हुआ प्रति मीटर इनका मुनाफा बढ़ता चला जा रहा है। तो जब आप कहते हैं कि किसान को ज्यादा मिल रहा है और औद्योगिक माल पैदा करने वाले लोगों के दाम घट रहे हैं तुलनात्मक दृष्टि से तो मुझे लगता है कि यह सत्य नहीं है।

जूट के बारे में आपने स्वयं कबूल किया कि 157.50 रु. क्विंटल उसके दाम निर्धारित किये ग्रामीण इलाके में किसानों को 105, 110 रु. भी नहीं मिल रहे हैं। अरबों रुपये की लूट अकेले पूर्वी भारत में जूट पैदा करने वाले किसानों की हुई है जिसके चलते उसका असर आप देखिये कि किसानों ने कहना शुरू कर दिया कि धान लगायेंगे, और दूसरी चीजें लगायेंगे जिसकी वजह से जूट की कमी निश्चित रूप से आपके सामने आयेगी। तो 1971 के बाद लगातार मैं यह आंकड़े दे रहा हूं, 1971 से अधिक मुनाफा 1972 में, और 1972 से अधिक मुनाफा 1973 में लगातार मुनाफा बढ़ रहा है।

अब जहां तक गरीब जनता की आपने बात की, कई दफा हमने यहां पर सवाल उठाया था कि जो कपड़ा हमारी मिलों में पैदा होता है क्या आप कोई नियम नहीं कर सकते कि 50 फीसदी कम से कम ऐसा मोटा कपड़ा हो जो साधारण लोग इस्तेमाल कर सकें? कुछ तो आपने बढ़ाया है, 50 फीसदी नहीं, पहले 10 प्रतिशत था शायद डबल करने का विचार किया है। लेकिन हो क्या रहा है? आज आपके नियमों को तोड़कर फाइन और सुपर फाइन कपड़ा बनाना और उसके लिए जुर्माना देना मिलों के लिये ज्यादा फायदेमन्द है। और आपका टैक्सटाइल कमिश्नर और व्यापार मंत्रालय क्या कर रहा है कि जो आपके नियम हैं, उनका भी सख्ती से पालन नहीं हो रहा है। कापड़िया गुट के दो मिल कोहेनूर और नवजीवन हैं। आप जानते हैं कि मोटा कपड़ा न बनाने के अभियोग में मिलों पर जुर्माना लगता है और इस तरह से मिलों पर जो कुछ जुर्माना लगा, वह 31 लाख 59 हजार रुपये था जिसमें से कपाड़िया की इन दो मिलों पर 28 लाख रुपया जुर्माना लगा यानी उनका हिस्सा कुल जुर्माने का 89.8 प्रतिशत है। अब इसके ऊपर लम्बी-चौड़ी बहस की क्या जरूरत है और इस कपाड़िया का एक आदमी मालती लि. का डायरेक्टर था...। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। आप इन चीजों के ऊपर सोचिये। मैं सत्य के आधार पर, तथ्यों के आधार पर बोल रहा हूं। अगर वह ऐसा निकम्मा आदमी न होता, तो मुझे तकलीफ न होती।

जहां तक एक्सपोर्ट आब्लीगेशन्स का सवाल है, इनका आउटस्टैंडिंग कान्ट्रीब्यूशन 5 लाख रुपये का है और कुल जो आउटस्टैंडिंग है, उसका यह 56.6 प्रतिशत है। यह व्यापार मंत्रालय के आशीर्वाद से सारा काम हो रहा है, टैक्सटाइल कमिश्नर के आशीर्वाद से यह हो रहा है। अब अगर आप कहेंगे कि दाम नीति और वितरण नीति से इन चीजों का संबंध नहीं है तो कौन सी चीजों से संबंध है, यह मैं जानना चाहूंगा।

आगे चलकर आप आइए जूट के बारे में। इसके बारे में 'कॉमर्स वीकली' में यह बातें आई हैं। हर सप्ताह जूट मार्केट में जो स्थिति होती है, उसके बारे में कमेन्ट्री आती है और वह क्या कहते हैं:

> "Sales outlook in the export markets is decidedly optimistic. As far as raw jute prices are concerned; they are ruling down. In fact, they are declining. Neither the jute mills nor the Jute Corporation are doing anything to rescue the jute growers and Government also helplessly looks on."

और आपने इनके ऊपर निर्यात शुल्क विगत साल में मेरे प्रोटेस्ट के बावजूद माफ किया है और 21 करोड़ रुपये की खैरात बांटी है। अभी धर साहब मुझे लेक्चर दे रहे थे कि सिंचाई का रेट कम किया जाएगा फर्टिलाइजर्स सस्ता कर दिया जाएगा और बिजली की दर कम ली जाएगी, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, आसमान टूट जाएगा लेकिन 21 करोड़ रुपये की आपने खैरात बांट दी। इस तरह की खैरात आपने हर क्षेत्र में बांटी है। मैंने तो केवल आपको एक उदाहरण दिया है। मैंने यह नहीं कहा कि किसान को अगर आप सिंचाई की सुविधायें देंगे, बिजली की सुविधा देंगे, फर्टिलाइजर्स की सुविधा देंगे और उससे उनकी आमदनी बढ़ेगी और देश की पैदावार भी बढ़ेगी, तो उसके ऊपर टैक्स न लगाएं, यह मेरा कहना नहीं था। मैंने क्या कहा? मैंने यह कहा है कि

उनके जो इनपुट्स हैं, खेती के लिए आवश्यक चीजें हैं, उन पर आपकी टैक्स लगाने की नीति गलत है। उससे जो उसको आमदनी होती है, उसके ऊपर आप टैक्स लगाइए क्योंकि खेती निर्भर रहती है मौसम के ऊपर और एक साल के अन्दर बुआई से लेकर कटाई तक पचासों संकट किसान पर आते हैं। इसलिए मैं बराबर इस बात पर जोर देता रहा हूं कि एग्रीकल्चरल इनपुट्स पर जो आपकी टैक्स लगाने की नीति है, यह बड़ी प्रतिक्रियावादी है। इनपुट्स से जो उसको लाभ होता है और उसकी आदमनी बढ़ती है, जिससे देश को भी लाभ होता है, उस पर आप टैक्स लगाइए, इसमें मुझे ऐतराज नहीं है, लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगा कि शहरी आमदनी की तुलना में कुछ समय के लिए आपको खेती को छूट देनी चाहिए, तुलनात्मक दृष्टि से यह मेरी राय है। जब धर साहब ने कहा: "Agriculture is highly subsidised industry" तो मैं दंग रह गया। आपने सरकारी पब्लिक सैक्टर पर अरबों रुपया लगाया, लेकिन उससे कोई सेविंग नहीं निकली और आप एग्रीकल्चर के बारे में यह कहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश आदि में सिंचित इलाके में आमदनी बढ़ी है। वहां के लिए आपने ऐसी कौन-सी योजना बनाई है कि किसान बचत करे और अपना पैसा लगाए। इसीलिए मुझे आज यह चेतावनी देने की जरूरत महसूस हो रही है कि पंजाब और हरियाणा की जो प्रगति है, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी अगर उन लोगों को आप पूंजीकरण के लिए अपना पैसा लगाने के लिए नये-नये क्षेत्र उपलब्ध कराकर नहीं देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि इनके पास जो पैसा आता है तो वह कहां जाता है। यहां पर चव्हाण साहब बैठे हुए हैं, वह बताएंगे कि क्या यह सही बात नहीं है कि क्या हरियाणा में, क्या महाराष्ट्र में और क्या पंजाब में शराब की दुकानें खुल रही हैं? सबसे ज्यादा शराब की दुकानें महाराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब में खुल रही हैं और वहां पर लोगों के पास जो पैसा आता है, वह उन दुकानों में लग रहा है। आप काश्तकारों को बर्बाद कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। उनको कोई ऐसा रास्ता दिखाइए जिससे सिंचित क्षेत्र का विस्तार हो और उनको खेती के उद्योग में पैसा लगाने का मौका दिया जाए। इस तरह का आपको कोई काम करना चाहिए। यहां पर जो बार-बार कुलक्स कहा जाता है, मैं उन लोगों में से नहीं हूं—मुझे स्पष्ट बात कहने दीजिए, जो उनकी इस बात को सही मानते हों। कुलक्स-2 कह करके सब लोगों को पीटने की जो बात है, यह मैं ठीक नहीं समझता हूं क्योंकि जिनको आप कुलक्स समझते हैं, कम से कम वे पैदावार बढ़ाने का काम तो करते हैं और इस अर्थव्यवस्था में कई ऐसे सेक्टर भी हैं जो कि केवल पैसा खाने और हड़पने का काम करते हैं और पैदावार में उनका एक प्रतिशत भी कान्ट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस बात को बुरा मानता हूं कि जिन काश्तकारों के हाथों में पैसा आ रहा है उनको पूंजीकरण के लिए, बचत के लिए प्रेरित करने के बजाए आप यह कर रहे हैं वे अपना पैसा अय्याशी, आराम और विलासिता में बर्बाद करें। मैं इसको पसन्द नहीं कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि उनके लिए आप कोई चैनल खोलें और उनको ऐसा मौका दें जिससे उनका पैसा अच्छे कामों में लगे और देश को फायदा हो सके। इस बात को मैं और आगे बढ़ाना नहीं चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें चीनी की बात भी है। चीनी के बारे में भी 'कॉमर्स वीकली' ने कहा है कि एक साल के अन्दर जो खुले में चीनी बिक रही थी, उसका दाम एक साल पहले

411 रुपया था और आज उसका दाम 473 रुपया हो गया है, 62 रुपया विगत साल से अधिक है। इस साल जो दाम है, वह 62 रुपया अधिक है और क्या कारण है। मुझे याद है कि चव्हाण साहब ने एक दफा कहा था कि चीनी की पैदावार बढ़ेगी, तो चीनी के दाम नीचे आ जाएंगे। विगत सालों में चीनी की पैदावार लगातार बढ़ती जा रही है। 31 लाख टन से बढ़ते-बढ़ते 43, 44 लाख टन तक आप आ गये लेकिन हालत क्या है? खुले बाजार में दाम 62 रुपये बढ़ गये हैं एक साल में। आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। यह हिन्दुस्तान ऐसा विचित्र देश है कि डिमाण्ड और सप्लाई के कानून भी इसमें टूट जाते हैं। यह डिमाण्ड और सप्लाई का कानून ही था जिसके आधार पर उन्होंने कहा था कि पैदावार बढ़ जाएगी, तो दाम गिरेंगे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे तरीके अपनाये जाते हैं। रिलीज की नीति आपके हाथ में है, फूड कार्पोरेशन के हाथ में है।

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, फूड कार्पोरेशन और फूड डिपार्टमेंट की जो रिलीज की नीति है, उस पर मैं अलग से चर्चा चाहता था ताकि मेरे पास जो सबूत हैं उनको मैं आपके सामने रख देता कि किस तरह से चीजों को मेनीपुलेट किया जाता है ताकि चीनी के दाम न गिरे। मैंने एक दफा कहा था कि मई, जून के दिनों में जबकि शादी-विवाह ज्यादा होते हैं, कण्ट्रोल की चीनी ज्यादा रिलीज करनी चाहिए लेकिन विगत साल 4 लाख टन चीनी कम रिलीज की। इन दो महीनों में हालांकि उत्पादन बढ़ गया था। मई, जून में आपको दाम नियंत्रित करने के लिए ज्यादा रिलीज करनी चाहिए। ...आप एक्सपोर्ट वगैरह की बात छोड़िये, मैं आंकड़े दे रहा हूं। बेकार की बातें करने से क्या फायदा। इसमें एक्सपोर्ट का सवाल कहां आता है। जब चीनी का उत्पादन बढ़ गया तो शादी-विवाह और त्यौहार आदि के दिनों में, जबकि चीनी की खपत ज्यादा होती है, आप सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक रखते लेकिन आपने विगत साल 4 लाख टन कम चीनी रिलीज की। अब ये लोग झक मार कर खुले बाजार में जाएंगे, किसान जाएगा और साधारण लोग भी जाएंगे।

खाद्य मंत्रालय पर कभी-कभी हंसी आती है। एक बार फ्यूचर्स के बारे में चर्चा हुई थी। खाद्य मंत्री ने कहा था कि फ्यूचर में पाबन्दी लगाने के बारे में मैं सोचूंगा। उनको यह भी पता नहीं है कि 1966-67 में ही इस तरह की पाबन्दी लग चुकी है। Futures and non-transferable specific delivery contracts 1967 में लग चुकी है। मेरी शिकायत यह नहीं है कि पाबन्दी नहीं है। वह है। लेकिन उसके बावजूद बम्बई, अकोला आदि जगहों पर इन चीजों में खुलकर यह काम होता है, फार्वर्ड मार्किट कानून की परवाह कोई नहीं करता। जो इंस्पैक्टर वगैरह होते हैं उनको रिश्वत देकर फ्यूचर्स का काम चल रहा है।

आप ग्राउण्ड नट आयल को लें। कोई सख्ती से काम आप नहीं लेंगे तो क्या होगा? ग्राउण्ड नट आयल के दाम बहुत बढ़ चुके हैं। डालडा को आप देखें। अब मूंगफली पैदा करने वाले किसान को कोई हिस्सा मिलेगा? क्या आप नहीं समझते हैं कि इसके बारे में भी सोचना चाहिये?

उर्वरकों के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। जापान खाद्यान्नों के मामले में बहुत ज्यादा डिफिसिट था क्योंकि लड़ाई के बाद जापान के सारे लोग जो मंचूरिया में थे, कोरिया में थे, वापिस जापान आ गए, उनकी कॉलोनीज खत्म हो गई। उनको चावल की बड़ी कमी महसूस हुई थी। लेकिन उन लोगों ने बहुत बढ़िया लैंड रिफार्म किया। कैपिटलिस्ट अमरीका के मैकार्थर ने जितना बढ़िया लैंड रिफार्म जापान में करवाया है उतना हम लोग यहां किसी भी सूबे में नहीं कर पाये हैं, बिहार की बात तो आप छोड़े दें, वहां तो बकवास है। हम लोगों को और भी आगे जाना चाहिए था, मैकार्थर से भी आगे लेकिन वह कुछ नहीं हुआ। जापान में फर्टिलाइजर सबसे सस्ता है दुनिया में। लेकिन जिस देश को फर्टिलाइजर की सबसे अधिक जरूरत है, वहां फर्टिलाइजर सबसे अधिक महंगा है और सो भी मिलता नहीं है समय पर। मेरे क्षेत्र में किसानों ने रबी लगाने का काम तीन चार साल पहले से शुरू किया है, पहले रबी नहीं होती थी। मुझे वहां के किसानों ने बताया है कि उन्होंने चार हजार रुपये किलोग्राम के हिसाब से यूरिया लिया है जबकि उसके एक बोरे के दाम 55 या साढ़े 55 रुपये ही हैं। यह आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का हाल है। आपको कई बार कहा है कि छोटे किसानों को कार्ड दीजिये, कार्डों पर उनको मिलना चाहिये। लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

एक और चिन्ता का विषय है। पैट्रोलियम मंत्रालय ने नेफ्था का दाम जनवरी 74 तक 252 रुपये पर किलोलीटर रखा था। उसके बाद फर्टिलाइजर के लिए तो यह दाम रखा गया लेकिन पेट्रो-कैमिकल्ज के लिए इसको 410 रुपये कर दिया गया। यह 27 जनवरी को हुआ। उसके बाद पैट्रो-कैमिकल्ज के लिए 2340 रुपये प्रति किलोलीटर इसको कर दिया गया। उसके बाद इसको गिराकर 1000 रुपया प्रति किलोलीटर कर दिया गया। यह चमत्कार कैसे हुआ? पैट्रो-कैमिकल्ज के लिए इसको इस्तेमाल करने वाले दो प्रमुख लोग हैं, एक मफतलाल, यह मोनोपोली हाउस बड़ी तेजी से इनके आशीर्वाद से बढ़ रहा है और दूसरा यूनियन कारबाइड। इन लोगों का डेरा यहां था, उनके प्रतिनिधियों की पैट्रोलियम मंत्रालय से लगातार बातें होती रही। नतीजा यह हुआ कि जो दाम 2,340 रुपये प्रति किलोलीटर हो गया था पैट्रो-कैमिकल्ज के लिए उसको गिराकर एक हजार रुपया कर दिया गया। इसके बारे में मुझे एक दोस्त ने एक नोट भेजा है, उसमें वह कहते हैं:

> "The outlay of Mafatlal on purchase of naphtha increased from Rs. 12 crores to Rs. 60 crores and the outlay of Unoin Carbide on purchase of naphtha increased from Rs. 4 crores to Rs. 20 crores when the price per kilolitre was raised to Rs. 2340."

इसका साफ मतलब है कि इस बीच पैट्रोलियम मंत्रालय और यूनियन कारबाइड और मफतलाल के बीच में एक भयंकर डील हुई। इसके मैग्नीट्यूड को आप समझ लें। बारह करोड़ से उनका परचेज का आउटले बढ़कर साठ करोड़ हो गया और यूनियन कारबाइड का चार करोड़ से बढ़कर बीस करोड़ हो गया। इसके मैग्नीट्यूड को आप देखें। इसके बारे में फिर कभी मौका मिलेगा तो बोलूंगा। मैं चिन्तित हूं। जब इस तरह की लूट होगी तो जो नेफ्था सरकार उर्वरकों के लिए देना चाहती है, मुझे डर लगता है कि कहीं उसका भी डाइवर्जन इस भ्रष्ट व्यवस्था में पैट्रो-कैमिकल्ज

में न हो जाए क्योंकि दाम में इतना अन्तर हो गया है। आपकी इच्छा अच्छी थी कि फर्टिलाइजर के लिए मिले। लेकिन अगर डाइवर्जन हो गया तो उर्वरकों की और भी ज्यादा कमी होने वाली है। रेलवे स्ट्राइक की बात इसमें नहीं आती है।

मेरी राय है कि इस देश में एक बड़ी कमी रही है वह यह है कि विगत 27 सालों में हमारी कोई राष्ट्रीय आदमनी संबंधी नीति नहीं रही है, नेशनल इनकम पालिसी नहीं है। इसके चलते बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। वर्तमान रेल हड़ताल के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस सत्र का यह अन्तिम दिन है। चव्हाण साहब, धर साहब, ब्रह्मानन्द रेड्डी साहब और मालवीय जी ये चार वरिष्ठ मंत्री यहां बैठे हुए हैं। मालवीय जी का यह कहना सही है कि कोल को कंजर्व किया जाये। वह आज बिल लाये थे। मुझे लगा कि रेलवे हड़ताल को यदि आप इस तरह से प्रोलांग करते जाएंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि कोल पूरा ही कंजर्व हो जायेगा, इस्तेमाल में नहीं आएगा। इस वास्ते इन चार बुजुर्ग मंत्रियों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी नीतियों में नरमी लाएं, मेरे जैसे लोग ट्रेड यूनियन वालों को भी कहेंगे कि देशहित में कोई समझौते का रास्ता वे निकालें ताकि रेल मजदूरों का भी कल्याण हो, अर्थव्यवस्था भी और न बिगड़े और साधारण जनता को जो कष्ट हो रहा है वह भी दूर हो। इसी अपील के साथ मैं इस दाम संबंधी अपने प्रस्ताव पर अपने भाषण को समाप्त करता हूँ।

देश में बाढ़ और सूखे की स्थिति*£

सभापति महोदय, जिस दिन बाढ़ और सूखे पर बहस हो रही थी, उसी दिन प्रारम्भ में मैंने यह मांग की थी कि बाढ़ और सूखे की स्थिति में लोगों को सहायता देने के बारे में जो सरकार की इस वक्त नीति है, क्या उस पर सरकार पुनर्विचार करेगी क्योंकि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो नीति सरकार की है उससे बाढ़ और सूखे का मसला चाहे वह बिहार में हो, गुजरात में हो, असम में हो, उत्तर प्रदेश में हो या बंगाल में हो, वह हल होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, मेरा कहना यह है कि सरकार ने छठे फाइनेंस कमीशन की सिफारिशों को स्वीकार किया है। उसके तहत 1956-57 से लेकर 1971-72 तक जो बाढ़ और सूखे पर विभिन्न राज्यों को जो सहायता दी गई थी उसका औसत निकाला गया और यह तय किया गया कि राज्यों के बजट में इसका प्रावधान होना चाहिए। आगे चलकर उन्होंने यह कहा है कि राज्य सरकारों को स्थायी तौर पर इस समस्या को हल करने के लिए अपनी स्कीमें तैयार रखनी चाहिएं और बड़े पैमाने पर जब बाढ़ आये या सूखा हो, तो इन स्कीमों को कार्यान्वित किया जाये। उसके लिए अग्रिम खर्च करें, जो कि अगले सालों में राशि खर्च की जायेगी उसमें से लें। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब बिहार की ही आप बात ले लीजिये। बिहार में तकरीबन एक करोड़ लोग इस वक्त बाढ़ग्रस्त हैं और अगर मान लीजिये कि पहले से कोई स्कीम बनी है जैसे कि राजपुर योजना है, कोशी की या गंडक की योजना है, तो यह जो योजना है, यह तो कुछ क्षेत्रों के साथ जुड़ी हुई है और मान लीजिये कि दूसरी जगह बाढ़ आ गई, तो उस योजना को आगे कैसे ले जाया जायेगा? मैं सिद्धान्त के तौर पर मानता हूं कि यह बात सही है कि फैमिन रिलीफ के नाम पर या फ्लड रिलीफ के नाम पर पैसे को बर्बाद किया जाता है। इसमें मेरा मतभेद नहीं है लेकिन पहले से आप योजना बनायेंगे और दूसरी जगह बाढ़ आई या सूखा हुआ, तो उस योजना को आप आगे कैसे ले जायेंगे? इस समस्या पर मेरा ख्याल है कि न तो फाइनेन्स कमीशन ने गंभीरतापूर्वक विचार किया है और न ही सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार करते समय उन पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। इसलिए मैं सरकार से सबसे पहले कहूंगा कि आज के विवाद में श्री सुब्रह्मण्यम** इस बात की जरूर घोषणा करें कि सूखे और बाढ़ का जो मेगनीट्यूड है, उसको देखते हुए वे इस नीति पर फिर पुनर्विचार करेंगे। यह एक बात है जो मैं आप से कहना चाहता हूं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब बिहार में 18 मार्च को गोलीकांड हुआ था, तब उसकी यहां पर चर्चा थी और उस चर्चा के दौरान उस समय के खाद्य मंत्री ने मेरे प्रश्न के

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 3 सितम्बर 1974.

£ बिहार में भूख से हुई मौतों पर स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी, सांसद।

उत्तर में इसके आंकड़े दिये कि विभिन्न राज्यों को उन्होंने कितना गल्ला सप्लाई किया। उस समय यह जवाब मिला था कि जहां केरल की मांग को 75 फीसदी पूरा किया गया है, पश्चिम बंगाल की मांग का 74 प्रतिशत पूरा किया गया है, वहां सालभर में बिहार की मांग का केवल 23, 24 प्रतिशत ही पूरा किया था। इस वक्त बिहार की जो आवश्यकता है, उसको देखते हुए अनाज की सप्लाई के बारे में मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं। क्या इस आपातकालीन स्थिति को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त लोगों के बीच में अनाज वितरण कराने की व्यवस्था की जायेगी या फैमिन रिलीफ का जो संगठन आपके पास है, उसके जरिये कुछ अनाज बांटने का काम आप करेंगे? इसका मैं आपसे खुलासा चाहता हूं। मंत्री महोदय को याद होगा कि 1966 में इस सूखे में भुखमरी के ऊपर एक लम्बा चौड़ा विवाद हुआ था और उस समय मंत्री महोदय ने कुछ व्यवस्था निश्चित की थी कि फसल अगर 25 से 50 प्रतिशत मारी जायेगी, तो कहा जायेगा कि उस क्षेत्र को हम "स्केरसिटी" का क्षेत्र घोषित करेंगे और अगर 75 प्रतिशत फसल मारी जायेगी तो उसको अकाल-पीड़ित क्षेत्र माना जाएगा। आपने ये सारे नियम तैयार किये थे। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त जो मुल्क में बाढ़ और सूखे की स्थिति है, क्या आपके द्वारा जो सिद्धान्त यहां पर स्थापित किया गया था, उसी पर आप चलेंगे। इसका भी मैं मंत्री महोदय से आज स्पष्ट खुलासा चाहता हूं। भुखमरी की परिभाषा क्या है, उसको भी साफ करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, जिसको हरित क्रान्ति का नेता माना जाता है, उसने क्या कहा है, इसका एक वाक्य मैं पढ़ना चाहता हूं। यह मैं (हिन्दुस्तान टाइम्स से) दे रहा हूं:

> "New York, September 1: Tens of millions of people might die this year throughout the world due to food shortages caused by climatic condition, coupled with fertiliser shortage brought on by the energy crisis."

यह हरित क्रान्ति का नेता, सभापति महोदय, कह रहा है कि टेंस आफ मिलियन्स लोग इस साल भूख से मर सकते हैं और इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि पूर्वी भारत में, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश को भी जोड़ रहा हूं, जहां गरीबी ज्यादा है, आपके राज्य में असम, उड़ीसा में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में और पूर्वी उत्तर प्रदेश में, यह समाचार आने लगे हैं जैसे इलाहाबाद—weoful tales of the starving people in queue.

अब आपके सूबे की ही बात को लीजिये—

300 die of starvation in Dhubri sub-division.

यह कौन कहता है? उस सब-डिवीजन में जो फैमीन रिलीफ कमेटी बनी थी—

sub-division Famine Relief Committee headed by the Deputy Commissioner.

उनके एक सदस्य का कहना है कि 300 लोग भूख से मर गये। बिहार के बारे में भी मेरे पास हर रोज पत्र आ रहे हैं। एक दो चिट्ठियां रांची से या सूखाग्रस्त इलाकों से आ रही हैं। कुछ चिट्ठियां बाढ़ग्रस्त इलाकों से आ रही हैं जिनमें इस तरह की बातों का वर्णन होता है।

जब कभी भी हम लोग यहां पर भुखमरी से हुई मौतों के बारे में सवाल उठाते हैं तो आप कोई न कोई कारण बतला देते हैं—हैजे से मरा या दिल का दौरा पड़ने से मरा। जब खाने को नहीं मिलेगा तो अन्त में दिल का दौरा तो अपने आप पड़ेगा। इस तरह की बातें कहना ठीक नहीं है—लोग बड़ी तकलीफ में हैं। इसलिये जो लोग भुखमरी के कगार पर हैं उनके लिये अनाज और दवा का तत्काल इन्तजाम करें।

अन्त में एक बात फिर कहना चाहता हूं—आपने कहा है कि गुजरात के लिये 4 करोड़ 55 लाख का प्रावधान होगा, बिहार के लिये 4 करोड़ 61 लाख का, बंगाल के लिये 6 करोड़ 61 लाख का और राजस्थान के लिये 10 करोड़ 19 लाख का प्रावधान होगा—इस तरह से नहीं चलेगा। गुजरात के बारे में जानकारी मिली है कि कम से कम 50 करोड़ रुपये का खर्चा होगा।...

*** *** ***

इस साल 50 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। बिहार तो बाढ़ और सूखा दोनों की कैंची में है और अब एक और कैंची बिहार पर चलने वाली है। वहां का जो प्रशासन है उसके बारे में 'टाइम्स आफ इंडिया' में तीन लेख प्रकाशित हो चुके हैं। वह अखबार विरोधी पक्ष की मदद करने वाला अखबार नहीं है, दो कांग्रेसी उसके डायरेक्टर हैं। उन लेखों में कहा गया है कि बिहार में 31 जिलों में पुलिस डिपार्टमेन्ट के अलावा दूसरा कोई विभाग काम नहीं करता है।

...मैं कह रहा था कि केवल पुलिस डिपार्टमेन्ट कार्य कर रहा है। ऐसी हालत में जो एक करोड़ लोग बाढ़ से ग्रस्त हैं और उसी तरह से लाखों लोग सूखाग्रस्त हैं—उनकी क्या स्थिति होगी आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। इसलिये मैं आज उम्मीद करता हूं कि श्री सुब्रह्मण्यम साहब फाइनेन्स कमीशन की सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए घोषणा करेंगे कि रिलीफ के बारे में हम लोग अपनी नीति पर पुनर्विचार करेंगे।

श्रमिक कल्याण

LABOUR WELFARE

मिल मजदूरों की समस्याएं*£

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सामने प्रस्ताव रखना चाहता हूं कि सदन इस वक्त जो सूती मिलें बन्द हो रही हैं या बन्द होने का खतरा पैदा हुआ है और अन्य कारखानों में तथा इंजीनियरिंग कारखानों में भी व्यापक पैमाने पर छंटनी हो रही है के संबंध में विचार करे।

*** *** ***

दो रोज पहले व्यापार मंत्री ने एक निवेदन सदन के सामने पेश किया सूती मिलों के बन्द होने के बारे में। व्यापार मंत्री बहुत चालाक और चतुर आदमी हैं और आंकड़े वगैरह ऐसे घुमा फिरा कर देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि कोई समस्या है ही नहीं। उन्होंने अपने निवेदन में कहा है कि सूती मिलों की इस वक्त कोई गम्भीर समस्या नहीं है और अपने निवेदन के अंत में फिर इस बात को दोहराया है:—

"Thus there is no need to view the situation with any alarm."

इस तरह के आंकड़े देकर एक आभास मंत्री महोदय ने पैदा किया है। मंत्री मंहोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आंकड़े तो रोते नहीं हैं न वह भूखे रहते हैं लेकिन इन आंकड़ों के पीछे जो आदमी हैं और उनकी औरतें और बच्चे हैं, वे जब भूखे रहते हैं तो जरूर रोते हैं। इस बात का मंत्री महोदय हमेशा ख्याल रखें कि जब ये मामले उठते हैं तो उनके बारे में उपेक्षा की नीति बरतना बहुत खतरनाक होगा।

जहां तक उनके आंकड़ों का सवाल है मेरे पास उनकी तरह कोई बड़ा सचिवालय नहीं है फिर भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने सही जानकारी सदन को नहीं दी है। उसमें सत्य और तथ्य का ख्याल नहीं है। उन्होंने जो फेहरिस्त दी है उसमें मिसाल के लिए मैं तीन ही मिलों का जिक्र करूंगा। बम्बई में एक धनराज मिल है। दो-ढाई महीने से उसमें 2000 मजदूर बेकार हैं। इसी तरह सक्सेरिया मिल है। वह पूरी तरह तो बन्द नहीं हुई लेकिन उसमें जो मजदूर काम करते हैं उनमें से 60 प्रतिशत बेकार हो चुके हैं। लोगों में डर है कि 10-15 रोज के अन्दर यह मिल भी बन्द हो जायेगी। कल सवेरे मुझको कोयम्बतूर से एक चिट्ठी आई है। वह बेचारा लिखना नहीं जानता है लेकिन उसने मुझे यह लिखा है कि 18 सितम्बर को कोयम्बतूर में एक मिल बन्द हो गई है जिसके बारे में उसने लिखा है कोयम्बतूर सी.एस.डब्ल्यू. मिल, मैं नहीं जानता कि उसका क्या सही नाम है, तो वह मिल भी बन्द हो गयी है। उसी तरह बम्बई में कई बदली मजदूर,

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 10 दिसम्बर 1965.

£ नियम 193 के अंतर्गत बंद कपड़ा मिलों पर चर्चा में भाग लेते हुए।

जिनकी संख्या हजारों की तादाद में है वह बेकार हो चुके हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने विधान सभा की बैठक में इस बात को कबूल किया है कि हजारों मजदूर बेकार हो गये हैं और हजारों मजदूरों के बेकार होने का खतरा भी पैदा हो गया है।

पिछले बजट सत्र में जब मैंने इस बारे में चर्चा की और एक प्रश्न पूछा, तो श्री मनुभाई शाह ने मुझसे पूछा कि आप ये सारे आंकड़े कहां से ले आये हैं, मैं व्यापार मंत्री हूं और आंकड़ों के बारे में मैं ज्यादा जानता हूं। तो मैंने उनको मजदूर मंत्री की रिपोर्ट का ही हवाला दिया, जो कि सदन में बैठे हुए हैं। उस रिपोर्ट के चौदहवें पृष्ठ पर साफ लिखा है कि 1964, यानी पिछले साल, के प्रारम्भ में कुल 5,763 मजदूर बेकार थे, लेकिन उसी साल के अन्त में 17,000 से अधिक मजदूर बेकार थे। यहां पर रोजगार और श्रम मंत्री तथा व्यापार मंत्री दोनों बैठे हुए हैं। उनका आपस में जो झगड़ा है, उसका तो फैसला मैं नहीं कर सकता हूं—उसको वह आपस में निबटा लें—लेकिन मैंने जो हवाला दिया है और जो नई मिलों का नाम लिया है, उससे यह बात बिलकुल साफ हो जाती है कि मंत्री महोदय के आंकड़े बिलकुल गलत हैं। मैं नहीं कह सकता कि वह जानबूझकर ऐसा करते हैं, लेकिन उनके निवेदन का यह नतीजा है कि सदन उनके द्वारा गुमराह किया गया है। वास्तव में यह समस्या बड़ी गम्भीर है और गम्भीरता के साथ सदन को इसके बारे में सोचना चाहिए।

बम्बई की छ: हिन्दू मिलों के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि 29 नवम्बर को सरकार ने फैसला किया कि वह उन मिलों को हाथ में ले रही है और राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार उन मिलों के लिए 2.40 लाख रुपये कर्ज के रूप में देगी। मुझे जानकारी मिली है कि सरकार के द्वारा नियुक्त इन मिलों के नये व्यवस्थापकों के हाथ में अभी तक यह पैसा नहीं आया है। एक करोड़ रुपये का चैक महाराष्ट्र सरकार ने जरूर दिया है, लेकिन उसके ऊपर भी शायद अभी तक हस्ताक्षर नहीं हो पाये हैं। इस प्रकार यह रकम उनके हाथ में नहीं आई है।

इसका नतीजा यह है कि हिन्दू मिलों के बाइस हजार मजदूरों को दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। सरकार बन्द मिलों में इनको शुमार नहीं करती है और न ही यह दिखाती है कि ये लोग बेकार हैं। लेकिन आखिरकार बेकारी का क्या मतलब है? वे लोग बराबर काम करते रहे, लेकिन उनको दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। मैं तो कहूंगा कि यह ज्यादा भयानक और क्रूर बात है कि उनसे काम तो लिया जा रहा है, लेकिन उनको दो महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही है। 9 तारीख तक की खबर है कि उनको तनख्वाह नहीं मिली है और न ही देने के संबंध में किसी किस्म का नोटिस लगा है। जो एक करोड़ रुपये का चैक दिया गया है, उस पर भी परसों तक हस्ताक्षर नहीं हुए थे। दुकान में राशन का भी पता नहीं था।

इन बातों के पीछे क्या कारण हैं? मैं दो रिपोर्टों से कुछ उद्धरण देना चाहता हूं। एक रामास्वामी मुदलियार की रिपोर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सूती कपड़े के उद्योग में काफी मुनाफा हुआ द्वितीय महायुद्ध के बाद भी और उससे ज्यादा लड़ाई के जमाने में। उनको कहा गया था कि डिविडेंड आदि बांटने में इस मुनाफे को वे बर्बाद न करें, उसको बचायें और उस पैसे का इस्तेमाल मिलों का आधुनिकीकरण करने के लिए और नये यंत्र आदि बिठाने के लिए करें। लेकिन उन्होंने

ऐसा नहीं किया। करोड़ों, अरबों रुपये उन्होंने मुनाफा कमाया, लेकिन उसका जो जायज इस्तेमाल करना चाहिए था, वह नहीं किया। अभी सरकार ने जो औद्योगिक विकास और नियंत्रण कानून बनाया, जिसके अंतर्गत सरकार ऐसी मिलों को हाथ में लेती है, उसके बड़े विचित्र नतीजे निकलते हैं। उसके बारे में 1960 में जो वर्किंग ग्रुप नियुक्त किया गया, उसकी रिपोर्ट के 48वें पृष्ठ पर कहा गया है कि एक मिल के बारे में तो सरकार को यह कहना पड़ा कि "जो मुनाफा होगा, वह तो कम्पनी और उसके व्यवस्थापक को दिया जायेगा, लेकिन जो घाटा होगा, उसकी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले लेगी"। उन्होंने खुद कहा है कि यह बड़ी विचित्र बात है।

दूसरी बात यह है कि पांच साल से लेकर दस साल तक मेहनत करने के बाद जब ये मिलें अच्छी स्थिति में आ जाती हैं, तो उनका सारा फायदा मजदूरों और जनता को नहीं मिलता है, बल्कि पुराने व्यवस्थापकों को, निजी क्षेत्र के लोगों को मिलता है और फिर वही सिलसिला शुरू हो जाता है और वे पैसा खाकर फिर कम्पनी और मिलों को डुबो देते हैं और बर्बाद कर देते हैं।

तीन-चार तरीके हैं पैसा खाने के। उसके बारे में मंत्री महोदय कहेंगे कि मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन वित्त मंत्रालय है, जांच करने के उसके सारे हथियार हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? रुई और दूसरा सामान खरीदते समय ये मालिक और व्यवस्थापक लोग सारा पैसा खा जाते हैं और कम्पनी को डुबो देते हैं। उद्योगपतियों में से कुछ लोगों ने मुझको बताया है कि हमारी चाल का आपको कभी पता नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि कपड़ा जब इकट्ठा हो जाता है, तो संकटकालीन स्थिति पैदा करके हम कपड़ा सस्ते में बेचने की बात करते हैं, लेकिन असल में सस्ते में बेचते नहीं हैं, वह पैसा हम खा जाते हैं।

सरकार के द्वारा नागपुर और अकोला की मिलों का नियंत्रण करने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिसका जिक्र खुद व्यापार मंत्री ने अपने निवेदन के परिशिष्ट 2 में किया है। मैं व्यक्तियों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन चूंकि उन्होंने नाम लिया है, इसलिए मुझे भी कहना पड़ता है। हनुमान प्रसाद नवेटिया का नाम इसमें है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस शख्स की पुलगांव में अपनी एक मिल है। सरकारी नियंत्रण में जो मिलें हैं, उनके लिए रुई या दूसरा सामान खरीदते समय वह शख्स दो-तीन प्रतिशत ज्यादा दाम दे देता है, जिसकी जांच करने वाला कोई नहीं है, और जिनसे माल खरीदता है, उनसे वह अपनी निजी मिल के लिए रियायत लेता है। इस तरह की बातें भी मेरे कानों में पड़ी हैं।

उसी तरह शोलापुर के लिए सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त किया है, जिसका नाम है मारू साहब। उनके बारे में भी काफी शिकायतें मेरे पास आई हैं। मैं व्यापार मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इनकी भी ठीक तरह से जांच करें।

सरकार की ओर से इस बारे में अक्सर एक सवाल यह किया जाता है कि जो संविधान और कानून हैं, उनके अन्दर हम क्या कर सकते हैं?—हम पांच साल के लिए और फिर दो-दो साल और बढ़ाकर कुल दस साल के लिए, मिल को ले सकते हैं और बाद में हमको उन्हें मालिकों को वापिस देनी ही पड़ेगी, वर्ना हमको संविधान के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी, जो अदालत

में टिकेगी नहीं। जब व्यापार मंत्री संविधान की पवित्रता की बात करते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है। जिस सरकार ने सोलह सत्रह मर्तबा संविधान को बदलने का काम किया है, जब वह संविधान की पवित्रता की बात करती है, तब मुझे कहना पड़ता है कि यह एक बेमतलब और बेमानी चीज है।

मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 31 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति की निजी पूंजी, सम्पत्ति, जायदाद केवल कानून के द्वारा प्राप्त अधिकारों के अन्दर ही छीन ली जा सकती है, लेकिन साथ ही कानून के बारे में बताया गया है कि ऐसा कानून, "जिसमें नुकसान और मुआवजा देने के लिए कोई न कोई सिद्धान्त रखा गया हो या जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया हो कि यह रकम क्या होनी चाहिए।" मैं व्यापार मंत्री से कहूंगा कि जब इस सदन ने और इस सरकार ने समाजवाद का उद्देश्य मान लिया है, तो क्या वह समाजवाद हमेशा सैद्धान्तिक आदर्श वाला और साधारण समाजवाद रहेगा या उसको ठोस और अमली जामा भी पहनाया जायेगा।

इसलिए जहां तक संविधान का संबंध है, उसमें तब्दीली की जा सकती है और जब इस सरकार की इच्छा होती है, वह तब्दीली कर देती है। संविधान में व्यक्तिगत अधिकारों, बुनियादी अधिकारों की बात कही गई है, जिनमें वाणी और संचार स्वतंत्रता के अधिकार आते हैं। उन अधिकारों को खत्म करने के लिए तो सरकार संविधान में बार-बार परिवर्तन कर देती है। जहां तक कि कीमत का सवाल है मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि मुझे यह कहने में खुशी है कि जैन सम्प्रदाय, बौद्ध सम्प्रदाय और ये वेदांत वाले जो हैं उनमें और कार्ल मार्क्स में—जहां तक निजी सम्पत्ति का सवाल है, कोई फर्क नहीं है। निजी सम्पत्ति के सीमित अधिकार को हमें कबूल करना चाहिये। मान लें कि एक खेत है जो एक किसान और उसका कुटुम्ब खुद जोत सकता है। उसमें निजी पूंजी के अधिकार को अगर आप मान लेते हैं तो यह बात समझ में आती है। या एक दुकान है या एक छोटी सी वर्कशाप है जिसमें वह कुटुम्ब अपने श्रम से काम कर सकता है उसके बारे में भी निजी सम्पत्ति का अधिकार समझ में आता है। लेकिन जिस समाजवाद की आप बात करते हैं अगर उस समाजवाद को आप अमली जामा पहनाना चाहते हैं तो निजी पूंजी के अधिकार की रुकावट नहीं होनी चाहिये। अगर ऐसा होता है तो कहना पड़ेगा कि हमेशा राष्ट्रीय एकता की हम बात करेंगे लेकिन व्यवहार में राष्ट्रीय एकता को तोड़ने का काम करेंगे। जब एकता वाला कोई काम किया जायेगा तो मंत्री महोदय फिर भाग जायेंगे जैसे कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के मामले में हुआ है। राष्ट्रीय एकता, सिद्धान्त में मानो, व्यवहार में उसके खिलाफ काम करो, समाजवाद की घोषणा करो लेकिन वास्तव में निजी पूंजी की हिफाजत के लिए भले और बुरे हथियारों का और रास्तों का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मंत्री महोदय यह आवश्यक समझते हैं कि संविधान में तरमीम होनी चाहिये तो उनको एक विधेयक पेश करना चाहिये और अगर वह समझते हैं कि कानून में परिवर्तन करना चाहिये तो उसके लिए भी वह कोई संशोधन पेश कर सकते हैं या और कोई इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं जिससे ये जो बन्द मिलों का मामला है वह वैसे ही न रह जाये। मेरी सीधी सी मांग है। इन मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाये। जब तक राष्ट्रीयकरण का कानून नहीं होता है उनको हाथ में लिया जाये।

व्यापार मंत्री चूंकि शुरू में यहां उस वक्त नहीं थे इस वास्ते मैं फिर याद दिलाना चाहता हूं कि दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हिन्दू मिल के मजदूरों को। आंकड़े रोते नहीं हैं। आंकड़े भूखे भी नहीं रहते हैं। लेकिन जो मजदूरों के बच्चे हैं वे रोते हैं, इस बात का हमेशा आप ख्याल रखें।

इस वास्ते मेरा कहना यह है कि संविधान कानून वगैरह में परिवर्तन कर मिलों को आप ले लें। मिलों को लेते समय एक और बात का आप ध्यान रखें। विदर्भ में जैसा किया है, वैसा न करें। विदर्भ में और अमलनेर में मजदूरों की तनख्वाह में कुछ कटौती की है। इस तरह की बात आप न करें। दूसरे जहां तक इंजीनियरिंग कारखानों का और दूसरे कारखानों का सवाल है, कच्चे माल को लेकर और विदेशी मुद्रा के अभाव को लेकर बम्बई में कामानी के कारखाने में, कलकत्ता में कारखानों में और दूसरे क्षेत्रों में जो कारखाने हैं, वहां बड़े पैमाने पर छंटनी हो रही है, उस तरफ भी आप का ध्यान जाना चाहिए। त्रिदलीय सम्मेलन की बात है। उसके द्वारा यह कहा गया है कि एक अन्तरमंत्रीय समिति हो। लेकिन इसका मुझे पता नहीं है। बनी है या नहीं। मुझे पता है कि सचिवों की एक समिति बनी है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या व्यापार मंत्री को या वित्त मंत्री को मजदूर मंत्री के साथ बैठने में कोई हिचक का अनुभव होता है? क्या मजदूर मंत्री द्वितीय श्रेणी के मंत्री हैं और वित्त मंत्री साहब जो हैं वह प्रथम श्रेणी के हैं? मजदूरों के जितने मामले होते हैं उनके बारे में हमेशा पक्षपात और अन्याय किया जाता है। आपकी मार्फत मैं व्यापार मंत्री से और वित्त मंत्री से भी एक प्रार्थना करना चाहता हूं कि आवश्यक कच्चा माल मुल्क में पैदा करने के लिए जो ठोस कदम पिछले दस पंद्रह साल में उठाने चाहिए थे, जैसे तांबे के संबंध में, पीतल के संबंध में, जिंक के संबंध में, और जो उठाये नहीं गये हैं, वे अब आप उठायें! उनको न उठाकर आपने सारे मामले को चौपट कर दिया है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि आज विदेशी मुद्रा के अभाव को लेकर हजारों मजदूर बेकार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उनके बारे में भी कोई ठोस और उचित कार्रवाई मंत्री महोदय करें।

तृतीय वेतन आयोग की रिपोर्ट*£

उपाध्यक्ष महोदय, इस बहस में मेरा दृष्टिकोण पेशेवर ट्रेड यूनियन कार्यकर्त्ता का नहीं रहेगा। सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय कल्याण चाहने वाले व्यक्ति का यह दृष्टिकोण रहेगा।

यह जो वेतन आयोग गठित किया गया था वह कोई निष्पक्ष वेतन आयोग नहीं था। इसके अध्यक्ष और सैक्रेटरी आई.सी.एस. के दो सदस्य थे और श्री रघुवर दयाल का जहां तक सवाल है वे तो हमेशा कमिटेड जज रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता बनाम राज्य का भी मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। मैंने देखा कि हमेशा उन्होंने सरकार का पक्ष लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि यह वेतन आयोग एक धोखा मात्र था। 1970 में इस सदन में सत्ता कांग्रेस का बहुमत समाप्त हो गया था और उनको किसी तरह से समय काटना था। समय काटने के लिए उस समय यह वेतन आयोग गठित किया गया था। इसलिए मैं कहता हूं कि यह कमीशन भी एक कमिटेड कमीशन था और अगर बोलचाल की भाषा में बोलना है तो एक चमचा कमीशन था। इस कमीशन से न्याय, निष्पक्षता और प्रगतिशीलता आदि गुणों की कम-से-कम मैं अपेक्षा नहीं करता था। उनके ऊपर एक दायित्व दे दिया गया था कि सरकार की वे अच्छी तरह वकालत करे और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में उच्च वर्गीय और उच्च वर्णीय स्वार्थों का अच्छा परिचय दिया है। कमीशन के ऊपर जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थीं मेरी राय में उन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया और उनकी जिम्मेदारी कर्मचारियों का कल्याण करना या राष्ट्रीय हित में कोई वेतन-नीति बनाना तो था ही नहीं, सरकारी हितों की रक्षा करना, यह उनका नियत कार्य था और उन्होंने उसको अच्छी तरह से पूरा किया। वेतन कमीशन को वस्तुस्थिति के सामने और आंकड़ों के सामने झुकना पड़ा है और इन्होंने यह कहा है कि सरकारी खर्चे में वेतन का हिस्सा घटता जा रहा है। उन्होंने इस बात को भी माना है कि सरकारी आमदनी और खर्चे के अनुपात में सरकार का वेतन बिल नहीं बढ़ा है। आगे चलकर उन्होंने यह भी कबूल किया है कि बढ़ी हुई राष्ट्रीय आमदनी में सरकारी कर्मचारियों को समुचित हिस्सा नहीं मिला है। कमीशन इस बात को भी मंजूर करता है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के मजदूरों की तुलना में सरकारी नौकरों के असली वेतन में भयंकर कटौती हुई है, ग्रीवियस फाल, यह खुद कमीशन ने कहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि न्यूनतम वेतन और स्केल निश्चित करते समय कमीशन ने सारे मान्यताप्राप्त सिद्धांतों की ओर प्रस्थापित तत्वों को ठुकरा दिया है। कमीशन कहता है कि निजी क्षेत्र के वेतनमान को सरकारी कर्मचारियों के वेतनमान निश्चित करते समय अनावश्यक महत्व नहीं देना चाहिए। कमीशन ने प्रस्थापित सिद्धांतों को तो अस्वीकार कर दिया लेकिन अपने कोई न्यायसंगत और तर्कसंगत सिद्धांत

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 16 अगस्त 1973.

£ नियम 193 के अधीन तृतीय वेतन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा में भाग लेते हुए।

कायम नहीं किए। उन्होंने यह कहा है कि चूंकि सरकार सबसे अधिक लोगों को रोजगार देती है इसलिए सरकार को अपनी वेतन नीति सुविधा के अनुसार तय करनी चाहिए। मजदूरों का कल्याण, राष्ट्रीय हित समाजवाद के सिद्धान्त, इनका बिल्कुल ख्याल नहीं करना चाहिए। कमीशन कहता है कि अपनी सुविधा देखकर सारे काम करो। मैं पूछता हूं कि फिर कमीशन की जरूरत क्या थी। अगर न्यायसंगत और तर्कसंगत कोई बात उसमें नहीं रखनी थी तो वेतन आयोग की मेरी राय में कोई जरूरत ही नहीं थी।

यह सोचने लायक बात है कि चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनमान निर्धारित करते समय वेतन आयोग वज्र की तरह कठोर बन जाता है लेकिन जहां प्रथम वर्ग के अफसरों के वेतनमान निश्चित करने का मामला आ जाता है, वहां मृदुल कुसुमादपि, कुसुम से भी ज्यादा वह मृदु बन जाता है और बड़ी उदारता के साथ प्रथम वर्ग के अफसरों के लिए वेतनमान निश्चित करता है। कमीशन ने यह स्वीकार किया है कि प्रथम वर्ग की आमदनी 1957 के बाद सुधरने लगी और होते-होते निजी क्षेत्र के अफसरों तक तकरीबन पहुंच गई। बीच में 1965 में भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई। उस समय लड़ाई के अवसर पर आई.ए.एस. के लोगों ने अपनी तनख्वाह को अढ़ाई सौ रुपये से लेकर पांच सौ रुपये तक बढ़ा लिया जबकि उस समय दस हजार हमारे सैनिक, हमारे जवान लड़ाई की भूमि पर कुर्बान हो रहे थे। 250 से लेकर 500 रुपये तक जिन पदों की तनख्वाह बढ़ाई गई? ज्वायंट सैक्रेटरी एडीशनल सैक्रेटरी और सैक्रेटरी। उन्होंने देखा कि निजी क्षेत्र में सार्वजनिक धंधों में प्रथम वर्गीय अफसर जो प्रवेश पाते हैं या भर्ती होते हैं उनको सात सौ रुपया मिलता है। तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के बारे में कहते हैं कि तुलना नहीं करनी चाहिए निजी क्षेत्र से या पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक धंधों से लेकिन प्रथम श्रेणी के अफसरों के वेतन तय करते समय यह कमीशन कहता है कि सरकारी अफसरों को 610 रुपया मिलता है और निजी कम्पनियों में और सार्वजनिक उद्योगों में चूंकि उनको सात सौ रुपया मिलता है इसलिए सीधे नब्बे रुपया बढ़ा देते हैं प्रथम वर्ग के कर्मचारियों का।

समाजवाद के नाम पर लोगों को गुमराह करके वोट हड़पने वाली इस सरकार के द्वारा नियुक्त कमीशन ने यह साबित करने का प्रयास किया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन में बीस गुना तक का अन्तर न्यायसंगत और समुचित है। समाजवाद के नाम पर वोट लो और कमीशन की रपट में न्यूनतम और अधिकतम वेतन में बीस गुना का अन्तर, फर्क, समुचित ठहराने का प्रयास करो, यह इस सरकार की दुरंगी नीति है। ये लोग दो मुंह से बोलते हैं।

कमीशन को डर है कि यदि अफसरों के वेतन को घटाया गया, तो गुणवत्ता नीचे चली जायेगी। लेकिन समूचे देश के लिए, सार्वजनिक और निजी उद्योगों के लिए भी, समुचित वेतन नीति तय करने में हम लोगों ने कोई बाधा नहीं डाली है। अगर सरकार पूरे देश के लिए वेतन नीति बनायेगी, तो निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र बनाम सरकार, यह झगड़ा खत्म हो जायेगा।

सरकार की जो भर्ती संबंधी नीति है, उसमें भी मुझे उच्च-वर्गीय और उच्च-वर्णीय दृष्टिकोण नजर आता है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहता हूं। द्वितीय पे-कमीशन के बाद

जहां चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 36 प्रतिशत और तीसरे वर्ग के कर्मचारियों की संख्या 112 प्रतिशत बढ़ी है, वहां प्रथम वर्ग के सरकारी अफसरों की संख्या में करीब-करीब 228 फीसदी का इजाफा हुआ है।

प्रथम वर्ग के कुल 34,000 अफसर हैं और उनमें 3200, यानी 9 प्रतिशत, आई.ए.एस. अफसर हैं। लेकिन बड़े पदों में उनका हिस्सा बहुत ज्यादा है। पिताजी के राज्य में आई.सी.एस. अफसर हावी थे और पुत्री के राज्य में आई.ए.एस. अफसर हावी हैं। हो सकता है कि इस कमीशन के चेयरमैन और सैक्रेटरी ने रिपोर्ट में अपने वर्ग के बालबच्चों का ज्यादा ख्याल किया हो, क्योंकि आई.सी.एस. अफसरों के बच्चे आगे चल कर आई.ए.एस. बनते हैं, लेकिन यह तथ्य है कि पिता के राज्य में प्रशासन पर आई.सी.एस. छा गई थी और पुत्री के राज्य में आई.ए.एस. छा गई है।

बड़े पदों का बंटवारा देखिये। सचिव के पद 45 हैं, जिनमें से 30 पर आई.ए.एस. के सदस्य हैं। इसी तरह अतिरिक्त सचिव के 32 पदों में से 20 पर आई.ए.एस., संयुक्त सचिव के 169 पदों में से 86 पर आई.ए.एस. और डायरेक्टर के 138 पदों में से 81 पर आई.ए.एस. के सदस्य हैं। डायरेक्टर का पद तो महज आई.ए.एस. के लोगों के लिए चरागाह, ग्रेजिंग ग्राउंड, के रूप में बनाया गया है। जो विशेषज्ञ हैं, टेक्निकल लोग हैं, उनके लिए अपने आपको एक आधुनिक सरकार कहने वाली सरकार में कोई मौका नहीं है। जिस तरह अंग्रेजों के जमाने में, और स्वतंत्रता के पिछले वर्षों में, आई.सी.एस. के सदस्य सर्वज्ञ माने जाते थे, उसी तरह आज इंदिरा जी के राज्य में आई.ए.एस. के लोगों को सर्वज्ञ माना जाता है—वे सब कोई काम कर सकते हैं। न्यूनतम वेतन के निर्धारण में "समान काम समान दाम" का सिद्धांत सर्वमान्य है। हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में उसका उल्लेख है। लेकिन कमीशन ने उसको ठुकराकर हमारे संविधान की अवहेलना की है। सरकार बुनियादी और मौलिक अधिकारों में बार-बार परिवर्तन क्यों करना चाहती है?—ताकि संविधान के निर्देशक सिद्धांतों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज, को कार्यान्वित किया जाये। लेकिन इस सरकार को कमीशन खुले रूप से कहता है कि "समान काम समान दाम" के सिद्धांत को हम नहीं मानते हैं।

कमीशन की राय में सरकार को आदर्श मालिक के रूप में भी एक नजीर पेश करनी चाहिए—वह कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। पंद्रहवें त्रिदलीय भारतीय श्रम-सम्मेलन का न्यूनतम वेतन, नीड-बेस्ड मिनिमम वेज, के बारे में जो फार्मूला था, कमीशन ने उसको भी अस्वीकार कर दिया है। डा. एक्राइड का डाइट, गिजा, के बारे में जो सर्वमान्य सिद्धान्त है, उसको भी यह कमीशन कबूल नहीं करता है। कमीशन की राय में तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों को घास खाना चाहिए और प्रथम वर्ग के अफसरों को गोश्त, मुर्गा और अंडे का सेवन करना चाहिए। मैं श्री चव्हाण को कहना चाहता हूं कि कमीशन ने यह लिखा है। कमीशन के मतानुसार निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूरों की तुलना नहीं होनी चाहिए, हालांकि रेलवेज, टेलीफोन और रक्षा मंत्रालय के जिन संस्थानों में बारूद वगैरह बनाने का काम होता है, वे सब व्यापारिक संस्थान हैं। अमरीका में, रेलवे और टेलीफोन निजी क्षेत्र में हैं। पश्चिम के कई राज्यों में बारूद और हथियार बनाने का काम भी निजी क्षेत्र में होता है। हम लोगों ने इन सब कामों को सार्वजनिक

क्षेत्र में ले लिया है। लेकिन इसका यह तो मतलब नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के नाम पर रेल मजदूरों को पीसा जाये और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को चूसा जाये।

मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज रेल मजदूरों की हालत बहुत दयनीय है। जो लोग जानते हैं कि वे लोग किस तरह सर्दी और बरसात में काम करते हैं, उन्हें निश्चित रूप से उन लोगों की स्थिति पर दया आयेगी। लेकिन, जैसा कि मैंने कहा है, वेतन कमीशन वज्र की तरह कठोर है, वह उन लोगों की स्थिति की ओर देखना भी नहीं चाहता है।

चतुर्थ वर्ग, और विशेषतया तीसरे वर्ग, के कुशल मजदूरों आदि के असली वेतन में तो महंगाई के कारण कटौती हुई है। मैं यह टेबल मंत्री महोदय को देने के लिए तैयार हूं, जिससे प्रकट हो जाता है कि महंगाई के कारण असली वेतन में 5, 10, 20, 25 रुपये से लेकर 200, 250 रुपये तक कटौती हुई है। कमीशन ने 185 रुपये का न्यूनतम वेतन घोषित किया है, लेकिन जो हिसाब कमीशन के बहुमत से लगाया है, प्रो. पिल्लै ने उसको चुनौती दी है और उन्होंने कहा है कि न्यूनतम वेतन 196 रुपये होना चाहिए। हम लोगों की राय में असली वेतन इससे बहुत कम होगा।

एक सोचने लायक बात है—श्री चव्हाण इस पर विचार करें—कि रेलवेज में खलासी, सैकंड फायरमैन, फिट्टर, कुशल फिट्टर और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर आदि श्रेणी के जो लोग हैं, इस कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद वे अपने घर में जो वेतन, टेक होम पे ले जायेंगे, उसमें पांच-छः रुपये की कटौती होगी। प्राविडेंट फंड को बढ़ा दिया गया है, रिस्क इंश्योरेंस का पैसा कटेगा और जो हाउस रेंट कटता है, उसके कारण उनके वेतन में पांच-छः रुपये घटने वाले हैं। दूसरी श्रेणी के बारे में यह रकम और ज्यादा हो जाती है। लेकिन जो सबसे पीड़ित और शोषित कर्मचारी हैं—सैकंड फायरमैन, जिनको हमेशा आग के सामने खड़ा रहना पड़ता है, जिनकी आंखे जल्दी खराब हो जाती हैं, उनके बारे में मैं विशेषरूप से अर्ज करना चाहता हूं।

बड़े-बड़े अधिकारियों के बारे में क्या स्थिति है? मेरे पास तो, तीन-चार सौ पदों की सूची है। लेकिन मैं इसमें समय नहीं बिगाड़ना चाहता हूं। मैं केवल कुछ उदाहरण देना चाहता हूं। कैबिनेट सैक्रेटेरियट में असिस्टेंट डायरेक्टर, विजिलेंस की तनख्वाह 300 रुपये बढ़ाई गई है। इसी तरह विजिलेंस इंस्पेक्टर की तनख्वाह 250 रुपये, डिप्टी डायरेक्टर की तनख्वाह 400 रुपये, सैक्रेटरी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की तनख्वाह 300 रुपये, इंस्टीट्यूट ऑफ सैक्रेटेरियट ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर की तनख्वाह 700 रुपये और अतिरिक्त डायरेक्टर की तनख्वाह 400 रुपये बढ़ाई गई है। प्रधान मंत्री के सचिवालय में सोशल सैक्रेटरी की न्यूनतम तनख्वाह 350 रुपये और अधिकतम 450 रुपये बढ़ाई गई है।

सोशल सेक्रेटरी को मैं नहीं जानता। इसलिये कोई यह न कहे कि मैं कोई व्यक्तिगत गुस्सा निकाल रहा हूं। उनका क्या काम है मैं नहीं जानता। शायद हेयर ड्रेसर से एप्वाइंटमेंट वह लेते हों। लेकिन साढ़े तीन सौ और साढ़े चार सौ रुपये बढ़ाना यह कहां तक तर्क-संगत है?

नर्सेज की बात लीजिये। तीन दिन से जब से मेरे नाम से यह प्रस्ताव आया है मैं तो तंग आ गया, इतने लोग मिलने आते हैं। और नर्सेज की स्थिति तो इतनी खराब है....

*** *** ***

£इसका मतलब है कि आप समर्थन करते हैं इस वृद्धि का फिर 4 हजार बढ़ा दिया जाये। बढ़ाइये। अगर यही तर्क है कि एक सोशल सेक्रेटरी है इसलिये साढ़े तीन सौ और साढ़े चार सौ तनख्वाह बढ़ा सकते हैं, तो मुझे आपके साथ कोई तर्क ही नहीं करना है। यह तर्क आप ही को मुबारक हो।

अध्यक्ष महोदय, सभी मंत्रालयों के बारे में तकरीबन यही हालत है। ये आंकड़े तो मिसाल के तौर पर दिये हैं। जो बाद वाले वक्ता हैं वह मुझसे इसको ले जायें, और भी इसमें बहुत सी मजेदार बाते हैं।

महंगाई भत्ते की बात लीजिये। महंगाई का कर्मचारियों को पूरा मुआवजा मिलना चाहिये, इस सिद्धान्त को सरकार नहीं मानती। दामों को रोकने, दामों को बांधते का काम भी नहीं करती। मैं बहुत ज्यादा महंगाई भत्ते के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो दाम बांधने की,-दामों को स्थिर करने की बात को ही पसंद करूंगा। लेकिन वह भी ये नहीं कर रहे हैं और एक दफा जो दाम बढ़ जाता है वह फिर कभी नीचे नहीं आता इनके राज में। औसत वृद्धि की 12 महीने की जो यह अवधि रखी गई है और दस प्वाइंट वाली जो शर्त रखी गई है, आप कहते हैं कि अब दस प्वाइंट का सवाल नहीं है। केवल कमीशन के आधार पर का साल बदल दिया है। मगर तकरीबन वह दस प्वाइंट ही है और इसमें मजदूरों के पैसे की बड़े पैमाने पर चोरी हुई है। इसलिये इन्होंने यह 12 महीने का और दस प्वाइंट वाला बखेड़ा खड़ा कर दिया। इंडेक्स नम्बर तैयार करते समय बड़ा घपला हुआ करता है। आप जानते हैं 1963 में बम्बई में इंडेक्स नम्बर को लेकर हम लोग बड़ी लड़ाई लड़े थे। 20 अगस्त, 1963 को पूरा बम्बई शहर बन्द हो गया था। हड़ताल हुई। लकड़ावाला कमेटी बैठी। उसने अपनी सिफारिश की। उस समय 8 रुपया महंगाई भत्ता सभी मजदूरों का बढ़ाया गया था। कई प्रोफेसरों ने कहा कि आजादी के बाद इतने बड़े पैमाने पर सारे मजदूरों की वेतन वृद्धि कभी नहीं हुई। ये जो इंडेक्स नम्बर बनाने वाले लोग हैं। सरकार के नियंत्रित दामों को लेते हैं जैसे अनाज, डालडा, कपड़ा, चीनी इत्यादि हैं और घर का किराया भी। लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि क्या वास्तव में इन नियंत्रित दामों पर कर्मचारियों को और मजदूरों को ये सारी चीजें मिलती हैं। नियंत्रित कपड़े की बात लीजिये, दस प्रतिशत कपड़ा नियंत्रित और 90 प्रतिशत अनियंत्रित कपड़ा बिकता है जिसके दाम एक साल में 50 प्रतिशत बढ़ गये, 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत। यह तो एक धोखा है। इसलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि इंडेक्स नम्बर की इस चोरी को रोका जाये और वैज्ञानिक ढंग से इंडेक्स नम्बर को बनाने का काम किया जाये।

दाम वृद्धि दुनिया में सभी जगह हो रही है, यह बात प्रधान मंत्री के मुंह से सुनते-सुनते मैं तो ऊब गया। इसलिये मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। एक तो पश्चिमी देशों का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। लेकिन वहां क्या हुआ यह मैं बताता हूं। यह लंदन एकोनामिस्ट के जुलाई 1973 के अंक से मैंने लिया है—जर्मनी में कन्ज्यूमर प्राइस उपभोक्ता के दाम, थोक के नहीं,

£ श्री के.पी. उन्नीकृष्णन, सांसद की टिप्पणी 'There is only one Social Secretary' का समर्थन करते हुए।

साढ़े सात प्रतिशत बढ़े हैं। फ्रांस में साढ़े छः प्रतिशत और ब्रिटेन में 9 प्रतिशत। लेकिन फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन आदि देशों में सबसे ज्यादा मजदूर हैं। वह तो इतना औद्योगिक इलाका है कि तकरीबन सभी मजदूर हैं। और इसी अवधि में वेतन वृद्धि जर्मनी में 8 प्रतिशत, फ्रांस में 13 प्रतिशत और ब्रिटेन में साढ़े 13 प्रतिशत हुई है। इसका मतलब है कि जिस रफ्तार से वहां दाम बढ़े हैं उससे अधिक तेज रफ्तार से उनकी वेतन वृद्धि हुई है। और हमारे यहां क्या स्थिति है? दाम घोड़े की चाल से और वेतन वृद्धि गधे की चाल से हुई है।

सरकारी खर्च में कटौती करने की चर्चा हम लोग एक अरसे से सुन रहे हैं। लेकिन अभी-अभी आपूर्ति विभाग के डायरेक्टर इंसपेक्शन अपना आफिस जामनगर हाउस से साउथ-एक्सटेंशन के आलीशान मकान में ले जा रहे हैं। जो मकान पहले नेशनल सीड्स कारपोरेशन ने 8 हजार रुपये मासिक किराये पर लिया था। आज शाहनवाज खां का आपूर्ति मंत्रालय उसके लिए 22 हजार रुपये दे रहा है। कोई जरूरत नहीं थी मकान बदलने की। जामनगर हाउस की मरम्मत आठ-दस हजार रुपये खर्च करके हो सकती थी लेकिन नेशनल सीड्स कारपोरेशन जिसके लिए 8 हजार रुपये मासिक किराया देता है उसके लिये यह डाइरेक्टर इन्सपेक्शन 22 हजार रुपया मासिक किराया देने जा रहे हैं। यह भी कोई आई.ए.एस. अधिकारी होंगे क्योंकि ग्रेजिंग ग्राउन्ड उन्हीं लोगों के लिये है। क्या इनकी यह पैतृक सम्पत्ति है? क्या वित्त मंत्रालय का इनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है? मुझे पता चला कि यह चीज बहुत गुप्त रूप से खबर की गई थी। 13 तारीख को सर्कुलर देते हैं। 14-15 को छुट्टी है और कहते हैं कि 16 तारीख को आफिस शिफ्ट करेगा—कर्मचारियों को मैंने कहा कि हमेशा वेतन और भत्ते की ही बात करोगे। राष्ट्रीय हित की बात करो। वहां थोड़ा हंगामा करो। हम आपके सवाल को उठाएंगे। यह राष्ट्रीय सम्पत्ति को बचाने की बात है।

*** *** ***

...बोनस के बारे में सरकार की कोई नीति नहीं है। हालांकि इस वेतन आयोग की रिपोर्ट में यह आता नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज्यों और म्युनिसिपैल्टियों के अन्दर जो ट्रांसपोर्ट संस्थान हैं उनको बोनस मिलता है, पोर्टट्रस्ट के कर्मचारियों को बोनस मिलता है। लेकिन रेल और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों को नहीं मिलता।... पब्लिक अंडरटेकिंग्स में तो मिलता ही है, मैं तो म्युनिसिपैल्टियों और राज्यों के कर्मचारियों की कह रहा हूं कि उनको भी मिलता है, स्टेट ट्रांसपोर्ट, बी.ई.एस.टी. वगैरह को मिलता है? लेकिन रेल और रक्षा मंत्रालय के सिविलियन एम्प्लाई और डाक और टेलीफोन वाले, इनको नहीं मिलता। मैं कहता हूं कि रेल मजदूरों का भयंकर नुकसान हो रहा है वेतन कमीशन के चलते और आप लोगों का, रक्षा मंत्रालय वालों का भी होगा। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि बोनस के बारे में सरकार को अपनी कोई तर्कसंगत नीति तय करके सदन के सामने रखनी चाहिये।

इस कमीशन ने राजनैतिक और ट्रेड यूनियन अधिकारों की चर्चा ही नहीं की। कहा है कि हम करेंगे भी नहीं। सबार्डिनेट कार्यालयों के नाम पर आडिटर जनरल के आफिस के साथ कितना अन्याय हुआ। क्या वित्त मंत्री यह नहीं जानते कि संविधान की धारा 148 उप-धारा 5 के तहत उनके लिये कानून और नियम बनाने ज़रूरी हैं। लेकिन उनके लिये हमने क्या किया? उनका काम बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आडिट के काम को आप पसन्द नहीं करते हों क्योंकि आपकी चोरी उसमें पकड़ी जाती है, इसलिये उनको मंत्रालय के नीचे लाकर रखा। कोई तर्क है?

इसी तरह से मैं इस अवसर पर संसद के सचिवालय के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। संविधान की धारा 98 को देखिये। वैसे तो गिरावट सभी क्षेत्रों में आ रही है। लेकिन कौन नहीं जानता है, कौन इस बात को काट सकता है कि राज्य सभा और लोक सभा के सचिवालय के कर्मचारी सभी दिल्ली शहर में और पूरे देश में अत्यधिक कार्यक्षम हैं और उनका लोगों के साथ व्यवहार भी ऊंचे दर्जे का है....

***   ***   ***

***   ***   ***

मैं कोई अनुचित टीका-टिप्पणी नहीं कर रहा हूं—पिछले 23 वर्षों में दफा 98 के तहत हमको जो नियम बनाने चाहिये थे, कानून बनाने चाहिये थे, इनके वेतन-मान निश्चित करने चाहिये थे, संविधान की मर्यादा का पालन करना चाहिये था—वह नहीं किया। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई अनुचित आलोचना नहीं कर रहा हूं। इसकी हालत और वेतन के बारे में चेयरमैन, अध्यक्ष और सचिवों को उदासीन नहीं रहना चाहिये—यह मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं।

इसलिये मेरी मांग है कि इस सदन की और राज्य सभा के सदस्यों की एक प्रतिनिधिक मिली-जुली कमेटी बने, जो संसद के कर्मचारियों के बारे में उदार और वास्तविक दृष्टिकोण से अपने सुझाव दे। इसके ऊपर मैं चव्हाण साहब को इस मामले में वित्त मंत्रालय को वीटो देने को तैयार नहीं हूं। सदन का जो फैसला होगा, स्पीकर साहब और चेयरमैन का जो फैसला होगा और हम लोगों की बातों को सुना जायेगा, उसको तत्काल कार्यान्वित किया जाये। इन सालों में इन लोगों के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

जवानों पर भी पे-कमीशन मेहरबान नहीं है। आजकल के जवान, इन्फैन्ट्री सोल्जर्स सभी तरह के नये हथियारों का प्रयोग करने लगे हैं, उनमें कौशल की जरूरत होनी लगी है। तो फिर क्या बात है चव्हाण साहब—चव्हाण साहब भी किसी जमाने में डिफेन्स मिनिस्टर रह चुके हैं—सरकार उनको स्किल्ड वर्कर्स मानने के लिये तैयार नहीं हैं। वे लोग इतनी जोखिम उठाते हैं—यह कोई काल्पनिक जोखिम नहीं है, पिछले कुछ ही वर्षों में कच्छ का मामला आया, भारत-पाकिस्तान की लड़ाई हुई, बांग्लादेश का मामला आया, चीन के साथ लड़ाई हुई—लगातार जवानों को अपनी जानें जोखिम में डालनी पड़ती हैं। इसलिये कम-से-कम कुशल कारीगर का दर्जा उनका कुबूल किया जाये और इसी साल उनको वह तनख्वाह नहीं दे सकते हैं, तो अवधि निश्चित कीजिये, लेकिन सिद्धांत को मानिये कि जो हमारे सैनिक जवान लोग हैं, ये कौशल-कुशल कारीगर दर्जे के लोग हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कमीशन 1969 में बना। पहली अन्तरिम वृद्धि मार्च 1970 से लागू की गई, लेकिन अपनी सिफारिशों के बारे में तीन साल इस कमीशन ने निकाल दिये। कई बार आश्वासन दिये कि अगले साल रिपोर्ट आयेगी लेकिन 31 मार्च 1973 को यह रिपोर्ट आई। बीच के तीन सालों में जो कर्मचारी सेवानिवृत्त हो गये, उनकी पेन्शनों का ख्याल क्यों नहीं किया गया। पेन्शनरों की जो दयनीय अवस्था है, उसके ऊपर थोड़ा रहम कमीशन और सरकार को करना चाहिये था, लेकिन वह भी नहीं हुआ।

अब जहां तक इम्पलीमेंटेशन का सवाल है—मेरी राय है कि इसकी सिफारिशों को 1 मार्च 1970 से या कम-से-कम वित्तीय साल के हिसाब से 1 अप्रैल 1970 से इसको निश्चित रूप से लागू करना चाहिये।

अब आप इन्क्रीमेंटल स्केल की बात को लीजिये। तीसरे और चौथे वर्ग के कर्मचारियों के लिये बहुत कम इन्क्रीमेन्टल स्केल हैं, जबकि प्रथम वर्ग के लाडले अफसरों के लिये इन्क्रीमेंटल स्केल 3.3 से लेकर 8 प्रतिशत तक यानी 40 रुपये से लेकर 100 रुपये तक है। जो छोटे कर्मचारी हैं उनके काम के घन्टे भी बढ़ा दिये गये हैं। ट्रेड यूनियनों के द्वारा हमेशा मांग की गई है कि प्वाइन्ट-टू-प्वाइंट फिक्सेशन हो, लेकिन द्वितीय पे-कमीशन से भी यह कमीशन पीछे चला गया।

कैजुअल लेबर की बात को लीजिये—अस्थायी कामों के लिये कैजुअल लेबर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जाता है—इस अफसरशाही के चलते ऐसा हो रहा है। लेकिन इन कैजुअल लेबर्स के साथ भी इस कमीशन ने कोई न्याय नहीं किया। वर्षों की सेवा के बाद भी वही स्थिति रहती है। कांट्रेक्ट लेबर की तो चर्चा ही नहीं की है। यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि कांट्रेक्ट लेबर खत्म होनी चाहिये, लेकिन उनका भी कोई उल्लेख इस कमीशन ने कहीं नहीं किया। इसलिये इन सारे प्रश्नों को लेकर कमीशन ने अपनी दकियानूसी मनोवृत्ति का परिचय दिया है। कमीशन कहता है कि स्वयंचालित मशीनों का उत्तरोत्तर इस्तेमाल होना चाहिये। मैं समझता हूं कि इन शब्दों के प्रयोग से बेकारी बढ़ाने के काम में, जो पवित्र काम है, कमीशन ने हाथ बंटाया है।

प्रथम वर्ग के अफसरों के लिये घर भत्ते के रूप में 100 रुपये माहवार की वृद्धि हुई है। इसी तरह से उनको मिलने वाली सेवानिवृत्ति पेन्शन में 155 रुपये से 325 रुपये तक की वृद्धि की गई है। कमीशन ने उनकी ग्रैचुइटी में 6 हजार रुपये की वृद्धि कर उसको 30 हजार रुपये तक बढ़ाया है—6 हजार रुपये बढ़ाकर 30 हजार रुपये पर लाकर रखा है। इसी तरह से उनको अन्य वृद्धियां और सुविधायें भी प्रदान की गई हैं। कमीशन और सरकार "काम करो", "पैदावार बढ़ाओ" सभ्यता को प्रस्थापित नहीं करना चाहती है, वह केवल "आदेश दो" सभ्यता को सुपरवाइजरी-सिविलाइजेशन को हमारे देश में बढ़ाना चाहती है। सरकार के दृष्टिकोण में कब परिवर्तन आयेगा, यह समझ में नहीं आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी अफसर वित्तीय संस्थाओं से कर्जा लेकर मकान बनाते हैं—1966 में गृह मंत्री कौन थे? श्री मेहर चन्द खन्ना थे—उन्होंने छूट दे रखी थी—वे सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं और वित्तीय संस्थाओं से पैसा लेकर मकान बनवाते हैं और फिर विदेशी कम्पनियों को, बड़ी-बड़ी कम्पनियों को ऊंचे किराये पर दे देते हैं लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं उनको मकान भी नहीं मिलते हैं।

किरायों में जो वृद्धि हुई है—उसका कमीशन ने बिलकुल ख्याल नहीं किया है, उल्टा हाउस रेन्ट एलाउन्स को घटाया है। इतना ही नहीं सिटी-कम्पेनसेटरी एलाउन्स में कटौती की है हालांकि महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इन कारणों को लेकर मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा—किराये की रसीद देनी चाहिये ऐसा कमीशन ने कहा है—लेकिन चव्हाण साहब जानते हैं—बम्बई जैसे शहर में सबलेटिंग सब-सब-लेटिंग में लोग रहते हैं—कौन रसीद देता है। क्या मालिक कोई रसीद देता है? क्या टेनैंट कोई रसीद देगा? रसीद की जो शर्त लगाई गई है इससे छोटे कर्मचारियों के लिये

बहुत दिक्कत पैदा हो जाएगी। एक तरफ आप स्वयं उनको क्वार्टर नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ आप उन पर रसीद की शर्तें लगाते हैं—इसका नतीजा क्या होगा। इसके ऊपर उपाध्यक्ष महोदय आप स्वयं सोचिये।

पेन्शनरों के साथ कमीशन ने न्याय नहीं किया। मैंने पहले भी चव्हाण साहब को सूचना दी थी—पब्लिक सेक्टर में जनरल इन्श्योरेंस में एक आदमी के साथ पेंशन का जो करार हुआ है उसमें 18 साल के पहले यदि उसकी "अकाल मृत्यु" हुई तो उसके बच्चों को 18 साल तक पेन्शन का करार पब्लिक सेक्टर में जनरल इंश्योरेंस आपने अपने हाथ में लेने के बाद किया। उस पत्र का आपने जवाब भी नहीं दिया—शायद जांच कर रहे हैं, कितने दिन लगेंगे, पता नहीं....

*** *** ***

अन्त में, मैं एक बात कहना चाहता हूं—इस सरकार में थोड़ी भी सच्चाई होती तो वह प्रगतिशील वेतन कमीशन गठित करती, वेतन श्रेणियों के बीच की दरार को पाटती और निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक धन्धों में भी इसी नीति को लागू करती। इसी संबंध में दो प्रोफेसरों ने अपने नोट-आफ-डिसेंट में क्या कहा है? जब चौथे वर्ग के न्यूनतम वेतन की बात आती है तो सरकार कहती है कि खेतीहर मजदूरों को कितना वेतन मिलता है, असंगठित मजदूरों को कितना वेतन मिलता है लेकिन अफसरों का वेतन तय करते समय खेतीहर मजदूरों और संगठित मजदूरों की याद नहीं आती है। उन्होंने कहा था—

> "The maximum pay under the Central Government with 1960 as base year was 117 times as high as the per capita income and 37 times as high as the minimum pay."

ये बातें उन दो प्रोफेसरों ने कही थी। यह तर्कसंगत है सबके लिये या केवल खलासियों के लिए, फिटरों के लिए, फायरमैन के लिए है। खेतीहर मजदूरों की हालत हम भी जानते हैं, उनकी हालत वास्तव में बहुत खराब है, लेकिन कुछ तो सामाजिक न्याय की भावना सरकार की वेतन नीति में होनी चाहिये।

यह बहुत बढ़िया मौका था—यदि सरकार अधिकतम वेतन 1850 रु. कर दे और न्यूनतम वेतन 185 रुपये कर दे और तब सुझाव लेकर आये कि हमने बड़े लोगों का वेतन भी घटा दिया है, अब उनकी जो रेशियो है तो हम लोग अवश्य सोचेंगे। जो अन्तर है, वह 1:10 का रह गया है।

अमेरिका पूंजीवादी है, अमरीका में रेशियो है 8:7 और यहां समाजवाद, गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ की बात की जाती है तो अंतर है 3:7 गुना। 1:10 का ही रेशियो रखिये। ट्रेड यूनियन वाले नहीं मानेंगे तो कम-से-कम मेरे जैसे लोग कहेंगे कि यह ठीक है। साथ ही दाम घटाकर दाम बांधने की नीति को अपनाओ, दामों को स्थिर करो, जो बड़े लोगों के वेतन भत्ते हैं, उनको घटाओ, 1 और 10 में सारे वेतनों को ले आओ पब्लिक सेक्टर और निजी सेक्टर में भी उसको लागू करो और एक पूरी राष्ट्रीय वेतन नीति अपनाओ। यह हो जायेगा तो मैं मानूंगा कि समाजवाद की दिशा में आपने कोई एक कदम आगे बढ़ाया है।

कोयला खान उद्योग की समस्याएं*£

उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक मंत्री महोदय यहां क्यों ले आए? अगर पहले विधेयक पास करते समय सोच-समझकर काम किया जाता तो यह नौबत नहीं आती। लेकिन एक अरसे से मैं देख रहा हूं कि राजनैतिक प्रचार के लिए ये लोग जल्दी-जल्दी राष्ट्रीयकरण के कानून यहां पर पास कर रहे हैं और जब हमारे द्वारा यह कहा जाता है कि इन कानूनों को अध्ययन करने के लिए इनको प्रवर समिति या संयुक्त समिति के पास भेजा जाये तो ये लोग विरोध करते हैं। इतनी बड़ी भूल और कमी इस विधेयक में रह गई! हमारे स्वर्गीय श्री मोहन कुमार मंगलम के साथ इसके बारे में मेरा पत्र-व्यवहार हो रहा था। लगातार मजदूरों की यूनियन्स के पत्र आ रहे थे कि राष्ट्रीयकरण का विधेयक पास हो गया लेकिन इनको पता ही नहीं है कि कोल इंडस्ट्री में हालत क्या है? राष्ट्रीयकरण करने के पहले क्या कोल इंडस्ट्री की समस्याओं का पूरा अध्ययन इनको नहीं करना चाहिए था? मजदूरों की तकलीफें क्या हैं? इस तरह का इन लोगों ने कोई अध्ययन नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि इन्होंने मुआवजे की रकम तय करने के बारे में जो प्रावधान पास किया तो उसमें इसके संबंध में कोई व्यवस्था नहीं थी कि मजदूरों का जो पचासों किस्म का बकाया पड़ा है—वेतन का बकाया, प्रोविडेंट फंड का बकाया, बोनस का बकाया, इन सारे बकायों का क्या होगा? इसके बारे में इन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया।

तो पहले मैं इसके ऊपर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि इन लोगों का यह जो तरीका है जिसके चलते इन कानूनों में कमियां रह जाती हैं, क्या इस सदन में आप यह व्यवस्था देंगे कि जो भी महत्वपूर्ण विधेयक आए उसका प्रवर समिति या संयुक्त समिति में भेजना अनिवार्य बना दिया जाये?

दूसरी बात—ये इतने हठधर्मी हैं कि विरोधियों के द्वारा संशोधन दिए जाते हैं तो खुले मन से उन संशोधनों पर विचार करने के लिए ये कभी तैयार नहीं हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के बारे में यही हुआ। कोकिंग कोल माइन्स एक्ट के बारे में यही हुआ। तो विधेयक के बारे में हमेशा यही होता है। जब बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विधेयक आया तब उसके बारे में भी हमने पचासों अमेंडमेंट्स दिये थे। आज सारे फ्राड्स बैंकों में हो रहे हैं। बैंकों से जो कर्जा दिया जाता है ठीक ढंग से उसका वितरण नहीं हो रहा है। यह क्यों हो रहा है, उदाहरण के लिए यह मैं कह रहा हूं। एक तो मैं यह कहूंगा कि सब महत्वपूर्ण विधेयक सिलेक्ट कमेटी या ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के पास जाने चाहिए।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 4 सितम्बर 1973.

£'कोककारी तथा गैर-कोककारी कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

दूसरी बात—मैं मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं—प्रतिपक्ष के द्वारा जो भी संशोधन दिये जायेंगे, क्या खुले मन से एक-एक संशोधन पर विचार करेंगे और प्रतिष्ठा और इज्जत का सवाल न बना कर उनको स्वीकार करेंगे।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं—सरकार जब भी कोई राष्ट्रीयकरण का विधेयक लेकर आये, उसके पहले यह जरूरी होना चाहिये कि पूरी इण्डस्ट्री की समस्या का वह अध्ययन करे और राष्ट्रीयकरण को प्रचार का साधन न बनाये। सभी समस्याओं को अध्ययन करने के बाद जो विधेयक आयेगा उससे मजदूरों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा और उपभोक्ताओं का कल्याण होगा।

अन्तिम बात मैं यह कहना चाहता हूं—जब इन्होंने कोकिंग माइन्ज और कोल माइन्ज का राष्ट्रीयकरण किया, उस समय वितरण की समस्याओं के बारे में इन्होंने सभी पहलुओं पर विचार नहीं किया। स्वयं मंत्री महोदय ने अपनी भूल स्वीकार की कि स्माल इण्डस्ट्रीज का जो कोटा था, इन्होंने सोचा कि उसको कम करने से बड़ी बचत हो जायेगी, लेकिन कोई बचत नहीं हुई, बल्कि स्माल इण्डस्ट्रीज बन्द होने लगीं, हजारों मजदूर बेकार हुए। इनके सामने मैंने मुरादाबाद और फीरोजाबाद के उदाहरण दिये थे। अब कुछ किया है, लेकिन अभी भी शिकायतें आ रही हैं। इसलिये वितरण के बारे में सोचें, वर्ना दूसरा विधेयक लेकर इनको जल्द आना पड़ेगा। इसलिये इसके बारे में भी मैं इनकी राय जानना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है, उसके बारे में क्या आप कुछ कहेंगे? मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप आदेश दीजिये ताकि रघुरमैय्या साहब उसको सुनें और हमेशा किसी भी अच्छे विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त समिति को भेजने की हमारी दरख्वास्त को मानें।

रेल कर्मियों की समस्याएं एवं उनका समाधान*£

***   ***   ***

सभापति महोदय, एक अर्से से मैं सत्ताधारी दल के सदस्यों के भाषण सुन रहा हूं और यहां पर विरोधी पक्ष के द्वारा जो मुद्दे उपस्थित किये गये हैं उनका तर्कसंगत जवाब देने के बजाये कीचड़ उछालने का काम किया जा रहा है। सभापति जी, श्री जार्ज फर्नान्डीज को इन लोगों से मैं ज्यादा अच्छी तरह और नजदीक से जानता हूं और यह कितनी भी गाली-गलौच करें इनसे मैं कहना चाहता हूं कि आज इन्होंने जो काम किया है उससे श्री जार्ज फर्नान्डीज की हैसियत कम होने के बजाये और बढ़ गई है और रेलवे मजदूरों की भी बढ़ गई है। इसलिये इनके गाली-गलौज का जवाब मैं नहीं देना चाहता।

सभापति महोदय, असली सवाल यह है कि क्या केन्द्र सरकार बातचीत के जरिये इस समस्या का समाधान निकालना चाहती थी? अगर बातचीत के जरिये इस समस्या को वह हल करना चाहते थे तो कल रात को 12 बजे उनकी गिरफ्तारी का और दूसरे रेल मजदूरों के नेताओं को गिरफ्तारी का षड्यंत्र रचकर उनको गिरफ्तार करने का जो काम हुआ है उसके लिये इनको सदन से माफी मांगनी चाहिये और इन नेताओं को तत्काल छोड़कर फिर दुबारा बातचीत का दौर शुरू करना चाहिये।

श्री फर्नान्डीज ने जेल से यहां आने के बाद जो पत्र भेजा है उसी में से कुछ जुमले मैं आपके सामने रखूंगा।

***   ***   ***

क्योंकि सारे लोग हमारे साथ हैं, उनकी सहानुभूति है। यह होम मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर सकती है। इसलिये यह कितना असत्य बोल रहे हैं और श्रीमती पार्वती जी** ने.....। मैं स्पीकर साहब को दिखाने के लिये तैयार हूं, सभापति जी, श्रीमती पार्वती ने क्या कहा कि कल 1 मई को जो बैठक होने वाली थी उसका उद्देश्य बहुत सीमित था और वह यह था कि आज तक जो बातचीत हुई है उसमें एक राय किन चीजों पर हुई हैं और मतभेद का क्षेत्र क्या है? यह लिखित रूप से होना चाहिये। यह उद्देश्य था और इसमें ए.आई.आर.एफ. हो या कोई और यूनियन हो, इसका सवाल नहीं था। एक शर्मा जी की फेडरेशन को छोड़कर बाकी जितने मजदूर संगठन हैं सब नेशनल कोआर्डिनेशन के तहत एकत्रित हो गये हैं और इस कमेटी की ओर से श्रीमती पार्वती कृष्णन और श्री गजानन गोखले को सारे अधिकार दिये गये थे।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 2 मई 1974.

£ श्री एल.एन. मिश्र, रेल मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य 'प्रस्थापित रेल हड़ताल' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्रीमती पार्वती कृष्णन, सांसद।

सभापति महोदय, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने खुद कहा:

"The talks, as you know, were scheduled for today. There was an assurance from Mishra that there will be no arrests while the talks are on. Choubey, Choudhury and I are members of the Negotiating Committee. In the case of LRSA comrades, there was a written assurance that the members of the Loco Running Staff Grievances Committee would not be arrested while they continued to be members of the Committee. Both Barua and Choudhury are members of the Committee and they were to have a meeting of their Grievances Committee today at 4 P.M."

और इसलिये यह जो आरोप किया जा रहा है कि जान-बूझकर बातचीत को तोड़ना चाहते थे, यह बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। यह तथाकथित मिनट्स हैं वह लेखबद्ध करने के लिये नेशनल कोआर्डिनेशन कमेटी के दो प्रतिनिधि मौजूद थे आधिकारिक ढंग से। उसी तरह से लोको ग्रीवान्सेज कमेटी की बैठक आज 4 बजे होने वाली थी। आपने वचन दिया था कि जब तक बातचीत चलेगी, लिखित वचन है, गिरफ्तारियां नहीं होंगी। इसको आपने तोड़ा है।

रेलवे बोर्ड के बारे में यह लिखते हैं:

"A Statement has been put out by the Railway Board and it was broadcast by AIR last night that the CPM and George Fernandes did not turn up to draft the minutes. Lalit knew that I was in Lucknow yesterday. On our behalf, both Gokhale and Parvati were to be present to draft the minutes. The Railway Board's lies must be nailed."

यह जेल से श्री जार्ज फर्नान्डीज ने, सभापति महोदय लिखा है। इसलिए यह झूठा प्रचार जो आज रेलवे मंत्रालय कर रहा है, सरकार कर रही है, उसके ऊपर किसी को भी विश्वास नहीं होगा।

सभापति महोदय, इसके अलावा आज बातचीत होने वाली थी, लोको कमेटी की बैठक होने वाली थी, इसके अलावा चार बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं: नं. 1 बात तो आज आपने में अखबारों में पढ़ी होगी कि केरल के मुख्य मंत्री श्री अच्युत मेनन और तमिलनाडु के मुख्य मंत्री श्री करुणानिधि की। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने एक पत्र लिखा था कि रेल समस्या का समाधान होना चाहिए सम्माननीय ढंग से और इसका हल निकालने के लिए आप अपने गुड आफिसेज को इस्तेमाल कीजिए। उनको मौका दिया जाना चाहिए था। वे दो जिम्मेदार मुख्य मंत्री हैं।

*** *** ***

नं. 2 बात यह है कि इधर एक अर्से से कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी के जो सदस्य हैं, उनसे लगातार मेरी बात हो रही है और कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री इन्द्रजीत यादव, आज वे

यहां दिखाई नहीं दे रहे हैं, और पार्लियामेंट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी श्री विट्ठल गाडगिल, जो तीन दिन पहले मेरे घर पर आये थे, उन दोनों से मेरी बातचीत हुई थी कि क्या आप चाहते हैं कि रेल हड़ताल का कोई हल निकले। तो उन्होंने कहा कि हम जरूर चाहते हैं। मैंने कहा कि मेरी भी यही इच्छा है कि रेल हड़ताल न हो क्योंकि यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। इसलिए हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि कोई रास्ता निकले सम्मानीय समझौते का। दोनों ने इस बात को माना और मैंने यह सुझाव दिया कि मैं श्री जार्ज फर्नान्डीज से पूछूंगा कि क्या आप कांग्रेस पार्लियामेंटरी पार्टी के सदस्यों से मिलकर आपस में बातचीत करने के लिए तैयार हैं बाकी कांग्रेस सदस्य आपकी स्थिति क्या है; इसको जानें और आप भी जानें कि कांग्रेसियों के मन में क्या है और इसी आधार पर, सभापति महोदय, यह आप उनसे पूछ लीजिए कि यह बाद वाली बात नहीं है। कल मई दिवस को, सभापति महोदय, 1 मई को श्री विट्ठल गाडगिल को जो पत्र मैंने लिखा है, मुझे समय दीजिए क्योंकि श्री जार्ज फर्नान्डीज के ऊपर लांछन लगाये गये हैं, इसलिए मैं सफाई पेश करना चाहता हूं, उसको मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने श्री विट्ठल गाडगिल को यह पत्र लिखा था।

"Dear Shri Vithal Gadgil,

Subject: The Railway Dispute

In the last few weeks, I have been having informal; off the record discussions with Members of the Congress Parliamentary Committee in the lobbies of Parliament. I found that there was genuine concern among many of them about the present state of our economy, esspecially the four key sectors. *viz.* coal, power, steel and railways. Naturally, they were anxious to know the position with regard to the industrial dispute on the railways. When I told them that the National Coordination Committee was very serious about a negotiated settlement on an honourable basis, some of them expressed their sympathy for the cause of railway workers. They also agreed that the denial of parity to the railway workers with the employees in other public sector undertakings was anomalous. At the same time, some were apprehensive about the economic consequences of the railway strike. A few of them also gave expression to their suspicion that the leaders of railwaymen were politically motivated and were bent upon having a confrontation with the Government.

In the course of my consultations with George Fernandes, Convener of the National Coordination Committee, I asked him whether he would be prepared to meet Congress Members of Parliament at an informal discussion so that the Congressmen may acquiant themselves with the real grievances and intentions of the Railwaymen's organisations. He readily agreed to meet them.

I also discussed the matter with you the other day and told you that I would formally write to you suggesting a meeting. Subsequently, I

discussed this with the General Secretary of the Congress, Shri Chandrajit Yadav. He also liked the idea.

I shall be grateful if you would let me know, or my friend George Fernandes directly, when such a meeting can be conveniently held. Please remember that the time is running out..."

मैं ही इस पर जोर दे रहा हूं।

> "...and all men of goodwill have to bend themselves to the task of averting the railway strike by reaching an honourable settlement of the dispute. The telephone number of George Fernandes is 74532."

तो सभापति महोदय, यह कल दोपहर मैंने पत्र श्री विट्ठल गाडगिल को लिखा था।

इस तरह से नं. 1 बात तो यह है कि श्री करूणानिधि और श्री अच्युत मेनन को श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पत्र लिखा था कि आप इनिशियेटिव लीजिए। नं. 2 बात यह है कि मैंने श्री गाडगिल को पत्र लिखकर कांग्रेसियों के बीच में और जार्ज फर्नान्डीज के बीच में एक बैठक कराने के लिए प्रयास किया था। तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अर्से से श्री एस.एम. बनर्जी कह रहे थे।... तर्क को तर्क से काटिये, मैं इस तरह से दबने वाला नहीं हूं। तीसरी बात यह है कि श्री एस.एम. बनर्जी और दूसरे सदस्यों ने कहा था कि जब प्रधान मंत्री जी ईरान से लौटेंगी, तो पार्लियामेंट के सदस्यों का एक डेलीगेशन उनसे जाकर मिले और वह रेल हड़ताल के बारे में कोई समझौता कराने का प्रयास करे। यह भी बात हम लोगों के बीच में, सभापति महोदय चल रही थी और चौथी बात आप जानते हैं कि आज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी और रेलवे के विवाद पर इस सदन में बहस करने का मौका देना चाहिए था ताकि कोई सम्माननीय रास्ता निकले, यह भी बात थी। ये चारों बाते अपनी जगह पर हैं पृष्ठभूमि के रूप में।

और पांचवीं बात यह है कि आज जबकी अन्तिम महत्वपूर्ण दौर बातचीत का शुरू होने वाला था, इस पृष्ठभूमि में मैं जानना चाहता हूं कि अगर जार्ज फर्नान्डीज, लोकोमैन के नेताओं को और दूसरे हजारों-हजार रेल मजदूरों को अगर कल रात या आज सवेरे गिरफ्तार नहीं किया जाता, तो कौन सा आसमान टूटने वाला था? इससे तो मुझे, सभापति महोदय, ऐसा लगता है और सरकारी सरकुलर सभी यह बिलकुल साफ हो जाता है कि इन्होंने पहले से यह तय कर लिया था कि बातचीत के जरिए इस समस्या को हल न करके रेल मंत्री को दिखाना होगा कि राज द्वारा रूल कैसे होता है और आप रेल मजदूरों को दमनकारी रास्ते से सीधा करना चाहते हैं। कैसे आपके आल इंडिया रेडियो के तरह-तरह के कार्यक्रम होते हैं। एक अर्से से रेल मजदूर मुझको कहते चले आ रहे हैं कि हवामहल में एक कार्यक्रम होता है, श्री इन्द्रकुमार गुजराल यहां बैठे हुए हैं, कि तीन जवानों के बीच में एक बात चलती है और उसमें एक तीसरा सिपाही बोलता है कि सुना है कि रेल मजदूर भी हड़ताल पर जाने वाले हैं, तो सब सिपाही, यह हवामहल में है, सब

जवान एक साथ कहते हैं कि रेल मजदूरों को सीधा करना पड़ेगा। क्या आप की सेना रेल मजदूरों और श्रमिकों को सीधा करने के लिए है या जो बड़े-बड़े दुश्मन भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, उनका मुकाबला करने के लिए यह सेना है?

*** *** ***

सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि इनके बड़े-बड़े पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं, जो सेना को इन्फीरियर आयात देकर हमारी सुरक्षा को खतरे में डालने से भी बाज नहीं आते हैं और ये लोग हमको देशभक्ति का पाठ पढ़ाते हैं। सभापति महोदय, इन सब लोगों की देशभक्ति का पाठ सुनने के लिए हम लोग यहां नहीं आये हैं। सीधा सवाल है कि क्या आपकी इच्छा थी, क्या आपकी अभिलाषा थी? यह जो आपने परिपत्र दिया है, उससे बिल्कुल चीज साफ हो जाती है। पूरा इसमें गिरफ्तारी का नक्शा बनाया गया है। इसमें से तीन जुमले मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला अनुच्छेद (2) में है—

> "One of the important ingredients of effective preventive action will be the arrest and removal from the scene of their activities of persons who other contribute to the success of the strike or create serious law and order problems....."

आगे क्या कहा है:

> "Premature arrests may precipitate strike and other law and order problems, even while attempts are being made to avert them...."

इसलिए आगे क्या कहा गया है:

> "I am, therefore, desired to suggest that you may await our specific clearance regarding the day from when preventive arrests should be carried out."

आप खुद जानते थे कि प्रेसीपीटेट करने से मामला खराब हो जाएगा। तो स्पेसीफिक क्लियेरेंस के लिए इस गंदे सर्कुलर में आप कम से कम इतना तो रखते कि स्पेसीफिक क्लियेरेंस के बिना गिरफ्तारी न हो। फिर क्या वजह थी कि रात के बारह बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया? कुरेशी साहब* को भी शायद मालूम होगा, रघुनाथ रेड्डी** साहब से भी बात की गई है, हम सब लोग लाबी में कह रहे थे कि वह बहुत अफसोसजनक बात है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था-

*** *** ***

कोई बुरी बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं किसी को गाली नहीं दे रहा हूं। मेरे तर्कों से ये घबरा रहे हैं, तथ्यों से घबरा रहे हैं। तर्कों का जवाब तर्कों से और तथ्यों का जवाब तथ्यों से आप दें। बीच में अड़ंगा डालने से कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। आप प्राइवेट कहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई शादी या विवाह की चर्चा थी?

* श्री मोहम्मद शफी कुरैशी, सांसद।

** श्री रघुनाथ रेड्डी, सांसद।

*** *** ***

श्री जार्ज फर्नान्डीज को बहुत गालियां दी गई हैं। मुझे थोड़ा बहुत मौका दें। मैं देश की भलाई की बात कर रहा हूं।

जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया तो मुझे पहले तो ऐसा लगा कि दफा 144 लखनऊ में होगी जिसको उन्होंने भंग किया होगा और उनको वहां की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया होगा। मैंने पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से इसके बारे में जानना चाहा और मुझे पता चला कि उस सरकार का इसमें कुछ हाथ नहीं है, दिल्ली प्रशासन के आदेश का केवल उन्होंने पालन किया है। तब मैंने ललित बाबू को फोन किया, दीक्षित जी को किया। श्री दीक्षित जी को मैंने कहा कि दस बजे बातचीत होने वाली थी और आप अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उनको छुड़वाइये, दूसरे नेताओं को छुड़वाइये और दस बजे बातचीत का दौर शुरू होने दीजिये। उन्होंने मुझे कहा कि मैं शाम तक कोई जवाब नहीं दे सकता। बार-बार उन्होंने इस पर जोर दिया कि शाम तक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। अन्त में मेरे ध्यान में आया कि शाम को प्रधान मंत्री आने वाली हैं इसलिए उस समय तक ये कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। यह इसकी पृष्ठभूमि है।

अब जहां तक मांगों का सवाल है, ट्रेड यूनियन नेता साठे जी कहते हैं कि पैरिटी की मांग उचित नहीं है, उन्होंने इस मांग के बारे में ऐसा कहा जैसे कोई वे अपराध कर रहे हों, पाप कर रहे हों, इस मांग को सामने रख कर—

*** *** ***

हम सभी जानते हैं कि इसको कार्यान्वित करने में दिक्कत हो सकती है। इसको नेशनल कोओर्डिनेशन कमेटी वाले भी जानते हैं। लेकिन उनका कहना यह है कि सिद्धांत आप मान लें और कार्यान्वयन का एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाएं। मैं आज इतना कहना चाहता हूं कि बहुत दिन पहले प्रधान मंत्री जी को मैंने एक व्यक्तिगत पत्र में भी इन बातों पर जोर देते हुए समझाया था कि नेशनल कोओर्डिनेशन कमेटी के लोगों की भी कोई ऐसी जिद्द नहीं है। वे चाहते हैं कि सिद्धान्त मान लिया जाए। क्यों माना जाए, यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज कोल स्टील वाले रेलवे जोन कौन से हैं? ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न। इसमें आपके सारे बड़े-बड़े इस्पात के कारखाने, बोकारो, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर एलाय, रांची हैवी इंजीनियरिंग आते हैं। क्या आप सोचते हैं कि रेलवे मजदूरों के मन में यह बात नहीं आती कि हमारे यहां टर्नर को यह मिलता है, और वहां यह मिलता है, फिटर को यह मिलता है और वहां फिटर को यह मिलता है, ड्राइवर को यह मिलता है और वहां यह मिलता है। ...गांव वालों से आप बड़ा प्रेम जताते हैं। अगर ऐसी बात तो ब्लैक मार्किटियर्ज को आप पहले पकड़ते, रिश्वतखोरी को बन्द करते।

पैरिटी की मांग बिल्कुल न्यायोचित मांग है। 27 साल से आपने रेल मजदूरों को गुलाम बना करके रखा हुआ है।

जहां तक बोनस का सवाल है, इस सवाल को लेकर बनर्जी साहब और शर्मा जी के बीच में झड़प हो गई थी। उसके तहत अगर यह मामला आता है, रेलवे मजदूरों का मामला आता है

तो मैं सरकार से पूछता हूं कि वह क्यों नहीं कहती है कि हम टर्म्ज आफ रेफ्रेंस को अमेंड करते हैं—

*** *** ***

मैं सरकार से पूछ रहा हूं। सरकार स्पष्ट ढंग से क्यों नहीं कहती है कि रेल मजदूरों के बारे में भी बोनस रिव्यू कमेटी विचार कर सकती है। मैं समझता हूं कि बोनस रिव्यू कमेटी का मामला बीच में लाकर मजदूरों को और देश को गुमराह किया जा रहा है। आज भी ललित नारायण मिश्र जी को मैं चुनौती देता हूं कि वह घोषणा करें कि बोनस रिव्यू कमेटी के टर्म्ज आफ रेफ्रेंस को हम बदलते हैं और कहते हैं कि रेल मजदूरों को बोनस देने के बारे में भी वह सिफारिश दे दें।

अन्तिम वाक्य मेरा यह है कि रेल मजदूरों की मांगें बिल्कुल न्यायोचित हैं। उनको कार्यान्वित करने का एक समयबद्ध कार्यक्रम आप बनाएं। वे सम्माननीय समझौता चाहते हैं। लेकिन सरकार ने अनाप-शनाप ढंग से ये गिरफ्तारियां करके समझौते को तोड़ा है। इसके क्या नतीजे निकलने वाले हैं इसको भी आप देख लें। एक तो यह निकलने वाला है कि कल बम्बई में हड़ताल होने वाली है। और मैं ललित बाबू* को कहना चाहता हूं कि जो मजदूरों के प्रति निष्ठावान रहता है उसको आपको चार या दस साल जेल की सजा भी दे दें तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। 1963 में भी डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के तहत आपने श्री जार्ज फर्नान्डीज को पकड़ा था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 1963 में इतनी जबर्दस्त हड़ताल मजदूरों की बम्बई में हमने की थी कि महंगाई भत्ते के इण्डेक्स नम्बर को सुधारने के लिए आपको मजबूर होना पड़ा था। तब मजदूरों के महंगाई भत्ते में वृद्धि करवाने का काम हम लोगों ने किया था। आप इतिहास से सबक सीखें। दमन का रास्ता छोड़ें। फिर से नैगोशियेशन टेबल पर आएं। सभी रेल मजदूरों तथा उनके नेताओं को छोड़ें।

* श्री ललित नारायण मिश्र, सांसद।

सरकारी कर्मचारियों को न्याय*£

आखिरकार सहनशक्ति की भी सीमा होती है। इस महंगाई के जमाने में साधारण कर्मचारियों को अपने जीवन निर्वाह करने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है इसकी कल्पना मंत्री महोदय को शायद नहीं होगी। हम लोग उनके बीच में घूमते हैं इसलिए हमें इसका पता चलता है। जब तक अपनी आंखों से नजदीक से नहीं देखा जाता है इन तकलीफों के बारे में पूरी कल्पना नहीं हो सकती है।

पे-कमीशन के द्वारा जो महंगाई-भत्ता निर्धारित किया गया है उसमें जिनकी न्यूनतम तनख्वाह है उन्हीं लोगों के लिए 95 परसेंट न्यूट्रलाइजेशन है और जैसे-जैसे तनख्वाह बढ़ती जाती है वह परसेंटेज कम होता जाता है। जिनकी तनख्वाह 500 रुपये से अधिक है, उनकी तो चर्चा मैं नहीं करता। पे-कमीशन ने एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि जिनको 500 रुपये तनख्वाह मिलती है, उनका परसेंटेज आफ न्यूट्रलाइजेशन 63 परसेंट है। मैं इस वक्त 500 रुपये तक माहवार पाने वालों की बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा तकलीफ इस वर्ग को हो रही है और इसके बारे में मंत्री महोदय को जरा दूसरे ढंग से सोचना चाहिए।

जहां तक महंगाई-भत्ते की प्रणाली का संबंध है, मैं उसका खास प्रशंसक नहीं हूं। अगर दाम-वृद्धि का सिलसिला चलता रहता है, तो अन्त में गरीब लोग ही उसमें मार खाते हैं और समाज में जो मुनाफा-खोरी और गलत काम करने वाले तत्व हैं उनके पास इनकम ट्रांसफर होती रहती है।

इसलिए सबसे ज्यादा जोर मैं इसी बात पर देना चाहता हूं कि सरकार ऐसी आर्थिक नीतियों को चलाये, जिससे वह दाम-वृद्धि पर काबू पा सके। मंत्री महोदय ने स्वयं कबूल किया है, पे-कमीशन स्वयं यह सोचता था कि इंडेक्स नम्बर के इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तीन, चार या पांच साल लगेंगे। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण दाम बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं और मंत्री महोदय ने जिस पैकेज डील की बात कही है, उससे दामों पर कोई असर नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में दो या ढाई परसेंट का फाल, कमी हुई है। लेकिन फुटकर चीजें खरीदने वाले गरीब लोगों तक यह दो परसेंट भी नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि दो-तीन महीने के बाद दामों के बारे में क्या स्थिति होगी इस संबंध में न वह कुछ कह सकते हैं और न ही कोई अर्थशास्त्री कह सकता है। यह ठीक भी है, क्योंकि कई आवश्यक चीजों के

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 6 दिसम्बर 1974.

£ अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय 'केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

उत्पादन में लगे हुए उद्योगों में उत्पादन घट रहा है। चीनी और कपड़े का उत्पादन घटने की सम्भावना है। इस स्थिति में मई-जून के बाद क्या होगा, इस बारे में मुझे चिन्ता हो रही है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि अगर वह मजदूरों का सहयोग हासिल करना चाहते हैं, तो उनके बकाया ड्यूज को वह दे दें, लेकिन साथ ही वह तत्काल कोई ऐसी कारगर और ठोस नीति और कार्यक्रम बनायें, जिससे दामों का बढ़ना रुक जाये।

मंत्री महोदय ने राज्य सरकारों के कर्मचारियों की बात कही है। यह सही है कि हम राज्य सरकारों के कर्मचारियों और म्यूनिसिपिल मजदूरों को भी संगठित करते हैं। उनकी ओर से जरूर यह मांग की जाती है कि केन्द्रीय कर्मचारियों को जिस रेट पर महंगाई भत्ता मिलता है, उसी रेट पर उन्हें भी मिलना चाहिए। मंत्री महोदय का कहना है कि महंगाई भत्ते का एक इन्स्टालमेंट देने पर सरकार का खर्चा पचास करोड़ रुपये बढ़ जाता है। राज्य सरकारें भी यही बात कहती हैं। वे कहती हैं कि इस स्थिति में हम अपने बजट को कैसे ठीक कर सकते हैं। इसीलिए नये-नये टैक्स लगाये जाते हैं। मंत्री महोदय की बात तो ठीक है, लेकिन इसका दोष कर्मचारियों और मजदूरों पर नहीं मढ़ा जा सकता है।

इसके लिए केन्द्रीय सरकार दोषी है, क्योंकि उसके पास कोई दाम नीति नहीं है कोई उत्पादन बढ़ाने की नीति नहीं है।

विगत 27 वर्षों में सरकार वितरण और सेवा के क्षेत्र में अनुत्पादक, नान-प्रोडक्टिव जाब्स बढ़ाती चली जा रही हैं। जब भी कोई बिल आता है, तो सरकार उसमें कोई नया एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर लेकर आती है। पिछले बजट सत्र, विगत सत्र और इस सत्र में भी मैं इस विषय पर बोल चुका हूं। इस खर्चे का बोझ साधारण जनता पर पड़ता है। इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं है।

जो महंगाई-भत्ता देने की बात है, वह तो वर्तमान इंडेक्स नम्बर के आधार पर है। लेकिन एक अर्से से मजदूर संगठनों के द्वारा यह मांग की जा रही है कि इंडेक्स नम्बर जिस आधार पर कम्प्यूट किया जाता है, उसमें बहुत-सी खामियां हैं, उसमें फ्राड होता है। वैस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस संबंध में जो एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त की थी, उसकी रिपोर्ट से मंत्री महोदय अवगत हैं। केपिटल नाम के साप्ताहिक ने इस बारे में यह टिप्पणी की है:

> "If the committee's recommendation is accepted, the price index would rise by 160 points to 1314. The implementation of the committee's recommendation will mean a substantial increase in the DA payable to industrial workers as well as to employees in mercantile firms. The incrase is estimated to be of the order of Rs. 60 or even more a month."

विभिन्न राज्यों में जो इंडेक्स नम्बर होते हैं, विभिन्न औद्योगिक नगरों में जो इंडेक्स नम्बर होते हैं, उनके आधार पर अन्त में आल-इंडिया इंडेक्स नम्बर बनता है। 1963 के बाद इंडेक्स नम्बर के कम्प्यूटेशन के संबंध में वैज्ञानिक ढंग से कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय दोनों मिलकर कोई ऐसी

एक्सपर्ट कमेटी नियुक्त करेंगे, जो सरकार को सिफारिश करे कि आल-इंडिया जीवन निर्देशांक कनज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कम्प्यूटेशन में सुधार करने के लिए क्या करना चाहिए।

मंत्री महोदय ने कहा है कि वह आशा करते हैं कि श्री बनर्जी ने संघर्ष की जो बात कही है, वह उसको कार्यान्वित नहीं करेंगे लेकिन मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर सरकार ने महंगाई भत्ते के संबंध में कोई ठोस कार्यवाही नहीं की, तो जनता का जो असंतोष बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है, उसमें और भी वृद्धि होगी। हर एक वर्ग अपनी वर्गीय मांगों के लिए लड़ता है। लेकिन अब समय आ गया है कि हिन्दुस्तान के औद्योगिक मजदूर, सरकारी और अर्द्ध-सरकारी कर्मचारी, युवा, छात्र और साधारण जनता मिलकर सारे देश में एक ऐसा आन्दोलन चलायें, जिससे इस सरकार का चलना मुश्किल हो जायेगा। कोई नहीं चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को चौपट किया जाये। हम भी रेल मजदूरों की हड़ताल नहीं चाहते थे। लेकिन सरकार ने उसको हम पर लादा। इसी तरह अगर वह सरकारी कर्मचारियों पर महंगाई भत्ते को लेकर संघर्ष लादेगी, तो उसके नतीजे उसको और देश को भुगतने पड़ेंगे।

आप जानते हैं कि अपने सैक्रेटेरियट के भी कर्मचारी हैं। उनके बारे में पे-कमेटी की रिपोर्ट आई है। लेकिन यह यूनेनीमस रिपोर्ट नहीं है; उसमें श्री ज्योतिर्मय बसु का मिनट आफ डिसेन्ट है। हम स्वयं अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर हम अपने कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करेंगे, तो केन्द्रीय सरकार के 26, 27 लाख कर्मचारियों के साथ हम कौन सा न्याय करने वाले हैं? इसलिए मेरी आपसे अपील है कि इस पे-कमेटी की रिपोर्ट पर बहस करने का मौका दिया जाये।

*** *** ***

यह मामला इसी से जुड़ा हुआ है, क्या आप मानते हैं कि हमारी पे-कमेटी की रिपोर्ट और पे-कमीशन की रिपोर्ट का कोई संबंध नहीं है?

*** *** ***

*यही तो मैं कह रहा हूं। मैं जानता था कि आप मुझे टोकेंगे। पे-कमीशन की रिपोर्ट, वाल्यूम 4, पेज 4, पैराग्राफ 16 में कहा गया है:

> "We recommend that should the price level go above the 12 monthly average of 272 (1960 equal to 100) Government should review the position and decide whether the DA scheme should be extended further or the pay scales themselves should be revised."

वह स्टेज आ गई है। इसलिए पे रिविजन और डीयरनेस एलाउंस, इन दोनों में आप जो अन्तर समझते हैं, वह अन्तर अब तो नहीं रहा है। केवल डीयरनेस एलाउंस देने से मजदूरों का नुकसान

* माननीय उपाध्यक्ष द्वारा यह कहे जाने पर 'यह अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय केवल डी.ए. से संबंधित है' का जवाब देते हुए।

होता है, क्योंकि सेवानिवृत्ति की सुविधाओं पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स पर उसका असर होता है। इसलिए मजदूर बार-बार यह मांग करते हैं कि अगर प्राइस इंडेक्स नीचे नहीं आने वाला है, तो उसी के आधार पर पे कम्प्यूटेशन किया जाये। मैं कोई इररेलीवेन्ट बात नहीं कह रहा हूं। पे कमीशन की रिपोर्ट और हमारे सैक्रेटेरियट की पे-कमेटी की रिपोर्ट, इन दोनों, का संबंध है—वे समानान्तर पैरालेल चलती हैं। इंडेक्स नम्बर एक स्टेज के ऊपर जाने के बाद पे रिवीजन का सवाल भी आ जाता है।

मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरे प्रश्नों का जवाब देंगे।

सामाजिक मामले
SOCIAL ISSUES

सामाजिक समानता की आवश्यकता*£

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे सामने यह जो समस्या है, उसके बारे में सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जब हमने अपना संविधान तैयार किया, तो हमने उसमें विदेशों से कई अच्छी बातें लीं, लेकिन बाकी बातों की नकल करते समय हमने अपने देश की विशेष परिस्थिति का ठीक तरह से विचार नहीं किया। इस संबंध में मैं आपका ध्यान संविधान के कुछ अनुच्छेदों की ओर दिलाना चाहता हूं। अनुच्छेद 15 में समानता की बात की गई है और कहा गया है कि जाति आदि के आधार पर किसी के साथ भी विशेष व्यवहार नहीं किया जायेगा। इसके साथ ही अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, हर एक को समान अवसर मिलेगा। ये दो अनुच्छेद ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब हम उन पर अमल करते हैं, तो पता चलता है कि समान अवसर का जो सिद्धांत विदेशों में, खासकर के फ्रांसीसी राज्य क्रांति के बाद, चला, वह सिद्धांत उन्हीं देशों में चल सकता है, जहां सामाजिक समानता विद्यमान है, लेकिन हिन्दुस्तान जैसे देश में, जिसमें पूरा समाज विषमता और गैर-बराबरी के आधार पर खड़ा है, जब हम समान अवसर की बात करते हैं, तो उसका यह लाजिमी नतीजा निकलता है कि जो आगे बढ़े हुए, तरक्की दिए हुए, पैसे वाले या उच्च जाति वाले लोग हैं, समान अवसर के कारण उन्हीं लोगों के हाथ में सारी ताकत आ जाती है।

इसलिए कि हिन्दुस्तान की विशिष्ट सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए हम किसी ऐसे सिद्धांत को स्वीकार करते, जो हमें समानता के मकसद की ओर ले जाता। जो दरमियानी अरसा है, उस अरसे के लिए समान अवसर की जगह पर हम विशेष अवसर का सिद्धान्त लागू करते हैं। हमारे संविधान में कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं, जिनमें इस बात के बारे में कुछ सचेतता बरती गई है जैसे हमारे राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य का यह फर्ज होगा कि जो पिछड़े हुए लोग हैं उनकी तरक्की के लिए वह कोई विशेष इलाज या विशेष इन्तजाम करें। इसी तरह हमारे संविधान के भाग XVI में इस बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि पिछड़े वर्ग के लिए क्या-क्या करना चाहिये। लेकिन ज्यादा अच्छा होता कि हमारे संविधान में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता कि जब तक देश में सामाजिक बराबरी कायम न हो तब तक पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने के लिए उसको विशेष अवसर दिये जायेंगे। हो सकता है कि देश में सामाजिक बराबरी कायम करने के लिए हमें तीस चालीस पचास साल तक मेहनत करनी पड़े। जिस ढंग से हम पिछड़े वर्ग की समस्या को हल करने का प्रयास कर रहे हैं उससे हमको लगता है कि इसमें बहुत समय लगने वाला है। उदाहरण के लिए इस बारे में आज से तेरह साल पहले एक

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 8 नवम्बर 1965.

£ पिछड़ी जातियों के आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विचार व्यक्त करते हुए।

कमीशन नियुक्त किया गया। उसकी सिफारिशों पर 1956 में एक प्रस्ताव आया। 1956 के बाद आज नौ साल हो गए लेकिन हम पूरी तरह इस पर बहस भी नहीं कर पाए। इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस काम में काफी समय लगने वाला है। इसलिए एक ठोस सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए।

सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सरकार खुल्लम-खुल्ला इस सिद्धान्त को स्वीकार करे कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो सामाजिक दृष्टि से आर्थिक दृष्टि से शिक्षा की दृष्टि से सभी दृष्टियों से पिछड़ा हुआ है और इस तबके को आगे बढ़ाने के लिए उसकी तरक्की के लिए हमें विशेष अवसर का सिद्धान्त मानना चाहिए। विशेष अवसर के सिद्धांत का क्या मतलब होगा? आज जो सरकारी नौकरियां हैं जब तक उनमें पिछड़े वर्ग के लोगों को विशेष सुविधायें नहीं दी जातीं और उनके लिए जगह सुरक्षित नहीं रखी जातीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो "अछूत" या आदिवासी हैं उनके बारे में कहा गया है कि सरकार ने कुछ इन्तजाम किया है कुछ निर्देश दिये गये हैं लेकिन इन निर्देशों का क्या नतीजा निकला? मेरे पास अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के बारे में सबसे नई रपट है। 1962-63 की है।

*** *** ***

*** *** ***

मैं आपका ध्यान 1962-63 की रपट के पृष्ठ 154 की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें यह बताया गया है कि यह तय हुआ था कि केन्द्रीय सरकार की नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिये साढ़े बारह फीसदी और आदिवासियों के लिए पांच फीसदी नौकरियां सुरक्षित रखी जायेंगी जो कुल मिलाकर साढ़े सत्तरह फीसदी होती हैं। लेकिन हम क्या नतीजा देख रहे हैं। सरकार की कोशिशों के बावजूद स्थिति यह है कि पहले वर्ग के कुल 8,632 अफसर हैं जिनमें से अनुसूचित जातियों के केवल 113 और आदिवासियों के केवल 13 हैं जो कुल मिलाकर डेढ़ फीसदी भी नहीं होते हैं। उसी तरह दूसरे वर्ग के कुल अफसर 14,339 हैं जिनमें अनुसूचित जातियों के केवल 330 और आदिवासियों के केवल 21 हैं। तो इनमें कुल मिला कर ढाई-फीसदी भी नहीं आते हैं। तीसरे वर्ग की ओर आप आइये। इसमें 6 लाख 20 हजार 580 हैं और उनमें से अनुसूचित जातियों के 46,366 हैं यानी करीब साढ़े सात फीसदी हैं और आदिवासी तो 5,310 हैं यानी एक प्रतिशत से भी कम हैं। उसी तरह से चौथे वर्ग की ओर आप जायें। उसमें साढ़े सोलह फीसदी अनुसूचित जातियों के लोग हैं। और आदिवासियों के साढ़े तीन फीसदी हैं। सब का क्या मतलब हुआ? आप समानता की बात करते हैं। लेकिन आप देखें कि सरकारी नौकरियों में वही वर्ण व्यवस्था है। पुरानी वर्ण व्यवस्था को आप वहां भी कायम करते जा रहे हैं। सब से कम तनख्वाह वाली और कम सुविधाओं वाली जो नौकरियां हैं उनमें तो आपने 17 फीसदी नौकरियां दे दी हैं लेकिन जो पहले वर्ग के अफसर हैं दूसरे वर्ग के हैं जिनके साथ सामाजिक मान्यता जुड़ी हुई है सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी हुई हैं; उन नौकरियों में आप अनुसूचित जातियों के लिए आदिवासियों के लिए और पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए कोई विशेष अवसर या सुविधायें नहीं दे रहे हैं। यह मैंने अपने आंकड़ों से साबित कर दिया है।

हमारे संविधान में क्या कहा गया है? यह कहा गया है कि विशेष व्यवस्था करनी चाहिये। उसके लिये एक दफा संशोधन भी लाया गया था। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि इसके बारे में हमारे देश में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे देश के जो शासक हैं हमारी जो केन्द्र की सरकार है, उनके दिमागों में यह रोग घुसा हुआ है यह गलत बात घुसी हुई है कि नौकरियों में हमेशा लियाकत और योग्यता के आधार पर आदमी को मौका देना चाहिये। यह योग्यता और लियाकत की क्या कसौटी है? जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री थे तो यह माना जाता था कि सबसे ज्यादा योग्यता कश्मीरी ब्राह्मणों में है। अब शायद यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा लियाकत कायस्थों में होती है वही सबसे ज्यादा योग्य होते हैं। कल कोई चितपावन ब्राह्मण महाराष्ट्र का... चूंकि सच्ची बात मैं कह रहा हूं इसलिये आपको गुस्सा आ रहा है। कल को अगर कोई चितपावन ब्राह्मण प्रधान मंत्री हो जाये तो यह माना जायेगा कि सबसे ज्यादा लायक कोई इस देश में है तो चितपावन ब्राह्मण हैं। इसलिये मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो योग्यता और लियाकत का सवाल है इसके बारे में जब तक आपके दिमाग में यह रोग रहेगा, हिन्दुस्तान का पिछड़ा वर्ग कभी तरक्की नहीं कर पायेगा। इसलिये क्या लियाकत और क्या योग्यता, इन कसौटियों पर न जाते हुये आपको यह फैसला करना पड़ेगा कि हमारे देश में जो पिछड़ा वर्ग है उस वर्ग को विशेष अवसर दिये जायें। ये आपको चालीस साल पचास साल करना पड़ेगा और अगर आवश्यक हो तो सौ साल भी करना पड़ेगा। जब तक हमारे देश में सचमुच सामाजिक बराबरी और समानता कायम नहीं होती है, यह काम आपको करना पड़ेगा।

एक और मुद्दे की ओर अब मैं आता हूं। यह जो पिछड़ा वर्ग है इस वर्ग की क्या परिभाषा है, क्या व्याख्या है इसके बारे में जो पिछड़ा वर्ग कमीशन था उसने कोई ठीक सुझाव नहीं दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा इनकी सिफारिशों के बारे में जो कहा गया है उसको मैं बता देता हूं भूतपूर्व श्री गोविन्द वल्लभ पंत जी शायद उस वक्त गृह मंत्री थे। 1956 का उनका यह सुझाव है। उसमें उन्होंने यह कहा है कि अनुसूचित जातियों और आदिवासियों के लिये तो एक मापदंड बन चुका है लेकिन बाकी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके बारे में कैसे फर्क करना चाहिये उसका मापदंड नहीं निकला है उसके बारे में कोई ठोस सुझाव कमीशन के द्वारा नहीं दिया गया है लेकिन मैं खुद अपना सुझाव देना चाहता हूं उसमें सबसे बड़ी कसौटी मैं तो सामाजिक ही लगाऊंगा। सामाजिक का मतलब यह है कि हमारे देश में जो वर्ग व्यवस्था रही है उसका असर ईसाइयों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर और सिखों के ऊपर भी पड़ा है इस वर्ण व्यवस्था में सामाजिक दृष्टि से जिनका स्थान नीचा था यानी जिनको उच्च जाति के नहीं माना जाता था, जिनको जनेऊ वगैरह पहनने का अधिकार नहीं था और आज भी नहीं है, ऐसे तमाम जो लोग हैं.....

*** *** ***

*यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं विनती करता हूं कि मुझे अपनी पूरी बात कहने दीजिये। इसके लिये समय बढ़ाया गया है। मैं भी इसी लिए समय बढ़ाने की बात कर रहा था।

*** *** ***

---

* उपाध्यक्ष द्वारा वक्तव्य समाप्त करने का निर्देश दिए जाने पर बोलते हुए।

*मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं। मेरा अपना एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। वह सदन के सामने आना चाहिये।

पिछड़े वर्ग के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि सामाजिक कसौटी होनी चाहिये। जिनको हिन्दु समाज में हमेशा शूद्र माना गया है, ऐसे तमाम लोगों को मैं समझता हूं कि पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। जब आप पिछड़े वर्ग की व्याख्या करें तो इनको उसमें शुमार करें।

फिर आप औरतों को लीजिए। कहा जाता है कि वेदों में औरतों का स्थान बहुत ऊंचा रहा है। लेकिन आज हम व्यवहार में देख रहे हैं कि औरतों को दबाया जा रहा है। उनको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, बड़े कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के देहातों में अगर आप जायेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीन-तीन और चार-चार मील की दूरी से पानी लाना पड़ता है। बिहार तथा दूसरे सूबों में आज भी औरतों की स्थिति बहुत खराब है, दयनीय है। इसलिए औरतों को भी मैं पिछड़े वर्ग में ही शुमार करना चाहता हूं। जब हम विशेष अवसरों की बात करते हैं तो हमें औरतों को भी विशेष अवसर और मौके देने चाहिएं।

अब मैं मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों आदि के बारे में जिनको अल्पसंख्यक लोग कहा जाता है, कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह कभी नहीं कहूंगा कि सभी अल्पसंख्यक लोग पिछड़े वर्ग में आ जायें। केन्द्रीय सरकार ने आज तक जितनी सुविधायें इनको दी हैं वे खानदानी लोगों को ही दी हैं, बड़े लोगों को, पैसे वालों को बड़े कुटुम्ब के लोगों को ही दी हैं, ऐसे लोगों के साथ ही पक्षपात किया है। लेकिन जो जुलाहा है, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनतकश मजदूर हैं, ऐसे मुसलमानों को कभी मौका इस देश में नहीं मिला है। जब विशेष अवसर और मौके की बात की जाती है तो मुसलमानों में भी शेख, सैय्यद आदि को, इसको छोड़कर गरीबों को, पिछड़े वर्गों को मौका मिलना चाहिये।

ईसाइयों के बारे में भी मैं यही कहूंगा। कसौटी अल्पसंख्यक धर्म या जाति के हैं, वह नहीं होनी चाहिये। सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं या अगले हैं, इसी ख्याल से हमें इस समस्या पर विचार करना चाहिये।

सबसे बड़ी बात लोगों का जो वैचारिक दृष्टिकोण, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। मैं तीन मिसालें दूंगा। एक पूना का किस्सा है। एक उच्च जाति की लड़की ने छोटी जाति के लड़के के साथ शादी की। उच्च जाति की जो लड़की थी उसके भाई ने यह...आपको यह बात चुभ रही है, इसलिए आप ऐसा बोल रहे हैं। आप मेरी बात को ठीक तरह से सुन लीजिए। उच्च जाति की जो लड़की थी उसके भाई ने चूंकि उसकी बहन ने एक पिछड़ी जाति के आदमी के साथ शादी की थी, उसका कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद अदालत में मुकदमा चला। उसको सजा हुई। लेकिन न्यायाधीश ने क्या कहा, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा। मेरा ख्याल है उनके ऊपर भी सामाजिक दृष्टिकोण का असर पड़ता है। ऐसा आप न समझ लें कि अदालत के न्यायपीठ पर बैठने के बाद आदमी बिलकुल इंसाफ और न्याय की बात ही करता है।

* उपाध्यक्ष द्वारा वक्तव्य शीघ्र समाप्त करने का निर्देश दिये जाने पर बोलते हुए।

सामाजिक दृष्टिकोण और परिस्थितियों का उसके ऊपर भी असर पड़ता है। उस जज ने अपने फैसले में यह कहा कि बुरा काम तो उसने किया है लेकिन चूंकि उसको गुस्सा आया था और गुस्से में आना स्वाभाविक था कि उसने ऐसा पति कर लिया है और गुस्से में आकर उसने कत्ल किया, इस वास्ते उसको सजा कम मिले। इस कारण से जज साहब ने सजा कम कर दी। मैं समझता हूं कि जिस देश में सामाजिक बराबरी की हम बात करते हैं समानता की बात करते हैं उस देश में इस तरह की दलीलें किसी भी न्यायाधीश को नहीं देनी चाहियें।

दूसरी मिसाल औरंगाबाद जिले की है जो महाराष्ट्र में हैं। किसी अनुसूचित जाति के आदमी के द्वारा कोई ज्यादती हुई। उसके बारे में मुकदमा चला। सजा हुई। इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना लेकिन उसका गुस्सा निकालने के लिए उस देहात की अनुसूचित जाति की जितनी औरतें थीं उनको नंगा करके उनके साथ ऐसा अत्याचार हुआ कि जिसको ब्यान करते हुए शर्म आती है। अपने देश में हम प्रजातन्त्र की बात करते हैं, सामाजिक बराबरी की बात करते हैं, लेकिन जब ऐसे वाकयात् होते हैं, ऐसी घटनायें घटती हैं तो इन पर हमें शर्म आनी चाहिये आज जो सामाजिक वातावरण है उसका मैं जिक्र करता हूं। अगर किसी बड़ी जाति की लड़की के साथ औरत के साथ ऐसा व्यवहार होता तो कितना हो हल्ला होता, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। खबरें छपतीं, लोक सभा में यह बातें आतीं, लेकिन चूंकि अनुसूचित जातियों की औरतें हैं इसलिये उनके बारे में, उनकी जो दर्दनाक कहानी है, उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं होती।

एक तीसरी छोटी सी मिसाल और देना चाहता हूं। परसो मैंने जिक्र किया कि इसी सदन के बिहार के एक भूतपूर्व सदस्य थे किरई मुसहर, जिनका 18 अगस्त को इंतकाल हुआ। अगर किसी बड़ी जाति का आदमी मर जाता तो मुझे इसमें शक नहीं है कि कलैक्टर की ओर से आपको बराबर सूचना मिलती, अखबारों में यह बातें छपतीं, लेकिन चूंकि किरई मुसहर, एक पिछड़ी हुई जाति का अनुसूचित जाति का आदमी था इसलिये उसकी खबर न अखबारों में छपती है और न इस सदन के सामने कोई भेजता है। यह जो मैंने जानकारी दी उसके बाद भी उनको श्रद्धांजलि देने का काम नहीं हुआ है, मेरी सूचना देने के बाद भी।

यह तीन मिसालें मैंने इसलिये दी हैं कि बावजूद इसके कि हमारा संविधान बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है, प्रजातन्त्र की बात करता है, अब भी हमारा दृष्टिकोण जो है वह डेढ़-दो हजार साल पहले का है जिसकी वजह से यह देश बर्बाद होता रहा है और विदेशी आक्रमण का शिकार हुआ है। वही स्थिति आज तक चल रही है। परसों श्री मौर्य ने कहा था कि सेना में जो हरिजन लोग हैं, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उनको विशेष अवसर मिलना चाहिये। इस पर बड़ा हल्ला हुआ। लेकिन उनकी बात ठीक थी। जब तक पिछड़े वर्गों के लोगों को आप यह आश्वासन नहीं देते हैं कि यह देश, यह राष्ट्र, यह व्यवस्था उन लोगों के लिये है और उनको उसमें हिस्सा नहीं देते हैं तब तक विदेशी आक्रमण का मुकाबला डट कर और मुस्तैदी के साथ देश नहीं कर पायेगा। डेढ़ दो हजार सालों का इतिहास यह बतलाता है कि जब तक सामाजिक बराबरी कायम नहीं होती है हम अपनी स्वतंत्रता की हिफाजत नहीं कर सकेंगे।

भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की आवश्यकता*£

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य मंत्री महोदय ने अपने लिखित बयान में साफ किया है कि वह कारगर कार्रवाई भ्रष्ट लोगों के खिलाफ करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि साधारण बातें करने से कोई फायदा नहीं। मैं भी मानता हूं कि कोई निश्चित आरोप हो, कोई ठोस आरोप हो और उसकी जांच की जाये। मंत्री महोदय की जानकारी के लिये मैं दो मामले रखना चाहता हूं। एक मसला है, पूना के म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट मैनेजर का....

*** *** ***

इसी में आयेगा कैसे नहीं आयेगा?**

मैं नियम के अनुसार बोल रहा हूं। आप नियम 94 देख लीजिये। यह इसमें बिल्कुल आ सकता है। मैं संक्षिप्त बोलूंगा। आप समय निर्धारित कर सकते हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। इसके बारे में आरोप था कि जो विदेशी सामान मंगाया गया था उसके लिये उन्हें विदेशी मुद्रा दी गई थी, लाइसेंस दिया गया था। सी.बी.आई. की इसके बारे में रिपोर्ट है। उस सी.बी.आई. की रिपोर्ट के बावजूद कि फौरन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट और कस्टम्स एक्ट का उल्लंघन हुआ है फिर भी उन्होंने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध कर रही है।... विदेशी मुद्रा का उल्लंघन और कस्टम कानून यह महाराष्ट्र सरकार के मातहत नहीं आते हैं, केन्द्रीय सरकार के अधिकार क्षेत्र के अन्दर आते हैं। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की जो भूतपूर्व सरकार थी उसके तीन मंत्रियों के मामले, जो उन्हीं कानूनों के मातहत थे, मैंने यहां पर छेड़े थे, और मुझे आश्वासन दिया गया था कि विजय सिंह नाहर, ईश्वरलाल जालान और नारकर के बारे में जांच की जायेगी। यह सब सामने आ चुका है। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं.....

*** *** ***

*** *** ***

मैं तो समर्थन कर रहा हूं। मैं कहां विरोध कर रहा हूं?***

*** *** ***

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 16 जून 1967.

£ भ्रष्टाचार-विरोधी विधेयक, 1967 पर चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्री विद्याचरण शुक्ल, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री के प्रश्न 'इसका इस विधेयक से क्या संबंध है?' का जवाब देते हुए।

*** माननीय उपाध्यक्ष महोदय की आपत्ति 'यह नियम 94 के अंतर्गत चर्चा के उद्देश्य से हटकर है', का जवाब देते हुए।

मैं बिलकुल तफसील में नहीं जा रहा हूं। मैं बिलकुल नियम के अनुसार बात कह रहा हूं। मैं तो समर्थन कर रहा हूं बिल का। बहरहाल मैं खत्म करने ही जा रहा था।$

तो इसके बारे में भी सेंट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन ने जांच की है। उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हुई। यह बिल कारगर कार्रवाई करने के लिए है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन यह विधेयक मंजूर होने के पश्चात् क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि पूना के ट्रांसपोर्ट मैनेजर के खिलाफ और बंगाल के भूतपूर्व मंत्रियों के खिलाफ, जिन्होंने सारे कानून तोड़े हैं और भ्रष्टाचार करवाया है, कोई ठोस कार्रवाई वह करेंगे, और साथ ही साथ सन्तानम कमेटी की जो सिफारिशें हैं मंत्रियों के बारे में, उनको कार्यान्वित करेंगे? कई मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आरोप लगाये गये, लेकिन दास कमीशन के अलावा, यानी प्रताप सिंह कैरों के मामले के अलावा, किसी भी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन देंगे कि इन दो मंत्रियों के बारे में भी जांच कमीशन बिठला कर उचित, और सख्ती से, कार्रवाई करने के बारे में कदम उठाए जायेंगे?

$ माननीय उपाध्यक्ष महोदय की आपत्ति "माननीय सदस्य के बिंदु असंगत हैं", का जवाब देते हुए।

सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार*£

अध्यक्ष महोदय, व्यापार मंत्रालय, मंत्रालय नहीं है यह एक विराट साम्राज्य हो गया है। उसको चलाने के लिए जैसे अक्ल की जरूरत है उसी तरह हिम्मत और ईमानदारी की जरूरत भी है। वर्तमान व्यापार मंत्री के पहले जो मंत्री साहब थे उनमें अक्ल की कमी नहीं थी लेकिन दूसरे जो दो गुण हैं मुझे सन्देह है कि उनमें वह गुण थे या नहीं। नतीजा यह हुआ कि व्यापार मंत्रालय का काम इस तरह चला कि हमारा आयात-निर्यात व्यापार बिलकुल चौपट हो गया। इनके साम्राज्य में बहुत सारी चीजें आती हैं। सबके बारे में बोलना सम्भव नहीं है।

चाय के बारे में सबसे पहले, अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं—आपको याद होगा जब हमारा देश आजाद हुआ तो बहुत बड़ी रकम इंग्लैंड में हमारे देश की पड़ी हुई थी। हम लोगों ने उस वक्त कहा था कि अंग्रेजों के यहां पर जो कारखाने और बगीचे आदि हैं, उनको आप ले लीजिए स्टर्लिंग बैलेंस के एवज में, लेकिन उस वक्त यह नहीं हुआ और यह सारा पैसा शौकीनी की चीजें और अनाज आयात करने में खत्म हो गया। आज मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं और चेतावनी देना चाहता हूं कि अंग्रेज बाग वाले लोग अपना मुनाफा विदेशों में ले जा रहे हैं, अपनी पूंजी यहां के बगीचों में नहीं लगा रहे हैं। पूर्वी अफ्रीका में वे नये-नये चाय के बगीचे बना रहे हैं। इस देश से मुनाफा कमा कर अंग्रेज लोग पूर्वी अफ्रीका में पैसा लगा रहे हैं। आप कानून बनाकर, राष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते, तो छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम चाय बागान को अच्छा बनाने के लिए, नये पौधे लगाने के लिए, उसका विकास करने के लिए कोई कानूनी रोक जरूर लगाइये, जिससे यह मुनाफा बाहर नहीं जायेगा बल्कि चाय उद्योग के विकास के लिए उनका इस्तेमाल यहां हो जायेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कोई हम लोगों को प्रबन्ध करना चाहिए जिससे जो चाय के फुटकर बिक्री का दाम है विदेशों में और हमें जो थोक बिक्री का दाम मिलता है उसमें इतना फर्क यह है कि एक माने में यह लूट हो रही है। तो भारत सरकार को या तो सरकारी स्तर पर या यहां के जो बगीचे वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं उनकी मदद से कोई बढ़िया इन्तजाम करना चाहिए जिससे कि यह जो लूट चल रही है वह लूट खत्म हो जाय।

उसी तरह पिछले साल से इस बात को भी मैं रख रहा हूं कच्चे काजू के आयात के बारे में। इटैलियन लोगों ने मशीन बनाई है। मशीन से कच्चा काजू साफ हो जायेगा। पूर्वी अफ्रीका

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 29 जून 1967.

£ अनुदान मांगों, 1967-68 पर चर्चा में भाग लेते हुए।

से दो, चार, पांच छः साल के बाद कच्चा काजू यहां नहीं आयेगा। वहां मशीन से साफ करेंगे और हमारा निर्यात गड़बड़ा जायेगा। इसलिए मंत्री महोदय चाय की तरह काजू के लिये कोई एक ठोस और निश्चित योजना बनावें, जिससे कि दस पन्द्रह साल के अन्दर व्यापक पैमाने पर कच्चा काजू हिन्दुस्तान के अन्दर पैदा होने लगे और विदेशी माल पर हमें निर्भर न रहना पड़े।

जहां तक स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन का सवाल है अध्यक्ष महोदय मुझे ऐसा लगता है कि यह एक षड़यंत्र है सरकारी क्षेत्र को और समाजवाद को बदनाम करने का क्योंकि स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन ने समाजवाद की जितनी बदनामी की है मेरा ख्याल है इस देश के पूंजीपति भी नहीं कर सकते थे। अब स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन का सल्फर का मामला हम लोगों ने कुछ महीने पहले पिछली लोक सभा में उठाया था और मुझे खेद है कि उस वक्त मुझे यह आश्वासन दिया गया था कि जांच की जायेगी और जिस कम्पनी से यह कान्ट्रेक्ट हुआ उसको भी दंडित किया जायेगा ओर जो अधिकारी दोषी हैं उनको भी किया जायेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास स्याल सिंह का एक टेलेक्स मेसेज है, उसको मैं प्रमाणित करने के लिए तैयार हूं। उन्होंने उसमें ऐसी-ऐसी बातें कही हैं कि न केवल इस कम्पनी की अमेरिका में कोई हैसियत नहीं थी, न्यूयार्क में दफ्तर तक नहीं था, टेलीफोन तक नहीं था और औरतों के जूते आयात करने का काम यह कम्पनी करती थी, औरतों के जूते का व्यापार करना मैं कोई बुरा व्यापार नहीं समझता, लेकिन सल्फर के बारे में इनको कोई अनुभव नहीं था। लेकिन ऐसी कम्पनी के साथ उन्होंने करार किया था कि जिससे संबंधित कंपनियों की खान में 1954-55 के बाद एक टन सल्फर भी पैदा नहीं हुआ था। तो इसलिए स्याल सिंह साहब को कहना पड़ा:

> "I have, therefore, informed them that they have failed to perform under the conditions of our contract with them and that therefore there is no further obligations on the part of the STC," etc.

लेकिन अध्यक्ष महोदय, इससे मामला खत्म नहीं होता है। मैंने मंत्री महोदय से बार-बार पूछा और आज फिर पूछता हूं कि इस कम्पनी को आपने क्या दण्ड दिया और स्टेट ट्रेडिंग निगम के जिन अधिकारियों ने इस गैर-जिम्मेदारी तरीके से इस तरह का करीब-करीब साढ़े तीन लाख टन का कांट्रेक्ट किया, जिसके कारण दुनिया के बाजार में हिन्दुस्तान का मखौल उड़ाया जा रहा है। ऐसे जो अधिकारी हैं उनको कोई सख्त सजा मंत्री महोदय को देनी चाहिए।

एस.टी.सी. का दूसरा मामला भी मैंने उनके सामने रखा था। पिछले सितम्बर में हंगरी का एक प्रतिनिधिमंडल यहां आया था और सूत के बारे में बातचीत हुई थी। जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने हंगरी के द्वारा जो दर या दाम प्रस्तुत किये गये थे, उस पर बेचने से इन्कार किया। लेकिन एस.टी.सी. के लोग ज्यादा अक्लमन्द हैं। एस.टी.सी. के चेयरमैन साहब जब हंगरी जाना चाहते थे, तो बम्बई आये, वहां उनके जो रिजनल डाइरेक्टर हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि अगर व्यापारी लोग यह काम नहीं करना चाहते हैं, तो क्या एस.टी.सी. यह काम नहीं कर सकती। वह भी कम अक्लमंद नहीं थे, उन्होंने चेयरमैन साहब को खुश करने के लिये फौरन कहा कि अगर हम कुछ इकोनामी बचत करें तो इस दर पर माल भेज सकते हैं। फिर चेयरमैन साहब का स्वागत हंगरी

में हुआ होगा, पार्टियां दी गई होंगी, लेकिन क्या नतीजा निकला? अब मंत्री महोदय मुझे खबर देते हैं—

मैंने पूछा था—"the profit or loss involved" मुझे जवाब मिला कि—"A loss of Rs. 6,83,000 is anticipated".

फिर मैंने सवाल किया—"Whether any inquiry has been ordered into this transaction."

जवाब आया—"No Sir." यह जवाब मिलता है।

एस.टी.सी. के कई मामले हैं। लौंग आदि का मामला तो मनुभाई शाह के जमाने में उठाया था। मुझे उम्मीद थी कि नये मंत्री महोदय आये हैं तो इस मामले में नये सिरे से जांच करेंगे, और सारे कागजात उनको दिये, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि जहां दो आवश्यक गुणों का अभाव मनुभाई शाह में था, इनका तो मन ही इस काम में नहीं है। गुजराती में एक कहावत है—

जेणो काम तेणो थाय,

विजा करे सो गोता खाये।

हमारे दिनेश सिंह साहब बड़े अच्छे मिलनसार आदमी हैं, बातचीत करने में अच्छे हैं, लेकिन यह जो व्यापार मंत्रालय का साम्राज्य है इसको चलाने के लिये मेरा ख्याल है कि—वह मुझे माफ करेंगे—वह योग्य दिखाई नहीं देते हैं। और वे अपनी बुद्धि से इसको नहीं चला सकते हैं तो जो सुझाव हम लोग देते हैं, उन पर वे अमल करें। यदि हिम्मत से, साहस से काम लेंगे तो सबसे पहले इनको यह करना चाहिये कि टैक्सटाइल कमिश्नर जूट कमिश्नर और कंट्रोलर आफ इम्पोर्टर्स एण्ड एक्सपोर्टर्स इन तीनों बड़े अधिकारियों को तुरन्त जेल में बन्द कर देना चाहिये, इनको मुअत्तिल करके जेल में बंद कर देना चाहिये। इनके पास पचासों कानून हैं, प्रिवेंटिव डिटेन्शन एक्ट है, डी.आई.आर. भी इन्होंने अभी नहीं छोड़ा है, किसी न किसी कानून में मुअत्तिल करके सबसे पहले गिरफ्तार करना चाहिये। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि अनेक सबूत इनके बारे में ऐसे मिलेंगे कि इनको जेल हो सकती है। जहां तक *प्राइमा फेसी* सबूत का सवाल है, सबूत मैं आपको दे चुका हूं।

कुछ बातें अभी मैं और कहना चाहता हूं। नाइलौन-फ्लेमेंट का मामला है जो काफी अर्से से चल रहा है। इसके बारे में दो अपराध किये गये—पहला अपराध यह हुआ कि टैक्सटाइल कमिश्नर की अनुमति से जो यूजर्स लाइसेंस दिये गये वे ट्रांसफर किये गये हैं, उसकी एक नकल मैं आपके सामने रखता हूं, इसमें लिखा हुआ था—

> "The quantity of staple fibre imported against this allocation shall not be transferred or sold by you to any other person or persons without written permission of the Textile Commissioner."

ये सभी बम्बई की मिलों के जो लाइसेंस हैं वह धनराज मिल को दिये गये, जिसका कि दिवाला निकलने वाला था। क्या टैक्सटाइल कमिश्नर को इनका पता नहीं था, टैक्सटाइल कमिश्नर ने जो अपराध किया है, उसको लेकर किसी छोटी मछली को न पकड़िये ये जो दोरायस्वामी साहब हैं। इसी बिना पर इनको मुअत्तिल करके जेल में बंद कर सकते हैं और तब सारी जानकारी संबंधित लोग देने के लिये तैयार हो जायेंगे।

दूसरा अपराध—यह नाइलोन-फ्लेमेंट यार्न पर जो पाबन्दी थी उसके बारे में था—जिनको देख कर आप को ताज्जुब होगा कि यह धनराज मिल के नाम पर जो मधुसूदन गोरधन दास कम्पनी काम कर रही थी, यूनीवर्सल इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट एजेंसी की मार्फत इनके लिये इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कंट्रोल के यहां ऐसे-ऐसे काम हुये हैं, गैर-कानूनी ढंग से लाइसेंस में परिवर्तन किया गया, जबकि इस पर पाबंदी थी, नाइलोन-फ्लेमेंट यार्न मंगवाने का उसमें परिवर्तन किया गया। साधारणतया यह पोस्ट से भेजा जाता है, लेकिन इस कंपनी के लोगों को काउन्टर पर दिया गया कि चलो ले लो, मौज-मस्ती करो। अभी तक इसके बारे में कार्यवाही नहीं हुई, इसकी क्या वजह है? अभी तक कंट्रोलर नागर वाला साहब को सस्पेंड नहीं किया गया।

इसी तरह जूट कंट्रोलर की बात है—इनके बारे में क्या-क्या कहूं? थाईलैंड से मेस्टा मंगाने का मामला है। तीन-चार सवाल दिये थे और जो विचित्र जवाब मुझे दिये गये हैं, उसके संबंध में एक तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में जो शिपिंग डाक्युमेंट्स में जो वर्णन दिया गया है वह तो बिल्कुल जाली वर्णन था, झूठा वर्णन था और उसके अनुसार जो उसकी गुणवत्ता दिखाई गई थी, उससे कम गुणवत्ता का खराब मेस्टा भेजा गया। परन्तु उस पर व्यापार मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की। इतना ही नहीं, ये लोग कहते हैं कि जो 16 करोड़ रुपये का मेस्टा 1965-66 के साल में मंगाया गया, वह ओपन-जनरल लाइसेंस के मातहत था। इसलिये वे कहते हैं कि जूट कमिश्नर के पास उसके बारे में कोई तफसील नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह जो हिन्दुस्तान की कम्पनियां हैं, वही थाइलैंड में जाकर यह सारा काम करती थीं, एक्टिंग एज प्रिंसिपल्स, जिनको ये लोग कहते हैं कि थाई कम्पनी है। यह थाई कम्पनियां नहीं हैं, थाई एक्सपोर्टर्स नहीं हैं, यह हिन्दुस्तानी कम्पनी ही है। ये लोग क्या करते हैं कि एक दफा वायदा हो गया कि फलां-फलां तारीख को मेस्टा भेजा जायेगा, बाद में बदल गये, कह दिया कि नहीं मिल रहा है, वह वायदा फरामोशी कर रहे हैं। फिर वही मेस्टा, जो पहले से खरीदा हुआ था। ज्यादा दाम में खरीदा हुआ दिखाया जाता था और बीच का फर्क जो है विदेशी मुद्रा में बाहर चला जाता था। इसके बारे में इन्होंने अब तक कोई जांच नहीं की है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि यह जो जूट कमिश्नर साहब हैं, उनको वे तत्काल मुअत्तिल करें और इसके बारे में कोई ठोस कार्रवाई करें।

अब मैं रूई के सवाल को लेना चाहता हूं। रूई के बारे में मुझे खबर मिली है कि गुजरात के काश्तकारों ने, उनकी सहयोगी सोसायटीज ने, टैक्सटाइल कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि आप हमारी रूई जब्त करने वाले हैं, लेकिन यह हमारी नहीं है, यह कुछ बड़े मिल वालों की है, इसके बारे में अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। दूसरी बात यह है कि बार्टर डील के मातहत जो रूई

आयात की गई थी, गत साल उसके लिये अगस्त के अंत तक की सीमा थी, लेकिन उसको तोड़ सारे लाइसेंसेज को प्रिडेटिड करके पुरानी तारीख लगाकर कुछ मिल मालिकों को दिया गया और उन्होंने आगे जाकर बिरला आदि मिलों को यह माल बेचा है। इसके बारे में मेरी मांग है कि आप जांच करें और गुजरात के किसानों द्वारा जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर जिन बड़े मिल मालिकों ने रूई की जमाखोरी चालू की है, उसको खत्म करने के लिये उस रूई को जब्त कर लें और तमाम मिलों को बांट दें, जिससे कि रूई का संकट, यद्यपि वह पूर्णतया खत्म नहीं होगा, लेकिन कुछ हद तक वह जरूर खत्म हो जाएगा।

एक नया मामला मैं आपके सामने और रखना चाहता हूं। आपको ताज्जुब होगा कि यह जो इम्पोर्ट एनटाइटलमेन्ट स्कीम है, निर्यात प्रोत्साहन योजना, इसने हमारे देश को चौपट किया है। 200 बोगस फर्मों की लिस्ट मैंने पिछले वर्ष सरकार के पास भेजी थी, जिन फार्मों को मनुभाई शाह ने खड़ा किया था, जिनका कोई निर्यात नहीं था, लेकिन उस योजना के मातहत निर्यात दिखाकर ओवर इन्वाइसिंग करके, शायद समुद्र में भी डुबोया गया होगा, सही मायनों में निर्यात नहीं हुआ, उसके एवज में उनको इम्पोर्ट लाइसेंस मिले। क्या-क्या मिले? आपको ताज्जुब होगा कि चमड़ा आयात करने का लाइसेंस भी दिया गया है। हम बचपन से भूगोल में पढ़ते आ रहे हैं कि हिन्दुस्तान से जिन चीजों का निर्यात होता है उनमें चमड़ा एक है। तो फिर व्यापार मंत्रालय ने चमड़े का आयात करने का लाइसेंस कैसे दिया? इसी तरह से किताबें आयात करने का लाइसेंस उन्होंने दिया। मेरे पास सबूत हैं कि महज रद्दी को मंगवाया गया और कस्टम वालों ने नहीं रोका। रिजर्व बैंक ने कभी जांच नहीं की। उनके डाक्युमेंट बराबर बैंक के जरिये आते रहे लेकिन कभी नहीं पूछा कि क्या सचमुच माल आया है। कोई माल नहीं आया। कोई किताबें नहीं आई। किताबों की जगह रद्दी आई।

इसके बाद क्या हुआ? इम्पोर्ट इनटाइटलमेंट के मातहत स्विटजरलैंड से घड़ियां और घड़ियों के पुर्जे लाये गये। जो माल एक रुपये का था उसका दाम 2 आना दिखलाया गया और फर्जी इम्पोर्ट के कारण—चमड़े और किताबों के—जो विदेशी मुद्रा जमा हुई थी बाहर, उससे घड़ियां खरीदी गयीं। घड़ियां, पुर्जे आदि सब माल के यहां आने के पश्चात् आप जानते हैं कि उनका क्या हुआ। आप देखिये कि घड़ियों के दाम क्या हैं, घड़ियों के पुर्जों के दाम क्या हैं। मेरा ख्याल है कि उस शख्स ने लाखों नहीं, कुछ करोड़ रुपये इस तरह से कमाये हैं। वित्त मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया, मुझे पता नहीं कि इसके बारे में उन्होंने क्या-क्या कार्रवाई की है।

कुछ दिन पहले खबर मिली थी कि स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा बिड़ला साहब की कुछ मिलों पर छापा मारा गया था। क्या मंत्री महोदय उसकी तफसील देंगे? इतना सारा मसाला उनके पास भेजने के पश्चात् भी वह कहते हैं कि टेक्सटाइल कंट्रोलर के बारे में कोई *प्राइमा-फेसी* केस किसी ने बनाकर नहीं दिया। शायद उन्हें पता है कि वर्तमान कानून के मातहत जो खरीदने वाली मिले हैं उनके लिये परमिट दिये जाते हैं, मूवमेंट परमिट। अगर आप टैक्सटाइल कमिश्नर को सस्पेन्ड करके देखिये तो सब मिल वाले यह बतलायेंगे कि एक-एक बेल के ऊपर उनका इतना टैक्स है। इसके लिये पार्लियामेंट की अनुमति की जरूरत नहीं है। यह

टैक्सटाइल कमिश्नर का टैक्स है। उनको सस्पेन्ड करके देखिये तो सारे मिल वाले जो कि आप से दब जाते हैं वह बतायेंगे।

मिल वाले तथा दूसरे जो भी लोग हैं, जिनको, आपके पास इतने अधिकार हैं कि आप दबा सकते हैं, वह सोचते हैं कि चोरी में आपको भी साझेदार बनायें। आपसे लड़ने से यह ज्यादा अच्छा है। इसलिये आज साझेदारी हो गई। श्री मनुभाई अमरसे ने नौकरशाही और मंत्रीशाही की बात की लेकिन त्रिकोण की एक लाइन को छोड़ दिया। वह है पूंजीशाही। पूंजीशाह, मंत्रीशाह और बड़ी नौकरशाही यह तीनों जब मिल जाते हैं तो यह भ्रष्टाचार का त्रिकोण तैयार हो जाता है। यह व्यापार मंत्रालय भ्रष्टाचार मंत्रालय है और अगर यह व्यापार मंत्री बने रहना चाहते हैं तो उनको मैं यह हिदायत दूंगा कि वह जरा हिम्मत और साहस दिखा कर काम करें ताकि इनके बारे में कोई ठोस काम हो सके।

दूसरी बहुत सी चीजें हैं। चाय के बारे में भी जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है जो एक्साइज ड्यूटी है उसके बारे में उनकी कोई अपनी नीति नहीं है। हमें यह कहा गया था कि डिवैलुएशन के बाद निर्यात बढ़ेगा। उनकी बात सरासर गलत निकली है। लेकिन कोई ईमानदार मंत्री नहीं है जो इस सदन के सामने आकर यह कहने के लिये तैयार हो कि अमरीका की हिदायत पर या आदेश पर हम ने जो अवमूल्यन किया और उसके लिये जो सफाई पेश कर रहे थे, वह गलत था, अवमूल्यन से कोई लाभ नहीं हुआ। निर्यात घटा और देश की जो बेइज्जती हुई वह अलग।

उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग के बारे में कहा। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें यह क्या सुधार ला रहे हैं। जब मैंने उनकी रपट पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि वह एक मजाक कर रहे हैं। आपको ताज्जुब होगा अगर आप एस.टी.सी. के कार्य को देखें और उन्होंने जो तारीफ की है, उसको देखें। वह कहते हैं कि:

> "The STC has continued its pivotal role in the diversification of India's export trade by increasing exports to the existing markets and exploiting new ones."

कैसे हंगरी की मार्केट को एक्स्प्लायट किया है, वह मैंने बतलाया है। खराब टायरों के आयात के बारे में स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन का जो रोल रहा है उसके बारे में श्री भगत ने आश्वासन दिया है कि वह कोई विभागीय अधिकारियों की कमेटी बना रहे हैं। आजकल एक तरीका बन रहा है कि अगर किसी चीज को टालना हो तो एक कमेटी बना दो या दूसरा तरीका यह है कि यह लोग जाकर संबंधित व्यापारी और कंट्रैक्टर से कहते हैं कि अगर ब्लैक लिस्टिंग आर्डर्स हो गये तो हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में जाने से मामला सब जुडिक हो जायेगा और तब बहस नहीं हो पायेगी। अगर हम तथ्यों को लाकर बहस चलायेंगे तो आप कहेंगे कि कार्रवाई से काट दिया जायेगा। हमें चाहिये कि हम कमेटियों के गठन और हाई कोर्ट में पिटिशन दायर कर स्टे आर्डर लाने के बारे में गम्भीरता से सोचें। भारत वेरल्स के बारे में यही हुआ कि जब हाई कोर्ट में पिटिशन कर दी और स्टे आर्डर हो गया, अमीचन्द प्यारेलाल के बारे में भी यही हुआ कि कलकत्ता

हाई कोर्ट में पिटिशन हुआ और स्टे आर्डर हो गया। क्या माननीय मंत्री महोदय इसके बारे में गम्भीरता से सोचेंगे?

एस.टी.सी. के बारे में यह क्या कह रहे हैं?

"It has also played an important role in effecting imports of goods and raw materials vitally necessary for the economy of the country."

सल्फर से आवश्यक चीज और क्या हो सकती है? उसमें उन्होंने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया है और सारे सदन को उसका पता चला है। इसलिये इस तरह की आत्म प्रशंसा करने वाली रपट देने के बजाय आइन्दा मंत्री महोदय जरा आत्म-परीक्षा करना सीखें और ऐसी रिपोर्ट हमारे सामने पेश करें जिसमें यह बताया हो कि यह खामियां हैं और उन्हें दूर करने के लिये आपको हमारी सहायता चाहिये; अगर इस तरह की रपट ले कर आयेंगे तो मेरा ख्याल है कि सदन का हर एक तबका उनको इसमें सहायता और मदद करेगा। लेकिन यह तो आप करना नहीं चाहते।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं व्यापार के बारे में हमारी यह परम्परा चली आ रही है कि हम अंग्रेजों के साथ जुड़े हुए हैं। फौज का मामला हो, व्यापार का मामला हो, पूंजी का मामला हो, अंग्रेजों ने तो हमारी बुद्धि के ऊपर भी प्रभाव डाल दिया है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कोई कोशिश करेंगे जिससे हमारे व्यापार की जो दिशा है, डाइरेक्शन आफ ट्रेड, वह बदले स्वयं उन्होंने कबूल किया है कि व्यापार की दिशा में कोई बुनियादी परिवर्तन नहीं हुआ। पूर्वी यूरोप के साथ यह लोग व्यापार करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है—मैं पूर्वी देशों की कोई निन्दा वगैरह नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे ऐसा लगता है—कि पूर्व जर्मनी, हंगरी आदि जो देश हैं वह इस सरकार की बेवकूफी को देखकर और जो हमारे अधिकारी हैं बहुत जल्दी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं, इसको देखकर हमारे साथ इस तरह के समझौते कर रहे हैं जिससे हमारा देश चौपट हो रहा है। मैं भी चाहता हूं कि पूर्वी यूरोप के देशों के साथ व्यापार बढ़े, रूस के साथ व्यापार बढ़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम चापलूसी करें और घुटने टेकें और व्यापारिक सिद्धांतों को नजरअन्दाज करें।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि दुनिया में कई दूसरे ऐसे देश हैं, खासकर जो साझा बाजार के देश हैं, कामन मार्केट के देश हैं, जापान है जो हमारे साथ रिश्ता दृढ़ करना चाहते हैं लेकिन यह सरकार जानबूझकर उन लोगों के साथ रिश्ता बढ़ाने की कोशिश नहीं करती। अंग्रेज और अमरीकी जापान को दुश्मन समझते थे, इसलिये जापान के बारे में हम भी शुरू से ही पूर्वाग्रह से काम करते थे। स्वतंत्र भारत को चाहिये था कि जहां तक जर्मनी और जापान का सवाल है उसकी दृष्टि में उनमें कोई फर्क नहीं होता, विजयी और पराजित देशों में। क्योंकि उस वक्त हम गुलाम देश थे और वह लड़ाई हमारी नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने जर्मनी और जापान के साथ रिश्ता सुधारने की कोई कोशिश नहीं की। मंत्री महोदय ने खुद कहा कि चाय का निर्यात घट रहा है। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं यूरोपियन एकानामिक कम्यूनिटी के जिनके साथ आपका व्यापार बढ़ा है और आपको दाम वगैरह भी अच्छे मिल रहे हैं। इंग्लैंड अमरीका की तुलना में रिपोर्ट में एक वाक्य उन्होंने दिया है:

"The European Economic Community is the only region to which exports rose after devaluation."

इससे हमको सबक सीखना है। व्यापार की दृष्टि से हम अंग्रेजों की जो बैसाखी ले कर चल रहे हैं, कूटनीति में हो, अर्थनीति में हो या व्यापार में हो, यह ठीक नहीं है। 21 साल हमारी आजादी को होने आये। 21 साल में आदमी बालिग हो जाता है। हमारे मंत्री महोदय कब बालिग होंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता है। वह हमको बतलायें कि इस बैसाखी को छोड़कर दुनिया के तमाम देशों के साथ, चाहे वह कम्युनिस्ट देश हों, पूंजीवादी देश हों, साउथ अमरीकी देश हों, जापान हो या दूसरे देश हों, व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने के लिये वह क्या-क्या कदम उठायेंगे। खास कर यूरोपियन साझा बाजार के साथ बातचीत करने के लिये वह जरा अच्छे आदमियों को भेजें जिससे हमारा फायदा हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को खत्म करने से पहले फिर मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि जिन तीन बड़ी मछलियों का मैंने उल्लेख किया है, वह उनके बारे में कुछ करें—सबकी दुआ उनको मिलेगी।

विश्व नागरिकता का महत्व*£

I beg to move:

(1) "This House resolves that in pursuance of sub-section (4) of section 18 of the Citizenship Act, 1955 the following modifications be made in the Citizenship (Amendment) Rules, 1968, published in the Gazette of India by Notification No. GSR. 2029, dated the 23rd November, 1968 and laid on the Table on the 6th December, 1968, namely:

in rule 2, in Form XIII *for* 'oath of allegiance', wherever they occur, *substitute* 'oath of allegiance to the Constitution'.

"This House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution."

(2) "This House resolves that in pursuance of sub-section (4) of section 18 of the Citizenship Act, 1955, the following modifications be made in the Citizenship (Amendment) Rules 1968, published in the Gazette of India by Notification No. GSR. 2029, dated the 23rd November, 1968 and laid on the Table on the 6th December, 1968, namely:

in rule 2, in Form XIII, *after* 'established' *insert* 'uphold the sovereignty and integrity of India'.

This House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do concur in this resolution."

उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं यह छोटी सी बहस नागरिकता के बारे में उठा रहा हूं। सबसे पहले मुझे मंत्री महोदय से यह निवेदन करना है कि आज की हमारी नागरिकता जन्म, नस्ल और पैदाइश पर आधारित है। क्या मंत्री महोदय नई नागरिकता की दिशा में भी विचार करेंगे जिससे दुनिया के किसी भी इन्सान को अगर इस भूमि के बारे में उसके मन में मोहब्बत है, आस्था है, तो यहां आकर बसने और इस मुल्क का नागरिक बनने का अधिकार मिलेगा? यह जो पैदाइश की नागरिकता है, इसके अलावा जमीर की नागरिकता भी हो सकती है। आत्मा की नागरिकता भी हो सकती है। तो क्या मंत्री महोदय इसके बारे में सोचेंगे और नागरिकता के कानून में इस दृष्टि से जो संशोधन करना आवश्यक है, उसको करेंगे?

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 16 मई 1969.

£ नागरिकता (संशोधन) नियम का प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि दो साल पहले स्टालिन की लड़की स्वेतलाना का मामला उठा था और उस समय हम लोगों का जो रूख रहा वह भारत की परम्परा के बिलकुल विरुद्ध रहा। इसलिए आज मंत्री महोदय यहां पर घोषणा करें कि दुनिया में कम से कम यह एक देश ऐसा है, जिसके दरवाजे किसी भी इन्सान के लिए खुले हैं, यदि वह भारत के प्रति मुहब्बत रखता है। इसी दृष्टि से मैंने कहा है कि वर्तमान नियमों में परिवर्तन किया जाय और संविधान के प्रति केवल अपनी वफादारी या निष्ठा व्यक्त करके नहीं, बल्कि इस देश की अक्षुणता और सार्वभौमिकता के बारे में वह अपनी वफादारी प्रकट करें। इस देश का नागरिक बने। इस तरह की तरमीम हमारे संविधान में आई है, इसलिए मंत्री महोदय को नियमों के परिवर्तन करने के बारे में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक अर्से से श्री बी.सी. भुवाल नाम के व्यक्ति की नागरिकता का सवाल मैं उठा रहा हूं और सरकार के साथ मेरा पत्र-व्यवहार चल रहा है। यह शख्स पूर्वी बंगाल में पैदा हुआ था और उसके बाद 1933 से वह इंग्लिस्तान में रह रहा है। उसने कई बार भारत लौटने की कोशिश की, लेकिन भारत के हाई कमिश्नर ने, जो लन्दन में है, उनको कहा कि आप इंग्लिस्तान की नागरिकता लीजिए। इसके बारे में उन्होंने मुझे पत्र भेजा है। उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसा हमारा विदेशी दूतावास है जो भारतीय नस्ल के लोगों को यह सलाह देता है कि आप विदेशों की नागरिकता लीजिए। जब मैंने प्रधान मंत्री को इसके बारे में पत्र लिखा तो उन्होंने कहा कि हमारा इस तरह का आग्रह नहीं है, लेकिन अगर वह पासपोर्ट लेकर यहां पर आ जाते हैं और 6 महीने यहां पर रहते हैं, तब उनके नागरिक के रूप में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में सोचेंगे। अब इस शख्स के बारे में दिक्कत यह है कि इसके पास कोई पासपोर्ट नहीं है और पासपोर्ट के बिना वह इंग्लिस्तान नहीं छोड़ सकता। अब इंग्लिस्तान का पासपोर्ट लेने का मतलब होगा—इंग्लिस्तान की नागरिकता स्वीकार करना। इसलिये मंत्री महोदय कोई ऐसा रास्ता निकालें जिससे ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता मिल सके जो भारत के नागरिक के नाते रहना चाहते हैं और यहां आकर रहना और मरना चाहते हैं। या तो तत्काल उनके रजिस्ट्रेशन करने का काम करें, यदि यह सम्भव नहीं है और आप चाहते हैं कि वह 6 महीने यहां आकर रहे तो उनको एक प्रवेश पत्र दे दें, एन्ट्री-परमिट दे दें।

अब मैं भुवाल साहब के पत्र के एक हिस्से को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस व्यक्ति के मन में मातृभूमि के प्रति इतना प्रेम है कि इंग्लिस्तान में यह व्यक्ति तकरीबन 25,000 रु. सालाना पा रहा है, पोस्टमैन के रूप में काम कर रहा है और यह भी जानते हुए कि यहां लौटने पर उसको इतना पैसा नहीं मिलेगा, फिर भी वह लौटना चाहता है...

*** *** ***

वह तो आना चाहते थे, लेकिन आप उन्हें नहीं आने दे रहे हैं। आप वहां चले जाइये, एक जगह खाली हो जाएगी, उनको आने दीजिये, उन्होंने अपने पत्र में लिखा है—

"I have to request to you to note that when I come to the United Kingdom in the year 1933, I had no passport and until today I have

none. Although my legal status here in London is that of a British subject of Indian origin, I have no nationality and I do not hold any passport, whether British or Indian. Unless I have a passport I cannot under the present conditions leave the United Kingdom to return to India. I am determined not to have British citizenship as I am proud of being an Indian, born in India. I, therefore, request you once again to help me secure an Indian passport. I need not assure you again and again about my keenness to return to India and settle down permanently in my motherland."

नागरिकता को लेकर, उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त लोगों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है।

एक बात की ओर मैं मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आपकी पार्टी ने बटवारा कुबूल करके एक बहुत बड़ा पाप किया। उसका नतीजा यह हुआ कि हजारों-लाखों परिवार बट गये! परिवारों का एक हिस्सा पाकिस्तान में और दूसरा हिस्सा भारत में रहता है। क्या कभी उनका दिमाग इस दिशा में भी सोचेगा—जैसाकि 3 जून की माउन्टबैटन योजना कुबूल करने वाली आपकी ही पार्टी का प्रस्ताव था—उन दिनों में हम भी कांग्रेस में ही थे—उसमें यह कहा गया था कि आज जिन्ना साहब द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत चलाते होंगे, लेकिन हम द्विराष्ट्रवाद को कुबूल नहीं कर रहे हैं। हमारे सामने हिन्दुस्तान की जो तस्वीर है, जो नक्शा है, जो पहाड़, नदी, सागर और भूगोल ने हमारा मुल्क बनाया है, वह वैसा ही रहेगा और हमारे हृदय पर यह भारत माता की तस्वीर हमेशा विराजमान रहेगी—तो क्या मंत्री महोदय इस बात पर भी सोचेंगे? बटवारे का जो पाप उन्होंने किया है, लाखों परिवारों को बरबाद किया है, उसको खत्म करने की दृष्टि से क्या पाकिस्तान के बारे में एक नई नीति वह अपनायेंगे? असल में, उपाध्यक्ष महोदय, विदेश नीति पर, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर यहां बहस होनी चाहिये थी, लेकिन हमको इधर दो साल से मौका ही नहीं मिला। पाकिस्तान में इधर तीन चार महीनों से जो घटनायें हुई हैं, यदि आप उनको देखें तो आपको मालूम होगा कि पूर्वी बंगाल के नेता और संगठन ऐसे आन्दोलन चला रहे हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की जो लड़ाई है, जो अलगाव है, उसको खत्म किया जाय। मैं मंत्री महोदय से इन्सानियत की दृष्टि से अपील करना चाहता हूं कि क्या वह समान नागरिकता के आधार पर सीमित विषयों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में नया रिश्ता कायम करेंगे जैसा हमारे नेता डाक्टर साहब का सपना था—भारत पाक का महासंघ बने और एक नागरिकता हो। उनका सपना था, वह ऐसी दुनिया का निर्माण करना चाहते थे, जिसमें इन्सान को बिना पासपोर्ट लिए, प्रवेश पत्र लिये, बिना वीजा लिये दुनिया के किसी भी भाग में घूमने का, रहने का और जहां चाहे मरने का अधिकार रहना चाहिये। खैर, यह सपना तो बहुत दूर है लेकिन नागरिकता के स्वरूप को सुधारने का प्रयास कर सकते हैं, वह जमीर के ऊपर आधारित नागरिकता की कल्पना को मानकर, केवल नस्ल, पैदायश या जन्म पर नहीं। दूसरी बात यह, भारत और पाकिस्तान में एक नागरिकता कायम करने की दृष्टि से प्रयास और तीसरे, डा. लोहिया जी का सपना था उस दृष्टि से आगे कुछ कदम बढ़ाना। आज इस बहस को उठाने का मेरा केवल यही मकसद था कि नागरिकता के इन पहलुओं के ऊपर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाया जाये।

गुजरात में साम्प्रदायिक दंगे*£

अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें:

"अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर हुए साम्प्रदायिक दंगे।"

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा है कि गुजरात सरकार से इनको जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के ऊपर वह बोल रहे हैं। क्या मैंने ठीक सुना है? क्या केन्द्रीय सरकार के पास जानकारी प्राप्त करने के लिये अपनी कोई मशीनरी नहीं है? केन्द्रीय जांच ब्यूरो है, पचासों किस्म के इनके पास हथियार हैं, इनका गवर्नर भी वहां पर है, क्या इनके जरिये इन्होंने जानकारी प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं की? मैं आज बहुत गम्भीरतापूर्वक कहना चाहता हूं कि 1947 के बाद जिस तरह का दंगा-फसाद अहमदाबाद और गुजरात में हुआ, हिन्दुस्तान के किसी भी इलाके में नहीं हुआ, हालांकि 22 साल तक दंगा-फसाद होते रहे। मेरी जानकारी के अनुसार कम से कम चार-पांच हजार इन्सान मारे गये हैं, मासूम लोगों की हत्यायें हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे एक-एक प्रश्न का उत्तर गृह मंत्री जी सफाई के साथ दें। आप चाहे जो कहें, अगर मुझसे सहमत नहीं हैं तो अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन मुझे न टोकिये।

अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इनको केन्द्रीय जांच ब्यूरो हो या गुजरात सरकार हो, इस बात की जानकारी प्राप्त हुई थी कि एक अर्से से अहमदाबाद और गुजरात में संगठित ढंग से दंगे-फसाद होने वाले हैं? क्या इसके बारे में इनके पास कोई जानकारी आई थी? क्योंकि मुझे पता चला है कि 12 सितम्बर को अहमदाबाद में 22 लोगों ने और पालनपुर में 9 लोगों ने रायट-इन्श्योरेंस लिया था। रायट-इन्श्योरेंस लेना कोई मामूली काम नहीं है। जब अंदेशा होता है, सन्देह होता है कि दंगा-फसाद होने वाला है, तब ही लोग इस तरह का इंश्योरेंस लेने का काम करेंगे। इस तरह की बात पहले से चली थी। मैं जानना चाहता हूं कि गुजरात सरकार और केन्द्र सरकार इसके बारे में क्या कर रही थी?

क्या यह बात सही नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस के अंतर्गत जो संघर्ष चल रहा है, उसमें आशा करती थीं कि हितुभाई देसाई अपनी गद्दी को बचाने के लिये हो सकता है कि उनके साथ जायेंगे, इसलिए पश्चिम बंगाल की सरकार को तो आपने बर्खास्त कर दिया, लेकिन गुजरात में जब बड़े पैमाने पर कानून टूटा, अल्पसंख्यकों और दूसरे नागरिकों की हत्यायें हो रही

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 17 नवम्बर 1969.

£ अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय 'अहमदाबाद और गुजरात के अन्य भागों में बड़े पैमाने पर हुए साम्प्रदायिक दंगे' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

थी, गुण्डागर्दी हो रही थी, आगजनी चल रही थी, तो क्या वजह है कि संविधान के तहत, जबकि आपका यह परम कर्त्तव्य था कि हर एक नागरिक के वित्त और जान की हिफाजत करें, इस कर्त्तव्य को आपने नहीं निभाया। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से गुजरात सरकार निकम्मी है, उसी तरह से नागरिकों की जान की रक्षा करने में यह केन्द्रीय सरकार भी निकम्मी और असफल रही है। पश्चिम बंगाल की सरकार को आपने बर्खास्त किया, लेकिन गुजरात सरकार को आपने इसलिये बर्खास्त नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस के आन्तरिक संघर्ष में हितुभाई देसाई को आप अपने साथ रखना चाहती थीं। जिस तरह सुखाड़िया को ब्लैक-मेल करके आपने अपने साथ लिया, उसी तरह से आपने यहां भी प्रयत्न किया।

दूसरा सवाल यह है कि क्या यह बात सही नहीं है कि दंगा-फसाद शुरू होने के बाद तकरीबन 10 दिन तक गुजरात सरकार के मंत्री सचिवालय तक नहीं गये। 10 दिन तक घर में मंत्रीमंडल की बैठकें करते रहे? मुझे यह भी पता चला है कि फौज मंगवाने में देरी हुई और मंगवाने के बाद तीन दिन तक केन्द्रीय सरकार ने फौजें भेजने में देरी की। मैं तो दोनों को खत्म करना चाहता हूं। गुजरात सरकार भी गन्दी है और ये भी गन्दे हैं। उधर फौजें मंगवाने में देरी हुई, इधर फौजें भेजने में देरी हुई, फौजों का इस्तेमाल करने में देरी हुई। जब हमारे दल के जनरल सैक्रेटरी जार्ज फर्नान्डीज, अहमदाबाद पहुंचे, राज्यपाल से मिले राज्यपाल से उन्होंने कहा—आप इस बड़ी कोठी में बैठे हुए हैं, आप कोठीवादी है या गांधीवादी हैं, जरा बाहर निकलिये। तब पहली बार राज्यपाल जार्ज फर्नान्डीज के साथ बाहर निकले—शान्ति और अमन स्थापित करने के लिए। मुझे यह भी पता चला है कि राज्यपाल की इन गतिविधियों पर चादर डालने के लिये, उनको दबाने के लिये गुजरात सरकार ने समाचार-पत्रों को यह हिदायत दी कि इनकी गतिविधियों के बारे में कोई बात प्रकाशित न की जाये। 18 तारीख को जब जगदीश मन्दिर की घटना हुई, तो क्या सरकार का फर्ज नहीं था कि जो गुण्डा तत्व है, चाहे किसी भी मजहब का क्यों न हो, उनको तत्काल गिरफ्तार करना चाहिये था। लेकिन जब एक गुण्डा—जिसका नाम टेंगा है, वह ब्रह्म कुमार भट्ट के वोट इकट्ठे करने का काम करता है—गिरफ्तार किया गया तो उस इलाके में हड़ताल मनवाई गई मंत्रियों के द्वारा। गुण्डे की गिरफ्तारी पर हड़ताल मनवाई जाती है और उसके पीछे मंत्री लोग हैं।

मुझे यह भी पता चला है कि बादशाहखान जब अहमदाबाद पहुंचे तो जानबूझकर जो शरणार्थी लोग थे.... मैं मंत्री महोदय का ध्यान खासतौर से इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं.... बादशाह खान के पहुंचने के पहले ही शरणार्थी कैम्पों को विघटित कर दिया गया, लोगों को वहां से भेज दिया गया, इतना ही नहीं गुजरात सरकार ने कहा कि अगर आप अपने-अपने इलाकों में चले जायेंगे तो फ्री टिकट दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता है—इधर मुसलमानों को खुश करने के लिये, उनका वोट हड़पने के लिए आप ख्वात में जाने का शर्मनाक काम करते हैं और उधर जब हमारे देश के अल्पसंख्यकों और निष्पात नागरिकों का कत्ल होता है तो उससे आप उनको बचा नहीं पाते हैं। मुंह दिखाने के लिए आपके पास क्या रह गया है। धर्म-निरपेक्षता हमारी विदेश नीति में होनी चाहिये-मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन आन्तरिक नीति में भी होनी चाहिए, केन्द्र सरकार इन प्रश्नों का साफ तौर से उत्तर दे।

अन्त में यह पूछना चाहूंगा-जांच कमेटी बैठी है, लेकिन केन्द्र सरकार ने क्यों नहीं बैठाई। गुजरात के दो जजेज को क्यों लिया गया? मैं मांग करता हूं कि इस कमेटी को बरखास्त किया जाय और सुप्रीम कोर्ट का एक जज और बाहर के दूसरे दो जज इस जांच कमेटी में बैठें और उसका जो निर्णय आयेगा, वह हम लोगों के सामने आये और उसके ऊपर कार्यवाही की जाये।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि नागरिकों की जानों की रक्षा करने के लिये, दंगे—फसाद को रोकने के लिए गृह मंत्री जी नेशनल इन्टीग्रेशन का स्वांग और नाटक बन्द कर दें और राज्य सरकारों को निर्देश दें कि यह काम कैसे किया जाये। और जो राज्य सरकारें इस तरह से कार्य न करें, उनको संविधान के अनुसार रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार के दंगा फसाद को रोकने से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल और कोई दूसरा हो नहीं सकता है।

विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता*£

सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि पूर्वोत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिये एक विश्वविद्यालय का गठन किया जा रहा है। इसमें जो विलम्ब हुआ उसके कारण क्या हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इस विश्वविद्यालय की प्रस्थापना को छोड़कर इस विधेयक में एक भी अच्छी बात, अच्छा सिद्धांत मुझे नजर नहीं आता। वास्तव में जिस विधेयक के द्वारा पार्लियामेंट के सारे अधिकारों को छीना जा रहा है उसके बारे में हम यहां बहस ही क्या कर सकते हैं। विश्वविद्यालय के ढांचे के बारे में, प्रशासन के बारे में, सभापति जी, मैं मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूं कि छात्रों को विश्वविद्यालय के प्रशासन में हिस्सेदारी देने के बारे में जो मेरा विधेयक यहां आया, सर्वसम्मति से उसकी जनमत संग्रह के लिये परिचालित करने का निर्णय ऐसा सदन ने किया था और उसके चलते यू.जी.सी. ने एक कमेटी की योजना की थी वह इस विषय का अध्ययन करे, जिसके मंत्री महोदय एक सदस्य थे। मैंने बम्बई में डेढ़ घंटे तक इनकी कमेटी के सामने गवाही भी दी थी। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात पर है कि जैसा माननीय नूरूल हसन साहब को मैंने उस कमेटी में पाया और आज जो इनकी तस्वीर में देख रहा हूं मंत्री के नाते, उसमें मुझे जमीन और आसमान का फर्क नजर आ रहा है। उस कमेटी में विश्वविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने के बारे में, विश्वविद्यालय के प्रशासन में शिक्षकों और छात्रों को हिस्सेदारी देने के बारे में जो लोकतांत्रिक सुझाव मैंने वहां पर रखे थे, मेरे सुझावों के साथ इन्होंने हमदर्दी जाहिर की थी। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि ये जो विधेयक एक के बाद एक संसद के सामने ला रहे हैं, वे तो जो बहुत ही रद्दी किस्म की रिपोर्ट इनकी कमेटी ने पेश की है, उससे भी पीछे जा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैंने इसलिये सिद्धान्ततः विरोध किया। जब हम किसी विश्वविद्यालय विधेयक के ऊपर वोट देने जा रहे हैं तो क्या इस सदन को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिये कि कोर्ट का ढांचा क्या होगा? उसमें सरकारी प्रतिनिधि नामजद किये जायेंगे, या इसमें शिक्षकों के प्रतिनिधि रहेंगे, छात्रों के प्रतिनिधि रहेंगे, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के प्रतिनिधि रहेंगे, जो राज्य की विधान सभा होगी उसके प्रतिनिधि होंगे, जो स्थानीय संस्थायें होंगी, म्युनिसिपेलिटी, जिला परिषद, उनके प्रतिनिधि होंगे, इसका कोई चित्र हमारे सामने नहीं है। उसी तरह विश्वविद्यालय के जो बड़े-बड़े पदाधिकारी हैं उनका चयन कैसे होने वाला है, नियुक्तियां कैसे होने वाली हैं, इसके बारे में आज भी वह सदन को विश्वास में लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिये एक खंड वाला विधेयक इनको लाना चाहिये था कि पहाड़ी इलाके के लिये विश्वविद्यालय का निर्माण हम कर रहे हैं और बाकी सारा इंतजाम नूरूल हसन साहब बाद में तय करेंगे।

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 9 मई 1973.

£ पूर्वोत्तर के पहाड़ी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय के गठन से संबंधित विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

यह जो प्रेसीडेंट को, गवर्नर को, विजिटर और चांसलर बनाने की अंग्रेजी साम्राज्यशाही की परम्परा है, इसको यह लोग क्यों चला रहे हैं क्या इंग्लैण्ड और अमरीका में गवर्नर या प्रेसीडेंट लोग चांसलर और विजिटर बनते हैं? इनका संबंध क्या है? आजकल नित्यानन्द कानूनगो जैसे आदमी भी गवर्नर बनते हैं, और यह विश्वविद्यालयों का अपमान है कि वह विश्वविद्यालयों के चांसलर बनें। इसलिये शिक्षा मंत्री महोदय से मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा दकियानूसी प्रतिक्रियावादी, लोकतंत्र विरोधी, स्वतंत्रता का हनन करने वाला, पार्लियामेंट के अधिकारों का हनन करने वाला विधेयक, एक शिक्षाविद् होते हुए वह इस तरह का विधेयक इस सदन के सामने क्यों ला रहे हैं? मुझे तो लगता है कि इन लोगों की विचारधारा और मेरी विचाराधारा के बीच की खाई अब इतनी बढ़ती चली जा रही है कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इनके इस विधेयक के किसी भी प्रावधान का समर्थन कैसे करूं।

मैं इस समय अलीगढ़, बनारस और दिल्ली विश्वविद्यालयों के मामलों को नहीं छेड़ना चाहता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की चुनी हुई छात्र यूनियन को भी इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया है। अगर अलीगढ़ और बनारस विश्वविद्यालयों का ही ढांचा इस विश्वविद्यालय का भी होने वाला है, तो फिर मेरे मन में इस विश्वविद्यालय के भविष्य के बारे में गहरी चिन्ता उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अलीगढ़ विश्वविद्यालय के बारे में जो नया कानून पास किया गया है, उसके अंतर्गत उस विश्वविद्यालय की कोर्ट में सरकारी या अर्ध-सरकारी कितने लोग नामजद किये जायेंगे क्या इसका कोई हिसाब है?

आज अध्यक्ष महोदय ने अपना निर्णय देते हुए मंत्री महोदय को इस बिल से संबंधित डेलिगेटिड लेजिस्लेशन के बारे में रियायत दे दी है। चूंकि हम चाहते हैं कि उत्तर-पूर्वी पहाड़ी इलाकों के लिये यह विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये, इसलिए हम भी उनको यह छूट देते हैं। लेकिन क्या मंत्री महोदय इस सदन को यह आश्वासन देंगे कि इस विश्वविद्यालय के स्टैच्यूट और आर्डिनेंस आदि बनाते समय यह व्यवस्था की जायेगी कि कोर्ट, एक्जीक्यूटिव कौंसिल और एकेडेमिक कौंसिल के सभी सदस्य चुने हुए होंगे—वे शिक्षकों, छात्रों या विधान सभा के द्वारा चुने हुए होंगे, लेकिन सभी सदस्य चुने हुए होंगे, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता—खुदमुख्तारी—अक्षुण्ण रखी जायेगी और विजिटर, गवर्नर या इस तरह के लोगों को विश्वविद्यालय के मामलों में हस्तक्षेप करने का जरा भी मौका नहीं दिया जायेगा?

क्या इस बिल में छात्रों और शिक्षकों की हिस्सेदारी के बारे में एक भी प्रावधान रखा गया है? इस सदन ने छात्रों को भागीदारी देने के बारे में एक राय से अपना निर्णय दिया था। इसलिये क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि वह छात्र यूनियन को मान्यता देंगे, छात्र यूनियन के चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से करवायेंगे और छात्र यूनियन तथा छात्रों को विश्वविद्यालय की सभी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व देंगे? इस कमेटी की रपट में से, जिसके श्री नूरूल हसन साहब सदस्य थे, एक जुमला मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा। एक्जीक्यूटिव कौंसिल के बारे में यह कमेटी लिखती है:

> "On the other hand, we have given due weight to the view, nearly unanimous, expressed by the Members of Parliament, teachers and

students' representatives whom we met, that at present it would not be desirable to give students any representation on the Executive Council."

मैं जानना चाहता हूं कि यह कमेटी कितने लोक सभा सदस्यों से मिली और किस लोक सभा सदस्य ने उसको यह राय दी। छात्रों के किस संगठन ने इस तरह की राय दी? मेरा ख्याल है कि इस सदन की उस संबंधी कार्यवाही प्रकाशित हो चुकी है और उससे पता चलेगा कि सभी सदस्यों ने कहा था कि विश्वविद्यालय की सभी संस्थाओं में छात्रों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। फिर भी यह कमेटी लिखती है कि सब लोगों की तकरीबन एक राय है कि एक्जीक्यूटिव कौंसिल में छात्रों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने बहुत ही सख्त शब्दों में कहा था कि विश्वविद्यालय के औपनिवेशिक ढांचे को, जिसका उल्लेख श्री मावलंकर ने किया है और इस दकियानूसी नज़रिये को सरकार बदले।

मंत्री महोदय इस विधेयक में तो अब यह व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। अगर वह एक प्रगतिशील लोकतांत्रिक, स्वायत्तता पर आधारित और शिक्षकों तथा छात्रों पर यकीन और विश्वास रखने वाला स्टैच्यूट लायेंगे, तो हमारे जैसे लोग जरूर उनका साथ देंगे और उनका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वह केन्द्रीयकरण, अधिनायकवाद और सरकारीकरण की प्रवृत्ति पर आधारित—केन्द्रीय सरकार चाहती है कि सब चीजों पर वह छा जाये, मंत्रालय छा जायें, किसी को किसी तरह की स्वतंत्रता न रहे—और लोकतंत्र-विरोधी स्टैच्यूट बनायेंगे, तो मैं पहले से कह देना चाहता हूं कि मैं डटकर उसका विरोध करूंगा।

सामाजिक और आर्थिक अपराधों पर अंकुश की आवश्यकता*£

...उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त आपने मुझे स्पष्टीकरण का मौका दिया है, इसलिये मैं भाषण नहीं करूंगा, केवल स्पष्टीकरण करूंगा। आप मुझे इस सदन में तकरीबन 1964 के अंत से देख रहे हैं और यहां मैंने जो-जो आरोप लगाये हैं, बिन तथ्यों का आधार लिये नहीं लगाये। इसका नतीजा यह हुआ कि जो मेरे साथ टकराने का प्रयास करता था, उसको पीछे हटना पड़ा। आपके दूसरे गवर्नर-कानूनगो साहब का मामला—जो अदालत में गया और अदालत ने कहा—इतना झूठ बोलता है कि उसने अपनी गवाही में एक भी वाक्य ऐसा नहीं कहा—अपने नाम के अलावा—जिसमें कम से कम एक असत्य बात न हो। इसलिये मैं बिना सबूत के नहीं बोलता हूं। मेरे मित्रों और खास कर मेरे जो भूतपूर्व सहयोगी हैं—हल्ला करने वालों में मेरे सब मित्र हैं, उन्नीकृष्णन, वसंत साठे—ये सब भूतपूर्व समाजवादी हैं...

*** *** ***

बहुत संक्षेप में अपना स्पष्टीकरण खत्म कर दूंगा। छोटी सादरी में 153 किलो सोना डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज का उल्लंघन करके एक आदमी के पास पाया गया। उसी गैर-कानूनी सोने के एक अंश से प्रधान मंत्री जी की स्वर्णतुला करने का निर्णय हुआ। पहले सुझाव यह था कि श्री कामराज का करो लेकिन उन्होंने सोचा कि तब कोई सोना बचेगा नहीं। उसके बाद सुझाव आया कि चव्हाण साहब का करो क्योंकि वह सुरक्षा मंत्री थे। उसमें यह सोचा गया कि सोना बचने वाला नहीं है। फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री के सैक्रेटेरियट को टेलीफोन किया गया और जब पता चला कि 56 किलो उनका वजन है तो प्रधान मंत्री की स्वर्णतुला करने का निर्णय हुआ। सवाल वह मैंने इसलिए उठाया क्योंकि गोल्ड कंट्रोल कानून और डिफेंस आफ इंडिया रूल्ज के तहत हर एक व्यक्ति को उसके पास जो सोना है उसका ऐलान करना पड़ता है। दूसरे यह चोरी का सोना था। इस तरह से दोनों कानूनों का उल्लंघन हुआ था। इसलिए मैंने यहां पर इस बहस को उठाया और कई बार यह सवाल उठाने के बाद एक राष्ट्रपति जी को हम लोगों ने मैमोरेंडम भी दिया और मैमोरेंडम सदन की टेबल पर रखा गया। इट इज ए प्रिविलेज्ड डाकुमेंट। लाइब्रेरी में वह रखा हुआ है। ये सब अनजाने में बोल गए हैं। ले जाकर देख सकते हैं उसको। इसके बाद गृह मंत्री श्री चव्हाण ने कहा था कि इसमें सी.बी.आई. की इनक्वायरी करना जरूरी है। सी.बी.आई. की इनक्वायरी शुरू हुई। उसके बाद तीन-चार बार इसके बारे में पूछा गया कि क्या यह जांच पूरी हो गई है? अंतिम जवाब प्रधान मंत्री का आया क्योंकि तब प्रधान मंत्री के हाथ

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 2 अगस्त 1973.

£ श्री के.आर. गणेश, वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा पुर:स्थापित 'सीमा शुल्क, स्वर्ण (नियंत्रण) और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन)' विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए।

में सी.बी.आई. आ गई थी। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या श्री सुखाड़िया के बारे में सी.बी.आई. की जांच चल रही है। छोटी सादरी सोना कांड के बारे में वह पूरी हो गई है? प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया है कि अभी तक पूरी नहीं हुई है। यह जुलाई 1970 की बात है। दुर्भाग्य यह है कि मेरे इन मित्रों ने इस मामले को आगे बढ़ाने के बजाय पिछले तीन वर्षों में इसके बारे में कुछ भी नहीं किया है।

अब मैं आ रहा हूं इतनी जरूरत क्यों मुझे पड़ी और इसमें किसी के चरित्र हनन का सवाल नहीं है। इसलिए अब किसी के ऊपर आरोप है और साबित होने के बाद उनके नाम प्रकाशित करने की बात आपने जो बिल पेश है उसमें कही है तो क्या मैं इस पर बोल नहीं सकता हूं श्री सुखाड़िया के खिलाफ जांच हो रही है तो क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि जब सरकार इस विधेयक को पेश करने में दंभ और ढोंगबाजी का परिचय दे रही है तो उसकी चर्चा करूं जिनके खिलाफ जांच अर्से से चल रही है उसको अभी तक पूरा नहीं किया गया है। फिर आप सदन को कहते हैं कि हम कड़ी सजा देने वाले हैं इसमें चरित्रहनन का प्रयास नहीं है। जो चरित्रवान लोग हैं उनकी मैं हमेशा प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं लेकिन जो चरित्रहीन लोग हैं, जो अपराध करते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं और जिसको लॉ कमीशन ने सोशल एन्ड इकोनामिक क्राइम्स कहा है, सामाजिक और आर्थिक अपराध, इस तरह के काम करने वालों के पीछे मैं पड़ता हूं। चरित्रवान लोगों के प्रति मेरे मन में जितनी आदर की भावना है शायद मेरे मित्रों के मन में उतने आदर की भावना हो नहीं सकती है।

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, जो बहस का विषय है वह बहुत सीमित है, और इस पर इतनी लम्बी बहस चलाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहस का विषय है कि क्या इस सदन में मुख्य मंत्री के खिलाफ आरोप लगाये जा सकते हैं या जो आरोप पहले लगाये गये हैं उनका उल्लेख यहां पर किया जा सकता है या नहीं?

दूसरा सवाल आया कि जो मुख्य मंत्री अब गवर्नर बन गया है, उसके खिलाफ इस तरह के अभियोग लगाये जा सकते हैं या नहीं, या उनका उल्लेख किया जा सकता है कि नहीं?

और तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे नियमों में पर्सन इन हाई अथॉरिटी, यह जो शब्द प्रयोग किये हैं क्या उनके तहत मुख्य मंत्री और गवर्नर आते हैं? ये सवाल हैं।

आप जानते हैं कि इस सदन की कार्यवाही संविधान, नियम और अध्यक्षों के निर्णयों से नियंत्रित होती है। इसलिये प्रिसिडेंट्स एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उपाध्यक्ष महोदय, शकधर साहब की जो किताब है उसमें पिछले कई वर्षों के निर्णय दिये गये हैं। पहले आप 888 पेज पर आइये, इसके ऊपर ही देखिये:

> "Where representations or allegations against a Chief Minister of a State are made to the President or the Prime Minister, a question may be asked as to the action taken on them".

किस आधार पर यह दिया है? बख्शी गुलाम मोहम्मद के खिलाफ मेमोरेन्डम आया उसके ऊपर सवाल-जवाब हुए, वह चर्चा का विषय हुआ। प्रताप सिंह कैरों के खिलाफ अभियोग था, वह चर्चा का विषय था। बीजू पटनायक के खिलाफ आरोप था, बीरेन मित्रा, सदाशिव त्रिपाठी के खिलाफ आरोप था वह चर्चा का विषय था। कृष्ण वल्लभ सहाय के खिलाफ मेमोरेन्डम था वह चर्चा का विषय था और वर्तमान में जो छोटे सादरी सोना कांड है इसके ऊपर भी हम लोगों का मेमोरेन्डम राष्ट्रपति के नाम से था जो उस समय के अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी की अनुमति से सदन के टेबल पर रखा गया। बात एकदम बिल्कुल साफ हो गयी कि राष्ट्रपति को या प्रधान मंत्री को अगर कोई मेमोरेन्डम दिया गया है जिसमें इल्जाम लगाये गये हैं तो उनके ऊपर यहां बहस भी हो सकती है, प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सब्सटेंटिव मोशन का कोई सवाल नहीं आता। एक प्रिसिडेंट मैंने दिया शकधर साहब की किताब से। छोटी सादरी सोना-कांड के बारे में आरोप, किसी गवर्नर के खिलाफ नहीं, राजस्थान के मुख्य मंत्री के खिलाफ लगाया गया है। लेकिन आगे चलकर मैं कहूंगा कि गवर्नर के खिलाफ भी अभियोग लगाये जा सकते हैं, उनके ऊपर सवाल किये जा सकते हैं, उनके ऊपर चर्चा हो सकती है, प्रस्ताव आ सकते हैं, काल अटेंशन आ सकता है, शार्ट नोटिस क्वेश्चन आ सकता है। सभी तरह की बहसें हो सकती हैं।...

*** *** ***

दूसरा प्रिसिडेंट गवर्नर के बारे में उसी पेज के अन्त में 111 पर देखिये:

> "When a Governor performs the duties of a Head of State, his actions do not become the subject-matter of questions or debate in Parliament. But where he takes a decision independently of his Council of Ministers or where he acts as the Chief Executive of the State under President's rule, his actions are subject to scrutiny by Parliament".

गवर्नर की आलोचना कैसे हो सकती है, यह मैं बता रहा हूं अगर काउंसिल आफ मिनिस्टर्ज की राय से कोई काम किया गया है तो आलोचना होगी मिनिस्ट्री की, गवर्नर की नहीं लेकिन अगर गवर्नर ने स्वेच्छा से अपनी जिम्मेदारी पर कोई काम किया है तो उसको संरक्षण नहीं, प्रोटेक्शन नहीं है और उसकी चर्चा हो सकती है। इसीलिये इसी सदन में चौथी लोक सभा में गुजरात के गवर्नर के नाते कानूनगो साहब ने जो एक स्मगलर को सिफारिश पत्र दिया था उसका सवाल मैंने उठाया था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने उनसे खुलासा मांगा था और मेरे कहने पर उसने आग्रह किया था कि आपका यह बनावटी दस्तावेज है इसकी अदालत में जाकर पुष्टि करवाइये वरना हमको मानना पड़ेगा कि यह दस्तावेज सही है और गवर्नर की पांच साल की मियाद होते हुए, पांच साल का टर्म होते हुए भी यह अवधि खत्म होने से पहले ही कानूनगो साहब को हटा दिया था और उनके स्थान पर जो वर्तमान पेट्रोलियम मंत्री थे, उनको लाया गया था। मैंने जो अभियोग उनके खिलाफ किया था वह बम्बई की अदालत में साबित हुआ और उसके ऊपर मैंने इसी सदन में कहा था कि अगर ओलम्पिक गेम्ज में झूठ बोलने का सामना रखा जाए और उसमें कानूनगो को भारत का प्रतिनिधि बनाया जाए तो उनको गोल्ड मेडल जरूर ही मिलेगा और किसी खेल में नहीं मिलेगा तो झूठ बोलने के खेल में जरूर मिल जायेगा। इसलिए गवर्नर के आचरण

के बारे में यदि वह काम काउंसिल आफ मिनिस्टर्ज की राय से नहीं करता है तो उसके ऊपर चर्चा हुई है, प्रिसिडेंट है।

एक और सवाल आ जाता है कि क्या मामला न्यायालय के विचाराधीन है जो बहस के दौरान में उठाया गया है। इसके बारे में स्पीकर साहब का रूलिंग है। मैं आपका ध्यान पेज नम्बर 898 के ऊपर ले जाता हूं। आपने ठीक ही सवाल पूछा कि क्या सुखाड़िया जी के खिलाफ इस वक्त कोई क्रिमिनल केस है। जो मैं रूलिंग साइट कर रहा हूं उससे आपका प्रश्न बिलकुल मिलता-जुलता है। यह कोट किया गया है। मैं इसको पूरा पढ़ देता हूं ताकि कोई यह न कह सके कि जो अनुकूल था वह तो पढ़ दिया है और जो अनुकूल नहीं था उसको नहीं पढ़ा है।

> "The rule whether a motion which relates to matter which is under adjudication by a court of law should be admitted or discussed in the House has to be interpreted strictly. While on the one hand, the Chair has to ensure that no discussion in the House should prejudice the course of justice, the Chair has also to see that the House is not debarred from discussing an urgent matter of public importance on the ground that a similar, allied or linked matter is before a court of law...."

....that a similar, allied or linked matter is before a court of law—

अब आता है रूलिंग।

> "The test of *sub judice*, in my opinion, should be that the matter sought to be raised in the House is substantially identical to the one on which a court of law has to adjudicate".

अभी सुखाड़िया जी के खिलाफ इस वक्त कोई क्रिमिनल केस नहीं है इसलिए सी.बी.आई. की इनक्वायरी उनके बारे में चल रही है। उसके बारे में सवाल पूछा गया है और हमको इसका जिक्र करने का अधिकार है। मैं रामायण यहीं खत्म करना चाहता हूं और कुछ बोलने वाला नहीं। अपने भाषण का केवल एक वाक्य मैं कहने वाला हूं। यह नया गोल्ड कंट्रोल बिल आपने लाया है लोगों को सजा देने के लिए तो सोने के अभियोग में जिनके खिलाफ सी.बी.आई. की इनक्वायरी चल रही है 1966 से और आज 1973 है, सात साल से यह तलवार लटकी हुई है। अगर वे निर्दोष हैं तो आप ऐसा घोषित करें। लेकिन यह लटकती हुई तलवार रख कर क्या किया जा रहा है, न वे निर्दोष हैं और न दोषी हैं, ऐसी दुविधा की स्थिति में रखा गया है। आप ऐसा न समझे कि इन दाव-पेचों को मैं नहीं समझता पर इतनी लम्बी बहस करने की जरूरत नहीं थी लेकिन वह सदस्यों का फंडामेंटल राइट आफ इग्नोरेंस मैं मान लेता हूं, इसलिये मैं इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहता।

*** *** ***

*** *** ***

उपाध्यक्ष महोदय, यह छोटी सादरी की रामायण अब मैं खत्म करता हूं। यह जो विधेयक हमारे सामने आया है, यह जो तस्करी, स्मगलिंग चल रही है, उसको रोकने के लिए है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय ने इस बात को जानने की कोशिश की है कि यह जो स्मगलिंग होती है, इसके पीछे कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं और यह स्मगलिंग का जो व्यापार चलता है उसको चलाने में किन चीजों की मदद मिलती है—स्मगलर्स को।

मैंने कई साल पहले एक सवाल पूछा था कि भारत के जो नागरिक विदेशों में नौकरी करते हैं या धन्धा करते हैं, उनके द्वारा उनकी कमाई का जो हिस्सा विदेशी मुद्रा में भारत के रिश्तेदारों को भेजा जाता है, वह तो रिजर्व बैंक की मार्फत आना चाहिये—तो यह जो रेमिटेंसेज भारत में आते हैं, उनके आंकड़े क्या हैं—यह सवाल मैंने 6-7 साल पहले पूछा था। उस समय के वित्त मंत्री श्री कृष्णमाचारी साहब ने जवाब दिया था कि रेमिटेंसेज के आंकड़े इकट्ठे किये जा रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि दिन-प्रतिदिन भारतीय लोगों की आमदनी और सम्पत्ति विदेशों में बढ़ती चली जा रही है और 1966 के बाद विगत 7 सालों में यह आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो क्या वजह है कि रेमिटेंसेज के जो आंकड़े हैं वे तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं?

जब मैं दो साल पहले इंग्लैंड गया था तो मुझे यह जानकारी मिली—विश्वसनीय सूत्रों से—कि इंग्लैंड में भारतीय लोगों की विदेशी मुद्रा चाहे पाऊंड में हो, डालर में हो या जर्मन फ्रैंक्स में हो, इकट्ठी करके ये जो स्मगलिंग करने वाले लोग हैं, वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उनके जो एजेन्ट भारत में हैं उनकी मार्फत उनके रिश्तेदारों, मित्रों को भारतीय रुपयों में वे उसका भुगतान करते हैं। यह जो विदेशी मुद्रा भारतीय लोगों से विदेशों में मिल जाती है, इससे स्मगलिंग का सारा व्यापार चलता है—एक कारण तो यह है।

दूसरा कारण—कुछ साल पहले, उपाध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों में चांदी का दाम बहुत ज्यादा था और भारत में चांदी का दाम कम था और सरकार की गलत नीतियों के चलते करोड़ों रुपये की चांदी इस देश से चली गई। उसमें भी जो कमाई हुई उसका इस्तेमाल भी स्मगलिंग के लिये किया गया।

तीसरा स्रोत—यहां से अफीम, गांजा अन्य बहुत सारी चीज विदेशों में जाती हैं। उनसे अमरीका में ड्रग्ज बनते हैं, पश्चिमी यूरोप में ड्रग्ज बनते हैं, जापान में ड्रग्ज बनते हैं और इस तरह से करोड़ों रुपया गांजा और अफीम में कमाया जाता है। कुछ साल पहले नीमच में अफीम के सरकारी कारखाने में जो बड़ी चोरी हुई थी, उसका सवाल भी मैंने यहां पर छेड़ा था, मुझे पता नहीं उसके विषय में आज तक कोई कार्यवाही की गई या नहीं।

गांजा और अफीम की आमदनी, चांदी, विदेशों में बेचकर कमाया हुआ धन और भारतीय लोगों द्वारा भेजी गई विदेशी मुद्रा—इन तीनों की मदद से बड़े पैमाने पर भारत में यह तस्करी का काम किया जाता है। "लन्दन टाइम्स" जो विश्व का एक विख्यात अखबार है, उसमें दो साल पहले साउथ अरेबियन के जो राज्य हैं, उनके बारे में एक सप्लीमेंट निकाला था, उसको पढ़कर मैं दंग रह गया। उसमें कहा गया था—जब कांग्रेस पार्टी में 1969 में विभाजन हुआ तो स्मगलिंग कुछ कम हो गया, लेकिन जैसे ही सत्ता कांग्रेस फिर हावी हो गई—वह टाइम्स का सप्लीमेंट

लिखने वाला कहता है—बड़े लोग एक-दूसरे के खिलाफ जानकारी देने लगे, तभी से इन बड़े लोगों की मदद से साउथ अरेबियन फेडरेशन के जो छोटे-छोटे राज्य हैं, जैसे दुबई या दूसरे राज्य हैं, इनके जरिये फिर जोरों से तस्करी का काम शुरू हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने कुछ आंकड़े प्राप्त किये हैं—अमरीका के डालर के अवमूल्यन के बाद-जो तीन बार हुआ—अमरीका ने विदेशों को सोना देना बन्द कर दिया, नतीजा यह हुआ कि अमरीकन डालर का जैसे-जैसे अवमूल्यन होने लगा विदेशों में सोने की कीमत तेजी से बढ़ने लगी और मैंने जो नये आंकड़े प्राप्त किये हैं, उनसे पता चलेगा, लंदन में मई 1973 में सोने की कीमत 10 ग्राम के लिये लगभग 320 रुपये हो गई—भारत में भी इसी के आसपास थी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अच्छा मुद्दा रख रहा हूं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होने वाला है, देश की विदेशी मुद्रा की आमदनी बढ़ने वाली है—भारत में सोने का भाव 360 रुपये है—यह 1 अगस्त को था। इसी अनुपात से विदेशों में भी कुछ दाम बढ़ा होगा। क्या नतीजा हुआ—पहले चांदी, भारतीय लोगों की विदेशी मुद्रा, अफीम और गांजे से प्राप्त हुई आमदनी—इनके जरिये स्मगल किया जाता था—वहां से सोना, नाइलोन, ट्रांजिस्टर और तरह-तरह के लग्जरी गुड्स का सामान। लेकिन अब कम हो गया। अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय सोने का दाम और भारत में जो सोने का दाम है वह तकरीबन बराबर हो गया इसलिए अब सोना तस्करी का विषय बड़ा विषय नहीं है क्योंकि उसमें मुनाफा नहीं है और चांदी भी चूंकि अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय दामों में तकरीबन बराबरी आ गई इसलिये चांदी भी तस्करी का विषय नहीं है। लेकिन आज अफीम, गांजा और विदेशी मुद्रा भारतीय लोगों की आमदनी के साधन बन गये हैं और इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। नाइलोन यार्न, क्योंकि हमारे यहां कैप्रोलैक्टम जो गुजरात में पैदा होने वाला था पब्लिक सेक्टर का प्रकल्प है लेकिन सरकार की अयोग्यता के कारण वह प्रकल्प अब पैदा करने की शक्ति में अभी नहीं है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि नाइलोन यार्न बड़े पैमाने पर आयात किया जा रहा है और बहुत सारी चीजें भी आयात की जा रही हैं।

विटामिन, जिसकी क्वान्टिटी कम है लेकिन बी-काम्पलैक्स विटामिन आदि के ऊपर इतना मुनाफा है कि 20, 25 गुणा मुनाफा है और भारतीय जनता को लूटा जा रहा है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि मैंने ये जो कड़ी बताई जो चक्कर बताया इसको तोड़ने के लिये आप क्या उपाय कर रहे हैं? क्या इस पर बहस करने का मौका देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय, विदेशी मुद्रा की चोरी और तस्करी का साधन ये विदेशी कम्पनियां हैं। मैं सब बता दूंगा, माननीय चव्हाण को लिखकर दिया था इसके चलते जो रेड्स हुए हैं उसमें सरकार को बहुत सारा पैसा मिला होगा। मैं लोगों के नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि जो स्मगलर लोग हैं उनको पता न चले। लेकिन मैं यह कहने के लिये मजबूर हो गया कि जो कड़ाई सरकार को स्मगलर्स के साथ बरतनी चाहिये थी वह नहीं बरती गई। अभी आज के पैट्रियट अखबार में है:

"Notorious Bombay Smuggler Escapes. Bombay, August 1 (UNI): Abdul Sattar Abubaku, the main accused in a number of smuggling cases involving gold valued at Rs. 4 crores escaped from police custody on Monday last, official sources said today."

तो इसका क्या मतलब है? चार करोड़ की तस्करी करने वाला स्मगलर भाग कैसे जाता है? इसका साफ मतलब है कि बड़े-बड़े पुलिस अधिकारी और बड़े-बड़े महाराष्ट्र सरकार के लोग इन लोगों के पीछे हैं। मस्तान का मामला हम लोगों ने यहां पर उठाया था जिसका सिफारिशी पत्र गवर्नर कानूनगो ने दिया था। मस्तान आज कई सिनेमा हाउसेज का मालिक बन गया। नारंग, यह सब बम्बई के नोटोरियस स्मगलर्स हैं। नारंग है, मस्तान है, नैनमल है। नैनमल का क्या हुआ। नैनमल का केस एक अर्से से चल रहा था। मस्तान तो सब कुछ करता है, जब जेल में था तो कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मस्तान को नहीं मिलती थी। मस्तान कभी जेल में रहा ही नहीं, वह हमेशा सैंट जार्ज्स अस्पताल में रहता था और एक दिन का उसका खर्चा 1,200 रु. था। एक कमिश्नर आफ पुलिस ने मुझको बताया कि हम क्या करें, महाराष्ट्र सरकार के बड़े-बड़े लोग हमें कुछ नहीं करने देते।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ही महीने पहले महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की गाड़ी पकड़ने का प्रयास किया गया, मैं नाम नहीं लेता हूं, नहीं तो यह लोग फिर हल्ला शुरू करेंगे और मुझको बोलने नहीं देंगे, महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की गाड़ी कस्टम्स और एक्साइज वालों ने पकड़ने का प्रयास किया लेकिन उस मंत्री ने कहा "आई एम ए पर्सन इन हाई अथारिटी"। मेरी गाड़ी आप नहीं पकड़ सकते हैं, मेरी तलाशी आप नहीं ले सकते हैं, महाराष्ट्र का जो राज्य गृह मंत्री है, उसको पूछा जाये। आप लोग जाकर बातचीत कीजिये बम्बई में। तो क्या महाराष्ट्र सरकार के बड़े लोग इन लोगों को संरक्षण देने का, प्रोटेक्शन देने का प्रयास नहीं कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, यहां हमारी आंखों में कुछ धूल झोंकने के लिए इस तरह का विधेयक यह ले आते हैं और सब लोग खुश हो जाते हैं। ला कमीशन ने माना कि सोशल और इकोनामिक ऑफेंस करने वालों को सजा देनी चाहिये इसलिए यह बिल है। लेकिन न नैनमल के खिलाफ कार्यवाही होती है, न नारंग और मस्तान के खिलाफ कार्यवाही होती है, और अब्दुल सत्तार चार करोड़ की तस्करी करने वाला आदमी पुलिस कस्टडी से भाग जाता है। उसको पुलिस नहीं पकड़ पाती, लेकिन माननीय धोते और वर्मा जी के पीछे पुलिस पड़ी है। मुझको तो तकरीबन हर साल जेल में बन्द कर दिया जाता है और अदालत मुझको छोड़ देती है। तो हमलोगों के पीछे पड़ने की बजाय यह नारंग, मस्तान, नैनमल या अब्दुल सत्तार और उनकी तरह के जो पचासों लोग हैं....

*** *** ***

*** *** ***

अब तो वह ग्रुप बन गया है। यह मुझको मजबूर कर रहे हैं, आपकी जो पहली बम्बई कांग्रेस हुई उसमें लाखों रुपया आपने मस्तान से लिया। आप मजबूर न कीजिए, एक-एक का मैं चिट्ठा खोलने के लिये तैयार हूं। लेकिन इस समय मैं सिद्धांतों की चर्चा कर रहा हूं। उसका समय आज है। इसलिए मंत्री महोदय से मांग करना चाहता हूं कि स्मगलिंग से संबंधित जितने यह बड़े-बड़े 420 लोग हैं इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिये और जल्दी करनी चाहिये। ऐसा नहीं कि सात साल तक सी.बी.आई. की इन्क्वायरी चली, अदालत में सात साल से मामला पड़ा हुआ है।...

तो करिये इन्फार्म, मैं बीच में नहीं आ रहा हूं। मैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रेमी हूं। लेकिन साथ-साथ जो समाज विरोधी लोग हैं, जनता को लूटने वाले हैं, मैं चाहता हूं कि उनका भी बन्दोबस्त हो।

एक और बात मैं अन्त में कहना चाहता हूं। आखिरी मुद्दा है कि हमारे देश में जो विदेशी कम्पनियां हैं और बैंक्स, ये विदेशी मुद्रा की चोरी के एक बहुत बड़े जरिये हैं। आप कल्पना कीजिए कि कोलगेट पामोलिव क्या बनाते हैं? टूथपेस्ट, साबुन। कोई ऐसी चीजें हैं फर्टिलाइजर और तेल की तरह कि जिसके बिना देश नहीं चल सकता और जो स्वदेशी लोग और छोटे कारखानेदार नहीं बना सकते? टूथपेस्ट आपने स्माल स्केल इंडस्ट्री के लिये आरक्षित किया लेकिन कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं है। कोलगेट पामोलिव कम्पनी ने एक लाख की पूंजी पर विगत साल में 58 लाख रु. का नेट प्राफिट कमाया जिसको विदेशों में भेजा। ब्रिटानिया बिस्कुट, कैडबरी चॉकलेट, मैं पचासों उदाहरण दे सकता हूं, मेरी मांग है कि सभी बड़े विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये और यह जो छोटी कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री-में विदेशी पूंजी है उसको डिसइन्वेस्ट किया जाये और हिन्दुस्तानियों को और छोटे लोगों को चलाने के लिये यह सारा दे दें और तब स्मगलिंग के ऊपर आप लोग कुछ काबू पायेंगे। इतना ही मुझे अर्ज करना है।...

बिहार की सामाजिक स्थिति*£

उपाध्यक्ष महोदय, कल बिहार की स्थिति पर गृह मंत्री जी का वक्तव्य सदन में हुआ। हम लोग उम्मीद करते थे कि 18 तारीख को बिहार में जो कुछ भी हुआ उसकी जो आर्थिक पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि को वे सदन के सामने रखेंगे लेकिन यह अफसोस की बात है कि गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य यहां पर दिया वह अधूरा, गुमराह करने वाला और पक्षपातपूर्ण था। इस जन-असंतोष के कारण क्या हैं इसका विस्फोट देश में क्यों हुआ उसका कोई विश्लेषण इनके वक्तव्य में नहीं था। बिहार में इस तरह का विस्फोट होना एक मायने में अनिवार्य था क्योंकि एक अर्से से बिहार का कंगालीकरण हो रहा है, विकास का काम ठप्प है, कृषि उत्पादन में कटौती हुई है और बेकारी बढ़ रही है। ऐसी हालत में सरकार के द्वारा जो समुचित कार्यवाही होनी चाहिये वह एक अर्से से नहीं हो पाई। इसीलिए इस असंतोष का विस्फोट बिहार में हुआ है। केवल विरोधी दलों पर कीचड़ उछालने, दोषारोपण करने से इस स्थिति से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि सरकार की गलत और निकम्मी नीतियों के कारण आज बिहार में यह स्थिति उत्पन्न हुई है।

यह 14 तारीख का "इंडियन नेशन" है जो कांग्रेसी विरोधी अखबार नहीं है, श्री ललित नारायण जी का समर्थक है, उसने 14 तारीख को अपने एडिटोरियल में क्या कहा है, उसके दो-तीन जुमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यह अकेला अखबार बचा है क्योंकि सर्चलाइट को जला दिया गया आप लोगों के द्वारा।

*** *** ***

The Indian Nation says:

> "Congress legislators, be they ministerialists or dissidents, have repeatedly told Chief Minister Ghafoor what is happening in Gujarat may happen in Bihar also if the Government does not take effective steps to check price rise, hoarding, profiteering, adulteration etc. Opposition parties and detached people have also been giving this warning to the Government. But that was dismissed as politically motivated. Is the warning given by the Congress legislators also politically motivated?"

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 21 मार्च 1974.

£ बिहार की स्थिति पर चर्चा में भाग लेते हुए।

यह 14 तारीख को कहा। तो कांग्रेसी विधायक स्वयं बिहार में गफूर मंत्रिमण्डल को चेतावनी दे रहे थे कि यदि दाम वृद्धि के ऊपर रोक नहीं लगायी गई, ईजारेदारी के ऊपर रोक नहीं लगाई गई और इसी तरह अभाव की स्थिति बनी रही तो गुजरात की पुनरावृत्ति बिहार में भी हो जायेगी। यह कांग्रेसी कहते थे। तो आज विरोधी दलों का नाम लेकर यह लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। यह 14 तारीख को इनके द्वारा चेतावनी दी गई।

मान्यवर, बिहार की पृष्ठभूमि को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1961 की जनगणना के बाद बिहार में इतनी तेजी से कंगालीकरण की प्रक्रिया चल रही है कि इसकी ओर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो इससे भी बड़ा विस्फोट बिहार में हो जायेगा, यह मैं कहना चाहता हूं। दो सेंसस के बीच में, 1961 और 1971 के बीच में, जहां समूचे भारत में काम करने वालों की आबादी में काश्तकारों का अनुपात 52 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत रह गया खेतिहर मजदूरों का अनुपात 16 फीसदी से बढ़कर 25 फीसदी हो गया। यह अखिल भारतीय आंकड़े हैं। लेकिन बिहार की स्थिति विशेष चिन्ताजनक है। यहां 1961 में काश्तकारों का अनुपात 58.8 प्रतिशत था, 10 साल के अन्दर वह घटकर 42.3 प्रतिशत रह गया और बहुत बड़ी मात्रा में गरीब किसान खेतिहर मजदूरों की सेना में भर्ती हो रहे हैं। जहां खेतिहर मजदूरों का अनुपात 1961 के अनुसार 22.9 प्रतिशत था, 10 साल के बाद 38.2 प्रतिशत हो गया। 38 प्रतिशत बिहार में खेतीहीन और भूमिहीन लोग हैं। इनके लिये यदि गल्ले का इंतजाम नहीं किया जायेगा तो उनकी क्या स्थिति होगी?

बिहार कमी का इलाका है और वहां विगत साल से कुछ इलाकों में अभाव की स्थिति थी और चावल का दाम साढ़े तीन से चार रु. किलो कई इलाकों में है। मक्का का दाम ढाई रु. से तीन रु. किलो हो गया। ऐसी स्थिति में यह गरीब लोग क्या करेंगे? तो एक पृष्ठभूमि यह असंतोष की थी। उसके बारे में एक शब्द भी गृह मंत्री जी ने नहीं कहा कि इसको दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही थी और क्या करने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अनाज और गल्ले के बारे में आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। मैं जिन सूबों के आंकड़े देने वाला हूं उनसे बिहार की आबादी बहुत ज्यादा है, गरीब लोगों की संख्या भी बिहार में सबसे अधिक है। गल्ले की सबसे कम मांग बिहार ने की थी लेकिन बिहार को गल्ला सबसे कम दिया गया। केरल ने 13 लाख 48 हजार टन गल्ला मांगा। 75 प्रतिशत केरल की मांग को पूरा किया गया। पश्चिम बंगाल ने 25 लाख 70 हजार टन गल्ला मांगा और 73 प्रतिशत उनकी मांग को पूरा किया गया। महाराष्ट्र ने 36 लाख 83 हजार टन गल्ला मांगा, 68 प्रतिशत मांग को पूरा किया गया, और जिस गुजरात में उत्पात हुआ उसने 18 लाख टन अनाज मांगा, 45 प्रतिशत मांग को सिर्फ पूरा किया गया। लेकिन बिहार ने केवल 17 लाख 40 हजार टन गल्ला मांगा और आपने इतनी कम मांग करने के बाद भी सिर्फ 27 प्रतिशत मांग को पूरा किया है। इतनी कम मांग करने के बाद भी अगर इस गरीब सूबे की केवल 27 प्रतिशत मांग पूरी की जायेगी तो क्या आप सोचते हैं, कब तक लोग इस बात को बर्दाश्त करेंगे?

जहां तक कृषि उत्पादन का सवाल है सरकार की गलत नीतियों के चलते जब पंजाब, हरियाणा में हरित क्रांति हो रही थी, सरकार की गलत नीतियों के कारण बिहार में कृषि उत्पादन

हर साल 2 प्रतिशत घट रहा था और जहां तक सीलिंग का सवाल है क्या इस बात से इन्कार कर सकते हैं कि सीलिंग के कानून पर बिहार में बिल्कुल अमल नहीं हुआ है। आज भी कई ऐसे बड़े-बड़े जमींदार हैं कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, मंत्रिमंडल के हैं, जिनके पास 25, 25, 30, 30 हजार एकड़ भूमि है और जो लेवी में बिल्कुल गल्ला नहीं देते हैं। यह भी हुआ है बिहार में कि इन बड़े जमींदारों ने जो कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं, राशन का गल्ला खरीदा रिश्वत देकर और वही लेवी में दिया और अपना जो गेहूं है उसको कलकत्ते की मंडियों में या दूसरी मंडियों में 350 रु. क्विन्टल की दर से बेचा है।

इधर दो साल से मान्यवर, बिहार में लोग रबी की फसल करने लगे। लेकिन 76 रु. गेहूं का दाम देकर और फर्टिलाइजर नियंत्रित दाम से दुगने दाम पर बेच कर आपने छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों को बरबाद किया। दो साल से रबी की फसल की ओर अभिमुख हो रहे थे, लेकिन सिंचाई का कोई इंतजाम नहीं है। एक विशेषज्ञ की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यह सिंचाई वाला विशेषज्ञ कहता है:

> "The cost of the completed major and medium irrigation schemes in Bihar was the lowest, only Rs. 516 per hectare as compared to Rs. 793 in Uttar Pradesh, Rs. 806 in West Bengal and as high as Rs. 3,432 in Mysore."

तो सिंचाई का खर्चा बिहार में सबसे कम होने के बाद योजना मंत्री श्री धर सिंचाई योजना की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।

छात्रों की मांगों की बात की गई। उनकी मांगें बहुत सारी छात्रवृत्ति की मांग है। महंगाई बढ़ गई है, यह केवल ऐलान कर रहे हैं। इससे कोई नतीजा नहीं होगा। सिर्फ कागज की बात कहता हूं कि क्या कागज का दाम एक साल में दुगुना नहीं हुआ। एक ट्रक बांस 6 रु. में बिड़ला की ओरिएन्ट पेपर मिल को मिलता है, तीन ट्रक बांस 18 रु. का हो गया उससे एक टन कागज बनता है जिसकी कीमत आज 4,500 रु. टन है। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप की सरकार है, लेकिन कागज का दाम, ओरियन्ट पेपर मिल के कागज का दाम डबल हो गया 18 रु. के कच्चे माल पर कागज मिल 4,500 रु. कमा रही है। क्या करेंगे छात्र? अगले साल पाठ्य पुस्तकें छपेंगी कि नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं है।

फर्टिलाइजर के बारे में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया उत्तर प्रदेश में जैसे चुनाव नजदीक आया तो पहले 6 महीने में 2 लाख टन फर्टिलाइजर उत्तर प्रदेश को दिया। लेकिन सितम्बर के बाद जैसे ही चुनाव नजदीक आया, मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा 2 लाख 80 हजार टन फर्टिलाइजर चुनाव के अवसर पर उत्तर प्रदेश को दिया गया। यानी 40 प्रतिशत का इजाफा हुआ।

*** *** ***

यह प्रश्न है, सुन लीजिये। यह माननीय फखरुद्दीन अली अहमद ने कहा है, वितरण का काम उनका है, बरुआ साहब का नहीं। बरुआ जी का काम पैदावार का है और माननीय फखरुद्दीन

अली अहमद का काम वितरण का है, उन्होंने ही यह आंकड़े दिये हैं सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर, जनवरी और फरवरी के, इन तीन क्वार्टर्स में पहले क्वार्टर में 1 लाख 65 हजार टन और दूसरे क्वार्टर में 1 लाख 16 हजार 670 टन, कुल मिलाकर 2 लाख 80 हजार टन फर्टिलाइजर दिया। जबकि पहले 6 महीनों में 2 लाख टन था। छ: महीने में 40 प्रतिशत वृद्धि हो गई। फर्टिलाइजर्स की स्थिति क्या है। उसका आज दाम अनियंत्रित है। साढ़े बावन रुपये बड़े बोरे का उसका दाम है और बिहार के किसानों को वह 100 रुपये और 110 रुपये में मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि नीतियों की विफलताओं और असफलताओं के कारण बिहार में यह सारा जन-असंतोष पैदा हुआ है। मैं अपने उन विरोधियों से भी कहना चाहता हूं जो कि आर.एस.एस. और आनन्द-मार्गियों को दोष देंगे। इनमें से कुछ कम्युनिस्टों को दोष देंगे लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। मैं गफूर साहब और इन्दिरा जी की सरकार को दोष देता हूं, मैं किसी विरोधी पार्टी को दोष नहीं देता हूं... मेरे पास गफूर साहब का भाषण है, आपके ऊपर भी उन्होंने लांछन लगाया है। आप एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं।

मैं मांग करना चाहता हूं कि गफूर सरकार ने अपना निकम्मापन साबित किया है और उनके इस्तीफे की मांग श्री जय प्रकाश नारायण जैसे आदमी ने की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वह निकम्मी सरकार है।

*** *** ***

वे सदन में मौजूद नहीं हैं, लेकिन वह इस दुनिया में तो हैं। वे अभी चले नहीं गये हैं और उन्होंने मांग की है कि गफूर साहब के मंत्री मंडल को इस्तीफा दे देना चाहिये, लेकिन अगर गफूर साहब इस्तीफा नहीं देंगे, तो अब समय आ गया है कि केरल में 1957 में आपने बिना वजह कम्युनिस्ट हुकूमत को बर्खास्त किया था और इतनी असफलताओं के बाद भी अगर आप गफूर साहब की सरकार को बनाये रखेंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि केवल गफूर साहब के मंत्रिमंडल के इस्तीफे की ही मांग मैं ही नहीं करता हूं बल्कि बिहार की विधान सभा के बर्खास्त करने की मांग भी मैं करता हूं और साथ ही साथ इस लोक सभा को भी जिसने अपना निकम्मापन साबित किया है और गरीबी हटाओ, बेकारी हटाओ के नाम पर यह चुनाव जीती है, लेकिन गरीबी मिटाने की बजाय गरीबों को मिटाया है, ... इसलिये समय से अगर कार्यवाही नहीं की गई, तो समूचे देश, से क्या गुजरात, क्या बिहार, क्या पश्चिम बंगाल और क्या महाराष्ट्र, सभी जगहों से यह मांग आयेगी कि इस निकम्मी लोक सभा को भी बर्खास्त कर दिया जाये और बिहार की विधान सभा को बर्खास्त किया जाये।

मातृ-प्रधान समाज की स्थापना*£

I beg to move:

"That the bill to provide for the right to trace one's lineage from the side of one's mother be taken into consideration."

सभापति महोदय, आज सारा विश्व सप्त क्रान्तियों की चपेट में है। यह सात क्रान्तियां कम या अधिक मात्रा में दुनिया के विभिन्न देशों में चल रही हैं, और हमारा देश, जिसने इनमें से कुछ क्रान्तियों में अगुवाई की थी। इस देश को तो इनके सभी पहलुओं पर बड़ी गम्भीरता से गौर करना चाहिये। इन सप्त क्रान्तियों में एक क्रान्ति है आर्थिक समानता की, गरीबी और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको मिटाने वाली। और दूसरी क्रान्ति है सामाजिक समानता की, जन्म पर आधारित जाति की कल्पना को समाप्त करने वाली। तीसरी क्रान्ति है काले-गोरे की असमानता को मिटाने वाली वंशवार-विरोधी क्रान्ति। चौथी क्रान्ति है उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रीय स्वतंत्रता की क्रान्ति। दुनिया के अधितकर हिस्सों में तो यह क्रान्ति सम्पन्न हुई है, लेकिन अफ्रीका में, खास करके पुर्तगाली साम्राज्य के नीचे आज अफ्रीका के कई देश हैं जिनको राष्ट्रीय स्वतंत्रता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, यह क्रान्ति भी आज अधूरी है। पांचवीं क्रान्ति है पूंजीवाद और असमानता-विरोधी क्रान्ति। छठी क्रान्ति है एक-तिहाई विकसित और औद्योगिक राष्ट्रों की दुनिया, एक-तिहाई दुनिया, और दूसरी ओर अविकसित राष्ट्रों की दो-तिहाई दुनिया इनके बीच में जो मतभेद है, विगत 27 सालों में कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा है, तो उसको खत्म करना भी आवश्यक है। और सातवीं क्रान्ति है नर-नारी समानता की क्रान्ति। और इस विधेयक का संबंध इस सातवीं क्रान्ति से है। यह सातवीं क्रान्ति ही इसका आधार है।

सभापति महोदय, मेरा जो विधेयक है उसका मकसद तो सीमित है। मगर इसके द्वारा मैं उन सारे सवालों को उठाना चाहता हूं जिनका संबंध उदारता और समानता से है। हमारे संविधान में सभी लोगों को कानून के सामने समानता प्रदान की गई है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि कानून की इस मान्यता को आज कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। कानून ने कहा है कि सभी लोगों को कानून का समान संरक्षण मिले। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह का समान संरक्षण आज नहीं मिल रहा है। समाज में कुछ लड़कों को, कुछ बच्चों को अनौरस और अवैध माना जाता है, उन्हें कदम-कदम पर अपमानित किया जाता है। नतीजा यह होता है कि यह मासूम बच्चे, यह फूल बचपन में ही मुर्झा जाते हैं। तो क्या इस सदन का यह कर्तव्य नहीं है कि जिन बच्चों

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 5 अप्रैल 1974.

£ 'मातृवंश परम्परा विधेयक, 1974' को प्रस्तावित करते हुए।

का कोई अपराध नहीं है उनके साथ इस तरह का व्यवहार कम-से-कम कानून और संविधान के आधार पर न किया जाये, और इस तरह का एक आन्दोलन हम लोग चलायें जिससे समाज की जो कल्पना, समाज के जो अनुदार विचार हैं, परम्परागत विचार हैं उनमें कोई परिवर्तन आये?

सभापति महोदय, आज का समाज, इसके बारे में दो राय नहीं है कि, सम्पत्ति-अभिमुख और पुरुष प्रधान है और बहुत सारे जो आधार हैं कानून के और मान्यताओं के, इसके पीछे यही दकियानूसी दृष्टिकोण है और नतीजा यह होता है कि सम्पत्ति-अभिमुख और पुरुष प्रधान समाज अविवाहित माताओं को पतिता का दर्जा देता है और उनकी सन्तति के साथ दुर्व्यवहार करता है। इसलिये इस विधेयक के द्वारा मैं इस बात को प्रारम्भ करना चाहता हूं। इससे सारी समस्यायें तो समाप्त नहीं होतीं, लेकिन इस विधेयक के द्वारा एक नई उदारवादी परम्परा कायम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं।

सभापति महोदय, हमारे प्राचीन इतिहास की ओर देखा जाये तो हमेशा ऐसी माताओं की तरफ और बच्चों की तरफ देखने का दृष्टिकोण हमेशा अनुदार नहीं रहा है।

सभापति जी, आप जानते हैं कि जिस दिन मैंने यह प्रस्ताव पेश किया था उस दिन केवल 2-4 मिनट का ही समय बचा था, मैंने अपना भाषण प्रारम्भ ही किया था कि सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जिस शुक्रवार को यह विषय आया, उस दिन मैं दौरे पर था, इसलिये मैं बहस में हिस्सा नहीं ले सका। इसलिये मेरा जो प्रारम्भिक भाषण है, वह नहीं हो पाया था।

अब मंत्री महोदय ने जो सुझाव दिया है, उसको मैं मानने के लिये तैयार हूं, लेकिन अपने जवाबी भाषण में इसकी जो पृष्ठभूमि है, वह मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं ताकि जब आप लोकमत जानने के लिये परिचालित करें तो जनता भी समझ सके कि किस उद्देश्य को लेकर मैंने यह विधेयक पेश किया है।

*** *** ***

**अभी हमारे मित्र डागा साहब ने बहुत सारी धर्म और अधर्म की बातें कहीं हैं लेकिन जो इस देश का प्राचीन इतिहास जानता है उसको पता चलेगा कि इन मामलों में हमारी प्राचीन परम्परा क्या है। मैंने कहा है कि अगर कोई अपनी मां के नाम से अपने को संबोधित करना चाहे तो उसके लिए छूट होनी चाहिए। यह कहने से मेरी समझ में नहीं आता अनौरस संतति के लिए कैसे प्रोत्साहन मिलता है। आपके प्राचीन इतिहास में जो मनु की पुत्री थी इला, जो एक विद्रोही औरत थी, उसके लड़के का नाम क्या था? वह ऐल कहता था अपने को। भीष्म पितामह का क्या नाम था? वे गंगा के पुत्र थे इसलिये गंगये कहलाते थे। पृथु के पुत्र अर्जुन थे जो पार्थ कहलाते थे। कुन्ती का पुत्र कौन्तेय कहलाता था। मेरी समझ में नहीं आता, मैं यह कोई नयी क्रांतिकारी बात यूरोप से तो नहीं ला रहा हूं, यह जरूर है कि आपके दिमाग पर यूरोप और अमेरिका का असर बहुत पड़ रहा है। मैं केवल प्राचीन संस्कृति और इतिहास में जो अच्छी-अच्छी परम्परायें हैं, जिनको सड़े हुए दिमाग ने खत्म कर दिया था, उनको मैं पुनर्जीवित करना चाहता हूं। अगर

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 3 मई 1974.

£'मातृवंश परम्परा विधेयक, 1974' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

** श्री मूलचंद डागा, सांसद।

आप मेरे विधेयक की बुराई करना चाहते हैं तो यह सारे जो महान सुपुत्र हिन्दुस्तान में, भारत में पैदा हुए, जिनको आप इज्जत की दृष्टि से देखते हैं, उनका क्या हो जायेगा? छोन्दोग्य उपनिषद में सत्यकाम और जबाला की कथा है। यहां बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संस्कृत नहीं जानेंगे इसलिए यह उपनिषद इन स्टोरी एंड डायलाग में आई है, सुविधा के लिए यह छोटी-सी कथा है जिसको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

यह "सत्यकाम दि ट्रुथ सीकर" कथा है। एक दिन वह अपनी मां से पूछता है:

> "Dear mother, what is my gotra or lineage? I wish to go to a guru and offer to live with him as a brahmachari," said young Satyakama, one sweet morning to his mother.
>
> He little knew how embarrassing that question was to her. However, she soon overcame her confusion. She knew that the claims of her child for knowledge were supreme. He was already grown up and to neglect those claims any further would be very culpable. She was well aware that the first thing that any guru would ask her child would be his gotra and parentage. "Young child," she said, "to tell you the truth, I know not your gotra. While young and wandering as a housemaid serving here and there, I begot you. How then can I know? But I am certain of one thing and that is your name is Satyakama and mine Jabala. Therefore go forth and tell your guru that you are Satyakama Jabala."

ज्ञान सम्पादन करने के बाद वह ऋषि भी बन गया था और धर्म के जो पण्डित होते हैं, ब्राह्मण लोग, उन्होंने बेईमानी करके उसको ब्राह्मण कभी नहीं होने दिया। इसी तरह से आप वेद व्यास जी की कहानी जानते हैं। वेद व्यास कौन थे? पाराशर और मत्स्यगंधा से, जिसको गैर-कानूनी या अवैध संबंध आप कहते हैं उन्हीं संबंधों से, वेद व्यास पैदा हो गए और आप जैसे लोग, दूसरे सभी लोग उनको पूजते हैं। इसलिए मैं, आपसे कहना चाहता हूँ इस देश की जो प्राचीन परम्परा है उसको भी आप समझ लीजिये। जिस दिन महान कवि दिनकर जी की मौत हुई उस दिन वास्तव में यहां मैं बोलना चाहता था।

*** *** ***

यह सब बड़े लोगों की कथा और कहानियां मैं कह रहा हूं, इसलिए आप इसमें धर्म और अधर्म की चर्चा में न जायें। जैसा कि हमारे विद्यालंकार जी ने कहा कि सभी बच्चे बच्चे होते हैं, उनमें फर्क करना ही सबसे बड़ा अधर्म है।

मैं कवि दिनकर जी की बात करना चाहता था। उन्होंने 'रश्मि रथी' नाम की जो किताब लिखी है वह कर्ण के चरित्र के ऊपर है। कर्ण इसका एक ज्वलन्त उदाहरण है कि अनौरस पुत्र की जो कल्पना है उसको लेकर बड़े लोगों को मानहानि और तकलीफ सहनी पड़ती है। कर्ण के चरित्र से पता चलता है कि जब कभी उसकी अर्जुन से भिड़न्त हो जाती थी तो क्या होता था। हमेशा उसका कुल कौन था, उसके पिता कौन थे, वह क्षत्रिय था या कुलहीन था—इसकी चर्चा करके

उसको दबाने और उसको अपने अधिकारों से वंचित रखने का प्रयास किया जाता था। इसलिए महान कवि दिनकर जी ने कहा है—कर्ण कहता है, कर्ण के मुंह से कविजी कह रहे हैं कि उन सभी लोगों का मैं आदर्श हूं, उन सभी लोगों की तकलीफों का मैं प्रतीक हूं जिनको बार-बार इस अवैध और अनौरस सन्तति के नाम पर समाज तकलीफ देता है, पीड़ा देता है—उन सभी लोगों का मैं प्रतीक हूं। तो यह सारी कथायें अपने यहां होते हुए भी मेरी समझ में नहीं आता, बीच में हजार-डेढ़ हजार साल में समाज कैसे सड़ गया? डागा जी से मैं सहमत हूं इस विधेयक की जो भूमिका मैंने रखी उसमें जातक सिद्धांतों की मैंने चर्चा की, लेकिन जो इस विधेयक के प्रत्यक्ष प्रावधान हैं वे बहुत सीमित हैं। मैं भी इसको मानता हूं। इसमें केवल अपनी मां का नाम कोई लगाना चाहता हो तो लगाने की छूट देनी चाहिए—यहां तक यह सीमित है। लेकिन अगर डागा जी की मंशा है कि और गहराई में जाकर कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए तो उनकी मंशा से मैं सहमत हूं। अगर आप मेरा उद्देश्य वाला ज्ञापन पढ़ेंगे और बात क्या हुई वह मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं। जब हिन्दू सक्सेशन बिल के ऊपर संसद में चर्चा चल रही थी तो ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने—मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं—एक बहुत ही क्रांतिकारी सुझाव दिया था कि जो अवैध पुत्र हो, यदि उसका पिता ज्ञात है तो पिता की सम्पत्ति में ऐसे अवैध या अनौरस पुत्रों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। हालांकि ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का यह इतना क्रान्तिकारी सुझाव था लेकिन पता नहीं राज्य सभा में उसका इतना तीव्र विरोध किया गया कि यह जो इतनी प्रगतिशील धारा थी उसको उस बिल से बिलकुल काट दिया गया। राज्य सभा में ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी का जो प्रस्ताव ठुकरा दिया गया था वह इस प्रकार था, इसमें रिलेटेड की परिभाषा उन्होंने की थी और यह प्रोविजो जोड़ा था:

> "Provided that illegitimate children shall be deemed to be related to their mother and to one another and also to their father if known and the legitimate descendants of such children shall be deemed to be related to them and to one another."

यह था लेकिन इसको काट दिया गया क्योंकि 1954 में हिन्दू कोड बिल को ही लोग बहुत क्रान्तिकारी समझते थे और फिर ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी ने उसमें और क्रान्तिकारी प्रावधान रखना चाहा तो बड़ा हल्ला हो गया। लेकिन अब उसके बाद बीस साल बीत चुके हैं, चाहे हिन्दू एडाप्शन एक्ट हो, हिन्दू सक्सेशन एक्ट हो, हिन्दू मैरिज एक्ट हो, हिन्दू मैरिज एक्ट के सिलसिले में मैंने वहां विधेयक पेश भी किया है—क्या इसके बारे में दोबारा सोचने का समय नहीं आ गया है? इसलिए आपका सुझाव और कानून मंत्री ने जो कहा है उसको मैं मानता हूं और मैं चाहता हूं इसके ऊपर चर्चा हो, इसके ऊपर बहस हो लेकिन मैं दो-तीन बातें आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं। राज्य सभा में जब यह विवाद हुआ तो कुछ लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से इस बात को रखा जैसे मैंने भाषण पढ़ा श्रीमती रुक्मिणी अरुंडेल का, उनके भाषण का एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा:

> "I wish there were a matriarchal system. Then there would be no wor[illegible] about this at all of having to prove because every child is the mothe[illegible] child and that is all that matters."

हर एक बच्चा अपनी मां का बच्चा है, और किसी का मतलब नहीं है। यह उन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है... मेरी समझ में नहीं आता, माता की सम्पत्ति में तो उसको हिस्सा मिलेगा लेकिन क्या अकेले माता किसी पुत्र को या पुत्री को जन्म देती है? तो माता की सम्पत्ति में उनको हिस्सा मिलेगा और पिता के ज्ञात होते हुए भी आप वैध या अवैध की चर्चा करते हैं, उसकी सम्पत्ति में बच्चे या बच्ची को हिस्सा नहीं मिलेगा इसमें न फर्क है न धर्म है।

*** *** ***

मैं सहमत हूं आपसे।* एक चाइनीज़ कोड के बारे में जानकारी मिली है, उनका आर्टिकल 15 है संविधान का अब चीन की बहुत सारी बातें आपको पसन्द नहीं होंगी, लेकिन कम-से-कम इसके ऊपर विचार कीजिए। उसमें कहा गया है कि:

> "Children born out of wedlock shall enjoy the same rights as children born in lawful wedlock. No person shall be allowed to act or discriminate against children born out of wedlock."

हमारा जो समानता के ऊपर आधारित संविधान है, उसकी जो आत्मा है, जो भावना है, मंशा है, यह उससे मिलता-जुलता है, किसी न किसी रूप में इसको हमें स्वीकार करना चाहिए तो इसलिए इसके यह जो सारे पहलू हैं इसके बारे में मैं इस विधेयक के द्वारा सदन का और देश का ध्यान खींचना चाहता था।

मैंने अपने प्रारम्भिक भाषण में जो दो-तीन मिनट का ही हुआ, उसमें कहा था कि इस वक्त विश्व में सप्त क्रान्तियां चल रही हैं और उसमें नर-नारी की समानता की क्रान्ति एक है, और आज यह सारा सम्पत्ति का ही झगड़ा है, और कुछ नहीं। और पुरुष प्रधान और सम्पत्ति अभिमुख जो समाज है उसी ने यह सारी दीवारें, बाधायें उपस्थित की हैं।

सभापति महोदय, इसके संबंध में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिन्दू कोड बिल के पहले आए लोग जानते हैं कि वर्णव्यवस्था के आधार पर विभिन्न प्रथाएं और कानून प्रचलित थे। और हुआ क्या कि जो तीन उच्च वर्णिय लोग हैं उनका इतना अनुदार कानून रहा है, हिन्दू कोड बिल के पहले की बात मैं कर रहा हूं कि जो शादी और विवाह के बाहर संतति उत्पन्न होती है उसके लिये मैंटिनेन्स का अधिकार तो पहले से था लेकिन संपत्ति में हिस्सेदारी नहीं थी। लेकिन शूद्रों में जो परम्परायें और प्रथायें थीं उनमें यह उदारता थी कि ऐसी संतति को भी सम्पत्ति में वह हिस्सेदारी देते थे, लेकिन ढोंगी तीन वर्णीय लोगों ने उनकी उदारता को अपनाने के बजाए उनके ऊपर अपने अनुदार विचार को थोपने की कोशिश की। क्या हिन्दू कोड बनाने की यही स्पिरिट होनी चाहिए? तो उच्च वर्णीय लोगों के लिए यह शर्म की बात है कि शूद्रों में जो उदार प्रथायें प्रचलित थीं उन्हें अपनाने के बजाय और पूरे समाज के लिए कानून के रूप में लाने के बजाए आपने अनुदारता का परिचय दिया। इसलिए पूरे राज्य सभा का विवाद पढ़ने के बाद मेरे मन पर

---

*'लेजिटिमेट' और 'इल्लेजिटिमेट' शब्दों के प्रयोग पर श्री नीति राजसिंह चौधरी, सांसद द्वारा की गयी टिप्पणी का समर्थन करते हुए।

बहुत असर हुआ। और उस वक्त हल्ला किया गया कि यह मोनोगैमी के खिलाफ मामला जा रहा है। यह हल्ला करके यह उदारवादी जो प्रथा है इसको खत्म कर दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोनोगैमी का और उसका क्या संबंध है? बच्चा एनकरेज करता है क्या इल्लेजिटिमेसी? बच्चा और बच्ची तो नहीं करते हैं। तो आप लोग सजा किनको दे रहे हैं? आप जिनको सजा देना चाहते हैं उनको तो दे ही नहीं रहे हैं।

इसके मामले में अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि इंग्लैंड में एक अर्से से बच्चों के बारे में जो कानून हैं उनमें एक अर्से से परिवर्तन होता जा रहा है? और "चाइल्ड ला" नाम से जो किताब मैंने पढ़ी है उससे पता चला कि इस तरह की दो संततियों में जो फर्क किया गया है वह इंग्लैंड के कानून में अब खत्म हो गया है। इसलिए अनौरस और औरस बच्चों के बीच में जो भेदभाव किया जाता है वह अंग्रेजी कानून की निगाह में खत्म हो गया है।

इसलिए हमारी प्राचीन परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए अगर इसके बारे में गहराई में जा कर सोचेंगे, और जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है कि इसका सभी पहलुओं से विचार होना चाहिए, दूसरे जो कानून हैं उनके बारे में भी विचार होना चाहिए, तो मैं उनकी भावना से सहमत हूं और इसलिए इनका संशोधन मानने से मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मंत्री महोदय से केवल इतनी ही प्रार्थना है कि जिस उदारवादी दृष्टिकोण से इस विधेयक पर हम लोग विचार कर रहे हैं उसी की रोशनी में आप लोग हिन्दू सक्सेशन एक्ट, हिन्दू अडाप्शन एक्ट, हिन्दू मैरिज एक्ट, या दूसरे जो भी कानून हैं उन पर भी विचार कीजिए, मैं गैर-हिन्दू लोगों के बारे में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मेरी राय है कि उनके समाज के जो सुधारक हैं, उन्हें ही इसमें पहल करनी चाहिए। अगर मैं बोलूंगा तो गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए नहीं बोल रहा हूं। लेकिन इसके पीछे मेरी जो मंशा है यदि उसको सदन मानने को तैयार है तो इनके संशोधन को मानने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है।

ऐतिहासिक स्मारकों का रख-रखाव*£

इस विधेयक के जरिये पुरातत्व विभाग के कामों पर बोलने का मौका हम लोगों को मिला है। सबसे पहले मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग के द्वारा यह जो प्राचीन और ऐतिहासिक अवशेष हैं, स्थल हैं, मंदिर हैं, मस्जिद और प्रसाद हैं, उनकी उपेक्षा की जा रही है। मुझे आदत है कि अपने दौरे में मैं कुछ समय जरूर निकालता हूं ऐसे स्थलों पर जाने के लिए। एक प्रसंग मुझे याद आता है—मैं कर्नाटक के दौरे पर था—अहिलाएं नाम की एक जगह है, वहां एक बहुत खूबसूरत प्राचीन मंदिर है, उसको देखने के लिए गया था। न केवल उसकी उपेक्षा की जा रही थी, बल्कि यह देखकर मैं दंग रह गया कि मूंगफली सुखाने के लिए पूरे मंदिर में फैलाई गई थी। ऐसी बात नहीं है कि इस मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपनी देखरेख में नहीं लिया था। इस वक्त इस मंदिर की क्या हालत है, मैं नहीं जानता क्योंकि यह 10-12 साल पहले की बात है। उसी तरह कई जगहों पर मैंने देखा, मैं इसी उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरे के सिलसिले में कुशीनगर गया था वहां यह देखकर मुझे अचम्भा हो गया कि वहां जो तिब्बती या मोटिया साधु वगैरह लोग रहते हैं—मैं उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहता हूं—लेकिन जिस ढंग से उस जगह को गंदा करने का काम चल रहा है तो एक साधु से मैंने कहा कि यह बुद्ध भगवान के महापरिनिर्वाण का परम स्थान है, आप बुद्ध के अनुयायी हैं, इस जगह को गन्दा करने का काम करेंगे तो क्या होगा? मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। यह मैंने मिसाल के तौर पर कहा है। इसलिए मंत्री महोदय को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए और पुरातत्व विभाग से मेरा ख्याल है हर साल उनको रपट मंगानी चाहिए कि आपके कब्जे में जितने मंदिर, मस्जिद या जो भी प्राचीन स्थल और स्मारक दिए गए हैं उनकी स्थिति क्या है। इस तरह की रपट अगर क्यूरेटर या जो भी उनका नाम है, उनसे प्राप्त करने की आप कोशिश करेंगे तो मेरा ख्याल है आप यहां से ज्यादा उनकी देख-रेख कर सकेंगे और अगर मरम्मत के लिए खर्चे की जरूरत है तो उसके बारे में भी ठीक ढंग से विचार कर सकेंगे। मैंने देखा है कि इस देश में कई ऐसे छोटे-छोटे मंदिर या दूसरे स्मारक हैं जो पुरातत्व विभाग ने अपने हाथ में नहीं लिए लेकिन उनका अपना सांस्कृतिक महत्व है और अगर केन्द्रीय सरकार उन स्मारकों की देखरेख और निगरानी नहीं रख सकती है तो इस बात पर सरकार को विचार करना चाहिए कि क्या यह अधिकार वर्तमान संविधान में हम लोग राज्य सरकारों को दे सकते हैं क्योंकि इसमें जो केन्द्रीय सूची है, जो एन्ट्री है उसमें यह कहा गया है कि पार्लियामेन्ट जिन स्थानों को और जिन अवशेषों को महत्वपूर्ण समझती है और उसके लिए कानून बनाती है उन्हीं को केन्द्रीय सरकार लेगी। तो ऐसी हालत में जो स्थान ऐसे हैं जिनको आप लेने की स्थिति में नहीं है उसके लिए इसमें क्या दिक्कत है?

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 5 अप्रैल 1974.

£ श्री आर.पी. उलगनम्बी, सांसद द्वारा प्रस्तावित 'प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष (संशोधन) विधेयक-1974' के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

एन्ट्री 67 इस प्रकार है:—

> "Ancient and historical monuments and records and archaeological sites and remains, declared by or under law made by Parliament to be of national importance."

तो राष्ट्रीय महत्व के जो अवशेष और स्मारक हैं उन्हीं को आप ले लेते हैं। सभी स्मारकों को आप पुरातत्व विभाग के तहत नहीं ले पायेंगे, यह मैं भी जानता हूं। इसलिए, इनके अलावा जो स्थान हैं उनकी रक्षा करने का कोई उपाय हम लोगों को करना चाहिए। यह अधिकार राज्य सरकारों को देना चाहिए और अगर उसमें कोई संवैधानिक दिक्कत है तो बगल में नीतिराज सिंह जी बैठे हैं वे उसका कोई रास्ता निकालेंगे।

आपने एक एंटीक्वीटीज एंड आर्ट्स ट्रेजर्स एक्ट बनाया है जिसके प्रावधान बहुत अच्छे हैं और आवश्यक भी हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं इसके तहत अभी तक क्या काम हुआ है? जैसे जो पुराने शिल्प आदि हैं, मूर्तियां हैं, उनको सभी लोग जानते हैं बड़े पैमाने पर चोरी हो रही है और इसमें जो आपके रक्षक हैं वे लोग भी मिले हुए हैं जिसका नतीजा यह हो रहा है कि हर दो-तीन साल के बाद जब पुराने किसी मन्दिर को, किसी स्मारक को देखने जाते हैं तो इस बात का अहसास होता है कि इसमें कुछ तोड़-मरोड़ हुई है, कूछ मूर्तियों को हटाया गया है और कुछ विध्वंसक काम किया गया है। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के बाद इस सेक्शन को भंग करने के अभियोग में अब तक कितनी कार्यवाहियां हुई हैं। इसी से इसका पता चलेगा क्योंकि आप लोग कानून तो पास करते जाते हैं, कानूनों की इस देश में कमी नहीं है लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। इसलिये मंत्री महोदय स्पष्ट करें कि यह अधिनियम बनने के बाद कितने लोगों के खिलाफ कार्यवाहियां की गईं, कितनी मूर्तियों और दूसरे अवशेषों को बचाया गया?

इसके साथ-साथ इसमें एक महत्वपूर्ण सेक्शन 14 भी है। इस देश में निजी व्यक्तियों के पास प्राचीन, ऐतिहासिक महत्व के शिल्प और मूर्तियां हो सकती हैं तथा दूसरे बहुत सारे सामान हो सकते हैं। और आजकल तो देश में फैशन हो गया है, अगर मंत्री महोदय कुछ बड़े लोगों के घर जायेंगे तो उनको पता चलेगा और इस तरह की चीजें उनको वहां मिलेंगी। आपने इस कानून के तहत यह कहा है कि लोग इन चीजों को अपने पास रखें जरूर लेकिन उसकी जानकारी सरकार को मिलनी चाहिए। और उसको रजिस्टर कराना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं इस 14वें सैक्शन पर आपने कोई अमल किया है? मैं तो इसको बहुत बड़ी सम्पत्ति मानता हूँ। अब तक कितने लोगों ने रजिस्टर करवाने का काम किया है?

साथ-साथ इसमें एक और प्रावधान है। आप सभी लोग जानते हैं कि औब्जैक्ट्स आफ आर्ट्स की एक बहुत बड़ी मण्डी है। विदेशों में जो अमीर देश हैं उनमें इसकी बहुत बड़ी मण्डी है और हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं कि फलां-फलां पेंटिंग का दाम नीलामी में कितना बोला गया। लेकिन इस देश में भी जब से साल्वे साहब बहुत परिणामकारक ढंग से काम करने लगे तो से बहुत से सारे लोग पैसा बचाने के—मैं उनका मजाक नहीं कर रहा हूँ, नाराज न हो जा —

उन लोगों को पैसा बचाने का मौका मिला है। वह लोगों को क्या सिखाते हैं? How to avoid taxes? मैं यह नहीं कह रहा हूं he teaches them also to evade taxes... एवायडेन्स तो लीगल है। तो इस तरह के लोग हमारे देश में हो गए हैं और यह फैशन है कि बहुत सारे लोग इस तरह की चीजें खरीदते हैं लेकिन आपके सैक्शन 17 में यह प्रावधान है कि इस तरह की जो बिक्री होगी, उसमें तो विनियम, ट्रांसफर भी है, तो उसकी भी जानकारी सरकार को देनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर, सरकार ने यह अधिकार लिया है कि उस कलाकृति को सरकार अपने हाथ में भी ले सकती है उसका मुआवजा देकर। मैं नहीं चाहता कि उनकी चीजें आप ले लें लेकिन जानकारी तो रखिये, रजिस्ट्रेशन तो होना चाहिए और यह भी देखना चाहिए, समय-समय पर उनसे पत्र-व्यवहार करके कि उन कलाकृतियों की स्थिति क्या है। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्राचीन या ऐतिहासिक यह जो सारी चीजें हैं यह आने वाली पीढ़ियों की विरासत हैं लेकिन इधर 10-15 वर्षों में आजादी के बाद उनकी रक्षा करने के बजाय, नयी-नयी चीजों की खोज करने के बजाये, जिन चीजों की खोज हो चुकी थी, जिनकी सारी दुनिया में तारीफ हुई थी वह चीजें भी इस देश से बाहर चली जा रही हैं। हम लोगों को वैसे रोटी भी नहीं मिल रही थी और मानसिक आनन्द जो इन कलाकृतियों को देखकर मिलता था उसको भी आप छिनने देंगे तो फिर मेरा ख्याल है यहां का जीवन बहुत ही नीरस हो जायेगा और आने वाली पीढ़ियों के मन में भारत की कोई प्रतिमा, तेजस्वी प्रतिमा नहीं रह पायेगी।

मैं कोई लम्बा भाषण नहीं करना चाहता, इनका जो विधेयक है, उसी पर आ रहा हूं क्योंकि जब यह सारी चीजें होंगी तभी इनके विधेयक का मतलब है। अगर यह कलाकृतियां रहेंगी ही नहीं, यह मंदिर सब जमींदोज हो जायेंगे और सारी मूर्तियां विदेशों में चली जायेंगी तो यह शोल राजा की मूर्ति लगाकर वहां क्या करेंगे? वह केवल मूर्ति मात्र रह जायेगी। इसलिए मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन कर रहा हूं क्योंकि एक शिक्षा की दृष्टि से भी इस तरह के स्मारक लोग बनायेंगे, राज्य सरकारें बनायेंगी तो जो अपने लड़के हैं, नौजवान लोग हैं वह देखने के लिए जाते हैं उनको भी कुछ पता चलेगा कि भाई शोल राजा का बनाया हुआ यह मंदिर है। मैं तंजोर मंदिर की बात कर रहा हूं। तो इस तरह के मंदिर किस राजा या व्यक्ति ने बनाये इस प्रकार की जो ऐतिहासिक महत्व की बातें हैं यह भी नई पीढ़ी को मालूम हो जायेगी। इसलिए इसके बिल का विरोध नहीं कर रहा हूं, बल्कि समर्थन कर रहा हूं, लेकिन साथ-साथ यह चाहता हूं कि इसके बारे में आप विधान सभा को अधिकार दे सकते हैं। लेकिन मूर्ति आदि लगाने के पहले केन्द्र में कोई कमेटी आप बनायें क्योंकि हर एक आदमी अपने ढंग से करने लगेगा तो उसकी जो शोभा है उसमें कुछ कलंक लग सकता है। मैं यह नहीं कह रहा हूं। जानबूझकर होगा, लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में तरह-तरह के दबाव आते हैं। इसलिए कोई केन्द्रीय समिति रहे उसकी सलाह से ही कोई मूर्ति स्थापित की जाये।

इसमें मूर्तियों को स्थापित करने की बात कही गयी है। अगर इसके लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है तो मैं कहूंगा कि राज्यों को अन्य मौन्यूमेंट्स की रक्षा करने के लिए आप संवैधानिक अधिकार दीजिये और हर एक राज्य पर छोड़ दीजिये। मेरा ख्याल है कि सारे राज्य पूरी जिम्मेदारी की भावना रखते हुए ऐसे सारे मौन्यूमेंट्स की रक्षा करेंगे जिसका भार आप नहीं ले सकते हैं।

फिल्मों में प्रीसेंसरशिप : लोकतंत्र विरोधी*£

मेरी राय में यह अत्यन्त अनावश्यक बिल है। बेकार इस सदन का वक्त जाया करने का मंत्री महोदय ने प्रयास किया है। फिल्मों का जो सेंसरशिप है उसको तत्काल रद्द कर देना चाहिये। मैं प्रीसेंसरशिप के एक दम खिलाफ हूं। हमारे देश में संविधान है, कानून है। अगर कोई फिल्म निर्माता या एग्जीवीटर, दिखाने वाला थियेटर का मालिक, कोई भी कानून के खिलाफ काम करता है तो हिन्दुस्तान का कोई भी नागरिक या सरकार उसके खिलाफ अदालत में जाकर कानूनी कार्रवाई कर सकता है। वह कह सकता है कि यह नैतिकता के खिलाफ है, देश की सार्वभौमिकता और अक्षुण्णता के खिलाफ है या और भी जो कुछ कहना हो तो अदालत में जाकर कह सकता है। पहले इस बोर्ड में एक होल-टाइम चेयरमैन होता था। अब ये पांच होल-टाइम मेम्बर नियुक्त करने वाले हैं। क्या यह विधेयक इसलिये आया है कि पांच लोगों को नौकरी मिलें? इन दिनों हमारे देश में वित्तीय संकट है। एक-एक पैसे की बचत करने की जरूरत है। क्या श्री गुजराल अपने पांच दोस्तों को कोई नौकरी देना चाहते हैं, इसलिये यह बिल लाये हैं?

*** *** ***

...यह बिल बिल्कुल अनावश्यक है। पैसे की बचत करने का एक बहुत बढ़िया मौका है। सारे देश में बचत का वातावरण आप उत्पन्न करना चाहते हैं। ऐसी हालत में यह अनावश्यक विधेयक और ये सारे प्रावधान क्यों लाये जा रहे हैं, समझ में नहीं आया।

इसमें बहुत-सी मजेदार चीज को इन्होंने जोड़ा है और यह सोचा है कि ये देश का बहुत कल्याण कर रहे हैं:—

> "In particular and without prejudice to the generality of the provisions of sub-section (1), a film shall not be certified as a film fit for exhibition outside India if, in the opinion of the authority competent to grant the certificate, the film or any part of it presents or is likely to present an erroneous, distorted or misleading image of the social, cultural or political institutions of India or any part thereof."

समझ में नहीं आता अगर इस तरह की फिल्में इस देश में दिखाई जाएंगी तो अच्छा है।

> ".....it presents or is likely to present an erroneous, distorted or misleading image of the social, cultural or political institutions of India or any part thereof."

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 30 जुलाई 1974.

£ 'चलचित्र (दूसरा संशोधन) विधेयक' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

अगर किसी फिल्म में यह कहा गया हो कि भारत में बिना रिश्वत दिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस नहीं मिलता या जब तक कोई बड़ा आदमी का रिश्तेदार नहीं है तब तक उसको यह नहीं मिल सकता है तो आप क्या कहेंगे? जो फिल्म भारत में दिखाने के योग्य है वह बाहर भी दिखाने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। अगर हिन्दुस्तान में जो वस्तुस्थिति है उसका बिदारक चित्रण किसी फिल्म में किया गया है तो सत्य से घबराने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हिन्दुस्तान के बारे में ढाई-तीन हजार साल से लोग लिखते और बोलते आए हैं। उससे कुछ नुकसान नहीं होता।

मैं चाहता हूं कि मेरी बात को मंत्री महोदय पकड़ें। अगर कानून के खिलाफ कोई फिल्म है तो उसके ऊपर बाद में कार्रवाई हो। प्रीसेंसरशिप को मैं लोकतंत्र विरोधी काम समझता हूं। इंद्रकुमार गुजराल जी बहुत सुलझे हुए दिमाग के आदमी हैं। पता नहीं मिनिस्टर बनने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हैं।

*** *** ***

[६]कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रीसेंसरशिप की क्या जरूरत है। अगर मान लीजिए लेखों के बारे में यह कहा जाए कि उनका सैंसर करने के लिए भी एक बोर्ड बने तो उसका सीधा जवाब यह है कि लेख जब प्रकाशित हो जाए तो लेखक और प्रकाशक दोनों जो इसके लिए जिम्मेदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हर क्षेत्र में प्रीसेंसरशिप नहीं होना चाहिए। इसको भी मैं विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम समझता हूं। इसलिए प्रीसैंसरशिप के मैं खिलाफ हूं। इसको गैर कानूनी मानता हूं।

ऐसे मुद्दों को लेकर कानून बनाने की जरूरत थी जिससे देश का अहित हो सकता है। मुझे जानकारी मिली है कि बम्बई के एक सिनेमा निर्माता को सोवियत संघ से काफी पैसा मिलता है। किस करार के तहत यह है इसकी सफाई मंत्री महोदय देंगे। स्वयं उन्होंने मेरे पत्र का जो उत्तर दिया है उसमें माना है कि सिनेमा घरों के निर्माण के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है। हो सकता है कि कल अमरीका से पैसे आए, चीन से आए या और किसी देश से आए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह चीज देश के हित में है? क्या विदेशी पैसे का इस्तेमाल अपनी जायदाद बढ़ाने के लिए, अपनी सम्पत्ति बढ़ाने के लिए हिन्दुस्तान के निर्माता करें, इसको आप ठीक समझते हैं? इन्द्र कुमार गुजराल जी कह सकते हैं कि मैं क्या करूं, यह तो वित्त मंत्रालय का विषय है। इस बिल के अवसर पर उनको इस चीज को मैं समझता हूं स्पष्ट करना चाहिए और वित्त मंत्रालय को कहना चाहिए कि जो भी कार्रवाई इसके लिए आवश्यक है उसको वह करें और भविष्य में इस तरह पैसे का दुरुपयोग न होंने दें। इस तरह से विदेशों के अगर हम लोग पैसे के माध्यम से एजेंट बनने लगें तो यह देश के हित में नहीं होगा। गणेश जी भी सुन रहे हैं। उनको आप भी अपनी राय दें कि यह सब नहीं होना चाहिए।

---

[६] श्री बसन्त साठे, सांसद द्वारा "गंदी पिक्चर हो तो उसको कैसे रोका जाए?" पूछे जाने पर जवाब देते हुए।

पिछड़े क्षेत्रों का विकास*£

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा बोलना तो बेकार ही साबित होने वाला है, क्योंकि मंत्री महोदय हमारे सुझाव पर विचार करने के लिए तैयार हैं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, हालांकि कई बातें मैं ऐसी कहने वाला हूं, जिनको स्वीकार करने में उनको जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

सबसे पहले मैं सिलेक्ट कमेटी को बधाई देता हूं कि उन्होंने छोटे उद्योगों के बारे में अपनी बहुत स्पष्ट बात रखी है। लेकिन आपकी मार्फत मैं सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन और मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, खास तौर से मशीनरी के उसको देखते हुए साढ़े सात लाख रुपये की जो सीमा बांधी गई है, दो साल पहले शायद वह उचित थी, लेकिन यह विधेयक कानून बनने के बाद वह सीमा बहुत कम साबित होने वाली है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि इस सीमा को 15 लाख तक बढ़ा देना चाहिए।

अब जो शैड्यूल का मामला है सबसे पहले मैं एट्थ शैड्यूल की चर्चा करूंगा। मैं देखता हूं कि मध्य प्रदेश का जहां तक संबंध है उसमें बस्तर आदि आदिवासी बाहुल्य के कई जिले समाविष्ट किए गए हैं लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है मुझे अफसोस है कि जो आदिवासी इलाके हैं, पलामू और संथाल परगना को छोड़कर जिनमें कि आदिवासी लोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, बाकी जिन जिलों में उनकी संख्या अधिक है उन इलाकों को बिलकुल छोड़ दिया गया है? इसका कारण क्या है, इसका खुलासा मंत्री महोदय और चेयरमैन महोदय को करना चाहिए.. छोटा नागपुर का जो आदिवासी इलाका है वह छोड़ दिया गया है। पलामू और संथाल परगना ये बार्डर लाइन के जिले हैं।

इस सदन में मैंने इस बात पर बड़ा जोर दिया था, और मैं मानता हूं कि कोलाबा जिला महाराष्ट्र का बहुत पिछड़ा हुआ है, उसका एक हिस्सा नई बम्बई की जो योजना है उसमें समाविष्ट किया गया है लेकिन इस कानून का नतीजा यह निकलेगा कि जहां इन्फ्रास्ट्रक्चर पहले से ही मौजूद है वहीं सारे बड़े उद्योग जायेंगे और आपके कानून का मखौल हो जाएगा। सारे कंसेशन उनको मिल जाएंगे। मुझे खुशी है कि उन्होंने नई बम्बई को इसमें से अलग कर दिया लेकिन इसकी जो शब्दावली है उसमें उन्होंने यह कहा है कि महाराष्ट्र सरकार के जो दो नोटिफिकेशन थे उनके तहत जो इलाके आते हैं वे उससे अलग किए जाएंगे। मगर कल मान लीजिए कि वे नोटिफिकेशन अपना बदल देते हैं, पहले एक हुआ उसके बाद उसको दूसरे से इलाका बदला गया अब तीसरा

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 1 अगस्त 1974.

£ श्री के.आर. गणेश, वित्त राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तावित 'प्रत्यक्ष कर (संशोधन) विधेयक' पर बहस में भाग लेते हुए।

आएगा और मान लीजिए दो मील का इलाका और जोड़ दिया जाएगा तो क्या होगा? तो मेरा यह कहना है कि इसमें यह जोड़ दिया जाये कि—

"or any areas covered by any amendment of the notification in future."

यह जोड़ने से इसमें कोई गड़बड़ी करने का मौका महाराष्ट्र सरकार को नहीं मिलेगा। इसके ऊपर मंत्री महोदय विचार करें।

दूसरी कसौटी मैंने बताई थी कि इंडस्ट्रियल एरिया की बेसिस पर चलिए। तो बम्बई मेट्रोपेलिटन अथोरिटी कायम हो रही है। हो सकता है कि कोलाबा जिले का इलाका उसमें आए। तो कोलाबा जिले का जो इलाका उसके कार्य क्षेत्र में आए उसको भी इससे अलग करना चाहिए वरना कोलाबा जिले का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको इस कानून से कोई फायदा नहीं होगा।

मुझे इन जिलों की लिस्ट पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि इसका कोई विशेष अध्ययन नहीं किया है। अब जैसे बुलन्दशहर जिले की बात ले लीजिए। बुलन्दशहर जिले को पिछड़े हुए इलाके में जोड़ा है। लेकिन कभी आपने विचार किया है कि बुलन्दशहर में कौन सा उद्योग लग सकता है आसानी से या जो पहले से लगे हैं उन्हीं का विकास करना ज्यादा आसान है? तो सिरेमिक्स इण्डस्ट्री है। मेरे मित्र पीलू मोदी ने ग्लास की बात की। सिरेमिक्स उससे मिलता जुलता है और बुलन्दशहर के खुर्जा इलाके में वह सिरेमिक्स की इंडस्ट्री है। लेकिन आपके नाइन्थ शेड्यूल में सिरेमिक्स का उल्लेख ही नहीं है। तो फिफ्थ शेड्यूल और नाइन्थ शेड्यूल में कोई मेल है या ऐसे ही यह शेड्यूल किसी सेक्रेटरी के मन में आया और उसने बना दिया, तथ्य क्या है यह मेरी समझ में नहीं आता। क्योंकि आपकी ही कसौटी के आधार पर मैं कह रहा हूं। आपने बुलन्दशहर को इसमें समाविष्ट किया है और बुलन्दशहर में सबसे व्यापक पैमाने पर जो छोटा उद्योग चलता है वह सिरेमिक्स का है। लेकिन आपके नाइन्थ शेड्यूल में सिरेमिक्स नहीं है।

इसी तरह से जिन बैकवर्ड जिलों की आपने लिस्ट दी है उसमें अधिकतर जिले पैडी प्रोड्यूसिंग, धान पैदा करने वाले इलाके हैं। अब धान से जुड़ा हुआ उद्योग एक तो डी-हस्किंग का है। डी-हस्किंग के बारे में दो प्रक्रियाएं चलती हैं। एक आधुनिक प्रक्रिया को शेलर प्रोसेस कहते हैं और जो पुरानी प्रक्रिया है उसे हालर प्रोसेस कहते हैं। अब यह आपके हित में है। क्योंकि इस देश में खाने के तेल का जो अभाव है और दूसरे तेलों का जो अभाव है। उसके चलते यह बहुत जरूरी है—अगर आप चाहते हैं कि साधारण लोग मूंगफली या सरसों का तेल खाए तो आपके लिए आवश्यक हो जाता है कि वनस्पति के लिए, सोप के लिए या अन्य उद्योगों के लिए आप पाबन्दी लगाइए कि मूंगफली के तेल का या सरसों के तेल का उपयोग न किया जाये।... मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें कर रहा हूं और इसमें बोलने वाले बहुत कम हैं।

मैं यह कह रहा था कि अगर नाइन्थ शेड्यूल में आप शेलर प्रोसेस को रख देते हैं तो नतीजा यह होता है कि आज जो हालर प्रोसेस चल रहा है धान के लिए उसकी जगह पर आधुनिकतम राइस मिल्स आ जायेंगी और शेलर प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगी, उससे जो राइस ब्रान है उसमें से तेल निकल सकता है। चार लाख टन तक की पोटेंशियलिटी है और आज हमारे देश में तेल का

बहुत बड़ा संकट है। तो इसमें कोई औद्योगिक विकास की सम्यक दृष्टि ही नहीं दिखाई देती। यह दृष्टि होती तो शेलर प्रोसेस का आप उसमें समावेश करते।

उसी तरह हमारे मित्र के इलाके में रूई और कपास ज्यादा पैदा होता है। अब इसमें देखिए कि कपास में भी जो काटन सीड का केक होता है, जिस पद्धति से उसका इस्तेमाल होता है उसमें बहुत सारे उसके बाइ-प्रोडक्ट हैं, जो नहीं निकाले जाते काटन सीड केक से निकल सकते हैं। कई दफा काटन सीड सीधा जानवरों को खिलाया जाता है। इसलिये इसकी निहायत जरूरत थी कि यह जो काटन सीड केक है इसमें डीलिंटिंग और डीकार्टिकेटिंग प्रोसेस होता है, उससे यह बाइ-प्रोडक्ट निकल सकता है जिसका रेयान इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो सकता है। यह भी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है और जितने आपने पिछड़े इलाके दिये हैं उनमें कपास और धान यह सब पैदा होता है। तो जरा इसके ऊपर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है।

इसलिये संक्षेप में मेरा यह कहना है कि पिछड़े इलाकों के बारे में पुनर्विचार किया जाए। इसमें कोई तर्क होना चाहिए। यह बिना तर्क का सारा मामला चल रहा है। कोई तर्क और कोई कसौटी होनी चाहिए। इसमें ऐग्रो इंडस्ट्री को जोड़ देना चाहिए जिसके दो उदाहरण मैंने दिये और जिसका सीधा तेल के संकट पर परिणाम पड़ेगा। तीसरी चीज ग्लास और सेरेमिक्स जैसे छोटे उद्योग जो हैं इनका भी इसमें समावेश करना चाहिए। इन उद्योगों को नाइन्थ शेड्यूल में इंक्लूड कीजिये और एट्थ शेड्यूल जो है उसको परिवर्तित कीजिये।

*** *** ***

...तो एट्थ शेड्यूल को बदलिये। असल में जो बैकवर्ड एरियाज हैं उन बैकवर्ड एरियाज के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप अगर जिले को प्रशासकीय यूनिट मानेंगे तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है। एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि जो मेरा पुराना क्षेत्र मुंगेर जिला था उसका जमुई सब-डिवीजन बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, उसके लिये एक विशेष योजना भी बनी थी। लेकिन पूरा मुंगेर नहीं है। इसी तरह से भागलपुर में बांका सब-डिवीजन पिछड़ा हुआ है। इसलिये मेरा ख्याल है कि जिले को आधार न मानते हुये सब-डिवीजन या ताल्लुक को इस तरह का बेसिस मानिए तो ज्यादा तर्कसंगत ढंग से आप इसके बारे में सोच सकते हैं।

सामाजिक सुधार और कानून*£

सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक पर कम-से-कम डेढ़ लाख लोगों का भविष्य निर्भर करता है। इस बिल के द्वारा मैं चाहता हूं कि हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत विभिन्न कार्यवाहियों के लिए जो अवधि, मियाद, निश्चित की गई है, उसको घटाया जाये। यह विधेयक पेश करने के बाद इतने पत्र मेरे पास आये हैं, जितने किसी भी विधेयक के बारे में कभी नहीं आये।

*** *** ***

कृष्ण व्यास नाम के एक व्यक्ति ने मुझे पत्र लिखा है। उन्होंने अपने अनुभव से बताया है कि अगर दुर्भाग्य से विवाह फेल, असफल, हो जाता है, तो उसका विच्छेद करवाने के लिए, और नया विवाह करने के लिए, कुल मिलाकर कितना समय लग जाता है। वह कहता है कि मान लीजिए अगर किसी लड़के की शादी 28 साल की उम्र में हुई, तो क्या स्थिति होती है। वह कहता है कि मान लीजिए कि दो तीन सालों के बाद दोनों अनुभव करते हैं या एक अनुभव करता है, कि शादी फेल हो गई, तो तीन साल इसमें गये। वह कहता है कि उसके बाद अदालत में जाने के लिए और दो साल जाने चाहिए और फिर अदालत की कार्यवाही पांच साल चलती है। तब तक उसकी उम्र 37 साल की हो गई। उसके बाद अदालत का निर्णय हो जाता है, और निर्णय के बाद दोबारा शादी करने के लिए फिर एक साल तक शादी करने का निषेध है। अगर वह नई शादी तय करने के लिए बहुत तेजी से भी आगे बढ़े तो भी एक और साल बीत जाता है। उसने अपना व्यक्तिगत अनुभव दिया है कि इस तरह चालीस साल की उम्र हो जाती है। अगर मान लीजिए कि स्त्री ने 22 साल की उम्र में शादी की, तो भी उसकी उम्र 34 साल हो जायेगी। हमारे देश में सामाजिक स्थिति ऐसी है कि विवाह-विच्छेद होने के बाद महिलाओं की दोबारा शादी होना मुश्किल है।

उसमें भी उनकी उम्र अगर 34-35 साल हो जायेगी, तब तो उनका जीवन ध्वस्त हो गया, जिन्दगी ध्वस्त हो गई—हमेशा के लिए। इसलिए मैं इसको मानवीय दृष्टिकोण से देखना चाहता हूं।

**लोक सभा वाद-विवाद*, 18 अप्रैल 1975.

£'हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक, 1975' पर विचार प्रकट करते हुए।

कल, सभापति महोदय, मैं एक सिनेमा देखने गया था और वही सिनेमा देखने आप भी गये थे। "आंधी" नाम का सिनेमा देखने के लिए हम लोग गये थे...

*** *** ***

...न मुझको मालूम था कि वे जाने वाले हैं और न उनको मालूम था कि हम जाने वाले हैं। मैं किस कारण से गया था—अखबार में छपा था कि वह सिनेमा प्रधान मंत्री जी के जीवन पर है और चूंकि उसकी जो रुचि है वह निम्न स्तर की है, इसलिए उस पर कोई बैन लगने जा रहा है, इसलिए हमने सोचा कि देखें, उसमें क्या है....

*** *** ***

सभापति महोदय, आप और हम कल इस सिनेमा को देखने के लिए गये। लेकिन उसे देखने के बाद मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई उसकी मंशा खराब है। लेकिन अन्त में आपने नोट किया होगा—जब आरती देवी चुनाव जीत कर हैलीकाप्टर पर बैठती हैं तो उससे उनके पति के पैर छुआये गये हैं। मुझे पता नहीं आपने इसे नोट किया या नहीं, लेकिन यदि आपने नोट किया है तो जो पुरुषीय अहम होता है, मेल-ईगो, उसकी पूर्ति कराने का काम डायरेक्टर के द्वारा किया गया है और यह समाज में जो वर्तमान दृष्टिकोण है—मेरी राय में—वह उसी का प्रतीक है। हमें जो सबसे खराब बात लगी—पूरे सिनेमा में—वह यही लगी कि समाज में जो पुरुषों का अहंकार है, अहम है, ईगो है, उसकी पूर्ति कराने के लिए यद्यपि उसको बहुत शक्तिशाली औरत दिखाया गया है फिर भी उससे पैर छुआये गये।...

*** *** ***

आपको यह अच्छा लगता है, लेकिन सरोजिनी जी* को यह अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इस तरह की बात जो बिलकुल दकियानूसी है, सड़े हुए दिमाग का प्रतीक है। मैं पिक्चर के बारे में राय नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आज जब हम लोग समाज सुधार की बात कर रहे हैं और उस पर ही मेरा विधेयक यहां आ रहा है—तब समाज में इस तरह की जो मनोवृत्ति है, वह निन्दनीय है। इसीलिए मैंने इसका उल्लेख यहां पर किया है। मेरी राय में ये जो विवाह संबंधी कानून हैं, इनमें मौलिक और व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है, तकरीबन सभी धाराओं में परिवर्तन की आवश्यकता है।

इसलिए सबसे पहले तो मैं सरकार से विनती करना चाहता हूं कि बहुत ही जल्द आप इसके संबंध में एक व्यापक विधेयक ले आइये। मेरे विधेयक की जो मंशा है वह तो सीमित है और उसमें मैं केवल मानवीय दृष्टिकोण से विचार कर रहा हूं। मुझे पता लगा है कि पूरे देश में इस तरह के लगभग डेढ़ लाख केसेज़ हैं...

*** *** ***

---

*श्रीमती सरोजिनी महिषी, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री।

कुल मिलाकर इस तरह के केसेज़ हैं। अगर इस कानून में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तो इनका जीवन तो ध्वस्त ही हो रहा है, लेकिन आगे अन्य लोगों का भी जीवन ध्वस्त होगा। इसलिए इतना ही नहीं, हिन्दू मैरिज एक्ट और अन्य कानूनों में भी व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता है।

*** *** ***

सभापति जी, मेरे पास एक कमेटी की रिपोर्ट है—स्टेट्स-आफ-वुमैन-इन-इंडिया—यह चार हिस्सों में है और मैं एक दिन रात भर इसको पढ़ता रहा। कोई बहुत क्रान्तिकारी रिपोर्ट नहीं है और मुझे बहुत अफसोस है कि ग्रामीण महिलाओं की जो समस्यायें हैं उनकी चर्चा इन शहरी महिलाओं ने बहुत कम की है। इसमें ग्रामीण महिलाओं के लिए वर्धा टाइप की लैट्रीन के निर्माण का कार्यक्रम वरीयता के आधार पर किया जाए, इस तरह का कोई सुझाव नहीं दिया है, इसलिए कि शहरी महिलाओं को देहाती महिलाओं की जो समस्यायें हैं, उनका अहसास नहीं होता है।

दूसरी बात—जो पीने का पानी है, जो पम्पिंग सेट के जरिये आता है या जिसको आप पाइप्ड वाटर कह सकते हैं, इसका इन्तजाम आज ग्रामीण इलाकों में, बहुत कम देहातों में है और मैं आज कानून मंत्री जी से कहना चाहता हूं—कई इलाकों में खास कर राजस्थान, गुजरात, आदि इलाकों में—मैं अकाल की बात नहीं कह रहा हूं, साधारण दिनों में भी—दो-तीन मील दूर से औरतों को पीने का पानी लाना पड़ता है। कई जगहों पर तो कुओं की गहराई इतनी नीची है कि कुओं से पानी निकालते-निकालते वे थक जाती हैं। मैं कुछ साल पहले गुजरात के दौरे पर गया था, पैटलाद के पास एक बहुत अच्छा गांव था, वहां ट्यूबवैल का पानी था। वहां के लोग कुछ गम्भीरता से और कुछ मजाक में कह रहे थे कि हमारे गांव की जो लड़कियां है, जब उनकी शादी कराते हैं तो पहले पूछते हैं कि क्या उस गांव में ट्यूबवेल और पम्पिंग सेट का पानी है या हमारी लड़कियों को दो-तीन मील दूर पानी लाने जाना पड़ेगा और चूंकि कुएं गहरे हैं, इसलिए पानी खींचते खींचते उनकी कमर टूट जायेगी। यह पन्द्रह साल पहले की बात है, लेकिन आज की स्थिति में भी कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है।

इस पर आज हम कोई बहस नहीं कर रहे हैं, फिर जब कभी मौका मिलेगा इस पर बहस करेंगे। लेकिन मैंने एक-दो नुक्ते आप के सामने रखे हैं।

तीसरी बात जो मुझे इस रिपोर्ट में अच्छी नहीं लगी—आज शहर की जो मध्यम वर्ग की महिलाएं हैं वे या तो स्टोव का इस्तेमाल करती हैं जो केरोसीन से चलता है या आजकल शहरों में बुरशेन या दूसरे तरह की गैस चलने लगी है...

*** *** ***

मैं निवेदन कर रहा था वह जो रिपोर्ट आई थी—उसकी आलोचना का मेरा पहला भाग यह है कि उन्होंने शहरी महिलाओं के नुक्तेनज़र से देखा है—इसीलिए मैं यह उदाहरण दे रहा था। ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे किसान गृहस्थ हैं जिनके पास 8-9 जानवर हैं। इन्होंने यह सुझाव तक नहीं दिया कि उनके लिए लाज़मी किया जाय कि वे वहां गोबर गैस प्लांट लगायें ताकि खाद का भी इन्तजाम हो सके और गोबर जला कर या लकड़ी जला कर उनकी जो आंखें धुएं से खराब

होती है, उससे उनको बचाया जा सके। यह ठीक है कि सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन यदि 5-10 प्रतिशत महिलाओं के लिए भी इन्तजाम कर सके तो कृषि का भी कल्याण होगा और महिलाओं का भी कल्याण होगा। मैं इसमें अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मेरा यही कहना था कि इस रिपोर्ट में यह बढ़ी कमी रह गई है कि ग्रामीण महिलाओं की समस्याओं की चर्चा इस में नहीं है। लेकिन शादी विवाह के जो कानून हैं ...

*** *** ***

यह गलत बात है। यही तो मैं कहने जा रहा हूं कि इस तरह की जो सैप्रेटेड महिलाएं हैं और मर्द हैं, इनकी अधिकांश संख्या ग्रामीण इलाकों में है। ....

£मैं यही बतलाना चाहता हूं—इन्होंने खुद जो फिगर्स दिये हैं उनमें कहा गया है कि इस तरह के जो केसेज हैं, उनमें 80 प्रतिशत देहाती महिलाओं के केसेज हैं, देहाती पुरुषों के केसेज हैं। स्टेटिस्टिक्स दिये हुए हैं। आप जो कस्टम वाली बात कर रहे हैं उस पर तो मैं आने वाला हूं। तो मैं यह कह रहा था कि इसमें विवाह और उसके विच्छेद के बारे में एक पूरा प्रकरण है, उसकी चर्चा की गई है। इसके बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इनका यह सुझाव है कि क्रूरता और पत्नी को छोड़ देना या यह जो मेन्टेनेंस वाली समस्या है इसके बारे में लॉ कमीशन का भी जो विचार है, जो मैं उद्धृत करने वाला हूं, और इनकम्पेटेबिलिटी, इसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। आज हमारे कानून के तहत परस्पर सम्मति से भी विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, और एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते यह भी विवाह-विच्छेद का आधार नहीं हो सकता। ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं इसलिए मैं कमेटी के कुछ सुझावों को उद्धृत करना चाहता हूं।

अभी माननीय शशि भूषणजी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे उसके बारे में इस कमेटी ने सुझाव दिया है कि:

It has been suggested that the Ministry of law should prepare an exhaustive record of the customs relating to divorce found in different States and set up a panel of socio-legal experts to determine if any of these customs are invalid.

यह इसलिए दिया है कि क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार कानून की जो परिभाषा की गई है उसमें रस्म-रिवाज भी आते हैं और जो संविधान की धारायें हैं मौलिक अधिकार की उनसे जो रिवाज मेल नहीं खाते, मान लीजिए अगर कोई कस्टम ऐसा है कि जिसमें पुरुषों का तो एक तरफा विवाह-विच्छेद कराने का अधिकार है और महिलाओं को नहीं है तो क्या अपने वर्तमान संविधान के अनुसार जिसमें समानता का सिद्धांत आपने माना है, इस तरह की रस्म और रिवाजों को आप चलने देंगे? तो मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि खोज करके कौन से कस्टम ऐसे हैं कि जो मौलिक अधिकारों से मेल नहीं खाते हैं और इसलिए वह गैर-कानूनी और असंवैधानिक हैं, इनकी सूची बननी चाहिए और उसका प्रसारण करना चाहिए। यह इन्होंने एक सुझाव दिया है, और मैं इसकी ताईद करता हूं।

£ श्री शशि भूषण, सांसद द्वारा दिये गये आंकड़ों के संदर्भ में बोलते हुए।

दूसरा सुझाव इन्होंने यह दिया है कि:

We recommended legislation to eleminate the unilateral right of divorce and to introduce parity of right for both partners regarding grounds for seeking dissolution of marriage.

समानता के सिद्धांत के अनुसार इन्होंने यह सुझाव दिया है, और इसकी भी मैं ताईद करता हूं।

सभापति महोदय, 1955 के हिन्दू मैरिज एक्ट के अनुसार हम लोगों ने अनेक विवाह प्रणाली, या मराठी में जिसको हम विवाहार्य प्रतिबंध कानून कहते हैं, इसका प्रावधान किया। उसके बावजूद इस सदन की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं क्योंकि लोगों को कुछ गलतफहमी है कि अनेक पत्नियां करने की प्रणाली मुसलमानों में ज्यादा हैं और हिन्दुओं में चूंकि अब प्रतिबंध लग गया है इसलिए वह समाप्त हो गई है। ऐसी बात नहीं है। यह जो आंकड़े दिये गये हैं, मैं पहले हिन्दू, मुसलमान और बाद में आदिवासियों में क्या इस वक्त चल रहा है, इसके बारे में अनेक पत्नी प्रणाली के बारे में, उसके आंकड़े दे रहा हूं।

जहां तक हिन्दुओं का सवाल है 1931 और 1940 के बीच में अनेक पत्नियां करने वाली जो बात है, उसका अनुपात 6.79 प्रतिशत था। 1941 और 1950 में यह बढ़कर के 7.15 प्रतिशत हुआ। शायद इसका एक कारण यह हो सकता है कि चर्चा चल रही थी कि हिन्दू कोड बिल आ रहा है इसलिए जल्दबाजी में कुछ लोगों ने शादियां वगैरह की होंगी और 1951 और 1960 के बीच में जब यह कानून कार्यान्वित हो गया तो उसके बाद यह अनुपात 5.06 प्रतिशत हो गया।

अब जहां तक मुसलमानों का सवाल है 1931 और 1940 के बीच में यह अनुपात 7.29 प्रतिशत था। फिर उन में भी 1941 और 1950 में कुछ घटा और 7.6 प्रतिशत हो गया और 1951-1960 के बीच में यह मैं अपने जनसंघी मित्रों की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि यह इतना घटा कि 4.31 प्रतिशत हो गया। यानी मुस्लिम पर्सनल लॉ में पोलीगैमी की छूट है, हिन्दू पर्सनल लॉ में नहीं है, लेकिन फिर भी गैर-कानूनी तरीके से हिन्दुओं में आज भी 5.06 प्रतिशत है और मुसलमानों में....

*** *** ***

आज तो मेरा ख्याल है कि परिवार के सदस्यों को यह छूट है करने की। एक महिला कानून मंत्रालय में है, और एक सरकार की प्रमुख है। कोई काम जरूर किया जाए।

तो मुसलमानों में अनेक पत्नी वाली प्रणाली होते हुए भी 4.31 प्रतिशत है और हिन्दुओं में पाबन्दी लगने के बाद 5.06 प्रतिशत है। यह तो मेरे पास 1960 तक के आंकड़े हैं, अगर उससे भी ताजा आंकड़े मंत्री महोदय के पास होंगे तो वह सदन के सामने रखें।

और एक चिन्ता का विषय है कि इन आंकड़ों से आदिवासियों ...

*** *** ***

सेन्सस में क्या सवाल पूछे जाते हैं उस पर भी यह निर्भर करता है। आदिवासियों के बारे में चिन्ता का विषय यह है कि जहां 1931 और 1940 में यह पोलीगामी वाला मामला 9.53 परसेंट था वह 1941 और 1950 में 17.63 परसेंट हो गया और 1951 और 1960 में 17.98 परसेंट, यानी तकरीबन 18 परसेंट हो गया। यह बहुत ही गम्भीर परिस्थिति है जिस पर यह आंकड़े रोशनी डालते हैं। अगर 1970 तक के आंकड़े मिल जायेंगे तो पता लग जायेगा कि इसमें सुधार हुआ है या गिरावट आयी है।

अब सभापति महोदय, इन्होंने जो सुझाव दिया है कि सम्पूर्ण विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए क्या होना चाहिए, लेकिन जब मैं काम्प्रीहेंसिव लेजिस्लेशन की मांग करता हूं तो मेरा यह कहना है कि विवाह-विच्छेद के लिए कारण क्या होने चाहिएं इसके ऊपर पुनर्विचार होना चाहिए और इसमें इन्होंने जो कहा है कि:

"The question of ground for divorce needs to be re-examined. The present law does not provide for cruelty desertion, incompatibility and mutual consent. It should be the objective of all legislation to remove the causes of avoidable unhappiness."

यह एक सुझाव है। दूसरा सुझाव इनका यह है:

"In the opinion of the Committee on Status of Women, cruelty and desertion should be added as grounds for divorce in the Hindu Marriage Act so that persons are not compelled to follow the present circuitous route and undergo the expense of going to court twice."

यह भी उन्होंने कहा है। इस सिलसिले में मेंटिनेन्स के बारे में यह लॉ कमीशन की रिपोर्ट है। इसमें पृष्ठ संख्या 68 पर यह लिखा हुआ है:

"At present, desertion is not a ground of divorce under the Hindu Marriage Act. It is a ground of Judicial separation under section 10, but this affords no practical relief, because when one party has deserted the other, the grant of judicial separation merely enables the deserted party to obtain a ruling from the court that, because of the unjustifiable conduct of the deserter, the deserted party will not be bound to cohabit with the deserter."

यानि उनके खिलाफ क्या आप कहते हैं:

Restitution of conjugal rights.

इस तरह का आर्डर केवल नहीं होगा। बाकी जो संकट है, तकलीफ है, वह वैसे ही रह जाएगी।

"The fundamental duty of the parties to a marriage is to stay together, and to give each other the warmth and support expected by the partners in the marriage. If this warmth and support be denied, the marriage falls in its substratum, and the situation is an appropriate

> one for the grant of divorce-subject, of course, to the usual safeguards. It would, therefore, be appropriate if desertion for a specified period—say two years—is made a ground of divorce under section 13(1) of the Hindu Marriage Act, by inserting a new clause for the purpose."

सभापति महोदय, गोखले साहब* के द्वारा एक विधेयक का मसौदा भेजा गया लेकिन जब मैंने मसौदा पढ़ा तो मुझे लगा कि वह अपूर्ण है और फिर जो यह नई कमेटी स्टेटस ऑफ विमैन वाली आई है। इनकी सिफारिशों को मद्देनजर रखते हुए, इसको री-कास्ट करना चाहिए और अभी जो आंकड़े मैंने दिये हैं, इसके बारे में मेरा कहना यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने महिलाओं की विभिन्न समस्याओं के बारे में कुछ कन्वेशन्स जारी किये हैं और अफसोस की बात है कि इन कंवेशन्स के ऊपर, हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य होते हुए भी और संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत बड़े समर्थक होते हुए भी हम लोगों ने इन कंवेंशन्स के ऊपर अमल नहीं किया है।

एक सुझाव तो यूनाइटेड नेशन्स का यह था कि सभी तरह की शादियों, किसी भी जाति या धर्म के वे हों, को लोगों को रजिस्टर करना चाहिए और विवाह हुआ है या नहीं, शादी हुई है या नहीं उसका एकमात्र सबूत अन्त में यह होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो। यह बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि यह जो हिन्दुओं में पोलीगैमी बढ़ रही है, वह न बढ़े। मैं कुछ लोगों को भी जानता हूं कि वे क्या करते हैं। वे दूसरी शादी कर लेते हैं क्योंकि पहली पत्नी से शादी बहुत पहले हुई थी और सबूत देने वाले नहीं रहते हैं। अगर कोई कानूनी कार्यवाही करे तो यह झंझट आएगा, कि सप्तपदी हुई थी या नहीं? इसका कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन शादी-विवाह को रजिस्टर करने की बात अगर हो जायेगी, तो सभापति महोदय, बहुत कुछ हद तक इसके ऊपर रोक लग सकती है। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि यूनाइटेड नेशन्स की जो कंवेशन्स हैं, उनको कार्यान्वित करना चाहिए। मुझे खुशी हुई है कि इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि की है और इन्होंने कहा है कि इस तरह का रजिस्ट्रेशन करने वाला कानून बहुत जल्दी बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार जो नया कानून बनाएगी, उसमें वह इस तरह का कोई प्रावधान करेगी।

सभापति महोदय, दक्षिण से मेरे पास एक महिला का, जिसने इस कानून के कार्यान्वयन का रिसर्च किया है, एक प्रबंध आया है और उसमें उन्होंने वर्तमान कानून में जो त्रुटियां हैं और लोगों को किस तरह से तकलीफ झेलनी पड़ती हैं, उसका बहुत अच्छी तरह से विश्लेषण किया है और इसके बाद वे इस नतीजे पर पहुंची हैं कि इस कानून में बहुत बड़े पैमाने पर परिवर्तन की जरूरत है। मैं आशा करता हूं कि मेरे जो ये सुझाव हैं उनको मंत्री महोदय मान लेंगे और इस बिल को तो पास होने दीजिए और बाद में जो काम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहते हैं, उसको लाइए। मैं आप से डेढ़ साल से कह रहा हूं और गोखले साहब* जब मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सिद्धांत को मानता हूं लेकिन मैं और व्यापक बिल चाहता हूं। तो और व्यापकता के नाम पर अगर यह मामला टलता रहा, तो बहुत गलत काम होगा।

---

*श्री एच.आर. गोखले, विधि. न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री।

अन्त में मानवीयता और चैरिटी के नाम पर मंत्री महोदय से अपील करना चाहता हूं कि इस विधेयक को वे जल्दी पास कराएं। मैं मंत्री महोदय से बहुत बड़ी अपेक्षाएं रख रहा हूं और आशा करता हूं कि बहुत जल्दी आप इस रिपोर्ट पर बहस करने का मौका दिलाइए। कानून मंत्रालय की ओर से, गोखले साहब तो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, उनसे आप कैबिनेट में कहलवाइए कि जो गवर्नमेंट टाइम होता है, उसमें इसको प्रायरटी मिले। वहां पर वे इसके लिए प्रायरटी मांगे। यह पार्लियामेंट बहुत सी दूसरी चीजों पर अपना बहुत-सा समय बिताती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वे पोलीटिकल चीजें हैं लेकिन सामाजिक सुधारों पर उतना समय नहीं मिलता। आप मुझसे पूछें कि मेरा सबसे आनन्ददायक क्षण कौन सा रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि फौरेन मैरिज एक्ट, जो छ: साल से राज्य सभा में और इस सभा में पड़ा था और चौथी लोक सभा में मैंने प्रधान मंत्री जी के साथ, अध्यक्ष के साथ और सबके साथ झगड़ा करके और आपके सामने हाथ जोड़ कर, बिना बहस पास करवाया था वह क्षण मेरे लिए बहुत आनन्ददायक था। इसके अलावा जो हिन्दू मैरिज एक्ट का दूसरा एमेंडमेंट था, उसके लिए भी मैंने उस दिन बड़ा जोर दिया था कि बहस जरूर करवाइए क्योंकि बहुत-सी विवादास्पद बातें हैं लेकिन उसको पास कीजिए और वह पास भी हुआ था। सामाजिक कानूनों के मामले में मैं इस सदन के किसी भी सदस्य से पीछे नहीं हूं और हमेशा इस पर मैं जोर देता हूं। मेरा यह कहना है कि आप अपने मिनिस्टर से, प्रधान मंत्री जी से इस पर झगड़ा कीजिए कि इन्टरनेशनल वीमन ईयर जब हम इस साल मना रहे हैं तो महिलाओं और औरतों को जो तकलीफें हैं केवल लेजिस्लेशन में ही नहीं बल्कि 'एन्टायर गैमट आफ गवर्नमेंटल एक्टिविटी' में उसका प्रतिबिम्ब होना चाहिए और कुछ अच्छे काम इस साल में होने चाहिएं, तभी यह सार्थक माना जाएगा।

हिन्दू-विवाह नियम: नया दृष्टिकोण*£

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं सोमनाथ चटर्जी के संशोधन के बारे में कहूंगा। उन्होंने धारा 14 में संशोधन दिया है, जिसमें यह कहा गया है:

> "Notwithstanding anything contained in this Act it shall not be competent for any court to entertain any petition for dissolution of a marriage by a decree of divorce unless at the date of presentation of the petition 3 years have elapsed since the date of marriage."

माननीय सदस्य अपने संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि 3 वर्ष की जगह 1 वर्ष रखा जाये। मैंने उसको इसमें इसलिए शामिल नहीं किया है, क्योंकि मैं भी यह नहीं चाहता हूं कि लोग शादी होते ही विच्छेद की चर्चा शुरू कर दें। यह मैं मानता हूं कि कोशिश यह की जाये कि अगर कुछ विवाद हुआ है, झगड़ा हो गया है तो उसको सुलझाने का प्रयास किया जाये। इसलिए यह जो तीन साल की ऐबसोल्यूट लिमिट है उसके लिए मैंने इसमें स्पर्श तक नहीं किया है।

*** *** ***

तीन साल तक प्रयास करके समझौता हो सकता है। इसलिए इसको तो मैंने छुआ तक नहीं। लेकिन बाकी जो मेरा सुझाव है कि जूडीशियल सेपरेशन के बाद दो साल की जगह पर 6 महीने कर दिया जाये, अबजूडीशियल सेपरेशन के लिए ही नियम है, उसके लिए एक ग्राउन्ड यह दिया है:

> "Deserted the petitioner for a continuous period of not less than two years immediately preceding the presentation of the petition."

यानी दो साल तो है ही। इसलिए उसके और दो साल और फिर डाइवोर्स और फिर एक साल, पूरी योजना को देखना चाहिए। जब तीन साल की एक मर्यादा है तो उस सीमा के अन्दर इस अवधि को घटाने से कोई नुकसान नहीं होता है और एक साल वाला जो मामला है यह कितना तकलीफदेह है इसका एक उदाहरण मुझे मिला है। यह एक बहुत ही प्रोजेक्टेड केस है और चूंकि अदालतों के निर्णय साफ नहीं हैं इसलिए क्या नतीजा हो रहा है, यह आप देखिए। उस व्यक्ति का नाम मैं नहीं लेना चाहता। उसका एक केस आया, उसमें इस तरह इश्यूज फ्रेम किये गये:

> "(1) Whether the marriage of the parties is void *ab-initio* in view of the proviso to Section 15 of the Hindu Marriage Act, 1955?

**लोक सभा वाद-विवाद*, 2 मई 1975.

£हिन्दू-विवाह (संशोधन) विधेयक पर हुई पुन: चर्चा में भाग लेते हुए।

(2) What is the effect of the respondent having disclosed to the petitioner and her parents the factum of the said decree of divorce before the parties entered into marriage with each other.

उसके ऊपर जज कहता है:

(3) According to the admitted facts of the parties, the respondent was previously married to X against whom he obtained a decree of divorce on 28th May, 1970 in Matrimonial Case No. 46 of 1970 from the Court of... In view of the proviso to Section 15 of the Act, the marriage of the parties having taken place before the lapse of one year from the date of the decree of divorce is not lawful and must be held void *ab initio*.

It has been held in (1968 Allahabad) that remarriage in contravention of proviso to Section 15 is void *ab initio*.

अब उसका नतीजा क्या है? उन्होंने कहा कि एक साल नहीं हुआ है यह मैंने बीवी और उसके रिश्तेदारों को बता दिया था, तो भी जज कहता है:

"Parties could not contract themselves out of mandatory legal provisions of law contained in the proviso to Section 15 of the Act and consequently, disclosure as alleged is meaningless and has no effect on the illegality of the marriage of the party."

उसके बाद क्या हुआ? फिर एलिमनी वाला मामला आया। यह बहुत विचित्र केस है कि पत्नी के रिश्तेदारों ने दबाव डाल कर इस केस में मैरिज को *ऐब इनिशियो नल एंड वायड* करवाया। उसके बाद एलिमनी का जब सवाल आया तो जज कहता है—एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है, मेरा बिल 25 पर नहीं है, लेकिन ये कान्फिलक्टिंग जजमेंट देखने के बाद जिस कॉम्प्रीहेंसिव विधेयक की बात मैं कर रहा था उसमें यह भी लाना चाहिए। सेक्शन 25 में ऐनी डिक्री की परिभाषा की गई है। नलिटी वाली डिक्री का जहां तक संबंध है, उसमें तो वह पत्नी ही कहती है कि यह जो शादी हुई है यह शादी थी ही नहीं। यह अवैध थी और फिर वही एलिमनी के लिए भी कहती है। तो अगर यह एक साल वाला कानून नहीं होता तो यह सारी आफत नहीं आती। इसलिए मैं कहता हूं कि एक धारा से दूसरी धारा का संबंध है, दूसरी धारा से तीसरी धारा का। अब इसके बारे में गुजरात और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि नलिटी के केस में भी यह एलिमनी वाला लागू हो जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने उसके विपरीत निर्णय दिया है। मैं दोनों पढ़ कर सुनाता हूं। उन्होंने यह कहा है:

"We may express our view having regard to the argument at the bar that Sec. 25 cannot be construed in such a manner as to hold that not withstanding the nullity of marriage, the wife retains her status for purposes of applying for all many and maintenance. The proper construction of Sec. 25 in our view would be that where a marriage

is admittedly a nullity, but where the question of nullity is in issue and is contentious, the court has to proceed on the assumption until the contrary is proved that applicant is the wife. It is in that sense that Sec. 25 should be appreciated."

इसमें स्पष्ट रूप से मैं यह सुझाव रखना चाहूंगा कि नलिटी डिकलेयर करने में मर्द का हाथ है और औरत का नहीं है तो मैं चाहता हूं कि इसको इस तरह बदला जाए कि उसके ऊपर जिम्मेदारी आएगी लेकिन जहां उसका दोष नहीं है वहां तो इसको आप सोच सकते हैं। लेकिन अगर यह एक साल आप खत्म ही कर देंगे तो इस तरह की जो समस्यायें हैं वह नहीं आएंगी।

मंत्री जी ने कहा कि बहुत जल्दी विधेयक आएगा लेकिन जल्दी की व्याख्या करने से इन्कार किया। जल्दी की जो यहां व्याख्या है वह मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। फारेन मैरिजेज बिल राज्य सभा में पारित हो कर चार साल तक यहां पड़ा था।

*** *** ***

हिन्दू मैरिजेज एक्ट का एक संशोधन हुआ था। चौथी लोक सभा में सब लोगों के हाथ-पैर पकड़ कर लोगों के साथ अनुनय विनय करके मैंने पास करवाया था। दो घंटे के अन्दर फारेन मैरिजेज बिल की भी इसी तरह बिना डिस्कशन के तीनों स्टेज यहां पर पास हो गई थी। लेकिन उसके लिए इतनी दफा मुझे प्रधान मंत्री* और रघुरामैय्या** को लिखना पड़ा। यह जल्दी की जो व्याख्या है वह करने से इन्होंने इंकार किया इसमें कई साल लगेंगे।

*** *** ***

इंट्रोडक्शन और पास होने में बहुत अंतर है। इन्होंने केवल वचन यह दिया है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे।

*** *** ***

तो अगले सेशन में क्यों नहीं कहती हैं पारित करने के लिए, तब मैं वापस ले लेता हूं। मानसून सेशन में यह विधेयक हम लोग लोक सभा में पास करेंगे यह आश्वासन देंगे तो हम इसको वापिस लेने के लिए तैयार हैं, नहीं, इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं है, उस पर एक व्यक्ति को छोड़ कर सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है अभी सरोजिनी जी£ ने कहा था कि जब हिन्दू कोड बिल आया तो इतना जबर्दस्त विरोध था कि वह पास नहीं हो सका तो उसको तीन हिस्सों में करना पड़ा। लेकिन आज आपने देखा होगा कि जनसंघ के दो मेम्बर यहां पर बोले और पन्द्रह दिन पहले जो बोले उन्होंने तो कहा कि आपके बिल में तो और ज्यादा समय कम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक साल में क्यों रहना चाहिए? पूरा हटा देना चाहिए।

* श्रीमती इंदिरा गांधी, प्रधान मंत्री।
** श्री कोथा रघुरामैय्या, निर्माण और आवास तथा संसदीय कार्य मंत्री।
£ डा. सरोजिनी महिषी, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री।

आज बेड़े जी* ने भी इसका समर्थन किया। तो जमाना बदल गया है, लोगों का दृष्टिकोण बदल गया है और ऐसी हालत में सरकार जो लापरवाही बरत रही है वह ठीक नहीं है। क्योंकि कई दफा आपने, मंत्री जी ने, आप तो अभी-अभी इस मंत्रालय में आई हैं, लेकिन गोखले जी ने मुझे पत्र लिखा, कई बार टेलीफोन पर कहा कि हां-हां, बहुत जल्दी करेंगे, जल्दी करना चाहते हैं। लेकिन आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सीधा आश्वासन दीजिए। मैंने जो तीन सुझाव दिये हैं—इनके बारे में मानसून सेशन में विधेयक पारित करने का आश्वासन देते हैं तो मैं वापस लेने को तैयार हूं।

*** *** ***

प्रोग्राम बनाना इन के हाथ में है। मैं अपने बिल को यहां ला सकता हूं, उस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन जो सरकार का बिल है, उस पर कितना वक्त लगेगा।...

---

* श्री रामचन्द्र बेड़े, सांसद।

विदेशी मामले और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL POLITICS

दक्षिण एशिया: गुट-निरपेक्ष नीति का आंकलन*£

अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान के अंतिम अनुच्छेद में कहा है:

> "I would like to impress on the House the gravity of the hour and the need to be exceedingly cautious in expressing views in a fast developing situation."

लेकिन दूसरों के लिए उन्होंने जो हिदायत दी है, उस पर वह खुद अपने बयान में नहीं चले। उन्होंने दो तीन वाक्य ऐसे कहे हैं, जो बिलकुल एकतरफा वाक्य कहे जा सकते हैं। जैसे, उन्होंने अपने वक्तव्य के दूसरे अनुच्छेद में कहा है:

> "The Israeli Prime Minister, Foreign Minister and Chief of Army Staff were quoted as saying that they would teach Syria a severe lesson and even march upto Damascus."

लेकिन इसके साथ-साथ नासिर साहब ने पचासों दफा कहा है कि इजराइल के अस्तित्व को खत्म करना हमारा उद्देश्य है। अगर मंत्री जी अपने वक्तव्य में दोनों पक्षों के कथनों को रखते, तो उचित होता। मैं यह भी बता दूं कि इजराइल ने जो काम 1956 में किया, उसका हमने सख्त विरोध किया था और स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण का अगर किसी ने सबसे ज्यादा समर्थन किया, तो हमारे दल ने किया था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री जी अमरीका की लॉबी वगैरह की बात छेड़ कर मेरे प्रश्न को न टालें।

मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा है:

> "The reply expressed the deep concern of the Government of India at the dangerous situation which had developed and our anxiety at the nature of statements recently made by the Israeli leaders."

यहूदी नेताओं के बयानों के बारे में तो भारत सरकार चिन्ता व्यक्त करती है और आगे चल कर यू.ए.आर. के बयान के बारे में वह क्या कहती है?

> "We expressed the hope that peace would be maintained and we noted with gratification that it was not the intention of the UAR to increase tension in the area......"

---

*_लोक सभा वाद-विवाद_, 25 मई 1967.

£श्री एम.सी. छागला, विदेश मंत्री के 'वक्तव्य: पश्चिमी एशिया की स्थिति' पर चर्चा में भाग लेते हुए।

यू.ए.आर. के बयान के बारे में भारत सरकार को ग्रेटिफिकेशन है, संतोष है। इसके बावजूद मंत्री जी सदन को यह हिदायत देते हैं कि इस स्थिति के बारे में अपनी राय प्रकट करने में "एक्सीडिंग्ली काशस" रहना चाहिए। वाह रे! संयम और सावधानता!

इस सरकार ने जो निरपेक्षता की नीति चलाई, उसका क्या नतीजा हुआ? निरपेक्षता की नीति मानने वाले देशों में से एक देश पर हमला होता है। और किन के द्वारा? किसी निरपेक्ष देश के द्वारा नहीं, बल्कि राष्ट्र-गुटों के साथ जुड़े हुए देशों के द्वारा, चीन और पाकिस्तान के द्वारा हमला होता है, जो अमरीकी गुट के साथ या दूसरे गुट के साथ जुड़े हुए देश हैं। तब ये निरपेक्ष देश क्या रवैया अपनाते हैं? वे आक्रान्त निरपेक्ष देश का साथ नहीं देते हैं। मैं यह नहीं कहता कि वे अमरीकी गुट का साथ दें या रूस के खेमे का साथ दें। लेकिन जब हिन्दुस्तान पर, जो कि निरपेक्षता की नीति चला रहा है, हमला होता है, तो तथाकथित निरपेक्षता की नीति चलाने वाले सभी देश उसकी मदद नहीं करते हैं। यह हमारी विदेश नीति का नतीजा है!

मैं कहना चाहता हूं कि दोस्ती कभी एकतरफा नहीं हुआ करती है। जब हमारे राष्ट्र पर हमला होता है, जब हमारे ऊपर संकट आता है, तो जो देश हमारे दोस्त कहलाते हैं, जो हमारी तरह निरपेक्षता की नीति पर चलते हैं, उनका कर्तव्य हो जाता है कि वे हमारी मदद करें। क्या भारत सरकार ने नासिर साहब को यह बात कही है? उनको यह बताने का यही मौका था कि एकतरफा दोस्ती नहीं हुआ करती है, 1962 में जब हमारा देश खतरे में था, जब 1965 में पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, तो उनको भी इसी तरह हमारा साथ देना चाहिए था। यह मौका था कि भारत सरकार नासिर साहब को कहती है कि उन्होंने अक्तूबर, 1962 में क्या किया, निरपेक्ष नीति को चलाने वाले एक देश पर हमला होता है और वह उसका साथ नहीं देते हैं। जब 1962 में हम पर संकट आया, तो नासिर साहब ने और अन्य निरपेक्ष देशों ने क्या किया? वे कोलम्बो योजना बनाकर मध्यस्थता करने के लिए आए। पाकिस्तान के आक्रमण के वक्त भी यही हुआ।

मंत्री जी के वक्तव्य का पहला वाक्य यह है कि इजराइल के अस्तित्व से तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई। मै मानता हूं कि मजहब के आधार पर किसी राज्य का गठन करना बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन इसके साथ साथ उनको कहना चाहिए था कि पाकिस्तान का निर्माण भी मजहब के आधार पर हुआ और उससे भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हुई है।

इसलिए अगर दुनिया में तनाव का अन्त करना है और पूर्वी जर्मनी तथा पश्चिमी जर्मनी, इजराइल और अरब देशों, भारत और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के पारस्परिक झगड़ों को खत्म करना है, तो उसका एक ही रास्ता है, जो हमारे देश ने 1946 और 1948 में अपनाया था। क्या आप नहीं जानते हैं कि भारत ने—और मुझे याद है कि यूगोस्लाविया ने भी—यह सुझाव रखा था कि यहूदियों और अरब देशों का एक महासंघ बने, बंटवारा न हो? इस नीति में परिवर्तन करने की क्या आवश्यकता हुई? भारत सरकार आज भी इस भूमिका पर क्यों नहीं डटी रहती है कि यहूदियों और अरब देशों, भारत और पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के झगड़े संघ राज्य के आधार पर तय किये जायें

और किसी भी हालत में धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर, वंश के आधार पर स्वतंत्र सार्वभौम राज्यों का निर्माण नहीं हो।

निरपेक्षता की नीति का यह मतलब नहीं है कि पचास करोड़ का देश चार-पांच करोड़ वाले देश के आगे हमेशा झुके और उनकी खुशामद करे। हमें छोटे देशों का जरूर साथ देना चाहिए। लेकिन कभी भी इसका मतलब नहीं है कि एकतरफा दोस्ती रहे। अध्यक्ष महोदय, अंतिम वाक्य मैं यह कहना चाहता हूं कि हमेशा अमरीकी लॉबी की बात चलती है, रूसी लॉबी की बात चलती है, चीनी लॉबी की बात चलती है, क्या इस सदन के अन्दर ऐसे लोग नहीं हैं जो हिन्दुस्तानी लॉबी के सदस्य बनने में अपने ऊपर गर्व करते हैं और फख्र करते हैं? इन चीजों का मंत्री जी जवाब दें।

भारत और चीन: कूटनीतिक संबंध*£

उपाध्यक्ष महोदय, इस 'काम रोको प्रस्ताव' पर जो बहस हुई, उसको मैंने गौर से सुना। मुझे याद है, पच्चीस साल पहले की बात है कि 'क्रिप्स योजना' के समय हम अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई में फंसे हुए थे। उस वक्त चीन से एक बड़ा नेता अपनी पत्नी के साथ भारत आया था। 1942 में, जबकि अमरीका के रूजवेल्ट और रूस के स्टालिन खुलकर हमारी स्वतंत्रता की लड़ाई के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के लिए तैयार नहीं थे, तब अंग्रेज हाकिमों को नाराज करके चांग-काई-शेक ने आल-इंडिया से खुलकर कहा था कि भारत को तत्काल स्वतंत्रता देनी चाहिए। हम लोग इस बात को भूले नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, चीनी लोगों के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि चीन जब साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ रहा था तो हमने चीनी जनता के प्रति हमदर्दी प्रकट की और चीन के उस समय के नेता ने भी जब हमारा देश संकट में था तो हमारे देश का साथ दिया। लेकिन आज चीन और भारत का मामला उलझ गया है। जो आशा मेरे जैसे लोग 25 साल पहले अपने सामने रखते थे, ख्वाब देखते थे कि चीन और हिन्दुस्तान आजाद होने के पश्चात् तमाम रंगीन दुनिया को मुक्त करने के लिए और दुनिया में बराबरी कायम करने के लिए एक दूसरे की मदद करके लड़ेंगे। लेकिन हमारा यह सपना इसलिए चकनाचूर हो गया क्योंकि चीन में 1947-48 में जो क्रांति हुई, यह लोक क्रान्ति नहीं रही उसमें फौजी तानाशाही आ गई, केन्द्रीकरण आ गया, हिंसा आ गई और यह क्रान्ति विकृत हो गई। और भारत में महात्मा जी जो क्रान्ति ला रहे थे उसकी धारा अवरुद्ध हो गई, कुंठित हो गई। इस कुंठित क्रान्ति के नेता और जिस क्रान्ति का विकृतीकरण हो गया था उस क्रान्ति का नेता, उनकी वजह से यह मामला उलझ गया। अगर हिन्दुस्तान में महात्मा जी वाली क्रान्ति को पूरा किया जाता और भारत में वह औद्योगिक और आर्थिक ताकत आ जाती, हिन्दुस्तान की जनता में वह नैतिक ताकत आ जाती और हमारी विदेश नीति का अगर कोई सैद्धांतिक आधार होता तो आज मेरा ख्याल है, कि चीनी आक्रमण के सामने हम अपने को कमजोर और दुर्बल नहीं पाते। चीनी क्रान्ति विकृत हो गई। लेकिन हिन्दुस्तान सरकार के नेताओं ने इस बात को देखा नहीं, आंखें मूद लीं और उन्होंने सोचा कि हम अपने देश में तो क्रान्ति नहीं कर सके हैं, चलो, चीन में क्रान्ति हो रही है, उनके साथ जरा दोस्ती दिखाकर दुनिया में नाम कमा लो कि हम भी प्रगतिशील हैं और उसका नतीजा यह हुआ कि शुरू से आखिर तक चीन के बारे में ठोस सिद्धांत के और वास्तविकता के आधार पर नीति निश्चित करनी चाहिए थी, वह नहीं की। मुझे याद है, 1947 में एशियाई सम्मेलन दिल्ली में हुआ था। अध्यक्ष महोदय, आपको भी याद होगा कि उस सम्मेलन में तिब्बत एक स्वतंत्र देश की हैसियत से सम्मिलित हुआ था। तो, क्या वजह है कि एक-डेढ़ साल के अन्दर आपने अपनी

**लोक सभा वाद-विवाद*, 14 जून 1967.

£चीन में भारतीय कूटनीतिज्ञ के साथ दुर्व्यवहार पर काम रोको प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए।

नीति में परिवर्तन किया। आज विदेश मंत्री कह रहे हैं कि चीन के साथ जो करार हुआ पंचशील वाला, जिसमें तिब्बत के ऊपर चीन के अधिराज्य को हमने कबूल किया, सभी लोग मानते हैं कि तिब्बत की स्वायत्तता को, जिसको चीन ने खुद स्वीकारा था, खत्म कर दिया गया है। आज रूस वाले भी कह रहे हैं। ताशकंद रेडियो से लगातार यह खबरें आती हैं और रूस वालों की राय में भी चीन ने तिब्बत में मानवीय अधिकारों को, प्रजातंत्र को और स्वायत्तता को बिल्कुल खत्म कर दिया है। तो क्या इस करार पर और इस संधि पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता? यह रूस से बहुत सीखते हैं। इसलिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 1924 में उस वक्त की सोवियत सरकार ने पीकिंग की चीन सरकार के साथ करार किया था और उसमें मंगोलिया पर चीन की सार्वभौमिकता है इसका समर्थन किया था। लेकिन बाद में चीन में केन्द्रीय सरकार कमजोर हो गई तो रूस वालों ने क्या किया रूस वालों ने मंगोलिया में लोक क्रान्ति करवा करके मंगोलिया की सार्वभौमिकता को और स्वतंत्रता को घोषित किया और झख मारकर माओत्से-तुंग की सरकार को इस स्थिति को मानना पड़ा। तो जब रूस की सरकार इस संधि और करार के बावजूद मंगोलिया के संबंध में अपनी नीति में परिवर्तन कर सकती है तो क्या वजह है कि श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार और हमारे विदेश मंत्री तिब्बत के बारे में जो गलती हुई है उसको खुले दिल से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं हैं?

अभी छागला* साहब ने कहा कि विश्वासघात हुआ। मुझे याद है कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि जो राजा अपने पड़ोसी राजा के बारे में कहता है, दुश्मन के बारे में कहता है कि उसने विश्वासघात किया वह राजा मूर्ख है। वह चाणक्य ने कहा है। मैं इनके बारे में कुछ नही कहता। केवल चाणक्य का वाक्य रखता हूँ क्योंकि यह बार-बार कहते हैं कि चीन ने विश्वासघात किया। तो आप की बुद्धि पर क्यों परदा आया था? इस देश में कई ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा था कि तिब्बत पर चीन की वक्र दृष्टि है, तिब्बत को वह खत्म करना चाहता है। 1946 में जब अन्तरिम सरकार हमारे देश में कायम हुई थी तब पीकिंग पर कम्युनिस्टों का कब्जा नहीं हुआ था, तीन साल बाद हुआ। उसके बीच में जो पुराने रिश्ते थे, साम्राज्यवादी रिश्ते थे, उनमें परिवर्तन करके प्रजातंत्र के आधार पर नये रिश्तों को हमारी सरकार कायम कर सकती है। कम्युनिस्ट चीन, जिसने हमारे ऊपर आक्रमण किया उसको 'संयुक्त राष्ट्र संघ' में प्रवेश देने के लिए, आप शर्म और लज्जा को छोड़ कर कोशिश कर रहे हैं। क्या वजह है, 1946-47 में तिब्बत को राष्ट्र संघ में प्रवेश देने के लिए आपने कोई कदम नहीं उठाया। जबकि एशियाई सम्मेलन में तिब्बत को आपने दावत दी थी? और तिब्बत उसमें सम्मिलित हुआ था?

अध्यक्ष महोदय, मैं इस वक्त इतना ही कहना चाहता हूँ कि यह सरकार अपनी गलतियों को महसूस करने के लिए तैयार होती तो हम सभी पुरानी बातें भूलने के लिए तैयार हो जाते लेकिन इस तरह की कोई बात छागला जी ने नहीं कही है। इसलिए मजबूर हो कर यह काम रोको प्रस्ताव रखना पड़ रहा है। तारकेश्वरी** जी ने कुछ दांवपेंच की बात भी कही। उन्होंने कहा कि यह

---

* श्री एम.सी. छागला, विदेश मंत्री।

** श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद।

दांवपेंच को जानते नहीं हैं। उनके जैसे रोचक व्यक्ति से मैं हमेशा तैयार हूं दावपेंच सीखने के लिए और दूसरी चीजें सीखने के लिए भी।

हमारे दूत के साथ जो कुछ हुआ उस पर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया जो मीनू मसानी साहब ने बात कही थी, हमारे दूतों पर जो शारीरिक अत्याचार भी किये गये हैं उसका भी कोई खुलासा नहीं हुआ। छागला साहब ने कहा कि रूस और बुल्गारिया और दूसरे देशों का काम लिया। मैं जानना चाहता हूं कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसके ऊपर आक्रमण चीन ने किया है? कौनसा ऐसा देश है जिसका एक बड़ा हिस्सा चीन हथिया कर बैठा है? कौन ऐसा देश है जिनके दूतों को पीटा गया है, घसीटा गया है, गिरफ्तार किया गया है? क्या एक भी उदाहरण आपने सदन के सामने दिया? अपमान का ऐसा कोई उदाहरण नहीं हुआ है। अगर रूस की भूमि छीनी जाती तो रूस क्या करता—आप लोग तो 15 हजार वर्ग मील को कबूल कर रहे हैं लेकिन मानसरोवर और कैलाश को मिलाकर यह भूमि बहुत ज्यादा हो जाती है। कुछ दिन पहले हम ने कहा था कि पश्चिमी तिब्बत में मनसर गांव है, और यह हमेशा भारत के कब्जे में रहा है। इनको पता भी नहीं था। आज मैंने देखा कि चौथे व्हाइट पेपर में इन्होंने यह निम्न नोट अनौपचारिक ढंग से भेजा है। 1960 की बात है। हम तीन-चार साल पहले से कहते थे:

> "Apart from the above, it is also hoped that the Government of the People's Republic of China would respect the sovereign rights of the Government of Jammu and Kashmir, and, therefore, of the Government of India, over Mansar in Western Tibet."

तो मनसर पर जब हमारा सार्वभौम अधिकार है तो कैसे आप कह सकते हैं कि तिब्बत चीन का एक अंग है या चीन का तिब्बत के ऊपर अधिराज्य है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अपने अधिकारों की रक्षा करने में यह सरकार बिलकुल असफल रही है। मैं तारकेश्वरी जी* से पूछना चाहता हूं कि चीन के साथ राजनीतिक, कूटनीतिक संबंध-विच्छेद करने का इसमें जो सुझाव है इसको वह मंजूर करने के लिए तैयार हैं? अगर इस तरह का प्रस्ताव इस सदन में आता है और उसकी ताईद करने के लिए यह लोग तैयार हैं तो मैं अपना काम रोको प्रस्ताव वापस लेने के लिए तैयार हूं। मैं अभी छागला साहब से जानना चाहता हूं, इंदिरा जी से जानना चाहता हूं क्या इस तरह का कोई प्रस्ताव आप रख रहे हैं? अगर रख रहे हैं तो मैं अपना प्रस्ताव वापस लेने को तैयार हूं। देखिये कोई आवाज नहीं आ रही है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, छागला साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही है कि जिससे हमारी नीति में परिवर्तन होने की आशा की जा सकती है। हीरेन मुखर्जी** साहब को मैं इतना ही कहूंगा कि लेनिन जब फिनलैंड और पोलैंड की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तो वह बड़ा लोकतंत्री बनता है, लेकिन हम लोग जब तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं तो हम साम्राज्यवादियों के हाथ के खिलौने बनते हैं? हमारी समझ में यह बात आती नहीं है...

---

* श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, सांसद।

** श्री हीरेन्द्र नाथ मुखर्जी, सांसद।

हां, पड़ोसी हैं तो क्या हुआ लेकिन आज तो साबित हुआ कि इस मामले में मुखर्जी साहब आपसे ज्यादा नजदीक हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो पीकिंग में हुआ है हमारे दूतों के साथ, वह तो एक कड़ी है पूरी श्रृंखला की और उसका यह अंजाम है। आक्रमण हुआ। हमारे इलाके को उन्होंने हड़प लिया। इसलिए ऐसे देश के साथ कूटनीतिक संबंध विच्छेद करना हमारा एकमात्र कर्त्तव्य होता है। जो वर्तमान दुर्बलता और कमजोरी है उसको दूर करने के लिए औद्योगिक, सामाजिक और आर्थिक क्रान्ति हमारे देश में लाकर इस देश को मजबूत बनाना, यह भी हमारा फर्ज हो जाता है। इसलिए मैं सदन से प्रार्थना करता हूं कि वह मेरे काम रोको प्रस्ताव को कबूल करे।

भारत की विदेश नीति*£

अध्यक्ष महोदय, जहां तक आर्थिक सहायता का सवाल है यह सरकार अमरीका पर निर्भर है और कुछ विदेशी नीति के मामलों में यह रूसियों की वैचारिक गुलामी कर रही है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या उसने रूस की मंगोलिया संबंधी नीति पर विचार किया है। जैसा कि उस दिन मैंने कहा था रूस ने 1924 में मंगोलिया पर चीन की सार्वभौमिकता को कबूल किया। लेकिन याल्टा में रूजवेल्ट और स्टालिन के बीच में जो करार हुआ, उसमें एक वाक्य यह था:

"The *status quo* in Outer Mongolia shall be preserved."

इसका अर्थ यह है कि रूस ने उस करार के द्वारा अमरीका की सहमति से—और बाद में लाल चीन की सहमति से भी—बृहत मंगोलिया की स्वतंत्रता को कबूल करवाया। पहले 1924 में उसने मंगोलिया पर चीन की सार्वभौमिकता को माना, लेकिन बाद में याल्टा में तमाम दुनिया से मंगोलिया की स्वतंत्रता को कबूल करवाया। इस सरकार ने तिब्बत के बारे में भी इसी किस्म की गलती की लेकिन रूस ने जिस तरह मंगोलिया संबंधी अपनी नीति में परिवर्तन किया और चूंकि यह सरकार रूसियों की बहुत गुलामी करती है इसलिए उससे सबक सीख कर क्या वह तिब्बत के संबंध में अपनी नीति में उसी तरह परिवर्तन करेगी और तिब्बत की स्वतंत्रता की घोषणा करेगी?

*** *** ***

अध्यक्ष महोदय, चीन बराबर कह रहा है कि भारत सरकार तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन कर रही है लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है जैसा कि अभी मंत्री महोदय ने कहा है। उसी तरह चीन की सरकार कह रही है कि हिन्दुस्तान की सरकार दो चीन वाली नीति को चला रही है अर्थात् फार्मोसा और चीन इन दोनों को मान्यता दे रही है, लेकिन यह सरकार ऐसा नहीं कर रही है। चीन यह भी कह रहा है कि हिन्दुस्तान के प्रतिक्रियावादी, अमरीकी साम्राज्यवादी और रूसी सुधारवादी एक नयी पवित्र संधि बना रहे हैं चीन के खिलाफ लेकिन यह सरकार यह भी नहीं कह रही है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जिन तीन कामों के बारे में चीन कह रहा है कि यह सरकार ये सारे काम कर रही है, क्या सरकार सचमुच इन कामों को करने

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 19 जून 1967.

£प्रश्न काल के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए।

की कोशिश करेगी: तिब्बत की स्वतंत्रता का समर्थन, दो चीन वाली नीति का पालन और चीन की आक्रमणकारी नीति के खिलाफ रूस, अमरीका और हिन्दुस्तान का पवित्र संगठन।

*** *** ***

*** *** ***

जब चीन कह रहा है कि यह ये तीन काम कर रही है, तो वह सचमुच इन कामों को क्यों नहीं करता है?

चैकोस्लोवाकिया की संप्रभुता*£

अध्यक्ष महोदय, स्टालिन साहब ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि बिना एक तीर छोड़े हुए, बिना एक गोली चलाए हुए, यह पचास करोड़ का देश उनके अधीन हो जायेगा। लेकिन ब्रेजनेव साहब बड़े खुशनसीब हैं। जब उनके चंगुल से कम्युनिस्ट देश एक के बाद एक निकलते चले जा रहे थे, तो उनको यह महात्मा गांधी का देश ऐसा मिला—इन लोगों की वजह से, जो उनके इशारे पर नाचने के लिए, उनके इशारे पर चलने के लिए तैयार हैं।

आज सबेरे मैंने जब यह कहा कि क्या सुरक्षा परिषद् में रूस के आक्रमण की निन्दा करने वाले प्रस्ताव पर तटस्थ रहकर आप ब्रेजनेव के दास और दासी बन जायेंगे—प्रश्न पूछा तो कुछ लोगों को गुस्सा आया। मेरे शब्दों से इनको चिढ़ है, लेकिन इनको अपने काम से चिढ़ नहीं है, अपने काम पर खेद नहीं है। क्यों ये लोग आक्रमण को आक्रमण कहने से घबरा रहे हैं, और हिचक रहे हैं? उसकी आलोचना करने से, मेरी समझ में नहीं आता है, इनको हिचक क्यों है? आखिरकार 1956 में अध्यक्ष महोदय, इंग्लैंड, फ्रांस और इजरायल के द्वारा जब इजिप्ट के ऊपर हमला हुआ तो भारत के प्रधान मंत्री ने, नवम्बर 1956 की बात है, इस सदन मे कहा था, उनके शब्दों में मैं रख रहा हूं:

> "The starting of military operations against Egypt by the United Kingdom and France and more particularly, the bombing of parts of Cairo city came as a profound shock not only to people in India but people everywhere."

और आगे चलकर इस काम का वर्णन उन्होंने किया:

> "Flagrant case of aggression by two strong powers against a weaker one...."

तो क्या यह वर्णन चैकोस्लोवाकिया के लिए लागू नहीं है? पिछले वर्ष जून के महीने में जब इजरायल ने इजिप्ट के ऊपर हमला किया तो उस समय वर्तमान प्रधान मंत्री ने कहा था:

> "We have made our mark by taking a firm stand where justice is concerned. Non-alignment has never meant that we should be neutral."

लेकिन जब रूस का मामला आया, चैकोस्लोवाकिया की स्वाधीनता की हत्या जब रूस ने की तो पुराने शब्द भी वह भूल गई? उनके अपने जो शब्द हैं उनका भी उनको विस्मरण हो गया?

**लोक सभा वाद-विवाद*, 23 अगस्त 1968.

£चैकोस्लोवाकिया के विषय में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के संकल्प से संबंधित चर्चा में भाग लेते हुए।

अध्यक्ष महोदय, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यह जो निरपेक्षता की नीति है क्या उसमें यूगोस्लाविया भी हमारा साथी नहीं है? यूगोस्लाविया न अमेरिका के साथ है न रूस के साथ है। यूगोस्लाविया एक तटस्थ राष्ट्र है, कम्युनिस्ट देश होते हुए भी। लेकिन आप जानते हैं यूगोस्लाविया के नेताओं ने क्या कहा है? आज मैंने यह पढ़ा। उन्होंने कहा है:

"We condemn the occupation..."

आगे चलकर उन्होंने इसका वर्णन किया है:

"A most brutal form of violation of sovereignty and territorial integrity."

अध्यक्ष महोदय, रूमानिया की बात ले लीजिए। यह पूंजीवादी देश नहीं है। यूगोस्लाविया की तरह तटस्थ नहीं है। वारसा संधि संगठन का रूमानिया सदस्य है। लेकिन रूमानिया के नेताओं में जो हिम्मत है, कल मैं जानबूझ कर 'विट्ठल भाई पटेल' मैदान में जो सभा हुई उसके बाद उनके दूतावास में गया था, आप सभी लोगों की ओर से राजदूत को कहने के लिए कि आपने जो हिम्मत दिखायी है उस पर हमें फख्र है और आज जो इस सदन में इस सरकार की आवाज है वह 50 करोड़ जनता की आवाज नहीं है। रूमानिया की सरकार ने क्या किया? न केवल इस आक्रमण का विरोध किया, वह जानते थे, उनको पुराना इतिहास याद था। शुरू में हिटलर द्वारा आस्ट्रिया का खात्मा हुआ, बाद में चैकोस्लोवाकिया की नौबत आई, उसके बाद पोलैंड और इस तरह नार्वे, बेल्जियम, हालैंड और समूचे यूरोप पर अपनी साम्राज्यशाही हुकूमत प्रस्थापित करने का जब प्रयत्न किया तो इंग्लैंड वाले कह रहे थे चैकोस्लोवाकिया बहुत दूर है। लेकिन रूमानिया के लोगों ने सोचा कि आज चैकोस्लोवाकिया पर हमला हो रहा है, हो सकता है कि कल हमारे ऊपर भी हमला हो जाय और इसलिए उन्होंने नेशनल असेम्बली की बैठक बुलायी, रूस के आक्रमण का धिक्कार किया और आत्मरक्षा के लिए उन्होंने अपनी मिलिशिया को मोबिलाइज किया है, उनको कहा कि वे तैयार रहें।

चीन को ले लीजिए। चीन के साथ मैं कहूंगा कि न सिर्फ हमारा मतभेद है, बल्कि मैं कहूंगा कि दुश्मनी है क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि मुझे खुशी है कि चीन ने रूस के इस आक्रमण के बारे में बहुत सख्त शब्दों में निन्दा की है, शेमलेस ऐक्ट कहा है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है:

"It reminds one of the occupation of Sudatenland by Hitler."

इससे ज्यादा ताकत के साथ किसी भी देश की सरकार ने कुछ नहीं कहा। और यह कम्युनिस्ट देश है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की तटस्थता से .... हां, हमारे मतलब के लिए है तो जरूर करूंगा। ... अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सुरक्षा परिषद में वोट न देने से हमारे राष्ट्रीय चरित्र पर धब्बा नहीं लगा है? महात्मा गांधी के नाम पर कलंक नहीं लगा है? कुछ मामलों में ब्रेजनेव का कर्म स्टालिन के कर्मों से भी खराब है। स्टालिन ने फिनलैंड पर हमला किया था। फिनलैंड पूंजीवादी देश था और उस समय लड़ाई चल रही थी। सुरक्षा के लिए कम से कम थोड़ा बहुत खतरा था। लेकिन फिर भी समूचे फिनलैंड पर स्टालिन

ने कब्जा नहीं किया। लेकिन आज ब्रेजनेव साहब किनके ऊपर हमला कर रहे हैं? किसी साम्राज्यवादी देश पर? कल ठीक ही कहा दिल्ली के विश्वविद्यालय के लड़कों ने, कि सोवियत रूस को अगर लड़ाई की इतनी इच्छा है तो साउथ वियतनाम की जनता को बचाने के लिए अपने टैंक वहां क्यों नहीं भेजता? मैं आज पूछना चाहता हूं, मैंने मास्को में भी रूस वालों से पूछा था कि ... आप जरा सुनिये। सुनने की आदत रखिए। सोफिया हो कर आये हो न शशिभूषण जी, चैकोस्लोवाकिया के लोगों से वहां मिले होंगे?

अध्यक्ष महोदय, मास्को में मैंने उनसे पूछा था कि क्या आप साउथ वियतनाम की जनता की रक्षा के लिए अपने टैंक वहां भेजने के लिए तैयार हैं तो वे लोग हंसे, साउथ वियतनाम में भेजने के लिए मैं कह रहा हूं, तो उन्होंने कहा, कि नहीं, उससे लड़ाई छिड़ जायेगी। इसलिए हम नहीं जायेंगे, बहुत दूर देश है। लेकिन आज अपनी सेना का और पाशवी बल का इस्तेमाल रूस एक कम्युनिस्ट देश के खिलाफ कर रहा है और सो भी ऐसे कम्युनिस्ट देश के खिलाफ जो वारसा करार संगठन का सदस्य है। मैं पूछना चाहता हूं वारसा करार काहे के लिए बनाया गया था? वारसा करार के बारे में रूसी नेता कहते थे कि आक्रमणकारी नाटो ताकतों के खिलाफ, साम्राज्यशाही के खिलाफ हमारा वारसा करार है। लेकिन आज खेद की बात है कि वारसा करार के नाम पर अपने ही एक कम्युनिस्ट भाई को खत्म करने के लिए आज सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी राय में ऐसा क्रूर कर्म, अपने ही साथी को दबाने के लिए सेना का इस्तेमाल करना, दुनिया के इतिहास में शायद ही कभी हुआ हो। आखिरकार चैकोस्लोवाकिया का क्या पाप था? क्या उनकी नीति थी? उन्होंने यह कहा था कि 20 साल के पहले उत्पादन के साधनों पर जो सामाजिक मिल्कियत प्रस्थापित हो गई है उसको हम खत्म नहीं करेंगे। क्या वह पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे थे कल-कारखानों को? नहीं, अध्यक्ष महोदय। उन्होंने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व भी रहेगा लेकिन एक अच्छी बात उन्होंने कही कि कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व डंडे के बल पर, कानून के जरिए हम प्रस्थापित नहीं करेंगे, जनता का समर्थन, स्वेच्छा से जनता जो समर्थन देगी, वह समर्थन प्राप्त करके हम अपने नेतृत्व को बनाए रखेंगे। यह बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। दुनिया की किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने यह बात नहीं कही।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी बात उन्होंने कही—अगर रूस की सुरक्षा का सवाल है, यूरोप की शान्ति का सवाल है तो चैकोस्लोवाकिया के लोग कहते थे—जिस दिन नाटो खत्म हो जाएगा, वारसा करार भी खत्म हो, वारसा करार से वह अलग नहीं हो रहे थे, उसकी पुनर्रचना की मांग कर रहे थे। जैसे डिगाल साहब ने नाटो की पुनर्रचना की मांग की थी। लेकिन क्या अमरीका ने अपनी सेनायें फ्रांस के अन्दर नहीं भेजीं? रूस को भी चाहिये था कि उनकी मांगों पर विचार करते और इस तरह से टैंकों और हवाई दल का इस्तेमाल करके उनका गला घोंटने की कोशिश नहीं करते—लेकिन, अध्यक्ष महोदय, ऐसा उन्होंने नहीं किया।

अब सुरक्षा परिषद में इन्होंने जो पाप किया है उसका पापक्षालन ये लोग कर सकते हैं। मोरारजी भाई यहां पर बैठे हुए हैं, आपकी मार्फत मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जनरल असेम्बली की बैठक बुलाई जा सकती है। अगर कोई बड़ा राष्ट्र वीटो का इस्तेमाल करता है तो

क्या आज हिन्दुस्तान उस पापक्षालन के लिए पहल करेगा कि जनरल असेम्बली की बैठक बुलाई जाये और उस बैठक में इस आक्रमण की निन्दा की जाये और इस आक्रमण को खत्म करने के लिए सुझाव दिये जाये।

अध्यक्ष महोदय, आज दिनेश सिंह साहब मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। सुना है काबुल गये हैं। लेकिन अगर इस बात का पता चल जाता है कि वह मास्को गये हैं तो वह बहुत घृणित कर्म होगा...

*** *** ***

...अध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो प्रहलाद, सुकरात और महात्मा गांधी की परम्पराओं में विश्वास करते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में न केवल गांधी जी के शरीर की हत्या हुई है, बल्कि इन लोगों ने गांधी जी के विचारों की भी हत्या की है। लेकिन फिर भी मुझे हर्ष है कि अमरीका में शहीद मार्टिन लूथर किंग के रूप में महात्मा गांधी का नया अवतरण हुआ और आज मैं खुशी से फूला नहीं समाता हूं चैकोस्लोवाकिया के हजारों नवयुवकों के रूप में महात्मा गांधी का वहां अवतरण हुआ है जो रूसी टैंकों के सामने, तोपों के सामने अपने को न्योछावर कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, दो बार कल और परसों रूसी दूतावास के सामने प्रदर्शन करते हुए हम लोग गिरफ्तार हो गये। आज मुझे गुस्सा है—हिन्दुस्तान के नौजवानों से, दुनिया के दूसरे देशों में प्रदर्शन होते हैं, क्या हम लोगों में गुस्सा नहीं है, क्या हमारी नस-नस में, खून के कतरे-कतरे में वह राष्ट्रीयता की ज्वलन्त भावना नहीं है? अध्यक्ष महोदय, आज मैं साफ कहना चाहता हूं—महात्मा जी ने कहा था अगर अहिंसा वाली हिम्मत आप में नहीं है तो हिंसा अच्छी है, लेकिन कायरता वाली नीति को मत अपनाओ। मैं आज आपकी मार्फत हिन्दुस्तान के नवयुवकों से अपील करना चाहता हूं—अच्छा होगा कि आप प्रहलाद, सुकरात और महात्मा गांधी के रास्ते पर चलो, लेकिन यदि वह आपको मन्जूर नहीं है तो खुदीराम बोस और सरदार भगत सिंह का रास्ता भी तो आपके लिए खुला है। लेकिन किसी भी कीमत पर आक्रमणकारी के सामने आप घुटने नहीं टेकें, आक्रमणकारी के सामने नहीं झुकें।

भारत-पाकिस्तान संबंध*£

दोनों पत्रों का अध्ययन करने के पश्चात् दो विचारधारायें और दो दृष्टिकोण सामने आते हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान का दृष्टिकोण यह है कि केवल छोटे सवालों पर ही नहीं बल्कि जो बुनियादी सवाल हैं उन पर पहले विचार होना चाहिए और समझौता होना चाहिये और हिन्दुस्तान का दृष्टिकोण जो प्रधान मंत्री के पत्र में व्यक्त हुआ है वह यह कि छोटे-छोटे सवालों पर हम समझौते करते चले जायें और अन्त में इसी प्रक्रिया में बड़े सवाल भी हल हो जायेंगे। हिन्दुस्तान का यह जो दृष्टिकोण रहा है उसके चलते सिन्धु नदी के पानी के बंटवारे का करार हुआ, बेरूबाड़ी यूनियन को बांटने का करार हुआ, कच्छ करार हुआ, ताशकन्द करार हुआ। एक-एक करार से पाकिस्तान को फायदा हुआ और जो बुनियादी मतभेद हैं वे मतभेद ज्यों के त्यों बने रहे। इतना ही नहीं हमको बताया जाता था कि बुनियादी विवाद केवल कश्मीर का है लेकिन आज इनके पत्र में मैं देख रहा हूं कि एक से संख्या दो हो गई हैं:

> "It is our sincere conviction that amity and friendship will continue to elude India and Pakistan if our two Governments run after the shadow that the peripheral issues are"—

उसको तो छाया कहते हैं।

> "and evade the reality that our two outstanding disputes regarding Jammu and Kashmir and the Ganges waters represent."

पहले अकेला एक सवाल माना जाता था। उसके दो हो गए। अगर इन दोनों को भी हल करेंगे तो फिर दो पाकिस्तान के हिस्सों को जोड़ने वाला कॉरिडार का सवाल भी आ जाएगा। इसके बाद चौथा आएगा। मैं विदेश कार्य मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार की एक-एक सवाल को अलग-अलग हल करने की जो नीति रही है उसकी असफलता को देखते हुए और पाकिस्तान के द्वारा बुनियादी सवालों की संख्या को बढ़ाने की जो नीति है, उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंडो-पाकिस्तान बाड़ बनाने की बात चल रही है क्या उसके सामने हमारी ओर से जो पख्तूनिस्तान का सवाल है—मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 1965 में यहां पर जवाब दिया गया था कि पख्तूनिस्तान के हम समर्थक हैं, पख्तूनिस्तान के साथ अन्याय हुआ है—वह उठाया जायेगा? क्या उसी तरह समान नागरिकता का सवाल, वीसा प्रणाली खत्म करने का सवाल, समान सुरक्षा नीति, समान वैदेशिक नीति, समान चीन संबंधी नीति आदि जो सवाल हैं इनको भी हमारी ओर से वहां रखा

**लोक सभा वाद-विवाद*, 30 जुलाई 1969.

£भारत-पाक संबंधों पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पत्र पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान चर्चा में भाग लेते हुए।

जाएगा ताकि बंटवारे के कारण जो सारी कुप्रवृत्तियां शुरू हो गई हैं, उनको खत्म करने के काम में हम आगे बढ़ सकें? क्या आप इस बात को महसूस करते हैं कि एक-एक सवाल को हल करने की जो नीति है वह गलत साबित हुई है।

गंगा के पानी के बारे में भी पाकिस्तान की शुरू में जो मांग थी और आज जो मांग है उसमें जमीन-आसमान का फर्क है। इनकी यह बुनियादी नीति ही गलत है कि एक एक सवाल हल करने से कभी पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के नजदीक आएंगे। सब सवालों को हल करने के बारे में जब तक कोई नीति नहीं बनाई जाती है और यह बंटवारे के कारण जो दुष्प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है, उसको खत्म करने का काम जब तक हमारी ओर से नहीं होता है तब तक कुछ नहीं होगा। क्या यह सही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ जब हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं तब आप पख्तूनिस्तान का समर्थन करने लग जाते हैं, बंगाल की आजादी का समर्थन करते हैं लेकिन ताशकंद करार हो जाता है, तो फिर आप उसको भूल जाते हैं? पख्तून बंगाल के लोग समझ रहे हैं कि हमारा केवल एक खिलौने के तौर पर या हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और भारत की सरकार को असल में उनकी स्वाधीनता से प्रेम नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि खान अब्दुल गफ्फार खां यहां पर आने वाले हैं। क्या सरकार इस बात की सफाई देगी? और पाकिस्तान के जो दांवपेंच हैं उनका मुकाबला करने के लिए मैंने जैसा कहा है, कोई एक मुकम्मल नीति अपनाएगी?

अंतर्राष्ट्रीय नीति के पुनर्विलोकन की आवश्यकता*£

अध्यक्ष महोदय, मुझे उम्मीद है कि राममूर्ति साहब$ कम से कम मुझ को गालिबन नहीं कहेंगे क्योंकि मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं—चाहे स्थगन प्रस्ताव हो, चाहे निन्दा प्रस्ताव हो, अविश्वास का प्रस्ताव हो या सरकार की किसी नीति के साथ असहमति प्रकट करने का प्रस्ताव हो, अगर वह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उस सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए गलिबिलिटी की बात करना बेकार है। आज रबात को लेकर इनकी जो नीति है इस नीति से असहमति प्रकट करने के लिए हम लोग खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दिनेश सिंह साहब को अब भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सरकारी दल से सबसे बढ़िया भाषण डांगे** साहब ने किया। अब यह सदन का समय अगर नहीं बिगाड़ेंगे और मुझको कुछ समय दे देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा।

इस विवाद में अपमान की और बेइज्जती की बड़ी चर्चा की गई। दूसरे वक्ताओं ने भी की और डांगे साहब ने भी की। लेकिन डांगे साहब का यह कहना था कि जिनकी नीति के कारण अपमान हुआ उनकी निन्दा मत करो, जिन्होंने अपमान किया उनकी निन्दा करो। यही फर्क रहा। लेकिन मैं यह अपमान और बेइज्जती की चर्चा ज्यादा नहीं करना चाहता। इसका एक कारण तो यह है कि अपमान, बेइज्जती किसकी होती है? जिनका आत्म-सम्मान होता है, उनका अपमान होता है। इस सरकार का कोई आत्म-सम्मान ही नहीं है तो कोई भी इसका अपमान नहीं कर सकता है। क्या इस सदन को पता नहीं है कि पिछली बार हमारे श्री बलीराम भगत*** भारत सरकार के प्रतिनिधि बनकर कीनिया में गए। उनका स्वागत करने के लिए कोई भी नहीं आया।

***　　　***　　　***

क्या हुआ वहां पर कि जो कीनिया का राष्ट्रपति था उसने भारत के प्रतिनिधि से मिलने से भी इन्कार किया। यहां पर हमने पूछा कि क्या यह भारत का अपमान नहीं हुआ? बली राम भगतजी ने कहा, इंदिरा जी ने कहा कि कोई अपमान नहीं हुआ। इसलिए इन का कोई आत्मसम्मान है ही नहीं, इसकी चर्चा छोड़ दें।

दूसरा कारण यह है, मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि अगर अच्छा काम करने के लिए जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और आपको धक्का मारकर निकाला जाता है तो मैं यह मानने के

---

* *लोक सभा वाद-विवाद*, 17 नवम्बर 1969.

£ भारत द्वारा 'रबात सम्मेलन में भाग लेने' के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

$ श्री पी. राममूर्ति, सांसद।

** श्री एस.ए. डांगे, सांसद।

*** श्री बलीराम भगत, विदेश व्यापार मंत्री।

लिए तैयार हूं कि उसमें अगर आप धक्का भी खाते हैं तो राष्ट्रीय हित में आपने खाया। उसका एक उदाहरण मैं देता हूं। इंग्लैंड के दोनों दल समझते हैं कि कामन मार्किट में जाना उनके हित में है। वह दरवाजा खटखटाते हैं। फ्रांस उनको ना कह देता है तो उनके ऊपर आलोचना नहीं की जा सकती कि उनका अपमान किया जा रहा है क्योंकि वह यह समझते हैं कि कॉमन मार्किट में जाना राष्ट्रीय हित में है। वह दरवाजा खटखटाते रहेंगे।

इसलिए यह बुनियादी सवाल उठाता है—क्या रबात सम्मेलन में जाना मुनासिब था...

*** *** ***

हमारी नीति में ... मैं सवाल उठा रहा हूं आप जवाब दीजिए। क्या रबात सम्मेलन में जाना हमारे बुनियादी सिद्धांतों के अनुसार था? क्या वहां पर जाना हमारे राष्ट्रीय हित में था ... इस देश के क्या बुनियादी सिद्धांत हैं? मैं उसका जवाब चाहता हूं। क्या धर्मनिरपेक्षता की नीति यह हमारे गणराज्य की बुनियादी नीति नहीं है?... अहमदाबाद की बात क्या कहते हैं? इसलिए तो सवेरे मैंने आलोचना की कि धर्मनिरपेक्षता की नीति जब आंतरिक राजनीति में टूटेगी तो मैं सरकार की धज्जियां उड़ाऊंगा, वह चाहे गुजरात की सरकार हो या इनकी हो। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ बोलेंगे तो उसका भी मैं डट कर विरोध करूंगा। जब तक आप गन्दा काम करते रहेंगे तब तक अकेला भी रह कर मैं विरोध करता रहूंगा। हमेशा किया है।

डांगे साहब ने यहां पर इस प्रस्ताव के रखने वालों के उद्देश्यों की चर्चा की कि उनकी क्या भावनाएं हैं, उनके क्या उद्देश्य हैं। मैं चर्चा करना चाहूंगा कि रबात सम्मेलन जिन लोगों ने बुलाया, उनके उद्देश्य क्या थे? उनकी राजनीति क्या थी। मानी हुई बात है कि इसे अरब गणराज्य ने नहीं बुलाया, सीरिया ने नहीं बुलाया या ईराक ने नहीं बुलाया। अरब राष्ट्रों में जितने लोकसत्ता राज्य हैं, उनकी इसमें पहल नहीं थी—यह बात राजा साहब भी मानेंगे। पहल किन की थी? राजा-राजा मिल गये, मोरक्को के राजा और नकली राजा मिल गये, सऊदी अरब के राजा और नकली राजा मिल गये तथा अरब राज्यों में जो लोकसत्ता वाले इस्लामी देश हैं, जो अपनी अर्थव्यवस्था और समाज का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, जो पश्चिमी एशिया में साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे नासिर साहब ने स्वेज का राष्ट्रीयकरण करके अंग्रेजों के प्रभाव को खत्म किया, इन लोगों की पहल नहीं थी। पहल किन लोगों की थी—मोरक्को की, सऊदी अरब की, उसमें ये लोग भी थे—जोर्डन तो था ही, लेकिन तुर्की, ईरान और पाकिस्तान, जो सेन्टो के सदस्य हैं, फौजी करार के सदस्य हैं, ये सब लोग उसमें शामिल थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि इस शिखर सम्मेलन में पहल करने वाले लोग दकियानूसी थे और इन लोगों का उद्देश्य था कि पश्चिमी एशिया में प्रगतिशील आन्दोलन आगे न बढ़े, इनकी गद्दियां सुरक्षित रहें, इनके स्वार्थ सुरक्षित रहें। इसमें कुवैत था, ईरान था, सऊदी अरब था, कौन नहीं जानता कि विदेशी-आयल-कार्टल के साथ इनका गठबंधन है। ये लोग चाहते थे कि पश्चिमी एशिया के मुस्लिम राष्ट्रों में प्रगतिशील आन्दोलन न चले, प्रगतिशील आन्दोलन को न चलने देने के लिए मंच तैयार किया गया। अगर गुटनिरपेक्षता के आधार पर आप नान-एलाइन्ड सम्मेलन करते तो मैं समझ सकता था, प्रादेशिक हितों की रक्षा के लिए आप

प्रादेशिक एशियाई देशों का सम्मेलन करते हैं, तो मैं समझ सकता हूं, आप अफ्रीकी देशों और एशियाई देश का सम्मेलन करते हैं, मैं समझ सकता हूं, आप उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ने के लिए, इस रंगीन दुनिया के लोगों को संगठित करने के लिए, जिनके जीवन स्तर में और उत्तरी गोलार्द्ध में रहने वाले सफेद मुल्कों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में जो अन्तर है, उस संबंध में आप सम्मेलन बुलाते, वहां धक्के खाकर भी आप आते तो मैं नहीं छेड़ता, क्योंकि आप एक अच्छे काम के लिए जाते, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अच्छे आन्दोलनों को, आधुनिकीकरण वाले आन्दोलन, प्रगतिशील वाले आन्दोलन, उपनिवेशवाद को समाप्त करने वाले आन्दोलन, राष्ट्रीय आजादी का आन्दोलन, इनको बढ़ावा देने के बजाय, इनको खत्म करने वाला जो आन्दोलन है, ऐसे आन्दोलन में आप जाते हैं।

पाकिस्तान की नीति और हमारी नीति में बुनियादी फर्क क्या रहा है? बुनियादी फर्क यह रहा है कि इस्लाम खतरे में है, यह नारा देकर एक इस्लामी गुट बनाना चाहते थे और हम लोग क्या चाहते थे—हम इस राजनीति को नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे कि एशिया और अफ्रीका में धर्म के आधार पर राजनीति चले। इसीलिए हमने गुटनिरपेक्षता की, प्रगतिवाद की, उपनिवेशवाद के विरोध की कल्पनाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन आज भारत के ऊपर, भारत की नीति पर आप लोगों ने कलंक लगाया।

मेरा यह कहना है कि यह पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब राज्यों में जो प्रतिक्रियावादी राज्य हैं, उन्होंने एक प्रतिक्रियावादी ब्लॉक तैयार किया है, एक गुट खड़ा करने का प्रयास किया है जो स्थायी रूप लेने वाला है, एक परमानेन्ट सैक्रेटेरियट बनने वाला है जिससे एशिया और अफ्रीका के राज्यों में राजनीति धर्म के आधार पर चले, राजाओं के आधार पर चले, आयल-कार्टल के आधार पर चले। इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए था कि हम सीरिया के साथ मिल जाते, ईराक के साथ मिल जाते, यू.ए.आर. से कहते और इन लोगों से मिलकर इस सम्मेलन को खत्म करने का पहले से प्रयास करते, न कि उसमें जाकर, धक्के खाकर, नाक कटवाकर वापस आते।

इसलिए मैं आज यह घोषणा करना चाहता हूं कि यह परमानेन्ट सेक्रेटेरियट बन रहा है, जिससे हमारी नीति मेल नहीं खाती। हमारी नीति अलग है, हम अपनी नीति को धूमिल न करें। इसलिए मैं कहूंगा कि इन्होंने जो कुछ किया है, उसके लिए ये माफी मांगें और सदन को आश्वासन दें कि आइन्दा इस तरह की गलती नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो आज वोट होगा और हम लोग वोट देकर रहेंगे। गलिबिलटी की इसमें कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि मोरक्को के राजा और राजा दिनेश सिंह का यह गठबंधन टूटे।

आत्मनिर्भरता हेतु ठोस नीति की आवश्यकता*£

सभापति महोदय, चूंकि मेरे पास समय ज्यादा नहीं है इसलिए मैं सिर्फ तीन मुद्दों पर बोलना चाहता हूं।

चूंकि दो साल के बाद मैं सदन में आया हूं इसलिए सबसे पहले मैं सुरक्षा मंत्री का अभिवादन करना चाहता हूं। हमारे देश में परम्परा यह है कि श्रेय में तो कई हिस्सेदार होते हैं और जब अपयश आता है तो उसकी भागीदारी करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। चीन के साथ हमारी लड़ाई हुई उसमें हम बुरी तरह से पिट गए, दोष दिया गया कृष्णा मेनन साहब को बांग्लादेश के मामले में जो लड़ाई हुई उसमें हमारी जीत हो गई, सारा श्रेय लिया प्रधान मंत्री ने, वह भारत रत्न भी बन गई और हमारे बाबूजी ऐसे ही रह गये। ... मैं बहुत गम्भीर बात कर रहा हूं। जगजीवन राम जी के बारे में चापलूसी करने का सवाल नहीं है, मैं सही बात कह रहा हूं। कृष्णा मेनन साहब को जिन लोगों ने दोष दिया उन्होंने उनके साथ अन्याय किया, यह दोष तो पूरी सरकार का था।

लेकिन दोष दिया गया कृष्णा मेनन को। और इसलिए आज मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि श्रेय जब देना था तो बाबू जगजीवन राम को क्यों नहीं दिया गया? सारा श्रेय प्रधान मंत्री ने क्यों लिया?

तो मान्यवर, मुझे तीन मुद्दे कहने हैं। कुछ साल पहले भारत आर्थिक मामलों में, हथियारों के मामलों में और दूसरे सारे मामलों में अमेरिका, ब्रिटेन जैसे अटलान्टी देशों पर निर्भर था। उसके बाद आत्मनिर्भरता की बात की गई, लेकिन हम लोग देखते हैं कि आत्मनिर्भरता का जो सिद्धांत था वह आज फिर चकनाचूर हो रहा है, खाद्य और आर्थिक मामलों में बड़ी लम्बी-चौड़ी बातें की गयीं, और फिर झोली लेकर अमेरिका के पास भारत जा रहा है, और हथियारों के मामले में रूस पर निर्भर बनता चला जा रहा है। मैं चाहूंगा सरकार ऐसी ठोस नीति बनाये जिससे हर मामले में मुल्क आत्मनिर्भर हो। कुछ कदम तो आपने उठाये हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि और जोरदार ढंग से आत्मनिर्भरता के कार्यक्रम को सुरक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में तेजी से आगे बढ़ाया जाये।

दूसरा मेरा मुद्दा यह है कि पिछले दो सालों में चूंकि औसत व्यक्ति आमदनी गिरती चली जा रही है, पिछले साल तीन प्रतिशत गिरी, इस साल दो प्रतिशत गिरेगी ऐसा अनुमान है, इसका नतीजा यह होता है कि जब साधारण लोग गरीब बनते जा रहे हैं, कंगाल होते चले जा रहे हैं, तो सुरक्षा का सारा बोझ आज गरीब लोगों के ऊपर ही बढ़ता चला जा रहा है। 20 साल पहले

**लोक सभा वाद-विवाद*, 26 अप्रैल 1973.

£सुरक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए।

जो सीधे टैक्स होते हैं उसके द्वारा सरकार को 75 प्रतिशत आमदनी थी और अप्रत्यक्ष करों के द्वारा 25 प्रतिशत थी। लेकिन आज स्थिति यह है कि सीधे करों के द्वारा आमदनी 25 प्रतिशत और अप्रत्यक्ष करों के द्वारा आमदनी 75 प्रतिशत है। तो सुरक्षा का बोझ भी साधारण जनता के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। इसलिए सरकार बहुत जल्दी आर्थिक प्रगति की दर में तेजी लाने का उपाय करे ताकि सुरक्षा का बोझ गरीब जनता के ऊपर न पड़े।

तीसरी बात यह है कि लम्बान की पाकिस्तान के बारे में, बांग्लादेश के बारे में कोई नीति बनायेंगे या नहीं? आप मान्यवर, पुराने कांग्रेसी हैं, आप लोग जानते हैं कि 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, और उन दिनों हम लोग भी कांग्रेस में थे, यह कहा गया कि विभाजन को तो हम मजबूरी में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय के ऊपर हिन्दुस्तान की एकता का नक्शा वैसे ही अंकित रहेगा जैसे पहले रहता था। लेकिन पहले तो हिन्दुस्तान के तक्सीम होकर दो राज्य बन गये, अब तीन बन गये, और अगर पाकिस्तान की हुकूमत और बेवकूफी करेगी तो और बनेंगे, और हमारी हुकूमत भी बहुत ज्यादा अति केन्द्रीकरणवाद की तरफ जायेगी तो हमारी भी वही दुर्गति होगी। तो मैं जानना चाहता हूं सुरक्षा मंत्री जी से कि कोई लम्बान की नीति ले कर बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ कोई बात होगी या नहीं?

इन्होंने शिमला करार के अन्दर जमीन को तो छोड़ दिया लेकिन पाकिस्तान के जो कैदी हैं इंसान हैं, उनको अब तक अपने पास रखा है। होना यह चाहिए था कि कुछ समय के लिए जमीन को नहीं छोड़ते, और जिनके ऊपर यह लोग मुकदमा चलाना चाहते हैं उनके अलावा, बाकी जो निष्पाप सैनिक हैं उनको पहले छोड़ देते। लेकिन किया उल्टा। जमीन को लौटा दिया और जो निष्पाप सैनिक हैं उनको अभी तक रखे हैं। तो क्या सुरक्षा मंत्री अपनी सरकार के ऊपर दबाव डालेंगे और बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सवालों के ऊपर बातचीत चलायेंगे? वे कोई ऐसा समझौता करेंगे जिसके अन्दर यह जो दीवारें तीन राज्यों में खड़ी हो गयी हैं, आज लाखों परिवार बंट गये हैं, यह सब समाप्त हो जायेगा? खासकर भारत के मुसलमानों की हालत पर मैं आपकी तवोज्जह दिलाना चाहता हूं। जो मगरबी पाकिस्तान में गये हैं उनको वहां पर हिन्दुस्तानी कहा जाता है, उर्दू के अखबार जलाये जा रहे हैं, और सिंध में नेता लोग कह रहे हैं कि इन हिन्दुस्तानियों को हम खदेड़ कर भगा देंगे। जो लोग बांग्लादेश में रहे वह बाहरी या बिहारी हैं और भारत में जो अल्पसंख्यक मुसलमान हैं वह यदि कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो उनको कहा जायेगा कि ये पाकिस्तानी हैं। यह हुकूमत केवल मुसलमानों को वोटर के रूप में देखना चाहती है, इन्सान के रूप में नहीं। इसलिए मैं सुरक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि प्रेसीडेंट भुट्टो, प्रधान मंत्री शेख मुजीबुर्रहमान और प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक जगह पर बैठें, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन बैठें, समान नागरिकता का एक करार करें, आने जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, बांग्लादेश से यहां आ सकते हैं, यहां से पाकिस्तान जा सकते हैं, पाकिस्तान से यहां आ सकते हैं।

दूसरी चीज यह कि समान सुरक्षा और वैदेशिक नीति इन तीन राज्यों में हो। इसके लिए भी हम लोगों को प्रयास करना चाहिए।

अन्त में मैं यह बात कहना चाहता हूं कि हर राज्य में अल्पसंख्यक हैं पाकिस्तान में चार किस्म के अल्पसंख्यक हैं, बांग्ला भाषी, उर्दूभाषी, हिन्दू और सिख यह पश्चिमी पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में भी उर्दूभाषी मुसलमान हैं, हिन्दू हैं और इस भारत में भी मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, तो तीनों राज्यों को अल्पसंख्यकों के बारे में भी करार करना चाहिए कि हम तीनों नेता अपने राज्यों की ओर से गारण्टी देते हैं कि अल्पसंख्यकों की जान और इज्जत को खतरा नहीं पहुंचेगा। यदि इस तरह का कोई व्यापक करार हो जायेगा तो सुरक्षा का खर्चा भी घट सकेगा और हम तीनों लोग मिल कर क्या चीन, क्या अमेरिका, क्या रूस, इन बड़े राष्ट्रों का जो निरंतर दबाव रहता है उस दबाव से पाकिस्तान बांग्लादेश और भारत की जनता को मुक्त करने का काम कर पायेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति का आकलन*£

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं श्री स्वर्ण सिंह को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हम लोगों को एक अरसे के बाद अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर बहस करने का मौका दिया है।

जब हम भारत की अन्तर्राष्ट्रीय नीति पर विचार करते हैं, तो सबसे पहले यह सवाल उठता है कि हम आत्मश्लाघी बनें या अन्तर्मुखी बनें। अगर हम अन्तर्मुखी बनेंगे तो इस बात को कबूल करना पड़ेगा कि बांग्लादेश की लड़ाई में भारत की जीत होने के बाद हमारी अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमा, हमारा अन्तर्राष्ट्रीय चेहरा, और ज्यादा निखरने के बजाय इन दिनों में धूमिल ही होता चला जा रहा है, और उसका कारण यह है कि आन्तरिक मामलों में भारत की कमजोरी बिलकुल स्पष्ट हो गई है।

यह सही है कि आजादी के बाद दस बारह साल तक भारत को अन्तर्राष्ट्रीय जगत में महत्व भी मिला और ख्याति भी मिली। लेकिन इसके जो कारण थे, उनका संबध दो महाशक्तियों के बीच में, अटलांटकीय और सोवियत खेमों के बीच में, उस समय चल रहे संघर्ष और शीत युद्ध से था। दोनों महाशक्तियां, दोनों खेमे, चाहते थे कि उनके बीच में मध्यस्थता का, एक ईमानदार ब्रोकर का, काम करने वाला कोई देश भी हो, और यह रोल उन वर्षों में भारत अदा करता था। जैसे ही यह शीत युद्ध समाप्त हुआ, दोनों महाशक्तियों को किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं रही।

उसी समय 1962 में चीन के साथ हमारी जो लड़ाई हुई, उसमें हमारी फौजी कमजोरी सारी दुनिया को ज्ञात हो गई। उस समय के बाद से अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत का महत्व कम होता चला जा रहा है।

द्वितीय महायुद्ध के बाद जो सबसे बड़ा अन्तर्विरोध इस दुनिया में रहा है, अगर मौलिक दृष्टि से देखा जाये, तो यूरोप और अमेरिका के विकसित राष्ट्रों और एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमेरिका के अविकसित और पिछड़े राष्ट्रों के बीच में जो अन्तर्विरोध है, वही बुनियादी अन्तर्विरोध है। अमेरिका और रूस के बीच वाला अन्तर्विरोध लम्बान की दृष्टि से बुनियादी अन्तर्विरोध नहीं था।

मेरे नेता, डा. राम मनोहर लोहिया, बहुत साल पहले कहा करते थे कि बुनियादी तौर पर जोजफ स्टालिन और हेनरी फोर्ड भाई-भाई हैं। उस समय लोग उनकी बात का अर्थ नहीं समझते

---

*लोक सभा वाद-विवाद, 20 दिसम्बर 1973.

£अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए।

थे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि ब्रेजनेव और निक्सन इतने ज्यादा करीब आ गये हैं कि, जिस अन्तर्विरोध का मैंने उल्लेख किया है, तथा रूस और चीन के बीच में जो अन्तर्विरोध उत्पन्न हुआ है, उसकी तुलना में अमेरिका और रूस के रिश्ते बहुत ज्यादा मित्रता के रिश्ते हो गये हैं।

किसी भी देश की वैदेशिक नीति को सफलतापूर्वक चलाने के लिए या तो उसके पास फौजी शक्ति होनी चाहिए, या आर्थिक और औद्योगिक सामर्थ्य होना चाहिए, और यदि ये दोनों शक्तियां नहीं हैं, तो कम से कम आदर्शों और मूल्यों की नई शक्ति होनी चाहिए। आज मैं विदेश मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या विगत 26 वर्षों में भारत ने कुछ नये आदर्शों का सृजन करने का प्रयास किया है। वैदेशिक नीति को चलाने का किसिंगर का भी तरीका है कि शक्ति भी है और पुराने ढंग की कूटनीति भी है, जिस तरीके को रूस ने भी अपनाया है।

लेकिन 1917 में जब रूस में क्रांति हुई, तो लेनिन के पास न फौजी शक्ति थी और न औद्योगिक और न आर्थिक शक्ति थी, मगर फिर भी लेनिन की नीति अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपना एक अनोखा महत्व रखती थी, और उसका कारण यह था कि नये आदर्शों का सृजन करने का काम लेनिन ने किया। मैं अदब के साथ कहना चाहता हूं कि भारत ने इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय जगत में नये आदर्शों का सृजन करने का कोई काम नहीं किया है। पुर्तगाली साम्राज्यवाद के तहत आज भी जो उपनिवेश हैं, और दक्षिणी अफ्रीका के जिस सारे इलाके पर गोरे साम्राज्यवाद का राज्य चल रहा है, क्या उन इलाकों को राजनैतिक पराधीनता से मुक्त कराने में भारत की वैदेशिक नीति का सफलता मिली है?

इस अन्तर्विरोध का दूसरा पहलू आर्थिक है। मैं श्री उन्नीकृष्णन के साथ इस बारे में सहमत हूं कि राजनैतिक पराधीनता तो एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के बड़े हिस्से से खत्म हो गई है, लेकिन पिछले 26 वर्षों में आर्थिक पराधीनता और शोषण बढ़ता चला जा रहा है। 26 साल पहले दुनिया के अविकसित देशों और यूरोप तथा अमेरिका के विकसित देशों के बीच जो खाई थी, वह खाई आज और ज्यादा चौड़ी और गहरी बन गई है, और इसलिए लम्बान की दृष्टि से मैं कहूंगा कि मेरी राय में भारत की वैदेशिक नीति इस मौलिक कसौटी पर खरी नहीं उतरी है।

जहां तक भारत का अपना सवाल है, क्या विगत 26 वर्षों में हमने अपने देश में आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी, असमानता, को समाप्त किया? अपनी आर्थिक प्रगति तेजी से करने के बारे में, और मुल्क को आत्मनिर्भर बनाने के बारे में, क्या हम लोगों ने कोई नया आदर्श विश्व के सामने पेश किया है? जब तक हम लोग यह काम नहीं करेंगे, जब तक अन्दरूनी कायापलट नहीं होगी, तब तक भारत की वैदेशिक नीति दुनिया में कारगर नहीं हो सकती है।

जब भारत आजाद हुआ तो संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना हो चुकी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रचना का आधार था कि द्वितीय महायुद्ध के बाद जो यथास्थिति उत्पन्न हो गई थी उस यथास्थिति को बनाए रखना। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में इसका प्रयास किया गया था। पिछले 26 वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति में इतने बड़े परिवर्तन हुए हैं लेकिन उसके अनुरूप संयुक्त राष्ट्र संघ का

जो चार्टर है उसको बदलने का प्रयास भारत ने नहीं किया, उसमें पहल नहीं की। क्या आज आर्थिक और औद्योगिक शक्ति को देखें तो ब्रिटेन और फ्रांस की तुलना में जापान और पश्चिमी जर्मनी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हैं? लेकिन जापान और पश्चिमी जर्मनी को आज सुरक्षा परिषद में कोई स्थायी सदस्यता प्राप्त नहीं है। अभी-अभी इन वर्षों में वह संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश कर पाए हैं। लेकिन फ्रांस और ब्रिटेन तुलनात्मक दृष्टि से कमजोर होते हुए भी उनको सुरक्षा परिषद में वीटो का भी अधिकार है और सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता भी उनको मिली हुई है। इसी तरह से लोक संख्या की दृष्टि से देखें तो हम चीन के बाद सबसे बड़े देश हैं। मेरा यह कहने का मतलब नहीं है कि भारत को इसके बारे में पहल करनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ में नये लोगों को वीटो का अधिकार मिले या नये देशों को स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में मिले। क्योंकि बीच में डा. किसिंगर आदि लोग यह सुझाव देते हैं कि जापान को भी लिया जाये। भारत को मौलिक रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे अन्तर्राष्ट्रीय जातीय व्यवस्था समाप्त हो, किसी भी राष्ट्र को वीटो का अधिकार नहीं हो और किसी भी देश को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता न मिले। इस तरह की कोई पहल भारत ने 26 वर्षों में नहीं की। अगर वह भविष्य में करेंगे तो मैं मानूंगा कि कोई बड़ा परिवर्तन भारत की नीति में हुआ है।

तीसरे खेमे की आलोचना मेरे मित्र उन्नीकृष्णन ने की। लेकिन उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जिस मायने में अटलांटिक पैक्ट से देश एक फौजी गुट मिलिटरी ब्लाक के रूप में आते हैं या वारसा पैक्ट के देश आते हैं उस दृष्टि से तीसरे खेमे की कल्पना, यह फौजी कल्पना कभी नहीं थी। तीसरे खेमे की कल्पना वैचारिक कल्पना थी, वह सर्जनशील कल्पना थी। आप उसको फौजी कल्पना में परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उस कल्पना के साथ बड़ा अन्याय करते हैं। जैसे-जैसे लोग कांग्रेस पार्टी में चले जाते हैं वे पुरानी सारी बातों को भूलने लग जाते हैं। इसलिए मैं उनको तो माफ करता हूं।

सामूहिक सुरक्षा की चर्चा हमारे देश में चल पड़ी है। इसके बारे में सोवियत नेता से मैं भी बात करना चाहता था और कुछ हद तक बात हुई भी। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि स्वयं ब्रेजनेव साहब ने यह कहा है, हालांकि ब्रेजनेव की तारीफ करने का काम कांग्रेसी दल के सदस्य ज्यादा कर रहे थे जैसे ब्रेजनेव से भी अधिक उस कलेक्टिव सेक्योरिटी के बारे में उनको जानकारी थी, तो उनकी बात तो मैं छोड़ देता हूं, लेकिन ब्रेजनेव साहब का स्वयं कहना है कि मेरी कोई ठोस, निश्चित, कट एंड ड्राई योजना नहीं है। मैं केवल उसके ऊपर बहस चाहता हूं। जब बहस चाहते हैं तो वह लोग हमारी बात और हमारे दृष्टिकोण को भी सुनें। यूरोप जैसे इलाके में जहां बहुत प्राचीन राष्ट्र हैं, एक एक राष्ट्र का राष्ट्रीय व्यक्तिमत स्पष्ट है और वहां की सीमाएं भी अब निश्चित हो चुकी हैं, स्थिति अलग है। यूरोप में कोई प्रादेशिक झगड़े नहीं हैं। नई पोलिश सीमा को पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी ने मान लिया है। चैकोस्लोवाकिया का जहां तक सवाल है उसकी यथास्थिति को भी पश्चिमी जर्मनी ने मान लिया है। यूगोस्लाविया और इटली के बीच में जो त्रिराष्ट्र का झगड़ा था वह भी हल हो गया है। इसलिए यूरोप में इस वक्त कोई सीमाओं को लेकर झगड़े नहीं हैं। उसकी यथास्थिति को बनाए रखने की दृष्टि से सामूहिक सुरक्षा की

चर्चा यदि यूरोप में हो और हेलसिंकी सम्मेलन में और हुआ क्या था, यथास्थिति को बनाए रखने के बारे में एक करार सोवियत यूनियन चाहता है, शायद यूरोपीय देशों के बीच में यह हो भी जायेगा। लेकिन एशिया की स्थिति दूसरी है। एशिया की परिस्थिति प्रवाही परिस्थिति है। यहां के राष्ट्रों की रूपरेखा साफ नहीं है। यहां सीमा के कई विवाद हैं। साम्राज्यशाही ने एशिया के देशों को छोड़ते हुए, जब उनके लिए छोड़ना अनिवार्य हो गया तो इन देशों को वे तकसीम करके चले गये और तकसीम करके जो योजना, जो व्यवस्था एशिया के देशों के ऊपर लादी वह व्यवस्था ठीक नहीं रही है। इसलिए सोवियत लीडरों से मैंने कहा कि अगर कलेक्टिव सेक्योरिटी और यथास्थिति वाली बात एशिया में दो साल पहले होती तो क्या बांग्लादेश का निर्माण हो सकता था। यूरोप में इस तरह के नये राज्यों का, नये देशों का निर्माण पिछले 25 वर्षों में नहीं हुआ है। आज मैं कहना चाहता हूं कि 1947 में माउंटबैटन, जिन्ना, नेहरू और पटेल ने जो योजना इस देश के ऊपर लादी है उस का खोखलापन 25 वर्षों में साबित हो चुका है। पिछले 25 वर्षों में यह व्यवस्था टूट चुकी है। जो घटनाएं इस इलाके में इस वक्त भी घट रही हैं इससे पता चलता है कि जो वर्तमान व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन होने वाला है। हां, अगर कलेक्टिव सेक्योरिटी का मतलब सिर्फ यह है कि बल प्रयोग करके सीमाओं को न बदला जाये तो उसके बारे में कोई विवाद नहीं होगा। लेकिन उसका मतलब अगर यह होगा कि यथास्थिति को बनाए रखना तो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि सामूहिक सुरक्षा की नीति एक प्रतिक्रियावादी नीति साबित होगी क्योंकि उसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। हम लोगों को प्रयास करना चाहिए कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जैसे पहले युद्धबन्दी के बारे में जवाहर लाल जी के द्वारा सुझाव दिये जाते थे इस वक्त भी मैं यह आवश्यक समझता हूं कि यह सुझाव दिया जाये। वैदेशिक नीति और रक्षा नीति के बारे में इन तीन राज्यों में एक समानता लाने के लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास करने चाहिए।

अभी भी जो पाकिस्तान का इलाका बचा है उसमें क्या होने वाला है, दस साल के बाद होगा, आज कोई कह नहीं सकता है। स्वयं प्रेसीडेंट भुट्टो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में मिनी बांग्लादेश हो रहा है। इसलिए रूसी नेताओं को इसके बारे में सोचना चाहिए। एशिया में चूंकि प्रवाही स्थिति है इसलिए यूरोप के इतिहास को देखकर जिन कल्पनाओं का उन्होंने निर्माण किया है वह एशिया पर बिना यहां की स्थिति पर विचार किये हुए लादने का प्रयास उन लोगों को नहीं करना चाहिए।

इन सवालों के बारे में भारत को पहल करनी चाहिए। एशिया के नक्शे की ओर देखिये— कोरिया बंटा हुआ है, वियतनाम बंटा हुआ है, पश्चिमी एशिया में जाइए, पश्चिमी एशिया की जो मूल समस्या है उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं। सीरिया और मिस्र का जो इलाका इजरायल ने लिया है यह बुनियादी सवाल नहीं है। बुनियादी सवाल यह है कि वहां के जो फिलिस्तीनी लोग हैं उनको अपने अधिकार मिलेंगे या नहीं? 1947-48 में जब यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने आया था तो भारत ने यूगोस्लाविया से मिलकर फिलिस्तीन की समस्या के हल के लिए एक मिले-जुले राज्य की, फेडरल राज्य की कल्पना रखी थी। आज भी मैं चाहूंगा और मैं तो चाहता ही हूं कि इजरायल ने जो इलाका हड़पा है सीरिया का और मिस्र का उसमें से वह निकले

लेकिन साथ-साथ पहले गाजा स्ट्रिप के ऊपर मिस्र का कब्जा था और पुराने जेरूसलम के ऊपर और जार्डन नदी के वैस्ट बैंक के ऊपर जोर्डन का कब्जा हो गया था। क्या वजह है कि इन इलाकों में फिलिस्तीनी लोगों का अपना राज्य न बने? फिलिस्तीनी लोगों का फिलिस्तीन की भूमि के ऊपर स्वतंत्र राज्य बने इसके लिए भारत और अन्य देशों को प्रयत्न करना चाहिए और इजरायल और फिलिस्तीन दोनों राज्यों के बीच में एक कान्फेडरेशन बने या फेडरेशन बने। फेडरेशन बनने में तो बहुत समय लगेगा। लेकिन कम से कम फिलिस्तीनी लोगों को अपना प्रभुसत्ता सम्पन्न राज्य बनाने का अधिकार मिलना चाहिए। यह सवाल मिस्र और सीरिया का नहीं है, फिलिस्तीनी लोगों को जोर्डन राजा के कब्जे से और मिस्र के कब्जे से छुड़वाने की निहायत जरूरत है। उनका अपना राज्य बना देंगे तभी जाकर यह बात पश्चिमी एशिया में आगे चल सकती है।

मैं और भी दो-तीन बातों का उल्लेख करके अपने भाषण को खत्म करना चाहता हूं। आज हम आन्तरिक मामलों में एकाधिकारशाही के खिलाफ होते हैं। लेकिन विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में वीटो और स्थायी सदस्यता के रूप में भी एकाधिकारशाही है। क्या वजह है कि जिन को सेक्योरिटी कौंसिल में परमानेंट सीट और वीटो का अधिकार है उन्हीं लोगों की आणविक एकाधिकारशाही भी दुनिया में है। इसलिए विदेश मंत्री को यह कह देना चाहिए कि जिस तरह से हम किसी फौजी खेमे के साथ अपने को नहीं जोड़ना चाहते हैं, और इसलिए भारत में किसी को भी नाविक अड्डा या हवाई अड्डा देने का सवाल बिलकुल नहीं उत्पन्न होना चाहिए चाहे रूस हो या और कोई देश हो।

साथ-साथ यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि यह जो आणविक एकाधिकारशाही है उसका भारत डटकर विरोध करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप आज ही आणविक हथियार बनाने लगें। आज जो आर्थिक स्थिति है, उसमें हम जैसे लोग यह सलाह नहीं दे सकते, लेकिन भारत को अपनी रक्षा के लिए आणविक हथियार बनाने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहिए। हां, दुनिया के सभी लोग आणविक निरस्त्रीकरण के लिए, पूरे निरस्त्रीकरण के लिए तैयार हो जायेंगे तो मैं कहूंगा कि आप भी उसके लिए तैयार हो जाइये। लेकिन जब तक दुनिया तैयार नहीं है, तब तक मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं हूं। अमेरिका और रूस के हाथ में आणविक हथियार शान्ति के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं, लेकिन भारत के हाथ में आयेंगे तो खतरा उत्पन्न हो जायेगा, इस दलील को, इस तर्क को, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं।

अभी श्री कृष्ण मेनन साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बार-बार आप यह बयान क्यों देते हैं कि चीन के साथ हम लोग समझौता करने के लिए तैयार हैं। अब तक दर्जनों बयान आ चुके हैं, लेकिन चीन की ओर से कोई प्रतिवाद नहीं हुआ। आप बयान देते जा रहे हैं। मैं उन लोगों में से नहीं हूं, जैसे रूस और चीन का संघर्ष शुरू हो गया, हम लोग चीन के हमदर्द बन गये। मैं यह ताकत के साथ कहना चाहता हूं—जिस तरह से रूस और चीन के बीच विवाद के विषय हैं, उस से भी अधिक विवाद के विषय भारत और चीन के बीच में है। रूस और भारत के बीच में सीमा का विवाद नहीं है। बार-बार चीन को जो न्यौता दिया जा रहा है, इसका क्या मतलब है? अन्ततोगत्वा चीन के साथ मित्रता का रिश्ता होना चाहिए, यह मेरी

भी राय है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुर्बलता के आधार पर मैं चीन के सामने घुटने टेक कर समझौता करूं। उन्होंने आपकी सीमा का एक बहुत बड़ा हिस्सा हड़पा है, अपने हाथ में रखा है। अभी भी तिब्बत की राष्ट्रीयता का मामला है। आज मैं कहना चाहता हूं—यहां कुछ लोग हमको प्रतिक्रियावादी कहते थे—जब हम तिब्बत की बात कहते थे। लेकिन आज सोवियत रूस के अखबार, ताशकन्द रेडियो चीन पर अभियोग लगा रहे हैं—इससे आप लोग सबक सीखिए। हमारे नेता दूर की बात देखते थे, जो बात लोहिया जी 1947 में करते थे, आज अगर रूस के नेता करने लगे हैं तो यह जीत रूस के नेताओं की नहीं है, लोहिया जी की जीत है। इसलिए किसी को प्रतिक्रियावादी कहना सस्ता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं—चीन और भारत के बीच में समझौता तभी होगा, जब भारत शक्तिशाली बन जायेगा, जब भारत आर्थिक स्थिति में आत्मनिर्भर हो जायेगा, जब भारत में सामाजिक विषमता खत्म हो जायेगी, जब हमारी आर्थिक तरक्की होगी, जब आर्थिक गैर-बराबरी खत्म हो जायेगी। मैं फिर ज़ोर के साथ कहना चाहता हूं—फौजी शक्ति या केवल आर्थिक और औद्योगिक शक्ति ही शक्ति नहीं होती है, नये आदर्श, नये विचार—ये भी वैदेशिक नीति के कारगर हथियार बन सकते हैं। महात्मा गांधी का हिन्दुस्तान इस तरह की सृजनशील नीति चला सकता था, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य ऐसा है कि महात्मा गांधी के चेलों ने मध्यस्थता और आनेस्ट-ब्रोकरी का रोल पसन्द किया, सृजनशीलता के रास्ते पर वे नहीं चले।

Young Madhu Limaye addressing the Council of Socialist International at its meeting in Paris, 1953

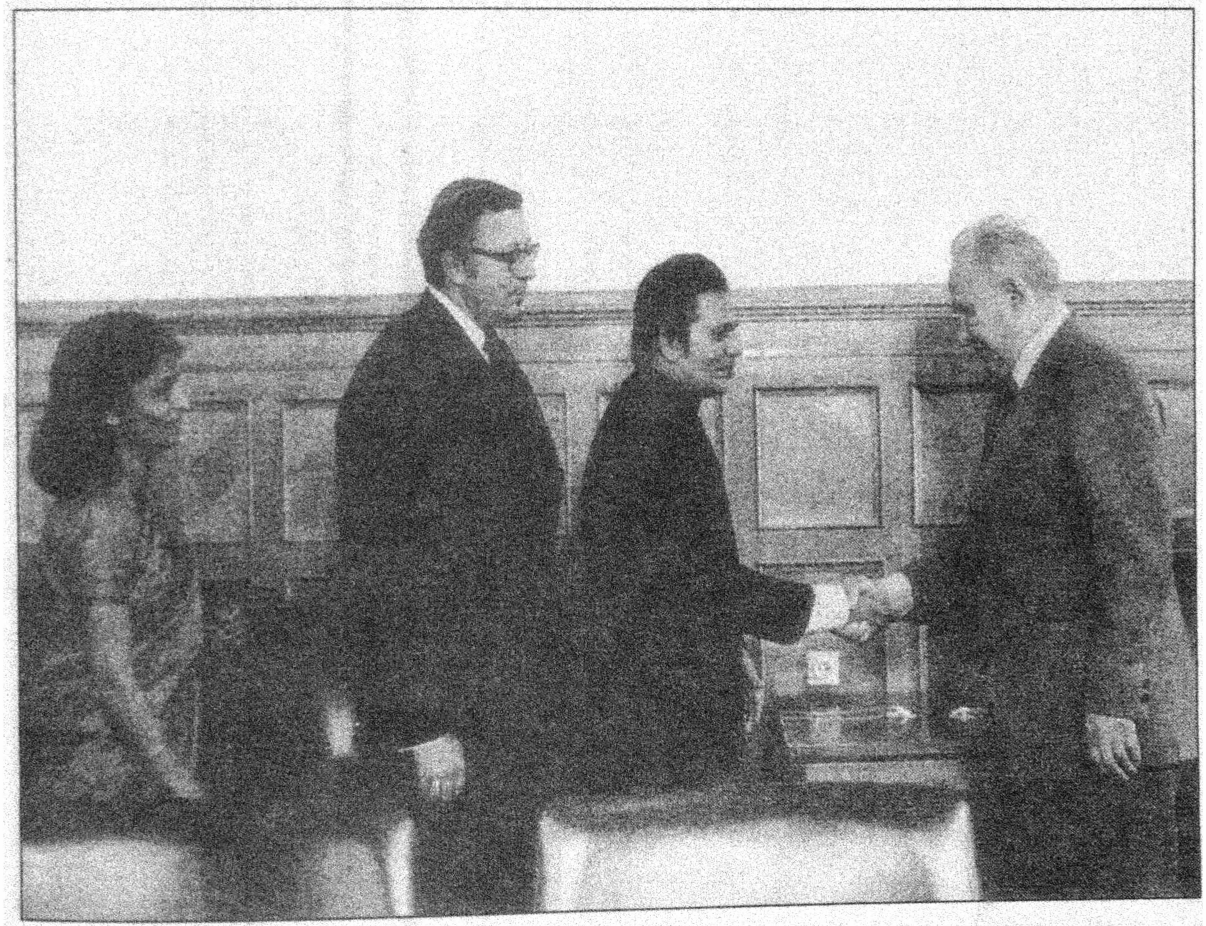

Shri Limaye and Smt. Nandini Satpathy during a call-on on Mr. Kosygin, the then Premier of the Soviet Union

Shri Limaye addressing a distinguished audience during his visit to Moscow

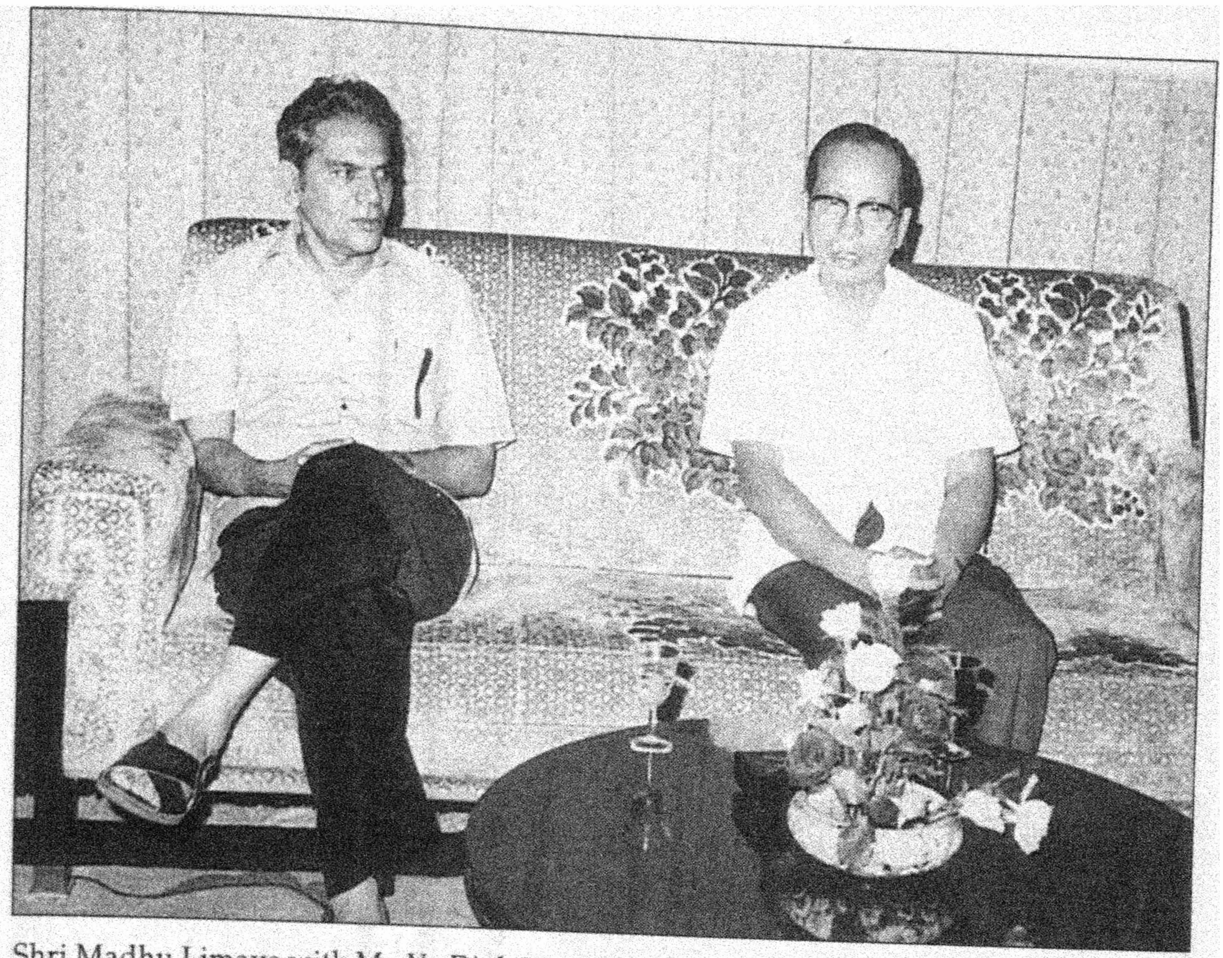

Shri Madhu Limaye with Mr. Vu Dinh Lieu, member, Central Committee of the Communist Party of Vietnam and Chairman, Ho Chi Minh City People's Committee

Shri Madhu Limaye, General Secretary, Janata Party in conversation with Mr. V. Martin, Foreign and Commonwealth Officer, Mr. Michael Morris, Conservative MP, Mr. D. Coleman, Labour MP during his visit to U.K.

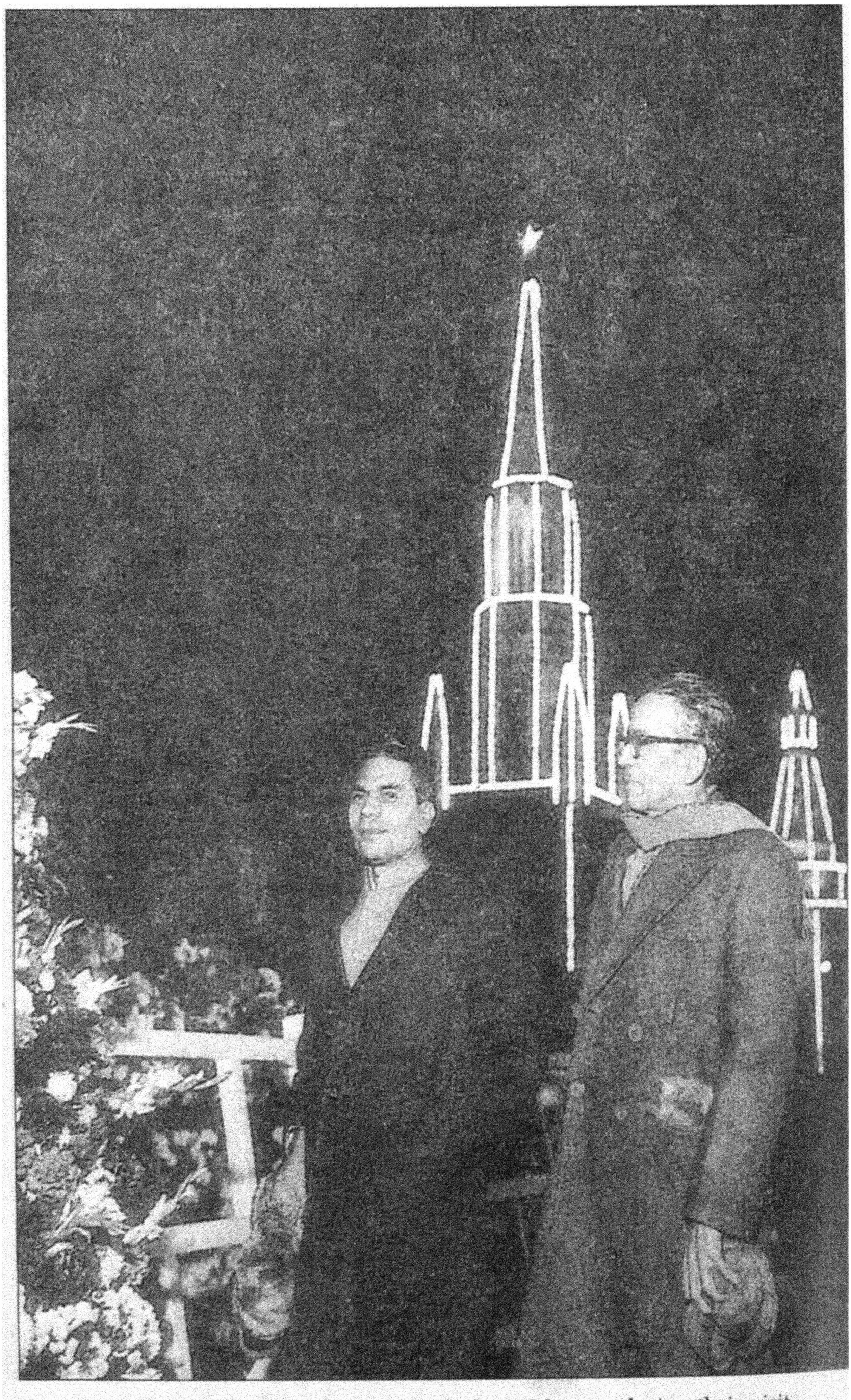

Shri Madhu Limaye with Shri S.M. Joshi in Moscow during their visit to the USSR in 1967

Shri Madhu Limaye with Shri I.K. Gujral and other dignitaries during his visit to the Soviet Union

Shri Madhu Limaye and Smt. Nandini Satpathy, former Chief Minister of Orissa meeting the leaders of Communist Party of Soviet Union during their visit to Soviet Union in 1978

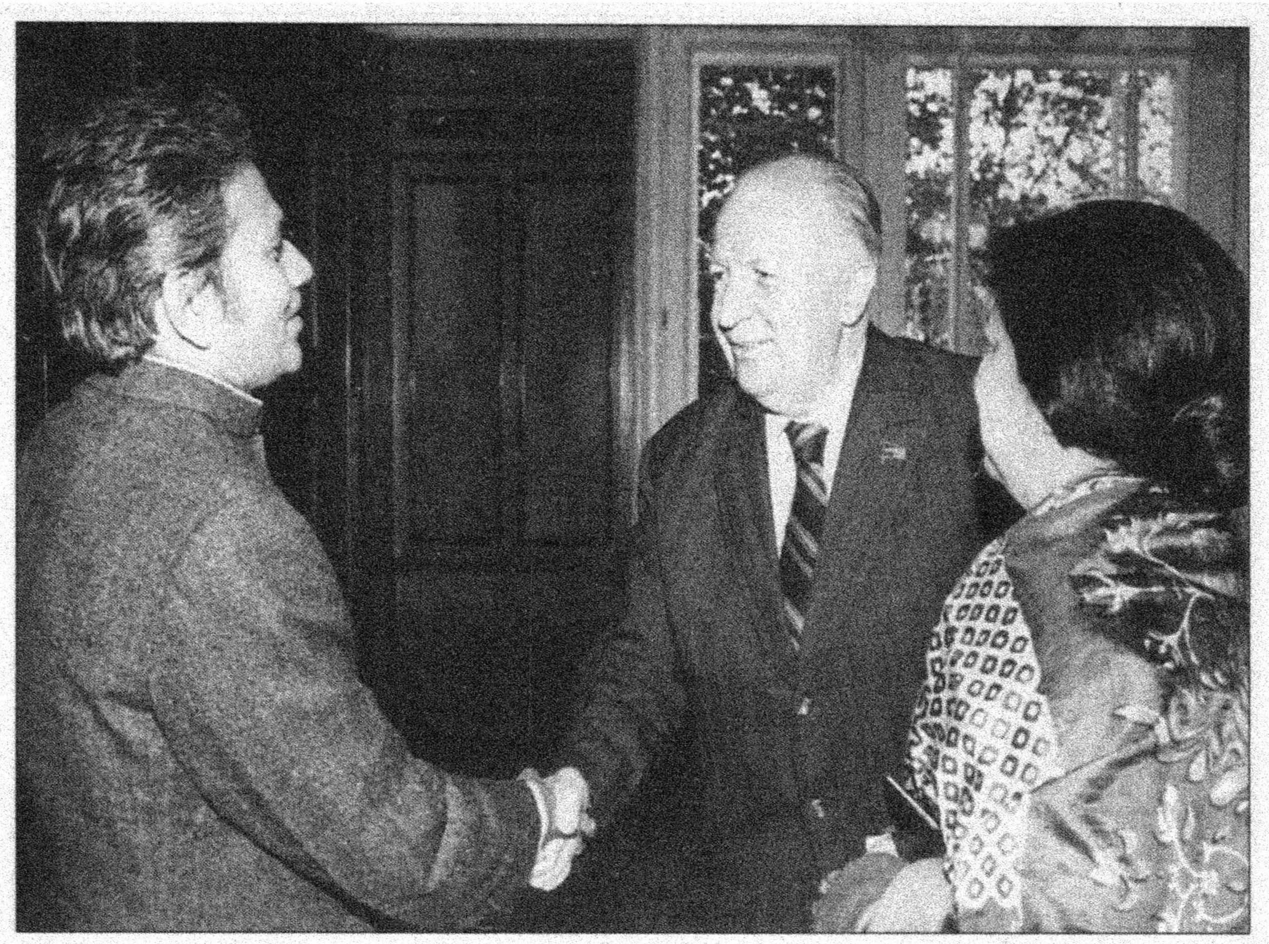

Shri Madhu Limaye meeting the leaders of the Communist Party of Soviet Union during his visit to Moscow

Shri Madhu Limaye (third from the right in the second row) with the participants at a Seminar on International Affairs, Wilton Park, UK

श्री मधु लिमये द्वारा दी गयी श्रद्धांजलियां

HOMAGES PAID BY SHRI MADHU LIMAYE

डा. राम मनोहर लोहिया*

अध्यक्ष महोदय, अब हम लोगों के बीच डा. राम मनोहर लोहिया नहीं रहे हैं। उनकी असामयिक मृत्यु से हमारा सार्वजनिक जीवन चैतन्यविहीन हो गया है, इस सभा की रौनक चली गई है और हम जैसे लोगों के जीवन में एक रिक्तता उत्पन्न हुई है, जिसकी पूर्ति करना, मुझे नहीं लगता, संभव होगा।

डा. राम मनोहर लोहिया ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुत बड़ा काम किया। हमारी पीढ़ी के लोग जानते हैं कि 1942 में महात्मा जी और वर्किंग कमेटी के सदस्यों की गिरफ्तारी के बाद अंग्रेजी दमनचक्र का विरोध करके प्रतिकार की ज्योति प्रज्जवलित करने का काम जिन इने-गिने नेताओं ने किया, उनमें डा. लोहिया ही अग्रसर रहे। मुल्क का जो बंटवारा हुआ, उसके वह घोर विरोधी थे। आज मुझे याद आता है कि 'माउंटबेटन योजना' पर वर्किंग कमेटी में जो प्रस्ताव पास किया गया, उसमें गांधीजी के और उनके कहने पर एक यह जुमला डाला गया कि बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन हम इस बात को नहीं मान रहे हैं कि हिन्दू और मुस्लिम अलग-अलग राष्ट्र हैं और पहाड़ों, नदियों और समुद्र की वजह से हिन्दुस्तान का जो रूप बना है, हिन्दुस्तान की एकता का जो चित्र है, वह हमेशा हृदयंगम रहेगा।

डा. लोहिया मानते थे कि जब तक गोआ आजाद नहीं होगा, जब तक पुदुचेरी आजाद नहीं होगा और हिमालय के इलाके में स्थित नेपाल, तिब्बत, सिक्किम और भूटान के राज्यों में जब तक लोकतंत्र के आधार पर नया समाज कायम नहीं होगा, तब तक भारतीय स्वतंत्रता का कार्य अधूरा ही रह जायेगा। नेपाल में लोकतांत्रिक क्रांति लाने के लिए और गोआ को आज़ाद करने के लिए सबसे पहले डा. लोहिया ने पहल की। अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि गोआ में वह दो दफा गिरफ़्तार हुए थे और अगर महात्मा जी न होते, तो मेरा ख्याल है कि उनको बरसों तक गोआ की कैद में बन्द रहना पड़ता। उसी तरह हमारे देश के ही एक भाग में उर्वसीअं, जिसे आप अब भी नेफा कहते हैं, और बाकी हिन्दुस्तान में जो अलगाव है, उसको खत्म करने के लिए उनको सिविल नाफरमानी करनी पड़ी थी।

इस देश की गरीब जनता की मांगों को लेकर उनको नित्य संघर्ष करना पड़ा और स्वतंत्रता के बाद भी अठारह दफ़ा उनको जेल जाना पड़ा। उनमें न केवल राष्ट्रीय भावनां थी, बल्कि उनके सामने मानव जाति के कल्याण का भी सपना था। उन्होंने यह कहा है कि मेरी यह इच्छा है कि एक ऐसी दुनिया का सपना साकार हो, जिसमें आदमी को बिना पासपोर्ट लिये हुए कहीं भी जाने की इजाज़त मिलेगी और जहां पर भी वह रहना चाहेगा या मरना चाहेगा, उसकी उसको छूट होगी।

**लोक सभा वाद-विवाद*, 13 नवम्बर 1967 [डा. राम मनोहर लोहिया के निधन पर श्रद्धांजलि]।

यही वजह है कि जब वह अमेरिका में गये थे, तो वहां पर वंशवाद को लेकर नीग्रो जनता पर जो अन्याय हो रहा है, उस के विरुद्ध किये जा रहे आन्दोलन के प्रति उन्होंने केवल शाब्दिक हमदर्दी ही व्यक्त नहीं की, बल्कि एक जगह उन्होंने खुद सिविल नाफरमानी की और वहां की पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, लेकिन अमेरिका की सरकार तत्काल जागी, प्रेजिडेंट जॉनसन ने माफी मांगी और उनको छोड़ दिया गया। डा. लोहिया उन लोगों में से थे, जिनमें क्षेत्रीयता और संकीर्णता का अंश भी नहीं था। एक ओर वह मानते थे कि हमारी राजनीति का आधार राष्ट्रीयता होनी चाहिए। उनका कहना था कि जब तक दुनिया में सार्वभौम राष्ट्र रहें और सीमाएं रहें, तब तक हमको भारत की भूमि के किसी भी हिस्से पर विदेशियों का कब्जा नहीं होने देना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ वह यह मानते थे कि अन्ततोगत्वा हमको विश्व सरकार की ओर जाना है और ऐसी विश्व सभा का निर्माण करना है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की तरह सार्वभौम सरकारों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि इस लोक सभा की तरह मानव-जाति के द्वारा सीधे चुने हुए प्रतिनिधि जा कर बैठेंगे।

समाजवादी आन्दोलन के तो वह प्रतिष्ठापक रहे हैं, लेकिन उनकी यह विशेषता रही कि वह सृजनशील प्रतिभा के व्यक्ति थे और उन्होंने समाजवादी आन्दोलन को नये-नये विचार दिये। जैसे, हम समाजवादी लोग हमेशा मानते थे कि वर्ग-व्यवस्था को खत्म करने के लिए वर्ग-संघर्ष करना पड़ेगा लेकिन वह पहले समाजवादी नेता थे, जिन्होंने कहा कि यदि हम वर्ग-संघर्ष करने के साथ-साथ जाति व्यवस्था का उन्मूलन करने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, तो हमारी क्रान्ति अधूरी रह जायेगी। उन्होंने कहा कि मार्क्स का वर्ग-संघर्ष और वर्ग-विहीन समाज का जो विचार है, हिन्दुस्तान की स्थिति में उसको और विकसित करने के लिए यहां की पिछड़ी जनता को आगे बढ़ाने के लिए विशेष अवसर का सिद्धांत लागू करना चाहिए। वह हमेशा कहते थे कि फ्रेंच राज्य क्रान्ति ने विचार दिया समान अवसर का, कानून के सामने समानता का, लेकिन हमको विशेष अवसर के सिद्धांत को अपना कर हिन्दुस्तान में आर्थिक समानता के साथ-साथ सामाजिक बराबरी भी कायम करनी चाहिए। इसलिए जब विभिन्न प्रदेशों में गैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडलों का निर्माण हुआ, तो उन्होंने हमको यह हिदायत दी कि मंत्रिमंडलों में हम जो अपने प्रतिनिधि भेजें, उनमें साठ प्रतिशत पिछड़े वर्ग के हों।

अध्यक्ष महोदय, आज अगर मेरे जैसे व्यक्ति इस लोक सभा में जो एक भारतीय भाषा बोल रहे हैं, तो उसका कारण—एक तो मैं महात्मा जी जिनको धन्यवाद देता हूं और, स्वतंत्रता के बाद, दूसरे व्यक्ति डा. राम मनोहर लोहिया जिनका यह आग्रह था कि हमारे सार्वजनिक व्यवहार में, सरकारी कामकाज में, अदालतों और विश्वविद्यालयों में माध्यम के तौर पर अंग्रेजी का नहीं, लोक भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। डा. राम मनोहर लोहिया को बदनाम करने की कोशिश की गई कि वह गैर-हिन्दी इलाकों पर हिन्दी को लादना चाहते थे, लेकिन, अध्यक्ष महोदय, वह किसी के ऊपर हिन्दी को नहीं लादना चाहते थे। वह इस देश की पचास करोड़ जनता पर अंग्रेजी लादने के दुश्मन थे और वह चाहते थे कि सभी क्षेत्रों में लोक भाषा का प्रयोग हो। इसलिए कभी-कभी अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए कहते थे कि हिन्दी जहन्नुम में जाये, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अंग्रेजी जाये। इसका मतलब यह नहीं कि वह अंग्रेजों का द्वेष

करते थे, वह अंग्रेज गवर्नर-जनरलों की मूर्तियों को हटाने के हक में थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर शेक्सपीयर के नाम से या आइजक न्यूटन के नाम पर यदि किसी सड़क का नामकरण किया जाता तो वह उसका विरोध नहीं करते। वह क्लाइव स्ट्रीट के विरोधी थे, वह डलहौजी स्कवायर के विरोधी थे, लेकिन शेक्सपियर और बर्नार्ड शा के विरोधी नहीं थे। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयता के साथ-साथ विश्व बन्धुत्व को जोड़ने का व्यापक दृष्टिकोण वह रखते थे और वह चाहते थे कि दोनों में हम लोग समन्वय स्थापित करें।

अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्रता के बाद उनको ऐसा लगा कि पुराना जो त्याग का जमाना था, वह नष्ट होकर भोग-युग शुरू हुआ है। इसलिए वह इस बात के लिए प्रयत्नशील थे कि शौकीनी, विलासिता और फिजूलखर्ची का भोग-युग समाप्त हो और उसकी जगह पर सादगी, बराबरी, उद्यमशीलता और त्याग का युग शुरू हो जाये। उसके बिना, वह कहते थे, हमारे राष्ट्र की पुनर्रचना नहीं हो सकती। उनके अंतिम दिनों में, अध्यक्ष महोदय, तीन बातों पर वह जोर देते थे—एक तो समाजवादी शक्तियों का एकीकरण। आज हमारी राजनीति में बड़ा बिखराव आ रहा है और वह चाहते थे कि सत्तारूढ़ दल बिखरे, क्योंकि वह महात्मा जी की राय को मानते थे—स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को नहीं रहना चाहिए था। लेकिन साथ ही साथ वह चाहते थे कि केवल बिखराव की ही प्रवृत्ति न बढ़े, एकत्रीकरण की प्रवृत्ति भी हमारे देश में बढ़े, वरना हमारे देश की एकता और स्वाधीनता रह नहीं पायेगी। इसलिए वह चाहते थे कि समाजवादी शक्तियों का एकत्रीकरण हो। साथ ही साथ वह चाहते थे कि विरोधी दलों में संयुक्त मोर्चा कायम हो। लेकिन जब वैकल्पिक सरकारों के बनाने का सवाल आया, तो उन्होंने हम लोगों को यह सीख दी कि सत्ता अभिमुख वैकल्पिक सरकारें मत बनाओ, कार्यक्रम अभिमुख सरकारें बनाओ। अगर यह सरकारें निश्चित कार्यक्रम को निश्चित समय के अन्दर पूरा करने का प्रयास नहीं करती हैं तो ऐसी सरकारों में रहना, केवल स्वार्थवाद को लेकर, कुर्सी के लाभ को लेकर, वह अच्छा नहीं समझते थे और इसीलिए उन्होंने हमको कहा था कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या दूसरे राज्य, जहां-जहां हमारे दल के लोग मंत्री हैं, वहां हम लोगों को इन सरकारों को कार्यक्रम अभिमुख बनाना चाहिए।

आज मैं इसका उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि उनकी जिन्दगी में उनके ऊपर यह आरोप किया गया कि उनकी राजनीति विध्वंसात्मक थी। मैं मानता हूं कि उनकी राजनीति में विध्वंस का अंश था—बुराइयों का विध्वंस, अच्छाइयों का निर्माण—यह उन के जीवन का मुख्य सूत्र था और इसीलिए जब वैकल्पिक गैर-कांग्रेसी सरकारें बनीं, तो वह उनके कामों से संतुष्ट नहीं थे और वह चाहते थे कि ये सरकारें कार्यक्रम अभिमुख बनें।

अध्यक्ष महोदय, उनके चले जाने से जो रिक्तता आई, वह तो पूरी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने अपने त्यागमय जीवन का एक ऐसा आदर्श, एक ऐसी नजीर हमारे सामने प्रस्तुत की है कि उससे हमको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी।

डा. जयपाल सिंह*

अध्यक्ष महोदय, डा. जयपाल सिंह के निधन से केवल यह सदन ही नहीं, इस देश के लाखों आदिवासी और वनवासी भी आज शोक से आक्रान्त हैं। डा. जयपाल सिंह जी का व्यक्तित्व बहुत ही रंगदार और ढंगदार था। ऐसा एक मजबूत आदमी हम लोगों के बीच से उठकर आज चला गया। वह सही मानों में भारतमाता के सपूत थे, इस धरती के लाल थे और ऐसे भारतीय समाज के, जिनके दो सबसे ज्यादा उपेक्षित और शोषित अंग हैं। एक हमारे हरिजन भाई और दूसरे आदिवासी वनवासी भाई। जिस तरह डा. अम्बेडकर हरिजनों में चेतना लाने के मामले में सबसे ज्यादा अग्रणी थे, उसी तरह आदिवासियों और वनवासियों में स्वाभिमान और चेतना जगाने के काम में डा. जयपाल सिंह ने जितना काम किया उतना शायद ही किसी ने किया हो।

उनको इस बात पर अफसोस था कि छोटा नागपुर की धरती पर, जो खनिज पदार्थों के मामले में इतनी सम्पन्न है, समृद्ध है उस धरती पर जब बड़े बड़े कारखाने बनने लगे और आदिवासी तथा वनवासी विस्थापित होने लगे तब रांची में, बोकारो में और दूसरे इलाकों में उन कारखानों में आदिवासियों और वनवासियों की सेवाओं और नौकरियों में जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वह नहीं मिल पा रहा है।

केवल आदिवासी और वनवासी नेता की हैसियत से ही डा. जयपाल सिंह मशहूर नहीं थे, उनका व्यक्तित्व बहुत व्यापक था। खेल कूद और नाचना गाना भी उनको कुदरती तौर से प्राप्त हुआ था। आदिवासी और वनवासी लोगों के जीवन में जो कृत्रिमता का अभाव रहता है वह उनमें भी था।

आज एक ऐसी आत्मा हम लोगों के बीच से चली गई है। मैं अपनी ओर से और अपने दल की ओर से उनके और लाखों-करोड़ों आदिवासियों के प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं।

---

*_लोक सभा वाद-विवाद_, 20 मार्च 1970 [डा. जयपाल सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि]।

Shri Madhu Limaye with Sarvashri Chandra Shekhar, Rabi Ray and S. Nijalingappa, Chief Minister of Karnataka at the function to release Madhuji's book on Sardar Vallabhbhai Patel (*in Hindi*) on 14 August 1993 in New Delhi

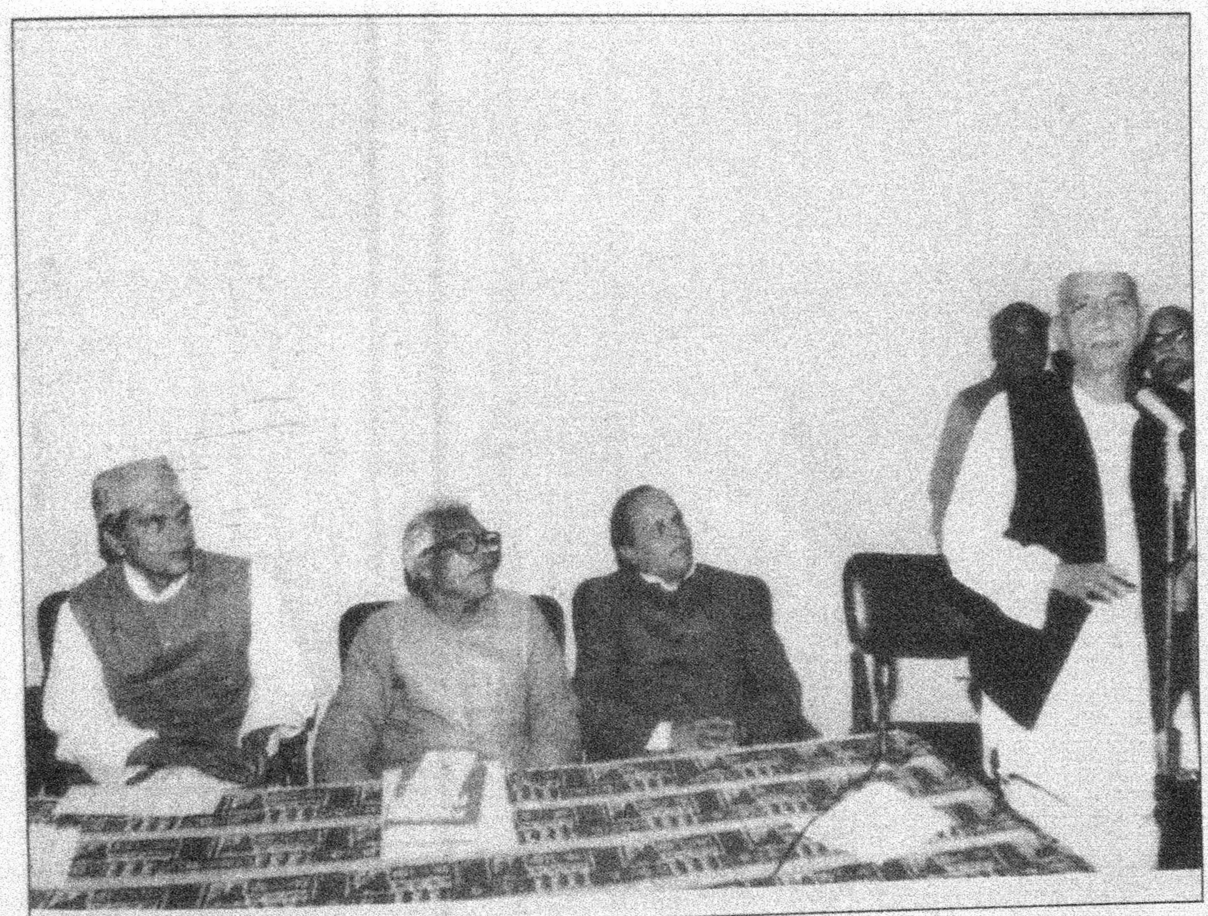

Chaudhary Charan Singh releasing the book *Politics after Freedom* by Shri Madhu Limaye in New Delhi. Also present on the occasion were Shri Karpoori Thakur, former Chief Minister of Bihar and Shri Birendra Kumar Bhattacharya, famous Assamese writer and Jnanpeeth awardee

Shri Madhu Limaye with Shri Chandra Sekhar Mishra, Smt. Tarkeswari Sinha, Smt. Rama Mitra and Smt. Laila Fernandes after the release of his book, *Politics after Freedom*

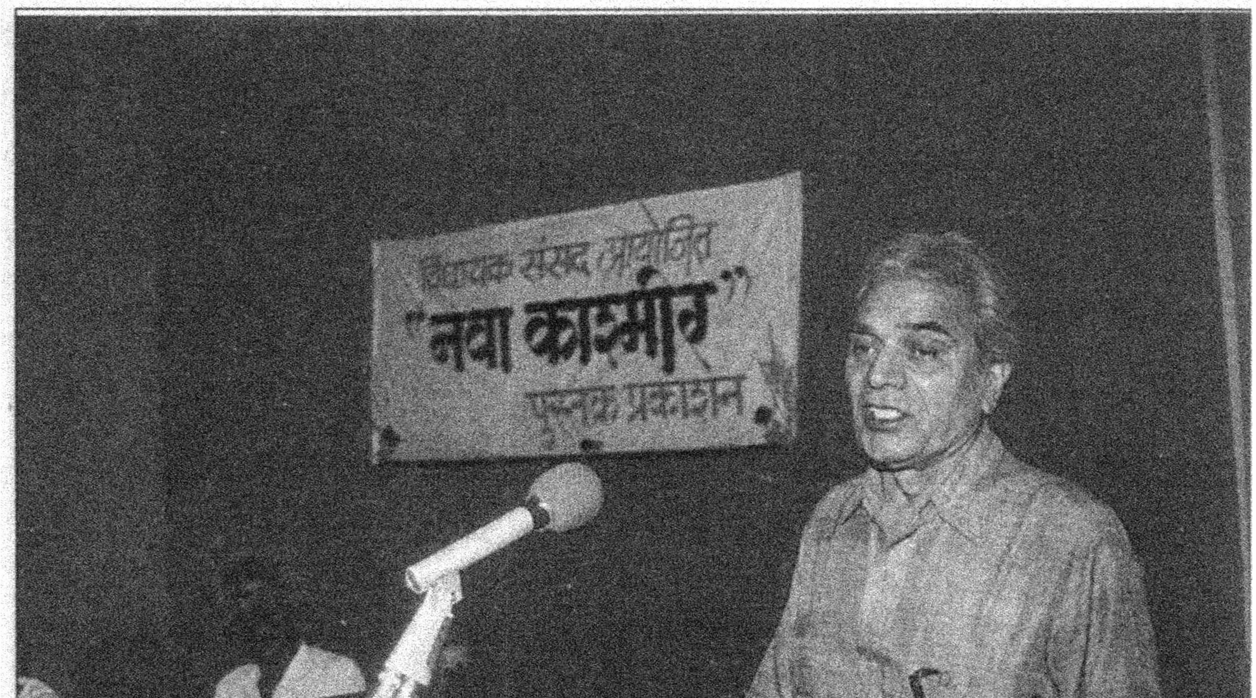

Addressing the distinguished audience on the occasion of release of his book, *Nawa Kashmir* (in Marathi) in Mumbai in August 1990

Smt. Rano Shaiza, member of Parliament from Nagaland honouring Shri Madhu Limaye

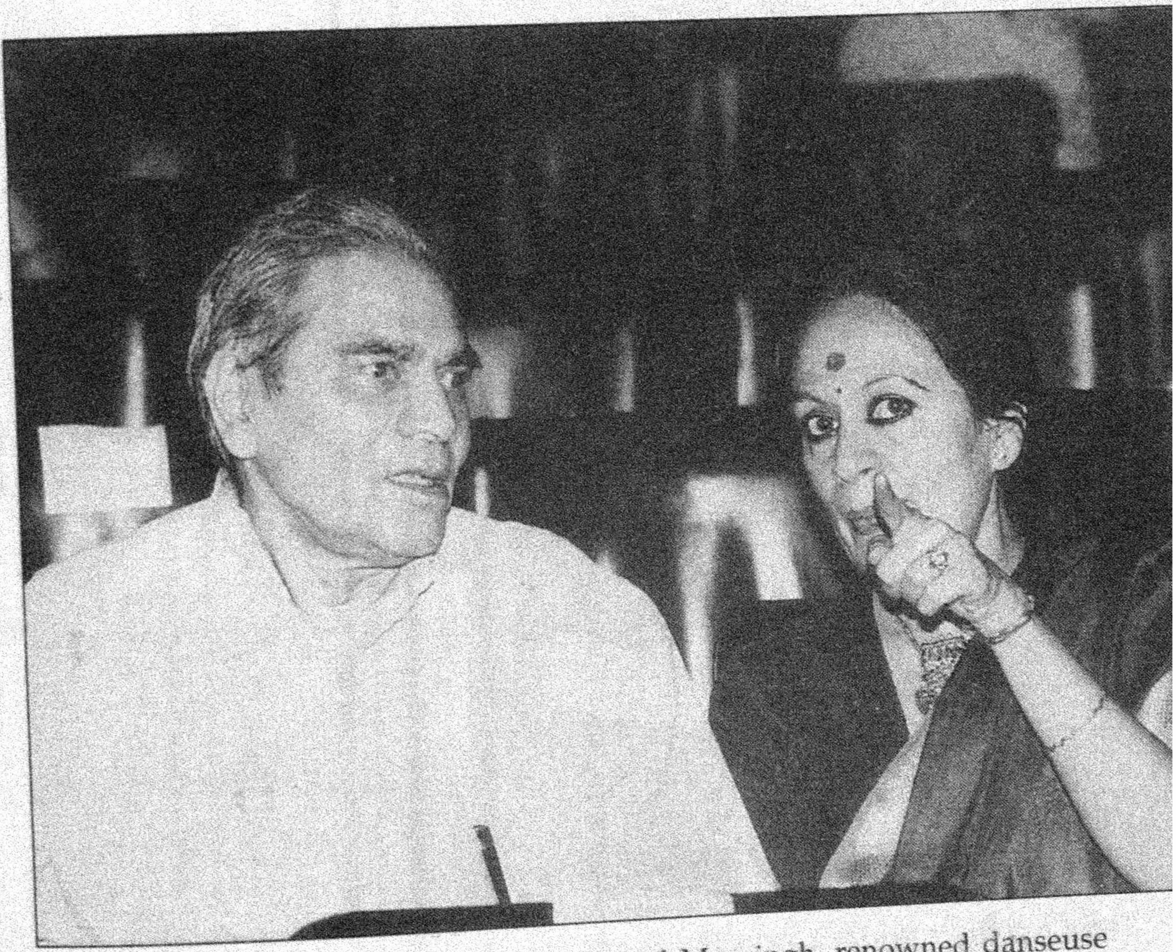

Shri Madhu Limaye with Smt. Sonal Mansingh, renowned danseuse

Shri Madhu Limaye at the function to award him the Lokmanya Tilak Puraskar by Lokmanya Tilak Trust, Pune on 1 August 1990. Also seen in the photograph are: Smt. Mrinal Gore, Shri Madhukarrao Chaudhary, Smt. Champa Limaye and Shri V.N. Gadgil

Shri Madhu Limaye being awarded the Lokmanya Tilak Puraskar for his devoted, selfless, self-sacrificing and courageous public service, in Pune on 1 August 1990

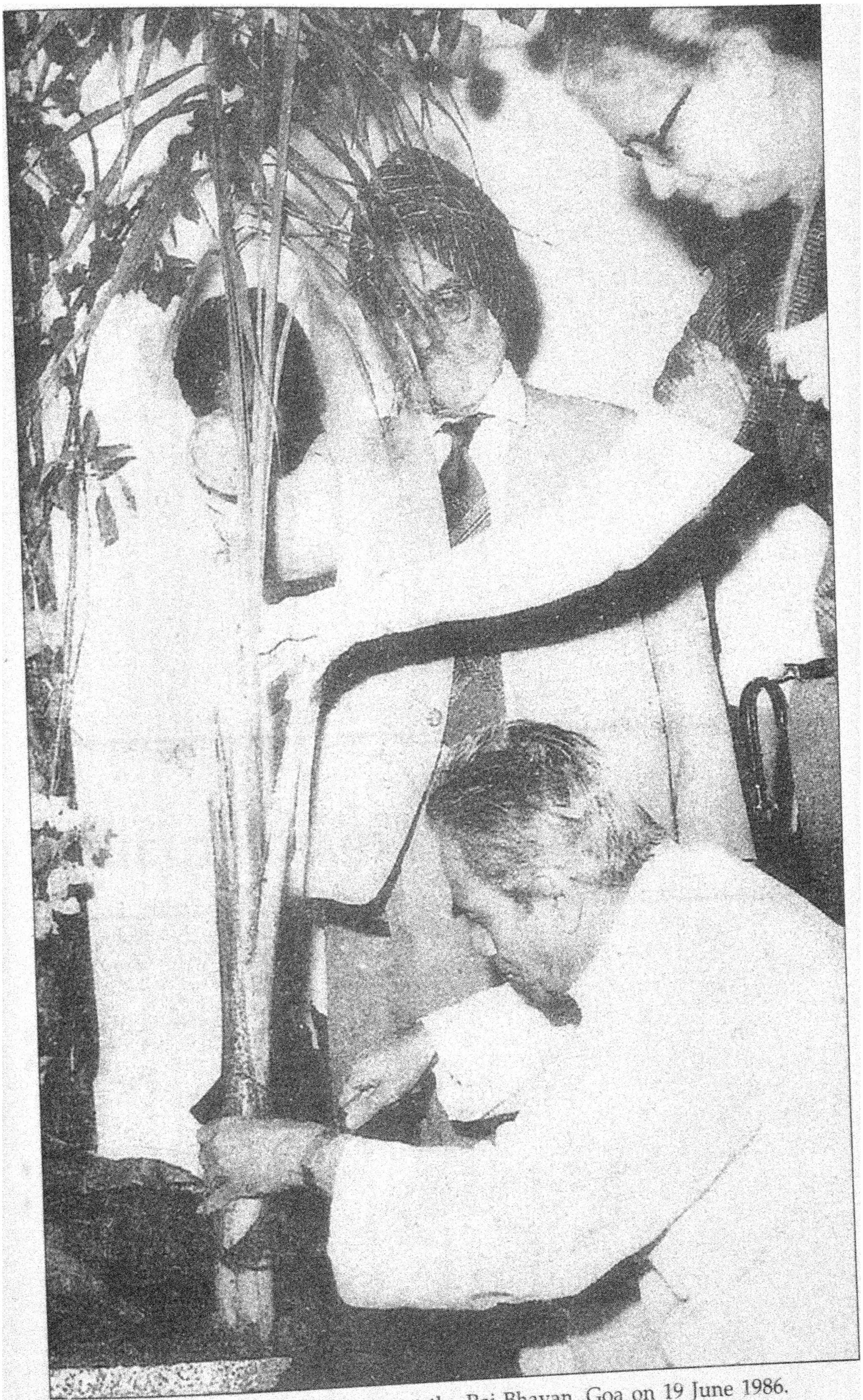

Shri Limaye planting a tree at the Raj Bhavan, Goa on 19 June 1986.
Dr. Gopal Singh, Governor is also seen in the picture

PART IV

TRIBUTES PAID TO MADHU LIMAYE

I. TRIBUTES PAID IN LOK SABHA*

SHRI SHIVRAJ V. PATIL, HON'BLE SPEAKER, LOK SABHA: Shri Madhu Limaye was a Member of the Third, Fourth, Fifth and Sixth Lok Sabhas from Monghyr and Banka Parliamentary Constituencies of Bihar during 1964-70, 1973-76 and 1977-79.

A veteran freedom fighter, Shri Limaye took active part in India's freedom movement and suffered imprisonment. In post-independence period, he participated in the Goa Liberation Movement and also suffered incarceration over 19 months under the Portuguese regime.

A well known Socialist leader, Shri Limaye was a close associate of Acharya Narendra Deva, Dr. Ram Manohar Lohia and Shri Jayaprakash Narayan and he devoted his entire life to the service of the nation.

An able parliamentarian, he effectively put forth his views on various social, economic, political problems faced by the country and thus made invaluable contributions to the debates of the House.

Shri Limaye, who had a flair for journalism, authored many books on various topical subjects. He also contributed several articles in newspapers and periodicals of many national and international issues.

His speeches and work speak of his erudition and indepth knowledge of Constitutional law and parliamentary procedures.

A widely travelled person, he attended International Socialist conferences as Indian Socialist Delegate in 1947 and 1953.

An apostle of Socialism, he truly emulated in his life the noble percept of simple living and high thinking.

In his death, the country has lost a veteran freedom fighter, prominent socialist thinker and a rare parliamentarian.

He passed away on 8 January 1995 at New Delhi at the age of 72 years.

*** *** ***

L.S. Deb., 13 February 1995.

SHRI P.V. NARASIMHA RAO, PRIME MINISTER OF INDIA: In respect of Shri Madhu Limaye, ...Sir, it is the loss not only of a great thinker and writer and Parliamentarian in his own right but for me personally a close friend with whom we had very cordial relations, comradely relations during the old struggle against the Nizam's days. Personally, I feel his loss very deeply.

*** *** ***

श्री अटल बिहारी वाजपेयी, सांसद: श्री मधु लिमये का देहावसान भी कुछ आकस्मिक ही हुआ। जीवनभर जो व्यक्ति जन-जागरण के लिए जूझता रहा, वह दो दिन की बीमारी में हमारे बीच में से उठ गया। उनका जाना भी अप्रत्याशित ही था। श्री मधु लिमये के साथ मुझे इस सदन में, सदन के बाहर राजनैतिक क्षेत्र में काम करने का बहुत मौका मिला था। वह दोनों साम्राज्यवादों से लड़े। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से भी और पुर्तगाली साम्राज्यवाद से भी। जेल की लंबी यातना सही। उसी में उन्होंने अध्ययन करने का और विश्लेषण करने का गुण अर्जित किया। कुछ आदर्शों के प्रति उनकी आस्था थी। कुछ विचारों के लिए वह प्रतिबद्ध थे। प्रखर चिन्तक थे। कठोर स्पष्टवादी थे। ऐसे स्पष्टवादी, कि कभी-कभी उनकी स्पष्टवादिता विवादों को खड़ा कर देती थी। मगर जो बात वे कहना चाहते थे, वह कह देते थे। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है कि संसद में कोई संविधान की पेचीदा समस्या हो, कोई नियमों से उलझा हुआ सवाल हो, श्री मधु लिमये जब उत्तर से प्रवेश करते थे तो अपने साथ संदर्भ-ग्रन्थों का एक पूरा पहाड़ लेकर आते थे, जिस पहाड़ को देखने मात्र से लगता था कि आज दो-दो हाथ होने वाले हैं और सदन को तो कठिनाई होती ही थी, कभी-कभी अध्यक्ष महोदय भी अपने लिए मुश्किल पाते थे। लेकिन वह अध्ययन करके आते थे। अपने पक्ष को तर्कसम्मत ढंग से प्रस्तुत करते थे। अब तो उस तरह का अध्ययन दुर्लभ हो गया है।

लेकिन उन्होंने चिन्तन और आचरण दोनों का मेल करके दिखाया। वे जन्मे थे पुणे में लेकिन बिहार से लोक सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। स्पष्ट है कि तब जन्म और जाति का इतना प्रभाव नहीं था। विचारों के आधार पर लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते थे। ये जिस क्षेत्र से चुने गए उसके साथ न्याय भी किया।

आखिरी वक्त तक वे लिखते रहे थे देश की वर्तमान समस्याओं के बारे में, भविष्य के बारे में। जिस दिन उनकी मृत्यु का समाचार छपा, उसी दिन हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका एक लेख छपा। उससे मतभेद हो सकते थे, लेकिन निरन्तर चिंतन और चिन्ता तथा मित्रों के साथ आखिरी वक्त में भी मैत्री निभाना उनकी विशेषता रही।

मधु जी का आधुनिक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान है। हम आशा करते हैं कि श्रीमती चम्पा बाई लिमये और उनके सुपुत्र, मधु जी की परम्परा को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।

*** *** ***

श्री राम विलास पासवान, सांसद: श्री मधु लिमये जी हम लोगों के नेता थे। मेरे जैसा आदमी जब राजनीति में आया तथा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन की तब मधु जी, ठाकुर जी व जोशी जी जैसे लोग थे। अभी अटल जी ने ठीक कहा कि उस समय जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं होती थी, विचारों के आधार पर राजनीति होती थी। हमें इस बात की खुशी थी कि मधु जी ब्राह्मण परिवार के होते हुए भी हमेशा दलितों के कल्याण के लिए लड़े। उन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर के चरित्र का उद्धरण किया। हम किसी बात को बोलें या नहीं लेकिन मधु जी उसे बोल देते थे, लिख देते थे। उन्हीं लोगों के कारण हमें कभी-कभी यह एहसास होता है कि जब तक मधु लिमये जैसे लोग इस देश में पैदा होंगे और किसी भी जाति या वर्ग से ऊपर उठकर समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ न्याय करने का काम करेंगे, तब तक देश में जातिगत विषमता का युद्ध नहीं पनपेगा। उनमें एक प्रतिभा थी। वे केवल राजनेता ही नहीं थे बल्कि हर गुण से सम्पन्न थे। वे लेखक भी थे, विश्लेषणकर्त्ता भी थे। उन्होंने ढेरों किताबें लिखीं। अंतिम समय मुझे उनके साथ अस्पताल में दो दिन रहने का मौका मिला। उस समय भी हमको एहसास नहीं था कि वे नहीं रहेंगे। उनको दमे की बीमारी थी, सांस की बीमारी थी। हमने सोचा कि वे ठीक हो जायेंगे। लेकिन काल के गाल से कोई भी बच नहीं पाया। वे हम लोगों को छोड़कर चले गये। उन्होंने जो एक विचार, आदर्श छोड़ा है, वह हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करेगा।

*** *** ***

SHRI SOMNATH CHATTERJEE, MEMBER: When I came to this august House for the first time in the Fifth Lok Sabha, as a young junior new Member, I looked upto Madhuji as a model Parliamentarian. Shri Limaye and Shri Jyotirmoy Basu were, in those days—if I may use the expression–ruling the Lok Sabha and I remember how in that Fifth Lok Sabha, the Nagarwala episode was brought about by Madhuji and Shri Jyotirmoy Basu. He scrupulously followed the Parliamentary Rules and Procedure and never disobeyed them. I had seen that although there was great tension here inside the Parliament in those days, he maintained his unruffled attitude and really guided us in conducting the affairs as Members of Parliament. We went to him as junior Members. I remember, on many occasions we had gone to him to learn from him how to be a good Parliamentarian, a useful Parliamentarian so that we can contribute to the proper conduct of the House and through that can serve the people of the country. His place in Indian politics and in the freedom movement is permanent and we deeply mourn his passing away.

*** *** ***

SHRI INDRAJIT GUPTA, MEMBER: As far as my friend, Shri Madhu Limaye is concerned, he was out and out a dedicated socialist. He was one of the old guard of the Socialist Party and the socialist movement. And here in the Parliament, day after day, at the end of Question Hour, Shri Madhu Limaye used to rise in his seat and put forward submissions which were so powerful and so telling in their adherence to constitutional norms and Directive Principles of the Constitution as well as the Rules of Procedures of the House. It would be very difficult for anybody to refute or rebut him. He became a terror to the Treasury benches, if I may be allowed to say so, because of the great acumen and the deep knowledge, which he displayed, of procedure and Constitution. I think he has contributed very much to the debates and proceedings of this House.

He raised all these things here from time to time and pursued with great tenacity. I hope many of these things will be made available later on in a suitable form for members to study and for future members—when they come to study and learn from.

*** *** ***

श्री चन्द्रजीत यादव, सांसद: अध्यक्ष जी, आज यह सदन हमारे देश के कई ऐसे प्रमुख व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय जीवन में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी और जिनका इस देश के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान था।

*** *** ***

श्री मधु लिमये इस देश की अगली श्रेणी के समाजवादी नेता और विचारक थे। वह संविधान और संसदीय परम्पराओं में बड़े निपुण थे। किसी तरह से भी इसमें उनको चुनौती नहीं दी जा सकती है। वह अग्रणी श्रेणी के नेता थे। उनके बारे में यहां अनेक बातें कही गईं लेकिन एक बात मुझको प्रभावित करती थी। जीवन के अंतिम बरसों में स्वास्थ्य ठीक न रहते हुए भी जब वह ज्यादा दौड़-धूप नहीं कर पाते थे तो अपनी लेखनी से, अपने विचारों को बड़ी निर्भीकता से रखते थे। अंत में उन्होंने सारी शक्ति, सारी योग्यता, सारी प्रतिभा इस बात के लिये लगा दी कि पार्टियों से ऊपर देश है। उनका कहना था कि जिस काम से देश का हित होता है, उसको निर्भीकता से किया जाये। उन्होंने अपने विचारों, नीतियों और कार्यक्रमों से देश को आगे ले जाने का काम किया। उन्होंने पूरी शक्ति, योग्यता अपनी लेखनी में लगायी और इन्हीं कार्यों से जूझते हुए अपना शरीर त्याग दिया। मुझे विश्वास है कि हमारी युवा पीढ़ी उनके प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को और उनके देशभक्ति के योगदान को आदर्श मानकर कार्य करेगी और देश के सामने जो चुनौतियां हैं, उनको स्वीकार करने में समर्थ होगी।

*** *** ***

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट, सांसद: इसके साथ-साथ यहां पर मधु लिमये जी का मैं जिक्र करूंगा। वे भी हिन्दुस्तान के एक बड़े अजीम लीडर थे। जैसे जयप्रकाश नारायण जी थे और डा. राम मनोहर लोहिया जी थे। उनके खास विचार थे और वे गरीबों का साथ देने वाले थे। गरीबों को ऊपर उठाना चाहते थे और इन्हीं विचारों को लेकर मधु लिमये जी विचार करते थे। जैसा कि यहां कहा गया है वह बड़े अजीम पार्लियामेंटेरियन थे, वह हमेशा जिस अंदाज से गुजरते थे, हमने देखा है।

*** *** ***

SHRI SOBHANADREESWARA RAO VADDE, MEMBER: Sir, Shri Madhu Limaye is one of those very few persons who always lived up to the ideals for which they stood all through their lives. He is one of the very few personalities who will continue to inspire the present and coming generations. He had turned down the opportunity to join the Government, but was always serving the cause of the poor. Secular to the core and truly democratic, he was never afraid to call a spade a spade, though it might not be to the liking of a good number of people in the society.

*** *** ***

SHRI CHITTA BASU, MEMBER: To remember Madhu Limaye is a unique privilege to us who believe in socialism and who have struggled or are struggling even today for the cause of socialism in the world. Madhu Limaye has contributed immensely for the growth of thought and action in the socialist movement in our country.

Sir, he was a unique Parliamentarian and it has been mentioned by many. He had extraordinary qualities for raising issues in this House in defence of the peoples' rights and peoples' grievances. He has authored a large number of books which still remains a treasure for socialist workers and I think this country will benefit from his experiences, both as a socialist worker and also as a parliamentarian and author.

Dr. Shanker Dayal Sharma, President of India, Shri K.R. Narayanan, Vice-President of India and Chairman, Rajya Sabha, Shri P.V. Narasimha Rao, Prime Minister of India and Shri Shivraj V. Patil, Speaker, Lok Sabha and other dignitaries at the unveiling of the portrait of Madhu Limaye in the Central Hall of Parliament on 15 March 1996

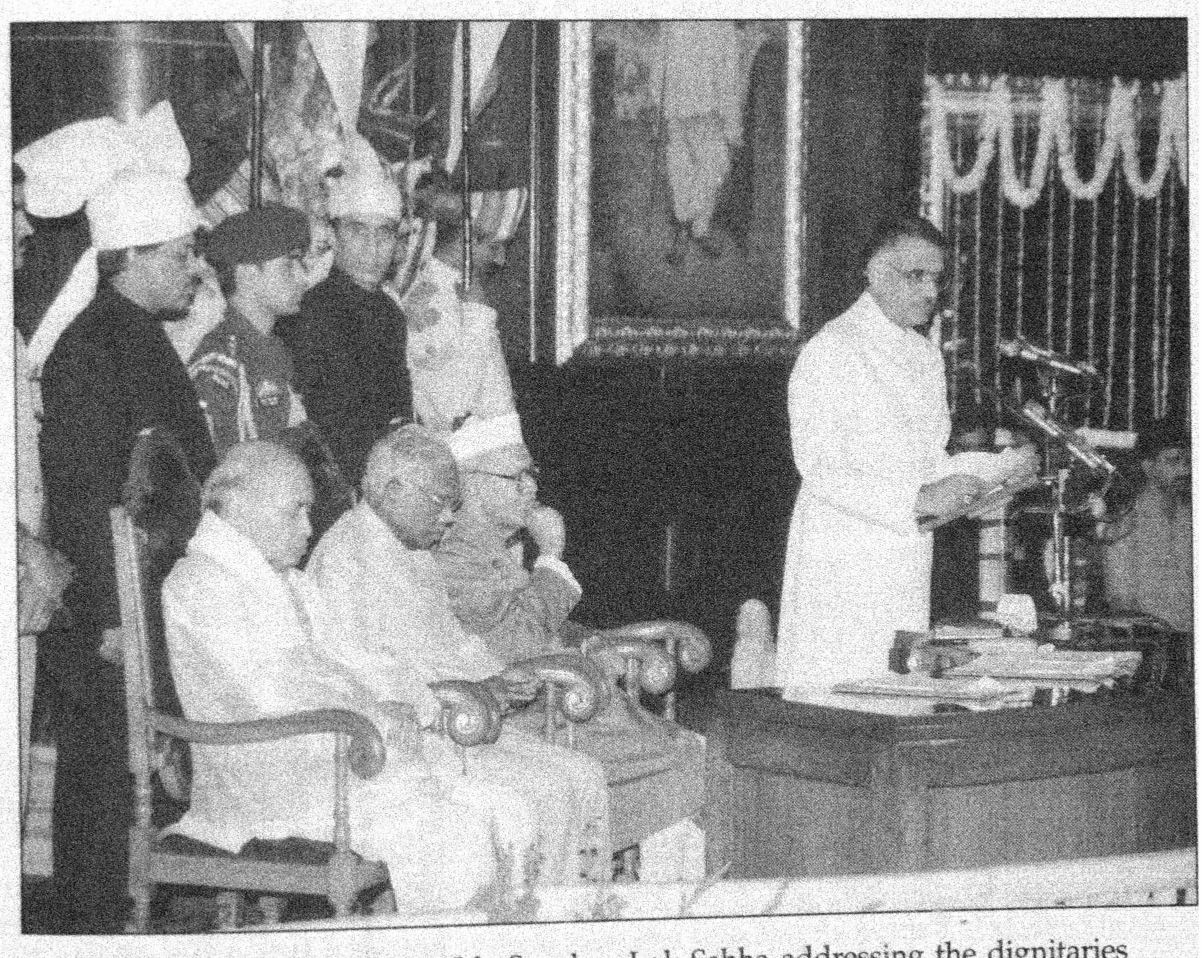

Shri Shivraj V. Patil, Hon'ble Speaker, Lok Sabha addressing the dignitaries at the unveiling of the Portrait of Shri Madhu Limaye in the Central Hall of Parliament on 15 March 1996

II. ADDRESSES AT THE UNVEILING OF THE PORTRAIT OF SHRI MADHU LIMAYE*

On 15 March 1996, the President of India, Dr. Shanker Dayal Sharma unveiled *inter-alia* a portrait of the eminent parliamentarian, Shri Madhu Limaye in the Central Hall. The function was addressed by the President, Dr. Shanker Dayal Sharma, the Vice-President, and Chairman, Rajya Sabha, Shri K.R. Narayanan the Prime Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, the Speaker, Lok Sabha, Shri Shivraj V. Patil, the Chairman of the Indian Council for Cultural Relations and former Union Minister, Shri Vasant Sathe, and Shri Mohan Singh, M.P. The portrait of Shri Madhu Limaye has been painted by the renowned artist, Shri Shobhraj.

The texts of the Addresses delivered by the dignitaries on the occasion are reproduced below.

ADDRESS BY THE PRESIDENT OF INDIA, DR. SHANKER DAYAL SHARMA**

Shri K.R. Narayanan, Vice-President of India, Shri P.V. Narasimha Rao, Prime Minister of India, Shri Shivraj V. Patil, Speaker, Lok Sabha, Shri Vasant Sathe, Chairman, Indian Council for Cultural Relations, Shri Mohan Singh from Madhu Limaye Smriti Nyas, the donor of the portrait of Madhu Limaye, Shrimati Limaye, Shrimati Najma Heptulla, Honourable Ministers of the Union Cabinet, Governors, Honourable Members of Parliament, Respected Freedom Fighters, Ladies and Gentlemen:

It gives me immense pleasure to be present here, in this august Central Hall, hallowed by the memory of our leaders and freedom fighters.

*** *** ***

*** *** ***

Friends, we also honour today, a dear friend and colleague, a fervent nationalist and democrat Shri Madhu Limaye, who was snatched away from our midst only last year.

---

* *The Journal of Parliamentary Information*, Vol. XLII, No. 2, June 1996, pp. 154-169.

** At a function in the Central Hall of Parliament after unveiling the portrait of Madhu Limaye on 15 March 1996.

Of the diverse aspects of his personality, his inspiring role as a parliamentarian stands out most sharply in my memory. His outspoken views and clear perception of political, legal and constitutional matters were based on painstaking research and deep study. His objective and learned expositions in Parliament were heard by one and all with respect, even though not every one agreed with his point of view. The corpus of his speeches and books on important national issues constitute an important legacy for all of us, specially those in public life.

Madhuji practised what he preached. An inveterate socialist, influenced deeply by Lok Nayak Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia and Acharya Narendra Deva, he was spartan and austere in his private life. He believed in simple living and high thinking.

In honouring him today, we pay our respects to a freedom fighter who worked untiringly for the cause of liberating our nation from the colonial yoke. He was a young student of eighteen years, when he first suffered imprisonment during the freedom struggle. After Independence his efforts for the liberation of Goa sent him into Portuguese captivity. Personal hardship never deterred Madhuji from his path of duty; indeed adversity only strengthened his resolve for the righteous cause of democracy, equality and human dignity.

Madhu Limaye was a man of simplicity, integrity and high moral rectitude, a brilliant intellectual and scholar, and an eminent parliamentarian. It is, indeed, fitting that his portrait has been placed in Parliament House alongside those of the great leaders of our nation.

Friends, as we enter the next millennia, let us all pledge to work for peace, prosperity and harmony in our society. Let us realize the vision of our freedom fighters and founding fathers of a nation resplendent in its vibrant diversity and confident and secure in its oneness and unity.

Jai Hind.

ADDRESS BY THE VICE-PRESIDENT OF INDIA AND CHAIRMAN, RAJYA SABHA, SHRI K.R. NARAYANAN

Respected Rashtrapatiji, Respected Prime Minister, Honourable Speaker, Shrimati Madhu Limaye, Honourable Shri Chandra Shekharji, Honourable Shri Sikander Bakhtji, Honourable Ministers, Member of Parliament and Friends:

Today we add another statue and another portrait to the galleries of great men that adorn this temple of democracy. They remind us of the glorious days gone by when they struggled for our freedom and

Independence, and after attaining it strove hard to build up a just and democratic social order for our people. These statues and portraits will *look down upon* generations of parliamentarians to come, blessing their efforts for the nation and reminding them of the standards to be upheld in all their endeavours.

*** *** ***

Shri Madhu Limaye, a more contemporary figure for us and who passed away from the scene only recently, was a freedom fighter, socialist thinker, parliamentarian and a crusader for civil liberties and social justice. His contribution to the freedom movement in the stormy forties and during the Goa liberation struggle belonged to the unforgettable history of the radical days of Indian socialism. A brilliant intellectual with a practical bent of mind, he was one of those Socialists who sought to think with originality and a freshness of approach about socialism in Indian terms in an international context. He was deeply involved in the international socialist movement but he did not believe in blind imitation of Western models and felt the need for a distinctive Indian approach. In this process, he arrived at the necessity of marrying socialist principles to Gandhian ideas and methods. Madhu Limaye with his sharp analytical mind tried to study the post-independent India and understand the political, social and economic forces at work since the country moved into the era of Independence. He arrived at the imperative of decentralisation in politics of economics and the need for grappling with the issues of social justice in Indian society. He tried valiantly to bring about a broad combination in Indian politics of all secular, democratic and socialist forces. Madhu Limaye was at once a thinker and intellectual and a stormy petrel in Indian politics.

I have great pleasure in joining you all in paying tributes to him along with Maulana Abul Kalam Azad, both of whom shared a passion for India's freedom and unity and for the welfare and progress of the Indian people.

ADDRESS BY THE PRIME MINISTER, SHRI P.V. NARASIMHA RAO

Revered Rasthrapatiji, Respected Upa-Rashtrapatiji, Mr. Speaker, Chandra Shekharji, Sikander Bakhtji, Smt. Madhu Limayeji, Vasant Satheji, Excellencies and Ladies and Gentlemen:

Today we have gathered here to honour... an outstanding son of India.*

*** *** ***

* The statue of Maulana Abul Kalam Azad was also unveiled on 15 March 1996 by Hon'ble President of India, Dr. Shanker Dayal Sharma.

...We are honouring an intellectual, freedom fighter and dedicated socialist, Shri Madhu Limaye. Shri Limaye was a voracious reader and was drawn into the freedom struggle in his student days. He was closely associated with the socialist group in the Congress and was imprisoned for his anti-war speeches and his activities during the Quit India Movement. After Independence he continued to work for the Socialist Party. As an ardent nationalist he joined the liberation movements in Goa. Limaye entered Goa in 1955 as a *Satyagrahi* where he was brutally beaten and was sentenced to 12 years of imprisonment. He was released when an amnesty was announced for the Indian prisoners in 1957 after spending over 19 months in Portuguese captivity. Limaye was a thinker and took keen interest in the formation of economic policy and constitutional issues. He had earned a niche for himself in the political arena of independent India. He was deeply sensitive to the needs of the poor but was never dogmatic in his approach. He used his intellectual qualities to uphold democratic principles and was very vocal and emphatic in his approach. Till his last days he continued to analyse the national events dispassionately as a true scholar. He was a man of integrity and always acted on his convictions and was never motivated by personal gain. He remained an austere and a simple man whose motivation was to serve the people of his country.

Today, when we honour the memory of Maulana Azad and Madhu Limaye, let us dedicate ourselves to the ideals of freedom, secularism, national unity and welfare of the people to which both these great men dedicated their lives.

श्री शिवराज वी. पाटिल, लोक सभा अध्यक्ष का भाषण

परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, श्रद्धेय उप राष्ट्रपति जी, श्रद्धेय प्रधान मंत्री जी, इस अवसर पर उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय, श्री चन्द्र शेखर जी, श्रीमती लिमये जी, विरोधी पक्ष के नेता, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, राजदूत महोदय, पत्रकार और दूसरे मीडिया के प्रतिनिधि मित्रो, भाइयो और बहिनो, मुझे राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी तथा अन्य महानुभावों का इस सभा में स्वागत करते हुए हार्दिक आनंद हो रहा है। संसद के महत्वपूर्ण समारोहों में राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी और अन्य महानुभावों ने हमारे आमंत्रण पर पधार कर हमें सदा अनुगृहीत किया है। आज भी इस कार्यक्रम में आकर आपने हमें अनुगृहीत किया है। इस कृपा के लिए हम आपके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।

*** *** ***

मधु लिमये जी के चित्र का भी अनावरण आज राष्ट्रपति जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। यह चित्र मधु लिमये जी के स्नेही और प्रशंसकों ने संसद को प्रदान किया है

मधु लिमये जी का चित्र संसद में लगाया जाएगा। चित्र देने के लिए हम श्री मोहन सिंह जी और मधु लिमये जी के अन्य साथियों को हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं। मधु लिमये जी भारत के एक महान विद्वान नागरिक थे, पुत्र थे। उन्होंने लोकतंत्र और संसदीय प्रणाली को सशक्त बनाने के कार्य में बड़ा ही अनुदान किया है। वे आखिर तक देश के मौलिक प्रश्नों के संबंध में लिखते और बोलते रहे और देश का मार्गदर्शन करते रहे। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई, उससे देश का भारी नुकसान हुआ है। उनकी स्मृति के इस अवसर पर हम अभिवादन करना चाहेंगे।

*** *** ***

हमारा देश केवल पहाड़ी, झाड़ी, नदियों, जमीन तथा रक्त मांस के शरीर से बने हुए मनुष्य और प्राणियों से ही नहीं बना है, हमारा देश विचार, दर्शन और भावना के ज्वारभाटे से भी बना है। यह विचार, भावना और दर्शन की लहरें कभी ऊंची उठती हैं और कभी नीचे गिरती हुई हमें जरूर दिखाई देती हैं, परन्तु वे कभी खत्म नहीं होती हैं, वह अक्षरश: अक्षुण्ण हैं और रहेंगी। वह भारत माता की आत्मा हैं, जो कभी नष्ट नहीं होने वाली है।

यह संसद भवन विचारों, दर्शनों और भावनाओं को जन्म देने वाला स्थान है। यह संसद भवन भूत, वर्तमान और भविष्य को जोड़ने वाले स्थानों में से एक है। विचारों की आत्मा इस संसद भवन के क्षेत्र में रहती है और रहेगी। इस संसद भवन में जो प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, वे प्रतिमाएं इसी प्रकार के विचारों, भावनाओं और दर्शनों की प्रतीक हैं। उनको देखने से यह विचार, भावनाएं और दर्शन, यहां पर आने वाले, कार्य करने वाले सभी महानुभावों के मन-मस्तिष्क पर प्रभाव डालती रहेंगी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब की प्रतिमा का महत्व इसी दृष्टि से है।

श्री मोहन सिंह, सांसद का भाषण

परम आदरणीय राष्ट्रपति जी, परम आदरणीय उप राष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधान मंत्री जी, परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय शिवराज वी. पाटिल, आदरणीय चन्द्रशेखर जी, श्रीमती चम्पा लिमये जी, सांसद बंधुओ, उपस्थित देवियो और सज्जनों।

संसद के इस ऐतिहासिक केन्द्रीय कक्ष में मधु लिमये स्मृति न्यास की ओर से हम आप सबका स्वागत करते हैं। यह सुखद संजोग है कि जिस प्रखर सांसद ने संसद को अपनी तेजमयी वाणी से कभी गुंजायमान किया था उनके तैल-चित्र का अनावरण इस केन्द्रीय कक्ष में हो रहा है। श्री मधु लिमये जी पूना में जब विद्यार्थी थे तभी महात्मा गांधी द्वारा चलाये जा रहे 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में कूद पड़े। 1942 के बम्बई के ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने हिस्सा लिया तथा "करो और मरो" के नारे के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भूमिगत रहकर सक्रिय सहयोग किया। देश की आजादी के बाद भी वे गोवा के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, जहां पुर्तगाली सरकार ने उन्हें जेल में कठिन यातनाएं दीं जिससे उनका तेजमय युवा शरीर रोगग्रस्त हो गया। गोवा के

स्वतंत्रता संग्राम में अग्रिम भूमिका निभाने के कारण उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। भारत सरकार के कठिन प्रयास से उन्हें चार वर्ष की संघर्षपूर्ण जेल यातना के बाद रिहा कर दिया गया था।

श्री लिमये 1964 में पहली बार लोक सभा में आये और अपने प्रथम चरण में ही अपनी प्रखर वाक्‌शैली से यह सिद्ध किया कि अल्प संख्या में होते हुए भी विपक्षी दल नियम और प्रक्रिया का सहारा लेकर विशालकाय सत्ता पक्ष को कैसे काबू में रख सकते हैं। उन्होंने अपने तीखे प्रहारों से सार्वजनिक क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के अनेक मुद्दों को उजागर किया और लोक जीवन में एक शुचिता को बनाए रखने के ऊपर विशेष बल दिया। वे सच्चे अर्थों में एक निस्पृह, सत्यनिष्ठ लोक सेवक थे।

1975 में आपातकाल में 20 महीने तक नजरबंद रहे। आपातकाल का सहारा लेकर जब लोक सभा केवल एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई, तो उन्होंने न केवल उसका विरोध किया बल्कि संसद की सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया। उन्होंने अपने दल के विशेष आग्रह के बावजूद कभी राज्य सभा की सदस्यता ग्रहण नहीं की, क्योंकि उन्हें उस राज्य का अस्थाई निवासी होने का फर्जी प्रमाणपत्र देना मंजूर नहीं था।

स्वतंत्रता संग्राम में उल्लेखनीय योगदान व चार बार संसद में रहने के बावजूद उन्होंने किसी तरह की पेंशन अथवा पुरस्कार स्वीकार नहीं किया। देश-सेवा पुरस्कार ग्रहण करने का माध्यम नहीं है, ऐसी उनकी राय थी।

हमारी पीढ़ी उन्हें एक सच्चे राष्ट्रभक्त, प्रखर चिन्तक, समाजवादी नेता, समर्पित कार्यकर्ता, विशिष्ट सांसद के रूप में सदैव याद रखेगी।

उनकी पावन स्मृति जीवित रखने के उद्देश्य से संसद के परिसर में उनके तैल-चित्र का अनावरण भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक होगा। यह चित्र भाई कमल मोरारका जी ने हमारे स्मृति न्यास को दिया जिसे न्यास ने माननीय लोक सभा के अध्यक्ष को समर्पित किया है। हम माननीय अध्यक्ष जी के विशेष आभारी हैं जिनकी महानतम कृपा से लोक जीवन के एक अनोखे संन्यासी को संसद भवन में स्थान मिल सका। इस ऐतिहासिक आयोजन में आने के लिए हम आदरणीय राष्ट्रपति जी, उप राष्ट्रपति जी, प्रधान मंत्री जी और आप सभी का विशेष अनुग्रह ज्ञापित करते हैं और इस तैल-चित्र को बनाने के लिए जो हमारे विशेष चित्रकार श्री शोभराज जी हैं उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हुए आप सबको धन्यवाद और नमस्कार करते हैं।

English:

Tito's Revolt against Stalin
Communist Party : Facts & Fiction
Barren Path
Four Pillar State
The New Constitutional Amendments
Politics After Freedom
Problems of India's Foreign Policy
The Age of Hope
The Prime Movers
Contemporary Indian Politics
Indian National Movement
Cabinet Government in India
Indian Polity in Transition
Socialist-Communist Interaction in India
Decline of a Political System
Birth of Non-Congressism
Musings on Current Problems and Past Events
Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru :
A Historic Partnership—Vol. I–Vol. IV
A Self Liquidating scheme for Reservation
Supreme Court Decision on Backward Class Reservation
President *Vs* Prime Minister
India and the World
Evolution of a Socialist Policy
Janata Party Experiment—Part I & II
Parliament Judiciary and Parties (An Electro
Cardiogram of Indian Politics)

Religious Bigotry

Limits of Authority
(Political Controversies & Religious Conflict in contemporary India)

August Struggle
(An Appraisal of Quit India Movement)

Manu, Gandhi and Ambedkar and other essays

Last Writings

Goa Liberation Movement & Madhu Limaye

Galaxy of the Indian Socialist Leaders

Madhu Limaye on the Famous Personalities

हिन्दी:

चौखम्भा राज—एक रूपरेखा

आपातकाल : संवैधानिक अधिनायकवाद का प्रशस्त पथ

राजनीति का नया मोड़

मार्क्सवाद और गांधीवाद

समस्याएं और विकल्प

स्वतंत्रता आंदोलन की विचारधारा

संक्रमणकालीन राजनीति

धर्म और राजनीति

राजनीति का शतरंज—वी.पी. से पी.वी. तक

डा. अम्बेडकर—एक चिंतन

महात्मा गांधी राष्ट्रपिता क्यों कहलाते हैं?

कम्युनिस्ट पार्टी : कथनी और करनी

अयोध्या—वोट बैंक की विध्वंसक राजनीति

अगस्त क्रांति का बहुआयामी परिदृश्य

सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का लोप

भारतीय राजनीति का संकट

भारतीय राजनीति का अंतर्विरोध

सरदार पटेल—सुव्यवस्थित राजनीति के प्रणेता

राष्ट्रपति बनाम प्रधान मंत्री

आत्मकथा

आरक्षण की नीति

मराठी:

त्रिमंत्री योजना

कम्युनिस्ट जाहिरनाम्याची शंभर वर्षे

पक्षांतर बंदी? नव्हे अनियंत्रित नेतेशाहीची नांदी

स्वातंत्र्य *चलवलीची* विचारधारा

डा. अम्बेडकर—एक चिंतन

कम्युनिस्ट पक्षाचे अंतरंग

समाजवाद—काल, आज व उद्या

संक्रमणकालीन राजनीति

आत्मकथा

पेच राजकारणातले

सौहार्द

राष्ट्रपिता

चौखंभा राज्य—एक रूपरेखा

INDEX

INDEX

अब्दुल्ला, शेख 239, 240, 243, 244, 245
अहमद, फखरूद्दीन अली 412, 414, 557
अली, कुरबान 67
अल्वेयर्स, पीटर 332
अंतुले, ए.आर. 409
आजाद, भागवत झा 253
आर्थिक नीति 285, 413
आल इंडिया रेडियो 222, 223, 228
आपातकालीन स्थिति 262, 434
आयात-निर्यात 342-44, 347
उलगनम्बी, आर.पी. 585
औद्योगिक नीति 413
औद्योगिक विकास 262-66
औद्योगिक संकट 464
औद्योगिक उत्पादन 362, 406, 417
इस्पात मंत्रालय 432, 438
कपूर कमीशन 216
कामराज, के. 345
कानूनगो, नित्यानंद 368, 378, 425, 426, 429
कुमार, नीतिश 20
कुमार, वीरेन्द्र 33
कृपलानी, सुचेता 185, 186, 234
कश्यप, सुभाष 44
कुंजरू, पंडित ह्रदयनाथ 215
कोलम्बो प्रस्ताव 155
कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 185
कानून मंत्रालय 267
कांस्टीट्यूएन्ट असेम्बली 123, 124, 211, 313, 317
केन्द्रीय सरकार 151-53, 161, 172, 177, 188
कोसी घाटी योजना 216, 217
कैरों, प्रताप सिंह 215, 305, 540
खाडिलकर, आर.के. 265, 420
खाद्य बजट 492-99
खाद्य मंत्रालय 504
गाडगिल, डी.आर. 176, 265
गांधी, इंदिरा 30, 31, 69, 128, 129, 142, 144, 145, 147, 171, 243, 253, 266, 280, 285, 362, 368, 389, 390, 436, 458, 496
गणेश, के.आर. 419, 421
गोखले, एच.आर. 128-30, 132, 452, 599
गोखले, हरिभाई 448, 449
गोरे, एन.जी. 27, 28
गोरे, शंकर राव 265
गुजराल, इन्द्र कुमार 18, 192, 193, 532
गुप्त, चन्द्रभानु 34, 252, 262, 366
गुप्त, कंवरलाल 145
गुप्त, इंद्रजीत 460
चक्रवर्ती, रेणु 155
चटर्जी, सोमनाथ 601
चट्टोपाध्याय, डी.पी. 145, 219, 425, 427, 428, 430
चन्द्रशेखर 27, 31
चन्द्रशेखरन, के. 33
चौधरी, देवीलाल 34
चौधरी, नीति राज सिंह 583
चव्हाण, वाई.बी. 125, 146, 265, 276, 285, 345, 347, 380, 392
जगजीवन राम 404, 405, 625
ठाकुर, कर्पूरी 34
ढिल्लों, गुरदयाल सिंह 143
तुलमोहन राम 428
तिवारी, डी.एन. 418, 419
तिवारी, नारायण दत्त 27
दांडेकर, एन. 270
दंडवते, मधु 298, 433
दास, बनारसी 34
देसाई, हितुभाई 561
देसाई, मोरारजी 34, 275, 343, 346-48, 441
देव, नरेन्द्र 180, 181, 183, 185
दक्षिणपंथी कम्युनिस्ट 158
दीक्षित, उमाशंकर 178, 181, 448, 459
धर, डी.पी. 214
नन्दा, गुलजारी लाल 155-57, 160, 215
नारायण, जयप्रकाश 20, 68, 69, 180, 223, 241, 421
नाथ पाई 121, 122
नवलकर, जी.बी. 350

न्यायालय की स्वतंत्रता 298, 321-24
नजरबंदी कानून 237, 238
नागरवाला कांड 221
नौकरशाही 170, 232, 233, 256, 291, 348, 418, 421, 448, 459, 497, 498
पाण्डेय, नरसिंह नारायण 234
पाणिग्रही, चिन्तामणि 175
पाई, टी.ए. 145, 414
पटेल, जसुभाई 350
पटनायक, बीजू 34, 215
पटवर्धन, अच्युत 435
पिल्ले, पट्टम थानु 162
प्रकाशम, टी. 162, 185, 186, 264
पंचवर्षीय योजना 389-94
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 27, 264
पेट्रोलियम मंत्रालय 505
प्रेस इन्फार्मेशन ब्यूरो 189, 195
प्रेस कमीशन 119, 189, 190
प्रेस काउंसिल 190, 192
प्रेस स्वतंत्रता 119, 120, 189, 190, 193, 195, 315
प्रिविलेजज़ कमेटी 429, 430
पब्लिक अकाउन्टस कमेटी 215, 216, 218, 409
फर्नांडीज, जार्ज 33, 377
फाइनेंस कमीशन 411
बनर्जी, एस.एम. 125
बरूआ, देवकान्त 407, 417, 418, 420
बसु, ज्योतिर्मय 207, 215, 220
भगत, बलिराम 622
भसीन, प्रेम 27
भट्ट, ब्रह्म कुमार 562
भुवाल, बी.सी. 559
भारत सेवक समाज 216, 218
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 67
भ्रष्टाचार 233, 252, 397, 399, 402, 403, 415, 423, 430
महिषी, सरोजिनी 40, 594
मालवीय, के.डी. 365
मौर्य, बुद्धप्रिय 467
मंडल, विन्देश्वरी प्रसाद 269
मसानी, एम.आर. 164
मेनन, अच्युत 530
मेहता, अशोक 27
मिर्धा, राम निवास 425
मिश्र, द्वारिका प्रसाद 264, 270, 273, 274, 278
मिश्र, जगन्नाथ 228
मिश्र, ललित नारायण 214-17, 220, 222, 224, 226, 227, 452, 460, 535
मिश्र, विभूति 227, 313
मिश्र, श्यामनन्दन 147, 408
मोदी, पीलू 304, 314, 418
मोहम्मद, बख्शी गुलाम 215
मुखर्जी, अजय 269
मुखर्जी, हीरेन्द्र नाथ 612
मुखर्जी, समर 177
मुखर्जी, शारदा 277, 278
मुंशी, प्रियरंजन दास 421, 425
मंडल कमीशन 31
मारूति लिमिटेड 229, 444, 475
मार्क्सवादी सिद्धांत 20
मैथ्यू कमीशन 225, 228, 229
मौलिक अधिकार 128, 298, 313
मुस्लिम लीग 68
यादव, चन्द्रजीत 278, 646
यादव, रामनरेश 34
रेड्डी, ब्रह्मानंद 146, 223, 448, 449, 455, 506
रेड्डी, एम. रामगोपाल 231-33
रेड्डी, नीलम संजीव 30, 125
रघुरामैय्या, कोथा 603
राजनारायण 27, 128
राममूर्ति, पी. 285, 622
राव, नरसिम्हां 31
राय, रबि 43
रेल मजदूर 327
रेल मंत्रालय 307, 327, 328
रेल विकास 327-30
राजवंश, हरिशंकर 44
राष्ट्रपति शासन 160, 177, 188, 197, 201, 202
राष्ट्रीयकरण 175, 199, 289, 345-61, 462, 467, 516
राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था 369

राष्ट्रीय आंदोलन 32, 67, 68
लॉ कमीशन 295-97
लोहिया, राम मनोहर 20, 27, 39, 68, 174, 180, 209, 313, 628
वाजपेयी, अटल बिहारी 268, 284, 324, 476
व्यापार मंत्रालय 337, 340, 378
विदेशी मुद्रा 336, 342, 367, 368, 374-84, 386, 390, 391, 408, 464
विदेशी सहायता 385-88
विश्व बैंक 385-87, 393
वेतन कमीशन 518
शाह, के.के. 365
शाह, मनुभाई 463, 464, 514
शमीम, एस.ए. 194
शिन्दे, अन्नासाहिब 397
शंकरानन्द, बी. 125
शिव नारायण 281
शुक्ल, विद्या चरण 198, 548
सलीम, यूनुस 287
साल्वे, नरेन्द्र कुमार 125, 287
साठे, वसंत 361
सेन, त्रिगुण 172
सेठ, सुलेमान 647
सिंह, भानु प्रकाश 274
सिंह, चरण 34, 366
सिंह, दिनेश 275, 376, 619
सिंह, गोविन्द नारायण 274-78
सिंह, कर्ण 241, 242, 257
सिंह, मोहन 27, 653
सिंह, मुलायम 31
सिंह, एन.के. 449, 461
सिंह, स्वर्ण 204
सिंह, वीरेन्द्र बहादुर 270
सिंह, वी.पी. 31
सिन्हा, तारकेश्वरी 263, 487
स्वामी, सुब्रमण्यम 167, 239, 253, 507
स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन 341
समाजवादी आन्दोलन 27, 28, 38
सरकारीकरण 490, 566
सामाजिक न्याय 20, 392, 398
सामाजिक नियंत्रण 345
संवैधानिक अधिकार 284, 305, 306, 587
संसदीय प्रणाली 233, 261, 653
सर्च लाइट काण्ड 196
सर्वोच्च न्यायालय 121, 160, 161, 250, 306, 321
हिमालयन स्टेट्स 208, 209
हिन्दुस्तान टाइम्स 109, 113, 114, 117, 120, 221, 277
त्रिपाठी, कमलापति 200
श्रीधरन, ए. 33
Ananthmurthy, U.R. 22
Anti-defection Bill 60, 98
Asian Socialist Conference 4, 14, 46
Asian Socialist Bureau 8, 41, 95
Banka 24, 64, 197
Basu, Jyoti 49
Basu, Jyotirmoy 65, 645
Bhave, Vinoba 23, 24, 471
Barua, Hem 55
Bharatiya Lok Dal 55, 58, 59, 61, 62, 64
By-election 24, 25, 42, 46, 47, 64, 73, 97
Chakravarty, Nitish 54
Chandrashekhar 55, 59, 63, 650
China 14
Chunder, P.C. 60
Communist Party of India 18, 47, 57
Communist Party of India (M) 47, 57
Congress (O) 55, 58, 59, 64, 65
Congress Party 2, 4, 26, 40, 41, 53, 55, 61, 66
Congress Socialist Party (iv), 2, 3
Constituent Assembly 3
D' Souza, Anthony 13
Democracy 6, 15, 50
Democratic Socialism 25, 50
Dange, S.A. 57
Desai, Kanti 43, 52, 58, 59, 61-63
Desai, Morarjibhai 43, 49, 52, 55-63, 74, 75
Deshmukh, Nanaji 52, 75
Deva, Narendra 14, 21, 24, 41, 64, 93, 643
Dandavate, Madhu 64, 65
Dhaneshwar, Amarendra 72, 103
Dharia, Mohan 55, 59
Dharmadhikari, Jayant 103
Dhillon, Gurdial Singh 66
Disarmament 6, 17

Dutt, Ramesh Chandra 84
Emergency 49, 64, 74
Fernandes George 23, 42, 64, 65, 74, 75, 101, 530
Finance Minister 43
Foreign Affairs Committee 4, 14
Foreign Policy 6, 8, 15, 17
Freedom Struggle (vi), 2, 13, 95
Gandhi, Indira 9, 47, 51, 54, 60, 64-66, 72-74, 77, 80, 81, 95
Gandhiji (v), 3, 13, 14, 23, 40, 50
General Elections 4, 21, 46, 72, 77, 99
Ghose, Arabinda 64
Goa Liberation Movement (v), 3, 8, 13, 42, 47, 49, 52, 96
Gore, Nana Saheb 13, 14, 25, 41, 64, 73
Gujral, I.K. 18
International Socialist Movement 4
Jana Sangh 49, 52, 55, 57, 59, 61, 63, 64
Janata Party 14-16, 25, 47, 49, 51-53, 55, 58-62, 73-75, 97-99, 101
Joshi, S.M. (v), 21, 64, 73, 93
Kakodkar, Purashottam 42
Kamerkar, Anant 103
Kamraj Plan 58
Khandesh 2, 94
Krishan, Kant 55, 59
Kulkarni, Vinayak 93
Kripalani, J.B. 58
Laski, Harold 8, 75
Limaye, Aniruddha 89
Limaye, Champa 2, 24, 42, 48
Lohia, Ram Manohar (v), 3, 8, 13, 14, 21-25, 36, 41-43, 51, 64, 73, 89, 93, 95-99
Lok Dal 97, 101
Maharashtra 14, 40, 47, 55, 64, 73, 97
Mahishi, Sarojini 40
Maintenance of Internal Security Act 49, 60, 98
Mehta, Asoka 14, 21, 41, 64, 73, 97
Mehta, Ferozeshah 86
Mishra, Lalit Narayan 64
Mishra, Shyam Nandan 65
Mohan, Surendra 46
Monghyr 23, 24, 42, 46, 73, 97, 100, 643
Muslim League 57
Namboodiripad, E.M.S. 50, 57
Narain, Raj 49, 52, 62, 65, 100
Narayan, Jayaprakash (v), 7, 14, 21, 23, 24, 41, 51, 52, 58, 64, 74, 93, 643
Nath, Pai 55
National College 95
National Conference 4, 46
Nayar, Kuldip 51
Nehru, Jawaharlal 13, 23, 43, 50, 51, 58, 80, 82
New Economic Policy 5
Non-alignment 6, 15, 51
Non-Congress Party 55, 57
Non-cooperation 40
Opposition 15, 54, 56, 57, 59, 60, 64-66
Parliamentary Practices 26, 99
Patel, Vallabhbhai 14
Patil S.K. 42
Patnaik, Biju 58
Pawar, Sharad 13
Phadke, Y.D. 22
Praja Socialist Party 46, 47, 72, 73, 75, 95
Prasad, Rajendra 50
Quit India Movement 13, 41, 90, 95
Raghuramaiah, K. 65, 66
Raje, Vasundhara, 21
Raju, P.V.G. 100
Ramamurthi, P. 57
Reddy, Mulka Govind 100
Reddy, Neelam Sanjiva 62
Roy, Raja Rammohan 85
Samyukta Socialist Party 4, 24, 54, 55, 58, 72, 100
Samayakta Vidhayak Dal 9
Saraswati Mandir 1, 90, 91
Shastri, Lal Bahadur 58
Singh, Charan 58, 59, 61, 63, 75
Singh, Digvijay 23
Socialist (v), 3, 21, 48, 51, 53, 64, 76, 101
Socialist Movement (v), 4, 14, 25, 46, 50, 72, 74, 89, 94
Socialist Party 3-5, 14, 36, 41, 42, 46, 49, 65, 74, 75, 95, 97, 100, 101
Soviet Union 14, 16, 18
Tagore, Prasanna Kumar 85
Tilak, Lokmanya 40, 80
Vajpayee, A.B. 55, 65
Yadav, Sharad 47, 57

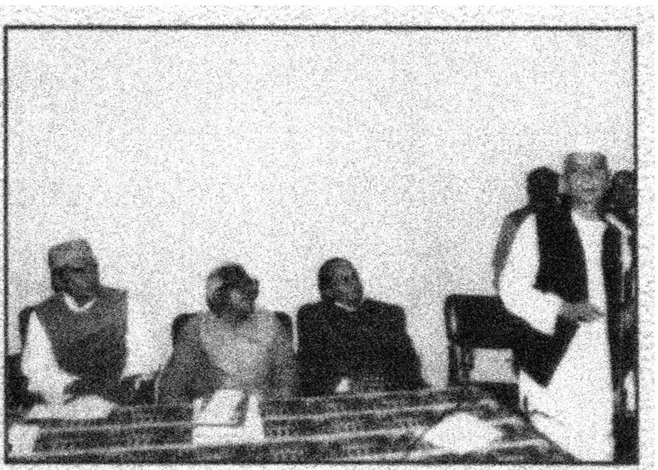

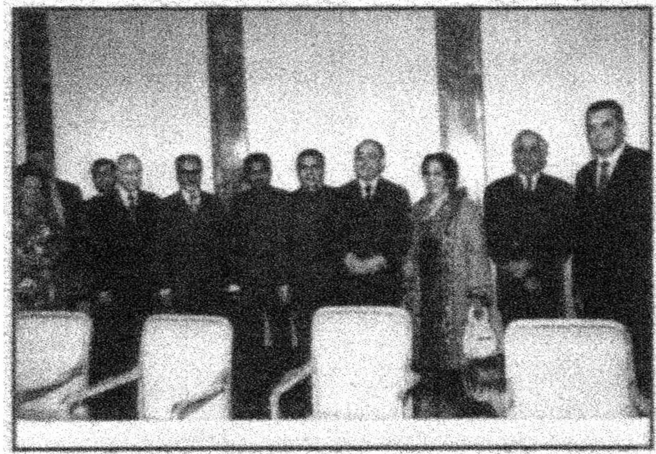

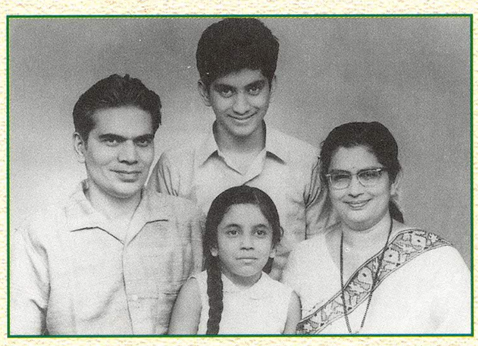

MADHU LIMAYE IN PARLIAMENT

A Commemorative Volume

LOK SABHA
SECRETARIAT
New Delhi